July to September 2021
E-Journal
Volume I, Issue XXXV

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 6.780 (2020)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 07/08
03. Referee Board 09
04. Spokesperson 11
05. अजन्ता भित्तिचित्रों का विकासक्रम (डॉ. निशा गुप्ता) 13
06. वैश्विकरण में भाषा की महत्ता (डॉ. मंशाराम बघेल) 15
07. हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान (कमला नरवरिया) 17
08. जनजातियों में प्रचलित शिकार की प्राचीन विधियाँ (डॉ. संगीता धुर्वे (मरावी)) 20
09. भारत में सामाजिक न्याय के निर्वचनकर्ता के रूप में मानव जीवन के विकासात्मक पहलुओं पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका (असीम कुमार शर्मा) 22
10. भिण्ड अंचल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी (डॉ.शालिनी गुप्ता) 26
11. भारतीय समाज मे व्यापत सति प्रथा एक अलोचात्मक अध्ययन (विमल चौधरी) 29
12. कोविड-19 प्रकोप के दौर में पत्रकारिता के जागरूकता अभियानों का प्रभाव : एक विवरण (डॉ. चन्दा तलेरा जैन, डॉ. संध्या प्रजापति) 31
13. आभिजात्यवाद: कुलीनता नही शालीनता का सूचक (डॉ. डी. पी. चन्द्रवंशी) 34
14. निराला का काव्य जीवन: एक दृष्टि (डॉ. राजाराम परते) 36
15. भारतीय संस्कृति में मृदभांड़ की भूमिका (डॉ. कुन्ती साहू) 39
16. सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष : भारत के सन्दर्भ में संक्षेपिका (डॉ. विद्या चौधरी, डॉ. साधना डेहरिया) 42
17. श्रम कल्याण में इंदौर मिल मजदूर संघ (इंटक) का योगदान (डॉ. स्नेहलता सिंह) 44
18. उज्जैन जिले में महिला उद्यमियों के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान (डॉ. मन्सूर खान, फरजाना खान) 48
19. महिलाओं के उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के योगदान का अध्ययन (उज्जैन संभाग के विशेष संदर्भ में) (डॉ. रूपचंद चौहान) 50
20. बालश्रम समस्या: कारण, प्रभाव, निराकरण (डॉ. पूजा तिवारी) 53
21. माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के बहुपक्षीय व्यक्तित्व का अध्ययन (विजया थोटेकर, प्रो. ममता बाकलीवाल) 55
22. कामकाजी महिलाओं पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव (भोपाल म.प्र. के अयोध्या नगर के विशेष संदर्भ में) (डॉ. अनीता धुर्वे, श्रीमती सुनीता बाणकर) 58
23. पारिवारिक भोजन पर शैक्षणिक स्तर का प्रभाव (डॉ. आराधना श्रीवास) 61
24. पूर्व माधयमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध का अध्ययन (श्रीमती आरती आर्य, श्रीमती सरोज सिंह हाड़ा) 64
25. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना से हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदान का एक अध्ययन (झाबुआ जिले के विशेष सन्द्रर्भ में) (डॉ. डुंगरसिंह मुजाल्दा) 66
26. आधुनिकीकरण का मुस्लिम महिलाओं पर प्रभाव (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. पूजा तिवारी) 73
27. उज्जैन जिले में महिला उद्यमियों के विकास में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का योगदान (डॉ. मन्सूर खान, फरजाना खान) 75
28. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के योगदान का अध्ययन (उज्जैन संभाग के विशेष संदर्भ में) (डॉ. रूपचंद चौहान) 77
29. भारतमेंअसंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति : एक अध्ययन (गणपतलाल माली, डॉ. सत्येन्द्र किशोर मिश्र) 80
30. Economic Ideas of Mahatma Gandhi (Dr. Ajay Kumar Gupta) 83
31. Impact of Education on Preventing Child Labour in India (Dr. Kunal Shaktawat) 85

32. Constitutional Provisions for Equity and Equality (Dr. Uma Shrivastava) 87
33. William Wordsworth : A poet of Nature and of Rustic Life (Dr. Pallavi Parte) 90
34. Solution Focused Brief Therapy as an Adjunct to Pharmacotherapy in Patients of Major Depressive Disorder : A Study in Different Age Groups, Genders and Marital Status (Kolika Mazumdar, Dr. Deepika Jain, Dr. Ajay Kumar Chaudhary) 93
35. Macro-invertebrate as a tool for assessing the water quality of Shahid Chandra Shekhar Azad Project (Jobat Dam) during winter season Madhya-Pradesh, India (Nirmala Mourya, Mukesh Dixit) 96
36. Cyber Security (Dr. Basanti Jain) 100
37. A Study on Parental Encouragement Among the Students of Higher Secondary Classes of Bhopal District (Dr. Anamica Sarkar, Smt. Sanju Harne) 102
38. Ensuring Quality of Education in Madhya Pradesh (Dr. Uma Shrivastava) 105
39. A comparative Study of Folk Drama form and their Music in Rajasthan and Maharashtra with Special Reference to Instruments (Dr. Shiva Vyas) 110
40. Synthesis of Some 2:4 Dinitro-cyanoethyl Amino Stilbene as Antibacterial Activity (Dr. Malti Dubey (Rawat)) 114
41. Neutrosophic Sets and Systems- An Overview of Work Done and Future Prospects (Sudhish Kumar) 116
42. Self Finance Courses : An New Implimation in Quality Higher Education (Dr. Roshni Siddiqui) 119
43. प्राचीन भारत में विज्ञान : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण (डॉ. अंजू श्रीवास्तव) 121
44. मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ- ('कोरकू जनजाति' ऐतिहासिक परिचय एवं सामाजिक आर्थिक अध्ययन) (श्रीमती प्रीती चौरे, डॉ. सरोज बिल्लौरे) 125
45. लोकगीत जनमानस के हृदय की झंकार (डॉ. (श्रीमती) बिन्दू परस्ते) 127
46. आदिवासी साहित्य की अवधारणा (डॉ. मनीषा सिंह मरकाम) 129
47. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास में दीनदयाल अंत्योदय योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. गणेश पसाद दावरे, कु.प्रतिष्ठा कुमेकर) 131
48. डॉ.भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक उत्थान में योगदान (श्रीमती कुन्ती वराठे) 134
49. वस्तु एवं सेवा कर (जी. एस. टी.) - एक अध्ययन (डॉ. जयराम सोलंकी) 136
50. राष्ट्रीयकृत बैंको के विलय का कृषि वित्त पर सकारात्मक प्रभाव (बैंक ऑफ बड़ौदा के सन्दर्भ में) (बलवान सिंह राजपूत, डॉ. प्रभुदयाल झानानी) 138
51. रीवा सम्भाग के विद्युत उत्पादन के आर्थिक विकास की सम्भावनाएं एक अध्ययन (डॉ. रूपेश कुमार द्विवेदी) 140
52. हरिऔध के काव्य में मानवीय आदर्श : प्रियप्रवास' का संदर्भ' (डॉ. रंजना मिश्रा) 142
53. पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास का अध्ययन (डॉ. आभा गोयल, रेशमा सेन) 144
54. जनजातिय दशा सुधार हेतु अधिनियम कानुन व बाधाएँ (डॉ. के. आर. कुमेकर) 148
55. कार्यस्थलों पर महिला प्रसाधन व्यवस्था एवं स्वच्छता का अध्ययन (शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में) (डॉ. मनीषा सक्सेना, अदिती जोशी) 151
56. लोकतांत्रिक सहभागिता सामाजिक परिवर्तन एवं महिला सशक्तिकरण (डॉ. शकरी चौहान) 154
57. महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण एक अध्ययन (सतना जिले के संदर्भ में) (डॉ. पूनम शर्मा) 157
58. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों में तनाव का अध्ययन (रीवा शहर के विशेष संदर्भ में) (डॉ. आभा गोयल, साजदा बी) 159
59. भारतीय ग्रामीण विकास में स्व-सहायता समूह का योगदान- एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. ज्योतिलता सिंह) 164
60. वृद्धाश्रम में वृद्धों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. आभा गोयल, संदीपा पाण्डेय) 170
61. बैगा जनजाति का ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. पूनम शर्मा) 175

62. महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में कृष्णा सोबती (डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू, चाँदनी गुप्ता) 177
63. ग्रामीण उद्यमिता विकास संबंधी आर्थिक योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश के 181
विशेष संदर्भ मे)(डॉ. एस.के. खटीक, राजेश शेषकर)
64. गोंड जनजाति में सामाजिक परिवर्तन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) (श्रीमती संगीता कुशवाहा) 184
65. भारत में निर्वाचन : 16वीं लोक सभा के विशेष संदर्भ में (रवि शंकर) 189
66. सहशिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन 193
(उज्जैन नगर के संदर्भ में) (डॉ. सुरेखा जैन)
67. Black Pepper and Its Benefits (Dr. Rajesh Masatkar) 195
68. Ethnobotanical fibre yielding plants used by Tribal people of Dhar district, Madhya Pradesh, ... 197
India (Kamal Singh Alawa)
69. Human Rights & Climate Change: Remedies of Environment Protection in World 200
(Dr. B.K. Yadav)
70. Good Governance in the Private Universites: Rajasthan (Dr. B.K. Yadav) 205
71. Children of Migrant Labours: Education, Livelihood & Rights (Dr. B.K. Yadav) 210
72. कामकाजी महिलाएँ और घरेलू हिंसा (डॉ. प्रतिभा जैन) 215
73. भारतीय कृषि के समक्ष व्याप्त चुनौतियाँ : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (वन्दना जायसवाल) 217
74. गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक बोध (दमयंती मरांडी) 220
75. The Impact of 'American Reliability Standards' on Indian Courts in Perspective of 223
Expert Evidence (Prakash Vitnerkar, Dr. Ashutosh Bairagi) ....
76. Thematic Context of Buddhism in the Works of T.S. Eliot (Arvind Kumar Srivastava) 228
77. डी.एल.एड.के विद्यार्थियों द्वारा सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में आने वाली समस्याएं 231
(डॉ. राजवन्त संधु, फैमिना परवीन)
78. Feministic Themes in the Novels of Anita Nair (Virginia Dawande) 235
79. भारत में मीडिया ट्रायल की संवैधानिकता: एक विधिक विश्लेषण (भोला प्रसाद साहू, डॉ. पुष्पा ठाकुर) 237
80. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन के दायित्व (रवींद्र तिवारी) 240
81. भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता एवं विधायी विशेषाधिकार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (भोला प्रसाद साहू).......... 243
82. कोविड - 19 के काराण भारत में उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियाँ (श्रीमती कृष्णा शर्मा) 246
83. Urdu Adab Main Jadeediyat (or Jadeed Gazal) Modernity in Urdu Literature 248
(and Modern Lyrics) (Dr. Shaheen Afroz)
84. Effect of Shrimad Bhagavad Gita on Attention and Concentration In Primary School 251
Students (6 To 10 Years) (Chitra Subramanian, Dr. Samar Jeet Singh)
85. जीवन की सुरक्षा, दैहिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा की अवधारणाओं में अंतर और उनकी 257
सांवैधानिक स्थिति (नितेश भार्गव)
86. A Marketing Research with A Focus on the Home Delivery System in A Supermarket 261
(Mrs. Varsha Jain)
87. New Education Policy 2020: Composition and Implementation (Dr. B. K. Yadav) 266
88. कृषि में जैविक प्रौद्यौगिकी का उपयोग स्तर तथा असमानताओ का विश्लेषणात्मक अध्ययन 271
(बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में) (पूनम सोनी)
89. Education for Children of Migrant Labour in India in COVID-19 Pandemic (Dr. B. K. Yadav) 277
90. उज्जैन के आर्थिक विकास में धार्मिक पर्यटन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन............................... 282
(नेहा सांकला भाटी, डॉ. आर. के. बाकलीवाल)
91. ग्रामीण महिलाओं में होने वाले कुपोषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव (डॉ. मधुबाला वर्मा, पद्मारानी शाक्य) 285
92. The motif and the gravity of human order in William Golding's *Lord of The Flies* and 287
The Inheritors (Pradeep Sharma, Dr. Purwa Kanoongo)
93. Dimensions of Legal Aid in Present Scenario of India (Sangeeta Choudhary (Mehta)) 290
94. राजा राममोहन राय की आधुनिक पुनर्जागरण में भूमिका : एक विवेचना 293
(डॉ. अलीमा शहनाज सिद्दीकी, डॉ. ऋतु सेन)

95. प्याज में सिंचाई जल प्रबंधन (पूजा चौहान, डॉ. एस. के प्यासी, इ. वाय. एन. श्रीवास्तव) 295
96. साहित्य अकादमी पुरस्कृत काव्य संग्रह 'दो पंक्तियों के बीच' (राजेश जोशी) की कविताओं में सामाजिक संवेदना (कांचन शेंदुर्णीकर) 299
97. Mental Health Among Male and Female Journalists (Dr. Ravi Kumar Sharma) 303
98. Women's Struggling For Survival In Anita Nair's Novels (Waseem Akram) 305
99. Effect of Various Parameters on Photocatalytic Degradation of Azure B Dye (Dr. David Swami) 309
100. उन्नत समाज के निर्माण में हिंदी साहित्य की भूमिका (डॉ. श्याम पाल मौर्य) 312
101. ICT in Education- Issues and Challenges (Dr. Shobha Gupta) 316
102. The Role and Importance of Higher Education in Different Aspects of Life (Dr. Pramod Pandit) 318
103. उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन : एक अध्ययन (रामवीर सिंह, डॉ. एस. एल. वरे) 321
104. प्रभा खेतान के उपन्यासों में स्त्री का प्रतिरोधी स्वर (डॉ.बबीता यादव) 323
105. Ethnomedicinal Plant's Used for the Treatment of various disorders in Ganj Basoda tehsil of Vidisha District of Madhya Pradesh (Dr.Sarita Ghanghat) 325
106. दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या- एक अध्ययन (डॉ. राम सिंह पटेल) 328
107. बैगा जनजाति में विवाह परम्परा: एक अवलोकन (मंडला जिले के संदर्भ में) (डॉ. ज्योति सिंह) 333
108. लखनऊ शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन (मीता श्रीवास्तव, डॉ. मंजु दुबे) 337
109. भारतीय संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन (कपिल जाटव) 341
110. महिला सशक्तीकरण में समाज की भूमिका (रीवा जिले के संदर्भ में) (निगार फातिमा) 345
111. भारत में बाल अपराध : एक संक्षिप्त विश्लेषण (रुची गौतम) 347
112. रसविवेचन और आधुनिक नाट्य परिदृष्य (डॉ. ओमवती देवी) 349
113. भारत की आवश्यकता - समान नागरीक संहिता (श्रीमती गंगा मिश्रा, डॉ. नीलेश शर्मा) 352
114. Journey of Indian GAAP from Accounting Standards to Ind-AS (CA. Manish Borad, Dr. Purushottam Gautam) 356
115. A Comparative Study of Performance of Private and Public Sector General Insurance Business in India from 2007-08 to 2020-21 (Dr. P. K. Sanse, Ekta Pandey) 360
116. Social Reality in Indo-English Fiction (Dr. Rajkumari Sudhir) 368
117. सामाजिक यथार्थवाद और प्रेमचन्द का कथासाहित्य (डॉ. गोरखनाथ).. 370
118. आधुनिक भारत में बाल शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन (सत्या सिंह) 374
119. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ वर्तमान समय में (अरबिन्द कुमार) 377
120. सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के कार्य संतुष्टि के लिए प्रधानाचार्य की भूमिका झारखण्ड राज्य के लोहरदगा जिला के संदर्भ में(अवध किशोर सिंह) 383
121. An Analysis of Crude Oil Price's Fluctuation and Financial Performance of Top Five Petroleum Companies of India (Dr. Narendra Marwada, Dr. Divya Solanki) 385
122. Justice Administration and Judicial Philosophy in the Vedic Period - A Critical Study (Dr. Lok Narayan Mishra) 390
123. Swami Vivekananda Vision to Develop Human Resource in Respect of Education and Values (Dr. Sapna Mishra) 393
124. गाँधीजी का आर्थिक चिन्तन एवं स्वतंत्रता (डॉ. प्रवीण ओझा).. 397
125. गठबन्धन सरकार के समक्ष चुनौतियाँ एवं विपक्ष की भूमिका : 15वीं लोकसभा के सन्दर्भ में विशेष आंकलन (डॉ. रूबीना बानो) 400
126. Influence of Types of Hospital, Length of Service and their Interaction on Personality Factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses (Dr. Anjali Pandey) 404
127. संत सिंगाजी का इतिहास (डॉ. मधुसूदन चौबे) 407
128. म.प्र की अनुसूचित जाति/जनजाति शाला त्यागी बालिकाओं के लिए बनायी सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन (धार जिले के सर्वेक्षित बालिकाओं के आधार पर) (श्रीमति सीमा चौबे,डॉ. रमेशचंद्र पेन्टेल) 410

129. हिंदू समाज में अनुसूचित जातियों के प्रति आये जातिगत मानवीय संबंधों पर प्रभाव 413
(धार जिले के अनुसूचित जाति के सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर) (आशीष वर्मा, डॉ. डी.के. वर्मा)
130. Panchayati Raj Institition and Emerging Patterns of Women Leadership (Dr. Santosh Kumari) 416
131. विधिक शिक्षा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के गुण एवं दोष (डॉ. अनुराधा तिवारी) 418
132. स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाट्य साहित्य में युगबोध (डॉ. जयराम त्रिपाठी) 420
133. Festivals in India : In the Perspective of Biodiversity Conservation 423
(Dr. Jolly Garg, Anant Kumar Garg, Dr. Shobha Gupta)
134. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पॉलिटेक्निक शिक्षकों के ऑनलाइन अध्यापन अनुभव का 427
समीक्षात्मक अध्ययन (डॉ. आलोक कुमार यादव)
135. स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति वर्ग की वास्तविकता: एक विश्लेषण (डॉ. कनिया मेड़ा, डॉ. सुशील कुमार) 432
136. On the Structure Equation $F^{4K} + F^{2k} = 0$ (Lakhan Singh) 436
137. Study of Weed Management in Indian Vegetable (Jaibir Tomar) 438
138. Influence of Sowing Method and Weed Management Practices In Late Sown Wheat 442
(*Triticum aestivum*L.) (Vikas Toma, Jaibir Tomar)
139. Contigent Contracts Under Indian Contract Act (Dr. Saptmuni Dwivedi) 448
140. On CR- structure and F- structure satisfying $F^{p2+2} + F = 0$ (Lakhan Singh) 450
141. Organizational learning in Banking Sectors through Knowledge Acquisition,Knowledge 452
Sharing, Knowledge Retention and Experimentation and Innovation (Shrey Chhangani)
142. An Empirical Study of Strategic Human Resource Management for Academic Quality 457
of Higher Educational Institutions in Madhya Pradesh (Subodh Shukla, Dr. Parag Dubey)
143. राजनीति और प्रशासन में युवाओं की सहभागिता (डॉ. शिल्पा राजपूत) 461
144. A Comprehensive Study of the Practical Aspect of Geography: A Context of Field Survey 463
(Dr. Mamta Verma)
145. India - Nepal Relation: With Special Reference to Tourism Of Nepal (Dr. Virendra Chawre) 467

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

****

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Referee Board

Maths - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
- (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science - (1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci. - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor,Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)

***** Management *****

Management - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)

***** Law *****

Law - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
(3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
(4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)

***** Arts *****

Economics - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47.	Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48.	Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49.	Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50.	Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51.	Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52.	Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53.	Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54.	Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55.	Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56.	Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57.	Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58.	Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59.	Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60.	Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61.	Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62.	Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63.	Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64.	Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65.	Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66.	Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67.	Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68.	Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69.	Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70.	Prof. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P)
71.	Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72.	Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73.	Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74.	Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75.	Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76.	Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77.	Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78.	Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79.	Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80.	Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81.	Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82.	Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83.	Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84.	Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85.	Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86.	Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87.	Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88.	Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89.	Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90.	Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91.	Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92.	Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93.	Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94.	Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

अजन्ता भित्तिचित्रों का विकासक्रम

डॉ. निशा गुप्ता *

* एसोसिएट प्रोफेसर, जे0के0पी0 पी0जी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – अजन्ता की गुफाओ में चित्रित कला भारत का गौरव बढ़ाती हैं अजन्ता की कला विश्व कलाओं में अपना अलग ही स्थान बनाए हुए है। अजन्ता की कला एक सौन्दर्य है। एक ही विशाल पत्थर में बनी हुई 29 गुफाओं में जीवन की सम्पूर्ण रमणीयताएँ निहित है। इन गुफाओं में विशेष रूप से भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित चित्रण कलाकारों द्वारा उकेरा गया है। चित्रकला के छ: अंगो का यहॉ पालन किया गया है। अजन्ता के चित्रों का चित्रण करने वाले चित्रकारों ने चित्रों के हर पहलू को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। इसके अतिरिक्त नारी चित्रण में भी कलाकार का सूक्ष्म निरीक्षण परिलक्षित होता है।

शब्द कुंजी – विशाल, रमणीय, अभिभूत, दिव्य प्रेम, शान्ति।

प्रस्तावना – प्राचीन भारत के इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरातत्व विभाग एवं शोधकर्ताओं की खोज के फलस्वरूप प्राप्त कला व शेष विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाते है। अजन्ता में प्राप्त शिलालेख, शिल्प, वास्तु एवं चित्र गुफाओं के निर्माण में योगदान देने वाले आश्रयदाताओं विद्वानों एवं कलाकारों के इतिहास से अवगत कराते हैं। ईसा से लगभग छ: शतक पूर्व का भारत धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही डाँवाडोल स्थिति में था। यह शिशुनागवंश की राज्य स्थिति का समय था। ऐसे समय में एक धर्म बौद्ध धर्म के नाम से अभिभूत हुआ, जिसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य पालन इत्यादि पर बल दिया गया, साथ ही जाति-पाति का भेद भी नहीं रखा गया। इससे बौद्ध धर्म थोडे ही समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। बौद्ध धर्म की इस लोकप्रियता ने कला को बहुत अधिक प्रभावित किया।

प्रारम्भिक भारतीय ऐतिहासिक चित्र सातवाहन काल के है। ये चित्र अजन्ता की नौवी तथा दसवीं गुफा में अंकित हुए है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अजन्ता की यें गुफायें सर्वाधिक प्राचीन है। गुप्त राजा कला एवं साहित्य के महान प्रेमी थे। गुप्त राजाओं में समुंद्रगुप्त सौन्दर्य गुण के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। काव्य एवं संगीत में उनकी निपुणता प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है, अजन्ता के चित्र भी इसी के समकालीन है। उसके पुत्र चन्द्रगुप्त के पवित्र एवं सुरूचिपूर्ण राज्यकाल में कला की प्रभूत उन्नति हुई, जिससे यह समय भारतीय कला का स्वर्णयुग कहलाया।

गुप्त राजाओं के समकालीन ही वाकाटक राज्य था। दक्षिण में सातवाहन राजाओं को परास्त कर वाकाटक राजा उत्तराधिकारी बनें। वाकाटक राजा प्रबरसेन महान साहित्यिक रूचि का ही नहीं वरन् कला और सौन्दर्यात्मक रूपाकारों का प्रेमी था। अजन्ता में प्राप्त कुछ शिलालेख निश्चित रूप से वाकाटक राजाओं के समय के है।

गुप्त तथा वाकाटक दोनो साम्राज्य चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी के मध्य रहें। अत: दोनो की संस्कृति का प्रभाव अजन्ता भित्ति-चित्रों पर है। गुफा संख्या-16 के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह गुफा हरिसेन के मंत्री बाराहदेव द्वारा 5वीं शताब्दी के दूसरे चरण में भिक्षुओं को दान में दी गयी थी। अजन्ता की समस्त गुफाओं का निर्माण कार्य दो पृथक-पृथक चरणों में सम्पन्न हुआ। जिन गुफाओं में चित्रकारी प्रथम चरण में की गई वह प्रथम शताब्दी ई0पू0 की है। उसके बाद 200-250 ई0 450 ई0 के मध्य किसी अज्ञातवश निर्माण कार्य स्थगित रहा, पुन: 450 ई 650 ई0 में अति तीव्रता एवं उत्साह से वहॉ निर्माण कार्य होता रहा।

पाँचवीं, छठी शताब्दी के मध्य अजन्ता, गुप्त वाकाटक राजाओं की संरक्षता में बौद्ध धर्म और बौद्धकला का महत्वपूर्ण केन्द्र हो गई थी। परन्तु धीरे-धीरे इस कला निपुणता तथा आध्यात्मिक चेतना में ह्रास प्रारम्भ हो गया। सातवीं शताब्दी में शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धान्त के प्रचार से तथा मिहिरकुल द्वारा भिक्षुओं का वध करा देने से भयभीत और त्रस्त भिक्षुक ये स्थान छोडकर भाग गये। अत: यह चैत्य गृह एवं विहार सूने तथा उपेक्षित हो गये। उसके बाद लगभग बारह सौ वर्षो तक ये कला मन्दिर, भयंकर जंगली-जानवरों, पशु-पक्षियों, विषैले जीवजन्तुओं, मधु-मक्खियों इत्यादि के शरण-स्थल बने रहें।

1819 ई0 में सर्वप्रथम एक अंग्रजी सैनिक टुकड़ी द्वारा अप्रत्याशित रूप से इन गुफाओं की खोज हुई। एक सैनिक अफसर निर्जन सघन जंगल में शिकार का पीछा करते हुए अचानक एक कक्ष में जा पहुँचा। उसने दिव्य शान्ति, प्रेम, सौन्दर्य में विभोर बुद्ध के व्यक्तिचित्र का दर्शन किया, यहीं कन्दराओं की एक विस्तृत श्रृंखला कलावैभव को अपने अन्तराल में छिपाये इस निर्जन स्थान को सुशोभित कर रही थी।

पहला शोध प्रबन्ध जेम्स फर्ग्यूसन ने 1843 में रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रैटेनियम और ऑयलैण्ड की सभा में पढ़कर सुनाया। इसके पश्चात् रॉयल सोसायटी के आग्रह पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निर्देशकों ने तत्कालीन सरकार को अजन्ता की भित्ति चित्रों के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा, जिसके अन्तर्गत मद्रास सेना के कप्तान रार्बट गिल की अध्यक्षता में सन् 1849-1855 के मध्य केवल तीन चित्रों की तैल अनुकृतियाँ की बन पायी। इनमें से 25 चित्र क्रिस्टल पैलेस की 1866 की प्रदर्शनी में सुवाहा हो गयी। इसके पश्चात् मुम्बई सरकार ने सर जे0जे0 स्कूल बोम्बे के प्राचार्य जॉन ग्रीफिम्स ने अनुकृतियाँ बनाई, लेकिन दुर्भाग्य

से ग्रीफिम्स की अनुकृति के एक भाग को भारतीय संग्रहालय में लगी आग ने नष्ट कर दिया, शेष को दो जिल्दो में प्रकाशित कराया। सन् 1909-1911 के मध्य लेडी हैरीगम, सयैद अहमद, मुहम्मद फजलूदीन, नन्दलाल बोस, असित कुमार हरधर, समरेन्द्र नाथ गुप्त आदि कालाकारों ने चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई तथा लेख प्रकाशित किये।

हैदराबाद के पुरातत्व विभाग के निर्देशक गुलाम यशदानी ने अजन्ता के चित्रों व लेखों को चार भागों में प्रकाशित कराया।

अजन्ता भित्तिचित्रों में तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। उस समय के समाज में प्रचलित धर्म साहित्य, दर्शन, जन्म से मृत्योपरान्त तक के संस्कार, रीति-रिवाज, रहन-सहन, मनोरंजन एवं फैशन चित्रों में उपलब्ध है। उस समय की सामाजिक दशा में मनुष्य प्रसन्न तथा व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे।

प्रत्येक युग की कला उस समय की साहित्यिक गतिविधियों से अवश्य प्रभावित होती है। जैसा साहित्य गुप्तकालीन शिरोमणी कवियों ने रचा, उसी को अजन्ता भित्ति चित्रों के निर्माताओं ने मूर्त रूप में प्रस्तुत किया। समकालीन समस्त मूर्धन्य कवियों की यह विशेषता रही कि वे स्थान-स्थान पर अपने पात्रों के सौन्दर्य की उपमा में चित्रकला के प्रसंगो का समावेश करते रहे हैं। कालिदास तथा बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में चित्रकला में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों को उपमान के रूप में प्रयुक्त किया है।

साहित्यिक दृष्टि से उन्नत होने के साथ-साथ धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से ही यह युग बहुत आगे था। राजाओं के संरक्षण में जितनी भी जातियॉ या धर्म वर्तमान थे, सबके दर्शन ने अजन्ता भित्ति चित्रों की विषयवस्तु को प्रभावित किया। अधिकांश चित्रों का विषय बुद्ध का जीवनवृत्त, उनके उपदेश तथा जातक कथायें आदि है। सामाजिक जीवन के चित्र भी बुद्ध के ही आसपास घूमते है। इस समय अनेकों जातियों सम्प्रदायों का विकास हुआ। फलस्वरूप दान-दक्षिणा एवं धार्मिक उत्सवों से सम्बन्धित शोभा-यात्राओं, ध्वजों, स्तूपों इत्यादि का अंकन अजन्ता भित्ति चित्रों में मिलता है।

जहाँ एक ओर अजन्ता भित्ति चित्रों में साहित्य, धर्म एवं अन्य कलाओं का वैभवपूर्ण चित्रण है, वहाँ दूसरी ओर जीवन की नित्य प्रति की घटनाओं, उत्सवों, मनोरंजन एवं वेशभूषा इत्यादि के चित्र भी मिलते है। अजन्ता का चितेरा जहाँ कुछ दृष्टियों से आदर्शवादी एवं रहस्यवादी प्रतीत होता है, वहाँ समाज के रहन-सहन के चित्रण में वह पूर्णतया यथार्थवादी है।

तत्कालीन समाज में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता आदर एवं सम्मान प्राप्त था। चित्रित नारी आकृतियों से स्पष्ट है। उस समय स्त्री और पुरूष दोनों आभूषण धारण किया करते थे। गहनों के अंकन में इतनी विविधता है कि उनका सूक्ष्म निरीक्षण करने पर एक लम्बी सूची तैयार हो जाती है। उस समय पहने जाने वाले स्त्री एवं पुरूषों के वस्त्रों का चित्रण भी संयोजनों में मिलता है। कटि का वस्त्र प्राय: तहमद के ढंग का है, शिरोवस्त्र और पगड़ियों के इतने प्रकार तो शायद ही अन्य किसी देश में तथा किसी काल में मिलते हो। सैनिक के सिर पर कुल्हे के समान टोपियाँ है। वस्त्रालंकरण के अतिरिक्त तत्कालीन समाज में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं एवं अस्त्र-शस्त्रों का भी चित्रण है। सैनिकों के हाथों में विविध प्रकार की ढाल, तलवार, भाला, तीर-कमान, कुल्हाड़ी, चक्र इत्यादि का भी अंकन किया गया है।

अजन्ता भित्ति चित्रों द्वारा तत्कालीन समाज का पूर्ण चित्र स्पष्ट हो उठता है। एक विलक्षणता जो इन चित्रों में देखने को मिलती है वह यह कि बौद्ध भिक्षुओं में सिर मुड़ाने की प्रथा थी, लेकिन अजन्ता भित्ति चित्रों में किसी भी स्त्री का सिर मुंडा हुआ अंकित नहीं हुआ है। अजन्ता भित्ति चित्रों में भक्ति उपासना एवं प्रेम की त्रिवेणी ने क्षुद्र मूर्त आधार लेकर उच्च कोटि के कमनीय दृश्य प्रस्तुत किये है, जिनमें तत्कालीन संस्कृति मुखरित है। चित्रों में प्रतिबिम्बित इस त्रिवेणी ने भारत की भव्य भूमि को युग-युगान्तरों तक के लिए पवित्र कर दिया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अग्रवाल डॉ0 जी0के0 : आधुनिक भारतीय चित्रकला, संजय पब्लिकेशन हाउस अस्पताल मार्ग, आगरा-3, संस्करण-2005
2. अग्रवाल डॉ0 गिर्राज किशोर : भारतीय चित्रकला का अलोचनात्मक इतिहास 'कला और कलम', अशोक प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ, संस्करण-1986
3. अग्रवाल आर0ए0 : कला-विलास भारतीय चित्रकला का विवेचन, इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, मेरठ, संस्करण-2006
4. जैन गुलाब चन्द्र : भारतीय चित्रकला एवं शिक्षण सामग्री, इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, मेरठ, प्रथम संस्करण-2005
5. वर्मा डॉ0 महेन्द्र : भारतीय चित्रकला की परम्परा, भारतीय कला प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2006
6. भाल डॉ0 दिप्ति एवं सिंह डॉ0 रीता : भारतीय कला वैभव, इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, मेरठ, प्रथम संस्करण-2005
7. श्रोत्रिय डॉ0 शुकदेव : कलाबोध एवं श्रोत्रिय, चित्रायन प्रकाशन, मुजफ्फरनगर, संस्करण-2002

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

वैश्विकरण में भाषा की महत्ता

डॉ. मंशाराम बघेल *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, पाटी, जिला-बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत वर्ष की भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति वैदिककाल से ही काफी उन्नत थी। उस समय भारत सच्चे अर्थों में संसार की सभ्यता का गुरु था। सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु ने कहा है कि 'इस देश मेंउत्पन्न तथा इसी देश में शिक्षित हुए ब्राह्मणों द्धारा ही प्राचीन काल से संसार के अन्य देश सभ्यता और आचार की शिक्षा लेते रहे है।'

'एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन:।
स्वं स्वं चरितं शिक्षेरण्पृथिव्यां सर्व मानव:।।'

भारत वर्ष की तरह चीन की सभ्यता भी अत्यंत प्राचीन है। एक समय चीन भी संसार के सब देशों में अग्रण्य माना जाता था। इस उन्नत दशा मेंभी चीन भारत वर्ष का सबसे बड़ा शिष्य था। मध्यकाल में भारत के बौद्ध धर्म की दीक्षा से सम्पूर्ण चीन महात्मा बुद्ध के नाम पर प्रचलित सम्प्रदाय का अनुगामी हो गया था। चीनी धर्म ग्रन्थों में बहुत से वाक्य उपनिषदों के अक्षरश: अनुवाद प्रतीत होते हैं।

यज्ञ कर्म, मृतात्माओं के संबंधित विश्वास, ईश्वर चिन्तन, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्त, जगत् की उत्पत्ति का चिन्तन, निष्काम कर्म की व्याख्या आदि पर मेंभी वैदिक संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है।

किसी समय भारतीय आर्य ईरान मेंजाकर बसे थे उसी से आर्यावर्त को आर्यस्थान नाम हुआ होगा जो कालान्तर में 'ईरान' हो गया होगा। ईरान के जेदावस्ता व संस्कृत में आश्चर्यजनक साम्य इसी का लक्षण प्रतीत होता है। इसी प्रकार भारत और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध की साक्षी बाइबल द्धारा भी प्राप्त होती है। मैसोपोटेमिया के बस्तियों ने भौतिक सभ्यता की अधिकांश बात भारत वर्ष से सीखी हैं। मैसोपोटेमिया प्रान्त में पुरातात्विक साहित्य चाल्डी प्राप्त हुआ जिसमें वैदिक भाषा के अनेक शब्द अपभ्रंश के रूप में प्राप्त होते है। हिब्रू और भारतीय सभ्यता में काफी समानताएँ दिखाई देती है।

भारत और यूनान दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध रहे है। रामायण और इलियड की अनेक घटनाएं समान रूप से पाई जाती है। इतना ही नहीं दोनों सभ्यताओं के दार्शनिक विचारों में भी पर्याप्त समानताएँ परिलक्षित होती है। इसी प्रकार इटली और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों के भी ठीक ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते है।

सम्पूर्ण विश्व में अनेक भाषाएँ विद्यमान है। इसके अलावा भारत देश में भी अलग-अलग प्रान्तों मेंअगल-अलग भाषाएँ प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त अनेक भाषाओं के अनेक भेद पाये जाते हैं। यह कहावत है कि 'चार कोस पर बानी बदले।' आठ कोस पर पानी, अर्थात् हर चार कोस पर भाषा बदलती है और हर आठ कोस पर पानी बदल जाता हैं।

म.प्र. में भी है निमाड़ी, भीली, हिन्दी, आदि अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। हिन्दी भाषा करीब 1000 ई. से हिन्दी आम बोलचाल के रूप में प्रचलित हैं। प्रारंभिक हिन्दी बोली में ही हिन्दू, हिंदवी, हिन्दुस्तानी आदि के रूप में भाषा का व्यवहार किया जाता था।

मुगलकाल में देहलनी, बंगाली, मुलतानी, मारवाड़ी, गुजराती, तिलंगी, मराठी, कर्नाटकी, सिन्धी, अफगानी, बुचिस्तानी और कश्मीरी जैसी बारह भारतीय भाषाओं का प्रयोग अबुल फजल ने करने का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि- 'हिन्दी' नाम का विकास ईरानियों द्धारा 8 वीं शताब्दी तक हो चुका था। 13 वीं शताब्दी के बाद हिन्दी का प्रयोग मध्यप्रदेश की बोली के लिए किया जाने लगा।

डॉ. श्यामसुन्दर दास और धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दी के अन्तर्गत पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी के साथ राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी को सम्मिलित किया है जो आज हिन्दी का यही अर्थ मान्य है।

बीसवीं शताब्दी से उत्तरोत्तर हिन्दी भाषा का विकास निरन्तर जारी है। देश के हिन्दी और अहिंदी प्रान्तों के दो व्यवसायियों के मध्य व्यापारिक कार्य सम्पन्न करने का माध्यम हिन्दी भाषा ही है।

हिन्दी का महत्व दिनों दिन इस कारण बढ़ता जा रहा है। हिन्दी सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। अन्य सामयिक भाषाएँ भी हिन्दी के साथ व्यावहारिक रूप से जुड़ी हुई हैं, जिनमें ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मारवाड़ी, मेवाती,जयपुरी, मालवी, निमाड़ी, गढ़वाली तथा कुमायँनी आदि उपभाषाएँ क्षेत्र विशेष की निवासियों की बोलचाल की और अभिव्यक्ति की भाषा बनी हुई हैं। मातृभाषा के रूप में हिन्दी भारत की सबसे बड़ी भाषा तथा विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है। कुल मिलाकर भारत भर मेंभी सभी क्षेत्रीय जातियों में हिन्दी जानने वाले लोगों का प्रतिशत 81.07 है।

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि हिन्दी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना, विकास करना ताकि वह भारत को सामाजिक संस्कृति के समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान की आठवीं अनुसूची में अतिरिक्त 14 भाषाओं के रूप का उल्लेख किया गया है।

संविधान की आठवीं अनुसूची मे 18 प्रमुख भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। उक्त 14 भाषाएँ दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी की समानुपातिक स्थिति में व्यक्त की गई है।

शैक्षणिक स्तर पर हिन्दी भाषा के अध्ययन- अध्यापन की वैश्विक स्थिति काफी सन्तोषप्रद हैं। भारत के बाहर लगभग 160 विश्वविद्यालयों

में हिन्दी संस्थाओं की व्यवस्था की गई हैं।

मारिशस, फिजी, सूरीनाम,क्यूबा, मंगोलिया, फिनलैंड, पौलैंड, रूस, अमेरिका, कनाड़ा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलेण्ड आदि देशों में हिन्दी अध्ययन की व्यवस्था है।

फादर कामिल बुल्के के शब्दों में 'सम्पर्क' भाषा के रूप मेंहिन्दी की योग्यता के विषय में मेरा विनम्र निवेदन है कि हिन्दी केवल देश के लोगों की साहित्यिक भाषा ही नहीं, बल्कि बोलने वाले, समझने वालों की बड़ी संख्या में यह विश्व की तीसरी भाषा है। अत: जब तक हम स्वयं हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बनायेंगे, यदि यूँ ही लड़ते रहेंगे तो कोई अन्य इसके महत्व को क्या समझेगा ? अत: सबसे पहले अपने देश को लागू करना है और इतना ही नहीं अधिक समृद्धशाली बनाना है कि विश्व के सभी लोग इसे सीखने तथा बोलने का प्रयत्न करें।

हिन्दी ने विभिन्न भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया हैं, उन्हेंआत्मसात किया हैं। अंग्रेजी के अनेक शब्द आज हिन्दी मेंसर्व सम्मत रूप मेंप्रयुक्त किये जाते है- स्कूल, पेंसिल, कॉलेज, स्टेशन, रेडियों, बोर्ड, मोटर, कार आदि। फारसी के खूबसूरत, किताब, मदरसा गुलाब, कागज, दुकान, बादाम, फौज, चश्मा, दरवाजा, शराब, शादी आदि। तुर्की में-तमगा, लाश, चाकू, कब्ची, तोप, कुरता, चेचक, चम्मच, कालीन आदि। अरबी में मुकदमा, अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, तूफाल, सुबह, तारीख,कुर्सी, आदमी, औरत, फकीर, कानून, मकान आदि। जापान-रिक्शा, ताँगा, आदि। पुर्तगाली- कमरा, गमला, तौलिया, काजू,गोदाम, आदि।

इसके अतिरिक्त संयुक्त संकर शब्दों की काफी संख्या हिन्दी मेंप्रयुक्त है।

भाषा की अभिव्यक्ति की दृष्टि से जैसा बोला जाता है वैसा ही उच्चारण भी किया जाता है, साथ ही हर प्रकार के भावों को समझने के तरीके से व्यक्त करने की योग्यता भी हिन्दी में निहित है। भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली है। हिन्दी महत्वपूर्ण अधिकार पाने पर लेखन की सहज क्षमता उत्पन्न होती है। रसास्वादन की, और रस-ग्रहण ही अपरिसीमित क्षमता है। भाषा मूलत: मनुष्य का एक संस्कार है। भाषा मूलत: सामाजिक वस्तु है। अत: समाज उसका अनेक विधियों से उपयोग संभव होता है।

प्राचीन ऋग्वेद से लेकर वर्तमान सदी तक संस्कृत भाषा ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की हैं। उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रन्थों तथा दर्शन ग्रन्थों ने बहुत गहन आध्यात्मिक चिन्तन प्रस्तुत किया है जिसके कारण भाषा अत्यंत प्रगल्भ एवं समृद्धशाली बनी है। इसके साथ ही प्राकृतों तने तथा बौद्ध जैन आचार्यों ने भाषा को अधिक उच्चतम अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत की है। अत: कहा जा सकता है कि ईसवीं सन् 6000 वर्षों के निरन्तर वाड्मय ने भाषा को पूर्णत: शब्द सामर्थ्य प्रदान किया है।

इतना ही नहीं आचार्यों ने धर्म, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद, आदि अनेक शास्त्रों को रचा है, जिनमें हिन्दी भाषा वैभव सम्पन्न हुई है, इसलिए वैश्वीकरण के रूप में हिन्दी भाषा पूर्णत: सभी प्रकार के व्यवहारों के लिए उपयुक्त हो चुकी है।

भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय जनगणना 1961 में मातृभाषा के रूप में भाषाओं की संख्या 1652 थी। भारतीय जनगणना 1981 में 107 मातृभाषाओं उल्लेख पाया जाता था। देश की लगभग 43 प्रतिशत जनता मातृभाषाओं के रूप मेंहिन्दी का प्रयोग करती है।

'दि केंब्रिज इन साइक्लो पीडिया ऑफ लैंग्वैजस्' में विश्व की प्रथम बीस भाषाओं में हिन्दी मातृभाषा के रूप में चौथा तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान दिया गया है।

आंकड़ों के अनुसार सन् 1961 में हिन्दी भाषा भाषियों का प्रति वर्ष 30.37 प्रतिशत था, जबकि सन् 1971 में 29.67 प्रतिशत था और सन् 1981 42.88 प्रतिशत था। भारत के बाहर भी हिन्दी भाषा जानने वाले लोगों की हिन्दी भाषी समाज के समवेत जनसंख्या 53 प्रतिशत थी।

हिन्दी भाषियों का 81.7 प्रतिशत गाँवों में निवास करता है और केवल 19.03 प्रतिशत हिन्दी भाषी लोग भारत के शहरों में निवास करते है। तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी की समानुपातिक स्थिति निम्नानुसार है- गुजराती 93.77 प्रतिशत उड़िया 90.45 प्रतिशत, मराठी 87.17 प्रतिशत, मलयालम 84.8 प्रतिशत, बंगाली 82.76 प्रतिशत, सिन्धी 69.81 प्रतिशत, असमिया 56.61 प्रतिशत, तेलगु 51.47 प्रतिशत, उर्दू 43.92 प्रतिशत, कन्नड़ 36.35 प्रतिशत, तमिल 19.57 प्रतिशत और कश्मीर 8.58 प्रतिशत।(उक्त आंकड़े 1981 की जनगणना के आधार पर दिये है)

इन सबसे स्पष्ट होता है कि हिन्दी भाषा के जानने वाले लोगों की निरन्तर अभिवृद्धि हो रही है, जिससे हिन्दी का अत्यधिक महत्व बढ़ गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बेलर्ड- थॉट एण्ड लैंग्वेजस्
2. श्रीनाथ मुखर्जी-राष्ट्रभाषा की षिक्षा
3. डॉ. सुधांषु- सम्पर्क भाषा, हिन्दी
4. देवेन्द्र शर्मा- भाषा का लक्षण
5. ब्लूम फीर्ड- Nature of Language
6. दण्डी- काव्यादर्श
7. डॉ. श्याम सुन्दर दास- भाषा और अभिव्यक्ति
8. मनु- मनु स्मृति

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान

कमला नरवरिया *

* सहायक प्राध्यापक, एम .जे. एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – हिंदी साहित्य में साहित्य लेखन की वृहद परंपरा रही है जो संस्कृत साहित्य से होकर हिंदी साहित्य में आई है। प्राचीन हिंदी साहित्य में नारी केंद्रित साहित्य तो खूब लिखा गया लेकिन स्त्रियों को लिखने का अवसर कम ही मिला ।लेखन की दृष्टि से हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है। आदिकाल ,भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल।प्रत्येक काल में हिंदी साहित्य में महिला लेखिकाओ का योगदान कम या ज्यादा रहा है लेकिन उनकी भूमिका किसी न किसी रूप में उपस्थित अवश्य रही है।

आदिकाल का समय सिद्धो- सामंतों का समय था ।इस काल में कवियों को राजश्रय प्राप्त था तथा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी , ऐसे विपरीत समय में महिला साहित्यकारों को फलने फूलने का अवसर ना मिला फलस्वरुप साहित्य के क्षेत्र में इनकी उपस्थिति नगण्य ही रही मगर भक्ति काल तक आते-आते हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मीराबाई के रूप में उम्मीद की एक किरण नजर आई। भक्ति काल जो कि मुस्लिम शासकों का समय था आम जनता अपने दुखों से त्रस्त थी । ऐसे विपरीत समय में संत महात्माओं ने ईश्वर भक्ति मार्ग द्वारा आमजन को दुख व पीड़ा से मुक्ति का मार्ग दिखाया। इन संत महात्माओ ने आमजन की समझ मे आ सकनेवाली सरल व बोधगम्य भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की ।इन संतो मे कुछ महिला संतो जिनमे सहजोबाई, दयाबाई, लल्लेश्वरी तथा बाबरी साहिबा आदि के नाम उल्लेखनीय है। जिन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस काल में मीराबाई महिला साहित्यकारों की प्रतिनिधि बनकर सामने आई।जिनके भक्तिपूर्ण पद आमजन मे खूब लोकप्रिय हुए।

रीतिकाल का समय दरबारी कवियों का समय था इस काल में दरबारी कवियों ने अपने आश्रय दाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रशस्ति गान करने के साथ-साथ नायिका के भेद तथा उनके नख -शिख का वर्णन अश्लीलता की हद तक किया तथा महिला साहित्यकारों को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। अत: शेख रंगरेजिन और सुजान जैसे छुटपुट नामों के अतिरिक्त कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया।

अत: इस काल में महिला लेखिकाओ का लिखने का अनुकूल माहौल नही मिला, फलस्वरूप साहित्य में उनकी सक्रिय भूमिका अधिक नही रही।

आधुनिक काल में राजेंद्र बाला घोष (बंग महिला) से महिला लेखन की शुरुआत हुई जो महादेवी वर्मा से होती है हुई अभी तक जारी है ।आजादी की लड़ाई के समय जो स्वर साहित्य में उभरा उसमें देशकालिक परिस्थितियां और देश प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्ट लक्षित होती है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा ,सरोजनी नायडू,उषादेवी मित्रा आदि कई लेखिकाओ ने अपने समय को अभिव्यक्ति दी और उनके सशक्त लेखन का योगदान हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ ।[1]

साहित्य हो या समाज स्त्री को अपने हिस्से का उचित सम्मान कभी नहीं मिला वह दोनों ही जगह अपने हक अधिकारों से वंचित और उपेक्षित रही। प्राचीन समय में उसके लिखे साहित्य को कमतर वह महत्वहीन आंका गया।फलस्वरूप महिला लेखिकाओं के नाम कोई विशेष उपलब्धि हासिल नही हो सकी। मूलभूत अधिकारों से वंचित होने के बावजूद जब भी स्त्री को अवसर मिला उसने अपने को साबित किया चाहे वह लेखन क्षेत्र हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र।भक्ति काल में मीराबाई के लोकप्रिय पद इस बात के सबूत हैं कि स्त्री में बौद्धिक चेतना की कमी नहीं है।यदि उसे उचित अवसर दिया जाए तो वह अपनी प्रतिभा दिखाने से नही चूकती है।इसका श्रेष्ठ उदाहरण मीराबाई, महादेवी वर्मा जैसी विदुषियां है जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान बनाई।आधुनिक काल में छायावाद के कवि चतुष्टय में महादेवी वर्मा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है फिर भी साहित्य में एक लंबे अरसे तक महिला साहित्यकारों की कमी खलती रही ।

स्वतंत्र्योत्तर भारत में जिन महिला लेखकों ने अपने साहित्य के माध्यम से हमारा धयान आकर्षित किया है वे है मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान और अलका सरावगी। प्रभा खेतान ने एकदम भिन्न पृष्ठभूमि परिवेश और संस्कृतियों में नारी नियति का चित्रण किया है। स्त्री दमन व शोषण के विरोध में उनके नारी पात्र विद्रोह की भावना से भरे रहते हैं। प्रभा खेतान का मानना है कि स्त्री मुक्ति का मार्ग स्त्री के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में छिपा है। जिससे वह समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सके। मैत्रेयी पुष्पा जी ने स्त्री अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने स्त्रियों की दयनीय स्थिति को अपने कथा साहित्य के माध्यम से उजागर किया।आपने बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के अहीरों, जाटों और कबूतरा जाति का यथार्थ आंचलिक जीवन चित्रित करते हुए इनके समाजों में स्त्री पर होने वाले अत्याचारों का प्रमाणिक और मार्मिक चित्रण किया है इन समाजों की अधिकांश स्त्रियां इन अत्याचारों को चुपचाप सहन करती हैं किंतु उनमें से कुछ ऐसी भी निकलती हैं जो इन अत्याचारों का विरोध करती हैं और अत्याचारों से जूझती है ।[2] इसी तरह की विषयवस्तु पर आधारित आपका एक अन्य उपन्यास है इदन्नमम । इदन्नमम की मंदाकिनी स्त्रियों के लिए निर्मित पारिवारिक व सामाजिक बंधनों को तोड़ती है और अत्याचारों के विरुद्ध तन कर खड़ी हो जाती है।'चाक' की सारंग ,'झूला नट' की शीलो ,'अल्मा कबूतरी' की अल्मा आज भी विद्रोही और जुझारू स्त्री पात्र हैं। संभवत: काम संबंधों का मुक्त चित्रण भी इनके उपन्यासों में इसी विद्रोह भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है जो

लेखिका की साहसिकता (बोल्डनेस) का परिचायक है।[3]

अलका सरावगी ने अपने पहले ही उपन्यास कलिकथा: बाया बाईपास से हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अलग स्थान बनाया है ।इस उपन्यास का कथाशिल्प व वस्तु विधान ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कलिकथा: बाया बाईपास में यथार्थ और फंतासी का मिश्रण करके एक मारवाड़ी परिवार की पांच पीढ़ियों की कथा कह दी है जिसमें प्लासी के युद्ध से लेकर बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक की कथा समाहित है। इस उपन्यास में वस्तु के अनेक स्तर विधमान हैं ।जिनमें से एक स्तर मारवाड़ी समाज में स्त्रियों की घुटन भरी विवश अंधोरी जिंदगी का है जिसका केंद्र किशोर बाबू की विधवा भाभी है।[4] इसी तरह से आपका एक अन्य उपन्यास 'शेष कादंबरी' है जिसमें रूबी जी की स्मृतियों ,सपनों कादंबरी से फोन पर की गई बातचीत, उसके पत्रों, रपटो आदि के माध्यम से कही गई।[5] वस्तुत: शेष कादंबरी की कथा का केंद्र नारी उत्पीड़न है इसमें नारी उत्पीड़न के विभिन्न स्त्री पात्रों को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैं। अलका सरावगी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता यह है कि वह नारी व्यथा का सफल चित्रण करने में पूर्णत: सफल रही हैं। स्त्री चाहे किसी भी देश या धर्म की हो सर्वत्र शोषित और पीड़ित है। स्त्री की इसी पीड़ा को हिंदू और मुस्लिम महिला साहित्यकारों ने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है ।मुस्लिम कथाकार मेहरून्निसा परवेज जिन्होंने मुस्लिम व ईसाई समाज को अत्यंत करीब से देखा है इन समाजों की स्त्रियों का दुख दर्द और वेदना इनके साहित्य में प्रतिबिंबित होता है इन महिला कथाकार ने केवल सामाजिक सरोकारों से संबंधित साहित्य ही नहीं लिखा वरन राजनैतिक चेतना से संबंधित साहित्य भी रचा। इस संदर्भ में नासिरा शर्मा जी का नाम उल्लेखनीय है।उनके उपन्यासों में वस्तुगत विविधाता है। यदि वे अपने पहले उपन्यास 'सात नदिया एक समंदर' में ईरानी जनता के रजाशाह पहलवी के विरुद्ध विद्रोह, उसके शासन से मुक्ति, अयातुल्लाह खुमैनी के शासन की स्थापना फिर तानाशाही शासन से जनता के मुक्त न हो पाने और तानाशाही के अत्याचारों को सहने के लिए विवशता का चित्रण करती है तो अपने दूसरे उपन्यास 'शाल्मली' में हिंदू समाज में विषम दांपत्य जीवन में यातना भोगती स्त्री का चित्र उपस्थित करती है।[6] इन महिला कथाकारों चाहे मैत्रेयी पुष्पा हो या प्रभा खेतान या नासिरा शर्मा सभी के साहित्य में महिलाओ की वेदना उनकी पीड़ा का सजीव चित्रण मिलता है इसका प्रमुख कारण यह है एक महिला कथाकार होने की वजह से वह महिलाओं की समस्याओ को भलीभांति समझती है। जो उन्हें पुरुष लेखकों की तुलना में अधिक संवेदनशील बनाता है यही वजह है उनके लेखन में कृत्रिमता न होकर स्वाभाविकता पाई जाती है ।

स्त्री जीवन की समस्याओं की सामान्य भूमि स्पर्श करते हुए भी प्रत्येक उपन्यास लेखिका का अपना विशिष्ट अनुभव संसार है । जिसे उसने अपनी कृतियों में अभिव्यक्त किया है ।मंजुल भगत ने मध्यम वर्गीय परिवारों में चौका बर्तन करनेवाली या इसी प्रकार के अन्य छोटे-मोटे काम करके अपनी जीविका कमाने वाली स्त्रियों को अपनी सहानुभूति का पात्र बनाया है इस दृष्टि से अनारो (1977) उनका प्रतिनिधि उपन्यास है ।[7] वही मंजुल भगत के उलट मृणाल पांडे जी के उपन्यास स्त्री केंद्रित न होकर समाज के उन नकारात्मक सामाजिक विसंगतियों को प्रस्तुत करते हैं जो आम आदमी के शोषित होने के कारण हैं।

हिंदी साहित्य में कई लेखिकाओं ने आंचलिकता से भरपूर साहित्य रचा है। इनमें मृणाल पांडे ऋता शुक्ल और चंद्रकांता का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। चंद्रकांता के उपन्यासों में कश्मीर तथा कश्मीरियत की आंचलिकता को अपने में समेटे वहां की सभ्यता और संस्कृति का चित्रण मिलता है जबकि ऋता शुक्ल के उपन्यासों में हमें बिहार के विशिष्ट आंचलिक जीवन के चित्र मिलते हैं। वही मृणाल पांडे का उपन्यास 'पटरंग पुराण' आंचलिक जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करता है। अत: स्पष्ट है कि महिला साहित्यकारों ने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व आंचलिकता जैसे विषयों पर खूब लिखा ।

स्वतंत्रता के पश्चात नारी लेखन में नारी मुक्ति के स्वर प्रमुखता से उभरे है। महिला साहित्यकारों ने अपने लेखन से नारी की पारंपरिक छवि को तोड़कर एक नई स्त्री की छवि गढ़ी। कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा और प्रभा खेतान, ममता कालिया, सुनीता जैन, कुसुम अंशल इत्यादि का लेखन इसका उदाहरण है ।कृष्णा सोबती की 'मित्रों मरजानी' की मित्रो, मैत्रेयी पुष्पा की 'चाक' की सारंग स्त्रियों के मुक्ति का मार्ग दिखाती है । स्त्री मुक्ति की दिशा में प्रभा खेतान की अनूदित पुस्तक 'स्त्री उपेक्षिता' इस संदर्भ में मील का पत्थर साबित होती है उनकी यह पुस्तक ,हमें स्त्री विमर्श पर विविध आयाम प्रस्तुत करती है और हमें स्त्री मुक्ति के लिए सोचने पर विवश करती है।इन महिला साहित्यकारों ने अपने रचे पात्रों के माध्यम से एक नए स्त्री विमर्श को जन्म दिया।

समाज के बदलते हुए परिवेश में स्त्री - पुरुष समानता पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्यों में बदलाव के साथ वैयक्तिक चेतना ने महिला लेखन को एक नई दिशा प्रदान की अमृता प्रीतम ,मन्नू भंडारी , ममता कालिया, निरूपमा सेवती, मेहरुन्निसा परवेज, चंद्रकिरण सोनरिक्शा, शशि- प्रभा शास्त्री, सुधा अरोड़ा, चंद्रकांता, चित्रा मुदगल आदि के लेखन ने नारी मूल्यों को एक नया स्वर दिया है ।जिनमे प्रेम ,यौन शुचिता, विवाह, परिवार, बच्चे तथा आर्थिक रुप से सक्षम बनना, अपने फैसले स्वयं लेने की स्वतंत्रता इत्यादि से संबंधित समस्याओं का यथार्थ चित्रण अपने साहित्य मे किया है।जिसमें आधुनिकता व परंपरा के अंतर्द्वंद के बीच पिसती स्त्री के मनोदशा का अंकन मिलता है।

नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में मनीषा कुलश्रेष्ठ, दिव्या विजय, अनु सिंह चौधारी, योगिता यादव, गीताश्री, रजनी मोरवाल ,अंजू शर्मा इत्यादि साहित्य लेखन में सक्रिय महिला कथाकारों ने अपने कथा लेखन से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। इस नई पीढ़ी की महिला कथाकारो ने धीरे-धीरे सामाजिक पारिवारिक मूल्यों के बीच पिसते नारी अस्तित्व ने नए मूल्य तलाशने आरंभ कर दिए । दांपत्य जीवन के बदलते संबंध- संदर्भ पारिवारिक मूल्यों व मान्यताओं में बदलाव, वैयक्तिक चेतना, परिवेश के प्रति सजगता तथा अपने पर हो रहे अन्याय का प्रतिरोध, विवाहेतर संबंधों का स्वीकार नीति-अनीति और फिर समय बीतने के साथ-साथ पुरुषों के साथ कंधो से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्यरत महिला की भूमिका, घर और बाहर के वह दोहरे बोझ से उत्पन्न द्वंद-दुविधा और संघर्ष इन सब तत्वो ने समकालीन स्त्री कथा साहित्य के नए यथार्थ को देखा, समझा और उसे लेखन में ज्यों का त्यों उतारा।[8]

अत: हम कह सकते हैं कि वर्तमान पीढ़ी की महिला साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को अपने लेखन से एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है और आगे भी करती रहेंगी। जिससे निश्चित ही हिंदी साहित्य का बहुआयामी विकास संभव होगा । दुनिया के सभी क्षेत्रों में अपना परचम फहराने वाली महिलाएं साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा लेखन कार्य कर रही है ।और हिंदी

साहित्य के क्षेत्र उनके अमूल्य योगदान की उपेक्षा नही की जा सकती है।इन लेखिकाओं ने हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उमा अर्पिता, गधाकोश
2. डॉ नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास पृ.724
3. वही,पृ.724
4. वही पृ.724
5. वही ,पृ.724
6. सं.डॉ. नगेंद्र ,हिंदी साहित्य का इतिहास पृ.722
7. वही पृ.724
8. उमा अर्पिता, गधाकोश

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

जनजातियों में प्रचलित शिकार की प्राचीन विधियाँ

डॉ. संगीता धुर्वे (मरावी) *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) नवीन महाविद्यालय, बाडी, जिला रायसेन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आदिकाल के मनुष्य ने जब पहली कुल्हाडी और धनुष बनाया था तो वह अर्थशास्त्र नहीं था, वह केवल हम कह सकते है तकनोलॉजी थी। वे लोग पत्थर या लकड़ी से आग बना लेते थे। चूंकि प्राचीन काल के आदिवासी प्रकृति की गोद में बसते आये हैं। ये पहाडों, जंगलों, दुर्गम स्थानों में बसते गए। जहां कोई आज के सभ्य कहे जाने वाले लोग नहीं रह सकते। ये प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्रकृति के सहारे ही जीवन यापन करते है। इसलिये आदिवासियों को प्रकृति पुत्र या बनवासी कहा गया है। प्रकृति के संरक्षण में ही उनका पूरा जीवन गुजरता आया है। समय परिवर्तनशील है। परिवर्तन के साथ मनुष्य के विचार भी बदलते रहे। क्रमश: आगे बढ़ते गए। परम्परागत समाज से आखेट युग में प्रवेश किये। स्वाभाविक है कि मनुष्य कुछ सोच विचार कर अपनी बुद्धि या दिमाग से अपने लिये कुछ करने को कोशिश की। ताकि अपना जीवन को और अच्छा बना सकें। रोजी-रोटी की तलाश में अन्न के साथ-साथ शिकार करने की इच्छा जागृत हुई होगी। शिकारी युग में या यों कहें आखेट युग में जंगली जानवरों या पक्षियों को मारने के लिये कुछ औजार या उपकरण बनाने पर विचार किया होगा। कि किस प्रकार जंगली जानवरों और जंगली पक्षियों को पकड़ सकें और उनका शिकार कर सकें। शिकार के लिये परम्परागत से तरीको या उपायों का प्रयोग किया जिसमें धनुष-बाण, कुल्हाड़ी, भाला, बन्दूक, तीन कमान फरसा, तलवार, आदि उनके अस्त्र थे जिनका प्रयोग आज भी होता है।

भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के ये लोग विभिन्न तरीकों या विधियों का इस्तेमाल करते है। जिनका वर्णन इस प्रकार है –

(1) **फन्दा –** फन्दा मजबूत रस्सी का होता है। फंदे से ही खरगोश का शिकार किया जाता है। पक्षियों का शिकार भी फन्दे के सहारे से की जाती है। शिकार के लिये कोई निश्चित दिन तय किया जाता है। शिकार के लिये अनुष्ठान किया जाता है कि किस क्षेत्र में शिकार के लिये जाया जाय। दिशा का भी अनुमान लगा लेते है। तब उसी दिन शिकार करने के लिये निकलते है। जिन जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है उनमें गोडरी जंगली सुआर, सांभर, हिरन, घुटरी, खरगोश आदि।

(2) **मचान बांधना –** जहॉं पानी का झरना या स्त्रोत रहता है वहां मचान बनाया जाता है। जंगली जानवर शाम ढलते ही पानी पीने के लिये आते है। साहसी शिकारी बन्दूक लिये ऊपर बैठे रहते है जैसे ही कोई भी जानवर आता है बन्दूक की गोली से मार देते है। यह कार्य बहुत साहस की है, शेर जैसे का शिकार करना कठिन है। मचान 10 फुट से 15 फुट की उंचाई पर बनाते है।

(3) **जॉल बांधना –** गोंड़-बैगा जाति के लोग जंगली जानवरों के शिकार के लिये अपने पुराने उपाय जॉल बॉधकर जानवरों को फंसाते है। जंगल-पहाडों में जानवर जैसे खरगोश, हिरन-सांभर जिस दिशा में भागते है। उसी दिशा में जॉल बांधा जाता है और जानवर फंस जाते है। यह आसान तरीका है। मजबूत और बरीक धागों का जॉल संभावित दिशा में बिछा दिया जाता है। कहीं-कहीं खम्भा गाड़कर सीधे बॉध देते है। जंगली जानवर घूमते-घूमते उस जॉल में फस जाता है।

(4) **तीर-कमान –** गोंड़ बैगा जनजाति तीर कमान से भी शिकार करते है। प्राचीन काल से इस पद्धति का प्रयोग करते आये है। रामायण और महाभारत युद्ध में तीर कमान देखा जा सकता है। जनजाति के लोग विलक्षण तीरंदाज होते है। शिकार के लिये विशेष तकनीक से बनाये गये तीर नुकीले तथा चौडे फलक वाले होते है। जो लगने के बाद आसानी से जानवरों के शरीर के बाहर नहीं निकलते।

गोंडवंश की महारानी दुर्गावती एक निपुण शिकारी होने तीर कमान से शेर का शिकार करने वाली वीरांगना अपनी प्रजा के लिये कितनी समर्पित थी। म.प्र. के राजे-महाराजे सभी तीर कमान और बन्दूक से शिकार करते थे।

(5) **सामान्य हॉंक –** हांके में जानवरों को उस ओर हांकते हैं जहां शिकारी पूर्व नियोजित तैयारी के साथ बैठे रहते है। जैसे ही जानवर नजदीक आये और बन्दूक से गोली चलाकर शिकार कर लेते है।

(हांका) – यह सामूहिक शिकार करने की पद्धति है। हांके में फन्दों की तरफ जानवर भगाते हैं और उस फन्दें में जानवर फंस जाते है। सामूहिक फंदे में शेर चीतल, सांभर भी फंस जाते है। शिकार करने का सरल साधन फन्दा है।

(6) **भाले से शिकार करना –** घर का पालत कुत्ता जानवरों के पीछे करते है। जानवरों के पीछे-पीछे कुत्ता दौड़ता जाता है और जानवर मांगते-मांगते थक जाता है तो खड़ा होकर आराम करते समय कुत्ता घेर लेता है। तब तक शिकारी आकर माले से शिकार कर लेता है।

(7) **गोफना –** यह शिकार करने की एक पद्धति है। तीन रस्सियों के सहयोग से बनाया जाने वाला अस्त्र है। जिसमें सांके की शक्ल में बीच में तीनों रस्सियों को बॉधकर उसमें पत्थर रखकर घुमाकर जोरों से निशाने पर फैंका जाता है जो खेत की चिड़ियों को उड़ाने लेकर उनके शिकार के लिये उपयोग किया जाता है।

(8) **वाटर होल पनवा लगाना –** जंगलों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गर्मियों के दिनों में पानी सूखता नहीं है। जिसे झिरिया कहते है। यहां पर शिकारी छिपकर ताक लगाये बैठे रहते है। जैसे ही प्यास बुझाने जानवर झिरिया के

पास आया शिकारी अपने अस्त्र से शिकार कर लेता है।

(9) **कटन** – जंगलों में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्राय: अधिकांश जानवर चारागाह के उस स्थान से होकर निकलते हैं। रास्ते में शिकारी बैठ कर आने वाले जानवरों की राह देखता है जैसे ही जानवर आया अपने बन्दूक से शिकार कर लेता है।

(10) **कुसियारी** – यह प्राचीनतम शिकार की पद्धति है जिसमें दिन के समय सोते या छुपे हुये खरगोश को धोके से मारा जाता है। इस पद्धति में एक व्यक्ति एक लम्बे बांस में रंगीन कपड़ा लपेटकर बैठे हुये खरगोश के पास से जोरों से हिलाते हुये निकलता है। छुपा हुआ खरगोश लगातार उसे देखता रहता है और पीछे से आकर दूसरा व्यक्ति उसे डंडे से मार देता है।

(11) बस्तर के दण्डायी माड़िया लोगों में शिकार की एक पुराना पद्धति है वह यह है अक्कुम नामक पीपल का एक झाड़ होता है। इस अक्कुम नामक पीपल का बाजा अथवा गाय–भैंस के सींग से फूंकते हैं जिससे आवाज निकलती है इस आवाज के सहारे कई तरह से जानवरों को घेरा जाता है और जानवरों को उस दिशा की ओर खदेड़ा जाता है जिस तरफ तीर धनुष और अन्य हथियार लेकर आदिवासी छिपे बैठे रहते है। जैसे ही जानवर उस तरफ से गुजरते है, उस पर एक साथ तीरों की बौछार की जाती है। घायल अवस्था में जानवरों का पीछा थोड़ी दूर करना पड़ता है और फरसेनुमा लोहे के हथियार से घायल जानवर को मार दिया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मध्यप्रदेश जीवन और विकास 25 जून 1989
2. चौमाठा –जुलाई नवम्बर 1984
3. दैनिक भास्कर जून 2007 (डॉ. प्रसन्न कुमार दुबे का लेख)
4. भारत के आदिवासी – पृष्ठ 446–47 लेखक पी.आर नायडू

****

भारत में सामाजिक न्याय के निर्वचनकर्ता के रूप में मानव जीवन के विकासात्मक पहलुओं पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

असीम कुमार शर्मा *

* LL.M., Ph.D. 6/27-F, जवाहर नगर नानाखेडा, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सामाजिक न्याय किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की बुनियादी अवधारणा है। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में ही सामाजिक न्याय अंतर्निहित है। भारत का संविधान भारत गणराज्य को एक लोककल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने और भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने की बात कहती है। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में स्पष्टत: सामाजिक अधिकारों की उद्घोषणा करता है। संविधान के अन्य कई प्रावधान भी सामाजिक न्याय की बात विविध रूपों में कहते हैं, जिनमें मूल अधिकार भाग तीन व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिष्ठित कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय के तत्व उपलब्ध कराते हैं। जैसे अवसर की समानता, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अन्त, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिबंध, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध ऐसे उपबंध हैं जो सामाजिक न्याय को व्यक्तिगत अधिकारों में राजनैतिक न्याय व आर्थिक न्याय के रूप में उपलब्ध कराते हैं। समाजवादी समाज की स्थापना आर्थिक न्याय की अवधारणा को पुष्ट करती है। संविधान का भाग 16 कुछ जनवर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात कहता है। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय है एवं न्यायालयों के सौपानक्रम में सर्वोच्च है। अत: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामाजिक न्याय के संबंध में न्यायिक निर्वचन एवं भूमिका का अध्ययन करना इस शोध पत्र का उद्देश्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भाग-तीन में प्रत्याभूत मूल अधिकारों एवं भाग चार में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों का सामंजस्यपूर्ण निर्वचन कर सामाजिक न्याय को विशेष बल दिया है।

प्रस्तावना – संविधान एवं संविधानवाद के अध्ययन में एक सिद्धान्त जिसने विश्व में समस्त संविधानों में अपनी छाप पुरज़ोर तरीके से छोडी है, वह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त, जिसे माण्टेस्क्यू ने अपनी किताब "Spirit of laws" में उल्लेखित व प्रतिपादित किया था। यह सिद्धान्त व्यवहारिक शासन पद्धतियों में 'नियन्त्रण व संतुलन' का सिद्धान्त बनकर प्रस्तुत हुआ। भारत के संविधान में भी शासन के दोनो अंगों पर मूल अधिकारों व राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने पर बल दिया है जो कि व्यक्तिगत अधिकारों एवं सामाजिक अधिकारों के रूप में उल्लेखनीय है। संविधान में सामाजिक न्याय की प्रबल आवाज संविधान की उद्देशिका एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में स्पष्टत: दिखाई देती है। संविधान कहता है विधान मण्डल कानूनों को बनाएगा और कार्यपालिका उन्हे लागू करेगी। विधान मण्डल द्वारा कानूनों को बनाते हुए राज्य की नीति निदेशक तत्वों को अधिनियमित करना विधानमण्डल अर्थात संसद एवं राज्य विधानमण्डलों का कर्तव्य है तथा इन कानूनों का क्रियान्वयन सरकार, अर्थात संघ एवं राज्य सरकार अर्थात सम्पूर्ण कार्यपालिका का कार्य है। इन दोनो अंगों पर इस कार्य का उत्तरदायित्व संविधान द्वारा सौंपा गया है और विधान मण्डलों द्वारा अधिनियमित कानूनों का निर्वचन करना न्यायालय का कार्य है अर्थात सम्पूर्ण न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालय तक।

समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र के साथ न्यायिक क्रियात्मकता – सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्वचन के माध्यम से विधियों का एवं विधियों की अनुपस्थिति की दशा में मार्गदर्शक सिद्धान्तों को विहित कर सदैव सामाजिक न्याय की न्यायिक माँग को पूरा किया है। उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र बनाम भारत संघम के अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 38 सर्वोच्च विधि है, जिसमें विधि द्वारा सामाजिक बदलावों का लक्ष्य है कि मानव जीवन को गरिमापूर्ण बनाया जा सके तथा सामाजिक न्याय ऐसा माध्यम है जो निर्धनों, वंचितों, शोषितों व साधनहीनों को विशेष संरक्षण प्रदान करें। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघम के अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को सामाजिक परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्वचित किए जाने पर बल दिया है। सार्वजनिक हित के मामलों को अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार देकर लोकहित दावों के माध्यम से न्यायिक दृष्टिकोण सदैव सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक रहा है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्यम का निर्णय श्रमिक महिलाओं के कार्यस्थलों पर यौन शोषण को रोकने के लिये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह विधान मण्डल द्वारा विधि न होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्देश किया गया था। यह निर्णय विधायी विधि की अनुपस्थिति में न्यायिक विधि के रूप में था जो कि न्यायालय का सराहनीय प्रयास है।

भारत का संविधान और सामाजिक न्याय – सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की नींव है। मध्य बीसवीं सदी में निर्मित होने वाले इस संविधान के निर्माता न्याय के विभिन्न सिद्धान्तों के प्रयोगों व कमियों से पूरी तरह अवगत थे। वे न्याय के ऐसे प्रारूप की खोज में थे जो समग्र क्रान्ति की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। पण्डित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष बोलते हुए कहा था

– 'इस संविधान सभा का प्रथम कार्य यह है कि एक नवीन संविधान द्वारा भारत को स्वाधीनता दिलाई जाये, जिससे कि भूख से बिलख रही जनता को भरपेट रोटी मिल सकें तथा नग्न लोगों को आवश्यक वस्त्र दिए जा सके तथा प्रत्येक भारतीय को इस बात का सर्वोत्तम अवसर दिया जाय कि वह अपनी हैसियत के अनुसार अपना विकास कर सकें।'[3] इस प्रकार सामाजिक न्याय को भारतीय संविधान में तात्विक स्थान मिला। भारत का संविधान न्याय की किसी एक पारम्परिक विचारधारा–समतामूलक, उपयोगितावादी, समझौतावादी या हकवादी से पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं है। संविधान की प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय की प्रगतिशील अवधारणा से है और न्याय के विभिन्न नियम – गुणवत्ता, सद्व्यवहार, आवश्यकता, विकल्प आदि इसके सहायक अंग है। दरअसल संविधान की प्रतिबद्धता ऐसे सामाजिक न्याय से है जो भारतीय परिवेश में कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं को सार्थक रूप में पूरा कर सकें। इसीलिए एक तरफ समता के मूल्य की बात की गई है, जो अरस्तु के समानों के साथ समान व्यवहार का उद्घोष करते हुए राज्य को निर्देशित करती है वह 'भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।'[4] जो वितरणात्मक न्याय है। दूसरी तरफ समाज के पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए विशेष उपबन्ध के माध्यम से संरक्षात्मक विभेदीकरण की बात कही गई है। जो सुधारात्मक या प्रतिकरात्मक न्याय का प्रतीक है।

'भारत का संविधान, जो कि देश की सर्वोच्च विधि है, दो उद्देश्यों पर आधारित है –

1. नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय हो, और
2. लोगों की स्वतन्त्रता की तानाशाही शक्तियों के आक्रमण से रक्षा करना। ये दोनों विचार संविधान की योजना में स्वर्णिम बिन्दुओं की तरह स्थापित है।

सामाजिक न्याय का दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट व सुन्दर शब्दों में है। ये चार प्रकार की संकल्पनाएँ प्रस्तुत करता है – न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और सहिष्णुता – जो कि राष्ट्रीय उन्नति के मार्गदर्शक सिद्धान्त है। प्रस्तावना मात्र संविधान का आमुख नहीं है बल्कि संविधान के प्रावधानों में तात्विक रूप से सम्मिलित हैं।

सामाजिक न्याय की योजना संविधान के भाग–3, भाग–4 और भाग–16 में सम्मिलित है। अत: सामाजिक न्याय की योजना को क्रियान्वयन करने के लिये भारतीय संविधान ने निम्न कदमों को उठाया है –

1. संविधान नई सामाजिक व्यवस्था बनाने के जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय को स्थान मिले।
2. भारतीय संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की उद्घोषणा करता है व इन्हें न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय बनाता है।
3. संविधान राज्यों को आवश्यक उन्नति व विकास के लिये सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है।

उक्त मूलभूत अधिकार तथा कानूनी अधिकार सामाजिक नियन्त्रण के न्यायपूर्ण कानूनों से सामाजिक न्याय के लिये इस प्रकार अर्न्तसम्बन्धित हैं।

जीवन के कई महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रदान करने में न्यायिक भूमिका – न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में सामाजिक न्याय से जुडे बुनियादी अधिकारों को जनहित में निर्वचित किया है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघम के निर्णय में एशियाड खेलों में बनने वाले निर्माणों पर काम में लगे हुए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न करने को प्राण के अधिकार के अंतर्गत जीविकोपार्जन के अधिकार का अतिलंघन माना और ठेकेदारों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का आदेश दिया। डी.के. यादव बनाम जे.एम.आई. इण्डस्ट्रीजम के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राइवेट नियोक्ता द्वारा किसी कर्मकार को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को पालन किये बिना नौकरी से हटाना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानव गरिमा से जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। ऑल इंडिया इमाम संगठन बनाम भारत संघम के निर्णय में न्यायालय ने कहा कि मस्जिदों के इमामों को भी पारिश्रमिक पाने का अधिकार है ताकि वे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के जीविकोपार्जन करने के अधिकार का प्रयोग कर सकें। जॉली जार्ज वर्गीज बनाम कोचीन बैंकम के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक धनहीन किन्तु ईमानदार ऋणी को ऋण न चुका पाने की दशा में गिरफ्तार कर निरोध में रखना अनुच्छेद 21 का व सिविल एवं राजनैतिक अधिकार अभिसमय के अनुच्छेद II का उल्लंघन है। सी.ई.एस.सी. लिमिटेड बनाम सुभाषचन्द्र बोसम के निर्णय में न्यायालय ने कहा है कि 'सामाजिक न्याय का अधिकार' एक मूल अधिकार है। कर्मकारों का स्वास्थ्य 'प्राण के अधिकार' के अंतर्गत आता है, जिसकी रक्षा होनी चाहिये। विक्रमदेवसिंह तोमर बनाम बिहार राज्यम के निर्णय में जनहित याचिका पर नारी निकेतन, पटना' में रहने वाली दयनीय एवं अमानवीय स्थितियों में जीवन जी रही महिलाओं को उचित रहवासी सुविधा को उपलब्ध कराने का न्यायालय निर्देश दिया है।

आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्रप्रदेश राज्यम के निर्णय में देशके विभिन्न कारावासों में बन्द महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया और कहा कि अनुच्छेद 21, 23, 39(C), 39(F) और 21-A के अन्तर्गत बच्चों को भोजन, चिकित्सा सहायता, कपडे, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधायें मिलनी चाहिये। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यम के अपने निर्णय में शिक्षा पाने के अधिकार को मूल अधिकारों में माना और अनुच्छेद 21 का तत्व माना है। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइण्ड बनाम संघ लोक सेवा आयोगम के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शारीरिक रूप से विकलांग प्रतिभागियों को भी प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने का पूरा हक है तथा सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके लिए उन्हे ब्रेल लिपि लेखक या सहायक मुहैया करवायें। विकलांग विद्यार्थियों को भी सामाजिक जीवन में भागीदारी का पूरा अधिकार है।

पी.यू.सी.एन. बनाम भारत संघम के अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य सामग्री खरीद पाने में असमर्थ लोगों को राज्य द्वारा भोजन सामग्री प्रदान किये जाने की बात कही। न्यायालय में बच्चों, बुजुर्गो, सगर्भा महिलाओं, निराश्रित महिला–पुरूषों, दुग्धपान कराने वाली महिलाओं आदि को राज्य के गोदामों से अनाज एवं खाद्य सामग्री प्रदान किए जाने को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना है। सुभाषकुमार बनाम बिहार राज्य के अपने निर्णय में प्रदूषण मुक्त जलवायु के उपभोग को भी अनुच्छेद 21 में उपबंधित 'प्राण के अधिकार' का आवश्यक तत्व माना है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्यम के महत्वपूर्ण फैसले में श्रमजीवी महिलाओं के विरूद्ध काम करने के स्थलों में होने वाले यौन शोषण को रोकने हेतु कई सारे मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित किए हैं। न्यायपालिका के

इस निर्णय ने विधान ने विधानमंडल को विधि निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया।

श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण एवं श्रम कानूनों में सामाजिक न्याय – किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण सरोकार उत्पादन के साधनों का जीवंत पक्ष श्रम व श्रमिकों की कुशलता व कल्याण से होता हैं। भारत में श्रमिकों को शोषण व अन्याय से बचाने के लिये एक समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया हैं जो कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया हैं। इस उद्देशिका के लक्ष्य को अन्य शब्द आर्थिक न्याय से और ज्यादा बल मिल जाता हैं। यद्यपि भारत के संविधान ने किसी विशेष आर्थिक नीति या पद्धति को मानने की बात नहीं की हैं, वरन् नीतियों का विषय संसद व कार्यपालिका पर छोड़ दिया हैं। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्वों ने राज्य की आर्थिक नीतियों के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित किए हैं। इनमें श्रमिकों के कल्याण का लक्ष्य भी हैं।

एक मामले में डॉ.पी.बी. गजेन्द्र गड़कर ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा सामाजिक न्याय संविदात्मक सम्बन्धों पर आधारित नहीं होता हैं, न ही उन्हें संविदा के नियमों के आधार पर लागू किया जा सकता हैं। सामाजिक न्याय का सिद्धान्त संविदा के नियमों के सिद्धान्त की परिधि से बाहर होता हैं।'[5] भारत में श्रम विधिशास्त्र पर संविदा की आत्यंतिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त की शास्त्रीय संकल्पना को अस्वीकृत कर एक समाजवादी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने पर जोर दिया गया हैं।

न्यायाधिपति पी एन भगवती ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बम्बई बन्दरगाह बनाम दिलीप कुमार[6] के मामले में कहा हैं – न्याय केवल दिखाने मात्र के लिए प्रदान नहीं किया जाना चाहिये बल्कि उसे होता हुआ भी प्रतीत होना चाहिए।' औद्योगिक न्यायनिर्णयन के उपर्युक्त सिद्धान्तों को न्यायमूर्ति गजेन्द्र गड़कर ने स्पष्ट करते हुए कहा हैं, कि सामाजिक न्याय को एकपक्षीय दृष्टिकोण नहीं प्रदान करना चाहिए। सामाजिक न्याय का सिद्धान्त एक सुविधा का सिद्धान्त या अन्धा सिद्धान्त नहीं हैं बल्कि परिपक्वता तथा वास्तविकताओं को धारण किया हुआ सिद्धान्त हैं। इस प्रकार श्रम विधिशास्त्र एक आधुनिक अवधारणा को स्थापित करता हैं जिसके अन्तर्गत नियोजकों तथा कर्मकारों के पारस्परिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाता हैं, जिससे यह प्रक्रिया दोनों पक्षकारों के लिए न्यायोचित तथा सम्मानजनक प्रतीत होती हैं। इससे पूंजी तथा श्रम में सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जा सकेंगे।

लोकहितवाद और सामाजिक न्याय – लोकहितवाद न्यायिक सक्रियता का एक आयाम है। 'यह उच्चतम न्यायालय की पत्रवाही अधिकारिता की एक प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय ने लोक भावना वाले नागरिकों द्वारा की गई उन शिकायतों को ग्रहण किया है जो उन सुविधाहीन, अकिंचन, स्वत्वहीन एवं वंचित व्यक्तियों के अधिकारों अथवा व्यक्तियों के एक समूह के अधिकारों के अतिक्रमण के बारे में हैं जो अपनी दीनता अथवा आर्थिक सुविधाहीन दशा के कारण अपने तई न्यायालय में नहीं जा सकते हैं।'[7] भारत में जनहित याचिका सम्बन्धी अवधारणा का बीजारोपण सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्णाअय्यर ने किया है कि हमारे न्यायशास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा में जहाँ ग्रामीण गरीबों सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के सम्बन्ध में अवधारणा मिलती है एवं इस सम्बन्ध में ऐसी कई कमियाँ हैं, जिनका सम्बन्ध प्रक्रियात्मक न्याय से है तथा जिसमें प्रतिनिध्यात्मक कार्यवाही द्वारा विधिक प्रक्रिया के भाव को विस्तृत कर सामान्य मनुष्य के लिए न्याय प्रदान करने की बात की जाती है। जनहित याचिका का विकास 'सुनवाई के अधिकार' 'लोकस स्टैण्डी' से हुआ है, जिसे हमारे सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है तथा जिसमें उदारवाद एवं व्यक्तिवाद की भावना को भी प्रश्रय मिला है, जो विशेष रूप से गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिए है।'[8]

पीपुल्स यूनियन डेमोक्रेटिक राईट्स बनाम भारत संघम के निर्णय में न्यायाधिपति पी.एन. भगवती ने कहा है कि 'हम अपने आदेश के तहत् बलपूर्वक बताना चाहते है, कि जनहित मुकदमे, जो विधिक सहायता आन्दोलन की व्यूह रचना की शाखा है, जो गरीब जनता की पहुँच तक न्याय पहुँचाने के लिये आशयित है, जो मानवता के निम्न स्तर पर जीवन यापन करते हैं। परम्परागत दावे निश्चित रूप से प्रतिपक्ष की विशेषता लिये हुए हैं, इन दावों में दो विपरीत हित रखने वाले व्यक्ति होते है, एक दावा करता है और दूसरे के विरुद्ध अनुतोष की माँग करता है व दूसरा इस दावे का विरोध करता है या इस तरह के अनुतोष का प्रतिरोध करता है। लोकहित दावे, न्यायालय के सामने एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध प्रभावी बनाने के लक्ष्य से नहीं होता जैसा कि सामान्य दावों में होता है, बल्कि यह लोकहित को प्रोत्साहित व रक्षित करने हेतु किया जाता है, जो यह माँग करता है कि अधिकांश व्यक्ति जो गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई दशाओं के शिकार है, उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बिना विचारण या प्रस्तुतीकरण के न रह जाएँ। यह विधि शासन के लिये अच्छा नहीं होगा, जो जनतान्त्रिक सरकार में लोकहित के लिये आवश्यक तत्व है।'

जनहित वादों का सामाजिक न्याय में योगदान – बंधुआ मजदूरों के कल्याण हेतु जनहित दावों ने काफी काम किया है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघम के निर्णय में न्यायालय ने बंधुआ श्रम को बलात् श्रम का एक रूप माना है, जिसको अनुच्छेद 23 द्वारा प्रतिषिद्धि किया गया है। न्यायालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये राज्य को उत्तारदायी कहा है। कंज्यूमर एजुकेशनल एण्ड रिसर्च सेण्टर बनाम भारत संघ1 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि एस्बेस्ट्स के कारखाने अथवा कम्पनियाँ कर्मकारों के स्वास्थ्य के खतरे के लिए जो कर्मकार की बीमारी का कारण है, मुआवजा देने के लिए दायी है।

गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाम राठौड़ लाभू बेचार के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि 10 वर्ष से अधिक नियमित काम करने पर दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण करने हेतु उनकी योग्यता सम्बन्धी शर्तों को शिथिल किया जा सकता है, क्योंकि लम्बी अवधि का अनुभव ऐसी योग्यताओं के समान बना देता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – सामाजिक न्याय की अवधारणा को न्यायिक निर्वचनों के माध्यम से हमेशा विस्तार और प्रभाव मिला है, परन्तु कई बार यह संवैधानिक समस्या को भी जन्म देता है जैसे कई बार न्यायिक सक्रियता विधानमण्डल या कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है जो कि नियंत्रण एवं संतुलन (Check and balance) के सिद्धान्त को ठेस पहुँचाता है। न्यायिक निर्वचन की संवैधानिक सीमारेखा में रह कर ही न्यायपालिका अपना प्रभावी योगदान सामाजिक न्याय को प्रभावी बनाने में कर सकती है।

सामाजिक न्याय एक समेकित अवधारणा है जिसमें आर्थिक एवं

राजनैतिक न्याय के तत्व भी सम्मिलित हैं, इसलिये आवश्यक है कि सामाजिक न्याय को प्रबल बनाने के लिये आर्थिक–राजनैतिक समानता व आर्थिक विकास के लाभों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, यह तभी संभव होगा जबकि विधान–मण्डल एवं कार्यपालिका के प्रयासों में सारगर्भित प्रतिबद्धता हो। न्यायालय ने कई मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर राजनैतिक न्याय के तत्व के रूप में सुशासन को शासन की नीति का आधारभूत तत्व माना है। इसका उदाहरण हम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के निर्णय को देख सकते हैं जिसमें 'लोक न्यासिता का सिद्धान्त' अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शासन की प्रथम आओ प्रथम पाओ की नीति को अवैध घोषित करते हुए नीलामी द्वारा खदानों स्पेक्ट्रमों के आवंटन को आदेशित किया। यह निर्णय हुआ कि शासन के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का आवंटन जिम्मेदारी के साथ किया जायेगा जो कि न्यासी के रूप में उनके द्वारा धारित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में संवैधानिक प्रावधानों का निर्वचन करते हुए श्रमिक कल्याण, महिला कल्याण, चिकित्सा सहायता, त्वरित न्याय, विधिक सहायता, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, बंदीगृह में महिलाओं के बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरण में वास सुविधा, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, यौन संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को न्यायिक मान्यता प्रदान की एवं सामाजिक न्याय को मानव जीवन के बुनियादी पक्षों से जोड़ा।

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार की रोकथाम पर भी दिशा निर्देश जारी किये हैं जो कि सामाजिक न्याय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, परन्तु शासन व विधानमण्डल द्वारा आवश्यक सक्रियता नके विधायी एवं कार्यपालिक कार्यों में हस्तक्षेप को बढावा देती है। अत: कार्यपालिका व विधानमण्डल को भी चाहिये कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में जनता के विकास हेतु सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि में भूमिका निभाये व शासन के तीनो अंग सहयोग एवं समन्वय की भावना से सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने हेतु और ज्यादा तत्परता से बढें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. All India Reporter (A.I.R.) 1995 S.C. 922
2. A.I.R. 1993 S.C. 447
3. A.I.R. 1997 S.C. 3011
4. संविधान सभा बहस पंडित नेहरू
5. अनुच्छेद 14 भारत का संविधान
6. A.I.R. 1981, S.C. 1473
7. (1993) S.C.C. 259
8. (1993)3 S.C.C. 584
9. A.I.R. 1980, S.C. 470
10. (1992)1 S.C.C. 441
11. A.I.R. 1988, S.C. 1782
12. A.I.R. 2006 S.C. 1946
13. (1992)3 S.C.C. 666
14. (1993)4 S.C.C. 411
15. 2000(5) स्केल 30
16. A.I.R. 1997, S.C.C. 3011
17. राष्ट्री मिल मजदूर संघ बनाम अपोलो मिल्स लिमिटेड, ए. आई. आर. 1960, एस.सी. 819.
18. (1983) लेबर इण्डिन केसेज, ए. सी. 419.
19. विजनाराण मणि त्रिपाठी, विधिशास्त्र एवं विधिक सिद्धान्त, पृ. 423
20. विजनाराण मणि त्रिपाठी, विधिशास्त्र एवं विधिक सिद्धान्त, पृ. 429
21. ए.आई.आर. 1982, सु.को. 1473
22. ए.आई.आर. 1984, एस.सी. 802
23. ए.आई.आर. 1995, एस.सी. 922

****

भिण्ड अंचल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी

डॉ. शालिनी गुप्ता *

* सहा.प्रा.एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) प्रभारी प्राध्यापक, विवेकानंद मार्गदर्शन कैरियर प्रकोष्ठ शा.गणेष शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत का राष्ट्रवादी आन्दोलन प्रान्तों और वर्गों के विभेद से ऊपर राष्ट्र की सम्पूर्ण जनता की सम्पूर्ण इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति था, जिसमें देश के सभी प्रान्तों की जनता ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। स्वतंत्रता की इस यात्रा में अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और त्याग–तपस्या की हजारों प्रतिमाऐं साकार हुयीं, जिनके सुयोग्य नेतृत्व व निर्देशन में न केवल राष्ट्रवादी आन्दोलन संगठित हुआ अपितु अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। भिण्ड अंचल की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन को जनआन्दोलन में परिणित करने में इन स्वातंत्रय योद्धाओं का अप्रितम योगदान स्वीकार किया जाता है। भिण्ड जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का व्यक्तित्व इस प्रकार है–

हरिकिशन दास भूता – हरिकिशनदास भूता जी का जन्म सन् 1910 में श्री जादव जी भूता के यहाँ हुआ था। आपने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की। आपके पूर्वज गुजरात से आये थे। हिन्दी अंग्रेजी, गुजराती का आपको अच्छा ज्ञान था। आप गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे। सन् 1928 में आपने अपने मित्र श्री वटेश्वरी दयाल शर्मा 'दादा' के साथ कलकत्ता के काँग्रेस अधिवेषन में भाग लिया तथा अधिवेशन से वापस लौटने पर श्री वटेश्वरी दयाल शर्मा के साथ राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ किया। उन्होंने अपने कुछ मित्र श्री वटेश्वरी दयाल शर्मा, श्रीनाथ शर्मा, आदि के सहयोग से भिण्ड में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। सन् 1939 में भिण्ड जिले के मिहोना ग्राम में ऐतिहासिक राजनीतिक सम्मेलन बालाजी मिहोना में हुआ। इस सम्मेलन को सफल बनाने में आपने पूर्ण सहयोग एवं योगदान दिया। इस सम्मेलन की विशालता एवं सफलता ने भूता जी को चमका दिया।

गंगाधर मुनीम – गंगाधर मुनीम का जन्म 22 सितम्बर 1917 को इटावा जिला के ग्राम गौरका में हुआ था। आपने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। आप नौकरी की तलाश में भिण्ड आ गये तथा सन् 1936 में आप भिण्ड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के सम्पर्क में आये और ग्वालियर राज्य सार्वजनिक सभा के सदस्य बने और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने तथा खादी के प्रचार–प्रसार में जुट गये।

सन् 1942 में जब भिण्ड के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरिफ्तार कर लिया गया तब आपने भूमिगत रहकर आंदोलन को चलाने के सम्बन्ध में परचे साइक्लोस्टाइल से छापने व बाँटने का कार्य किया। बाद में आपको पुलिस द्वारा गिरिफ्तार कर लिया गया। आपको ग्वालियर तथा मुंगावली की जेल में रखा गया। सन् 1943 में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आपको भी रिहा कर दिया गया। आप भिण्ड जिला काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व काँग्रेस कमेटी की कार्य समिति के सदस्य व मंत्री रहे। भारत–सरकार द्वारा ताम्रपत्र तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आपको सम्मान निधि भी प्रदान की गयी।

अमर सिंह कुशवाह – अमर सिंह कुशवाह का जन्म श्री हरिसिंह जी के परिवार में सन् 1917 में ग्राम पाण्डरी जिला भिण्ड में हुआ था। अमर सिंह ने मात्र प्रारम्भिक शिक्षा ही पूर्ण की थी। आप प्रारम्भ से ही क्रान्तिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे। 18 नवम्बर 1942 को भिण्ड में ट्रेन स्टोपज काण्ड में आप गिरिफ्तार किये गये। तथा दो वर्ष दो माह का कारावास इस अपराध हेतु निश्चित किया। अमर सिंह कुशवाह 'भारत छोडों आंदोलन' के बाद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हो गये। और इन्होंने इस आन्दोलन के बाद काँग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप अपने गाँव पाण्डरी में रहकर समाज सेवा व कृषि कार्य में लग गये। आपको भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा आपको सम्मान निधि भी प्रदान की गयी।

बदन सिंह कुशवाह – बदन सिहं कुशवाह का जन्म 3 अगस्त सन् 1925 को भिण्ड जिले के ग्राम गढ़ी मंगद परगना भिण्ड में राजारामसिंह कुशवाह के यहाँ हुआ था। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। आप छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यो में भाग लेने लगे थे। सन् 1942 में भिण्ड जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों यशवंत सिंह कुशवाह, दादा वटेश्वरीदयाल शर्मा, सम्पतराम लोहिया, हरिकिशनदास भूता, दीपचंद्र पॉलीवाल, रघुवीर सिंह कुशवाह, श्रीनाथ शर्मा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। आपको 1942 के 'भारत छोडो आंदोलन' में भाग लेने के कारण गिरिफ्तार किया गया। आप भी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भिण्ड और ग्वालियर जेल में बंद रहे। 30 जून 1943 को रिहा किये गये। स्वतंत्रता के बाद आप शासकीय सेवा में आ गये तथा समाज सेवा भी करते रहे।

जगन्नाथ सिंह भदौरिया – जगन्नाथ सिंह भदौरिया का जन्म सन् 1917 में रानीपुरा परगना बहरी जिला भिण्ड में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अजगर सिंह भदौरिया था। जगन्नाथ सिंह ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही पूर्ण की। आपका मन पढ़ने में कम लगता था। अत: इनके पिता ने इनको अपनी खेती के काम में लगा लिया परन्तु इनका काम में मन न लगा। आप सन् 1945 में कुछ मित्रों के साथ भिण्ड आ गये। भिण्ड में उस समय कुछ युवा लोग सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो रहे थे। इन्ही

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

दोस्तों के साथ आप भी आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गये और सैनिक बन गये। क्षेत्र में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ करने तथा अराजकता के आरोप में आपको एक वर्ष का कारावास हुआ। जगन्नाथ सिंह भदौरिया उग्र तथा क्रान्तिकारी विचारधारा के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वह सुभाषचंद्र बोस के सिद्धान्तों को मानने वाले एक राष्ट्र भक्त थे। आपका मानना था कि महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है।

जहूर मोहम्मद – जहूर मोहम्मद के पिता का नाम नन्हे मियां था। वे ग्राम मिहोना में अपना छोटा सा व्यवसाय चलाते थे। जहूर मोहम्मद का जन्म सन् 1918 में इसी जगह हुआ था। आपने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा मिहोना से ही प्राप्त की। बाद में आप भिण्ड आ गये जहाँ से मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं से आपने छात्र आंदोलन में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बम्बई की कॉंग्रेस की बैठक में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' तथा 'करो या मरो' का नारा दिया। महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों को भी आगाह किया कि विद्यालय छोड़कर इस आजादी की जंग में भाग लें। जहूर मोहम्मद ने उनके इस संदेश से प्रभावित होकर कुछ छात्रों को लेकर स्कूल में हड़ताल कर दी तथा एक जूलूस निकाला किन्तु स्थानीय पुलिस ने छात्रों को गिरिफ्तार कर जेल में डाल दिया परन्तु जहूर मोहम्मद भाग निकले। उनके नाम वारंट निकाले गये। उनके घर पर भी पुलिस गयी परन्तु उन्हे गिरिफ्तार नहीं कर पाई।

जहूर मोहम्मद भिण्ड जिले के एक विशिष्ट प्रकृति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मुसलमान होते हुये भी आपने भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उदय के समय उसका घोर विरोध ही नहीं किया बल्कि आप निरंतर महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन के प्रचार तथा प्रसार में लगे रहे। आपने अंतिम आंदोलन में भाग ही नहीं लिया बल्कि अपनी कूटनीतिज्ञता से आप गिरिफ्तार भी नहीं हुये और महात्मा गांधी के भारत छोडो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।

जुगल किशोर सक्सेना – जुगल किशोर सक्सेना का जन्म 1913 ई. में भिण्ड जिले की तहसील मेहगाँव में हुआ था। इनके पिता का श्री रामकिशोर सक्सेना था।इन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। सन् 1938-1942 तक छात्र आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया। सन् 1940 में भिण्ड के एक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीपचंद्र पॉलीवाल ने विद्यार्थियों का एक राजनीतिक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेन्ट फेडरेशन रखा। जुगलकिशोर सक्सेना इस संगठन के प्रमुख सदस्य थे। यह संगठन जब शहर में हड़तालों, सभाओं का आयोजन करता था तो सबसे आगे आप रहते थे। एक बार एक जूलूस में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से आप घायल हो गये थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ों आंदोलन में आपने बढ़-चढ़कर भाग लिया। शहर में उपद्रव फैलाने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरिफ्तार कर लिया और तीन माह के कारावास की सजा दी।

मेंहगाँव में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता बढ़ाने का कार्य जुगल किशोर सक्सेना ने किया। उन्होंने मेहगाँव में छात्रों को आंदोलन में भाग लेने के लिये उकसाया तथा छात्रों का एक संगठन बनाया। इन छात्रों से जब महात्मा गांधी ने स्कूलों के बहिष्कार की अपील की तो उन्होंने स्कूलों का बहिष्कार किया तथा परगने के अन्य स्कूलों को भी बंद करवा दिया। जुगल किशोर सक्सेना पर महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन का अत्यधिक प्रभाव था।

जीतबहादुर सिंह कुशवाह – भिण्ड जिले में सन् 1942 के क्रान्तिकारी तत्कालीन विद्यार्थी नेता जीत बहादुर सिंह का जन्म सन् 1925 में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त की। कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण की व्यवस्था के विरोध में एक जन आंदोलन चलाया। इसी आन्दोलन को चलाने के कारण सन् 1946 में इन्हें गिरिफ्तार कर लिया गया तथा एक माह के कारावास की सजा दी गई। जीत बहादुर सिंह कुशवाह निष्चित ही एक राष्ट्रीय विचारधारा के प्रेरता थे। परन्तु भिण्ड जिले के स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य कोई भी ऐसी घटना या प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका जिससे यह स्पष्ट हो पाता कि जीत बहादुर सिंह कुशवाह महात्मा गांधी की बैचारिक दृष्टि से अथवा उनके अहिंसा दर्शन से कहाँ तक प्रभावित थे। उनके जीवन से जुडी घटनाओं से यह अवश्य बोध होता है कि वह महात्मा गांधी के इस तर्क से कि अन्याय के आगे झुकना अपराध होता है के प्रबल समर्थक थे। इस सिद्धांत पर चलते हुये उन्होंने जब शासकीय कपड़े की वितरण की अव्यवस्था को देखा तो वह संघर्षरत हो गये और अंग्रेजों की वितरण प्रणाली के विरूद्ध जन आंदोलन चलाने के कारण उन्हें एक माह का कारावास हुआ।

सौभाग्यमल जैन – सौभाग्यमल जैन का जन्म 17 दिसम्बर 1917 को ग्राम दबोह परगना लहार जिला भिण्ड में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनूपचंद्र जैन था। आपने बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की थी। सन् 1946 में जब देश में जागीर उन्मूलन आन्दोलन चल रहा था। तो इसकी शुरूआत कुछ दिनों बाद भिण्ड में भी हो गई। सौभाग्यमल जैन ने जागीर उन्मूलन आन्दोलन में भाग लिया। आन्दोलन चलाने के कारण आपको गिरफतार किया गया तथा 15 दिन के कारावास की सजा दी गई।

नवल पोददार उर्फ बड़े लाल सोनी – नवल पोद्दार का जन्म सन् 1916 ईसवीं में गोहद जिला भिण्ड में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पन्नालाल पोद्दार था। इन्होंने अपनी शिक्षा की शुरूआत गोहद से ही की थी। इनकी शिक्षा में रूचि कम थी। वे मदरसे की अन्य गतिविधियों में बहुत अधिक भाग लेते थे। आप महात्मा गांधी के विचारों से अत्याधिक प्रभावित थे। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा आरम्भ किये गये 'भारत छोडो आंदोलन' में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वह कलकत्ता गये और उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में भाग लेने तथा अपराधिक गतिविधियाँ फैलाने का आरोप लगाकर इनको जेल में कैद कर दिया गया तथा सात माह के कारावास की सजा सुनाई गई। नवल पोददार पर महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन का अत्यधिक प्रभाव था अन्यथा गोहद में 'भारत छोडो आन्दोलन' के समय उन्हें गिरिफतार नहीं किया जाता। यदि यह मात्र आन्दोलन से जुडे होते तो शायद शासन उन्हें गिरिफ्तार नहीं करता। नवल पोद्दार ने निश्चय ही महात्मागांधी के अहिंसा दर्शन को उस क्षेत्र में प्रसारित किया होगा तथा जन मानस में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा।

नवल पोद्दार अपने जीवन के प्रारंभ से राष्ट्रवादी विचारधारा के रहे और आपने स्वतंत्रता आन्दोलन के अंतिम चरण में गोहद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका 'गांधीटोपी' का ग्रहण करना ही इस बात का परिचायक है कि आप महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन में अत्याधिक प्रभावित थे।

रामदयाल शर्मा – रामदयाल शर्मा का जन्म 1911 ई. वी. में ग्राम काथा परगना लहार जिला भिण्ड में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पुन्नेराम शर्मा था। इन्होंने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण। की रामदयाल शर्मा ने महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये 'भारत छोडो आंदोलन' में सक्रियता से भाग लिया। सन् 1942 ई. में जब भिण्ड के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हरकिशन दास भूता

एवं यशवंत सिंह कुशवाह को अराजकता फैलाने के आरोप में गिरिफ्तार कर लिया गया तब इनमें शासन के प्रति घृणा एवं विरोध की भावना उत्पन्न हुई। इन्होंने कुछ छात्रों को लेकर शहर में एक जुलूस निकाला तथा इन नेताओं की रिहाई की मांग की। इस घटना ने आपको अत्याधिक लोकप्रिय बना दिया। जब आपकी लोक प्रियता दिन व दिन बढ़ने लगी तो सरकार ने बंदी बना लिया और जेल भेज दिया।रामदयाल शर्मा महात्मागांधी के सिद्धांतो से अत्यधिक प्रभावित थे। वह उनके अहिंसा दर्शन के सिद्धांतों पर चलकर देश को स्वतंत्र कराने के बाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के बल पर ही देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराय जा सकता है।

मलखान सिंह – मलखान सिंह का जन्म 1915 में ग्राम विजोरा जिला भिण्ड में हुआ था। इन्होंने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की। मलखान सिंह को प्रारम्भ से ही फौजी बनने का शौक थ। 1940 ई. में जब सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज में अनेक युवक भर्ती हो रहे थे तो आपने भी भर्ती होने के लिये प्रयास करना प्रारम्भ कर दिया। सन् 1945 में आजाद हिन्द फौज के कर्नलों द्वारा सुभाष ट्रेनिंग केन्द्र की स्थापना आलमपुर के समीप एकम ग्राम की गई थी यह फौजी ट्रेनिंग देने हेतु गोरखपुर से तीन कर्नल आये हुये थे। मलखान सिंह अपने गाँव से भागकर वहाँ पहुँच गये तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये चलाये जा रहे आन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने के कारण आपको एक वर्ष की सजा दी गई। मलखान सिंह सुभाषचन्द्र बोस के सिद्धांतों को मानने वाले एक महान देश भक्त थे।

हरविलास शिवहरे – हरविलास शिवहरे का जन्म 7 सितम्बर 1925 को हुआ था। इनके पिता का नाम द्वारिका प्रसाद शिवहरे था। इन्होंने भिण्ड में कपड़े की दुकान पर वितरण व्यवस्था के विरूद्ध आंदोलन चलाया किन्तु उस समय देशी रियासतों में स्वराज्य की जन जागृति विशेष न होने के कारण काम में रूकावटें आयीं और यह काम आगे न बढ़ सका परन्तु हरविलास शिवहरे ने भिण्ड में कपड़ा वितरण आन्दोलन को काफी प्रचारित किया। इनके इस तेजी से किये जा रहे प्रचार प्रसार के कारण सरकार ने उनको गिरिफ्तार कर लिया तथा एक माह की सजा दी। हरविलास शिवहरे भिण्ड जिले के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो सदैव ही सामाजिक उन्नयन के लिये प्रयत्नशील रहे। आपके द्वारा सरकारी कपड़े के वितरण में अव्यवस्था के विरूद्ध आन्दोलन चलाना इस बात का परिचायक है कि आप महात्मा गांधी के इस सिद्धांत से कि पाप के आगे झुकना पाप है से प्रभावित थे।

गंगाराम कुदरैया – गंगाराम कुदरैया का जन्म 1923 में ग्राम आलमपुर परगना लहार जिला भिण्ड में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभुदयाल कुदरैया था। इन्होंने मात्र 2 कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने सन् 1942 में महात्मागांधी द्वारा चलाये गये भारत छोड़ों आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको 14 दिन की सजा दी गई। गंगाराम कुदरैया भिण्ड जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। आपने महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर पूर्ण निष्ठा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।

बैजनाथ प्रसाद – बैजनाथ प्रसाद का जन्म सन् 1905 में ग्राम अकोड़ा जिला भिण्ड में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामनारायण था। इन्होंने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की। सन् 1930 में जब महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ किया तो इन्होंने इस आंदोलन का सक्रियता से भाग लिया था तथा अकोड़ा और उसके बाद भिण्ड आकर आंदोलन का सक्रियता से प्रचार प्रसार करने लगे। इन्होंने विदेशी कपड़े तथा वस्तुओं का बहिष्कार भी करवाना आरम्भ कर दिया। नमक कानून में इनकी बढ़ती हुयी सक्रियता के कारण सरकार ने इनको बंदी बना लिया तथा 4 माह के कारावास की सजा दी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश के रणवाँकुरे, मिश्र, सुरेश श्रीवास्तव, भगवान दास, स्वराज संस्थान संचालनालय, 2004,पृ.सं.149
2. ग्वालियर राज्य की आजादी का संघर्ष (द्वितीय खंड), कुशवाह, यशवंत सिंह कुशवाह, 19, लक्ष्मीबाई कालोनी, ग्वालियर, पृ.सं. 46
3. स्मारिका भिण्ड उत्थान टाइम्स, शर्मा विषम्भर दयाल, 1998, पृ.सं. 7-35
4. चम्बल के आस-पास, सांस्कृतिक चेतना समिति, 1993

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारतीय समाज मे व्यापत सति प्रथा एक अलोचात्मक अध्ययन

विमल चौधरी *

* इतिहास, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी-अगरिया चौपडा, रायसेन, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सती प्रर्था का सबंध अंतिम संस्कार प्रथा से है। सती प्रथा मे स्त्री अपने पती की मृत्यु के बाद पती की चिता के साथ लेटकर अपने प्राण त्याग देती थी कई स्त्रीया यह अपनी स्वंय की इच्छा से आत्मसम्मान की रक्षा हेतु करती थी और कुछ स्त्रीयो को यह प्रथा जबरदस्ती करनी पडती थी। क्योकि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके पालन पोषण की समस्या आती थी। ऐसे प्रमाण मिले है। कि कई स्त्रीयो को मंदिरो मे देवदासी बना दिया जाता था और ऐसे प्रमाण भी मिले है। कि स्त्रीयो को वेश्यावृति मे धकेल दिया जाता था इन कारणो से स्त्रीयां अपने आत्म सम्मान हेतु स्वेच्छा या जोर जबरदस्त मे इस प्रथा को अपनाती थी

ऐसे-ऐसे प्रमाण मिले है कि सती प्रथा मूलता सैनिक परिवारो योद्धा एवं अभिजात परिवारो तक सीमित थी आगे चलकर इसने एक प्रथा का रुप ले लिया और स्त्रीयो को उनके पति की मृत्यु हो जाने पर पति के साथ चिता मे जबरदस्ती बैठाया जाने लगा और स्त्रीयो को सती होने हेतु मजबूर किया जाने लगा और साथ में यह समाज मे बहुत बडे रुप मे कि जाने लगी और आगे चलकर सामुहिक रुप से स्त्रीयां अग्निकुड बनाकर उसमे अपने प्राण की आहुति देने हेतु कुछ स्त्रीया स्वतंत्रता पूर्वक तो कई स्त्रीया अपने प्राण त्यागने लगी।

सती प्रथा प्राचीन काल मे भारत मे प्रचलित थी या नही यह बहस का विषय है पर कई इतिहासकारो ने माना की प्राचीनकाल मे सती प्रथा प्रचलित थी लेकिन यह व्यापक स्तर में नही थी ऐसे भी प्रमाण मिले हैं।

मध्यकाल आते आते यह प्रथा व्यापक स्तर मे देखी जाती है जो मुख्यता मुस्लिम आक्रमणकारियो को इसका कारण माना गया है।

यह मुख्यत राजपूतो मे देखने मिलती थी जिसका पहला प्रमाण चितौड की रानी पदमवती ने अपने आत्म सम्मान की रक्षा हेतु जौहर किया जो कि सती का ही एक प्रकार है। इव्नबतुता ने सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है

आधुनिक काल मे राजा राममोहनराय ने इस प्रथा को समाप्त करने हेतु प्रयास किया व इनके निरंतर प्रयासो से वर्तमान गर्वनर व अग्रेंजी सरकार ने 1829 मे सती प्रथा पर रोक लगा दी

पौराणिक मानताओ के अनुसार– शास्त्रो के अनुसार माता सती अपने पिता प्रजापति के दक्ष के यहा हवन कुड मे कुंद कर अपने प्राणो को न्योछावर कर दिया था क्योकि दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया था और सती उस अपमान को सहन नही कर सकी और आग मे कूद कर अपने प्राण त्याग दिये इसी सती के नाम पर ही सती प्रथा प्रचलित हुई थी

सती प्रथा के प्रमाण– सती प्रथा के उत्पति के विषय मे यह आज भी बहय का विषय है सती प्रथा का पहला उल्लेख 3 शताब्दी ईसा पूर्व मे मिले है इसका उल्लेख यूनानी इतिहासकार अरस्तोबुलस ने इसकी चर्चा की है कि जब 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर के साथ भारत के अभियान मे थे तब इस प्रथा का उल्लेख किया है कि कुछ जनजातियो कि विधवाओ मे अपने पति की मृत्यु पर खुद के पति के साथ विसर्जित किया व जो इसके लिए इंकार करता था वो समाज द्वारा तिरिस्कृत किये जाते थे।

1. डायोडोरस सिकुलस ने उल्लेख किया कि व्यास और रावी नदीयो के बीच रहने वाले कैथेई लोगो ने विधवाओ को सती होते देखा उन्होने कहा की भारतीय कप्तान केहस की छोटी पत्नी जो गैविन की लडाई 316 ई.पू. मे लडी गई मे अपने पति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार मे खुद को चिता मे समर्पित कर दिया।
2. एम्सल माइकल्स ने उल्लेख किया की सती प्रथा का पहला प्रमाण 464 ईस्वी मे नेपाल मे मिले है।
3. भारत मे सती प्रथा के पहले प्रमाण म.प्र.के सागर जिले के एरण नामक स्थान पर मिले है इस अभीलेख की तिथी 510ईस्वी मानी जाती है जिसमे भानुगुंप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है इसी अभिलेख मे भानुगुप्त के गोपराज उनके साथ युद्ध मे लडते हुए वीरगति को प्राप्त हो गये थे जिससे गोपराज कि पत्नी सती हो गई थी इसके कारण इस अभिलेख को एरण का सती प्रथा अभिलेख भी कहते है।
4. वारवोसा नूनिज,सीजर फेडरिक,पियात्रा,देलावाले विदेशी और अन्य यात्रियो ने भी इस प्रथा आखो देखा वर्णन किया है।
5. 1354ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के एक अभिलेख मे मालागोडां चामक महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद सती या सहगमन करके स्वर्गरोहण का उल्लेख है।

भारत मे सती प्रथा– इतिहासकार अनंत सदाशिव अल्टेकर महोदय का मानना है कि भारत मे 700-1100ईस्वी के दौरान कश्मीर मे व्यापक रुप से प्रचलित हो गई इसके पहले यह प्रथा के प्रमाण राजपूतो मे मिलते जो धीरे धीरे रातपूतो मे व्यापक रुप से होने लगे और इस प्रथा का रिवाज हो गया व व्यापक पैमाने पर अपनाने लगे।दक्षिण भारत मे 1000-1400 ईस्वी के अभिलेख मिले है जिससे दक्षिण मे भी इसके प्रमाण मिलते है।

सती प्रथा का आलोचात्मक दृष्टिकोण– सती प्रथा के कारण–सती प्रथा के प्रारंभ मे स्त्री द्वारा अपने आत्म सम्मान की रक्षा हेतु पति के साथ सती होती थी।

1. कई इतिहासकार मानते है कि सती प्रथा स्त्रीया,मुस्लिम आक्रमणकारियो से रक्षा हेतु करती थी क्योकि मुस्लिम आक्रमणकारियो के

कारण यह प्रथा बहुत व्यापक हो गई और स्त्रीया अपने सम्मान हेतु सती होने लगी।

सती प्रथा के प्रकार–सती का ही विशेष रुप है जौहर जिसमे राजपूत स्त्रीया सामूहिक आत्मदाह करती थी और यह प्रथा राजपूत स्त्रीयां मुस्लिम आक्रांताओ से बचने हेतु करती थी।

2. जीवित दफनाना–लिंगाय सम्प्रदाय की विधवाओ को जीवीत दफना दिया जाता था।

सती प्रथा पर रोक– कई इतिहासकार मानते है कि अकबर सती प्रथा के खिलाफ थे और 1582 मे जबरदस्ती सती बनने के खिलाफ अकबर द्वारा एक आदेश जारी किया गया था पर यह भी विवाद का विषय है कि अकबर ने ऐसा आदेश जारी किया था या नही।

1. शेख मोंहम्मद इकराम ने उल्लेख किया है कि औरंगजेब ने 1663 मे एक आदेश जारी किया था कि अधिकारियो को कभी भी मुगल साम्राज्य मे महिलाओ केा जलाने कि अनुमति नही देगा।
2. 1510 मे पुर्तगालियो द्वारा गोवा विजय के बाद यह पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
3. डचो ने चिंनसुराह मे और फ्रेंचो ने सती प्रथा को प्रतिवर्धित किया।
4. भारत मे सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध वृह समाज के संस्थापक राजाराममोहनराय जिन्होने अपनी भाभी को जबरदस्ती सती करते देंखा और इस प्रथा को प्रतिबंधित कराने हेतु प्रयास प्रारंभ किया और गुजरात मे स्वामी नारायण सम्प्रापदाय के संस्थापक सहजानंद सरस्वती ने भी सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई इन्ही सब प्रयासो से भारत के तात्कालिन गर्वनर लार्ड विलियम वेटिक ने 1829 मे ईस्ट इंडिया कम्पनी के नियम के तहत भारत बंगाल सती प्रथा पर प्रतिबंध लगायाइसके साथ ही 1830 मे मद्रास और बाम्वे मे लागू किया गया और 1861 तक सभी रियासतो मे सती प्रथा केा प्रतिबंधित कर दिया गया।
5. स्वंतत्रता के बाद राजस्थान सरकार ने सती रोकथाम अधिनियम 1987 लागू किया जो 1988 मे दा कमिश्नन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के पारित होने के साथ भारत की संसद का भी अधिनियम बन गया और इस प्रथा को गैरकानूनी और अवैध घोषित किया गया।

वर्तमान परिपेक्ष मे– आज भी भारत के कई क्षेत्रो मे स्त्रीयों के सती होने के जानकारी मिलती है वर्तमान मे भी इस प्रथा के प्रतिबंधित व दंडनिय अपराध घोषित होने के बाद भी राजस्थान मे कई सती होने के मामले सामने आते है जिसमे बहु चर्चित रुप कुवर सती कांड भी देख सकते है इसके अलावा भी म.प्र.एवं छत्तीसगढ मे सती के कई मामले देखने केा मिलते है सती प्रथा आज भी देखने केा मिलती है बस इसमे अंतर यह है इसका स्वरुप परिवर्तित हो गया है स्त्रीयो केा जिंदा जलाना भी इसका रुप कह सकते है।

भारतीय समाज मे सती प्रथा स्त्री द्वारा स्वंय से या विवस्ता मे भी की जाती थी इसके प्रमाण है यह प्रारंभ मे बहुत कम मात्रा मे प्रचलित थी धींरे धींरे यह परम्परा बन गयी और स्त्रीयो कि जबरदस्ती हत्या की जाने लगी।

मेरे शोध के मुल्यांकन के पश्चात मेने यह पाया कि सती प्रथा वर्तमान समय मे प्रतिकात्मक रुप म विधमान है भारतीय समाज आज भी इस प्रकार की कुरीतियो का शिकार बना हुआ है जितनी तीव्रता से आधुनिक समाज विकसित हो रहा है उतनी ही तेजी से अपराध व समस्याऐ बड रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. लेनिन– नारी मुक्ति 1972 मास्को प्रगति प्रकाशन।
2. नाई कृष्णलाल–गुजरात एवं राजस्थान मे नारी उत्थान के विशेष संदर्भ मे महात्मा ज्योतिवा फुले एवं अन्य समाज सुधारो की प्रसंगिता कोटा विश्वविद्यालय।
3. चौधरी सुमन–प्राचीन भारत मे महिलाओ की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं अध्ययन ज्योति विधापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर।
4. राजतरंगणि–7/481
5. धर्मशास्त्र का इतिहास पृ.350
6. कर्नल टाड–राजस्थान का इतिहास पृ.124
7. डॉ.धींरेन्द्र–दमोह एवं ऐतिहासिक खोज पृ.121
8. चन्द्रा सतीष–मीडवल इंडिया।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

कोविड-19 प्रकोप के दौर में पत्रकारिता के जागरूकता अभियानों का प्रभाव : एक विवरण

डॉ. चन्दा तलेरा जैन* डॉ. संध्या प्रजापति **

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** एस-1, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षक आवास, खण्डवा रोड, इंदौर-452001 (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' के विचारों से युक्त पत्रकारिता लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक है। वैश्विक परिवेश में पत्रकारिता की व्यवहारिक व व्यवसायिक महत्त्व दोनों ही हैं। डॉ. भँवर सुराणा के विचार से –'पत्रकारिता वह धर्म है जिसका सम्बन्ध पत्रकार के उस कर्म से है जिससे वह तात्कालिक घटनाओं व समस्याओं का सबसे ज्यादा सही और निष्पक्ष वर्णन पाठकों के सामने प्रस्तुत करे और जनमत जाग्रत करने का श्रम भी करे।' पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया आरम्भ से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके नवरूप वर्तमान में माध्यम हैं। इन दिनों पत्रकारिता में सबसे अधिक कोविड-19 के बारे में लिखा जा रहा है, जन-जन आज भी इस समाचार का इंतजार करते हैं।

कोविड-19 – कोविड-19 (COVID-19) का पूरा नाम कोरोना वायरस डिसीज-2019 है। W.H.O. ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। इस महामारी ने सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका, यूरोप, भारत आदि देशों में लाखों की संख्या में लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस महामारी का आरम्भ चाइना के वुहान प्रान्त से हुआ है। इसी देश में माह दिसम्बर 2019 में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई और माह जनवरी 2020 में पहले संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई थी। भारत में सबसे पहले केरल में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई और इसी बीमारी से पहले मरीज की मृत्यु बेंगलूरू में हुई। आरम्भ में संक्रमण व मौत का सिलसिला अधिक था, आज कम जरूर हुआ है परन्तु थमा नहीं है। 15 अगस्त 2021 समाचार पत्र का एक मुख्य शीर्षक 'ईरान में सबसे बड़ी लहर, हर दो मिनट में हो रही एक मौत।'

महामारी– महामारी का कारण वायरस और बैक्टीरिया है। इनके कारण कई बार लोगों को महामारी के प्रकोप से जूझना पड़ा है। सन् 1918 में वाइरस के कारण 'स्पेनिश फ्लू' से स्पेन में करोड़ों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ गयी थी। यह संक्रमित बीमारी सैन्य प्रशिक्षण शिविर की गन्दगी की वजह से फैली थी, वायरस से होने वाली अब तक की सबसे घातक बीमारी थी। अमेरिका व यूरोपीय देशों ने कई बार महामारी का प्रकोप झेले हैं।

सन् 1641 में चीन मे मिंग राजवंशी के काल में 'प्लेग महामारी' से 20.40% आबादी कम हो गई थी। इस बार फिर चीन से कोरोना वायरस आया है। आवागमन के साधन सुलभ होने से यह वायरस संक्रमित बीमारी के रूप में धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैल चुकी है। इस महामारी से जन और धन दोनों का ही बहुत नुकसान हुआ है।

कोरोना वायरस– वायरस अतिसूक्ष्म जीव है। इसका शाब्दिक अर्थ **विष** होता है, ये क्रिस्टलीय अवस्था में अनेक आकार में होते हैं। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। वायरस सैकड़ों वर्षों तक सुसुप्त अवस्था में रहते हैं पर जैसे ही जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं उनको भेद कर उनके जैनेटिक R.N.A. व D.N.A. को अपने जेनेटिक में बदल करके पुनरूत्पादन शुरू कर देते हैं और फिर व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ये पादप और जन्तुओं में भी घातक गम्भीर बीमारी फैलाते हैं। हाल ही में एक नया वायरस मिला जिसे 'कोरोना वायरस' नाम दिया गया है।

कोरोना वायरस एक निर्जीव कण है, यह कोई जीवित चीज नहीं है परन्तु सजीव वस्तु अर्थात् व्यक्ति के संपर्क में आने पर सजीव हो जाता है। वायरस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जिसे 'केप्सिड' कहते हैं से मिलकर बना होता है परन्तु इस वायरस में फैट की सुरक्षा परत चढ़ी रहती है, जो उसे सुरक्षा देती है, वैसे यह वायरस अन्य की अपेक्षा बहुत है।

कोरोना वायरस के लक्षण व उपाय – बीमारी को उसके लक्षणों से पहचाना जाता है। प्रत्येक बीमारी के उसके अपने लक्षण होते हैं जो दूसरों से भिन्न होते हैं। इसी आधार पर ही इनका इलाज होता है। कोरोना वायरस के भी लक्षण हैं – तेज बुखार, छीकें आना, सॉस लेने में परेशानी होना है, यह पहले गले को संक्रमित करते है बाद में फेफड़े को निष्क्रिय कर देते हैं। मानव शरीर में चौदह दिनों तक इसका प्रभाव बहुत प्रभावी होता है। इसका सही इलाज तो बचाव, सावधानी, सर्तकता व उचित खान-पान ही है। ये अतिशीघ्र संक्रमण फैलाते हैं। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति लगभग 400 से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है।

जैसा कि जानते हैं कि कोरोना वायरस निर्जीव कण है, उस पर जो फैट का आवरण होता है, इसलिए वो अन्य जीवों की भांति मरता नहीं है अपितु कण-कण होकर नष्ट होता है, इसकी विशेषता यह भी है कि हवा में मात्र तीन घण्टे तक रह सकने की ही क्षमता होती है, बाद में स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

यदि इसे जल्द नष्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर चढ़ी फैट की परत को नष्ट करने से वह खत्म हो जायेगा। 'ऐसा करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट लगाकर हाथों को रगड़ने से उसकी सुरक्षा परत फट जाती है और ये नष्ट हो जाता है, इसलिए अपने शरीर के खुले अंगों को बार-बार साबुन व पानी से धोना चाहिए, खास तौर से उस वक्त जब आप बाहर से घर में आए हों।' सेनीटाइजर भी कोरोना वायरस की सुरक्षा परत को तोड़ देती है परन्तु इसमें एल्कोहल की मात्रा 65-70 पर्सेंट तक होनी चाहिए, तभी सुरक्षा-परत को

आसानी से पिघला सकती है।

दूसरा उपाय कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए ये हो सकता है कि उसे तीन घण्टे तक कोई सजीव कोशिका नहीं मिले तो वैसे ही कण-कण होकर नष्ट हो जायेगा, इसलिए एक व्यक्ति को दूसरे से कम-से-कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना आवश्य चाहिए। ये भी आवश्यक है कि मुंह, नाक सही तरीके से ढके हो ताकि वायरस अंदर ना जाए। इन सब सावधानियों के साथ उन माध्यमों पर ध्यान देना आवश्यक है जिसके कारण वायरस का संक्रमण फैल सकता है। खाने की वस्तुओं से लेकर दैनिक चीजों की जरूरतों का प्रयोग करते समय सावधानी रखने से संक्रमित होने से बचा जा सकता है।

इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों को जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। पत्रकारिता के सभी माध्यमों ने कोरोना वायरस से संबंधित समस्त जानकारी को विश्वस्तर से लेकर अपने देशस्तर तक की खबर को जन-जन तक पहुंचा कर जन जागृति लाने का कार्य किये हैं।

प्रिन्ट मीडिया अभियान – प्रिन्ट मीडिया में कोविड- 19 के बारे में आरम्भ से लेकर आज तक की कहानी को लिखा गया है। चौकाने वाले आंकड़ों से सावधान किया और भविष्य में होने वाली हानि को भी सबके सामने लाये हैं। इसमें समय-समय पर कोविड- 19 के विषय में विशेषज्ञों के आलेख भी प्रकाशित किये हैं। आलेख शीर्षक में- 'कोरोना कही कोई बड़ी गलती तो नही है।' 'लापरवाही की स्थिति कहीं नियंत्रण से बाहर न हो जाए।' इसमें ये भी कहा गया कि सावधानी रखें पर 'कोरोना से डरने की नहीं अपितु अब कोरोना के साथ कदम ताल' मिलाकर चलें। जन-जन में कोरोना से लड़ने का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि 'आम जन-जीवन के साथ बीमारियाँ भी तो आएगी।'

उनका मानना है कि कोरोना के विरूद्ध जंग जीतने के लिए सबको साथ मिलकर अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, जिन पर प्रतिबन्ध हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। मन से कोरोना का भय हटाकर केवल उपाय ही करना है।

'जहाँ मन भयमुक्त हो..................जहाँ मेरा देश जागृत है।'

इसमें आस-पास के पर्यावरण के विषय में सोचने पर जोर दिया गया है। उनका मानना है कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संतुलन बिगड़ा है, उसी के कारण महामारी और कई संकट आते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार 'अमेरिका, चीन, इटली हो या भारत जहां वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा वहाँ कोरोना का असर भी सबसे घातक' है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान- इलेक्ट्रानिक मीडिया ने कोविड- 19 से जुड़े समस्त जानकारी को घर-घर तक जन-जन तक पहुंचाया है। इसके लिए श्लोगन, केम्पियन, टेलीफिल्म का निर्माण किया गया ताकि सभी वर्ग के लोग शिक्षित, अशिक्षित व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। इसमें सार्थक, भावार्थ शब्दों का प्रयोग करके कोरोना से सुरक्षित, सावधान रहने को कहा गया है।

श्लोगन 'घर में रहें सुरक्षित रहें' को घर-घर तक पहुंचाया है। 'हम घर के अंदर तो कोरोना बाहर'। 'कोरोना से डरो न लेकिन बचकर रहें दूरी बनाकर रहें।' 'बदलकर अपना व्यवहार, करना है कोरोना पर वार' आदि महत्वपूर्ण श्लोगन हैं।

इसी तरह 20 सेकेण्ड तक हाथ को साफ करने के तरीके, फेस मास्क का उपयोग, सेनेटाइजर का प्रयोग, सोशल डिस्टेसिंग के फायदे आदि पर केम्पियन व टेलीफिल्म बनाकर कोरोना के विरूद्ध रक्षाकवच का उपाय बताया गया। उनके विचारों से अभी यतूफानों के हालात है इसलिए धैर्य, आत्मसंयम से रहे, तूफानों को तो थमना ही है'। कोरोना के सम्बन्ध में आज एक महत्त्वपूर्ण मंत्र को 'जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं' को नगर, गॉव तक पहुंचा रहे हैं।

इस तरह से पत्रकारिता के विभिन्न माध्यमों ने कोविड- 19 महामारी को गम्भीरता से लिया है, जिसका गैर जिम्मेदाराना रवैया था उस पर सख्त एतराज जताया।

जागरूकता अभियान का प्रभाव- कोविड- 19 के दौर में पत्रकारिता के जागरूकता अभियान का सकारात्मक प्रभाव अधिक दिखाई दिया है। पूरा देश इस कोरोना की लड़ाई में एकजुट हो गया है, सिर्फ एक ही आवाज 'देश जीतेगा कोरोना से हर हाल में'। शासन ने कोविड- 19 महामारी को गम्भीरता से लिया। इससे निपटने के लिए नीति-नियम बनाये गए, कोविड सेन्टर बनाये गए, जहां पर अधिक से अधिक कोविड मरीजों का इलाज हो सके।

डॉक्टरों ने महामारी की आशंका से लोगों की जान बचाने के लिए पूरे शिद्दत से काम में लग गये। इनके कार्यो को खूब सराहना मिली, इसलिए अब इनके सम्मान में 1 जूलाई को **'डॉक्टर्स डे'** मनाते हैं। पुलिस कर्मियों का भी योगदान सराहनीय रहा है। सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें के नियम को सख्ती से पालन करवाया गया क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन से ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता था। उन्होंने कोरोना संकट को श्लोगन, नाटकीय अंदाज में, गायन के माध्यम से जन-जन तक संदेश दिया ताकि महामारी के प्रकोप से बचा जा सके। जन जागरूकता का ही परिणाम था कि आम जनों ने भी धैर्य व संयम दिखाये। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए प्राथमिक उपचार सेनेटाइजर व साबुन का प्रयोग, फेस मास्क का इस्तेमाल आदि का अधिक उपयोग किये, सोशल डिस्टेसिंग का पालन किये, घर में कैदी की तरह रहे।

राज्य सरकारों ने कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए अपने-अपने तरीके अपनाये हैं। उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य की सुरक्षा हेतु सामूहिक गीत 'वन्दे उत्कल जननी' के माध्यम से जन जागृति लाकर अपने राज्य को कोरोना वायरस मुक्त बनाने का प्रयास किया। कर्नाटक राज्य ने भी सतर्कता उस समय दिखाई जिस समय समाचार पत्रों में कोरोना से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। कोरोना को खत्म करने के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट का फार्मूला तुरन्त अपनाकर राज्य को कोरोना वायरस से मुक्त करने की कोशिश किया। पत्रकारिता की देन थी जिसमें केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें भी कोरोना महामारी के विरूद्ध सचेत हुये।

लॉकडाउन 'मानो जिसने वक्त को रोके रखा हो, सारी गलियों को ही सूना कर दिया, नींद खुलने पर डर-भय बना ही रहता था। ऐसे वक्त में लोगों ने संयम अवश्य दिखाये परन्तु इसके कारण रोजगार पर संकट आ गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गये। प्रवासी मजदूरों की अपनी कई समस्याएं थीं। पत्रकारों ने सरकार का इस ओर ध्यान केन्द्रित किया, परिणामस्वरूप सारे देश में अनलॉक की प्रक्रिया को चालू किया गया। लोगों की सामान्य सी दिनचर्या हो गयी। उस समय इतना अवश्य था कि कोरोना के मरीजों की संख्या थी, परन्तु मृत्यु दर 1.84 प्रतिशत तक सीमित हो गयी, क्योंकि अब तक लोगों में कोरोना वायरस के प्रति समझदारी, जागरूकता आ चुकी थी। लोगों ने उपायों के साथ खान-पान पर भी विशेष ध्यान दिये। जन-जन इस महामारी को जंग के समान देखते हैं, क्योंकि इसे सबके सहयोग से ही

जीता जा सकता है।'

पत्रकारिता के विभिन्न माध्यमों ने कोविड-19 महामारी के विरूद्ध संघर्ष को आसान कर दिया है, आसान रास्ते अपनाकर कोविड से बचा जा सकता है। सेवा, सहयोग व सम्मान की भावना को जगाया। संकट के समय पूरे देश को एक मंच पर लाया है, साथ ही वैश्विक स्तर से दूरी बनाये रखने को कहा। कोविड-19 के कारण जो आर्थिक परेशानी आई है उसको दूर करने के रास्ते दिखायें। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर योजना को अपनाने पर जोर दिया। अपने गांव, शहर में ही रोजगार के अवसर ढूढ़ने से प्रवासी होने के दर्द से बचा जा सकता है। इस प्रकार से कोविड-19 काल में पत्रकारिता के जन जागृति का ही परिणाम है कि आज विभिन्न तरीकों से कोरोना के जंग को लगभग जीत चुके है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पत्रकारिता का इतिहास - एन सी पंत, तेज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2. दैनिक भास्कर इंदौर, रविवार 15 अगस्त, 2021
3. दोपहर मेट्रो द्वारा जनहित में जारी - 2020
4. दैनिक भास्कर, इन्दौर - 05 जून 2020
5. दैनिक भास्कर, इन्दौर - 07 जून 2020

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

आभिजात्यवाद: कुलीनता नही शालीनता का सूचक

डॉ. डी. पी. चन्द्रवंशी *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शास. जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – यूनान में पेरिक्लेस का युग को आभिजात्यवाद का प्रथम माना जाता है। आभिजात्यवाद के सिद्धांतकार अरस्तू को माना जाता है। सिसरों और वर्जिल का समय आभिजात्यवाद के दूसरे युग के तौर पर जाना जाता है। यह रोम साहित्य का आभिजात्यवादी युग है। सत्रहवीं सदी का उत्तरार्द्ध फ्रांस के सेंट लुईस का युग जिसका प्रतिनिधि साहित्यकार कार्नेई और रासीन थे तथा इंग्लैण्ड के पोप, ऐडिसन व जॉनसन जैस लेखक आभिजात्यवाद के तीसरे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आभिजात्यवाद का तीन युग देखने को मिलता है। परवर्ती काल में 'नव आभिजात्यवाद' अथवा 'नव्यशास्त्रवाद' का संबंध भी 'आभिजात्यवाद' से है। मूलत, आभिजात्यवाद के प्रथम दो युग प्राचीन युग ही है, किन्तु आभिजात्यवाद का तीसरा युग 17वीं, 18वीं सदी का है जो नव्यशास्त्रवाद या नव आभिजात्यवाद की ओर पथ्यगमन करता है।

प्रस्तावना – हिन्दी में शास्त्रवाद और श्रेव्यवाद से अभिहित अभिजात से संबद्ध आभिजात्य अंग्रेजी साहित्य के 'क्लासिज्म' (Classicm) का पर्याय है। हिन्दी साहित्य जगत में आभिजात्यवाद से अभिहित 'अभिजात' का अर्थ – कुलीन, शिष्ट, विनम्र, श्रेष्ठ, अच्छा, मधुर, योग्य, विनम्र, विद्वान, उत्तम, पंडित, उचित अनुकूल, चातुर्य से लगाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि आभिजात्यवाद सभी तरह से एक लक्ष्य धारित आदर्श को प्रतीक रखकर लिखा गया हो। आभिजात्य से तात्पर्य यह समझना चाहिए कि यह अच्छी भाषा, अच्छी शैली में अच्छा साहित्यकार द्वारा रचित रचना है। अच्छा से आशय समान का मार्गदर्शक पथगामी, कालजयी रचानाओं से है। अच्छा साहित्यकार से आशय प्रतिष्ठित सम्मानित साहित्यकार जो अपनी शैली प्रवणता के कारण समाज में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किये जाते है।

पाश्चात्य साहित्य में स्वच्छन्दतावाद् का तीव्रगामी स्वरूप जनमानस में व्याप्त हो रहा था तभी उसके विरोध के स्वर में एक परिवर्तित विचार धारा आभिजात्यवाद का पदार्पण हुआ। आभिजात्य साहित्यकार उन्हें इंगित किया गया जो किसी भी भाषा में आदर्श माने जाते है। विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि जो साहित्यिक कृति सृजनशीलता और शैलीगत कारणों से आदर्श हो उसी को साहित्य जगत में आभिजात्य साहित्य कहा जा सकता है। निश्चित नियमों के नियंत्रण में बंधे हुए साहित्य सृजन करना आभिजात्य साहित्य के अभिलक्षण माने गये। किन्तु कोई ऐसा सार्वभौमिक, सार्वकालिक कोई सिद्धांत नहीं है जिसे आभिजात्यवाद की परिपाटी में बांधा जा सके। परिणामस्वरूप आभिजात्यवादी साहित्य में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हावी होने लगी और आदर्श के नाम पर अलग-अलग वैयक्तिक मत व्यक्त किये जाने लगे।

- **आभिजात्यवाद पर विद्वानों के विचार**

सेन्ट व्याय – समन्वयवादी विचारक स्वच्छन्दतावादी समीक्षक सेंट व्याय आभिजात्यवाद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि – वह एक ऐसी साहित्यिक धारा के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें मानव-मन को सुसंकृत किया हो, जिसने मनुष्य के ज्ञान भंडार को सुसंस्कृत किया हो, जिसने मनुष्य के ज्ञान भण्डार को सम्पन्न किया हो, जिसने उसका एक पग अग्रसर किया हो और जिसने निर्भ्रान्त सत्य का अन्वेषण किया हो। सेन्ट व्याय ने आभिजात्य रचना के लिए मनीषा, संयम, विवेक और एकरूपता को अनिवार्य माना है। उनके अनुसार आभिजात्यवादी साहित्यकार में उदारता, शीलनता, संयम विवेक और साहित्यकार अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए।

- **मेरी जोजफ शेनिए –** आपका कहना है कि आभिजात्य साहित्यकार के लिए विवेक अथवा सद्वृत्ति अनिवार्य है। यह उसका मूल गुण है। यदि साहित्यकार में ये गुण विद्यमान रहते है तो गुण:– प्रतिभा, सुरूचि, मेधा अन्त: शक्ति और साधुता स्वमेव विकसित हो जाते हैं।

ब्यूफो – अपनी पुस्तक 'डिस्कोर्स आन स्टाइल' में आभिजात्य साहित्य पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि उसमें कल्पना, अंग विन्यास तथा प्रतिपादन के मध्य अन्विति अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। ये विशेषताएँ आभिजात्य शैली के लक्षण है। उनका मानना था कि कोई विषय चाहे कितना भी व्यापक क्यों न हो परन्तु उसको एक प्रबन्ध में समाहित करना चाहिए। यदि उसमें एकाधिक विभाग कर दिया जाए तो कृति के अंगों में एकता और अन्विति नही आ सकेगी। ब्यूफो के इस मत से सेंट व्याय भी सहमत थे उन्होंने यह भी कहा कि संपूर्ण विषय को एक अविछिन्न धारा में विवेचित रहना चाहिए।

सेंट व्याय ने आभिजात्य की चर्चा करते हुए कहा कि इसके संबंध में कोई धारणा बनाने के पूर्व विमर्शकर्ता को विश्व भ्रमण कर विभिन्न स्थानों के साहित्यों की अच्छाईयों से पूर्णत: भिज्ञ हो जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि 'पोप के समय शेक्सपियर को आभिजात्य साहित्यकार नहीं कहा गया था परन्तु अब न केवल इंग्लैण्ड में ही वरन् पूरे विश्व में उनको आभिजात्य साहित्यकार के रूप में स्वीकारा व पुकारा जाता है।

अत: निष्कर्षत: कह सकते है कि ऐसा कोई सार्वभौमिक निश्चित नियम या नुस्खा नहीं है जिसे आधार मानकर यह कहा जा सके कि फला व्यक्ति आभिजात्यवादी कहलाएगा। कहीं-कहीं शैली प्रांजलता विचार-वर्णन का अन्विति, भाषा शुद्धता, भाव उदत्तता और संयम-विवेक की हाजिरदारी भी

किसी रचना और रचनाकार को आभिजात्य नहीं बनाता है। इसका आशय यह है कि आभिजात्य कृति में उक्त गुणों के अलावा शैलीगत उदात्तता और प्रौढ़ विचारों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। डॉ. शांति स्वरूप गुप्त ने स्पष्ट किया है कि 'आभिजात्य कृति तो वही होगी जिसमें हमारे प्रौढ़ विचारों को प्रतिबिम्बित किया गया हो, जो हमें कभी निराश न करे, जो हमारी शांति और सभ्यता की संवेदना की आकांक्षा को पूर्ण करे, जो हमें समस्त विश्व से एकाकार कर दे तथा जिसकी शैली भी गरिमा-मंडित हो।'

आभिजात्यवादी साहित्य मुख्यत: उस वृद्धिजीवी की सृष्टि है जो जीवन के ऊपरी धरातल पर विचरण करते है। जहाँ भावना और कल्पना की अपूर्णता स्पष्ट दृष्टिगोचर होते है। आभिजात्यवादी साहित्य नागर साहित्य है जो शिष्ट व्यक्तियों तक सीमित है जिसमें सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। उसमें प्रकृति, ग्राम्य जीवन, सामान्य जनता के रीति-रिवाज, प्रथा, परम्परा का अभाव सहसूस होता है। पर पूर्णत: आभिजात्यवादी साहित्य उपरोक्त बातों का खण्डन करता है। 15वीं-16वीं सदी में यूनान और रोम के साहित्य में कुछ आंशिक सत्यता पर पूरवर्ती साहित्य में ऐसी कोई बात नहीं है। आभिजात्य वादी साहित्य का तात्पर्य वास्तव में प्रतिष्ठित और सम्मानित साहित्य से है जो अपनी शैली विशिष्ठता के कारण प्रमाण के रूप में स्वीकारा जाता है। यथा-आँग्ल कवि मिल्टन तथा उनके द्वारा रचित पैराडाइज्ड लास्ट को लिया जा सकता है। महाकवि इलियट भी इसी श्रेणी में गिने जा सकते है। ह्यूम के अनुसार 'कल्पना की ऊँची से ऊँची उड़ानों में भी कुछ बंधन, कुछ संयम रहता है। आभिजात्यवादी कवि मनुष्य की इस समीपता को, उसकी इस सीमा को कभी भूलता नहीं है। वह जानता है कि धरती से उसका अट्ट नाता है।' तात्पर्य यह है कि आभिजात्यवादी रचनाकार की दृष्टि में उसके आत्म की तुलना में इद्म का महत्व कही अधिक होता है। जिसमें चारों ओर के जीवन और जगत के साथ परंपरा और विरासत की शामिल होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्त, डॉ. शांति स्वरूप, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत पृष्ठ 155
2. व्यूफो, डिस्कोर्स आन स्टाइल।
3. त्रिपाठी, डॉ. गंगाचरण, समीक्षा के प्रतिमान।
4. शर्मा, देवेन्द्रनाथ, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

निराला का काव्य जीवन: एक दृष्टि

डॉ. राजाराम परते *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, परसवाडा, बालाघाट (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – निराला का साहित्यिक जीवन 1920 के आस-पास प्रारंभ होता है। काव्य जीवन के आरंभ से ही उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ा, जो आजीवन चलता रहा। उनका सम्पूर्ण काव्य, जीवन मूल्यों का काव्य है, जिसमें गालिब की ज़िन्दगी की तरह एक खास उदात्त भाव और करूणा को ऐसे अनुभवों में बदल दिया, जिससे कोई भी व्यक्ति अपना निजी रिश्ता महसूस कर सकता है। निराला की काव्य वेदना उनके जीवन के परिवेश से संघर्ष की प्रक्रिया में उपजी थी। वे आजीवन संघर्षरत रहे, जिसकी अनुगूंज काव्य में मृत्यु पर्यंत सुनाई पड़ती है। जिस निराला ने जूही की कली के साथ 'केलि' से काव्य आरंभ किया था,आगे चलकर 35 तक आते-आते तुलसीदास की भांति रत्नावली से मुक्त होकर देशकाल की चिंता करने निकल पड़े। जो पहले 'यमुना के प्रति' अधिक स्वप्नशील थे , वही 'वनबेला' में देश और समाज के पिस्सुओं की चिंता करने लगे।'जागो फिर एक बार' में सांस्कृतिक परम्परा की दुहाई देकर आत्म गौरव का भाव जगाते हुए ललकार कर कहते हैं –

'शेरों की मांद में
आया है आज स्यार
जागो फिर एक बार।'

सन् 24 की 'रेखा' में जिन्होंने बड़ी उमंग के साथ लिखा था कि :-

'प्रथम जीवन में
जीवन ही मिला मुझे, चारों ओर।'

उन्हीं को मरण दृश्य भी आगे चलकर देखना पड़ा। जिनके लिए कभी संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि ही 'मनोरमा' थी तथा उसी में दिन-रात डूबे रहते थे , उन्हीं को फिर 'सरोज' की स्मृति में आंसुओं से तर्पण करना पड़ा। विप्लव के स्वर में 'बादल राग' गाने वाले को बड़ी व्यथा के साथ कहना पड़ा –

'दुख ही जीवन की कथा रही
क्या कहूं आज जो नहीं कही।'

सौंदर्य के उपासक को 'राम की शक्ति पूजा' का विधान करना पड़ा। जो कभी आकाश की चांदनी को ही सब कुछ समझते थे, उन्हें अब धरती का यनर्गिस' श्रेष्ठ प्रतीत होने लगी। प्रकृति-प्रेम और निजी प्रणय की सीमा से निकलकर वे जीवन संघर्ष में आये और उसमें लड़ते हुए उन्होंने अनेक अनुभवों को काव्य का रूप दिया।

शब्द कुंजी – अतिशय, आदर्शवादिता, अक्खड़, उदात्त, समाभ्यस्त, परिलक्षित ,प्रेमोत्थान, प्रवर्तक।

प्रस्तावना – पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्‌भुत प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। गद्य और पद्य में समाभ्यस्त कवि ने कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। द्विवेदी युगीन अतिशय आदर्शवादिता के विरुद्ध शंखनाद करने वाले तथा काव्य क्षेत्र में पुरानी परंपरा को तोड़ने वाले सर्वप्रथम कवि थे। अपने अक्खड़ स्वभाव और क्रांतिकारी विचारधारा के चलते निराला ने जो मार्ग प्रशस्त किया आगे चलकर छायावाद का आधार बनी। छायावादी काव्यधारा के वे मजबूत आधार स्तंभ हैं। निराला का काव्य जीवन संघर्षो से परिपूर्ण रहा। आरंभ काल से ही निराला को प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। लीक से हटकर काव्य रचना करने के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा। उनकी प्रारंभिक रचना 'जूही की कली' को तत्कालीन संपादकों ने यह कहकर छापने से मना कर दिया कि ऐसी रचना काव्यशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। हिंदी साहित्य के वाड्‌गमय में निराला एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आजीवन संघर्ष करते रहे किंतु अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। इसकी झलक कविताओं में गंभीरता के साथ परिलक्षित होते हैं। निराला छायावादी कवि हैं। हिंदी साहित्य में यह काव्य धारा प्रेमोत्थान की है जो साहित्य जगत में लगभग 20 वर्षों तक वर्तमान रही।

निराला का काव्य जीवन के प्रथम चरण (1916-1927) में 'परिमल' की रचना होती है। परिमल में भावावेग की प्रबलता मिलती है। द्वितीय चरण (1928-1935) में गीतिका और अनामिका के कुछ गीतों की रचना होती है। इन रचनाओं में भावपक्ष और कलापक्ष का संतुलन दृष्टिगोचर होता है साथ ही संगीत का विन्यास भी देखने मिलता है।तृतीय चरण (1936-1942) अनामिका और तुलसीदास जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं का काल है। औदात्य की भावभूमि पर रचित ये रचनायें हिन्दी की अनमोल धारोहर हैं। आधयात्म के साथ-साथ इस काल में कुछ हास्य-व्यंग की रचनायें भी हैं।कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला और नये पत्ते चतुर्थ चरण (1942-

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

1950) की रचनायें हैं। इस काल की सभी रचनायें प्रयोगवादी हैं। पंचम और अंतिम चरण(1950-अंत तक) में अर्चना, आराधना, गीतगुंज और कविश्री की रचना होती है। इस काल में कविरूप की अपेक्षा मानवीय रूप अधिक दिखाई पड़ता है।

विषयवस्तु- 1916 से 1927 तक की साहित्य साधना परिमल में संचित है। यद्यपि छंदों के क्षेत्र में परिमल को अद्वितीय रचना माना गया है, तथापि अभी तक चली आती हुई समूची हिंदी काव्य परंपरा से नितांत पृथक स्वरूप धारण करने वाली प्रतिनिधि रचना परिमल है। परिमल के रचना काल में कवि युवा है, जिसके पास असीम उत्साह, आत्मविश्वास, कर्म पर आस्था, विद्रोह का स्वर, जिज्ञासा और कौतुहल, औदात्य और व्यापक जीवन दृष्टि होती है। तभी कवि आत्मविश्वास के स्वर में गाता है-

'अभी न होगा मेरा अंत
अभी- अभी ही तो आया है
मेरे मन में मृदुल बसंत।'

युवावस्था में कवि उत्साहित है। उत्साह रूपी नदी के उद्दाम आवेग को अपने भीतर अनुभूत कर रहा है जिसे वह मस्ती के रूप में गाता है -

'बहने दो
रोक टोक से कभी नहीं रुकती है
यौवन मद की बाढ़ नदी की
किसे देख झुकती है ? '

यौवन काल में जब व्यक्तिगत जीवन में समुचित सम्मान, प्रेम और विश्वास पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं तो मन विद्रोही हो जाता है। यह विद्रोह यथार्थ के प्रति असंतोष और हृदय के भीतर पनपते हुए आक्रोश को अभिव्यक्ति देने के लिये विचलित होने लगता है -

'वज्र घोष से ए प्रचण्ड
आतंक जमाने वाले
ऐन व्यथा पाने वाले
भय के मायामय आंगन पर
गरजो विप्लव के नव जल धार।'

परिमल का कवि शोषण और अत्याचार का प्रतिकार करता है।प्रताड़ित जनता में नवजागृति का स्वर फूंकता है। इसलिए अपने भीतर के आवेग को निम्न पंक्तियों में व्यक्त कर देता है -

'पड़े हुए सहते हो अत्याचार
पद -पद पर सदियों के पाद प्रहार
बदले में, पद में कोमलता लाते
किंतु हाय! तुम्हें वे नीच ही है कह जाते।'

सामाजिक जीवन में कवि जब विद्रोह के परिणाम नहीं देख पाता तब उसका मन नैराश्य से भर उठता है।उसकी वाणी में अवसाद ध्वनित होने लगता है। भिक्षुक कविता में भिक्षुक का चित्र खींचते हुए समाज की स्थिति का भी मूल्यांकन करता है -

'वह आता
दो टूक कलेजे के करता
पछताता पथ पर चलता
पेट-पीठ दोनों मिलकर एक
चल रहा लकुटिया टेक
मुट्ठी भर दाने को।'

किंतु तरुण प्रेम की भावना भी परिमल के कवि में अपने संपूर्ण आवेग के साथ मिलती है।'जूही की कली' और 'संध्या सुन्दरी' जैसी कविताओं के माध्यम से युवकोचित भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है-

'नायक ने चूमे कपोल
डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल
इस पर भी जागी नहीं
चूक क्षमा मांगी नहीं
निद्रालस्य बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही
निर्दय उस नायक ने
निपट निठुराई की
कि झोंकों की झड़ियों से
सुन्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली
मसल दिये गौर कपोल गोल।'

प्रथम चरण ही कवि के जीवन का स्वर्णकाल था। कवि और काव्य दोनों के लिए।

1928 से 1835 काव्य के दूसरे चरण में गीतिका और अनामिका के कुछ गीत आते हैं। इस समय कवि व्यक्तिगत जीवन में अभावों को भोग रहा था। परिमल में कवि के हृदय में जो विद्रोह के स्वर उठे थे वह गीतिका तक पहुंचते-पहुंचते संयत और मर्यादित होने लगे थे। विराट सत्ता के प्रति कौतूहल और जिज्ञासा उसके मन में अनेक रूपा होकर जन्म लेते थे। जीवन के कटु यथार्थ से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर के शरण में जाने का प्रयास करने लगता है -

'कौन तम के पार ? (रे कह)
अखिल पल के स्रोत जल जग
गगन घन-घन धार (रे कह)'

गीतिका के कई स्थानों पर जाने अनजाने में व्यक्तिगत वेदना व्यक्त हो गई है -

'मुझे स्नेह क्या मिलना सकेगा ?
स्तब्ध दग्ध मेरे मन का तरू
क्या करूणाकर खिल ना सकेगा ?'

कवि के भीतर का यह भावुक आवेग शोक और पीड़ा का स्वर सरोज स्मृति और वनबेला में और भी अधिक मुखरित हुए हैं।

निराला के काव्य जीवन का तृतीय चरण 1936 से 1942 के मध्य अनामिका और तुलसीदास के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यहां तक आते-आते कवि के जीवन में काफी उतार-चढाव दिखाई पड़ते हैं। पुत्री सरोज की मृत्यु इसका सबसे बड़ा कारण है। यह सत्य है कि तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी कवितायें कवि ने की है किंतु इन कविताओं का मूल स्वर कवि के विद्रोही मन के स्वर से शिथिल हुए हैं। एक और इसमें आदर्शात्मक परिदृश्य है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत वेदनाओं को रेखांकित करने वाले स्वर। परिमल का कवि जिस आत्मविश्वास के साथ कहता है-

'भले और बुरे की
ताके निंदा यश कथा की
नहीं परवाह मुझे।'

वही कवि अब नैराश्य की चरम स्थिति पर पहुंचकर कह उठता है-

'धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध
धिक साधान जिसके लिए सदा ही किया शोध।'

अवसाद का यह स्वर जब मुखरित होता है तो असहाय पिता का मूक क्रंदन इन शब्दों में अभिव्यक्ति पाता है –

'धन्ये मैं पिता निरर्थक था
कुछ भी तेरे हित न कर सका।'

इसमें कवि की व्यक्तिगत वेदना, असमर्थता, असहायता, अवसाद के पल व्यक्त हुए हैं। इस चरण में कवि अंतर्मुखी तो हो ही जाता है किंतु उसके साथ ही यथार्थ द्रष्टा बनकर व्यक्तिगत वेदना की अनुभूति को भी मुखरित करने में समर्थ हो सका है।

1942 से 1950 चौथे चरण में कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला और अपरा, नए पत्ते आदि की गणना की जाती है। इस समय कवि की आयु में वृद्धि होती है, ऐसी स्थिति में वह भले ही अदम्य साहस के साथ जीवन के कटु यथार्थ का सामना करते रहें किंतु तटस्थता की भावना आने लगती है।कवि के जीवन में निरन्तर दैविक, दैहिक,भौतिक प्रहार होते रहे और उन्हें सहते–सहते उनकी धारणाएं और विश्वास भी डगमगाने लगे। गंभीर चिंतन के स्थान पर व्यंग के स्वरों से कुकुरमुत्ता का सृजन किया जिसमें हास्य–व्यंग के छींटे भी परिलक्षित होते हैं–

'मुझमें मूंछे, मुझमें कल्ला
मेरे लल्लू मेरे लल्ला
कहे रूपय्या या अधन्ना
हो बनारस या न्वेन्या।'

कुकुरमुत्ता के हास्य और व्यंग में सामाजिकता जुड़ी हुई है। बाद की रचनाओं में इस प्रकार के हास्य व्यंग के स्थल पर समाज निरपेक्ष हो जाता है। कवि मूलतः सामाजिक विद्रूपता ओं का पर्दाफाश करता हुआ व्यक्तिगत जीवन में पराजय को जीता हुआ अपने भीतर के स्वर को मुखरित करता है –

'दुख ही जीवन की कथा रही
क्या कहूं आज जो नहीं कही।'

1950 से मृत्यु पर्यंत निराला के काव्य जीवन का अंतिम चरण है। इस चरण में कवि पूर्णतः अंतर्मुखी हो जाता है। ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए प्रार्थना करता है– 'वर दे वीणा वादिनी वर दे य और यदे मैं वरण करूं' जैसे गीतों को गाने लगता है। अर्चना, आराधना, गीतगुंज और कवि श्री इस चरण की रचनायें हैं। अब निराला की व्यक्तिगत चेतना का विघटन होने लगता है। इस दशक की रचनाओं के सृजन का श्रेय उनके प्रबल संस्कारों और प्रतिभा को ही दिया जा सकता है। अब लंबी रचनाओं की रचना करने की एकाग्रता समाप्त हो गई। छोटी–छोटी रचनाएं मिलने लगती हैं। समाज की अधोगति से दुखी होकर कवि का मूल स्वर विराट सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित करने लगता है और अंत में हार कर स्वीकार लेता है–

'हार गया जीवन
छोड़ गये साथीजन
एकाकी नैराश्य क्षण
कण्टक पथ विगत पाथ।'

इस प्रकार विश्रांति काल में भी कवि के मन की वेदना कविता के माध्यम से फूट पड़ती है और तब वह जो कुछ लिखता है उसमें उसकी असहायता, निराशा, अवसाद, कुछ न कर पाने की पीड़ा, समाज के प्रति अकर्मण्यता का दोष, उसकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति बन जाती है। एक प्रकार से कवि के काव्य जीवन का यहां अंत हो जाता है।

निष्कर्ष– सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक जीवन 45 वर्षों तक चला। इस दौरान कवि के जीवन में काफी उतार–चढ़ाव मिलते हैं, किंतु कवि की चेतना अप्रभावित ही रहती है, जिसका श्रेय उनके प्रबल संस्कारों और बहुमुखी प्रतिभा को दिया जाना चाहिए। सृजन के प्रथम दौर में कवि युवा है। युवकोचित भावनाओं की अभिव्यक्ति 'जूही की कली' और 'संध्या सुन्दरी' कविताओं के माध्यम से करता है। चूंकि कवि सामाजिक सरोकारों से बद्ध है इसलिए सामाजिक अधःपतन की चिंता भी करता है तभी तो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध स्वर संधान करता है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी कवि को प्रभावित करती हैं। नव जागृति लाने कवि बादल राग और जागो फिर एक बार जैसी ओजस्वी कविताओं का सृजन करता है। जीवन से संघर्ष करते हुए कवि, 'तुलसीदास' और 'राम की शक्ति पूजा' जैसी कालजयी कृतियों की रचना कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता है। फिर भी यदि जीवन में संघर्ष निरंतर प्रभावित करता तो हृदय में निराशा, पराजय का भाव लक्षित होने लगते हैं।जूही की कली का बसंत अब बीत चुका था। वह उल्लास, वह उमंग जो मतवाला निकलने के समय थी, अब खत्म हो गयी थी। कवि के जीवन में काफी तिक्तता आ गई थी उसका मन विषाद ग्रस्त था। अब कविता में आवेग के बदले संयम अधिक था। दुखों को सहते हुए धीरे–धीरे उसकी चेतना विराट सत्ता के सर्वात्म भाव की कामना करने लगती है। अंतर्मुखी होकर धर्मभीरू दिखाई पड़ने लगता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गाने लगता है –'वर दे, वीणावादिनी वर दे' और 'दे मैं वरुण करूं।' जिस निराला ने जूही की कली के साथ 'केली' से काव्य आरंभ किया था, आगे चलकर तुलसीदास की भांति रत्नावली से मुक्त होकर देशकाल की चिंता करने निकल पड़ता है। मस्ती के गायक को जीवन में मरण दृश्य भी देखना पड़ता है। सरोज की स्मृति में आंसुओं से तर्पण करना पड़ा। प्रकृति प्रेम और निजी प्रणय की सीमा से निकल कर वे जीवन संघर्ष में आए और उसमें लड़ते हुए उन्होंने अनेक अनुभवों को काव्य रूप दिया। अंत में जीवन से जूझते हुए असहायता, निराशा, कुछ न कर पाने की पीड़ा, समाज के प्रति अकर्मणयता का दोष के साथ साहित्याकाश का यह 'सूर्य' हमेशा के लिए अस्त हो गया।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:–

1. रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, भाग–1, राजकमल प्रकाशन,नई दिल्ली–110002
2. रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग–2, राजकमल प्रकाशन,नई दिल्ली–110002
3. नामवर सिंह– छायावाद, राजकमल प्रकाशन 1–बी,नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली–110002
4. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला–विकिपीडिया http://hi.m.wikipedia.org
5. www.kavitakosh.org/nirala

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारतीय संस्कृति में मृदभांड़ की भूमिका

डॉ. कुन्ती साहू *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय संस्कृति की समस्त पहचान ताम्रपाशाविक तथा ऐतिहासिक काल के पूर्व तक की संस्कृतियों की पहचान मृदभाण्डो के आधार पर ही होती है। हम यह कह सकते है कि मृदभाण्ड ही इस गुत्थी को सुलझा सकते है। खुदई में जब मृदभाण्ड प्राप्त होता था तो उन्हे तुच्छ समझ कर फेंक दिया जाता था। सर्वप्रथम फिंलडर्स पेट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने मिस्र में उत्खनन के दौरान प्राप्त मृदभाण्डो के महत्व का अध्ययन करते हुए बताया कि प्रत्येक मृदा में विशेष प्रकार के मृदभाण्ड बनाए जाते रहें है और उनका प्रकार लंबे समय तक चलता रहता है। जिनका अध्ययन करके हम उस समय की संस्कृति संबंधी विशेष बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते है, विभिन्न काल तथा कौशल तकनीक से निर्मित मृदभाण्डो का अध्ययन एवं परीक्षण करकें हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृति के पक्षों को उजागर कर सकते है। इतिहास के अन्य स्रोतों के समान ही मृदभाण्ड़ भी एक उपयोगी स्रोत है। इनके आधार पर कुछ क्लिष्ट ऐतिहासिक पक्षों को समझा जा सकता है, जो अन्य स्रोतों के माध्यम से संभव नही हैं। अत: मृदभाण्ड़ प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत में भी पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप विविध प्रकार के मृदभाण्डों के पता चला है। प्रमुख मृदभाण्ड़ परम्पराओं का विवरण इस प्रकार है–

(1) गैरिक मृदभाण्ड (Ocher Caloured Pottery) ocp – मृदभाण्डों का नामकरण उनके रंग के आधार पर किया गया हैं। गेरूए रंग के मृदभाण्डों के गैरिक मृदभाण्ड कहा जाता हैं। इन में मृदभाण्ड गंगा घाटी क्षेत्रों में मिले है और ये अत्यंत जीर्ण – शीर्ण अवस्था में हैं। छूने पर इनका रंग अंगुलियों मं लग जाता है और ये चूर – चूर हो जाते है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें पूर्ण रूप से पकाया नहीं गया हैं। जिन स्थानों से मृदभाण्ड़ मिले हैं, वह स्थल लंबे समय तक पानी में डूबे रहे होंगे जिससे उनमें नमी आ गयी होगी तथा भाण्ड अत्यन्त कमजोर और मुरझुरे हो गयें। बर्तनों की दुर्बलता एवं भंगुरता उनके लंब समय तक खुले में पड़े रहने के कारण भी हो सकता हैं।

गैरिक मृदभाण्डों की खोज सर्वप्रथम पुराविद बी0बी0लाल ने 1949 ई0 में बदायूँ तथा राजपुरम् (बिजनौर) के पुरास्थलों की खुदाई के दौरा किया। इन स्थलों से उन्हें गेरूए रंग के मुदभाण्ड खण्ड प्राप्त हुए इनके रंग के आधार पर ही इनका नामंकरण गैरिक किया गया पुरातत्व में इनका नाम ओ0सी0पी0 (ऑंकर कलर्ड पाटरी) सर्व प्रचलित हैं। गैरिक मृदभाण्डों का विस्तार मुख्यत: उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, आदि में मिलता हैं। इसके प्रमुख स्थल हैं। हस्तिनापुर (मेरठ) इलाहाबाद, बरेली, काटपलान, लेह, आदि है। लालकिला, अंतरंजीखेड़ा प्रमुख स्थल है।

गैरिक मृदभाण्डों में कई प्रकार के पात्र मिले हैं। इनमें साधार तश्तरी एवं घड़े, बेसिन, कटोरे, ढक्कन, बड़ी आकार की नाँदे, भण्डारण पात्र, छोटे एवं सामान्य आकार के बर्तन आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रारंभिक पात्रों पर कोई अलंकरण या चित्रण नहीं हैं। किन्तु अंतरंजीखेड़ा एवं लाल किला से प्राप्त बर्तनों के टुकड़ों की लाल सतह पर काले रंग में चित्रण किया गया हैं, लाल किला से मिले एक बर्तन पर कूबडदार बैल का चित्रण है, कुछ बर्तनों के टुकड़ों पर विविध आकार – प्रकार की रेखाओं, पत्तियों आदि से चित्रकारियाँ ली गयी हैं।

गैरिक मृदभाण्डों के निर्माता कौन थे इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हैं कुछ इन्हें प्राग्हड़प्पा तो कुछ इन्हे हड़प्पा वासियों को मानते है। कूबडदार बृषभ का अंकन हड़प्पा वासियों की ओर इशारा करता है,। गैरिक मृदभाण्ड़ के निर्मातओं का प्रश्न उपसं हल नहीं किया जा सका हैं पुरात्वों की खुदाई मे सबसे निचले स्तर से ये मृदभाण्ड प्राप्त हुए हैं। अधिकांश पुराविद इन मृदभाण्डों का समय ईसा पूर्व 1300–1200 निर्धारित करते हैं।

(2) चित्रिण धूसर मृदभाण्ड़ (Point Gray ware) – इस पात्र का नाम इसके रंग के आधार पर रखा गया है। इस पात्र परम्परा के बर्तन प्रधानत: धूसर अथवा स्लेटी रंग के है जिन पर काले रंग में मिश्रण किया गया है। कही – कही काले तथा चाकलेट रंग के बर्तन भी मिलते है। सर्वप्रथम इन मृदभाण्डों को अहिच्छत्र के टीले की खुदाई में पाया गया था। परंतु इसके महत्व को उस समय समझा नही गया तत्पश्चात् ये मृदभाण्ड़ अन्य स्थलों से भी प्राप्त होगे उत्खनन तथा अनुसंधान के फलस्वरूप सतलज तथा अन्य गंगाघाटी में अब तक लगभग सतासी चित्रित धूसर मृदभाण्ड़ स्थल प्रकाश में आए है, साथ ही इस पात्र परंम्परा का संबंध लोहे से भी माना जाता है। प्रस्तुत: हड़प्पा सम्यता के पतन से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से इस पात्र परम्परा का महत्वपूर्ण स्थान हैं। प्रारंभ में इस काल को (1500–600) को अंध युग माना जाता था जिसकी संस्कृति के ज्ञान के लिये कोई साक्ष्य नही था। किन्तु चित्रिण धूसर मृदभाण्डों की प्राप्ति ने इस व्यवधान को समाप्त कर दिया। हस्तिनापुर में यह गैरिक मृदभाण्ड़ स्तर के ऊपर तथा एन0बी0पी0 स्तर के निचले स्तरों से मिलता है। अतंरजीखेड़ा में सबसे नीचे गैरिक मुदभाण्ड उसके ऊपर कृष्ण – लोहित भाण्ड तथा उसके पर से चित्रित धूसर भाण्ड प्राप्त होते है। हड़प्पा सम्यता के अन्तिम स्तर से ये भाण्ड मिलें है। जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति के अन्तिम तथा चित्रित धूसर भाण्ड की

प्रारम्भिक संस्कृतियों में समकालीनता थी और ये उत्तर भारत तथा उत्त्र पश्चिम भारत में विशेष रूप फैले थे। चित्रित धूसर भाण्डों की प्राप्ति ने ईसा पूर्व 1500 से 600 के बीच के संस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया है।

चित्रित धूसर पात्र अत्यन्त पतली गढ़न वाले है। इन्हें उच्च ताप (800^{0}C) पर आँवे में पकाया गया है। कि इनका रंग धूसर हो गया हैं गाढ़े काले रंग से कुछ अलंकरण किया गया है। इनकी मिट्टी अत्यन्त चिकनी है, जिसे भली भॉति गूंथा गया हैं धूसर संस्कृतिके लोग नरकुल तथा गोरे से अपना घर बनाते थें। गेहूं, जौ तथा चावल उनके मुख्य खाद्यान थे। अतरंजीखेड़ा के प्रथम स्तर से इनके अवशेष मिलते है। पालतू पशुओं में भेड़, भैस, सुअर, हिरण आदि है, लोह उपकरण भी बड़ी मात्रा में मिले है, इनमें कील, फलक, कुल्हाड़ी, कुदल, दरांती, चाकू, चिमटा आदि हैं धातुमल से सूचित होता है। लोहे की ढ़लाई का काम भी ज्ञात था। अतरंजीखेड़ा से मिले कुछ पात्र- भाण्डों पर कपास से बने वस्त्रों की छाप मिलती हैं। भगवानपुरा से पक्की ईटों का प्रयोग के प्रमाण है, इस प्रकार चित्रित धूसर भृद्भाण्ड संस्कृति अत्यन्त विकसित ग्रामीण जीवन का संकते करती है जिसकी पृष्ठ भूमि पर बृद्धकाल में द्वितीय नगरीयकरण का उत्कर्ष हुआ।

(3)कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड (Black and Red ware) – ये प्रगैतिहाशिक काल के प्रमुख मृद्भाण्ड है। ऐसे मृद्भाण्डों का भीतरी तथा बाहर की वारी (Rim) के चारों और का भाग काला तथा शेष बाहरी भाग ईटे के रंग का लाल मिलता है, आकार – प्रकार एवं एवं अलंकरण चित्रण की दृष्टि से ये भाण्ड अन्य भाण्ड़ो से भिन्नता रखते है। इनके भीतरी भाग को काला देखकर पहले कई पुराविद्ों का विचार था कि उन्हें औधे मुँह पकाया गया होगा जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त आक्सीजन न मिलने के कारण भीतर का भाग काला पड़ गया होगा। किन्तु खुरचे जाने पर सतह की रासायनिक जॉच से पता चलता है कि काला रंग जो केवल सतह पर न होकर मोटाई के आधे भाग तक फैला हुआ है, कार्बन परिणाम है। ऐसा लगता है कि पहले इन बर्तनों को धूप में सूखाया गया था। तत्पश्चात् इन पर कोई कार्बनिक राल या तेल अथवा इसी प्रकार का कोई तरल पदार्थ पोत दिया जाता था। पकाये जाने पर ऊपरी भाग तथा मोटाई पर लगी लेप जल गयी तथा केवल कार्बन ही बच गया जिससे बर्तन का रंग काला पड़ गया कुछ लोगों का कहना है कि इन्हे दो बार पकाया जाता था।

काले – लाल मृद्भाण्ड मध्यम से लेकर छोटी कोटि के ही है। इनमें कही भी भण्डारण पात्र नहीं मिलते हैये मेज पर सजाने वाले बर्तन जान पड़ते है। अत: इन्हे विशेष प्रकार से तैयार किया गया होगा। इन पर सफेद रंग से बहुत कम चित्रकारी आ गयी है। इनके निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है । ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गयी चूने तथा रेत युक्त मिट्टी से बने हैं। कभी-कभी काचली मिट्टी से भी ये तैयार किये जाते थे। सौराष्ट क्षेत्र में रंगपुर, नोबल हड़प्पा स्थल, पंजाब, हरियाणा, में ये भाण्ड चित्रित धूसर भाण्ड़ो के साथ मिलते हैं, लेह तथा अतरंजीखेड़ा में ये भाण्ड चित्रित धूसर तथा गैरिक मृदभाण्डों के ऊपरी तथा चित्रित धूसर भाण्डी के निचले स्तर से प्राप्त हुए हैं, उज्जैन, नवदाटोली, माहेश्वर, आदि मालवा क्षेत्रों ये भाण्ड़ उत्तरी चमकीलें पात्रों के पूर्व एवं उनके साथ मिलते है। दक्षिण भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न पुरास्थलों पर काले लाल मृद्भाण्ड़ वृहत्वाषाणिक समाधियों में पाये गये हैं।

काले मृदभाण्ड़ो को किसी विशेष संस्कृति से संबंधित नही किया जा सकता है। कुछ विद्वान इन्ही पात्रों अथर्ववेद में 'नील-लोहित' कहा गया है।काले-लाल भाण्ड़ो के प्रयोग कत्ताओं के पास लघुपाषाण एवं पाषाण उपकरण थे जिससे वे सीमित मात्रा में ही कृषि कर सकते थे। खोदने के लिये लकड़ी के उपकरणों तथा कुदालों का प्रयोग करते थे और धान पैदा करते थे। काले-लाल मृद्भाण्ड संस्कृति में ताम्र उपकरणों की प्रधानता न होकर लघु पाषाणों उपकरणों की ही प्रधानता दिखाई देती है। इस संस्कृति के लोग नील गाय, सूअर, हिरण आदि पालते थे। मछली तथा चावल उनके मुख्य खाद्यान थे।

जहॉ तक काले और लाल मृदभाण्ड परम्परा की तिथि का प्रश्न है।विभिन्न स्थलों से भिन्न-भिन्न तिथियाँ स्वीकार करनी पड़ेगी लोथल, रंगपुर जैसे परवर्ती हड़प्पा सम्यता के भाण्ड़ो की तिथि ईसा0पूर्व 2000 से 1600 मध्य भारत मालवा क्षेत्र में 1500-200 के बीच तथा दक्षिण भारत की बृहत्पाषाणिक समाधियों से प्राप्त भाण्ड़ो की तिथि ईसा पूर्व 1000-100 की बीच हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि इन भाण्ड़ो के निर्माता आर्यो की ही एक शाखा थी।

(4) उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भाण्ड (Noothen Black Polised Ware NBP) – येमृद्भाण्ड छठी शताब्दी अथवा बुद्धकाल के विशिष्ट मृद्भाण्ड है जिन्हे सामान्यत: उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पॉलिश के बर्तन कहा जाता है। इन मृद्भाण्ड़ो से द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ की सूचना मिलती है।

ये भाण्ड प्रातिधिक दृष्टी से तत्कालीन भारत के सर्वोत्कृष्ट भाण्ड थें। इन्हे अच्छी तरह से गूँथी हुई मिट्टी से ऊँचे तापमान पर आँवों में पकाकर निर्मित किया जाता था। उन पर अत्यधिक चककी चमकीली पॉलिश थी। यह अधिकांशत: कॉच के समान झलकती थी तथा बिल्कुल काले रंग से लेकर गहरी भूरी अथवा धातु जैसी फौलादी नीली होती थी।जिससे मृद्भाण्डों विशेष प्रकार की भव्यता तथा चमक आ जाती थी। अपनी उत्कृष्ट बनावट तथा अच्छी गढ़न के कारण ये धातु के भाण्डो के समान सुन्दर लगते थे। स्पष्टत: ये समृद्धी सूचक बर्तन थे जिनका प्रयोग सामान्यजन नही करता था अपितु ये धनाढ्य और कुलीन वर्गो द्वारा ही जो प्राय: शहरों में निवास करते थे, अनुष्ठानों अथवा खान-पान में प्रयोग में लाये जाते थे। इनका व्यापार भी किया जाता था। अन्य बर्तनों की तुलना मे ये बर्तन अधिक मँहगे होते थे क्योकि कुछ पुरास्थलों मे इनके ठीकरे ताँबे की पितों से जुडे हुए हैं। इससे सूचित होता है, कि इस पात्र परम्परा के टूटे हुए बर्तन का भी मूल्य होता था।

इस भाण्ड परम्परा के मुख्य बर्तन थे थालियाँ, कटोरे, छोटे प्याले, ढक्कन, हांडियाँ, छोटे कलश आदि इन्हे तेजी से घूमने वाले चाक पर संभवत: बनाया जाता था। जिससे इनका आकार बहुत पतला तथा हल्का दिखाई देता था। इन बर्तनों पर पट्टियां, अर्धवृत्त, लाल भूरी, भित्तियों आदि के अलंकरण मिलते हैं कही कही इन बर्तनों का रंग काले केअतिरिक्त गुलाबी, नीला, चाकलेटी, रूपहला आदि भी मिलता हैं। इस प्रकार इन भाण्डों के रंग तथा चमक एक रहस्य बनी हुई हैं।

इनका प्रसार मध्यगंगाघाटी में इलाहाबाद, भागलपुर, तथा गंगा के दोनो ओर कछारी मैदान 450 एन बी0 पी0 स्थानों की खोज की गयी हैं उच्च गंगा घाटी में समेत रोपड़ अहिच्छत्र मालवा में उज्जैन तथा बेसनगर से भी इनकी प्राप्ति हुई हैं किन्तु सर्वाधिक स्थल मध्यगंगा क्षेत्र हैं। जो प्राक् मौर्यकालीन में नगरीकरण के उत्कर्ष का केन्द्र बिन्दु था। मध्यक्षेत्र से ही ये

बर्तन व्यापरियों तथा तीर्थयात्रियों द्वारा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी भारत में ले जाये गये थें। इनका निर्यात मुख्यत: कौशाम्बी से होता था। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, तथा अफगानिस्तान के एक बड़े भू-भाग में इन बर्तनों का प्रसार था। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश से इस पात्र के बर्तनों के ठीकरे प्राप्त किये गये हैं जिससे पता चलता है कि इसका प्रसार क्षेत्र विस्तृत था।

कौशाम्बी (इलाहाबाद) की खुदाई से पचीस निर्माण कालों के साक्ष्य मिले हैं प्रत्येक निर्माण काल की अवधि सत्तर वर्ष मानी गई है। आशोक स्तंभ वाले इस क्षेत्र में इस भाण्ड परंपरा के आठ आवसीय स्तर समति आए है साथ ही कौशाम्बी के सांस्कृतिक स्तरों में कोई रिक्तता नहीं मिलती इस प्रकार इन भाण्डों का काल ई0पू0 605-45 की कालावधि मानते है। एन0बी0पी0 पात्र परम्परा से गंगाघाटी में ईसा पूर्व छठी शाताब्दी अथवा बुद्ध काल में नगरी करण का प्रारंभ हुआ था उत्पादन अधिशेष लौह तकनीक का विकास शिल्प उपयोगों एवं व्यापार वाणिज्य की प्राप्ति, धातु मुद्रा का प्रचलन लिपि का प्रयोग आदि इसकी प्रमुख विशेषतायें थी। चॉदी तथा तॉबे के पत्तरों को काटकर सिक्के तैयार किए जाते थे। वस्तु विनिमय का युग समाप्त हो गया और सिक्कों के नियमित प्रयोग से व्यापार वाणिज्य मे सुगमता हो गयी। इस एन0 बी0 पी0मृद्भाण्ड परम्परा से संबद्ध लोगो की भौतिक संस्कृति अत्यन्त विकसित थी।

सारांश - मृद्भाण्ड परंपरा भारत में चार स्तरों में पाई गई हैतथा चारो का अपना - अपना विशेष महत्व है, इन मृद्भाण्डों के जरिए हम भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के उन पक्षों को उजागर करने सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिनके बारे में लिखित सत्य या स्मारक नही ये मृद्भाण्ड प्राक्रमौर्योत्तर काल तथा उससे पहले के भारतीय संस्कृति के पक्ष को उजागर करते है। (1500-600) ईसा पूर्व को अंधकार युग के नाम से जाना जाता था परंतु मृद्भाण्ड के द्वारा उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।

ये मृद्भाण्ड भारत के सांस्कृतिक पक्ष के साथ - साथ भारत की आर्थिक समृद्धी तथा कला एवं तकनीक की भी जानकारी मिलती है। भारत के द्वितीय नगरीकरण के विकास में इन मृद्भाण्ड परंपराओं का विशेष योगदान हैं। और भारतीय इतिहास के विशेष पक्षों को उजागर करते हैं। जिससे इनके महत्व को नाकारा नही जा सकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति - के0 सी0 श्रीवास्तव
2. भारत का इतिहास - के0 कृष्ण रेड्डी
3. भारत का प्राचीन इतिहास - राम शरण शर्मा
4. प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता - डी0 डी0 कोसंबी

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष : भारत के सन्दर्भ में संक्षेपिका

डॉ. विद्या चौधरी * डॉ. साधना डेहरिया **

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
** सह प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज के कोरोना नामक वैश्विक महामारी के दौर में विश्व के समक्ष एक नयी चुनौती है, जिसे इन्फोडेमिक (इन्फॉर्मेशन + एपिडेमिक) की संज्ञा दी गयी है। सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले दुष्प्रचार के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'टीम हैलो' तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'स्टॉप द स्प्रेड' अभियान आरम्भ किया गया। युवा एवं बच्चों द्वारा सोशल साइट्स में समय बरबाद करना, साइबर क्राइम आदि सोशल मीडिया के नकारात्मक पक्ष हैं।

किन्तु सोशल मीडिया अपने आप में नकारात्मक नहीं है। यह तो एक प्रौद्योगिकी आधारित माध्यम मात्र है, इसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता उपयोग करने वाले पर निर्भर करती है। सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष की ओर देखा जाए तो यह मानव समुदाय के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।

शब्द कुंजी – सम्प्रेषण माध्यम, मीडिया के विभिन्न चरण , सकारात्मक पक्ष ।

प्रस्तावना – मानव एक विचारशील एवं सामाजिक प्राणी है, अत: आदिम युग के एकाकी जीवन से बाहर निकलते ही विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गयी। आरम्भिक काल में विचारों एवं भावनाओं के सम्प्रेषण की एक मात्र युक्ति मौखिक ही रही थी। किन्तु समय परिवर्तन के साथ-साथ सम्प्रेषण के साधन और स्वरूप दोनों बदलते गए। सम्प्रेषण के साधन अथवा माध्यम को सामान्य बोल-चाल की भाषा में 'मीडिया' कहा जाता है तथा इसके समाजिक स्वरूप को 'सोशल मीडिया' कहा जाता है। संक्षेप में समाज के द्वारा, समाज तक विचारों के सम्प्रेषण के लिए जिस माध्यम का उपयोग होता है उसे सोशल मीडिया कहा जाता है।

सूचना सम्प्रेषण अथवा विचार अभिव्यक्ति के माध्यम समय के साथ-साथ परिवर्तित होते रहे हैं। भारतीय शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार देवताओं के मध्य सूचनाओं के सम्प्रेषण का कार्य देवऋषि नारद किया करते थे। रामायण काल में श्री हनुमान जी द्वारा लंकापति रावण तक श्रीराम का संदेश तथा महाभारत काल में स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा शन्तिदूत के रूप में कौरवों तक सन्देश पहुँचाने का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा यह भी सिद्ध किया गया है कि सन्देशवाहक (मीडिया) की भूमिका संदेश को प्रभावित करती है। ऐतिहासिक काल में पशु - पक्षियों द्वारा भी सन्देशवाहक के रूप में कार्य किये जाने का प्रमाण मिलता है।

आधुनिकता के दौर में जॉन गुटनबर्ग द्वारा सन् 1439 ई. में किए गए छपाई मशीन के आविष्कार-(1) से संचार के क्षेत्र में नये युग का आरम्भ हुआ माना जा सकता है। अब विचारों एवं सूचनाओं के सम्प्रेषण हेतु समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के उतरार्द्ध में थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा फोनोग्राफ मशीन की खोज संचार के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। एडिसन ने सन् 1878 ई. में इस मशीन का पेटेन्ट करवाया था। एडिसन ने सैमुअल मोर्स द्वारा अविष्कार किए गये टेलीग्राफ में आवश्यक सुधार कर रिकार्ड की गति 25-40 शब्द प्रति मिनट के स्थान पर 1000 शब्द प्रति मिनट बना दिया।-(2) सन् 1895 ई0 में मार्कोनी एवं पोपोफ ने वायरलेस के माध्यम से सन्देश भेजने में सफलता प्राप्त की। सन् 1906 ई. में फेसेन्डर ने रेडियो के माध्यम से मानव आवाज को प्रसारित कर संचार के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया। इसके परिणामस्वरूप रेडियो प्रसारण नेटवर्क स्थापित होने लगा, जो आधुनिक संचार व्यवस्था का केन्द्र बिन्दू है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दूरदर्शन की खोज से सूचनाएँ दृष्य श्रव्य रूप मे जीवन्त हो बड़े जन समुदाय तक प्रसारित होने लगी। सन् 1940 ई. में चार्ल्स बैबेज द्वारा आविष्कृत कम्प्यूटर से सन्देश संचारण का क्षेत्र और गति दोनों में तेजी से परिवर्तन होने लगा।

बीसवीं शताब्दी के उतरार्द्ध में किए गए उपग्रहों की खोज ने संचार के क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात किया। सन् 1973 ई. में मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन की खोज कर विश्व के समक्ष संचार का एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया। फोन के बहुआयामी सफलता से अभिभूत हो स्वयं मार्टिन कूपर कहते हैं-'हमने कभी ये सोचा नहीं था कि आज मोबाइल फोन इतना उपयोगी हो जाएगा'-(3) सन् 1969 ई. में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (DOD) द्वारा इन्टरनेट की खोज, सन् 1989 ई. में टिम बर्नर ली द्वारा ब्राउजर लिंक का उपयोग तथा सन् 1998 ई. में संचार के क्षेत्र में गूगल के प्रवेश से संचार का स्वरूप वैश्विक हो गया। मार्शल मैकलुहान ने जनसंचार की नयी प्रौद्योगिकी में विकास को केन्द्र में रखकर ही सम्पूर्ण विश्व को 'ग्लोबल विलेज' अर्थात 'विश्वग्राम' की संज्ञा दी है।

भारत के सन्दर्भ में देखा जाये तो भारत में प्रेस की स्थापना सन् 1550 ई. में की गयी थी, जिसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा जन-जागृति लाने के साथ-साथ स्वतंत्रता आन्दोलन को संचालित करने में पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से संचार की भूमिका अहम् रही है। 29 जनवरी 1780 ई. में 'बंगाल गजट' के प्रकाशन के साथ जेम्स ऑगस्ट्स हिक्की द्वारा भारत में प्रिंट माध्यम की पत्रकारिता की नींव डाली गयी। इसके साथ ही प्रिंट मीडिया (पत्रकारिता) समाज की आवाज बनकर शासन की दमनात्मक नीतियों के विरूद्ध उठ खड़ा हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा

गाँधी जी ने भी संचार के साधन के रूप में पत्रकारिता को सामाजिक क्रिया -कलाप के माध्यम के रूप में देखा है, उनका मानना है कि, 'समाचार पत्र का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं, उसके विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना है और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है।'-(4) यद्यपि बंगाल गजट का प्रकाशन अंग्रेजी में होता था, अतः इसका संचरण सीमित था, किन्तु राष्ट्र हित में इसके उपयोग के कारण उत्पन्न जन जागृति से परेशान तत्कालीन गर्वनर वारेन हेस्टिंग द्वारा 'बंगाल गजट' को बन्द करा दिया गया।

राजा राम मोहन राय द्वारा राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना सन् 1821 ई में की गई। तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए राजाराम मोहन राय द्वारा प्रेस का उपयोग करते हुए 'ब्रम्हनिकल मैग्जीन', 'संवाद कौमुदी' तथा 'मिरातुल अखबार' प्रकाशित किया गया। इसी तरह 'बंगदूत' ने भी समाजसुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन् 1826 ई में ब्रज और खड़ी बोली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाषित साप्ताहिक पत्रिका 'उदन्त मार्तण्ड' ने भी लोगों में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न करने में उत्प्रेरक का कार्य किया।'साम्यदण्ड मार्तण्ड' 'सारसुधानिधि', 'भारत मित्र', 'उचित वक्ता', 'हिन्दी बंगवासी', 'हरिश्चंद्रचंद्रिका', 'कविवचनसुधा' और 'आनंद कादंबिनी'-(5) इत्यादि के साथ शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित 'अमृत बाजार' पत्रिका , ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित 'सोम प्रकाश' भी राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण का सशक्त माध्यम बना। सन् 1857 ई. की क्रान्ति में भी समाचार पत्रों की भूमिका अहम् रही थी। 'स्वदेशी' एवं 'स्वराज्य' आन्दोलन चलाने के उद्देश्य से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 'मराठा' एवं 'केसरी' का प्रकाशन आरम्भ किया।'प्रताप' (गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित) ने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी युवाओं को सम्बल दिया। गांधी जी ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन को संचालित करने में 'यंग इंडिया' एवं 'नवजीवन' का प्रकाशन किया तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए 'हरिजन, 'हरिजन सेवक, 'हरिबन्धु' आदि का प्रकाशन किया। यद्यपि भारत की अधिकतर जनसंख्या निरक्षर थी फिर भी प्रिंट मीडिया ने भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान में बढ़-चढ़ कर सहयोग किया।

विज्ञान एवं तकनीकी के विकास तथा आधुनिक वैश्वीकरण के युग में संचार साधनों ने भी वैश्विक स्वरूप धारण कर लिया है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन, कम्प्यूटर, मोबाइल, इन्टरनेट आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी क्रम में आकाशवाणी से होने वाले प्रसारण बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। भारतीय वाङ्मय के अनुसार आकाशवाणी से तात्पर्य 'नादब्रह्म' है, जिसकी व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में करते हुए कहा गया है कि - 'आकाशो वै नाम नामरूप यो निर्विहिता ते तदनन्तरा तद् ब्रह्म'(नाम और रूप का निर्धारण करने वाला व उनका आधार वे दोनों 'नाद ध्वनि' जिसके अन्तर है, वह ब्रह्म है)-(6)। आकाशवाणी सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ माध्यम भी है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ बुद्धिजीवी द्वारा रेडियो और दूरदर्शन को 'प्रसार भारती आयोग' के अधीन लाने का सराहनीय कार्य किया गया।

सोशल मीडिया का शाब्दिक अर्थ है, 'समाज द्वारा अकेन्द्रित ढ़ंग से संचालित माध्यम' जिसमें विचारों एवं सूचनाओं का सम्प्रेषण स्वयं समाज करे। अतः यह मीडिया समाज का ,समाज के द्वारा, समाज के लिए है। यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के सहयोग से चलता है। इसलिए इस मीडिया में सम्प्रेशित सूचनाओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है। इन्हीं कारणों से सोशल मीडिया के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। इसका अत्यधिक उपयोग व्यसन का रूप ले रहा है। यह युवाओं के सकारात्मक विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहा है। हिंसा से भरे कई वीडियो गेम युवाओं को अपराधिक गतिविधियों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। साइबर क्राइम भी सोशल मीडिया मंच से की जानेवाली अपराधिक गतिविधि ही है।

आज के कोरोना नामक वैश्विक महामारी के दौर में भी सोशल मीडिया नयी चुनौती बनी है जिसे इन्फोडेमिक (इन्फॉर्मेशन + एपिडेमिक) कहा गया है जिसका अर्थ है-'लोगों के बीच महामारी के बारे में गलत सूचना का प्रसार'। इस पर नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 'टीम हैलो' तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'स्टॉप द स्प्रेड' अभियान आरम्भ किया गया। यह सोशल मीडिया के कारण ही उत्पन्न समस्या है। वस्तुतः इन्हीं कारणों से सोशल मीडिया को शंका की दृष्टि से देखा जाता है।

यद्यपि सोशल मीडिया अपने आप में नकारात्मक नहीं है। यह तो एक प्रौद्योगिकी आधारित माध्यम मात्र है, इसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता उपयोग करने वाले पर निर्भर करती है। सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष की ओर देखा जाए तो यह मानव समुदाय के लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध हुआ है। यह एक ओर व्यक्ति के हुनर का प्रचार करने में सहयोग देता है, दूसरी ओर देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने में सहयोग दे रहा है। इसके माध्यम से कई विकासात्मक कार्य किये जाते हैं। जनमत तैयार करने तथा जन जागरूकता लाने का यह श्रेष्ठ माध्यम है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के चौथे स्तम्भ के रूप में इसकी भूमिका अहं है। अतः इसकी सकारात्मकता की ओर देखना उचित होगा।

सामान्यतः सोशल मीडिया की आलोचना यह कह कर की जाती है कि व्यक्ति इसके व्यसन में उलझ कर भौतिक रूप से उपस्थित रहने के बावजूद भी मानसिक रूप से परिवार और समाज से दूर हो जाता है, किन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया के सहयोग से ही व्यक्ति दूर बैठे आत्मीय जन से प्रत्यक्ष सम्पर्क की अनुभूति प्राप्त कर सकता है।

आधुनिक समय के व्यस्ततम जीवन में हम जिन उपयोगी परम्पराओं से दूर हो गए हैं, सोशल मीडिया के सहयोग से समाज की उन परम्पराओं को अब हम समृद्ध कर पा रहे हैं।

किसानों के लिए सोशल मीडिया वरदान सिद्ध हो रहा है क्योंकि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के किसानों तक कृषि की आधुनिक तकनीकी से सम्बन्धित जानकारी सरल एवं प्रान्तीय भाषा में पहुँचा पाना सम्भव हो पा रहा है। शासन की योजनाओं का प्रचार - प्रसार सोशल मीडिया के सहयोग से होता है। सोशल मीडिया के मंच से ही कृषि के क्षेत्र में नवीन खोजों की जानकारी किसान प्राप्त कर सकते हैं। किसान अपने उत्पाद के विक्रय हेतु सोशल मीडिया के मंच का उपयोग आसानी से कर रहे हैं।

विभिन्न आपदाओं में भी सोशल मीडिया की भूमिका बहुत सकारात्मक रही है। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को आने वाले तूफान आदि की पूर्व सूचना देने से लेकर बाढ़, तूफान आदि में फँसे लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने में भी सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है।

समाज में व्याप्त अन्धविश्वास एवं अन्य कुरीतियों के विरूद्ध अपनी बात रखने तथा इस हेतु अधिक से अधिक जनसमर्थन प्राप्त करने में महिलाओं

द्वारा सोशल मीडिया का खुलकर उपयोग किया जा रहा है। किसी भी दुर्घटना के समय सहयोग पाने के लिए भी महिलाएं सोशल मीडिया का उपयोग कर रही #मी टू (# Me To) # मेरी रात मेरी सड़क (#Meri Rat Meri Sadak) # लहु का लगान (#Lahu Ka Lagan) # हैप्पी टू ब्लीड (#Happy To Bleed) आदि सोशल मीडिया के कुछ मंच है जिसके माध्यम से महिलायें अपनी बात सामुहिक रूप से प्रस्तुत करती हैं। सोशल मीडिया से उत्पन्न दबाव के कारण महिला सुरक्षा सम्बन्धी कई नीतियाँ भी बनायी गयी हैं। त्वरित कानूनी सुरक्षा हेतु 'फास्ट ट्रैक' इसका एक अच्छा उदाहरण है।

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी सोशल मीडिया की भूमिका अहम् रही है। इसके सहयोग से उत्पादक अपने उत्पाद को सरलता से बेच पाते है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा आदि ऐसे ही मंच हैं जिसके सहयोग से न केवल मनचाही सामग्री प्राप्त की जा सकती है, इन कम्पनियों के सहयोग से अपने उत्पाद भी बेचे जा सकते हैं। कुटीर उद्योग, छोटे किसान अथवा अन्य छोटे उत्पादक भी आपस में मिलकर ऑन लाइन मंच के माध्यम से व्यापार कर पा रहे हैं। विज्ञापन का यह श्रेष्ठ माध्यम है।

वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में जब व्यक्ति पृथकवास के लिए बाध्य है ऐसी परिस्थिति में सोशल मीडिया ही एकमात्र ऐसा मंच है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी होने का आभाश कराता है। इसके माध्यम से ही इस महामारी के दौर में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुझाव प्राप्त कर पा रहा है। जन जागरूकता लाने, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंशिंग) से उत्पन्न तनाव के विरूद्ध. मनोवैज्ञानिक सुझाव प्राप्त करने में भी सोशल मीडिया सहयोग दे रहा है।

सोशल मीडिया मंच पर ज्ञान का अथाह भंडार भरा है। छात्र एवं अन्य उत्सुक जन इस मंच के उपयोग से अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। विद्यार्थी सोशल मीडिया पर स्थित विभिन्न मंच के सहयोग से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। वर्तमान कोरोना आपदा के दौरान जब सभी विद्यालय , महाविद्यालय बन्द पड़े हैं तब भी विद्यार्थियों के हित में विभिन्न माध्यमों से अध्ययन– अध्यापन कार्य संचालित है। स्वयं, स्वयंप्रभा, मूक्स आदि ऐसे मंच हैं जिसका उपयोग छात्र कर रहे हैं। इस कोरोना काल में ऑन लाइन कक्षाएँ तथा संगोष्ठियाँ संचालित हैं। ऑनलाइन माध्यम से दक्षता संवर्धन कार्यक्रम संचालित हैं साथ ही विविध विधाओं में दक्ष लोग अपने हुनर का प्रसार कर इस महामारी के समय घर बैठे लोगों को नए – नए हुनर सिखा रहे हैं।

वस्तुत: आज के बदलते परिदृष्य में सोशल मीडिया समाज के हर वर्ग के लिए वरदान है। यह केवल सूचनाओं के आदान – प्रदान का माध्यम मात्र नहीं है यह अपने विस्तृत नेटवर्क के कारण समाज को जोड़कर रखता है तथा समाज की एक इकाई के रूप में हमारा कर्तव्य है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए मानवीय हित में कार्य किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजीव पी. वी. वैश्वीकरण के युग में भारत, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2009 , पृ0 123।
2. विकीपीडिया
3. बी.बी.सी. न्यूज, 24 अप्रेल 2010।
4. रजवार इन्द्र चन्द्र, आधुनिक पत्रकारिता की रूपरेखा, तक्षशिला प्रकाशन,नई दिल्ली, पृ019।
5. तिवारी राजेन्द्र, पत्रकारिता के विविध रूप, आलेख प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 117।
6. रजवार इन्द्र चन्द्र, वही, पृ0 78।
8. जैन संजीव कुमार, मीडिया लेखन एवं जन संचार, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
9. जोषी रामशरण, मीडिया विमर्श, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

श्रम कल्याण में इंदौर मिल मजदूर संघ (इंटक) का योगदान

डॉ. स्नेहलता सिंह *

* सहायक प्राधयापक (इतिहास) श्री. रा. सू. शासकीय महाविद्यालय, सरदारपुर- राजगढ़, धार(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – श्रमिक संघों का विकास उद्योगों के विकास का परिणाम है। औद्योगिक दृष्टि से प्रसिद्ध इंदौर नगर में बड़े पैमाने के वस्त्र उद्योग विद्यमान होने के कारण श्रमिक संगठनों या मजदूर संघों की शुरुआत इसी उद्योग से हुई। इंदौर मिल मजदूर संघ कपड़ा मिलों का प्रतिनिधि संगठन रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से इंदौर मिल मजदूर संघ के द्वारा मजदूरों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डालना है क्योंकि इन कार्यों से जहां श्रमिकों का जीवन स्तर उठा वही उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इंदौर की कपड़ा मिलो के पटाक्षे तक इंदौर मिल मजदूर संघ की भूमिका उल्लेखनीय है जो अन्य श्रमिक संघों के लिए प्रेरणादायक है।

शब्द कुंजी – इंदौर मिल मजदूर संघ, श्रम कल्याण, श्रमिक, उद्योग।

प्रस्तावना – भारत के मध्य स्थित मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में इंदौर जिले की समृद्धि का श्रेय कपड़ा मिलों को दिया जाता था।इंदौर में सन 1883 से 1924 के बीच 7 मिलो की स्थापना हुई। उन दिनों इन मिलों में लगभग 30000 मजदूर काम किया करते थे। अन्य जगहों की भांति इंदौर में भी मजदूर समस्याओं से ग्रस्त था। श्री गंगाराम तिवारी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सन 1926 में इंदौर में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई जो तत्कालिक देसी राज्य में सबसे।हला श्रम संगठन था। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए श्री व्ही.व्ही.द्रविड़ तथा राम सिंह भाई जैसे महान नेताओं ने 8 दिसंबर 1941 में इंदौर मिल मजदूर संघ की विधिवत स्थापना कर इंदौर के मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया जो कि सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला मजदूर संघ था। यह संघ 1947 में जब भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस(इंटक) की स्थापना हुई तो उससे संबद्ध हो गया।

जिस समय संघ की स्थापना हुई उस समय तक देश में स्वतंत्रता आंदोलन दिन प्रतिदिन गति पकड़ रहा था। इस आंदोलन में देश के सभी वर्गो ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा श्रमिक भी पीछे नहीं रहे। इंदौर मिल मजदूर संघ के नेतृत्व में जहां एक और कार्यकर्ता आंदोलन में भाग लेते रहे और अहिंसात्मक तरीके से मजदूरों के हितों की लड़ाई भी लड़ते रहे। भारत की स्वतंत्रता मे श्रमिकों की पूरी दिलचस्पी रही क्योंकि तभी पूंजीवादी शोषण का अंत होकर नए समाज की रचना संभव बन सकती थी। अगस्त 1942 में सारा देश उठ खड़ा हुआ तब इंदौर के श्रमिकों ने भी आजादी का झंडा उठाया। श्री व्ही .व्ही .द्रविड़,श्री राम सिंह भाई तथा श्री गंगाराम तिवारी आदि श्रमिक नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।14 अगस्त की रात्रि में जब भारत आजाद घोषित हुआ ,उसी समय द्रविड़ साहब के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशी के उ।लक्ष में यह इंदौर का पहला जुलूस था। औद्योगिक नगरी इंदौर में 1948 में जब श्रम शिविर का निर्माण हुआ तो श्रमिकों ने इसमें ना केवल धनराशि दी अपितु श्रमदान भी किया। इंदौर मिल मजदूर संघ ने श्रमिकों के प्रेरणा केंद्र श्रम शिविर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस भवन में इंदौर मिल मजदूर संघ ,इंटक तथा उससे संबंधित संस्थाओं का मुख्य कार्यालय हैं। 'मजदूर संदेश' जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंटक) का सप्ताहिक हिंदी पत्रिका है 1942 से ही इसका प्रकाशन इंदौर मिल मजदूर संघ द्वारा किया जाता है। मजदूर संदेश के द्वारा प्रारंभ में गांधीजी का संदेश मजदूरों तक।हुंचाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता था। मजदूर संदेश के माध्यम से श्रमिकों को उनके प्रति सरकार की नीति , श्रमिक आंदोलनों तथा श्रमिक संघों के कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इंदौर मिल मजदूर संघ ने अपने अंतर्गत इंदौर टेक्सटाइल क्लार्क एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, ताकि कपड़ा मिलों के लिपिकों की हितों की रक्षा की जा सके।

मिलो में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए संघ के प्रयास – देश के अन्य भागों की तरह इंदौर के मिल मालिक भी श्रमिकों से मनमाना और अधिक काम लेते तथा उन्हें कम वेतन देते। मिलो में अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकारी वातावरण होता था। मिलों में काम करने वाली महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति भी दयनीय थी। श्रमिकों का जीवन स्तर निम्न श्रेणी का था। उन्हें शिक्षा ,स्वास्थ्य ,सुरक्षा आदि की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। इंदौर मिल मजदूर संघ ने मजदूरों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया तथा उसमें सफलता प्राप्त की। काम के घंटे निश्चित हो ,वर्क लोड कम करने की मांग ,बंद दिनों की भरपाई, बोनस के मुद्दे ,पग़ार के नए स्टैंडर्ड की मांग आदि को आंदोलन के माध्यम से मिलो में मजदूरों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। 1965 में बोनस एक्ट बनने से पहले ही इंदौर के श्रमिकों को बोनस दिया गया जो संघ की महत्वपूर्ण सफलता थी।बदली कंट्रोल के माध्यम से विभिन्न मिलो में बदली पर श्रमिकों को रखे जाने की व्यवस्था की। वर्कर्स कमेटी की योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता था कि मजदूरों के शिकायत एवं अन्य सवाल आदि को मैनेजमेंट और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की मिली जुली समिति द्वारा सुलझाया जाए। श्रमिकों के कल्याण के लिए ही मिलों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने की योजना को ध्यान में रखते हुए

इंदौर मिल मजदूर संघ और मिल प्रबंधकों के बीच हुए करार के अनुसरण में इसे सर्वप्रथम राजकुमार मिल में नवंबर 1958 में प्रारंभ किया गया। बाद में अन्य मिलो के प्रबंध में भी कामगारों को सम्मिलित किया गया। कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, तथा ग्रेजुएटी उपादान भुगतान अधिनियम 1972 आदि में वर्णित नियमों की मांग अन्य श्रमिक संगठनों के साथ इंदौर मिल मजदूर संघ ने प्रबलता से उठाई तथा इसके लागू होने पर इन नियमों का कपडा मिलों में पूर्ण तरह पालन हो, इसका ध्यान भी संघ ने भली-भांति रखा। कपड़ा मिलों में कार्यरत श्रमिकों को कोई समस्या जैसे वेतन, छुट्टी ,मुआवजा ,कार्यभार आदि के संबंध में आती थी तो इस परिस्थिति में मजदूर अपनी शिकायत संघ के कार्यालय में दर्ज करा सकते थे। संघ के प्रतिनिधि श्रमिकों की समस्याओं को अधिकारियों से मिलकर चर्चा कर सुलझाने का प्रयास करते थे। यदि कोई मामला बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझा पाता तो श्रमिक, संघ के माध्यम से न्यायालय में जा सकते थे। इस स्थिति में संघ ही मुकदमा लड़ता है।

इंदौर मिल मजदूर संघ की श्रम कल्याण प्रवृत्तियां – संघ ने न केवल मिलों में श्रमिकों की स्थिति सुधारने तथा उनके आर्थिक लाभ के लिए ही प्रयत्न नहीं किया अपितु उनका सर्वांगीण विकास करने का भी प्रयास किया। औद्योगिक श्रमिकों के बीच कल्याणकारी कार्य करने की दृष्टि से इंदौर मिल मजदूर संघ ने अ।ना एक अलग विभाग खोलने का निश्चय किया। इस निश्चय के अनुसार 8 दिसंबर 1948 को इंदौर के सुप्रसिद्ध एडव्होकेट श्री चितले ने।रदेसीपुरा में श्रम कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। बाद में जब नंदा नगर का निर्माण हुआ तो श्रम कल्याण केंद्र की प्रवृत्तियां यहीं से संचालित होने लगी। केंद्र के पास अपने निजी ध्वनि विस्तारक यंत्र, सिनेमा प्रक्षेपी मशीन, मेजिक लेन्टर्न, जी। आदि है। श्रमिकों को रहने के लिए स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद मकानों की दिशा में इंदौर मिल मजदूर संघ प्रारंभ से प्रयत्न करता रहा। संघ के सक्रिय सहयोग तथा भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक निर्माण योजना के अंतर्गत श्रमिकों के रहवास के लिए समितियां बनाई गई जिनमें श्रमिकों को सस्ती दरों पर भूमि आवंटित की गई। संघ ने ऋण की सुविधा कराकर मकान बनाने के लिए श्रमिकों को प्रेरित किया। श्रमिक बस्तियों में गुलजारी नंदा के नाम पर नंदा नगर,पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नेहरू नगर और क्लर्क कॉलोनी प्रमुख है। मजदूर संघ ने 1944 में आग से नष्ट हुए जीवन की फेल (परदेसीपुरा) नामक बस्ती का भी पुनर्निर्माण किया। इसमें लगभग 250 परिवारों को पलाट देकर बसाया गया। इंदौर मिल मजदूर संघ की प्रेरणा व सहयोग से बनाई गई श्रमिक बस्तियों ने सारे देश में एक आदर्श प्रस्तुत किया। सेवा भावनाओं को ध्यान में रखकर संघ द्वारा नंदा नगर में मजदूर सेवा दल का निर्माण किया गया। दल का निश्चित गणवेश एवं बैंड है। सेवा दल द्वारा परेड , बौद्धिक तथा खेलकूद की विभिन्न प्रवृत्तियां नियमित रूप से चलाई जाती रही। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संघ ने आमोद प्रमोद और क्रीड़ा केंद्र भी स्थापित किए। इनके माध्यम से समय-समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही। संघ ने नंदा नगर में श्रमिकों के लिए एक विशाल स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया तथा एक प्रसुति गृह ,एक अल्पाहार गृह, एक सहकारी भंडार आदि का निर्माण किया। इसमें श्रमिकों के बच्चों की चिकित्सा और श्रमिक महिलाओं के लिए प्रसूति संबंधी सभी आधुनिक स्वास्थ्य एवं सुविधाएं उपलब्ध थी। श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्लर्क कॉलोनी में एक व्यायाम शाला भी स्थापित की गई। श्रम शिविर में एक वृहद ग्रंथालय एवं वाचनालय भी स्थापित किया गया जिसमें हिंदी की कई पुस्तकें संग्रहीत थी तथा श्रेष्ठ दैनिक साप्ताहिक व मासिक पत्र आते थे। श्रमिकों में ललित कलाओं का विकास हो तथा वे कला के क्षेत्र में आगे बढ़े इसी उद्देश्य से संघ ने श्रम कल्याण केंद्र के माध्यम से यह व्यवस्था की की जो श्रमिक चित्रकला व संगीत कला में रुचि रखते हैं वे कारखानों में काम करने के बाद अतिरिक्त समय में श्रम शिविर में आकर इन ललित कलाओं का शिक्षण प्राप्त कर सकते थे। इंदौर मिल मजदूर संघ द्वारा सदैव यह प्रयास किया गया कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अच्छे शिक्षा उपलब्ध हो इसलिए संघ ने नंदा नगर में बाल मंदिर का निर्माण करवाया और संचालन किया। श्रमिकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए। संघ के सक्रिय सहयोग से नंदा नगर में नेहरू बाल उद्यान का निर्माण किया गया। जहां खेलकूद के आधुनिक उपकरणों के साथ एक खुला रंगमंच तथा बच्चों के लिए स्विमिंगपूल के सुविधा भी थी। उस समय इस तरह का पूरे मध्यप्रदेश में यह एकमात्र बाल उद्यान था।परंतु रखरखाव के अभाव में इस उद्यान की अवस्था खराब होती चली गई।

श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनके परिवार की महिलाएं शिक्षित हो हर कार्य में निपुण हो। संघ ने प्रयास किया कि श्रमिक महिलाएं भी विकास के पथ पर अग्रसर हो जिससे वे अपने तथा अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें इन्हीं उद्देश्यों से संघ ने विभिन्न बस्तियों में महिला शिक्षण केंद्र चलाए जहां लिखने।ढ़ने के अतिरिक्त सिलाई, बुनाई, कढ़ाई खिलौने बनाने ,संगीत ,नृत्य आदि का शिक्षण दिया जाता था। समय-समय पर इनमें विशेष उत्सव तथा मोहल्ला सभाएं आयोजित की जाती थी। जिसमें श्रमिक तथा उनके परिवार की महिलाएं उत्साह से भाग लेती थी। महिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र नंदा नगर में चलाया जाता था। प्रारंभ में यहां पर महिलाओं के मनोरंजन तथा ज्ञान वर्धन के लिए एक रेडियो भी था इस केंद्र पर आने वाली महिलाओं के लिए पास ही पालनागृह भी था। महिलाएं अवकाश के समय का अच्छा उपयोग करते हुए अपने कुटुंब कि आय बढ़ा सकें इस दृष्टि से इंदौर मिल मजदूर संघ द्वारा अंबर चरखा केंद्र में चरखा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। श्रमिकों में फैली शराब की बुराई को दूर करने एवं उनमें अच्छे संस्कार तथा मितव्ययिता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से इंदौर मिल मजदूर संघ ने जीवन विकास संघ के नाम से अ।ना मद्य निषेधा विभाग कायम किया। संघ ने श्रमिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना तथा उसके कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। संघ के द्वारा मोहल्ला सुधार समितियां गठित की गई जिनके द्वारा निचली बस्तियों में बरसात के दिनों में श्रमदान द्वारा पानी निकासी की व्यवस्था की गई ,सड़कें बनाई गई ,बस्तियों की सफाई व्यवस्था के प्रयास किए। श्रमिकों के लिए श्रम शिविर में ही एक आदर्श केंटीन खोली गई थी जिसमें उचित दर पर अच्छी किस्म की वस्तुएं देकर सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया था।

मजदूर संघ द्वारा श्रमिक वर्ग में सामाजिक – राजनीतिक चेतना के लिए बराबर कार्य किया जाता रहा ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मजदूर संघ के प्रोत्साहन से मजदूरों तथा संघ के प्रतिनिधियों ने 1952 के नगर निगम चुनाव में भाग लिया तथा चुनाव में सबसे अधिक श्रमजीवी ही विजयी रहे। संघ के प्रतिनिधि ईश्वर चंद जैन इंदौर नगर निगम के प्रथम महापौर बनाए गए। श्री चांदमल गुप्ता जो हुकुमचंद मिल में श्रमिक थे ,दो बार महापौर

बने। श्री गंगाराम तिवारी जो मजदूर थे, मध्य प्रदेश श्रम आयोग के अध्यक्ष बने। इस तरह विभिन्न पदों पर रहते हुए इन्होंने श्रमिक हितकारी कार्य किए। संघ के द्वारा देश के औद्योगिक केंद्रों एवं दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए श्रमिकों को भ्रमण यात्राएं कराई जाती रही हैं। इसके अतिरिक्त संघ की ओर से कई श्रमिक नेताओं को विदेश यात्रा पर भेजा गया ताकि वहां के श्रमिक संगठन के कार्यों को देख कर प्रेरणा ली जाए। इंदौर मिल मजदूर संघ ने राष्ट्र पर आए संकट अथवा सेवा के अवसर पर भी अपना विनम्र योगदान दिया। संघ ने गांधी मजदूर स्मारक निधि, श्रमिक प्रशिक्षण महाविद्यालय निधि ,मजदूर हित संरक्षण निधि, प्रधानमंत्री बाढ़ सहायता निधि 1954, आदि अनेक महत्वपूर्ण निधियों में अपने हिस्से का अंशदान किया है।

16 मई 1960 को इंदौर में श्रमिक प्रतिष्ठान जो देश भर की पहली नगरीय शिक्षा समाज की योजना थी , की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री श्री व्ही.व्ही. द्रविड़ ने इस योजना को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।श्रम प्रतिष्ठान इंदौर के श्रमिकों, श्रम संगठनों तथा श्रम आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं तथा भागीदारी करने वालों के लिए ऐसा केंद्र बिंदु था जहां अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ। प्रारंभ में श्रम शिविर से ही श्रम प्रतिष्ठान द्वारा मजदूरों की मानस चेतना , सुसंस्कार तथा जागृति हेतु नीत आंदोलन संचालित किया जाता था। बाद में नंदा नगर से इसकी गतिविधियां संचालित होने लगी।श्रम प्रतिष्ठान के माध्यम से श्रमिकों को शिक्षित किया जाता था।।उनको विभिन्न कलाओं चित्रकला, संगीत, नाटक, नृत्य सहित आदि में भी प्रशिक्षित किया जाता था। प्रतिष्ठान के पास अपना ग्रंथालय एवं वाचनालय है। महिलाओं के लिए भी प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है। प्रतिष्ठान एक प्रकार से श्रमिकों के मानसिक विकास के लिए महान सेवा साबित हुई। इंदौर मिल मजदूर संघ के मजदूर नेताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठान के कार्यों में सहयोग दिया विशेषकर श्रमिकों को शिक्षित करने में उनका योगदान सराहनीय है। संघ ने समय-समय पर राष्ट्रीय ,सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व ,के दिवस पर समारोह का भी आयोजन किया। इंदौर के मजदूरों द्वारा गणेश उत्सव बड़े ही उत्साह से मनाया जाता रहा है। इंदौर के कपड़ा मिलों से निकाले जाने वाली चलित झांकियां अद्वितीय रही है। राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का मंत्र भी झांकियों के द्वारा गुंजाया गया।

निष्कर्ष - गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित इंदौर मिल मजदूर संघ की गतिविधियां रचनात्मक रही हैं। इन प्रवृत्तियों से जहां एक और श्रमिक भाई - बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठा वही यह गतिविधियां उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। साथ ही इन गतिविधियों का सुप्रभाव उत्पादन।र भी पड़ा। संघ ने मध्यस्थता से मूल मजदूरी का मानकीकरण ,महंगाई भत्ता, कार्यभार श्रमिकों का उत्तरदायित्व, कार्य के घंटों तथा कार्य के शर्तों का विनिमय ,लाभांश ,मिल बंदी भत्ता आदि जैसी अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में सफलता प्राप्त की। प्रारंभ से ही गांधीवादी के आदर्शों पर चलकर हड़ताल को अंतिम उपाय के रूप में माना तथा आवश्यक होने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। संघ ने श्रमिकों में उत्तरदायित्व और अनुशासन की भावना जागृत करने का निरंतर प्रयास किया जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कपड़ा मिले बंद होने पर संघ इस बात के लिए प्रयत्नशील रहा कि श्रमिकों की जितनी लेनदरी है जैसे बोनस, वेतन भत्ता आदि उन्हें शीघ्रता से मिल जाए। संघ के पास इतनी चल अचल संपत्ति है कि उनसे होने वाले आय से मजदूर हितों में किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ा सकती है। वर्तमान इंदौर मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण पाठक जी के अनुसार इंदौर की कपड़ा मिले अवश्य बंद हो गई हैं परंतु इंदौर के आसपास टेक्सटाइल सूत इकाइयों तथा अन्य कारखानों में इंदौर में मजदूर संघ सक्रियता से कार्यरत है। कोरोना महामारी के उपरांत लॉकडाउन तथा उसके पश्चात भी मजदूरों की समस्याओं को संघ ने प्रमुखता से उठाया तथा भविष्य में भी इंदौर मिल मजदूर संघ निरंतर श्रमिक हितों में प्रयासरत रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गिरी, वी.वी.- भारतीय मजदूरों की प्रमुख समस्याएं ,द्वितीय संस्करण -1958
2. सिंह, रघुवीर - मालवा में युगांतर, प्रथम संस्करण -1938
3. मैथ्यू, के .एम . -भारत में श्रम आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास, चतुर्थ संस्करण 1989
4. तिवारी, गंगाराम - इंदौर के मजदूर आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास, प्रथम संस्करण 1957
5. तिवारी, गंगाराम - इंदौर राज्य ,स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास, प्रथम संस्करण 1974
6. भंडारी ,सुख संपत्ति राय - भारत के देशी राज्य, इंदौर राज्य का इतिहास, प्रथम संस्करण , 1927
7. श्रीवास्तव, प्रेम नारायण - मध्य प्रदेश जिला गजेटियर ,इंदौर, 1974
8. सिंह, स्नेहलता - इंदौर मिल मजदूर संघ (भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से संबंधित संगठन) 1941-1995 , अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध ,दे.अ.वि.वि. इंदौर , 2003
9. साक्षात्कार - श्री लक्ष्मीनारायण पाठक ,वर्तमान अध्यक्ष, इंदौर मिल मजदूर संघ

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

उज्जैन जिले में महिला उद्यमियों के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान

डॉ. मन्सूर खान * फरजाना खान **

*प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी. शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अधिकांश महिला उद्यमी स्वयं को रोल मॉडल और मशहूर हस्तियों के रूप में स्थापित करने में नाकामयाब ही रही हैं। भारत महिला उद्यमिता को लेकर क्रांति के छोर पर बैठा है और इसी के साथ दुनिया में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि आने वाले समय में महिला उद्यमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक जबरदस्त प्रभाव छोड़ने में सफल रहेगी।

महिलाओं द्वारा उद्यमशीलता को अपनाने की प्रवृत्ति बहुत शान्त स्वरूप में बढ़ती है लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत में महिलाओं द्वारा पापड़ और अचार को तैयार करके बेचने का चलन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। बीएनपी परीबास द्वारा अमरीका, यूरोप, मध्यपूर्व और एशिया के क्षेत्र को कवर करने हुए वर्ष 2015 मे जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इन तमाम क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिहाज से भारत सबसे सक्रिय देश के रूप में सामने आया है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि भारत में मौजूद उद्यमियों में से 49 प्रतिशत महिलाएँ उद्यमी हैं।

महिलाओं को उद्यमशीलता के क्षेत्र में उतरने के सपनों को वास्तविकता में बदलने के पीछे सबसे बड़े कारण उनके बीच शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण का बढ़ता हुआ दौर है, लेकिन इनके बजाए कई और सामाजिक आर्थिक कारणों के चलते आज कुछ महिला उद्यमी विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाती हैं।

लेकिन फिर भी महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने का जिम्मा उठाने वाली सरकारी योजनाएँ महिला उद्यमी के विकास के लिए सतत् प्रयास कर रही है। इसी के साथ उज्जैन जिले की राष्ट्रीयकृत बैंक भी महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करके उनके विकास में अपना योगदान दे रही है ताकि महिला उद्यमिता का विकास हो सके। महिला उद्यमिता के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करके कितना योगदान दिया गया है। निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

उज्जैन जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा महिला उद्यमियों के विकास में किया गया वित्तीय योगदान (प्रदान किया गया ऋण) 2015-16 से 2019-20 तक (हजारों में)

क्र	विभिन्न उद्योग	कार्यशील पूँजी	स्थायी पूँजी	कुल पूँजी
1	अगरबत्ती उद्योग	81795	55400	137195
2	पापड़ उद्योग	80000	87615	167615
3	बडी उद्योग	55870	53500	109370
4	अचार उद्योग	68950	50780	119730
5	झाडू उद्योग	94860	38920	133780
6	टोकरी उद्योग	88473	49900	138373
7	ब्यूटी पार्लर	95550	48840	144390
8	टेलरिंग उद्योग	98375	60000	158375
9	दोना पत्तल उद्योग	70000	50500	120500
10	बुटिक	96280	42580	138860
11	मोबाईल कवर उद्योग	59840	58460	118300
12	चक्की उद्योग	82480	51030	133510
13	बीड़ी उद्योग	97650	65890	163540
	योग	10,70,123	7,13,415	17,83,538

स्त्रोत :- अग्रणी बैंक योजना पुस्तक बैंक ऑफ इंडिया उज्जैन सन् 2019-20

तालिका क्रमांक 8.5 से स्पष्ट होता है कि 5 वर्षों के अंदर उज्जैन जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा महिला उद्यमियों के विकास के लिए विभिन्न उद्योगों को कार्यशील पूँजी का कुल 10,70,123 हजार रूपये में ऋण उपलब्ध कराया और स्थायी पूँजी में कुल 7,13,415 हजार रूपये में ऋण उपलब्ध कराया कुल मिलाकर 17,83,538 हजार रूपये में ऋण प्रदान करके महिला उद्यमियों के विकास में अपना योगदान दिया ताकि महिला उद्यमी उद्योगों के क्षेत्रों में आगे आ सके। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक उज्जैन जिले में महिला उद्यमियों के विकास के लिए निरन्तर ऋण प्रदान कर रहा है। उपरोक्त तथ्य उज्जैन जिले में महिला उद्यमियों के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों के योगदान को दशाते है।

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि उज्जैन जिले में महिला उद्यमियों के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंको का सम्पूर्ण दृष्टिकोण में ओर अधिक परिवर्तन आया है तथा राष्ट्रीयकृत बैंक महिला उद्यमियों के विकास में अपनी भूमिका को सफलतापर्वूक निभा रही है यह निश्चित ही बहुत बड़ा योगदान है। किन्तु यह सफलता केवल राष्ट्रीयकृत बैंको के प्रयासों से संभव नहीं होगी। इसके लिए अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी आगे आना होगा। महिला उद्यमियों का महत्व समझना होगा तभी हमारे उज्जैन जिले, राज्य तथा देश में महिला उद्यमियों का विकास संभव होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ. आर. पी. गुप्ता – विकास का अर्थशास्त्र
2. सुनील कुमार तिवारी – संगठानात्मक व्यवहार
3. सी. बी. मामोरिया – औद्योगिक विकास
4. डॉ. के. सी. भण्डारी – भारत में आर्थिक नियोजन
5. डॉ. प्रबन्ध कुमार सक्सेना – वित्तीय व्यवस्था
6. डॉ. विवके शर्मा – बैंकिंग प्रबन्ध
7. एस.पी. सिंह एवं टी.आर. गम्भीर – औद्योगिक विकास
8. योजना पत्रिका

****

महिलाओं के उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के योगदान का अध्ययन (उज्जैन संभाग के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रूपचंद चौहान *

* एम.कॉम., पी-एच.डी., 397, महात्मा गाँधी मार्ग नयापुरा, बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - वर्तमान में सभी समाजों में उद्यमिता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनकर उभरा है इसका प्रमुख कारण पुरूषो के साथ-साथ महिलाओं का उद्यमिता के प्रति आकर्षण है। उद्यमिता ही गरीबी, बेरोजगारी एवं निम्न जीवन स्तर से उभार सकती है। उद्यमी चाहे पुरूष हो या महिला उसमें उद्यमी गुण होना आवश्यक है। बिना उद्यमी गुणो के उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नही की जा सकती है। महिलाओं में उद्यमी गुणो में वृद्धि के लिए तथा मार्गदर्शन देने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक संस्थाएँ उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के माध्यम से प्रयत्नशील है। उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के माध्यम से महिलाओं के उद्यमिता विकास में योगदान दे रही है। इन कार्यक्रमो के माध्यम से उद्यमिता की पूर्ण जानकारी महिलाओं तक पहुँच पा रही है, साथ ही जिस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है वह भी पहुँच पा रहा है। क्या महिलाओं मे उद्यमिता का पर्याप्त विकास हो पा रहा है। इस शोध पत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में महिलाओं के उद्यमिता विकास का अध्ययन किया गया है। समस्त अध्ययन के लिए उज्जैन संभाग का संदर्भ लिया गया है।

शब्द कुंजी - उद्यमिता विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

प्रस्तावना - उद्यमिता आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल मंत्र है। उद्यमिता से बाहर और उद्यमिता के बिना कुछ भी संभव नही है। उद्यमिता मानव की सभी क्रियाओं में व्याप्त है। उद्यमिता ही वह संसाधन है जो संगठनो को उत्पादक, उद्देश्यपूर्ण एवं कार्यशील बनाता है। प्रबंध विशेषज्ञ पीटर ड्रकर लिखते है 'एक आवश्यक विशिष्ट एवं प्रमुख संस्था के रूप में उद्यमिता का प्रादुर्भाव समाज के इतिहास में एक केन्द्रीय घटना है। इस शताब्दी के सक्रांति काल से ही कोई एक नयी संस्था, एक नया प्रभुत्व समूह इतनी तेजी से नही उभरा है जितना कि उद्यमिता।' भूमण्डलीकरण, आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के बाद सभी समाजो में उद्यमिता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में केन्द्रीय तत्व बनकर उभरा है क्योकि उद्यमिता के द्वारा ही हम गरीबी, बेरोजगारी व निम्न जीवन स्तर आदि समस्याओं से छुटकारा पा सकते है। उद्यमिता के क्षेत्र में लंबे समय से पुरूषो का वर्चस्व रहा है तथा आज भी काफी सीमा तक विद्यमान है। विगत तीन दर्शको में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तनो के फलस्वरूप उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं का आगमन हुआ है। महिला उद्यमियो को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एवं निजी संस्थान विशेष रूप से प्रयत्नशील है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संगठित एवं विकसित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारो द्वारा कई संस्थानो की स्थापना की गई है।

केन्द्र सरकार की उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मंडल, अखिल भारतीय लघु बोर्ड आदि संस्थाएँ कार्यरत है। मध्यप्रदेश सरकार की उद्यमिता को बढावा देने के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. आदि संस्थाएँ कार्यरत है।

इन संस्थाओं द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय तकनीकी तथा प्रबंधकीय पहलुओं से संबंधित ज्ञान को प्रशिक्षणार्थियों तक पहुँचाया जाता है। इसके साथ-साथ उद्यमी को बाह्रय अवसरो, सहायताओं तथा सामाजिक एवं संगठनात्मक सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

इस शोध पत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में महिलाओं के उद्यमिता विकास का अध्ययन किया गया है। विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत-उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को शामिल किया गया है। समस्त अध्ययन के लिए उज्जैन संभाग का संदर्भ लिया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :

1. इंदिरा मिश्र (2000) ने 'गरीब महिलाएँ एवं रोजगार' पुस्तक में सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं तथा महिलाओं को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को बताया गया है। महिलाओं द्वारा सरकारी नीतियो के सही उपयोग तथा आर्थिक सशक्तिकरण के साथ महिलाओं के सुदृढ भविष्य का वर्णन भी किया है।
2. शीला वर्मा (2011) ने 'विकास कार्यक्रमो में जनजातीय महिलाओं पर योजनाओं के प्रभावो का अध्ययन' शोध पत्र में जनजातीय महिलाओं पर विभिन्न योजनाओं के प्रभावो का अध्ययन कर बताया गया कि महिलाओं

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

में आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के लिए स्वयं की जागरूकता तथा प्रयासो की आवश्यकता है।

शोध का उद्देश्य – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में महिलाओं के उद्यमिता विकास का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो से महिलाओं में उद्यमिता का विकास हुआ है।

शोध अध्ययन प्रणाली – प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के उद्यमिता विकास में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के योगदान का अध्ययन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि ये कार्यक्रम महिलाओं के उद्यमिता विकास में कहाँ तक सफल हुए है। समस्त अध्ययन के लिए उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो को आधार बनाया गया है।

प्रदत्तो का विश्लेषण – महिलाओं के उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की महती भूमिका है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्यम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। ताकि महिलाएँ पुरूषो के साथ कदम से कदम मिलाकर बिना किन्ही कठिनाईयों और समस्याओं के उद्यम का सफल संचालन कर सके।

ये कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो पर आधारित, सामान्य तथा तकनीकी में आयोजित किए जाते है। उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो में महिला प्रशिक्षणार्थियों की स्थिति को तालिका क्रं. 01 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 01 : उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो में महिला प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)

संस्था का नाम	**महिला प्रशिक्षणार्थियों की स्थिति**	
	संख्या	**बैंको को प्रेषित ऋण हेतु आवेदन**
उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र.	94	52
म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गे-नाइजेशन लिमिटेड	58	31
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	78	42
योग	230	125

स्त्रोत :- जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

उपरोक्त तालिका क्रं. 01 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं-उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो में कुल 230 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 125 महिला प्रशिक्षणार्थियों के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए गए।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो में कुल 94 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 52 के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो में कुल 58 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 31 के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए। इस प्रकार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो में कुल 78 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 42 के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा सर्वाधिक 94 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सर्वाधिक 52 महिला प्रशिक्षणार्थियों के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए गए तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा सबसे कम 58 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सबसे कम 31 महिला प्रशिक्षणार्थियों के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए गए।

महिला प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो पर आधारित, सामान्य तथा तकनीकी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा केवल सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महिला प्रशिक्षणार्थियों के ऋण हेतु सर्वाधिक आवेदन वाणिज्यिक बैंको को प्रेषित किए गए।

महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ऋण स्वीकृत होने के पश्चात उद्यम प्रारंभ किया गया तथा अस्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ नही किया गया। संस्थावार उद्यम प्रारंभ करने वाली तथा उद्यम प्रारंभ नही करने वाली महिलाओं को तालिका क्र. 02 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. 02 : संस्थावार उद्यम प्रारंभ करने वाली तथा उद्यम प्रारंभ नही करने वाली महिलाओं की जानकारी (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)

संस्था का नाम	**उद्यम प्रारंभ करने वाली महिलाओं की संख्या**	**उद्यम प्रारंभ नही करने वाली महिलाओं की संख्या**	**सफलता का प्रतिशत**
उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र.	46	48	48.94
म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	26	32	44.82
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	35	43	46.01
योग	107	123	46.52

स्त्रोत :- जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

उपरोक्त तालिका क्रं. 02 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के उपरांत कुल 107 महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया तथा सफलता का प्रतिशत 46.52 रहा।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा आयोजित उद्यमिता

विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के उपरांत कुल 46 महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 48.94 रहा तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के उपरांत कुल 26 महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 44.82 रहा। इसी प्रकार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के उपरांत कुल 35 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतिशत 46.01 रहा।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में महिला प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम की ओर अग्रसर करने में सर्वाधिक 48.94 योगदान उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. का रहा तथा सबसे कम 44.82 प्रतिशत म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड का रहा।

परिकल्पना की पुष्टि – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो से महिलाओं में उद्यमिता का विकास हुआ है, परिकल्पना की पुष्टि नही होती है क्योकि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में कुल 230 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 107 महिला प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम की ओर अग्रसर किया गया तथा सफलता का प्रतिशत 46.52 रहा। जो कि आधे से भी कम अर्थात 50 प्रतिशत से भी कम है।

निष्कर्ष – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो से महिलाओं में उद्यमिता का पर्याप्त विकास नही हुआ है क्योकि विभिन्न आयोजक संस्थाओं का उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के प्रति संवेदनशीलता का अभाव तथा महिलाओं में ज्ञान एवं सूचना की कमी प्रमुख कारण रहा है। यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम महिला प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण पूर्व, दौरान और पश्चात आने वाली विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाए तो अधिकतम उद्यमिता विकास किया जा सकता है। इसके अलावा पारिवारिक सकारात्मकता, सामाजिक वातावरण के साथ ही उद्यम के प्रति रूचि, अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ और सहयोगी संस्थाएँ उद्यमिता विकास के लिए पूर्व आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जैन एवं शर्मा (2011), 'उद्यमिता के मूलाधार', रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. डॉ. गंगेले एवं जैन (2009), 'उद्यमिता विकास', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
3. इंदिरा मिश्र (2000), 'गरीब महिलाएँ एवं रोजगार' (पुस्तक)
4. शीला वर्मा (2011), 'विकास कार्यक्रमों में जनजातीय महिलाओं पर योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन' (शोध पत्र)
5. रूपचंद चौहान (2016), 'उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) के योगदान का अध्ययन' (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
6. जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच।
7. जिला कार्यालय, म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच।
8. जिला कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच।
9. उद्यमिता समाचार पत्र, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल
10. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

बालश्रम समस्या: कारण, प्रभाव, निराकरण

डॉ. पूजा तिवारी *

* विभागाध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - बालश्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बालश्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है।

भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल-कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले पांच से चौदह वर्ष उम्र के बच्चों को बालश्रमिक कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अठारह वर्ष से कम आयु का श्रमिक बाल श्रमिक है। बालश्रम का उद्भव तब हुआ जब पूंजीपति वर्ग द्वारा मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से मजदूरों के बच्चों का सामाजिक एवं अमानवीय शोषण किया गया। सन् 1953 में इंग्लैड में चटिस्ट आंदोलन में सर्वप्रथम बालश्रम की अमानवीय प्रक्रिया की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ, बालश्रम समस्या के अनेक कारण होते है, प्रस्तुत शोध पत्र बालश्रम समस्या के कारण, प्रभाव तथा समस्या समाधान के कारणों पर केन्द्रित है।

शब्द कुंजी - बालश्रम, सरकार, स्वयंसेवी संगठन, शोषण।

प्रस्तावना - बालश्रम निषेध दिवस से ठीक 2 दिन पूर्व 10 जून 2021 को यूनीसेफ तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा चाइल्ड लेबर: ग्लोबल इस्टीमेप्स 2020 ट्रैंडस एन्ड दि रोड फोरवर्ड रिर्पोट जारी की गई, रिर्पोट के मुख्य बिंदु इस प्रकार दर्शाए गए है दुनिया भर में श्रमिक बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ कर 160 मिलियन हो गई है जिससे पिछले चार वर्षो में 8.4 मिलियन बाल श्रमिक बच्चों की वृद्धि हुई है। रिर्पोट के अनुसार पिछले 20 वर्षो में पहली बार बालश्रम समाप्ति की प्रगति में बाधा आई हैं।

पांच से 11वर्ष के बच्चों के बालश्रम में संलग्न भागीदारी कुल बाल श्रमिक की संख्या के आधे से अधिक है खतरनाक कार्यो में लगे 5 से 17 वर्ष को आयु के बाल श्रमिक सन् 2016 के बाद से 6.5 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 79 मिलियन हो गई है। कोविड-19 के प्रभाव के कारण लाखों और बच्चे वर्ष 2022 तक बालश्रम की ओर आने के जोखिम में है। जो लगभग नौ मिलियन होगी।

कृषि क्षेत्र में बालश्रम 70प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 20प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 10प्रतिशत पाये गये है। पांच से ग्यारह वर्ष के लगभग 28प्रतिशत बच्चे और 12 से 14 वर्ष की आयु के 35 प्रतिशत बालश्रमिक स्कूल जाने से वंचित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालश्रम 14 प्रतिशत है जो शहरी क्षेत्रों में 05 प्रतिशत से लगभग तीन गुना अधिक है।

रिर्पोट के अनुसार अगर पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक पंहुच नहीं बढ़ाई गई तो यह संख्या दिया छियालिस मिलियन तक हो सकती है।

यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि डॉ. यास्मीन अली हक के अनुसार कोरोना वायरस महामारी साफ तौर पर, बाल अधिकार के लिए संकट के रूप में उभरी है, जिसमें कई और परिवारों के अत्यंत गरीब होने के कारण बालश्रम बढ़ने का जोखिम और बढ़ गया है यूनीसेफ की रिर्पोट में चेतावनी दी गई है कि महामारी के परिणाम स्वरूप 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर नब्बे लाख अतिरिक्त बच्चों को बालश्रम में धकेल दिए जाने का खतरा है।

बालश्रम के कारण- 1. दरिद्रता, 2. निरक्षरता, 3. श्रम कानून का लचीलापन, 4. सामाजिक मापदण्ड, 5. अवसर की कमी, 6 प्रवासिता, 7. सामाजिक असमानता, 8. अन्य कारण यथा बुनियादी सुविधाओं से वंचित आदि स्पष्ट है कि बालश्रम का सर्वाधिक प्रमुख कारण आर्थिक है, दरिद्रता या गरीबी के कारण यह समस्या दिनोंदिन बढ़ रही है।

बालश्रमिकों की संख्या विश्व में सर्वाधिक संख्या 'अफ्रीका में लगभग 7.21 करोड़, एशिया पैसफिक में 6.2 करोड़, अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक है जिसमें लगभग 56 लाख लड़के एवं लगभग 45 लाख लड़किया शामिल है। भारत में 80% ग्रामीण वाला श्रमिक है जिसमें 32.9 खेती से जुडे क़ाम पर लगभग 33 लाख है जबकि 26% खेती हर मजदूर है। राज्यों में सर्वाधिक बालश्रमिक उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश में है जिनकी संख्या लगभग 55% है।

बालश्रम के दुष्प्रभाव:- 1. बाल शोषण, 2. देश की अर्थव्यवस्था को खतरा, 3. अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन गंभीर प्रभाव एवं परिणाम, 4. शिक्षा से वंचित होना, 5. मानसिकता का दूषित होना, 6. बाल तस्करी, 7. गौर कानूनी तरीके से दस्तक प्रक्रिया, 8. शारीरिक कमजोरी, इन्फैक्षन, बिमारियों से ग्रस्ति होना, 9. मुफत मजदूरी, 10. हिंसात्मक व्यवहार बढ़ना।

बालषोषण के अतंर्गत छोटे बच्चों से कठिन कार्य करवाना, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, ईट भट्टे पर काम, गलीचा बुनाई, घरेलू कामकाज, चाय की दूकान पर कार्य, चूड़ी उद्योग में कार्य, मछली व्यापार, खेती बाड़ी, कारखाने में कार्य, पटाखा उद्योग में कार्य करवाया जाता है, इसके अतिरिक्त बच्चों का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी, योन उत्पीडन, ऑनलाइन गेम्स आदि में किया जाता है।

शोध क्षेत्र एवं उद्देश्य प्रस्तुत शोध पत्र में शोध क्षेत्र शहरी क्षेत्र जिला छिन्दवाड़ा के बाल जनिकों पर केन्द्रित रखा गया है जो अक्सर रेलवे स्टेषन, बस स्टेड, घरों एवं दुकानों पर कार्य करते पाये जाते है।

शोध पद्धति–प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आकडे हेतु विभिन्न पुस्तक, लेख, इंटरनेट आंकडे तथा प्राथमिक आंकडे हेतू निर्दशन पद्धति से चयनित 25 उत्तर दाताओं का साक्षात्कार लिया गया है जो कठिन कार्य रहा क्योंकि उत्तरदाता साक्षात्कार से बचने की पूरी कोशिश करते रहे।

तलिका क्रमांक 1 : आयु की स्थिती

क्र.	आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	8 से 10वर्ष	8	32
2	11 से 15वर्ष	13	52
3	16 से 17 वर्ष	4	16
	योग	25	100

तलिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बाल श्रमिक 11 से 15 वर्ष के है जो 52 प्रतिशत है जबकि दूसरे नंबर पर 8 से 10 वर्ष के बालश्रमिक है जिनका प्रतिशत 32% है, जबकि 16 से 17वर्ष के बालश्रमिको की संख्या 16% है स्पष्ट है कि बच्चे अत्याधिक कम आयु से ही काम करना शुरू कर देने है।

तालिका क्रमांक 2 : लिंग की स्थिती

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	बालक	19	76
2	बलिका	06	24
	योग	25	100

तालिका से स्पष्ट है कि बालश्रमिकों में 76% लडके एवं 24% लड़किया संलग्न है अर्थात् इस क्षेत्र में बालकों की संलग्नता बालिकाओं से अधिक है।

तालिका क्रमांक 3 : विभिन्न कार्यो (व्यवसाय) में बालश्रमिकों की संलग्नता

क्र.	कार्यो (व्यवसाय) के नाम	संख्या	प्रतिशत
1	होटल/ढ़ाबों पर कार्य करना	10	40
2	कपड़ा दुकान/किराना स्टोर्स पर कार्य करना	7	28
3	घरेलू नौकर के रूप में कार्यकरना	5	20
4	रिपेयरिंग की दूकान पर कार्य करना	3	12
	योग	25	100

तालिका क्रमांक 4 : बालश्रम करने का कारण

क्र.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1	माँ–बाप की मृत्यु होने के कारण	15	60
2	अनपढ़ रहने के कारण	3	12
3	गरीबी के कारण	7	28
	योग	25	100

तलिका क्रमांक तीन एवं तालिका क्रमांक चार से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 40% बालश्रमिक होटल एवं ढ़ाबों पर कार्य करने मजबूर है जबकि कपड़ा दूकान/ किराना स्टोर्स पर 28% एवं घरेलू नौकर के रूप में 20% तथा रिपेयरिंग की दुकानों पर 12% बालश्रमिक पाये गए है। इसी प्रकार मां–बाप की मृत्यु हो जाने के कारण 60% गरीबी के कारण 28% तथा अनपढ रहने के कारण 12% बच्चे बालश्रमिक बनने मजबूर है।

भारत में बालश्रमिकों की समस्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है, वर्तमान समय में कोरोना के दुष्प्रभाव से भी यह समस्या विकराल रूप में हमारे समक्ष आयी है। बालश्रमिक समस्या के निराकरण हेतू शासकीय योजना, स्वयंसेवी संस्थाओं, मूलभूत अधिकारों का पालन, शिक्षा का विस्तार, बालश्रमिकों का पुर्नवास, जनचेतना अभियान रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी दूर करना, आर्थिक विकास, दत्तक प्रक्रिया का सरलीकरण तथा योजनाओं का सही क्रियान्वयन करके ही बालश्रमिक समस्या पर नियत्रंण रखा जा सकता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि बालश्रम बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेता है और पीढ़ी, दर पीढ़ी, गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता है। जब तक समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग बालश्रम के विरूद्ध सजग नहीं होगा तब तक बालश्रमिक समस्या से छुटकारा पाना अकल्पनीय होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुमार अभिषेक– अंतर्राष्ट्रीय परिदृष्य जुलाई 1, 2021, रिर्पोट वैश्विक आकलन 2020
2. आहुजा राय– सामातिक समस्याएं– रावत पब्लिकेशन, पृष्ठ क्रमांक 231
3. शुक्ला डॉ. रेखा– समाज वैज्ञानिकी गौरव प्रकाशन, पृष्ठ क्रमांक 108
4. प्रकश अनामिका– बाल श्रमिक और न्याय व्यवस्था कुरूक्षेत्र नई दिल्ली

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के बहुपक्षीय व्यक्तित्व का अध्ययन

विजया थोटेकर * **प्रो. ममता बाकलीवाल** **

* सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) राजीव गाँधी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (शिक्षा) राजीव गाँधी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के बहुपक्षीय व्यक्तित्व गुण का अध्ययन किया गया है इस शोध विषय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अशासकीय विद्यालय से कुल 60 विद्यार्थियों (30 छात्र व 30 छात्राओं) को याद्दच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया। जिनका अध्ययन करने के लिए मंजू अग्रवाल द्वारा निर्मित प्रमापीकृत मापनी का प्रयोग किया गया। सांख्यिकी विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, तथा टी मान के द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुए की छात्र-छात्राओं में अंतर्मुखी व्यक्तित्व, आत्मप्रत्यय व्यक्तित्व, स्वतंत्रता व्यक्तित्व, प्रवृत्ति व्यक्तित्व, चिंता तथा समायोजन व्यक्तित्व, गुण में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
शब्द कुंजी – व्यक्तित्व, चिंता, समायोजन

प्रस्तावना – व्यक्तित्व वास्तव में व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण विशेषता है जिसका प्रदर्शन उसके विचारों, आदतों अभिव्यक्ति के ढंग तथा जीवन के प्रति व्यक्तिगत दार्शनिक दृष्टिकोण के द्वारा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा सर्वाधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा के द्वारा बालक अपनी योग्यताओं क्षमताओं एवं रूचियों को विकसित करता है।

मानव जीवन एवं शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत का महत्व है परंतु इस क्षेत्र में जो मापदण्ड निर्धारित किए गए है वह अभी भी अपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा आयोग में शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए है उसमें ये शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि के साथ हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है।

प्रारंभिक बाल्यवस्था शिक्षा में विकसित किए गए शैक्षणिक अभ्यास और बच्चे के व्यक्तित्व गठन के बीच संबंध सकारात्मक होता है। 'शैक्षणिक गतिविधि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में योगदान करती है। संज्ञानात्मक स्नेह और मनोविश्लेशन के रूप में जो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का अधिग्रहण करता है वो व्यक्तित्व के विकास का आधार बनाता है।

व्यक्तित्व की परिभाषा, 'व्यक्ति के ढॉचे, व्यवहार की विधियों, रूचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है।'

मन (P.569) Munn (P.569)

जटिल पर एकीकृत प्रक्रिया के रूप में व्यक्तित्व की धारणा आधुनिक व्यावहारिक मनोविज्ञान की देन है।

थार्प व शमलर Thorpe and schmuller: Personality

आधुनिक युग में शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व पर अधिक बल दिया गया है। अत: कहा जा सकता है कि आधुनिक युग बाल-केन्द्रित शिक्षा का युग है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई भी दो व्यक्ति समान नही होते। यहॉ तक कि जुडवॉ बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है।

'शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यो, गति सम्बन्धी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रूचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है।' **– टायलर**

अध्ययन की आवश्यकता - आज हमारा समाज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिनमें परंपरागत जीवन मूल्यों की जड़े कटती सी महसूस हो रही है। शिक्षा के इतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जितने कि प्राप्त होना चाहिए। एक सुविकसित व्यक्तित्व की उपलब्धि में गहरी गिरावट आई है, जिससे कि व्यक्ति और समाज का अवमूल्यन हुआ है, युवा वर्ग हताश है, जो राष्ट्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। **चौधरी** (2012) ने हाई स्कूल के विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय एवं व्यक्तित्व के मध्य सहसंबंध का अध्ययन किया जैसा कि निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि, विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय एवं व्यक्तित्व के मध्य सार्थक संबंध है। **वर्मा जयश्री** (2018) ने शोध अध्ययन में पाया कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं जीवन शैली का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण की दशा में बालकों को संप्रदाय निरपेक्ष की दृष्टि से शिक्षित करने हेतु अनेकानेक प्रयोग देश भर में किए जा रहे हैं। प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना, मौन, नैतिक कहानियॉं सुनाना, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन तथा सफाई एवं स्वच्छता के कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं। परंतु यह केवल समस्या के ऊपरी सतह को ही छूने का प्रयास है। यह आवश्यक है कि, शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों को पहचाने तथा उचित मार्गदर्शन उन्हें प्रदान करें।

उद्देश्य :

1. माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के अन्तर्मुखी, आत्मप्रत्यय, स्वतंत्रता एवं प्रवृत्ति व्यक्तित्व गुणों का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के चिन्ता स्तर का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के समायोजन स्तर का अध्ययन करना।

परिकल्पनाऐं :

1. माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में अंतर्मुखी व्यक्तित्व गुण में कोई

सार्थक अंतर नहीं है।

2. माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में आत्मप्रत्यय व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में स्वतंत्रता व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में प्रवृत्ति व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में समायोजन व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में चिंता व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श – प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श हेतु भोपाल जिले के दो अशासकीय विद्यालय (राजीव गॉधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्रिलंगा, भोपाल, सरस्वती शिशु मंदिर, अरेरा कालोनी भोपाल) का चयन किया गया न्यादर्श समष्टि की समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रहता है। शोध पत्र हेतु यादृच्छिकी न्यादर्श विधि का चुनाव संयोगिक आधार पर किया गया है। अत: इस शोध प्रपत्र के अध्ययन हेतु कक्षा 9वीं के 60 विद्यार्थियों (30 छात्र, 30 छात्राओं) का यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया।

शोध उपकरण – किसी भी शोध कार्य हेतु प्रदत्तों का संकलन करने के लिए प्रमापीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अत: प्रस्तुत शोध कार्य की समस्या से संबंधित पूर्वनिर्मित प्रमापीकृत परीक्षणों में बहुमुखी व्यक्तित्व सूची- कुं. मंजु अग्रवाल का उपयोग किया गया। इस परीक्षण की विश्वसनीयता .77 तथा वैधता .74 है।

प्रदत्तों का विश्लेषण – प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण पूर्व के उद्देष्यों एवं परिकल्पनाओं के अनुसार किया गया। प्राक्कल्पनाओं की प्रकृति के अनुसार छात्र-छात्राओं के दो समंको के मध्यमानों के मध्य अंतर की सार्थकता का परीक्षण अपेक्षित है। प्रस्तुत शोध में मध्यमान, मानक विचलन, तथा टी मान के द्वारा विश्लेषण किया गया।

तालिका क्र.1 : माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में अंतर्मुखी व्यक्तित्व गुण की तुलना

समूह	कुल संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	निष्कर्ष
छात्र	30	43.63	4.24	0.291	सार्थक
छात्राएँ	30	45.3	7.44		नहीं है

स्वतंत्रता के अंश-58, सार्थकता मान 0.05 स्तर पर-2.00

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि टी परीक्षण के द्वारा प्राप्त मान 0.091, स्वतंत्रता के अंश 58, 0.05 सार्थकता स्तर पर निश्चित मान 2.00 से कम है। अत: कह सकते है कि माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में अंतर्मुखी व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस प्रकार सम्बद्ध परिकल्पना स्वीकृत है।

तालिका क्र. 2 : माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में आत्मप्रत्यय व्यक्तित्व गुण की तुलना

समूह	कुल संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	निष्कर्ष
छात्र	30	46.00	4.56	0.958	सार्थक
छात्राएँ	30	46.06	5.34		नहीं है

स्वतंत्रता के अंश-58, सार्थकता मान 0.05 स्तर पर-2.00

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि टी परीक्षण के द्वारा प्राप्त मान 0.958, स्वतंत्रता के अंश 58, 0.05 सार्थकता स्तर पर निश्चित मान 2.00 से कम है। अत: कह सकते है कि माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में आत्मप्रत्यय व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस प्रकार सम्बद्ध परिकल्पना स्वीकृत है।

तालिका क्र. 3 : माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में स्वतंत्रता व्यक्तित्व गुण की तुलना

समूह	कुल संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	निष्कर्ष
छात्र	30	50.46	4.35	0.388	सार्थक
छात्राएँ	30	49.03	5.91		नहीं है

स्वतंत्रता के अंश-58, सार्थकता मान 0.05 स्तर पर-2.00

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि टी परीक्षण के द्वारा प्राप्त मान 0.388, स्वतंत्रता के अंश 58, 0.05 सार्थकता स्तर पर निश्चित मान 2.00 से कम है। अत: कह सकते है कि माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में स्वतंत्रता व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस प्रकार सम्बद्ध परिकल्पना स्वीकृत है।

तालिका क्र. 4 : माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में प्रवृत्ति व्यक्तित्व गुण की तुलना

समूह	कुल संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	निष्कर्ष
छात्र	30	36.73	6.49	0.051	सार्थक
छात्राएँ	30	40.00	6.20		नहीं है

स्वतंत्रता के अंश-58, सार्थकता मान 0.05 स्तर पर-2.00

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि टी परीक्षण के द्वारा प्राप्त मान 0.051, स्वतंत्रता के अंश 58, 0.05 सार्थकता स्तर पर निश्चित मान 2.00 से कम है। अत: कह सकते है कि माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में प्रवृत्ति व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस प्रकार सम्बद्ध परिकल्पना स्वीकृत है।

तालिका क्र. 5 : माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में समायोजन व्यक्तित्व गुण की तुलना

समूह	कुल संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	निष्कर्ष
छात्र	30	50.03	3.86	0.773	सार्थक
छात्राएँ	30	50.07	6.50		नहीं है

स्वतंत्रता के अंश-58, सार्थकता मान 0.05 स्तर पर-2.00

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि टी परीक्षण के द्वारा प्राप्त मान 0.773, स्वतंत्रता के अंश 58, 0.05 सार्थकता स्तर पर निश्चित मान 2.00 से कम है। अत: कह सकते है कि माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में समायोजन व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस प्रकार सम्बद्ध परिकल्पना स्वीकृत है।

तालिका क्र. 6 : माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में चिंता व्यक्तित्व गुण की तुलना

समूह	कुल संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	निष्कर्ष
छात्र	30	41.05	5.90	0.259	सार्थक
छात्राएँ	30	43.66	8.59		नहीं है

स्वतंत्रता के अंश-58, सार्थकता मान 0.05 स्तर पर-2.00

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि टी परीक्षण के द्वारा प्राप्त मान 0.259, स्वतंत्रता के अंश 58, 0.05 सार्थकता स्तर पर निश्चित मान 2.00 से कम है। अत: कह सकते है कि माध्यमिक स्तरीय छात्र-छात्राओं में

चिंता व्यक्तित्व गुण में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस प्रकार सम्बद्ध परिकल्पना स्वीकृत है।

निष्कर्षों की व्याख्या– छात्राओं में व्यक्तित्व गुण अंतर्मुखी 45.3, प्रवृत्ति 40.0 तथा चिंता 43.6 का मध्यमान छात्रों के क्रमश: मध्यमान 43.6, 36.7, 41.0 से अधिक है। अत: छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में अंतर्मुखी, प्रवृत्ति व चिंता संबंधी व्यक्तित्व गुण अधिक पाए गये, जबकि छात्रों में स्वतंत्रता व्यक्तित्व गुण मध्यमान 50.4 मध्यमान छात्राओं की अपेक्षा छात्रों में अधिक है।

शोध की निहितार्थ :

1. शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करें तथा उन्हें विभिन्न शालेय गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करें ताकि उनमें आत्मविश्वास बढे।
2. अभिभावकों को शिक्षकों से समय–समय पर मिलते रहना चाहिए और अपने बालकों की अध्ययन आदतों से परिचित होना चाहिए।
3. ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है।
4. भिन्न–भिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
5. विद्यालयों में संचालित हो रही पाठ्यसहगामी क्रियाएँ जैसे वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान, नाटक, खेल, योगा, विज्ञान, प्रदर्शनी आदि भी बालक–बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Buch, M.B. “Fourth survey of Research in Education” (Vol.11) Published at Publication Division of NCERT New Delhi.
2. गैरेट, ई.हेनरी. (2007) ‘शिक्षा और मनोविज्ञान में साख्यिकी के प्रयोग’, नई दिल्ली कल्याणी पब्लिशर्स
3. Gaggniga, M.S. (2016). Psychological Science 6 E W.W. Norton & Company Inc.
4. Robert, A Baron, (2003), Psychology Alyn & Bacon Incorported, Publisher
5. वर्मा, जयश्री (2018) शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं जीवन शैली का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन।
6. Woolfolk, Anita (2013) Psychology in education 2nd edn epub ebook, pearson education longman.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

कामकाजी महिलाओं पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव (भोपाल म.प्र. के अयोध्या नगर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अनीता धुर्वे * श्रीमती सुनीता बाणकर **

* सह प्राधयापक (समाजशास्त्र) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के कारण तालाबंदी हुई है, और इस महामारी के कारण परिवार को घर के अंदर ही रहना पड़ा, कोविड-19 महामारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक पड़ा। रिचमंड द अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा हुए एक शोध से ज्ञात हुआ हैं, कि कोविड-19 महामारी का प्रभाव महिलाओं की मानसिक स्थिति पर पुरुषों की अपेक्षा अधिक पड़ा हैं, यह शोध 1064 महिला और पुरूष पर किया गया था। कामकाजी महिलाएं घर के बाहर और स्वयं के घर में, दोनों जगह पर कार्य करती हैं। एक और वह परिवार को भी संभालती है, तो दूसरी और वह परिवार के लिए आर्थिक गतिविधि में भी संलग्न रहती हैं, उसको अपनी नौकरी और परिवार के बीच तालमेल बनाना मुश्किल होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगाई गई तालाबंदी में कामकाजी महिलाओं को अधिक चुनौतीयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि, आर्थिक गतिविधियां रुक जाने के कारण उन्हे मानसिक रूप के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन यह भी सच है, की महिलाएं तनाव, संघर्ष, गलत फहमीयों से बचते हुए तालाबंदी के दौरान अपनी पारिवारिक गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों के बीच अच्छा संतुलन बनाया। इस शोध पत्र में शोधकर्त्ता द्वारा भोपाल नगर म.प्र. की सबसे बड़ी कॉलोनी अयोध्या नगर मैं रहने वाली कामकाजी महिलाओं पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को जानने का प्रयास किया हैं।

अध्ययन के उद्देश्य - शोधार्थी द्वारा कामकाजी महिलाओं को नौकरी और घरेलू कार्य के संतुलन और कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए जो इस प्रकार हैं :-

1. कामकाजी महिलाओं की कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. तालाबंदी के दौरान कामकाजी महिलाओं के दोहरें दायित्व में संतुलन की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध पद्धति - कामकाजी महिलाओं पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को समझने के लिए वर्णनात्मक नमूनाकरण विधि का उपयोग शोधर्थी द्वारा किया गया हैं। उपरोक्त विश्लेषण में शोधार्थी द्वारा भोपाल म.प्र. की अयोध्या नगर कॉलोनी में से 30 कामकाजी महिलाओं का चयन किया गया। आंकड़ों के संग्रहण हेतु टेलिफोनिक साक्षात्कार और प्रतिभागियों के साथ शोधकर्त्ता के निकट संपर्क का उपयोग किया गया, जिससे कोविड-19 गाइडलाइन का पालन भी किया जा सके। शोधकर्त्ता द्वारा तालाबंदी के दौरान कामकाजी महिलाओं के समक्ष चार नकारात्मक और चार सकारात्मक प्रभाव रखे गए थे। नकारात्मक प्रभाव में कार्यभार, नीरस दिनचर्या, तनाव, भविष्य की चिंता से संबंधित थे, जबकि सकारात्मक प्रभाव में पारिवारिक समय, काम के घंटे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान से संबंधित थे।

शोध अध्ययन की प्रकृति को प्रतिभागियों को ठीक से समझाया गया था, चयनित प्रतिभागियों के जवाब मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए जिसका उपयोग सिर्फ शोध अध्ययन करने हेतु किया गया, अध्ययन सामग्री को एकत्रित करने के लिए शोधार्थी द्वारा गूगल लिंक माध्यम का भी उपयोग किया गया, और समय-समय पर जारी सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन एवं सरकार द्वारा समाज के हित में संचालित योजनाओं का भी ध्यान रखा गया।

अधिक कार्यभार - कामकाजी महिलाओं ने कोविड-19 महामारी के कारण तालाबंदी को विशेष रूप से तनावपूर्ण और कठिन पाया, क्योंकि घर का काम करने के साथ-साथ घर के अन्य कार्य को अपने सहयोगियों के बिना करना, इस प्रकार यह अतिरिक्त भार था। जो पुरुष काम के लिए बाहर जाते थे, और बच्चे स्कूल के लिए बाहर जाते थे, वे घर पर हैं, जो महिलाओं के लिए अतिरिक्त बहुत सारे काम की स्थिति पैदा करते हैं।

तालिका क्रमांक - 1 : कामकाजी महिलाओं पर कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यभार

क्र.	अधिक कार्यभार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	22	73.33
2.	नहीं	08	26.97
	योग	**30**	**100**

स्त्रोंत-टेलिफोनिक साक्षात्कार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है,कि अधिकांश महिलाओं ने हाँ कहां 22 (73.33 प्रतिशत) महिलाओं पर अधिक कार्यभार की समस्या रही, जबकि 08 (26.97 प्रतिशत) महिलाओं ने नहीं कहां कोविड-19 महामारी के दौरान कामकाजी महिलाओं पर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ा हैं।

नीरस दिनचर्या -कोविड 19 महामारी और तालाबंदी ने एक नीरस जीवन का नैतृत्व किया हैं, जो लोग एक ही दिन बार-बार जी रहे हैं। खासतौर पर कामकाजी महिलाएं जो घर में फंसी हुई हैं, वे घर और ऑफिस के कामों की जरूरतों के बीच कमजोर और थकाऊ हो रही हैं, चूंकि वे अपने कार्यालय में व्यस्त दिनचर्या की आदि हैं, इसलिए उनका समय कटना मुश्किल साबित हो रहा हैं।

तालिका क्रमांक -2 : कामकाजी महिलाओं की कोविड-19 महामारी के दिनचर्या

क्र.	नीरस दिनचर्या	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	20	66.67
2.	नहीं	10	33.33
	योग	**30**	**100**

स्त्रोंत- टेलिफोनिक साक्षात्कार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि कामकाजी महिलाओं ने हाँ कहां 20 (66.67प्रतिशत) महिलाओं की दिनचर्या नीरस रही, जबकि 10 (33.33 प्रतिशत) कामकाजी महिलाओं ने नहीं कहां इस तालिका से स्पष्ट है, कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी नीरस दिनचर्या रही इससे कामकाजी महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

तनाव और भविष्य की अधिक चिंता - जिन महिलाओं ने कोविड 19 महामारी और तालाबंदी से ठीक पहले अपनी नौकरी छोड़ दी, वह मानसिक रूप से प्रभावित हुई, वे काम की तलाश में चिंता कर रही हैं।

इस प्रकार हाथ में कोई काम नहीं होने के कारण वे पूरे दिन बहुत तंगी महसूस कर रहे हैं, कोविड19 महामारी के समय लिया गया कर्ज तनाव को बढ़ा रहा हैं। वेतन कटौती अपने आप में बहुत तनाव लेकर आती हैं। तनाव और चिंता के कारण महिलाओं को आर्थिक संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं, संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता हैं। कामकाजी महिलाएं एकल या विवाहित, एक कठिन वित्तीय भविष्य का सामना करती हैं। एक अकेली माँ ने बेरोजगार होने के कारण अपनी सारी बचत खर्च कर दी, अब उन्हें चिंता है कि स्कूल की फीस, किराया और दिन-प्रतिदिन के खर्चो का भुगतान कैसे करें। कुछ महिलाएं जो घंटो के आधार पर काम कर रही हैं, वे अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं।

तालिका क्रमांक -3 : कामकाजी महिलाओं को कोविड-19 की महामारी के दौरान तनाव और भविष्य की चिंता

क्र.	तनाव और भविष्य की अधिक चिंता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	25	83.33
2.	नहीं	05	16.67
	योग	**30**	**100**

स्त्रोंत- टेलिफोनिक साक्षात्कार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि कामकाजी महिलाओं 25 (83.33 प्रतिशत) ने हाँ कहां तनाव और भविष्य की चिंता हैं, लॉकडाउन के समय महिलाओं को आर्थिक संबंधी समस्या का सामना भी करना पड़ा जबकि 05 (16.67 प्रतिशत) ने नहीं कहां उनका एकमात्र कारण घर के अन्य सदस्य भी आय अर्जित करने में संलग्न थे, इस तालिका से स्पष्ट है,कोविड-19 काकामकाजी महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

पारिवारिक समय और कार्य के घंटे - पति, बच्चों और ससुराल वालों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, परिवार के सदस्यों के साथ उपयोगी बातचीत करना। इससे सकारात्मक वातावरण बनता हैं, क्योंकि उन्हें यह अवसर हर दिन नहीं मिलता है। बच्चों के साथ संचार बढ़ता है, बहुत सारे संदेह कम होते हैं, समय के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों के बीच गलतफहमी पैदा होती हैं, जो एक दुसरे के साथ समय बिताने से गलतफहमी कम और उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। कंपनियां या संस्थान महिलाओं को घर से काम करने की अनुमति देती हैं, साथ ही उन्हें काम के लचीले घंटे प्रदान करती हैं। इस प्रकार महिलाएं काम को पूरा करने के लिए निश्चित घंटों के रूप में शांति महसूस करती है।

तालिका क्रमांक -4 : कामकाजी महिलाओं पर कोविड-19 की महामारी केदौरान पारिवारिकसमय

क्र.	पारिवारिक समय और कार्य के घंटे	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	23	76.67
2.	नहीं	07	23.33
	योग	**30**	**100**

स्त्रोंत- टेलिफोनिक साक्षात्कार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि कामकाजी महिलाओं 23 (76.67 प्रतिशत) ने हाँ कहां लॉक डाउन के दौरान कामकाजी महिलाओं को परिवार के लिए अधिक समय मिला और घर के कार्यों में बच्चों और पति का पूर्ण सहयोग रहा जिससे भावनात्मक रिश्तें मजबूत हुए जबकि 07 (23.33 प्रतिशत) कामकाजी महिलाओं ने नहीं में उत्तार दिया, सहयोगियों के बिना कार्य करना मुश्किल होता है, इस तालिका से स्पष्ट हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

शिक्षा और रूची - कामकाजी महिलाएं व्यस्त होती थी, लॉकडाउन के दौरान उनके पास खाना पकाने, पेंटिंग करने, फिल्में देखने के अपने पुराने शौकों को ताजा करने का समय था, जो व्यस्त कार्य और पारिवारिक गतिविधियों के दौरान संभव नहीं था। इस प्रकार वे ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को भी सीखते हैं।

तालिका क्रमांक -5 : कामकाजी महिलाओं पर कोविड-19 की महामारी के दौरान शिक्षा और रूची

क्र.	शिक्षा और रूची	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	27	90
2.	नहीं	03	10
	योग	**30**	**100**

स्त्रोंत- टेलिफोनिक साक्षात्कार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है,कि कामकाजी महिलाओं 27 (90 प्रतिशत) ने हाँ कहां लॉकडाउन के दौरान कामकाजी महिलाओं को अपने लिए समय मिला है, उन्होने अपनी शिक्षा एवं रूची संबंधित कार्यो को ऑनलाइन माध्यम से बढ़ाया।

जबकि 03 (10 प्रतिशत) कामकाजी महिलाओं ने नहीं में उत्तार दिया। इस तालिका से स्पष्ट है, कोविड-19 महामारी के दौरान सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

स्वास्थ्य पर ध्यान - हर महिला फिट होना चाहती है, लेकिन एक कामकाजी महिला के लिए काम के साथ फिट रहना बहुत मुश्किल होता हैं। इस प्रकार तालाबंदी के दौरान व्यायाम करने,उचित नींद लेने, स्वस्थ भोजन खाने से अपनी फिटनेस बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधित देखभाल करने का एक अच्छा मौका मिला है।

तालिका क्रमांक -6 : कामकाजी महिलाओं पर कोविड-19 की महामारी केदौरान स्वास्थ्य पर ध्यान

क्र.	स्वास्थ्य पर ध्यान	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	30	100
2.	नहीं	0	0
	योग	**30**	**100**

स्त्रोंत- टेलिफोनिक साक्षात्कार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है,कि कामकाजी महिलाओं 30 (100 प्रतिशत) ने हाँ कहां कोविड-19 की महामारी के दौरान कामकाजी महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव का असर देखने को मिला है।

कामकाजी महिलाओं हेतु सुझाव :

1. कामकाजी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के साथ आपदा को अवसर में बदलकर अपनी अतिरिक्त आय में बढ़ोतरी हेतु प्रयास करने चाहिए।
2. कोविड-19 महामारी ने कामकाजी महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव किए हैं, उन्हें अपनी बदलती जीवन शैली में सामंजस्य बिठाकर कार्य करना चाहिए।
3. यदि कामकाजी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलती हैं, तो वह अपने कार्यो के घंटों को निर्धारित कर कार्यालय का काम करें, जिससे उनके कार्य समय पर पूरे होंगे और मानसिक चिंता नहीं रहेगी।
4. कामकाजी महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और पर्याप्त नींद लेना चाहिए, पर्याप्त नींद अच्छी सेहत को बनाती हैं, क्योंकि महामारी की चिंता और घर एवं ऑफिस के काम से तनाव का स्तर बढ़ जाता हैं।

निष्कर्ष - इस अध्ययन का विश्लेषण कामकाजी महिलाओं पर कोविड -19 के प्रभाव को समझने का एक प्रयास है। भारत में, महिलाओं को शायद ही कभी अपने किए कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती हो, लेकिन मुख्य रूप से वे अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस अध्ययन से पता चलता है, कि तालाबंदी के दौरान कामकाजी महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करती हैं, उन्हें ऑफिस और घर के अत्यधिक काम का बोझ महसूस होता है। पारिवारिक अपेक्षाओं को पूरा करना और स्वयं के लिए समय न होना कामकाजी महिलाओं के कार्य और जीवन के संतुलन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। परिणामस्वरूप कई महिलाएं उच्च स्तर के तनाव और चिंता का शिकार होती हैं, और पारिवारिक जीवन का आनंद भी नहीं ले पाती हैं। कामकाजी महिलाओं के साथ अनौपचारिक चर्चाओं से पता चला कि, जिन कामकाजी महिलाओं के पास परिवार या पति का सहयोंग है, वह बेहतर कार्य जीवन संतुलन का आनंद लेती हैं। उपरोक्त निष्कर्षो में कामकाजी महिलाओं के जीवन संतुलन के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को दिखाया गया है। तालाबंदी के दौरान स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए सुझाव भी देता है।चूंकि यह अध्ययन एक क्रियात्मक शोध है, कोविड -19 महामारी के कारण आकडें एकत्र करने का एकमात्र तरीका टेलीफोनिक साक्षात्कार था। नमूना आकार 30 है, जो अध्ययन की पूरी आबादी को सामान्य बनाने के लिए लागू नहीं हो सकता है। गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती हैं। शोध बहुत कम समय में किया गया है। डेटा संग्रह तकनीक, टेलीफोनिक साक्षात्कार में बहुत अधिक संचार, साक्षात्कारकर्ता की उपलब्धता और तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. टीएम,औरसमर्स,डब्ल्यूसी (1871) अवकाश पर काम का प्रभाव: एक प्रतिमान 14(3),310-327.
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन(2020)कोरोनावायरस रोग (कोविड-19)महामारी, नवीनतम
3. लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस (जिनेवा) अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग
4. न्यूमैन,एलडब्ल्यू(2015)सामाजिक अनुसंधान के तरीके: गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण,
5. भारत सरकार की (कोविड-19)प्रेस कॉन्फ्रेंस
6. मध्यप्रदेश संदेश पत्रिका - मध्यप्रदेश शासन
7. नई दुनिया, दैनिक भास्कर - भोपाल, इन्दौर
8. www.Wikipedia

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

पारिवारिक भोजन पर शैक्षणिक स्तर का प्रभाव

डॉ. आराधना श्रीवास *

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिशु हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य और संस्कारों पर ध्यान देना माता-पिता का कर्त्तव्य है। बालक की भोजन संबंधी आदतों व खान-पान का ध्यान अभिभावकों को रखना चाहिये। एक स्वस्थ्य तथा सामान्य शिशु में हमारे सब दुखों को भुला देने की क्षमता होती है। बच्चों का उचित पालन-पोषण कर के उसे संपूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित करना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अनेक माता-पिता तथा अभिभावक अपने दायित्व का निर्वाह सफलता पूर्वक नहीं कर पाते है।

स्वस्थ्य शिशु में स्वस्थ्य मस्तिष्क का विकास होता है परन्तु आज की भागदौड़ की जिन्दगी में माता-पिता को अपनी संतान के खानपान की ओर ध्यान देने का वक्त नहीं होता है कि 'बच्चों को कैसा भोजन देना चाहिये' अनभिज्ञ बना रहता है इसका कारण उनके पास समय का अभाव है। आज संयुक्त परिवार कम और एकांकी परिवार अधिक देखने को मिलते है। आर्थिक समस्याओं के निदान करने हेतु माता-पिता बच्चों के खान-पान की ओर ध्यान न देते हुये अर्थोपार्जन की दुनिया में दौड़ लगा रहे है। बच्चे का विकास हो तो कैसे हो। बच्चे को खाना कुछ है परन्तु माता-पिता अपने कार्य को महत्व देते हुये बेटा पिज्जा खा लिजिये, मैगी बना दे, नूडल्स बना दे आदि। माता-पिता स्वयं बच्चों को फास्ट-फूड ग्रहण करने हेतु प्रेरित करते है कारण है समय की बचत। फिर बच्चों को भी आदत बन जाती है। जहाँ बच्चों को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है और फास्ट-फूड से इनकी पूर्ति नहीं हो पाती।

प्रस्तावना – प्रारम्भ में ही बच्चे के विकास पर ध्यान नहीं गया तो स्वस्थ बालक में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होना असंभव है। कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होय मन। अच्छे स्वास्थ्य के लिये उचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों का भोजन में समावेश अत्यन्त आवश्यक है। एक ओर जहाँ भोजन से शारीरिक विकास होता है वहीं दूसरी ओर भोजन हमारी मानसिक स्थिति के लिये भी महत्वपूर्ण होता है। भोजन से हमें आनंद, प्रसन्नता, संतुष्टि व सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। हम भोजन का प्रयोग दोस्ती बनाये रखने के लिये, अवकाश के दिनों को उल्लासित करने के लिये करते है। धर्म में भी भोजन का प्रमुख स्थान है। हमारे समय का एक बहुत बड़ा भाग भोजन से संबंधित कार्यों में से अधिकतर कार्य भोजन को उगाने, ठीक तरह से रखने तथा उसे तैयार करने से संबंधित है। उत्तम पोषण कई व्यक्तियों की समझ, ज्ञान तथा सहायता पर निर्भर करता है। उत्तम पोषण किसी बालक के अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी नहीं ले सकता पर अच्छे पोषण के बिना किसी भी व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य संभव नहीं है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि परिवार में माता-पिता को भोजन एवं पोषण संबंधी ज्ञान हो यदि माता-पिता शिक्षित होगे तो वह अपने बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुये उनके स्वास्थ को अच्छा बनाये रखने में सहायक हो सकेंगें।

मनीषा 1990 में अपने शोध में उच्च उपलब्धि एवं निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी के शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन कर पाया कि कम आर्थिक सामाजिक स्तर के बच्चों की उपेक्षा मध्यम सामाजिक स्तर के बच्चों की उपेक्षा मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों में अधिक उपलब्धि प्रेरणा पाई गई।

सिंह बी. एन. 1966 के अनुसार विद्यार्थियों की चिन्ता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक संबंध होता है। जिन विद्यार्थियों की शैक्षिक चिंता उच्च थी उनमें शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम थी।

वर्मा ओ. पी. 1984 के अनुसार चिन्ता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सम्बन्ध होता है। इन्हीं अनुसंधान कार्यो को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत शोध कार्य में प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राओं की शैक्षिक चिन्ता का तुलनात्मक अध्ययन करने का विचार किया गया जिससे प्राप्त परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों को शैक्षिक चिन्ता कम करने के सुझाव दिये जा सकते है।

शर्मा 2003 ने अपने अध्ययन में यह पाया कि माता का उच्च शैक्षणिक स्तर बच्चे में आत्म प्रत्यय एवं मानसिक विकास के साथ धनात्मक सम्बन्ध रखता है।

डेविड अल्का 2003 ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यवसायिक तथा अति उच्च शिक्षित महिलाओं के बच्चों में स्नातक शिक्षित महिलाओं के बच्चों की अपेक्षा आत्म-प्रत्यय एवं मानसिक विकास उच्च श्रेणी का होता है।

कोचर जी. के. एवं अग्रवाल 2007 ने सोलन हिमाचल प्रदेश की 13 से 19 वर्ष की किशोर बालिकाओं में पोषण सम्बन्धी अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला की पोषण शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं का पोषण स्तर सुधारा जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालक-बालिकाओं के माता-पिता के शैक्षणिक स्तर के प्रभावों की जानकारी का अध्ययन करना है।

अध्ययन की उपकल्पना– माता-पिता के शैक्षणिक स्तर का प्रभाव बालक-बालिकाओं के भोजन पर सकारात्मक पड़ता है।

अध्ययन की विधि- प्रस्तुत अध्ययन सागर शहर के संदर्भ में किया गया। प्रस्तुत अध्ययन सागर शहर की चार शालाओं के बालक - बालिकाओं के परिवारों में किया गया। बालक-बालिकाओं की उम्र 8 से 13 वर्ष थी। इसमें 150 बालक व 150 बालिकाओं के परिवारों को लिया गया। इनका चयन दैव निर्दशन विधि के द्वारा किया गया। तथ्यों के समंकों के संकलन हेतु साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली का प्रयोग किया गया एवं द्वितीय समंकों के संकलन हेतु विभिन्न अभिलेखों पत्रों एवं शोध प्रबंध आदि अन्य संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया। शोध के उद्देश्य तथा समंकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया। इसमें बालक-बालिकाओं के माता-पिता के शैक्षणिक स्तर को ज्ञात किया गया।

व्याख्या एवं विश्लेषण -शोध अध्ययन हेतु तथ्यों के संकलन के पश्चात् उनकी व्याख्या एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रारम्भिक अवस्था में संकलित किये गये तथ्य अव्यवस्थित एवं जटिल होते है। संकलित समंकों को सरल, संक्षिप्त एवं अध्ययन योग्य बनाने हेतु वर्गीकरण एवं सारणीयन की आवश्यकता होती है। यह न केवल समंकों कों उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रकट करती है बल्कि सांख्यिकीय सामग्री के निर्वचन की आधार शिला है। प्रस्तुत अध्ययन 300 बालक-बालिकाओं के परिवारों पर किया गया। प्रस्तुत अध्ययन माता-पिता के शैक्षणिकस्तर को ज्ञात करने के लिये किया गया। इसमें परिवार के द्वारा प्रश्नावली को भरवाया गया। जिसको निम्न तालिका के द्वारा दर्शाया जा रहा है।

तालिका क्र. 1 : माता का शैक्षणिक स्तर

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	4	1.33
2.	प्राथमिक	24	8.00
3.	माध्यमिक	17	5.67
4.	उच्चतर	103	34.33
5.	स्नातक	75	25.00
6.	स्नातकोत्तर	67	22.33
7.	अन्य	10	3.33
	कुल	**300**	**100.00**

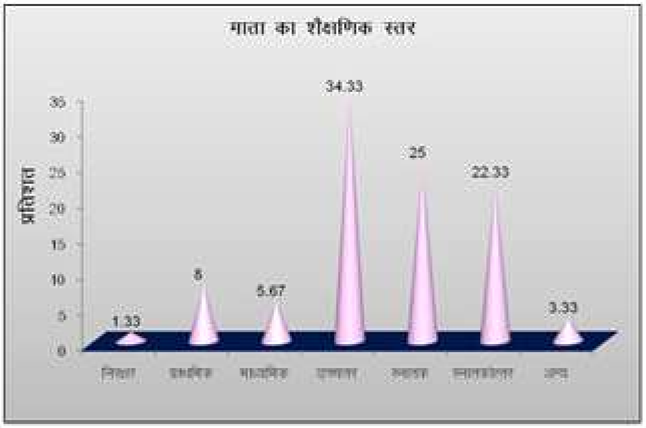

ग्राफ क्र.1 : माता का शैक्षणिक स्तर

प्रयोज्यों से प्राप्त उत्तर के आधार पर माताओं के शैक्षणिक स्तर सम्बन्धी आंकड़ों की स्थिति को तालिका क्र. 1 में दर्शायी गयी है। तालिका के अनुसार निरक्षर माताओं की संख्या 4(1.33 प्रतिशत), प्राथमिक शिक्षा प्राप्त माताओं की संख्या 24(8 प्रतिशत), माध्यमिक शिक्षा प्राप्त माताओं की संख्या 17(5.67 प्रतिशत), उच्चतर शिक्षा प्राप्त माताओं की संख्या 103(34.33 प्रतिशत), स्नातक शिक्षा के स्तर पर माताओं की संख्या 75(25 प्रतिशत), स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त के अन्तर्गत माताओं की संख्या 67(22.33 प्रतिशत) तथा अन्य शिक्षा जैसे - पीएच.डी., एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., एम.डी., बी.एड., एम.एड., डी.लिट. के स्तर पर माताओं की संख्या 10(3.33 प्रतिशत) पाई गई। प्रस्तुत अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि माताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार आ रहा है और वह परिवार से बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त कर रही है।

तालिका क्र. 2 : पिता का शैक्षणिक स्तर

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	0	0.00
2.	प्राथमिक	4	1.33
3.	माध्यमिक	25	8.33
4.	उच्चतर	78	26.00
5.	स्नातक	71	23.67
6.	स्नातकोत्तर	97	32.33
7.	अन्य	25	8.33
	कुल	**300**	**100.00**

प्रस्तुत अध्ययन में तालिका क्र. 2 के द्वारा बालक-बालिकाओं के पिता का शैक्षणिक स्तर दर्शाया गया है। तालिका में बालक-बालिकाओं के निरक्षर पिता की संख्या शून्य पायी गयी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त पिता की संख्या 4(1.33 प्रतिशत), माध्यमिक शिक्षा प्राप्त पिता की संख्या 25(8.33 प्रतिशत), उच्चतर शिक्षा प्राप्त पिता की संख्या 78(26.00 प्रतिशत), स्नातक शिक्षा प्राप्त पिता की संख्या 71(23.67 प्रतिशत), स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त पिता की संख्या 97(32.33 प्रतिशत) तथा अन्य शिक्षा के अन्तर्गत जैसे- पीएच.डी., एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., एम.डी., बी.एड., एम.एड, डी.लिट. पिता की संख्या 25(8.33 प्रतिशत) पाई गई।

माता की अपेक्षा पिता का शैक्षणिक स्तर अधिक पाया गया है क्योंकि आज भी कई परिवारों में बेटियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ग्राफ क्र. 2 : पिता का शैक्षणिक स्तर

तालिका क्र. 3 : परिवार के भोजन के प्रति सचेत रहना

क्र.	परिवार के भोजन के प्रति सचेत रहना	बलक		बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	75	50	81	54
2.	नहीं	35	23.33	15	10

3.	कभी-कभी	40	26.66	54	36
	कुल	**150**	**100**	**150**	**100**

तालिका क्र. 3 में परिवार के भोजन के प्रति सचेत रहने की स्थिति को संकलित किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल 300 में से 150 बालक व 150 बालिकाएँ हैं। 150 बालकों के परिवारों में से 75(50 प्रतिशत) परिवार भोजन के प्रति सचेत रहते पाए गए, 35(23.33 प्रतिशत) परिवार भोजन के प्रति सचेत नहीं रहते पाएगए व 40(26.66 प्रतिशत) परिवार भोजन के प्रति कभी-कभी सचेत रहते पाए गए। इसी प्रकार 150 बालिकाओं के परिवारों में से 81(54 प्रतिशत) परिवार भोजन के प्रति सचेत रहते पाए गए। क्रमश: 15(10 प्रतिशत) व 54(36 प्रतिशत) परिवार ऐसे पाये गए जो भोजन के प्रति सचेत नहीं रहते हैं व भोजन के प्रति कभी-कभी सचेत रहते हैं।

प्रस्तुत तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि बालिकाओं के परिवार बालकों के परिवार की तुलना में भोजन के प्रति अधिक सचेत रहते पाए गए।

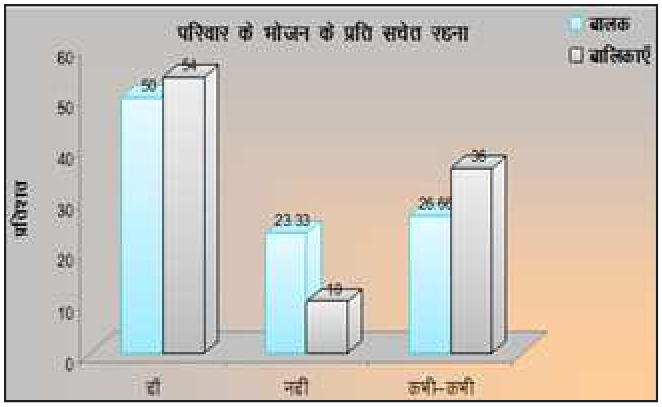

ग्राफ क्र.3 : परिवार के भोजन के प्रति सचेत रहना

निष्कर्ष- प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश परिवारों में माँ की अपेक्षा पिता अधिक शिक्षित पाये गये। माता-पिता दोनों ही अपने बच्चों के भोजन संबंधी जानकारी रखते पाये गये। प्राय: देखा गया कि शिक्षित माता-पिता अपने बच्चों के भोजन के प्रति सर्तक पाये गये। इसका कारण उनकी भोजन के प्रति जानकारी देखी गयी। माता-पिता शिक्षित होने के कारण संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी व फास्ट-फूड, मैगी, स्ट्रीट फूड स्नैक्स के दुष्परिणामों के प्रति जानकारी रखते पाये गये। यह पाया गया कि माता-पिता के खान-पान के स्वभाव से बच्चों पर असर पड़ता है, अधिकांशत: छोटे बच्चों पर जो अक्सर देखा-देखी करते है। शोध से यह ज्ञात हुआ कि जो बच्चे हमेशा अपने परिवार के साथ ही खाना खाते है, वे पौष्टिक आहार जैसे कि फल सब्जियाँ खाना ही पसंद करते है। वह माता-पिता जिनके खान-पान के तौर तरीके ठीक नहीं है, उनके बच्चों में भी गलत खाने पीने की आदतें आ जाती है।

सुझाव:

1. बालक-बालिकाओं के आहार को पाँच वर्गों में विभाजित कर लेना चाहिये जैसे- कि फल, सब्जियाँ, मीट और सीरियल्स, जिससे उन्हें बराबर संतुलित आहार मिल सके।
2. बच्चों को ज्यादा मिठाईयाँ खाने को न दे क्योंकि इससे उनको यह लगेगा कि मिठाईयाँ ही सबसे पौष्टिक चीज है। ऐसे में धीरे-धीरे उनकी दिलचस्पी दूसरी चीजें खाने में कम हो जायेगी।
3. अपने बच्चे को फैटी और शुगरी (चीनी वाले) भोजन देने के बजाय कुछ पौष्टिक चीजें खिलायें, जैसे कि पौटेटो चिप्स की जगह पॉपकॉर्न, चीज बर्गर की जगह स्टफ्ड वेजिटेबल सैंडविच, व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड और फलों के रस।
4. संतुलित भोजन के साथ-साथ कसरत भी आपके बच्चे के लिये बेहद जरूरी है। इसलिये रोज उन्हें लेकर वॉक पर जायें या फिर खेल-कूद के लिये प्रोत्साहित करें।
5. अपने घर में हमेशा पौष्टिक आहार रखें, जैसे कि फल, हरी सब्जियाँ और लो कैलोरी डेयरी उत्पाद। फ्रिज में मिठाई, चॉकलेट्स के बजाय ताजे फल और सब्जियॉं रखें।
6. छोटी उम्र में ही बच्चों में स्वास्थ्य खाने-पीने की आदतें डलवायें। जब आपके बच्चे साबुत आहार लेना शुरू कर दें, तब उन्हें तली हुई चीजें और जंक फूड बिल्कुल न दें। उन्हें सिर्फ सब्जियाँ और प्रोटीन से भरपूर आहार दें, ताकि उनमें फास्ट-फूड लेने की बुरी आदत न पडे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वंदना लूथरा (फिटनेस एक्सपर्ट), दैनिक भास्कर, मधुरिमा 18 जुलाई 2001, पेज नं. 04।
2. प्रेमचंद स्वर्णकार 'संतुलित भोजन' रामकमल प्रकाशन।
3. सुकून स्मारिका 2009 आहार फिटनेस आहार विशेषज्ञ इन्दौर।
4. डॉ. जोशी शुभांगी 2004, न्यूट्रिशन एण्ड डायटेटिक्स, टाटा एम. ग्रू. हिल. दिल्ली।
5. गोस्वामी सुबुद्धि, बाल विकास की दशाएँ, श्याम प्रकाशन जयपुर।
6. मुखर्जी एम. आर., चतुर्वेदी वी. टी. 2007 'डिटरमिनेट्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन।'

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

पूर्व माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध का अध्ययन

श्रीमती आरती आर्य * श्रीमती सरोज सिंह हाड़ा**

* बी.सी.जी. शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.) भारत
** बी.सी.जी. शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मानव अपने जीवन को व्यवस्थित करने एवं उन्नत जीवन व्यापन हेतु सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करता है। इससे आज के समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य वर्गों से भी संबंध होता है। प्रत्येक समाज आपने लोगों के साथ एक सामाजिक परिवेश का निर्माण करता है। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज से सीखता है। समाज का चेतन और अवचेतन ज्ञान व्यक्ति की सोच अथवा संज्ञान को विकसित करता है और यह बहुत ही अवबोध कहलाता है।

बालक के सामाजिक – अवबोध का अध्ययन करने के लिए उसकी सामाजिकता की आयु व उसकी वास्तविक आयु के अनुरूप की सामाजिक भावना के सामान्य स्तरों को समझा जा सकता है।

बालक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न ना संस्कारों से जुड़ा रहता है। यदि किसी समाज या जाति के उत्थान पतन आचार व्यवहार संस्कार संस्कृति आदि को समाज में देखना चाहते हैं तो हमें समाज का अध्ययन करना होगा। इससे यह ज्ञात होता है कि अच्छे संस्कारों से सभ्य जातियों का पता चलता है। बालक के अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में बालक को सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से बालक में सामाजिक गुणों का सहयोग सहिष्णुता समाज सेवा की भावना का विकास करना आवश्यक है। बालक के विकास के लिए केवल विद्यालय को ही उत्तारदाई नहीं बनाना चाहिए वरन समाज पर यह दायित्व डाला जाना चाहिए।

बाइनिंग एवं बाइनिंग ने लिखा है – परिवार मंदिर आस-पड़ोस सामाजिक समूह तथा सामाजिक गतिविधियों देश भक्ति पूर्ण संगठन सामाजिक जीवन के विचारों एवं कार्यो को नवीन रूप प्रदान करने वाले सजीव साधन है। समाज में प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। उसे विकसित व सभ्य बना कर समाज में रखें ताकि, वह भी समाज में अच्छे गुणों की सुगंध को बिखेर कर स्वयं महक कर समाज को भी महकायेगा। शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक में ज्ञान रुचि आदर्शो आदतों और शक्तियों का विकास करना चाहिए जिससे वह अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके और समाज को उच्च लक्ष्यों की और ले जाए।

परिवार , समाज, पास-पड़ोस और विद्यालय , बालक के सामाजिक अवबोध को विभिन्न रूपों से प्रभावित करता है। जैसे समाज में होने वाले विभिन्न उत्सव व कार्यक्रम में संस्कृति, कला, साहित्य, उदारता धार्मिक उत्सव, जातीय परंपराएं, सामाजिक परंपराएं , मनोरंजन की सुविधा एवं साधान तथा सामाजिक सुविधा आदि बालक के सामाजिक अवबोध को विकसित करती है। बालक के मित्र मंडल द्वारा भी उसके सामाजिक अवबोध का विकास होता है।

मनुष्य की सकारात्मक सोच समाज की नैतिक स्तर को ऊपर उठा देती है। बालक एक घट के समान नहीं है, जिसे भरा जा सके बल्कि वह एक चिंगारी के समान है। बालक का पालन पोषण प्यार वह स्नेहा के साथ होना चाहिए। बालक चेतन व अवचेतन मन से समाज से शिक्षा लेता है, जो उसमें सामाजिक-अवबोध का प्रस्फुटन करती है। सामाजिक-अवबोध बालक के व्यक्तित्व को संतुलित करके सुंदर व सुनियोजित करता है।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर सामाजिक-अवबोध का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का शरीर और संस्कार दोनों ही निर्माणाधीन अवस्था में होते हैं। इन्हीं तथ्यों को धयान में रखते हुए प्रस्तुत कार्य की योजना बनाई गई।

उद्देश्य– अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. पूर्व माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं केंद्रीय शिक्षा मंडल के विद्यार्थियों के सामाजिक और अवबोध का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. पूर्व माध्यमिक स्तर पर सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध का अध्ययन करना।
3. पूर्व माध्यमिक स्तर के बालक बालिकाओं के सामाजिक अवबोध का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. पूर्व माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं केंद्रीय शिक्षा मंडल के विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।
2. पूर्व माध्यमिक स्तर पर सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।
3. पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अंतर्गत आने वाले छात्र छात्राओं के सामाजिक अवबोध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

प्रविधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त की गई है। इस हेतु कक्षा सातवीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं केंद्रीय शिक्षा मंडल के क्रमश 50-50 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। इस अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया है। प्रदत्तो का विश्लेषण मध्यमान प्रमाणिक विचलन एवं की प्रशिक्षण के द्वारा किया गया है।

परिकल्पना क्र. 01 के प्रशिक्षण हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं केंद्रीय शिक्षा मंडल द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध

स्तर के प्रदत्तों का मध्यमान की गणना कर अंतर की जांच हेतु टी प्रशिक्षण किया गया, जिस का सारांश तालिका क्रमांक 1 में दिया गया है।

तालिका क्र. – 01 माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं केंद्रीय शिक्षा मंडल के विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध का तुलनात्मक अध्ययन

बोर्ड	N	M	Sd.	T-value	Stg.
माशिमं	50	35.22	2.36	8.27	Sig.<-01
केशिम	50	31.10	2.61		

उपरोक्त तालिका में गणना द्धारा प्राप्त टी का मान 98 स्वतंत्रता स्तर पर सारणी मान से अधिाक होने के कारण परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना क्र. 02 के प्रशिक्षण हेतु सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध स्तर के प्रदत्तों का मध्यमान की गणना कर अंतर की जांच हेतु टी–प्रशिक्षण किया गया, जिसका सारांश तालिका क्रमांक 2 में दिया गया है।

तालिका क्र. – 02 सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध का तुलनात्मक अध्ययन

वर्ग	N	M	Sd.	T-value	Stg.
सामान्य	52	32.78	2.59	1.33	NS
आरक्षित	48	33.47	2.80		

उपरोक्त तालिका में गणना द्धारा प्राप्त टी का मान 98 स्वतंत्रता स्तर पर सारणी मान से कम होने के कारण परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना क्र. 03 के प्रशिक्षण हेतु बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक अवबोध स्तर के प्रदत्तों का मध्यमान की गणना कर अंतर की जांच हेतु टी–प्रशिक्षण किया गया , जिसका सारांश तालिका क्र. 03 में दिया गया है।

तालिका क्र. – 03 बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक अवबोध का तुलनात्मक अध्ययन

लिंग	N	M	Sd.	T-value	Stg.
बालक	51	20.66	5.15	14.68	Sig. <-01
बालिका	49	32.22	3.24		

उपरोक्त तालिका में गणना द्धारा प्राप्त टी का मान 98 स्वतंत्रता स्तर पर सारणी मान से अधिक होने के कारण परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष :

1. माध्यमिक शिक्षा मंडल के विद्यार्थियों का सामाजिक अवबोध स्तर , केंद्रीय शिक्षा मंडल के विद्यार्थियों में सार्थक रूप में उच्च पाया गया।
2. सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक अवबोध का स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
3. पूर्व माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सामाजिक अवबोध , बालकों के सापेक्ष सार्थक रूप में उच्च पाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डांस जे (1990) – निशक्त बच्चों के विकास में बच्चों के लालन पालन के अभ्यास की भूमिका का अध्ययन।
2. डॉ कपिल एच.के.(2007) – अनुसंधान विधियां मनोविज्ञान विभाग। राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय आगरा।
3. कवर एल.एन.(1989) – माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की व्यक्तित्व उपलब्धिा अभिप्रेरणा का विकास घट एवं विद्यालय में सामाजिकता के विकास का अध्ययन।
4. पाठक पी.डी. एवं त्यागी जी.एस.डी. – शिक्षा के सामान्य सिद्धांत। दयालबाग विश्वविद्यालय दयालबग।
5. शुक्ला किरण (1992) – अभिभावकों का व्यवहार एवं मित्रों के साथ संबंध के द्धारा सामाजिक दक्षता के विकास का अध्ययन करना।
6. सक्सेना एन. आर. स्वरूप (2008) – शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धांत। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेरठ कॉलेज (मेरठ)
7. सिंह अरुण कुमार (2005) – व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। नई दिल्ली बनारसी मोतीलाल दास।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना से हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदान का एक अध्ययन (झाबुआ जिले के विशेष सन्द्रर्भ में)

डॉ. डुंगरसिंह मुजाल्दा*

*सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) श्री राजेन्द्र सूरि शासकीय महाविद्यालय, सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – हमारा देश कृषि प्रधान एवं गांवों का राष्ट्र है।ग्रामीण लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं मजदूरी के साथ में पशुओं को पालना है,और पशुओं के गोबर से खाद,उससे मिलने वाले दूध का घर में उपयोग एवं बछडों को बडा करके गाय होने पर पालना और बैल होने पर खेतों में जोतना एवं भैस के बछडों को बडा कर भैस होने पर पालना और पाडा होने पर बेच देते है।इस प्रकार की परम्पराएं कई पीढ़ियों से चली आ रही है।इसको व्यवसाय के रुप में नहीं करते है।परन्तु आज महंगाई के जमाने में आवश्यकता महसूस होने के कारण,मनुष्यों को नौकरी,व्यापार,खेती–बाड़ी एवं पशुओं को पालकर अपनी आय का स्त्रोत बनाता है,उससे अपनी आजीविका को चलाता है।झाबुआ जिला सम्पूर्ण आदिवासी बाहुल्य होने से यहां के लोगों की आय कृषि एवं मजदूरी से होती है,जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र सिंचित नहीं है,और यहां की जमीन बंजर,पथरीली एवं उबड़–खाबड है,जिससे उपज भी बहुत कम होती है।यहां का किसान उचित किस्म की खेती नहीं कर पाता है,जिसके कारण आय भी बहुत कम होती है।क्षेत्र में भूमि कम और काम करने वाले अधिक होने से यहां का श्रमिक गुजरात एवं अन्य जगह मजदूरी हेतु जाता है,यहां के अधिकतर किसान मानसून पर निर्भर होता है,उसकी आंशिक जमीन पर रबी की फसल लेता है। क्षेत्र में पशुपालन से हितग्राही की अतिरिक्त स्थायी आय का स्त्रोत बना सकता है,जो ग्रमीण लोग गुजरात मजदूरी के लिए पलायन करते है,उनकी कुछ संख्या में कमी आ सकती है।यहां के अधिकांश लोग गांवों में निवास करते है,जिनके पास पशुओं को बाधने एवं रख–रखा हेतु जगह भी पर्याप्त होती है।पशुपालन से व्यक्ति की आय दूध, दही, छाछ, घी,मक्खन,गोबर से खाद,आदि को बेचकर अर्जित कर सकता है।पशुपालन की प्रकिया एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रमीण क्षेत्रों में लाभ का धन्धा सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,इसे देखकर अन्य व्यक्ति भी व्यवसाय करने हेतु प्रेरित होगा।ग्रमीण क्षेत्र में एक ही समाज के लोगों के निवास के कारण आपस में प्रतिस्पर्धा,देखकर अभिप्रेरित या किसी से पूछकर व्यवसाय करने जैसी परिस्थिति नहीं है।विकास नहीं होने का मुख्य कारण यह भी है,कि आसपास का वातावरण सिर्फ खेती करने वाले और दूसरे प्रकार का काम करने वाला कोई नहीं होता है।राज्य में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना 2015 से संचालित है।परियोजना की लागत अधिकतम 10 लाख रूपये तक की सीमा है। 05एवं10मवेशियों की एक इकाई होती है। इस हेतु सामान्य वर्ग के लिए मार्जिन मनी सहायता अधिकमत डेढ लाख एवं एस टी,एस सी के लिए अधिकतम 2.00 लाख रूपये है।परियोजना लागत का 75प्रतिशत राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्रदान करती है। और योजना में 5प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 25000रूपये प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति 7वर्षो तक विभाग द्वारा की जाती है।इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक ले सकते है।और इनको विपरीत जलवायु की परिस्थितियों में एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय पशुपालन से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देता है,पिछले कई वर्षो से जलवायु में परिवर्तन के कारण आकस्मिक बारिश,ओले,पाला,या सूखा पड़ने से किसान को प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ता है।कृषि से उन्हें जो आमदनी होना चाहिए,वह नहीं हो पाती है,परन्तु इस प्रकार के प्रतिकूल वातावरण का पशुपालन व्यवसाय पर अधिक दूष्प्रभाव नहीं पड़ता है।यदि किसान खेती कार्य के साथ–साथ पशुपालन को अपनाता है,तो उन्हें कृषि से होने वाले नुकसान से बच सकता है। जिले में योजना की वर्ष 2016 से 2020 तक कुल 224 इकाई स्वीकृत है जिनमें से 2016 से 2020 तक 209 इकाईयों में पशु वितरण किए गए है।और स्वीकृत परियोजना की कुल लागत राशि 1410.65 (राशि लाखों में) है जिले में 87% अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते है,यहां का साक्षरता प्रतिशत 43.30 है,जो बहुत न्यूनतम है।योजना से हितग्रहियों के आर्थिक विकास में परिवर्तन,रोजगार के सृजन,दूध उत्पादन में वृद्धि आदि का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य – प्रत्येक शोध कार्य के पिछे कोई–कोई उद्देश्य होना चाहिए है,उसी के अनुरुप शोधकर्ता कार्य करता है।जो निम्नानुसार है –

1. पशुपालन से हितग्रहियों के आर्थिक विकास में परिवर्तन का अध्ययन करना।
2. पशुपालन से रोजगार के सृजन का अध्ययन करना।
3. पशुपालन से क्षेत्र में दूध उत्पादन में वृद्धि का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध–पत्र में अध्ययन क्षेत्र से समग्र के संग्रहण के आधार पर औसत, प्रतिशत एवं अनुपात जैसे सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर अभीष्ट परिणाम ज्ञात किए गए है ।

परिकल्पना – अध्ययन क्षेत्र में कृषि कार्य के साथ–साथ आचार्य विद्यासागर गौ सवर्धन योजना से हितग्राहियों का आर्थिक विकास प्रतीत हो रहा है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

समंक संकलन – प्रस्तुत शोध-पत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना से हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदान का एक अध्ययन है।अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक समंकों का संग्रहण 50 हितग्राहियों से अनुसूची भरवाकर किए गए है। उत्तरदातों से जो तथ्य प्राप्त हुए,उन्हें आधार मानकर विश्लेषण किया गया तथा द्वितीयक समंक का संग्रहण कार्यालय जिला पशु चिकित्सालय झाबुआ से लिए गए है।

प्राथमिक समंकों का विश्लेषण –हमारा देश गांवों का राष्ट्र है,और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवारों में मवेशियों को पालने की परम्परा/चलन है।पहले मवेशियों को इसलिए पालते थे,कि उससे घर में दूध,दही,छाछ,घी एवं अन्य प्रकार की सामग्री बनाकर घर में उपयोग करते थे।परन्तु आज दुधारु पशुओं से डेयरी संचालित करते है।अध्ययन क्षेत्र में दुधारु पशुओं के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्र.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र.1.1 : दुधारु पशुओं की स्थिति

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	गाय	172	33
2	भैस	219	42
3	दोनों	128	25
	कुल योग	519	100

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

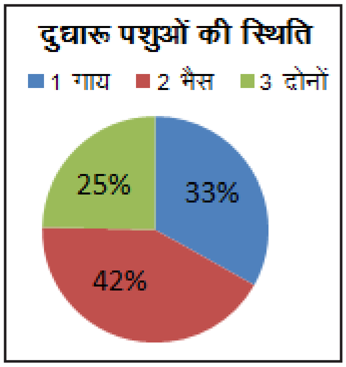

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 42प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि हमारे यहां भैस है।तथा 33प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने अभिमत में कहां है,कि हमारे यहां गाय है,और 25प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहां है,कि हमारे पास भैस और गाय दोनों है।अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि हमारे यहां भैस है।

अध्ययन क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होने से यहां के हितग्राहियों के पास इतना पैसा नहीं होता है,कि वह अपने स्वयं के पैसों से कोई मवेशी खरीद कर पाल सके।वह शासन की योजना से दूध डेरी या दूध व्यवसाय संचालित करता है।इसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र.1.2 : दुधारु पशुओं को कैसे प्राप्त किये

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	शासन की योजना से	50	100
2	स्वयं ने खरीदे	00	00
3	पैतृक में मिले	00	00
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

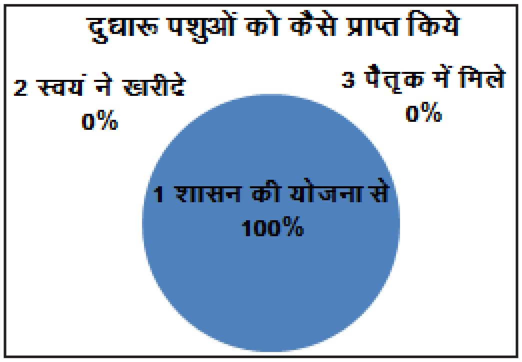

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 100प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि शासन की योजना से खरीद कर दुधारु पशुओं को प्राप्त किये है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि सम्पूर्ण उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि शासन की योजना से दुधारु पशुओं को खरीद कर प्राप्त किये है।

प्रत्येक हितग्रहियों की मानसिकता अलग-अलग होती है,जिस में से कुछ व्यवसायिक विचारधारा के होते है,परन्तु कुछ सिर्फ शासन की योजनाओं का लाभ लेना चाहते है।जिनके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र.1.3 : दुधारु पशुओं को खरीदने का कारण

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	शासन की योजना के लाभ हेतु	07	14
2	दूध व्यवसाय हेतु	40	80
3	अन्य कारण हेतु	03	06
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

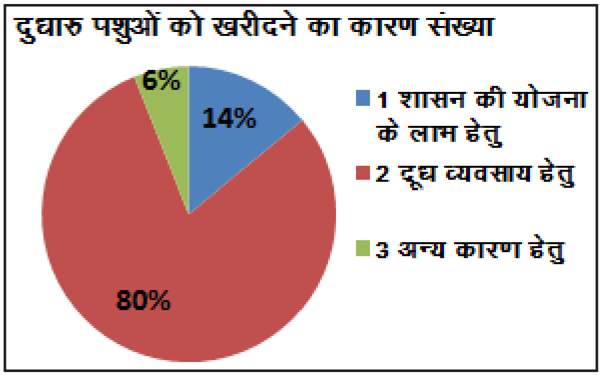

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 80प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि दूध व्यवसाय हेतु दुधारु पशुओं को खरीदते है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 14 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि शासन की योजना के लाभ लेने हेतु दुधारु पशुओं को खरीदते है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि दूध व्यवसाय हेतु दुधारु पशुओं को खरीदते है।

अध्ययन क्षेत्र के हितग्राहियों में से कुछ की मानसिकता होती है,कि सिर्फ शासन की योजनाओं का लाभ लेना है। जिसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.4 में दर्शाया गया है :

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

तालिका क्र.1.4 : शासन की योजना के लाभ हेतु

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	07	14
2	नहीं	43	86
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

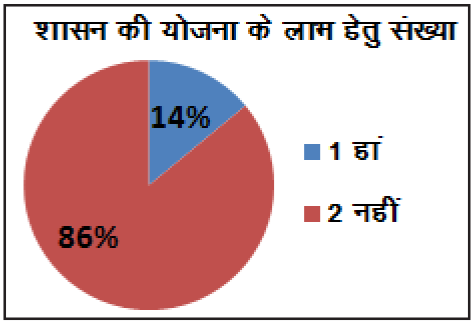

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 86प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि शासन की योजना के लाभ हेतु डेयरी व्यवयाय नहीं करते है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 14प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है कि शासन की योजना के लाभ हेतु डेयरी व्यवयाय करते है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि शासन की योजना के लाभ हेतु डेयरी व्यवयाय नहीं करते है।

अध्ययन क्षेत्र में कुछ हितग्राहियों की आदत होती है,कि शासन की सब्सिडी का लाभ लेने हेतु योजना का उपयोग करते है। जिसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.5 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र.1.5 : शासन की योजना की सब्सिडी हेतु

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	09	18
2	नहीं	41	82
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

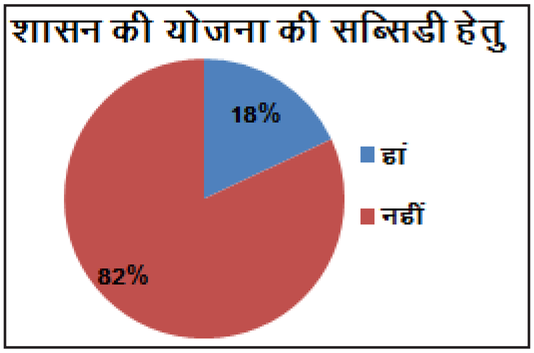

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 82 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि हम शासन की सब्सिडी का लाभ लेने हेतु योजना का उपयोग नहीं करते है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 18 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि हम शासन की सब्सिडी का लाभ लेने हेतु योजना का उपयोग करते है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि हम शासन की सब्सिडी का लाभ लेने हेतु योजना का उपयोग नहीं करते है।

हितग्राहियों को दूध डेयरी चलाने के लिए दुधारु पशुओं को खरीदता है,जिसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.6 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र.1.6 : दूध व्यवसाय हेतु

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	38	76
2	नहीं	12	24
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

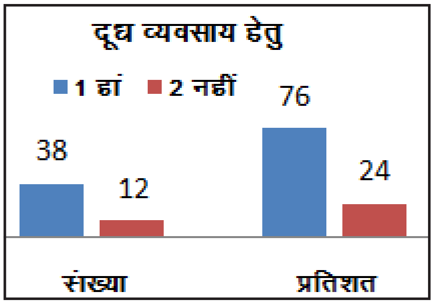

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 76प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि हम दूध व्यवसाय हेतु दुधारु पशुओं को खरीदते है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 24 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि हम दूध व्यवसाय हेतु दुधारु पशुओं को नहीं खरीदते है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि दूध व्यवसाय हेतु दुधारु पशुओं को खरीदते है।

दुधारु पशुओं को पालन से क्षेत्र में दूध की मात्रा में वृद्धि हुई है या नहीं जिसके के संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.7 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र.1.7 : पशुपालन से क्षेत्र में दूध की स्थिति

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	43	86
2	नही	07	14
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

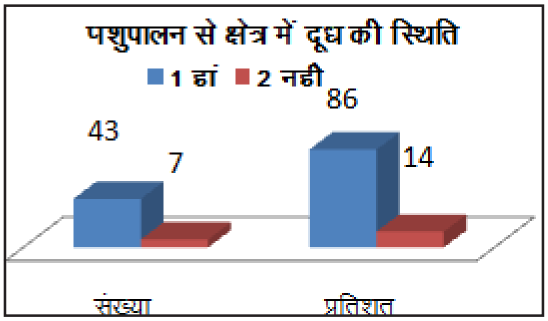

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 86प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि पशुपालन से क्षेत्र में दूध की वृद्धि हुई है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 14 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि पशुपालन से क्षेत्र में दूध की वृद्धि नहीं हुई है। अत: विश्लेषण से

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि पशुपालन से क्षेत्र में दूध की वृद्धि हुई है।

दूध व्यवसाय करने से हितग्राही की आय दूध,छाछ, घी, मक्खन, दही,गोबर से खाद,पनीर,मावा, अन्य दूध से बनी सामग्री के विक्रय से आय में वृद्धि होती है। जिसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र.1.8 : दूध व्यवसाय से आर्थिक की स्थिति

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	40	80
2	नहीं	10	20
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

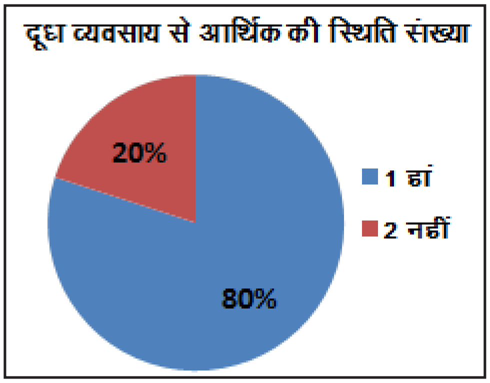

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 80प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि दूध व्यवसाय से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 20 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि दूध व्यवसाय से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है।अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि दूध व्यवसाय से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

दुधारु पशुओं को पालने से हितग्राही को दूध के अलावा अन्य विक्रय योग्य सामग्री से आय होती है। गोबर से खाद,गोबर से जैविक खाद,गोबर से गोबर गैस प्लांट,गोमूत्र से आय,गोबर से कंडे आदि प्रकार की सामग्री से आय हो सकती है।जिसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.9 में दर्शाया गया है

तालिका क्र.1.9 : दूध के अलावा अन्य वस्तु से आय की स्थिति

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	45	90
2	नहीं	05	10
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

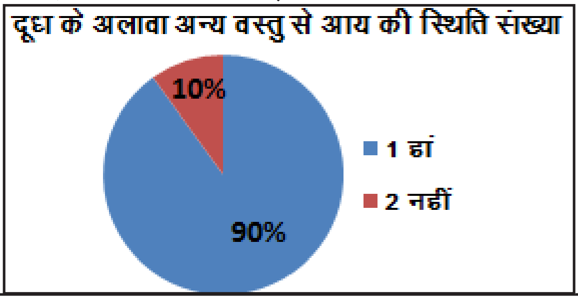

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 90प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि पशुपालन से दूध के अलावा अन्य वस्तुओं से आय होती है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 10 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि पशुपालन में दूध के अलावा अन्य वस्तु से आय नहीं होती है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि पशुपालन में दूध के अलावा अन्य वस्तु से आय होती है।

दूध व्यवसाय से प्रोप्राइटर तो अपना कारोबार चलाता है,परन्तु व्यवसाय से परिवार के व्यक्तियों तथा अन्य को भी काम मिलता है।गाय एवं भैस की देखरेख करने वाले को,दूध बाटन वालों,दूध डेरी होने पर दूध हस्तांतरित करने वाले,मावा,घी,मक्खन,पनीर,छाछ,मिठाई आदि बनाने वाले को काम मिलता है।जिसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका कमांक 1.10 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र.1.10 : दूध व्यवसाय से रोजगार की स्थिति

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	38	76
2	नहीं	12	24
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

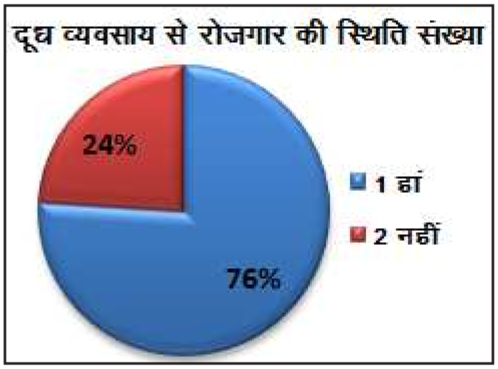

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 76 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि दूध व्यवसाय से रोजगार में वृद्धि हुई है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 24 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि दूध व्यवसाय से रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि गावों में दूध व्यवसाय से रोजगार वृद्धि हुई है।

दूध व्यवसाय से किन-किन को रोजगार मिला है या नहीं जिसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र.1.11 : रोजगार सृजन की स्थिति

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	परिवार के सदस्य को	39	78
2	अन्य व्यक्ति को	7	14
3	किसी को नहीं	04	08
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

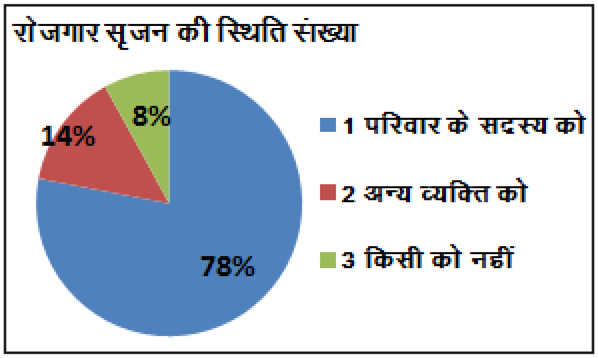

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 78प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि परिवार के सदस्य को रोजगार मिला है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 14प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि अन्य को रोजगार दिया है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि गावों में रोजगार का सृजन हुआ है।

आकस्मिक सुरक्षा हेतु प्रत्येक को चाहे मनुष्य, पशु, व्यवसाय, माल,गाड़ी,या अन्य क्षेत्र हो जिसे बीमा करवाना पड़ता है। जिससे सुरक्षा मिलती है,और हानि होने से बच सकता है।अध्ययन क्षेत्र के हितग्राहियों से पशु बीमा के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक 1.12 में दर्शाया गया है-

तालिका क्र.1.12 : पशु बीमा की स्थिति

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हां	32	64
2	नहीं	18	36
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

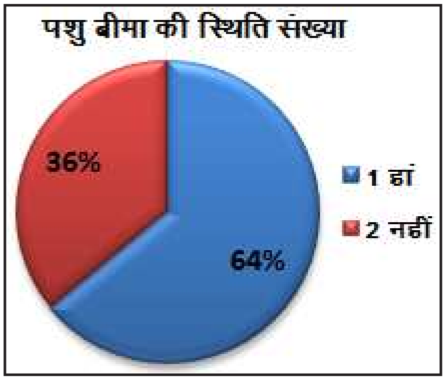

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 64 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि पशु बीमा की जानकारी है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 36 प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि पशु बीमा की जानकारी नहीं है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि गावों में पशु बीमा की जानकारी है।

प्रत्येक क्षेत्र में हानि की सम्भावनाएं होती है।हानि की सुरक्षा हेतु बीमा करवाना पड़ता है।बीमा होने पर आकस्मिक हानि को आर्थिक रुप में सुरक्षा देती है।जिसके संबंध में अध्ययन क्षेत्र से जो तथ्य प्राप्त हुए है,उन्हें तालिका क्रमांक1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र.1.13 : बीमा से लाभ की स्थिति

क्र.	अभिदाता का अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	आकस्मिक सुरक्षा	47	94
2	कोई सुरक्षा नहीं	03	06
	कुल योग	50	50

स्त्रोत:सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों से निर्मित तालिका।

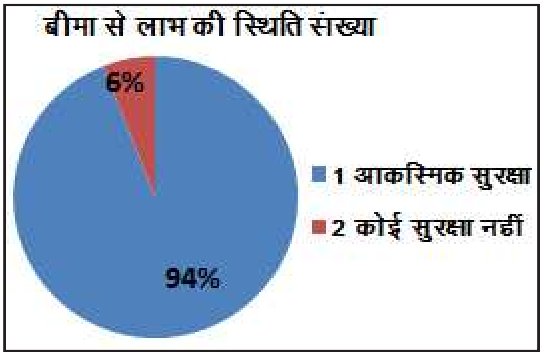

तालिका से स्पष्ट है,कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 94प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि बीमा से आकस्मिक हानि की सुरक्षा होती है,तथा कुल उत्तरदाताओं में से 06प्रतिशत ने अपने अभिमत में कहां है,कि बीमा से आकस्मिक हानि की सुरक्षा नहीं होती है। अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है,कि बीमा से आकस्मिक हानि की सुरक्षा होती है।

द्वितीयक समंकों का विश्लेषण - झाबुआ जिले में योजना से लाभांवित हितग्राहियों की संख्या,वर्ष अनुसार तालिका क्रमांक 1.14 में दर्शाया गया है-

तालिका क्र.1.14 : झाबुआ जिले के हितग्राहियों की स्थिति

क्र	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	2016-17	19	08
2	2017-18	100	45
3	2018-19	86	39
4	2019-20	19	08
	कुल योग	224	100

स्त्रोत: कार्यालय जिला पशुचिकित्सालय कार्यालय झाबुआ।

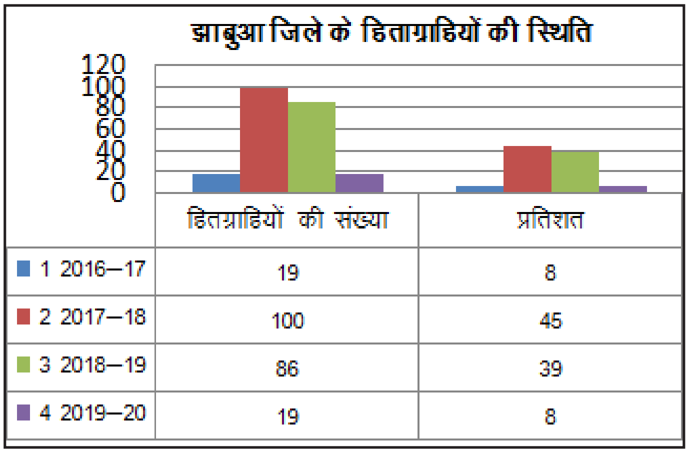

तालिका से स्पष्ट है,कि झाबुआ जिले में वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक100हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया है,जो कि कुल

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

हितग्राहियों का 45प्रतिशत है,परन्तु वर्ष 2016-17 एवं 2019-20 में सबसे न्यूनतम हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया है,जो कुल हितग्राहियों का 08व 08प्रतिशत है।अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक हितग्राहियों ने लाभ लिया है।

झाबुआ जिले में योजना से लाभांवित हितग्राहियों की संख्या वर्ष एवं वर्ग अनुसार तालिका क्रमांक 1.15 में दर्शाया गया है-

तालिका क्र.1.15 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र.1.15 से स्पष्ट है,कि झाबुआ जिले में वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 100हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया है,जो कि कुल हितग्राहियों का 45प्रतिशत है,परन्तु वर्ष 2016-17 एवं 2019-20 में सबसे न्यूनतम हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया है,जो कुल हितग्राहियों का 08व 08प्रतिशत है,परन्तु जाति के आधार पर सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों ने एवं न्यूनतम लाभ अनुसूचित जाति के हितग्राहियों ने लिया है।अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक हितग्राही लाभांवित एवं जाति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों ने लाभ लिया है।

झाबुआ जिले के आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की वर्ष अनुसार परियोजना लागत की स्वीकृत राशि तालिका क्रमांक 1.16 में दर्शाया गया है-

तालिका क्र.1.16 : झाबुआ जिले में हितग्रहियों के परियोजना लागत की स्थिति: (राशि लाखों में)

क्र.	वर्ष	परियाजना लागत की राशि	प्रतिशत
1	2016-17	134.80	10
2	2017-18	695.15	49
3	2018-19	476.83	34
4	2019-20	103.87	07
	कुल योग	1410.65	100

स्त्रोत: कार्यालय जिला पशुचिकित्सालय झाबुआ।

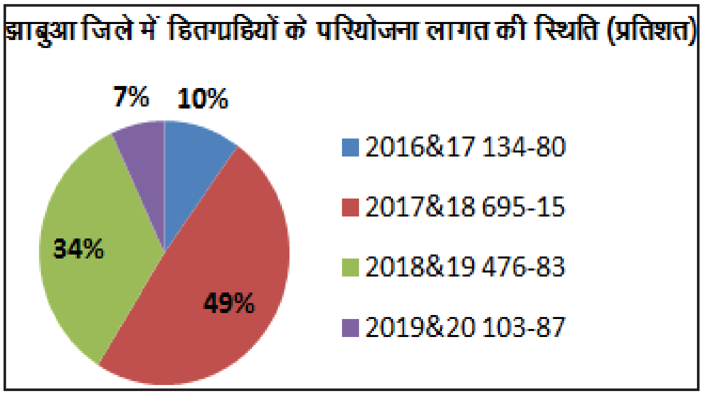

तालिका से स्पष्ट है,कि झाबुआ जिले में वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 695.15 (राशि लाखों में)परियोजना लागत की स्वीकृत हुई है,जो कि कुल परियोजना लागत का 49प्रतिशत है,परन्तु वर्ष 2019-20 में सबसे न्यूनतम परियोजना लागत की स्वीकृत हुई है,जो कुल परियोजना लागत का 07प्रतिशत है।अत: विश्लेषण से स्पष्ट है,कि वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक परियोजना लागत की स्वीकृत हुई है।

समस्याएं:

1. ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बडी समस्या गाय और भैंसों का चराने की,बाधने की,पानी पीलाने की,साफ-सफाई आदि का अभाव।
2. ग्रामीण क्षेत्र में चारा और खली आदि की व्यवस्था का अभाव।
3. ग्रामीण क्षेत्र में मवेषियों के बीमार होने समय पर चिकित्सा आदि की सुविधा का अभाव।
4. गर्मी के मौसम में कई क्षेत्रों का जलवायु बहुत गर्म होता है,जिससे अन्य क्षेत्रों की गाय एवं भैंस को प्रतिकुल वातावरण होने से समस्या होती है।वातावरण के अनुसार मवेशियों की ब्रीडिंग की अनुमति होना चाहिए।
5. समस्त हितग्राहियों को पशुपालन के पूर्व उचित प्रशिक्षण के अभाव में पशुपालन में कई कमियां,अव्यवस्था एवं उदासीनता दिखाई देती है। जिसका प्रमुख कारण अशिक्षित हितग्राही होने से है।

सुझाव:

1. अध्ययन क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होने से गांवों के परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है,जिससे काम की कमी और फालतु लोग अधिक होते है,जिन्हें काम मिलेगा और उससे परिवार की आय बढेगी।और बेरोजगारी में कमी आएगी।
2. अध्ययन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर या घर में काम होने पर व्यक्ति मजदूरी हेतु गुजरात एवं अन्य जगह पलायन की ज्वलंत समस्या में राहत मिलेगी।
3. पशुपालन से व्यक्ति की आय दूध, दही, छाछ, घी,मक्खन,गोमूत्र आदि को बेचकर अपनी आय अर्जित कर सकता है साथ में गोबर से खाद,गोबर से कंड़े, गोबर से गोबर गैस प्लांट और ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकानों को गोबर से निपने के काम में लिया जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, और नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी।
4. अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण होने से घर में पर्याप्त दूध होने पर दूध डेरी का व्यवसाय चला सकते है, और आसपास का दूध खरीद कर बेच सकते है।या फिर बाहर भी भेजा जा सकता है।दूध की सामग्री बनाकर व्यवसाय कर सकते है जैसे-मिठाई,मावा,पनीर आदि या अन्य प्रकार की दूध युक्त सामग्री का व्यवसाय किया जा सकता है।
5. दूध डेरी एवं मिठाईयों को बनाने हेतु श्रमिकों की आवश्यकता होगी,जिसके लिए बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है।
6. दूध डेरी का दूध बाहर भेजने हेतु वाहन की जरुरत होगी, जिसके लिए,वाहन की व्यवस्था कर उसका धन्धा चलाया जा सकता है।
7. गोबर से केंचुआ या वर्मी कम्पोस्ट खाद से आय हो सकती है।

निष्कर्ष – हमारा राष्ट्र गावों का देश है।यहां 70प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है,और उनका मुख्य व्यवसाय खेती एवं मजदूरी के साथ में पशुओं को पालना है।पहले पशुओं से मिलने वाले दूध को घरों में उपयोग करते थे,परन्तु आज दूध व्यवसाय के रुप में डेयरी संचालित की जाती है।अध्ययन क्षेत्र में हितग्रहियों द्धारा शासन की योजना से दूध व्यवसाय हेतु दुधारू पशुओं को खरीदता है और पशुपालन से क्षेत्र में दूध की वृद्धि हुई है,और दूध के साथ में अन्य वस्तुओं के विक्रय से आय और क्षेत्र में रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हुई है।शासन की मंशा के अनुसार खेती में मानसून एवं प्राकृतिक प्रभाव के कारण किसानों को नुकसान होता है,इस नुकसान की भरपाई एवं बेरोजगारी को दूर करने हेतु शासन की कई योजनाओं के माध्यम से पशुपालन को बढावा दिया जाता है,एवं साथ में

हितग्राहियों को सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।अध्ययन क्षेत्र में काम कम और काम करने वालों की संख्या अधिक होने से इस क्षेत्र में शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार की आवश्कता प्रतीत होती है। आम जन एक ही काम पर निर्भर न रहे एवं खाली समय में अन्य कार्य को करने से किसानों एवं अन्य व्यक्तियों को खेती कार्य के साथ में पशुओं को पालने से आर्थिक विकास प्रतीत होता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सर्वेक्षण डाटा।
2. कार्यालय जिला पशुचिकित्सालय झाबुआ।
3. जिला सांख्यिकी कार्यालय जिला झाबुआ (म. प्र)
4. गुगल।
5. विकिपीडिया।
6. समाचार पत्र।

तालिका क्र.1.15 : झाबुआ जिले में वर्ग के अनुसार हितग्राहियों की स्थिति

क्र.	वर्ष	जाति अनुसार हितग्राहियों की संख्या				महायोग	प्रतिशत
		एस.टी	एस.सी	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य		
1	2016-17	09	00	06	04	19	08
2	2017-18	38	00	49	13	100	45
3	2018-19	33	03	36	14	86	39
4	2019-20	14	00	01	04	19	08
	कुल योग	94(42%)	03(1%)	92(41%)	35(16%)	224	100

स्त्रोत: कार्यालय जिला पशु चिकित्सालय झाबुआ।

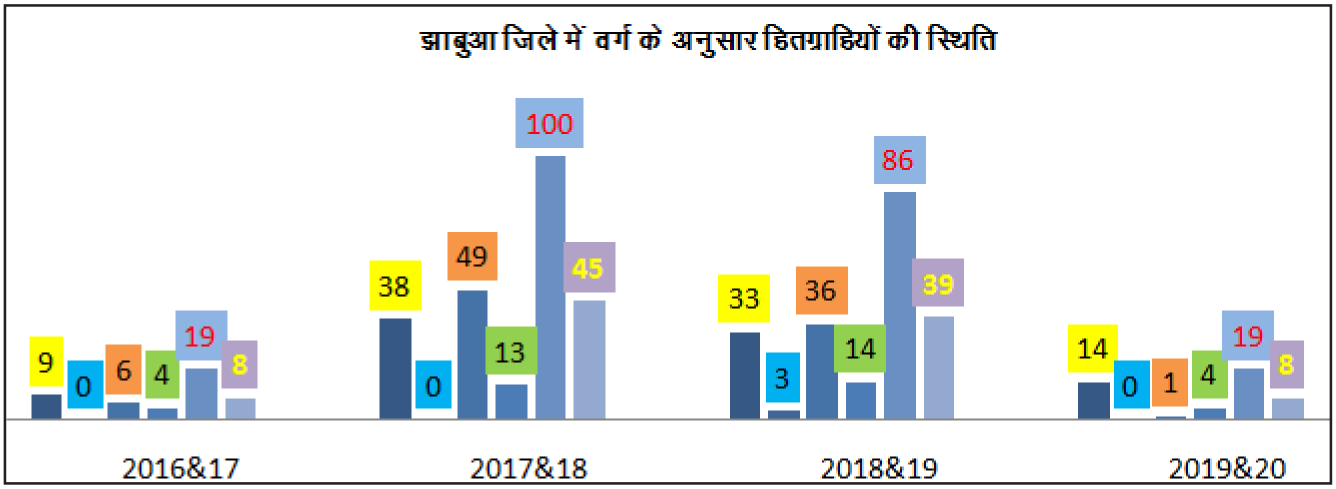

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

आधुनिकीकरण का मुस्लिम महिलाओं पर प्रभाव (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. पूजा तिवारी *

* विभागाध्यक्ष - सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पश्चिमी समाजों से प्रारंभ हुआ।

आधुनिकीकरण शब्द एक प्रक्रिया को इंगित करता है आधुनिकीकरण से तात्पर्य सतत होने वाली क्रिया से है। आधुनिकीकरण के पर्यायवाची रूप में अंग्रेजीकरण ,युरोपीयकरण ,शहरीकरण ,पाश्चात्यकरण आदि को रखा जा सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है।

भारतीय समाज में क्रियाशील परिवर्तन एवं निरंतरता की प्रवृत्तियों के संदर्भ में यदि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर दृष्टि डाली जाए जो निश्चित ही यह स्पष्ट होगा कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जहाँ आज भारतीय समाज परिवर्तन एवं प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है एवं इसके तहत इसने विशिष्ट उपलब्धियाँ भी प्राप्त की है किंतु यह भी दृष्टव्य है कि आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने परंपरा एवं सामाजिक मूल्यों को परिवर्तित अवश्य किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में आधुनिकीकरण का मुस्लिम समाज की महिलाओं पर प्रभाव इस विषय का विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी – आधुनिकीकरण, सामाजिक प्रभाव, मुस्लिम महिला।

प्रस्तावना – आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन हुए है ,जिसके कारण समाज के प्रत्येक क्षेत्र एवं समुदाय में परिवर्तन हुए है, इस परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है ,मानव की प्रकृति का अंग है। महात्मा गांधी जी का विचार था कि किसी भी समाज की उन्नति और सभ्यता का विकास महिला शिक्षा एवं उनकी प्रस्थिति में परिवर्तन से जुड़ा है।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 1.21 अरब हो गई है, देश में पुरूषों की संख्या 62.37 करोड़ तथा महिलाओं की संख्या 56.64 करोड है जबकि मुस्लिमों की संख्या 17.2 करोड़ है जो वर्तमान में लगभग 20 करोड़ 53 लाख हो गई हैं।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले की कुल जनसंख्या 2090922 है जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 100692 थी जो 2021 वर्तमान में अनुमानित कुल जनसंख्या 2447215 है जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 117850 है।

शोध का उद्देश्य :

1. आधुनिकीकरण के प्रति मुस्लिम महिलाओं के दृष्टिकोण का पता लगाना
2. आधुनिकीकरण के प्रभाव को ज्ञात करना।
3. मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक ,शैक्षणिक ,आर्थिक तथा अन्य प्रकार के विकास में आधुनिकीकरण के योगदान को समझना।
4. मुस्लिम महिलाओं की मानसिकता में होने वाले परिवर्तन को समझना।

अध्ययन क्षेत्र :– प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र के रूप में छिन्दवाड़ा जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र , मोहल्लों को रखा गया है। यह क्षेत्र इस प्रकार से है (1) दीवानचीपुरा (2) कुकड़ाजगत (3) इमामबाड़ा (4) नूरी मस्जिद/ऊंटखाना

उत्तरदाताओं का चयन/प्रविधि/उपकरण – प्रस्तुत शोध पत्र हेतू छिन्दवाड़ा में – मुस्लिम क्षेत्र की कुल 100 महिला उत्तरदाताओं का चयन निर्देशन पद्धति से न्यादर्श के रूप में किया गया है। तथा तथ्य संकलन हेतू साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है, तथा अवलोकन विधि एवं अनौपचारिक वार्तालाप का प्रयोग किया गया है। जबकि द्वितीयक सामग्री संकलन हेतू विभिन्न पुस्तकें, सरकारी आंकडे ,समाचार पत्र विभिन्न जर्नलस तथा इंटरनेट की सूचना स्त्रोत आदि की मदद ली गई है।

उपकल्पना :

1. आधुनिकीकरण में प्रभाव से मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का प्रसार बढ़ा है।
2. आधुनिकीकरण के असर से मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक जीवन स्तर में जागरूकता बढ़ी है।

तालिका क्र. 1 .

क्र.	मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार में तीव्रता आई है	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	80	80
2	नहीं	20	20
	योग	100	100

तालिका क्र.1 के अनुसार 80 प्रतिशत मुस्लिम महिला उत्तरदाता ने यह स्वीकार किया है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार में तीव्रता आयी है जिसमें सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त विशेष तकनीकी शिक्षा , कम्प्यूटर तथा व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल हैं।

उत्तरदाताओं ने यह माना कि आधुनिक साधनों एवं सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आदि आधुनिकीकरण का परिचारक है।

तालिका क्र.2 : आधुनिकीकरण के प्रभाव से मुस्लिम महिलाओं में आर्थिक क्रियाओं के प्रति संलग्नता में वृद्धि संबंधी जानकारी

क्र.	आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता	संख्या	प्रतिशत
1	संलग्नता बढ़ी है	65	65
2	संलग्नता नहीं बढ़ी है	35	35
	योग	100	100

तालिका क्र.2 से स्पष्ट है कि 65 प्रतिशत उत्तरदाता में स्वीकार करती है कि उच्च शिक्षा एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव से मुस्लिम समाज की महिलाओं में आर्थिक संलग्नता में वृद्धि हुई है। मुस्लिम महिलाए भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। अब मुस्लिम महिलाए प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर तथा अन्य तकनीकी पदों पर, शासकीय संस्थाओं एन.जी.ओ. तथा प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत है। मुस्लिम महिलाएं स्वयं का व्यवसाय करना भी पसंद करती है जिसमें बुटिक, ब्यूटी पार्लर, कपड़ा दुकान आदि को प्राथमिकता देती है।

तालिका क्र. 3 : आधुनिकीकरण के प्रभाव से मुस्लिम महिलाओं में कानूनों की जानकारी में वृद्धि संबंधी जानकारी

क्र.	कानूनों की जानकारी में वृद्धि हुई है	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	60	60
2	नहीं	40	40
	योग	100	100

तालिका क्र.3 से स्पष्ट है कि शिक्षा, आधुनिकीकरण के प्रभाव से मुस्लिम समाज की महिलाओं में संवैधानिक कानूनों, अपने अधिकारों के प्रति सजगता आई हैं।

तालिका क्र.4 : आधुनिकीकरण के प्रभाव से पर्दा प्रथा में कमी आने संबंधी जानकारी

क्र.	पर्दा प्रथा में कमी आयी है	संख्या	प्रतिशत
1	हॉं	80	80
2	नहीं	20	20
	योग	100	100

तालिका से स्पष्ट है कि मुस्लिम महिलाओं में पर्दा प्रथा कम होती जा रही है मात्र 20 प्रतिशत महिलाओं को ऐसा नहीं लगता हैं।

तालिका क्र. 5 : आधुनिकीकरण के प्रभाव से मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन संबंधी जानकारी

क्र.	सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन आया है	संख्या	प्रतिशत
1	हॉं	85	85
2	नहीं	15	15
	योग	100	100

अधिकांश मुस्लिम महिलाओं ने माना कि वर्तमान में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति बढ़ी है ,घर के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सहमति एवं सहभागिता हो रही है। अब महिलाए उच्च शिक्षित होने के साथ –साथ आत्म निर्भर होकर उच्च सामाजिक प्रस्थिति को प्राप्त करने में सफल हो रही है।

निष्कर्ष – उपरोक्त समस्त तालिकाओं का परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं पर आधुनिकीकरण का प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ रहा है , अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि साक्षरता, यातायात, संचार साधनों के विकास से तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने से मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति उच्चता की ओर है तथा वो आत्म निर्भर बन रही है, उनकी घरेलू निर्णयों में भागीदारी हो रही है, साथ ही पर्दा प्रथा में कमी आ रही है ,उन्हें कानूनों की जानकारी बढ़ रही है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हमारे देश में संस्थागत ढांचों में परिवर्तन हो रहा है, आज छोटे शहरों में भी लोग रूढ़ियों को त्याग कर नये व्यवहार प्रतिमानो इत्यादि को अपना रहे है, प्रस्थिति के स्थान पर अर्जित प्रस्थिति का महत्व बढ़ रहा है।

अत: अंत में हम कह सकते है कि आधुनिकीकरण ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सीधा संबंध औद्योगीकरण ,नगरीकरण ,बढ़ती हुई साक्षरता एवं सोच में परिवर्तन से है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मनीषा – भारत में आधुनिकीकरण का प्रभाव
2. केसरवानी ममता – समाज वैज्ञानिकी सिंत. 2017
3. तिवारी ज्योत्सना – भारतीय महिलाओं की स्थिति
4. आज तक हिंदी न्यूज ब्यूरो – 31 मार्च 2011 (इंटरनेट)
5. यादव बृजेश कुमार – रिसर्च रिव्यु जर्नल्स जून 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

उज्जैन जिले में महिला उद्यमियों के विकास में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का योगदान

डॉ. मन्सूर खान* फरजाना खान **

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वित्त आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जीवन रक्त है। यह समस्त क्रियाओं का आधार है। इसके अभाव में न तो उपक्रम को आरम्भ किया जा सकता है और न ही उसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार पर्याप्त वित्त की व्यवस्था व्यावसायिक सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी व्यापार व उद्योगों को चाहे वह बडे पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर प्रारम्भ करने एवं उसके भावी विस्तार के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय कें देश की औद्योगिक उन्नति वित्त प्रबंध पर ही निर्भर है। वित्त प्रबंध की उचित व्यवस्था के अभाव में अनेक औद्योगिक विकास की योजनाएँ मात्र कागजी बनकर रह जाती है। जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए कोयले अथवा बिजली आवश्यकता होती है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यापार एवं उद्योग को स्थापित करने तथा चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है।

भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की अनेक वित्तीय संस्थाएँ है जो व्यवसायिक संस्थाओं को अनेक प्रकार से वित्तीय साधन उपलब्ध करवा रही है। इनमें प्रमुख संस्थाएँ इस प्रकार हैं।

1. भारत लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
2. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC Ltd.)
3. भारतीय आद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक (I.R.B.I.)
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (I.D.B.I.)
5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
6. राज्य औद्योगिक विकास निगम
7. राज्य वित्त निगम।

उज्जैन जिले में भी महिला उद्यमियों को उनकी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कई सरकारी, अर्द्धसरकारी, सहकारी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता ऋणों, अनुदानों एवं सहायता के रूप में की जाती है। उज्जैन जिले में निम्नलिखित वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों के वित्त पोषण में लगे हुए हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक – भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उज्जैन जिले में महिला उद्यमियों को निम्न सहायता प्रदान की जाती है :-

1. ऋणों के लिए पुर्नवित्त की सुविधा यह पुर्नवित्त 5 लाख रूपये तक रियायती दरों पर दिया जाता है।
2. 'लघु उद्योग' विकास कोष की स्थापना लघु तथा सहायक उद्योगों के विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु पूँजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है।
3. बिलों की पुन:कटौती योजना के तहत स्वदेशी यंत्र उपकरणों, पूँजी माल आदि के निर्माता महिला उद्यमियों को विलम्बित भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) – यह बैंक महिला उद्यमियों की छोटी इकाईयों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सर्वाधिक ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है, जो कि I.D.B.I. की पूर्ण दायित्व वाली सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है। वित्त प्रदाय से सम्बन्धित यह निम्नलिखित कार्य करती है।

- इकाईयों को सीधे वित्त प्रदान करना।
- सुलभ ऋण योजनाओं का संचालन करना।
- विभिन्न राज्य स्तरीय वित्त निगमों/बैंको को पुर्नवित्त प्रदान करना।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम – महिला उद्यमियों को वित्त प्रदान करने से सम्बन्धित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा मुख्य रूप से दो योजनाओं का संचालन किया जाता है।

- **भाड़ा क्रय योजना –** यह योजना उन महिला उद्यमियों के लिये है जो अपनी इकाई के लिए मशीनरी प्राप्त करना चाहते हैं। इस कार्य हेतु निगम द्वारा उदार शर्तो पर छोटे साहसियों को 60 लाख रूपये तक के प्लाण्ट मशीनरी प्रदान की जाती है।
- **उपस्कर किराया योजना –** निगम द्वारा यह योजना विशेष रूप से ऐसे विद्यमान इकाईयों के लिए संचालित की जाती है जो अपनी इकाई का विस्तार, तकनीकी उत्थान करने के इच्छुक हो। उद्यमियों को चाही गयी मशीन अथवा उपकरण का शत-प्रतिशत भाग ऋण के रूप में प्राप्त हो सकता है।

राज्य वित्त निगम – राज्य वित्त निगम द्वारा नवीन तथा विद्यमान इकाईयों को उनकी वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण तथा समता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ निगम द्वारा किन्हीं विशिष्ट संदर्भो में कुछ योजनाएँ भी संचालित की जा रही है। जैसे :- राष्ट्रीय समता निधि योजना (NEF) जिसके अन्तर्गत पात्र, अनुभवी तथा योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सुलभ ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि उज्जैन जिले में महिला

उद्यमियों के विकास में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का सम्पूर्ण दृष्टिकोण में ओर अधिक परिवर्तन आया है तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ महिला उद्यमियों के विकास में अपनी भूमिका को सफलतापर्वूक निभा रही है यह निश्चित ही बहुत बड़ा योगदान है। किन्तु यह सफलता केवल विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों से संभव नहीं होगी। इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी आगे आना होगा। महिला उद्यमियों का महत्व समझना होगा तभी हमारे उज्जैन जिले, राज्य तथा देश में महिला उद्यमियों का विकास संभव होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ. के. सी. भण्डारी – भारत में आर्थिक नियोजन
2. सी. बी. मामोरिया –औद्योगिक विकास
3. एस.पी. सिंह एवं टी.आर. गम्भीर – औद्योगिक विकास
4. डॉ. आर. पी. गुप्ता – विकास का अर्थशास्त्र
5. सुनील कुमार तिवारी – संगठानात्मक व्यवहार
6. डॉ. प्रबन्ध कुमार सक्सेना –वित्तीय व्यवस्था
7. डॉ. विवके शर्मा – बैंकिंग प्रबन्ध
8. योजना पत्रिका

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के योगदान का अध्ययन (उज्जैन संभाग के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रूपचंद चौहान *

* एम.कॉम., पी-एच.डी. 397, महात्मा गाँधी मार्ग नयापुरा, बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – उद्यमिता देश के आर्थिक विकास की कुंजी होती है। उद्यमिता आर्थिक विकास का ऐसा घटक है जो न केवल स्वरोजगार के लिये अवसर निर्मित करता है बल्कि दूसरो के लिये भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। हमारे देश में हर श्रेणी के उद्यमियों के लिए उद्यमिता की अपार संभावनाएँ विद्यमान है। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य की अनेक संस्थाएँ भी कार्यरत है। उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आदि संस्थाएँ उद्यमिता विकास के लिये कार्यरत है। ये संस्थाएँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के माध्यम से योगदान दे रही है। इन कार्यक्रमो के माध्यम से उद्यमिता की पूर्ण जानकारी इन लोगो तक पहुँच पा रही है, साथ ही जिस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है वह भी पहुँच पा रहा है। क्या इन वर्गो में उद्यमिता का पर्याप्त विकास हो पा रहा है। इस शोध पत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास का अध्ययन किया गया है। समस्त अध्ययन के लिये उज्जैन संभाग का संदर्भ लिया गया है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जाति एवं जनजाति, उद्यमिता विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

प्रस्तावना – उद्यमिता किसी भी देश की प्रगति की द्योतक होती है। इसीलिए सरकार उद्यमिता विकास के लिए सतत् प्रयासरत है। उद्यमिता न केवल स्वरोजगार के लिये अवसर निर्मित करती है बल्कि दूसरो के लिये भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। उद्यमिता से जहाँ एक ओर रोजगार के अवसर बढते है, वही दूसरी ओर बेरोजगारी घटती है।

प्रत्येक देश की सरकार का दायित्व होता है कि वह अपने नागरिको को गुणवत्ता पूर्ण जीवन उपलब्ध करवाएँ। जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस दिशा में देश के नागरिको को अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उद्यमिता कार्य में संलग्न करना चाहिए ताकि उद्यमिता में वृद्धि के साथ अधिकतम कल्याण हो सके।

उद्यमिता विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक संस्थाएँ कार्यरत है। केन्द्र सरकार की उद्यमिता प्रोत्साहन के लिये भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मंडल, अखिल भारतीय लघु बोर्ड आदि संस्थाएँ कार्यरत है। मध्यप्रदेश सरकार की उद्यमिता को बढावा देने के लिये मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. आदि संस्थाएँ कार्यरत है।

ये संस्थाएँ विभिन्न वर्गो को उद्यमिता विकास योजनाओं तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के माध्यम से उद्यमिता की ओर अग्रसर करने में प्रयासरत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास में भी उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के माध्यम से अपना योगदान दे रही है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंधकीय पहलुओं से संबंधित ज्ञान को प्रशिक्षणार्थियों तक पहुँचाया जाता है इसके साथ-साथ उद्यमी को बाहय अवसरो, सहायताओं तथा सामाजिक एवं संगठनात्मक सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

इस शोध पत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास का अध्ययन किया गया है। विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को शामिल किया गया है। समस्त अध्ययन के लिये उज्जैन संभाग का संदर्भ लिया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :

1. बी.आर. नलवाया (1998) ने 'पश्चिम निमाड जिले में उद्यमिता विकास की योजनाएँ एवं संभावनाए' शोध प्रबंध में जातिगत आधार पर उद्यमशीलता का अध्ययन कर बताया कि शासन द्वारा घोषित विभिन्न कार्यक्रमो के उपरांत भी पिछडे वर्ग एवं जनजातियों, अनुसूचित जातियों में उद्यमिता की भावना का विकास नही हो सका है।
2. क्रुनाल सोनी (2015) ने 'इन्टरपिन्योरशिप डेवलपमेंट इन इण्डिया' शोध पत्र में उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सरकार द्वारा उद्यमियों की उन्नति एवं वृद्धि के लिये उठाए गए कदमो का अध्ययन किया है। साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योगो के विकास के लिये कार्यरत सरकारी संगठनो की भी चर्चा की है।

शोध का उद्देश्य – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो से अनुसूचित जाति एवं जनजाति में उद्यमिता का विकास हुआ है।

शोध अध्ययन प्रणाली – प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के योगदान का अध्ययन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि ये कार्यक्रम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमिता विकास में कहाँ तक सफल हुए है। समस्त अध्ययन के लिये उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो को आधार बनाया गया है।

प्रदत्तो का विश्लेषण – अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पिछडेपन को दूर करने के लिये सरकार हमेशा प्रयत्नशील है। इसके लिये सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रो के साथ उद्यमिता की दिशा में भी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमो के माध्यम से प्रयास किये जा रहे है। ताकि यह वर्ग उद्यमिता के क्षेत्र में भी उन्नति कर सके।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्यमिता की ओर अग्रसर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। ये कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो पर आधारित, सामान्य तथा तकनीकी में आयोजित किये जाते है। उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों की स्थिति को तालिका क्र. 01 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र.01 : उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी (वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक)

संस्था का नाम	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों की स्थिति	
	संख्या	बैंको को प्रेषित ऋणहेतु आवेदन
उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र.	159	117
म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गे -नाइजेशन लिमिटेड	95	72
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	120	108
योग	374	297

स्त्रोत :- जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

उपरोक्त तालिका क्रं. 01 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं- उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 374 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 297 प्रशिक्षणार्थियों के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए गए।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 159 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 117 के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 95 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 72 के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए। इसी प्रकार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 108 के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वाधिक 159 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सर्वाधिक 117 प्रशिक्षणार्थियों के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए गए तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सबसे कम 95 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सबसे कम 72 प्रशिक्षणार्थियों के ऋण हेतु आवेदन बैंको को प्रेषित किए गए।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. तथा म.प्र. कन्सलटेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो पर आधारित, सामान्य तथा तकनीकी उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा केवल सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षणार्थियों के ऋण हेतु सर्वाधिक आवेदन वाणिज्यिक बैंको को प्रेषित किए गए।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ऋण स्वीकृत होने के पश्चात उद्यम प्रारंभ किया गया तथा अस्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ नही किया गया। संस्थावार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यम प्रारंभ करने वालो तथा उद्यम प्रारंभ नही करने वालो को तालिका क्रं. 02 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रं. 02 : संस्थावार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यम प्रारंभ करने वालो तथा उद्यम प्रारंभ नही करने वालो की जानकारी (वर्ष 2008-09 से 2012 -13 तक)

संस्था का नाम	उद्यम प्रारंभ करने वाली की संख्या	उद्यम प्रारंभ नही करने वाली की संख्या	सफलता का प्रतिशत
उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र.	70	89	44.02
म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	38	57	40.00
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	50	70	41.67
योग	158	216	42.25

स्त्रोत :- जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

उपरोक्त तालिका क्रं. 02 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के उपरांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 158 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया तथा सफलता का प्रतित 42.45 रहा।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के उपरांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 70 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतित 44.02 रहा तथा म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के उपरांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 38 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रतित 40.00 रहा। इसी प्रकार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमो के उपरांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 50 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया। सफलता का प्रेषित 41.67 रहा।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम की ओर अग्रसर करने में सर्वाधिक 44.02 प्रतित योगदान उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. का रहा तथा सबसे कम 40.00 प्रतित म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड का रहा।

परिकल्पना की पुष्टि – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओ द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो से अनुसूचित जाति एवं जनजाति में उद्यमिता का विकास हुआ है, परिकल्पना की पुष्टि नही होती है क्योकि उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 374 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर 158 को उद्यम की ओर अग्रसर किया गया तथा सफलता का प्रतित 42.25 रहा। जो कि आधे से भी कम अर्थात 50 प्रतित से भी कम है।

निष्कर्ष – उज्जैन संभाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमो से अनुसूचित जाति एवं जनजाति में उद्यमिता का पर्याप्त विकास नही हुआ है क्योकि विभिन्न आयोजक संस्थाओं का उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के प्रति संवेदनशीलता का अभाव तथा लोगो में सूचना एवं ज्ञान की कमी प्रमुख कारण रहा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगो में उद्यमिता के क्षेत्र में पिछडेपन को दूर करने के लिये आवश्यक है कि विभिन्न आयोजक संस्थाएँ इन लोगो में उद्यमिता विकास कार्यक्रमो के प्रति आकर्षण बढाए तथा उनमें जागरूकता का विकास किया जाए ताकि अधिक से अधिक उद्यमिता विकास के साथ अधिकतम कल्याण हो सके। इसके अलावा पारिवारिक सकारात्मकता, सामाजिक वातावरण एवं उद्यम के प्रति रूचि भी उद्यमिता विकास के लिये पूर्व आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एम. के. जैन (2004), 'उद्यमिता', दीपक प्रकाशन, ग्वालियर।
2. डॉ. नागेन्द्र प्रतापसिंह (1988), 'उद्यमिता विकास का बदलता स्वरूप', उद्यमिता विकास संस्थान उ.प्र.।
3. बी.आर. नलवाया (1998), 'पश्चिम निमाड जिले में उद्यमिता विकास की योजनाएँ एवं संभावनाए' (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
4. क्रुनाल सोनी (2015), 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन इण्डिया' (शोध पत्र) इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कामर्स, इकॉनामिक्स एण्ड मैनेजमेंट वाल्युम नं. 5, इष्यु नं. 9, (सितम्बर) ISSN No 2231-4245
5. रूपचंद चौहान (2016), 'उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) के योगदान का अध्ययन' (शोध प्रबंध), विक्रम विष्वविद्यालय उज्जैन
6. जिला कार्यालय, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., जिला उज्जैन, देवास, षाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच।
7. जिला कार्यालय, म.प्र. कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला उज्जैन उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच
8. जिला कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच।
9. उद्यमिता समाचार पत्र, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल
10. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारतमेंअसंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति : एक अध्ययन

गणपतलाल माली * डॉ. सत्येन्द्र किशोर मिश्र **

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष एवं सह-आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध-पत्र में बताया गया है कि वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रही, जनसंख्या को संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं। भारत में सर्वाधिक असंगठित कामगार प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है तथा इसका शेष भाग निर्माण, खनन, व्यापार, संचार, परिवहन एवं अन्यत्र सेवा क्षेत्रों के कार्यो में लगे हुए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आर्थिक विकास में सर्वाधिक योगदान है परन्तु यह मजदूर वर्ग असंगठित क्षेत्र में कार्यशील होने से शोषण का शिकार होते आ रहे है ऐसे मजदूरों का अपना कोई संघ नहीं होता है जिससे यह अपने अधिकरों की रक्षा कर सके।
शब्द कुंजी– असंगठित क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक।

प्रस्तावना – विश्वआर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, विकसित देशों में 12 प्रतिशत और विकासशील देशों में 46 प्रतिशत कामगार असंगठित के रोजगार में कार्यरत है। इनमें से दो तिहाई असंगठित रोजगार दक्षिण एशिया में है, जहां कुल श्रमिकों का 72 प्रतिशत भाग इसी श्रेणी में है। भारत में यह अनुपात काफी ज्यादा है और यहाँ लगभग 92 प्रतिशत श्रमिक असुरक्षित, असंगठित रोजगार से जुड़े है जिसमें से सर्वाधिक लगभग 52 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्य प्राप्त है तथा शेष निर्माण, लघुउद्योग, ठेकेदारों द्वारानियोजितकामगार, घरेलू कामगार एवं स्वत: रोजगार जैसे रिक्शा या आटो, नाई, कुलीइत्यादिसेवा क्षेत्रोंमें कार्य कर रहे हैं।[1] पविथराम सचिन (2011) के अध्ययन से स्पष्ट है कि चीन की तुलना में भारत में असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का बड़ा भाग कार्यशील हैं।[2] पार्थसारथी, जी, (1996) के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि असंगठित मजदूरों को मजबूर होकर असंगठित क्षेत्र मेंरोजगार करना पड़ता हैक्योंकि उनके पास रोजगार का अन्य कोई बेहतर विकल्प नहीं होता हैं।[3]असंगठित क्षेत्र की खासबात यह है कि यहाँ अधिकतर श्रम कानून लागू नहीं होते है इसमें कार्य करने वालों की स्थिति दयनीय है। न वे सुनिश्चित रोजगार पाते है, न उनको सही मजदूरी मिल पाती है और न ही उन्हें कोई सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध होती है। इस क्षेत्र में रोजगार हमेशा नहीं होता है इसलिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है।[4]

साहित्य समीक्षा

भदानी, पीयूष (2016)[5] के शोध अध्ययन संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर आधारित सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर लगभग नगण्य रही है तथा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जिसका एक बड़ाभाग कृषि के साथ अन्यत्र क्षेत्र में कार्यशील है जिससे स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि हुई हैं।

धर, एम.एल. (2006)[6] ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति का अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि इन श्रमिकों में संगठन नहीं होना ही इनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है जिसके कारण ही इन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इनमें संगठन नहीं होने का मुख्य कारण, इनके कार्यस्थल छिन्न-भिन्न एवं छिट-पुट होते है,संगठन के बिना नियोक्ता एवं श्रमिक में तय सौदा शक्ति नहीं होती है, जिसके कारण नियोक्ता इनका शोषण करते रहते हैं। अत: सरकार को असंगठित क्षेत्र में भी श्रमिक कानूनों के परिपालन में सख्ती करना चाहिए। जिससे इनके हितों की सुरक्षा हो सकेगी।

ठाकुर, सी.पी. इत्यादि (2007)[7] के शोध आलेखअसंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा की शर्तेंमेंउल्लेख किया गया है कि भारत की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सम्पूर्ण असंगठित श्रमिकों को प्राप्त नहीं हो पाताहै।

मजूमदार, ए. इत्यादि (2013)[8] ने भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्योगों में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर यह स्पष्ट किया है कि भारतसरकार द्वारासन् 1947 से अनौपचारिक क्षेत्र के उद्योग के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिलवाने का प्रयास कर रहीहैं परन्तुआज भी इस क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पायी है जिसके कारण इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं एवं बीमारियों से अधिक जन हानि हो रही है अत: ऐसे में आवश्यक है कि सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को व्यवहारिक जीवन में लागू करने पर प्रयास करना चाहिए।

झा, रूपक कुमारइत्यादि(2010)[9] ने भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली: एक अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण में स्पष्ट किया है किविकसित देशों में जनसंख्या के एक बड़े भाग को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हो रहा है परन्तु भारत में एक छोटे से भाग में सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हो रहा है जबकि बड़ा भाग गैर-सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। हालाँकि सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (एस.एस.एस.) के द्वारा स्वास्थ्य, प्रसूति, वृद्धावस्था, दुर्घटना, असमर्थता और आकस्मिक मृत्यु आदि मेंआर्थिक सहायता प्रदान

करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार है:

1. भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अध्ययन करना।
2. श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन करना।
3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा हेतु निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

अध्ययन की परिकल्पना – प्रस्तुत अध्ययन में परिकल्पना इस प्रकार है: H_0 : असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक एवं प्राथमिक समंकों पर आधारित है द्वितीयक समंकों हेतु एन.एस.एस.ओ. द्वारा 66 वेचक्र वर्ष 2009-10 के सर्वेक्षण से प्राप्त समंकों को लिया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति के अध्ययन के लिए साहित्य संदर्भित पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं, वेबसाईट, प्रकाशित लेखों आदि से जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं।

प्राथमिक समंक संकलन हेतु मध्यप्रदेश का नीमच जिले को समग्र मानते हुए इसके तीनों विकासखण्डों से दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर 10-10 गाँवो का चयन किया गया।प्रत्येक गाँव से 06-06 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जो दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर है, इस प्रकार कुल 30 गाँवों से 180 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्त कर विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया।

समंको का विश्लेषणात्मक अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रोजगार के अध्ययन हेतु असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोगअथवा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के सर्वेक्षण द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है जोनिम्न है-

तालिका क्रमांक-1 : भारतमें असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या वर्ष 2009-10 का विवरण (करोड़ में)

क्षेत्र/श्रमिक	असंगठित श्रमिक	संगठित श्रमिक	योग
असंगठित क्षेत्र	38.6 (99.5)	0.1 (0.5)	38.7 (100.0)
संगठित क्षेत्र	3.7 (51.1)	3.6 (48.9)	7.3 (100.0)
योग	42.3 (91.9)	3.7 (8.1)	46.0 (100.0)

स्रोत : Papola&Sahu, (2012) pp.41(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत में है)

वर्ष 2009-10 में एन.एस.एस.ओ. के द्वारा 66 वेचक्र के सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र में असंगठित श्रमिक 38.6 करोड़ या (99.5) प्रतिशत एवं संगठित श्रमिक 0.1 करोड़ या (0.5) प्रतिशत तथा समग्र रूप से 38.7 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि संगठित क्षेत्र में असंगठित श्रमिक 3.7 करोड़ या (51.1) प्रतिशत एवं संगठित श्रमिक 3.6 करोड़ या (48.9) प्रतिशत तथा समग्र रूप में 7.3 करोड़ श्रमिक संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। इस प्रकार से कुल 46 करोड़ श्रमिकों में से 42.3 करोड़ या (91.9) प्रतिशत असंगठित श्रमिक एवं 3.7 करोड़ या (8.1) प्रतिशत संगठित श्रमिक हैं।

प्राथमिक समंकों हेतु भारत के मध्यप्रदेश में नीमच जिले के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की स्थिति की जानकारी हेतु साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन इस प्रकारहै-

तालिका क्रमांक-2 : असंगठित श्रमिकों को नियोक्ता द्वारासामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का विवरण

क्र.	नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	3	1.7
2	नहीं	177	98.3
	योग	180	100.0

स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र में लगभग 98.3 प्रतिशत मजदूरों को नियोक्ता द्वाराकिसी भी तरह की सामाजिक एवं आर्थिक व रोजगार से संबंधित सुरक्षा प्रदाननहीं की जाती है, जबकि 1.7 प्रतिशत श्रमिकों को कार्यस्थल पर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने पर प्राथमिक उपचार या चिकित्साह खर्च प्रदान किया जाता हैं।

तालिका क्रमांक-3 : असंगठित श्रमिकों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ की स्थिति

क्र.	सामाजिक सुरक्षा का लाभ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	127	70.6
2	नहीं	53	29.4
	योग	180	100.0

स्रोत-प्राथमिकसर्वेक्षण

उत्तरदाताओं से प्राप्त समंक की तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक 70.6 प्रतिशत श्रमिकों के परिवारों को सरकारी की जन कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त होता हैं। मात्र 29.4 प्रतिशत लोगों को इन योजनाओं की आवश्वकता नहीं पड़ी हैं।

परिकल्पनापरीक्षण – प्रस्तुत शोध अध्ययन मेंपरिकल्पनाएँ का परीक्षण इस प्रकार से है-

H_0 : असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

H_1 : असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ के मध्य सम्बन्ध हैं।

देश में कुल कार्य बल46.0 करोड़ है जिसमें से 42.3 करोड़ असंगठित कामगार हैं तथा मात्र 3.7 करोड़ कामगार संगठित श्रमिक हैं। देश के कुल कामगारों में से 38.6 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हैं अर्थात देश का 84.1 प्रतिशत कार्यबल असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है तथा शेष 15.9 प्रतिशत श्रमिक संगठित क्षेत्र मेंरोजगार प्राप्त हैं।

असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त श्रमिकों में 99.5 प्रतिशत कामगार असंगठित श्रमिक है जिन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा लाभ नियोक्ता द्वारा प्राप्त नहीं होती है। मात्र 0.5 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार ही संगठित श्रमिक के रूप मेंरोजगार प्राप्त हैं अर्थात् सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अलावा संगठित क्षेत्र के 51.1 प्रतिशत श्रमिक कामगार असंगठित श्रमिक है तथा 48.9 प्रतिशत श्रमिक संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

इस प्रकार से कुल 42.3 करोड़ श्रमिक अर्थात् लगभग 92 प्रतिशत असंगठित श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की

सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मात्र 8 प्रतिशत श्रमिकों को ही राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त अध्ययन क्षेत्रमें नीमच जिले के 98.3 प्रतिशत कामगारों को नियोक्ता द्वारासामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के कामगारों को रोजगार एवं सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा लाभ नहीं मिल रहा हैं। हालाँकि शोध क्षेत्र के श्रमिक/परिवारों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

निष्कर्ष – शोध अध्ययन में किए गए परिकल्पना परीक्षण से स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नियोक्ता द्वारा प्रदान नहीं की जातीहै।

प्राथमिक सर्वेक्षणमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही हैं। हालाँकि शोध क्षेत्र के श्रमिक/परिवारों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. झा, प्रवीण (2017) : 'भारतमें श्रम परिदृश्य' प्रकाशन विभाग, नईदिल्ली, अंक 04, योजना, अप्रैल 2017, पृ.क्र. 09-11
2. Pavithram, Sachin Ap and Jaheer, Mukthar KP (2011) : "A Comparative Study on the Emerging Economics of the world: India or China", *International Journal of Economics,* Vol. 4, No. 1, PP. 123-131
3. Parthasarathy, G. (1996) : "Unorganized Sector and Structural Adjustment", *Economic and Political Weekly,* Vol. 15, No. 28, PP. 1859-1863
4. चतुर्वेदी, उमेश (2009) :'असंगठित क्षेत्र की छतरी', प्रकाशन विभाग, नईदिल्ली, अंक 11, योजना, नवंबर, पृ.क्र. 23-24
5. Bhadani, Piyush (2016) : "Survey on Organised and Unorganised Sectors in Campus of JNU", *International Journal of Development Research,* January-2016, Vol. 06, No. 01, PP. 6560-6565
6. धर, एम.एल. (2006) : 'असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पहल', प्रकाशनविभाग, नईदिल्ली, वर्ष 52, अंक 07, योजना, मई, पृ.क्र. 8-9
7. Thakur, C.P. and Venkata, Ratnam C.S. (2007) : "Condition of Work in The Unorganised Sector in India", *The Indian Journal of Labour Economics,* Vol. 50, No. 4, PP. 749-763
8. Majumdar, A. and Borbora, S. (2013) : "Social Security System and Informal Sector in India", Economic and Political Weekly, Vol. 48, No. 42, October, PP. 69-72
9. Jha., Rupak Kumar and Bhattacharyya, Surajit (2010) : "Social Security System in India: An International Comparative Analysis", *Indian Institute of Technology, Bombay* (MPRA) Paper No. 20142, PP. 2-20

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Economic Ideas of Mahatma Gandhi

Dr. Ajay Kumar Gupta *

*Associate Professor, Govt. Arts College, Panagar, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - Gandhi's economic ideas were in sence a logical corollary of his moral principles such as Swaraj Sarvodaya truth non- violence and equality and the like based on these wider social principles. Gandh derived his economic ideas which if brough together would give a picture of the economic system that he visualised

Keywords- Economic's Industrilization, Swadeshi, Tursteeship ,Society, Non-violence.

Introduction - Gandhi's economic ideas are understand in his whole philosophy. His main economic ideas aims at the socio-economic reconstruction of society. Gandhiji did not give any economic model regarding the development of Economics but gave some basic canons based on which we can decide what king of economic composition is most preferable for Indian economy Gandhi has given the concept useful work for which would be helpful among all communities lack of untouchability small scale and village Industries the measure suggested by Gandhi for ensuring production and distribution to take place simultaneously was to orient all productive activities to the satisfaction of the basic needs of the masses. This mean that production pattern should be uni-dimensional confining itself to the basket of necessaries only. As a means of ensuring that exploitation did not take place Gandhi desired that the methods of production should be indigenized. As a part of this he objected to the use of machine. To quote him and "machinery him it place it has come to stay, But it must not be allowed to displace human labour.

Top Economic Ideas Of Mahatma Gandhi

Industrialisation - Mahatma Gandhi opposed the idea of industrailsing India in the Western manner Large scale industrialization is a negotiation of nonviolence because its consequences are exploitation, Monopoly centralization, mass production, complicated distribution and conflicts.These arise out of cut throat competition of capturing market. Mass production is the first slogan of industrialization. According to Mahatma Gandhi "this mania for mass production is responsible for the world crisis. This mass production leads to the concentration of production at a particular place, when many milles and factories concentrate at one particular place, these very chance of their being monopolise. The monopolist ultimately begins to dictate the price according to his sweet will, if the Monopoly is in the hands of the capitalist they do not get the home market for the consumption of the goods the conflict and competition for foreign market ensue leading at times to battles and wars and endangering the peace of the world: This cut throat competition is a necessary evil of industrialization. The greatest danger of industrialisation is its exploitation of the villagers. Men materials and other resources of The villages are compelled to be drawn towards the industrialised centres. Gandhi held that Industrisation on a mass scale would necessarily lead to passive or active exploitation of the villagers as the problems of competition and marketing come in."

Containment of wants - "Nature produces enough to meet the needs of all the people, but not enough to satisfy the greed of any man " Mahatma Gandhi

To meet the minimum needs of everybody Gandhi suggested two measures, first everybody should get sufficient work to enable him to make two ends meet. Second the means of production of Elementary necessities of life should remain under the control of masses

Swadeshi - The greater part of Gandhi's work was to renew Indias vitality and regenerate its culture. According to the principal of Swadeshi whatever is made or produced in the village must be used first and fore most by the member of the village, Trading among villages and between villages and towns should be minimal like icing on the cake goods and services that cannot be generated within the community can be brought from else where, Swadeshi avoids economic dependence on external market forces that could make the village community vulnerable. It also avoids unnecessary unhealthy wasteful and therefore environmentally destructive transportation. Swadeshi this is the way to comprehensive Peace, peace with onself, peace between peoples and peace with nature. The global economy drives people to word high-performance high achievement and high ambition for materialistic success, this result in stress loss of meaning loss of inner peace

loss of space for personal and family relationship and loss of spiritual life.Gandhi realized that in the past life in Indian was not only prosperous but also conductive to philosophical and spiritual development.

Labour and capital - Gandhi's statement – "Capital should be labours servant not its masters repudiates the claim of these who glorify the Supremacy of capital in modern economic development. He also believed in the formation of unions by labourers because labour would be superior to Capital only, if it stood united and was morally and intellectually trained. He agreed to strikes but labourers must perform their duty first he also added stripe should be based on the principle of non violence and truth.

Trusteeship - Trusteeship meant that "The rich man will be left in possession of his wealth of which he will use what he reasonably require for his personal needs and will act as a Trustee for the remain reminder to be used for the rest of the society. Trusteeship is another novel and innovative idea of Gandhi. It is an ethico- economic concept, Gandhi believes that economic equality is a basic requirement of just and nonviolent Society, economic equality is opposed to monopolization or concentration of wealth, he takes economic equality or equitable distribution of wealth, as a great idea, But the problem is how to materialize this ideal into practice in other words to bring economic equality without any coercive measure or encroaching upon individual freedom is a great challenge. Trusteeship seems to provide a possible solution to this problem

Gandhiji formulation of Trusteeship is based on his basic pre-suppositions, He firmly believes that by birth all men are equal and that all wealth belong to the society, Because of this assumption he hold that the daily wages of all people in the society should be equalized, If there is some difference with regard to talent intelligence physical strength etc there can be modest difference in the wages but that will not give rise to a big cap in the society further people should utilize their talent for the Welfare of the society, Since men are born equal they have a right to equal opportunity. If a person has more than his professional need he becomes a Trustee of that so as to utilize it for common good and not for his selfish interest. Since Gandhiji believes that all wealth belong to the society he is against private accumulation or hereditary inheritance trusteeship ensures the transfer of wealth from the class to the unprivileged class. The privileges class be impressed upon with the idea that they should act as Trustee and the wealth in their possessing should be utilized in the constructive way to ameliorate the condition of all, Anybody who has the wealth can be appealed to act as a Trustee, Thus Gandhi hold that what belongs to an individual is actually the wealth of the community for every person is an integral part of the society, A person relationship to his material possessions is like that of a Trustee, He has to manages it without any selfish attachment, The material possesing of an Indian is not a personal possessions but can be used in the service of others who are less possesing, Similarly a scientist, a scholar, as a teachnocrat, a doctor, a lawyer etc they elite class of the society should use their talents so talent should not be used for exploiting other or accumulating property for personal benefit. Talent should be recognized and utilised for social betterment. So people having surplus wealth or some talent should act as trustees of the society.

Conclusion - Gandhi economic ideas have great impact on Indian economy, He emphasized on Cottage and small scale industries which have significant importance for the development of economic condition of the common man, Mahatma Gandhi has proposed very reconstructive economic ideas and if these ideas implemented, India would have been relieved, many economic problems, India should emphasis on the policy of Mahatma Gandhi which especially represents, the Swadeshi policy and work for human being. In the age of globalization, Indian society is facing may economic problem on account of large scale industries and mechanization. Small Scale industries play a key role in our economy for its development these industries are basically using labour intensive and high potential for Employment generation

References :-

1. Dr Ram Kripal Sinha MK Gandhi - sources ideas and action Ocean books Private Limited 4/19 Asaf Ali Road New Delhi edition first 2018 PP 220 221 222
2. Gandhiji Swriti and darshan Samiti concept publishing company New Delhi Volume 4 PP 78 79
3. Gandhiji M.K(1952) "Truth is God, NavjIvan publishing house Ahmedabad
4. Gupta Shanti Swarup (1994) Economic Philosophy of Mahatma Gandhi concept publishing company New Delhi P 136, 137, 185
5. ISBN Publication Gandhi in the new Millennium issues and challenges published by khandwala publishing house
6. JK Chopra unique Quintessence of Gandhi Nehru Tagore and other eminent personalities of modern India unique publishers M- 51 Lajpat Nagar II New Delhi 25th edition 2006 PP 88 89

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Impact of Education on Preventing Child Labour in India

Dr. Kunal Shaktawat *

*Asst. Prof. (Law) Shri Jawaharlal Nehru Law College, Mandsaur (M.P.) INDIA

Abstract - Child Labour is widespread and bad for development of individual child the Society and economy in which she or he lives. The present paper underlines the role of education in eradicating child labour. Studies have concluded that eliminating child labour and children into education would have huge aggregate development benefits from the time of its independence India has committed itself to be against child labour. Despite Governmental policies and programmes on the one hand and untiring efforts by different NGOS child labour still stands as a hard reality. The Paper explores the scope of formulation and operation of policies and programmes to ensure all round social progress and sustainable economic development in the country.

Key words - Child labour, poverty, Educational achievement.

Introduction - Child Labour is a global problem. It was originated in 13th century in Europe In Indian Society this is prevalent Since the ancient age as it is mentioned in kautilya's Arthashastra. Though before and after independence some legislative measures are taken but still in India child labour countinues to exist in huge numbers According to census report 2011 India has total 82 Lakhs population of working children whose age ranges between 5 to 14 years.

Objectives of this Paper are :

a) To discuss about the concept of child labour and the factors emerging child labour in India.
b) To identify the categories of child labour in India.
c) To find out the effects of child labour on participation in schools.
d) To assess the role played by National child labour project (NCLP) Schools in promoting or eliminating child labour and to suggest some steps for the betterment.

Concept of Child Labour - The International Labour organization(ILO) defines child Labour as "work situations where children are forced to work on a regular basis to earn a living for themselves and their families and as a result they remain backward educationally and socially in a situation which is exploitative and harmful to their health and to their physical and mental development ILO also suggests that it is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children and interferes with their schooling by depriving them of the opportunity to attend school, obliging them to leave school prematurely or requiring them to attempt to combine school attendance with excess of long and heavy work.

Factors Responsible for child Labour in India - India has been facing many social problems every single day with new challenges and new situations, child labour is a serious issue in India. Childhood is a memorable Period for every individual because we do not have the pressure of work and responsibility. Three main factors of child labour in india are Illiteracy, poverty and Unemployment.

Education is essential for every individual and it is everyone's right, just like clothes and food is very important for us education is also important for a good and successful life. If you have proper education you know about your rights in society and it is a powerful weapon to fight against the child labour. The fortunelss children evolve as uninformed workers and earn a low salary in adulthood so poverty persists and the parents are compulsivey sending their children to work and a child labour share is built up. One of the most quarrel impacts of **COVID-19** is the loss of jobs across the world. As a consequence of this and the loss of jobs of their parents children may have to keep working for the family survival.

Categories of child Labour in India - In general child labour takes two forms unpaid work in the household or in the family form/ enterprise and paid work in the labour market. In India children are engaged in different occupations among which some are very hazardous These are mainly agricultural activities (farming, picking, cotton, harvesting sugarcane), industry (Manufacturing garments, weaving, spinning, embroidery and embellishing, manufacturing glass ,brass ware, polishing gems, weaving carpets, rolling cigarettes, manufacturing agarbatti, fireworks, matches, manufacturing foot wear, leather goods, producing bricks, breaking stones, minning coals mica)

services and other's (working in hotels, hawker, porter, construction worker repairing vehicles, scavenging, domestic works, begging, sexual exploitation)

Effect of child labour on education and vice versa - Child domestic labour negatively affects school enrolment as parents send their children to do domestic work to supplement family income. For those who attempt to combine work and schooling attendance and performance become very poor and eventually they drop out of school to concentrate on work In terms of gender many girls drop out of school as they are more engaged in domestic work than boys. The prevalence of child labour is thus directly correlated to children's drop out before completion of primary education and educational deprivation plays key role determining and controlling the whole life of that child. On other hand due to huge number of holidays, political rallies, less number of teachers, teacher absenteeism, lack of quality teaching and low motivation of the teachers, some parents see nothing wrong to keep children away from regular schooling.

Role of National child Labour Project Schools (NGLP) - Government of India initiated the National child Labour project (NCLP) scheme in 1988 to rehabilitate the working children. Under the scheme working children are identified through child labour survey, withdrawn from work and put into the special schools so as to provide them with enabling environment to join mainstream education system. In these special schools besides formal education they are provided stipend per month, nutrition, vocational training and regular health checkups In addition efforts are also made to target the families of these children so as to cover them under the various developmental and income or the employment generation programmes of the Government. At present there are NCLP schools in 267 districts throughout India.

Policy Prescriptions - Here are few suggestions regarding better NCLP functioning.

a) Co-ordination between the Centre, state and district Level -There should be more coordination between the centre state and district level There should be a Co-ordination committee consisting of top official and state holders from all three levels to monitor NCLP activities as well as data analysis, information management. Report generation and publication across the country.

b) Organizational structure – There should be full time project directors in each of the districts. More number of field officers should be sanctioned where there is high concentration of child labour mainstreaming of the students should be monitored to check if they are facing any problem and if there is any drop out after main streaming.

c) Periodicity and effectiveness of project meetings - Project society meeting should be made mandatory for the members without fail as per the guidelines, Agendas and the decision taken should be properly documented and should be forwarded to the central committee in timely manner. All districts should maintain the same format for this purpose.

d) Survey and identification of child labour- Central and other state level authorities need to monitor more efficiently and effectively the process of survey and the identification of child labour. The aggregated and raw data of each survey should be computerized maintained and to b e made available to government and non government organizations.

e) Awareness Generation- Programmes for awareness generation should be carried out the all three levels throughout the year with the help of mass media campaigns community people NGO's and self help groups should be involved in these programmes.

f) Training and capacity building for the staff- For effective and efficient working formal training sessions should be arranged for all the teachers and staff members.

g) School infrastructure- Schools should be equipped with the basic infrastructure such as desks, proper ventilation, electricity, open space etc provision for separate toilets for girls should be mandatory continuous encouragement, playful learning techniques, use of audio and visual aids and recreational activities should be part of learning.

h) Vocational material and Trainers- NCLP scheme should provide vocational training with more infrastructural facilities like skilled trainers with the appropriate knowledge and training material In order to expose the children to a wide variety of trades or skills including modern technology and local marketable skills etc should be imported on regular basis.

i) Stipend- Stipend plays role of positive reinforcement which helps in the schools So compulsory accounts should open in bank or post office where money will be transferred on a regular basis.

Conclusion - Child labour is both an economic drill also socially ill. It has survived In some from time primeval. Children are guiltless, permeable and dependent They are all eager active and full of expectance. Their life should be full of enjoyment and stillness, playing, knowing and growing. Their future should be built in harmony. Their childhood should be elderly as they expand their potential and gain new experience. Give upon the children, saving a good foundation of life for them is a sin against humanity.

References :-

1. Child Labour: A sociological study - P Jaiswal.
2. Problems of Working Children- Kumar B.
3. Child Work, Poverty & under development - Rodgers G.
4. Child Labour in the developed economies - Dorman.P.
5. Adult minimum wage and Child Labour - Basu .K.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Constitutional Provisions for Equity and Equality

Dr. Uma Shrivastava *

*Principal, Govt. College of Teacher Education, Dewas (M.P.) INDIA

Abstract - Equity and equality of educational opportunity is the central theme in the National Policy of Education in the Indian context. Equity and equality are interrelated terms. Equality means everybody should be equal irrespective of status, caste, and creed, therefore they are entitled for equal rights and duties. Whereas equity ensures equitable opportunity and benefits recognizing while to secure equity some groups need to be given positive discrimination to cater to their different needs. So, equality has a quantitative meaning, equity is a qualitative concept. Present study is focused on intervention and constitutional commitments for equity and equality before and after Independence.

Key Words- Equity, Equality.

Introduction - The National Education Policy has identified equity and equality of educational opportunity as a crucial issue. Equality means everybody should be equal irrespective of status, caste, and creed, and are therefore entitled to equal rights and duties. Equity ensures equitable opportunity and benefits, recognizing at the same time disparities between different sections of society and, therefore, providing for positive discrimination to these underprivileged sections. Equality has a quantitative meaning; equity is a qualitative concept.

India is one of the countries which have the world's most diverse society, including various social communities and minorities spread across many rural areas and urban cities. However, this diversity comes at the price of disparity and prevailing inequality between different sections of the society. Everybody should have education for the development of the country, and it is the responsibility of the nation to provide for that. The word 'everybody' indicates all the people residing in the nation who may belong to any kind of social group and gender.

Many interventions have been made before and after Independence regarding equality and equity of education.

Pre-Independence India - In the 19 & 20th centuries there was social reform towards upliftment of the marginalized groups and emancipation of women. Some reforms were aimed at bridging social and educational barriers in the society, such as movements led by Ishwarchand Vidya Sagar, Jotiba Phule, Savitribai Phule, D.K. Karve, Pandit RambaiSaraswati, etc.. This scheme of social reform made efforts to remove the paradox between equity and equality. Some organizations at that time were also working to ensure equity and equality in the society.

The *BramhoSamaj* was against all forms of ritualistic practices. In 1892, some significant laws about marriage act were passed facilitating inter-caste and widow remarriage; and declaring child marriage illegal. The *PrarthanaSamaj* was trying to remove caste restriction and encourage education of women. *SatyashodhakSamaj* worked for the welfare of marginalized sections of the society and promoting gender equality was a major concern.

D.K. Karve started educational institutions to ensure participation of girls from the deprived sections of the society in regular schooling. He started the residential AnathBalik Ashram for child widows and unmarried girls. His experiment was successful and in 1907 he established Mahila Vidyalaya, a formal school for girls. He also established the first woman university, SNDT (Shreemati NathibaiDamodarThackersey, Woman's University), in 1916.

Jyotiba Phule also established the first school for girls in 1851. He and his wife, Savitribai Phule, taught in this school. The State of Bhopal also did remarkable work in this area. The Begum of Bhopal was a great patron of education. Nawab Sultan Jahan Begum gave great attention to the welfare of children from deprived groups.

In 1931, the Indian National congress made a fundamental right resolution in the field of education. This resolution adopted gender equity as a guiding principle. After this resolution, equity and equality came to centre stage in the struggle for Swaraj. This helped a lot in bridging all the gaps in society including men and women from rural and urban areas, who joined together for a common cause of achieving independence from British rule.

Post-Independence - After achieving Independence, many provisions were made for equity and equality of all social groups. As enshrined in the Preamble, there are constitu -

-tional provisions to secure for all its citizens: justice - social, economic, and political, freedom of expression, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuming the dignity of individual and the unity and integrity of the nation.

Under the umbrella of constitutional provisions, some Articles on principles of equity and equality are as follows -

1. Article 14 - Equal rights and opportunities to men and women in the political, economic, and social domains.
2. Article 15(3) - Prohibition from discrimination on the ground of religion, race, caste, sex etc.
3. Article 16 - Guarantees equality of opportunity in public employment.
4. Article 45 - Compulsory education to all children until they complete the age of 14 years.

Many commissions and committees were formed, and many policy initiatives were taken to flag the agenda of equity and equality. These are –

1. University Education Commission (1948)
2. Commission of Secondary Education (1952-53)
3. Durgabai Deshmukh Committee (1958-59)
4. Hansa Mehta Committee (1962-64)
5. Kothari Education Commission (1964-66)
6. National Policy of Education (1968)

A committee on the status of women in India was appointed by the Government in 1971. The committee's report has highlighted the marginalization of women in all core sectors of the economy, poor literacy rate of women, the phenomenon of declining sex ratio, and concentration of women in low paid occupations.

In the 80's and 90's two landmark policies were adopted by the government for its commitment towards promoting equity and equality, namely National Policy of Education (1986) and Programme of Action (1992). Under NPE and POA many interventions have been made for promoting education for SCs, STs and backward classes which are as follows :–

1. Incentives to indigent families to send children to school till 14 years.
2. Pre-matric scholarship to children of families in scavenging, flaying, and tanning from class 1 and all children covered under a time-bound programme.
3. Provision of remedial classes to such a category of students.
4. Recruitment of teachers from SC population.
5. Every SC habitation to be provided with primary school.
6. Provision of facilities in students' hostel in phased programme.
7. Provision of educational facilities to facilitate full participation of these students.
8. Innovations to be made to increase participation.
9. Priority accorded to opening primary schools in tribal areas.
10. Need to devise instruction material in tribal languages.
11. Tribal youth to be encouraged to teach in tribal areas.
12. Residential schools including Ashram schools to be established.
13. Incentive schemes keeping in view special needs of these underprivileged sections.
14. Scholarships for higher education to be provided.
15. Remedial courses to improve performance of students.
16. Anganwadis, non-formal, adult education centres to be opened on priority basis.
17. Curricular changes to create awareness of identity among tribal people.
18. Provide constitutional guarantees for minorities.
19. Objectivity in preparation of textbooks.

The last few decades have been remarkable for ensuring primary and elementary education. These decades have focused on promoting access, enrolment, retention, and achievement of children from all sections of the society. Some significant schemes were also initiated such as Operation Black Board (1986), Non-formal scheme (1986), Shiksha-Karmi Project (1987), MahilaSamakhya (1989), Lok Jumbish (1992), District Primary Educational Programme (1994), Mid-Day-Meal scheme (1995) and the latest Sarva Shiksha Abhiyan (2001). The objectives of SSA are the completion of eight years of schooling by all children between 6-14 years and bridging all gender and social gaps in education by 2007. Two other schemes evolved under SSA for social deprivation in the context of girls' education were National Programme for Education of Girls at the elementary level (2003) and Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (2004) scheme. These schemes are especially designed for bringing girls to the centre stage of education. KGBV has now become a part of SSA since 2007.

The Right to Education Act enacted under article 21-A came into effect on 1 April 2010 and made India one of the 135 countries to have made education a fundamental right for every child. The Act incorporates "free and compulsory education". RTE act provides for:

1. Right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in a neighbourhood school.
2. Out of school children to be admitted to an age-appropriate class.
3. Norms and standards relating Pupil Teacher Ratio (PTR), building and infrastructure. School working days, teacher working hours are given under the Act.
4. The appointment of appropriately trained teachers, i.e., teachers with the requisite entry and academic qualifications are to be appointed.
5. Prohibitions from (a) Physical punishment and mental harassment (b) Screening procedures for admission of children (c) Capitation fee (d) Private tuition by teachers (e) Running of schools without recognition.
6. Curriculum should be to ensure the all-round development of the child, building on the child's knowledge, potentiality and talent and making the child free of fear, trauma, and anxiety through a system of

child friendly and child centred learning.

Conclusion - Various legislations and provisions are already given in our Constitution; the only thing needed is proper implementation of the same. If the benefits of such schemes and policies percolate down well, reaching their target groups viz. SCs, STs, women and other underprivileged sections and society, only then can we hope of achieving equity and equality in its real sense.

As Vivekanand had said: "So *long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them."*

References:-

1. Bandyopadhyay, M. and Subrahmanian, R. (2008) *Gender equity in Education: A Review of Trends and Factors.* New Delhi NUEPA: Create Pathways to Access, Research Monograph No 18.
2. GOI, (1986). *Programme of Action*. New Delhi: Department of Education, Ministry of Human Resource Development.
3. GOI, (1986). *National Policy on Education*. New Delhi: Ministry of Education.
4. GOI, (1968). *National Policy on Education*. New Delhi: Ministry of Education.
5. GOI, (1992). *Programme of Action*. New Delhi: Department of Education, Ministry of Human Resource Development.
6. Parimala, D., (2010). Equity and Education, D. Parimala (ed.) *Equity and Education in India-Policy Issues and Challenges*, New Delhi NUEPA.
7. Rao, K. Sudha Sharma, A.K., Premi, Kusum K., Dutt, Ruddar (eds.).(2009). *Educational Policies in India: Analysis & Review of Promise and Performance,* New Delhi: NUEPA.
8. www.mhrd.gov.in, Right to Education, Ministry of Human Resource Development 30/11/2014.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

William Wordsworth : A poet of Nature & of Rustic Life

Dr. Pallavi Parte *

*Asst. Proffessor (English) Rani Durgawati Govt. College Paraswada, Distt. Balaghat (M.P.) INDIA

Abstract - The era of Romanticism is one of the brightest star in the huge cosmos of English literature. It was an important phase in the span of English literature. Beginning of British Romantic Movement is generally considered with the publication of Lyrical Ballads in 1798. It was one of the best composition of the united efforts of William Wordsworth and ST Coleridge. In it only four poems were contributed by Coleridge and the rest were contributed by a prolific writer William Wordsworth. Like Coleridge, Keats ,Shelley and Byron etc. there are many renowned writers in romantic era but some features of writing distinguish Wordsworth from others. His views, themes and treatment with subject matter make his works the unique pieces of English literature. He treated the themes like nature and rustic life very distinctively in his poems. His poems like Tintern Abbey, The Daffodils, The Prelude, The Solitary Reaper etc. can be considered as its best example.

Introduction - The span of English literature cannot be completed without Romanticism similarly Romanticism cannot be defined without William Wordsworth. This Romantic Movement of the early nineteenth century was a revolt against the classical tradition of the 18th century and it was also marked by certain positive trends. It was an artistic and literary movement that came to England in the late 18th and early 19th centuries and had a profound impact on English literature. William Wordsworth,of course, a pioneer of Romantic Movement of 19th century.

This romantic moment can be considered as a consequence of the revolt against literally traits of the previous age in which the traits of the Pseudo Classical Poetry cannot be ignored. This poetry was the poetry of the town and fashionable upper class people of the city of London. It dealt with the life of the coffee houses and clubs and artificial manners and fashions of the country circles. Poetry is found here social and realistic rather than personal and emotional. The function of poetry was to instruct and delight. The didactic function considered more important than the aesthetic one . In this period a number of devices were used to achieve a noble, pure and exalted diction, a diction proper for poetry meant for refined and cultured audiences.

On the other hand Romanticism canbe characterized by its emphasis on emotion and individualism, preferring the medieval rather than the classical. This period has an importance of imaginative spontaneity, self expression and artistic freedom. In many ways the writers of this era were rebelling against the prevailing forms of literature of previous era. This division can be elucidated with the certain characteristics of the Romantic era.

- In this age nature has the most significant and important role in many works of the writers .Romantic poets and writers have presented personal, deep description of nature and its various wild and powerful qualities. Natural elements are also used as symbols to present the unbounded and uncontrolled emotions of the poets or writers. Many writers like Wordsworth ,Coleridge, Keàts,Shelleyetc. have practiced the same in their poems .Here the final stanza of the poem 'ToAutumn' presents the same Idea:

Seasons of mists and mellow fruitfulness ,
Close bosom -friend of the maturing sun ;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch- eves run ;

- Now the another characteristic which makes the Romantic poetry and prose extremely readable and relatable is its focus on emotion. It is a key trait of nearly all writing forms of the romantic period. Different forms of feelings including romantic and filial love, fear, sorrow, loneliness and more can be found in various works of the same period.
- Romantic poets and prose writers commemorated the power of imagination and creative processes as well as the artistic freedom. It was their faith that artists and writers should look at the world differently and they celebrated that vision in their works. 'The Prelude' gives us, more than anything else ,is Wordsworth's imaginative interpretation of nature. For him the imagination is a faculty of august scope and power.

Free as a bird to settle where I will.
What dwelling shall receive me? in what vale
Shell be my harbour? Underneath what grove

Shall I take up my home? and what clear stream...
The earth is all before me.

- Many writers of this age have also dealt with the darker side of the emotions and the mysteries of the supernatural. In this period many works have Gothic motifs which refer to a style of writing that is characterized by elements of fear, horror , death and gloom as well as individuality and very high emotion.
- A number of works of this period are deeply personal and the source of much of this emotional and artistic work was the background and real-life surroundings of the writer. The self focus preceded confessional poetry of the mid 1900and thus autobiographical influences on that movement can be seen in many works of the writers.

Though there are many works in this period which reflect the above mentioned characteristics but the beginning of the British Romantic Movement is generally considered to have been marked by the collection of the poems titled Lyrical Ballads first published in 1798. Doubtlessly it was a splendid joint effort of William Wordsworth and Coleridge. Most of the poems of this first edition of Lyrical Ballads belonged to William Wordsworth while only four to S T Coleridge. Like his contemporaries Wordsworth as a nature poet . He is a supreme worshipper of nature. Nature has a pivotal position in his poetry.

But what distinguishes Wordsworth from the other poets of his age are his views, themes and treatment with subject matter . For him Nature is a living entity. He feels indwelling spirit in Nature imparts its own consciousness to all objects of Nature.

To every natural form, rock, fruit and flower,
Even the loose stones that cover the highway
I gave a moral life: I saw them feel.

As a nature poet it was his aim to seek for beauty in meadow, woodland and mountain top, and interpret this beauty in spiritual terms.He found in the meadows and the woods and mountains the spiritual stimulus .In poem like Tintern Abbey and The Prelude Wordsworth has shown how his love of nature was developed and the various stages through which it passed. He also believes that there is a pre - existing harmony between the mind of man and Nature.Man and Nature ,mind and the external world, are geared together and in unison complete the motive principle of the universe. The mind with him is always the creative masculine principle; Nature is always the feminine principle. Thus he writes in the Recluse:

For the discerning intellect of Man,
When wedded to this goodly universe
In love and holy passion,shall find these

Innumerable passages of Nature- description are scattered in Wordsworth's poems . These passages contain marvellous description of different aspects of nature. In most of his poems Wordsworth has given delicate and subtle expression to the sheer sensuous delight of the world of nature. Wordsworth conceive Joy as one of the characteristics of the inner life of nature. In Three years She Grew in Sun and Shower the poet represents nature as imparting to Lucy its own 'vital feelings of delight'.I Wandered Lonely as a Cloud depicts the jocund daffodils that out do the sparkling waves in glee:

The waves beside them danced; but they
Out - did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:

He believes in the director special communion between man and nature. He considers nature as a great moral teacher and the best mother, guardian and nurse of man. In Tintern Abbey, he says:

The anchor of my purest thoughts ,the nurse,
The guide, the guardian of my heart and soul
Of all my moral being

As the poetry of Pseudo Classical School was very artificial, unnatural and extremely limited in its themes .It did not care for the beauties of nature or for the humble humanity-farmers ,shepherds ,wood cutters etc-which lives its simple life in the lap of nature. Wordsworth reacted sharply and sought to increase the range of English poetry by taking his themes from humble and rustic life. He has rendered the life of country people in his poetry realistically and accurately.

In the preface to the 1809 edition of the Lyrical Ballads he explains why he was interested in rustic life :"Humble and rustic life was generally chosen because in that condition the essential passions of the heart find a better soil in which they can attain their maturity and are less underrestraint and speak a plainer and more emphatic language.....".Rousseau's theory of the essential dignity of the peasant is transformed in Wordsworth's poetry into an emphasis on the simplicity of the rustic. Wordsworth took for his heroes tramps ,beggars pedlars ,waggoners and leach gatherers .These rustic are always under the direct influence of Nature. As in The Solitary Reaper:

Alone she cuts and binds The grain,
And sings a melancholy strain:
O listen ! for the Vale profound
Is overflowing with the sound.

Though Wordsworth has been criticized for thus limiting the scope of poetry to humble and rustic life. But what we miss in Milton with all his greatness is sympathy with poor human nature-its blended greatness and weakness and it is here that Wordsworth supplies what we seek in vain in Milton. Thus Wordsworth has many claims to greatness .The cause of the greatness of his poetry is simple and may be told quite simply .His poetry is great because of the extraordinary power with which he feels the joy offered to us in nature, the joy offered to us in the simple primary affections and duties; and because of the extraordinary power with which, in case after case, he shows us this joy, and renders it so as to make us share it.

Wordsworth is the greatest poet of the 19th century .

He has left sufficient of pure poetry, heart- searching and beautiful enough for a Wordsworthian anthology that will remain among the most enduring treasures of Romanticism. There have been greater poets than Wordsworth but none more original. He saw new things, or he saw things in a new way. His chief originality is ,of course ,to be sought in his poetry of nature and rustic life. But it is not that mere fact that makes him unique what makes him unique is the fact that he is, of all English poets ,the one who has given the most impressive and the most emotionally satisfying account of man's relation to Nature. He is the greatest nature poet of England because he is the poet of more than external nature; he is in a higher degree, the poet of common man.

References:-

1. Mundhra S.C. : A Handbook of Literature in English for Competitive Examinations, Prakash Book Depot
2. Mukherjee S. K.: William Wordsworth An Evaluation of His Poetry, Rama Brothers New Delhi -5
3. Dr.TilakRaghukul : Great Literary Critics, Rajhans PrakashanMandir, Dharm -Alok, Ramnagar Meerut (UP)
4. Hudson William Henry: An Outline History of English literature, Robin Books 4 ,Ansari Road ,New Delhi - 2
5. 10 poems by William Wordsworth you should read | The Times of India, https://timesofindia.india times.com
6. Romanticism in Literature: Definition and Examples https://www. thoughtco.com
7. What are the main characteristics of Romanticism ? Find Any answer.https://findanyanswer.com
8. To Autumn byJohn Keats | Poetry Foundation https://www.poetryfoundation.org
9. William Wordsworth and His Contribution to Romantic poetry https://www.bombayreads.com
10. First Generation Romantic Poets William Wordsworth And Samuel T Coleridge Ircapuana.com
11. What are the chief characteristics of the Neo-Classical /Pseudo.https://englitguidebd.blogspot.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Solution Focused Brief Therapy as an Adjunct to Pharmacotherapy in Patients of Major Depressive Disorder : A Study in Different Age Groups, Genders and Marital Status

Kolika Mazumdar* Dr. Deepika Jain Dr. Ajay Kumar Chaudhary *****

*Research Scholar, PAHER University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Assistant Professor (Psychology) PAHER University, Udaipur (Raj.) INDIA
*** Associate Professor (Psychology) Government Meera Girl College, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Psychotherapy is well recognised as an extremely useful adjunctive measure in patients of depression. Several counselling methods have been followed and Solution Focused Brief Therapy (SFBT) is a recent addition. This focuses on providing solutions to the client's problems. In this study, SFBT was studied in a total of 166 Indian subjects who were already prescribed anti-depressants, if needed. Patients of both sexes, ranging from 18 – 60 years, belonging to single and married status were enrolled in this study after they matched the inclusion criteria. SFBT sessions were given to all and their objective assessment (BDI-II scores) and subjective feedback were recorded. This study found that SFBT was effective in all patients, there was a significant reduction in BDI-II scores and marked subjective feeling of well-being. But there was no difference in between age-groups or in between two genders or in their marital status. This suggests that this method of psychotherapy is an effective adjunct modality irrespective of age, sex or marital status. Thus, SFBT can be useful for all subsets of population.
Keywords - Solution Focused Brief Therapy, Major Depressive Disorder.

Introduction - Depression is one of the commonest psychiatric ailments and affects large percentage of poplulation worldwide[1]. The availability of very effective anti-depressants have made the medical management much better than before[2]. But as we are still not aware of the exact pathophysiology of depression, we also aim to improve the overall mental state of the patient. Since majority of patients are in a negative state of mind with feelings of worthlessness, guilt, self-blaming tendencies, social withdrawl and anhedonia, hence along with anti-depressants, counselling of the patient has always proved to be a stronger approach.

Effective psychotherapy makes the patient gradually learn to alter his/her thoughts, emotions and behaviours[3,4] thereby changing the lifestyle. There are several types of psychotherapeutic interventions, of which, Solution Focused Brief Therapy (SFBT) has been found to be very effective and less time-consuming[5].

So far, the literature available on SFBT does not have many studies from our Indian population. Moreover, much more know-how is needed about its efficacy in different sub-sets of the population. Hence this study was taken up, not only to test the effectiveness of SFBT as an adjunctive talk therapy in our Indian patients of Major Depressive Disorder, but also to see whether there is any variation in its efficacy with regard to different age groups or in the two sexes or in their marital status.

Materials and Methods - Subjects of mild to moderate major depression (n=166) were randomly selected from out-patient department (OPD) of consultant psychiatrist.Becks Depression Inventory (BDI-II) scores upto 28 were selected, beyond which patients were excluded as it was labelled as severe depression.Once their socio-demographic details were recorded, they were asked to fill the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), which assessed their general physical and mental health status. Most patients were on regular anti-depressants prescribed by their psychiatrists. As each patient was enrolled in the study, he /she was explained about the counselling process in general and also about the SFBT sessions in particular. The patient's oral consent for participation was taken. The inclusion criteria for choosing subjects were:

1. Diagnosed as mild to moderate Major Depressive Disorder (BDI-II scores uptil 28)

2. Age between 18-60 years.
3. Maintained on anti-depressants and currently stable.
4. Educated enough to comprehend and follow instructions in Hindi/English.
5. Patients with associated anxiety disorders were included but not those with psychotic symptoms.

Baseline BDI-II scores were recorded before commencement of study. Each subject was givenSFBT, for 45 minutes to 1 hour per session. At the end, the patients were given home assignments and asked to come for the next session after a fortnight. BDI-II scores were noted at the beginning and at the end of each session and the patients were asked to report their subjective feelings at each session. The number of sessions neededwas decided on the change in their BDI-II scores, their subjective evaluation of self and the assessment by the therapist.

Statistical Analysis - Data so collected were subjected to suitable statistical analysis (One way ANOVA, Student 't' test and Chi-square test) using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 16.0 for Windows and conclusions were drawn**.**

Results - Following graphs depict the pre and post BDI-II scores in different age groups, genders and marital status. The differences in each group are non significant.

Fig 1:

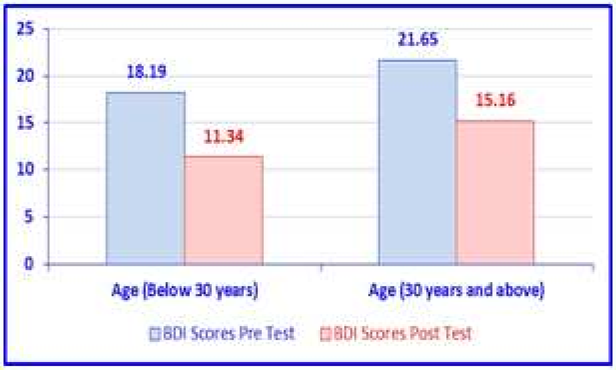

Fig 2:

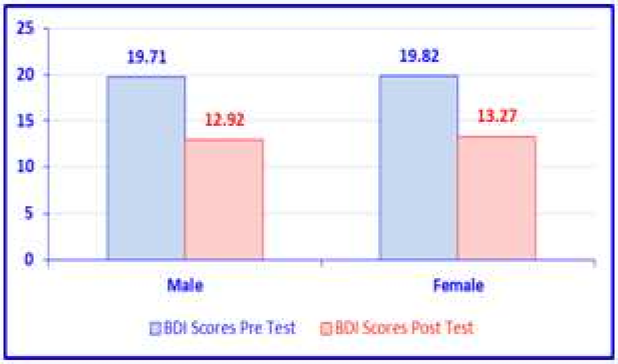

Fig 3:

Discussion - It is well known that depression may have a strong linkage to genetic predisposition, but environmental factors also play a vital role and the two when combined together makes a person very vulnerable. Various disturbing life events like childhood trauma, hormonal changes during adolescence and puberty, psychological and social stressors, relationship issues, substance-abuse, personality disorders could also predispose a healthy person to depressive illnesses. The long standing observation in management of such patients show, that in-spite of effective anti-depressant drugs, incidences of relapse, recurrence and chronicity persist.And counselling (or talk therapy as its called) of these patients have been found to be very effective in curbing mordity.

Benefits of psychotherapy may take longer to manifest but in receptive patients, it helps to alter his/her thoughts, actions and behaviors to a more positive direction. This probably reinforces the benefits of psychotherapy.

SFBT is now acknowledged as a new modality of counselling[6,7]. In the present study also, our Indian patients responded similarly with marked benefits (both in terms of objective and subjective assessment). Almost all patients enrolled, showed the trend of being more positive, focused, energetic, enthusiastic, hopeful and had formed better coping habits.

BDI-II scores which was an objective measure of benefit in depression was decreased from 19.75 to 13.07 on an average; in the total tested population which is statistically and clinically significant improvement.

Although patients enrolled in the study ranged from 18-60 years, but while analysing the results, they were sorted in two groups, 18-30 years and 31-60 years, signifying younger and older age groups respectively.

In patients below 30 years (n=91), BDI-II scores decreased from 18.19 to 11.34; whereas in patients above 30 years (n=75), pre and post session BDI-II scores were 21.65 and 15.16. Although both the groups responded well

to SFBT sessions, but there was no significant difference when the two groups were compared, suggesting SFBT to be equally effective in all ages.

Similarly, when the patients were divided on the basis of the two genders, there was a statistically significant benefit in both groups. In male patients (n=95), BDI-II scores were reduced from 19.71 to 12.92 and in female patients (n=71), BDI-II scores reduction was from 19.82 to 13.27. But suprisingly again no inter- gender difference was found, suggesting that both male and female patients were equally responsive to this approach.

Since marital discord, loneliness, divorces etc have a strong role to play in the precipitation of depressive disorders, it was thought worthwhile to compare the responsiveness of single versus married subjects. But, SFBT proved to be unanimously effective without any disparity depending on the marital status. Both groups (single and married) patients showed statistically significant reduction in their BDI-II scores. Single subjects (n=68), BDI-II scres fell from 18.09 to 11.72, whereas in married subjects (n=98), BDI-II scores changed from 20.91 to 14.00.

Although not obvious from the readings, but there was a trend of greater improvement of BDI-II scores in younger age group who also fared better on subjective evaluation. They were more motivated and eager to look forward to a better future and felt energised after the sessions. Many subjects reported, that they were positive about coming out of their depressive state even without medications.

Most of the subjects, when asked scaling questions, were happy to note that they were rating themselves higher after each session. Since SFBT aims at focusing on the solutions for future rather than dwelling on the problems of the of the past, this was a fresh approach which kept providing them hope of a better self. This therapy, as earlier suggested, thus could be a very useful psychotherapeutic tool in all ages and all types of patients, not only for depression but also to resolve psycho-social issues which are not addressed by drug therapy.

Thus with more such studies, SFBT would gain wider acceptance as an effective adjunctive tool for psychiatric and psycho-social disorders globally.

References:-

1. World Health Organization. (2017).Depression fact sheet.Retrieved from:http://www.who.int / mediacentre/ factsheets /fs369 /en /
2. American Psychiatric Association. (2006). American Psychiatric Association Practice Guidelines for the Treatment of Psychiatric Disorders: Compendium 2006.American Psychiatric Pub.p 780.
3. Mental Health and Psychotherapies. National Institute of Mental Health: Psychotherapies. Mayo Clinic: Psychotherapy.
4. Hoffman, s. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., Fang, A.(2012). The efficacy of cognitive behavior therapy: a review of meta-analysis. Cognitive Therapy and Research.36(5):427-40.
5. de Shazer, S., Dolan, Y., Korman, H., Trepper, T. S., McCollom, E., Berg, I. K. (2007). More than miracles : The State of the Art of Solution Focused Brief Therapy, New York. Routledge.
6. Lutz, A. B. (2013). Learning solution focused therapy: an illustrated guide. American Psychiatric Pub.
7. Gingerich, W. J., & Peterson, L. T. (2013).Effectiveness of solution focused brief therapy: A systematic qualitative review of controlled outcome studies. Research on Social Work Practice.23(3):266-83.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Macro-invertebrate as a tool for assessing the water quality of Shahid Chandra Shekhar Azad Project (Jobat Dam) during winter season Madhya-Pradesh, India

Nirmala Mourya* Mukesh Dixit**

***Deptt. of Zoology, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA**
**** Deptt. of Zoology, S. N.Govt. Girls P.G. (Autonomous) College, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - Water is an acute problem in India. Biomonitoring is a valuable assessment tool that is used in water quality monitoring. The Shahid Chandra Shekhar Azad Sagar Project also known as Jobat dam and its water is used for multipurpose activities like irrigation recreation, drinking water, bathing and fish culture. In the present study two sampling station were selected Viz., Khattali village inlet and Fata village outlet for assessing the water quality. Samples were collected during winter season (Deceber 2020). The aim of the study was to assess the distribution of macrozoobenthos along with assessment of water quality with the help of macrozoobenthos. A total of 22 species of macrozoobenthos were observed in Jobat dam belonging to three phyla Via; Phylum-Arthropoda, Phylum-Mollusca, phylum-Annelida. In the present study it was found that species of Arthropoda were more dominant. The BMWP scores and ASPT scores confirm the findings of the physicochemical parameters.
Keywords- Shahid Chandra Shekhar Azad Sagar, macrozoobenthos, bioindicator, BMWP score, ASPT score.

Introduction - Benthic communities are very important in aquatic ecosystem and common inhabitants of lakes and streams. These organisms usually inhibiting the bottom surface for at least part of their life cycle (Rosenberg D.M. and Resh V.H.,1993). Macrozoobenthos are generally visible with the naked eyes, and have limited mobility which plays a significant role in the food chain because of their ability to convert low quality and low energy detritus into better quality food for higher organisms in the food web. The abundance and distribution of macrozoobenthos have been used as biomonitoring tool for fresh water pollution. Freshwater has become a scarce commodity due to over exploitation and pollution (Ghose and Bosu,1968; Gupta and Shukla, 2006; Patil and Tijare, 2001; Singh and mathur,2005). According to an estimate about 70% of all the available water in country is polluted due to the discharge of effluents from the industries, domestic waste, land and agricultural drainage (Shrivastava and kanungo, 2013). The diversity and density of benthic macroinvertebrate also widely fluctuated with seasonal change to Hynes (1978). The main aim of the study was identified and uses macrobenthic invertebrates evaluating the season winter water quality status of Jobat dam in respect of benthic organism.

Material and Methods

Description of Study Area- The Jobat water reservoir Latitude 22^0 16'50"N and Longitude 74^0 35' 10"E was constructed near Fata village about 6 km of the upper lake across the river Hathni, a tributary of Narmada river which is near village Waskal, 24 km from Kukshi town of Dhar district. The Jobat water reservoir involve construction of 28.97 M height (Maximum height above foundation 39.72) and length 1340.00 M long composite graving dam near village Baskal in Jhabua District.The project also known as Shahid Chandra shekhar Azad sagar project. The water of this dam is used for multipurpose activities like irrigation recreation, drinking water and fish culture etc. The water from this reservoir is being supplied for annual irrigation of 12802.0Ha land .The reservoir is having a catchment area of 792.00Sq. Km. and the gross storage capacity at full reservoir level is 106.00 MCH

Sampling station- Samples were collected from two selected station of Jobat dam in the month of December 2020 seasons. station I (Inlet) is located in Khattali village and station II (Outlet) is located in fata village.

Sampling method for macroinvertebrate- The present study samples were collected from two stations of Jobat dam in winter season in December 2020. The substratum of Jobat dam is mainly composed of gravels, silt, clay, detritus, rock and macrophyte vegetation. Two sampling devices were used i.e. sieve (mesh size 0.5mm) and hand net of the similar size. The sampling was carried out from the bank of dam. Sample was placed on a sieve and washed with dam water. Alive benthic macroinvertebrates were

picked up from sample by forcep pins and preserved in 70% alcohol for microscopic identification at laboratory. After isolation the macrozoobenthic organisms were counted and identified by using keys provided by Needham, Needham 1974; Mccaffery and Provonsha, 1998; Rao, 1989; Dey, 2007 and Tonapi, 1980).

Result and Discussion

Physicochemical parameters - The present study was carried out in winter season (December 2020). Physico chemical parameters for water quality were analyzed as per APHA (1998) and Adoni (1985).

Table 1:- Physicochemical parameters of winter season December (2020).

Physicochemical parameters	Winter	
	Station I (khattal village)	Station II (Fata Village)
PH	7.6	7.8
Water temperature 0^0 C	21.0	22.0
Air temperature 0^0 C	21.5	21.5
Conductivity (ms/cm)	0.70	0.67
Total dissolved solid (mg/l)	280	300
Disolved oxygen (mg/l)	3.5	2.9
Free co2	8	10
Tubidity (NTU)	113	118
Total alkalinity (mg/l)	146	150
Total hardness (mg/l)	180	200
Calcium hardness (mg/l)	130	135
Magnecium hardness (mg/l)	17.5	20.5
Chloride(mg/l)	50	65
Nitrate (mg/l)	19	25
BOD (mg/l)	2.7	3.6

In the present observation the highest pH value of 7.8 recorded at station II and lowest pH value of 7.6 was recorded at station I. Yuan (2004), Also reported the value of pH below 5.0 and greater than 9.0 are considered harmful. (Thomson and friberg, 2002) also reported the value of Low pH are associated with lower diversity of benthic macroinvertebrates. Relatively high value of Dissolved oxygen was recorded in station I i.e. at Jobat dam as compared to station II. The total hardness of the Jobat dam was 180mg/l recorded at station I and 200mg/l at station II. Yousf et. al., (2006) seemed to be the hardness of the water influenced by the anthropogenic activities. The water temperature was record with rang value of 21.0 0 ÚC to 22.0 0^0 C . Biggs et. al. (1990) reported the macroinvertebrates have evolved to live within a specific temperature range, which limits their distribution and affects the air temperature both station was same 21.5 0^0 C . Sandwar and Tiwari (2006) recorded air temperature range between 22.7 0 ^{0} C to 37.5 0 ^{0}C in Ganga river in North Bihar. The highest turbidity recorded at station II 118 and the lowest tubidity recorded at station I 113 NTU. The conductivity recorded was highest at station I 0.70 ms/cm and the lowest as compared at station I 0.67 ms/cm. The highest value of B.O.D. was recorded in station II 3.6 mg/l and lowest value of B.O.D. was recorded in station II 2.7 mg/l.

Biological Data :- In the present study total 22 genera were recorded belonging to 19 family, 11 orders (Table 2). Identification was done with the help of key Needham, Needham (1974), Tonapi (1980), Trivedi (1995). Total number of 12 families were recorded at station I belonging to 8 orders and 14 generas out of which 4 family belongs to Mollusca, 8 families were from phylum Arthropoda. The dominating species was of Phylum Arthropoda. At station II number of 10 families were recoreded at station II under 9 orders and 12 generas out of which 3 families belongs to phylum Mollusca, 5 families of Phylum Arthropoda, 2 families of Phylum Annelida.

Table 2 (see in last page)

Table 3 - BMWP AND ASPT score for station I and Station II of Jobat dam during winter season (December 2020)

S.	Invertebrate families	Khattali village Station I (Inlet)	Fata village Station II (outlet)
1.	Planorbidae	_	3
2.	Hydrobiidae	3	3
3.	Viviparidae	6	6
4.	Thiaridae	6	_
5.	Unionoidae	6	_
6.	Chironomidae	_	2
7.	Tipulidae	5	_
8.	Gerridae	_	5
9.	Naucoridae	5	_
10.	Nepidae	5	_
11.	Dytiscidae	5	_
12.	Baetidae	_	4
13.	Hydrophilidae	_	5
14.	Gyrinidae	5	_
15.	Aeshnidae	8	_
16.	Lestidae	8	_
17.	Palaemonidae	6	6
18.	Glossiphoniidae	_	3
19.	Hirudinidae	_	3
	Total BMWP Score	68	40
	Total ASPT Score	5.6	4.0

Note: - BMWP- Biological monitoring working party, ASPT- Average score per taxon

Table 4 (see in last page)

The Jobat dam at station I (near Khattali village , inlet), the BMWP score was found 68 and 40 at station II (near Fata village, Outlet), in winter season 2020. The BMWP score 68 at station I reflects fair but moderately polluted water. In station II BMWP score 40 represents the poor water condition according to BMWP score table (3 and 4) and the ASPT score at station I recorded 5.6 while it was 4.0 at station II.

Conclusion - The biodiversity at station II is poor and this

indicates the extent of pollutions in the dam at this station, where wastes are discharge into the dam from surrounding houses and agriculture fields . Dam water is was of fair quality at station I and wastes waters discharge into had apparently moderate effect on the general condition of the dam resulting poor quality at station II Biological indices; ASPT and BMWP are effective tools in assessing the condition of a dam ecosystem, therefore it should be adapted for use by relevant authorities in charge of pollution control board for assessing water quality. The need of the hour is to create environmental awareness among the nearby inhabitants regarding quality of water and effect of pollution on these water bodies.

References:-

1. APHA (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water.20th edition, American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environmental Federation.
2. Adoni, A.D., Joshi, G., Ghosh, K., Chourasia, S.K., Vaishya, A.K., Yadav, M. And Verma, H.G. (1985). Work book on limnology. *Pratibha Publishers, Sagar, India:* 127pp.
3. Biggs BJ, Jowett IG, Quinn JM, Hickey CW, Davies-Colley RJ, Close M (1990). Ecological characterization, classification, and modeling of New Zealand rivers: An introduction and synthesis. *N. Z. J. Mar. Freshwater Res*. 24:277-304.
4. Dey, R. A. (2007) : Handbook on India freshwater molluscs. *Zoological Survey of india, Calcutta.*
5. Hawkes H. A., (1998): Origin and development of the biological monitoring working party score system, Water research 32 (3), 964-968, https:/doi.org/10.1016/ S0043- 1354 (97)00275-3.
6. Hynes, H.B.N. (1978) : The biology of polluted water. *Livepool Univ.Press*. 202.
7. Ghose,B.B. and Basu, A. K. (1968) : Observation on estuarine pollution of the Hooghly by the effluents from a chemical factory complex at Reshasa, West Bengal. *Environmental Health,* 10, PP 209-218.
8. Gupta. S. and Shukla, D.N. (2006): Physico- Chemical analysis of sewage water and is effect on seed germination & seedling growth of Sesamum indicum. *Journal of Research in National Development*, 1, PP 15-19.
9. McCafferty, W.P and Provonsha, A.V. (1998). The fishermens and ecologist illustrated guide to insert and their relatives: *Aquatic Entomology. Jones and Bartlett publishers*. 448pp.
10. Needham, J. G. and Needham, P. R. (1974) : A guide to the study of freshwater biology. *Holden-Day . Inc. San. Francisco,* 180.
11. Patil, D. B. and Tijare, R. V. (2001) : Studies on water quality of Godchiroli Lake, *Pollutoin Research*, 20, PP 257-259.
12. Rosenberg, D.m. and Resh, V.H. (1993) : Introduction to freshwater boimonitoring and benthic macro invertebrates. *Chapman and Hall , New York,* 1-9.
13. Rao, N.V.S. (1989) : Handbook freshwater molluscs of India*. Zoological Survey of india*,
14. Sandwar, B.B. and Tiwari, A. K. (2006).Monthly variation in heavy metals concentration in Ganga river in North Bihar region around Barauni Mokamath industrial complex and their correlation studies. *Poll. Res*. 25(4):693-700
15. Singh, R.P. and Mathur, p. (2005) : Investigation of variation in physico-chemical characteristics of a freshwater reservoir of Ajmer city, RAJ. Indian*. Journal of Environmental Science,* 9, pp 57-61.
16. Shrivastava, S. Kanungo, V.K. (2013). Physico-chemical analysis of pond water of Surguja District, Chhattishgarh, India. *International Journal of Herbal Medicine,* 1(4): pp 35-43.
17. Tonapi, G.T. (1980) : Freshwater animals of India: *An Ecological Approach, Oxford and IBH publishing company, New Delhi.*
18. Trivedy, R. K. and Goel, P.K. (1984): Chemical and Biological methods for water pollution studies, *Environmental Publications, Karad, India*.
19. Thomsen AG, Friberg N (2002). Growth and emergence of the stonefly Leuctra nigra in coniferous forest streams with contrasting pH. *Freshwater Biol.* 47:1159-1172
20. Yousf, A. R., Bhat F.A. and Mahdi, M. D., (2006): Limnological features of river Jhelum and its important tributaries in Kashmir Himalaya with a notice on Fish Fauna. *J. Himalayan Ecol. sustain. Dev.* Vol (1).
21. Yuan LL (2004). Assigning macroinvertebrate tolerance classifications using generalized additive models. *Freshwater Biol.* 49:662-677.

Table 4- The BMWP and ASPT score table (Hawkes,1998) showing biological quality and water quality .

BMWP		ASPT	
BMWP Score	Biological quality	ASPT Score	Water quality
Over 130	A.Very good Biological Quality (Natural)	Over 7	Very good Natural
81-130	B. Good Biological Quality	6.0-6.9	Good
51-80	C.Fair Biological Quality	5.0-5.9	Fair
11-50	D. Poor Biological Quality	4.0-4.9	Poor
0-10	E. Very poor Biological Quality	3.9 or less	Very Poor

Table 2 - Macrozoobenthic invertebrate recorded during winter season (DECEMBER 2020)

S.	Phylum, Class, Order	Family	Taxa	Khattali Village Station I	Fata Village Station II
1.	Mollusca,Gastropoda, Basommatophora	Planorbidae	Gyraulus deflectus	_	+
2.	Mollusca, Gastropoda,Littorinimorpha	Hydrobiidae	Bithynia sp.	+	+
3.	Mollusca,Gastropoda, Caenogastropoda	Viviparidae	Compeloma crassulum, Bellama bengalensis,	+	+
4.	Mollusca,Gastropoda, Caenogastropoda	Thiaridae	Melanoides tuberculata	+	_
5.	Mollusca, Bivalvia,Unionoida	Unionoidae	Unio sp.	+	_
6.	Arthropoda, Insecta, Diptera	Chironomidae	Chironomus tentans	_	+
7.	Arthropoda, Insecta, Diptera	Tipulidae	Tipula abdominalis	+	_
8.	Arthropoda, Insecta, Hemiptera	Gerridae	Aquarius remigis	_	+
9.	Arthropoda, Insecta, Hemiptera	Naucoridae	Pelocoris femoratus	+	_
10.	Arthropoda, Insecta, Hemiptera	Nepidae	Ranatra brevicollis, Nepa sp.	+	_
11.	Arthropoda, Insecta, Hemiptera	Dytiscidae	Dytiscus sp.	+	_
12.	Arthropoda,Insecta, Ephemeroptera	Baetidae	Baetis sp.	_	+
13.	Arthropoda, Insecta, Coleoptera	Hydrophilidae	Berosus sp.	_	+
14.	Arthropoda, Insecta, Coleoptera	Gyrinidae	Dineutus americanus	+	_
15.	Arthropoda, Insecta, Odonata	Aeshnidae	Anax junius	+	_
16.	Arthropoda, Insecta, Odonata	Lestidae	Lestes vigilax	+	_
17.	Arthropoda, Crustacea, Decapoda	Palaemonidae	Plaemonetes paludusus	+	+
18.	Annelida, Clitellata, Rhynchobdellida	Glossiphoniidae	Alboglossiphonia sp., Placobdelloides parasitica	_	+
19.	Annelida, Clitellata, Rhynchobdellida	Hirudinidae	Hirudinaria sp.	_	+

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Cyber Security

Dr. Basanti Jain *

*Professor (Chemistry) Govt. M.L.B. Girls P.G. Autonomous College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Cyber Security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks and data from malicious attacks. It is also known as information technology security or electronic information security.
Keywords - Cyber Security, Digital Payment, E-wallet, e-governance, Digital India.

Introduction - The government of India took initiative and launched "Digital India" Program in July 2015 by Honorable Prime minister of India Mr. Narendra Modi. The main object behind launching this program was to empower Indian Society and knowledge economy digitally.

Kind of Security: In an organization the people, processes and technology must all complement one another to create an effective defence from cyber attacks. As we move into a cashless economy, there is always going to be questions raised over the security in digital payments. To solve these issues and concerns of the merchants and the users, The National Payments Council of India (NPCI) launched the Interbank Mobile Payment Service (IMPS) and the Unified Payments Interface (UPI). This paper discuss about the Cyber Security and IMPS facilitates initiation of transactions on a 24x7 basis and settles payments in real time. Since the UPI is developed on the architecture of IMPS it lets instant transfer of funds between bank accounts via smart phones.

Types of Cyber Security: The term cyber security can be divided into following categories:-

1. **Network Security:** Network Security is the Practice of Security a computer network from intruders, whether targeted attackers or opportunistic malware.
2. **Application Security:** It focuses on keeping software and devices free of threats. Successful security begins in the design stage, well before a program or device is deployed.
3. **Information Security:** It protects the integrity and privacy of data both in storage and in transit.

Operational Security: It includes the processes and decisions for handling and protecting data assets. The permissions users have when accessing a network and the procedures that determine how and where data may be stored or shared all fall under this umbrella.

1. **Disaster recovery and business continuity:** It define how an organization responds to a cyber-security incident or any other event that causes the loss of operations or data. Disaster recovery policies dictate how the organization restores its operations and information to return to the same operating capacity as before the event.

Business continuity is the plan the organization falls back on while trying to operate without certain resources.

2. **End-user education:** addresses the most unpredictable cyber-security factor: people. Anyone can accidentally introduce a virus to an otherwise secure system by failing to follow good security practices.

Teaching users to delete suspicious email attachments, not plug in unidentified USB drives, and various other important lessons is vital for the security of any organization.

The Scale of the Cyber threat - The global cyber threat continues to evolve at a rapid pace with a rising number of data breaches each year. A report by Risk Based Security revealed that a shocking 7.9 billion records have been exposed by data breaches in the first nine months of 2019 alone. This figure is more than double [112%] the number of records exposed in the same period in 2018.

Medical Services retailers and public entities experienced the most breaches, with malicious criminals responsible for most incidents. Some of these sectors are more appealing to cyber criminals because they collect financial and medical data but all businesses that use networks can be targeted for customer data, corporate espionage or customer attacks.

Governments across the globe have responded to the rising cyber threat with guidance to help organizations implement effective cyber-security practices.

In the U.S. the National Institute of Standards and Technology (NIST) has created a cyber-security framework. To combat the proliferation of malicious code and aid in early detection, the framework recommends continuous, real-time monitoring of all electronic resources.

The importance of system monitoring is echoed in the "10 steps to Cyber Security" guidance provided by the U.K.

government's National Cyber Security Centre. In Australia, The Australian Cyber Security Centre (ACSC) regularly publishes guidance on how organizations can counter the latest Cyber Security threats.

Cyber Safety tips – protect yourself against Cyber attacks: Important Cyber safety tips are:

1. Update your software and operating systems: This means you benefit from the latest security patches.
2. Use anti-virus software: Security Solutions like Kaspersky, Total Security will detect and removes threats. Keep your software updated for the best level of protection.
3. Use strong passwords: Ensure your passwords are not easily guessable.
4. Do not open email attachments from unknown Senders: These could be infected with malware.
5. Do not click on links in emails from unknown Senders or unfamiliar websites: This is a common way that malware is spread.
6. Avoid using unsecure WiFi networks in public places: Unsecure networks leave you vulnerable to man-in-the-middle attacks.

References :-

1. John Sammons; Michael Cross, Amsterdam Netherlands: "The basics of Cyber Safety" Elsevier 2017.
2. https://www.ukessays.com
3. https://onlinelibrary.wiley.com
4. https://www.consilium.europa.
5. https://www.intel.in/vpro/technology.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

A Study on Parental Encouragement Among the Students of Higher Secondary Classes of Bhopal District

Dr. Anamica Sarkar* Smt. Sanju Harne**

*Principal, A.S.E.College of Education, Bhopal (M.P.) INDIA
** Research Scholar, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Performance of the students of higher secondary classes is influenced by many factors. Parental encouragement is the most important factor. The researcher wants to study parental encouragement. Researcher also wants to find out the difference of Parental Encouragement among the students of higher secondary classes of Bhopal district on the basis of gender, area and types of schools. For this purpose, Parental Encouragement scale standardized by Dr Kusum Agrawal (2010) was administered on the sample of 120students of government and private higher secondary classes from urban and rural areas of Bhopal district. Percentage, mean, standard deviation, standard error, critical ratio were calculated to study and compare the Parental Encouragement. The main findings are: The higher secondary students had extremely high level of parental encouragement. The result indicates that there was no significant difference between higher secondary students of Bhopal district on Parental Encouragement on the basis of gender, area and types of schools.

Key Words - Parental Encouragement, Gender, Area, Types of schools.

Introduction - Parental encouragement helps a lot to the students, guides them, and so that they may not feel downcast. The support of parents makes students psychologically strong. Parental encouragement plays an important role in students overall development. Parents, friends, teachers and some of the relatives of the students give support to them. They admire, and give them intellectual inspiration. Parents always try to develop good habits in their children. GP McCarron, KK Inkelas 2006 studied if parental involvement had a significant influence on the educational aspirations of first-generation students as compared to the educational aspirations of non-first-generation students. Ghazi (2010) conducted a research on "Parental Involvement in Children." Academic Motivation "was aimed to examine the parental involvement. It was found that parental encouragement, discussion of importance of education and educational affairs had direct and positive influence on achievement motivation.X Chen, D Li (2012)"studied that due to the requirements of the competitive, market-oriented urban society, parents in urban and urbanized families are more likely than parents in rural families to encourage initiative-taking in child rearing in China. Sekar and Mani (2013) studied the influence of gender on parental encouragement of higher secondary school students. The results revealed that rural and urban higher secondary students have significantly differed in Parental Encouragement .It was found that students have average level of parental encouragement.

Objectives of the Study:

1. To study the Parental Encouragement among the students of higher secondary classes of Bhopal district.
2. To compare the Parental Encouragement of the students of higher secondary classes of Bhopal district.

Hypotheses of the study:

1. There exists no significant difference between male and female students of higher secondary classes of Bhopal District on Parental Encouragement.
2. There exists no significant difference between rural and urban students of higher secondary classes of Bhopal District on Parental Encouragement.
3. There exists no significant difference between the students of higher secondary classes of government and private schools of Bhopal District on Parental Encouragement.

Methodology - The present study is descriptive in nature. Therefore 120 students of government and private higher secondary classes served as participants in this study. Parental Encouragement scale standardized by Dr Kusum Agrawal (2010) was used to measure Parental Encouragement. Percentage was used to study the nature of data. Critical ratio was calculated to find the significant difference in Parental Encouragement.

Data analysis - After data collection it should be analyzed with the help of statistics percentage, mean, standard deviation, standard error and critical ratio have been calculated.

Table 1 Nature of data on the basis of Parental Encouragement

S.	Level of PES	Symbol	No of students	Percen -tage
1	Extremely High	A	89	75%
2	High	B	20	17%
3	Above Average	C	3	3%
4	Average	D	5	4%
5	Below Average	E	3	3%
6	Low	F	0	0%
7	Extremely Low	G	0	0%

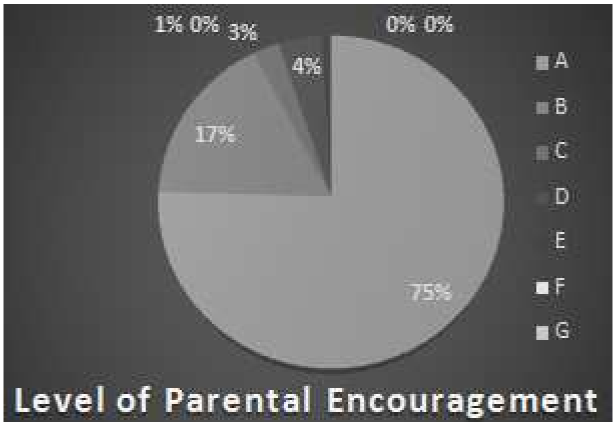

Figure 1 Nature of data on basis of Parental Encouragement

Table 1.Shows percentage wise data of the students in parental encouragement. It is obvious from the above table that greater part of the students falls in extremely high level of parental encouragement that is 75%.Zero percentage of students have low and extremely low level of Parental Encouragement.

Hypotheses 1.There exists no significant difference between male and female students of higher secondary classes of Bhopal District on parental encouragement.

Table 2.1 (see in next page)

On the basis of table 2.1, it is concluded that CR= 0.8261 is less than table value of CR =1.98 for 118 degree of freedom at 0.05 level of significance. The result indicates that there is no significant difference between male and female higher secondary students of Bhopal district on Parental Encouragement .Hence Hypothesis.1 is accepted.

Hypotheses 2. There exists no significant difference between rural and urban students of higher secondary classes of Bhopal District on parental encouragement.

Table 2.2 (see in next page)

On the basis of table 2.2, it is concluded that CR = 1.21 is less than table value of CR =1.98 for 118 degree of freedom at 0.05 level of significance. The result indicates that there is no significant difference between urban and rural higher secondary students of Bhopal district on Parental Encouragement .Hence hypothesis 2 is accepted.

Hypotheses 3. There exists no significant difference between the students of higher secondary classes of government and private schools of Bhopal District on parental encouragement.

Table 3 (see in next page)

On the basis of table 2.3, it is concluded that calculated CR= .594875936 is less than table value of CR =1.98 for 118 degree of freedom at 0.05 level of significance. The result indicates that there is no significant difference between government and private higher secondary students of Bhopal district on Parental Encouragement .Hence Hypothesis 3 is accepted.

Conclusions:

1. Better percentage of students of Bhopal district had extremely high level of Parental Encouragement.
2 Male and female students of higher secondary classes of Bhopal District were not differing on Parental Encouragement.
3. Urban and rural higher secondary students of Bhopal district were not differing on Parental Encouragement
4. Government and private higher secondary students of Bhopal district were not differing on Parental Encouragement.

References :-

1. Conklin, M. E., & Dailey, A. R. (1981). Does consistency of parental educational encouragement matter for secondary school students?. Sociology of Education, 254-262
2. Chen, X., & Li, D. (2012). Parental encouragement of initiative-taking and adjustment in Chinese children from rural, urban, and urbanized families. Journal of Family Psychology, 26(6), 927
3. McCarron, G. P., & Inkelas, K. K. (2006). The gap between educational aspirations and attainment for first-generation college students and the role of parental involvement. Journal of College Student Development, 47(5), 534-549.
4. Sewell, W. H., & Shah, V. P. (1968). Social class, parental encouragement, and educational aspirations. American journal of Sociology, 73(5), 559-572.
5. Sekar, P., & Mani, S. (2013). Influence of gender on parental encouragement of higher secondary students. International Journal of Scientific Research, 2(9), 114-115.

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Table 2.1 Comparison of students on basis of gender.

Group	No of students	mean	Std.Dev.	Std.Error	CR	Significance0.05 level
Male	60	346.167	32.10	7.827	0.82611	P<0.05**
Female	60	339.65	51.4			

**Not Significant at 0.05 level

Table2.2 Comparison of students on basis of area.

Group	No of students	Mean	Std.Dev.	Std.Error	CR	Level of significance
Urban	60	342.4833	37.95	7.84		1.21 P<0.05**
Rural	60	343.2833	47.50			

**Not Significant at 0.05 levels

Table 3 Comparison of students on basis of type of school.

Group	No of students	Mean	Std.Dev.	Std.Error	CR	Level of significance
Government	60	346.8667	40.4217	7.8159	0.59487	P<0.05**
Private	60	338.9	45.0712			

**Not Significant at 0.05 level

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Ensuring Quality of Education in Madhya Pradesh

Dr. Uma Shrivastava *

* **Principal, Govt. College of Teacher Education, Dewas (M.P.) INDIA**

Abstract - The paper explores holistic dimensions of education beyond formal education and need for quality education beyond rote learning. Some of the approaches towards ensuring quality education have been discussed. Specific to Madhya Pradesh, some of the gaps in fulfilling quality education have been highlighted and recommendations have been made to overcome those gaps.
Key Words- Quality education, Teaching Learning gap.

Introduction - Education is a dynamic and continuous process. It is one of the most important factors responsible for shaping the personality of an individual and has multifold functions. Each child needs encouragement to grow into a competent person who is curious and can self-learn, so that education does not end with school or college but continues throughout the life. Education doesn't merely mean getting information or getting a degree, but the actual meaning is to develop understanding and gaining knowledge, through which one can improve their level of performance in life and personal happiness.

"The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence." - Rabindra Nath Tagore

"Education is the manifestation of perfection already in man. Like fire in a piece of flint, knowledge exists in mind. Suggestion is the friction, which brings it out." - Swami Vivekananda.

"Education is not the learning of facts, but training of the mind to think." Albert Einstein.

Some characteristics of education are-

1. Education does not terminate with the end of formal education, but it is a lifelong process and it sustains throughout life.
2. Lifelong education is not confined to stages of education, but it seeks to view in its totality.
3. Lifelong education is not only including patterns (formal, non-formal, informal) of education, but planned as well as incidental learning.
4. Family and society play an important role in the system of lifelong education right from the time of the child begins to interact with it.
5. Lifelong education is characterised by its flexibility and diversity in content, learning tools and techniques and time of learning.
6. Lifelong education has two components: general and professional. Both components are interrelated and interactive in nature.
7. Its major prerequisites are opportunity, motivation and education.
8. Lifelong education organises principle for all education and at operational level it provides a total system of all education.
9. The goal of lifelong education is to maintain and improve the quality of life.

Education plays an important role in the development of nation, society, family and individual personality towards a fruitful life. Education, which forms the basis of all this development, should also have quality. There have been initiatives to improve education through different incentives and schemes but now it's time to focus on quality of education.

According to parents and students, quality education means 'raising levels of academic performance of subjects from the curriculum which are measured by tests or examinations.' But quality of education includes a concern for quality of life in all its dimensions.

Quality is the most cherished goal in human endeavour and especially in the field of education. Education is a triangular process where the teacher, student and curriculum are at a vertex of the triangle. So, all these components are important for education. Quality of education can be measured by assessing the gap between the process of teaching and learning. However, it is very difficult to assess this because there are many factors affecting these processes. What did the teacher teach and expected outcomes? And what did the learner actually learn? The gap between both these processes decides the quality of education. If the gap between expected level and actual level is reduced, quality will increase and if the gap is increased the quality will decrease. So, quality and the gap are inversely proportional to each other.

Quality ∝ 1/ Gap

Main Components of education:

1. Teaching
2. Learning
3. Curriculum

● **Teaching:**Teaching is an important component for quality of education. This process is performed by the teacher. The teacher's task is to act as a guide between knowledge and the student. They should know a variety of educational routes, their unevenness, children's' psychology and their individualities. Their teaching skills are very important for quality education. Good teaching is both scientific and artistic. It is scientific when it is used technically and it is artistic when expressed in the skills, experience and personality of the teacher.

For a good teaching teacher should have: -

● **Knowledge of child psychology: -** For good teaching, teachers should have knowledge of child psychology and ability to assess needs of the child. They should change their style of teaching delivery and teaching methods according to psychological needs of the child such as mental level, interest, motivation, attitude etc.

● **Rapport building: -** For rapport building with students, the teacher should develop confidence with students and treat them friendly.

● **Planning for differentiated teaching and learning: -** Teaching should be planned as a developmental sequence, including the possibility of extension work, so that exceptional children at either end of the achievement spectrum are provided for. Teachers should plan the themes and skills with which they mean to make their children familiar and estimate how and when it is appropriate to develop them.

● **Styles of teaching delivery: -** Successful differentiated teaching and learning should not be reliant upon a teacher instructing a whole class, nor should it be characterised by the use of worksheets given out indiscriminately to each child but should be done as: -

1. A collaborative method with involvement of children's decisions and allowing them for some negotiation about how they approach the task.
2. The task should be multidimensional and open-ended for more participation of children.
3. There should be some reading and writing exercises for children.
4. There should be good communication skills, which is effective for both receptivity and empathy.
5. For good learning comprehension and enjoyment during teaching approach till the last child of the class.

Cooperative teaching: Cooperative teaching provides the opportunity for teachers having different backgrounds and using their training and experiences to develop common understanding, shared meaning and explore and improve the quality of teaching and learning in the classroom. They can share about the appropriateness of the curriculum according to the child's need and ability as well as sharing their own perspective and expertise.

Some other characteristics for successful teaching are:

1. Respect for children.
2. Concern for the whole child.
3. Encouragement of collaborative and active learning.
4. Setting open-ended tasks.
5. Willingness to give children autonomy within defined boundaries.
6. Clear criteria for what the children are expected to achieve.
7. Use of modules to break up the subject for easier learning.
8. A wide use of teaching methods beyond the traditional ones.
9. Discussion and negotiation with children about their learning.
10. Team planning, both within and across subject boundaries.
11. Constructive, well-planned marking.
12. An emphasis on what is positive in children's work.
13. Well-planned homework.
14. Elaborate assessment records.
15. Clear feedback to children on how they are doing.

● **Learning:**Learning is another important factor for assessing the quality of education. It is the process performed by students. Learning takes place when an individual adapts to experience and it's most effective when it is flexible enough to be applied to different kinds of experiences and competent behaviour.

The best learning is that which can be used in other situations as 'transferred' – that is the specific use of learning strategies taken from one situation to another appropriate one. It means that the student can abstract the key operations from any task and recognize how they can be used in others, such as calculations in physics and mathematics or superficially different, such as language and arts.

According to learning theorists, "learning is more likely to take place when pupils are mentally engaged in the pursuit of knowledge than when they are merely recipients of it."The changes held between teaching and learning are:

1. The change from individual to social learning, encouraging learning as a two-way process between student and teacher.
2. The move from passive to active learning on the part of the learner.

So learning is interactive, but it may also be dominated by either teacher or self-regulation. The difference being that the learning controlled by a teacher is external, whereas that by the student is internal.

Every child has their own speed and learning style. In the learning process, after absorbing the content there is another internal process, which is self-regulation. Self-regulation in learning is about the extent to which one is

able to become one's own teacher.Some elements that affect one's learning are:

1. Immediate environmental elements like sound, light, temperature, and design of place.
2. Own emotional elements like motivation, persistence, responsibility, need for structure or flexibility.
3. Sociological needs like self, peers, pair, team, adult, and varied.
4. Physical needs like perceptual, strength, intake, time and mobility.

Learning is interactive and controlled by the teacher as an external factor. So, for the quality of education teachers can improve the learning style of students by adapting their teaching style. For good learning, teacher can have following teaching style:

1. Explanation
2. Attention
3. Non-verbal communication

- **Curriculum:**Curriculum is all the planned, guided and implemented learning that occurs in a school. A school curriculum plan gives details of the what, when and how of the teaching-learning process in a particular school across the different years and phases of schooling. In the formalsystem of schooling, curriculum is the set of courses, course work and other content offered at the school or university. A curriculum may be partly or entirely determined by an external, authoritative body like National Curriculum Framework (NCF).NCF-05 purposes five guiding principles for curriculum development:

1. Connecting knowledge to life outside the school.
2. Ensuring that learning shifts away from rote methods.
3. Enriching the curriculum so that it goes beyond textbooks.
4. Making examinations more flexible and integrating them with classroom life.
5. Nurturing overriding information by caring concern within the democratic policy of the country.

According to Gandhiji, "First focusing on what learner can best learn and then integrating various other essential elements to provide a well-rounded curriculum".

Quality of education in Madhya Pradesh - Many provisions have been made and implemented for improving the quality of education in Madhya Pradesh like, Operation Black Board, DPEP (District Primary Education Programme) and now SSA(Sarva Shiksha Abhiyan) and RTE (Right to Education). Here is comparison between Madhya Pradesh and all India level for some indicators:

Table 1 (see in last page)

Fig. (see in last page)

The above data shows that some indicators are more in Madhya Pradesh as compared to all India level, but it is not enough for the quality of education. Whereas some important indicators like Computer facility and Computer Assisted Learning (CAL) facilities are less as compared to all India, which should also be increased by Madhya Pradesh for quality education.

For quality education teacher's facility is also important for every schools. Average number of teachers per school is also less as compared to all India level. Madhya Pradesh school department should try to increase number of teachers by making prior policy to appoint good teachers for providing quality education.

Further, ASER (Annual Status of Education Report) has given the report on students' reading and arithmetic skills, for class **Vth** and**VIIIth**which shows that it's time to focus on teaching and learning process and developing the interest towards education.Table 2 and 3 below show the reading and arithmetic levels of students for class Vth and VIIIth for the year 2011-2013 from all 45 districts of Madhya Pradesh.

Table 2 (see in last page)

Table 3 (see in last page)

As per the data reflected in analysis of ASER reports above, the reading and arithmetic levels of students are poor. Majority of the students have not attained the expected levels of skills as per their class. There are also small but significant number of children who do not have even the basic skill of being able to read alphabets or numbers.

The practical data from DISE and ASER reports shows that despite several efforts to improve quality of education, its benefits have not reached the students. As discussed in the paper above, there have been many theoretical approaches suggested which can improve quality of education such as focus on learning instead of teaching, psychological attention to children, developing NCF-5 based curriculum etc.

Recommendations/suggestions - Based on the discussion above, the following recommendations and suggestions are offered to be considered for developing quality-assured education policy in Madhya Pradesh focusing on teaching, learning and curriculum aspects:

- **Teaching :**

1. "Idea sharing workshops" should be used instead of training.
2. Idea sharing workshops on themes such as" science of learning", positive feeling tones, caring relationships and rapport building should be designed for teachers.
3. More freedom should be given to teachers to design their own method according to the needs of children.
4. Teachers should have knowledge of child psychology.

- **Leaning :**

1. Teach the students how to learn.
2. Help the students to change their attitudes and perception.
3. Timing and pace of learning are both important factors.

- **Curriculum :**

1. Development of multilevel curriculum according to needs.
2. Psychologists and subject teachers should be involved during curriculum formation.
3. Some chapters should be added according to the

interest of children.

4. Books should be in their mother tongue.

References :-

1. Alexander, Robin (2008). *Education for All, the Quality Imperative and the Problem of Pedagogy,* Create Pathways to Access, Research Monograph No 20. London: Institute of Education University.
2. Arends, Richard I., Kilcher, Ann (2011). *Teaching for Student Learning*. New York and London: Routledge, Taylor and Francis Group.
3. Dave, R.H.(2004). *Education and Human development, A futuristic approach*. New Delhi: Evergreen publications.
4. Flash Statistics, DISE (2013-14). *Elementary Education in India Progress towards UEE*. New Delhi: NUEPA.
5. Freeman, Joan (1992). *Quality basic education: the development of competence.* UNESCO: International Bureau of Education.
6. Gnanaka, Ken (2011). *Integrated Learning.* New Delhi:Oxford University, p.116.
7. Mukhopadhyay, Marmar, Khanna, Kailash, Anand, Vichitra, Abraham, Sharmila. (Eds.) (2009). *Quality School Education for All.* New Delhi: Educational Technology and Management Academy.
8. N.G.O. (2011, 2012, 2013). *Annual Status of Education Report, Madhya Pradesh Rural.* New Delhi: ASER Centre, p.2,3.

Table 1:School based, Facility and Teachers related Indicators: (2013-14)

S.	Indicator	Particulars	India	M. P.
1.	School Based	% Special Schools for CWSN	1.05	1.39
		% Schools where CCE is implemented	80.62	96.68
		% Schools arranged check-up during previous Academic Year	63.33	70.64
2.	Facility Based	% Schools having drinking Water facility	95.31	96.10
		% Schools having functional Girl's Toilets	91.62	92.25
		% Schools having Computer	23.30	13.09
		% Schools having CAL facility (Upper Primary)	22.18	18.20
		% Schools having Library	76.13	80.31
3.	Teachers Related	Pupil Teacher Ratio Average number of Teachers per School	26 5.3	29 3.5
4.	Time Opportunity	Average number of instructional days	224(Pri) 225(UPri)	218(Pri) 241(UPri)

Source:*DISE, 2013-14: Flash Statistics*

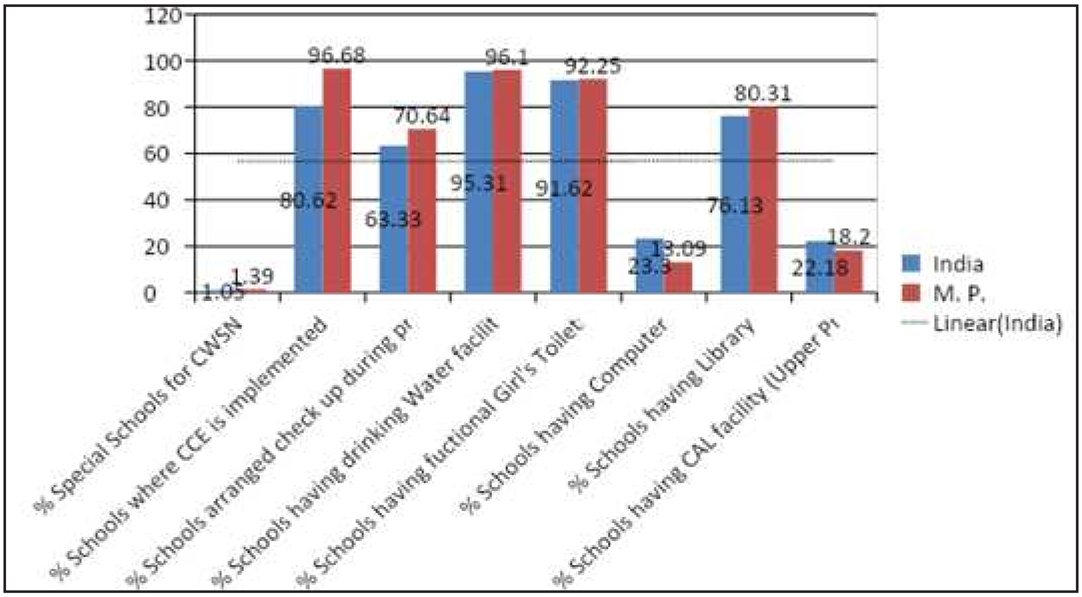

Fig. Some indicators-based comparison between India and M.P.(Source: DISE)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Table 2:Reading Level of students in MP

Year	Not even a letter		Letter		Word		Level 1 (Std I Text)		Level 2 (Std I Text)	
	V	VIII	V	VIII	V	VIII	V	VIII	V	VIII
2011	5.7	1.6	17.0	5.3	17.5	6.4	21.8	15.3	38.0	71.3
2012	5.1	1.6	20.3	7.7	21.6	7.7	19.9	15.2	33.1	67.8
2013	5.0	1.4	12.6	4.5	14.2	5.5	21.2	14.3	47.0	74.2

Source: ASER Report

Table 3: Arithmetic Level of students in MP

Year	Not even 1-9		Recognition				Can Subtract		Can Divide	
			1-9		10-99					
	V	VIII	V	VIII	V	VIII	V	VIII	V	VIII
2011	6.0	2.1	21.3	7.4	28.1	16.8	26.9	27.9	17.7	45.9
2012	4.9	1.8	25.1	10.0	35.8	25.4	21.9	27.9	12.3	34.9
2013	3.3	1.0	15.0	5.5	29.5	23.2	26.7	24.3	25.6	46.0

Source: ASER Report

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

A comparative Study of Folk Drama form and their Music in Rajasthan and Maharashtra with Special Reference to Instruments

Dr. Shiva Vyas*

*Associate Professor, Rajasthan Sangeet Sansthan, Jaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Instruments play an important role in creating the atmosphere desired during the dances music and drama of Rajasthan and Maharashtra. The music of folk dramas of Rajasthan and Maharashtra are accompanied by specific and peculiar instruments suitable for the style and form being performed. All the four types of instruments are used in the folk dramas of both states. Some instruments are similar seen in Rajasthan and Maharashtra folk dramas, while some are different. These instruments enhance the music of the folk dramas and they make themes more effective. They help in creating different Rasas.
Keywords- Instrument, percussion, wind, struck and string.

Rationale of The Study - Music has been the most essential part of the folk dramas. Folk dramas have an oral tradition and are passed down from one generation to the next, music is the most essential component. Due to the forces of globalization, owing to the impact of television and films it is losing its original form. Folk dramas are fading due to lack of interest and financial support or being distorted by the new market culture and its changing life-style and value system. In order to retain our identity and restore old glory efforts are needed to preserve and popularize folk dramas. The purpose of this study is to provide a comparative study of music in the folk dramas of Rajasthan and Maharashtra.

Statement of the Problem - A comparative study of the Folk Drama forms and their Music in Rajasthan and Maharashtra.

Objective – To study the music of Folk dramas of Rajasthan and Maharashtra with special reference to instruments.

Research Question

Q.1 Which similar and different percussion instruments are used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

Table 1: Comparison of Similar Percussion Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

S.	Rajasthan	Maharashtra
1.	Dhol	Dhol
2.	Dholak	Dholak
3.	Daf	Daf
4.	Nagara	Nagara
5.	Tasha	Tasha
6.	Dafali	Dafali
7.	Tabla	Tabla

Table 2: Comparison of Different Percussion Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

S.	Rajasthan	Maharashtra
1.	Madal	Mradang
2.	Chang	Damaru
3.	Khanjari	Halagi
4.	Naubat	Kadha
5.	Pakhawaj	

Table 1 and 2 denotes number of percussion instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra. The table reveals that out of 16 percussion instruments 7 are used both in folk drama of Rajasthan and Maharashtra, while 5 instruments (Madal, Chang, Khanjari, Naubat, Pakhawaj) are used in Rajasthan. Remaining 4 instruments (Mradang, Damaru, Halagi, Kadha) are seen in folk drama of Maharashtra.

Table 3: Percentage of Similar and Different Percussion Instruments of Both States

S.	Types of Instruments		Percentage
1.	Similar Percussion Instruments of both states		43.75%
2.	Different Percussion Instruments	Rajasthan	31.25%
		Maharashtra	25.00%

Thus the table 3 denotes the percentage of similar percussion instruments is 43.75% and the percentage of different instrument of Rajasthan is 31.25% and Maharashtra is 25%.

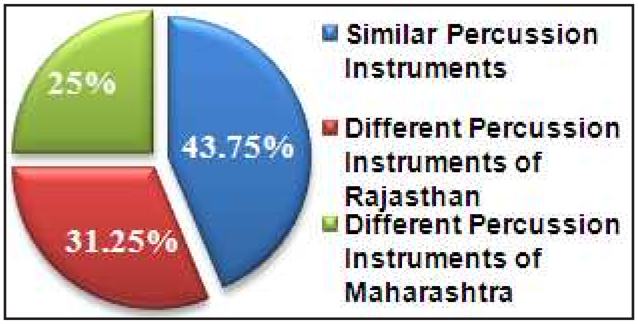

Fig. 1: Pie chart shows the comparison of Similar and Different Percussion Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

Q.2. Which similar and different string instruments are used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra?

Table 4: Comparison of Similar String Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

S.	Rajasthan	Maharashtra
1.	Sarangi	Sarangi
2.	Ektara	Ektara

Table 5: Comparison of Different String Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

S.	Rajasthan	Maharashtra
1.	Jogia Sarangi	Tuntunia
2.	Sindhi Sarangi	Tamboori
3.	Kamayacha	
4.	Rawantatha	
5.	Morchang	
6.	Chikora	

Table 4 and 5 shows names of string instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra. The table reveals that out of 10 string instruments (Sarangi, Ektara, Jogia Sarangi, Sindhi Sarangi, Kamayacha, Rawantatha, Morchang, Chikora, Tuntunia & Tamboori) are used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra. While 6 instruments (Jogia Sarangi, Sindhi Sarangi, Kamayacha, Rawantatha, Morchang, Chakora) are used in Rajasthan. Remaining two string instruments Tuntunia and Tamboori are seen in folk dramas of Maharashtra. These string instruments play an important role in setting the mood of folk themes. Their notes has a great appeal to the heart of the audience. They produce different type of atmosphere by playing different Swaras that is serious, romantic, happy and according to the situation of the play.

Table 6: Percentage of Similar and Different String Instruments of Both States

S.	Types of Instruments		Percentage
1.	Similar String Instruments of both states		20%
2.	Different String Instruments	Rajasthan	60%
		Maharashtra	20%

Thus the above table 6 reveals that the percentage of similar string instruments is 20% and the percentage of different string instruments of Rajasthan is 60% and Maharashtra is 20%.

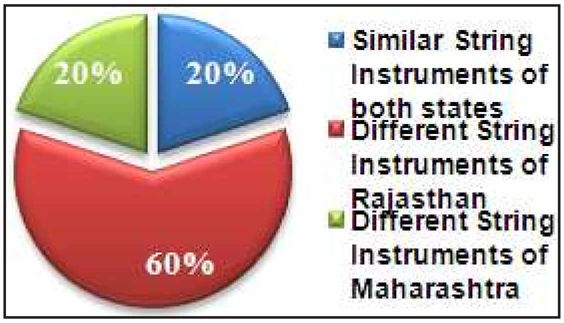

Fig. 2: Pie chart shows the comparison of Similar and Different String Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

Q.3.Which similar and different Wind Instruments are used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra?

Table 7: Comparison of Similar Wind Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

S.	Rajasthan	Maharashtra
1.	Shahnai	Shahnai
2.	Flute	Flute
3.	Pungi	Pungi
4.	Siti (Kathputali)	Siti (Kathputali)
5.	Harmonium	Harmonium

Table 8: Comparison of Different Wind Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

S.	Rajasthan	Maharashtra
1.	Algoza	Tarapi
2.	Mashak	Dundubhi
3.	Bakiya	Ransing

Table 7 and 8 denotes name of wind instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra. The table describes that out of 10 wind instruments, 5 (Shahnai, Flute, Pungi, Siti (Kathputali) and Harmonium) are used both in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra. While 2 Algoza, Mashak and Bakiya are used in Rajasthan and remaining 3 instruments (Tarapi, Dundubhi & Ransing) are seen in folk drama of Maharashtra.

Table 9: Percentage of Similar and Different Wind Instruments of Both States

S.	Types of Instruments		Percentage
1.	Similar Wind Instruments of both states		45.45%
2.	Different Wind Instruments	Rajasthan	27.27%
		Maharashtra	227.27%

Thus the table 9 reveals that the percentage of similar wind instruments is 45.45% and the percentage of different wind instruments of Rajasthan is 27.27% and Maharashtra is 27.27%.

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

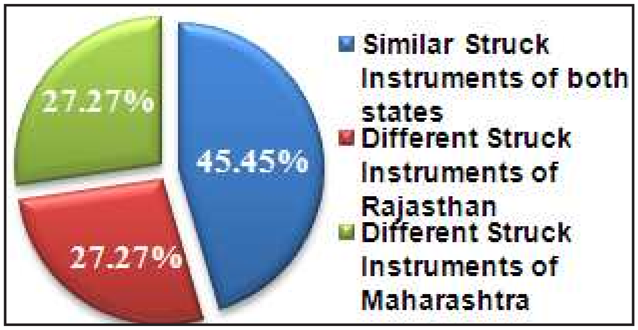

Fig. 3: Pie chart shows the comparison of Similar and Different Wind Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

Q.4. Which similar and different Struck Instruments are used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra?

Table 10: Comparison of Similar Struck Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

S.	Rajasthan	Maharashtra
1.	Majeera	Majeera
2.	Thali	Thali
3.	Chimta	Chimta
4.	Ghungaroo	Ghungaroo
5.	Ghanti	Ghanti

Table 11: Comparison of Different Struck Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

S.	Rajasthan	Maharashtra
1.	Jhanj	Lazim
2.	Hankal	Khanjari
3.	Khartal	Jhunjhuna

Table 10 and 11 denotes name of struck instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra. The table describes that out of 11 struck instruments, 5 (Majeera, Thali, Chimta, Ghungaroo & Ghanti) are used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra. While 3 (Jhanj, Hankal, Khartal) are used in Rajasthan and remaining 3 struck instruments (Lazim, Khanjari, Jhunjhuna) are seen in folk drama of Maharashtra.

Table 12: Percentage of Similar and Different Struck Instruments of Both States

S.	Types of Instruments		Percentage
1.	Similar Struck Instruments of both states		45.45%
2.	Different Struck Instruments	Rajasthan	27.27%
		Maharashtra	227.27%

Thus the table 12 denotes the percentage of similar struck instruments is 45.45% and the percentage of different struck instruments of Rajasthan is 27.27% and Maharashtra is 27.27%.

Fig. 4: Pie chart shows the comparison of Similar and Different Struck Instruments used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra

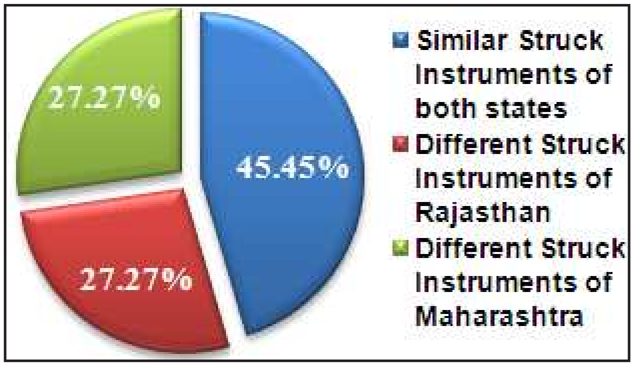

Findings:

1. Findings revealed that folk music of both the state uses all four types of instruments result revealed that out of 16 percussion instruments 7 are common and the remaining 5 are used in folk dramas of Rajasthan and 4 are used in folk drama of Maharashtra.
2. It is found that in 11 string instruments are used in both the states, 2 string instruments are found similar, 7 are different string instruments in Rajasthan and 2 are in Maharashtra folk drama.
3. Result indicated that 10 wind instruments are used in folk dramas of Rajasthan and Maharashtra. 5 instruments are found similar in both the states remaining 2 are different in Rajasthan and 3 are different in Maharashtra.
4. Result show that 5 similar struck instruments are used in folk dramas of both states. 3 struck instruments are different in Rajasthan and 3 are different in Maharashtra folk dramas.
5. Findings denoted that these instruments enhances the themes and make them more vibrant and impressive.

Implications :

1. They are enjoyed and approved by all the age groups.
2. Findings denote that there is a question of survivals of folk dramas. So it is a duty of the community to support and save this art which is dying. So help from all corners of society will prove beneficial in saving this great treasure.

References :-

1. Bhanawat Mahendra (2014). Lok Natya Aryavart Sanskrit Sansthan, B-216, Chandu Nagar, Karawal Nagar Road, Delhi-110094.
2. Bhatt Dilip. Jaipur Lok Natya Tamasha, West Zone Cultural Centre Udaipur.
3. Mehta, Gyanwati (2003). Lok Natya Mein Sangeet, Vikas Prakashan Choudhary Quarter, Stadium Road, Bikaner-334001.
4. Borana, Ramesh (2002). Rajasthan ki Ramma, Rajasthan Sangeet Natak Academy.
5. Ray, Sitansu (1989). Studies in Music Aesthetics, J.K. Agarwal Krishna Brother, Mahatma Gandhi Marg, Ajmer-305001
6. Gargi Balwant. Folk Theatre of India 1991 published

by Rupa Co., 15 Baki Chatterjee Street Calcutta-700073

7. Dixit, Durga (1983). Maharashtra ka Lokdharmi Natya. Panchsheel Prakashan, Jaipur.
8. Sinha, Biswajit (2004). Encyclopedia of India Theatre (Vol. 6). Raj Publications, Delhi-110009
9. Tarlekar, G.H. (1975). Studies in the Natyasastra, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, Delhi
10. Poply, H.A. (1950). The music of India, M.C.A. Publishing House, Calcutta.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Synthesis of Some 2:4 Dinitro-cyanoethyl Amino Stilbene as Antibacterial Activity

Dr. Malti Dubey (Rawat) *

*Associate Professor, Govt. Auto., P.G., Girls College of Excellence, Sagar (M.P.) INDIA

Abstract - A Series of 2:4 – Dinitro-cyanoethyl Stilbene compounds synthesized by the reaction of 2:4 – Dinitro toluene with number of substituted cyanoethyl benzaldehydes in presence of pyridine and Piperidine. The Chemical structure of these compounds were confirmed by elemental analysis and IR.

Introduction - Stilbene derivatives have been found to possess the Oestrogonic[1], fangistative[2] and antibacterial activity[3].

Looking to usefulness of Stilbenes, I have therefore synthesized 2:4-dinitro-cyanoethyl Stilbene in the following sequence of the reaction.

A number of routes for the synthesis of Stilbenes have been mentioned in literature [4,5,6,7] knovenagel reaction have been used in the preparation of Stilbene derivatives [8,9,10,11]

2:4-Dinitro toluene is condensed with number of substituted cyanoethyl amino benzaldehydes in presence of pyridine and piperidine, yielded 2:4-Dinitro-NN-bis cyanoethyl amino Stilbene.

Compound (I) was studied in presence of six condensing agent. Pyridine and piperidine have found to be the most effective condensing agent. Most suitable temperature 145-155^{0}C has been found for preparation of compound (I), condensation in presence of triton B, Quinoline, Morpholine or sulphuric acid were unsuccessful. Table 2

Introduction of halogen in compound (I) has increases the antibacterial activity. Therefore compound I was brominated by keeping it in atmosphere of bromine in a desicator for five days when dark red tetra-bromo 2:4-dinitro-cyanoethyl amino Stilbene obtained.

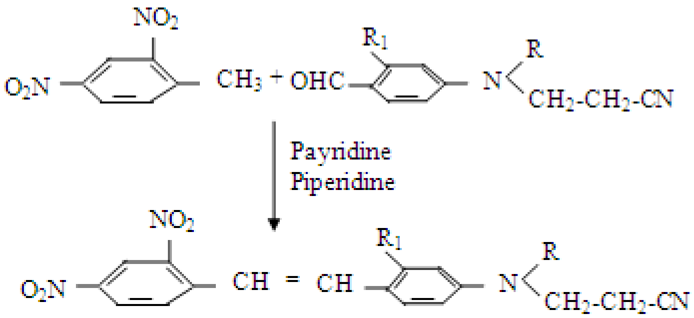

(I) R = CH_2-CH_2-CN R_1 = H
(II) R = CH_3 R_1 = CH
(III) R = CH_2-CH_2-CN R_1 = CH_3

Experimental- All melting points were uncorrected and measured using a Electro-thermal IA 9100 apparatus. The purity of compounds was checked by TLC on silica gel G coated. IR spectra table 3 were recorded as potassium bromide pellets on a Perkin – Elmer on Unicam FIIR and Perkin – Elmer FT-IR spectrum 1000 spectrophotometers

General method for the synthesis of compounds – Equimolecular quantities of derivatives of cyanoethyl amino-benzaldehyde and 2:4 Dinitro toluene, Pyridine (One drop) and piperidine (One drop) were refluxed on a water bath for eight hours. The reaction mixture was cooled and the solid was filtered. The residue recrystallised from ethanol when 2:4 dinitro-cyano ethyl amino Stilbene was obtained Yellow, Red, Brown Crystals. The physical and spectral data of compounds have been incorporated in Table 1

The present investigation records the condensation of cyanoethyl amino benzaldehyde with 2:4 Dinitro toluenes in presence of the following condensing agents-

1. Pyridine
2. Piperidine
3. Quinoline
4. Pyridine/Piperidine
5. Quinaldine
6. Morpholine

Antibacterial Activity- Stilbene derivatives were tested in vitro for their bactericidal action. They have bactericidal activity against staphylo-cocci and strepto-cocci. The purified product was screened by Cup-Plate method. Testing was carried out in ethanol solution at the concentration of 10 mg ml^{-1} Ampicillin was used as the standard for comparing the result.

Results- The Stilbene derivatives are Synthesized by the

thermal reaction 2:4 Dinitro toluene with substituted Benzaldehyde in the presence of pyridine piperidine

Antibacterial activities in Vitro were determined by using Cup-Plate diffusion method.

Table-I, II and III (see below)

References :-

1. Dodds at Nature 139, 25-30 (1948).
2. J.C. Mc Gowan, PW Brain and H.G. Heming Ann Appliied Biot 25-36 (1938).
3. G. Brownee, F.C. Copp, W.M. Deffin. Biochem., J. 572-7 (1943).
4. Hell Ber, 37, 453 (1904) 37. 1431 (1904).
5. Moerwein, Buchrer and Emstar, J.Prokt, Chem, 152, 237. (1939).
6. L. Ecauger and Oliver, Cmand, J.Res. 27 B, 298B. 548.
7. Thiele and Escatles. Ber, 39, 1306 (1908) Ullman and Gschwind Ber, 41, 2296 (1908).
8. Dower and Boberg. Ann 578. 107 (1952).
9. Text book of organic chemistry Vol.-01 Page 75-676, I L Finar (Longmen 1975).

Table-1 : Stilbene derived from 2:4- Dinitro toluene

S.	Aldehydes	Stilbenes		Color	Yield %	M.P.^{0}C
		R	R_1			
1	4-NN-bis-cyanoethyl Amino Benzaldehyde	$-CH_2CH_2CN$	H	Brown	29.3	173
2	4-N-Methyl-N-2^1-Cyanoethyl Amino Benzaldehyde	$-CH_3$	-CH	Yellow	19.36	146
3	4-NN-bis-cyanoethyl-2-methyl-Amino Benzaldehyde	$-CH_2-CH_2-CN$	CH_3	Red	22.8	181

Table II : Yield of 2:4 Dinitro-cyanoethyl amino stilbene and formed in presence of different condensing agents-

S.	Condensing agent used	Quantity	Aldehyde in gram	Stilbene formed in of Yield %
1	Pyridine	One drop	0.2	29.3
2	Piperidine	One drop	0.2	27.8
3	Pyridine/Piperidine	One drop	0.2	33.5
4	Quinoline	One drop	0.2	
5	Morpholine	One drop	0.2	
6	Triton B	One drop	0.2	
7	Sulphyric-acid	One drop	0.2	

Table III : Infra red absorption frequencies of 2:4dintro cyanoethyl amino stilbene

S.	Band of Group	Absorption bandCm-1	Band intensity
1	NO_2(in aromatic ring)	890, 1300	Strong and sharp
2	Alkone substituted	975	Medium and sharp
3	Phenyl substituted (1,2,4)	810, 820	Sharp and mediumMedium and sharp
4	-N<	1326	Short and medium
5	$-CH_2$(Conguagated with ring)	1480	Short and sharp
6	$N-CH_3$	1420	Short and medium
7	$-CH_2-CH_2-CN$	2250	Strong and sharp
8	-C=N	1600	Short and broad
9	Phenyl(1:4 Substituted)	825	Medium and sharp

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Neutrosophic Sets and Systems- An Overview of Work Done and Future Prospects

Sudhish Kumar *

*Associate Professor (Maths.) Government College, Khurai, District Sagar(M.P.) INDIA

Abstract - Neutrosophy is a branch of philosophy introduced by Florentin Smarandache in 1980, which studies the origin, nature and scope of neutralities as well as their interactions with different ideational facts. Neutrosophy considers a proposition, theory, event, concept or entity, "A" in relation to its' opposite, "Anti-A" and that which is not A ,"Non-A" and that which is neither "A" nor "Anti-A", denoted by "Neut-A".Neutrosophy is the basis of neutrosophic logic, neutrosophic probability, neutrosophic set and neutrosophic statistics. In this paper we discuss and review the work done so far in the field of Neutrosophy and its' various applications and also the future prospects. This will be journey of 25 years of work done by mathematicians to apply the principles of Neutrosophy in vast fields of mathematical sciences.

Introduction - L.Zadeh introduced the degree of membership (TRUTH 'T') in 1965 and introduced the concept of fuzzy sets.Atanassov introduced the degree of non-membership (FALSEHOOD 'F')in 1986 and defined the intuitionistic fuzzy set.Fuzzy sets and fuzzy logics are widely used in many situations involving uncertainty.However there are situations which cannot be explained by uncertainty. This led to the introduction of concept of interval valued fuzzy sets. F. Smarandache introduced the degree of indeterminacy /neutrality (I) as independent component in 1995 (published in 1998) and he defined the neutrosophic set on three components: (T, I, F) = (Truth, Indeterminacy, Falsehood), where in general T, I, F are subsets of the interval [0, 1]; in particular T, I, F may be intervals, hesitant sets, or single-values . Neutrosophic Set and Logic are generalizations of classical, fuzzy, and intuitionistic fuzzy set and logic. While Neutrosophic Probability and Statistics are generalizations of classical and imprecise probability and statistics.

(ii) Basic definitions:-

Etymology (origin of words used) - The words "Neutrosophy" and "neutrosophic" were coined/invented by F. Smarandache in
his 1998 book.

(a) Neutrosophy - "Neutrosophy: A branch of philosophy, introduced by F. Smarandache in 1980, which studies the origin, nature, and scope of neutralities, as well as their interactions with different ideational spectra. Neutrosophyconsiders a proposition, theory, event, concept, or entity< A> in relation to its opposite<anti A>, and with their neutral<neut. A> . Neutrosophy (as dynamic of opposites and their neutrals) is an extension of the Dialectics (which is the dynamic of opposites only). Neutrosophy is the basis of neutrosophic logic, neutrosophic probability, neutrosophic set, and neutrosophic statistics."

(b) Neutrosophic Logic - "It is a general framework for unification of many existing logics, such as fuzzy logic (especially intuitionistic fuzzy logic), paraconsistent logic, intuitionistic logic, etc. The main idea of NL is to characterize each logical statement in a 3DNeutrosophic Space, where each dimension of the space represents respectively the truth (T), the falsehood (F), and the indeterminacy (I) of the statement under consideration, where T, I, F are standard or non-standard real subsets of $]^-0, 1^+[$ with not necessarily any connection between them. In software engineering we take classic unit closed interval [0,1]."

(c) Neutrosophic sets - Smarandache introduced this concept in 1998. "Let ξ be the universe. A neutrosophic set (NS) A in ξ is characterized by a truth membership function T_A , an indeterminacymembership function I_A andafalsity membership function $F_A$where T_A ,I_A and $F_A$are real standard elements of [0,1]. It can be written as :-

$A = \{<x, T_A(x), I_A(x), F_A(x)> / x \in E$, where $I_A, T_A, F_A \in\ ]^-0, 1^+[\ \}$

Here E is a set in the universe ξ and $]^-0, 1^+[$ is the non-standard unit interval."

There is no restriction on the sum of $T_A(x)$, $I_A(x)$ and $F_A(x)$. So :-

$$0 \leq T_A(x) + I_A(x) + F_A(x) \leq 3."$$

(d) Single valued Neutrosophic sets - "Let X be a space of points (objects) with generic elements in ξ denoted by x. A single valued neutrosophic set A (SVNS) is

characterized by truth-membership function $T_A(x)$,an Indeterminacy-membership function $I_A(x)$, and a falsity-membership function $F_A(x)$. For each point x in ξ, $T_A(x)$, $I_A(x)$, $F_A(x) \in [0, 1]$. A SVNS 'A' can be written as:- $A = \{< x: T_A(x), I_A(x), F_A(x)>, x \in \xi\}$."

(e) Interval valued neutrosophic sets -"Let ξ be a space of points (objects) with generic elements in X denoted by x. An interval valued neutrosophic set A (IVNS A) is characterized by an interval truth-membership function $T_A(x) = [T_A^L, T_A^U]$, an interval indeterminacy-membership function $I_A(x) = [I_A^L, I_A^U]$, and an interval falsity-membership function $F_A(x) = [F_A^L, F_A^U]$. For each point $x \in$, $T_A(x)$, $I_A(x)$, $F_A(x) \in [0, 1]$. An IVNS A can be written as :- $A = \{< x: T_A(x), I_A(x) , F_A(x)>, x \in \xi\}$."

Example - Assume that $X = \{ x_1, x_2, x_3 \}$, where x_1 is capability, x_2 is trustworthiness x_3 is price. The values x_1, x_2, x_3 are in the interval [0,1]. They are obtained from questionnaire of some domain experts and the result can be obtained as the degree of good, degree of indeterminacy and the degree of poor.Then an interval neutrosophic set be written as:-

$A = \{< x_1, [0.5,0.3],[0.1,0.6],[0.4,0.2]>$, $<x_2, [0.3,0.2],[0.4,0.3],[0.4,0.5]>$ $<x_3,[0.6,0.3],[0.4,0.1],[0.5,0.4]> \}$

(f) Bio-polar neutrosophic set - A bipolar neutron -sophic set A in ξ is defined as an object of the form:-

$A = \{<x, T^p(x), I^p(x), F^p(x), T^n(x), I^n(x), F^n(x)>, x \in \xi\}$

Here T^p, I^p, F^p are functions from ξ to [1,0] and T^n, I^n, F^n are functions from ξ to [-1,0]. Here positive membership degree functions $T^p(x), I^p(x), F^p(x), T^n(x)$ denotes the truth membership, indeterminate membership and false membership of an element $x \in \xi$ corresponding to a bipolar neutrosophic set A and the negative membership degree functions $T^n(x), I^n(x), F^n(x)$) denotes the truth membership, indeterminate membership and false membership of an element $x \in \xi$. This isfor some implicit counter property corresponding to a bipolar neutrosophic set A."

(g) Neutrosophic hesitant fuzzy set(Ye in 2014)- " Let ξbe a non-empty fixed set, a neutrosophic hesitant fuzzy set (NHFS) on X is expressed by:-

$N = \{<x, \widehat{t(x)}, \widehat{\iota(x)}, \widehat{f(x)}>/x \in \xi\}$, where $\tilde{t}(x) = \{\hat{\gamma} | \hat{\gamma} \in \tilde{t}(x)\}$, $\tilde{\iota}(x) = \{\hat{\delta} / \hat{\delta} \in \widehat{\iota(x)}\} \& \widehat{f(x)} = \{\hat{v} / \hat{v} \in \widehat{f(x)}\}$

are three sets with some values in interval [0,1], which represents the possible truth- membership hesitant degrees ,indeterminacy-membership hesitant degrees, and falsity-membership hesitant degrees of the element $x \in \xi$ to the set N.Then:- $\hat{n} = \{\widehat{t(x)}, \widehat{\iota(x)}, \widehat{f(x)}\}$, is called a neutrosophic hesitant fuzzy element (NHFE) which is the basic unit of the neutrosophic hesitant fuzzy set (NHFS) and is denoted by the symbol $\hat{n} = \{\hat{t} , \hat{\iota} , \hat{f}\}$. "

(h) Interval neutrosophic hesitant fuzzy set (Ye in 2016) - " Let ξ be a fixed set, an interval neutrosophic hesitant fuzzy set (INHFS) on ξ is defined as:- $N = \{<x, \widehat{t(x)}, \widehat{\iota(x)}, \widehat{f(x)}> / x \in \xi \}$, where $\tilde{t}(x) = \{\hat{\gamma} | \hat{\gamma} \in \tilde{t}(x)\}$, $\tilde{\iota}(x) = \{\hat{\delta} / \hat{\delta} \in \widehat{\iota(x)}\} \& \widehat{f(x)} = \{\hat{v} / \hat{v} \in \widehat{f(x)}\}$ are sets of some interval values in [0,1], representing the possible truth membership hesitant degrees , indeterminacy-membership hesitant degrees, and falsity-membership hesitant degrees of the element $x \in \xi$ to the set N, respectively."

(i) Multi- valued neutrosophicset(Wang , Pang & Li in 2015) - " Let X be a space of points (objects) with generic elements in X denoted by x, then multi-valued neutrosophic sets A in X is characterized by a truth-membership function $\widetilde{T_A}(x)$, an indeterminacy membership function $\widetilde{I_A}(x)$ and the falsity membership function$\widetilde{F_A}(x)$. Multivalued neutrosophic sets can be written as:-

$A = \{ <x, \widetilde{T_A}(x), \widetilde{I_A}(x), \widetilde{F_A}(x)>/ x \in X\}$, where $\widetilde{T_A}(x)$, $\widetilde{I_A}(x)$,$\widetilde{F_A}(x)$ belongs to the closed interval [0,1]."

(j) Neutrosophic underset, overset & offset (Smarandache 2016) - "In the **Neutrosophic Underset** we take ξ as the universe of discourse and the neutrosophic set $A \subset \xi$. Let $T_A(x)$, $I_A(x)$, $F_A(x)$ be the functions which describes the degree of membership, degree of indeterminacy & the degree of non-membership respectively of a generic element $x \in \xi$, with respect to the neutrosophic set A.A neutrosophic underset (NU)A on the universe ξ of discourse is defined as:- $A = \{(x, T_A(x), I_A(x), F_A(x))/ x \in \xi$ and $T(x), I(x), F(x)) \in [\psi, 1]\}$

where T(x),I(x),F(x) are functions from ξ to $[\psi,1]$ and $\psi<0<1$and ψ is called the lower limit."

"In the **Neutrosophic overset** we take ξ as the universe of discourse and the neutrosophic set $A \subset \xi$. Let $T_A(x)$, $I_A(x)$, $F_A(x)$ be the functions which describes the degree of membership , degree of indeterminacy & the degree of non-membership respectively of a generic element $x \in \xi$, with respect to the neutrosophic set A.

A neutrosophic overset (NOU) A on the universe ξ of discourse is defined as:-

$A = \{(x, T_A(x), I_A(x), F_A(x))/x \in \xi$ and$T(x), I(x), F(x)) \in [0, \Omega]\}$

where T(x),I(x),F(x) are functions from ξ to $[0,\Omega]$ and $0 < 1 < \Omega$and Ω is called the over limit."

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

"In the **Neutrosophic offset** we take ξ as the universe of discourse and the neutrosophic set $A \subset \xi$. Let $T_A(x)$, $I_A(x)$, $F_A(x)$ be the functions which describes the degree of membership, degree of indeterminacy & the degree of non-membership respectively of a generic element $x \in \xi$, with respect to the neutrosophic set A. A neutrosophic offset (NOFFs)A on the universe ξ of discourse is defined as:- $A = \{(x, T_A(x), I_A(x), F_A(x)) / x \in \xi$ and $T(x), I(x), F(x)) \in [\Psi, \Omega]\}$ where $T(x)$, $I(x)$, $F(x)$ are functions from ξ to $[\Psi, \Omega]$ and $\Psi < 0 < 1 < \Omega$ and Ψ is called underlimit while Ω is called overlimit. Then there exist some elements in A such that at least one neutrosophic component > 1, and at least another neutrosophic component< 0."

(iv) Uses/ Applications of Neutrosophy in various branches of Mathematics - Principles of Neutrosophy and neutrosophic sets and systems and changed the discourse of almost all branches of Mathematics. To name some of them we have:-

(i) Neutrosophic Statistics and Probability theory
(ii) Neutrosophic topological spaces
(iii) Neutrosophic information theory and decision making
(iv) Neutrosophic crisp set theory
(v) Neutrosophic operations research
(vi) Neutrosophic measure theory
(vii) Neutrosophic theory of general relativity
(viii) Algebraic structures of Neutrosophic duplets, triplets and multisets
(ix) Neutrosophic graph theory
(x) Neutrosophic image processing
(xi) Neutrosophic sociology
(xii) Neutrosophic pre-calculus and Neutrosophic calculus

(v) Future prospects in Neutrosophic sets and systems - Neutrosophy and Neutrosophic sets and systems is of very recent origin and has historical background of only of 3 to 4 decades.Some of advances are of last 5 years. In almost in time span of 3 to6 months we see new developments and applications in more branches of mathematics. Thus future of Neutrosophy is bright and has a great scope of research and wide applications.

References:-

1. Neutrosophic Sets: An Overview- Said Broumi, AssiaBakali, Mohamed Talea, Florentin Smarandache, VakkasUluçay , Mehmet Sahin, Arindam Dey, Mamouni Dhar, Rui-Pu Tan, Ayoub Bahnasse , SurapatiPramanik.
2. New trends in Neutrosophic theory – Florentin Smarandache, Surapati Pramanik (Editors)- volume II of book series of Neutrosophic Science International Association.
3. Neutrosophy, A New Branch of Philosophy- Florentin Smarandachein 2002 , a staff publications of the University of New Mexico, USA.
4. Neutrosophic sets and topological spaces - A.A.Salama, S.A.Alblowi Egypt, Port Said University, Faculty of Sciences Department of Mathematics and Computer Science & Department of Mathematics, King Abdul aziz University, Saudi Arabia. (IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM) ISSN: 2278-5728. Volume 3, Issue 4 (Sep-Oct. 2012), PP 31-35 www.iosrjou rnals.org)
5. Encyclopedia of Neutrosophic researchers - Florentin Smarandache (editor and founder) 2nd Volume 2018.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Self Finance Courses : An New Implimation in Quality Higher Education

Dr. Roshni Siddiqui *

*Guest faculty (Commerce) Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - Education is the most important need of every person of the world. Traditional subjects education is not sufficient for the knowledge and getting jobs. So the new and well developed educational subject are the necessity of modern life.

With developing knowledge and education new courses have been included in educational pattern. The government cannot expenses huge amount on educational need. So the outsourcing for conducting new subject is being needed. The government organized different committees to consider modern courses in April 1992 after report of learned member of committee government aspect the plan for self financing courses according to the need of time. Now Central Government and State government make provision allowed to start self financing courses by the government and non government institution.

The expenditure of self courses is beard by the student who take admission in the courses. It is seen that the students and their present are taking much interest to achieve knowledge of self financing courses by paying fees and other charges because they feel that the knowledge of these courses is very useful for their career and infact they are getting more jobs through the knowledge of these courses.

Introduction - Self financing courses are the courses for which government or UGC do not provide financial aid, students. The have to bear the cost of study and mostly working student do this course and meet the expenses of study themselves. Self financing courses cost is more that the regular courses but the curriculum remain the same.

In 1989-99 University of Mysore introduced the full and partial Self financing Scheme. Under this scheme, some courses like M-tech, Computer Science are fully financed by the students.

Now about all Universities either they are Central, State or private started different courses under self financing system. There are 29 courses which are enrolled in self financing courses 2002-03 it increase upto 362 courses. This figure shows the popularity of courses conducting under self financing system.

Research Methodology - There are secondary sources adopted for collection of data from different sources published in Reports, Journals and other Newspaper. Other system of statistic like classification, tabulation, analysis and interpretation are also adopted.

Hypothesis :

1. For better education beside the government institutions self financing course conducted by private institutions are also important.
2. The Sources of government are sufficient to provide modern requirement of subjects.
3. Employment based education is the requirement of the society and this cannot be operated only by government.
4. Vocational education cannot be provided without self financing system.
5. The government plans are not sufficient for education according to need and fulfill the economic expectation.

Objectives - The research work is based on some object which are:

1. To know the concept and meaning of self financing course under higher education.
2. To know the subject and their Operating system conduct by self financing system.
3. To Know the characteristic, scope and importance of self financing system.
4. To Know the problem of self financing system.
5. To suggest the major to improve self financing system in higher education.

Subject Analysis - Education is an important factor for human beings it is need for mental development and power of consideration. It is two important it is said life is education and education is life.

Higher education is very important for young mind development. For higher education provide the way of living

in better system were the higher education is in well developed level that country developed in better way that countries. Our countries is also try to improve better higher education by different ways.

In this connection Self finance courses provides modern courses which are very useful in modern life. In Mysore first time adopted self financing courses and now it is spread in all Universities in India. Due to the lack of Govt. Financial aids self financing system promoted to provide new courses.

With the country our Madhya Pradesh is also stepped towards self financing courses in higher level education. Most of the private colleges are developing due to these courses because government facilities are not sufficient to provide need for new courses.

The Utility of this courses is all over educational environment. In Awadhesh Pratap Singh University, Rewa in also in increasing order to provide education for different modern subject under self financing system. There is now financial burden for the government or UGC but all fees and financial need fulfilled by students. There are courses conducted under a self supporting programme Committee where the vice chancellor is te Chairman, Director SSP the Registrar finance Controller, Professor, in- charge are the member of the Committee Director and Deputy Director or Member/Secretary.

In Awadhesh Pratap Singh University, Rewa there are 49 courses are conducted under A.P.S. University. Basically private Colleges are interested to conduct the different courses. Now it is in the top position in the higher education and student after passing these courses joined in different institution and getting employment.

Problem Of Self Financing Courses:

1. Learned Professor and Specialized teacher are not sufficient to provided better courses.
2. The teachers and appointed by the self financing committed of related University and Colleges. This also fault of better education.
3. Remuneration of teachers is not sufficient and it is also different of college and Universities.
4. This effects Negative filling in teachers.
5. The service of teacher is not secured in self financing system. So learned teachers do not attract to teach these courses.
6. The fee prescribed to pay by student is very high the poor student inspite of talent they can not take admission in these courses.
7. The colleges conducting these course are in few number of library furniture, Laboratory, Playground and other equipment are not sufficient.
8. Sufficient books are not available in library or book stalls.
9. There are no Hostel facilities to reside out sided student. Mainly for girls students.
10. In Research subject these courses are not included and this is the barriers in proceeding further.

Suggestion :

1. Government should take interest to provide courses and self financing system.
2. Recruitment of teacher should be made as proper system.
3. Remuneration should be sufficient which can fulfill the needs of teacher and help to feel them confidence.
4. Society so also interference to improve educational system specially by self finance courses.
5. Education facilities like book, Journals, Learning system furniture, Laboratories and Playground should also be provided.
6. The courses should be modified time to time in accordance. The demand of age in change educational scenario.

Conclusion - Self financing are very important for modern education and increasing knowledge and also providing employment to the student there is a number of students who take admission in self financing system. Being expensive this shows the popularity and importance of self financing system. The future of these courses is very bright. Due to the need of government interest and civilized society.

References:-

1. Johri B.P. Pathak P.D. Development of educational system in India Agrawal Publication, Agra, 2011.
2. Shukla S.P., Educational administration organization and health, Vinod Pustak Mandir Agra, 2011.
3. Mangal M.K. Education In India Society, Agrawal Publication Sanjay Palace, Agra, 2011.
4. University New Journal of Higher education, 2014.
5. A profile Awadhesh Pratap Singh University, Rewa 2012-13.
6. Awadhesh Pratap Singh University, Progress Report 2014-16.
7. Ordiance Self Supporting programmes, A.P.S. University, Rewa 2008.

Magazines:

1. India Today
2. Pratiyogita Darpan
3. Yojana
4. University News

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

प्राचीन भारत में विज्ञान : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

डॉ. अंजू श्रीवास्तव *

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है जिसका तात्पर्य है तत्त्व और ज्ञान की खोज, यह कभी भी समाप्त न होने वाला मार्ग है क्योंकि जितना अधिक हम जान पाते हैं, उससे कहीं अधिक जानने को शेष रहता है। विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अङ्ग बन गया है। इसके अभाव में हम प्राय: पंगु हैं। जन-जन में विज्ञान का प्रसार हमारी नागरिकता का महान् उत्तरदायित्व है।

आधुनिक विज्ञान समस्त विश्व का उपादान कारण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन नामक तीन प्रकार के तत्त्वों को मानता है। इसकी परिभाषा है कि प्रोटॉन तत्त्व आकर्षण शक्ति का पुंज है जबकि इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन अपकर्षण-स्वरूप है। पहला अपनी ओर दूसरे को आकृष्ट करता है किन्तु दूसरा अपने को अपकर्षण में प्रवृत्त रखता है, इनको इसीलिए यथाक्रम धानावेशित और ऋणावेशित कहा जाता है। तीसरे तत्त्व न्यूट्रॉन में ये दोनों लक्षण नहीं होते। समस्त विश्व के मूल में ये ही पदार्थ हैं, इन्हीं से सब जगत् बना है। भारतीय दर्शन ने मूलतत्त्व-सत्, रजस्, तमस् माने हैं। समस्त जड़-जगत इन्हीं तत्त्वों से परिणाम होकर बना है। परिव्राजक कपिल ने इनका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि सत् प्रीतिरूप है; प्रीति का अर्थ है दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करना। इसके विपरीत रजस् अप्रीतिरूप है, दूर हटने की प्रवृत्ति रखता है। तीसरा तमस् विषादरूप है, अर्थात् न प्रीतिरूप और न अप्रीतिरूप। मूलतत्त्व के विषय में ये दोनों (आधुनिक विज्ञान और भारतीय दर्शन) कितनी अधिक समान परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं, यह धयान देने योग्य है। यह स्थिति मूलतत्त्व-विषयक जानकारी की सच्चाई को प्रकट करती है।

जिस प्रकार तीनों तत्त्वों (प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अथवा सत्, रजस्, तमस्) में उपस्थित विभिन्न संख्या अथवामात्रा में मिश्रण, से पदार्थ बनता है उसी प्रकार इनके न्यूनाधिक गुणों के सम्मिश्रण से युग का निर्माण होता है। महाकवि तुलसीदास ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग आदि चार युग, सत्, रजस्, तमस् आदि तत्त्वों के न्यूनाधिक मिश्रण से निर्माण होना स्वीकारा है। प्रस्तुत है 'रामचरितमानस' में सन्तकवि द्वारा वर्णित विचार :

सुद्ध सत्त्व समता बिग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।।
तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव विरोधा चहुँ ओरा।।

मानस, 7, 103 (1-3)

'अणु' की व्याख्या आदिकाल में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ऋषि कणाद् ने की थी। ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में इस भारतीय आचार्य ने यह कल्पना की थी कि पदार्थ सूक्ष्मकणों से बने हैं जो और अधिक विभाजित नहीं हो सकते, उन्हें 'परमाणु' अर्थात् सूक्ष्म-अणु कहा गया। अत: किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम और रासायनिक रूप में अविभाज्य कण, जिनसे अणु बनते हैं, परमाणु कहलाते हैं। कणाद् ऋषि ने द्वयणुकों तथा त्र्यणुकों की भी कल्पना की थी जो दो या तीन परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। ईसा से पूर्व पांचवीं तथा चौथी शताब्दी में यूनान के आचार्यों एवं उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर डाल्टन ने भी ऐसे ही विचार व्यक्ति किये थे। कणाद् ऋषि का विचार था कि परमाणु अविनाशी हैं और इनका विखण्डन नहीं हो सकता। किन्तु आज कण अर्थात् अणु को भी कई परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है जिसका सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग लव कहलाता है।

विज्ञान की अनुसार जब एक तत्त्व किसी दूसरे तत्त्व में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में उत्परिवर्तन कहते हैं। सामान्यत: किसी पदार्थ के असंख्य परमाणु अपने स्वाभाविक गुणों द्वारा अणुओं के छोटे-छोटे समूह बनाते रहते हैं और किसी विशिष्ट तत्त्व के प्रत्येक अणु में एक ही प्रकार के कई परमाणु होते हैं, किन्तु यौगिक या मिश्रित तत्त्वों में दो या अधिक प्रकार के भी परमाणु होते हैं। जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें मौलिक पदार्थ अथवा रासायनिक तत्त्व कहते हैं, किन्तु इसके विपरीत जिन पदार्थों के अणु दो या अधिक तत्त्वों के परमाणुओं के योग से बनते हैं उन्हें 'यौगिक पदार्थ' कहते हैं।

पदार्थों की संरचना एवं लाक्षणिक गुणों के कारण होने वाले परिवर्तनों, विश्लेषण तथा संश्लेषण के अध्ययन से सम्बन्धित विषय को रसायन विज्ञान कहते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के हैं-भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है किन्तु कुछ समय के पश्चात् वह अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। उदाहरणार्थ लोहे को चुम्बक पर रगड़ने से चुम्बक बन जाता है और भौतिक परिवर्तन के कारण फिर लोहा बना रहता है। पानी अपने हिमांक पर बर्प हो जाता है किन्तु पिघलने पर फिर पानी का रूप ग्रहण कर लेता है।

हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। यथा-दूधा खट्टा हो जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है, गन्ने का रस पड़ा रहने पर सिरका बन जाता है, इत्यादि। इन सब क्रियाओं में पदार्थ का स्वभाव बदल कर नये गुण वाले नये पदार्थ बनते हैं। ये परिवर्तन स्थायी हैं और इन्हें सरलता से उलटा नहीं जा सकता। ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। विज्ञान की यह शाखा, जिसके अन्तर्गत हम रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। विभिन्न पदार्थों की रचना और इसके गुणों का अध्ययन भी इसी में सम्मिलित है।

रसायन शास्त्र के नियमों के अनुसार पदार्थ के तत्त्वों में किसी भी

परिवर्तन को जिसके द्वारा ठोस पदार्थ को द्रव अथवा द्रव पदार्थ को गैस में बदल दिया जाता है और इस परिवर्तन में उस तत्त्व के अणु अपने मौलिक स्वरूप में उसी प्रकार बने रहते हैं, विज्ञान में इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ के बाह्य स्वरूप, रङ्ग-रूप तथा गुण आदि बदल जाते हैं, किन्तु पदार्थ का आन्तरिक स्वरूप अथवा मौलिक अस्तित्त्व उसी प्रकार बना रहता है। उदाहरणार्थ-बर्फ, जल और वाष्प के परस्पर परिवर्तन को 'भौतिक परिवर्तन' कहा जाएगा क्योंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणुओं का अस्तित्त्व उसी प्रकार बना रहता है जो फिर घूमकर अपने मौलिक स्वरूप में वापस आ जाते हैं। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ के अणुओं का विखण्डन होकर एक तत्त्व किसी दूसरे तत्त्व में परिवर्तित हो जाता है (जैसे-जल के अणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं।) और उसे सरलता से पुन: परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो विज्ञान में उस क्रिया को 'रासायनिक परिवर्तन' कहते हैं। यह एक स्थायी परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का आन्तरिक स्वरूप एक दूसरे तत्त्व में परिवर्तित होकर एक सर्वथा नई वस्तु का रूप ग्रहण कर लेता है।

अत: रसायन शास्त्र का सम्बन्ध केवल उन परिवर्तनों से है जब पदार्थ की आणविक संरचना बदलने पर जटिल होती है। वैदिक काल से ही भारत में रसायन शास्त्र एक साहित्यिक निधि रहा है जो अथर्ववेद के नाम से प्रख्यात है। प्राचीन हिन्दू साहित्य में निथारना, घोल बनाना, रवे तैयार करना, आसवन तथा उधर्वपातन के विषय में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। महर्षि कणाद ने अपने ग्रन्थ 'वैशेषिकदर्शनम्' में पदार्थों (द्रव्यों) का विभाग इस प्रकार किया है-

पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि।। 1.1.5

अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, जीवात्मा, परमात्मा और मन ये द्रव्य हैं। महर्षि कणाद् कहते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छ: पदार्थों के परस्पर साधार्म्य और वैधार्म्य की जानकारी के साथ धर्म विशेष से उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

किसी पदार्थ में कितने गुण होते हैं, इसका सङ्कलन किसी विद्वान् ने निम्न श्लोक में किया है-

वायोर्नवैकादश तेजसो गुणा:, जलक्षितिप्राणभूतां चतुर्दश।
दिक्कालयो: पंच षडेव चाम्बरे, महेश्वरेऽष्टौ मनसस्तथैव च।।

अर्थात् वायु के नौ, तेज (अग्नि) के ग्यारह, जल, पृथ्वी और जीवात्मा प्रत्येक के चौदह-चौदह, दिशा और काल के पाँच, आकाश के छ:, परमात्मा के आठ और मन के आठ गुण माने गये हैं। इसे सरलता से समझने के लिए गुणों का क्रम इस प्रकार सामने रखना चाहिए-

गन्धा, रस, रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्त्व (सांसिद्धिक, नैमित्तिक), गुरुत्त्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार (भावना, वेग, स्थितिस्थापक), शब्द।

वायु के 9 गुण-स्पर्श से अपरत्व (समीप होना) तक आठ और नौवां 'वेग' नामक संस्कार।

तेज के 11 गुण-रूप से द्रवत्व (नैमित्तिक) तक दस, और ग्यारहवाँ वेग नामक संस्कार।

जल, 14-रस से स्नेह तक तेरह और चौदहवां (वेग स्थित-स्थापक नामक) संस्कार।

पृथ्वी, 14-गन्धा से गुरुत्त्व तक तेरह और चौदहवां संस्कार (वेग, स्थितिस्थापक दोनों)।

मधयगत द्रवत्व नैमित्तिक है।

जीवात्मा, 14-संख्या से विभाग तक पांच, बुद्धि से संस्कार (भावना नामक) तक नौ।

दिशा, 5-संख्या से विभाग तक।

काल, 5-संख्या से विभाग तक।

आकाश, 6-संख्या से विभाग तक पांच, छठा शब्द।

परमात्मा, 8-संख्या से विभाग तक पांच; बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न-ये तीन।

मन, 8-संख्या से अपरत्त्व तक सात, आठवां संस्कार (वेग नामक)।

कौन-सा गुण किन पदार्थों (द्रव्यों) में रहता है, गुणों के क्रम से यह इस प्रकार हैं-

गन्धा-केवल पृथ्वी में।
रस-पृथ्वी और जल में।
रूप-पृथ्वी, जल और तेज (अग्नि) में।
स्पर्श-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में।
संख्या से विभाग तक-सब पदार्थों में।
परत्व, अपरत्त्व-विभु द्रव्यों को छोड़कर शेष सब में।
द्रवत्त्व-जल में (सांसिद्धिक), पृथ्वी, तेज में (नैमित्तिक)।
गुरुत्त्व-पृथ्वी, जल में।
स्नेह-केवल जल में।
बुद्धि से संस्कार (भावना तक)-जीवात्मा में।
बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न-जीवात्मा, परमात्मा दोनों में।
वेग संस्कार-विभु द्रव्यों को छोड़कर शेष सब में।
स्थितिस्थापक-केवल पृथ्वी में।
शब्द-आकाश में।

इसका पूर्ण विश्लेषण वैशेषिकदर्शनम् 1.1.6 में धयातव्य है।

पुरातन काल में रसायन विज्ञान को 'कीमिया' कहते थे। उस समय धयेय केवल पारस पत्थर बनाना, सर्व विलायक तैयार करना तथा अमृत की खोज करना था। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अयस्कों से धातुओं को निकालने, औषधिा तथा रङ्ग बनाने एवं किण्वन की विधियां जानते थे। महरौली (दिल्ली) में कुतुबमीनार के पास जो अशोक का लौह-स्तम्भ है, वह धातु विज्ञान में उनकी कुशलता का प्रमाण है। आर्यों का सोमरस तथा द्रविड़ों की ताड़ी निश्चय ही किण्वित द्रव्य थे। द्रव्य सूक्ष्म व अपरिवर्तनशील कणों अर्थात् परमाणुओं से बना है। यही हमारा आधुनिक सिद्धान्त है। सुश्रुत, चरक, वाग्भट्ट आदि के लेखों से उस युग में आयुर्वेद के सम्बन्ध में हमारी कुशलता का परिचय मिलता है। प्रसिद्ध भारतीय रसायनज्ञ नागार्जुन (100 ई.पू.) ने पारे से अनेक उपयोगी औषधियाँ तैयार कीं जिनका वर्णन उन्होंने अपने ग्रन्थ 'रस रत्नाकर' में किया।

प्राचीन काल से ही भारत रङ्गों के निर्माण तथा रङ्गाई के लिए प्रसिद्ध रहा है। मोहनजोदड़ो में मंजीठ से रङ्गे हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। अजन्ता की गुफाओं की चित्रकारी अपने विविधा रङ्गों के लिए प्रसिद्ध है। मुगलकाल में मेहँदी आदि कई रङ्गों का प्रयोग आरम्भ हुआ। नील, मंजीठ आदि के कुछ भारतीय रङ्गों की सम्पूर्ण विश्व में ख्याति थी। अट्ठारहवीं शताब्दी में रङ्गों के निर्माण के लिए दर्जनों वरस्पतियों का उपयोग होता था, जैसे-खैर, रीठा, सेमल, ढाक, अमलताश, हल्दी, मंजीठ, मेहंदी, नील आदि।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

लाख का भी पर्याप्त उपयोग होता था। कुछ खनिजों से भी रङ्ग तैयार किये जाते थे। इन वस्तुओं से रङ्ग तैयार करने की विधियाँ परम्परागत थीं, श्रमसाधय थीं। नील के पौधों के पत्तों से रङ्ग तैयार करने की विधि काफी जटिल थी। अलग-अलग रङ्गों के लिए अलग-अलग रङ्ग-स्थापकों का प्रयोग होता था। सूती, रेशमी, ऊनी और छींट के वस्त्रों की रङ्गाई की तकनीक काफी उन्नत थी। यूरोप में पहली बार 1856 ई. में कोलतार से कृत्रिम रङ्ग बनाया गया। यूरोप के सौदाकर इन कृत्रिम रङ्गों को भारत में लाए और इनका प्रचार किया। तब से भारतीय रङ्गों का आकर्षण घटता गया और भारतीय रङ्गों के उद्योग नष्ट हो गये।

प्राचीन भारत में धातुकर्म अत्यधिक उन्नत अवस्था में था। मोहनजोदड़ो से मिली 'नर्तकी बाला' की साढ़े दस से.मी. ऊँची कांस्यमूर्ति 'मधुच्छिष्ट विधि' (मोम के साँचे में पिघली धातु डालकर मूर्ति बनाने की विधि) में ढाली गई है। मौर्यकाल में धातुकर्म का और अधिक विकास हुआ। वास्तव में, मगध में भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना लौहकर्म के बल पर ही हुई थी। भारतीय धातुकर्मकार उत्तम किस्म का इस्पात तैयार करते थे। गुप्तकालीन धातुकर्म की श्रेष्ठता के कई प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। 1864 ई. में एक अंग्रेजख़ को सुलतानगंज में साढ़े सात पु ट ऊंची लगभग एक टन भार की एक बुद्ध प्रतिमा मिली थी। कुतुबमीनार के पास लगभग 1600 वर्ष प्राचीन अद्भुत लौह-स्तम्भ की जानकारी सभी को है किन्तु आश्चर्य कि इसकी लम्बाई तथा रासायनिक मिश्रण से आज भी वैज्ञानिक अनभिज्ञ हैं। इस पर तत्कालीन ब्राह्मी लिपि में छ: पंक्तियों पंक्तियों का एक लेख भी खुदा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही रासायनिक पदार्थों, रङ्गों तथा धातुओं आदि का उपयोग होता रहा है और इनका वर्णन वेदों में बहुतायत से किया गया है। स्वर्ण, रजत, ताम्र तथा लौह का उपयोग औषधियों में प्रचुर मात्रा में किया जाता था। लौह को 'कृष्णायस' अथवा कृष्ण धातु, ताम्र को 'लोहितायस' अथवा लाल धातु, स्वर्ण को हरित अथवा पीली धातु तथा चाँदी को रजत अथवा श्वेत धातु नाम से पुकारा जाता था। इन धातुओं के अनेक प्रसंग यजुर्वेद (18, 13), अथर्ववेद (11, 3, 7) तथा अथर्ववेद (5, 28, 1) आदि स्थलों पर द्रष्टव्य हैं:

नव प्राणान्नवभि: सं मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय।
हरिते त्रीणि रजते त्रीणि अयसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि।।
अथर्ववेद, 5, 28, 1

इतना ही नहीं, धातुकर्म के क्षेत्र में वैदिक कालीन वैज्ञानिकों को इन्हें शुद्ध करने की विधि भी ज्ञात थी। उदाहरणार्थ, स्वर्ण को सुहागे से, चाँदी को स्वर्ण से, टिन को चाँदी से, सीसे को टिन से, लौह को सीसे से तथा लकड़ी को लौह अथवा चर्म से शोधित किया जाता था :

तद्यथा लवणेन सुवर्ण सं दधयात् सुवर्णेन।
रजतं रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसं सीसेन लोहं लोहेन दारु चर्मणा।।
छान्दोग्योपनिषद्, 4/17/7

धातुओं को चूर्ण बनाने की विधि हमारे ऋषि वैज्ञानिक जानते थे। इस विधि के अन्तर्गत रक्त तप्त धातु को मट्ठा, काँजी, तिल के बीज तथा गोमूत्र आदि में बुझाया जाता है। तत्पश्चात् वास्तविक धातु का रूप समाप्त होकर चूर्ण रूप में बदल जाता है, इस उत्पाद को भस्म कहते हैं। इस भस्म के भौतिक परीक्षण के साथ-साथ वर्ण-परीक्षण भी किये जाते थे जिनके परिणाम इस प्रकार पुष्ट होते थे :

स्वर्ण-चम्पक पुष्प के समान
रजत-कृष्ण
ताम्र-कृष्ण
काँसा-मेंढक जैसा हल्का नीला रङ्ग
सीसा-कबूतर जैसा रङ्ग
टिन-सफद
लोहा-जामुनी

वैदिक काल के प्राचीनतम ग्रन्थ अथर्ववेद में रसायन सम्बन्धी विवरण उपलब्ध है। इस साहित्य में छानना, निथारना, घोल बनाना, क्रिस्टल बनाना, आसवन तथा ऊधर्वपातन आदि अनेक विधियों का विस्तृत विवरण पढ़ने को मिलता है। आधुनिक विज्ञान ने इन तकनीकों का विकास सत्तरहवीं शताब्दी के पश्चात् किया है। धातुओं में सर्वप्रथम खोज आर्सेनिक की 1250 ई. में एलबर्तुस मैगनस ने की थी और तदुपरान्त 1669 ई. में हैनिग ब्राण्ड ने फास्फोरस को खोज निकाला, शेष अधिकतर रासायनिक तत्त्व अट्ठारहवीं शताब्दी के पश्चात् ही खोजे गये। कैसी विडम्बना है कि आज आभासित होता है, जैसे सभी तत्त्वों की खोज पाश्चात्य विद्वानों ने ही की है, भारतीय प्राचीन वैज्ञानिकों का नाम तक मिटा दिया गया। यदि आधुनिक वैज्ञानिक यूरोपीय विज्ञान को अधिक समृद्धिशाली मानते हैं तो गन्धक, लोहा, चाँदी, टिन, एण्टीमनी, स्वर्ण, पारद तथा सीसा के खोजकर्त्ताओं के नाम बताएँ। यह तथ्य है कि इस विषय पर आज का विज्ञान मूक है, क्योंकि इनकी खोज भारत में हुई थी। बौद्ध सिद्ध नागार्जुन अपने रसायन विज्ञान के द्वारा पारद से सोना बनाने की कला में सिद्धहस्त थे। ये कई प्रकार से स्वर्ण बना सकते थे। नागार्जुन द्वारा लिखित 'रत्नाकर' नामक ग्रन्थ में ये उल्लेख प्राप्त हैं। इसी प्रकार लौह-शास्त्र की रचना भी इन्हीं के द्वारा हुई।

प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विकसित था कि उपर्युक्त धातुओं के गुण-अवगुणों के पूर्ण विश्लेषण तत्कालीन महर्षियों ने पहले ही बता दिये थे। उदाहरणार्थ, स्वर्ण धातु को आयुवर्धाक, स्वास्थ्यवर्धाक, शक्तिदायक, स्पू र्तिदायक कहा गया है। अथर्ववेद की निम्नांकित पंक्तियाँ ध्यातव्य हैं :

आयुषेत्वा वर्चसे त्वौजसे च बलाय च।
यथा हिरण्यतेजसा विभासासि जनाँ अनु।।
अथर्ववेद, 19, 26, 3

इस धातु से वरुण, बृहस्पति, वृत्र-संहारक इन्द्र आदि सभी भिज्ञ थे। प्रस्तुत है अथर्ववेद का एक अन्य उदाहरण :

यद् वेद राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पति:।
इन्द्रो यद् वृत्रहा वेद तत् ते आयुष्यं भुवत।
तत् ते वर्चस्यं भुवत्।।
अथर्ववेद 19, 26, 4

प्राचीन भारत में मकरध्वज-निर्माण एक ऐसी कला थी जो आज भी लोकप्रिय एवं लाभप्रद है। इसकी निर्माण-विधि में स्वर्ण का एक भाग जब पारे के आठ भाग से मिश्रित किया गया तो एक समरूप लेप तैयार हो गया। इसमें सोलह भाग गन्धक मिलाकर चूना के साथ खरल किया गया तो फलस्वरूप एक काला पदार्थ तैयार हो गया। गर्म करने पर गन्धक हवा में उड़ गया और शेष मर्करी सल्फाइड बच गया जो ऊधर्वपातन के पश्चात् गहरे लाल रङ्ग का पदार्थ मकरधवज बना।

स्वर्ण के अतिरिक्त भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में चाँदी की भी बहुत उपयोगिता बताई गई है। 'रसेन्द्र चिन्तामणि' ग्रन्थ में लिखा है कि यदि चाँदी को समान भार गन्धक के साथ भस्म किया जाता है तो वह सौ गुणा

इष्ट फलोत्पादक हो जाती है। शुद्ध गन्धक के दो भाग और चाँदी का एक भाग लेकर यदि भस्म तैयार की जाए तो यह कुष्ठ रोग में गुणकारी है। चाँदी से तीन गुनी गन्धक के चार भाग के साथ भस्म बनाया जाए तो यह उत्पादक सफेद बाल एवं झुर्रियाँ दूर करने में लाभप्रद है। चाँदी से पाँच गुना गन्धक के साथ बनी भस्म कमजोरी, क्षीणता, क्षयता आदि को समाप्त करती हैं। चाँदी के भार में छः गुना गन्धक लेकर भस्म बनाने और प्रयोग करने पर यह सभी प्रकार के रोगों को समूल नष्ट करती है।

धातुकर्म के विषय में अधिकतर कार्य वाग्भट्ट ने किया जिसका वर्णन 'रसेन्द्र सार-संग्रह' नामक पुस्तक में पूर्णरूपेण है। प्राचीन काल में पारद विषयक एक पृथक विज्ञान का विकास हुआ। वराहमिहिर (587 ई.) ने पारद एवं लौह को स्वास्थ्यवर्धक तथा शक्तिप्रद कहा है। उस काल में धातुओं के विश्लेषण ज्वाला-परीक्षण द्वारा किये जाते थे। सुश्रुत साहित्य में कास्टिक-क्षार, आर्सेनिक ऑक्साइड आदि का भी वर्णन मिलता है। कज्जलि (Sulphide of Mercury), ताम्र भस्म, लौह भस्म, धातुओं को रङ्गयुक्त करना, कैलामाइन से जस्ता (जिंक) निष्कर्षण आदि का पूर्णरूपेण विवरण 'वृन्द' के सिद्ध योग नामक ग्रन्थ में उपलब्ध है। प्राचीन भारत में बारूद बनाने की विधि भी बतलाई गई है जिसका वर्णन शुक्र नीति के अनुच्छेद 201 तथा 202 में दिया गया है।

प्राचीन काल से ही भारत वस्त्र-निर्माण के विषय में विश्व का अग्रणी देश रहा है। दूसरे देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रमुख स्थान था। ईसा की आरम्भिक सदियों में रोम में भारतीय वस्त्रों की बड़ी माँग थी। प्रमुख रूप से विदेशों को वस्त्रों का निर्यात करके प्राचीन भारत सोने और चाँदी के मामले में समृद्ध हुआ था। ढाका की मलमल सारी दुनिया में प्रसिद्ध थी। यह मलमल इतनी महीन होती थी कि इसका बीस गज लम्बा थान सिंगार के एक बक्स (8" × 4" × 1") में समा सकता था। अट्ठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल तक इंग्लैण्ड में वस्त्र-निर्माण में जिन उपकरणों का प्रयोग होता था, वे भारतीय उपकरणों से उत्कृष्ट नहीं थे।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण असाधारण रूप से विकसित था किन्तु विडम्बना यही रही कि भारतीय ही उसको विस्मृत करते गये और विदेशियों ने भी इसकी ओर कोई विशेष धयान नहीं दिया। इसी कारण विज्ञान के क्षेत्र में भरतीयों के योगदान का समुचित मूल्यांकन हो ही नहीं पाया है। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान की महानतम् उपलब्धियों और वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर जो गर्व करते हैं और जिन्हें पश्चिम के वैज्ञानिकां की ही देन माना जाता है, यदि वे प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों और उनके सिद्धान्तों का समुचित रूप से अध्ययन करें तो उपर्युक्त धारणाएं परिवर्तित हो सकती हैं। भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियाँ हुई थीं वे वस्तुतः असाधारण थीं, केवल उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं हो पाया है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य का समुचित रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान एक विकसित स्थिति में था। सभी प्राचीन ग्रन्थों में वेदों से लेकर गुप्तकाल (400 वर्ष ई.पू.) तक प्रकृति के रहस्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक आधार तथा वैज्ञानिक व्याख्याएँ उपलब्ध हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी : उत्कृष्ट समाजशास्त्रीय परम्परायें
2. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी : भारतीय समाज व संस्कृति
3. बी. एन. लूनिया : प्राचीन भारतीय संस्कृति
4. सत्यप्रकाश : वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, पृ. न. 391

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ- ('कोरकू जनजाति' ऐतिहासिक परिचय एवं सामाजिक आर्थिक अध्ययन)

श्रीमती प्रीती चौरे * डॉ. सरोज बिल्लौरे **

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यपाक (राजनीति विज्ञान) जीजामाता शासकीय कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह। यह पोस्टो ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग की द्रविण जनजाति मानी जाती है।
शब्द कुंजी – कोरकु, जनजाति।

प्रस्तावना – 'जनजाति' एक सामाजिक समूह है जो प्राय: निश्चित भू-भाग पर निवास करता है जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों (Tribes of Madhya Pradesh) का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 21.1 प्रतिशत है। लगभग 24 जनजातियां यहां निवास करती हैं। अपनी उपजातियों समेत इनकी संख्या 90 के लगभग हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में 15316784 जनसँख्या इन जनजातियों की है जो अब भी भारत में सर्वाधिक है।

जनजातियों को कई विशेषताओं से पहचाना जाता है-

1. जनजातियों के समाज में सर्वोत्तम कार्यात्मक निर्भरता मिलती है।
2. पिछड़ी हुई आर्थिक परिस्थितियॉं तथा मुख्य आर्थिक कार्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है।
3. भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चारो ओर के प्रदेश एवं अधिवासों से विलग है।
4. जनजातियों की एक बोली होती है। लेकिन उसका कोई लिखित रूप या व्यकरण नही होता है। इस बोली में एक भी प्रादेशिक भिन्नता मिलती है।
5. जनजातियों राजनैतिक दृष्टि से संगठित होती है। समुदाय की पंचायत एक प्रभावशाली संध होता है।
6. जनजातियों में परिवर्तन एंव विकास का तनिक भी आग्रह नही होता तथा परम्परागत रीति रिवाज एवं अंधविश्वास से ग्रस्त रहती है।
7. जनजातियों का अपना परम्परागत कानून होता है।

कोरकू जनजाति – यह एक मुंडा अथवा कोल जनजाति है तथा कोरबा के समकक्ष है अधिकर पश्चिमी सतपुडा, होशंगाबाद, पुर्वी निमाड, (खण्डवा) बैतुल छिंदवाडा दक्षिण बरार के मैदान तथा उत्तर भोपाल तक बसे है कुछ कोरकु अथवा मोवासी छोटा नागपुर मे भी पाए जाते है। जिन्हें कोरबा जाति की एक शाखा माना जाता है। मुण्डा वर्ग की एक अन्य जनजाति कोरबा की ही भाषा कोरकु के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि पश्चिमी मध्यप्रदेश मे कुछ काल पूर्व कोरकु लोग आकर बसे गये इनकी अपनी बोली है जो कोल जाति की भाषा से मिलती-जुलती है।

उत्पत्ति – कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह। यह पोस्टो ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग की द्रविण जनजाति मानी जाती है।

भौगोलिक स्थिति – छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद ,हरदा , खंडवा , जबलपुर आदि जिलों मे ये लोग रहवासी होते है।

शारीरिक बनावट – औसतन कोरकु व्यक्ति का रंग काला , कद मध्यम, नाक चौंडी और चपटापन लिए हुए होंठ मोटे, शरीर हष्ट पुष्ट एवं बाल काले होते हैं। किन्तु नीग्रो जाति के समान चपटी नाक नही होती है।

गुदना– कोरकु समुदाय की महिलाएं ओर पुरूष अपने शरीर को गुदवना पंसद करते है। इसके पीछे जितनी सौन्दर्य की भावना है उतनी ही धार्मिक मान्यता ओर विश्वास है। गुदवाने मे विभिन्न प्रकार की आकृतिया बनाई जाती है। ये परम्परा आज भी प्रचलित है।

रहवासी – घर बॉस खपरैल घास लकड़ी के बने होते हैं। कोरकु अपने गांव किसी सुंदर स्थान पर बनाते हैं तथा गांव के चारों बांस की बाड़ लगाते हैं। इनके घर आमने-सामने पंक्ति बद्ध होते हैं एवं एक दूसरे के काफी निकट होते हैं। इनकी झोपडी लगभग 15 वर्गफीट की होती है। इसमे एक द्धारा होता है।

पहनावा – कोरकू जनजातियों का पहनावा साधारण होता है। पुरुष सूती बंडी, कुर्ता एवं धोती पहनते हैं। महिलाएं रंग-बिरंगे धोती पहनती है। कोरकू स्त्रियां चांदी, पीतल, कांसा आदि धातुओं के आभूषण एवं मोतियों की माला पहनती है।

मुख्य आहार – कोरकू को शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं मोटे अनाज एवं सब्जियों इनके प्रमुख भोजन है।

सामाजिक व्यवस्था – कोरकू समाज पितृसत्तात्मक एवं टोटम पर आधारित समाज है। इनके दो प्रमुख वर्ग होते हैं राजकोरकू एवं पठारिया राजकोरकू। राजकोरकु अधिकतर भूस्वामी होते है। इनके अतिरिक्त चार अन्य वर्ग - रूमा , पोतड़िया, दुलारया और बोवई पाए जाते हैं। कोरकु समुदाय ईमानदार और सच्चे होते है।

अर्थव्यवस्था – कोरकुओ की आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं आखेटन है किंतु बहुत कम कोरकू भूस्वामी है।आखेटन करने में ये अत्यंत निपुण होते हैं ये समूह रूप भी में आखेटन करते हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन एवं वनोपज संग्रह भी इनके जीवन यापन के साधन हैं।

धार्मिक आस्था – कोरकू स्वयं को हिंदू मानते हैं। ये लोग महादेव एवं

चंद्रमा की पूजा करते हैं। डोगर देव ,भटुआ देव एवं गांव के देवता के इनके प्रमुख देवता है । यह लोग गुड़ीपड़वा,आखातीज, दशहरा, दीपावली और होली जैसे हिंदू त्योहार भी मनाते हैं । भूमियाँ और पडियार कोरकूओ के सम्मानित व्यक्ति होते हैं । ये लोग जानवरो की बलि चढाने के लिए मुर्गे तथा सुअर भी पालते है।

मृतक संस्कार–मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा प्रचलित है । मृतकों को दफनाया जाता है और मृतक की स्मृति में लकड़ी का एक स्तम्भ गाड़ते हैं।

कोरकू की उपजाति– 1.नहाला 2.मोवसीरुमा 3. बवारी 4.बोडोया

कोरकू जनजाति में विवाह प्रथा –1. लमझना प्रथा या घर दामाद प्रथा 2.चिथोड़ा 3.राजी–बाजी प्रथा 4.तलाक अथवा विवाह प्रथा 5. हठ विवाह प्रथा 6. अंतर्विवाह प्रथा प्रचलित है। इनमें सगोत्रीय विवाह तथा चचेरे,फुफेर,मौसेरे भाई–बहन से विवाह वर्जित है।

कोरकुओ के प्रमुख त्यौहार –1.गुड़ीपड़वा 2.देव दशहरा 3.जिरोति 4.देव दशहरा 5.आखाती तीज 6.डोडबलि अमावस्या 7.पाला 8.दीवाली 9.होली इत्यादी त्यौहार प्रमुख रूप से मनाये जाते है।

निष्कर्ष– किसी भी जनजाति की अपनी संस्कृति सभ्यता होती है वह उसी के साथ अपनाजीवन यापन करती है। अपनी संस्कृति के माध्यम से एक विशिष्ट छाप छोडती है। जिसका संरक्षण और सवंर्धन का काम करना चाहीए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विजय शंकर उपाध्याय,भारत की जनजातीय संस्कृति–मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
2. प्रमीला कुमार मध्यप्रदेश एक भौगलिक अध्ययन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
3. जनसर्म्पक का प्रकाशन विभाग– आगे आये लाभ उठाये।
4. http://bimbjournals.com/korku-tribal-art/
5. कपिल तिवारी सम्पदा आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य आकदमिक भोपाल

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

लोकगीत जनमानस के हृदय की झंकार

डॉ. (श्रीमती) बिन्दू परस्ते *

* सहा. प्राध्यापक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना –संस्कृति की समृद्धि लोक में ही निहित है संभत: इसीलिए लोक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लोक शब्द अनेक भांति अर्थवान हैं। वह दुनिया, संसार, जगत आदि का पर्याय होकर भी उससे अलग और बहुत विशिष्ट है। तीन लोक की अवधारणा से हम सभी परिचित है। पृथ्वीलोक, पातालोक और आकाशलोक की कथाएँ, गाथाएँ, परिकथाऍ और व्याख्यान आदि हम सुनते ही आए हैं। पृथ्वीलोक को ही मृत्युलोक भी कहा गया है। यहॉं तक कि आधुनिक स्वतंत्रता में जन–जन को महत्व देते हुए हमने अपने संसार के लिए भी लोक शब्द ही चुना है। और हम सब लोकतंत्र के अधीन रहने में ही अपना गौरवा मानते हैं।

लोक शब्द अपने में सांस्कृतिक अर्थो से सम्पन्न है। लोक अर्थात् जन। संस्कृति की श्रीवृष्टि का बड़ा दायित्व साहित्य का है। लोक साहित्य अर्थात् जन–जन का साहित्य अंचल के सबसे पीछे खड़े हुए जन का साहित्य। लोकमानस का साहित्य जो हमारे विश्वासों परंपराओं और रीतियाओं के संरक्षण देता है। यही लोक साहित्य किसी अंचल के समग्र वैशिष्ट्य को एकत्र करना और प्रस्तुत करता हैं। हमारी संस्कृति में अनेक भाषाएँ है और उन लोक भाषाओं का अपना लोक साहित्य भी है। इस लोक संस्कृति के अनेक रंग है – लोक उत्सव, लोक कथा, लोक गाथा, लोकनाट्य, लोक नृत्य, लोक पर्व, लोक गीत, लोक रंग, लोक भाषा, लोक साहित्य कहा जाता है।

लोक साहित्य का अध्ययन तीन कारणों से महत्वपूर्ण है। बिखरे हुए साहित्य को संग्रहित, सुरक्षित और व्यवस्थित करना। आंचलिक विशेषताओं को संरक्षित करना शोध एवं अध्ययन द्वारा अंचल को स्थापित करना।

लोक भाषा पर कार्य करना बहुत दुष्कर है। लोक साहित्य पर कार्य करने की अनेक चुनौतियॉं साथ है। लोक साहित्य का वास्तविक रूप सुरक्षित रखने के लिए यह बड़ी चुनौती है।

लोकगीतों में तो मानवीय मूल्यों का समावेष अपनी सम्पूर्णता में है। आज पर्यावरण की सुरक्षा हमारे मानवीय मूल्यों की सुरक्षा से अलग नहीं है। इस तथ्य पर लोकगीतकार का मन न जाने कब अटक गया था जब वह कहता है 'बाबुल विनिया जन कटैव चिड़िया चिरैया बसेर' तब दरवाजे की नीम पर चिड़िया बिटिया बन जाती है। नीम घर बन जाती है। बिटिया का नीम के प्रति यह लगाव संबंधों की गहनता को तो वक्त करता ही है उसका नीम के प्रति लगभग वही भाव है जो शकुन्तला का कण्व ऋषि के आश्रम में लगाए पौधों के प्रति था। नीम काटने की पीड़ा का अनुभव बिटिया जितनी शिद्दत से कर सकती है शायद घर का कोई सदस्य न कर पाए। ऐसा इसलिए कि वह भी एक चिड़िया की तरह मायके से ससुराल जाएगी। उसका मायका न उजड़े उसकी नीम न कट पाए यह कितनी सार्थक मानवीय चिन्ता है? नारी मन की मुक्ति की संकल्पना आज के 'वूमनलिव' से उत्पन्न नहीं है। लोकगीत अधिकतर, उत्सव, पर्वो, त्यौहारों और आयोजनों से संबंधित है। मानवीय जीवन में सहज प्रसन्नता भी एक महत्वपूर्ण मूल्य की तरह है। बदलती ऋतुओं और फसलों की बोहनी, कटाई, गड़ाई आदि के साथ मानवीय जीवन भी अंतरंगता है। कर्म का उत्सव मनुष्य के पुरूषार्थ का महती मूल्य है। हमारा श्रम सृजन के तब्दील होकर जब फलवान होता है तब हमारा पुरूषार्थ ही प्रकटता है। इस पुरूषार्थ को हम उत्सवी बनाते हैं। और लोकगीतों में जीवन के प्रति गहन आसक्ति का भाव निहित है। वह आसक्ति एक ऐसा मूल्य है तो जीवन को जीवन बनाता है, जीवन से पलायन नहीं जीवन के संघर्षो के बीच ही उल्लास की तलाश होती, कजरी, दीवाली आदि गीतों में जीवन को कर्ममय बनाता है। इन उल्लास गीतों में समाजिकता में निहित एकात्मा भाव भी प्रकट होता है। समाल के शोषित वर्ग को इन गीतों में विशेष महत्व दिया गया है। उनका स्मरण न केवल सामाजिक स्तर पर अपितु वैयक्तिक जीवन में भी इस तरह किया गया है। जैसे वे हिले–मिले कुटुम्बीजन ही हों। नाईन, धोबिन, लुहार, तम्बोली आदि को सामाजिक जीवन के कर्मकार की तरह लोकगीतों में उपस्थित न करके इनकों रंगात्मक संवेदनों में समेट लिया गया है। यह एक ऐसा सामाजिक मूल्य है जिसमें सामाजिक वैषम्य विरोहण हो जाता है।

लोकगीतों में जीवन के रहस्यों को भी उजागर किया गया है। जीवन का कोई मोल नहीं। जीवन का यह अमूल्य बरदान ईश्वर ने मनुष्य को दिया है परंतु जीवन के साथ अनेक कठिनाईयॉं परेशानियॉं भी भगवान ने दी हैं।

हमे जीवन के हर पल, हर क्षण की कीमत समझनी होगी। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। इस पथ की राह इतनी आसान नहीं है। हमें लोकगीत यह सिखाते हैं कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना हम किस प्रकार कर सकते हैं इसके लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा।

मानव की प्राय: प्रत्येक संस्कृति में व्यक्ति की जीवन यात्रा के विभिन्न संक्रमणकालों को विशेष महत्व होता है। जन्म विवाह एवं मरण इस प्रकार तीन मुख्य स्थितियॉं है जिनमें आसपास मानव समूह विश्वासों, रीति–रिवाजों और व्यवहारों का एक ऐसा जटिल ताना–बाना बुन लेता है कि उनके वास्तविक स्वरूप को समझे बिना उस संस्कृति का पूर्ण चित्रण प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। इनमे अतिरिक्त नामकरण, वय:, सन्धि, रजोदर्शन आदि

की स्थितियाँ भी महत्वपूर्ण होती है। और उनके संस्कृतियों की समाज व्यवस्था में उन्हें पार करने से सामाजिक स्थिति एवं उसमें अधिकारों और कर्तव्यों में मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं। समाज संगठन का वह पक्ष मानव के उत्तहोत्तर परिवर्तित होने वाले उत्तरदायित्वों एवं कार्यो की दिशा निश्चित करता है।

प्राचीनकाल में मनुष्य के जीवन से संबेधित 16 संस्कारों का विधान था जो सभी शास्त्रीय थे जिनका संबंध जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक में काल से था।

इस समय जन – समाज में यह संस्कार तो प्रचलित नहीं है किन्तु कुछ किसी रूप में अब भी अवश्य ही पाये जाते है। प्रत्येक संस्कार के दो रूप पाये जाते हैं। शास्त्रीय या वैकल्पिक तथा लौकिक। लौकिक संस्कार का संबंध अनुष्ठिानिक गीतों से है जिसमें निश्चित विधान नहीं होता और जिसका समस्त कार्य स्त्रियाँ गीतों के द्वारा ही करती हैं। इन गीतों का मनोचारण से पृथक महत्वपूर्ण अनिवार्य स्थान है। ये औपचारिक गीत अपना मांगलिक महत्व रखते हैं।

खड़ी बोती के लोकगीतों में मुख्य दो संस्कारों का उल्लेख है जन्म और विवाह।

लोक जीवन कर्मव्यता का साकार रूप है। यहाँ स्त्री–पुरूष सभी का जीवन श्रमरत रहता है। अर्कमव्यता उसके जीवन में कोई स्थान नहीं, इसी से वास्तव में यह कर्मक्षेत्र है। श्रमरत वातावरण में श्रमपूर्ण व्यस्त जीवन बिताते हुए ही श्रम गीतों का जन्म अनायास ही हो जाता हैं। कार्य करने के फलस्वरूप जो मन व शरीर बोझिल हो जाता है उसकी की दुरूहता को कम करने के लिए जो गीत गाये जाते है वे कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति का संचार करते हैं इनके द्वारा मन की अतृप्त आकांक्षाओं ने और वेदनाअें का आभास मिलता है। इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य भी हैं किसी कार्य की दुरूहता का उसमें पूरी एकाग्रता के कारण अधिक अनुभव होता है। पर किसी दूसरी तरफ ध्यान बॉट दिया जाए वो उसकी एकाग्रता कम होने से वह कम कष्ट दायक रह जाती है।

इन श्रमगीतों का महत्व इनकी समयोपगिता के कारण ही है। प्रत्येक नीरस और कठिन कार्य को सरस और सरल बनाने का यत्न अवश्य किया जाता है और श्रम परिहार में गीत सर्वाधिक सहायक होते हैं। मनुष्य के हाथ और मस्तिष्क का अद्भुत मेल है। जहाँ हाथ श्रम की ओर बढ़े कि मस्तिष्क ने हृदय से सहयोग कर भाव को वाणी दी और इसके परिणास्वरूप हृदय के स्पन्दनों की ताल पर हाथ चलने लगते हैं। गीत और श्रम के इस संबंध को नृत्य और गाने के रूप में अनुभव किया जा सकता है। श्रम भी प्रत्येक क्रिया के साथ गीत जुड़े हैं क्योंकि श्रम की नीरसता एवं कठोरता का निवारण उनके द्वारा ही संभव होता है।

लोकगीत वो होते हैं जो साधारण मनुष्य के मन की बात को आसानी से समझा देते हैं। लोकगीतों ग्राम्य जीवन की झलक दिखाई पड़ती है। लोकगीत वो कहते हैं जो उस क्षेत्र विशेष के लोगों की सोच होते हैं। वे जो सोचते हैं। जो क्रियाकलाप करते हैं जो वार्तालाप करते हैं। ग्रामीण उत्सव के दौरन जो गतिविधि उनके द्वारा की जाती है। उन गीतों में उस क्षेत्र के लोक की एक अद्भुत खुशबू का एहसास होते हुए हमे दिखाई देता हैं लोकगीतों की खासियत यह है कि वे वही कहते हैं जो आम आदमी के मन में अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से गीत में पिरोकर एक नई उर्जा का संचार करते हैं। लोकगीतों में क्षेत्रियता की अधिक छाप सुनाई देती हैं। हमारी संस्कृति में लोकगीतों की लोकजीवन के लिए महती भूमिका हैं। लोकगीतों में ग्राम्य जीवन की उद्यम जीवतंता दिखाई देती है। लोकगीत जनमानस के हृदय की सच्ची भावनाओं को उजागर करने का सशक्त माध्यम है। भारतीय संस्कृति अधिकांश रूप से लोक से प्रभावित है। चूँकि भारत की 70 प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है। लोक की अभिव्यक्ति का सबल माध्यम है लोकगीत। हमें अपनी सांस्कृतिक चेतना को अमरता प्रदान करने के उद्देश्य से लोकगीतों को आगे बढ़ाने में हमेशा कुछ न कुछ योगदान देते रहना चाहिए। हमारी पहचान ही लोकगीत से हाती है। हर क्षेत्र में अलग–अलग बोलियाँ हैं और उनमें अनेक प्रकार के हर रीति–रिवाज से संबंधित लोकगीत हैं। लोकगीतों के गायन की मधुर मिठास हमारे हृदय के तारों को झंकृत करती हैं। हमारे मन को भाती हैं। लोकगीत में ही जीवन का रस छुपा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :– –

1. छत्तीसगढ़ और उसका साहित्य – डॉ. (श्रीमती) बिन्दू परस्ते
2. लोक साहित्य – डॉ. राजेश श्रीवास्तव 'शम्बर'
3. जनजाति समाज का समाजशास्त्र – महाजन व महाजन
4. अबूझ रिश्तों में उषा शांत धार – डॉ. मनीषा सिंह मरकाम

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

आदिवासी साहित्य की अवधारणा

डॉ. मनीषा सिंह मरकाम *

* सहा. प्राध्यापक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आदिवासी साहित्य में कभी अपनों का अपनों से द्वन्द्व नहीं रहा। इसके साहित्य लिखे जाने की प्रक्रिया बहुत पुरानी नहीं है किन्तु जो कुछ भी लिखा गया उसमें दार्शनिक ऊँचाई देने के लिए गंभीर शब्दों का वार नहीं किया गया। इस साहित्य में मानवीय मूल्यों का प्रभावी रूप प्रस्तुत है, इसके सूक्त, कहानियाँ, गान किसी न किसी रूप में करूणा, त्याग, प्रेम, सामंजस्य, दया, मौज-मस्ती एवं बलिदान जैसे मानवीय गुणों से भरपूर है। यह बात इतर हो सकती है कि आदिवासी साहित्य में व्याकरण सम्बद्धता या काव्यात्मक शैली में अलंकारिकता जड़ित ना हो, परन्तु अपनी कथा, कहानियों में उल्लेखित सुंदर बिम्ब नानाविध कल्पनाओं का संयोजन जरूर करते हैं। इनका जो वाक् साहित्य मिलता है उसमें सामान्य जीवन में बरते जाने वाले शब्द सहजतया पाए जाते हैं एवं सम्पूर्ण समुदाय उसमें एकरस होकर पूर्ण शिद्दत से सहृदयता के साथ अपनी सामाजिकता से जुड़ता है। कथा, गानों में इनके अर्थ कहीं दुबक कर नहीं बैठे हैं बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक कसौटी पर कोमल पंछी के परों की तरह सहज ही खुलते और आकाश में उड़ान भरते चलते हैं। हर क्षेत्र के आदिवासी की अपनी अलग गाथा है और उस भाषाशैली की गहरी समझ भी वे रखते हैं, इनका साहित्य अत्यंत सहजता से जीवन में आई मामूली से मामूली जिज्ञासाओं को, मामूली अनुभवों को समझता है। मनुष्य के अन्तर्मन को पहचानने, समझने की सूक्ष्म दृष्टि रखकर अपने अनुभवों से उसे समेटता है किन्तु जो आदिवासी साहित्य अभी लिखा ही जा रहा है। जो अपने अधिकारों, आकांक्षाओं और अपने सपनों की आजादी के प्रश्न रेखांकित कर रहा है उसकी आलोचना कई तथाकथित विद्वान साहित्यकारों द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। उसके गुण दोषों का विवेचन कर उसका औचित्य निर्धारित कर दिया गया है।

आदिवासी साहित्य वर्तमान समय में कई असुविधाजनक सवालों और आपत्तियों के बीच सांस ले रहा है। यह साहित्य सिर्फ आरण्यक क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह केवल उन्हीं का साहित्य नहीं होना चाहिए जो शहरी चकाचौंध से दूर जंगल और पहाड़ियों के सान्निध्य में रहकर चिन्तारहित होकर भरपूर जीवन जीते हैं बल्कि बहुतायत में आदिवासी लोक की गतिशीलता का जो नया सृजन कर रहे हैं, शहरों में रहकर भी वह नये-नये आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं, वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को शहरी जीवन में जीवित रखकर शहरी मंच पर खड़े होकर वास्तविकता के सुखद संसार बनाने के साधनात्मक प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रयास में कभी-कभी उसके नैतिक स्खलन में मिलावट की बात विद्वान साहित्यकारों द्वारा उठाई जाती है किन्तु आदिवासी मनुष्य की नित्य प्रति जागने वाली इच्छाओं के फलस्वरूप जैसे इतर समाज से एकरस होने के लिए श्रेष्ठ बनना, पढ़-लिखकर श्रेष्ठता से प्रयास करना, ऊँची कुर्सी पर बैठना, देश और समाज का प्रतिनिधित्व करना, सुखद संसार बनाने के साधनात्मक प्रयोग करना। इतना सब कुछ उनके द्वारा किन परिस्थितियों में किया जा रहा है यह सब बातें वर्तमान आदिवासी साहित्य में आनी चाहिए। आदिवासियों ने अपने आनंद की प्राप्ति के लिए किन-किन संसाधनों को संजोया है। निश्चित ही यह साहित्य विषयनिष्ठ है जो नया कुछ पाने के लिए कुछ नया करना चाहता है, इनकी कहानी, गीतों, कहावतों इत्यादि को जब हम देखते-सुनते हैं तो वह यथार्थपरक होती है। वस्तुनिष्ठता भी इस साहित्य का गुण है। लोकमानस से जुड़ी मान्यता-आस्था विभिन्न स्तर पर इस साहित्य में समाहित है। इस साहित्य को प्रकृतिपरक संस्कृति की विजयगाथा कहा जा सकता है। प्रकृति की विभिन्न छवियाँ, श्रृंखला, चिन्ह विभिन्न रूपकों के माध्यम से इसमें समाहित होते हैं। प्रकृति के तत्वों, जीवन से सम्बद्ध विभिन्न घटनाओं और अनुभवों का संश्लेषण यह साहित्य अपने कुछ अलग ही अंदाज में अपनी रचनाओं में पिरोता है, बिना किसी दबाव के ऐतिहासिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक स्तर पर अपनी रचना के नए पाठ भी गढ़ता है, पुराने पाठों से सीखकर नए आशय स्पष्ट करता है। इस तरह से इस साहित्य पर दोहरी जिम्मेदारी निभाने का भाव है क्योंकि अपने रचना संसार को समझते हुए दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर भी अपनी रचनाओं की उपस्थिति दर्ज कराना इस साहित्य का नैतिक दायित्व बनता जा रहा है। इस साहित्य में सृजनात्मक आयाम संकुचित नहीं है बल्कि जो साहित्यकार किसी विचारधारा का मुखौटा ओड़कर स्वयं को केन्द्रीयकृत करे हुए हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि विभिन्न विमर्षों की उपस्थिति के बावजूद भी इस साहित्य ने अपनी जगह बना ली है। इसलिए छाती कूटन प्रक्रिया से जहां आगे और भी है। इस प्रक्रिया से संकट गहराया जरूर था कुछ बातें जो संशयग्रस्त हो चुकी थी जिनके लिए अभियान चलाए गए थे। अब उनके पास कोई पैमाना नहीं बचा जो इस साहित्य की अनुभूति जनमानस के हृदय से निकाल पाए। इस साहित्य में जितना लोक की यथा स्थिति का चित्रण होता है, जितना पुरानी मान्यताओं को संजो कर रखा जाता है उतना कहीं नहीं। इतिहास भी यदि कुछ कहने में असमर्थ हो जाता है वहाँ से लोकजीवन अपने गीतों कथा-कहानियों के माध्यम से उस युग की परिस्थितियों और सामाजिक ढांचे पर प्रकाश डालते हैं। जनमानस की रागात्मक प्रवृत्तियों, सुख-दुख, प्रेम-घृणा-दर्द, मिलन-विद्रोह, उमंग-उल्लास-उत्साह सभी की सहज स्वाभाविक, स्वच्छंद, अभिव्यक्ति की क्षमता

आदिवासी साहित्य में विद्यमान है। किसी भी प्रकार के दुराव–छिपाव का इस साहित्य में कोई स्थान नहीं है। एकदम–सहज, एकदम–सहज स्वरूप को धारण कर यह आनंद की अनुभूति करवाता है। देवेन्द्र सत्यार्थी जी ने लिखा है – 'लोकमानस की एक–एक रेखा, सामयिक बोध की एक–एक अवस्था, सामूहिक सुख–दुख और सामूहिक विजय–पराजय, प्रकृति की गतिविधि, वृक्ष, पशु–पक्षी और मानव के पारस्परिक सम्बंध, वट पूजा, टोने–टोटके और लोकगीतों के पृष्ठभूमि में समाज विज्ञान के असीम भण्डार का अध्ययन किया जा सकता है।

आदिवासी साहित्य के चिन्तन में समकालीन चिन्ताएँ समाहित हैं। इस साहित्य को समझना है तो हमें वैदिक युग तक जाना होगा, इतिहास में ताक–झांक करने पर यह पड़ताल हो जाती है कि इसका उद्भम स्थान वैदिक युग ही था। अर्थात यह साहित्य है तो बहुत प्राचीन किन्तु वाचिक रूप में हस्तांतरित होते हुए यह प्राप्त होता रहा। समकाल में यह अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए बड़े फलक पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहा है। मनुष्यता जो सुबह से शाम तक छीजती दिखाई पड़ रही है उसे यह साहित्य वापस चित्त की रसिक भूमियों की तलाश करवा रहा है, बिल्कुल अपने तरीके से। भाव सत्ता पर बुद्धिमता का समावेश कर आदिवासी साहित्यकार आवश्यक जीवन कल्याण के सनातन मूल्यों को स्थापित कर रहा हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौमासा पत्रिका
2. आदिवासी कौन – रमणिका गुप्ता
3. आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना – रमणिका गुप्ता
4. बाघ और सुगमा मुण्डा की बेटी – अनुज लुगुन
5. छत्तीसगढ़ी और उसका साहित्य – डॉ. (श्रीमती) बिन्दू परस्ते
6. जंगल पहाड़ के पाठ – महादेव टोप्पो

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास में दीनदयाल अंत्योदय योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. गणेश पसाद दावरे* कु.प्रतिष्ठा कुमेकर **

* प्राध्यापक (वाणिज्य) जवाहर लाल नेहरू शासकीय स्नातक महाविद्यालय, बडवाह , जिला-खरगोन (म.प्र.) भारत
** स्कूल ऑफ कॉमर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस योजना के तहत् जो महिलाएँ कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही हैं उन्हें आर्थिक या सामाजिक उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार के विषय से संबंधित स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि ये महिलाएँ रोजगार पा सकें। शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से महिलाओं में न केवल आर्थिक स्वालम्बन आता है, वरन् नियमित बैठक की वजह से उन्हें एक मंच मिलता है, जहाँ वे अपनी साझा समस्याओं पर विमर्श करती हैं व अन्य सामाजिक समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा, मद्यपान व राजनैतिक सहभागिता पर भी चर्चा करती हैं। अध्ययन में पाया कि शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती है, वरन् सामाजिक जागरूकता में भी वृद्धि करती है। सामाजिक बुराईयों को दूर करने तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं स्थानीय राजनीति में सक्रिय सहभागिता को प्रदर्शित करती है। वहीं यह योजना घर का बैंक है, विपत्ति में दोस्त है, साहूकारों के चुंगल से मुक्त करती है व उद्यमों के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यह व्यक्तियों को बचत सिखाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना महिलाओं के लिए वह द्वार है, जो उनके जीवन की समस्याओं को सुलझाती है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाए, आर्थिक विकास।

प्रस्तावना – दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत टिकाऊ कृषि के तौर-तरीकों को बढ़ावा देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत 30 लाख से भी अधिक महिला किसानों को सहायता सुलभ कराई गई है. योजना से महिलाओं का खुद पर विश्वास बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ आजीविका में विविधीकरण के लिए एक निरंतर समुदाय संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व में मार्गदर्शन के जरिए कौशल एवं सक्षमताओं का विकास करने के बाद आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से ऋण पाने का प्रयास करने लगी हैं. 1.50 लाख अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का महिला समुदाय संसाधन व्यक्ति, जो खुद गरीबी के दायरे से बाहर आ गई हैं, सतत कृषि को बढ़ावा देने, बैंकिंग सेवाएँ मुहैया कराने विकसित करने में परिवर्तन के कारकों के रूप में उभर कर सामने आ चुकी हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महिला सीआरपी गाँवों में सामाजिक बदलाव लाने में भी अहम भूमिका अदा करने लगी हैं.

भारत बहुसांस्कृतिक बहुभाषायी, बहुप्रजातीय एवं बहुलधर्मी देश है। जनजातियों की भिन्नता के आधार पर उनकी संख्या भी भारत में अधिक है। अलग-अलग भौगोलिक पर्यावरण एवं विकास के विभिन्न सोपानों से सम्बद्धता के कारण भारतीय जनजातियों एव जातियों में सह वैभिन्य स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय जनजातियाँ एवं जातियाँ जब आर्थिक एवं सामाजिक समानता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संगठित हो रही थी। आजादी के पश्चात् संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के लिए जातियों एवं जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। ये सूचीबद्ध जनजतियाँ एवं जातियाँ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियाँ है।

- **शोध की परिकल्पनाएँ–**

H_o**(1)**:-खरगोन जिले मे शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओ के आर्थिक विकास मे वृद्धि नही हुई है।

H1:-खरगोन जिले मे शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओ के आर्थिक विकास मे वृद्धि हुई है।

शोध के उद्देश्य :

- खरगोन मे अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना का अध्ययन करना।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना के सफल क्रियान्वयन एवं इस वर्ग की महिलाओं के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाओं का मूल्यांकन:

H_o**(1)**:-खरगोन जिले मे शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओ के आर्थिक विकास मे वृद्धि नही हुई है।

H1:-खरगोन जिले मे शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओ के आर्थिक विकास मे वृद्धि हुई है।

सारणी संख्या 1.1 : खरगोन जिले में शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना

	शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना हितग्राहियों के लिए लाभकारी		महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि	
वर्ग	**संख्या**	**प्रतिशत**	**संख्या**	**प्रतिशत**
सहमत	158	88%	148	82%
अनिश्चित	10	5.5%	08	4.5%
असहमत	12	6.5%	24	13.5%
योग	180	100%	180	100%

स्त्रोत : सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

सारणी से यह स्पष्ट होता है कि खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना महिला हितग्राहियों के लिए लाभकारी के संदर्भ में खरगोन जिले के 88 प्रतिशत हितग्राही सहमत हैं, 5.5 प्रतिशत हितग्राही अनिश्चित व 6.5 प्रतिशत हितग्राही असहमत हैं। अतः कहाँ जा सकता है कि अधिकांश हितग्राही इस तथ्य से सहमत हैं कि शासन द्वारा संचालित योजना महिला हितग्राहियों के लिए लाभकारी है। महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि के संदर्भ में खरगोन जिले के 82 प्रतिशत हितग्राही सहमत हैं, 4.5 प्रतिशत हितग्राही अनिश्चित व 13.5 प्रतिशत हितग्राही असहमत हैं।

सारणी संख्या 1.2Correlationsखरगोन जिले में शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि

		आर्थिक विकास में वृद्धि	दीनदयाल अंत्योदय योजना
Pearson Correlation	आर्थिक विकास में वृद्धि	1.000	.879
	दीनदयाल अंत्योदय योजना	.879	1.000
Sig. (1-tailed)	आर्थिक विकास में वृद्धि	.	.000
	दीनदयाल अंत्योदय योजना	.000	.
N	आर्थिक विकास में वृद्धि	180	180
	दीनदयाल अंत्योदय योजना	180	180

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि दोनों कारकों खरगोन जिले में शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना व महिलाओं के आर्थिक विकास मे वृद्धि के मध्य पियर्सन सहसंबंध परीक्षण करने पर 0.879 मान प्राप्त हुआ है, तथा सार्थकता मूल्य (p-value) का मान 0.000 जो स्तरीय मान 0.05 से कम है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों कारकों खरगोन जिले में शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना व महिलाओं के आर्थिक विकास मे वृद्धि के मध्य पियर्सन मान व सार्थकता मूल्य (p-value) स्तर मान 0.05 से कम होने पर कारकों के मध्य मजबूत व सार्थक संबंध है।

सारणी संख्या 1.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सारणी **संख्या 1.3** से यह स्पष्ट होता है कि मॉडल समरी में प्रतिपगमन विश्लेषण का प्रयोग दोनों कारकों खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि के मध्य सकारात्मक संबंध को ज्ञात करने हेतु किया गया है। मॉडल समरी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि, लिनियर सहसंबंध गुणांक ठ का मान 0.879 है, जो आर. स्क्वेयर (0.773) तथा एडजस्टेड आर.स्क्वेयर (0.772) से अधिक है। अतः दोनों कारकों खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास मे वृद्धि के मध्य संबंध है। आर.स्क्वेयर (गुणांक का निर्धारण) का मान 0.807 प्राप्त हुआ है, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक जीवन में वृद्धि खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना के मापदण्ड पर 77.3% है। परिणामस्वरूप उपरोक्त परिकल्पना ***खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास मे वृद्धि नहीं हुई है*** **को अस्वीकृत किया जाता है** साथ ही **खरगोन जिले में शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास मे वृद्धि हुई है को स्वीकृत किया जाता है।**

सारणी संख्या 1.4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

ANOVA विश्लेषण का प्रयोग दोनों कारकों खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि के मध्य सकारात्मक संबंध को ज्ञात करने हेतु किया गया है। खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि में F का मान 605.954 है, जो स्तरीय मान 0.05 से कम है। अतः खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास मे वृद्धि हुई है को स्वीकृत किया जाता है।

सारणी संख्या 1.5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सारणी **संख्या 1.5** से यह स्पष्ट होता है कि दोनों चरों खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि के मध्य Coefficients[a] ज्ञात किया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि को निर्भर चर तथा खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना को स्वतंत्र चर माना गया है। इस अध्ययन हेतु T टेस्ट का मान 3.456 है, जो अधिक है। लिनियर समीकरण Y = . 2.450 +1.121 X है, जो कि रेखीय संबंध को इंगित करता है।

समस्या:

1. **योजना के उचित क्रियान्वयन का अभाव-** दीनदयाल अंत्योदय योजना के अन्तर्गत स्वयंसहायता समूहों से जुड़े विभागों, बैंक, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं, प्रशिक्षण संस्थानो व ग्राम पंचायत द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का उचित ढंग से निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इस योजना के उचित क्रियान्वयन में समस्या उत्पन्न हो रही है।
2. **प्रचार प्रसार में कमी –** योजना के क्रियान्वयन से संबंधित संस्थानो के द्वारा योजना का प्रचार प्रसार नही किया जाता हैं जिससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ इस अभाव में इस योजना का लाभ उठा पाने में असमर्थ रहती है।

3. **निगरानी का अभाव –** दीनदयाल अंत्योदय योजना के विभिन्न स्तरो पर निरन्तर निगरानी कर पाना असम्भव सा लगा क्योकि अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए अलग से किसी कर्मचारियो की नियुक्ति नही की जाती है। जो कर्मचारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है वही योजना की निगरानी करने के लिए भी बाध्य होता है । इन कर्मचारियों पर विभिन्न योजनाओं का भार होता है । ऐसे में इनके द्वारा योजना का क्रियान्वयन नही किया जाता है।

सुझाव:

1. **बैंको से जुड़ाव –** ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो की अनुसूचत जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को बैक से जुडने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम पंचायतों बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रो में बैंक संबंधी कार्यक्रमों का आयोजना कराना चाहिए।

2. **बैंक ब्याज दरों में एकरूपता –** स्वयंसहायता समूह को अलग – अलग बैंको द्वारा ऋण दिया जाता है उसकी अलग–अलग बैंकों की अलग–अलग ब्याज दरें हैं। ब्याज दर में एकरूपता हो। साथ ही इनके लिए ब्याज दर कम से कम हो।

3. समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजारों मे उचित मूल्य की निश्चितता सुनिश्चित की जाये।

4. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण उनकी रूचि अनुसार दी जाये । तथा कार्यक्षमता अनुसार कार्य सौपे जाने चाहिए तथा समूहो का कार्य क्षेत्र विस्तृत किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. hhttps://www.pib.gov.in
2. hhttps://rural.nic.in/hi/secc-2011
3. hhttps://dhyeyaias.in/current-affairs/perfect-7-magazine/self-help-group-SHGs
4. hhttps://afeias.com/knoeledge-centre/current-content
5. hhttps://www.mpinfo.org/mpinfonew/rojgar/2013/1803/rojgar.asp

सारणी संख्या 1.3Model Summary[b]खरगोन जिले में शासन द्वारा सचांलित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig.F Change
1	.879[a]	.773	.772	.32695	.773	605.954	1	178	.000

a. Predictors: (Constant), दीनदयाल अंत्योदय योजना

b. Dependent Variable: आर्थिक विकास में वृद्धि

सारणी संख्या 1.4ANOVA[a]खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.773	1	64.773	605.954	.000b
	Residual	19.027	178	.107		
	Total	83.800	179			

a. Dependent Variable: आर्थिक विकास में वृद्धि

b. Predictors: (Constant), दीनदयाल अंत्योदय योजना

सारणी संख्या 1.5Coefficients[a]खरगोन जिले में शासन द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास में वृद्धि

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
(Constant)	2.450	.130	3.456	.001	.707	.193	
दीनदयाल अंत्योदय योजना	1.121	.046	.879	24.616	.000	1.031	1.210

a. Dependent Variable: आर्थिक विकास में वृद्धि

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

डॉ.भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक उत्थान में योगदान

श्रीमती कुन्ती वराठे *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, बम्हनी बंजर (मण्डला) (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कई क्षेत्रों में महान कार्य किये हैं एवं देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिये कार्य किया। उन्होंने शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरुक करने के लिये पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया क्योकि बाबा साहेब अम्बेडकर अपने जीवन-काल में ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें गरीब एवं दलित लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके जिससे शोषित एवं पीड़ित वर्ग का उत्थान हो सके। बाबा साहेब स्वयं ही सामाजिक बुराइयों के कारण बहुत सी यातनाऐं झेली थीं। इसलिये ये एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते थे जिससे कि भेदभाव उत्पन्न न हो। डॉ. अम्बेडकर इस बात पर बल देते थे जिससे कि समस्त मानव जाति को सामाजिक न्याय मिले। उनका सामाजिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता से था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति का स्वाभाविक विकास संभव नहीं हो सकता। स्वतंत्रता जीवन के सभी क्षेत्रों में होना आवश्यक है चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या धार्मिक हर क्षेत्रों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि समाज अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है तो उसे सभी सदस्यों को समान अवसर एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहिए, जो लोग कमजोर है सुविधा विहीन है उन्हें आवश्यक रुप से सुविधा प्रदान करना चाहिए। ऐसा कर समाज के पीड़त, शोषित एवं बहिष्कृत लोगों को समाज में उचित सम्मान दिला सकते है। यही डॉ. अम्बेडकर इस समानता के साथ ही लोगों में भाईचारे की भावना का होना भी आवश्यक है जिसमें समस्त व्यक्तियों एवं वर्गों का स्वाभविक सम्मिश्रण हो सके। स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के बिना समाज में स्वाभाविक कार्य व्यवहार के रुप में स्थापित नहीं हो सकेंगी।

बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के जो लोग पिछडे हुए है समाज के द्वारा शोषित है और दलित कहलाये जाते है ऐसे लोगों को समुचित न्याय दिलाने के लिये चाहे वह आर्थिक न्याय हो धार्मिक या राजनैतिक न्याय हो इस हेतु एक प्रभावशाली और शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन चलाया जिससे उन लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हो सके। यह आंदोलन विश्व के बड़े आंदोलनों में से एक है और भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। डॉ.अम्बेडकर का मानना था हर व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, ऊँच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर प्रसिद्ध शिक्षाविद, विधिवेत्त, ओजस्वी वक्ता तथा माननीय अधिकारों के संघर्षशील महान योद्धा थे। भारतीय संविधान जो कि विश्व का बड़ा संविधान है इस संविधान को तैयार कर अपना विद्वता के परिचायक है समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने में संघर्षरत रहे। शोषित लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिये जीवनपर्यंत संघर्ष करते रहे और उन्हें उसमें सफलता भी मिली।

डॉ. अम्बेडकर के द्वारा सामाजिक आंदोलन चलाया गया समाज के कमजोर वर्ग के लोग दलित श्रमिकों एवं महिलाओं के अधिकार के लिये वे सदैव संघर्षरत रहे इन लोगों को समाज में स्वर्णो की भॉति अधिकार प्राप्त नहीं थे इन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। बाबा साहेब समानता के पक्षधर थे अत: समाज में इन वर्गो की मुक्ति के लिये हर संभव प्रयत्नशील रहे डॉ. अम्बेडकर का 'महाड़ आंदोलन' एक मुक्ति संग्राम था। दलितों को सार्वजनिक तालाब का पानी पीने तथा इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था। दलितों को इसका अधिकार दिलाने का एक बहुत ही प्रभावकारी आंदोलन डॉ. अम्बेडकर ने किया। इस आंदोलन को भारत में 'सामाजिक सशक्तिकरण दिवस' के रुप में मनाया गया। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ स्थान पर भारी संख्या में दलित वर्ग के लोग तथा सवर्ण लोग भी शामिल हुए थे। चवदार तालाब पहुॅचकर डॉ. अम्बेडकर ने पहले तालाब का पानी पिया, तत्पश्चात हजारों आंदोलनकारियों ने भी पानी पिया। नगर निगम के अध्यक्ष के रुप में विष्णु नरहरि खोड़के ने डॉ. अम्बेडकर को 'चवदार सत्याग्रह' तथा 'मनुस्मृति दहन' जैसे आंदोलन के लिये सम्मान पत्र से सम्मानित किया। डॉ. अम्बेडकर एक एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे, जो अधिकार सवर्णो के लिये हो वही दलितों के लिये। वे एक समेकित समाज की रचना करना चाहते थे। डॉ. अम्बेडकर पुरुषों की भॉति नारी को भी सभी अधिकार मिलना चाहिए इस पक्ष में थे। उनका मानना था कि समाज का विकास नारियों के विकास के बिना संभव नही है। महिलाओं को सशक्त बनाने में डॉ. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। दलित नारियों को भी उन्होंने सवर्णो की भॉति वस्त्र धारण करने को प्रेरित किया। आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ दलित महिलाओं का भी समर्थन प्राप्त किया भारतीय समाज को सुधारने के लिये वे नारी शिक्षा पर जोर दिया। ऐसे बहुत से समाज सुधारक हुए, जिन्होनें महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों तथा कुरीतियों को मिटाने का कार्य किया किंतु बाबा साहेब अम्बेडकर ने पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभायी। समाज में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हो इस हेतु उन्होंने 1951 में 'हिंदु कोड बिल' पेश किया। जिसके अंर्तगत कन्या विवाह की आयु में वृद्धि की गई।

एक विवाह को मान्यता, स्त्रियों को तालाक का अधिकार, विधवा, पुर्नविवाह, संपत्ति पर अधिकार, गोाद लेने का अधिकार तथा तालाक शुदा महिलाओं को अपने पति से भरण पोषण का अधिकार का प्रावधान रखा गया। हिन्दु कोड़ बिल का अत्यधिक विरोध किया गया और यह पारित न हो सका आगे चलकर अलग अलग अधिनियमों के तहत हिंदु कोड़ बिल पारित कर दिया। डॉ. अम्बेडकर का योगदान अविश्मरणीय रहेगा।

डॉ. अम्बेडकर के द्वारा दलितों को मंदिर में प्रवेश हेतु कालाराम मंदिर आंदोलन 2 मार्च 1930 को चलाया गया। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इस मंदिर में सिर्फ सवर्ण वर्ग के लोग ही प्रवेश कर पाते थे। हिन्दु दलितों को प्रवेश का अधिकार नही था। बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक समानता चाहते थे, अत: उन्होनें एक सभा आयोजित की तथा अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करने का निश्चय किया गया। आंदोलनकारियों की चार टुकड़ियॉ बनाई गई और मंदिर के चारों दरवाजों पर पहुँच कर मंदिर में प्रवेश की मांग की, किंतु वहॉ के पुजारियों ने इसका विरोध करते हुए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिये। सभी तरफ पुलिस तैनात थी जिससे दलित मंदिर में प्रवेश न कर सकें। आंदोलनकारियों पर हमला भी हुए जिसमें डॉ. अम्बेडकर भी घायल हुए मंदिर का दरवाजा दलितों के लिये नहीं खुला।

डॉ.अम्बेडकर ने भारतीय समाज में अस्पृष्यता को मिटाने तथा सभी दलित वर्ग के लोगो को समानता दिलाने हेतु अपने लेखन कार्य के द्वारा अनेक पत्र पत्रिकाओं का सम्पादन कार्य भी किया। उनका मानना था कि दलितों को जागरुक तथा संगठित करने के लिये उनका स्वयं का प्रेस आवश्यक है। उसी उद्देश्य के लिये 31 जनवरी 1920 को 'मूक नायक' का प्रकाशन प्रारंभ किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे महानायक रहे जिन्होने एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की तथा उसे साकार करने का प्रयास किया जिसमें गरीब, दुर्बल एवं दलित वर्गो की समाजिक, आर्थिक दशा को सुधारा जा सके। शोषित वर्ग का उत्थान कर समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ करना चाहते थें। जिससे उनका भी सम्मान हो सके। बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संस्कृति, ज्ञान दर्शन, नीति और अध्यात्म चिंतन के युगपुरुष के रुप में भारतीयों के प्रेरणास्त्रोत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ.बालकृष्ण पंजबी, डॉ.अम्बेडकर:सामाजिक-आर्थिक विचार दर्शन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2014
2. रचना पत्रिका संयुतांक 142-147 जनवरी-दिसम्बर 2020
3. डॉ.एन.सिंह, दलित साहित्य के प्रतिमान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 110002 2012
4. डॉ.डी.आर.जाटव बी.आर. अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कुतित्व समता साहित्य भवन जयपुर।

****

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) - एक अध्ययन

डॉ. जयराम सोलंकी *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय गणेश शंकर विधार्थी महाविधालय, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अल्प्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व र्क अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बडा आर्थिक सुधार बताया है इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिनन दरो पर लगाये जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाणी लागू हो गयी है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त यंत्री इसके अध्यक्ष होते है। जी एस टी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है 0%, 5%, 12%,और 18% मोटे कीमती और अर्थ कीमतों पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर है। भारती की अर्थवयस्था को एक रेश एक कर प्रणाली वाली अर्थ व्यवस्था बना देगा। फिलहाल भारत वासी 17 अलग- अलग तरह के कर चुकाते है।, जब कि जी ए टी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह का कर दिया जाएगा। इसके लागू होते ही एक्साइज ड्रूटी, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे कर खत्म हो जाएगें।

उद्देश्य - उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अप्रत्यक्षकर सुधार योजना है जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय वाधाओं को दूर करके एक समाज बाजार को बांधकर रखना है। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। जी.एस.टी. एक मूल्य वर्धित कर है, जो कि विनिर्मा से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है।

अध्ययन के उद्देश्य :- प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न है।

1. देश के आर्थिक विकास में Goods& servise Tax के योगदान का अध्ययन करना।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी एस टी के प्रभावों का अध्ययन करना।
3. देश में जीएसटी लागू होने से आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।
4. देश में जीएसटी लागू होने वाली सम्भावनाओं का अध्ययन करना।
5. देश में जीएसटी क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कदम तथा कार्य योजना का अध्ययन करना।

अध्ययन प्रणाली - अध्ययन प्रणाली एक विश्लेणात्मन एक वर्णनात्मक है। इस अध्ययन में मुख्यत: Secondary Data का प्रयोग किया गया है अध्ययन सामग्री की प्राप्ति शोधग्रन्थों, सन्दर्भ ग्रन्थों एवं प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों, आलेखों से की गई तथा तथ्यों का विवेचन प्रभावित ढंग से किया गया है।

जी.एस.टी. की मुख्य विशेषताएँ :-

1. यह एक दोहरी जीएसटी कर प्रणाली है। जिसमें केंद्र एवं राज्य द्वारा समान कर आधार पर करारोपण होता है। प्रान्तीय बिक्री पर केन्द्र द्वारा लगाई जाने वाली जी.एस.टी. कही जाती है। जबकि उपरोक्त पर राज्य द्वारा लगाई जाने वाली एस.जी.एस.टी. होती है।
2. यह एक गन्तव्य आधारित उपभाग कर है। वर्तमान में वस्तुओं के निर्माण उनकी बिक्री तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के न्दिु पर कर देयता है, जबकि इसके विपरीत जी एस टी में वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर कर देयता होती है।
3. यह मानवीय उपभाग हेतु शराब तथा पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रेट्रोलियम अर्थात क्रूड, पैट्रोल, हाईस्पीड डीजल, नेजुरल गैस तथा एस.टी.एफ.को छोडकर सभी वस्तुओं में आपूर्ति पर आरोपित कर होता है। यह कुछ निश्चित वस्तुओं एवं सेवाओं को छोडकर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर निरूपित है।
4. जी.एस.टी. से लाभ - देश वासियों को जीएसटी से सवसे बडा फायदा यह है कि पूरे देश में समान पर एक ही टैक्स चुकाना पड रहा है। इससे देश भर में सामान की कीमत एक है, देश मे वस्तु और सेवा कर के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों में एक रूपता है।
5. जीएसटी लागू होने से टैक्स संरचना में सुधार हुआ है, टैक्स भरना आसान हो गया है। सेस टैक्स की चोरी भी रूकेगी। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर रहा है।
6. इस कर के लागू होने से चुंगी, सैन्ट्र सेल्स टैक्स राज्य स्तर के सैल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, टर्नओवर टैक्स, टेलीकाम लाइसेन्स फी, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाला टैक्स इत्यादि खत्म हो गया।
7. जीएसटी लागू होने से वस्तुओं और सेवाओं लागत में स्थिरता आदि।
8. जीएसटी लागू होने से कर चोरी में कमी आयी है ।
9. जी.एस.टी. उद्योगों एवं ई-कामर्स के लिए निर्णायक सावित हो रही है।
10. जी.एस.टी. से निश्चित राशि तक फायदा।

साहित्य की समीक्षा :

डॉ. आर वंसतगोपाल 2011 - भारत में जी एस टी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ी छलांग में निष्कर्ष के रूप में यह बताया कि भारत में वर्तमान जटिल कर प्रणाली से निर्वाहन (निजात) जी इस टी पर स्विचिंग भारतीय

अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। जी एस टी की सफलता दुनिया में 150 से अधिक देशों और एशिया में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के एक नई राह एवं नई दिशा की और ले जायेगी।

नितिन कुमार 2014 – ने अपने शोध अध्ययन वस्तु एवं सेवा कर आगे की और उन्मुख में निष्कर्ष के रूप बताया कि भारत में जी एस टी के कार्यान्वयन को वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली द्वारा आर्थिक विरूपण हटाने में मदद मिली है और अपेक्षाकृत अप्रत्यक्ष कर ढाँचे को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

पिंकी, सुप्रिया, काम्मा और रिचा वर्मा 2014– 'भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए वस्तु और सेवा कर रामबाण' में निष्कर्ष निकाला कि भारत में नई एनडीए सरकार जी इस टी के कार्यान्वयन के प्रति सकारात्मक है और यह केन्द्र सरकार के लिए फायदेमंद है और इस आई.टी. का बुनियादी ढाँचा का मजबूत होगा।

जयप्रकाश 2014– अपने शोध अध्ययन ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय और राज्य स्तर पर जी एस टी से कर, व्यापार कृषि और उपभोक्ताओं को इनपुट टैक्स सेट ऑफ और सर्विस टैक्स कि अधिक व्यापक कवरेज के जरिये ज्यादा राहत मिल जायेगी। जी एसी टी में कई करों को कम करना और सी एस टी से बाहर निकलने का काम करना। उद्योग और व्यापार के उत्तर भी वास्तव में उत्साहजनक रहे है। इस प्रकार जी एस टी हमें अपने कर आहार को विस्तृत करने का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करता है और हमें इस अवसर को शुरू करने के लिए याद नहीं करना चाहिए जब परिस्थितियां काफी अनुकूल है और अर्थव्यवस्था केवल हल्की मुद्रास्फीति के साथ स्थिर वृद्धि का आनंद ले रही है।

निशिया गुप्ता 2014 – ने अपने शोध अध्ययन में उल्लेख किया कि भारतीय ढाँचे में जी एस टी का कार्यान्वयन होगा। वैट सिस्टम अप्रभावित वाणिज्यिक लाभों कि और ले जाता है और अनिवार्य रूप से आर्थिक विकास में मदद करेगा जी एस टी उपभोग व्यापार कृषि और इसके लिए सामूहिक लाभ की संभावना में वृद्धि कर सकता है।

निष्कर्ष– जी एस टी बिल से देश के जटिल कराधान प्रणाली के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यह देश की जीडीपी अनुपात को सक्रिय रूप से सुधारने का प्रयास करेगा तथा मुद्रास्फीति को भी बाधित करेगा। जी एस टी ने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे FMCG, Auto तथा सीमेंट आदि के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। क्योंकि पहले विनिर्माण क्षेत्र पर कर का 24 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक भार पड़ता था। जो जीएसटी के लागू होने से अब कम है। वही बीमा क्षेत्र पर जी एस टी का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रीमियम तथा बैंकिंग सेवाओं पर कर की दर पहले जो 15 प्रतिशत थी जो अब बढाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा केा बढावा देगा एवं कर तटस्थ बनाने के साथ–साथ वय विनिर्माण लागात को कम करेगा। जिससे उपभोक्ता को वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध होगी जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति में सुधार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जी एस टी के लागू होने से कर चोरी व भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी और भविष्य में भार की जीडीपी अनुपात में भी वृद्धि होने की सम्भावना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. समसामायिकी महासागर अक्टूबर 2016, प्रकाशित: शीर्ष वस्तु एवं सेवा कर विधेयक संसद में पारित पृष्ठ संख्या 90।
2. घटना चक्र, वार्षिकांक नवम्बर 2016 के शीर्षक वस्तु एवं सेवा कर विधेय परित पृष्ठ संख्या 47।
3. दैनिक जागरण , समाचार पत्र (26 अक्टूबर 2016) शीर्षक वस्तु एवं सेवा कर सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लगेगा, पृष्ठ संख्या 17।
4. प्रजापति,जयप्रकाश 2017 'लघु उधोग और वस्तु एवं सेवा कर सम्भावनाऍं एवं चुनौतिया' जे एम एम इ जर्नल वोल्यूम 07 अंक 04 अक्टूबर 2017
5. वाणिज्य कर विभाग, मध्यप्रदेश

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

राष्ट्रीयकृत बैंको के विलय का कृषि वित्त पर सकारात्मक प्रभाव (बैंक ऑफ बड़ौदा के सन्दर्भ में)

बलवान सिंह राजपूत* डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी **

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय किसानो की आर्थिक दशा सुधारने में बैंक कृषि वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं वही दुसरी और विजया बैंक की शुरूआत कर्नाटक राज्य के किसानो की दशा सुधारने हेतु 1931 से की गई थी। परन्तु विजया बैंक का बैंक आफ बडौदा मे विलय तथा देना बैंक के एकीकरण के सन्दर्भ में यह किसानो को प्रभावित करती तथा यह..........किसान के कृषि ऋण किसानो के कृषि ऋण (कृषि वित्त) पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता हैं। एवं किसानो कृषि वित्त दिलाने मे बैंको का विलय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं ।

प्रस्तावना – किसानो की दशा सुधारने मे बैकिंग क्षेत्र का काफी योगदान रहा है। किसान पुराने समय से ही महाजनो के चगुंल मे फसकर कर्ज बोझ मे दबते चले जाते थे एवं वही किसान अपनी जमीन खोकर उसी जमीन का मजदुर बनता चला गया था वही दूसरी और इस कर्ज के पिंजरे से बैंकों ने कृषि वित्त की सहायता से किसानो को आजाद किया हैं। आज बैंको का विलय किसानों के लिए मददगार बन रहा हैं। बैंक विलय से किसानो को अधिक ऋण प्राप्ति हो रही है विजया बैंक एवं देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय भी किसानो के लिए मददगार सिद्ध हो रहा हैं।भारत की राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। सरकार द्वारा भी कृषको को आवश्यक वित्त दिलाने हेतु अनेक कदम उठाए है। 1970 के दशक मे दो बार बैंको का राष्ट्रीयकरण कर कृषको के हित मे कई योजनाए प्रारम्भ की गई है किन्तु बैंकिंग क्षेत्र के विशेष योगदान से ही आज किसान की आर्थिक स्थिती बेहतर व मजबुत हुई हैं। 90 के दशक मे किसानो के हितो के लिए इतनी योजनाए बैंक के पास नहीं थी पर आज बैंकों का रूझान किसानों के हितो की और बड़ रहा है। आज बैंको के विलय के पश्चात भी बैंक किसानो को कृषि वित्त प्रदान करने हेतु अग्रसर हैं,

परिकल्पना:

1. बैंक के विलय के कारण कृषि साख में वृद्धि हुई अथवा नही।
2. विलय होने वाली बैंको के किसानों के कृषि वित्त में नुकसान हुआ अथवा फायदा।

शोध प्रविधि एवं समंक सकंलन– प्रस्तुत परिकल्पना के परिक्षण हेतु केवल प्रस्तुत द्वितीयक समकों का संग्रहण किया गया है। विभिन्नता बैंक वेबसाइट प्रकाशीत बैंकिग रिपोर्ट इत्यादि जानकारीयो का उपयोग किया गया है।

बैंक आफ बड़ोदा– बैंक ऑफ बडौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को अल्कापूरी बड़ौदा गुजरात मे की गई थी। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इस बैंक की स्थापना की थी। 19 जुलाई 1969 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। विजया बैंक विजया की स्थापना श्री शेट्टी के द्वारा 23 अक्टुबर 1931 को मैंगलोर मे की गई थी। इसकी स्थापना विजयदशमी के दिन की गई थी इसलिए इसे विजया बैंक का नाम दिया गया। शुरूआत मे इस के पास 5 लाख की अधिकृत पूंजी तथा 2 लाख ही जारी पूंजी थी 17 सितम्बर 2018 को भारत सरकार ने विजया बैंक के विलय का पुस्ताव दिया। विलय को 2 जनवरी 2017 को मंजूरी प्राप्त हुई तथा 1 अप्रेल 2019 को प्रभावी हुआ।

देना बैंक– देना बैंक स्थापना देवकरण नानजी के परिवार द्वारा 26 मई 1938 को देवकरण नानजी बैंकीग कम्पनी लिमीटेड के नाम से की गई। यह 1939 मे सार्वजनिक लिमीटेड कम्पनी में परिवर्तित हुआ और कालान्तर मे इसका नाम बदलकर देना बैंक लिमीटेड हो गया। जुलाई 1969 मे 13 अन्य बड़े बैंको के साथ देना बैंक राष्ट्रीयकृत हुआ तथा यह बैंकिग अधिनियिम 1949 के तहत कारोबार करने लगा यह बैंक 1994 में वित्तीय क्षेत्र विकास परियोजना के तहत पूंजी बटाने हेतु विश्व बैंक द्वारा चुने गए 6 बैंको में से एक था।

विलय का प्रभाव– विजया बैंक एवं देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रेल 2019 के विलय के पश्चात यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक बन गया हैं।

इसके विलय के पश्चात निम्न बड़ोत्तरी हुई हैं।

कुल कारोबार – 14.82 लाख करोड़ा
कुल बैंक शाखाऐं – 9401
कुल एटीएम – 13432

कृषि वित्त पर प्रभाव– बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक एवं देना बैंक के विलय से विलीत बैंको के किसानों के कृषि वित्त में वृद्धि की गई हैं। वही दूसरी और बैंक ऑफ बड़ौदा के नये कृषक ग्राहकों को अन्य लाभ प्रदान हुआ हैं।

किसान	कृषि भूमि	स्वीकृत ऋण	अन्य फसल
सीमान्त किसान	5 हैक्टेयर भूमि	7.50 लाख	कृषि बीमा
लघु किसान	1 हैक्टेयर भूमि	1.80 लाख	कृषि फसल बीमा
भूमिहीन किसान	पशुधन पर	पशुधन का 95 प्रतिशत	पशुधन बीमा

(3) कृषि वित्त योजनाओं – बैंक ऑफ बडौदा में विजया बैंक में विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के पश्चात कृषि वित्त हेतु कई प्रकार के योजानाओं का संचालन किया हैं जो की किसानों को लाभ प्रदान करती हैं।

अ) बैंक ऑफ बड़ौदा किसान क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए एकल खिड़की के तहत बैंकिग प्रणाली का क्रेडिट समर्थन प्रदान करना।

पात्रता किरायेदार किसान मोखिक पट्टेदार शेयरधारक आदि योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ब) बड़ौदा किसान समुह ऋण योजना– बड़ौदा किसान समुह ऋण का उद्देश्य संयुक्त देयता समुह (JLG) को वित्त पोषित करना जो कि एक लचीली ऋण उत्पाद होने की उम्मीद है। पात्रता– खेती करने वाले किसान भूमी मौमिक पटटेदार किसान ऋण की मात्रा– किरायेदार किसान के लिए अधिकतम एक लाख

स) फाइनेसिंग ट्रेक्टर और हेवी एग्रीकल्चर मशीनरी – यह ऋण किसानो को नया ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर के उपकरण औजार पॉवर ट्रीलर इत्यादि खरीढने मे मदद करता हैं।

पात्रता– स्थायी किसान या किरायेदार किसान अथवा 4 एकड़ भी वाला किसान

भुगतान की अवधि– ट्रेक्टर के लिए भुगतान की अवधि 9 वर्ष हैं। तथा पॉवर ट्रीलर के लिए 7 वर्ष

द) सिचाई का वित्त पोषण – वित्तीय सिचांई का उद्देश्य कई क्षेत्रो मे मदद करता है जैसे– सतह से अच्छी तरह निर्माण

2) मौजुदा कुओं का गहरीकरण

3) तेल इंजन, इलेक्ट्रीक मोटर/ पंपसेट की स्थापना व्यय पात्रता– जमीन के मालिक, खेती करने वाले किरायेदार या पटटाधारक के रूप मे फसल की खेती मे करने लगे किसान पूर्न भूगतान की अवधि– चुकौती अवधि अधिकतम 9 वर्ष हैं

निष्कर्ष – बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय से कृषि वित्त साख में वृद्धि हुई हैं।

वही एक और बैंक शाखा एवं कारोबार में वृद्धि हुई वही दूसरी और किसानों को ऋण प्राप्ति की सुविधा के साथ ऋण की मात्रा में भी वृद्धि हुई हैं।

कुल मिलाकर कहा जा सकता हैं कि इन दोनों बैंको के विलय के कारण आज कृषि साखको फायदा ही हुआ हैं एवं बैकिंग प्रतिस्पर्धा को भी लाभ हुआ हैं। वही दुसरी और बैंक के विलय के पश्चात् बैंक ने विभिन्न प्रकार की योजनार प्रारम्भ की है जो की कृषि वित्त से जुड़ी हुई एवं कृषि वित्त इन सभी योजनाओ से सभी प्रकार के किसानो को लाभ प्राप्त हुआ वह किसान जो किराये से जमीन करते हैं एवं पटटेदार किसान भी अब वित्त प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं। बैंको की इन बहल के कारण आज हर वर्ग का किसान कर्ज से मुक्त हुआ तथा कृषि साख की उन्नती की ओर बडा हैं। बैंक आफ बडोदा जो की भारत का तीसरा बड़ा वाण्ज्यिीक बैंक बन चुका हैं। वह कृषि वित्त के पोषक हेतु अपना स्थान प्रथम प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं। इस प्रकार बैंक की इन सभी योजनाओं से कृषि वित्त पर सकारात्मक पुभाव हुआ हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 नवभारत टाईम्स – नई दिल्ली
2 wwww.rbi.org.in
3 www.bankofbaroda.com
4 www.ibfm.gov.org.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

रीवा सम्भाग के विद्युत उत्पादन के आर्थिक विकास की सम्भावनाएं एक अध्ययन

डॉ. रूपेश कुमार द्विवेदी *

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत वर्ष के प्रसिद्ध राज्य मध्यप्रदेश में रीवा संभाग की स्थिति मध्य केन्द्र ईशान कोण में हैं रीवा सम्भाग 40 से 39 अंश पूर्वी देशान्तर और 82 से 15 अंश पूर्वी देशांतर में तथा 22 से 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 85 से 12 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। रीवा संभाग में प्रमुख नदिया सोन नदी, टमस, ओड्डा, महाना, बीहर, गोपद, बनास, बेलन आदि नदिया स्थित है। जिसके कारण विद्युत उत्पादन की पर्याप्त संभावनायें है। रीवा संभाग में बाणसागर परियोजना, एन.टी.पी.सी., जे.पी. निगरी पॉवर प्लान्ट विद्युत का उत्पादन कर रहे है। जिसके कारण देश एवं समाज का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश में रीवा संभाग विद्युत उत्पादन का सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। रीवा सम्भाग में एन.टी.पी.सी., जे.पी. निगरी पॉवर प्लान्ट, बाणसागर परियोजना विद्युत उत्पादन का कार्य कर रही है। बिना विद्युत के रीवा सम्भाग ही नही, अपितु सम्पूर्ण देश का आर्थिक विकास सम्भव नही है। विद्युत उत्पादन देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास के लिये बहुत ही आवश्यक है। बिना विद्युत के किसी भी क्षेत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विद्युत उत्पादन से लोगों को रोजगार, शिक्षा, रहन-सहन एवं उनके आर्थिक विकास की सम्भावनायें बढ़ जायेगी।

शोध प्रविधि

समंक संकलन की पद्धतियां– प्रस्तुत शोध कार्य में दोनों प्रकार के समंकों का प्रयोग किया गया है, प्राथमिक समंकों के संकलन की पद्धतियां जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्त्रोतों से सूचना प्राप्ति, प्रश्नावली व अनुसूची के माध्यम से तथ्य संग्रह आदि उपयोग में लाई गई है। इसी प्रकार द्वितीयक सामग्री या समंकों का संकलन प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्त्रोतों से इकट्ठा किया गया है।

परिकल्पना :

1. रीवा संभाग में आर्थिक विकास में विद्युत उत्पादन की वास्तविक स्थिति अनिश्चित है।
2. रीवा संभाग के आर्थिक विकास में विद्युत उत्पादन का योगदान सम्भावित होगा।
3. रीवा संभाग में विद्युत उत्पादन भविष्य में आर्थिक विकास की दिशा में कितना उपयोगी सिद्ध होगा।
4. रीवा संभाग में विद्युत उत्पादन के आर्थिक विकास हेतु सरकार की योजनायें अपर्याप्त है।
5. विद्युत उत्पादन से रीवा संभाग के लोग लाभान्वितों की संख्या अनिश्चित है।

उद्देश्य :

1. रीवा संभाग में विद्युत उत्पादन केन्द्रों का अध्ययन करना।
2. रीवा संभाग में नये-नये विद्युत उत्पादन केन्द्रों की खोज करना।
3. रीवा संभाग में विद्युत उत्पादन केन्द्रों में आने वाली समस्याओं का पता लगाना एवं निराकरण के लिये सुझाव देना।
4. रीवा संभाग में विद्युत उत्पादन केन्द्रों से प्रबंधन व्यवस्था का अध्ययन करना।
5. विद्युत उत्पादन केन्द्रों को देश में अग्रणी बनाने के लिये प्रयास करना।

विषय परिचय – रीवा संभाग विद्युत उत्पादन केन्द्र का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। विद्युत के रीवा ही नहीं वरन् पूरे विश्व का विकास सम्भव नहीं है। रीवा संभाग में एन.टी.पी.सी., जे.पी. निगरी पॉवर प्लान्ट, बाणसागर परियोजना विद्युत उत्पादन का कार्य कर रहा है।

रीवा संभाग में विद्युत उत्पादन के अनेक महत्व है। जैसे विद्युत उत्पादन आर्थिक विकास का सूचक है। इसके कारण रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोत्तारी होती है। लोगों को आर्थिक स्थिति एवं रहन-सहन में परिवर्तन होता है। विद्युत आ जाने के कारण समाज में शिक्षा, राजनैतिक एवं सामाजिक विकास के साथ-साथ देश का भी विकास होता है। विद्युत आ जाने से कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ।

रीवा संभाग में विद्युत उत्पादन की कई समस्यायें है जैसे बांध में पानी का भराव कम होना, ताप विद्युत केन्द्रों में कायले की मात्रा का कम होना, विद्युत केन्द्रों में चलने वाले टरवाइनों का बीच-बीच में खराब हो जाना इसके बावजूद भी विद्युत उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिये सरकार एवं विद्युत केन्द्रों द्वारा समय-समय पर पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, ताकि विद्युत उत्पादन प्रभावित न हो और देश का विकास हो।

वर्तमान युग में विद्युत उत्पादन एवं उसका समुचित वितरण आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कृषि, व्यवसाय, यातायात, कुटीर एवं लघु उद्योग, वृहद उद्योग, विभिन्न समस्यायें एवं कार्यालय आदि के कार्यों के लिये विद्युत महती आवश्यता होती है। ज्यों-ज्यों रीवा सम्भाग विकास की ओर अग्रसर होता जा रहा है विद्युत का उपयोग बढ़ता जा रहा है। रीवा सम्भाग के सभी क्षेत्रों के पर्याप्त विकास के लिये विद्युत की आवश्यकता

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

है जो विद्युत उत्पादन की भरपूर मात्रा पर निर्भर करता है। विद्युत उत्पन्न करने के अनेक संकेत है। परम्परागत रूप से जल विद्युत एवं ताप विद्युत तैयार की जाती है तथा उनका विकास भी रीवा सम्भाग में तेजी से हुआ है।

विद्युत उत्पादन एवं वितरण का प्रबन्धकीय अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना समुचित प्रबन्ध को विद्युत उत्पादन एवं वितरण सम्भाव नहीं है। रीवा सम्भाग के विद्युत उत्पादन एवं वितरण की समुचित प्रबन्ध व्यवस्था आवश्यक है। ताकि विद्युत उत्पादन एवं वितरण में आने वली कमियों को दूर किया जा सके एवं विद्युत उत्पादन एवं वितरण में होने वाली हानि से बचा जा सके एवं रीवा सम्भाग का समुचित विकास हो सके। रीवा सम्भाग के विद्युत उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन जब तक विद्युत उत्पादन का प्रबंधन व्यवस्था सही तरीके से नही किया जायेगा तब तक विद्युत की उत्पादन एवं वितरण का सही उपयोग सम्भव नही होगा। अतः प्रबन्ध व्यवस्था सही होने से विद्युत उत्पादन में निरन्तरता बनाई जा सके तथा उसका समुचित आवश्यकता अनुसार वितरण सम्भव हो सके। विद्युत का समुचित वितरण के लिये मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से चार विद्युत वितरण कम्पनियाँ बनाई है जो अपने-अपने क्षेत्र में विद्युत वितरण का कार्य करती है रीवा सम्भाग पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तर्गत आता है।

रीवा सम्भाग के आर्थिक विकास के विद्युत की उपलब्धता आवश्यक होती है। बिना विद्युत के सम्भाग में किसी भी क्षेत्र का विकास सम्भव नही हो सकता, क्योंकि कृषि तथा छोटे-बड़े व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा वृहद उद्योग विभिन्न संस्थायें, कार्यालय सभी में समुचित संचालन के लिये विद्युत की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता जरूरी है। क्योंकि विद्युत के अभाव से किसी भी तरह की विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रीवा सम्भाग में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कृषि, छोटे-बड़े व्यवसाय, शिक्षण संस्थायें, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि का पर्याप्त मात्रा में विकास होगा, जिससे रीवा सम्भाग आर्थिक रूप से सम्पन्न होगा तथा रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी।

पूर्वी विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनी अपनी स्थापना काल से ही म.प्र. के पूर्वी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ती करती है। कम्पनी अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए निरंतर प्रयास एवं नवीन प्रयोग निरंतर करती रहती है। जिससे विद्युत आपूर्ती की निरन्तरता पर्याप्त रूप से होती रहती है। यह लाखों उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग कृषि कार्य एवं व्यवसायिक एवं औद्यौगिक कार्य हेतु बिजली उपलब्ध कराती है। विद्युत आज की महती आवश्यकता है। इसका प्रयोग छोटे से बड़े सभी में होता है। अतः इसकी समुचित आपूर्ती अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। लाख प्रयासों के बावजूद भी कतिपय समस्यायें सामने आई जो महत्व पूर्ण है। और इनका निराकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

रीवा सम्भाग में 2015-16 में बिजली उत्पादन की जानकारी

Station	Availability (MUs)		
	2014	2015	2016
Banasgar Tons HPS	890	925	997
Banasgar Tons HPS-Silpara	125	128	135
Banasgar Tons HPS-Devloned	78	81	86
Jaiprakash Power, Nigri Unit 1	1550	1602	1,662
Jaiprakash Power, Nigri Unit2	1598	1620	1,656
ATPS - Chachai-Extn	1420	1450	1,498
ATPS - Chachai-PH 1&2	1090	1105	1,189
NTPC Vindhyanchal MTPS, Stage - 4 Unit 1	903	960	981
NTPC Vindhyanchal MTPS, Stage - 4 Unit 2	890	910	952
NTPC-Vindyachal II	2285	2305	2,314
NTPC-Vindyachal III	1825	1860	1,873
BLA Power Unit 1	98	101	104
BLA Power Unit 2	68	70	73
Total	**12010**	**13117**	**13,430**

स्रोत- जनरेशन कम्पनी मध्यप्रदेश, वार्षिक प्रतिवेदन, 2015-16

निष्कर्ष - रीवा सम्भाग विकासोन्मुख सम्भाग है, मध्यप्रदेश के नक्शे में रीवा सम्भाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रीवा सम्भाग के वन, जल एवं खनिज सम्पदा, औद्योगीकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। यही कारण है कि रीवा सम्भाग में जल (बाधों, नदियों, झरनों) एवं कोयला खनिज सम्पदा से बड़ी मात्रा में बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई तथा सम्भाग का समुचित विकास करने हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत उत्पादन एवं समुचित वितरण का कार्य भी महत्वपूर्ण ढंग से सम्पादित किया जाने लगा, सम्भाग के दो बड़े बाँध बाणसागर एवं रिहन्द में बड़ी मात्रा में जल संग्रह किया जाकर नहरों के माध्यम से पानी प्रवाहित किया जाता है। जहाँ टर्बाईनों के माध्यम से बिजली तैयार की जाती है तथा नहरों का पानी खेतों में पहुँचाया जाकर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। छोटे बड़े कल-कारखानों के संचालन के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है तथा लोगों का जीवन स्तर सुखमय बनाने के लिए घरेलू उपयोग में विद्युत आवश्यक होती है। पेय जल व्यवस्था एवं औद्योगिक मशीनों के संचालन के लिए बाँधों से जल आपूर्ति की जाती है। तात्पर्य यह है कि रीवा सम्भाग में विद्युत उत्पादन के साथ-साथ वितरण व्यवस्था का भी समुचित प्रबन्धन आवश्यक है। रीवा सम्भाग में जल विद्युत एवं ताप विद्युत दोनों प्रकार का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। सिंगरौली क्षेत्र में उत्पादित विद्युत का विपरण पड़ोसी राज्यों में किया जाता है। इसके अलावा गैर परम्परागत विद्युत ऊर्जा हेतु सौर ऊर्जा का संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावॉट का सौर ऊर्जा केन्द्र रीवा जिले के गुढ़ बघवार पहाड़ी में स्थापित किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. रीवा दर्शन - डॉ. एस. अखिलेश
2. विद्युत ब्रह्मेति - सम्पादक एस.के. जैन, एस.के. शुक्ला, 2004
3. विद्युत ब्रह्मेति - सम्पादक बृजेन्द्र सिंह, एस.के. शुक्ला, 2007
4. विद्युत ब्रह्मेति - सम्पादक डी.के. सोनी, एस.के. जैन, एस.के. शुक्ला, 2003
5. विद्युत ब्रह्मेति - सम्पादक एस.के. शुक्ला, आर.के. चोपड़ा, 2010
6. बाणसागर टोन्स, हायड्रल प्रोजेक्ट - मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
7. विद्युत ब्रह्मेति - सम्पादक एस.के. गर्ग, एस.के. शुक्ला
8. प्रमुख विद्युत समंक - मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की पत्रिका

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

हरिऔध के काव्य में मानवीय आदर्श : प्रियप्रवास' का संदर्भ'

डॉ. रंजना मिश्रा *

* प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य 'अग्रणी' महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – खड़ी बोली हिन्दी काव्य में पं. श्रीधर पाठक के उपरांत हरिऔध जी को ही खड़ी बोली में सरस एवं मधुर रचनायें प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी कविता को पढ़कर पहली बार पाठकों को लगा कि खड़ी बोली काव्य भाषा के लिए पूर्णत: उपयुक्त भाषा है। हरिऔध जी की प्रारंभिक रचनायें 'रसकलश', 'श्रीकृष्ण शतक', 'कबीर कुण्डल' आदि ब्रजभाषा में लिखी गईं। उनके खड़ी बोली में रचित दो प्रमुख काव्य–ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं – प्रियप्रवास और वैदेही वनवास। हरिऔध जी की काव्य रचना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों और दुर्बलताओं पर व्यंग्य और आक्रोश व्यक्त करना और जाति सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और साहित्य सेवा की भावना प्रसारित करना है। भारतीय संस्कृति के प्रबल आख्यान के साथ ही हरिऔध जी आदर्श एवं नैतिकता के प्रबल पक्षधर थे।

'प्रियप्रवास' आधुनिक काल का खड़ी बोली हिन्दी का प्रथम महाकाव्य है जिसमें श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों के माध्यम से लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' जी ने किया है। इसमें वर्तमान युग की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप श्रीकृष्ण और राधा के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया। 'प्रियप्रवास' में हरिऔध जी का मूल उद्देश्य तत्कालीन युग में चलने वाले सुधारवादी आन्दोलनों को ध्यान में रखकर विश्वप्रेम, मानवता प्रेम, परोपकार और लोकसेवा है। इस ग्रंथ की महत्ता इस बात में निहित है कि कवि ने धार्मिक संकीर्णता को त्यागकर विश्वबंधुत्व, परदुखकातरता, निर्बलों की रक्षा उदारता एवं सहिष्णुता के भाव जाग्रत किये। हरिऔध जी ऐसी क्रांति के समर्थक हैं, जिसमें कई बार अत्याचारी को दण्ड देने के लिए हिंसा भी करनी पड़ती है।

मैथिलीशरण गुप्त कृत 'साकेत' और अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' कृत 'प्रियप्रवास' उस काल के खड़ी बोली हिन्दी के प्रमुख महाकाव्य थे। हिन्दी कविता को रीतिकालीन अश्लील श्रृंगार से मुक्त करके जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर उन्मुख करने का श्रेय द्विवेदीयुगीन साहित्यकारों को जाता है। 'सरस्वती' पत्रिका के सम्पादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी कविता की दिशा बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। एक ओर उन्होंने हिन्दी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया तो दूसरी ओर भाषा की व्याकरणिक त्रुटियों को दूर कर खड़ी बोली हिन्दी में मौलिक रचना करने के लिए तत्कालीन साहित्यकारों को अभिप्रेरित किया। वाक्यगठन के दोषों का परिचय कराते हुए हिन्दी गद्य में विराम चिन्हों का सूत्रपात कराया। खड़ी बोली हिन्दी द्विवेदी युग में ही काव्यभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के इसी जागरण सुधार काल में अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' नवजागरण और नवीन चेतना लेकर साहित्य जगत में उतरे। मैथिलीशरण गुप्त जैसे साहित्यकारों ने आचार्य महावीर प्रसाद को गुरु तुल्य माना और उनके प्रति इन शब्दों में सम्मान व्यक्त किया –

'करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद।
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद।।'

तत्कालीन युग के समस्त कवियों ने राष्ट्रीयता, स्वदेशाभिमान, समाजसुधार, आदर्शवाद और नैतिकता आदि भावों को अपने काव्य में प्रधानता दी।

हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' में अपने युग का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। राधा–कृष्ण के परम्परागत व्यक्तित्वों में परिवर्तन युग की मान्यताओं के कारण ही किये गये हैं। लोकसेवा, धार्मिक सहिष्णुता, परदुखकातरता, विश्वबंधुत्व, मानवतावाद के जो उत्कृष्ट भाव उनकी काव्यरचनाओं में निहित हैं, वे युगीन मान्यताओं के अनुरूप हैं। 'प्रियप्रवास' मूलत: वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। 'प्रियप्रवास' में राधा का विरह हिन्दी साहित्य का अनूठा विरह–वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में राधा को जब कृष्ण के मथुरा गमन का समाचार मिलता है तो वह सोचती है कि प्रिय से बिछुड़कर अब मेरे प्राण कैसे रह पायेंगे? उसे अपना समस्त जीवन उजड़ा–सा प्रतीत होता है। कृष्ण को पाने के लिए उसने व्रत उपवास किये हैं, गौरीपूजन किया है, देवी–देवताओं की विधिपूर्वक पूजा उपासना की है किन्तु अब उसे आशंका होने लगी है कि पता नहीं कृष्ण उसे पति–रूप में प्राप्त होंगे या नहीं। षष्ठम् सर्ग में राधा पवन को अपना दूत बनाकर प्रियतम श्रीकृष्ण के पास मथुरा भेजती है और उससे अनुरोध करती है कि तू मेरे प्रियतम की चरणधूल ला दे। मैं उसी को लगाकर अपने हृदय को शांत कर लूँगी।

– 'पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी।
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले औ चली जा।।
छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा।
जी जाऊँगी हृदय तल में, मैं तुझी को लगा के।।'

'प्रियप्रवास' महाकाव्य में श्रीकृष्ण के चरित्र को मानवीय रूप देकर कवि अपने नायक को स्वदेश की रक्षा में तत्पर तथा सेवा, प्रेम एवं जगतकल्याण में रत् दिखाता है। आधुनिक मानव के हृदय में मानवता का संचार करना तथा उच्च कोटि के मानवीय आदर्श समाज में स्थापित करना ही इस महाकाव्य का केन्द्र बिन्दु है। 'प्रियप्रवास' पर हरिऔध जी को 'मंगलाप्रसाद' पारितोषिक भी प्राप्त हुआ, जो युगीन मान्यताओं के आवृत्ता में इसकी महत्ता सिद्ध करता है।

'प्रियप्रवास' मूलत: वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है लेकिन साथ ही वियोग

वात्सल्य का भी मार्मिक चित्रण इसमें मिलता है। महाकाव्य के प्रथम सर्ग में संध्यावर्णन है, द्वितीय सर्ग में गोकुलवासियों की कृष्ण के आसक्त विरह से उत्पन्न व्यथा की अभिव्यक्ति है, तृतीय सर्ग में नंद की व्याकुलता एवं यशोदा की कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनौतियों का चित्रण है, चतुर्थ सर्ग में राधा के सौंदर्य का चित्रण है, पंचम् सर्ग एवं षष्ठम् सर्ग में गोकुलवासियों के विरह का निरूपण है, साथ ही राधा और यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। सप्तम् सर्ग में नन्द के मथुरा से लौटने पर यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों का मार्मिक वर्णन है। अष्ठम् सर्ग में गोकुलवासियों को कृष्ण के साथ बीते दिनों की याद करते दिखाया गया है। नवम् सर्ग में कृष्ण गोकुल की स्मृतियों में खोये हैं। दसवें एवं ग्यारहवें सर्ग में उद्धव प्रसंग है, वे गोकुलवासियों को सांत्वना देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। द्वादश सर्ग में श्रीकृष्ण का लोकोपकारक जननायक के रूप में चित्रण है। तेरहवें एवं चौदहवें सर्ग में गोपी-उद्धव संवाद है। पंद्रहवें सर्ग में कृष्ण वियोग में व्यथित गोपियों की दशा का चित्रण है तथा सोलहवें सर्ग में राधा-उद्धव संवाद है। अंतिम सत्रहवें सर्ग में हरिऔध जी ने निष्कर्ष रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है कि विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से अधिक महत्तवपूर्ण है। इस महाकाव्य के सत्रह सर्गों में श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं यथा मथुरागमन, यशोदा का पुत्र प्रेम, राधा और गोपियों की विरह व्यथा, पवनदूती प्रसंग, उद्धव-गोपी संवाद, पूतना, वकासुर एवं जरासंध-वध का वर्णन मिलता है। 'प्रियप्रवास' में कृष्ण को भगवान न मानकर एक महापुरुष, लोकसेवक और जननायक माना है। वे मानवता के अनन्य पुजारी हैं, अन्याय दमन में तत्पर हैं तथा मातृभूमि और अपने देश के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। विरह व्यथित ब्रजवासियों ने श्रीकृष्ण का गुणगान करते हुए उन घटनाओं का वर्णन भी किया है जो कृष्ण ने मथुरा जाने से पूर्व गोकुल में सम्पन्न की थी। यशोदा-विलाप, पवनदूती प्रसंग एवं राधा-उद्धव संवाद अत्यंत मार्मिक स्थल हैं।

'प्रियप्रवास' के सोलहवें सर्ग में राधा के उज्ज्वल, सात्विक एवं दिव्य विरह का निरूपण हरिऔध जी ने किया है। राधा भी अपने परम्परागत रूप में न होकर आधुनिक मानव-मूल्यों से समन्वित है। वह केवल आँसू बहाने वाली विरहणी मात्र नहीं है बल्कि कर्त्तव्यपरायण, परदुखकातर लोकसेविका है। वह नंद-यशोदा और समस्त ब्रजवासियों को धैर्य बँधाती है तथा दीन-हीन रोगी जनों की सेवा में लगी रहती है। वह अंतर्मन से यही चाहती है कि कृष्ण भले ही मथुरा से वापिस न आयें लेकिन लोकहित में संलग्न रहें। 'प्रियप्रवास' की यह नायिका विलासप्रिय नहीं है बल्कि सात्विकता, मानवतावादी प्रवृत्ति, कर्त्तव्यनिष्ठा एवं विश्वबंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। चतुर्थ सर्ग में वर्णित है कि कृष्ण के मथुरागमन का समाचार पाकर राधा अत्यंत व्यथित होती है, उसे अपना सम्पूर्ण जीवन उजाड़-सा लगने लगता है लेकिन षष्ठम् सर्ग में जब वह पवन को अपना दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजती है तो यही अनुरोध करती हैं कि रास्ते में जाते समय यदि तुझे रोगी मिले या श्रांत पथिक मिले तो तेरा कर्त्तव्य अपने शीतल स्पर्श से उसे सुख पहुँचाना है। यहाँ थकी हारी कृषकबाला की थकान को दूर करने का अनुरोध भी वह पवन से करती है। कृष्ण से विलग होकर राधा के व्यक्तित्व में सेवा, उदारता, करुणा, विश्वप्रेम जैसे भाव समाविष्ट हो गये हैं और वह इन उदात्तगुणों से सम्पन्न होकर मानवी से देवी बन जाती है। वह सोचती है कि जब मेरे प्रिय श्रीकृष्ण ने लोकहित का व्रत लिया है तो मुझे भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिये इसीलिए वह दीन-दुखियों एवं अनाथों की सेवा करते हुए आजीवन कौमार्य व्रत धारण करके लोकसेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बना लेती है। 'प्रियप्रवास' की राधा हिन्दी काव्य की अन्य विरहणियों यथा पद्मावत् की नागमती, भ्रमरगीत की राधा, यशोधरा और साकेत की उर्मिला से नितांत भिन्न है क्योंकि परोपकार और लोकहित ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। वियोग की गहरी पीड़ा को ऐसा उज्ज्वल परिवर्तित स्वरूप कोई विरला कवि ही दे सकता है नि:सन्देह 'प्रियप्रवास' की राधा हरिऔध जी की अनुपम सृष्टि है। उसका त्याग और आदर्श उसे जन-जन का प्रिय बना देता है।

'प्रियप्रवास' में नंद का चरित्र अत्यंत उदात्त दिखाया गया है। वे सबके सम्मानीय एवं श्रृद्धा के पात्र हैं। उनका हृदय वात्सल्य का अथाह सागर है। पुत्र वियोग से व्याकुल यशोदा को समझाते हुए वे एक आदर्श पति के रूप में उन्हें समझाते हैं। पुत्र की मंगल कामना के साथ समस्त जीवों की रक्षा उनके जीवन का अभिन्न अंग है। यशोदा मातृत्व की विमल विभूति है। उन्हें पुत्र के बिना सम्पूर्ण प्रकृति उदासी और शोक बढ़ाने वाली प्रतीत होती है- 'समय था सुनसान निशीथ का, अटल भूतल में तम राज्य था/प्रलयकाल समान प्रसुप्त हो, प्रकृति निश्चल नीरव शान्त था।' यशोदा के करुण हृदय की पुकार वियोग वात्सल्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

'हरिऔध' जी की काव्य रचना बृजभाषा के छन्दों से प्रारंभ हुई किन्तु कालान्तर में वे खड़ीबोली के समर्थ कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। बृजभाषा के अतिरिक्त वे संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और बंगला के भी अच्छे विद्वान थे। अनेक काव्य संग्रहों (प्रेमपंच, प्रेमाम्बु-वारिधि, काव्योपवन, कृष्ण-शतक, रसिक-रहस्य) के अतिरिक्त खण्ड-काव्य (वैदेही-वनवास), रीतिग्रंथ (रसकलश) उपन्यास (ठेठ हिन्दी का ठाठ, अधखिला फूल) समीक्षात्मक ग्रंथ (हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की आलोचना) एवं अनूदित साहित्य (विनोद वाटिका, बेनिस का बाँका, कृष्णकांत का दानपत्र) आदि लगभग 45 ग्रंथों की रचना की। इस महान साहित्य-सेवा के उपलक्ष्य में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें 'विद्या वाचस्पति' की उपाधि प्रदान की। 'प्रियप्रवास' राधा और कृष्ण के अलौकिक पावन प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान मार्मिक विरह का महाकाव्य है, जिसमें उच्च कोटि के मानवीय आदर्श स्थापित करना कवि का लक्ष्य है। यह समस्त प्राणियों के हृदय में सौहार्द और सद्भाव का संचार करने के उद्देश्य को लेकर सृजित किया गया। यह सम्पूर्ण काव्य खलनिन्दा एवं सज्जन प्रशंसा से ओतप्रोत है। नि:सन्देह 'प्रियप्रवास' का भावनिरूपण लोकशिक्षा के लिए है।

'प्रियप्रवास' में प्रकृति-चित्रण भी वातावरण निर्माण में सहायक हुआ है। प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण महाकाव्य के अनुकूल है। कवि ने गोवर्धन पर्वत की शोभा का वर्णन अथवा रात्रिकालीन वातावरण का भयावह चित्र विषाद, खिन्नता, शोक और उदासी आदि भावों को व्यक्त करने के लिए ही प्रस्तुत किया है।कवि ने लोकशिक्षा के लिए, अलंकार विधान के लिए प्रकृति चित्रण करते हुए प्राय: प्रकृति के समग्र रूपों का निरूपण इस महाकाव्य में किया है। आधुनिक मानव के हृदय में किस प्रकार मानवता का संचार हो तथा उच्च कोटि के मानवीय आदर्श कैसे स्थापित हों, यही प्रयास इस महाकाव्य का महत् उद्देश्य है। विश्वकल्याण, समस्त प्राणियों के हृदय में सौहार्द एवं सद्भाव का संचार हो, प्रेम का प्रसार हो, निष्कर्ष रूप में विश्वबंधुत्व की भावना का संचरण 'प्रियप्रवास' के सृजन के मूल में निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रियप्रवास- अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास- डॉ. नगेन्द्र

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास का अध्ययन

डॉ. आभा गोयल* रेशमा सेन **

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी(गृह विज्ञान) अवधेश प्रताप सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। आज का बालक ही कल का देश निर्माता है। जब बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सुदृढ़ होगा तभी वह भविश्य का जिम्मेदार नागरिक होगा। वर्तमान समय में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण एक ज्वलंत एवं संवेदनशील समस्या है। जिसके कारण प्रत्येक वर्ष कई बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं एवं वो अपना दूसरा जन्म दिवस भी नहीं मना पाते हैं क्योंकि जिन बच्चों में कुपोषण होता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत कम होती है तथा ऐसे बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है तथा उसके साथ ही साथ सभी विकास प्रभावित होते हैं एवं ऐसे बच्चे अपने उम्र के सामान्य बच्चों से सभी विकासात्मक कार्यो में पीछे हो जाते हैं।

किसी भी स्वस्थ्य राष्ट्र के निर्माण के लिए वहां के शिशुओं का स्वस्थ जन्म एवं पालन-पोषण होना अत्यन्त आवश्यक होता है बच्चे स्वस्थ होगें तभी उनके सारे विकास सही समय एवं उम्र में होंगे एवं वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे एवं अपने आगामी जीवन में अपने दायित्वों का निर्वहन देश के विकास में कर सकेंगे।

शब्द कुंजी – पोषण पुर्नवास केन्द्र, बच्चे, शारीरिक, बौद्धिक विकास।

प्रस्तावना – मानव ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण कृति हैं। आज का बालक ही कल का भविश्य हैं। जब बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सुदृढ़ होगा तभी वह भविष्य का जिम्मेदार भारत का नागरिक होगा। जब बालक जन्म लेता है तो वह दूसरें के ऊपर निर्भर रहता हैं। उसका 6 माह तक का पोषण आहार उसके मॉ के ऊपर निर्भर रहता हैं। अर्थात 6 माह तक केवल बच्चों कों स्तनपान कराया जाता हैं एवं 6 माह के बाद उसे संपूरक आहार खिलाना शुरू किया जाता हैं क्योकि 6 माह के बाद केवल मॉ के दूध से बच्चों की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं होती हैं अत: संपूरक आहार खिलाया जाता हैं। जिससे उसका विकास निरंतर होता रहें। यह तो सामान्य प्रक्रिया है लेकिन हमारे दे में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की स्थिति भयावह है।

कुपोषण क्या हैं – कुपोषण एक सामान्य शब्द हैं जो असंतुलित या अपर्याप्त आहार के कारण चिकित्सीय स्थितियों में प्रयोग किया जाता हैं। अधिकांशत: ये अपर्याप्त आहार,खराब अवशोषण या पोषक तत्वों के अत्यधिक क्षरण सें उत्पन्न अल्प पोषण को प्रदर्शित करता हैं। बार-बार संक्रमित बीमारियों के होने के कारण भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। कुपोषण के कारण मृत्युदर का खतरा बढता हैं।

यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु का कारण बहुत कम ही होता हैं किन्तु 2001 सें विकासशील दें में 54 प्रतिशत मृत्यु कुपोषण के कारण हुई हैं। उसमें प्रत्यक्ष रूप सें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण मृत्यु पाई गई थी। कुपोषण विश्व की एक ज्वलंत समस्या हैं, इसे दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलायें जा रहें हैं जिसमें करोडो रूपए सरकार इसे दूर करने के लिए खर्च कर रहीं हैं। महिला बाल विकास के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम इससे सम्बंधित चलायें जाते हैं।

कुपोषण के प्रकार – कुपोषण तीन प्रकार के होते हैं अर्थात इसे तीन प्रकार के मानकों द्वारा पहचाना जा सकता हैं।

1) कम वजन – बच्चा कम वजन का तब माना जाता हैं जब उसका लिंग और उम्र के अनुसार मानकवजन की तुलना में कम हैं। कम वजन या तो हाल ही के कुपोषण या दीर्घकालीन कुपोषण या दोनों के प्रभावों के परिणामस्वरूप हो सकता हैं। अत: स्टंटिग एवं वेस्टिंग नापने का यह एक संयुक्त तरीका हैं। इसका प्रयोग प्राय: जनसॅख्या की पोषण स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता हैं क्योकि वजन को नापना आसान हैं।

कम वजन को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता हैं-माध्यम कम वजन तथा अति कम वजन।

2) वेस्टिंग (दुबलापन) – एक दुबला बच्चा वह हैं जिसका वजन उसकी लंबाई के अनुसार उसकी लंबाई एवं लिंग के मानक की तुलना में कम हैं। दुबलापन वर्तमान कुपोषण के परिणाम स्वरूप वजन में वृद्धि की कमी या वास्तविक वजन के घटने से होता हैं। एक दुबला बच्चा कमजोर तथा पतला दिखता हैं तथा उसके शरीर से धीरे-धीरे वसा तथा मॉसपेशियां नष्ट होती जाती हैं इसका कारण हैं अपर्याप्त आहार लेना, अनुचित खान पान, व्यवहार, बीमारी संक्रमण या सभी।

3) स्टंटिग (ठिगनापन)– एक ठिगना बच्चा वह हैं जिसकी उम्र के अनुसार लंबाई उसकी उम्र के एवं लिंग के अनुसार मानक लंबाई की तुलना में कम होती हैं। स्टंटिग धीमी वृद्धि का सूचक हैं जिसका कारण हैं लंबे समय सें अपर्याप्त आहार मिलना या बार-बार संक्रमण से ग्रसित होना। यह लंबे समय से वृद्धि विफलता का सूचक हैं। प्राय: स्टंटिग का परिणाम विलम्ब से मानसिक विकास, पढाई में पिछडना एवं बौद्धिक छमता में कमी के रूप में दिखता हैं।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

बच्चों में कुपोषण की स्थिति-(भारत और मध्यप्रदेश)

मध्य प्रदेश में SAM का प्रतिशत NFHS (National Family Health Serve) के अनुसार 2015-16 में 9.2 हैं। भारत में बच्चों के गंभीर कुपोषण (SAM)का उच्च स्तर (6.4%) हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में SAM की संख्या 81 लाख हैं। एन.एफ.एच.एस-3 के अनुसार मध्य प्रदेशश में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में (50 प्रतिशत) आधे बच्चों का ठिगना कद हैं जिससे यह संकेत मिलता हैं की ये बच्चें लंबे समय से कुपोषण का शिकार हैं 35 प्रतिशत बच्चे अपनी लंबाई के अनुसार दुबले या पतले थे जबकि 60 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले थें।

कुपोषण के कारण - कुपोषण चिकित्सीय समस्या के साथ-साथ सामाजिक समस्या भी हैं जिसके विभिन्न कारण हैं। कम आहार लेने या पोषक तत्वों के कम अवशोषण के कारण कुपोषण होता हैं। कुपोषित बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती हैं और ऐसे बच्चों के संक्रमित होने की सम्भावना अधिक होती हैं। संक्रमण से बच्चे की पोषक स्थिति में गिरावट आती हैं और वह गंभीर कुपोषित हो जाता हैं इस प्रकार एक दुष्चक्र चलता रहता हैं उपरोक्त परिस्थिति में एक बच्चा स्वस्थ वृद्धि स्वस्थ वृद्धि के लिए पर्याप्त कैलोरी,प्रोटीन एवं विभिन्न पोषक तत्वों से वंचित रह जाता हैं जिसका परिणाम कुपोषण होता हैं।

जोखिम वाले कारक जैसें जन्म के समय कम वजन भोजन की कमी और स्तनपान कराना तथा आहार देने के अनुउपयुक्त तरिकों के कारण बच्चों की कुपोषित होने की संभावना होती हैं। वास्तव में कुपोषण तथा संक्रमण एक साथ होता हैं।

कुपोषण के कारण बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती हैं और संक्रमण का खतरा बढ जाता हैं संक्रमण के कारण बच्चे की भूख तथा खाने की इच्छा कम हो जाती हैं पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ जाती हैं या पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता हैं जिसके कारण कुपोषण और गंभीर हो जाता हैं इस प्रकार बच्चा एक दूश्चक्र में फस जाता हैं।

कुपोषण पर कई कारणों का प्रभाव पडता हैं। जो पोषण स्थिति कों विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करते हैं ये तत्कालीक कारण हैं अपर्याप्त आहार तथा बीमारियां जो व्यक्ति के स्वास्थ को प्रभावित करती हैं अपर्याप्त आहार लेने आहार में विविधता की कमी कम अवशोषण या पोषक तत्वों के अत्यधिक क्षरण तथा बार-बार बीमारी के संक्रमण के कारण कुपोषण होता हैं।

अप्रत्यक्ष कारण वे कारण हैं जो परिवार या समुदाएं को प्रभावित करते हैं अलग-अलग परिवारों तथा समुदायों में यह कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं इन्हे हम तीन वर्गो में बांट सकते हैं आहार की कम उपलब्धता, माताओं तथा बच्चों की अपर्याप्त देखभाल तथा अपर्याप्त स्वास्थ सेवाएं एवं प्रदूषित वातावरण ये एक दूसरें से संबधित हैं ओर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली क्रिया दूसरे क्षेत्र पर विशिष्ट प्रभाव डालती हैं।

मूल कारण वे कारण हैं जो पूरे समाज पर प्रभाव डालते हैं किन्तु समाज के अंदर विभिन्न समूहों पर इनका कम या अधिक प्रभाव पडता हैं इसकें अंतर्गत आर्थिक कारक जैसे भोजय पदाथों के मूल वृद्धि राजनैतिक कारण जैसे गरीबी समाज में निम्न स्थान तथा सामाजिक बहिष्कार वैचारिक कारक जैसे संस्कृति धर्म तथा पंराम्परागत आदतें आदि।

पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC)- पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना मध्य प्रदेश में 2008 में की गई जिससे बच्चों के कुपोषण को दूर किया जा सकें। मध्य प्रदेशश में वर्तमान में कुल 315 पोषण पुनर्वास संचालित हैं जिसमें प्रदेश के सभी 51 जिलों सहित सभी विकासखडों में पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गए हैं **NRC** को स्वास्थ विभाग के माध्यम सें संचालित किया जा रहा हैं। इसमें ऐसे बच्चों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाती हैं जो की अति कुपोषण रहते हैं।

NRC में कुपोषण बच्चों को 14 दिन के लिए भर्ती किया जाता हैं तथा जरूरत पडने पर इस अवधि को 21 दिनों के लिए भी बढाया जा सकता हैं। पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों को चिकित्सकीय आहार खिलाया जाता हैं एवं उनके संक्रमण को दूर किया जाता हैं।

Interdisciplinary Relevance : प्रस्तावित शोध विषय सामाजिक विज्ञान,मनोविज्ञान एवं मानव विकास से सम्बन्धित है।

Review Of The Work Already Done In The FieldNFHS (National Family Health Servey) 2015-16 सभी की रिपोर्ट अनुसार मध्यप्रदेश में 9.2% बच्चें कुपोषित हैं।

Alessandra (2012) - के अनुसार Arm का Anthropometry पोषण स्तर कों नापने के लिए किया जाता हैं। कुपोषण के साथ ही विभिन्न प्रकार की बिमारियों को diagnose किया गया हैं जो कि clinical outcome से संबधित थी तथा इसके माध्यम से होने वाली अन्य समस्याओं की भी जानकारी प्राप्त हुई।

Bhoite and Layer (2011)- के अनुसार में यह पाया गया कि कम वजन का स्तर cdc 2000 के अनुसार 71.3% था जबकि WHO 2007 के Standard के अनुसार 67.8% था लम्बे समय से चले आ रहें कुपोषण अर्थात Stunting का स्तर 33% था जिसका Consumption MDM में 52.8% था तथा एक स्कूल में 63.6% था MDM का Consumption सबसे ज्यादा दिसम्बर (66.6%) और जनवरी में (61.7%) था। साप्ताहिक Consumption बच्चों की पसन्द और नापसंद के ऊपर 58% से 74% था। निरंतर निगरानी के बाद यह पाया गया कि स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार पाया गया।

Joshiet at (2011) - में 786 बच्चों का अध्ययन किया जिसमें उन्होने पाया कि 26% बच्चे Under Nourished थें और 13% Student तथा 12% Wasted थें। और केवल 1% दोनों Student ओर Wasted थें।

वर्तमान के अध्ययन सें यह पता चलता हैं कि इसका प्रमुख कारण माता का अशिक्षित होना, व्यवसाय, आहार की जानकारी न होना तथा मासिक आय बहुत कम होना आदि हैं जो बच्चे के पोषण स्तर को प्रभावित करता हैं ये सभी पोषण स्तर कों प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।

Narlechede et al (2011) - ने अपने अध्ययन में पाया कि 52.23% बच्चे विभिन्न Grade के कुपोषण सें ग्रसित थें। 32.18% बच्चे ग्रेड 3 0.5% बच्चे ग्रेड 2 के थें। 2-3 तीन वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 842.6 Kcal की आवश्यकता होती हैं तथा 3-4 वर्ष के लिए 956.12 Kcal की एवं 4-5 वर्ष के बच्चों का 1096.24 Kcal की आवश्यकता होती हैं। पोषण पुर्नवास केन्द्रों के माध्यम से समुदाय के अति कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाता हैं तथा उनकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार आहार प्रदान किया जाता हैं।

Shaili (2011) :- के अनुसार (41.20%) माताओं के बच्चें कम वजन वाले पाये गए जो अशिक्षित थे। (92.20%) माताएं ग्रहणी थी और बेरोजगारी थी जहां अधिकतर बच्चे (88.46%) बच्चे कम वजन के थे।

तथा जिनकी माताओं ने मजदरी की और ग्रहणी थी उनके बच्चों में कम वजन की स्थिति (54.22%) थी।

Sudha Gandhi (2011)- की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे विकासशील दो में पोषण जनित बीमारी में एनीमिया प्रमुख हैं जो मुख्यत: महिलओं एवं बच्चों में पाई जाती हैं। यह प्रमुख रूप सें गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं में पाया जाता हैं।

Fernandez (2010) - के कर्व के अनुसार Muac की नाप उसके Sensitivity और Specificity को Identify करता हैं। who standard की विभिन्न Muac की cutoff value हैं जो कि NCHS की standard value की तरह ही हैं Muac Sensitivity और Specificity का मापन उम्र के ऊपर निर्भर करता हैं।

Suman and Premananda (2010)- के अध्ययन के अनुसार जो बच्चें जंगलों के पास रहते हैं उनमें कम वजन की समस्या गॉवों और शहरों में रहने वालों की तुलना में 33.87%, 24.62% तथा 20.16% ज्यादा पाई जाती हैं। जंगलों के पास रहने वालों में मलेरिया की षिकायत पाई गई तथा आर्थिक स्थिति गांवों की एवं शहर में रहने वालों की आदतें भी कम वजन एवं Stunting सें संबधित होता हैं। इसकों कम करने के लिए आवश्यक हैं कि उनको आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएं तथा मलेरिया की जांच के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएं।

शोध के उद्देश्य :

1. कुपोषित बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन करना।
2. कुपोषित बच्चों के बौद्धिक विकास का अध्ययन करना।
3. कुपोषण के कारण जीवन मे पडनें वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
4. कुपोषण कों दूर करनें के उपायों का अध्ययन करना।
5. कुपोषण को दूर करने मे पोषण पुर्नवास केन्द्रों की भूमिका का अध्ययन।
6. अभिभावक को कुपोषण के दुष्परिणामों सें अवगत कराने बावत्।

शोध परिकल्पनाएँ :

1. कुपोषण के कारण बच्चों का शारीरिक विकास अवरूद्ध हो जाता है वह अपने उम्र के बच्चों की तुलना में पीछे रह जाता है।
2. कुपोषण के कारण बच्चों का बौद्धिक विकास अवरूद्ध हो जाता है
3. कुपोषण के कारण बच्चों के सभी विकास देर से होते है।
4. कुपोषित बच्चे में मृत्यु का खतरा स्वस्थ बच्चों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है।
5. कुपोषित बच्चों में संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है।
6. पोषण पुर्नवास केन्द्र कुपोषण को खत्म करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है।

Tools :

1. Electronic weight machine (वजन के लिये)
2. MUAC (Mid Upper Arm Circumference) Tape (बाह नापने के लिये)
3. Digital Camera
4. Infrantometer (लम्बाई नापने के लिये)

शोध प्रविधि – किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञानरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित कारकों से प्रेरित होकर ही शोध कार्य के लिए प्रेरणा मिलती है एवं उसके ऊपर कार्य किया जाता है। वर्तमान में शोध या अनुसंधान का अत्याधिक महत्व है क्योंकि किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण एवं सत्यापन अनुसंधान के द्धारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में सम्बन्धित विषय के वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया जाता है; प्राथमिक आंकड़े स्वंय कार्य स्थल पर जाकर मूल स्त्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्धारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती बच्चों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न प्रकाशित, अप्रकाशित पुस्तकों ? शोध पत्र, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन सतना शहर के संबंध में हैं जिसकी कुल जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 22,28,619 है। जिसमें से पुरूष 1156734 एवं महिलाएं 10,71,885 है एवं 1000 पुरूषों के अनुपात में 926 महिलाएं है। जिसमें बच्चियों का अनुपात 1000 में 913 है। शोधार्थी द्धारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं जिसमें शोधार्थी द्धारा 200 बच्चों को लेकर शोध कार्य पूरा किया गया।

आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन– अनुसंधानकर्ता द्धारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या :–प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के अंतर्गत आने वाले सतना जिले के समस्त पोषण पुर्नवास केन्द्रो में भर्ती बच्चों का चयन किया गया है।

तालिका क्रमांक 1.1 : पोषण पुर्नवास केन्द्र

क्र.	चयनित केन्द्र का नाम	विस्तरों की संख्या
1	सतना जिला अस्पताल	20
2	सिविल अस्पताल मैहर जिला सतना	10
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नागौद	10
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर	10
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उचेहरा	10
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरपाटन	10
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोठी	10
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां	10
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामुर बाघेलान	10
	कुल संख्या	100

उक्त सारणी सतना जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य के कार्यालय से मिली रिपोर्ट अनुसार है।

तालिका क्रमांक 1.2 : पोषण पुर्नवास केन्द्रों के चयनित बच्चों की संख्या

क्र.	चयनित केन्द्र का नाम	बालक	बलिका
1	सतना जिला अस्पताल	20	20
2	सिविल अस्पताल मैहर जिला सतना	10	10
3	पोषण पुर्नवास केन्द्र नागौद	10	10
4	पोषण पुर्नवास केन्द्र रामनगर	10	10
5	पोषण पुर्नवास केन्द्र उचेहरा	10	10
6	पोषण पुर्नवास केन्द्र अमरपाटन	10	10
7	पोषण पुर्नवास केन्द्र कोठी	10	10

8	पोषण पुर्नवास केन्द्र मझगवां	10	10
9	पोषण पुर्नवास केन्द्र रामुर बाघेलान	10	10
	कुल संख्या	100	100

जिले की समस्त 9 एनआरसी से बच्चों का चयन किया गया जिसमें 100 बालक एवं 100 बालिकाओं का चयन किया गया; जिसमें अध्ययन में पाया गया कि 70 प्रतिशत लड़कियों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा प्रभावित है। तथा उनके सभी विकास उनके उम्र से देर से शुरू हुआ इसी प्रकार बालकों में 55 प्रतिशत में विकास प्रभावित पाया गया एवं सभी विकास देर से शुरू हुए।

तालिका क्रमांक 1.3 : पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास

	संख्या	मध्यमान	प्रमाणित विचलन	टी मूल्य
शारीरिक विकास	100	98.78	1.78	15.76
बौद्धिक विकास	100	95.86	1.03	

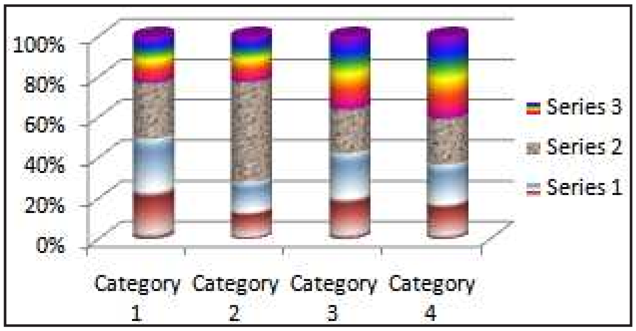

निष्कर्ष :

1. समस्त पोषण पुर्नवास केन्द्र से प्राप्त आंकडों से यह सिद्ध हुआ है कि भर्ती बच्चों का शारीरिक विकास सामान्य बच्चों से कम था।
2. पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती बच्चों का सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक विकास कम पाया गया।
3. भर्ती बच्चों का सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने का स्तर कम पाया गया।
4. पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती बच्चों का 2 माह 15 दिवस तक अवलोकन किया गया जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास में बहुत सुधार पाया गया तथा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से ही अच्छा मानसिक विकास हो सकता है ;
5. पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती कर शिशुओं को स्वास्थ्य प्रदान करना एवं शिशु मृत्युदर को कम करना।

सुझाव :

1. माता पिता को पोषण के प्रति जागरूक करना तथा बच्चों को पोषण की जानकारी देना।
2. शिशुओं को 6 माह तक केवल स्तनपान कराये एवं 6 माह के बाद सम्पूरक आहार शुरू करना तथा कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान कराना।
3. बच्चों को अगर कोई बीमारी हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाकर इलाज कराना।
4. प्रत्येक माह आंगनवाड़ी केन्द्र में ले जाकर वजन, और ऊँचाई की नाप कराना तथा स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना।
5. सम्पूरक आहार में घर की बनी खाद्य सामग्री खिलाना एवं बाहर की खाद्य सामग्री का उपयोग न करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. United nation international childern's emergency fund (UNICEF), the state of the world's children, oxford, 2005
2. Bhaskar Rao, "Textbook of communist medicine" 2nd edition paras medical publisher, Hyderabad ,(2006) pg,.no. 510-511
3. United Nations International childern's emargency, new delhi 2004
4. Gopalan.c and kamala jaya rao (1980). In preventation in childhood of health problems in adult life, falkner (ed) Geneva, WHO.
5. Dr. Abha Goyal, Introduction of Human Development.

****

जनजातिय दशा सुधार हेतु अधिनियम कानुन व बाधाएँ

डॉ. के. आर. कुमेकर *

* सह-प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, सनावद (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – साक्षरता के आधार पर एक सुदृढ एवं विकसित समाज आकार लेता है। कानूनों की सही जानकारी ही हमें अपने कर्त्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत करती हैं। कानूनी साक्षरता के अभाव में निरक्षर ही नही पढ़े-लिखे लोग भी कानून की जानकारी के अभाव में अक्सर ठगे जाते है। सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द्र से ही एक विकसित समाज के निर्माण का सपना सच हो सकता है। जनजातियों के आर्थिक उन्नयन मात्र से ही बात नही बनेगी। इन जनजातियों को बराबरह का सम्मान देकर पूरे समाज को एक ही धरातल पर लाने से ही सत्ता विकास सम्भव है।

शब्द कुंजी – जनजातिय, अधिनियम, कानून।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश जो कि भारत का हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है। यह राज्य भारत का एक समृद्ध जनजातीय बाहुल क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या 1,53,16,784 है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का 20.28 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में 46 जनजातिया निवासरत हैं जिनमें से गौड जनजाति की संख्या सबसे अधिक इसी राज्य में है। अनुसूचित जनजाती का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है।

जनजाति का अर्थ - भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते है जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित है। जो सभ्य,समाजों से दूर जंगल, पहाडो तथा पढारी क्षेत्रों मे निवास करते है। इन्ही समूहो को जनजाति ,आदिम समाज, वन्य जाति, आदिवासी आदि नामों से जाना जाता है।

परिभाषा :

डॉ.घुरिये के अनुसार - भारत में जनजाति पिछडे हुए हिन्दु है।

रॉल्फ लिंटन के अनुसार - सरलत रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है। जिसका एक सानिध्य वाले भूखण्डो पर अधिकार हो और जिसमें एकता की भावना, संस्कृति में बहन सामान्यत: निरन्तर सम्पर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में सामानता से उत्पन्न हुई हो।

संविधान में अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष तौर पर अथवा नागरिक रूप से उनके अधिकारों को मान्यता देकर उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विकास करने एवं उनकी सामाजिक अयोग्यता को दूर करने हेतु सुरक्षाएँ प्रदान की गई हो, जो निम्नलिखित रूप से इस प्रकार है– अनुच्छेद 15 (1,2) में प्रावधान है कि धर्म, वंश जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलो एवं लोक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेष तथा राज्य द्वारा बनाए अथवा आंशिक रूप में सहायता प्राप्त अथवा जनता के प्रयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा आम जनता के ठहरने के स्थान के प्रयोग के बारे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नही किया जाएगा। संविधान की धारा 341 के अधीन पिछड़े वर्गों/समुदायों को जो अस्पृश्यता एवं सामाजिक अयोग्यताओं के शिकार थे, उनको अनुसूचित जाति घोषित किया गया। संविधान के लागू होने के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों को सूची संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के अन्तर्गत विज्ञापित किया गया है। अब तक विभिन्न राज्यों एवं संघ, प्रदेशों के लिए अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ को निर्दिष्ट करते हुए 15 राष्ट्रपति आदेश जारी किए जा चुके हो। अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ की वर्तमान सूची में कोई संशोधन संसदीय कानून द्वारा होता है। सरकार ने अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की कोई परिभाषा नही दी है। प्राधिकारियों की इच्छानुसार कोई भी जाति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति बन सकती है। केवल इतना ही नही, समाज शास्त्रियों के परामर्श पर विशुद्धतया राजनीतिक कारणों से कुछेक समुदायों को लाभ प्रदान करने हेतु 'अनुसूचित' कर दिया गया है। स्वयं को अनुसूचित घोषित कराने के लिए अन्तत: हिंसा का सहारा लेना पड़ा।

अनुच्छेद 16 – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्य के अधीन नौकरियों में सबको अवसर की समानता देने की बात कही गई है।

अनुच्छेद 17 – में छुआछूत को समाप्त करते हुए कहाँ गया है कि यदि अस्पृश्यता या इसके किसी भी रूप का कोई प्रयोग करता है

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 366(25)** में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए **अनुच्छेद (342)** में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है, तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मध्यप्रदेश के लिये जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन (1976) में इन्हें 46 समुदाय के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया था। भारत सरकार कि अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2003 द्वारा मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंकित क्रमश: कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को सूची से विलोपित किया गया है। इस प्रकार मध्यप्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का हैं, और

वहीं मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.10 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का हैं। देश में छोटे बडे समूहों में अनेक जनजातियों का अस्तित्व हैं किन्तु उनमें अण्डमानी, बोडो, भील, चकमा, गोण्ड, खासी, नागा, उराव, संथाल, टोडा, डोंगरिया, कोंध, बोण्ड आदि प्रमुख हैं।

संविधान की पाँचवी अनुसूची के पैरा 4 के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था हेतु एक आदिवासी सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान किया गया हैं। इस समिति में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन चौथाई अनुसूचित जनजाति के विधानसभा सदस्यों का होना अनिवार्य हैं। भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई जनजातियों का यहाँ की जनसंख्या में महत्वपूर्ण स्थान हैं। देश के मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक जनजातियाँ हैं। जनजातियों में अनेक प्रजातिय तत्व पाऐ जाते हैं। अत: प्रजातिय तत्व के आधार पर किसी एक जनजाति को यहाँ की मूल जनजाति या मूल निवासी नहीं कहाँ जा सकता।

जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिये बनाये गये अधिनियमों का विवरण इस प्रकार है:

1. **मध्यप्रदेश एस.सी. एस.टी. डेब्ट रिलीफ एक्ट ,1967 संशोधन 1972:-** इस एक्ट के तहत कर्ज में डुबे हुये जनजातीय सदस्यों को सहायता पहुचाई जाती है तथा साहूकारों के शोषण से छुटकारा दिलया जाता है।

2. **मध्यप्रदेश डेब्ट रिलीफ एण्ड मोरेटोरियम 1973 एक्ट:-** इस अधिनियम के द्वारा छोटे किसानों ओर भूमिहीन मजदूरों को सुरक्षा दी जाती है तथा शोषकों को दंडित किया जाता है।

3. **एक्ट अगेन्स्ट लैंड असर्पिंग, म.प्र. 1976:-** इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि हडपने संबंधी प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही की जा सकती है। यह कृषि से संबंधित कर्जो द्वारा हीने वाले शोषण से मुक्ति प्रदान करता है।

4. **दि एम.पी. अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम, 1976:-** इसअधिनियम के द्वारा साहूकारो की मनमानी पर रोक लग सकी है। इसके तहत साहूकारों को लाइसेन्स लेना अनिवार्य है और ये मनमानी ढंग से कर्ज की वसूली नही कर सकते ।

5. **प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स, 1989:-** इस अधिकनयम के द्वारा जनजातियों के लिए विशेष कोर्ट कचहरियों की व्यवस्था की गई है।

6. **दि मध्यप्रदेश शिड्यूल्ड एरिया फोटोग्राफी रूल्स,1982:-** इस अधिनियम के द्वारा जनजातिय क्षेत्रो में मानवीय गरिमा को धटाने वाली फोटोग्राफी पर रोक लगाा ढी गर्ठ है।

7. **दि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट,1955:-** इस अधिनियम के द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। नियम तोडने वाला दंडित किया जाता है।

8. **मध्यप्रदेश अस्पृश्यता निवारणर्थ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम:-** इस अधिनियम के द्वारा अस्प्श्यता के निवारण एवं अन्तर्जातीय विवाहों के वैधानिक सांक्षण में यह अधिनियम महत्वपूर्ण हैं।

9. **मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, आदिवासी राहत योजना नियम, 1979:-** इस अधिनियम के द्वारा कठिनाई में पडे जनजातीय परिवारों को तुरन्त सहायता प्रदान करने संबंधी नियम ।

10. **मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति कानूनी सहायता नियम,1960:-** इसके द्वारा अत्यंत गरीब जनजातीयों को कोर्ट कचहरियों तें न्याय प्रप्त करनें के लिए सुविधाए ढी जाती है।

11. **मध्यप्रदेश नागरिक क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टा धृति अधिकारों का प्रदान किया जाना, एक्ट 1844:-** इसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में जनजातियों की आवास संबंधी कठिनाईयों को हल किया जाता है।

12. **अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम, 1983:-** इस अधिनियम के द्वारा के तहत, प्रदेश में एक आयोग की स्थापना की गइ है, जो जनजातियों के हितों की सुरक्षा करता है।

13. **मध्यप्रदेश लोक अधिकारों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन अधिनियम, 1989:-** इस अधिनियम के द्वारा देश के विकास के लिए चलाये जा रहे बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने का प्रावधान हे, ताकि जनजातीय क्षेत्रों की उन्नति हो सके।

14. **मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम, 1980:-** अधिनियम के द्वारा शासन ने जनजातियों को उनकी भूमि एवं रहवासी मकानों पर स्वामित्व के अधिकार दिलवाये।

15. **मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह:-** समाज के कमजोर वर्गो को इस अधिनिम के द्वारा मुफ्त में विधिक सहायता एवं सलाह का प्रावधान है।

समस्याएँ – ये सारे कानून एक सीमा तक ही प्रभावी हो सकते है। क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति के लिए कानून से अधिक आवश्यकता जागरूकता की होती है। और यह भी स्पष्ट है कि भारत में या यह कहे कि मध्यप्रदेश में जनजातियों के प्रति बहुत ही कम जागरूकता है। साथ ही साथ जनजातियों में जागरूकता की कमी देखी गई है। तमाम सरकारी प्रयासों व योजनाओं के बावजूद देश में मौजुद जनजातिया व्यापक असुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। समाजगत समस्याएं भी इसके लिए जिम्मेदार है। उन्हे अपनी पारंपरिक आजीविका के स्त्रोतो से बेदखल होने का भी डर है। साथ ही अपनी जमीन और परिवेश से उजाडे जानें का भी खतरा बना रहता हैं आज वनों की संख्या का व्यापक ह्रास होता जा रहा है। इससे जंगल मे रहने वाली जनजातियों के लिए पूर्नवास की समस्याए बढती जा रही है। खनन कम्पनियों के द्वारा उन्हे विस्थापित किया जा रहा है।

सुझाव :

1. आर्थिक पहलुओं के स्तर पर इनसे जुडी समस्याओ को हल करने के लिये आदिवासी परिवारों को कृषि हेतु पर्याप्त भुमि देने तथा स्थापांतरित खेती पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से उन्हें अवगत कराना भी एक विकल्प है।
2. जनजातियों की जनजातियों की गरीबी को मिटाने के लिए एक समाजवादी राष्ट्र को समुचित कदम उठाने होगे।
3. जरूरत हैं समय रहते उनकी समस्याओं पर समूचित ध्यान दिये जाने कि जिसमें आदिवासी की शिक्षा, स्वास्थ, पेयजल , बिजली, आवास आदि बुनियादि जरूरतों की पूर्ति ,इमानदार प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हो तो हम एक शिक्षित स्र्वस्थ लोकतांत्रिक समुदाय का निर्माण कर सकतें है।
4. सामाजिक असमापना को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
5. हम शिक्षित जनजातिय युवाओं के बीच करियर काउंसलिंग के तहत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी सिविल सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी देकर इसके एक तरफ उनका सामाजिक स्तर उपर उठेगा तो दूसरी ओर उन विघटनकारी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा जो उन्हे विद्रोही बनने पर मजबूर करता है।

6. जनजातियों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। ताकि वे ग्रामीण स्तर पर भूमि दस्तावेजों से संबंधित सूचनाए प्राप्त कर सके।
7. जनजाति और वनवासी अधिकार विधेयक के अन्मर्गत जनजातियों के भूमि संबधी अधिकारो को बढाया गया है।

निष्कर्ष – वर्तमान के मानवीय हस्तक्षेप से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हुआ है। वही जनजातियों के अस्तित्व का भी सवाल खडा हुआ है। आज आदिवासी विरोध प्रदर्शन के जरिए अपने हक की लडाई लड रहे है। जबकि सरकारी प्रयासो के सही क्रियान्वयन के अभाव की वजह से उनकी समस्याए और बढी है। जनजातियों के पुर्नवास और उनके समुचित संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार के उपर है। एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होने के कारण इसकी यह जिम्मेदारी बनती है। कि प्राचीन सभ्यता के विलुप्त होने के पूर्व उसकी रक्षा के लिए प्रयास करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तिवारी डॉ. शिवकुमार एवं शर्मा डॉ. श्रीकमल, मध्यप्रदेश की जनजातियाँ, प्रकाशन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2. द्विवेदी डॉ. परेश, जनजातीय क्षेत्र और नियोजित विकास, प्रकाशन बी. के. तनेजा क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी 28, शॉपिंग सेन्टर, करमपुरा, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

कार्यस्थलों पर महिला प्रसाधन व्यवस्था एवं स्वच्छता का अध्ययन (शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में)

डॉ. मनीषा सक्सेना* अदिती जोशी **

* अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, डॉ.बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (मानव विकास) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना –किसी भी समाज की प्रगति का आंकलन समाज की महिलाओं के अधिकार ,पोषण स्तर, महिलाओं से संबंधी स्वच्छता, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के स्तर को आकना से तात्पर्य है, परिवार, समाज के लिए महिलाओं का स्वास्थ होना आवश्यक है, महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छता, स्वच्छ पेय जल व्यवस्था, उचित प्रसाधनों की व्यवस्था, प्रसाधनों में स्वच्छता एवं जल व्यवस्था तक की पहुच को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और विकासशील देशों की महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल की व्यवस्था, सुलभ किफासतों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान करता है।

कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं प्रसाधन व्यवस्था को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत् विकास लक्ष्य 6.2 प्रतिशत का आह्वान किया गया, जिसका उद्देश्य अस्वच्छता, अस्वच्छ प्रसाधनों से होने वाले रोगों से बचा जा सके।

युनिसेफ की रिर्पोट के अनुसार (2017) विश्व में 500 मिलियन से अधिक महिलाओं के पास प्रसाधन व्यवस्था नहीं है, तात्पर्य विश्व कि 13% महिलाओं गंदे प्रसाधन, प्रसाधनों में जल असुविधा, प्रसाधनों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंध में प्रसाधनों का उपयोग करने में महिलाएं असमर्थ पायी गई ,युनिसेफ की रिर्पोट के अनुसार (2017) में 50% भारतीय महिलाओं को स्वचछ प्रसाधनों की समस्याओं का सामना करना पड़ता, युनिसेफ की रिर्पोट के अनुसार (2018) में 60% महिलाएं कार्यस्थलों पर प्रसाधनों की अव्यवस्था एवं प्रसाधनों में अस्वच्छता की समस्याओं से जुझ रही थी, कार्यस्थलों पर गंदे प्रसाधनों का उपयोग करने के कारण महिलाओं के स्वस्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है जैसे युटीआई (यूरीनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन), स्सिट , हिचिंग, बैक्टीरियल या यिस्ट इंफेक्शन या किसी गम्भीर बिमारीयों का होना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आर्गेनाईजेशन एण्ड लाइफ सेवर के अनुसार (2019) कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं को गंदे प्रसाधनों के उपयोग से लगभग 57.5% महिलाएं यूरीनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन से ग्रसित थी , यदि महिलाएं इन संक्रमणों के प्रति जागरूकता न होतो यह संक्रमण गम्भीर रूप ले सकती है।

साहित्य की समीक्षा –

1. श्रीवास्तव, अजुर्न, 2018, के अध्ययन के अनुसार 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्छता' सर्वे क्षण के तहत, महिला प्रसाधनों में 32.1 प्रतिशत असुविधा का आंकड़ा प्राप्त हुई। जिससे महिलाओं को अनेक समस्याएं एवं बीमारीयों का सामना करना पड़ता है।
2. शेखरी, शितल एवं महाजन, कनीका, 2019, शौचालय तक पहुच और महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा, ने अध्ययन में पाया की 16.5 प्रतिशत महिलाओं को प्रसाधनों का उपयोग करने मे असुरक्षा महसुस करती है, सन् 2000 में 40.1 प्रतिशत ही महिलाओं के पास प्रसाधन की व्यवस्था थी, जो की 2019 में 60.9 प्रतिशत प्रसाधनों की व्यवस्था में इजाफा हुआ।

उद्देश्य :

1. कार्यस्थलों पर महिला प्रसाधन की व्यवस्था का अध्ययन।
2. कार्यस्थलों पर महिला प्रसाधन की स्वच्छता से संबंधीत अध्ययन।
3. अस्वच्छ प्रसाधनों के कारण होने वाली बिमारीयों का अध्ययन।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध में गुणात्मक पद्धति के अंर्तगत उद्देश्यपुर्ण निदर्शन का उपयोग करते हुए शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं पर अध्ययन किया गया। महिलाओं के प्रसाधन संबंधी व्यवस्था का अध्ययन कर शोध उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए विवरणात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई।

अध्ययन का क्षेत्र –मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले को अध्ययन के क्षेत्र हेतु चुना गया।

अध्ययन का समग्र– इन्दौर जिलों में स्थिति शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों को अध्ययन का समग्र चुना गया।

अध्ययन की ईकाई– शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारी अध्ययन की ईकाई है।

निदर्शन– उपरोक्त शोध प्रविधि में मध्य प्रदेश के इन्दौर जिलों में स्थिति शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से चुना गया जिसके चार विश्वविद्यालयों (दो शासकीय विश्वविद्यालयों दो अशासकीय विश्वविद्यालयों) में कार्यरत कामकाजी महिलाएँ सम्मिलित है। इस प्रकार कुल 92 जिसमें (46 श.वि.वि, 46 अ.श.विवि) महिलाओं को चयनित किया गया जिसमें कामकाजी महिलाओं से प्राथमिक ऑकड़ों का उद्देश्यानुसार संकलन कर सारणीबद्ध तरीको से शोध पत्र प्रस्तुत किया गया।

अध्ययन से संबंधीत तथ्यों के लिए प्राथमिक तथा द्वितियक तथ्यों का संग्रहण किया गया। जिसमें प्राथमिक तथ्यों के लिए साक्षात्कार अनुसूचि, अवलोकन एवं द्वितियक तथ्यों के लिए पत्रिका, पुस्तके, इंटरनेट आदि का

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

उपयोग किया गया।

उद्देश्यानुसार तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण–

तालिका 1 (निचे देखे)

तालिका 1 के अनुसार **शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों** मे कार्यरत महिलाओं को प्रासधन संबंधीत समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे – 17.39% एवं 15.21% प्रसाधनों में अनुचित व्यवस्था, 6.25% एवं 8.69% प्रसाधनों में वस्तुओं की अव्यवस्था, 8.69% एवं 4.34% रोशनदान, 8.69% प्रसाधनों से वस्तुओं का चोरी हो जाना इत्यादी के कारण महिलाएं प्रभावित होती है, 4.43% जहरीले जानवरों का प्रसाधन में आजाना, 8.69% प्रसाधनों में जल की अव्यवस्था, 4.34% सेनेटरी मशीन की कोई व्यवस्था नही जिसके कारण महिलाओं को मासिक धर्म में समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है, 4.34% एवं 6.25% प्रसाधनों में असुरक्षा (दरवाजे या कुण्डी न होना) जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

तालिका 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 के प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार **शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों** में महिलाएं प्रसाधन अस्वच्छता के कारण महिलाएं प्रसाधन का उपयोग करने में असमर्थ रहती है– 19.56% एवं 30.43% अस्वच्छ प्रसाधन, 23.91% एवं 19.56% कई दिनों तक प्रसाधनों मे अस्वच्छता, 26.08% एवं 23.91% बदबुदार प्रसाधन, 30.43% एवं 26.08% सेनिंटाइजिग की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।

तालिका 3 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 3 के प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार **शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों** में प्रदुषित प्रसाधनों के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है जैसे–यूटिआई की समस्या 10.86% एवं 26.08% हिचिंग की समस्या 6.25% एवं 23.91%, स्सिट की समस्या 4.34% एवं 6.25% जैसे संक्रमणों का महिलाएं सामना करती है।

निष्कर्ष– नारी समाज का अभिन्न अंग है, स्वस्थ्य समाज, स्वस्थ्य परीवार एवं मानव जाति कल्याण के लिए नारी का स्वस्थ्य रहना अति आवश्यक है परन्तु अस्वच्छता, प्रदूषित प्रसाधनों के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधीत समस्याओ का सामना करना पड़ जाता है, कामकाजी महिलाओं को प्रति दिन सार्वजनिक प्रसाधनों के उपयोग से महिलाओं को संक्रमण का सामना करना पड़ जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. युनिसेफ 2017
2. युनिसेफ 2018
3. डब्लय. एच.ओ. 2018
4. युनिसेफ 2019
5. सिंह, बी. एन.(2010), नारी जगत की स्थिति का परिदृष्य, इटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली
6. घोलीपरो, ए. (2010), महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव, इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च, 3(1)
7. दायपके, माथिया एण्ड रटिल्ट, मिशन (2011), कार्यस्थलों पर प्राप्त सुविधाओं से जुझती महिलाएं, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली
8. श्रीवास्तव, अजुर्न, 2018, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्छता सर्वेक्षण, इंटरनेशनल क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
9. शेखरी, शितल एवं महाजन, कनीका, 2019, शौचालय तक पहुच और महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा, शोध लेख, जर्नल आफॅ आक्युपेशन हेल्थ, वा. 2, आई.एस.एस.न.–1314–4398

तालिका 1 : प्रसाधन में व्यवस्था

स्वच्छता एवं प्रसाधन व्यवस्था	शासकीय विश्वविद्यालय		अशासकीय विश्वविद्यालय	
	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
प्रसाधनों की उचित व्यवस्था	08	17.39	07	15.21
प्रसाधन में वस्तुओं की अनुउचित व्यवस्था	03	6.52	04	8.69
तौलिया, सौप, डस्टबीन, मग, बाल्टी, हैड़वॉश इत्यादी	04	8.69	05	10.86
बिजली की व्यवस्था (अप्रकृतिक प्रकाश)	03	6.25	06	13.04
हवादान या रोशनदान	04	8.69	02	4.34
महिला एवं पुरूष प्रसाधनों का आस–पास होना	06	13.04	03	6.25
सेनेटरी मशीन	01	2.17	02	4.34
प्रसाधनों में जहरीले जानवरों का होना	02	4.34	02	4.34
प्रसाधनों से वस्तुओं का चोरी हो जाना	04	8.69	04	8.69
प्रसाधनों में जल अव्यवस्था	02	4.43	02	4.34
प्रसाधनों में असुरक्षा (टुटे हुए दरवाजें, कुण्ड़ी का न होना) आदि	04	8.96	03	6.25
कच्चा प्रसाधन	02	4.34	04	8.69
अंधेरे में या अलग–थलग प्रसाधन की व्यवस्था	03	6.25	02	4.34
योग	46	100	46	100

तालिका 2 : अस्वच्छ प्रसाधन

अस्वच्छ प्रसाधन व्यवस्था	शासकीय विश्वविद्यालय		अशासकीय विश्वविद्यालय	
	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
अस्वच्छ प्रसाधन	09	19.56	14	30.43
कई दिनों तक प्रसाधनों मे अस्वच्छता	11	23.91	09	19.56
बदबुद्वार प्रसाधन	12	26.08	11	23.91
सेनिंटाइजिग की कोई व्यवस्था नहीं	14	30.43	12	26.08
योग	46	100	46	100

तालिका 3 : प्रदुषित प्रसाधनों से होने वाली समस्या

समस्याएं	शासकीय विश्वविद्यालय		अशासकीय विश्वविद्यालय	
	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
यूटिआई समस्या	05	10.86	11	26.08
हिचिंग समस्या	03	6.25	09	23.91
रिसट समस्या	02	4.34	03	6.25
बैक्टीरियल समस्या	11	26.08	02	4.34
अस्वच्छता के कारण गम्भीर समस्या	10	21.73	06	13.04
मासिक धर्म में होने वाली समस्या	09	23.91	10	21.73
अन्य संक्रमण	06	13.04	05	10.86
योग	46	100	46	100

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

लोकतांत्रिक सहभागिता सामाजिक परिवर्तन एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. शकरी चौहान *

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – लोकतांत्रिक सहभागिता मैं जनता की ऐसी भूमिका को इंगित करती है जिसमें वह राजनैतिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और पक्षों में संचेतन रीति से अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। तथा अपना योगदान देती है इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता के विविध आयाम है दृष्टांत अभिमुखीकरण, राजनीतिक प्रश्न के संबंधों में जिज्ञासा, स्पष्ट दृष्टिकोण का अभिकल्पन राजनीतिक दलों की गतिविधियों भागीदारी, मतदान एवं निर्वाचन में भागीदारी, आदि।

सहभागिता की प्रकृति बहुमुखी होती है और साथ ही बहुस्तरीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की सहभागिता अनेक बार केवल औपचारिक और अभ्यासी मात्र हो जाती है, अर्थात,जनता का कोई भाग, ही अनायास ही राजनीतिक प्रक्रिया के किसी एक पक्ष में भागीदारी हो जाते हैं, किंतु न तो यह भागीदारी तो सुविचारित अथवा योजना बुद्ध होती है, और न ही यह भागीदारी उससे समबद्ध व्यवस्थागत कारकों द्वारा निर्धारित और प्रभावित होती है। स्वाभाविक रूप से ऐसी 'अचेतन' और 'यांत्रिक' भागीदारी राजनैतिक सहभागिता का वास्तविक समरूप नहीं मानी जा सकती है। राजनीतिक सहभागिता एक सचेतन' प्रक्रिया के रूप में समझी जा सकती है,जिसमें सहभागी, राजनैतिक प्रक्रिया के चरण विशेष में अपनी सक्रियता की मान्यता, उद्देश्यों और प्रभावों के प्रति जानकारी रखते विकल्पों का विवेक समंत चयन करता है। इस प्रकार वास्तविक और सार्थक सहभागिता लोक प्रशिक्षण की अनिवार्यता को रेखांकित करती है।

लोकतंत्र में जनता की सहभागिता तभी सार्थक जनता हो सकती है जबकि जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के औपचारिक चरणों निर्धारण करें। दूसरे शब्दों में,मतदान में भाग लेने वाली एक मतदाता कीमत देने की क्रिया मात्र को राजनैतिक सहभागिता नहीं माना जा सकता। किंतु यदि वह मत देना मतदान के मुद्दों, व उद्देश्यों व विकल्पों की सटीक पहचान एवं विचारधारा गत चयन तथा अपने सु निर्धारित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति को अभी प्रेरित कर रहा है तो उसे राजनैतिक प्रक्रिया का वास्तविक सहभागी माना जा सकता है।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में महिलाएं लोकतंत्र में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदर्शित कर रही है। संसद और विधान मंडलों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या और विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के रूप में उनकी भूमिका से स्पष्ट है कि देश में महिलाओं में राजनैतिक चेतना दिनों –दिन बढ़ती जा रही है। अब तक हुए विभिन्न चुनावों से भी ऐसा ज्ञात होता है कि महिलाओं में वोट को स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की प्रवृत्ति भी बढी है। भारतीय महिलाओं ने राज्यपालों, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और राजदूतों के रूप में भी यश प्राप्त किया है। आज महिलाओं की राजनैतिक चेतना एवं लोकतांत्रिक सहभागिता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई हैं। आज शिक्षा, उद्योगीकरण एवं नवीन विचारधारा के प्रभाव के समाजिक, आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाओं की परिस्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिकोण हो रहे हैं। महिलाओं में शैक्षिक विकास की परिणाम स्वरुप उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। आर्थिक स्वालंबन से महिलाओं के आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में भी प्रगति हुई है, आज समाज के हर क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है ।आज महिलाओं की सामाजिक जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। अब वे आडम्बर युक्त सामाजिक प्रथाओ को बेकार समझने लगी है, रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बढ़ रही है, और वे नवीन विचारधाराओं का समर्थन करने लगी है। परिवार में भी महिलाओं की परम्परागत पारिवारिक परिस्थिति में भी बदलाव आया है। आज महिला पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी सहयोगी और मित्र के रुप में है, परिवार में उसकी स्थिति वाचिका की न होकर एक प्रबंधक की है। स्पष्ट है कि वर्तमान में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक, स्थिति में परिवर्तन के साथ–साथ लोकतांत्रिक सहभागिता में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है ग्रमहत्वपूर्ण बात यह है कि और वर्तमान समय में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित पुरानी मान्यताओं में शिथिलता आई है।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति से उतार–चढ़ाव से परिपूर्ण आ रही है। उसकी स्वतंत्रता,आत्मनिर्भरता, स्वयं से पूर्ण ईकाई के अस्तित्व को पुरुष संचालित समाज ने निरंतर अवहेलना की दृष्टि से देखा है। स्वयं नारी भी अज्ञानता का शिकार रही है ग्रउसे हमेशा ही शोषण, पुरुष की अधीनता , दासता और अत्याचार सहना पड़ा है। स्वतंत्र एवं स्वच्छता वातावरण में जीने का अवसर उसे कम ही मिलता रहा है।कहने को तो महिलाओं के सम्मान और उनकी प्रशंसा मैं यहां तक कह दिया गया कि 'यंत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता' कितु व्यवहार में उन्हें अत्याचारों और अपेक्षा का ही सामना

करना पड़ा है, उन्हें सदियों से अबला कह कर घर की चहारदीवारी में ही कैद रखा गया है ,भले ही सदृष्टि, समाज और देश के विकास में महिलाओं और पुरुषों का सम्मान योगदान रहा हैं।

उद्देश्य– इस शोध आलेख के निम्नलिखित उद्देश्य है :

1. वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों में हुए परिवर्तन से अवगत कराना।
2. महिलाओं मैं तीव्र गति से बढ़ती हुई राजनैतिक चेतना एवं लोकतांत्रिक सहभागिता उल्लेख करना।
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया का इस रूप विकेंद्रीकरण की और निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों तक नीति निर्धारण किया जा सके।

शोध पद्धति– प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। शोधकर्ता द्वारा अवलोकन एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से संकलित तथ्यों के आधार पर विषय का विश्लेषण किया गया है।

वर्तमान और इतिहास का अवलोकन करने पर अब यह स्पष्ट हो रहा है कि 21वीं सदी में समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। पश्चात्य प्रभाव एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार के परिणाम स्वरूप, समाज में विशेषत: महिलाओं में गत शताब्दी से कुछ जागरूकता आई है। आज नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, और उसकी आत्मा निर्भरता बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा भी महिलाओं की शिक्षा दीक्षा एवं उन्हें विविध सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनके लिए हितकारी कानून भी बनाए गए हैं। जिसके कारण आज महिलाओं की स्थिति और पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं के सभी क्षेत्रों में स्पष्टतया परिवर्तन हो रहे है।

आर्थिक विकास– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा उद्योगी करण, नवीन विचारधारा के प्रभाव के कारण महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया करना अनैतिक रूप से देखा जाता था स्वतंत्रता के प्रति पश्चात बड़ी संख्या में मध्य वर्ग की महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक क्षेत्रो और अर्थोपार्जन के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज कल्याण, मनोरंजन विभिन्न उद्योगों और कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यक्तिगत प्रतिषठानो और औदयोगिक केंद्रों में महिला कर्मचारियों की मांग निरंतर बढ़ रही है। पर भारतीय महिलाओं के मनोवृति में अमूल चूल परिवर्तन न हो सकने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने को विशेष प्राथमिकता देती है।

महिला में आर्थिक आत्म निर्भरता में वृद्धि होने के कारण उनके आत्मविश्वास, कार्य क्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है, कि उनके व्यक्तिगत जीवन की तुलना उस महिला से किसी प्रकार नहीं की जा सकती। जो आज से कुछ ही वर्ष पहले तक संसार की संपूर्ण लज्जा को अपने घुघट मैं समेटे हुए पुरुष के शोषण के साये मैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थी।

सामाजिक विकास– वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक जागरूकता में वृदधि हई है। अब पर्दा प्रथा को बेकार समझने लगी है और घर के चहारदीवारी से बाहर खुली हवा में सांस ले रही है। आजकल की स्त्रियों के विचारों और दृष्टिकोण में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि अब वे अंतजातीय विवाह, प्रेम विवाह ,आज विलंब विवाह को अच्छा समझने लगी है। आज की विलंब विवाह महिलाओं में निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। जातिय नियमों और रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ रही है। अब वे रूढ़ीवादी सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। आज अनेक स्त्रियां महिलाओं के संगठनों और क्लबो की सदस्य है। कई तो समाज कल्याण कार्य में लगी हुई हैं। आज परिवार में महिलाओं की स्थिति की दृष्टि में भी कॉफी परिवर्तन आ गया है ग्रआज महिला पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी सहयोगी और मित्र है परिवार में उसकी स्थिति वाचिका की न होकर प्रबंधक की है।अशिक्षित महिला संयुक्त परिवार के बंधनों से मुक्त होकर एकांकी परिवार की स्थापना कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है। अब बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय का उपयोग,पारिवारिक अनुष्टानों की व्यवस्था पारिवारिक योजनाओं के रूप के निर्धारण में महिलाओं का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की नई पीढ़ी स्वयं ही महिलाओं को उनके पारिवारिक अधिकार देने के पक्ष में है, और यदि किसी कारण उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा गया तो आने वाले समय में वे अपने अधिकारों को अपनी स्वयं की शक्ति भी प्राप्त कर आज महिलाओं में सामाजिक चेतना तीव्र गति से बढ़ रही है।

राजनैतिक चेतना में वृद्धि– राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति जिस तेज गति से ऊची उठने लगी है, वह वास्तव में एक अश्चर्य की बात है। कुछ समय पहले राजनैतिक क्षेत्र में लाभ के लिए उचित नहीं समझा जाता था। भारत उन देशों में शामिल है जहां स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के मताधिकार प्राप्त था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने और स्वतंत्रता पश्चात भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को आरक्षण एवं अनेक सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी यहां महिलाओं की संसदीय भागीदारी के साथ–साथ चुनावो में कम हिस्सेदारी देखी जाती है। सन 1657 के चुनावो में महिलाओं के लिए 41 स्थान आरक्षित होने पर केवल 10 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा जबकि 1667 मैं महिलाओं चुनाव के लिए खड़ी हुई, और उनमें से 165 चुनाव भी जीत गई।1677 के चुनाव बाद राज्यसभा और लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या 42 थी जबकि 1680 के आम चुनाव के बाद यह संख्या बढ़कर 45 हो गई।

वर्ष 1650 से 2010 तक के लोकसभा चुनाव व परिणामों के संदर्भ में महिलाओं ने अपनी भागीदारी को प्रदर्शित किया है 1650 के लोकसभा चुनाव में जहां 22 महिला उम्मीदवार विजय हुई, वही 2004 के लोकसभा चुनाव में 45 और राज्यसभा में 14 महिला उम्मीदवार चुनी गई। 2004 के डॉ. मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाली मंत्रियों में 7 महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ।

पंद्रहवीं लोकसभा मैं संसद में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या 50 से अधिक हो गई पंद्रहवीं लोकसभा की बड़ी बात यह है कि भारतीय इतिहास में पहली बार एक महिला को लोकसभा अध्यक्षय बनने का मौका मिला। यह अप्रत्याशित की 15वीं लोकसभा मैं उपेक्षित महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढा है। लगभग 58 महिलाएं लोकसभा पहुंची थी, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा था। वर्तमान समय में विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकायों के चुनावो में महिलाओं का प्रतिनिधित्व शुभ संकेत देता है 2006 का चुनावी साल नारी शक्ति के नाम रहा। इस सत्र पर गौर करें तो देश की राष्ट्रपति पद पर महिला, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर महिला, सत्तारूढ़ दल की अध्यक्षा महिला, विपक्षी दल में भी प्रमुख पद पर महिला सुषमा स्वराज)आसीन रही। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है की वर्तमान

समय में महिलाएं लोकतंत्र के प्रति अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदर्शित कर रही है। संसद और विधान मंडलों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या और विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और यहां तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के रूप में उनकी भूमिका से स्पष्ट है कि देश में महिला में राजनैतिक चेतन दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। देश में अब तक हुए विभिन्न चुनाव से भी ऐसा ज्ञात होता है कि महिलाओं में वोट का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भी भारतीय महिलाओं ने राज्यपालों कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और राजदूतों के रूप में यश प्राप्त किया है। स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में महिला के राजनीतिक चेतना में अप्रत्यक्ष वृद्धि हुई है।

16 वी लोकसभा सदस्य 2014 के आम चुनाव के बाद चुने गए हैं जो कि 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 के मध्यम चरण में संपूर्ण हुए थे वे चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कराये गए। परिणाम 16 मई 2014 को आये। भारतीय जनता पार्टी जोकी राजग का हिस्सा है।

543 सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 282 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 15 प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली द्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महज 44 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस लोकसभा का पहला सत्र 4 जून से 11 जुलाई 2014 के मध्यम हुआ 16वीं लोकसभा विपक्ष का नेता कोई नहीं होगा क्योंकि भारतीय संसद के नियमानुसार, इस पद को पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम लोकसभा के कुल सदस्य का 10% सदस्य होना आवश्यक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास वर्तमान में 44 सीटें हैं जबकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम के पास 37 सीट है 16 वी लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन 16 वी लोकसभा चुनाव परिणाम एवं मतदाता वयवहार, 543 सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 282 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गुड बंधन को फिर से 336 सीट प्राप्त हुई है। 16वी लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 के परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन गया एक निर्णय एक नेता ने के रूप में नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने कांग्रेस विरोधी लहर को और तीव् कर दिया। मीडिया 16 वी लोकसभा चुनाव में मीडिया को अपने सर्वक्षेष्ठ स्तर पर उपयोग किया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रचार अभियान को अजमा दिया और भारत के युवाओं को आकर्षित करने में सफल रहा है।

17 वी लोकसभा के विजयी उम्मीदवारों में महिलाओं की कुछ संख्या 78 है। महिला सांसदों की अब तक कि इस सर्वाधिक भागीदारी के साथ ही नई लोकसभा में महिला सांसदों की कुल सदस्य संख्या का 17% हो जायेगा महिला सांसदों की सबसे कम संख्या 1वीं लोकसभा में 28 थी। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा की 542 सीटों के लिए शुक्रवार को घोषित पुणे परिणाम के आधार पर सर्वाधिक 40 महिला उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती है। वहीं कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने महिला उम्मीदवार के रूप में रायबरेली से जीत दर्ज की है।

सुझाव– महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को उंचा उठाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूपसे और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए। तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए महिला शिक्षा के लिए स्कूलों घर से भौगोलिक दूर का काम किया जाना चाहिए। जनता में महिला शिक्षा,के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारको तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है।

इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा, पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष – स्पष्ट है कि वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक,आर्थिक, राजनैतिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वर्तमान में महिला शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, नवीन विचारधाराओं के प्रभाव के कारण महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। अनेक सामाजिक अधिनियमों एवं महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में हुए परिवर्तन के कारण उन्हें अनेक योग्यता एवं सामाजिक कुरीतियां से छुटकारा मिला है। आज महिलाओं को अपने विकास हेतु कॉफी सुविधाएं प्राप्त है। परिणाम स्वरूप आज महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, आर्थिक, आत्मनिर्भरता में वृद्धि, राजनैतिक चेतना में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि । पारिवारिक क्षेत्र में अधिकारों की प्राप्ति हुई है। आज विभिन्न क्षेत्रों में महिला की परिस्थिति में अप्रत्याशित रूप से हुए परिवर्तन को देखा जा सकता है। समाज में महिलाओं का स्थान पुरुष के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिला अबला नारी के रूप में सुदृढ़ होकर पुरुषों से कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत है और उपयुक्त अधन से तो कि निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है अर्थात वे शिक्षित हुई है,वैसे-वैसे वे सभी सामाजिक,आर्थिक, राजनीति क्षेत्र में भी सदृढ़ हुई तथा आत्मनिर्भर बनी है ।अत: महिला और पुरुषों दोनों रथ के पहियों के समान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अगस्त 2017 को पूरा लेखित अभी गमन 28 अगस्त 2017
2. शर्मा डॉ. कविता 2012 स्त्री विकास की व्यथा से रूपरेखा समता
3. प्रकाशन बजरंग नागररूरा कानपुर देहांत उत्तर प्रदेश 222 223
4. सिंह, डॉ. सीमा,(2010)पचायती राज और महिला सशक्तीकरण,वि विद्या विहार नई दिल्ली
5. डॉ. राजकुमार। 2006) महिला एवं विकास अर्जुन पब्लिक हाउस , 348/6 शास्त्री नगर मेरठ (यूपी) प. 56, 58.
6. शर्मा ,डॉ.पूर्णिमा (2015) भारत में नारी सशक्तिकरण का व्यवहारिक स्वरूप, विकास प्रकाशन, कानपुरप 36, 40, 41, 42
7. प्रसाद अवध - गांव में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन प्रकाशन, इंदौर
8. गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा, डी.डी. 2015) समाजशास्त्र शाक्प भवन पब्लिकेशन आगरा उत्तर प्रदेश, प.121122
9. A-20,102 इंद्रप्रस्थ टावर,(बतरा सिनेमा के पीछे) कामशियल, कंपलेक्स डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली 11001
10. श्रीवास्तव, सुधा रानी(1999) 'भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति' कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन नई दिल्ली।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण एक अध्ययन (सतना जिले के संदर्भ में)

डॉ. पूनम शर्मा *

* अतिथि विद्वान (समाज शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी महिला को अपने दैनिक कार्य करने, बीमारियो की रोकथाम तथा स्वस्थ्य व सुरक्षित प्रसव के लिये अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद भी किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की तुलना मे महिलाओं को कुपोषण का अधिक सामना करना पड़ता है। जिससे थकावट, कमजोरी, अशक्तता और बुरा स्वास्थ्य हो सकता है।

महिला स्वास्थ्य मे गिरावट का मुख्य कारण गरीबी है क्यो कि हमारे यहां धन कुछ लोगों के हांथे मे ही सीमित है। भुखमरी और अच्छा भोजन न पाने के अनेक कारण है। जैसे :– कृषि भूमि का न होना, व्यवसायिक फसलों का अधिक उत्पादन, जमीन का बंटवारा, वर्षा की अनियमितता और पुरुष प्रधानता लेकिन इसमे सबसे प्रमुख स्थान गरीबी का है जिसका प्रभाव महिलाओं मे ही देखने को मिलता है क्यो कि जब हमारे यहां बच्चे और पुरुष भोजन कर लेते है तो जो बचा भोजन होता है उसी से अपना पेट भरती है। इसीलिये कुपोषण और अन्य बीमारियों का प्रभाव महिलाओं मे अधिक देखने को मिलता है लेकिन कुछ बातों का पालन करके कम पैसों मे भी बेहतर भोजन प्राप्त कर सकते है पौष्टिक भोजन करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकती है और जब व्यक्ति भोजन से तृप्त होता है तभी उसको अपने परिवार और समुदाय का ध्यान आता है और परिवर्तन के लिये आगे बढ़ाता है।

मुख्य खाद्य प्रदार्थ और सहायक खाद्य पदार्थ – भारत के लोग अपने भोजन मे सस्ते खाद्य पदार्थो का उपयोग करते है जिसका मुख्य कारण गरीबी है जिन क्षेत्रो मे ये निवास करते है उन जगहो पर आसानी से गेंहू, चावल, मक्का, बाजरा मिल जाता है जिससे दैनिक आवश्यकता तो पूरी हो जाती है लेकिन इसके साथ व्यक्ति को स्वस्थ्य रहने के लिये आयरन, कैल्शियम, वसा, प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थो की आवश्यकता होती है जिससे शरीर स्वस्थ्य रहता है।

एक महिला को स्वस्थ्य और कुपोषण रहित होने के लिये इन सभी पदार्थो की पर्याप्त आवश्यकता होती है इनके अभाव मे तरह–तरह की बीमारियां जन्म लेती है। लौह तत्व, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन आदि ऐसे पदार्थ है जिनकी पूर्ति हम साधारण तरीके से भी कर सकते है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम पीछे रह जाते है।

अच्छा पोषण और स्वास्थ्य के सुझाव – स्वस्थ्य रहने के लिये पोषण का सही ध्यान रखना आवश्यक है जिसके सुझाव इस प्रकार है जैसे :– हरे – पत्तेदार सब्जियों का अधिक उपयोग, मूली, टमाटर, गाजर, खीरा जैसी कच्ची सब्जियों का प्रतिदिन उपयोग, इडली, खिचड़ी, दलिया का अधिक उपयोग और अंकुरित दालें पोषण के मुख्य स्त्रोत है। ध्यान यह रखने की आवश्यकता है कि भोजन निर्माण मे सफाई विशेष योगदान होता है अत: फल और सब्जियो का उपयोग धोकर करना चाहिये अगर पैसा सीमित है तो समझदारी से खर्च करके विटामिन और प्रोटीन, खनिज पदार्थो का हम प्रतिदिन उपयोग कर सकते है प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जिसमे दाल, सोयाबीन, फलियों और अण्डे तथा मांस को समिल कर सकते है क्योंकि ये सस्ते होने के साथ–साथ पौष्टिक भी अधिक होते है फल व सब्जियों का अधिक उपयोग, दूध व दूध से बने पदार्थ को हम आसानी से प्राप्त कर सकते है।

खान – पान के बारे मे भ्रांतियाँ – हमारे भारत देश मे महिलाओं के खान–पान को लेकर कई प्रकार की भ्रांतिया फैली हई है और उन भ्रांतियों का परिवार की वयोबद्धस्त्रियां बड़े नियम से पालन करती है जिसके कारण कभी–कभी महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती है।

स्वस्थ्य रहने और संक्रमण तथा खून की कमी और शरीर को मजबूत रखने और बच्चे के विकास के लिये अच्छे खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसका हमारे यहां अभाव है।

खराब पोषण से बीमारियाँ – हमारे यहां पुरुष प्रधान समाज और लड़कों का अधिक महत्व होने के कारण लडकियों के सांथ हर क्षेत्र मे भेदभाव किया जाता है। जिसकी भरपाई वो पूरे जीवन करती है बार–बार बीमार पड़ना और कभी–कभी ऐसी निर्मित हो जाती है जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। जैसे :– खून की कमी, त्वचा का सफेद होना, चक्कर आना, बेहोस होना, सांस फूलना, मलेरिया, थकान, थायराइड, भूख न लगना, कमजोरी, शरीर पर सूजन, सुगर, रतौधी आदि बीमारियों के कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।

खाद्य पदार्थो मे मिलावट – हम अधिकांश खाद्य पदार्थो का उपयोग बाजार से करते है और जब गुणवत्ता की बात हो तब हम कुछ भी लेने को तैयार हो जाते है लेकिन उन खाद्य पदार्थो मे मिलावट के कारण दिन–प्रतिदिन स्वास्थ्य मे गिरावट आती है। अज्ञानता और भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोग अच्छे खाद्य पदार्थो को कम कीमत पर ही बेंच देते है और व्यसपारी साहूकार मिलकर इसमे भरपूर मुनाफा कमाते है। जो कि पूरी तरह अनैतिक होता है। मिलावट के कारण पेट दर्द से लेकर कैंसर तक की बिमारियों का सामना करना पड़ता है। यह शरीर के हर अंग पर अपना प्रभाव दिखाते है जिससे व्यक्ति की मृत्यु मे वृद्धि हो रही है। ये मिलावट किसी भी प्रकार की हो सकती है आज बाजार मे कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नही है जिसमे मिलावट न हो और हम मजबूर होकर इनको खरीदते है और मौत को दावत देते है।

अतः इस समस्या का समाधान स्वयं उपभोगता कर सकता है और इससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है।

खाद्य पदार्थो मे मिलावट और कानून – भारत मे खाद्य पदार्थो मे मिलावट को कम करने के लिये या रोकने के लिये कानून बनाया गया है जिससे उपभोक्ताओ के हितों की रक्षा हो सके 'खाद्य पदार्थो मे मिलावट की रोकथाम 1954' मे बनाया गया और 1986 मे इसमे सन्शोधन कर इसको और व्यापक कर दिया गया खाद्य पदार्थो का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्रदान किये गये और कानूनी कार्यवाही की पूरी छूट दी गई। कुपोषण की समस्या का सामाधान हम साधारण तरीके से भी कर सकते है और सर्वोत्तम तरीके का चुनाव भी कर सकते है जैसे :– फसलों को क्रमशः उगाना, हर मौसम की फसलों का उत्पादन खासतौर पर छिलके वाले पदार्थ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित भोजन के नियम – इस संगठन के अनुसार हम ऐसे खाद्य पदार्थो का चयन करे जो सुरक्षा की दृष्टि से प्रसंस्कृत हो। फल व सब्जियों का सही इस्तेमाल, दूध, दही एवं वसा का अधिक उपयोग, मांस, मछली, चिकन का उपयोग, भोजन पकने के बाद तुरंत उपभोग, भोजन रखने की उचित व्यवस्था, भोजन को दुबारा गरम करना, कच्चे खाद्य पदार्थो का पक्के खाद्य पदार्थो से संपर्क न होना, हांथो को बार–बार धोना, स्वच्छ रसोई घर, मक्खियों, कीड़ों और चूहों से बचाव, स्वच्छ जल का उपयोग आदि के द्वारा हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते है और कुपोषण की समस्या और महिला स्वास्थ्य को सुधार सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. स्वास्थ्य विभाग सतना
2. आँगनवाड़ी केन्द्र सतना
3. पोषण एवं पुनर्वास केन्द्र सतना
4. आशा कार्यकर्ता सतना
5. शहरी स्वास्थ्य कार्यकर्ता सतना

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों में तनाव का अध्ययन (रीवा शहर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. आभा गोयल* साजदा बी **

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृहविज्ञान) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु होता है। एक आदर्श शिक्षक अपने अपूर्व उत्साह एवं ऊर्जा द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को गति प्रदान करता है जिसमें उसका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता बल्कि वह राष्ट्र के लिये अच्छे नागरिक तैयार करने में प्रयत्नशील रहता है शिक्षक के बिना आधुनिक युग की सुविधाओं से सुसज्जित संस्थायें उस शरीर के समान हैं जिसमें से आत्मा निकल जाती है और मृत शरीर पडा रहता है जिससे कुछ कार्य नहीं किया जा सकता।

शिक्षक समाज की रीढ़ के समान है जिसके बिना बालक सीधा तो खड़ा रह सकता है परन्तु समाज में पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है क्योकि कोरी प्लेट रूपी बालक के ऊपर स्वच्छ अक्षरों में सुस्पष्ट लेखन कार्य एक योग्य शिक्षक ही कर सकता है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। राष्ट्र की समग्र प्रगति में शिक्षक की भागीदारी सर्वविदित है। वे एक जागरूक समाज के निर्माण में अग्रणी रहते हैं। अत: कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के व्यावसायिक उत्थान में पीछे नहीं रह सकता है। एक आदर्श एवं कुशल शिक्षक में मुख्यत: संवेदनशीलता, अध्ययनशीलता, अध्यापन क्षमता, लेखन क्षमता, दिशा निर्देशन की क्षमता, विषय निर्देशन की क्षमता, विषय का सूक्ष्म ज्ञान, चारित्रिक दृढ़ता, शिक्षण में रूचि, शिक्षण कौशलों का ज्ञान तथा सामाजिक दायित्व बोध इत्यादि गुण होने चाहिये।

शब्द कुंजी – शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, शिक्षक, तनाव, सामाजिक दायित्व।

प्रस्तावना – शिक्षा वह प्रकाश पुंज है जो सपूंर्ण समाज को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। शिक्षा के बिना जीवन अधंकारमय होता है। किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, समाज तथा राष्ट्र की पहचान शिक्षा की प्रकृति एवं गुणवत्ता से होती है। सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियों तथा पिछड़ेपन को दूर कर स्वच्छ एवं नियोजित समाज का निर्माण करती है।

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपने आसपास की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन कर उनका विश्लेषण उनमें निहित तर्क की खोज और अंतत: किसी परिणाम का अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना होता है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह मनुष्य को समाज व आसपास के पर्यावरण का ज्ञान, सस्ंकृति तथा विभिन्न परिस्थितियों में भूमिका का निर्वहन रोजगार योग्य बनाने तथा उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिये प्रेरित करती है। शिक्षा बालक को एक सस्ंकारवान एवं चेतनशील प्राणी बनाती है यही बालक देश का भविष्य होते हैं और शिक्षा किसी भी देश की बुनियाद होती है। अत: आवश्यक है कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिये। सुदृढ़ शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। शिक्षा सस्ंकार देती है सस्ंकार से विचारों का परिष्कार होता है। परिष्कृत विचारों की नींव पर आदर्श चरित्र का निर्माण होता है। चरित्रवान व्यक्तियों से स्वस्थ समाज बनता है और स्वस्थ समाज ही किसी राष्ट्र के विकास की धुरी होती है। उससे राष्ट्र को एक पहचान मिलती है।

शिक्षा का जीवन में वही स्थान है जो फूल में उसकी सगुन्ध का होता है। शिक्षा समाज में चलने वाली वह सौद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवम् कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक को सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। इस तरह शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है।

शिक्षा वैयक्तिक सामाजिक एवम् राष्ट्रीय विकास का आधार है जिस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र की आवश्यकताओं, जन आकाक्षांओं एवम् मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है तथा जिसका क्रियान्वयन प्रभावी व कुशल प्रशासकों एवम् शिक्षकों के हाथ में रहा है वह राष्ट्र उत्तरोत्तार बहुमुखी उन्नति करता रहा है।

शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह मनुष्य की पशुवत प्रवृत्तियों का नाशकर उसे मानव बनाती है। परन्तु शिक्षा के निरन्तर गिरते हुए स्तर से सभी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् एवम् समाजशास्त्री चिंतित हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के विकास को यदि राष्ट्र निर्माण की नींव कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं, क्योंकि शिक्षक की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक के द्वारा ही शिक्षा के माध्यम से बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके, उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाकर तथा उन्हें समाज, राष्ट्र और विश्व के नागरिकों के रूप में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिये तैयार किया जाता है, परन्तु शिक्षा के सभी उद्देश्य और प्रयोजन विद्यालय की कर्मभूमि में तभी फलीभूत हो सकते हैं जब योग्य, कर्मठ व निष्ठावान शिक्षक हों स्पष्ट है कि शिक्षक के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के नागरिक तैयार करता है? इसी ओर संकेत करते हुए डॉ0 राधाकृष्णन (1948) ने लिखा है कि 'समाज में शिक्षक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परम्परायें

और तकनीकी कौशल पहुँचाने का केन्द्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्जवलित रखने में सहायता देता है।'

सामाजिक सन्दर्भ में शिक्षक, विद्यार्थी में राष्ट्रीयता, सामाजिकता, विश्वबंधुत्व की भावना को जगाकर उसे सामाजिक दायित्वबोध से परिचित कराता है। किसी भी देश काल की शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का है। यह सम्पूर्ण विश्व अपने उन सभी शिक्षकों का ऋणी है जिन्होनें ज्ञान के आधार पर संसार के आध्यात्मिक एवं भौतिक स्वरूप का निर्माण किया है। श्रेष्ठ शिक्षकों के अभाव में सुयोग्य छात्रगण वांछित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते हैं अच्छी से अच्छी पाठ्य-पुस्तक भी निपुण शिक्षकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था चाहे जैसी हो शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है अर्थात् समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चहुँ ओर विचरण करती है। आज वर्तमान समाज व राष्ट्र परिवर्तन और विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। समाज की आवश्यकताओं, अपेक्षाओ, आदर्शों एवं मूल्यों को वास्तविक रूप देने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को वहन करनी होती है क्योंकि शिक्षक का कार्य ज्ञान व संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तातंरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन भी लाना है।

भारतीय समाज के प्रत्येक घर तक शिक्षा को पहुँचाने के भागीरथी सरकारी प्रयासों के साथ-साथ शिक्षकों की मनोस्थिति का विश्लेषण भी उतना ही अनिवार्य होना चाहिए व शिक्षकों को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वे अधिकारी है। शिक्षक, शिक्षा (ज्ञान) और विद्यार्थी के बीच एक सेतु का कार्य करता है और यदि यह सेतु ही निर्बल होगा तो समाज को खोखला होने में देरी नहीं लगेगी। आज प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की अधारभूत संरचना व निर्माण प्रवीण व सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक समर्पित और निष्ठावान शिक्षक ही देश की शिक्षा प्रणाली को सुन्दर व सुदृढ़ बना सकता है। इसके लिए समाज को भी शिक्षकों को एक सम्मानजनक स्थान देना होगा।

तेजी से बदलते माहौल में हमारे शरीर और मन पर जो असर पड़ता है उसे तनाव पड़ता है। मानसिक एवं शारीरिक तनाव और इनसे पैदा होने वाले रोगों में इन दिनों से तेजी से वृद्धि हो रही है। तनाव दो तरह का होता है -1. सकारात्मक 2. नकारात्मक। तनाव जहॉं सकारात्मक तनाव की वजह से आप अपने नौकरी में प्रमोशन पाते है वहीं नकारात्मक तनाव में आप किसी से गुस्से में बहस कर लेते है। परिवार, पैसा, काम और स्कूल ये तनाव के सामान्य कारण है ज्यादा तनाव आपकी सेहत के लिये नुकसानदायक होती है और इसकी वजह से आपके परिवार और दोस्तों से सम्बन्ध भी बिगड़ जाते है। कई बार जब लोग लगातार तनाव भरी परिस्थितियों का सामना करते है तो उनका गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहता।

जब माता-पिता महंगे स्कूलों में फीस की मोटी रकम देते है तो वह चाहते है अब उनके बच्चों का सारा उत्तरदायित्व स्कूल और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने कंधे पर उठा लें। वह बच्चों को स्कूल के हाथों में सौंपकर स्वयं को पूरी तरह से मुक्त कर लेते है। जब भी उनका बच्चा अध्ययन में थोड़ा सा कमतर साबित होता है तो वह स्कूल जाकर इसकी शिकायत करते है और इसके लिए शिक्षक को दोषी ठहराते है। उनको लगता है यदि उनके बच्चें ने अच्छा नहीं किया तो उसके लिए शिक्षक ही गुनहगार है वह उसे निरंतर कटघरे में खड़ा रखते है।

भारत में निजी स्कूलों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की मानसिक स्थिति बहुत तनाव व दबाव में रहती है। एक ओर तो बच्चों के माता-पिता उनसे अपेक्षा रखते है तो दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक उन पर अच्छे परीक्षा परिणाम लाने का निरंतर दबाव बनाए रखते है। जब एक सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया इन तथाकथित सम्मानीय शिक्षकों व शिक्षिकाओं की मानसिक स्थिति इतनी अव्यवस्थित हो जाती है कि वह थकान, गहरे तनाव और यहां तक कि मानसिक थकान से भी भर जाते है।

कई बार तो उनमें इतनी ऊब भर जाती है कि वह गहरे अवसाद से भी घिर जाते है दूसरे व्यवसायों की तुलना में शिक्षक-शिक्षिका बनना बहुत मानसिक दबाव और थकान का कार्य है। वह बच्चों को अपने व्यक्तित्व का बेहतर से बेहतर हिस्सा देकर स्वयं बहुत रिक्तता महसूस करते है। कई बार तो वह अनिद्रा के रोग, दर्द और चिड़चिड़ाहट से भी भर जाते है। ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए और आर्थिक अर्जन के लिए अध्यापन का कार्य तो करते रहते हैं, परन्तु अपने स्वास्थ्य की कीमत में उनका यह कार्य चलता रहता है।

पूर्व शोध साहित्य की समीक्षा :-

Dr. SS Jeyaraj (2013) ने मदूरे जिला तमिलनाडु में उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के मध्य तनाव स्तर ज्ञात करने हेतु सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के 185 एवं सरकारी स्कूलों के 120 अध्यापकों पर एक शोध अध्ययन किया। शोध अध्ययन में सम्मिलित सभी अध्यापक विभिन्न सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से संबंधित थे। इस शोध अध्ययन में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का तनाव स्तर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का तनाव स्तर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की तुलना में अधिक पाया गया। नीति निर्माताओं के लिये यह आवश्यक है कि वह शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन तथ्य का विश्लेषण करें और शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव को प्रभावित करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के साथ कार्यकारी स्थितियों के व्यावसायिक तनाव पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाये। शोध परिणामों से यह भी प्रदर्शित होता है, कि उन लोगों ने तनाव का स्तर अधिक पाया गया, जो शिक्षण से कम संतुष्ट थे। अधिक अनुपस्थित रहते थे और कैरियर के रूप में शिक्षण कार्य को छोड़ना चाहते थे।

Dr. Mariya Aftab & Tahira Khatoon (2012) ने माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव और जनसांख्यिकीय मतभेद विषय पर शोध अध्ययन किया इस अध्ययन ने शिक्षकों के व्यायवसायिक तनाव और स्वतंत्र चरों, लिंग, योग्यता, शिक्षण अनुभव वेतन, पढ़ाया जाने वाला विषय, वैवाहिक स्थिति के मध्य संबंध ज्ञात किया गया। इस अध्ययन में भारत के उत्तर प्रदेश के 42 स्कूलों के व्यावसायिक तनाव पैमाने के उपयोग द्वारा आंकड़ों का संकलन किया गया। सांख्यिकीय के लिये t - test और f - test उपयोग में लाये गये। परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि शिक्षकों के लगभग आधी संख्या अपने व्यवसाय के प्रति कम तनाव का अनुभव करती है और महिलाओं की तुलना में पुरूष अधिक व्यावसायिक तनाव प्रदर्शित करते है प्रशिक्षित स्नातक, शिक्षक, स्नातकोत्तर एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की तुलना में अधिक व्यावसायिक तनाव अनुभव करते हैं।

भटनागर, ए.बी. एवं भटनागर मीनाक्षी (2009) - प्रारंभिक और माध्यमिक पब्लिक स्कूल के परामर्शदाता पर किये गये अध्ययन से प्रदर्शित किया गया है कि 1.) लिंग, आयु, शिक्षा की मात्रा के आधार पर कार्य

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

संतुष्टि स्तर में बहुत अन्तर पाया गया। महिलाएँ पुरूषों की अपेक्षा अधिक संतुष्टि पायी गयी। शिक्षा की मात्रा में भी उल्टा संबंध पाया गया। 02) स्कूल स्तर के परिपेक्ष में कार्य संतुष्टि के पैमाने पर 0.01 स्तर का अंतर था। शहर से स्कूल की दूरी बढ़ने के साथ-साथ कार्य संतुष्टि में वृद्धि पायी गयी। कार्य संतुष्टि को स्कूल स्तर के विपरीत संबंधित पाया गया।

शोध के उद्देश्य - शोध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना शोध दिशाहीन होता है। शोध के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के अध्ययन कार्य में संलग्न शिक्षकों की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. शासकीय एवं अशासकीय महिला शिक्षकों में तनाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. शासकीय एवं अशासकीय पुरूष शिक्षकों में तनाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4. शासकीय एवं अशासकीय महिला शिक्षकों में तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
5. शासकीय एवं अशासकीय पुरूष शिक्षकों में तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
6. शासकीय एवं अशासकीय महिला एवं पुरूष शिक्षकों में तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
7. माध्यमिक स्तर पर लागू सतत्-व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त करना।
8. अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर सतत्-व्यापक मूल्यांकन के उन्नयन हेतु सुझाव प्रेषित करना।

शोध परिकल्पनाएँ - परिकल्पना अनुसंधान की प्रथम सीढ़ी है। अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधान के कारणों समस्याओं के समाधान एवं परिणाम के बारे में हम जो एक निश्चित आवधारणा बना लेते हैं उसे परिकल्पना या उपकल्पना कहते है।

1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के अध्ययन कार्य में संलग्न शिक्षकों की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
2. सरकारी एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. शासकीय एवं अशासकीय महिला शिक्षकों में तनाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
4. शासकीय एवं अशासकीय पुरूष शिक्षकों में तनाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
5. शासकीय एवं अशासकीय महिला शिक्षकों में तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
6. शासकीय एवं अशासकीय पुरूष शिक्षकों में तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
7. शासकीय एवं अशासकीय महिला एवं पुरूष शिक्षकों में तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

शोध प्रविधि - किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञानरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित कारकों से प्रेरित होकर ही निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में रीवा नगर के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े रीवा नगर के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित विभिन्न प्रकाशित- अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन रीवा नगर के संबंध में है जिसकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 2,365,106 है, जिसमें से पुरुष 1,225,100 एवं महिलाएँ 1,140,006 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 960 महिलाएँ है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये जिसमें से शोधार्थी द्वारा 200 व्यक्तियों को लेकर के शोधकार्य पूरा किया अध्ययन के दौरान जो ऑकड़े एकत्रित किये गये उनका परिचयात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है।

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन - अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और साख्यकीय विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या - प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के अंतर्गत आने वाले रीवा नगर के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 16 विद्यालयों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया। चयनित 16 विद्यालयों में शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों का चयन गैर-अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श के द्वारा किया गया। रीवा नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 100 शिक्षकों तथा अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 100 शिक्षकों का चयन किया गया। इस प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से 100 शिक्षकों तथा अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से 100 शिक्षकों को मिलाकर कुल 200 शिक्षकों का चयन किया गया।

तालिका क्रमांक 1.1 :रीवा नगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

शासकीय	अशासकीय	कुल योग
8	8	16

तालिका क्रमांक 1.2 : रीवा नगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या

शासकीय उच्चतर माध्यमिक		अशासकीय उच्चतर माध्यमिक		कुल योग	
महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
50	50	50	50	100	100
100		100		200	

तालिका क्रमांक 1.3 : न्यादर्श हेतु चयनित रीवा नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या

क्र.	चयनित विद्यालय का नाम	शिक्षक	शिक्षिकाएँ
1.	शा.उ.मा. विद्यालय मार्तण्ड क्र. 1	9	5
2.	शा.उ.मा. विद्यालय क्र. 1	8	7
3.	शा.उ.मा. विद्यालय क्र. 2	7	6
4.	शा.प्रवीण कुमारी उ.मा. विद्यालय	3	8
5.	शा. सुदर्शन कुमारी उ.मा. विद्यालय	3	8
6.	शा.मार्तण्ड उ.मा. विद्यालय क्र. 3	8	3
7.	शा.कन्या शाला उ.मा. विद्यालय पाण्डेन टोला	4	6
8.	केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 एवं 2	8	7
	कुल	50	50
	कुल संख्या	100	

तालिका क्रमांक 1.4 : न्यादर्श हेतु चयनित रीवा नगर के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या

क्र.	चयनित विद्यालय का नाम	शिक्षक	शिक्षिकाएँ
1.	ज्योति उ.मा. विद्यालय	8	9
2.	सरस्वती शिशु मंदिर, निराला नगर	6	5
3.	सेक्रेट हार्ट कान्वेन्ट स्कूल	7	8
4.	बाल भारती उ.मा. विद्यालय	9	9
5.	फ्रोमेन्स उ.मा. विद्यालय	5	5
6.	गीता ज्योति उ.मा. विद्यालय	4	3
7.	वेदान्ता पब्लिक स्कूल	4	2
8.	सेन्ट्रल एकेडमी उ.मा. विद्यालय	7	9
	कुल	50	50
	कुल संख्या	100	

तालिका क्र. 1.5 : शासकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों (संयुक्त समूह) की शिक्षण प्रभावशीलता

तनाव का स्तर	शासकीय	अशासकीय
उच्च	15%	35%
सामान्य	55%	45%
निम्न	30%	20%
कुल	100%	100%

शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 55% पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता तनाव सामान्य स्तरीय पायी गयी जबकि शिक्षण प्रभावशीलता तनाव के सन्दर्भ में 15% उच्च तथा 30% निम्न स्तरीय पाये गये, तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 45% पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता तनाव सामान्य स्तरीय पायी गयी जबकि शिक्षण प्रभावशीलता तनाव 35% उच्च व 20% कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता निम्न स्तरीय पायी गयी।

तालिका क्र. 1.6 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र. 1.6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता से सम्बन्धित प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 272.38 व 253.12 प्राप्त हुआ एवं प्राप्त सम्बन्धित प्रमाणिक विचलनों का मान क्रमशः 25.93 व 24.80 है एवं शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता से सम्बन्धित प्राप्तांको का मध्यमान क्रमशः 263.30 व 251.28 प्राप्त हुआ एवं प्राप्त सम्बन्धित प्रमाणिक विचलनों का मान क्रमशः 25.86 एवं 22.19 है। उक्त शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर के लिए टी-मानों की गणना की गयी। शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर के लिए प्राप्त टी-मान 1.75 है जो कि .05 विश्वास स्तर पर सांख्यिकीय मान तालिका मान से कम है। अतः प्राप्त टी-मान 98 स्वतन्त्रता अंश एवं .05 विश्वास स्तर पर असार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष :

1. शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 55% पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता तनाव सामान्य स्तरीय पायी गयी जबकि शिक्षण प्रभावशीलता तनाव के सन्दर्भ में 15% उच्च तथा 30% निम्न स्तरीय पाये गये।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 45% पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता तनाव सामान्य स्तरीय पायी गयी जबकि शिक्षण प्रभावशीलता तनाव 35% उच्च व 20% कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता निम्न स्तरीय पायी गयी।
3. शासकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर के लिए प्राप्त टी-मान 4.58 है जो कि .01 विश्वास स्तर पर सांख्यिकीय मान तालिका मान से अधिक है। प्राप्त टी-मान 198 स्वतन्त्रता अंश एवं .01 विश्वास स्तर पर सार्थक है।
4. कार्य सन्तुष्टि के सन्दर्भ में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए उच्च, सामान्य एवं निम्न कार्य सन्तुष्टि के शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य टी-मान की गणना की गयी। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि उच्च कार्य सन्तुष्टि के कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता सामान्य व निम्न कार्य सन्तुष्टि के शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता से उच्च होती है अर्थात् शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि उनकी शिक्षण प्रभावशीलता को सकारात्मक व सार्थक प्रभावित करती है।

सुझाव :

1. शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर शिक्षकों को उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना।
2. शोध अध्ययन के द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रशासनिक आधार पर संचालित विद्यालयों को शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता बढ़ाना, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है।
3. शिक्षकों के पारिवारिक सामाजिक वातावरण शिक्षण अभिरूचि शिक्षक दायित्वबोध शिक्षक छात्र अन्तःक्रिया, प्रभावशीलता एवं कृत्य सन्तोष को बढ़ाना।
4. शिक्षक व्यवहार के अध्ययन के द्वारा कक्षा-कक्ष अन्तःक्रिया को प्रभावी बनाना जिससे शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य आपसी सामंजस्य

स्थापित किया सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1- Hawards, and Johnson. B (2004) Reisllient teacher: desisting stress and burnout social psychology of education: an international journal. 7(4)

2- Dr. Eres figen and Atonasoska Tatijana (2011): international Journal of Humanities ad Social Val:1,No 7

3- Dr. Jayaraj SS (2013) - IOSR Journal of Business and Management ISSN:2278-487X.Val.7

4- Dr. Pabla singh Maninderjit (2012)- Indian Journal of Research Paper ISSN-2250-1991:Occupatonal Stress.

5- Borg, M.G. and Falzon, J.M. (1989). Stress and job satisfaction primary school teachers in Malta.Educational Review, 41, 271-279.

6- Aftab, Maria and Khatoon, Tahira., 2012, "Demographic Differences and Occupational Stress of Secondary School Teachers", European Scientific J., 8 (5), pp. 159-175.

7- Ahmad, N., Raheem, A. and Jamal, S. (2003). Job satisfaction among school teachers.The Educational Review, 46(7), 123-126.

8. डॉ. श्रीवास्तव साध्वी (2012) 'आज की शिक्षा और मानवीय मूल्य'' कैलास प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 35-37

9. चौबे सरयू प्रसाद (1993), 'हमारी शिक्षा समस्याएँ' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

10. त्यागी एस.डी. एवं पाठक डी.पी. (2008) भारतीय शिक्षा की सामाजिक समस्याएं डॉ. रांगेय राघव मार्ग विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृ. 8।

11. डॉ. मरवाह, सरूप सिंह (2011) 'शारीरिक और मानसिक तनाव क्यों होता है और कैसे बचे' पुस्तक महल दिल्ली।

12. भटनागर, ए.बी. एवं भटनागर मीनाक्षी (2009) मनोविस्सन और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, सूर्या पब्लिकेशन हाउस मेर, पृ. 2009-303

13. गैरेट, हेनरी ई. (1989) 'शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग', ग्यारहवां संस्करण, कल्याणी पब्लिशर्स, (उ.प्र.)।

14. मंगल, डॉ. एस.के. मंगल श्रीमती शुभा (2010) 'विद्यार्थी विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया', नवीन संस्करण इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, मेरठ।

15. शर्मा, श्रीमती आर.के भरद्वाज, दिनेश चंद्र 'शिक्षा मनोविज्ञान', बाइसवाँ संशोधित संस्करण, राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा।

तालिका क्र. 1.6 : शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता सम्बन्धी प्रदत्तों के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं टी-मूल्य

माध्यमिक विद्यालय	समूह	संख्या	स्वतन्त्रता अंश	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टीमूल्य	सार्थक स्तर
सरकारी विद्यालय	पुरुष	50	98	272.38	25.93	1.75	.05 पर असार्थक
	महिला	50		263.30	25.86		
निजी विद्यालय	पुरुष	50	98	253.12	24.80	0.39	.05 पर असार्थक
	महिला	50		251.28	22.19		

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारतीय ग्रामीण विकास में स्व-सहायता समूह का योगदान- एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. ज्योतिलता सिंह *

* अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – स्व-सहायता समूह ग्रामीण गरीबों की आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना से गरीब भारत की तस्वीर बदलने लगी है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्व-सहायता समूह का निर्माण भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके माध्यम से न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके, बल्कि एकजुट होकर सामाजिक कुरीतियां, नारी उत्पीड़न और लोगों के मन से बड़े-छोटे के भेदभाव को भी मिटा सके। वहां ये समूह ग्रामीण गरीबों की आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहे हैं। भारत में स्व-सहायता समूहों का विकास तो तेजी से हो रहा है, परंतु इन समूहों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का अभाव, और भी कई कठिनाईयाँ और चुनौतियाँ है जिन पर ध्यान देकर स्व-सहायता समूह व्यवस्था को 9 अधिक कारगर व लाभप्रद बनाया जा सकता है। इनमें एक पहलु लघु ऋण देने वाले बैंक की भूमिका से जुड़ा है। वाणिज्यिक बैंक की ऋण नीतियाँ स्व-सहायता समूहों की संरचना व उद्देश्यों से मेल नहीं खाती। बैंक को स्व-सहायता समूह की अवधारणा समझने में ही लंबा समय लग जाता है और जब समझ जाते हैं तब भी पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं करा पाते। स्व-सहायता समूहों का विकास व अन्य समुचित एजेंसियों से जुड़ाव नहीं हो पाया है। समूह एक अलग इकाई के रुप में काम करते हैं। जिससे कोई बड़ी या महत्वपूर्ण गतिविधि को हाथ में नहीं ले पाते, इसका परिणाम यह होता है कि उनमें उत्साह नहीं रहता और वे निष्क्रिय होने लगते हैं। यदि इन समूह को सरकारी परियोजनाओं या पंचायत के कार्यों से जोड़ दिया जाता है तो इनकी उपयोगिता निश्चित रूप से बाव भी दे सकते हैं। आवश्यकता इस बात कि है की स्व-सहायता समूहो को सरकार पर्याप्त मात्रा में समय-समय पर धन उपलब्ध कराती रहे।

प्रस्तावना – हमारा देश एक ग्राम प्रधान देश है तथा ग्राम प्रधान देश होने के कारण यहॉ की 72 प्रतिशत जनसंख्या गॉव में निवास करती है तथा प्रत्येक गॉव की विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। इन सारी समस्याओं में से एक मुख्य समस्या बेरोजगारी तथा आर्थिक स्थिति की समस्या है, जिसके लिए वर्तमान में क्या बहुत पहले से अपने देश की सरकार शुरूआत से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को लेकर प्रत्येक गॉव में गरीबी निवारण तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए शुरू से ही प्रयास करती आ रही है। लेकिन पूर्ण रूप से इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।
इन आदि समस्याओं को ध्यान में रखते सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए तथा उनके जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक प्रकार के जनजागरूकता के अभियान तथा विभिन्न प्रकार की योजनाओ का क्रियान्वन किया जा रहा है जिससे कि गरीब परिवारों की सामाजिक तथा आर्थिक एवं ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अधिक मजबूत को सके। इसके लिए S.H.G. के माध्यम से पुरूष/ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा जा रहा है जिससे कि समूह में जुड़कर आपसी भाई चारा तथा लिंग भेद तथा समूहों के माध्यम से छोटे-छोटे कुटीर उद्योग या व्यवसाय स्थापित करवाये जाते है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी के साथ कर सकें।

स्व-सहायता समूह नि:संदेह गरीबी निवारण तथा ग्रामीणजनों के सशक्तिकरण विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहे हैं। किन्तु केवल स्व-सहायता समूह बना लेने से या गठन कर देने से उपरोक्त वर्णित दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। समूह गठन करना नि:संदेह महत्वपूर्ण है, किंतु साथ ही साथ उसके विभिन्न तकनीकि पक्षों की ओर भी ध्यानाकर्षित करना जरूरी है। इसीलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग स्व-सहायता समूह के उन तकनीकि पक्षों को जाने जो किसी भी स्व-सहायता समूह को पूर्ण रूप से विकसित करने एवं गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक हैं समूह के तकनीकि भागों का सविस्तार वर्णन अलग-अलग भागों में किया गया है।

भारत में स्व-सहायता समूह अपेक्षाकृत नया प्रयोग है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑंकड़ों पर ध्यान दिया जाये तो सर्वाधिक वृद्धि आंध प्रदेश में हुई है। स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं का ऐसा अनौपचारिक समूह है, जो अपनी बचत तथा बैंक के सूक्ष्म वित्तियन से अपने समूह की पारिवारिक व व्यक्तिगत जरुरत को पूरा करता है और विकास संबंधी कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी जेसे अभिशाप को दूर करने तथा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राय: स्व-सहायता समूह एकजुटता के प्रतीक होते हैं। यहां एक जेसे ही आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लोग साथ आते हैं। समूह के सभी सदस्य थोड़ी-थोड़ी बचत करके आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्व-सहायता समूह का विचार पड़ोसी देश बांग्लादेश में खूब चर्चित हुआ। 'ग्रामीण बैंक' के नाम से प्रचलित इस समूह को प्रचारित और स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद युनूस को जाता है। इसी को देखते हुए भारत में भी यह विकसित हुई। भारत में स्व-सहायता समूह की शुरुआत 1992 में नाबार्ड ने

एक योजना के तहत की, लेकिन इसे प्रचलित होने में काफी समय लग गया। भारत में गठित 42.05 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों में से लगभग 60 प्रतिशत तो ग्रामीण महिलाओं से ही संबंधित है।

भारत में स्व-सहायता समूह की संख्या में ग्रामीण महिलाओं की ज्यादा सहभागिता का कारण देश की लगभग 60 प्रतिशत गरीब ग्रामीण महिला जनसंख्या का होना है। भारत के ग्रामीण परिवारों को न केवल कृषि के लिए बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए भी गैर संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में बैंक ने अनेक योजनाएं तो चलायी, लेकिन इसकाायदा वास्तव में बड़ा वर्ग ही ले गया। स्व-सहायता समूह के माध्यम से जो पहल ग्रामीण महिलाओं ने की है, वो सराहनीय है। स्व-सहायता समूह की अवधारणा 'संगठन में शक्ति' पर आधारित हें तिनकों से बनी रस्सी जिस प्रकार शक्तिशाली गजराज को बांध सकती है, उसी प्रकार आर्थिक रुप से कमजोर लोग भी मिलकर 'गरीबी के दुष्चक्र' को तोड़ सकते हैं। स्व-सहायता समूह मुख्य रुप से गरीबी में जीवनयापन कर रहे लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन के लिए निर्मित किया जाता है। स्व-सहायता समूह के पीछे मान्यता यह है कि बिखरे हुए लोगों को तो उत्पीड़ित व शोषित किया जा सकता है, लेकिन यदि उन्हें संगठित किया जाए तो वे बड़ी ताकत बन जाते हैं। समूह के सदस्य मिलकर एक ऐसी ताकत का निर्माण करते हैं। जिससे वे स्थानीय शोषणकर्ताओं, सेठ-साहूकारो, बाहुबलियो आदि के अत्याचारों का जमकर विरोध कर सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्व-सहायता समूह इस बात में विश्वास करता है कि लोग आपस में मिलजुलकर अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। वे अपने कामों का स्वयं उचित प्राथमिकता निर्धारण करने व उससे जुडे निर्णय लेने में समर्थ हैं। उनके पास जीवन से जुड़े अनेक तरह के ज्ञान व अपार अनुभव हैं जिनको वे व्यवस्थित तरीके से उपयोग करें तो उनके जीवन से बदहाली खत्म हो सकती है। समूह के सदस्यों को थोड़े परामर्श व प्रेरणादायक नेतृत्व की जरूरत होती है। ग्रामीण भारत में ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों ने हजारो लाखो अशिक्षित गरीब वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को न केवल घर की चौखट के बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला है बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। इसके साथ-साथ उन्हें एक सामूहिक आवाज भी दी है।

भारत में स्व-सहायता समूहों की शुरूआत व विकास कुछ स्वयं सेवी संगठनों ने गरीब ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आय संवर्द्धन गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक के अन्त में की। 1990 के दशक की शुरूआत में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पहल व विशेष रूचि लेने से स्व-सहायता समूह देश भर में फैल गए। अब तो सभी सरकारी बैंक व आर्थिक व सामाजिक संगठन इसकी महत्ता को स्वीकार कर इसके विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी का दन्श झेल रहे परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए स्व-सहायता समूह एक नयी आशा की किरण लेकर आया है। 'गरीबी उन्मूलन' के नारे तो कई दशकों से लगते रहे हैं लेकिन गरीबी खत्म होने की जगह अब तक गरीब ही तबाह होते रहे हैं। अब स्व-सहायता समूह गरीबी को खत्म करने के सपने को हकीकत में बदलने में सक्षम साबित हो रहे हैं। स्व-सहायता समूह समाज कार्य के इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति की सहायता इस प्रकार से करें कि वह अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो जाए। स्व-सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। इसके द्वारा सदस्य ग्रामीण महिलाएं आपस में मिलजुलकर एक-दूसरे की मदद करती हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करती हैं तथा उसके समाधान तक पहुंचती है।

अध्ययन की प्रासंगिकता एवं महत्व – भारत ग्रामों में बसता है। देश की दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामों में रहती है। ग्रामों में आय का प्रमुख स्त्रोत कृषि एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियां हैं। ग्रामों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा लघु सीमान्त कृषक एवं दिहाड़ी मजदूरो की श्रेणी में आता है। ग्रामों में गरीबी के कारण लोगों की आय काफी कम है। बचत एवं पूंजी की कमी एवं पूंजी लगाने के साधनों का पूर्णतया अभाव है। इन परिस्थितियों में स्व-सहायता समूह ग्रामों में गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्व-सहायता समूह योजना एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन और रोजगाार सृजक कार्यक्रम है। जिस पर केन्द्र व राज्य शासन द्वारा करोड़ो रूपये व्यय किये जाते हैं। जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्धनों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके एवं ग्रामीण ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सकें स्थायी आय सृजन करने एवं निर्धनता रूपी कोढ़ को मिटाने के लिए, स्वरोजगार की दिशा मे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्व-सहायता समूह की अवधारणा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास के लिए एक सार्थक योजना है या नहीं। प्रस्तुत शोध के माध्यम से इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखकर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्त संदर्भ में जानना आवश्यक है कि व्यावहारिक रूप में ग्रामीण ग्रामीण महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। स्व-सहायता समूह के गठन व क्रियान्वयन से ग्रामीण महिला सदस्यों को कितनी अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। यह जानना आवश्यक है कि बालाघाट और मण्डला (अध्ययन क्षेत्र) में स्व-सहायता समूह योजना द्वारा कितनी ग्रामीण ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया है। इसकी वास्तविक जानकारी हेतु इस योजना के ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में योगदान का मूल्यांकन करना प्रासंगिक लगता है। यही अध्ययन की प्रासंगिकता व महत्व है।

शोध प्रविधि –किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञानरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित कारकों से प्रेरित होकर ही निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में रीवा जिले के ग्राम विकास में स्व सहायता समूह के योगदान से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े रीवा जिले के ग्राम विकास में स्व सहायता समूह के योगदान से संबंधित विभिन्न प्रकाशित- अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

अध्ययन का उद्देश्य – किसी भी सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक स्थिति, उसमें प्रयुक्त वैज्ञानिक स्थिति, निष्पक्ष निष्कर्ष, वास्तविक ज्ञान, उसमें प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धति की सफलता, सामाजिक घटनाओं के संबंध

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

में अनुभवात्मक ज्ञान की प्राप्ति, सत्यापन की आवश्यकता एवं भावी अनुसंधान की संभावनाओं को विकसित करने के लिए अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। अत: प्रस्तुत शोध कार्य हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

1. स्व-सहायता समूह की कार्यशैली ज्ञात करना।
2. स्व-सहायता समूह की बैंक प्रक्रिया का अध्ययन करना।
3. स्व-सहायता समूह को चलाने वाली ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. स्व-सहायता समूह की ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में भूमिका का अध्ययन करना।
5. स्व-सहायता समूह की गरीबी उन्मूलन में भूमिका का अध्ययन करना।
6. स्व-सहायता समूह के क्रियान्वयन में आने वाले बाधक एवं सहायक कारको का अध्ययन करना।
7. स्व-सहायता समूह के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन की उपकल्पना - किसी के प्रकृत होने से पूर्व फल की कल्पना प्रत्येक व्यक्ति करता है, किंतु विषय पर शोध के पूर्व उसके परिणाम के विषय में उसके अनुमान के आधार पर जो कल्पना होती है, उसे उपकल्पना कहते हैं। प्रस्तुत शोध कार्य निम्न उपकल्पनाओं पर आधारित है।

1. गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा स्व-सहायता समूह गरीबी उन्मूलन करने में समर्थ है।
2. ग्रामीण जीवन में स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अधिक जागरुक और आंदोलित हो रहा हैं
3. स्व-सहायता समूह को ग्रामीण महिलाओं के विकास में पर्याप्त जनसमर्थन व आर्थिक शोषण से मुक्ति में पर्याप्त सफलता मिल रही है।
4. स्व-सहायता समूह से गरीबी को दूर करने में ग्रामीण महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन रीवा जिले के संबंध में है जिसकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 2,365,106 है, जिसमें से पुरुष 1,225,100 एवं महिलाएँ 1,140,006 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 960 महिलाएँ है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये जिसमें से शोधार्थी द्वारा 200 व्यक्तियों को लेकर के शोधकार्य पूरा किया अध्ययन के दौरान जो ऑकड़े एकत्रित किये गये उनका परिचयात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है।

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन - अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और साख्यकीय विश्लेषण किया गया है।

के. ममता कृष्णा 'मायराडा' अनुभव स्व-सहायता समूहों के क्षमता निर्माण के लिए एक निर्देशिका, अक्टूबर(2001)- इस निर्देशिका को केन्द्रीय परियोजना सहायता इकाई, मानव-संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं मायरडा न. सर्विस रोड, डोमलूर लेआउट, बैंगलोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका हिन्दी संस्करण स्वशक्ति परियोजना, भारत सरकार द्वारा अनुवादित एवं मुद्रित किया गया हें स्व-सहायता समूहों के संदर्भ में लिखित यह निर्देशिका स्व-सहायता समूहों के मार्ग दर्शन के लिए अत्यन्त उपयोगी है। प्रस्तुत निर्देषिका में स्व-सहायता समूहों के निर्माण एवं शुरूआती दोर में आने वाली छोटी-छोटी कठिनाईयों को हल करना है। स्व-सहायता समूहों के साथ काम करने वाली एजेंसी के सामने सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण की होती है जिससे वे अपनी बैठक को संचालित कर सके, कम खर्चो की अवधारणा को समझ सके और अपने फंड को निरंतर घुमाते रहे। स्व-सहायता समूहों को प्रारम्भिक अवस्था में नियम बनाने पड़ते हैं, जिससे समूहों में होने वाले क्रियाकलापों को आसानी से संचालित किया जा सकें समूहों में होने वाले विवादों को आसानी से हल किया जा सकें सर्वाधिक प्राथमिकता ऋण देने एवं उसे वसूल करने की होती है। जिसके लिए ठोस नियम बनाना आवश्यक होता हें इन स्व-सहायता समूहों से संबंधित लगभग सभी पहलुओं को अत्यन्त सरल भाषा में उदाहरण सहित समझाया गया है। स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण एवं उनकी क्षमता निर्माण हेतु व्यवस्थित प्रक्रिया को माध्यम बनाया गया है। यह निर्देशिका मायराडा (मेसूर रिपब्लिकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट ऐजेंसी) अनुभव पर लिखी गई हें मायराडा मुख्य रूप से पाँच क्षेत्रों में ट्रेनिंग देता है, जिसमें स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण भी एक है।

विश्नोई, कुरूक्षेत्र, (मार्च 2001)- भारत में ऐसे दीन-हीन लोगों के लिए एक योजना शुरू की गई थी, जिसमें लोग अपने आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए 10-20 लोगों को मिलाकर स्व-सहायता समूह बनाते थे। वे स्वयं अपने पास की अल्प राशि बचत कर बैंक में जमा करते और फिर बैंक के माध्यम से उन्हें आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। आधे दशक तक यह योजना इसीलिए धीमी गति से चल रही थी क्योंकि बैंक ने इसमें कोई रूचि नहीं ली थी। वर्ष 1998 में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर स्व-सहायता समूह आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गुजरात आदि प्रदेशों में अधिक विकास कर आगे निकल गये। इस लेख में बताया गया है कि मध्यप्रदेश में समूहों को बैंक से ऋण मिलना देरी से शुरू हुआ।

स्व-सहायता समूह ग्राम या नगर के व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूह होते हैं। जिसके माध्यम से एक जैसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के लोग अपनी समस्याएं परस्पर सहयोग से हल करने का प्रयास करते हैं। स्व-सहायता समूह ग्राम, मोहल्ले, या टोले के होते हैं। स्व-सहायता समूहों में ग्रामीण अपनी इच्छा से संगठित होते हैं। गरीब अपनी थोड़ी-थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं। स्व-सहायता समूह द्वारा इस राशि का उपयोग सदस्यों की आकस्मिक जरुरतों जैसे बीमारी के लिये, काम धंधे के लिये, आपसी लेन-देन द्वारा किया जाता हे। स्व-सहायता समूह के सदस्य एक सप्ताह, पन्द्रह दिन या महीने में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर सामूहिक चर्चा कर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं। स्व-सहायता समूह के सदस्य एक समान सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। जिससे ये आपस में बेझिझक बात कर पाते हैं। स्व-सहायता समूह के अपने नियम होते हैं जिसका पालन समूह के सभी सदस्य आवश्यक रूप से करते हैं। स्व-सहायता समूह पुरुषों या ग्रामीण महिलाओं के होते हैं। मिले जुले समूह भी पाये जाते हैं। स्व-सहायता समूह में ग्रामीण महिलाएं अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

स्व-सहायता समूह के उद्देश्य :

1. स्व-सहायता समूह के माध्यम से गरीबों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना।
2. ग्रामीणों में विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में छोटी-छोटी बचत को करने

की प्रवृत्ति उत्पन्न करना।

3. ग्रामीणों में छोटी-छोटी बचत को जमा करने की प्रवृति का उदय करना।
4. ग्रामों को सेठ, साहूकारों व अन्य सम्पन्न वर्गों के चंगुल से मुक्त कराना।
5. समूह में सम्मिलित सदस्यों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना।
6. एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान।
7. ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक भावना का विकास करना।

स्व-सहायता समूह की विशेषताएं :

1. समूह के अपने स्वयं के नियम कानून होते हैं।
2. समूह पंजीकृत या गैर पंजीकृत हो सकता हे।
3. स्व-सहायता समूह का आधार उसके सदस्यों द्वारा आन्तरिक रुप से संग्रह की गयी बचत हे।
4. स्व-सहायता समूह के सदस्य आन्तरिक ऋण का लेन देन करते हैं।
5. स्व-सहायता समूह के सदस्य अपने हिसाब किताब के लिये बही खाते का रख रखाव एवं संचालन स्वयं करते हैं।
6. स्व-सहायता समूह के सदस्य समूह के नाम पर एक बचत खाता बैंक में खुलवाते हैं एवं उसका संचालन करते हैं।

स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिला सदस्य को सशक्त करने हेतु एक सशक्त साधन है अत: इस प्रक्रिया को किसी एक उद्देश्य से न जोडकर पूरे ग्रामीण महिला समाज के उत्थान के मुद्दों से जोडा गया है। स्व-सहायता समूह से मूल्य संस्कृति एवं इससे प्रगति जुडी हुई है। देखा जाए तो प्रत्येक ग्रामीण महिला का सम्बन्ध अपने शिशु को जन्म देने से लेकर एक अच्छे अनुशासित नागरिक बनाने की असीम ललक सी रहती है उसी प्रकार समूह निरन्तर चलने वाली कभी न टूटने वाली प्रक्रिया होती है। समूह को हम जब कुछ लोग निश्चित लक्ष्यों या सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे एक मंच का निर्माण करते हैं इसमें शामिल हुए लोग आर्थिक स्थित से कमजोर तथा सामान्य उद्देश्य वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है जो परस्पर आपसी सामंजस्य बनाये रखने के कारण समूह निरन्तर चलता रहता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही ग्रामीण महिलाओ की वर्तमान में आर्थिक स्तर को हम देखते है कि ग्रामीण ग्रामीण महिलाओ को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ तथा उनको समाज मे लोगों के साथ अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में पुरूषों की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कितना योगदान दिया जा रहा है तथा ग्रामीण महिला सशक्तीकरण पर ग्रामीण महिलाओं में कितनी जागरूकता आई है। इसके अलावा जो ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के लिए स्व-सहायता समूह (Self Help Group) के द्वारा कितनी ग्रामीण महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर अपने परिवार को सुदृढ़ करने में कितना योगदान दे रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण महिलाएं S.H.G. में जुडकर काम कर रही है। उनके कार्यों में गतिरोध के कौन-कौन से कारण तथा इन गतिरोध समस्याओं को जानने के लिए कुछ समाधान निकाल कर उनकी समस्या का निराकरण हो सके। इसके अलावा 10 वर्ष पूर्व की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओ मे रोजगार की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है।

सामान्यत: ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़ी हुई थी तथा उनको समाज में लिंग भेद तथा अन्य सामाजिक दुर्बलताओं के कारण और ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी तथा उनकी सभी समान स्थितियों के ध्यान मे रखते हुए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की ग्रामीण महिलाओ से सम्बंधित योजनाओ का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

स्व-सहायता समूह के गठन की शुरूआत स्वयं से होनी चाहिए और निम्न प्रकार चक्रानुसार आगे बढनी चाहिए, स्वयं अपने अनुभव के साथ सम्बद्ध करके समूह तक और समूह का प्रभाव परिवार तक, परिवार का प्रभाव मुहल्ले तक, मुहल्ले का प्रभाव गॉव तक और गॉव से क्षेत्र तक और क्षेत्र से समाज तक यात्रा करता हैं, यही समूह की परिपूर्णता होती है। कहने का आशय यह है कि जब स्वयं से इसकी शुरूआत होगी और समाज तक इसका प्रभाव जायेगा तभी उसके परिणाम स्वरूप नये समूहों का निर्माण होगा।

स्व-सहायतासमूहों का निर्माण रातों-रात नहीं हो जाता इसके लिए बहुत सारे सार्थक प्रयास करने पड़ते हैं लोगों को जागरूक करना पड़ता है इसके साथ ही साथ लोगो को उस क्षेत्र के बारे में छोटी-छोटी बुनियादी जानकारी हासिल करनी पड़ती है। उस गॉव के प्रधान, सचिव तथा वहॉ के मुखिया के द्वारा जाति आधारित तथा आर्थिक स्थिति से (गरीबी रेखा के नीचे) कमजोर व्यक्तियों की सूची लेनी पड़ती है। समूह के निर्माण के लिए पहले बैठक करनी पड़ती है लोगों को इस विषय के बारे में जानकारी देनी पड़ती है तथा गरीबी दूर करने से सम्बन्धित नाना प्रकार की योजनाएं एवं सेवाओं से सम्बंधित जानकारी देना अति आवश्यक है। बैठक के समय सभा में गॉव के लोगो के द्वारा समस्या तथा उन्ही के अनुसार समाधान करवाया जाता है। एवं उस गॉव का जिस गॉव में समूह निर्माण करना है। उस पर निरन्तर दौरा करते रहना चाहिए जिससे कि लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न होता रहे तथा वे बिना किसी हिचक के स्व-सहायतासमूह में काम कर सके।

इस प्रकार हम कहते है कि इस प्रक्रिया मे स्व-सहायता समूह चाहे वह मिश्रित हो अथवा पुरूष, ग्रामीण महिला का अलग-अलग हो प्रत्येक दशा में समूह हमेशा छोटा होना चाहिए ताकि समूह के द्वारा ही इसका प्रबंध सुचारू रूप से किया जा सके।

स्व-सहायतासमूह के प्रमुख उद्देश्य है- स्व-सहायता समूह का उद्देश्य होता है- व्यक्तिगत क्षमताओं एवं दक्षताओं के माध्यम से सामूहिक क्षमता का विकास करके समाज मे विद्यमान समस्याओं एवं आवश्यकताओं को हल करना है। अलग-अलग परिस्थितियों में निवास कर रहे समुदाय द्वारा गठित किये गए समूहो के उद्देश्य परियोजनाओं के उद्देश्य से तालमेल करके निश्चित किये जाते है जिससे की समूहों में स्थायित्व बनी रहे।

स्व-सहायता समूह के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से है:

1. गांवों में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को छोटे-छोटे समूहों में संगठित करना तथा ग्रामीण महिला संगठनों को मजबूत करना है।
2. ग्रामीण महिला समूहों के बीच सामाजिक जागरूकता के स्तर को सुदृढ़ करना।
3. समुदायिक संगठनों जैसे कि ग्रामीण महिला मंडल, पंचायत, सहकारी समितियों आदि ग्राम संगठनों द्वारा समूहों को क्रियाशील बनाने हेतु निरन्तर मद्द करना है।
4. समूह को इस तरीके से प्रोत्साहित करना ताकि अपनी जरूरत एवं स्थानीय साधन के अनुरूप सूक्ष्म स्तरीय आय-वृद्धि के कार्यक्रम शुरू कर सके।
5. निर्धन ग्रामीण महिला समुदायों के बीच सामाजिक एवं गुणात्मक सुधार लाने हेतु समूह का प्रमुख उद्देश्य होता है।
6. सामाजिक एवं आर्थिक अवसरों में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने का योजना

तक प्रयास करना।

7. सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तथ्य तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
8. स्व-सहायता समूह का उद्देश्य होता है। आर्थिक स्थिति में बदलाव तथा गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है।

प्रश्न-1 परिवार का स्वरूप:-

तालिका क्र0 1

क्र.	परिवार का स्वरूप	आवृति	प्रतिशत
1	सयुक्त परिवार	60	60 प्रतिशत
2	एकल परिवार	40	40 प्रतिशत
	योग	**100**	100 प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि समुदाय के अन्तर्गत 60 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ सयुक्त परिवार में रह रही हैं तथा 40 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ एकल परिवार में रह रही हैं।

प्रश्न- 2 क्या आपको स्वसहायता समूह के बारे में जानकारी है:-

तालिका क्र0 2

क्र.	स्वसहायता समूह के विषय में जानकारी हैं	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	64	64 प्रतिशत
2	नही	36	36 प्रतिशत
	योग	**100**	100 प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 64 प्रतिशत ग्रामीण महिला को स्वसहायता समूह के बारे में जानकारी हैं और 36 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को स्वसहायता समूह के बारे में जानकारी नहीं है।

प्रश्न-3 स्वसहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है क्या आप इस नीति से सहमत है:-

तालिका क्र0 3

क्र.	स्वसहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है।	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	80	80 प्रतिशत
2	नही	20	20 प्रतिशत
	योग	**100**	**100 प्रतिशत**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ इस नीति से सहमत है कि स्वसहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को सश्सक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है और 20 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ इस नीति से सहमत नही है कि स्वसहायता समूह कार्यालय ग्रामीण महिलाओ को सशक्त बनाने के लिए कार्य रही है।

प्रश्न-4 आपके विचार में जादातर स्वसहायता समूह से जुड़ना क्यों आवश्यक है।

तालिका क्र0 4

क्र.	स्वसहायता समूह से जुड़ने का कारण	आवृति	प्रतिशत
1	गरीबी दूर करने के लिए	32	32 प्रतिशत
2	परिवार के विकास के लिए	28	28 प्रतिशत
3	ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए	40	40 प्रतिशत
4	उपर्युक्त में से कोई नहीं	0	0 प्रतिशत
	योग	**100**	100 प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 32 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक है 28 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि परिवार के विकास के लिए स्वसहायता समूह से जुड़ना आवश्यक है और 40 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वसहायता समूह से जुड़ना आवश्यक है।

प्रश्न-5 कौन सी ग्रामीण महिलाएँ स्वसहायता समूह को गठित कर सकती या जुड सकती है

तालिका क्र0 5

क्र.	कौन सी ग्रामीण महिलाएँ स्वसहायता समूह को गठित कर सकती है	आवृति	प्रतिशत
1	गरीब ग्रामीण महिलाएँ	24	24 प्रतिशत
2	अति गरीब	16	16 प्रतिशत
3	समस्याग्रस्त	32	32 प्रतिशत
4	उक्त सभी	28	28 प्रतिशत
	योग	**100**	**100 प्रतिशत**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 24 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गरीब ग्रामीण महिलाएँ स्वसहायता समूह को गठित कर सकती हैं 16 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि अति गरीब ग्रामीण महिलाएँ ही स्वसहायता समूह को गठित कर सकती है 32 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि समस्याग्रस्त ग्रामीण महिलाएँ ही स्वसहायता समूह को गठित कर सकती है 28 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि उक्त सभी ग्रामीण महिलाएँ स्वसहायता समूह को गठित कर सकती है।

प्रश्न-6 क्या स्वसहायता समूह का सदस्य के बनने पर ग्रामीण महिलाएँ अधिक आत्मनिर्भर बन जाती है-

तालिका क्र 0 6

क्र.	स्वसहायता समूह का सदस्य बनने पर ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भर हो जाती हैं।	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	72	72 प्रतिशत
2	नहीं	28	28 प्रतिशत
	योग	**100**	**100 प्रतिशत**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 72 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ग्रामीण महिलाएँ स्वसहायता समूह का सदस्य बनने पर आत्मनिर्भर हो जाती हैं जबकि 28 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ग्रामीण महिलाएँ स्वसहायता समूह का सदस्य बनने पर आत्मनिर्भर नहीं बन पाती।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण - ग्रामीण महिला सशक्तीकरण या सबली करण आज का अत्यन्त ज्वलन्त प्रश्न है। सबलीकरण से यहाँ तात्पर्य है ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा उसकी व्यक्तिगत पहचान बनाने के प्रयासो से हैं सदियों के उतार चढ़ाव के बाद जब स्त्रियों की व्यक्तिगत पारिवारिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव नही आया तो कुछ अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला संगठनों तथा समाज सेवी संगठनों ने ग्रामीण महिलाओ की स्थिति में सुधार हेतु जो कदम उठाए, स्त्रियों के हितों व उनकी सामाजिक-आर्थिक

स्थिति सुधारने के प्रयास को ही हम सबलीकरण कहते है। सबलीकरण की आवश्यकता पुरूषों की तानाशाही, अशिक्षा व अज्ञानता, जटिल सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था, ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता नारी उत्पीड़न और मानवीय मूल्यों को ह्रास के कारण और इनके निवारण के लिए जो उपाय सरकार द्वारा किये जा रहे है। उन्हे ग्रामीण महिलासशक्ती करण का नाम दिया है।

आर्थिक संदर्भ में ग्रामीण महिला सशक्तीकरण – भारत में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति मिली जुली है। कुछ ग्रामीण महिलाओं का अपनी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है तो कुछ ग्रामीण महिलाएँ काफी हद तक अपने पति, पिता अथवा भाइयों पर आश्रित होती हैं, बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी है, जिनकों विचार तक व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता नही है। आगे बढें तो बहुत सी ऐसी ग्रामीण महिलाऍं भी मिल जावेगी जो अकेली ही घर–गृहस्थी की गाड़ी चलाती है और यह इसलिए नही कि वे अपने पति के द्वारा त्याग दी गई अथवा विधवा है, बल्कि इसलिए कि उनके पति उनसे इसी की अपेक्षा रखते है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों मे यह आम बात है। यह तथ्य कि पिछले छह वर्षो के अन्तराल में ही भारत की आबादी दस करोड़ बढ़ गई कुछ ही लोगों को आश्चर्य लगा होगा। वर्ष 2011 को अधिकारिक तौर पर यह ऑकड़ा एक अरब 25 लाख के उपर पहुॅच गया, फिर भी यह किसी मन में निराशा उत्पन्न नहीं करता। देश का जनसंख्या नियंत्रण बजट जो एक समय मात्र 65 लाख रूपयें था, अब बढ़कर 3520 करोड़ रूपये हो गया है। आज ग्रामीण महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है, ताकि संतति नियंत्रण में उन्हें सही चुनाव का अवसर मिल सके। शिक्षा अभियान और साक्षरता आन्दोलनों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सीमित परिवार के प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। इस समस्या का समाधान नौकरियॉ ग्रामीण महिलाओं तक ले जाना भले ही न हो, लेकिन यदि घर के पास ही रोजगार के पर्याप्त अवसरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा उनके लिए एक निश्चित आमदनी की व्यवस्था कर दी जाए तो उनका बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्व सहायता समूहों तथा स्व रोजगार योजनाओं के माध्यम से अनेक ग्रामीण महिलायें आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध हो सकती है।

सुझाव :

1. समस्त आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को S.H.G में सहभागिता हेतु प्रेरित करना आवश्यक है।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ग्रामीण महिलाओं को भी S.H.G हेतु जोड़ने के प्रयास करने की जरूरत है।
3. मजदूरी एवं कृषि कार्य में संलग्न गरीब ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी S.H.G में बढ़ाने की आवश्यकता है।
4. S.H.G से जुड़ी समस्त ग्रामीण महिलाओं को परिवार नियोजन से सम्बन्धित जानकारी एवं जागरूक करना उचित होगा।
5. S.H.G के अतिरिक्त भी अन्य आर्थिक गतिविधियों में गरीब ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। जिससे उनका आवश्यक आर्थिक सशक्तीकरण हो सके।
6. S.H.G में जुड़ने वाली सभी ग्रामीण महिलाओं के साक्षर होने की व्यवस्था करना उचित होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राय, पारसनाथ (1973) अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा।
2. शुक्ला एस0एम0, सहाय एस0पी0(2005) सांख्यिकी के सिद्धान्त साहित्य भवन पब्लिकेशन हास्पिटल रोड़ आगरा।
3. पाण्डे तेजस्कर, पाण्डेय ओजस्कर (2009) समाज कार्य भारत बुक सेंटर 17, अशोक मार्ग, लखनऊ।
4. गुप्ता एम.एल, शर्मा डी.डी. (1998) समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा,
5. डॉ. रवीन्द्र पस्तौर : क्रियान्वयन मार्गदर्शिका, द्वितीय चरण, 2009
6. अजीत कुमार (परियोजना समन्वयक) : स्व सहायता समूह प्रशिक्षण मार्गदर्शिका
7. डॉ. मिश्रा, नन्द लाल, विकास की चुनौतियाँ
8. डॉ. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण, सामाजिक समस्याए

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

वृद्धाश्रम में वृद्धों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. आभा गोयल * संदीपा पाण्डेय **

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृहविज्ञान) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज भारत को आजाद हुए सात दशक से उपर हो चुका है। इतने वर्षो में लोक कल्याण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, परिवार एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त हो चुकी है जिनमें जन्म से मृत्यु, मानवीय शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया है। जैसे–शैशवावस्था, बाल्यावस्था किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था जीवन का अंतिम चरण है यह शारीरिक एवं सामाजिक दृष्टि से ह्रास का दौर है, जिसमें व्यक्ति न केवल सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, बल्कि सामाजिक आर्थिक तथा साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होने लगता है। इन सबके परिणाम स्वरूप इनके सामने अनेक प्रकार की चुनौती प्रस्तुत होती है। आज परिवार की दिशा–दशा दोनों बदलती जा रही है, जिससे आज जिम्मेदारी उठाने से लोग दूरी बनाना पसन्द कर रहे है, जो एक प्रकार का सामाजिक मनोविकार है वृद्धों में तो स्थिति और विपरीत होती जा रही है। जहाँ इनको काफी यातनाएँ सहनी पड़ रही हैं जिससे आज सरकार अपनी नीति में व्यापक बदलाव कर रही है वृद्धाश्रम उन वरिष्ठ नागरिकों के लिये होते हैं जो अपने परिवारों के साथ नहीं रहते हैं अथवा निराश्रित होते हैं। भारत में दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल आदि जैसे राज्यों में बहुत अच्छे वृद्धाश्रम बनाये गये है। इन वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिये विशेष सुविधाएं उपलब्ध है जैसे कि चलती फिरती स्वास्थ्य देखरेख प्रणालियाँ, एम्बुलेन्स, नर्सें और संतुलित आहार की व्यवस्था, जो समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं, जिससे समाज पर एक दबाव बनेगा तथा स्थितियाँ गम्भीर नही होगी, आज वृद्धों की आबादी लगातार बढ़ रही क्योंकि उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर मिल रही है जिससे लोगो की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है जो आने वाले दिनों में एक समस्या को जन्म देने का संकेत है।

शब्द कुंजी – वृद्ध, वृद्धाश्रम, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण।

प्रस्तावना – अवधरणात्मक विवेचन – वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था मानी है। सामान्यत: इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष के बाद माना जाता है। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद से मृत तक की अवस्था मानी जाती है। वृद्धावस्था उस अवस्था को कहतें है जिसमें दैहिक और मानसिक शक्तियों का ह्रास प्रारंभ हो जाता है। वृद्धावस्था की प्रक्रिया भिन्न–भिन्न व्यक्तियों में भिन्न–भिन्न आयु में आरंभ हो जाती है। फिर भी इसकी औसत आयु 60 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में आयु वृद्धि के साथ–साथ व्यक्ति की शक्ति, उसकी स्फूर्ति काम करने की गति कम हो जाती है। वृद्धावस्था वह काल है जब ह्रास धीमी गति से होती है इसे जरत्व कहा जाता है। जब ह्रास की गति तीव्र होती है तथा व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णरूपेण टूट जाता है और क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती तो उसे जरावस्था की संज्ञा दी जाती है।

अमरीकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वृद्धावस्था का प्रसार क्षेत्र 120 वर्ष तक माना गया है। क्योंकि कुछ लोग इस अवधि तक जीवित पाये गये हैं। मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धावस्था (Old Age) को अब उत्तर प्रौढ़ावस्था (Late Adulthood) के रूप में परिकल्पित किया है। इस प्रकार संपूर्ण वृद्धावस्था को निम्न तीन भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जाने लगा है –

1. युवा वृद्ध (The Young Old) 60 से 75 वर्ष;
2. वृद्ध–वृद्ध (The Old-Old) 75 से 85 वर्ष;
3. वृद्धस्थ वृद्ध (The oldest Old) 85 से ऊपर

वृद्धावस्था के संबंध में आशावादी दृष्टिकोण अपनाना निश्चय ही भावनात्मक मनोवृत्ति का परिचायक है। सामान्यत: अनेक वृद्धजन अनुभवी, साहसी, सहिष्णु, विवेकशील, उदार और धैयवान होते हैं। कुछ लोग अपने उत्साह के कारण सीमित शारीरिक क्षमता के बाद भी अभूतपूर्व मानसिक दृढ़ता, सृजनात्मक कौशल और इच्छा–शक्ति का प्रदर्शन करते है कि वे अपने परिवार एवं समाज पर किसी भी रूप में आश्रित नहीं रहते है। ऐसे उत्साही वृद्धजनों की संख्या बहुत कम ही होती है।

वृद्धजन प्राय: आत्म विश्वास के बढ़ते हुए अभाव एवं स्वयं असंतोष द्वारा अभिलक्षित होते है। उनकी सामान्य मनोवृत्ति कुछ–कुछ निराशाजनक होती है और एकाकीपन असहायता, दरिद्रता और मृत्यु के भयों से उत्पन्न चिंता के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति रूठे, चिड़चिड़े और निराशावादी हो जाते है। जीवन का आनन्द लेने की उनकी सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और उससे किसी अच्छी बात की अब उन्हे आशा अधिक नहीं रहती। वर्तमान समय में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयी है जिसमें वृद्धजनों को लेकर बहुत सी समस्याएं विद्यमान है। एक ओर तो वृद्धजनों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और दूसरी ओर औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण तथा संस्कारों के क्षरण के कारण वृद्धजनों की स्थिति दयनीय होती जा रही है।

भारत में एक हजार से भी अधिक वृद्धाश्रम है इनमें से अधिकांश वृद्धाश्रमों में नि:शुल्क ठहरने की भी व्यवस्था है। कुछ आश्रम प्रदान की गई

सेवा और गुणवत्ता के आधार पर, भुगतान के आधार पर, चलाये जाते है। भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं के अलावा वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिये योगाभ्यास की कक्षाओं की भी व्यवस्था की जाती है। वृद्धाश्रमो में दूरभाष और संचार के अन्य साधन भी मुहैया कराये जाते हैं ताकि वहां रह रहे वृद्ध व्यक्ति अपने प्रियजनों से संपर्क बनाये रख सकें। कुछ वृद्धाश्रमों में दिन में देखभाल करने वाले (डे केयर सेंटर) भी है। इन केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों की केवल दिन में देखभाल की जाती है।

जिन वृद्ध लोगों का कोई आश्रय नहीं होता और कोई सहारा देने वाला नहीं होता, उन्हें वृद्धाश्रम एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों में, वहां रहने वाले लोगों के बीच एक पारिवारिक माहौल पैदा किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक जब अपने दुख सुख आपस में बांटते हैं तो उन्हें सुरक्षा और मित्रता की भावना का एहसास होता है।

आधुनिकीकरण के युग में देश में वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय बन गई है। वद्धावस्था में प्राय: यह देखा जा रहा है कि बच्चों व माता-पिता के बीच में आपसी लगाव कम होता जा रहा है। वो माता-पिता जिन्होने अपने कई इच्छाओं को दबाकर बच्चों की ख़ुशी को प्राथमिकता दी, आज वही बच्चे माता-पिता की सेवा करने के लिये कर्तव्य से हट रहे हैं।

माता-पिता जिन्होंने हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिये सब कुछ किया लेकिन हम अब ऐसे समय में जब उन्हें हमारी अति आवश्यकता है तब हम उन्हें घर से बाहर निकालकर इतने स्वार्थी कैसे हो सकते है। हमारे स्वार्थी होने का प्रमुख कारण 'आज की पीढ़ी' का रोजमर्रा की भागदौड़ है। जिसकी वजह से इंसान कहीं न कहीं अपने मूल्यों को खोता जा रहा है। देश में आज-कल वृद्धाश्रम में बुजुर्गो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

आज भारतीय समाज अपनी मूल पहचान को कहीं खोता जा रहा है क्योंकि समाज एवं परिवार का सबसे अनुभवी एवं उम्रवान व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित, असहाय एवं उबा हुआ सा महसूस कर रहा है। आज उनके अनुभवों एवं विचारों को व्यर्थ माना जाने लगा है और उनकी सीख को दरकिनार कर परिवार के अन्य सदस्यों द्धारा नए तरीके से पारिवारिक गतिविधियों का संचालन किया जाने लगा है। कभी परिवार का मुख्य कर्ताधर्ता आज का वृद्ध समाज एवं परिवार में अपना अस्तित्व खोज रहा है और एकाकी जीवन व्यतीत के लिए मजबूर है। सरकार के द्वारा वृद्धजनों को पारिवारिक एवं सामाजिक विसंगति से दूर करने के कई कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है लेकिन उनका प्रभाव जिस स्तर से वृद्धजनों पर पड़ना चाहिए वह नहीं पड़ रहा है। कुछ सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के द्धारा भी वृद्धजनों को स्वाबलम्बन हेतु प्रयास किए जा रहें है। वृद्धाश्रमों, रैनबसेरा, महिला आश्रमों की स्थापना कर वृद्धजनों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

भारतीय समाज उत्तरावस्था अर्थात् वृद्धावस्था में पहुंचने वाले जनों के प्रति सदा से ही आग्रही रहा है। वे चाहे स्त्री हो या पुरूष विधवा हो या विधुर, वे चाहे जिस वर्ग, जाति के रहे हो। स्पष्ट है उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के पश्चात् वर्ण संबंधी परिस्थितियाँ गौण हो जाती है।

भारतीय दर्शन में चिंतन के इस परिदृश्य के समाहन का प्रमुख कारण वृद्धों के पास मौजूद कालगत अनुभवों का ज्ञान था जो किसी भी समाज क्षेत्र देश और संस्कृति को सुचारू और सुसंपन्न बनाने में सक्षम हो सकता है।

पूर्व में किए गए शोधों की संक्षिप्त समीक्षा

डॉ. एम.एन.सिंह (2013) ने अपने अध्ययन में पाया कि वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही तीव्र आधुनिकीकरण, प्रजनन, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार इत्यादि के कारण संयुक्त परिवारों में विघटन के फलस्वरूप वृद्धों की प्रास्थिति में निरंतर ह्रास एवं बढ़ती दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक नीति निर्धारकों हेतु चिंता का विषय बनती जा रही है, प्राचीन भारत में वृद्धों का परिवार व समाज में प्राप्त उच्च प्रास्थिति के कारण उनकी संख्या का कम होना था क्योंकि पूर्व औद्योगिक समाजों में 1951 के आस-पास लगभग 2 प्रतिशत व्यक्ति ही 65 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते थे।

डॉ. अंजनी कुमार श्रीवास्तव (2010) ने वृद्धजनों के पारिवारिक तनाव पर व्यापक अध्ययन किया है। उनके अध्ययन के अनुसार 21 प्रतिशत वृद्धों को ही पारिवारिक सामंजस्य का सुख है। 90 प्रतिशत वृद्धों के पुत्र-पुत्री पारिवारिक झगड़ा एवं तनाव को पैदा करते हैं। 59 प्रतिशत वृद्ध संपत्ति को लेकर मुकदमें के पेंच में फंसे है जो उन्हीं के पारिवारिक सदस्यों ने दिया है। उनका मानना है कि वृद्धजनों का परिवार में अभियोजन एक जटिल समस्या बनती जा रही है।

हेल्पेज इडिया (2010) के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में 7ү प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति है इसमें 90 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में जुड़े है। इनमें भी 73 प्रतिशत ग्रामीण एवं अशिक्षित है तथा 55 प्रतिशत महिलायें विधवायें है। कुल वृद्धजनों की संख्या के 40 प्रतिशत व्यक्त गरीबी की जीवन रेखा से नीचे जीवन यापन करते है।

आज वृद्धजनों में परिवारिक सामजंस्य की कमी, अवहेलना, तिरस्कार समुचित देखभाल व संरक्षण तथा पोषण की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक समस्याएं रहती है। वृद्धाश्रम में वृद्धो की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन विषय को लेने का शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में वृद्धाश्रम में बढ़ते वृद्धों के जीवन की स्थितियों तथा समस्याओं के बारे में पता लगाकर सम्मान दिलाना है, जो वृद्धजन परिवार से सम्मान व अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो स्वयं में कुंठा व निराशा से जीवन को जीते हैं तथा भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते है और वृद्धाश्रम में जीवनयापन करने चले जाते हैं, जो आधुनिक समय में बहुत अधिक संख्या में हो रहें है, जो कि एक चिंता का विषय है इसलिये इस विषय पर गम्भीर चिंतन एवं समस्या का कारण पता लगाने की जिज्ञासा हुयी की क्यों न इस विषय के आधार में जाकर होने वाले कारणों का पता लगाया जाय और उसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया जाये जिससे वृद्धजनों की समाज एवं परिवार में स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मान जनक हो वे समाज में अपने गरिमापूर्ण स्थिति में रह सकें यही शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य है।

शोध के उद्देश्य - शोध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना शोध दिशाहीन होता है। शोध के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. वृद्धाश्रम में वृद्धों की पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. वृद्धों की शरीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के पारिवारिक समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. वृद्धाश्रम में वृद्धों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।
4. वृद्धाश्रम में महिला एवं पुरूष वृद्धों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
5. वृद्धाश्रम में महिला एवं पुरूष वृद्धों के समायोजन संबंधी समस्या का

अध्ययन करना।

6. वृद्धाश्रम में वृद्धों द्वारा पीढ़ी से सामंजस्य में आभाव का अध्ययन करना।
7. वृद्धों में संयुक्त परिवार के विघटन के प्रभाव का अध्ययन करना।
8. सेवानिवृत्त वृद्ध महिला/पुरूष के व्यवहार का अध्ययन करना।
9. वृद्धावस्ता में वृद्धों के सामाजिक पृथक्कता एवं एकांकीपन का अध्ययन करना।
10. वृद्धों के लिये संचालित शासकीय योजनाओं का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ – परिकल्पना अनुसंधान की प्रथम सीढ़ी है। अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधान के कारणों समस्याओं के समाधान एवं परिणाम के बारे में हम जो एक निश्चित आवधारणा बना लेते हैं उसे परिकल्पना या उपकल्पना कहते है।

1. वृद्धाश्रम में वृद्धों की पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
2. वृद्धों के शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के कारणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
3. वृद्धों के मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के कारणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
4. वृद्धों की पारिवारिक समायोजन सम्बन्धी समस्या के कारणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
5. वृद्धों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के कारण पारिवारिक समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
6. वृद्धों के लिये संचालित शासकीय योजनाओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

शोध प्रविधि – किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञानरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित कारकों से प्रेरित होकर ही निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में वृद्धाश्रम में वृद्धों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े वृद्धाश्रम में वृद्धों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकाशित- अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन रीवा जिले के संबंध में है जिसकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 2,365,106 है, जिसमें से पुरुष 1,225,100 एवं महिलाएँ 1,140,006 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 960 महिलाएँ है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये जिसमें से शोधार्थी द्वारा 100 व्यक्तियों को लेकर के शोधकार्य पूरा किया अध्ययन के दौरान जो ऑकड़े एकत्रित किये गये उनका परिचात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है।

शोध कार्य से संबंधित परिकल्पनाओं की रचनाओं के पश्चात उनके परीक्षण के लिये आवश्यक एवं तर्कसंगत आंकड़ों की आवश्यकता होती है। शोध समस्या एवं शोध अध्ययन के लिये प्रयुक्त प्रविधि दोनों में पारस्परिक रूप से घनिष्ट संबंध रहता है। समस्या के संदर्भ में अध्ययन के लिये उपयुक्त विधि का चयन किया जाना अति आवश्यक है। अध्ययन की विधि को विशेष रूप से रचित एवं विकसित किया जाना शोध कार्य की सफलता के लिये आवश्यक है।

अध्ययन का समग्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत रीवा जिले के वृद्धाश्रम में वृद्धों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखा जायेगा। शोध अध्ययन हेतु उत्तरदाताओं का चयन निदर्शन पद्धति के द्वारा किया जाएगा।

प्रदत्ता संकलन की विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में रीवा जिले के समस्त वृद्धाश्रमों में वृद्धों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन हेतु मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति के अनुसार प्रदत्तो का संकलन किया जायेगा। प्रदत्तों के संकलन हेतु अनुसूची विधि का उपयोग किया जायेगा।

प्रदत्ता विश्लेषण – अनुसूची के प्रथम भाग में सामान्य जानकारी एवं द्वितीय भाग में वृद्धावस्था में शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि की जानकारी से सम्बन्धित होगा।

प्राप्त प्रदत्तो का वर्गीकरण सारणीयन और सांख्यिकीय विश्लेषण किया जायेगा और प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर वृद्धाश्रम में वृद्धा की सामाजिक पारिवारिक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा उससे सम्बन्धित वृद्धों को उपयोगी सुविधायें प्रदान करने के प्रयास किये जायेगें।

न्यादर्श – प्रस्तुत शोध कार्य में वृद्धाश्रम में वृद्धों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन हेतु 100 वृद्धों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया जायेगा।

वृद्ध	**संख्या**
पुरूष	50
महिला	50
कुल	**100**

तथ्यों का विश्लेषण– प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों के संकलन के पश्चात् प्राप्त तथ्यों को समानता एवं भिन्नता के आधार पर वर्गाकृत, सारणीयन कर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो का विश्लेषण किया गया है। वृद्धाश्रम में महिला एवं पुरूष दोनो ही पाये जाते है।

तालिका संख्या 01 : आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

आयु समूह (वर्ष)	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
60-65	18	18%
65-70	54	54%
70-75	19	19%
75 के उपर	9	9%
कुल	**100**	**100%**

तालिका संख्या 01 में उत्तरदाताओं के वितरण को उनकी आयु के अनुसार दर्शाती है। यह देखा जा सकता है कि 54 प्रतिशत उत्तरदाता 65-70 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, इसके बाद 18.5 प्रतिशत 70-75 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। 19 प्रतिशत उत्तरदाता 60-65 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जबकि 9 प्रतिशत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

उत्तरदाता 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हैं।

तालिका संख्या 02 : शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित उत्तरदाताओं का वितरण

स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	97	97%
नहीं	3	3%
कुल	**100**	**100%**

तालिका संख्या 02में उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाती है। तालिका के आँकड़ों से पता चलता है कि लगभग 97 प्रतिशत उत्तरदाता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। बहुत कम उत्तरदाताओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। इसके अलावा, उनमें से अधिकांश एक से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता क्षीण हो जाती है। इसलिए, वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक होता है। वृद्धावस्था और स्वास्थ्य के मुद्दे इस अर्थ में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियों से बचाव के लिए किसी के शरीर की प्रतिरोधाक क्षमता और क्षमता कम होती जाती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया किसी के शरीर में जैविक परिवर्तनों की एक श्रृंखला लाती है जो शारीरिक प्रणाली में क्रमिक गिरावट की विशेषता है जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कार्यों में गिरावट आती है। यह भी देखा गया है कि अधिकांश वृद्ध व्यक्ति पुरानी बीमारियों से पीड़ित होते हैं।

तालिका संख्या 03 : उत्तरदाताओं के अपने घरों को वापस न जाने के कारण

कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
परिवार में सम्मान नहीं	64	64%
परिवार का कोई सदस्य नहीं है	6	6%
वृद्धाश्रमों में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करें	7	7%
घर में शांतिपूर्ण माहौल नहीं	5	5%
जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते है	14	14%
कोई अन्य कारण	4	4%
कुल	**100**	**100%**

तालिका संख्या 03 से पता चलता है कि आधो से अधिक उत्तरदाताओं यानी उनमें से 64 प्रतिशत घर जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके परिवार में उनका कोई सम्मान नहीं है। 07 प्रतिशत उत्तरदाता घर वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपने घर की तुलना में वृद्धाश्रम में अधिक स्वतंत्रता है जहां वे अपनी बहू या बेटों द्वारा प्रतिबंधित महसूस करते हैं। 06 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में कोई नहीं है, इसलिए वे अपने घर वापस जाने के बारे में नहीं सोचते हैं। 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने घर का वातावरण शांतिपूर्ण नहीं लगता और इसलिए वे अपने घर वापस जाने को तैयार नहीं हैं। 04 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार से उचित देखभाल न मिलने जैसे विभिन्न कारणों से अपने घर नहीं लौटना चाहते। हालांकि, 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने घर लौटने के बारे में सोचा।

तालिका संख्या 04 : वृद्धाश्रमों की स्थापना के कारणों के बारे में उत्तरदाताओं का वितरण

कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निराश्रित वृद्ध लोगों के लिए	60	60%
उन वृद्ध लोगों के लिए जिनका परिवार विदेश में रहता है	5	5%
उन वृद्ध लोगों के लिए जिनके घरों में समायोजन की समस्या है।	12	12%
उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं	20	20%
कोई अन्य कारण	3	3%
कुल	**100**	**100%**

तालिका संख्या 04 से पता चलता है कि सभी उत्तरदाता अपने जिलों में वृद्धाश्रम चाहते थे। उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की एक बड़ी संख्या अर्थात उनमें से 60 प्रतिशत का मानना है कि निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की जानी चाहिए। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए स्थापित किए जाने चाहिए जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए स्थापित किए जाने चाहिए जिन्हें अपने परिवारों के साथ समायोजन की समस्या है।

इसके अलावा, 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वृद्धाश्रम उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्थापित किए जाने चाहिए जिनका परिवार विदेश में रहता है। केवल 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि वृद्धाश्रम उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्थापित किए जाने चाहिए जिनके बच्चों के रूप में केवल बेटियाँ हैं।

अधिकांश उत्तरदाता सरकारी अस्पतालों से उपचार प्राप्त करते हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश उत्तरदाता गरीब हैं और निजी अस्पतालों की सेवाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों की सेवाएं उनके लिए सस्ती हैं क्योंकि ऐसी कई सेवाएं मुफ्त हैं। उत्तरदाताओं में से केवल 2.5 प्रतिशत ही वृद्धाश्रम के स्वास्थ्य केंद्रों से उपचार प्राप्त करते हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं बहुत खराब हैं। केवल कुछ पुराने घरों के परिसर में स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है और यहां तक कि प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं ही प्रदान करते हैं। इन केंद्रों में पुरानी बीमारियों के इलाज की सुविधा नहीं है। इसलिए, कैदी हमेशा सरकारी अस्पताल से इलाज कराना पसंद करते हैं। केवल कुछ उत्तरदाता आर्थिक रूप से मजबूत हैं और वे निजी अस्पतालों से अपना इलाज कराते हैं।

तालिका संख्या 05 : उत्तरदाताओं का चिकित्सा उपचार के लिए उनके वित्तीय संसाधन अनुसार वितरण

वित्त का स्रोत	प्रतिवादी की संख्या	प्रतिशत
स्वयं	17	17%
वृद्धाश्रम प्राधिकरण	80	80%
बेटा	1	1%
बेटी	2	2%
कुल	**100**	**100%**

तालिका संख्या 05 में चिकित्सा उपचार के लिए उत्तरदाताओं के वित्तीय संसाधन को दर्शाती है। यह देखा जा सकता है कि लगभग 80 प्रतिशत उत्तरदाता वृद्धाश्रमों की सहायता पर निर्भर हैं जिसमें वे अपने चिकित्सा खर्च

का भुगतान करने के लिए रहते हैं। उनमें से केवल 17 प्रतिशत के पास ही इस तरह के खर्चों को वहन करने के लिए अपने संसाधन हैं। लगभग 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को चिकित्सा व्यय का भुगतान करने के लिए अपने पुत्रों या पुत्रियों से सहायता प्राप्त होती है।

निष्कर्ष – उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश वृद्ध व्यक्ति अपनी प्रारंभिक आयु में वृद्धाश्रमों में चले जाते हैं। उत्तरदाताओं में से अधिकांश पुरुष हैं, धर्म से हिंदू, उच्च जाति के हैं, निरक्षर हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं, निम्न आय वर्ग के हैं, यानी रु. 1000-3000 अधिकांश उत्तरदाता विधुर/विधवा हैं और शहरी क्षेत्रों में एकल परिवार से संबंधित हैं। वृद्धाश्रम के बारे में अधिकांश लोगों को अपनी बहू के साथ गाली-गलौज एवं गलत व्यवहार के बाद अपने दोस्तों से वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी मिली। अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि शेष जीवन के लिए घर सबसे अच्छी जगह है लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उन्हें वृद्धाश्रम में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वृद्धाश्रम में रहने वाले लगभग सभी वृद्ध व्यक्ति विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। अधिकांश महिला उत्तरदाता स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जो 75 वर्ष की आयु में हैं, तलाकशुदा और विधुर/विधवाएं, शहरी क्षेत्रों में एकल परिवार से संबंधित हैं। उनमें से अधिकांश सरकारी अस्पतालों से एलोपैथिक उपचार प्राप्त करते हैं और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग और धयान करते हैं। वृद्धाश्रम में रहने वाले लगभग सभी वृद्ध व्यक्ति मिलनसार और बाहर जाने वाले होते हैं और वे धार्म और दोस्तों से भावनात्मक समर्थन प्राप्त करते हैं। सभी उत्तरदाताओं के लिए आवास, भोजन, अलग शौचालय और स्नानघर, पूजा और प्रार्थना कक्ष और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध, सस्ती, सुलभ और प्रभावी है। वृद्धाश्रमों में रहने वाले अधिकांश वृद्ध व्यक्तियों ने सुझाव दिया कि योग्य डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और परिवहन सुविधा, लॉकर सुविधा, सुरक्षा सुविधा, अलग व्यक्तिगत कमरा, पूर्णकालिक धोबी की नियुक्ति के प्रावधान होने चाहिए। साल में कम से कम दो बार मनोरंजन के उद्देश्य से धार्मिक पर्यटन और यात्राएं आयोजित करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. चौरासिया, अनीता : ग्रामीण वृद्धों की समस्यायें, चोरगड़ी जिला रीवा विशेष सन्दर्भ में विन्ध्ययन रिचर्स जर्नल 2015.
2. डॉ. अंजनी कुमार श्रीवास्तव (2010) वृद्धजनों का परिवार में अभियोजन एवं तनाव, समाज वैज्ञानिकी अंक 17।
3. हेल्पेज इडिया (2010) 'एक अध्ययन' नई दिल्ली पृ. क्र. 1.
4. प्रो. महेश शुक्ल (2009) गौरव प्रकाशन 'ग्रामीण वृद्धों की चुनौतियाँ' भारतीय समाज विज्ञान परिषदवैज्ञानिक अंक 22।
5. के. सुकुमारन नायर (1990) वृद्धावस्था में एकाकीपन, सोशल वेलफेयर 16(11) पृ.13
6. राघानी, विद्या एवं सिंघी, एम.के. (1990) 'अ सर्वे ऑफ द प्राब्लम्स ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स', इण्डियन जर्नल ऑफ जेरेन्टोलाजी, 2 (1 व 2) पृ. 34.
7. डॉ. के.जी.देसाई (1989) Aging issues in developing countries, समाज वैज्ञानिकी अंक प्रथम पृ.क्र. 2।
8. बंदनारानी (1988) वृद्धजन संस्थाएं तथा प्रत्याशाएं: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जनपद विजनौर।
9. त्रिपाठी, विधि : सार्थक एवं आनन्दमय वृद्धावस्था के रहस्य भारतीय परिदृश्य में एक अध्ययन, कौटिल्य वर्ष 2 अंक षष्ठम् 2001
10. स्वामी शंकरानंद जी (1999) An Introduction to Gerontology, Chinmay Mission Mumbai.
11. आर.आर. सिंह (1999)"Understanding the aged" Indian journal Gerantology, 1 पृ. 79-87

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

बैगा जनजाति का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. पूनम शर्मा *

* अतिथि विद्वान (समाज शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारे भारत में जनसंख्या की अधिकता तो है इसके सांथ यहां जाति विविधता, धर्मिक विविधता, भाषायी विविधता के सांथ-सांथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। भारत को प्रजातियों का अजायबघर भी कहा जाता है। आज शासन के द्वारा जो जनजातियां हमारे यहां निवास करती है उनके विकास लिये शासन के द्वारा तरह-तरह की योजनाओं का क्रियानवयन किया जा रहा है जिससे ये जनजातियां भी सभ्य हो रही है।

अब हम बैगा जनजाति के बारे मे अध्ययन करेगें कि ये जनजातियां कहां पाई जाती है और अपनी अनूठी समाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के लिये अपनी अलग छवि प्रस्तुत करती है।

प्रस्तावना – बैगा जनजाति द्रविड़ समूह की आदिम जनजाति है यह भारत की अत्यन्त प्रचीन जनजाति है यह भारत के कई राज्यों जैसे म.प्र., छ.ग., उड़ीसां, झारखण्ड, बिहार, उ.प्र., महाराष्ट्र और पं.बगाल के पास निवासरत है। म.प्र. व छ.ग. के आदिम जनजातीय समूहों मे से बैगा जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी संस्कृति और उत्पत्ति अत्यंत ही प्राचीन है बैगा जनजाति आज भी अपनी संस्कृति को सम्हाल कर रखे हुये है। इनका रहन-सहन, खान-पान अत्यंत सादा है बैगा जनजाति के लोग वृक्षों की पूजा करते है बूड़ा देव और, दूल्हा देव जो कि ग्राम देवता है उनको पूजते है आज के वैज्ञानिक युग मे भी ये जनजाति झाड़-फूंक और जादू टोने मे बहुत विश्वास करते है इनकी वेश-भूषा भी अल्प रूप मे होती है बैगा पुरुष मुख्य रूप से लंगोट एवं गमछे का उपयोग करते है वहीं बैगा महिलायें साड़ी और पोलगा का उपयोग करती हैं किन्तु सभ्यता के सम्पर्क मे आने वाले नव-युवक शर्ट-पैन्ट जैसे आधुनिक वस्त्रों का भी उपयोग करते है महिलाये आभूषण अधिक पसंद करती है और इनके शरीर मे बड़े-बड़े गोदने दिखाई देते है जो कि महिलाओं को बहुत ही पसंद है गोदना को ये अपनी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है इनका मुख्य व्यवसाय वन उपज संग्रह, पशु पालन, खेती और अन्य छाटे-मोटे काम है बर्तमान मे इनकी संस्कृति मे भी आधुनिकता का प्रवेश हुआ है अब ये बैगा घने जंगलों, कंदराओ और गुफाओं मे निवास नही करते और शिकार भी कम करते हैं क्यो कि ये अब मैदानी क्षेत्रो मे निवास करते है और कृषि कार्य मे अधिक रुचि रखते है इनका मानना है कि ये जंगल के राजा और प्रथम मानव है इनका कहना है कि इनकी उत्पत्ति ब्रम्हा जी से हुई है।

बैगा जनजाति के संदर्भ मे सर्वप्रथम 1778 ई0 मे ब्लूम फील्ड नामक विद्वान ने इनकी निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है जो किइस प्रकार है :-

1. बैगा जंगल काटकर खेती करते है
2. ये झाड़-फूंक का कार्य करते है, जड़ी बूटियों का उपयोग करते है तथा उपचार करते है।
3. बांस के समान बनाने मे विशेष निपुण होते है।
4. जंगलों से प्राप्त सामग्री जैसे :- शहद, कन्दमूल, हर्रा और बहेर्रा का संग्रहण शिकार तथा मछली पकड़ने का कार्य करते है।

इसी प्रकार से 1867 ई0 मे कैप्टन थामस ने बैगा जनजाति के बारे मे लिखा है कि बैगा बहुत ही पिछड़ी अवस्था मे है और सभ्य मनुष्यों के सम्पर्क से डरती है ये जनजाति आज भी स्वतंत्र रहना चाहती है। कर्नल वार्ड की मण्डला सेन्टलमेन्ट रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ये पूरी तरह से जंगली अवस्था मे रहना पसंद करते है।

बैगा जनजाति के बारे मे कहा गया है कि ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों मे निवास करतीं है पुरुष केवल एक लंगोट धारण करते है इनका रंग कोयले के समान काला होता है इनके पास पूरे समय तीर-कमान और कुल्हाड़ी होती है इसका उल्लेख 1872 मे कैप्टन जे0 फोरसिथ द्वारा लिखित पुस्तक 'द हाईलेण्ड ऑफ सेन्ट्रल इण्डिया' मे ऐसा कहा गया है।

रसेल तथा हीरालाल ने 1916 मे बैगा जनजाति के बारे मे बहुत कुछ वर्णन किया है उन्होने अपनी पुस्तक 1916 ई0 मे प्रकाशित 'द ट्राइप्स एवं कास्ट ऑफ द सेन्ट्रल प्रोविन्स ऑफ इण्डिया' है। इनके कथना अनुसार ये द्रविड़ जनजाति है ये मध्य भारत के मण्डला, बालाघाट, बिलासपुर जिले के सतपुड़ा पर्वत मे निवास करते है। इनके निवास स्थान ऊँचे तथा घने जंगलो मे होते है इनके रास्ते बहुत ही कठिन होते है आवा-गमन के लिये ये छोटी-छोटी पगडण्डियों का उपयोग करते है। ये साधारण तौर पर दिखाई नही देते ये बनिया और छोटे विक्रेता से काम के लिये मिलते है।

बैगा अब लंगोट न पहनकर कुछ अन्य कपड़ो का भी उपयोग करने लगे है इनके जीवन मे भी हमें परिवर्तन दिखाई देता हैं। सन् 1931 ई0 मे सेन्ट्रल प्रोविसन एण्ड बरार तथा सुप्रीटेंन्डेन्ट और सेन्सेस ऑपरेशन मे शूवर्ट के द्वारा ऐसा बताया गया था। बैगा जनजाति का विस्तृत विवरण वैरियर एल्विन की पुस्तक **द बैगा** मे मिलता है। इस पुस्तक मे इनके जीवन से संबंधित और जीवन निर्वाह संबंधी प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला गया है ये एकांत जीवन अधिक पसंद करते है इनके आर्थिक पहलुओं का विवरण

ट्राइबल इकोनामीं मे सन् 1958 मे प्रकाशित पुस्तक जिसके लेखक डी.एस.नाग है। ऐतिहासिक अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह आदिम जानजाति है इतिहास के आधार पर हम इनकी उत्पत्ति को सही नही बता सकते अत: प्राचीन किवदंतियों और लोक कथाओं के माध्यम से इनकी उत्पत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।

इनके बारे मे जो लोक कथाएं प्रचलित है कहा जाता है कि पहले चारो ओर पानी ही पानी था पानी मे एक कमल का फूल और कुछ पत्तो थे। पत्तों पर देवता बैठते थे। एक बार बहुत तेज हवा चली जिससे पानी पत्तों के ऊपर आ गया और सभी देवता गीले हो गये जिससे देवता क्रोधित हुए और इसके उपाय के लिये पानी पर धरती की जाँच करने की सोंची किन्तु धरती का पता नही मिला। एक दिन धरती की जाँच करते उन्हे एक द्वीप मिला जहां पर नागा बैगा निवास करते थे इनके पास देवता आए और धरती खोजने का वचन लिया और देवता स्थान लौट गये और नागा बैगा धरती के बारे मे नही जानते थे उन्होने कौआ का स्मरण किया और कुछ छण मे वह उपस्थित हो गया उन्होने कौओं को धरती खोजने का आदेश दिया और कौआ विशाल रूप धारण किया और उड़ गया। जब उड़ा तो उनके पंख से पूरा पानी बादल से ढकने जैसा हो गया इसी प्रकार कौआ कई वर्षो तक उड़ता रहा उसे आराम करने के लिये एक मीनार जैसा टीला दिखा और उस पर कौआ बैठ गया। वह मीनार केकड़े का था। केकड़ा उस समय सूर्य की आराधना कर रहा था। कौओ के वजन से केकड़े का जबड़ा टूट गया। गुस्साये केकड़े ने इसी जबड़े से कौओ का गला पकड़ लिया कौओ ने अपनी पूरी व्यथा बताई यह सुनकर केकड़ा कौओ की मदद करने के लिए तैयार हो गया। कौआ केकड़े पर सवार होकर आगे बड़ा और कुछ समय पश्चात् दोनो की मुलाकात हाड़न राजा से हुई। वह एक नाग कन्या थी जिसे दोनो धरती समझ रहे थें। केकड़े ने उसे फुसलाने का प्रयास किया और कामयाब हो गया और कन्या को लेकर आगे चल पड़े। रास्ते मे केचुवा नामक दानव मिला और अपनी माया से कन्या को निगल लिया। केकड़ा और कौआ कन्या को अपने साथ न पाकर चिंतित हो कर इधर-उधर देखने लगे। उसी समय गिलहरी मौसी ने उस दानव की तरफ इसारा किया। केकड़े ने केचुए पर अपना जबड़ा चुभा दिया और केचुए ने कन्या को छोड़ दियां। कन्या को लेकर दोनो आगे चलने लगे कन्या को लेकर कौआ और केकड़ा देवताओं के पास गये और देवताओं ने सबका स्वागत किया। पानी के ऊपर देवताओ ने कन्या का स्वयंबर रचा लेकिन कन्या ने किसी को नही चुना। सभी देवता आश्चर्य मे पड़ गये और नागा बैगा को आदर के साथ बुलाया गया। नागा बैगा साधू थे वे शरीर पर भष्म लगाये हुए थे। नाग कन्या ने वर माला नागा बैगा के गले मे डाल दी जिससे नागा बैगा क्रोधित हो गया उसने कहा इसे मैने पुत्री मान लिया तो इसने ये गलत काम कैसे किया। और उसने फरसे से नाग कन्या के दो टुकड़े कर दिये। कन्या का खून पूरे पानी मे फैल गया और फैले खून को देवताओं और बैगा ने थपथपाया और कुछ देर बाद जम गया। वही धरती की सतह बन गई ऊँचे स्थान पहाड़ और समुद्र स्थान तथा झील बन गई। नागा बैगा ने भूमि का निर्माण कराया इसीलिये भूमिया कहलाया। धरती नागा बाबा की बेटी है इसी लिये हल नही चलाते। अब धरती के विवाह का समय आ गया धरती के लिए बादलों का वर रूप मे चुना गया। बादल सज-धज कर आने लगा तभी हवा बादल को उड़ा ले गई। तब बादल को लाने के लिए पहाड़ी को भेजा तब ये पहाड़ी बादल को रोकती है और बरसात कराती है और धरती फलती-फूलती है।

इससे स्पष्ट हो गता है कि कई कहानिया बैगा जनजाति की है जिससे लगता है कि धरती से इनका पुराना संबंध है। मानव विज्ञान की दृष्टि से जिस आदिम जनजाति का उल्लेख हुआ है वह मध्यप्रदेष की मैकाल पर्वत की कंदराओ और साल वृक्ष के शीतल सुरम्य वन स्थल मे स्थित एक से दो हजार मीटर तक बसी बैगा जनजाति है। ऐसा कहा जाता है कि बैगा जनजाति के अकबर के दरवार मे सम्मिलित होने की भी जानकारी प्राप्त है। ये जनजाति अपनी उपस्थिति के अकेले प्रमाण प्रस्तुत करते है किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण पत्र नही होते। विभिन्न विद्वानो ने इसके संबंध मे अनेक जानकारी प्रस्तुत की है। रसेल तथा हीरालाल के अनुसार बैगा जनजाति छोटा नागपुर की आदिम जनजाति भुइया का एक अंश है जिसे बाद मे बैगा कहा जाने लगा। भुइया धरती का समानार्थी शब्द भी है। 'भुइया' धरती से संबंध रखने के कारण इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जनताति है।

बैगाओं को रामायण काल के मध्य क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा का भार सौंपा गया था। इसी कारण इन लोगों को बैद्य कहा जाता था किन्तु बैद्य शब्द अपभ्रंश होकर कलान्तर मे बगा मे परिपर्तित हो गया। वर्तमान समय मे बैगा जनजाति के निवास क्षेत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अब अधिकतर बैगा रोगोपचार कार्य से जुड़ गए है। यह कार्य इनको विरासत मे प्राप्त हुआ है। बैगा औषधि ज्ञान किताबों से नही बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशजों से प्राप्त करते है। बैगा अपने शिष्य ज्ञान को गुरू शिष्य परम्परा के द्वारा नई पीढ़ी को प्रदान करते है। यह परम्परा सदियों से चली आ रही है।

ऐसी मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी युद्ध मे घायल हो गये थे तब 'सुषेण' नामक बैगा (बैद्य) ने उनका उपचार किया था बैगा सुषेण अपना पूर्वज मानव है।

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते है कि जिस प्रकार हिन्दु धर्म मे मनु और सतरूपा को प्रथम मानव माना जाता है जिसे ब्रम्हा ने उत्पन्न किया ठीक उसी प्रकार बैगा जनजाति के लोग नागा बैगिन और नागा बाबा को प्रथम मानव मानते है इसके मान्यता के अनुसार इन्हे उत्पन्न करने वाला ब्राम्हा जी ही थे। बैगा जनजाति आदिम जनजाति है बैगा जनजाति स्वयं को एंक उदार आदि पुरुष की संतान मानते है और इसी कारण बैगा जनजाति मे बैगा होने का गौरव भाव परिलक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्टेटिस्टीकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल ट्राइल्स जनजाति मंत्रालय भारत सरकार 2013 पृ. 143
2. जैन 'कल्पना' बैगा जनजाति द्वारा उपयोग मे लाए जाने वाले उपकरण आदिम जाति अनुसंधान ण्वं विकास संस्थान भोपाल 2007 पृ. 9
3. वैरियनएल्विन 'द बैगा' जॉन मुर्रय आलमोर्ले स्ट्रीट, डब्लू लंदन 1939 है।
4. फोरसिय 'कैप्टन' जे द हाईलैंड सेन्ट्रल इण्डिया चैपमैन एण्ड हाल 193 लंदन 1972 पृ. 23
5. रसेल 'आर बी' हीरालाल द हाइस्ट एण्डकास्ट ऑफ सेन्ट्रल प्रोविजन ऑफ इण्डिया वाल्यूम द लंदन 1916 पृ. 77, 78, 79
6. शर्मा टी.डी. 'बैगा' छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 2012 पृ. 22,23
7. शूशर्ट डब्लू.एच. सुपरीटडैटे ऑफ सेमेस आपरेशन सेन्ट्रल प्रोविजन बरार, नागपुर 1938 पृ. 404।
8. रामनिवास बैगा द्वारा प्राप्त जानकारी निवासी म.प्र. जिला शहडोल (म.प्र.)।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में कृष्णा सोबती

डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू*   चाँदनी गुप्ता **

* सहायक प्रध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (हिन्दी) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म. प्र.) भारत

शोध सारांश – रचनाकार की कृति उसके व्यक्तित्व की छाप है, यह बात अक्सर कही जाती रही है। अर्थात् किसी रचनाकार के व्यक्तित्व से परिचित होना हो, तो उनकी कृतियों से परिचित होना आवश्यक है। क्योंकि रचनाकार का व्यक्तित्व उनकी कृतियों पर स्वमेव अवतरित हो जाता है। फिर हिन्दी साहित्य में कृष्णा सोबती स्त्री विमर्श की वरिष्ठ कथाकार हैं। महिला लेखकों में अग्रणी स्थान प्राप्त करने वाली सोबती जी जिस काल में स्त्री लेखक के रूप में प्रकटित हुई, एक महिला के लिए स्वयं में बहुत बड़ी बात है। सोबती जी का संपूर्ण चिंतन एवं लेखन विशेषत: स्त्री के लिए है। इन्होनें स्त्री के स्वानुभूति और सहानुभूति दोनों पक्षों का अनुभव अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत किया है। जहाँ एक ओर समाज में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, क्रय-विक्रय आदि का जिक्र किया तो दूसरी ओर स्त्री की मनोदशा को जैसे नाप-तौल कर या कहें परकाया प्रवेश कर उनकी बाह्य और आन्तरिक समस्याओं का अंकन किया है। इतना ही नहीं जिन समस्याओं को आदर्श के विरुद्ध मान कर साहित्य में जिक्र नहीं किया गया उसका सोबती जी ने खुलकर वर्णन किया और समाज को चुनौती देकर उसके मन में उथल-पुथल मचा दी। उन्होनें अपनी साहित्यिक यात्रा की हर नई कृति के साथ अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण किया है। एक महिला लेखक होने के नाते महिला आंदोलन के बारे में उनकी मान्यता है कि भारतीय नारी ने आज आर्थिक विषमताओं और सामाजिक विसंगतियों के बावजूद परिवार के हक में अपनानिर्णय लिया है। ये निर्णय बाहर के किसी भी स्त्री आंदोलन से अलग है। महानगरों से लेकर पंचायत तक स्त्री उपस्थिति हमें उनकी क्षमताओं का संकेत दे रही है।

प्रस्तावना – भारतीय स्त्री ने अपने अधिकारों पर आज नई नजर डाली है। इसकी चेतना में उत्पादक वर्ग होने का नया एहसास आ जुड़ा है, वो अपने को आर्थिक स्वतंत्रता की इकाई के रूप में देख रही है। सोबती जी अपने लेखन के संबंध में कहती हैं 'मेरे निकट लिखना और जीना दो नहीं एक है। जिस लिपि, आन्तरिक भाषा में आप स्वयं को जीते हैं, दूसरों को पहचानते हैं, निगाह की बंदिश में बाँधते हैं, व्याकरण की चौखट में कसते हैं-वही आपके लिखने की शर्त भी बनता है।' 'फिर एक मुबारक घड़ी में आप अपने पिछवाड़े देखने लगते हैं। अपने आगेऔर अपने आमने-सामने से एक समय अंकित होने लगता है। एक पंक्ति। एक समय। रचना लेखक के अन्दर है और वह अपने बाहर खड़ा है। ऐसे में दोहरापन नहीं, रचना का एकल अस्तित्व स्वयं इन दो स्थितियों तत्वों का अतिक्रमण करता है।'[1] सोबती जी ने अनेक विद्यार्थियों पर अपनी लेखनी चलाकर विशिष्ट पहचान बनाई है किन्तु यहाँ पर उनके कुछ उपन्यासों की ही चर्चा करेंगे जो स्त्री जीवन पर केन्द्रित है।

'डार से बिछुड़ी' एक स्त्री के साथ हो रहे शारीरिक-मानसिक यातना का दस्तावेज है जो उपन्यास की नायिका पाशों की विधवा माँ के शेखों के यहाँ बैठने से मामा-मामी/नानी द्वारा क्षण-क्षण कटूक्तियाँ, ताने, तो वह किशोरावस्था में घर से ही झेलने लगी थी। उसे कहाँ पता था कि यह उसे आगे चलकर कई तरीकों से झेलना पड़ेगा। कभी विक्रय की हुई औरत के रूप में तो कभी तीन पतियों के बीच द्रौपदी बनकर या कहें मात्र बनकर रह जाएगी जिसे जब चाहा उपभोग मेंलायाऔर जी भरने पर वस्तु समझ बाजार में बोली लगाकर बेच दिया। पाशों यहाँ पर मांस-मज्जा से बनी एक भोग की वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पाशो कुलबोरनी है क्योंकि उसकी विधवा माँ ने दूसरा घर बसा लिया है जिस कारण से वह मामा-मामी की आँख का काँटा बनी है और ऊपर से नानी की नसीहत 'सँभलकर री, एक बार का थिरका पाँव जिंदगानी धूल में मिला देगा।'[2] इतने विरोध के बाद भी वह अपने माँ से मिलने जाती हैं कि 'भले ही उसे हिन्दू दीवान परिवार के हवाले कर दिया पर वहाँ उसकी हैसियत लखपत दीवान के बेटे को जन्म देकर भी रखैल से ज्यादा कुछ नहीं।'[3] तो क्या पाशो की जिन्दगी से दुख का अंत हो जाता है? नहीं...दीवान जी के मौत के बाद उनके छोटे भाई बरकत की बुरी नजरें घूरने लगती हैं और वह उस पर अत्याचार करता है। पश्चात चंद मोहरों में पाशो को बेंच देता है। 'बिकी हुई औरत खरीददार के घर की दात : 'भागमरी, यह घर बाहर सँभाल और द्रौपदी बन सेवा कर मेरी और मेरे बेटों की।' भाग के इस लिखे की विवश स्वीकृति के सिवा कोई रास्ता नहीं। औकात खरीदी हुई वस्तु की तो जिन्ससे ज्यादा कुछ नहीं।'[4]

वहाँ पर भी मँझला भाई पाशों को सिर्फ अपनीसम्पत्ति बनाना चाहता है 'स्त्रियाँ व्याहता हो या रखैलें, सम्पत्ति की तरह उनकी रक्षा, उनकी पहरेदारीयुद्ध स्थिति में पुरुष काधर्म हो जाता है मँझलारोज फिरंगियों से युद्धके लिए मोंचे पर निकले। 'मैं सौ पहरूओं का एकपहरू' के दर्द से प्रेरित एक दिन उसे कम्बल में लपेट कर घोड़े पर साथ हीले निकला, इस संकल्प के साथ कि 'अब भले ही फिरंगी के हाँथ मर जाऊँ- मेरे पास मेरी नवेली। स्त्री पर पूर्ण स्वामित्व का ठेठ सामंती ठाठ।'[5] अंतत: पाशो बिछुड़ी हुई डार से मिल जाती है।' पाशो के संबंध में राजेन्द्र यादव ने लिखा है-'पाशो मानो व्यक्ति नहीं, चीज है, पशु है जिसे जो मन हो उठा ले जाए। जहाँ है वहाँ उसका घर संभाले, बिस्तर गर्म करे और वंश चलाने के लिए संतान दे..'और पाशो है कि पिछले को छाती से चिपकाए जहाँ है वहीं की खैर मनाती रहे, मर्दो की हलचल-भरी जिन्दगी को अपनी नस-नस में जीती रहे..'चाहे वह दीवान

जी की मौत या खालसों की अंग्रेजों से लड़ाई की बजती तुरहियाँ 'उसे तो बांदी, बीबी या बहन कुछ भी बनकर रहना है और कभी जान बचाने के लिए पशु की तरह इस घर पर भागना है या फिर खरीदी बेची-छीनी जाकर एक-दूसरे को सौंपे जाना है।'[6]

वहीं 'मित्रो मरजानी' की मित्रो सभ्य परिवार की बहू है जिसमें तीव्र वासनात्मक इच्छा है तो दूसरीओर माँ बनने की लालसा, वहीं वह स्नेहमयी है तो त्यागमयी भी...। जिसने समाज को झकझोर दिया है और कई दशकों तक वाद-विवाद का विषय बनी रही। मित्रो की परवरिश ही माँ (बालों) के विलासी वातावरण में हुई थी। परिणामस्वरूप वह अपनी जिठानी से कहती है 'मित्रो झिझकी-हिचकिचाई नहीं। पड़े-पड़े कहा-सात नदियों की तारू, तवे से काली मेरी माँ और मैं गोरी चिट्टी उसकी कोख पड़ी। कहती है इलाके बड़भागी तहसीलदार की मुँहादरा है मित्रो। अब तुम्ही बताओ जिठानी तुम जैसा सत-बल कहाँ से पाऊँ-लाऊँ? देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता।...बहुत हुआ हफ्ते-पखवारे ...और मेरी इस देह में इतनी प्यास है, इतनी प्यास कि मछली सी तड़पती है।'[7]

'देह की प्यास और तपन का ऐसा बेधड़क स्वीकारअचम्भित करने वाला था। एक महिला रचनाकार की कलम से जिसने तब से अब तक कभी देह की स्वतंत्रता और महत्व का स्त्री-विमर्शवादी डंका पीटकर अपने साहस का बखान नहीं किया, सत्तार के दशक में, ऐसे बेलौस अंकुठ चरित्र का सृजन निश्चय ही चौंकाने वाली घटना थी।'[8] सोबती जी ने मित्रों और सरदारीलाल दोनों की विशेषताओं को दिखाया 'बेमुरौवती से स्त्रियों के बाँझपन और ठण्डेपन की चर्चा के जैसे उदाहरण अक्सर मिलते हैं वैसे पुरुषों की नामर्दी और ठण्डेपन के नहीं।'[9]मित्रों में इच्छा उस पर इतनी हावी हो जाती है कि वह उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है यायूँ कहें कि उसका व्यवहार ही इस तरह बन जाता है। 'सेक्स की यह अनुक्ति मित्रो को वाचाल बनादेती है। वह जेठ जिठानी, सास-ससुर तक की लाज नहीं रखती। इस 'सेक्सुअल-फ्रस्ट्रेशन' के कारण ही वह जली-भुनी रहती है। वैसे अपने पति एवं परिवार वालों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने में यह आगा-पीछा नहीं देखती।'[10] त्यागमयी इसलिए क्योंकि जब सारा परिवार ऋण के बोझ तले दबा होता है तो मित्रो ही अपने सहेजे हुए गहने देकर मुक्त कराती है। गहने जो स्त्री के लिए सर्वाधिक प्रिय माने जाते हैं परन्तु यहाँ मित्रो को अपना परिवार गहनों से भी ज्यादा प्रिय है, वहीं इसके विपरीत सोबती जी ने मित्रों की देवरानी फूलवन्ती को तुलनात्मक रूप में हमारे समक्ष खड़ा किया है, वह कर्कशा, लोभिन, स्वार्थी, झगड़ालू है, जिसके प्राण गहनों में बसते हैं यहाँ तक की वह घर में फूट भी डाल देती है, घर ऋणग्रस्त हो जाता है और तब ससुराल छोड़ पति के साथ मायके जा बैठती है।

इन सबके बावजूद मित्रों में एक ममतामयी माँ का हृदय भी विराजमान है। जब सुहागवन्ती की गोद हरी होती है तब पहले तो मित्रो खूब चुहल करतीहै. पर बाद में उसकी स्त्री-सहज मातृत्व की भान उसके स्वभाव को और तिक्त बना देती है। 'मेरा बस चले तो गिनकर सौ कोख जन डालूँ, पर अमल अपने लाड़ले बेटे का भी तो आड़ तोड़ जटाओ। निगौड़े मेरे पत्थर के बुत में भी कोई हरकत तो हो।'अन्त में इसी दुर्दम्य कामवासना की पूर्ति हेतु वह माँ के पास जाती है। माँ बेटी के लिए सारी तैयारियाँ कर देती है, परन्तु अन्त में माँ की आँखों में एक अजीब सी चमक देखकर वह दौड़कर सरदारीलाल के कमरे में जाकर अन्दर से दरवाजा बन्द कर लेती है। इस प्रकार मित्रो 'समर्पिता एवं गृहीता' दोनो हैं, परन्तु अन्त में जाते-जाते उसकी वह समर्पण भावना प्रबल हो जाती है। इसे कृष्णा जी ने 'बोल्डनेस' पर भारतीय संस्कारों एवं परंपराओं की विजय ही मानना चाहिए।'[11]

निर्मला जी की यह बात बिल्कुल ही सहमति योग्य है कि 'मित्रों मरजानी सिर्फ दैहिक ताप और उसकी अनिवार्यता की अकुंठ आवाज उठाने वाली एक साहसी स्त्री की गाथा नहीं है। परिवार की सामाजिकता से उदासीन मात्र शरीर की उत्सवधर्मी साधना की कारूणिक परिणति का बयान भी है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसमें परिवार के बीच स्त्री की एक जरूरत की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसे पुरुष प्रधान समाज जानकर भी स्वीकार नहीं करना चाहता। स्त्री की हर ऐसी माँग बेहयाई यानी 'राह-कुराह' चलने की जद में आती है।' 'मित्रों में शायद पहली बार स्त्री को यह आवाज उठाने का हक दिया गया है।'[12] जो स्त्री सशक्तिकरण का उस समय के अनुसार पहला भारी कदम है।

'तिन पहाड़' भी नारी के अन्तर्मन की करूण गाथा है जिसमें नायिका जया अपने टूटते-बनते संबंधों के कारण कितना संघर्ष करती है और अंत में आत्महत्या को वरण करती है। इसमें सोबती जी ने नायिका के मन को स्थायित्व दिया है वह अपने प्रथमप्यार को भुला नहीं पाती और नए को स्वीकार नहीं करती। जया फ्लैश बैक में ही आज जीती है। जया को छोड़ श्रीदा अपना जीवन साथी एडना को स्वीकार कर लेता है और यह सदमा जया सहन नहीं कर पाती और तिस्ता की लहरों में जल समाधि ले लेती है। 'संभवत: उसे अकारण ही श्रीदा से इस तरह छला जाना आहत कर गया हो।'[13]

'सरजमुखी अंधेरे के सोबती जी ने बलात्कार पश्चात उपजी स्त्री के मनोविज्ञान को हमारे समक्ष रखा है। दस वर्ष की उम्र में रत्ती के साथ बलात्कार के परिणामस्वरूप इसका बदला सम्पूर्ण पुरुष जाति से लेती है और पुरुषों के प्रति अत्यंत कठोर हो जाती हैं।' असाधारण सुन्दरता एवं 'स्मार्टनेस' के मोह पाश में फंसाकर वह पुरुषों को अपनी ओर खींचती है और जब वे एकांत क्षणों में उसके बिलकुल पास आने के लिए छटपटाते हैं, तभी वह उन्हें छोड़कर किनारा कर जाती है। 175 पृष्ठ के इस उपन्यास में सोलह पुरुष उसकी जिन्दगी में आते हैं, पर वे सभी उसके 'जालिम ठण्डेपन' के शिकार होकर तड़पते रह जाते हैं।'[14] लेकिन 'अंतत: जिस्मानी तौर पर वह दिवाकर से ही तृप्त होती है और उसे लगता है कि उसके सारे शून्य भरे जा चुके हैं। फिर भी किसी से नहीं जुड़ती और अकेलेपन के एहसासको जिया करती है। दिवाकर और रत्ती के संभोग का वर्णन जिस कालात्मक ढंग से उकेरे गए हैं वे लखिका की सर्जनशक्ति का उदाहरण है।'[15]

'ऐ लड़की' मरती हुई माँ और बेटी के बीच 'विशिष्ट-संवादात्मक' उपन्यास है। ऐ लड़की का कथानक एक बेटी को जिए गए जीवन के अनभुव बताती हुई माँ। वह स्मृतियों के सहारे पति, पुत्र-पुत्री, बहु, पोता, दादी, नानी आदि की पारिवारिक भूमिका,कर्तव्य, अधिकारआदि जीवन की सच्चाईयों कीतात्विक व्याख्या करती है। ऐसे ही अम्मू अपने बेटी के सामने भाई-बहन के बीच भेद-भाव को रखना जरूरी समझती है और कहती हैं कि-'अपनी समरूपा उत्पन्न करना माँ के लिए बड़ा महत्वकारी है। पुण्य है। बेटी के पैदा होते ही माँ सदाजीवी हो जाती है। वह कभी नहीं मरती। हो उठती है वह निरंतरा। वह आज है, कल भी रहेगी। माँ से बेटी तक। बेटी से उसकी बेटी, उसकी बेटी से भी अगली बेटी। अगली से भी अगली। वही सृष्टि का स्त्रोत है।'पिता की भूमिका के बारे में बेटी के प्रश्न का भी सटीक उत्तार है इस छीजती वृद्धा के पास 'कुदरत के नियम देखो। पिता को सत्य सामर्थ्य ही

मनुष्य का अंश प्रदान करने की और काया घड़ने में उसे बाहर रख दिया। पिता बाहर खड़ा रहता है और माँ अन्दर बच्चा जनती है। इसी से माँ जननी कहलाती है। वही अपने तन-मन से बच्चे की काया उगाती है।'[16] इस तरह से जीवन की ऐसी अनेक छोटी-बड़ी बातें हैं जिसे अम्मू अपनी बेटी को बताना चाहती है क्योंकि उसे ज्ञात हैं कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान है।

'दिलो दानिश' सामंती व्यवस्था और नारी शोषण को स्पष्ट करता उपन्यास है, जो उन्नीसवीं सदी के उच्छृखल एवं विलासी रईसों की मनमानी का पर्दाफाश करता है। उन दिनों दिल्ली में रखैल रखने की प्रथा आम थी। नायक कृपानारायण पेशे से वकील है जो नसीम बानों पर काफी एहसान करता है, उसके ऋण ग्रस्त मकान को उऋण कराता है, धीरे-धीरे दिल फेंक कृपानारायण उसकी बेटी महक बानों को अपना बना लेता है, जिसके दो बच्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं की कृपानारायण का परिवार नहीं उसका भरा पूरा परिवार पत्नी कुटुम्ब प्यारी और तीन बेटे हैं। कृपानारायण पत्नी और प्रेमिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में असफल हो जाता है।

इस उपन्यास में तलवार की धार में औरत ही खड़ी है चाहे वह पत्नी के रूप में हो या रखैल। कृपानारायण के लिए दोनो जरूरत की वस्तु हैं। 'एक गृहस्थी की जरूरत थी और दूसरी दिल की।'[17] अब 'घर की औरत का हक सिर्फ इतना है कि वह गृहस्थी की मालकिन बनी बैठी रहे, मर्द की बाकी कारगुजारियों से उसका कोई लेना-देना नहीं।और जो डेरेवाली वह होती रहे इस बात से निहाल कि वकील साहब ने उसे दुनिया की दो आला नेमतें दी है बेटा और बेटी। पर वकील साहब बखूबी जानते हैं कि 'महक जैसी औरत भला हम पर क्या हावी होगी। चल रही है क्योंकि चल निकली थी।' उन्हें इस बात का पूरा गुमान है कि 'आखिर को हम मर्द है।' उनकी जिन्दगी में महक का होना वह छोटा-मोटा गुनाह है जिस पर खाक उड़ाना बीवी के लिए वाजिब नहीं।'[18]

मर्दो की मर्जी पर चलने वाली उस दुनिया में औरतों की भूमिकाएँ, उनके हक और हैसियत सब तय हैं। वकील साहब को इसका ऐलान करने में कोई संकोच नहीं है। 'आप औरत हैं और आपको गृहस्थी बनाने-चलाने को ही ऊपरवाले ने बनायाहै।'[19]

किन्तु इन सबके बावजूद महक अपने अधिकार के लिए लड़ती है। परिणामतः वह अपने पुस्तैनी जेवर कृपानारायण से हासिल कर लेती है, वहीं बेटी मसूमा की शादी में अपने माँ होने का फर्ज भी अदा करती है और इतना ही नहीं कृपानारायण की संपत्ति में तीनों बेटों के बराबर बदरू को भी हक प्राप्त होता है। अन्त में कृपानारायण की स्थिति दीन-हीन और असहाय से अधिक कुछ नहीं होती। यह ठीक ही है औरत के लिए महत्तवपूर्ण है सही क्षण में सही मौके पर उसे पहचानकर हासिल कर लेना। दिलो दानिश मुख्य रूप से इसी 'दूसरी' औरत की जीत की,उसके सशक्तिकरण की दास्तान है। उसके संकल्प की भीतरी ताकत के सामने समाज के रीति-रिवाज और उन्हें वहन करने को अपनी जिम्मेदारी वाले मर्दो की पराजय की, निस्तेज होनाकहानी।'[20]

समय सरगम जीवन के शिथिल और कठिन अवस्था में बगैर किसी समझौता के पूर्ण उत्साह आनंद और सम्मान के साथ जीना सिखाता है। इसीलिए निर्मला जी ने इसे 'जीवन जीने की कला' कहा है। यह स्त्री सशक्तिकरण की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है जो वृद्धावस्था में भी ऊँचे आत्मविश्वास से जीने के लिए प्रेरित करता है। उपन्यास की नायिका आरण्या वृद्ध है और पेशे से लेखिका है। वह जीवन को भरपूर अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास करती है। इतना ही नहीं वह बिल्कुल ही विचारों और पहनावे से 'मॉड' है। उसके सामने धर्म, आध्यात्म और सामाजिक नियमों का कोई मूल्य नहीं है। इस तरह से समय सरगम का अर्थ जिन्दगी के उतार-चढ़ाव से लगाया जा सकता है। उपन्यास में आरण्या, ईशान से कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कहती है-

'हैरानी नहीं हुई!
नहीं ईशान!
यह न पूछेगी कि अब तक कहाँ थी बेटियाँ।
जानती हूँ। बेटियाँ आसानी से मिल जाती हैं
अगर गर्भ में नष्ट न कर दी जाएँ।'[21]

इतना ही नहीं सोबती जी ने उच्च वर्ग द्वारा दलित-पिछड़ी जाति की लड़कियों पर हो रहे अत्याचार/शोषण को भी दिखाया गया है।

'ऊंची जात वाले नीची पिछड़ी जात की लड़कियों को घेरकर उनके साथ कुकर्म करते जाते हैं, और मुछों पर ताव दे छुट्टा घूमते रहते हैं। यह तोसरासर अन्याय है, साहिब! पाप है। कोई भी कार्य इसलिए शुभ नहीं कि वह मुझे या आपको सुख देता है। वह इसलिए शुभ है कि बहुतों को सुख देता है। बहुमत की सहभागिता ही क्या लोकतंत्र नहीं। और पुलिस अगर उसकी जात ऊँची है तो खड़े-खड़े देखती रहेगी। वारदात को कानून के गोरखधंधे से रफा-दफा कर देगी। बेटियाँ कमजोरों की तरह रोती रहेंगी। छाती पीटती रहेंगी।'[22]

'जैनी मेहरबान सिंह' उपन्यास में सुनहरे बालों वाली नायिका जैनी को सोबती जी ने चुलबुली, मनमौजी, समझदार और गंभीर व्यक्तित्व का दिखायाहै।

इस तरह सोबती जी स्त्री विमर्श और स्त्री सशक्तिकरण की सशक्त हस्ताक्षर हैं और उनका नारीवादी लेखन अपने आप में खास और काफीमहत्तवपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजे सुमन, हिन्दी साहित्य का आधा इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ, 18, इन्स्टीट्यूटशनल एरिया, लोदी रोड नयी दिल्ली -10003, संस्करण चौथा -2011,पृ. -289
2. सोबती कृष्णा, डार से बिछुड़ी, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. I बी, नेताजी सुभाष मार्ग नयी दिल्ली -110002,पाँचवा संस्करण -2001पृ. -91
3. जैन निर्मला, कथा समय में तीन हम सफर, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. I बी, नेताजी सुभाष मार्ग नयी दिल्ली -110002,पाँचवा संस्करण -2011,पृ. -103
4. वही पृ. -104
5. वही पृ. -104
6. आजकल, फरहत परवीन, मार्च 2013,पृ. -12
7. सोबती कृष्णा, मित्रों मरजानी, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली पटना, पाँचवा संस्करण -1992,पृ. -19
8. जैन निर्मला, कथा समय में तीन हम सफर, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. I बी, नेताजी सुभाष मार्ग नयी दिल्ली -110002,पाँचवा संस्करण -2011,पृ. -108
9. वही पृ. -109

10. देसाई पारुकान्त, साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास, सूर्य प्रकाशन नई सड़क, दिल्ली -6,पृ. -38
11. वही पृ. -39
12. जैन निर्मला, कथा समय में तीन हम सफर, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. ख बी, नेताजी सुभाष मार्ग नयी दिल्ली -110002, पाँचवा संस्करण -2011,पृ. -1012।113
13. वही पृ. -116
14. देसाई पारुकान्त, साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास, सूर्य प्रकाशन नई सड़क, दिल्ली -6,पृ. -40
15. वही पृ. -41
16. जैन निर्मला, कथा समय में तीन हम सफर, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. ख बी, नेताजी सुभाष मार्ग नयी दिल्ली -110002,पाँचवा संस्करण -2011 पृ. - I80
17. वही पृ. -125
18. वही पृ. -126-127
19. वही पृ. -127
20. वही पृ.-130-131
21. सोबती कृष्णा, समय सरगम, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. I बी, नेताजी सुभाष मार्ग नयी दिल्ली -110002,पृ. -114
22. वही पृ. -120

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

ग्रामीण उद्यमिता विकास संबंधी आर्थिक योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ मे)

डॉ. एस.के. खटीक* राजेश शेषकर**

* अध्यक्ष एवं पूर्व अधिष्ठाता (वाणिज्य) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) ज.हॉ. शासकीय महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – उद्यमिता एक कौशल दृष्टिकोण एवं कार्यपद्धति है। साधारणतया उद्यमी केा उसके कार्यो से ही परिभाषित किया जाता है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो कुछ विशेष कार्य (उद्योगों, व्यवसाय, व्यापार सेवा) करने के लिये विचारों को जन्म देता है और उन विचारों केा क्रियान्वित करने के लिये अपनी तरफ से निश्चित तौर पर पहल और आत्मबल दिखाता है। जिससे यह विचार एक उद्यमशील कार्य का रूप धारण कर सके। राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ाने हेतु ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण उद्यमिता के अंतर्गत अनेक वर्ग पेशेवर संस्थाएं नियोजक वर्ग प्रवर्तक मिलकर उद्यमी का कार्य करते हैं।

हमारा देश एक ग्राम प्रधान देश है तथा ग्राम प्रधान देश होने के कारण यहॉं की 72 प्रतिशत जनसंख्या गॉव में निवास करती है तथा प्रत्येक गॉव की विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। इन सारी समस्याओं में से एक मुख्य समस्या बेरोजगारी तथा आर्थिक स्थिति की समस्या है, जिसके लिए वर्तमान में क्या बहुत पहले से अपने देश की सरकार शुरूआत से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को लेकर प्रत्येक गॉव में गरीबी निवारण तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए शुरू से ही प्रयास करती आ रही है। लेकिन पूर्ण रूप से इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

इन आदि समस्याओं को ध्यान में रखते सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए तथा उनके जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक प्रकार के जनजागरूकता के अभियान तथा विभिन्न प्रकार की योजनाओ का क्रियान्वन किया जा रहा है जिससे कि गरीब परिवारों की सामाजिक तथा आर्थिक एवं महिलाओं की स्थिति अधिक मजबूत को सके। इसके लिए S.H.G. के माध्यम से पुरूष/महिलाओं को जोड़ा जा रहा है जिससे कि समूह में जुड़कर आपसी भाई चारा तथा लिंग भेद तथा समूहों के माध्यम से छोटे-छोटे कुटीर उद्योग या व्यवसाय स्थापित करवाये जाते है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी के साथ कर सकें।

सामान्यत: महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़ी हुई थी तथा उनको समाज में लिंग भेद तथा अन्य सामाजिक दुर्बलताओं के कारण और महिलाओं की बेरोजगारी तथा उनकी सभी समान स्थितियों के ध्यान मे रखते हुए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की महिलाओ से सम्बंधित योजनाओ का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शोध का क्षेत्र – संपूर्ण म.प्र. शोध क्षेत्र के रूप मे लिया गया है। जिससे कि प्रदेश मे ग्रामीण उद्यमिता की वास्तविक स्थिति का अनुमान लग सके।

शोध का उद्देश्य – ग्रामीण उद्यमिता का क्षेत्र जितना विकसित होगा। उतनी ही पूंजी के विनियोजन का विस्तार होगा, ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार बढ़ेगा। आय बढ़ने से उपभोग बढ़ेगा। इस प्रकार औद्योगिक विकास से उपभोग बढ़ेगा एवं औद्योगिक विकास से देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो कर देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। अत: ग्रामीण उद्यमिता के मार्ग मे आने वाली चुनौतियां एवं बाधाओं का अध्ययन करना। इस शोध का मुख्य उद्देश्य है। ताकि इनके समाधान के उपाय खोजे जा सके।

शोध प्रविधि – किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञानरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित कारकों से प्रेरित होकर ही निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्धारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में मध्यप्रदेश में ग्रामीण उद्यमिता विकास संबंधी आर्थिक योजनाओं से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्धारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्धितीयक आंकड़े मध्यप्रदेश में ग्रामीण उद्यमिता विकास संबंधी आर्थिक योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकाशित- अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

म.प्र. मे ग्रामीण उद्यमिता की स्थिति – ग्रामीण उद्यमिता की स्थिति म.प्र. के सभी जिलो मे संतोषजनक नही है। वास्तव मे ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक है कि ग्रामीणो के जीवन स्तर मे वृद्धि की जाय एवं रोजगार के पर्याप्त संसाधनो का विकास किया जाए एवं ग्रामीण स्तर पर के लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना कर काम उपलब्ध कराया जाय। आज म.प्र. के सभी जिलों मे उद्यमिता विकास मार्गदर्शक प्रकोष्ट संचालित है। जिसके अंतर्गत कृषि एवं उन पर आधारित उद्योग सौंदर्य प्रसाधन, प्लास्टिक कंप्यूटर, संचार उपकरण, मशीन एवं पुर्जे, पैकिंग सामग्री, औषधि रसायन, भवन सामग्री तथा विभिन्न वस्तुओं के निर्माण हेतु उद्यमिता विकास मार्गदर्शन केन्द्र से सलाह लेकर लघु मध्य तथा अथवा ऊंची पूंजी वाली उत्पादन इकाइयों के स्थापना के प्रयास किये जा रहे है। जिनमे काफी हद तक सफलता

भी प्राप्त हो रही है।

शासन द्वारा ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु म.प्र. मे अनेक योजनाये संचालित की जा रही है। जिनमे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, दीनदयाल स्वरोजगार योजना, ग्राम्या योजना स्वयं सहायता समूह, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना आदि। इन सभी योजनाओं और ऐसी ही अनेक अन्य योजनाओं के माध्यम से म.प्र. मे ग्रामीण उद्यमिता के विकास का प्रयास किया जा रहा है।

म.प्र. मे ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु निम्न उद्योग विभिन्न जिलों मे बहुतायात से स्थापित किये जा रहे है।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

ग्रामीण उद्यमिता के विकास में बाधायें – उपरोक्त योजनाओं और ऐसी ही अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से म.प्र. ग्रामीण उद्यमिता के विकास के प्रयास किये जा रहे है किन्तु इसमें अनेक बाधायें एवं चुनौतियॉ भी सामने आ रही है। जिसमें कार्य से जुड़ा हुआ जोखिम, सफलता–असफलता की अनिश्चितता के साथ – साथ अनेक अन्य चुनौतियां है। जैसे :–

1. गांवों मे पहुंचमार्ग का अभाव एवं उपलब्ध सड़कों की दयनीय स्थिति।
2. उद्यम हेतु पर्याप्त जल का अभाव, स्वच्छ पेयजल, की कमी।
3. प्रदेश के सभी गांवों मे विद्युतीकारण की दयनीय स्थिता जिन गांवों मे विद्युत सुविधा है भी वहां पर भी 24 मे से 18 से 20 घंटे तक विद्युत आपूर्ति मे अत्याधिक कमी।
4. वित्त की समस्या।
5. उच्च शिक्षा की कमी।
6. आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का अभाव।

जब तक उक्त बाधाये विद्यमान रहेगी, ग्रामीण उद्यमिता का विकास संभव नही है।

सुझाव – उक्त बाधाओं केा दूर करने के लिये सुझाव निम्नानुसार है:–

1. देश के समुचित एवं समान विकास के लिये आवश्यक है। कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के समन्वय से गांवों मे पहुंच मार्गो का निर्माण कराया जाय। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य को तीव्र गति से संपन्न कराया जाय।
2. अधिकांश: गांवो मे पेय जल काफी दूर से लेकर आना पड़ता है। जिससे लोगों केा काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहो पर ग्रामीण उद्यमिता का विकास भी संभव नही होता। अत: शासन केा चाहिए कि ऐसे गावों में जल की समस्या के निराकरण के लिये विशेष योजना बनाकर लागू की जाय। जिससे की जल की समस्या का निदान हो सके। ऐसा होने पर ऐसे गांवों में उद्यमिता को प्रोतसाहन मिलेगा।
3. म.प्र. के अधिकांशत: दूरस्थ गांवों मे आज स्थिति यह है कि कुल 2 से 4 घंटे ही बिजली रहती है। ऐसी स्थिति मे उद्योग स्थापित करना अत्याधिक दुष्कर कार्य हो जाता है। अत: गांवों मे बिजली की आपूर्ति हेतु शासन केा नये थर्मल पावर स्थापित करने चाहिए। जिससे दूरस्थ क्षेत्रों मे बिजली की पूर्ति बढ़ाई जा सके, ताकि वहाँ पर उद्यमी उद्योग स्थापित करने के लिये प्रेरित हों।
4. वित्त की समस्या से निपटने के लिये जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों मे उद्योग स्थापित करना चाहते है। उनको बैंको से कम व्याज दर पर ऋण उपलबध कराया जाना चाहिए।
5. राज्य सरकार को चाहिए कि गांवो मे शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं मे वृद्धि करे। इस हेतु ग्रामीण स्वयं भी एक जुट होकर जनभागीदारी के माध्यम से अपने गांवों मे शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधाओं मे वृद्धि कर सके।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते है, कि यदि सड़क, बिजली, पानी एवं वित्त जैसी आधारभूत सुविधायें यदि ग्रामीण क्षेत्रों मे उपलब्ध करा दी जाय तो प्रदेश के दूरस्थ गांवों मे भी उद्यमी उद्यम स्थापित करने मे नही हिचकिचायेंगे। यदि संपूर्ण देश मे लघु उद्योगों का विकेन्द्रीकरण कर दूरस्थ गावों मे लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाय तो देश के औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास मे तीव्र गति से वृद्धि होगी और हमे विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष खड़े हो सकेगे। इसके लिये तीव्र गति से ग्रामीण उद्यमिता का विकास किया जाना अत्यधिक आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पन्त डी.सी. – भारत में ग्रामीण विकास 2009, त्रिपोलिया कालेज बुक डिपो जयपुर।
2. गुप्ता, ओम प्रकाश एवं गुप्ता जी.पी. एवं कश्यप, एस.पी. – लघु उद्योग एवं महिला उद्यमिता वर्तमान स्थिति और विश्लेषण
3. त्रिपाठी, एन.सी – उद्यमिता विकास रमेश रमेश प्रकाशन मेरठ
4. उद्यमिता समाचार पत्र – उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. सेडमैप जहांगीराबाद भोपाल
5. स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन श्रम मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
6. समूह प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल।
7. फडिया बी.एल.2005., लोक प्रकाशन एवं शोध प्रविधि, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
8. गंगराडे के.डी.2008., गांधी के आदर्श और ग्रामीण विकास, राधा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली
9. गर्ग डी.पी.1993. समन्वित ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, शिवा प्रकाशन, इन्दौर
10. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी.2007., भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
11. गोयल अनुपम 1993. भारतीय अर्थव्यवस्था, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, इन्दौर

तालिका 1

क्रं.	उत्पादन इकाई का विवरण	मशीन एवं उपकरणों की लागत व विद्युत की आवश्यकता	प्रमुख मशीनरी उपकरण	कच्चा माल
1.	चमडे के पर्स	50,0001 हा.प.	प्लेट बेड सिलाई मशीन सिलेंडर बेड स्टेम्पिग मशीन हस्त्र औजार	चमड़ा, धागा, बटनशिप, लाइनिंग
2.	बिस्किट्स बनाने की इकाई	1,00,0000.5 हा.प्रा.	डो मिक्सर बेकिंग ओवन बैकिंग पैन्स मोल्ड तथा डाइयां सांचे	आटा, मैदा, शक्कर, घी, दूध, तरल ग्लूकोज स्टार्च
3.	आचार निर्माण	75,000	ब्लैसर, स्लाइसर कन्टेनर कैप शील मशीन डीजल भट्टी	नीबू, शक्कर, मिर्ची, नमक, हल्दी, हींग
4.	मसाला निर्माण	45,00010, ह.पा	पल्वराइजर बैग सिलिग मशीन तराजू अन्य उपकरण	काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी
5.	पिसाई आटा/उत्पादन गेंहू आटा चक्की	5500	बीम स्केल तुला तगाड़ी टाइप तुला	गेंहू पैकिंग सामग्री
6.	अगरबत्ती निर्माण	35000	हाथ से चलाने वाली छलनियां लकड़ी के तख्ते लकड़ी के रैक्स प्लास्टिक ट्रे एल्यूमिनियम ट्रे अन्य उपकरण	बांस की तीलियां कोयले का पावडर जिग्गत पावडर चंदन पावडर जड़ी बूटी पावडर सुगंधित टैपिओका पैकिंग सामग्री
7.	अगरबत्ती कुल्फी के लिए लकड़ी	54000	बांस काटने की मशीन तीली बनाने के लिए काड़ी निर्माण की इकाइयां	साफ किये हुए सूखे बांस की मशीन अन्य उपकरण आदि।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

गोंड जनजाति में सामाजिक परिवर्तन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

श्रीमती संगीता कुशवाहा *

* अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – परिवर्तन प्रकृति का नियम है समाज प्रकृति का एक अंग है। इस कारण समाज में परिवर्तन का होना एक स्वभाविक प्रक्रिया है। सामाजिक जीवन में उसके स्वरूप, संरचना, व्यवस्था, प्रथा, रीति–रिवाज, मूल्य आदर्श सभी में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया न हो। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती। किसी समाज में परिवर्तन काफी तेज होता है और किसी समाज में काफी धीमी गति से। सामाजिक जीवन के एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन उनके अन्य पक्षों को भी परिवर्तित कर देता है। सामाजिक परिवर्तन के लिये अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक कारक महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक कारक के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। गोंड़ समाज में परिवार और विवाह नामक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। गोंड़ जाति आज भी अपने प्राचीन परम्पराओं के प्रति निष्ठावान है, जिससे ये परम्पराओं को आसानी से तोड़ना नहीं चाहते हैं। जो गांव पर्वतों के किनारे जंगलों के बीच बसे हैं, उसमें परिवर्तन न के बराबर हुआ है। जबकि जो परिवार बाहरी वातावरण के सम्पर्क में आ हैं, उनमें भी परिवर्तन उपरी तौर पर ही दिखाई देता है। आन्तरिक रूप से ये अभी भी अपनी परम्परागत रीतियों, पद्धतियों से बंधे हुए हैं।

शब्द कुंजी – गोंड जनजाति, सामाजिक परिवर्तन, पारिवारिक एवं वैवाहिक स्थिति।

प्रस्तावना – गोंड़ जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है। आदिवासी गोंड़ों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि इस धरती पर ग्रह और मनुष्य का इतिहास। परन्तु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में यह एक खोज का विषय बन गया। यहॉ गोंड़ जनजाति के प्राचीन निवास के क्षेत्र के साक्ष्य उपलब्ध हैं। गोंड़ समुदाय द्रविड वर्ग के माने जाते हैं। जिनमें जाति व्यवस्था नहीं थी। गहरे रंग के ये लोग, इस देश मे पांच या छह: हजार वर्ष पूर्व से निवासरत हैं। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गोंड़ जाति का सम्बन्ध सिन्धु घाटी सभ्यता से भी रहा है।

भारत में मूल निवासी आदिवासी ही हैं। गोंड़ इनमें पुरातन माने जाते हैं इनका प्रभावशाली और व्यापक समूह है। गोंड़ो की उत्पत्ति सम्बन्धी कई धारणाएं, मिथ कथाएं, किवदंतिया प्रचलित हैं। एक बैगा उत्पत्ति कथा के अनुसार एक तम्बू से दो आदमी निकले, पहला बैगा हुआ और दूसरा गोंड़, बैगा टंगिया लेकर जंगल चला गया, और गोंड़ ने नागर सम्हाल लिया। कई किवदंतियों में गोंड़ों की उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी जाती है।

गोंड़ी धर्म की स्थापना पारी कुमार लिंगो ने शम्भुशेक के युग में की थी। गोंड़ी धर्म कथाकारो के अनुसार, शम्भुशेक अर्थात् महादेव जी का युग देश में आर्यो के आगमन के पहले हुआ था। इसी काल से ही कोया पुनेम धर्म का प्रचार हुआ था। गोंड़ी बोली मे कोया का अर्थ मानव तथा पुनेम का अर्थ धर्म, अर्थात मानव धर्म आज से हजारो वर्ष पूर्व से ही गोंड़ जनजातियों द्वारा मानव धर्म का पालन किया जा रहा है। अर्थात् गोंड़ी संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम।

गोंड़ तेलूगू शब्द 'कोड़' अर्थात् पहाडियों से व्युत्पन्न आदिवासी लोग है। जो काफी हद तक मध्य भारत के मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले, पूर्वी महाराष्ट्र (विदर्भ के चारो ओर) छत्तीसगढ़ (बस्तर), उत्तरी आन्ध्रा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे है। प्रदेश (गोदावरी के आदिलाबाद जिले के उत्तर में) नदी और पश्चिमी उड़ीसा, काला हांडी, 4 लाख से अधिक जनसंख्या के साथ निवास करते हैं। स्पष्ट रूप से गोंड़ ज़नजाति केन्द्रीय भारतीय बड़ी जनजाति के रूप में गठित है।

सतना जिले के सन्दर्भ में गोंड़ जनजाति में सामाजिक परिवर्तन का प्रार्दुभाव बहुत ही मन्द गति से हो रहा है। सतना जिले के सर्वेक्षण के दौरान मैने यह पाया कि, जनजातीय लोग विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनका समाज ऐतिहासिक रूढ़िगत एवं परम्परागत धार्मिक विश्वासों से परिपूर्ण एक मिश्रित समाज हैं। इनमें परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ निश्चित रूप से अधिक जटिल, विस्तृत एवं मिश्रित हैं। गोंड़ जनजातियाँ वर्तमान में विकास और परिवर्तन के निर्णय के द्वार पर खड़ी हुई, एक अशिक्षित और अभावग्रस्त जनजाति है। शासन के समक्ष इनकी उन्नति एवं सम्पन्नता के प्रयासों को करने की एवं सम्पूर्ण जनजातीय समाज की उन्नति एक विषम समस्या बनी हुई है। क्या हम यह अपेक्षा इनसे कर सकते है कि, देश की उन्नति में साझेदार होने के साथ–साथ ये अपनी सांस्कृतिक अक्षुण्णता को बनाए रख सकते हैं। वर्तमान समय में देश की सामाजिक व्यवस्था के साथ इनको सांस्कृतिक रूप से सम्पन्न बनाकर हम सामाजिक सामंजस्य एवं एकीकरण के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। इस संबंध में सन् 1952 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि, जनजातियों का शेष समाज के साथ आत्मसात्करण हेतु उन्नति का लक्षण माना जाय अथवा क्या यह उचित है, कि उन्हे अपनी विशिष्ट संस्कृति परम्पराओं, और रीति–रिवाजों को बनाए रखने की सुविधा

प्रदान की जाय।

पूर्व साहित्य का अध्ययन :

डॉ. हरिशचन्द्र उत्प्रेती (1982) इन्होने अपने शोध प्रबंध 'भारतीय जनजातियाँ' में बताया कि गोंड़ आज के विज्ञान के युग में भी अधिकांशत: प्रकृति पर ही आश्रित है। जंगलों तथा पहाड़ों से खाद्य संग्रह करना, नदियों तथा तालाबों में मछली पकड़ना तथा कही-कही घटियों या अनेक पहाड़ी क्षेत्रो पर कृषि करना ही उनके आजीविका के प्रमुख साधन रहें है। अत: आधुनिक तौर तरीके बरतने वाले तथा सभ्य कहे जाने वाले लोगां की अपेक्षा सभ्यता की दौड़ में पिछली समझे जाने वाली जातियों का सामाजिक एंव आर्थिक जीवन भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव से ओत-प्रोत है। पर्यावरण के अनुसार ही उनका जीवन व्यतीत होता रहा है। जनजातीय जीवन को प्रकृति से लगातार संघर्ष करना पड़ता है और उदर पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है।

सिद्दीकी शाहेदा (2014) इन्होने अपने शोध पत्र 'रिसर्च जनरल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइसेंज', में कोल जनजाति के महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार व्द्वारा चल रही योजनाओं को जन-जन तक पहॅुचाने संबंधी व्याख्या की गई है। कोल जनजाति मुख्यत: कृषि मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है अब ये शहरों में जाकर भी मजदूरी करने लगे है तथा भवन निर्माण में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं कोल जनजाति की महिलायें भी आर्थिक क्रियाओं में बराबरी से योगदान देती है घरेलू अर्थव्यवस्था में इनकी सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। शिक्षित कोल प्रदेश के शासकीय अशासकीय विभागों में कार्यरत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, और वैश्वीकरण के तीव्र विकास के कारण इनमें भी महिलायें पुरूषों के समकक्ष कार्य करने लगीं है। शारीरिक परिश्रम के पश्चात् उनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें भी पनपती है। प्रस्तुत शोध पत्र 'कोल जनजाति' की महिलाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी पर केन्द्रित है।

डॉ. के. के. शर्मा (1989) इन्होने अपने शोध प्रबंध 'अनुसूचित जनजातियों में सांस्कृतिक परिवर्तन' में शहडोल जिले की चार प्रमुख जनजातियों, गोंड़, बैगा, पंका, अगरिया के सांस्कृतिक पक्षों में होने वाले परिवर्तनों की विस्तृत व्याख्या की है।

दीप मिश्रा (2003) इनके व्द्वारा अप्रकाशित लघु शोध कार्य में कोल जनजाति में सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के अन्तर्गत कोल जनजाति में पाये जाने वाले परिवर्तनों एवं आधुनिकीकरण के बारे में विस्तार से बताया है।

डॉ. गंगा बैरागी (2013) इन्होने अपने शोध प्रबंध 'गोंड़ जनजाति में सामाजिक परिवर्तन (शहडोल जिला के विशेष संदर्भ में)' में कहा कि गोंड़ों में गुदने की प्रथा, आज भी परम्परागत रूप में विद्यमान है। इनकी आर्थिक स्थिति आज भी दयनीय है, ये आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। प्रत्येक गोंड़ों को, वन्य जीवन से विशेष लगाव है। ये शहर की भीड़-भाड़ में जाना कम ही पसंद करते हैं। जंगलों में रहने को, वे अपना एकाधिकार समझते हैं। इसका मूल कारण गोंड़ों को अपनी परम्पराओं, रूढ़ियों और मान्यताओं से बेहद प्यार है। ये अपनी अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति से ही संतुष्टि रहते हैं, ये महत्वाकांक्षी नहीं होते। पीने के लिए महुए की शराब और पेट भरने के लिए किसी भी प्रकार का पेज मिल गया, बस पर्याप्त है। पहनने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के लिए एक कमरी बहुत है। घर, बारी (बगिया) खेत में थोड़ी मेहनत, जंगलों में काम और पर्व-त्यौंहारों में विवाह में थोड़ा नाच-गाना, बस यही इन जनजातीय लोगों की जिन्दगी है।

उद्देश्य - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गोंड जनजाति में हुए परिवर्तनों के कारणों, दिशा, क्रम और परिणामों के कार्यकरण सम्बन्धों का विश्लेषण की इच्छा तथा परिवर्तन में निहित मूलभूत नियमों और सिद्धान्तों की खोज परिवर्तन के विभिन्न कारकों के सापेक्षित महत्व का ज्ञान प्राप्त करना, परिवर्तन, सामाजिक परिस्थितियों में इस क्षेत्र विशेष की जनजाति गोंड के सामाजिक एवं उनके

1. गोंड जनजाति में सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन।
2. सरकार व्द्वारा इनके लिये किये गये एवं प्रावधान, का इनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना,
3. कल्याणकारी योजनाओं से इनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना,
4. इनके पारिवारिक जीवन, जैसे - विवाह का स्वरुप, वैवाहिक सम्बन्धों, परम्परात्मक प्रतिमानों, पारिवारिक, विघटन, एवं पारिवारिक अन्त: क्रियाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना,
5. शिक्षा का उनके जीवन पर तथा उसके स्वास्थ्य की स्थिति एवं परिवर्तन।
6. गोंड़ जनजाति में होने वाले, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिये विचार पूर्वक निदर्शन प्रविधि का उपयोग किया गया है। चयनित सूचनादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची व्द्वारा सूचनायें संकलित की गयी है उत्तरदाताओं का चयन सर्वेक्षण, निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया है। अध्ययन के लिये कुल 50 उत्तरदातों का चयन किया गया है अध्ययन में अवलोकन - सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक आंकड़ो के लिये समाचार पत्र पत्रिका, सरकारी, सांख्यिकी आंकड़े, पुस्तके व इन्टरनेट का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकलने का प्रयास किया जायेगा।

अध्ययन क्षेत्र - सतना जिले की गोंड़ जनजाति के सामाजिक जीवन एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन विशेष में रहने वाले गोंड़ जनजाति के जीवन के बारे में कोई भी लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। सतना जिले गोड़ की कुल संख्या 9508 है जिसमें पुरूष 5003 महिला 4505 है।

सतना जिले की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन में गोंड़ जनजाति का विशेष महत्व है। सतना जिले में गोंड़ जनजाति अन्य क्षेत्रों के गोंड जनजाति की अपेक्षा दूसरे समाजों के ज्यादा निकट एवं प्रत्यक्ष सम्पर्क में है। इस ग्राम पंचायत में गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है।

1. शोधकार्य हेतु सर्वेक्षण के लिये हमने सतना जिले में निवास करने वाले गोंड जनजाति को ही शामिल किया गया है।
2. कार्य में सतना जिले के गोंड जनजाति के परिवारों का चुनाव करके अध्ययन किया गया है, तथा इन परिवारों के प्रमुखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निष्कर्ष निकाला गया है।
3. अनुसंधानकार्य में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों स्वरुपों को रखा गया है,
4. आकड़ों एवं तथ्यों को एकत्र करने के लिये साक्षात्कार अनुसूची की

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

पद्धति को सुचारु रुप से कार्यान्वित किया गया है।

5. प्रस्तुत शोधकार्य में गोंड जनजाति के सामाजिक जीवन से सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षों को ध्यान में रखकर उसके बारे में सामान्य अध्ययन किया गया है।

उपकल्पना :

1. गोंड जनजाति के लोगों का शिक्षा का स्तर निम्न है।
2. ये लोग परम्परावादी है परन्तु आधुनिकता की ओर अग्रसर है।
3. इनमें राजनीतिक जागरूकता की कमी है।
4. गोंड जनजाति में आर्थिक स्थिति कमजोर है।

तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण :

तालिका क्रमांक – 1 : परिवारों का स्वरूप

क्र.	विवरण	संख्या	
		परिवार की संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त परिवार	20	40
2	एकाकी परिवार	30	60
	योग	50	100

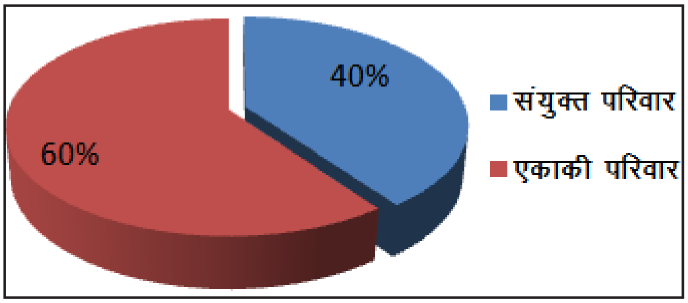

सर्वेक्षित किये गये 50 गोंड परिवारों के स्वरूप की जानकारी प्राप्त की गई उसमें 30 परिवार एकांकी है। जिनका प्रतिशत 60 है। जबकि 20 परिवार संयुक्त पायें गये जिनका प्रतिशत 40 है। इस प्रकार यह पाया गया कि संयुक्त परिवार की संख्या अब कम होती जा रही है और एकांकी परिवार की संख्याओं में वृद्धि होती जा रही है। इसका कारण आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण है जिसके कारण लोंग शहरों आते जा रही है। इस प्रकार संयुक्त परिवारों की संख्या निरंतर घटती जा रही है।

तालिका क्रमांक – 2 : परिवार के व्यवसाय का विवरण

क्र.	विवरण	परिवार का व्यवसाय	
		परिवार की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	20	40
2	मजदूरी	15	30
3	नौकरी	5	10
4.	व्यवसाय	10	20
	योग	50	100

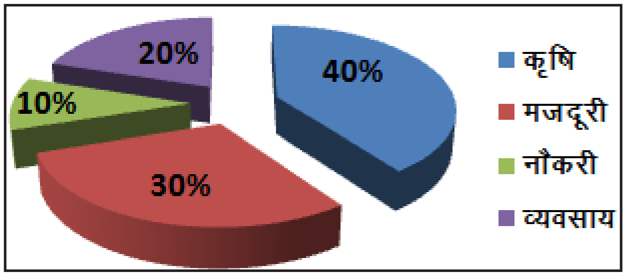

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 के देखने से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में गोंड ज्यादातर परिवार कृषि काम में लगे है। उनकी संख्या 20 है तथा प्रतिशत भी 40 है। मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या 15 है पूर्व की मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या घटी है। अब उसका प्रतिशत 30 है तथा नौकरी वाले 5 परिवार है तथा उसका प्रतिशत 10 है व्यवसाय में लगे परिवारों की संख्या 10 है तथा प्रतिशत 20 है।

परिवार की आर्थिक स्थिति – सर्वेक्षित 50 गोंड परिवारों के मुखियों से उनके आर्थिक स्थिति के बारे में बात करने से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात होता है आज भी उनकी आर्थिक स्थिति विशेष रूप से सुधरी नहीं है। लेकिन भिर भी उतने में ही संतोष किये हैं, वे मानते है कि खेती हमारी मुख्य पेशा है और हमारी खेती वाड़ी का काम भगवान के भरोसे होता है हमें जितना भगवान ने दे दिया उतना ही हमारे लिये पर्याप्त है जो परिवार बाहर मजदूरी का काम करते हैं उन्हें भी उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है बताते हैं कि हम लोगों को तकनिकी ज्ञान न होने के कारण साधारण काम कराया जाता है। तथा मजदूरी भी कम दी जाती है। वह मजदूरी कितना निर्धारित करता है यह ठेकेदार तथा फैक्ट्री मालिक पर निर्भर करता है। इन्हीं समस्त कारणों से इनकी आर्थिक स्थिति विशेष तौर से सुधरी हुई दिखाई नहीं पड़ती है। इनकी आर्थिक स्थिति का विवरण नीचे तालिका क्रमांक 14 मे दी गई है।

तालिका क्रमांक – 3 : परिवार की आर्थिक स्थिति का विवरण

क्र.	विवरण	आर्थिक स्थिति	
		संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	5	10
2	सामान्य	20	40
3	खराब	25	50
	योग	50	100

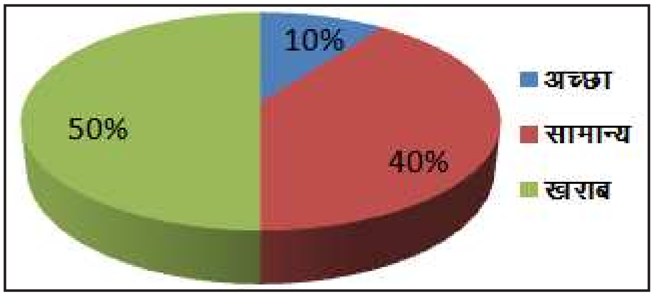

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 3 को देखने से स्पष्ट है कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की संख्या 5 है तथा प्रतिशत 10 है सामान्य स्थित वाले परिवार की संख्या 20 है उसका प्रतिशत 40 है तथा 25 परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति आज भी खराब है उसका प्रतिशत 50 है।

शैक्षणिक परिवर्तन – मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा ज्ञान सामाजिक विरासत से प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं अर्जित करता है। मानव के प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया की सहायता से और हस्तान्तरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गयी ज्ञान की यह परम्परात्मक श्रृखला ही शिक्षा है जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, अध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु स्तर से ऊँचा उठाया है और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है।

तालिका क्रमांक – 4 : शिक्षा की स्थिति

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

क्र.	विवरण	शिक्षा की स्थिति	
		संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षित	23	46
2	अशिक्षित	27	54
	योग	50	100

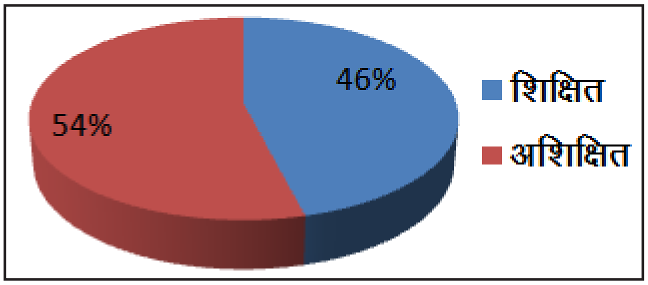

उपरोक्त तालिका क्रमांक 4 को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में शिक्षा के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है आज के समय में सरकारी योजनाओं के कारण शिक्षा का स्तर निरंतर गतिमान है इसमें छात्रवृत्ति योजना, माध्यान भोजन, मुफ्त पाठ सामग्री, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनायें आदि है। इसके कारण शिक्षित लोगो संख्या 23 एवं इनका प्रतिशत 46 है एवं अशिक्षित लोगों की सख्या 27 एवं प्रतिशत 54 है।

सांस्कृतिक परिवर्तन – मानव द्वारा प्रचीन समय से निर्मित प्रत्येक भौतिक एवं अभौतिक साधन ही संस्कृति है। मानव प्रकृति के अन्य जीवों से बुद्धिमान होने के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बौद्धिक आधार पर करता है। इसके साथ ही व्यक्ति को भूत व वर्तमान का ज्ञान होता है। तब वह भविष्य के बारे में चिन्तन करता है। यही चिन्तन जब समन्वित होता है तब वह संस्कृति का रूप ले लेता है।

तालिका क्रमांक – 5 : सांस्कृतिक परिवर्तन

क्र.	विवरण	सांस्कृतिक परिवर्तन	
		संख्या	प्रतिशत
1	परम्परागत	20	40
2	आधुनिक	30	60
	योग	50	100

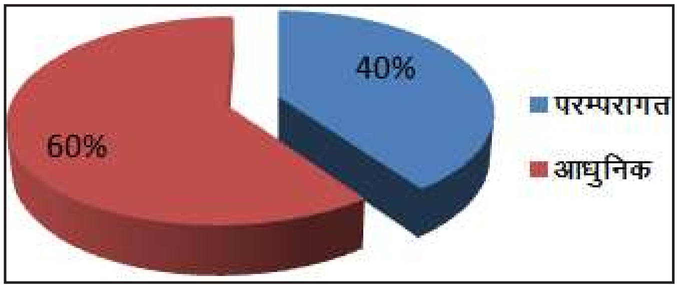

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 5 को देखने से पता चलता है कि आज के समय में ग्राम पंचायत के गोंड़ों के परिवारों में संस्कार सम्पादन का जो तरीका है वह पहले का उल्टा हो गया है। आज 20 अर्थात 40 प्रतिशत परिवार ही ऐसे बचे है जिनमें संस्कारों का सम्पादन परम्परागत तौर तरीकों से होता है तथा 30 अर्थात 60 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनमें आधुनिक तौर तरीकों से संस्कारों का सम्पादन कराया जाता है।

परिवर्तन के प्रमुख कारण – सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति परिवर्तनशील होती है और समाज में निरन्तर परिवर्तन की गति चलती रहती हैं। सामाजिक परिवर्तन किसी एक दो कारणों से नहीं होता बल्कि यह परिवर्तन अनेक कारणों के प्रभावों से उत्पन्न होता है। आज तो सभी समाजों में परिवर्तन के नये – नये आयाम दिखाई दे रहे है। अध्ययन किये गये गोंड समाज में सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन कारणों में से कुछ कारण सामान्य है। जो मुख्यत: सभी समाजों में परिवर्तन ला रहे हैं। यद्यपि अन्य समाजों की तुलना में सामान्य कारणों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों, गति, दिशा, मात्रा, इनमें भिन्न होती है। तथा कुछ परिवर्तन क्षेत्रीय परिस्थितियों एवं दशाओं के कारण होता है। आजादी के बाद भारत देश की उन्नति और प्रगति के लिए अनेक नित्य नये प्रयास किये गये जिससे भारत में परिवर्तन की गति बढ़ गयी। गोंड भारत की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है, भारत देश को गोंड़ो का अभिन्न अंग माने जाने के कारण इस भारतीय परिवर्तन का प्रभाव इनके सम्पूर्ण जीवन में पड़ना स्वाभाविक है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ने मतदान का अधिकार देकर उन्हें देश की शक्ति बिन्दु बना दिया। ये लोग सवर्ण हिन्दुओं के सम्पर्क में आने लगे और ये अपनी संस्कृति व कला को छोड़ कर धीरे- धीरे उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाने लगें।

निष्कर्ष – जनजातियों को वन्य जाति या आदिम जाति, आदिवासी गिरीजन तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से सम्बोधित किया जाता हैं। इन लोगों को आदिम जाति या जनजाति इस कारण कहा जाता है कि ये भारत देश के प्राचीनतम एवं मूल निवासी है। ये कहते हैं कि हम भारत के आदिवासी ही नहीं बल्कि मूल निवासी भी है। सम्भवत: भारत में आर्यो एवं द्रविडों के आगमन के पूर्व से ही ये लोग यहां निवास करते थें। इसलिए ये अपने आप को भारत का मूलनिवासी मानते हैं।

सतना जिले में रहने वाले गोंड परिवार के स्वरूप में बदलाव के साथ–साथ उनके कार्यो में परिवर्तन हुआ है। कृषि कार्य गोंडों का प्रमुख व्यवसाय था किन्तु वर्तमान समय में भी ज्यादातर परिवार कृषि कार्य मे लगा है। गोंड जनजाति की जो पारिवारिक सम्बन्ध है वे अच्छे है इसका कारण यह है कि संयुक्त परिवार टूटकर एकल या एकाकी परिवार का रूप ले लिये है जिसके कारण पारिवारिक सम्बन्धों में ज्यादा तनाव नहीं आता है। सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 50 परिवारों में 42 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनके पारिवारिक सम्बन्ध मधुर है तथा 37 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनके सम्बन्ध सामान्य है तथा 21 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनका सम्बन्ध तनाव पूर्ण है कारण यह है कि जिन परिवारों के व्यक्ति शराब का उपयोग करते है उनके परिवारों के सम्बन्ध तनावपूर्ण है तथा पूर्व के पारिवारिक सम्बन्ध मधुर सम्बन्ध वाले परिवार का संख्या 12 अर्थात 24 प्रतिशत थी तथा सामान्य सम्बन्ध वाले परिवारों की संख्या 10 अर्थात 20 प्रतिशत थी तनावपूर्ण परिवार वालों की संख्या 28 अर्थात 56 प्रतिशत थी तनवापूर्ण व्यवहार वाले परिवार जो वर्तमान में घटकर 21 प्रतिशत ही बचे है।

सुझाव :

1. गोंड जनजाति विकास के लिये आधुनिकतम शिक्षा की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें टेक्निकल कोर्स कराये जाये साथ ही उनकी पढ़ाई के लिये कम ब्याज पद ऋण मुहैया कराया जाय।
2. उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही किया जाय तो भोले–भोले अशिक्षित जनजाति के बच्चे एवं महिलाओं तथा पुरूषो का शारीरिक एवं आर्थिक रूप में शोषण करते हैं।
3. जनजातीय क्षेत्रों में पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाये तथा उन पर

हो रहे अत्याचारों की कार्यवाही सही समय पर की जाये।

4. इनके गावों के आस-पास स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र खोला जाय तथा उनके स्वास्थ्य सुधार हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जाय एवं इनके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार हेतु शिविर लगाये जाये।
5. युवागृह आदिवासी युवकों और युवतियों के लिये शिक्षा के साधन होते हैं। अत: युवागृहों को नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए तथा उनका पुनर्रूत्थान किया जाये।
6. स्वास्थ्य सम्बधी सुझाव आदिवासी युवकों और युवतियों को कम्पाउंडर और दाई का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
7. जनजातीयों में जागरूकता का विकास किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नायडू पी.आर. (2008) भारत के आदिवासी- विकास की समस्याएॅ राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली पृ. 09
2. शर्मा ब्रह्मदेव (1994) आदिवासी विकास-एक सैद्धान्तिक विवेचन (म.प्र.) हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 04।
3. सिद्दीकी शाहेदा, रावत मनोज (2014) कोल जनजाति की महिलाओं में वैवाहिक परिवर्तन 'रिसर्च जनरल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइसेंज', गायत्री पब्लिकेशन सतना पृ. 154-156
4. शर्मा श्रीनाथ (2010) 'जनजाति समाजशास्त्र' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ. 65।
5. तिवारी शिवकुमार व शर्मा, कमल(1994)'मध्यप्रदेश की जनजातियॉ एवं समाज व्यवस्था' पृ. 24।
6. सिंह वीरेन्द्र (2007) 'मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान' अरिहंत पब्लिकेशन्स मेरठ पृ. 71
7. मीणा लक्ष्मीनारायण (1991) 'मीणा जनजाति-एक परिचय' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ. 16।
8. विष्ट भगवान सिंह (1992) 'उत्तराखण्ड की भोटिया जनजाति' विवेक प्रकाशन दिल्ली, प्राक्कथन से उद्धृत पृ. 01।
9. सिन्हा आर.के. (1983) 'पाण्डो जनजाति' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल। पृ. 11।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारत में निर्वाचन : 16वीं लोक सभा के विशेष संदर्भ में

रवि शंकर *

* शोध छात्र, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पी0जी0 कालेज, बाराबंकी, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – लोकतन्त्र चुनावों के माध्यम से ही जीवन्त अवस्था प्राप्त करता है बिना चुनावों के वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना मृग–मरीचिका के तुल्य है। यदि आम जनमानस चुनाव में जोर–शोर से भागीदारी करता है एवं चुनावी प्रक्रिया में अपना विश्वास प्रकट करता है तो ये परिस्थितियाँ लोकतन्त्र की सफलता की परिचायक होगी। लेकिन यदि आम जनमानस का विश्वास चुनावी प्रक्रिया से उठ जाय तो लोकतान्त्रिक प्रणाली का होना न होने के समान है क्योंकि लोगो का विश्वास और वैधता ही वह आधार मूल्य है जिसके आधार पर लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्य करती है विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण है जहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को लोगों के अविश्वास का सामना करना पड़ा और उन देशों में भीषण राजनीतिक संकट उत्पन हुएं। किन्तु भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् अनवरत रूप से लोगों का लोकतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं उत्साह बढ़ा है। पिछले कुछ लोक सभा चुनावों में मत प्रतिशत में वृद्धि इसकी पुष्टि करता है।

निर्वाचन की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था का सर्वाधिक सरल एवं महत्वपूर्ण सूचक है। निर्वाचन वह माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, आम जनता एवं बुद्धिजीवी वर्ग तथा व्यक्ति एवं सरकार के मध्य संपर्क का मार्ग प्रशस्त होता है। यह राजनीतिक, सामाजिकरण एवं राजनीतिक सहभागीता को सुनिश्चित करने वाला जटिल घटनाक्रम है जो न सिर्फ सामाजिक एवं सुनिश्चित व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है वरन् उनके द्वारा स्वयं भी प्रभावित होता है। अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन सामाजिक परिवर्तन की वहत् प्रक्रिया का एक स्थिर चित्र होता है।[1] समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति, संचालन एवं विस्थापन को समझने हेतु राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति, संचालन एवं विस्थापन को समझने हेतु निर्वाचनों का व्यवस्थित अध्ययन एक उपयोगी उपागम सिद्ध हो सकता है।[2]

भारत में निर्वाचन : अवधारणा एवं प्रक्रिया – निर्वाचन का अर्थ दो स्तरो पर समझा जा सकता है पहला प्रक्रियात्मक तथा दूसरा वास्तविक प्रक्रियात्मक स्तर पर निर्वाचन का अर्थ संकीर्ण है यहाँ निर्वाचन का तात्पर्य उस विधि से है जो जनता द्वारा शासकों के चयन हेतु अपनाई जाती है। निर्वाचन का वास्तविक अर्थ अधिक व्यापक है। यहाँ निर्वाचन का अध्ययन लोकतन्त्र के मानदंड के रूप में किया जाता है।

डी0 एल0 सेठ के मतानुसार भारतीय व्यवस्था के विषय में कोई भी विचारधारा विकसित करने के क्रम में लोकतान्त्रिक निर्वाचनों के विस्तृत अनुभव को नजरअंदाज नही किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर पंद्रह एवं राज्य स्तर पर दो सौ पचास से भी अधिक निर्वाचनों के सफल संपादन के द्वारा भारतीय जनता ने लोकतन्त्र में अपने दृढ़ विश्वास का प्रमाण प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान के भाग–15 में उल्लेखित अनुच्छेद – 324–329 निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित कानूनी रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। निर्वाचन की प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप देने वाले घटको में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं की अहम भूमिका है। निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निरीक्षण में सम्पन्न होती है जिसमे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी परस्पर प्रतिस्पर्धा करते है।[3] संसदीय लोकतन्त्र का आधार गांवो से लेकर देश व प्रदेशों की राजधानियों तक फैले राजनीतिक दलो के संगठन के ढांचे होते है। जन जागरण एवं जनमत निर्माण का कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपन्न किया जाता है। राजनीतिक दलों की विचारधारा, सिद्धान्त, लक्ष्य और कार्यक्रमो के आधार पर जनता उनकी विशिष्ट पहचान विकसित करती है। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में विकल्प रहित होने के कारण मतदाता शासकों के चयन हेतु उन्ही प्रत्याशियों पर निर्भर करते है जिन्हे राजनीतिक दल सामने लाते है भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया आनुपालिका प्रतिनिधित्व पर आधारित नही है। यह एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्रों में बहुत निर्वाचकीय व्यवस्था पर आधारित है जिसमे एक निर्वाचन क्षेत्र से वही प्रत्यासी विजयी होता है जो निर्वाचन क्षेत्र के अन्य प्रत्यशियों से अधिक मत प्राप्त करता है।[4] निर्वाचन के परिणाम के आधार पर बहुमत मत प्राप्त प्रत्याशियों का चयन शासकों के रूप में किया जाता है।

निर्वाचन भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन चुका है तथा वर्तमान भारत में निर्वाचन का अर्थ 'राष्ट्र के शासको के चयन हेतु किए गए मतदान' से कही अधिक व्यापक है।[5] निर्वाचन के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालते हुए सुब्रत के मित्रा एवं बी0बी0 सिंह ने कहा है कि निर्वाचन का अध्ययन उन प्रश्नो को समाहित करता है जो हार–जीत के मुद्दे से परे है। यह कुछ गहरे मुद्दे को उठाता है जैसे राजनीतिक प्रक्रिया की वैधता, राजनीतिक प्रक्रिया की निर्वाचक गणो की अपेक्षाओं एवं आशाओं को पूरा करने की दक्षता तथा सामाजिक दरारो के पार लोकतन्त्र की अवधारणा की गहराई और विस्तार। समय के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था खासकर दलीय व्यवस्था में वृहत परिवर्तन आया है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचन के व्यापक अर्थ पर पड़ा है।[6]

भारतीय चुनाव तन्त्र – भारत का निर्वाचन आयोग (ई0सी0आई0) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद–324 के अन्तर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन

तथा नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी0ई0ओ0) किसी राज्य संघीय क्षेत्र का मुख्य चुनाव अधिकारी उस राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में चुनाव क्षेत्र में चुनाव कार्यो का पर्यवेक्षण करने को अधिकृत है, जिसका निर्वाचन आयोग अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण करता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (डी0ई0ओ0) मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग अफिसर) किसी संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी उत्तरदायी होता है भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार के किसी पदाधिकारी को राज्य सरकार संघीय क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधान एवं संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव पदाधिकारी को नामित करता है।

चुनाव निबंधन पदाधिकारी (इलेक्टॉरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची आदि को तैयार करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य संघीय शासन के परामर्श से साकार अथवा स्थानीय प्राधिकार में किसी अधिकारी को चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करता है।

पीठासीन अधिकारी (प्रेजाइडिंग ऑफिसर) पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियो के सहयोग से मतदान केन्द्र पर मतदान कार्य सम्पन्न कराता है जिला निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियो की नियुक्ति करता है।

पर्यवेक्षक (आब्जर्वर) भारत का चुनाव आयोग संसदीय तथा राज्य विधायिकाओं के चुनाव हेतु सरकारी अधिकारियो को पर्यवेक्षक नामित करता है ये पर्यवेक्षक कई प्रकार के होते है जैसे सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक, जागरूकता पर्यवेक्षक, लघुस्तरीय पर्यवेक्षक, सहायक व्यय पर्यवेक्षक आदि। ये पर्यवेक्षक चुनाव आयोग द्वारा सौंपों गए कार्यो को पूरा करते है तथा सीधे आयोग को प्रतिवेदन देते है।[7]

भारत में चुनाव प्रक्रिया

चुनाव का समय – लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य विधान सभा के हर पॉच वर्ष पर चुनाव होते है। राष्ट्रपति पॉच वर्ष पूरा होने के पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते है। यदि सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है तथा किसी वैकल्पिक सरकार की संभावना नही होती है।

चुनाव कार्यक्रम (शेड्यूल ऑफ इलेक्शन) – निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरूआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाद दाता सम्मेलन में नये चुनाव की घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तात्काल लागू हो जाती है। औपचारिक चुनाव प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ ही आरम्भ हो जाती है। ज्योही अधिसूचना जारी होती है उम्मीदवार जिस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते है अपना नामांकन दाखिल कर सकते है। नामांकन की अतिम तारिख से एक सप्ताह पश्चात् नामाकनों की जॉच संबधित चुनाव क्षेत्र के चुनाव अधिकारी करते है। दो दिनों के अन्दर बैध उम्मीदवार नाम वापस लेकर चुनाव से हट सकते है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के लिए मतदान की तिथि के पहले दो हफ्ते का समय मिलता है। मतदाताओं की भारी संख्या एवं बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली चुनावी कार्यवाही को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय चुनाव के लिए कई दिनों मतदान कराया जाता है। मतगणना के लिए एक अलग तिथि निर्धारित की जाती है तथा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किए जाते है। आयोग निर्वाचित सदस्यों की सूची बनाता है तथा सदन के गठन के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी करता है। इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न हो जाती है।

शपथ ग्रहण – किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। मख्यत: चुनाव अधिकारी तथा सहायक चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किए जाते है। ऐसे उम्मीदवार के लिए जो बंदी हो अवरोधन शिविर के समादेष्टा को शपथ ग्रहण के अधिकृत किया जाता है ऐसे उम्मीदवारो के लिए जोकि अस्पताल में हो और बीमार हो तब अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया जाता है यदि उम्मीदवार भारत के बाहर हो तब भारत के राजदूत के समक्ष शपथ ली जाती है।

चुनाव प्रचार – प्रचार बहु अवधि है जब राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को सामने लाते है तथा अपने दल तथा उम्मीदवारो के पक्ष में मत डालने के लिए लोगों को प्रेरित करते है। औपचारिक चुनाव प्रचार उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व कम से कम दो सप्ताह चलता है। चुनाव प्रचार के दौरान लड़ने वाले उम्मीदवारो तथा राजनीतिक दल यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर तैयार की गई आदर्श आचार सहिता का वे पालन करेगे।

मतदान दिवस – अलग–अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए समान्यतया मतदान की तिथियॉ अलग–अलग होती है ऐसा सुरक्षा प्रबधों को प्रभावी बनाने तथा मतदान की व्यवस्था में लगे लोगों को अनुश्रवण का पूरा अवसर देने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष है।

मतपत्र एवं चुनाव चिन्ह – जब उम्मीदवारो के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, चुनाव आधिकारी द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की एक सूची बनाई जाती है तथा मतदान पत्र छपवाए जाते है मतपत्रों पर उम्मीदवार के नाम तथा उन्हे आवन्टित चुनाव चिन्ह छपे रहते है मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारो को उनके दल का चुनाव चिन्ह आवन्टित किया जाता है।

मतदान प्रक्रिया – मतदान गुप्त होता है सार्वजनिक स्थनो पर मतदान केन्द्र स्थापित किए जाते है जैसे विद्यालय या सामुदायिक भवन आदि अधिक से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करे यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग यह कोशिश करता है कि प्रत्येक मतदाता से मतदन केन्द्र की दूरी 3 किमी0 से अधिक हो साथ ही किसी भी मतदान केन्द्र में 1500 से अधिक मतदाता न ऑए। मतदान केन्द्र मे प्रवेश करते ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में देख मिलाकर उसे एक मतदान पत्र प्रदान किया जाता है। मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाता है यह कार्यवाही मतदान केन्द्र में ही एक अलग छोटे से कक्ष में होते है। मुहर लगाने के बाद मतदाता मतपत्र के मोड़कर एक साझी मतपेटी में पीठासीन अधिकारी तथा मतदान ऐजेंट के सामने डालता है। चिन्ह लगाने की इस प्रक्रिया से मतपत्रों को मतपेटी में वापस निकाले जाने की संभावना खत्म हो जाती है। 1998 से निर्वाचन आयोग मतपत्रो की स्थान पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन ई0वी0एम0 का उपयोग कर रहा है तथा 2004 के लोकसभा चुनावों में

केवल ई0वी0एम0 को उपयोग किया गया।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई0वी0एम0) – यह एक सरल इलेक्ट्रानिक उपकरण है मतपत्रों के स्थान पर मतो की रिकार्ड करने में उपयोग किया जाता है। पारम्परिक मतपत्रों की प्रणाली की तुलना में ई0वी0एम0 से मतगणना की प्रक्रिया आसान और द्रुत हो जाती है आदि।

चुनाव का पर्यवेक्षण – चुनाव आयोग बड़ी संख्या में पर्यविक्षको को नियुक्ति करता है जो यह सुनिश्चित करते है कि मतदान स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढंग से कराए गए और लोगों ने अपनी पंसद का उम्मीदवार चुना। चुनाव खर्च पर्यविक्षक उम्मीदवार और दल के चुनाव खर्च की निगरानी करते है।

मतगणना – जब मतदान सम्पन्न हो जाता है चुनाव अधिकारी तथा पर्यविक्षक की देखरेख में मतगणना की प्रक्रिया आरम्भ होती है। मतणना समाप्त होने के पश्चात् चुनाव अधिकारी सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार का नाम बिजयी उम्मीदवार के रूप में घोषित करते है

जनमाध्यमों का करवरेज – चुनावी प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जन माध्यमों मीडिया को चुनाव प्रक्रिया के कवरेज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथापि मतदान की गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। मीडिया कर्मियों को मतदान केन्द्रो तक पहुचने के लिए विशेष पास दिए जाते है ताकि वे मतदान प्रक्रिया का कवरेज करे और मतगणना पत्रों में भी पूरी प्रक्रिया का संज्ञान ले।

चुनाव याचिका – कोई भी चुनावकर्त्ता अथवा उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है यदि उसे यह विश्वास हो कि चुनावे में कदाचार हुआ है। चुनाव याचिका एक सामान्य याचिका नही होती बल्कि इसमें पूरा–पूरा चुनाव क्षेत्र सलग्न होता है। चुनाव याचिका की सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायलय में सुनवाई होती है यदि शिकायत सही पाई गई तो निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराए जा सकते है।[8]

16वीं लोक सभा का चुनाव (2014) – 16वीं लोकसभा के लिए 7 अप्रैल–12 मई 2014 के दौरान नौ चरणों में सम्पन्न चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन (एनडीए) ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की और कई नए प्रतिमान स्थापित हुए। इन चुनाव परिणामों के चलते 10 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् केन्द्र में एनडीए सरकार की वापसी हुई। नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रव्यापी लहर ने सभी जातीय एवं सामाजिक समीकरण ध्वस्त करते हुए 336 सीटे एनडीए के खाते में डाली। भाजपा ने अकेले ही 282 सीटे जीत कर स्पष्ट बहुमत इस चुनाव में प्राप्त किया। दूसरी ओर 10 वर्षो से सत्तारूढ़ रहे कांग्रेस के नेतृत्व वाले सयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सीटों की संख्या 58 पर ही इस बार सिमट कर रह गई। इसमें कांग्रेस की सीटो की संख्या इस बार 44 ही रही। इसमें मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी इसे प्राप्त नही हो सका।

उल्लेखनीय है कि तीन दशक के अन्तराल के पश्चात् किसी पार्टी ने अकेले ही स्पष्ट बहुमत लोकसभा में प्राप्त किया तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् लोकसभा में पहली बार अकेले ही स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाली कोई गैर–कांग्रेसी पार्टी यह बनी है।

16 वे आम चुनाव : महत्वपूर्ण तथ्य एक दृष्टि में

1. 16वीं लोक सभा के लिए 7 अप्रैल–12 मई 2014 के दौरान सम्पन्न कराए गए चुनाव देश के संसदीय इतिहास में अब तक के सबसे लम्बी अवधि तक चले व सर्वाधिक चरणों में सम्पन्न चुनाव थे। मतदाताओं की दृष्टि से भी यह विश्व का सबसे बड़ा आम चुनाव था।
2. लोकसभा की सभी 543 चुनाव वाली सीटों के लिए सम्पनन चुनाव में प्रत्याशियो की कुल संख्या 8251 थी।
3. 16वे आम चुनाव में कुल मिलाकर 464 राजनीतिक दलो ने भागीदारी की इनमें 6 राष्ट्रीय स्तर के दल, 39 राज्य स्तरीय दल तथा 419 गैर मान्यता प्राप्त दल थे।
4. 2014 के आम चुनाव में भाग लेने वाले राष्ट्रीय स्तर के 6 राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस के अतिरिक्त भाकपा, माकपा, बसपा, राकपा थे।
5. इस चुनाव मे मतदाताओं की कुल पंजीकृत संख्या 83,41,01,479 (83,41 करोड़) थी इनमे से रिकार्ड 66.4 प्रतिशत मतदाओं (पुरूषों में 67.09 प्रतिशत व महिलाओं में 65.63 प्रतिशत) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक 88.22 प्रतिशत असम के धुबरी निर्वाचन क्षेत्र में तथा सबसे कम 25.90 प्रतिशत श्रीनगर में रहा। राज्यों में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैण्ड में (88.15 प्रतिशत) तथा न्यूनतम प्रतिशत जम्बू कश्मीर में (49.52 प्रतिशत) दर्ज किया गया।
6. आठ राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रो (केरल, मणिपुर, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश गोवा, दमन व दीव, पुडुचेरी तथा मेघालय) में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पुरूषों की तुलना में अधिक थी जबकि 16 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों (अरूणाचल प्रदेश, बिहार, चडीगढ, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, ओडिसा, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु व उत्तराखण्ड) में महिलाओं में मतदान प्रतिशत पुरूषों की तुलना में अधिक रहा।
7. प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो दो सीटो से चुनाव जीतकर लोक सभा में पहुॅचे है।
8. 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी एक दल को मुख्य विपक्षी दल के दर्जे हेतु आवश्यक सीटे (10 प्रतिशत/54 सीट) लोक सभा में प्राप्त नही हुई।
9. लोक सभा में सर्वाधिक उम्र के सांसद भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी (86 वर्ष) के है सबसे कम उम्र के सांसद 26 वर्षीय दुष्यंत चौटाला (इंडियन नेशनल लोकदल) व (भाजपा) की 26 वर्षीय हीना गर्वित है।
10. घोषित व्योरे के अनुसार 16वी लोक सभा में सर्वाधिक सम्पन्न सांसद जयदेव गटला है गुटुर से निर्वाचित तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जयदेव गटला की परिसम्पतियो का मूल्य रूपये 683 करोड़ है जबकि सबसे कम परिसम्पत्तियों वाली सांसद सुमेधा नंद सरस्वती है राजस्थान में सीकर से निर्वाचित भाजपा सांसद सुमेधा नंद सरस्वती की घोषित परिसम्पत्ति केवल रूपये 34.311 मीडिया की रिपोर्ट में बताई गई है।
11. भाजपा व कांग्रेस के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी (आप) व बहुजन समाज पार्टी बसपा ही ऐसे दल व जिन्होने 400–400 से अधिक उम्मीदवार इस चुनाव में खडे किए थे। इनमें बसपा का कोई भी उम्मीदवार बिजय नही प्राप्त कर सका।
12. पहली बार लोक सभा चुनाव में नकारात्मक मतदान के लिए 'नोटा' विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध कराया गया था। चुनाव में कुल मिलाकर 59,97,57 मतदाताओं ने इस विकल्प का इस्तेमाल किया, यह सभी 543 सीटो के लिए पड़े कुल मतों का लगभग 1.1 प्रतिशत

है।

13. प्रारम्भिक आकलन के अनुसार इन चुनावों पर सरकारी खजाने से हुआ कुल व्यय रूपये 3426 करोड़ अनुमानित किया गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से आरम्भ करते हुए देखा जाए तो भारत में निर्वाचन कई दौर से गुजर चुका है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे है दलीय व्यवस्था एक दल प्रधान बहुदलीय प्रणाली से धुवीकृत बहुदलीय प्रणाली में परिणत हो गई है राजनीतिक दल मतो को अपने पक्ष में चलायमान करने हेतु सिद्धान्तो एवं विचारधाराओं के स्थान पर संकीर्ण जातीय, धार्मिक एवं क्षेत्रीय उत्तेजना को प्रयोग कर रहे हैं 1952 के प्रथम आम चुनाव को तुलना में 2014 के 16 वें लोक सभा चुनाव का मतदाता अधिक परिपक्व एवं अपने मत के मूल्य एवं शक्ति में अधिक जागरूक है पिछड़ी जातियॉ एवं महिलाये अधिक संख्या में सहभागिता दर्शाकर निर्वाचन के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण को प्रदर्शित कर रही है। भारतीय निर्वाचकीय राजनीति बदलते हुए परिवेश के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास कर रही है तथा अनुकूलन के इस प्रयास के फलस्वरूप निर्वाचन की प्रक्रिया में कई गुणों एवं दुर्गुणो का मिश्रित समावेश हो रहा है निर्वाचन आयोग निर्वाचन की प्रणाली में गुणों की वृद्धि एवं दुगुणों से मुक्ति की दिशा में प्रयासरत है। नि:सन्देह भारत में निर्वाचन आधुनिकरण का सशक्त माध्यम है। वर्तमान भारत में निर्वाचन समसायिक अंतराष्ट्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत 'वैश्विक' एवं 'स्थानिय' बलो के परस्पर द्वन्द से प्रभावित है रोसेने के अनुसार दोनो ही बल राष्ट्र राज्य की सत्ता को चुनौती दे रहे है भारतीय मतदाता एक और वैश्विक बलों से प्रभावित है तो इसकी ओर स्थानीय बलो से। ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन की प्रक्रिया दुविधाग्रस्त भारतीय मतदाता को स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने तथा इन मुद्दो पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का माध्यम प्रदान करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, सुब्रत, के0 एवं सिंह, वी0बी0, डेमोक्रेसी एण्ड सोशल चेंज इन इण्डिया, सेज पब्लिकेशन, दिल्ली, 1999
2. चौधरी, बासुकी नाथ एवं कुमार, युवराज, (संपा0), भारतीय शासन और राजनीलति, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2011, पृ0 352
3. कास्टीट्यूशनल एसेम्बली डिवेट्स, वाल्यूम 7 जून 15, 1949, पृ0 – 905
4. सिंह, एम0पी0 एवं सक्सेना, रेखा, इण्डिया एट द पोल्स : पार्लियमेट्री इलेक्शन इन द फेडरल फेज, ओरियंट लाग्मैन, दिल्ली, 2003, पृ0 – 25–54
5. कृष्ण, गोपाल, 'वन पार्टी डॉमीनेस', इण्डियान जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनवरी, मार्च, 1966
6. चौधीर, बासुकी नाथ एवं कुमार, युवराज, (संपा0), भारतीय शासन और राजनीतिक, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2011, पृ0 – 353
7. लक्ष्मीकान्त, एम0, भारत की राजव्यवस्था, टाटा मैग्ग्रा हिल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
8. कोठारी, रजनी, भारत में राजनीति कल, आज और कल, (अनु0 अभय कुमार दुबे) वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2005

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

सहशिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन (उज्जैन नगर के संदर्भ में)

डॉ. सुरेखा जैन *

* प्राचार्य, महाराजा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - किसी भी राष्ट्र की सम्पत्ति वे नागरिक होते हैं जो सुशिक्षित एवं परिपक्व विचारधार के हो। राष्ट्र के नागरिक समानता के साथ सभी अवसरों को प्राप्त करें ऐसी विचारधारा भी समाज में व्याप्त है। समाज की परिकल्पना हम करें तो देखते हैं कि स्त्री एवं पुरुष की समान भागीदारी से उत्कृष्ट समाज का विकास हो सकता है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समाज को बिना भेदभाव के बालक-बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने होते हैं। समानता का प्रथम सोपान शिक्षा ही है। पेस्टालॉजी ने शिक्षा के संदर्भ में कहा भी है कि शिक्षा व्यक्ति की समस्त शक्तियों एवं क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील एवं सामंजस्य पूर्ण विकास है।

यूं तो भारत की सामाजिक व्यवस्था ने बालक एवं बालिकाओं को निश्चित आयु के पश्चात् अलग-अलग विद्यालयों में अध्ययन करने को प्राथमिकता दी है, परन्तु समानता की विचारधारा के धरातल पर ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सहशिक्षा बनाम एकल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने से बालक या बालिका के व्यक्तित्व में क्या अन्तर ज्ञात होता है?

प्राय: शैक्षणिक व्यवस्था को स्कूल भवन, कक्ष, खेल का मैदान जैसे भौतिक संसाधनों को जुटाने विषय अनुसार शिक्षक जुटाने जैसी समस्याओं का हल निकालने तक सीमित किया गया है परन्तु समस्त विद्यालयीन गतिविधियों में कक्षा शिक्षण के अलावा बालिकाओं के व्यक्तित्व निर्माण में वातावरण एवं परिवेश का प्रभाव भी होता है, इस बिंदु पर शिक्षक पालक, सभी कुछ कम विचार करते है।

सहपाठियों में समायोजन समूह व्यवहार में परिलक्षित होता है। ये बालिका के व्यक्तित्व निर्माण व निर्णायक का कारक भी होता है जो आगे चलकर स्वस्थ मानसिकता सहित भावी योग्य नागरिक के रूप में प्रकट होता है।

परन्तु भारतवर्ष की सामाजिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करें तो देखने में आता है कि जहाँ शिक्षा जगत में सहशिक्षा विद्यालयों के लिये सरकारी उपक्रम व शिक्षाविद सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वहीं पालक आज भी बालिका विद्यालय के चयन को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक मान्यताओं का परम्पराओं का सीधा प्रभाव बालिका शिक्षा को प्रभावित करता है। आज भी पालक बालिका की निश्चित आयु पूर्ण होने पर उसके शिक्षण में रुचि प्रदर्शित नहीं करते व एकल विद्यालय होने पर आगामी शिक्षा के लिये सहमत हो जाते हैं। सहशिक्षा विद्यालय में बालिका को अध्ययन हेतु भेजने के लिये अरुचि, असमर्थता व्यक्त की जाती है। सामाजिक मान्यताओं के बावजूद केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सहशिक्षा विद्यालयों को आरम्भ किया जा रहा है चाहे वो केन्द्रीय विद्यालय हो, अथवा नवोदय विद्यालय निजी विद्यालयों की चर्चा करें तो अधिकांश विद्यालय सहशिक्षा विद्यालय ही है।

उक्त परिस्थितियों में सहशिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व के विकास में होने वाले अन्तर व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारको का अध्ययन आवश्यक लगता है।

यह अध्ययन इसलिये भी आवश्यक लगता है क्योंकि आज की बालिकाएँ ही कल की राष्ट्र निर्मात्री हैं। हमारी भावी पीडियाँ जब तक मानसिक शारीरिक व नैतिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगी तब तक उनकी शिल्पी नारी भी सुशिक्षित एवं उन्नत व्यक्तित्व से समृद्ध नहीं होंगी।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व - बालकों के व्यक्तित्व का उचित निर्माण जितना आवश्यक है उतना ही बालिकाओं का भी। एक बालिका को आगे चलकर अपने परिवार को सहज वातावरण उपलब्ध कराना होता है तथा अपनी संतति का उचित पालन-पोषण भी करना होता है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष का रूप ग्रहण करने की अन्तर्निहित शक्ति होती है उसी प्रकार बालिकाओं में स्त्रियों की अन्तर्निहित शक्तियों होती हैं। मातृत्व की भूमिका का निर्वाह करते समय अपने विचारों के माध्यम से अपनी आने वाली संतान को ज्ञानशील, विवेकशील एवं संस्कारी बनाना प्रत्येक माता का कर्तव्य होता है।

इस शोध का महत्व इसीलिये अधिक है क्योंकि बालिका शिक्षा के उत्थान हेतु सरकार द्वारा समाज द्वारा अनेकानेक प्रयास किये गये है व सार्थक परिणाम भी प्राप्त किये हैं, परन्तु वर्षो से उपेक्षित रहने से व्यक्तित्व में आए विभिन्न आयामों के अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है। इस शोध के माध्यम से सहशिक्षा व बालिका शिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्ति अध्ययन से एक ऐसी दिशा प्राप्त होने की संभावना है जो बालिकाओं के स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण हेतु आवश्यक वातावरण की ओर निर्देशित करेगी।

अध्ययन के उद्देश्य- सहशिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, का अध्ययन करना।

परिकल्पना - सहशिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत, प्रतिस्पर्धा पर कोई सार्थक अंतर नहीं होता।

परिसीमन - समान आर्थिक, सामाजिक आधारों को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय विद्यालयों को चयनित किया गया जिसमें नगर के एकमात्र शासकीय सहशिक्षा विद्यालय संत मीरा कॉन्वेन्ट हा से स्कूल भागसीपुरा, उज्जैन एवं बालिका विद्यालय के अंतर्गत संत मीरा गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, निजातपुरा, उज्जैन (म.प्र.) का चयन किया गया है।

न्यादर्श - प्रस्तुत शोध प्रबंध में उज्जैन नगर के बालिका विद्यालय एवं सहशिक्षा विद्यालय को न्यादर्श रूप में चयनित किया जाएगा। दोनों

विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लगभग समान आर्थिक आधार, सामाजिक परिवेश एवं पृष्ठभूमि के अनुसार न्यादर्श चयनित किया गया है तथा 10वीं में अध्ययनरत 100 बालिकाओं पर अध्ययन किया गया।

उपकरण – उपकरण के अंतर्गत निम्न मानकीकृत मापनियों का उपयोग किया गया है

1. अग्निहोत्री की आत्मविश्वास मापनी द्वारा डॉ. रेखा गुप्ता जिसकी विश्वसनीयता 82 है।
2. समायोजन मापनी द्वारा डॉ. हरमोहन सिंह जिसकी विश्वसनीयता 93 है।

प्रदत्तों का संकलन, सारणीय एवं विश्लेषण

प्रदत्तों का संकलन – प्रस्तुत शोध में सहाविद्यालय की 50 छात्राओं व बालिका विद्यालय की 50 छात्राओं से मानकीकृत प्रश्नावली से प्रदत्तों को एकत्रित किया गया। बालिकाओं के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण अंश जैसे समायोजन, आविश्वास, समूह व्यवहार प्रतिस्पर्धा जैसे बिन्दु, जिनसे क व्यक्त्तित्व प्रदर्शित होता है, ज्ञात करने के लिये प्रश्नावली निर्मित की गई एवं अक प्राप्त किये गये, तथा साख्यिकीय विश्लेषण कार्य किया गया।

तालिका क्र.01

क्र.	वर्ग अंतराल	मध्यमान	आवृत्ति	d	F1d	F1d2
1	15-19	17	3	-2	-6	12
2	19-23	21	7	-1	-7	7
3	23-27	25	19	0	0	0
4	27-31	29	11	+1	11	11
5	31-35	33	10	+2	20	40
			$\sum f^1$ =-50		$\sum f^{1d}$ =18	$\sum f^1$ =70

M1 26.44 SD1 4.50

तालिका क्र.02

क्र.	वर्ग अंतराल	मध्यमान	आवृत्ति	d	F1d	F1d2
1	15-19	17	00	-2	-6	12
2	19-23	21	05	-1	-7	7
3	23-27	25	09	0	0	0
4	27-31	29	29	+1	11	11
5	31-35	33	7	+2	20	40
			$\sum f^{2d}$ =-50		$\sum f^{2d}$ =38	$\sum f^{2d2}$ =-62

M2 28.04 SD2 3.26 CR -2.003

प्रतिस्पर्धा – सहशिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व अंतर्गत प्रतिस्पर्धा की भावना का परीक्षण प्रश्नावली की सहायता से किया है।

दोनों विद्यालय की छात्राओं की अंक प्राप्ति के आधार पर वर्ग अंतराल निर्धारित किया है।

- टी-परीक्षण से प्रतिस्पर्धा की भावना में सार्थक अंतर ज्ञात किया गया।

विश्लेषण (प्रतिस्पर्धा) – सारणी की सहायता से सहशिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालय की छात्राओं के प्रतिस्पर्धा के परीक्षण से प्राप्त अर्को का मध्यमान ज्ञात किया गया। दोनों परीक्षणों के प्रमाप विचलन ज्ञात करने के बाद दोनों परीक्षणों की प्रमाप विचलन (SEd) त्रुटि ज्ञात की गई।

मध्यमान और प्रमाप विचलन के माध्यम से क्रांतिक अनुपात की गणना की गई। गणना द्वारा प्राप्त CR का मान 2033 है जो 98 df पर टी-तालिका पर क्रांतिक अनुपात का निश्चित मान 263 से कम व 198 से अधिक है। अत: परिकल्पना आशिक .01 और 05 विश्वास स्तर रूप से अस्वीकृत होकर सिद्ध होती है व बालिका विद्यालय एवं सहशिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं की प्रतिस्पर्धा की भावना में सार्थक अंतर है।

निष्कर्ष – सहशिक्षा विद्यालय और बालिका विद्यालय की छात्राओं के प्रतिस्पर्धा व्यवहार के परीक्षण से प्राप्त अंकों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सहशिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालय की छात्राओं की प्रतिस्पर्धा की भावना में आशिक अंतर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता,एस.पी.(2011), 'अनुसंधान संदर्भिका' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. महाराणा, निशा (2017),'पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी' अग्रवाल पब्लिकेशन।
3. पाण्डेय,के.पी (2012), 'शैक्षिक अनुसंधान' विष्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
4. राठौर, मीना, 'बुद्धसागर एवं महाराणा निशा (2014)', 'पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता', अग्रवाल पब्लिकेशन।
5. सुलैमान, मुहम्मद (2009), 'मनोविज्ञान शिक्षा एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी'।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Black Pepper and Its Benefits

Dr. Rajesh Masatkar *

*Asst. Professor (Botany) Govt. Degree College, Nainpur, Distt. Mandla (M.P.) INDIA

Abstract - Black pepper is one of the most commonly used spices worldwide. But black pepper is more than just a kitchen staple. It has been deemed the "King of Spices" and used in ancient Ayurvedic medicine for thousands of years due to its high concentration of potent, beneficial plant compounds. Black pepper increases the absorption of essential nutrients and beneficial plant compounds. According to preliminary research, it may also promote gut health, offer pain relief and reduce appetite. Piperine is a natural alkaloid that gives black pepper its pungent taste. It is also the main component that gives black pepper its health-boosting qualities.
Keywords – Antoxidants, Detoxify, Piperine, Antibacterial.

Introduction - The humble spice holds more benefits than you would imagine. It belongs to the Piperaceae family and is processed in different ways to yield different kinds of peppers. For instance, the cooked and dried unripe fruit is black pepper, the green pepper is from the dried and unripe fruit, and white pepper are the seeds from the ripened fruit of the plant. While pepper originally belongs to South India, it's grown in other tropical countries as well. It's played a vital role in history, and has been considered as an important spice from time immemorial. In ancient Greece, it was also used as currency. In later years, it became pivotal in the spice trade across the world. Incidentally Vietnam is considered to be the largest grower and exporter of pepper. India, Brazil, and Indonesia follow suit. Black pepper, while used in cooking and garnishing in cuisines the world over, comes with lots of health benefits.

Objectives – The main objectives are as given below.

1. To clean and detoxify individuals body naturally.
2. To save the individuals from digestive dysfunction.
3. To make the people of the country healthy, strong and provide natural look on their body.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increases the economical status of the people.
6. To minimizes the intake of medicines.
7. To reduces the cost of treatment at zero level.
8. To saves the time of people from unnecessary treatments.
9. To improve the immunity of the individuals.

Methodology – To test the black pepper benefits, I used myself and my wife as are volunteers. We have been eating this black pepper for two to three months. After consuming what we found we explained in the discussion heading of this paper.

Nutritional Facts - The table below shows the amount of nutrients in a teaspoon of ground black pepper, weighing in at 2.3 grams.

Nutrient	Value
Energy in calories	5.77
Protein, grams (g)	0.239
Carbohydrates (g)	1.47
Fiber (g)	0.582
Sugars (g)	0.015
Calcium (mg)	10.2
Iron (mg)	0.223
Magnesium (mg)	3.93
Phosphorus (mg)	3.63
Potassium (mg)	30.6
Sodium (mg)	0.46
Zinc (mg)	0.027
Manganese (mg)	0.294
Selenium (mcg)	0.113
Fluoride (mcg)	0.787
Niacin (mg)	0.026
Folate (mcg)	0.391
Betaine (mg)	0.205
Beta carotene (mcg)	7.13
Lutein + zeaxanthin (mcg)	10.4
Vitamin E (mg)	0.024
Vitamin K (mcg)	3.77
Vitamin A (mcg retinol activity equivalents)	12.6

Benefits of Black Pepper – Here are some most important and trialed benefits of black pepper are present before you.

Powerful Antioxidant – Free radicals are unstable molecules that can damage your cells. Some free radicals are created naturally such as when you exercise and digest food. However, excessive free radicals can be formed with exposure to things like pollution, cigarette smoke, and sun rays. Excess free radicals damage may lead to major health problem. For example, it has been linked to inflammation, premature aging, heart disease, and certain cancers. Black pepper is rich in a plant compound called piperine which test-tube studies have found to have antioxidant properties.

Powerful Anti-Inflammatory – Chronic inflammation may be an underlying factor in many conditions, such as arthritis, heart disease, diabetes, and cancer. Many laboratory studies suggest that piperine the main active compound in black pepper may effectively fight inflammation.

To Prevent Cancer – The piperine in black pepper can be credited with the prevention of cancer, and become twice as potent when combined with turmeric. The spice also has Vitamin C, Vitamin A, flavonoids, carotenes and other anti-oxidants that help remove harmful free radicals and protect the body from cancers and diseases. The best way to eat pepper to harness maximum benefits is to eat freshly ground pepper, and not cook it along with food.

Stimulates Digestion– Again, the piperine in black pepper eases digestion and stimulates the stomach, which then secretes more hydrochloric acid that helps to digest proteins in food. So a bit of pepper in food will actually help you to digest it faster.

Relieves Cold and Cough – Black pepper is antibacterial in nature, and therefore helps to cure cold and cough. A teaspoon of honey with freshly crushed pepper does the trick. It also helps to alleviate chest congestion, often caused due to pollution, flu, or a viral infection. You can add it to hot water and eucalyptus oil and take steam. Black pepper is rich in Vitamin C. It also works as a good antibiotic.

Relieves Flatulence – When protein and other macro nutrients are left undigested, it can lead to flatulence, constipation and acidity. Black pepper triggers the secretion of hydrochloric acid that not only helps digest food but also helps break up and expel gas trapped in the intestines. Drink half a teaspoon mixed in lukewarm water to get relief from gas and colicky pain.

Makes You Happier –According to a study published in the journal of Food and Chemical Toxicology, the spice improves brains function and beats depression. Eating it daily can make you sharper and cheerful.

Absorb Different Nutrients Fast- One of the most important black pepper water benefits are that enhances the nutrient absorption power of the human body. Thus, by having this water daily, people can absorb both selenium and calcium better than others, in addition, it helps human being to absorb different plant compounds far better.

Discussion – Although black pepper is a healthy spice, one must pay heed to the serving limit. Expert recommends a safe black pepper dosage of upto 2-4 per day. Taking in large amounts of black pepper can lead to many health complications. Black pepper gives relief in cold and cough, clean our throat and it makes our digestive track healthy. My wife and I take 2 to 4 black pepper after 2 hrs of our daily lunch.

Findings :

1. Black pepper lower sugar level.
2. Black pepper is a powerful antioxidant.
3. Black pepper controls heart disease.
4. Black pepper toxic to cancer cells.
5. Black pepper corrects our digestive system.

Suggestion :

1. Piperine a chemical in black pepper might slow blood clotting.
2. Do not take large amount of black pepper at once it may cause death.

Conclusion – It is old says that "Health is Wealth". If health is well then all things is in our hand. But being author of this paper I want to expose multi-benefits of Black pepper in front of you. Eat one thing instead of many things for getting several benefits. In near future my intention is that I want to expose such multi-benefit things before you. So, an individual get more health benefit by eating such super food and doing less exercise.

References :–

1. https://www.healthline.com/nutrition/black-pepper-benefits#The-bottom-line
2. https://www.wemd.com/diet/health-benefits-black-pepper#1
3. https://www.rxlist.com/black_pepper/supplements.htm
4. https://food.ndtv.com/opinions/black-pepper-benefits-more-than-just-a-spice-1238993
5. https://www.medicalnewstoday.com/articales/black-pepper-benefits#summary
6. https://www.femina.in/wellness/diet/5-benefits-of-black-pepper-you-didint-know-38658html
7. https://www.24mantra.com/blogs/health-and-nutrition/6-benefits-of-black-pepper-water-on-your-health/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Ethnobotanical fibre yielding plants used by Tribal people of Dhar district, Madhya Pradesh, India

Kamal Singh Alawa*

***Department of Botany, Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA**

Abstract - The present paper deals with an ethno botanical survey was carried out during 2019-2021 in the some fiber yielding plants used by tribal people of Dhar district, Madhya Pradesh state in India. A total of 29 plant species belonging to 24 genera and 19 families used for fibres of the study area. Among the plant species commonly used by man the fibre yielding plants hold the second position after the food plants in their economic importance. The fibres are long, cylindrical, non-living mechanical sclerenchymatous cells of plant body. Stem bark obtain the fibres for their needed. They extract fibres from petiole, leaves, stem and bark of the plants. Fibres are used to make ropes, garlands, carpets, foot mats and cots etc. Some fibre plants used for study area are *Abelmoschus esculentus, Abutilon indicum, Bauhinia racemosa, Calotropis procera*, *Ceiba pentandra, Cocos nucifera, Crotalaria juncea and Gossypium herbaceum etc.*

Key words- Ethno botanical plants, Dhar district, fibres, tribal people, Madhya Pradesh.

Introduction - Dhar district is situated in the south-western part of Madhya Pradesh, India. The study area lies between 22º oo' to 23º 10' Northern latitude and 74º 28' to 75º 42' Eastern longitude. Covering 8153 Sq. Km study area and geographical area of 1214.8 Sq.km. Its population is 2184672 (Census 2011). Dhar The tribal people constitute over 83.93 percent of the population. The study area is mostly inhabited of tribal groups are *Bheel*, *Bhilala, Barela* and *Pateliya*. Majority of the population live in remote villages and depend on shifting cultivation and forest for their food, shelter and other requirements. The plant fibres are classified mainly on the basis of morphological nature, structure, origin and uses. Based on botanical origin, vegetable fibres are soft fibres or bast fibres, hard fibres or structural fibres and surface fibres. They are associated with vascular tissues such as phloem, pericycle and cortex. Bast fibres are jute, hemp, and flax etc. structural fibres primarily associated with monocotyledonous plants are shorter, lignified cells surrounding vascular tissue. The plant fibres are variable in characteristics with respect to strength, length, texture, durability, , plant part in which present, pigmentation, chemical composition, resistant to water etc. Fiber durability depends largely on the chemical nature of the deposits and location in plant tissue. The cellulose fibres such as cotton and ramie fibres are more durable than the lingo-cellulose fibres, jute and strength of fibres is mainly due to purity of cellulose, thickness of the cell wall and the clustering.

The present work was during to enumerated plant species reported to have fiber value, identify for collection, conservation and their utilization of national and international level. Literature survey of ethnobotanical work was done (Alawa, 2021,Alawa *et al*. 2016, Kamboj *et al*.1982, Srivastava 1984, Jain 1986, Jain 2004, Jadhav 2010, Islam 1984, Pandy *et al*. 2003). In the present study, most of the fibre plants were reported for the first time documented of the study area.

Materials and Methods - The present paper is outcome of extensive field survey of different tribal villages of Dhar district during 2019- 2021. The present paper provides information about ethno botanical fibre plants are 29 plant species belonging to 24 genera and 19 families, which were identified as used for fibres of the study area. Herbarium of the collected plants specimen was prepared following customary method (Jain and Rao, 1977). During field work, interviews were conducted with local knowledgeable villagers; local elders and experienced tribal peoples (both men and women) were interviewed and cross -interviewed and collected. The plants are enumerated arranged alphabetically according to their botanical name, vernacular names, family and uses. The plant specimens were collected and identified with local flora available literature (Varma *et al*. 1993, Mudgal *et al*. 1997 & Khanna *et al*. 2001,). Herbarium preserved in Department of Botany, PMB Gujarati Science College, Indore, Madhya Pradesh.

Enumeration of species - During ethno botanical survey of Dhar district it was found that some plants used for fibres by tribal people of the study area. Plant species are used for fibres. The enumeration of field observation is given below:-

1. ***Abelmoschus esculentus*** (L.) Moench, V.Ns.- Bhindi Bhinda, Fam. Malvaceae,
Uses:- Stem-bark is used bast fibres derived the fibres for making ropes and cordages.
2. ***Abelmoschus moschatus*** (L.) Medik., V.N.- Jangli bhindi, Fam. Malvaceae,
Uses;- Fibres are used also instrument made in to 'Gophan' and a pair of straps-called 'Jotri'.
3. ***Abutilon indicum*** (L.) Sweet, V.Ns.- Kanghi,Tara-kanchi. Fam. Malvaceae
Uses:- Stem bast fibres are used for making ropes, cordages and brushes.
4. ***Bambusa arundinacea*** (Retz.) Willd. V.Ns.- Bans, Tokri, Fam. Poaceae,
Uses:- Stem is used for making of huts, mats, baskets, house boundary. And bow & aero.
5. ***Bauhinia racemosa*** Lam. V.Ns.– Astara, Sengla, Fam. Caesalpiniaceae
Uses:- Wood fiber obtained from the stem is used for making ropes and cordages.
6. ***Bauhinia variegata*** L., V.Ns.-Kachnar, Kanchan, Fam. Caesalpiniaceae,
Uses:- Wood fiber obtained from the stem is used for making ropes and cordages.
7. ***Calotropis gigantea*** (L.) R.Br. V.Ns. Maddar, Akada Fam. Asclepiadaceae
Uses:- Fruits fibre is used for making diya light.
8. ***Calotropis procera*** (Ait.) R.Br. V.Ns. Akada, Maddar, Fam. Asclepiadaceae
Uses:- Fruits fibre is used for making diya light.
9. ***Butea monosperma*** (Lam.) Taub., V.Ns.-Palas, Khankro, Fam. Fabaceae,
Uses:- Bark and roots yield fiber for making ropes and prepare brush locally called "Kuchi".
10. ***Ceiba pentandra*** (L.) Gaertn. V.Ns.-Semal, Hemlo, Fam. Bombacaceae,
Uses:- Wood fiber obtained from the stem is used for making ropes and cordages.
11.***Cocos nucifera*** L. V.N.- Nariyal, Fam. Palmae
Uses:- Fruit fiber is used for making mats, cots and agriculture implements.
12. ***Cordia gharaf*** **(**Forssk.) Ehrenb. & Asch. V Ns.-Gondi, Gundi, Fam. Ehretiaceae,
Uses:- Wood fiber obtained from the stem is used for making ropes and cordages.
13. ***Crotalaria Juncea*** L., V.Ns.–Sann, Sanai, Fam. Fabaceae,
Uses:- Stem fibres is extracted are used for making cushions.
14.***Cryptolepis buchananii*** R.Br. V.Ns.–Seta kawali, Dudhibel, Fam.Periplocaceae,
Uses:- Stem fiber is used for making cordage.
15. ***Cyperus rotundus*** L. V.Ns.–Motha, Daungala, Fam. Cyperaceae,
Uses:- Stem fiber is used for making mats.
16. ***Gossypium herbaceum*** L. V.N. Kapas, Fam. Malvaceae
Uses:- Fruits fibre is used for making cushions and diya light.
17. ***Helicteres isora*** L. V.Ns.–Marorphali, Marodfali,.Fam. Sterculiaceae,
Uses:- Twigs are used for making mats.
18. ***Holoptelea integrifolia*** (Roxb.) Planch. V.Ns.–Mojar, Ohala, Fam. Ulmaceae,
Uses:- Wood fiber obtained from the stem is used for making ropes and cordages.
19. ***Quirivelia frutescens*** (L.) M.R. & S.M. V.Ns.–Dadhi, Kalidudhi, Fam. Apocynaceae,
Uses:- Stem bark is used of huts making ropes.
20. ***Lannea coromandelica*** (Houtt.) Merr. V.Ns.–Moyen, Moi, Fam. Anacardiaceae,
Uses:- The stem bark is used to house road branding and cereal wheat grasses binding.
21. ***Lantana Camara*** L. V.Ns.–Agria, Baramasi, Fam. Verbinaceae ,
Uses:- The tender branches are used for making on mats, roof and houses any Baskets.
22. ***Nyctanthes arbortristis*** L. V.Ns.-Harsinghar, Sirali, Fam. Oleaceae,
Uses:- The twigs are used for making huts, broom, basket, supra, mate and boundaries.
23. ***Phoenix sylvestris*** (L.) Roxb. V.Ns.- Khajur, Shindi, Fam. Arecaceae
Uses:- Leaves are used for making mats, brooms, baskets and for thatching purposes.
24. ***Pongamia pinnata*** (L.) Pierre, V.Ns.-Karanj, Kanji, Fam. Fabaceae
Uses:- The bast fiber obtained from the stem is used for making ropes and cordages.
25. ***Purgularia daemia*** (Forsk.) Chiov., V.Ns.- Utaran bel, Jangli fang, Fam. Asclepiadaceae,
Uses:- The bast fiber obtained from the stem is used for making ropes and cordages.
26. ***Tinospora cordifolia*** (Willd.) Miers. V.Ns.-Giloy,Gudwel, Fam.Menispermaceae,
Uses:- The stem is used for making ropes and cordages.
27. ***Ventilago denticulata*** Willd. V.Ns.-Ghurbel, Lal-bel, Fam. Rhamnaceae,
Uses:- Bark fiber is yields cordage.
28. ***Vitex negundo*** L. V.Ns. -Nirgudi, Shivari, Fam. Verbinaceae,
Uses:- Branches are used for making to baskets and brooms.
29. *Wattakaka volubilis* (L.f.) Stapf. V.Ns.–Kadwadodi, Padal-bel, Fam. Asclepiadaceae,
Uses:- Extract of bast fiber from the stem for making to ropes and cordages.

Results and Discussion - The result of the present study on ethno botanical plants used for fibres that the tribal people of Dhar district have very good knowledge of fibre plants

importance. Out of 29 plant species discussed above mentioned are used as enumerated. These fiber plants are prepared from stem, stem bark, wood, bast, root, leaves, branches, fruits, and young twings. Stem of 11 species; wood of 5 species; fruits, stem bark, twings and bast of 2 species; root, leaves and branches of each species are used as fibres.

Acknowledgement - The author is thankful to Dr. H.L. Fulware, Principal and Prof. Subhash Soni, Head of Botany Department, Govt. P.G.College, Dhar for their help and support. We are also thankful to Divisional forest officer, Dhar for help during the ethno botanical survey in tribal villages and forest areas of the district. We are thankfully acknowledging the informants for the important information giving regarding ethno botanical fibre plants.

References :-

1. Alawa K. Ethnobotanical plants used for anti-fertility by Tribal of Dhar district, Madhya pradesh, India. *Euro. Jour. of Bio.and Pharma. Sci.*, 2021; (8): 495-497.
2. Alawa KS and Ray Sudip. Ethnobotany: some wild vegetable plants used by tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, *Ind. Jou. Appli. and Pure Bio*. 2016; 31 (1): 65-69.
3. Islam M. Certain fibre yielding plants of north eastern region, J.Econ. Tax. Bot. 1984; (5) 767-783.
4. Jadhav D. Ethno medicinal plants used as antipyretic agents among the *Bhil* tribes of Ratlam District Madhya Pradesh. *Indian forester,* 2010; 136 (6): 843-846.
5. Jain SK. Ethnobotany interdisciplinary. Science review II, 1986; (3) 285-292.
6. Jain SK and Rao RR. *A Handbook of Field and Herbarium Methods*.Todays and Tomorrows Printers and Publishers, New Delhi, India, 1977.
7. Jain SP. Ethno-Medico-Botanical Survey of Dhar district Madhya Pradesh. *Journal of Non- Timber Forest products*, 2004; 11 (2): 152-157.
8. Singh NP, Khanna KK, Mudgal V and Dixit RD. .*Flora of Madhya Pradesh*. Vol III. BSI, Calcutta, India, 2001.
9. Mudgal V, Khanna KK, Hajra PK . *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. II.BSI. Calcutta, 1997.
10. Srivastava RK. Tribals of Madhya Pradesh and Forest Bill of 1980. *Man in India,* 1984; 64 (3): 320-321.
11. Verma DM, Balakrishan N, Dixit RD. *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. I, BSI, Calcutta, 1993.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Human Rights & Climate Change: Remedies of Environment Protection in World

Dr. B.K. Yadav*

***RNB Global University, Bikaner (Raj.) INDIA**

Introduction - The Climate change is already threatening people's guaranteed rights. It is affecting rights such as the rights to life and health, to food, water and housing. In the case of small island states it touches on the very right to exist. The number of climate-related lawsuits is rising worldwide – including in India, Nepal, Pakistan and Bangladesh. This article summarizes the links between human rights and climate change, comments on the implications and profiles some of the climate-related court cases.

The droughts that accompany global warming are affecting food security. Fluctuating precipitation and the salivation of lakes and rivers put drinking water supplies at risk. Extreme weather events pose a direct threat to life and health and destroy people's homes. Island states could be wiped out by rising sea levels. Climate change is thus having a direct and adverse impact on fundamental rights and Human Rights that are enshrined in international conventions and often also in national constitutions. Ten years ago the UN Human Rights Council (UNHRC) 1 was already noting that "climate change-related impacts have a range of implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of human rights.

In relation to climate change, human rights are relevant at two levels. Firstly, climate change mitigation measures must comply with human rights principles. Secondly, there are questions to be answered about the extent to which anthropogenic climate change is itself a breach of human rights. It is this issue that forms the focus of the present article.

The Climate change impacts, directly and indirectly, an array of internationally guaranteed human rights. States have an affirmative obligation to take effective measures to prevent and redress these climate impacts, and therefore, to mitigate climate change, and to ensure that all human beings have the necessary capacity to adapt to the climate crisis.

It is now generally agreed that human rights impose an obligation on states to not only respect these rights but also to protect and fulfill them. For human rights to be infringed, it is thus not necessary for the state itself to interfere with people's rights through its own actions: in principle an infringement can also occur if the state fails in its duty to protect people against infringements by third parties.

The UN's Guiding Principles on Business and Human Rights confirm that states have a duty to protect human rights against threats from economic actors, while economic actors have a duty to respect human rights. Furthermore, there is a right to compensation if human rights are infringed by the actions of economic actors.

In the case of climate change, which poses a direct threat to several human rights, the state therefore has a duty to take active steps to avert climate change. The state must as far as possible prevent adverse impacts on human rights and ensure that all people are enabled to adapt to climate change in the best possible way.

All States should be accountable to rights holders for their contributions to climate change including for failure to adequately regulate the emissions of businesses under their jurisdiction regardless of where such emissions or their harms actually occur."

Each case of climate change must be very carefully examined to determine which legal text contains the right that is being claimed, in what constellation it is applicable, who is obligated by it and whether legal action can be brought. Human rights are contained in various legal sources that take different forms. For example, the Universal Declaration of Human Rights is not legally binding. By contrast, basic rights and human rights that are enshrined in national constitutions – including in India's Basic Law– can be invoked before a court, as can the rights contained in the European Convention on Human Rights and the European Charter of Fundamental Rights. In the case of climate change, there is a further difficulty in the form of the extensive leeway that states have. When it comes to enforcing protective duties, the courts are extremely reluctant to determine that a right has been infringed: under the system of separation of powers, it is not for the courts to take policy decisions that are the

responsibility of the democratically legitimated legislature or the government. The courts therefore step in only when the measures that are taken are clearly inadequate. Does this mean that no further legal protection is accessible in connection with climate change? After all, by adopting the Framework Convention on Climate Change the states have committed themselves at international level to action on climate change, and most countries also have a national climate policy. It is not sufficient.

As emphasized by the United Nations Human Rights Council in its Resolution 26/27, climate change is an urgent global problem requiring a global solution. The Council called for international cooperation to implement the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2 in order to support national efforts for the realization of human rights affected by climate change related impact. The Council affirmed that "human rights obligations, standards and principles have the potential to inform and strengthen international, regional and national policymaking in the area of climate change, promoting policy coherence, legitimacy and sustainable outcomes.

In recognition of these facts, the Human Rights Council held a full-day panel discussion on human rights and climate change on 6 March 2015. The discussion addressed challenges posed by climate change towards the realization of all human rights for everyone, particularly those in vulnerable situations, and the adverse impacts of climate change on States' efforts to progressively realize the right to food. Panelists, who included eminent speakers representing United Nations Member States, intergovernmental organizations, civil society and academia, recommended forward-looking rights-based solutions to address climate change.

This submission to the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change is an outcome of the above-mentioned panel discussion that is complemented by human rights commentary and analysis. It is intended to inform climate action and policy at all levels including the work of the Conference of the Parties to the UNFCCC (COP) and to further elucidate the critical links between human rights and climate change identified by panelists. The Panelists highlighted a number of human rights challenges resulting from or exacerbated by climate change as well as efforts to mitigate and adapt to it. They stressed the importance of ensuring transparency and participation, especially of those most affected, in all climate-change.

They made an unequivocal call for integration of human rights in COP 21 (2015 Paris) and highlighted the impacts of climate change on the enjoyment of human rights. Panelists' comments inform the structure of this document which begins with a background discussion of the human rights implications of climate change and the global discourse so far. It then proceeds to elaborate upon the legal basis of specific human rights affected by climate change, the factual basis for alleged human rights violations caused by climate change, and recommendations for a rights-based approach to climate change.

Human rights are universal legal guarantees that protect individuals, groups and peoples against actions and omissions that interfere with their fundamental freedoms and entitlements. Human rights law obliges governments (principally) and other duty-bearers to respect, promote, protect and fulfill all human rights. Human rights are universal and are based on the inherent dignity and equal worth of all human beings. They are equal, indivisible, interrelated and interdependent, and cannot be waived or taken away. Furthermore, human rights (HR) 3 are legally protected, and impose obligations in relation to actions and omissions, particularly of States and State actors.

It is now beyond dispute that climate change caused by human activity has negative impacts on the full enjoyment of human rights. Climate change has profound impacts on a wide variety of human rights, including the rights to life, self-determination, development, food, health, water and sanitation and housing. The human rights framework also requires that global efforts to mitigate and adapt to climate change should be guided by relevant human rights norms and principles including the rights to participation and information, transparency, accountability, equity, and nondiscrimination.

Simply put, climate change is a human rights problem and the human rights framework must be part of the solution. The Fifth Assessment Report (AR5) by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)4 unequivocally states that "human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of green-house gases are the highest in history. It notes that "recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems.

Human rights based approach addresses cross cutting social, cultural, political and economic problems, while empowering persons, groups and peoples, especially those in vulnerable situations. This can make considerable contributions to climate change policies, making them less myopic and more responsive, sensitive, and collaborative. All the States are obligated to respect, protect, promote, and fulfill all human rights for all people. This includes an affirmative obligation to prevent foreseeable harms including those caused by climate change. The UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)5, and the UN Declaration on the Right to Development all make clear that State human rights obligations require both individual action and international cooperation.

According to the Universal Declaration of Human Rights everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms therein can be fully realized and everyone has duties to the community. Similarly, the

ICCESCR declares that States should "take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of their available resources, with a view to achieving progressively the full realization of rights recognized in the present Covenant".

The Declaration on the Right to Development further calls on States to establish through their individual and collective actions, national and international conditions favorable to the realization of the right to development and all human rights including through international cooperation to provide developing countries "with appropriate means and facilities to foster their comprehensive development".

It also emphasizes that "all human beings have a responsibility for development, individually and collectively and they should therefore promote and protect an appropriate political, social and economic order for development".

The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)6 and other human rights instruments make it clear that all persons who suffer human rights harms are entitled to access to effective remedy. The Human Rights Council panel repeatedly called for climate justice and immediate action to mitigate and adapt to climate change.

The principle of equity, including intergenerational equity, is also specifically recognized in the UNFCCC which calls for all parties to "protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities". In spite of the above, State commitments under the UNFCCC have so far failed to provide for and ensure the implementation of adequate mitigation and adaptation measures to limit climate change and its adverse effects on human rights, the economy, public health and the environment.

The UNFCCC is a framework convention and it is open to evolution and continuing negotiations. There is a high degree of hope that the agreement negotiated at COP21 in Paris and any subsequent agreements will raise the level of ambition of climate action in order to protect human rights from the adverse effects of climate change. In these negotiations and throughout related processes, the human rights principles of transparency, participation and accountability have an important role to play. The Participation is a basic human right in itself, and a precondition or catalyst for the realization and enjoyment of other human rights.

Affected individuals and communities must participate, without discrimination, in the design and implementation of these projects. They must have access to due process and to remedy if their rights are violated. During the panel discussions, the importance of a rights-based approach to climate change was raised frequently.

These factors are essential in supporting developing countries, including through finance and technology. According to Mary Robinson, a human rights based approach to development should focus on fulfilling for all persons the minimum conditions necessary for a life of human dignity. Faced with climate change, persons in vulnerable situations must have their rights protected, obtain access to measures of adaptation and resilience, and receive the support of the international community. A rights-based response should also maximize inclusion, participation and equality.

Critically, it is not enough to simply focus on ensuring that climate actions respect human rights. A rights-based approach requires States to take affirmative action's to respect, protect, promote and fulfill all human rights for all persons. Failure to prevent foreseeable human rights harms caused by climate change, or at the very least to mobilize maximum available resources in an effort to do so, constitutes a breach of this obligation. Human rights obligations apply to the goals and commitments of States in the area of climate change and require that climate actions should focus on protecting the rights of all those vulnerable to climate change starting with those most affected.

Human rights principles articulated in the Declaration on the Right to Development and other instruments call for such climate action to be both individual and collective and for it to benefit all persons, particularly the most marginalized. The UNFCCC further elaborates upon the need for equitable climate action calling for States to address climate change in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities in order to benefit present and future generations. State commitments therefore require international cooperation, including financial, technological and capacity-building support, to realize low-carbon, climate-resilient, and sustainable development, while also rapidly reducing greenhouse gas emissions.

Only by integrating human rights in climate actions and policies, and empowering people to participate in policy formulation, can States promote sustainability and ensure the accountability of all duty-bearers for their actions. This, in turn, will promote consistency, policy coherence and the enjoyment of all human rights.

The relationship between climate change and the enjoyment of human rights is both too complex and too vast to fully describe here. Instead, this Part focuses on specific examples referred to by panelists during the March 2015 discussion at the Human Rights Council. In this context, it is critical to remember that although specific rights may be discussed separately, all human rights are universal, inalienable, indivisible, interdependent and interconnected. A preventable violation of one right can have far-reaching consequences for other, and in some instances, all human rights.

The Human Rights are most affected by climate change

The Right to life - According to the Universal Declaration of Human Rights "everyone has the right to life, liberty and security of person." The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)7 reiterates that "every human being has the inherent right to life." All States have committed to respect, protect, promote, and fulfil the right to life. This entails, at the very least, that States should take effective measures against foreseeable and preventable loss of life. Climate change kills through drought, increased heat, expanding disease vectors and a myriad of other ways. According to a report by the Climate Vulnerable Forum and DARA International, climate change is already responsible for approximately 400,000 deaths per year and that number is expected to rise to 700,00 by 2030.21 In order to uphold the right to life, States must take effective measures to mitigate and adapt to climate change and prevent foreseeable loss of life.

The right to self-determination - Article 1 of the UN Charter calls for respect of the self-determination of peoples. Further, Common Article 1 of the ICCPR and the ICESCR states that "all peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development." States must respect the right to self-determination of all peoples and ensure that they have the necessary resources to provide for themselves. Climate change not only poses a threat to the lives of individuals; but also to their ways of life and livelihoods, and to the survival of entire peoples.

Small Island Developing States and Least Developed Countries have identified even warming of 1.5°C as a "serious threat" to their continued existence. These views are supported by the IPCC in its review of the effects of rising sea-levels on "coastal systems and low-lying areas."

According to a recent report by a group of United Nations Special Reporters, climate change challenges the ability of peoples in small island states to "continue to live on their traditional territory, and… to enjoy and exercise their right to self-determination". States are obliged to take adequate measures to guarantee the rights of all peoples to self-determination in the face of the looming threat posed by climate change but they have so far failed to do so.

The Declaration underscores that people must be the central subjects, active participants, and beneficiaries of development. It articulates that all States and all persons have responsibilities for development and States should work individually and collectively to create an internationally enabling environment for development in which the benefits of development are equitably shared by all. In particular, States should take steps individually and collectively to guarantee all persons the ability to enjoy economic, social, cultural and political development. Climate change poses an existential threat to people's enjoyment of their right to development.

For these reasons, the right to development was the subject of marked emphasis during the panel discussions. Panelists agreed that the right to development should inform humanity's collective response to climate change.

The right to food - The right to food is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the ICESCR. Article 11 of the ICESCR upholds the "fundamental right of everyone to be free from hunger" and calls upon States acting individually and through international co-operation, "to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need."

As with all human rights, States must respect, protect, promote, and fulfil the human right to food. Further, States have committed to mobilize maximum available resources for the progressive realization of the right to food and all other rights contained in the ICESCR. According to the IPCC, climate change undermines food security; therefore, it threatens realization of the right to food.

The right to water and sanitation - Although the right to water is not explicitly recognized in the ICESCR, General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights articulates this right stating: "The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses."31 In its resolution 64/292, the General Assembly recognized "the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights."

According to the World Bank, climate impacts can "exacerbate the existing development challenge of ensuring that the educational needs of all children are met." 44 During the panel discussion, concerns were expressed that the right to education would be hampered by the transfer of funds earmarked for education to disaster relief budgets, or other adaptation measures. According to Mithika Mwenda, this is already transpiring as "funds earmarked for providing quality education to children arediverted to address climate-inspired disasters".

Failure to ensure fulfillment of the right to education and the diversion of funds from education not only violates this right but also has long term developmental consequences with substantial implications for the enjoyment of all rights by all.

The right to housing - According to Article 11 of the ICESCR all persons are entitled to an adequate standard of living for themselves and their families including adequate housing. The scope and application of the right to housing is elaborated upon in General Comment No. 4 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which states that "the human right to adequate housing is of central importance for the enjoyment of all economic, social and cultural rights." Like with all other economic, social and cultural rights, States are obliged to expend maximum available resources for the progressive realization of the right to housing for all persons.

Climate change threatens the right to housing in a number of ways. Extreme weather events can destroy homes displacing multitudes of people. Drought, erosion and flooding can gradually render territories inhabitable resulting in displacement and migration. Sea level rise threatens the very land upon which houses in low-lying areas are situated and is expected to "continue for centuries even if the global mean temperature is stabilized."

Migration with dignity would entail migration with the assurance of all human rights to all, including an adequate standard of living and the right to housing.

The rights of future generations - The rights of children are protected by the CRC but the rights of future generations (in the sense of generations yet unborn) are not formally recognised in this or other major human rights instruments. Nevertheless, a strong argument in favour of the rights of future generations can be made on the basis of the human rights principle of equity and a number of multi-lateral environmental agreements. The Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment stated that "defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind" and that "man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations".

Conclusion - The Climate change and responses to climate change will have a profound effect on the exercise of human rights for millions and perhaps billions of people across the world. It will occur through both direct impacts on humans and settlements, as well as through the degradation of the ecosystems and environmental resources upon which many lives & livelihoods depend. States have obligations to respect, protect, and fulfill human rights, and this includes obligations to mitigate domestic GHG emissions, protect citizens against the harmful effects of climate change, and ensure that responses to climate change do not result in human rights violations. The states have taken important steps towards fulfilling these obligations, there is more to be done. In particular, states need to increase their ambition with respect to both climate change mitigation and adaptation, &work cooperatively to ensure the protection of human rights for all citizens across the world.

References :-

1. UNHRC, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment,* UN Doc A/HRC/37/59 (2018).
2. UNHRC *Preliminary Rept* (2012), para. 14.
3. Analytical study on the promotion and protection of the rights of persons with disabilities in the context of climate change (April 2020)
4. The slow onset effects of climate change and human rights protection for cross-border migrants (March 2018)
5. Analytical study on gender-responsive climate action for the full and effective enjoyment of the rights of women (May 2019)
6. Summary of the panel discussion on women's rights and climate change: climate action, good practices and lessons learned (July 2019).

Footnotes:

1. UN Human Rights Council
2. United Nations Framework Convention on Climate Change
3. Human Rights
4. Inter governmental Panel on Climate Change
5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
6. International Covenant of Civil and Political Rights

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Good Governance in the Private Universites: Rajasthan

Dr. B.K. Yadav*

*RNB Global University, Bikaner (Raj.) INDIA

Introduction - This Article describes a good governance architecture framework that would bring significant improvements in the overall working of private university in a well-structured and systematic way. The good governance framework is articulated with seven basic principles which are performance, transparency, accountability, participation, leadership, consensus orientation and fairness.

The principles are structured with the good governance practices which relate to performing well for the assigned goals and objectives, promoting values for the organization, making well-informed and transparent decisions, focusing on the organization's goal and outcomes, capacity building and managing risks effectively. These principles and suggested practices in the framework would become tools for developing an improvement strategy so as to help in the smooth operation and efficient management of the institution concerned.

The developed system would bring about significant improvement in the teaching–learning activity as well as in the quality of education. It would also enhance the efficiency, effectiveness and overall performance of the institutional management which is crucial to the continuous development of the institution concerned. Thus, the proposed good governance framework when implemented in university would improve the quality of education and also increase its accessibility in a well-organized and structured way.

Governance- In this article the focus is on institutional governance in higher education, in particular, the nature of good governance. Good governance is a useful starting point is to discuss what governance is and is not. Governance is a process whereby societies or organizations make their important decisions, determine whom they involve in the process and how they render account. Because processes in their view are hard to observe .The normal focus in studies on governance is on the governance system or framework upon which the process rests - that is, the agreements, procedures, conventions or policies that define who gets power, how decisions are taken and how accountability is rendered.

The terms government and governance are frequently used interchangeably to refer to the authority in organization, institution, or state. Government is also a term that refers to the entity that organizes the power of government within a country. The term governance has actually been known in the administrative and political literature since Woodrow Wilson introduced this field of study, approximately 125 years ago. However, governance has been, thus far, used only in the context of managing corporate organizations and higher education institutions. Governance in a variety of organization, public or private, non-profit or for-profit, sector and industry, depends on the characteristic of each organization.

University governance is defined as constitutional forms and processes when universities regulate their own affairs. Governance is the way in which authority is used by an organization in allocating and managing it resources. Governance involves policies and procedures for decision making and control in directing or managing organizations for effectiveness. This refers to practices that require oversight, control, disclosure, and transparency and to the university's structure, delegation and decision-making, planning, organizational coherence and direction'

A robust system of governance is vital in order to enable organizations to operate effectively and to discharge their responsibilities as regards transparency and accountability to those they serve. Given their pivotal role in society and in national economic and social development, as well as their heavy reliance on public as well as private funding, good governance is particularly important in the case of the universities.

Government implies the notion that only politicians and government regulate, do things, and provide services, while the rest of "us" are passive recipients. In the mean time, the term governance fuses the differences between "the government" and "the governed", as we are all part of the governance process. In other words, the concept of governance contains the elements of democracy, justice, transparency, rule of law, participation, and partnership. Probably, the definition formulated by IIAS is the one

precisely depicts the notion: "the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development."

Good governance requires 8 basic characteristics: participation, consensus orientation, accountability, transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, equity, inclusiveness, and rule of law. If implemented ideally, this concept is expected to ensure a reduction in the levels of corruption, the opinion of minorities are taken into account and the voices of the weakest elements in the society are heard in the decision making process. It also responsive to both the present and future needs of the society. It is the ideal concept. The following is a brief description about each characteristic.

Implementation: The needs of higher education services which is increasing every year make the capacity of higher education services organized by the government is no longer able to accommodate all prospective students so that they come the private universities to meet those needs. It makes the competition among private universities in Rajasthan is increasingly stringent. The issue of good corporate governance is growing rapidly around the world over the past ten years. Good corporate governance is necessary to maintain the viability of the company through a management system based on five principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The implementation of the Good Corporate Governance concept in Universities which is more appropriately called with good university governance is expected to increase the added value for all concerned parties (stakeholders). Good Corporate Governance Practices in Private Universities has not been widely applied in the management of higher education in Rajasthan. There are many cases in which conflicts between shareholder (principal) and Leaders (agent) in the private university have resulted in huge costs (agency cost) that can reduce the ability of the private universities in improving the quality of higher education. The quality is the main focus of all undertaken educational process as a consequence of a vision that has been set.

The academic quality improvement involves four things. The first is improving the quality of inputs. The second is improving the quality of the learning process and curriculum. The third is improving the quality of output. The fourth is improving human resource quality and supporting facilities. Based on the above governance structure, the involved stakeholders in the provision of education in private universities can be grouped into the internal and external structure of governance. Rector of the University or Institute, Chairman of the College, Dean is considered internal structure, while the Foundation and stakeholder are considered as an external structure.

The status of non-active can be activated if the university has already met regulatory or requirements of the implementation of colleges that are applied by the Directorate General of Ministry of Research, Technology and Higher Education, and legislation of education in general.

In this study selected five major best private universities in Rajasthan, namely Tantia University, Sriganganagar, Jaipur National University,Jaipur, Jodhpur National University,Jodhpur,Jayoti VidyapeethWomen's University,and JK Lakshmipat University to examine the implementation of the Good University Governance in Private Higher Education to improve the quality of education. The heights gained by the Tantia Group bear testimony to his tireless efforts, indomitable will, and strong sense of commitment to his ideals and goals. Among the finest Colleges in the city, Tantia University , Sri Ganganagar-Rajasthan is known for offering excellent patient care. The clinic is located centrally near Sri Ganganagar Railway Station, a prominent locality in the city. It stands close to Near Ricco Bus Stand which not only makes it convenient for people from the vicinity to consult the doctor but also for those from other neighborhoods to seek medical guidance. There is no dearth of public modes of transport to reach the clinic from all major areas of the city.

Tantia University, Sri Ganganagar-Rajasthan has a well-equipped clinic with all the modern equipment. The clinic has separate waiting and consultation areas which allow enough space for patients to wait conveniently at the clinic. Being specialized Colleges, the doctor offers a number of medical services. The clinic is operational between 09:00 - 17:00. Payments can be made via various modes like Cash, Debit Cards, Cheques, Credit Card.

Jaipur National University was founded in 2007 located in Jaipur. It has more than 7000 students and around 600 faculty members.

All the technical and professional programmes are approved by various regulatory bodies .

The focus is not just on education alone, but also on the development of key skills required to confront the challenges of life. We believe in complete education, enabling the students to think logically, judge critically & communicate clearly. Jaipur National University has an independent Placement Cell to facilitate campus placements and jobs for the students. The Placement Cell also imparts training in soft-skills, personality development, written and oral skills, and employment trends in both public and corporate sectors.

Jodhpur National University (JNU), Rajasthan was established in 2008. The university is located in Jodhpur, Rajasthan. Jodhpur National University is approved by AICTE, UGC[4], DCI, and BCI. The university has an international collaboration with Nanzing Global Education Group- Singapore. The motto of the University is "Future is not a gift, it is an achievement".

Jodhpur National University (JNU) is a state private

university situated in the suburbs of Jodhpur, Rajasthan. The university was established in the year 2008.JNU has a 4-tier educational process: i.e. Research, postgraduate courses, undergraduate courses, P.G. diploma and certificate courses in the field of Engineering, Technology, Management, Pharmacy, Law, Computer Applications, Applied Science and education sectors.

The main objective of the University is to provide the state of the art education at the doorsteps of the prospective student community for which earlier they have to travel far distances and for this reason scores of bright students could not peruse higher and technical education. Jodhpur National University received an award for educational excellence in Indo-Global Education Expo & Summit 2014 organized by The Indus Foundation Inc. (USA) in association with the Government of Telangana.

.Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur was established by Rajasthan State Legislature **in 2008**. JV is known as Women's University and has been accredited A by NAAC[5]. University offers both regular and part-time courses to its students. The university offers **more than 120 programmes** in both Hindi and English. JV campus is a residential campus, providing hostel accommodation to its students. ideas. Here, tradition and innovation blend seamlessly to provide students a perfect & safe atmosphere to live and study.

JK Lakshmipat University (JKLU), Jaipur was established in the recognised by the University Grants Commission (UGC) under section 22 of the UGC Act 1956. JK Lakshmipat University offers undergraduate (B.Tech, BBA, B.Des), postgraduate (M.Tech, MBA) and doctoral (Ph.D) courses.

JK Lakshmipat University (JKLU) is located at Jaipur, Rajasthan. It was ranked at 10th position (North India) in Business World's region-wise ranking of private universities. The University is recognized by Government of Rajasthan, UGC and is also a member of AIU. It was ranked 49th for Private Engineering by India Today in 2019. It offers undergraduate, postgraduate and doctoral level full-time programmes in varied fields such as Engineering and Technology, Design and Management. It also offers certificate programme**.** higher education institution. We help our students perceive learning as a continuous process and to become future-JK Lakshmipat University is a non-profit private higher-education institution located in the urban setting of the metropolis of Jaipur (population range of 1,000,000-5,000,000 inhabitants), Rajasthan. Officially recognized by the University Grants Commission of India, JK Lakshmipat University (JKLU) is a coeducational Indian higher education institution. JK Lakshmipat University (JKLU) offers courses and programs leading to officially recognized higher education degrees such as bachelor degrees, master degrees, and doctorate degrees in several areas of study. This 11years old Indian higher-education institution has a selective admission policy based on entrance examinations and students' past academic record and grades. International applicants are eligible to apply for enrollment. JKLU also provides several academic and non-academic facilities and services to students including a library, housing, sports facilities, financial aids and/or scholarships, study abroad and exchange programs, as well as administrative services.

There are various other universities in Rajasthan. As per my opinion, these are the good universities in Rajasthan.

Quality Guidelines – Individual Analysis - The UNESCO[6] guidelines identify five stakeholders in quality assurance and address their involvement in cross-border education: government/sub-national bodies, higher education institutions, the student body, quality assurance agencies, academic recognition bodies and professional bodies.

The institutions have a significant role in human resource development and capacity building of individuals, to cater to the needs of the economy, society and the country as a whole thereby contributing to the development of the nation (NAAC, 2007, p. 12). On the institutional level, however, the institutional leadership function, which is not defined – it should provide the clear vision and mission to the institution.

The Rule of Law Good governance requires a legal framework or the laws and regulations enforced comprehensively. It also requires full protection of human rights, particularly for minorities. The process of an impartial law enforcement calls for an independent judiciary, and the police are also unbiased and uncorrupt.

Transparency means that the decision-making and implementation are performed in a manner which is followed by the laws and regulations. It also means that information is freely available and can be accessed directly by those who will be affected by the decision. The information provided must be in the form of media and easy to understand.

Responsiveness Good governance requires that institutions and processes which are trying to serve all stakeholders within a certain time frame accordingly.

Consensus Oriented There is more than one actor and many viewpoints in a community. Good governance requires mediation of the different interests in society to achieve a consensus in the community that becomes an interest or the best decision that can be achieved for the whole community.

Equity and Inclusiveness The existence of a society depends on the process to ensure that all its members feel that they have an interest in it. In addition, they do not feel excluded from the mainstream of society. It is required that all groups, especially the most vulnerable group have opportunities to improve or maintain their existence.

Effectiveness and Efficiency of Good governance means that the output of the entire process and the targeted institutions or in accordance with the needs of society efficiently utilizes the resources. The concept of efficiency

in the context of good governance also covers the use of natural resources by taking into account sustainability and environmental protection.

Accountability is one of the main requirements of good governance. Public and stakeholders must recognize not only governmental institutions but also the private sector and civil society organizations. Generally, an organization or institution is responsible to the parties that are affected by the actions or decisions.

The aspects of justice and equality have an indicator that the level of equality of rights and the level of fulfillment of the right fairly. One of the examples of the application of environmental justice and equality aspects in the private universities are recruitment staffs and leaders based on their competence and track record and is not based on like and dislike or nepotism. The system of recruitment and the procedures has a clear standard or criteria. The recruitment process is transparent and provides opportunities for all those who have competence.

Another example is the application of merit system in the provision of incentives and dis-incentives) right. Performance assessment system on the duties and responsibilities based on merit is right in which the parties need to know the value in the assessment criteria so that the assessment of performance should be transparent. Equal treatments on the entire academic community can be applied to meet the justice and equality aspects of the university. Relationships among employees should also be maintained, namely by avoiding discriminatory practice regardless of age, ethnicity, race, religion and gender.

Remuneration systems need to be determined with a mechanism of reward and punishment for all employees. Besides, regularly the survey as an evaluation for employees needs to be conducted. The dimension which has the smallest loading factor in building relationships with the implementation of good university governance is accountability aspect. Dimensions of accountability have indicator that is the level of clarity of function and quality of managers of foundations and accountability mechanisms. The results showed a small factor loading is because the object of study is universities in which the foundation and the director have run the corresponding function of each authority so that the respondent's answer does not vary.

Transparency or openness is a basic prerequisite to support their participation and ensure accountability of institutions. Participation process requires the availability of adequate information and services for all stakeholders in accessing the information. In addition, the transparency allows all stakeholders to be able to monitor and evaluate the performance of the institution.

Regarding budget or finance, transparency has become very urgent. However, this transparency should not only in terms of budget but all the dynamics that occur in the dynamics of the university.

Conclusion - Transparency in universities has the highest value, which relates to the existence of e-complaints (the means of complaint being electronic) where 100% of the universities studied have implemented it. The existence of complaints made against all of the actors of good university governance makes them feel supervised, so they will be effective in going about their activities. It will also minimize wrong decisions or subjectivity because of the openness in decision-making. Material and relevant information is always based on the recommendations or opinion of the party who is the owner of authority and responsibility. This depends on what decision is being undertaken.

It shows the clarity of the mission and the objectives of private universities that are in line with the mandate of the government (the community) and the organizers. The establishment permit of universities, the implementation of the study program and the achievement of the performance indicators which are presented in the strategic plan and the budget work plan has a 100% score, in the sense that all of the universities looked at in this study have done very well. Relating to accountability (accountability), the universities studied already have a clear function and level of responsibility, so university management is effective in the sense that it has met the indicator of being a credible university.

The lowest score of accountability was in the annual academic report and the annual financial report, which was audited by a public accountant and announced to the public. This had a very small score (20%) compared to the others. This means that in India, even in private companies (other than public companies and SOEs), the companies rarely publish their financial statements to the public unless there is a specific purpose. Similarly, private universities have been doing this as well.

Responsibility (responsibility) is the suitability of university management to the applicable laws and regulations. It also relates to the principles of healthy university management. It is shown that the elaboration of the position, functions and tasks, responsibilities and the authority of each organizational unit is poured through statutes, the job description and the standards of procedure (SOP) which are clearly stated in the statute. The CSR[11] scholarship grant to students was poured into the Statute as well. This condition got a 100% response, so this means that all of the universities under study have implemented it.

Good governance in terms of independence is the professional management of universities without influence or pressure from any party. This principle requires the university to be professionally managed without any conflict of interest and without the pressure or intervention of any party which is not in accordance with the applicable regulations.

Fairness in a good governance in principle demands fair treatment when fulfilling the rights of the stakeholders in accordance with laws and regulations. It is expected that fairness can be a driving factor that can monitor and provide

a guarantee of fair treatment among and involving the various interests of the company.

When examined as a whole, good university governance in the universities studied, working from the five indicators of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, the highest composition that was generally implemented was that responsibility was very good (94%), the second rank was transparency (82%), the third was accountability (81%), the fourth rank was fairness (79%) and the fifth was independency (69%). Meanwhile, the university overall entered into the good category, with an average of 81%. This composition implies that the college academic senate has always controlled the Rector, the Dean and the internal auditors at the University in order to perform the external audit effectively and to carry out the performance accountability of each activity. They also have e-complaints, but only a single tuition has not gone effectively.

From the financial side, with the implementation of university governance, it consistently will improve the quality of financial statements, and the students will increase the quality of their work because the lecturers and all stakeholders have improved their performance. So, they will collaborate better with each other. The output or number of graduate student quality will be better, so this will promote the addition of students. Automatically by this, the universities' finances will be better.

In addition, management tends not to do any fabrication in relation to the accountability reports, because of the obligation to comply with the various rules and principles of accounting and the presentation of information in a transparent manner.

It is recommended to optimize the implementation of transparency through e-complaints.

The description of the position, functions, duties, responsibilities and authority of each organizational unit is poured through the Statute.

The job description and SOP is clearly stated, but it should be more optimized in its implementation in the universities. For other Universities that have a "B" accreditation, this research result could be a source of motivation in order to increase accreditation to "A".

References :-

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,Bandung: Alfabeta,2009.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.

Footnote:

1. All India Council of Technical Education
2. National Council of Teacher Education
3. Bar Council of India
4. University Grants Commission
5. National Assessment and Accreditation Council
6. Personal Advice and Opinion of Author

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Children of Migrant Labours: Education, Livelihood & Rights

Dr. B.K. Yadav*

***RNB Global University, Bikaner (Raj.) INDIA**

Introduction - The circumstances of children at migrant work sites, experiencing the same difficult living conditions that their parents endure, and those of children left behind in villages when their parents migrate for work, have both raised concern among policy makers and those who study short term labour migration.Despite this concern, quantitative analysis about the children of migrants is rare. Many studies of short term migration in India are qualitative, and quantitative work tends to focus on the migration of adults.

The data were collected along the borders of Rajasthan, Bihar, U P ,W.B ,and Gujarat, in a very poor, tribal region that has high rates of short term migration. The survey included questions about children in the households, which permitted the construction of a data set of children aged 0 to 13 years old. The literature has established that short term labour migrants and their children are a vulnerable group in need of public policy attention. However, there has been little quantitative analysis to shed light on the particular ways in which the children of migrant workers are vulnerable.

This article makes two primary contributions. First, although we might expect the children of migrant workers to be engaged in work alongside their parents, the data from this survey show surprisingly little paid or unpaid labour among children who accompany adults. Second, descriptive statistics and regression analysis show that children who migrate with their parents face important educational disadvantages compared to children who do not migrate.

The results of this analysis suggest that expanded implementation of a government employment program may help mitigate this effect. Many authors write about how children of migrants experience family disruption and must bear additional responsibilities. Many authors have suggested that children of migrant labourers sometimes work alongside their parents.

Livelihoods - There are three main sources of income among households in the sample—agricultural income, income from migrant work, and wages from the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)1, a government sponsored public employment program. Local labour work in private markets, while sometimes available, is not a primary source of income for most households. Almost all households own and farm small plots of land.

There are three main agricultural seasons in this region: monsoon (July-October), winter (November-February) and summer (March-June). Agriculture is predominantly rain fed; the main growing season is during the monsoon. Corn is planted during the monsoon for home consumption, and the fodder from the corn is saved for feeding animals. Approximately half of households have irrigation, which allows them to plant crops, mainly wheat, during the winter. Crops are rarely grown during the summer. Approximately three quarters of households reported that the 2009 growing season had particularly poor crop yields compared to other years, probably due to drought, to which the area is prone. Migration is an important livelihood strategy, particularly in the summer season, when agriculture is unproductive.

As the Covid-19-induced migration threatens to multiply the enrolment-attendance mismatch and increase the number of out-of-school children, India needs to steer effective policy from the files to the field. With the enactment of the Right to Education Act in 2009, authorities are obliged to guarantee the schooling of children from migrant families. Yet, estimates from Census 2011 throw light on the massive challenge at hand—to ensure children from around 10.7 million households in rural India that practice seasonal migration complete elementary education. The three states of Bihar, Rajasthan and Uttar Pradesh account for half of the 12.82 million children who have never enrolled in schools; and eight states—Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal account for two-thirds of the 35.62 million children who have dropped out.

Interestingly, these states also account for 80% of the children who are enrolled but not attending school. One factor common to these states is migration. Migrant children are disadvantaged in terms of enrolling and attending school, and are at a lower grade for their age with the disparity deepening with age progression. These children

are also more prone to abuse and health risks, and is likely to be out of school, dropping out to supplement household incomes. Research corroborates the lower educational attainment in high out-migration districts.

The unintended consequence of the current pandemic is that due to the lockdown, the public eye finally shifted its gaze to those who have been living on the margins. Over 40 million internal migrants have been impacted. A survey across 18 states reveals 46.2% of migrant children have discontinued their education. Exacerbated by the digital divide and loss in regular incomes, Covid-19 could cause a massive spike in child labour, undoing decades of progress.

Delving into policy documents dating back to early Five-Year Plans provides an array of possible solutions for migrant children, ranging from flexible schooling days/ instructional hours, open schools, seasonal schools in destination areas, residential schools in source areas, to even providing teaching volunteers who move with migrating families! Policies envisioned the creation of Integrated Child Development Service (ICDS) 2 centers at arrival points (bus or train stations) to facilitate health check-ups and educational tracking. The recent Samagra Shiksha guidelines highlight the major role of local governance and community engagement in universalizing education.

A digital repository of a child's schooling/learning information may be consistently captured and maintained. This will prove especially useful for the ICDS centres at arrival points as well as schools and local governments in destination areas, serving as a gateway for requisite inter-state and inter-departmental (education, health, welfare, police, labour, etc.) collaboration. Further, it can facilitate effective profiling to understand the nature of migration (permanent vs. seasonal migration, etc.) and tailor suitable solutions. In fact, this measure will help augment efforts such as Karnataka's "Migrated children and Children of migrated daily wagers Right for Free and Compulsory Education Policy 2019(RTE) which focuses on movement registers and a student-achievement tracking system.

Third, dedicated action must be taken to converge multiple stakeholders. Students must be oriented to the destination education system and provided requisite support including counseling; parents must be informed of the returns to education through large-scale awareness programs and targeted home visits; teachers should be trained for diverse classes; schools must be designed for inclusivity; School Management Committees should enable the integration of migrant families; Panchayati Raj Institutions and local governments must drive the overall planning processes; and at higher levels of governance, systems of regular monitoring, review, coordination and accountability should be in place.

The first major serious attempt made by India to bring the vast numbers of out of school children under the purview of the formal education system was the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009. The path in this direction began with the 86th Amendment Act, 2002 which made three specific provisions in the Constitution to facilitate the realization of free and compulsory education to children between the ages of six and fourteen years as a fundamental right.

These were (i) adding Article 21A in Part III (fundamental rights), (ii) modifying Article 45, and (iii) adding a new clause (k) under Article 51A (fundamental duties), making the parent or guardian responsible for providing opportunities for education to their children between six and fourteen years. After much indecisiveness reflected through long drawn out discussions and debates for almost seven years subsequent to the 86th Amendment to the Constitution, the RTE Act 2009 received presidential assent on 26 August 2009, taking forward the agenda for free and compulsory education.

The RTE Act, 2009 reads: Every child in the age group 6 to 14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till completion of elementary education. However, there remain major ambiguities and lacunae in the Act which fails to fulfil the requirement of achieving universal education for all. Owing to the lack of specific consideration, certain categories of children remain outside the purview of the Act.

One such segment is children of migrant construction workers who move along construction sites with their families. Interestingly, even though some of these children may be enrolled in their native village school, they have no access to education and remain absent for long periods of time and eventually drop out.

Hence, the children of these 'footloose labourers' remain deprived of their basic right to education. Though the RTE5 Act, 2009 includes the provision that - "if the child is required to move from one school to another such child shall have a right to seek transfer to any other school," this is not feasible as an option, especially taking this category into consideration, owing to the following constraints:

The migration workers generally stay at the site of the work along with their family for limited periods of time varying from three to six months and then move to another construction site. In this field the general pattern of migration is that "women and children have always featured as 'associated' migrants with the main decision to migrate having been taken by the male of the household" (Pandit et al. 2011, p.16).

1. Migration has no connection with academic calendars of school education and can happen any time depending on the needs of the profession.
2. Frequency of migration varies on a large scale based on the skill sets of parents and their requirement at the sites of construction.
3. Geographic scope of migration for the construction workers vary widely and can be intra or inter-state in nature.

4. With increased mechanizations the work at the sites is restricted mostly to the male members. The women folk usually either stay at home or sometimes even work within the local community outside the construction site.

All these constraints contribute to manifold challenges; some of the major ones are as follows:

1. Mid-term admission of any child in any school becomes extremely difficult.
2. Since India is a multi-lingual country, the medium of instruction in most government schools is in the local language of the state. For example, in West Bengal, the medium of instruction is Bengali while in Maharashtra, it is Marathi. Therefore, language for imparting education is a barrier, especially in the case of children of the inter-state migrants.
3. Owing to the absence of extended family as a social unit escorting the children to school and ensuring regular attendance is problematic.

Role and responsibilities of each stakeholder:

Children: The primary stakeholder the children will be at the nucleus of the program and the roles and responsibilities of the different actors in the program will be determined and formulated keeping in perspective their well-being and best interest. As shall be seen later, the program has been developed in such a manner that the children have also been given a voice to participate in various forums and put forward their ideas and grievances.

Government of India: Presently the Factories Act, 1948(FA) 6 provides a crèche facility in every factory wherein more than 30 women workers are ordinarily employed. It further requires the provision and maintenance of "a suitable room or rooms for the use of children under the age of six years of such women." Similarly, it is recommended to incorporate an amendment within the Act which states that, wherever more than 30 construction workers are employed in a project and there is a minimum of ten children between the ages of six and fourteen years who are not attending any school, a provision must be made for a room which can be used as a classroom, having the required infrastructure and regular maintenance.

To form an Academic Committee and establishing their powers and responsibilities:

1. To compose an Academic Committee at national and state levels encompassing a minimum of five members including academicians, Information and Communication Technology (ICT) experts, nominated or elected members of builders and construction industry and other members as per Government of India rules and norms.
2. To create an awareness programme through various forms of mass media before launching the programme to ensure its effectiveness and encouraging members of civil society and different non-governmental organizations to inform the Committee about the number of children currently present at the site for further intervention on the part of the state to start Anakuran.
3. To make available the Government of India approved primary and middle school curriculum, in the form of virtual media with the aid of computer, compact discs (CDs) 7 and digital versatile discs (DVDs)8.

Education has always secured respect from society. In order to ensure a comfortable lifestyle, people should educate themselves and obtain a well-paid job to be successful and satisfied. It helps gain a better reputation and increases the chances of climbing the career ladder more easily and faster. In turn, it provides financial resources for stable lives, people can afford to buy their own house or apartment and thus secure their children's happiness and success.

Furthermore, being able to own your own home provides stability and increases self-confidence. It leads to creating a positive environment for families and communities. "Children of homeowners are 116% more likely to graduate from college than children of renters of the same age, race, and income. They are also 25% more likely to graduate from high school and have higher math and reading scores, with fewer behavioral problems," according to research at the University of Tennessee.

One of the benefits of education is that the educational system teaches us how to obtain and develop critical and logical thinking and make independent decisions. When children become adults, they are faced with a lot of challenging issues of pay off your student loans, get a job, buy a car and a house, provide for your family, etc.

However, if one has spent years educating themselves, they should be able to make sound decisions on these various quandaries. Not only are people able to form their own opinions, but they are also good at finding solid and reliable arguments and evidence to back up and confirm their decisions.

Education is of key essence for modern society. One needs to learn about culture, history and other important aspects so that they would be able to contribute to modern society. Education molds people into leaders not only with knowledge about (college) subjects, but it also shows them how to lead with emotions and true values.

Educated people can easily differentiate between right and wrong, thus education helps reduce the crime rate. Bad events are happening around the world – only competent leaders can help guide us down a good and right path.

Education is the key to turn a weakness into strength. It offers different tools and ways to understand problems that lay ahead of us and helps resolve them. More importantly, education provides us with considerable mental agility to make the right decisions and spring into action when needed. Many types of research show that educated women can more easily stand up against gender bias and marital violence as they have improved their decision-

making capabilities.

Policy, practice and prospects for the migrant children of Indian: The seasonal migrant labor population of India is estimated by some migration scholars to be as high as 100 million. Labor migrants face barriers in accessing social services and settling permanently in urban areas and often prefer to keep their link with the village, especially during the agricultural season. As a result, they "circulate" between their village and various "destination areas" for labor work, spending significant portions of the year away from home.

While migration can open new economic possibilities for families, it also comes with high risks. These risks are disproportionately felt by the children of migrants who are often compelled to travel to worksites with their parents. Some have estimated that around six million school-aged children in India participate in family-based labor migration every year. Millions more are impacted indirectly, forced to take on most of the household responsibilities in their parent's absence.

Consider the case of the migratory hostel program run by *Sarva Shiksha Abhiyan* 9(SSA, "Education for All"), India's flagship program for universalizing elementary education. The idea is simple but effective: at the request of the local school, students who would otherwise be forced to migrate with their parents are allowed to stay in the primary school building for the six-month migration period. SSA provides for two wardens hired from the community, meals, and some basic supplies. The program is cost-effective because it uses facilities that are already available at the local school. Participants in the program benefit from the positive environment where they can focus on their studies and stay within the safety of their own village it was the main point of the study.

Unfortunately, due to a "change in priorities," the central government has decided to deny funding to Rajasthan's eighty migratory hostels for the upcoming year. Closing this program– a small component of SSA's10 budget will have deep repercussions for many vulnerable families in Rajasthan.

Evidence from my fieldwork in Southern Rajasthan, as well as a review of social protection strategies for migrants, shows that "source-based" intervention in the areas where migrants originate, like migratory hostels, are needed to prevent child migration and child labor.

The urban areas of central Gujarat have long been a popular destination for poor migrants from Scheduled Tribe (ST) communities living to the north and east in the states of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Gujarat. Much of the seasonal labor for the brick kiln, construction, cotton ginning, and agricultural industries in Gujarat is sourced from this area.

In Southern Rajasthan, many ST families (mostly of the *Bhil* and *Garasia* tribe) depend on migration to make ends meet as they were very poor and needy peoples.

Due to high poverty levels, female participation in migrant labor is high. A 1997 study on migration in the area led by David Mosse found that 42 percent of the migrant workforce from the *Bhil* area was female. My survey found that 75 percent of women and 82 percent of men had migrated to Gujarat for work at least once in their lifetime.

While almost all ST families in this area own some land, their landholdings are small and often unproductive, with few having access to irrigation. Massive deforestation in the region has also limited opportunities for these communities which, at one time, were able to sustain their livelihood off of the forest resource for the tribes and villagers of the forest area and near by.

While 79 percent of adults surveyed reported that they had participated in the program, only a few families said it had impacted their migration behavior; 75 percent of adults who reported they had migrated within the past year had also participated in the MNREGA program at least once. Reliance on migrant labor as a livelihood strategy has major costs to the family. For the most marginalized communities engaged in migration, the whole family must migrate to the worksite because they have no place to leave their children in the home village.

The Prayas Centre for Labour Research and Action estimates that there are 840,000 out-of-school children at brick kilns alone. In Banswara, I found that 34 percent of the migrant households had taken at least one child with them to worksites that year.

Children can begin helping their parents at the construction worksite from age twelve, but work begins as early as age five in the brick kiln industry,hotels, daba, and others shop where the piece meal wage system encourages child laborto increase the income of the parents to meet the needs.

The findings outlined in the article include:

1. Child labor lowers net primary enrollment ratios.
2. There is a strong negative effect of child labor on school attendance. In some countries, school attendance rates of working children are only about half of those of non-working children.
3. There is a significant negative correlation between levels of economic activity of children aged 7-14 years and youth literacy rates in the 15-24 age bracket.
4. Rural working children tend to be among the most disadvantaged.
5. For children who manage to combine work and education, performance at school often suffers.

Limitations: Taking into consideration the current situation this program might take some time to become feasible in the rural sector owing to managerial issues and the unavailability of basic infrastructure. However, with growing urbanization there is greater influx of people from rural to urban areas than the other way round or even rural to rural. The programme has been formulated keeping in consideration the current trends of movement in the population.

References :-

1. Jha, Praveen, Parvati, Pooja (2010). "Right to education Act 2009, Critical Gaps and Challenges", Economic and Political Weekly, March 27, 2010, XLV (13): Commentary.
2. Kamath, P. (2005). A Study on Children of Migrant Labourers. M.A. Dissertation (Unpublished), Mumbai: Tata Institute of Social Sciences
3. Lawrence, Roderick & Werna Edmundo (ed.) (2009). Labour Conditions for Construction Workers: building cities, decent work and the role of local authorities. West Sussex: Blackwell Publishers.
4. Education policy at NITI Aayog 17.Anand, V. (1998). "Advocating Rights of Construction Workers", Indian Journal of Social Work, 59(3): 847 – 863.
5. Breman, Jan (1996). Footloose Labour: Working in India's Informal Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

कामकाजी महिलाएँ और घरेलू हिंसा

डॉ. प्रतिभा जैन *

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध कार्य कामकाजी महिलाएँ और घरेलू हिंसा पर किया गया है। नारी चाहे कामकाजी हो या गैर कामकाजी नारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। परंतु इस अध्ययनका मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की कार्यक्षमता का अध्ययन करना है। क्योंकि नारी की स्थिति दो पाटों में फँसे घुन के समान हो गई है। उसे कार्यालय और घर दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यदि वह दोनों में संतुलन स्थापित करने में असमर्थ होती है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार होती है।

प्रस्तावना – 21 वीं शताब्दी में महिलाओं का घर दहलीज लांघ कर नौकरी पर जाना महिला सशक्तिकरण से जरुर जोड़कर देखा जाता है लेकिन कामकाजी महिलाओं पर घरेलू हिंसा को लेकर किये गये शोध में चौकाने वाले तथ्य सामने आये। शोध के मुताबिक कामकाजी महिलाएँ जो काम पर जाती है उन्हें घरेलू हिंसा का ज्यादा खतरा झेलना पड़ता है। भारत में घरेलू हिंसा के बढ़ते स्तर को दर्शाता है।

आधुनिक परिवर्तित परिवेश में विविध उच्च पदों को प्राप्त करती वह पूर्ण कुशलता और सफलता से अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। यहीं कहीं विवश्पता में सर्वहारा, सामान्य वर्ग की महिलाएँ भी घर के कार्य करके या अन्य मजदूरी के कार्य करे घर-परिवार के खर्च को वहन कर रही है। इस प्रकार महिलाओं का कार्य करना परिवार की आर्थिक आवश्यकता है।

महिलओं में कार्यशीलता की अदभुत क्षमताएँ है, यह वैज्ञानिक रिसर्च में भी सिद्ध हो चुकी है कि महिला मस्तिष्क की कार्यशक्ति पुरूषों से कही अधिक है। आज राजनैतिक, सामाजिक, संस्कृति तथा सिनेजगत, प्रशासनिक न्याय, कानून विज्ञान, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक, चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाएँ अपनी हिस्सेदारी पूरी योग्यता से दर्ज करा रही है। किन्तु अपने प्रगति पथ पर इस प्रकार अग्रसिम होते हुए भी वह प्रतीक्षारत है कि समाज और परिवार में वह कब पुरूष के समकक्ष वह अपने पद पर सम्मान और अधिकार का अधिष्ठात्री स्थान प्राप्त कर सच्चे अर्थो में पुरूष की अर्धांगिनी बनने का हक प्राप्त कर लेगी।

क्योंकि किसी भी स्थिति में उसके पारिवारिक दायित्व उसे ज्यों के त्यों ही निभाने पड़ रहे हैं। उससे वे सभी अपेक्षाएँ आज भी की जाती है, जो घर रहते हुये की जाती थी। आज कामकाजी महिलाओं की स्थिति विचारणीय है, वह निरंतर घरेलू हिंसा का शिकार बनकर सहनशीलता की परकाष्ठा को पार कर विद्रोह भी करने लगी है। कामकाजी महिलाओं को जो आत्मिक, मानसिक पीड़ा है, वह इस प्रकार है-

1. कार्यशीलता महिलाओं की आय पर परिवार के सभी सदस्य साझेदारी करना चाहते हैं।
2. घर की महिलाओं के द्वारा उससे ईर्ष्या की जाती है, उसे उनके योग्य-बाण सुनने पड़ते हैं, कि पुरुष बन गयी है, कमाने जाती है।
3. उसे पारिवारिक सहानुभूति नहीं मिलती है। यहाँ तक कि घर कि यदि घर के बुजुर्ग सदस्यों के पूर्व खाना नसीब हुआ तो सही अन्यथा वह अपना लंचबाक्स ले जाकर ही खा पाती है।
4. घर में यदि पर्दा प्रथा है तो घर से ऑफिस तक उसे पर्दे में ही जाना होता है। ऑफिस में जाकर ही वह कर्मचारी की तरह ही रह पाती है।
5. यदि वह सर्वित में कहीं दूर अप-डाउन करती है, तो घर के सदस्यों से यही सुनने को मिलता है कि सीधे बस, जीप या ट्रेन में बैठकर गयी और आ गयी तो थक गयी।
6. घर से बाहर निकलने के कारण पति भी पत्नि को पूर्ण समर्थ मान अपने कर्तव्यों की इतिश्री करना चाहता है। उसकी अपेक्ष होती है कि जो काम जैसे बिजली का बिल, फोन का बिल, बच्चों की फीस, शिक्षक, अभिभावक मीटिंग जरुरत का सामान, रिश्ते-नातेदारी में समय-समय पर सबन्धों को निभाने का काम या कुछ आदान-प्रदान जैसे निर्णय, सुख-दुख में पूरे सरोकार की अपेक्षा डॉक्टर या ट्यूटर से सम्पर्क रखने का कार्य सभी कुछ पत्नी ही कर ले। इन सबके चलते भी कार्यशील महिलाएँ इन्हें अपना दायित्व समझकर करती दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें यदि परिवार में संवेदहीन व्यवहार प्राप्त होता है, तो वे आत्म-वेदना से पीड़ित हो उठाती हैं। उन्हें कभी-कभी लगता है कि हमसे अच्छी घर में रहने वाली महिलाएँ है जो अपने बच्चों की देख-रेख भी अच्छे तरीके से करती है और उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाती हैं। उन्हें घर में सम्मानजनक और सामान्य व्यवहार मिलता है।
7. कामकाजी महिला अपने पति-बच्चों तथा परिवार सदस्यों के सहयोग और सहानुभूति के अभाव में अपने-आपको अकेला महसूस करती है और तनाव ग्रस्त हो जाती है।
8. सर्वहारा वर्ग की महिलाओं को तो अपनी कमाई के पैसे अपनी सुविधा या पेट भरने को नहीं मिल पाता, पति की शराब या जुआ खेलने की आदत के चलते वह उसे मार-पीटकर उससे पैसे छीन लेता है।
9. अशिक्षा के चलते इन्हें वैसे भी कम मजदूरी मिलती है दूसरे कहीं से काम की जगह हो या घर सहानुभूति की जगह डाँट या गालियाँ खाना पड़ती है। लेकिन वह विवश है।

10. आज भले ही पुरुष और महिला की बराबरी और समानता के लिए कानून बन गये हों पर वे कामकाजी महिलाओं को कार्यालय में भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। कई जगह अनावश्यक वार्तालाप, दबाव या यौन-शोषण तक ही घटनाएँ निरन्तर मीडिया अथवा समाचार-पत्रों के माध्यम से सुनने में आती है।

आज की स्थिति में घर के बाहर निकलने वाली लड़कियों या स्त्रियों की सुरक्षा का प्रश्न बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। वह निरन्तर अपनी स्थितियों के प्रति सजग हो अपने विचार और आत्मशक्ति के बल पर अपनी मंजिल पाने बढ़ रही है।

स्त्री का घर से बाहर निकलना पुरुष के खिलाफ संघर्ष नहीं बल्कि पुरुष के स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति की अपेक्षा है माना है। लेकिन आर्थिक समर्थता की स्थिति में पुरुष का उसके प्रति अपमानजनक नजरियों के कारण वह अपने-आपको अकेला पाती है, क्योंकि पूर्वग्रहों के कारण पुरुष उसे सहयोग नहीं देता है। बल्कि उसके इस संघर्ष को और अधिक कठिन बनाता है। अर्थात् आर्थिक स्वतंन्त्रता तो मिल गयी लेकिन अकेलापन और मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। पुरुष का अहं आहत होता है तो स्त्री दोहरा संघर्ष करती हुई अपराध-बोझ झेलती है। इसलिये यदि राजघराने के पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए नियोग करते समय यदि संकोचवंश उसकी आँखे झुक जाती है तो वह पीलिया ग्रस्त बच्चे पाण्डव की माँ कहलाने के लिए अभिशप्त है। वही वह विधवा, बिन ब्याही माँ, आत्महत्या, जलकर मरने के लिए भी विवश है।

तात्पर्य यह है कि परिवर्तन की स्थिति में सभ्यता के आधार पर सम्बन्धों की पड़ताल होनी चाहिए। पुरुष उसके शोषण का अधिकारी न बने सहयोगी-सहभागी बने। यह आवश्यक है। स्त्री-पुरुष सह-सम्बन्धों के अपमान स्पष्ट हो जाने की आवश्यकता है। तभी चली आती हुई संकुचित मानसिक अवधारणाएँ जिनके कारण तमाम कुण्ठाएँ पनपती है, जीवन में विपरीत दिशा आती है। विसंगतियों के उत्पन्न होने से आपराधिक घटनाएँ होती है, व्यभिचार होता है इसके हल ढूँढे जा सकेंगे, कारण हटाये जा सकेंगे। परिवर्तित स्थितियों में पारिवारिक शान्ति और सुख का अवधान करने वाले नियम और शासकीय सुविधाएँ की जानी होगी। नैना साहनी, इन्दू सिंह जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण 2002
2. योजना पत्रिका जुलाई 2018
3. कुरुक्षेत्र पत्रिका मार्च 2016
4. समसामयिक शोध निबन्ध 2016
5. विधि भारती सितम्बर 2013
6. दैनिक भास्कर 8 मार्च 2018

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारतीय कृषि के समक्ष व्याप्त चुनौतियाँ : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

वन्दना जायसवाल *

* असिस्टेंट प्रोफेसर, शशिभूषण बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है 55 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। स्वतंत्रता के समय कुल जीडीपी में जहाँ इसका योगदान 52 प्रतिशत था आज यह घटकर 13.9 प्रतिशत हो गया है। हालॉकि कृषि क्षेत्र में घटते योगदान से यह तात्पर्य नहीं है कि कृषि उत्पादन में कमी आयी है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि तो हुई किन्तु सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र का योगदान कहीं ज्यादा तीव्र गति से बढ़ा है। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में उत्पादन मं वृद्धि नहीं हो पा रही है साथ ही साथ जिस अनुपात में उत्पादन में आने वाली लागत में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में कृषि उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस वजह से कृषि के समक्ष अनेक गम्भीर चुनौतियाँ उपस्थित हो गयी हैं जिनसे निजात पाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि आज भी हमारी अधिकांश आबादी इसी पर निर्भर है। इसके लिए कृषि को सम्भावनाओं से युक्त तथा रोजगारपरक बनाना होगा।

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 69 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा 55 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यो में संलग्न हैं। हम कह सकते हैं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ है। यह वह क्षेत्र है जो भारत की बढ़ती आबादी के लिए रोजगार और सम्पोषणीय आजीविका उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से कृषि क्षेत्र उत्पादन, बाजार, अवसरों और कीमतों से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों के कारण आय में व्याप्त अनिश्चितता एवं अस्थिरता से ग्रसित हैं। विभिन्न कारणों से किसानों का इस क्षेत्र से निरन्तर पलायन बढ़ता जा रहा है तथा आत्महत्याओं की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है जिससे इसका आकार भी सिकुड़ता भी जा रहा है। फलत: आने वाले कुछ वर्षों में हमें खाद्यान्न आयातों पर निर्भर रहना पड़ेगा तब स्थिति और भी गम्भीर होगी।

उद्देश्य :

1. वर्तमान में कृषि की निम्न स्थिति के कारणों को जानना।
2. कृषकों की सामाजिक – आर्थिक परिस्थिति का अध्ययन करना।
3. कृषकों के निरन्तर बढ़ते पलायन के कारणों को जानना।
4. समाज पर इसके प्रभावों को जानना।

कृषि अंग्रेजी भाषा के Agriculture का हिन्दी रूपान्तरण है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। "Agr" जिसका अर्थ है मिट्टी तथा दूसरा "Culture" जिसका अर्थ होता है 'जोत कर फसल उगाना।' इससे कृषि का सीमित स्वरूप ही स्पष्ट होता है। सही अर्थो में कृषि एक व्यापक आर्थिक कार्य है और यह कई रूपों में सम्पादित होता है। कृषि कार्य में जरूरी जीवनयोग्य उत्पादन से लेकर एक व्यापारिक उद्देश्य आपूर्ति के लिए की जाने वाली व्यावसायिक कृषि शामिल है। कृषि संरचना प्राकृतिक तत्वों के साथ सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से भी प्रभावित होती है। जीवनयापन की विधि अथवा एक व्यवसाय दोनों रूपों पर मानव और उसके द्वारा निर्मित सामाजिक प्रौद्योगिकी ढाँचे का कृषि संरचना के स्वरूप पर अमिट प्रभाव पड़ता है।

कृषि उत्पादन की एक लम्बी प्रणाली है जो कि एक लम्बे समय की देन है। कृषि मुख्यत: अर्थशास्त्र का विषय है तथा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक–दूसरे से अन्त:सम्बन्धित है, एक–दूसरे में समाहित है। दोनों शास्त्रों के सम्बन्ध में सिल्वरमैन ने लिखा है कि सम्पन्न कार्यो या लक्ष्यों के लिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र नामक पितृ विज्ञान की, जो कि सभी सामाजिक सम्बन्धों के सामान्य सिद्धान्तों का अध्ययन करता है, एक शाखा माना जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को आर्थिक कारकों से जनित माना है।

'भारत में लगभग 250 मिलियन लोग खेती–बाड़ी से अपनी जीविका चलाते हैं। कृषि, देश की कुल जनसंख्या के 42 प्रतिशत से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहा है और यह क्षेत्र आज भी सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला असंगठित क्षेत्र बना हुआ है। बावजूद इसके देश में रहने वाले प्रत्येक 4 में से 3 किसान खेती छोड़कर कोई अन्य वैकल्पिक रोजगार करना चाहते हैं। प्रत्येक 5 में से 4 किसान अपने बच्चों को कृषि से दूर रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे शहरों में पढ़े–लिखें और वहीं नौकरी करें। इन सभी स्थितियों में नया मोड़ उस वक्त आता है, जब यह अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2050 के लिए सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या 7–9 बिलियन तक पहुँच जायेगी। विचार करने योग्य बात यह है कि भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जिससे सम्पूर्ण विश्व यह अपेक्षा रखता है कि वह खाद्यान्न संकट की स्थिति नहीं आने देगा वहाँ कृषकों की मनोदशा, कृषि कार्य से मुँह मोड़ने की होती जा रही है। इस स्थिति में तेजी से बढ़ती आबादी के लिए पेट भर भोजन की व्यवस्था करना दूर की कौड़ी नजर आ रही है।'

भूमि सुधार, हरितक्रान्ति, प्रौद्योगिकी के प्रयोग, सब्सिडी एवं संस्थागत ऋण इत्यादि के कारण आजादी के उपरान्त प्रारम्भिक दौर में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं उत्पादन में बढ़ोत्तरी तो दर्ज होगी किन्तु एक स्तर के उपरान्त निरन्तर गिरावट होने लगती है। वर्तमान समय में कृषि का योगदान 13.9

प्रतिशत है तथा इस पर आश्रित लोगों की संख्या 55 प्रतिशत है जबकि आजादी के समय इसका जीडीपी में योगदान 52 प्रतिशत था तथा इस पर आश्रित जनसंख्या 2/3 थी। कृषि क्षेत्र में जिस अनुपात में लागत में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में नहीं हो पा रही है अत: कृषि से होने वाला लाभ निरन्तर घटता जा रहा है। एक किसान को अपनी फसल को तैयार करने में जिन-जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं-

बुआई से पूर्व की समस्याएँ - बुआई से पूर्व एक किसान को अपनी फसल तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशकों की व्यवस्था करनी पड़ती है इनमें से किसी भी एक पक्ष के कमजोर होने पर कृषि में होने वाला उत्पादन घट जाता है और लागत बढ़ जाती है। साथ ही साथ सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करनी पड़ती है बेहतर उत्पादन के लिए, लेकिन आज भी किसान बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सिंचाई के लिए मानसून पर ही निर्भर रहते हैं और जिस वर्ष मानसून कमजोर रहा या फिर समय से मानसून नहीं आया तो किसान के सामने विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे सूखा, भूखमरी, ऋणग्रस्तता जैसे गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कृषि की निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण कारक जोत का घटता आकार है। जोत का आकार छोटा होने के कारण कृषि क्षेत्र में आने वाली लागत बढ़ जाती है और उसके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वर्तमान में औसत जोत का आकार 1.15 हेक्टेयर है। 1970-71 से यह आकार घट रहा है।

फसल के दौरान होने वाली समस्या - कुछ फसलों के लिए बीच-बीच में भी सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है साथ ही साथ कीटों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कीटनाशकों की व्यवस्था करनी पड़ती तथा इन सबमें ऊर्जा आवश्यकता की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। फसल तैयार होने के पश्चात सबसे बड़ी समस्या उनके भण्डारण को लेकर है। भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खुले में ही अनाज सड़-गल जाते हैं तथा उनका लाभ लक्षित वर्ग तक नहीं पहुँच पाता है। साथ ही साथ परिवहन में आने वाली महंगी लागत भी कृषकों को हतोत्साहित कर रही है।

किसान शब्द के अन्तर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिक, बटाईदार, काश्तकार, लघु सीमान्त और उपसीमांत खेतिहर, बड़े भू-धारण वाले किसान, मछुवारे, कुक्कुट व पशुपालन में लगे अन्य किसान, चारणिक, बगान, कामगार और साथ ही वे ग्रामीण तथा जनजातीय किसान भी शामिल हैं जो अनेक प्रकार के खेती से जुड़े व्यवसायों में लगे हैं जैसे- मधुमक्खीपालन, रेशमपालन और कृमिपालन।

एनएसएस के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आश्रित परिवारों को 6 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खेतिहर श्रमिक जो भूमिहीन हैं, सीमांत, लघु, अर्द्धमध्यम, मध्यम और बड़े किसान।

Agricultural Census - 2010-11: Press Information Bureau Government of India Ministry of Agriculture

S.	Size Group	Percentage of number operational holdings to total	Percentage of Area Operated to total
1.	Marginal (Below 1.00 ha.)	67.10	22.50
2.	Small (1.00 - 2.00 ha.)	17.91	22.08
3.	Semi-medium (2.00 - 4.00 ha.)	10.04	23.63
4.	Medium (4.00 - 10.00 ha.)	4.25	21.20
5.	Large (10.00 & above)	0.70	10.59

इससे प्रमाणित होता है कि भारत में औसत जोत क्षेत्र कम है एवं अधिकांश किसान, जो सीमांत श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं 1 हेक्टेयर से कम जोत क्षेत्र में कृषि करते हैं। इस कारण उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों प्रभावित होते हैं।

कृषि क्षेत्र में निरन्तर घटते लाभ के कारण यह रोजगार के पर्याप्त अवसरों को जन्म नहीं दे पा रही है जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की तरह हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जोत के आकार में असमानता के कारण आर्थिक असमानता व्यापक है। रोजगार भूमिहीन एवं सीमान्त किसानों में प्रवसन की प्रक्रिया सर्वाधिक पायी जाती है।

1947 से लेकर 1965 की अवस्था के बीच कृषि में उत्पादन स्थिर बना हुआ था। 1968 में हरितक्रान्ति के पश्चात कृषि में संवृद्धि दर तेजी से बढ़ा तथा 1978 तक अधिशेष उत्पादन होने लगा, जो उद्योगों के उत्पादन का आधार बना। सन् 1984-85 तक कृषि पुन: स्थिर होने लगी (हरितक्रान्ति के दुष्प्रभाव के कारण भूमि की लवणीयता बढ़ने लगी, जनसंख्या वृद्धि के कारण जोत का आकार भी घट रहा था तथा बुनियादी समस्याएं पहले से ही विद्यमान थीं) फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आने वाली लागत में वृद्धि होने लगी और रोजगार की सम्भावनाएं कम होने लगी जिससे लोगों का पलायन शहरों की तरफ बढ़ा। इसके साथ ही 1970-80 के दशक में भारत में सूचनाक्रान्ति की लहर आयी। फलस्वरूप पलायन सेवा क्षेत्र की तरफ होने लगा और आज जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत केरल 1960-70 के दशक में पढ़े-लिखे युवाओं का पलायन खाड़ी देशों की तरफ हुआ क्योंकि वहाँ रोजगार व आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं तथा कृषि योग्य भूमि के बावजूद व श्रमबलों के अभाव के कारण केरल में कृषि उत्पादन क्षमता से कम हो रहा है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है।

कृषि क्षेत्र में अस्थिरता

वर्ष	वृद्धि दर
2012-12	1.5
2013-14	5.6
2014-15	-0.2
2015-16	0.7
2016-17	4.9 (अनंतिम अनुमान)

कृषि क्षेत्र में आने वाली इस गिरावट एवं अस्थिरता के कारण भारत आने वाले समय में उत्पादन आधारित समाज से उपभोग आधारित समाज में परिवर्तित हो जायेगा।

जीडीपी में कृषि का घटता योगदान

वर्ष	जीडीपी में कृषि का योगदान
1951	52.2
1962	43.6
1976	37.4
2011-12	18.9
2012-13	18.7
2013-14	18.6
2015-16	13.9

भारत अब भी कृषि प्रधान देश है और विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए कृषि के विकास को साथ लेकर चलना होगा अन्यथा खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कोई भी देश बिना आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हुए विकास नहीं कर सकता। अत: खाद्यान्न संकट में सुरक्षा आवश्यक है।

ए0आर0 देसाई ने इस सन्दर्भ में कहा है कि परिवारों का कृषीय आधार तेजी से खिसकता जा रहा है।

कृषि में व्याप्त इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि कृषकों की वास्तविक स्थिति को समझते हुए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ लक्षित तरीके से उन तक पहुँचाया जाये। जैविक कृषि पर बल दिया जाये, भूमि की लवणीयता को कम करने का प्रयास किया जाये साथ ही साथ जल स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाये। कृषि को रोजगारपरक, समावेशी तथा सम्भावनाओं से युक्त बनाया जाये, जिससे पलायन को रोका जा सके। UNO द्वारा वर्ष 2015-2030 के लिए घोषित अपने सतत् विकास लक्ष्य में कुपोषण मुक्त विश्व व शून्य भुखमरी जैसे लक्ष्य निर्धारित किये हैं, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कृषि-प्रधान कही जाती है, वास्तव में कृषि में प्रधान बन कर दिखाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. देसाई, ए0आर0, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र.
2. गुप्ता, एम0एल0, शर्मा, डी0डी0, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन.
3. पाण्डेय, रवि प्रकाश, समाजशास्त्रीय सिद्धान्त : दृष्टिकोण एवं परिप्रेक्ष्य.
4. तिवारी, आर0सी0 सिंह, बी0एन0, कृषि भूगोल.
5. वेबर, मैक्स, 1906, द प्रोटेस्टैण्ट इथिक एण्ड द स्प्रिट ऑफ कैपिटलिज्म.
6. National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation.
7. Economic Survey - 2016-17.
8. Economic Survey II - August-2017.
9. Agricultural Census 2010-11, Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Agriculture.
10. Desai, A.R., Rural Sociology in India.
11. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2018.

****

गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक बोध

दमयंती मरांडी *

* शोधार्थी , गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर (ओड़ीशा) भारत

प्रस्तावना – गोविन्द मिश्र आधुनिक कथा – साहित्य के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों से न केवल हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है अपितु अपने प्रतिभा सामर्थ्य, गहन संवेदनशीलता, व्यापक अनुभव और सचेतन रचनाशीलता से नूतन संभावनाओं से संपन्न अनेक अलक्षित क्षितिजों का संधान भी किया है। उपन्यास विधा में कथ्य और शिल्प की नवीनता और मौलिकता के आधार पर किए गए अभिनव प्रयोगों के आधार पर उन्हे उपन्यास विधा की नई परंपरा का उदभावक भी कहा जा सकता है।

सांस्कृतिक बोध – संस्कृति पर्यावरण का वह भाग है जो मानव निर्मित है। संस्कृति का परिचय रुचि–अरुचि,विचार –विश्लेषण, क्रिया –कलाप ,रहन–सहन,कला, शिक्षा–दर्शन नैतिकता इत्यादि से मिलता है। आज भी संस्कृति के विभिन्न अंगों – जैसे कला, धर्म, दर्शन, प्रौधोगिकी, नैतिकता, प्रथाएँ इत्यादि में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे है। औधोगीकरण, नगरीकरण, यातायात एंव संचार के नवीन साधनों तथा मानव ज्ञान में वृद्धि इत्यादि का सांस्कृतिक मूल्यों की ह्रास में बहुत बड़ा हाथ है।

संस्कृति में जब असंतुलन पैदा होता है तो इसके विभिन्न अंगो में परस्पर ताल–मेल नहीं हो पाता। इसके भौतिक और अभौतिक पक्षों में पारस्परिक साम्यता समाप्त हो जाती है जिससे एक पक्ष बहुत आगे बढ़ जाता है तथा दूसरे पक्ष में परिवर्तन न आने के कारण वह पीछे छूट जाता है।

ऐसी स्थिति को सांस्कृतिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन उस दिशा की और संकेत है जब किसी संस्कृति के अंग अपने निर्धारित कार्य करना बन्द कर दें और उसकी व्यवस्था बिगड़ जाए। इससे संस्कृति की इकाइयों का पारस्परिक सामंजस्य टूट जाता है और संस्कृति की हानि होती है। अत: सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के अव्यवस्थित होने ,संस्कृति में बिखराव तनाव एंव संघर्ष पैदा होने की स्थिति है।

सांस्कृतिक परिवर्तन की स्थिति में संस्कृति के निर्धारित उदेश्यों ,मूल्यों एंव आदर्शो को संस्कृति के निर्धारित साधानों से प्राप्त नहीं किया जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन की स्थिति में कला,धर्म ,ज्ञान ,विश्वास,रहन–सहन, सुरुचि ,नैतिकता और आदर्शो का पतन होने लगता है तथा मानवीय मूल्य क्षीण पड़ जाते है।

रीति–रिवाज – संस्कृति का संबंध मनुष्य की बुद्धि ,हृदय ,स्वभाव ,मनोवृत्ति एंव मस्तिष्क के संस्कारों से अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है। संस्कृति मन व हृदय की भावनाओं तथा मस्तिष्क के बौद्धिक तत्वों को समेटे रहती है। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है ; वह उसी परिवार के रीति –रिवाज, स्वभाव, खान–पान व रहन – सहन को सीख लेता है। पीढ़ी दर – पीढ़ी व्यक्ति उन रीति–रिवाजों को अपना लेता है तथा उनका हस्तांतरण करता है।आधुनिक युग में शिक्षा के प्रचार–प्रसार, आधुनिकीकरण व पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप रीति –रिवाज निरन्तर कम होते जा रहे है। नगरीय जीवन की भाग–दौड़ में इन सब चीजों के निर्वाह के लिए समय निकालना संभव नहीं है। गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में यह स्थिति उजागर हुई है।

'पाँच आँगनों वाला घर' उपन्यास का पात्र छोटू आधुनिक पीढ़ी का कर्णधार है। वह परम्परागत रीति –रिवाजों ,रस्मों के प्रति उदासीन है। छोटू के विवाह के समय उसकी माँ रम्मो परम्परागत विवाह पद्धति के अनुसार समस्त रस्में व रीति रिवाज पूरे करना चाहती है परन्तु छोटू उनमें कोई रुचि नहीं लेता। उसका बड़ा भाई बंटू विदेश में शादी कर लेता है जिससे रम्मों कोई भी रस्म निभा नहीं पाती। अत: वह छोटू की शादी पूरी रस्मों के साथ करना चाहती है। पर छोटू जानता है कि घर में रस्मों –रिवाज के कारण वह अपनी इच्छानुसार कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए वह 'पाँच सितारा होटल' में रिसेप्शन के पश्चात अपने माता –पिता को एक दोस्त के माधयम से खबर भेज देता है कि वह अपनी सुहागरात उसी होटल में मनायेगा।

पारम्परिक रीति दरिवाज में 'हनीमून' जैसी कोई रस्म न थी ; परन्तु आधुनिक नव दम्पति 'हनीमून' के लिए कही– न–कहीं घूमने अवश्य जाते है जिससे कि व दोनों एक–दूसरे को ठीक से जान सकें। छोटू सुहागरात मनाने के पश्चात अपनी पत्नी को हनीमून के लिए तैयार कर लेता है। वह होटल से ही घर में खबर भेज देता है कि वे वहीं से शाम के हवाई जहाज से एक सप्ताह के लिए गोआ जा रहे है। यह जानकर छोटू की माँ के मन में बहुत ठेस पहुँचती है। उसकी माँ के मन में नई बहू को लेकर बहुत सी रस्में निभाने का उल्लास था ; परन्तु उसकी इच्छा धरी की धरी रह जाती है।

नई पीढ़ी में पुराने रीति–रिवाजों व रस्मों के प्रति विरक्ति तथा उदासीनता भाव दिखाई देता है। आज का युवा इन रश्मों को केवल समय की बर्बादी समझता है। उपन्यासकार ने जहाँ एक और पुरातन रीति– रिवाजों व रस्मों के प्रति आधुनिक पीढ़ी को अनुरक्ति प्रकट की है ; वही दूसरी और नई रस्मों – रिवाजों जैसे होटल में सुहागरात बिताना ,हनीमून के लिए जाना इत्यादि के प्रचलन की और भी संकेत किया है। इस संदर्भ में डॉ. कुंवरपाल सिंह का कथन उल्लेखनीय है 'भारतीय संस्कृति भी आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से आधुनिकता के रंग में रंगी जा रही है। संस्कृति में बौद्धिकता का समावेश होने से परम्परागत मान्यताएँ टूट रही है। यंत्रों के इस युग में आज मानव के

पास इतना समय नहीं रहा है कि वह रीति- रिवाज, संस्कार और परम्पराओं का पालन कर सके।' उनके अनुसार ये सब पुरानी मान्यताएँ है जो रूढ़िवादिता तथा दक़ियानूसी विचारों को प्रकट करती है।

खान - पान तथा रहन - सहन-रूप पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन ने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन ला दिया है। आधुनिकता तथा शिक्षा के प्रसार से नवीन पीढ़ी में नई चेतना उत्पन्न हुई है। आज अनके युवक केवल प्राचीन वेशभूषा, रहन - सहन तथा प्राचीन मान्यताओं का अनर्गल विरोध करना ही आधुनिकता मानने लगे है। आजकल की स्त्रियाँ और लड़कियां पुरुषों की भांति शराब पीती है तथा खुद को 'हाइ सोसाइटी' में समझने वाली स्त्रियाँ अपने घरों में पाटी करती हैं।लोगों का खाली समय रात्री -क्लबों, थियेटरों ,नृत्य-केंन्द्रों ,सिनेमा घरों में बीतता है। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण प्रगतिशीलता का लक्षण माना जाता है।

'उतरती हुई धूपय' उपन्यास का पात्र अरविन्द जब अपनी एक पुरानी मित्र से मिलता है तो वह उसे होटल में खाने पर बुलाता है। वहीं होटल में एक और बार है जिसका चित्रण करते हुए लेखक लिखता है, 'बार के नाम पर हाल के एक कोने में तिर्छा काउन्टर था जिसके पीछे एक बड़ी सी आलमारी शाम को अपनी सारो रंगोनियत में खुल कर हाल भर में फैल जाती थी ', 'रोशनी में मुस्कुराती हुई बोतलें'।

'धीर - समीर' उपन्यास में रहन-सहन तथा खान-पान के तरीकों में आए परिवर्तन के कुछ उदाहरण मिलते है। ब्रजयात्रा में नियम ग्रहण करवाए जाते हैं कि कोई यात्री मास-शराब का सेवन नहीं करेगा; परन्तु वहाँ पर कुछ नवयुवक व नवयुवतियाँ केवल मौज- मस्ती और पिकनिक पर जाने की भावना से जाते है ,वहाँ टैटों में मनमर्जी से खाने-पीने की असुविधा होने के कारण वे अपने थैलों में सामान भर जंगल में निकल जाते है और खाने पीने का आनन्द उठाते है।

आजकल मंदिरों में चरस- गांजे का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। 'धीर - समीर' उपन्यास में लेखक लिखता है:- 'ये मंदिरों ,बगीचों और कुओं के आस पास संन्यासियों को टहलते घूमते,किसी साधु के साथ गांजा - चरस का सिलसिला बैठ जाये। साधु को कुछ रुपये पकड़ा दिये ; अब वह करेगा इन्तजाम'। अत: साधु लोग स्वयं भी नशीली पदार्थों का सेवन करते है तथा धन के लालच में अपने चेलों को भी इसकी लत लगवा देते है।

'तुम्हारी रोशनी मे' उपन्यास के सभी पात्र उच्चवर्गीय सभ्यता का प्रदर्शन करने के लिए मद्यपान करते है तो कभी पश्चिमी सभ्यता के प्रभावस्वरूप आधुनिक बनने की होड़ में इसका प्रयोग करते हे। उपन्यास की पात्र सुवर्णा आधुनिक स्त्री है। वह अपने पुरुष मित्रों को घर पर बुलाती है तथा खाने के लिए अपने नौकर शामू को हिदायतें देती है। उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाती है। इस प्रकार भोजन में मांस - मदिरा का खुला प्रयोग भी आज की मानसिकता व जीवन शैली को प्रकट करता है। माना जाता है कि व्यक्ति का जैसा खान-पान होगा वैसे ही विचार होंगे तथा उन्ही के अनुरूप वह आचरण करेगा। आज भोजन में मांस-मदिरा के शामिल होने से मनुष्य के नैतिक एवं चारित्रिक पतन के साथ -साथ सांस्कृतिक मूल्यों का भी अवमूल्यन हो रहा है।

भारतीय स्त्रियों की वेशभूषा में सूट ,साड़ी ,दुपट्टे का अत्यधिक महत्व है। परन्तु आज की युवा लड़कियां जीन्स ,पैंट-कोट ,टांप ,टी-शर्ट ,नाईट - सूट ,ओवरकोट,गाऊन आदि पहनना पसंद करती है। अंधानुकरण के कारण कृत्रिमता ,प्रदर्शनप्रियता ,असहजता बढ़ती जा रही है। आज की पीढ़ी इसी भ्रम में पड़ी रहती है कि बाल कटवाना तथा जीन्स इत्यादि पहनना आधुनिकता की लक्षण है।'धीर-समीर' की शैलजा पैट-कमीज पहनती है तथा उसके बाल भी कटे हुए है। वह विदेशी पहनावे व रहन-सहन को आधुनिकता और स्वतंत्रता तथा भारतीय वेशभूषा,दुपट्टा ,साड़ी को स्त्री की पराधीनता का परिचायक मानती है। वास्तविकता यह है कि आधुनिक पीढ़ी पश्चात्य रंग में पूरी तरह रंगी हुई है। इस प्रकार आधुनिक पीढ़ी के रहन - सहन और खान पान में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव -शिष्टगत है। भारतीय रहन-सहन तथा खान - पान को प्रभावित करने में विदेशी चौनलों पत्रिकाओं आदि का बहुत बड़ा हाथ है।आधुनिक पीढ़ी टी.वी, मैगजीन्स, अखबार इत्यादि में जो फैसन देखती या पढ़ती है ; उसी का अनुसरण करती है।

इस प्रकार गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में भारतीय रहन-सहन तथा खान-पान में परिवर्तन दिखाई देता है। अधुनिक पीढ़ी पाश्चात्य रहन-सहन व खान-पान को अपनी जीवन शैली का हिसा बना चुकी है।

पर्व- उत्सव- पर्व-उत्सव मानव जीवन का अभिन्न अंग है।जीवन में नीरसता और थकावट को दूर करने के लिए मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन मानवीय तन -मन से नूतन शक्ति का संचार कर उसे कार्य करने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। पर्व -उत्सव किसी स्थान विशेष की कला, संस्कृति और सभ्यता की पहचान होते है तथा किसी-न-किसी पौराणिक परम्परा से संबंधित होते है। शताब्दियों से भारतीय पर्व-त्यौहार हमारे सामाजिक जीवन में नव-प्रेरणा का संदेश देते रहे है। भारत एक धर्म-प्रधान देश है। इसलिए पर्व-उत्सव को धर्म-निष्ठा का स्वरुप देकर समाज ने अंगीकार किया है। आज पर्व-त्यौहार के अवसर पर क्रीडा, युद्ध, नृत्य,आखेट, रथ-धवन, लोक-गायन, पशु-युद्ध का प्रचलन होने लगा है।

गोविन्द मिश्र के उपन्यास 'लाल-पीली जमीन' में गुंडई परिवेश में होली का त्यौहार मनाने का चित्रण मिलता है। होली के अवसर पर होलिका-दहन किया जाता है। उसमें किसी की कोई भी वस्तु हो; उसे फेंक दिया जाता है। पहले दिन कीचड़ की होली खेली जाती है तथा मटकों को नालियों के गंदे पानी से भरकर किसी के दरवाजे पर फोड़ा जाता है। अकसर कमजोरों के घरों पर ही हमला किया जाता है। इस आतंकपूर्ण वातावरण में स्त्रियाँ रसोई घरों से बाहर नहीं निकलती। होली की तरह दीवाली का त्यौहार भी मनाया जाता है। दीवाली पर तीन दिन चबूतरों पर लालटेनों की रोशनी में जुआ खेला जाता है। यहाँ बच्चे भी जुआ खेलते है तथा उनको भी कौड़ी पर लगाने की लिए कुछ पैसे मिल जाते है। इस प्रकार दोनों त्यौहार मनाने में विघटनकारी गतिविधियों को अपनाया जाता है।

'हुजूर दरबार' उपन्यास में होली और दशहरा मनाने का वर्णन मिलता है। इन दोनों त्यौहारो पर स्टेट बहुत खर्चा करती हैं। होली पर पच्चीस हजार का बजट बनाया जाता है। महाराज रुद्रप्रताप हाथी पर सवार होते है। उन पर रंग मारे जाते है। इस अवसर पर लोग शराब व भांग का सेवन करते है। दोपहर बाद नजरबाग में होली मनाई जाती है। वहाँ महाराज के इसारे पर लोगों को पानी कुंड में फेंका जाता है। इसी मौके पर प्रश्नोतरी भी होती है तथा महाराज की आज्ञा पाकर फड़कदार गलियां भी दी जाती है। इस प्रकार दशहरे के त्यौहार पर विशेष मेहमानों के लिए पागल हाथी का शो रखा जाता है।

इस उपन्यास की महारानी नेपाल सरकार पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव परिलक्षित होता है क्योंकि वे अँग्रेजी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करती है तथा विदेश में भी कुछ समय रहती है। वे भारतीय त्यौहार मनाने में कोई

दिलचस्पी नहीं लेती। ये सब त्यौहार पर्व उन्हें आनंद प्रदान नहीं करते और न ही वे त्यौहारों के अवसर पर दूसरी रनियों की भांति सजना–संवरना चाहती है। उनके शब्दों में 'मुझे कपड़ों और गहनों में दिलचस्पी नहीं, न ही मेरा मन इन ढेर सारे त्यौहारों में लागत है'। इसीलिए वे करवा चौथ, तीज आदि त्यौहारों को नहीं मानती।

आज का ऊच्च – मध्यवर्ग भी पर्व –त्यौहार इत्यादि को मनाने में विश्वास नहीं करता। वह पाश्चात्य संस्कृति से प्रभवित होने के कारण जन्मदिन, नव –वर्ष जैसे ढोनों को धूम–धाम से मनाता है। इस प्रकार गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में परम्परागत पर्व व त्यौहार मनाने में परिवर्तित गतिविधियों को चर्चा मिलती है। आधुनिक पीढ़ी इनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती। वह परम्परागत त्योहारों के स्थान पर जन्मदिन ,नववर्ष को हर्षोलाश से मानती है।

निष्कर्ष –पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से समाज में कुत्रिमता , प्रदर्शन प्रियता ,असंयमता और असहजता व बढ़ती जा रहि है। नई पीढ़ी के खान–पान,रहन–सहन, शिक्षा इत्यादि संस्कृति के सभी अंगों पर विदेशी तौर–तरीकों का अत्यधिक प्रभाव है। अँग्रेजी स्कूलों में पढ़ना अंग्रेजी बोलना तथा उसी स्टाइल की कपड़े पहनने में गर्व महसूस करते हैं। इसी कारण की युवा पीढ़ी की परम्परागत त्यौहारों –पर्वों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। अत: पाश्चात्य सभ्यता और आधुनिकता के कारण अपनी संस्कृति में आई विकृतियां देखी जा सकती है जो सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमाण हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. उतरती हुई धूप – गोविन्द मिश्र
2. लाल पीला जमीन – गोविन्द मिश्र
3. हुजूर दरबार – गोविन्द मिश्र
4. तुम्हारी रोशनी में – गोविन्द मिश्र
5. धीर समीरे – गोविन्द मिश्र
6. पाँच आँगनों वाला घर – गोविन्द मिश्र
7. गोविन्द मिश्र का कथा साहित्य – डॉ. विजय सोनजे
8. हिन्दी उपन्यास: सामाजिक चेतना – डॉ. कुंवरपाल सिंह

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

The Impact of 'American Reliability Standards' on Indian Courts in Perspective of Expert Evidence

Prakash Vitnerkar* Dr. Ashutosh Bairagi**

*Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA
** Principal, Vaishnav Institute of Law, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - It is not any kind of new practice that opinion of the expert is used in courtroom. From very old time, expert witnesses are playing important role to assist judges to reach at conclusion in legal matters. But, when the hypothesis of an expert enters the stage of realization in the form of opinion in court room, subsequently, the issue of reliability is raised

This paper deals with the journey of American legal system concerned with Reliability issues in expert evidence. This expedition ends with those reliability-standards or guidelines which significantly changed the manner of applying the expert opinions in Law of evidence in the courts of America as well courts of rest of world.

The findings of this research paper are to understand the effects of American Legal System on Indian Legal System in the context of reliability issues in expert evidence. Further, this is expected to demonstrate existing view of American courts and Indian courts over unreliability in expert evidence.
Keywords- Expert Evidence, Reliability, Admissibility, Evidence Reliability Standards.

Introduction - The concern for the reliability in expert evidence is not new to Law of Evidence. In early time the reliability of expert evidence was used to determine by assessing the competency of the expert in particular field of knowledge. Expert's special skill, experience, training, education or knowledge in exacting field were some parameters to evaluate the competency of an expert.

In present time the competency-parameters of an expert have been significantly changed. Now the expert evidence is not limited to medical opinions or other bio-matrix evidences but with the development of forensic science and other technologies, it has been reached to such heights that in every field of knowledge, our courts are seeking assistance of experts to deliver the verdicts with factual accuracy and truth. Since the truth and factual accuracy are inherently dependent to the reliability of expert opinion thus the courts demand for the reliability, as a condition of admissibility of expert evidence.

It is true that in Indian Legal System, the law is unspoken about the Reliability in expert evidence. In absence of any legal framework for the assessment of Reliability in expert evidence in India, our courts also refer globally accepted American Reliability Standards.

Reliability in expert Evidence - Reliability is the core idea for the admissibility of expert evidence. Although, term Reliability is something extra than the existing perception about it. Some evidence scholars consider the Reliability as validity or trustworthiness of expert evidence. Some others think that the Reliability is a form of 'sufficiency' which is applied in all kinds of efforts to expose the reliability in prominent outcome. A number of others believe that, Reliability is nothing but those 'good grounds' upon which the opinion of the expert rests. On the other hand, several Law scholars think that the Reliability is a 'sufficient probative value or force' of the evidence or expert's testimony, they also believe that the Reliability is nothing but the 'legal relevance' of expert opinion.

As per some jurists, the Reliability is the 'factual accuracy' in verdict and in the context of science or technology the Reliability is that 'consistency' in results which is obtained always identical with same samples in same circumstances. Indeed, it is not important that with what synonym the term 'Reliability' is defined. But, important is that the expert opinion must be reliable.

Actuality is that, the Reliability is not a single entity but the fusion of several defined and undefined factors which differ case to case as per circumstances. As per the provisions of Indian Legal System and prevailing Reliability Standards of America, some defined factors like- relevancy of opinion, competency of expert, testability, error rate, peer review, general acceptance, corroboration rule, expert testimony, cross-examination, court's previous judgments etc. can be considered as the 'Reliability Estimation Means' to the expert opinion but there may be other numerous undefined factors also. However, in every case the proportion of all these defined and undefined factors may

or may not be the same, thus the quality and quantity of such cited and uncited factors effect the sum of the grading of Reliability.

Of course, the reliability concept itself and its relationship to the purposes of admissibility rules require careful analysis of all determinate and indeterminate factors connected to the expert opinion. No doubt, different Expert's Reliability Standards of America (especially the Daubert[1] standard) have given guidelines to courts worldwide for evaluating the expert evidences. Though, in our country no any specific legislation has been formulated up till now, besides it, our courts have referred the American Reliability standards many times in a variety of cases.

Expert Evidence & American Legal System- It is assumed that the journey of Reliability of scientific expert evidence in US Courts started with 'Frye case'[2] and ended at 'Daubert Trilogy'[3], But the fact is before Frye case most courts solve the question of admissibility and thus reliability in scientific expert evidence by determining the qualification of an expert. It is true that in Pre-Frye period, only the qualification of an expert was the criterion to determine the admissibility and thus reliability. Similarly, in Frye case the term 'Reliability' was not denoted lucidly, however the concept of 'General Acceptance' was used as Reliability Factor in scientific expert evidence by the US courts.

Frye Case - In Frye v/s United States case, Frye dealt with a systolic blood pressure deception test, a "crude precursor" to the Polygraph. The defense team put the results and the testimony of the expert about such Polygraph Test which was conducted to prove Frye's innocence. Unfortunately, in 1923, this blood pressure test was not widely accepted among scientists so the court rejected the results of Polygraph Test as well as the expert's testimony. Thus, the "Frye case" set the standard in American courts that an expert evidence based on a scientific technique is only admissible when that technique is generally accepted as 'Reliable' in the relevant scientific community. The disadvantage of Frye rule was that, it rejected results of those theories and methodologies which were capable of producing accurate and reliable results but were new for the scientific community to have general acceptance.

Federal Rule-702[4]: In 1975 USA Congress adopted the Federal Rules of Evidence. Federal Rule-702 removed the 'general acceptance' condition for the admissibility of expert's testimony and issued a new standard for expert's testimony. As per this rule, testimony of expert accepted in the form of opinion or otherwise if by knowledge, skill, experience, training, or education that expert assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue. However, the Federal Rule-702 increased more confusion in courts as either Rule-702 had been enacted in support of Frye rule or as the replacement of Frye rule.

Daubert Case[5]: In American Legal System, the concern about 'Reliability' in expert evidence brought in light first time in the Daubert v/s Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. case in 1993. In the decision of this case the Supreme Court of America set the law of expert testimony on a quest for 'Reliability'. This case was considered as a milestone case in imposing higher barriers for scientific evidence based cases by reducing the volume of Junk Science in court room. This case also laid down factors for the basis of scientific evidence which are also known as The Daubert Guidelines.

These are:

1. *The content of testimony can be and has been tested using the scientific method;*
2. *The technique has been subject to peer review, preferably in the form of publication in peer review literature;*
3. *There are consistently and reliably applied professional standards and known or potential error rates for the technique;*
4. *Considers general acceptance within the relevant scientific community.*

In this case, two minors, Jason Daubert and Eric Schuller and their parents sued Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., in a California District Court in 1989, claiming that the drug Bendectin had caused the birth defects.

According to the Frye[6] Standard, Daubert and Schuller used eight expert witnesses and scientific evidences to establish a link between their birth defects and the drug Bendectin. On the other hand Merrell Dow Pharmaceuticals introduced over thirty population studies of the safety and efficacy of Bendectin. None of these studies demonstrated a significant link between Bendectin and birth defects.

In 1993, the US Supreme Court in Washington DC held the majority opinion with four parts, which overturned the lower court's decision and set standards for the types of claims admissible as scientific knowledge and as evidence in courts. In this case the US Supreme Court assigned a "gate-keeping" function to trial court judges to determine the reliability in scientific expert evidences.

This case was returned to the Ninth Circuit Court of Appeals by Supreme Court where judges again heard arguments reviewed the evidences as per the Daubert Standard. The Ninth Circuit court dismissed the case based on lack of evidence from Daubert and Schuller.

Daubert Trilogy[7]: The Daubert Trilogy is set of three United State's Supreme Court cases including Daubert case and other two cases- General Electric Co. v/s Joiner[8] and Kumho Tire Co. v/s Carmichael[9]. In view of the *Daubert* trilogy, these two cases which came after the *Daubert* case properly expressed the Daubert standard and much contributed to finalize the Standard which is used presently to admit the expert testimony.

General Electric Co. Case: General Electric Co. v/s Joiner case was a Toxic Tort case. Joiner had worked around transformers as an electrician. During his electrical work, the dielectric fluid used as a coolant for the transformers

got into his eyes and mouth, and stuck to his arms and hands. It was discovered that the fluid in some of its transformers contained toxics. He sued General Electric, the manufacturer of the transformers and dielectric fluid by alleging that his exposure to toxics of fluid of transformers promoted cancer.

This case became important for two reasons. Firstly, in this case, Daubert[10] case finding was clarified by suggesting that the inquiry about expert evidence should not only be for the methodology used by expert but the focus should also be towards the conclusions. The second important aspect of this court was that an abuse-of-discretion standard of review is the proper standard for appellate courts to use in reviewing a trial court's decision of whether it should admit expert testimony.

Kumho Tire Co. Case[11]: The Kumho Tire Co. v/s Carmichael case was filed against the Tire Distributor after an accident in which one person killed and others were injured. This accident was caused due to blow out the tire. In this case a 'Tire Failure Analyst' was excluded as the expert because the district court found the evidence did not satisfy the *Daubert* factors.

In this case the court held that, Rule-702[12] does not make any distinction between scientific knowledge and technical or other specialized knowledge. So, the Daubert factors for relevance and reliability may be applied to all expert testimony i.e. scientific or non-scientific. A step ahead, with the holding of this case the US Supreme Court extended the "gate-keeping" function for all kind of expert evidences in spite of scientific or nonscientific.

Federal Rule-702(Amended): After Kumho Tire case, the Federal Rule-702 was amended in the year 2000 for the purpose of codifying those elements which were finalized in 'Daubert Trilogy[13]' and in 2011, Federal Rule-702 (about the Testimony by Expert Witnesses) was again amended to make the language more clear. The rule now reads:

A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training or education may testify in the form of an opinion or otherwise if:

(a) The expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue;

(b) The testimony is based on sufficient facts or data;

(c) The testimony is the product of reliable principles and methods;

(d) The expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.

"American Reliability Standards" & Indian Courts- Sense of our courts is such that a conviction only on the basis of expert evidence is unsafe and against the law of evidence. In our country, there is no any specific provision under Indian Evidence Act, 1872 and Code of Criminal Procedure, 1973 for determining the reliability in expert evidence. Thus our courts generally refer some worldwide illustrious reliability-admissibility standards to make expert evidence admissible.

Admissibility and Reliability of expert evidence especially the scientific evidence has attracted a serious debate in India after **Mrs. Selvi v/s State of Karnataka**[14] case wherein the Supreme Court of India put the question mark over Deception Detection Tests like- Narco analysis, Brain mapping or Brain Finger Printing and Polygraph test. In this case the Supreme Court admitted that these tests are unconstitutional because these violate the Article-21 and Article-20(3).

In this case by referring the Frye[15] case our Supreme Court tried to convince that such Tests have not yet gained such standing and scientific recognition among physiological and psychological authorities.

In this case by referring the Rule-702 of Federal Rules of Evidence of USA, the Supreme Court of India held that- "the trial court should evaluate the scientific evidence and order an inquiry into the relevance as well as the reliability of the scientific technique in question".

In this case the Supreme Court of India also said that- "tremendous advances have been made in polygraph technology after Frye[16] case but it is the subject of extensive study and publication, so we do not now hold that polygraph examination is scientifically valid or that it will assist the court".

By referring the Daubert[17] case the Supreme Court in this judgment said that- "since the inherent problematic nature of polygraph evidence remains, we are not expressing new enthusiasm for admission of such evidence".

Again by referring the Daubert case, in this case the Supreme Court stated that- "the Brain Fingerprinting evidence is procedurally barred and based solely upon the MERMER effect, which would continue to exist of the Daubert analysis".

In case of **A.P. Pollution Control Board v/s Prof. M.V. Nayadu & Others**[18], by highlighting the uncertain nature of scientific opinions, by referring the Daubert case, the Supreme Court stated that- in the environment field, the uncertainty of scientific opinions has created serious problems for the courts.

In case of **Rajli v/s Kapoor Singh**[19] and in case of **Harjinder Kaur v/s State of Punjab & Others**[20], the High Court of Punjab and Haryana referred the citation of Smt. Selvi[21] case. In these cases an inquiry was recommended with its focus on trial judge performance as a "gatekeeping" role to decide on the admission of expert testimony based on scientific techniques.

Similarly, in case of **State v/s Patrick**[22] and **Nnadi K Iheanyi v/s Narcotics Control Bureau**[23] by referring the principles of Daubert case, the High Court held that, trial courts should assume the gate keeper's role in screening evidence to ensure that it is not only relevant but also reliable.

In the case of **Dharam Deo Yadav v/s State of UP**[24], the Supreme Court referred the Daubert case and stated that, in Daubert case four non-definitive factors are identified but few additional factors were also noticed as- "the relationship of the technique to methods that have been established should be reliable, the qualifications of expert witness testifying based on the methodology, the non-judicial uses of the method, logical or internal consistency of the hypothesis, consistency of the hypothesis with accepted authorities and presumption of the hypothesis or theory".

In the case of **State of Uttarakhand & others v/s Akhtar Ali & others**[25], the Uttrakhand High Court referred to the citation Mukesh and another v/s State of Delhi[26] and others, in which Supreme Court of India by referring the Frye and Daubert cases held that- if the sampling is proper and if there is no evidence as to tampering of samples, the DNA test report is to be accepted.

Thus by getting influenced from the Rule-702[27] of Evidence of American Legal System, the Uttrakhand High Court held that, in order to satisfy itself about the accuracy of the DNA report, the court may get the information by questioning the expert.

In case of **Vinod @ Rahul Chouhtha v/s State of Madhya Pradesh**[28], by referring the Daubert case the MP High Court considered the DNA report as the significant evidence against the accused and affirmed the death sentence awarded to the appellant by the Trial Court while dismissing the appeal preferred by the accused against his conviction and sentence.

In case of **Ramesh Chandra Agrawal v/s Regency Hospital Ltd. & Ors**.[29], our Apex Court has suggested Daubert like standards for the admissibility of expert evidence.

In very famous case of **Rohit Shekhar v/s Shri Narayan Dutt Tiwari & another**[30], the plaintiff filed the declaration suit that the plaintiff is the naturally born son of the defendants and that the defendant is the father of the plaintiff. In this case Delhi High Court referred to the citation of Smt. Selvi[31] case. In Smt. Selvi case by referring the Daubert[32] case, our Supreme Court held that trial judges should perform a "gatekeeping" role to decide on the admission of expert testimony based on scientific techniques.

In case of **Ranjitsing Brahmajeetsing Sharma v/s State of Maharashtra & another**[33], the Appellant was a former Commissioner of Police. During the Appellant's tenure, fake stamp papers were seized and his involvement was found in scam (AbdulKarim Telgi case). In the judgment of this case, the 'general acceptance' theory of Frye[34] case was referred and by referring the Daubert case it was stated that "general acceptance" theory is not a precondition for admissibility of the scientific evidence.

In this case the Supreme Court of India also referred General Electric Co.[35] and Kumho Tire[36] case and cited the quotation of Daubert case which held that the trial courts to assume the "gate keeper's" role in screening evidence to ensure that it is relevant and reliable also.

Conclusion- Reliability issue is not only raised with Expert Evidence, there are many other evidentiary submissions in Law of Evidence which concern about Reliability like-hearsay, first-hand knowledge and original documents etc. Existence of reliability is the focal point for the judicial examination of expert evidence, even though the establishment of the reliability in expert opinion is tiresome work for courts. After the Daubert case it was made-up that the reliability issue in expert evidence has been resolved but truth is that still courts are seeking perfect standard for the determination of Reliability in expert evidence.

It is almost tough to mollify the requirement of the reliability in expert evidence by applying same 'Reliability Standard' in dissimilar cases. This is why the reliability standard is so often articulated in variable terms- *as perhaps a sliding scale without markers*[37].

It is observed that in plethora of cases when reliability is an issue for the admissibility of expert evidence, our courts refer directly or indirectly American Reliability Standards. Thus the impact of 'American Reliability Standards' on Indian courts in perspective of Expert Evidence can not be unnoticed.

References:-

1. Daubert v/s Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 US579 (1993)
2. Frye v/s United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923)
3. Daubert Trilogy is bunch of three US Supreme Court cases that articulated Daubert Standard.
4. Federal Rules of Evidence (Rule-702 governs expert testimony)
5. Supra Reference,1
6. Supra Reference,2
7. Supra Reference,3
8. General Electric Co. v/s Joiner 522 US 136 (1997)
9. The Kumho Tire Co. v/s Carmichael 526 US 137 (1999)
10. Supra Reference,1
11. Supra Reference,8
12. Supra Reference,4
13. Supra Reference,3
14. Smt. Selvi & others v/s State of Karnataka 7 SCC 263 (2010)
15. Supra Reference,2
16. Supra Reference,2
17. Supra Reference,1
18. A.P. Pollution Control Board v/s Prof. M.V. Nayadu, 1999
19. Rajli @ Rajjo v/s Kapoor Singh CR No 5090 2012
20. Harjinder Kaur v/s State of Punjab CWP 6138 2019
21. Supra Reference,13
22. State v/s Patrick CRL.L.P. 33 of 2014
23. Nnadi K Iheanyi v/s Narcotics Control Bureau Criminal

App. 1416 of 2010
24. Dharam Deo Yadav v/s State of UP 369 (2006)
25. State of Uttarakhand v/s Akhtar Ali Criminal App. No. 104, 318 of 2016
26. Mukesh and another v/s State of Delhi Criminal App. No. 607-608 of 2017 SC
27. Supra Reference,4
28. Vinod @ Rahul Chouhtha v/s State of Madhya Pradesh Criminal App. No. 2151 Of2018
29. Ramesh Chandra Agrawal v/s Regency Hospital Ltd. JT 2009 (12) SC 377
30. Rohit Shekhar v/s Shri Narayan Dutt Tiwari 12 SCC554 (2012)
31. Supra Reference,13
32. Supra Reference,1
33. Ranjitsing BrahmajeetSing Sharma v/s State of Maharashtra SC Cri. App. No. 523 of 2005
34. Supra Reference,2
35. Supra Reference,7
36. Supra Reference,8
37. Dale A. Nance, Reliability and Admissibility of Experts, 34 Seton Hall L. Rev. 189 (2003)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Thematic Context of Buddhism in the Works of T.S. Eliot

Arvind Kumar Srivastava*

***Department of English, Sri Baijnath Shivkala PG Collage, Mangal pur Barabanki (U.P.) INDIA**

Introduction - T. S. Eliot is undoubtedly a multi-faceted genius of the twentieth century. He imbibed literary and religious influences from different quarters of the world, including India. His studies in the Oriental religions and philosophies and at Harvard drew him close to Hinduism and Buddhism. His Oriental knowledge was enriched by his learned gurus like Charles R. Lanman, James H. Woods, and Irving Babbitt. In fact, the background for the awakened interest in Indian scriptures and religious practices was already generated in the land of his birth and upbringing by the great Transcendentalists like Emerson, Thoreau Alcott, and Whitman. Therefore, Eliot's deep interest in and the articulation of Indian religious thoughts, especially Buddhism and Hinduism should not startle us. If Ezra Pound was keenly interested in Chinese art and culture, T. S. Eliot was irresistibly attracted towards Indian religions and literature. A close reading of Eliot's poetry, plays and prose corroborates this viewpoint (as we have seen in the preceding chapters).

By all means, it is with publication of The Waste Land in October 1922 that Eliot shot into limelight, and it is here that he, probably for the first time, made creative use of Indian religions and philosophies. Of the five sections comprising this monumental poem, two are directly based on the Indian sources and these two are the third and the fifth ones - "The Fire Sermon" and "What the Thunder Said". For "The Fire Sermon" Eliot goes to Buddhism, while for "What the Thunder Said" to the Brihadaranyaka Upanishad of the Hindus. Since we have already examined them, it is enough to point out here that Eliot was passing through a state of mental turmoil at the time he wrote The Waste Land and that he seriously considered becoming a Buddhist. It has also been suggested that the title of this epoch making poem is taken from the Dhammapada, (for details please see Chapter II), which contains verses underlining the value of growth of love and Compassion in one's head for brethren to break the spell of 'the waste land'. Miss J. L. Weston even goes a step forward and opines that the symbolism of the Grail legand so pervasive in this poem owes much to the Rig Veda the oldest of all the Vedas.2 And the Vedas are the priceless treasures of the composite Hindu culture; they belong to the period of the dawn of Hinduism - the period when Buddhism or Jainism was not born.

Eliot's notes appended to The Waste Land go a long way to clarify his position vis-a-vis Buddhism. They clearly inform us that Eliot had read Henry Clarke Warren's work, Buddhism in Translations (Harvard Oriental Series). These notes inform us further that "The Fire Sermon" is as important to Buddhism as the "Sermon on the Mount" to Christianity. And for the title and the content of the third section of The Waste Land, Eliot is indebted to Buddhism. His school day studies in the early Pali texts and his impression of the classroom lectures by Babbit now stand him in good stead, and he freely uses them in the texture of this poem. It is pretty difficult to interpret judiciously the Concluding lines of "The Fire Sermon" without a proper grounding in Buddhistic thought:

To Carthage then I came
Burning burning burning burning
O Lord thou pluckest me out
O Lord thou pluckest
burning
(The Waste Land, pp. 307-311)

Though Eliot brings in Lord Buddha and St. Augustine together here, the great asceticism of the former is unquestionably highlighted in unmistakable terms, thereby justifying the title of the third section. In truth, Lord Buddha and St. Augustine arrived at the same inference in regard to the practice of asceticism, without which 'the fire of senses' or the 'burning' of passion could not be controlled. And this is the point stressed by me in my study of The Waste Land.

In Four Quartets (1943), Buddhistic echoes are heard here and there, though they are not so pronounced as in The Waste Land. The reason is that after 1927 Eliot got settled in Christianity and all his doubts were resolved. This is clearly reflected in the tranquility and mental poise of "Ash Wednesday" (1930), Choruses from The Rock (1934), and Four Quartets. When we approach poetic passages like Following ones, we find a hint of the poet that world is

in the grip of terrible lust and greed and that the temperate path (Or, the middle path) shown by Buddhism can salvage modem man from it

Garlic and sapphires in the mud
lot the bedded axle-tree.
The trilling wire in the blood.
Sings below inveterate scars………………
(“Burnt Norton, 1)

and:

At the still point of the turning world,
Neither flesh nor fleshless............
(“Burnt Norton, 1)

While the first passage quoted above highlight the prevalence of lust and passion (or, Vasanas) in the present-day world, the second one depicts the importance of the still point' (attained through meditation as emphasised by the Buddha) 'in a turning world'. The image of 'the turning world' may be equated with the image of 'The turning wheel' (as found in the fourth section of The Waste Land and in a few more poems and plays). Speaking of this image, H.E. McCarthy rightly remarks that it is used “sometimes as a symbol of the world of becoming or existence (sansara) and sometimes as a symbol of the Buddhist Law (dharma)”. The 'turning world' is actually the world of flux and suffering, whereas the still point' is the opposite of it- the world of freedom from flux and suffering as well as the world of perfect poise.

In “East Coker” the following passage has a bearing on the Buddhistic doctrine of 'void' (shunyavada):

They all go into the dark,
The vacant interstellar spaces, the vacant into the vacant, The captains, merchant bankers, eminent men of letters.
………………. ………………… …………………
And the cold the sense and the last the motive of action.
(E. C., HH)

On attaining the state of 'void', one loses all senses and desires, all motivations for work. And this state is attainable to all 'They all go into the dark' irrespective of their rank, or class, provided they have a strong will-power attended by right action and right meditation.

“The Dry Salvages” has its own store Buddhistic thought of death and suffering. For instance,

Where is there an end of it, the soundless wailing,
The silent withering of autumn flowers,
Dropping their petals and remaining motionless;
Where is there an end to the drifting wreckage,
The prayer of the bone on the beach.... ?
(D S. 11),

The quoted passages clearly affirm the poet's faith in the prevalence of suffering and death in this world. The mention of 'the failing pride', 'resentment at failing powers' and the 'slow leakage' only add to the sense of inescapable suffering. After a brief halt, the poet speaks again 'the voiceless wailing', 'the withering of withered leaves', 'the movement of pain,' 'the drifting wreckage', and 'the bone's prayer to death its' God' in the same movement of the poem. “Little Gidding”, the last of the Quartets, is a poem of 'fire'. The 'fire' image, as discovered in “The Fire Sermon” of The Waste Land, is usually associated with the predominance of love and sex in the modern world. In the fourth movement, this image has become insistence. The poet talks of two kinds of 'fire' - human love and divine love. Man cannot help loving, and his choice lies between the 'fire' of self-love and the 'fire' of the divine love. The choice of the first kind of love is self-consuming and self-destroying, but the choice of the second kind of love is self-exalting and self-redeeming. This is what the poet expresses cryptically in the following lines

We only live, only suspire.
Consumed by either fire or fire.
(L. G. IV).

Eliot's moral and spiritual bent of mind is revealed here. His wording may be Christian, but his content is universal.

If we examine some other poems of Eliot-like “The Love Song of J. Alfred Prufrock”, “Portrait of a Lady”, “Gerontion”, “The Hollow Men”, etc.- we find that they are enveloped in an air of doubt and distrust, gloom and agony, irony and satire. They tend to enforce the idea of suffering, helplessness, and frustration, so far as the protagonists are concerned. And this leads the reader to believe that Eliot is still in search of a religious need to satisfy his inner carvings as well as search of a mode of poetry which is able to express his complex thoughts and feelings. The atmosphere of agony and suffering in which Eliot's characters live forces us to believe that Dukkha' (suffering) is their ultimate fate, and this idea is integral to Buddhism.

Eliot's plays also bring out certain Buddhistic ideas in clear terms. There are numerous references to the doctrine of Karma (i.e., Action) in the chorus from The Rock (1934) (see chapter V for details). This doctrine also finds place in Murder in the Cathedral (1935), where Becket is concerned with what is 'the right action' in The Family Reunion (1939) where Harry tries to purge sinuous actions of his family (particularly of his father), and in The Cocktail Party (1950) where Celia pursues the path of renunciation, leaving behind the worldly pomp and show. Even The Confidential Clerk (1955) where Colby's action in disowning both Sir Claude and Lady Elizabeth may be termed as 'right conduct', and The Elder Statesman (1959) where Lord Claverton cleans himself by confessing his sins of the past to his daughter Monica, are directly or indirectly concerned with the doctrine.

The theme of suffering is also predominant in Eliot's plays. Murder in the Cathedral makes the following statements

They know and do not know, what it is to act or suffer,
They know and do not know, that action is suffering,
And suffering is action.

The speakers of these lines are the women of Canterbury forming the Chorus in this play. Harry, the

protagonist of The Family Reunion, is a haunted creature who feels the guilt of having murdered his wife aboard the ship (though in reality he has not done so). Eventually he chooses the path of suffering and expiatlon in order to free himself from the Furies and to atone for the sins of his family. The Cocktail Party is no different and portrays the pursuit of the course by Celia. It is Celia who has to 'suffer' in the long run, and it is she who translates Lord Buddha's exact words (spoken at the time of his death) into action-work out your salvation with diligence'. Eliot had actually come across this sentence in Irving Babbit's class room and it was deeply imprinted on his mind. In the Confidential Clerk, Sir Claude and Lady Elizabeth suffer a good deal because they live in the world of illusions and false hopes. They want to make Colby Simpkins as their son, but Colby rejects both of them at the end of the play. Similarly, The Elder Statesman suffers a lot for his two guilt's of the part. One of the guilt's committed by him was that in this Oxford student days he had run over an old man lying on the road, without stopping his car to help him. And Frederic Gomez had seen it and often blackmailed the old statesman. The second guilt was that he had once seduced a farmer music-hall actress, now Mrs. Carghill, and his father forced him to give up his love. As a result, Lord Claverton remains conscience stricken and guilty-ridden. In a mood of utter frustration, he says

> Perhaps I've never really enjoyed living
> As much as most people. At last, as they
> seem to do
> Without knowing that they enjoy it.
> Whereas I have often known
> That I didn't enjoy it.
>
> (The elder Statesman, p. 44)

The quoted passages clearly demonstrates that Lord Claverton is a man of deep-rooted malaise and suffering. Besides, Eliot makes use of certain typically Buddhistic ideas in his poetry and plays. Some of these ideas are death-wish and nirvana, impermanence of the soul (anicca), life and death as 'the two shores' of the world (Sansara), importance of the killing of 'desire' (Tanha), prevalence of passion (or, 'burning') in human life, etc. Eliot also applies certain Hindu ideas in his works, but they are beside the mark in the present context. If The Waste Land is based on the Buddhistic learning of the poet, "The Dry Salvages" (one of the four Quartets), "To the Indians who died in Africa" (1943) and fifth section of The Waste Land go to the Hindu scriptures and thoughts for their content.

To conclude, T.S. Eliot was a writer of international status and of cosmopolitan viewpoint. The noted critic Delmore Schwartz calls him an "international hero", 4 and the distinguished scholar Octavio Paz regards him as a "universal poet[5]. And it is in the true spirit of these epithets that Eliot used the best ideas in his poetry and plays from various quarters of the world. A consistent application of Buddhism in his writings (as seen in the foregoing chapters) prompts us to believe that he worked as a writer under the active influence of Buddhistic religion and thought in a systematic way.

References :-

1. Stephen Spender, "Remembering Eliot", The Sewanee Review, LXXIV, No. 1 (winter 1966) p.60.
2. Jessie L. Weston, From Ritual to romance (Garden City, New York: Double day & Co., Inc., 1957), p.25.
3. Harold E. McCarthy, "T.S. Eliot and Buddhim", Philosophy Of East and West, II, No.1 (April 1953), p.48.
4. Delmore Schwartz, "T.S. Eliot as the International Hero", A Collection of Critical essays on The Waste Land ed. Jay Martin (Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall Inc., 1968), p.103.
5. Octavio Paz, "Inaugural Address", T.S. Eliot: Papers and Proceedings of a Seminar, ed. M.M.Bhalla (Bombay:Manaktalas, 1965), P.2.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

डी.एल.एड.के विद्यार्थियों द्वारा सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में आने वाली समस्याएं

डॉ. राजवन्त संधु* फैमिना परवीन**

* शोध निर्देशक, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, कोटा (राज.) भारत
** शोधार्थी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, कोटा (राज.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान में शिक्षा में तकनीकी व संचार साधनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा है।सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की उपलब्धता ने शिक्षण, अधिगम एवं शोध के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है।शिक्षा में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग डी.एल.एड के पाठ्यक्रम में करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। डी.एल.एड के विद्यार्थी सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, उपयोग के दौरान बहुत सी समस्याएं उनके सामने आती हैं। प्रस्तुत शोध लेख में ऐसी ही कुछ समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है एवं उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थी सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग अधिक कर सकें।

प्रस्तावना – वर्तमान में शिक्षा में तकनीकी व संचार साधनों का प्रयोगप्रचुर मात्रा में हो रहा है। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की उपलब्धता ने शिक्षण अधिगम एवं शोध के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपर्युक्त सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इनमें सूचनाओं का भंडार होता है, सूचनाएं तुरंत प्राप्त की जा सकती हैं तथा एक ही माध्यम से उसे पढा, सुना और देखा जा सकता है। शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सूचना प्रोद्यौगिकी का प्रयोग बहुआयामी परिवर्तन की ओर पूरी व्यवस्था को उन्मुख कर सकता है।

शिक्षा में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी से अभिप्राय है कम्प्यूटर एवं उससे संबंधित अन्य उपकरणों एवं तकनीक के माध्यम से उपलब्ध संसाधन जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा डिजिटल विषय वस्तु के रूप में उपलब्ध हो।

आज हम इनका उपयोग अपने कक्षा शिक्षण, दूरवर्ती एवं ऑन लाइन एज्यूकेशन तथा अन्य सभी प्रकार के औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण अधिगम में भली भाँति कर रहे हैं। विद्यार्थी शिक्षकों के लिएयह आवश्यक है कि उन्हें विश्व के किसी भी कोने में होने वाली गतिविधियों की जानकारी आवश्यक ब्यौरों के साथ पलभर में उपलब्ध हो जाए। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग करने से कार्य आसान हो जाता है साथ ही समय एवं श्रम की बचत होती है।अतः सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग डी.एल.एड के पाठ्यक्रम में करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है।शिक्षा प्रणाली में शिक्षक अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार होते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक डॉक्टर, इंजीनियर आदि के समान कुशलता तथा तकनीकी कौशल से कार्य को अधिक प्रभावी बनायें।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। परन्तुसूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग करते समय कुछ समस्याएं भी आती हैं जैसे नेटवर्क की समस्या, कौशल स्तर के कारण उत्पन्न समस्या, सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की उपलब्धता की समस्या आदि। डी.एल.एड के विद्यार्थियों को सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग करते समय किन समस्याओं का सामना करना पडता है

शोध कथन–'डी.एल.एड के विद्यार्थियों को सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में होने वाली समस्याएं।'

शोध उद्देश्य–डी.एल.एड के विद्यार्थियों को सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में होने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना।

शोध-प्रक्रिया–स्वनिर्मित उपकरण 'सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी उपयोग अन्वेशिका' का उपयोग प्रदत्त संग्रह के लिए किया गया व सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया ।इस शोध में हाडौती क्षेत्र के जिलों केडी.एल.एड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।प्रदत्त विश्लेषण के लिए आवृत्ति और साधारण प्रतिशत का उपयोग किया गया है।

डी.एल.एड के विद्यार्थियों को सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में होने वाली समस्याएं – डी.एल.एड के विद्यार्थी सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग के दौरान बहुत सी समस्याएं उनके सामने आती हैं। ऐसी ही कुछ समस्याएं जो आमतौर पर विद्यार्थियों के सामने आती हैं उनका विश्लेषण नीचे किया गया है।

सारणी 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

1. **आवश्यकता से अधिक जानकारी उपलब्ध होना–** डी.एल.एड के विद्यार्थियों के विद्यार्थी सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के संसाधनों के उपयोग के दौरान बहुत सी समस्याएं उनके सामने आती हैं। इन्टरनेट पर बहुत सी जानकारी उपलब्ध होती है। कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है एवं कठिनाई भी होती है।

डी.एल.एड के विद्यार्थी शिक्षण, विषय वस्तु या लेख आदि के लिए सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग करते हैं, इस दौरान आवश्यकता

से अधिक जानकारी उपलब्ध होने से उन्हें समस्या होती है डी. एल.एड के विद्यार्थी जिन्हें इस तरह की समस्या हमेशा होती है उनका प्रतिशत बहुत कम केवल 6.67 प्रतिशत है। 6.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को इस तरह की समस्या अधिकांशतः, 14.0 प्रतिशत विद्यार्थियों को इस तरह की समस्या सामान्य तौर पर होती है। 52.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को अधिक जानकारी उपलब्ध होने से कभी-कभी समस्या होती है। 20.0 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें आवश्यकता से अधिक जानकारी उपलब्ध होने से समस्या कभी नहीं होती है।

2. डाउनलोड करने में समय अधिक लगना – इन्टरनेट पर उपलब्ध जानकारी को डाउनलोड करने में कई बार समय अधिक लगता है डी. एल.एड के केवल 2.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही हमेशा इस समस्या का सामना करना पड़ता है। 6.0 प्रतिशतविद्यार्थियों को अधिकतर, 26.67 को सामान्य तौर पर 52.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को कभी-कभी डाउनलोड में अधिक समय लगने की समस्या आती है। 12.0 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें डाउनलोड करने में अधिक समय लगने की समस्या कभी नहीं होती है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकांशतः डाउनलोड करने में अधिक समय लगता है।

3. सर्च करने में कठिनाई आना– कम्प्यूटर, मोबाइल, लेपटॉप आदि पर इंटरनेट पर बहुत से सर्च इंजन जैसे-गूगल, बिंग आदि उपलब्ध हैं। इन सर्च इंजन्स की सहायता से विभिन्न जानकारी उपलब्ध करवाई जाती हैं जैसे ट्रेन या बस का टाइम टेबल, समाचार, शैक्षणिक परीक्षा परिणाम आदि बहुत सी ऐसी जानकारी हैं जो इन सर्च इंजन्स के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सही वेबसाइट की जानकारी नहीं होने पर सर्च इंजन की सहायता से सर्च किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की जानकारी डी. एल.एड के विद्यार्थी भी सर्च करते है।

सर्च करने में कठिनाई की समस्या बहुत कम केवल 2.0 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही हमेशा होती है। 4.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को अधिकतर, 29.33 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्यत तथा 36.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को हमेशा होती है। 27.33 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे है जिन्हें सर्च करने में कठिनाई कभी नहीं होती है।

4. वेबसाइट ओपन (open) नहीं होना– इन्टरनेट पर सर्च करते समय कई बार वेबसाइट्स ओपन नहीं होती हैं। सरवर से सम्बंधित समस्या होती है या वेबसाइट ब्लॉक होने से ओपन नहीं होती है।

डी.एल.एड के विद्यार्थियों के सामने भी वेबसाइट ओपन नहीं होने की समस्या आती है। यह समस्या हमेशा केवल 2.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को होती है। 7.33 प्रतिशत विद्यार्थियों को वेबसाइट न खुलने की समस्या अधिकतर, 26.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्यत, 50.0 प्रतिशत विद्यार्थियों को कभी-कभी ही यह समस्या आती है परन्तु 13.33 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें वेबसाइट ओपन नहीं होने की समस्या या कठिनाई कभी नहीं होती है।

5. स्क्रीन से पढने में परेशानी होना – कम्प्यूटर, लेपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन के आकार में अन्तर होता है कम्प्यूटर, लेपटॉप की अपेक्षा मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है ऐसे में स्क्रीन से पढने में परेशानी होना स्वाभाविक है, परन्तु कई बार कम्प्यूटर स्क्रीन से पढ़ने में भी परेशानी होती है शब्द या अक्षर इतने पास-पास होते है कि पढ़ते समय पंक्ति छूट जाती है।

डी.एल.एड के बहुत कम विद्यार्थियों 3.33 प्रतिशत को ही स्क्रीन से पढ़ने में हमेशा परेशानी होती है। 3.33 प्रतिशत को अधिकतर यह समस्या होती है। 16.0 प्रतिशत विद्यार्थी सामान्य तौर पर इस समस्या का सामना करते है। 47.33 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें स्क्रीन से पढ़ने में परेशानी कभी-कभी होती है तथा 30.0 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्हें स्क्रीन से पढ़ने में परेशानी कभी नहीं होती है।

6. सर्च करने में उचित कौशल की कमी– इन्टरनेट पर किसी भी सामग्री या जानकारी के बारे में सर्च करना भी एक कौशल है। कम्प्यूटर के बारे में अच्छा ज्ञान होने पर भी इन्टरनेट पर सर्च करने का कौशल नहीं होता है।

डी.एल.एड के केवल 1.33 प्रतिशत विद्यार्थियों को उचित कौशल की कमी के कारण हमेशा सर्च करने में कठिनाई होती है। 9.33 प्रतिशत विद्यार्थियों को अधिकतर, 12.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्यतः, 46.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को कभी-कभी सर्च करने में उचित कौशल की कमी के कारण सर्च करने में कठिनाई होती है। 30.0 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे है जिसमें सर्च करनें का कौशल होने के कारण कठिनाई कभी नहीं होती है।

7. उपकरण का उपलब्ध न होना – संसाधनों के उपयोग में होने वाली एक समस्या उपकरण का उपलब्ध न होना भी है, वर्तमान में टेब, स्मार्टफोन अवश्य विद्यार्थी अधिक उपयोग में लेने लगे हैं जिससे उपकरण उपलब्ध न होने की समस्या में कुछ हद तक कमी आई है।

डी. एल.एड के 1.33 प्रतिशत विद्यार्थियों को हमेशा यह समस्या होती है कि उनके पास उपकरण उपलब्ध नहीं होता। 6.0 प्रतिशत विद्यार्थियों को अधिकतर, 23.33 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्यतः, 44.0 प्रतिशत विद्यार्थियों को कभी-कभी उपकरण उपलब्ध न होने की समस्या होती है। 25.33 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे है जिनके पास उपकरण की उपलब्धता है, उन्हें यह समस्या कभी नहीं होती है।

8. इन्टरनेट का महंगा होना– ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग के लिए इन्टरनेट का उपलब्ध होना आवश्यक है। आजकल बहुत से कार्य ऑनलाइन होने लगे है जिससे सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग बढ़ा है। परन्तु इन्टरनेट का महंगा होना भी एक समस्या हैं।

डी.एल.एड के 2.0 प्रतिशत विद्यार्थियों को इन्टरनेट का मंहगा होने से हमेशा, लगभग इतने ही विद्यार्थियों 2.67 प्रतिशत को अधिकतर, 15.33 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्यतः तथा 48.67 प्रतिशत विद्यार्थियों केा कभी-कभी इन्टरनेट महंगा होने से समस्या होती है। केवल 31.33 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही इन्टरनेट के महंगा होने से समस्या कभी नहीं होती है।

9. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने का डर – सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, सी.डी.प्रोजेक्टर आदि का उपयोग करने पर उनके खराब होने की संभावना बनी रहती है।

डी.एल.एड के 4.67 प्रतिशत विद्यार्थियों को हमेशा यह समस्या होती है 5.33 प्रतिशत विद्यार्थियों की राय है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने की समस्या अधिकतर होती है। 24.0 प्रतिशत विद्यार्थियों की राय में सामान्यतः तथा 47.33 प्रतिशत विद्यार्थियों की राय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने की समस्या कभी कभी ही होती है। वहीं 18.67 प्रतिशत विद्यार्थी यह मानते है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर मोबाइल, हार्डवयर आदि के खराब होने की समस्या उन्हें कभी नहीं होती है।

10. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अंग्रेजी भाषा की भरमार होना – कम्प्यूटर, लेपटॉप, मोबाइल आदि उपकरणों में अँग्रेजी भाषा की अधिकता

होती है। इनमें दिए गए निर्देश अँग्रेजी भाषा में होते हैं, जिससे हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को इनका उपयोग करने में परेशानी होती है।डी.एल.एड. के 14.0 प्रतिशत विद्यार्थियों को हमेशा यह समस्या होती है, 10.0 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अंग्रेजी भाषा की भरमार होने से उन्हें अधिकतर समस्या होती है। 22.67 प्रतिशत विद्यार्थियों की राय में सामान्यत: तथा, 35.33 प्रतिशत विद्यार्थियों की राय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अंग्रेजी भाषा की भरमार होने की समस्या कभी–कभी ही होती है। वहीं 18.0 प्रतिशत विद्यार्थी यह मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अंग्रेजी भाषा की भरमार होने से उन्हें समस्या कभी नहीं होती है।

निष्कर्ष–डी.एल.एड. के विद्यार्थियों को सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग करते समय विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। डी.एल.एड. के अधिकांशत: लगभग 92 प्रतिशत विद्यार्थियों के सामने सर्च करते समय कई वेबसाइट के ओपन नहीं होने की समस्या आती है। दूसरी समस्या जो अधिक होती है वह हैं डाउनलोड करने में अधिक समय लगना। सामान्यत: जो समस्याएं होती हैं वह हैं इन्टरनेट का महंगा होना, उचित कौशल की कमी के कारण इन्टरनेट पर सर्च करने में कठिनाई होना, उपकरण उपलब्ध न होना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अंग्रेजी भाषा की भरमार होना, सबसे कम समस्याएं जो आती हैं वह है स्क्रीन से पढने में परेशानी होना तथा आवश्यकता से अधिक जानकारी उपलब्ध होना। इस प्रकार ये कुछ समस्याएँ हैं जो सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग के समय विद्यार्थियों को होती हैं।

सुझाव–डी.एल.एड. के विद्यार्थियों कों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग में समस्या होती है जिसकी वजह से वे ठीक प्रकार से उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

सर्च करने में उपर्युक्त कौशल की कमी विद्यार्थियों में देखी गई उसे पाठ्यक्रम के दौरान कम्प्यूटर का उचित उपयोग करना सिखाकर दूर किये जाने की आवश्यकता है। उपकरण उपलब्ध न होना भी एक समस्या है इसके लिए कॉलेज में उपकरण उपलब्ध करवाया जा सकता है, साथ ही अब स्मार्ट फोन में ही सब सुविधाएं उपलब्ध है ऐसे में उसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

इन्टरनेट का महँगा होना भी एक समस्या है ऐसे में कॉलेज में या जिन स्थानों पर वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ इन्टरनेट का उपयोग कर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

निहितार्थ – डी.एल.एड. के विद्यार्थी भावी शिक्षक होते है उन्हे सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में आज के समय में दक्ष होना आवश्यक है। ई–बुक्स, ई–मेग्जीन का उपयोग तभी कर पायेगें जब उनमें सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी को उपयोग करने का कौशल होगा। प्रस्तुत शोध, भविष्य में डी.एल.एड के विद्यार्थियों कों पाठ्यक्रम के दौरान कम्प्यूटर का उचित उपयोग करना सिखाने की आवश्यकता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. **धामिजा,एन., सुशान्त के पाण्डा (2007),** 'इन्टरनेट के प्रति अधिस्नातक विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन' एजूट्रेक्स , नीलकमल पब्लिकेशन्स,हैदराबाद, जनवरी 2008.
2. **जायसवाल, विजय (2014),** 'दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निहितार्थ एवं समस्याए' परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय प्रका'न, अप्रैल 2014.
3. **माया(2014),**'शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सूचना संचार तकनीकी का शिक्षण प्रभावशीलता के संदर्भ में अध्ययन', नई शिक्षा, बनीपार्क, जयपुर, जनवरी 2015.
4. **राय, अजीत कुमार एवं अजय कुमार (2012),** 'शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी सुविधाएं' भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,अंक 2,अक्टूबर 2012.
5. **सिंघवी, राजेन्द्र कुमार (2003),** 'सूचना प्रौद्योगिकी का शोध में योगदान', शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय, राजस्थान, अक्टूबर.

Web sites-

1. wwww.google.com
2. hhttp://shodhganga.inflibnet.ac.in
3. TThe five key challenges in implementing ICT for development | Devex
4. TTeaching and learning with ICT tools: Issues and challenges - digitalLEARNING Magazine (eletsonline.com)

सारणी 1–सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकीके उपयोग में होने वाली समस्याएं–

क्र.	विभिन्न समस्याएं	कभी नहीं	कभी कभी	सामान्यत	अधिकतर	हमेशा
1	आवश्यकता से अधिक जानकारी	20.00	52.67	14.00	6.67	6.67
2	डाउनलोड में समय अधिक लगना	12.00	52.67	26.67	6.00	2.67
3	सर्च करने में कठिनाई आना	27.33	36.67	29.33	4.67	2.00
4	कई वेबसाइट ओपन (open)नहीं होना	13.33	50.00	26.67	7.33	2.67
5	स्क्रीन से पढने में परेशानी होना	30.00	47.33	16.00	3.33	3.33
6	सर्च करन में उचित कौशल की कमी	30.00	46.67	12.67	9.33	1.33
7	उपकरण का उपलब्ध न होना	25.33	44.00	23.33	6.00	1.33
8	इन्टरनेट का महंगा होना	31.33	48.67	15.33	2.67	2.00
9	उपकरणों के खराब होने का डर	18.67	47.33	24.00	5.33	4.67
10	उपकरणों में अंग्रेजी भाषा की भरमार होना	18.00	35.33	22.67	10.00	14.00

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

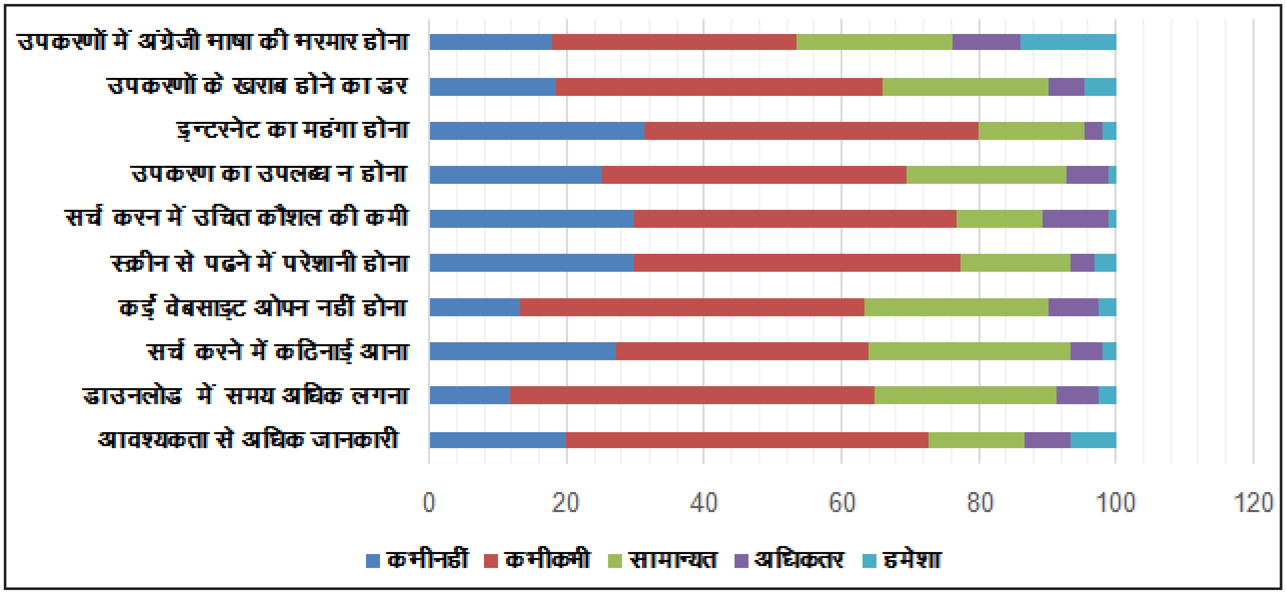

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Feministic Themes in the Novels of Anita Nair

Virginia Dawande *

*Asst. Professor (English) Govt. College, Distt. Betul (M.P.) INDIA

Abstract - Anita Nair is one of the renowned writers of India who always focuses on the problems of women in Indian society. She does not consider herself as feminist writer still her stories portray the subtlety of a woman. The major themes of the novels of Anita Nair is a stream of consciousness of the women who is in quest to find their dignity, independence and role playing in modern society of India. Her narration is amazing and the main upthrust of her novels is the encounter between self-actualization and family responsibilities of the individuals. The characterization and setting of all the novels of Anita Nair are family, relationship, social position, gender inequality and many more. One of the major concerns of Nair is women's liberation by entirety preserving their liberty, their values and dignity.
Keywords - Liberation, consciousness, feminist, patriarchal, contemporary.

Introduction - The pioneer writer of India and contemporary Indian novelist, Anita Nair usually portrays the situation of common women of south India base in which she depicts the dominance of male over female and the desire of women is totally repressed in male chuvenistic society. Aleksandr Isayevich told that literature isn't the breath of contemporary society but Anita Nair always believed that the society is the environment in which literature breath. As a matter of fact, Nair happened to intend to depict both the good and bad facets of the society. The characters of her novels are drawn from the people and their lives in Indian society.

Anita Nair's novels deals with the characters who have great courage and endurance. In fact, she wanted to display Indian Women who is independent and who can struggle in every adverse situation. The purpose of writing her novels is to sketch the oppression of women during their entire life and how they can gain their dignity and independence in the modern society. Anita Nair breaks the chain of society in portraying her women characters, which usually leads to its fragmentation. She forces us to think of the importance of curbing adultery to save family life. The female characters in her novels come from different religions, reflecting thus the diversity of Indian culture, which would be difficult or impossible to generalize. Anita Nair is a contemporary Indo -English novelist who has presented the plight of Indian women.

Themes of Anita Nair's novels - Anita Nair has shown that the subordinate position of women in the orthodox tradition bound society is due to patriarchal thinking. She has taken up issues of gender discrimination and social conditioning of women, husband -wife relationship, the suppression of women and sexual harassment within and outside the marital frame. Marriage has been set as an ultimate goal for women characters in her novels, they have to mould and transform themselves to suit the interest of the male counterparts and suppress their self identity. Anita Nair's novels expresses the need of liberation, and education of Indian women and therefore its reformist objective is fore -grounded in her novels. Anita Nair's women characters in her novels rebel against patriarchal community in order to explore their own terms, regardless of the consequences that such a rebellion may have on their lives they take the position of "outsiders" to fight and also projected her Indian sensibility and attitude through her women characters in her novels. Most of the Indian women living in an orthodox and conservative family feel suppressed to raise their voice against dominance of the male person of the society owing to their inferiority complex and rigid code of conduct imposed on their ambitions, desires, sense and sensibilities are beautifully portrayed in Nair's novels. In fact, in her writing, the reshuffling of male -female relationship that can bring changes in social and interpersonal attitudes becomes the most important basis of female emancipation. In this context, Anita Nair's novels make an interesting reading because of their contemporaries. Nair's novels are based in South Indian reality, its inherent complexities and value system.

The Treatment Of Feministic Issues - Anita Nair's novel Lessons in Forgetting (2010) is discussed to redefine the role of women and her quest to move on in life. Her writing reveals a story regarding real people, their second chances and about fresh beginning. It deals with love, liability and perfidy. Anita Nair in her fiction more or less talk about suffering of women in a patriarchal system which has tried

in many ways to repress, humiliate and abuse women. The question she raises in the novels makes us to rethink about the ideological appearance represented in mythic and metaphysical understanding of the materialistic world and reality represented in the oppression of women.

Anita Nair's novels spoke about the issues of women who fight against patriarchy and women desire. Basically in all Indian writers novel patriarchy is used as a common concept in every women's life in which they are restricted by tradition and customs. Anita Nair has presented her women as struggling side by side because of patriarchy but at the end of the novel she provided them a gesture of non-compliance against male authority. Usually her women's characters are portrayed as intelligent, courageous women are not satisfied with the injustice and insurgence against men. So Anita Nair's women raise the question of their way of life due to patriarchy and see it not only as the site of their oppression at home but in society as well. It makes a field of battle to conquer their oppressors. Anita Nair has chosen self -discovery as the central theme in both the novels Ladies Coupe and Mistress. However it is different from self -realization. Self -discovery here is more a guidance for assertion and realization of one's own interests, certainly not selfish in the narrow sense. The main theme of these two novels Ladies Coupe and Mistress is subjugation, caste discrimination, individuality, freedom, gender identity, emotional insecurity, alienation, sexuality, women's suffering, oppression, identity crisis etc her women's characters do come from all parts of the world with social, religious and cultural preoccupation. In other novels, she has depicted about husband -wife relationship. She admits that in spite of being married, they do not have a peaceful and pleasurable life. Therefore they are ready to indulge in extra marital affairs. The faithfulness in husband and wife relationship seems to be completely lost. This end is creating a lot of issues. The misunderstanding and unhappy marriage made the women to cheat and oppose their male companion. These novels depicted the concept of female opposition against patriarchy.

Conclusion - In the end we can safely assert that women are suppressed in the male dominated society and eventually how they struggle against patriarchy and women's desires are portrayed through the novels of Ladies Coupe and Mistress by Anita Nair Patriarchy literally means "the rule of the father" and comes from the Greek word patriarkhes. However, in the modern times, it more generally refers to social system in which all the powers rests with the adult male. Patriarchy is a social system in males is primary authority figures central to social organization and they occupy the roles of moral authority and presupposes female subordination. Male violence is the key feature of patriarchy. Feminism defines patriarchy as an unjust social system that is necessarily more oppressive to women. In male chuvenistic society women is supposed to be an ideal wife, mother, and an amazing home maker with multi faceted roles to play in the family. The attributes required from the women are sacrifice, submissiveness and extraordinary tolerance. Her individual self has very little recognition in the patriarchal society and so self awareness becomes her normal way of life.

References :-

1. Anita Nair, Ladies Coupe, Penguin Books, New Delhi 2001.
2. Anita Nair, Cut Like Wound, penguin Books, Harper Collins, New Delhi 2012.
3. Journey of self discovery in Anita Nair's Ladies Coupe, Language in India, vol. 9
4. Sethi B.B. "Family as a potent therapeutic force". Indian Journal of Psychiatry, 31,(1989):22-30.web.10 oct 2015
5. Mistress. India :Penguin, 2005.Print

****

भारत में मीडिया ट्रायल की संवैधानिकता: एक विधिक विश्लेषण

भोला प्रसाद साहू * डॉ. पुष्पा ठाकुर **

* (सहा. प्राध्यापक) शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (विधि विभाग) शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय , मऊगंज, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – लोकतंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्रेस/मीडिया बहुत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है मीडिया समाज की राय को ढालने एवं उसके संपूर्ण दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम है। मीडिया का सकारात्मक रूप भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने एवं आरोपियों को पकड़ने में सक्रिय भूमिका निभाता है। वर्तमान मे इसका विस्तार हुआ है जनसंचार माध्यमों जैसे केबल टेलीविजन, स्थानीय रेडियो नेटवर्क और इंटरनेट के आगमन द्वारा तीव्र गति से सूचनाओं का संप्रेषण होता है,किंतु यदि मीडिया ट्रायल के संदर्भ में साफ और सटीक विश्लेषण किया जाए तो मीडिया पर यह आरोप अक्सर लगता है कि किसी अपराध को सनसनीखेज बनाकर मीडिया खुद ही जांचकर्ता वकील और जज बन जाता है जबकि पुलिस अभी दूर-दूर तक मामले की सच्चाई के आसपास भी नहीं पहुंचती। मीडिया न्यायपालिका के कार्यों को हड़प नहीं सकता, मीडिया ट्रायल उसे प्राप्त शक्तियों के खुलेआम उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, जो निश्चय ही वर्तमान परिवेश में विचारणीय प्रश्न है।
शब्द कुंजी – मीडिया, संविधान, मीडिया ट्रायल, न्यायालय अवमानना।

शोध कार्य की पृष्ठभूमि– भारतीय संविधान का भाग 3 कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, इसी स्वतंत्रता को आधार मानकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में पुलिस एवं मीडिया की स्वतंत्रता को भी इसमें शामिल किया गया। भारत एवं विश्व की अत्यंत तीव्र गति से बदलती सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में मीडिया / प्रेस ने अपना अलग महत्व स्थापित किया और यह लोकतंत्र के अदृश्य 'चौथे स्तंभ' के रूप में प्रकट हुआ। सामान्य नागरिक की भांति मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है परंतु इस स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 (2) में कुछ निर्बंधान भी लगाए गए हैं जो उसे नियंत्रित करने में सहायक है परंतु वर्तमान परिस्थितियां इतनी तीव्र गति से बदली हैं की मीडिया पर नियंत्रण रखना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जनमत के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सत्ता में बैठे लोगों को अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए यह एक सरल साधन है, साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में भी मीडिया की बड़ी भूमिका है मीडिया के प्रचार से जहां घटना के संबंध में जानकार लोग सामने आकर घटना को उजागर करते हैं वही यह गवाहों को सार्वजनिक नजर में रखकर झूठी गवाही से रोकता है तथा अपराध ना करने के सार्वजनिक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपराध को कम करने पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में न्याय के मूल सिद्धांत के रूप में 'निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार' भी विद्यमान है जो मीडिया द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी के बिना जनता के लिए रुचिकर बनाने हेतु किसी भी छोटे से छोटे मामले को तूल देकर उस पर परीक्षण एवं पैनल के माध्यम से बहस करा कर अंतिम निष्कर्ष पर ही पहुंच जाते हैं, जो वास्तविक निर्णय को भी प्रभावित करते हैं। जिससे भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायालयों की अवमानना होती है।

शोध का उद्देश्य– वर्तमान में प्रेस/ मीडिया के द्वारा थानों में रजिस्टर्ड मामलों तथा न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में तथ्यों एवं परिस्थितियों के वास्तविक जानकारी के बिना मीडिया परीक्षण कर स्वयं द्वारा न्याय प्रदान करने की जल्दबाजी में पीड़ित को अपराधी एवं अपराधी को पीड़ित बता दिया जाता है। न्याय का मुख्य सिद्धांत है कि 'न्यायालय द्वारा जब तक अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं पाया जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाए' मीडिया को निरंतर इस सिद्धांत का उल्लंघन करते पाया गया है। न्याय शास्त्र का एक अन्य सिद्धांत है कि सुनवाई पक्षपात रहित होनी चाहिए परंतु मीडिया द्वारा विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के चलते सार्वजनिक स्थानों पर विशेष मामलों की चर्चा एवं उस पर विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण प्रकट होते हैं जो न्यायालय एवं न्यायाधीशों के मन को भी प्रभावित करते हैं जिससे निर्णय में कहीं न कहीं पक्षपात पूर्ण होने की संभावना बनी रहती। इस शोध पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य इन समस्याओं का प्रकटीकरण एवं इसके निदान के संबंध में सुझाव प्रदान करना है।

शोध परिकल्पना– शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थी द्वारा निम्न परिकल्पना का निर्माण किया जा कर शोध कार्य को संपन्न किया जा रहा है-

1. **प्रथम–** यह कि मीडिया परीक्षण भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के अंतर्गत आते हैं।

2. **द्वितीय–** मीडिया द्वारा किया जाने वाला परीक्षण न्यायालय के अवमान की सीमा के अंतर्गत आता है।

अनुसंधान पद्धति – किसी भी विषय पर शोध के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, तकनीक और कार्यप्रणाली की आवश्यकता होती है। मीडिया ट्रायल और उसकी संवैधानिकता से संबंधित मुद्दों के अध्ययन हेतु प्रासंगिक कानूनों की प्रकृति और उनकी सीमाओं के समझ की आवश्यकता है। वर्तमान शोध के संबंध में डेटा एकत्र करने एवं उसके विश्लेषण करने तथा मीडिया परीक्षण

के विधिक प्रभावों का पता लगाने के लिए शोधकर्ता द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली सैद्धांतिक, विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक है।

शोध कार्य के द्वारा मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तथा विषय से संबद्ध विभिन्न आयोगों और तत्समय प्रवर्तित विधानों की रिपोर्ट और माध्यमिक स्रोत जैसे पुस्तकें, लेख, पत्रिकाएं, वर्तमान लंबित और पूर्ण निर्णय दोनों, विवादास्पद मामले, समाचार और पत्रिकाएं, ई-संसाधन और अंग्रेजी और कानूनी शब्दकोश आदि के माध्यम से शोध कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित संवैधानिक प्रावधान- व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान मूल अधिकारों में सर्वोच्च माना जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 (1)(I) में स्थान दिया गया है जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से सबके समक्ष रखने तथा किसी अन्य की बात को भी विचारों के रूप में प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है। परंतु यह आत्यंतिक नहीं है इस पर राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबधें के हित में लोक व्यवस्था शिष्टाचार या सदाचार की हित में न्यायालय के ओमान की दशा में मान हानिकारक कथन होने पर अपराध को बढ़ावा देने वाले मामलों के संबंध में अथवा भारत की प्रवक्ता एवं अखंडता को नष्ट करने वाली बातों के संबंध में निर्बंधान लगाए गए हैं।

मीडिया अथवा प्रेस की स्वतंत्रता- भारतीय संविधान के भाग 3 प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता अपितु कई महत्वपूर्ण निर्णयो में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल माना है, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1 एवं सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 2 के मामले में कहा गया कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता सम्मिलित है और वह स्वतंत्रता विचारों के प्रसारण की स्वतंत्र द्वारा सुनिश्चित है उस स्वतंत्रता के लिए परिचालन की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि प्रकाशन की स्वतंत्रता, परिचालन के बिना प्रकाशन का कोई महत्व नहीं होगा। श्रीनिवास बनाम मद्रास राज्य 3 के मामले में कहा गया कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है इसमें दूसरे की विचारों के प्रसार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है लोकहित के महत्व की बातों का प्रकाशन करने का समाचार पत्रों को पूर्ण अधिकार है। सेक्रेट्री मिनिस्ट्री आफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल 4 के महत्वपूर्ण मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभीनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 19(1)। की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, रेडियो द्वारा किसी घटना का आंखों देखा चित्र प्रसारित करने का अधिकार है और सरकार उस पर केवल अनुच्छेद 19 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट उपबंधो पर ही निर्बंधान लगा सकती है किसी अन्य आधार पर नहीं।

मीडिया द्वारा परीक्षण का तुलनात्मक अध्ययन -मीडिया द्वारा प्रसारित समाचार एक तरफ समाज की राय को बदलने उसे नया दृष्टिकोण प्रदान करने एवं जनता को किसी विशेष मामले में जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसकी यही कार्यशैली इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित करती है लोकतंत्र में हर एक संस्था का कार्य सुनिश्चित है जैसे विधायिका द्वारा विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका द्वारा विधियों एवं नियमों को को क्रियान्वित कराना, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार परीक्षण करना एवं पीड़ित को न्याय प्रदान करना। वर्तमान समय में मीडिया द्वारा न्यायपालिका के इस अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है अत्यधिाक कवरेज खबरों को सनसनीखेज बनाने एवं गवाह अथवा पीड़ित के रिश्तेदारों के साक्षात्कार को प्रकाशित और कवर करने के कारण जनता के मस्तिष्क पर मामले के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है। बिना किसी तकनीकी ज्ञान के मीडिया द्वारा पीड़ित एवं अपराधियों का निरंतर परीक्षण किया जाता है तथा स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच कर पीड़ित को न्याय प्रदान करने की बात कही जाती है जिसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकार का मानक या कसौटी नहीं रखी जाती। जिससे कभी-कभी पीड़ित अपराधी की तरह प्रतीत होता है तथा अपराधी पीड़ित दिखाई देने लगता है यह अतिवादी पत्रकारिता एवं सनसनीखेज मीडिया प्रदर्शन की एक छोटी सी कड़ी मात्र है। हाल ही के दिनों में बहुत से मामले सामने आए हैं जिसमें मीडिया द्वारा इसी प्रकार से अनौपचारिक परीक्षण के द्वारा जनता में तथा न्यायाधीशों के मन में पक्षपातपूर्ण निर्णय का सर्जन किया गया, चाहे वह प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड हो, जेसिका लाल हत्याकांड, नीतीश कटारा हत्याकांड या बिजल जोशी बलात्कार का मामला इन मामलों में मीडिया ने आरोपी पर मुकदमा चलाया और अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। अधिकतर हाई प्रोफाइल मामलों में मीडिया द्वारा मीडिया ट्राई किया जाता है जैसे सलमान खान हिट एंड रन केस हो या शीना बोरा हत्याकांड अथवा आरुषि तलवार हत्याकांड, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के संबंध में भी मीडिया द्वारा विभिन्न प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप एवं निर्णय दिए गए। जब तक न्यायपालिका द्वारा किसी अभियुक्त को दोषसिद्धि घोषित नहीं किया जाता वह निर्दोष माना जाता है इस सिद्धांत का मीडिया से कोई सरोकार दिखाई नहीं देता। अभियुक्त के रूप में न्यायालय में परीक्षण होने के दौरान उनका प्रकटीकरण कर समाज में उन्हें अपराधी घोषित करने में वर्तमान में मीडिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बलात्कार पीड़ित महिला की पहचान प्रकटीकरण भी अब आम बात हो गई है इससे उन्हें समाज में रहने तथा सम्मानजनक व्यवहार करने में कठिनाई उत्पन्न होती है एक बार मीडिया द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को समाज सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता इस कारण उसका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार हो जाता है तथा उसके मौलिक अधिकार समाप्त प्राय हो जाते हैं मीडिया को अपनी इस पर जवाबदेही पर अंकुश लगाना होगा एवं जिम्मेदारी के साथ जनता की सहायता में खड़े होकर सामाजिक बुराइयों को उजागर करने तथा सनसनी से बचने का प्रयास करना होगा।

निष्कर्ष- उपरोक्त तथ्यों एवं मीडिया की पृष्ठभूमि तथा उनके द्वारा किए गए मीडिया परीक्षणों का अध्ययन करने के पश्चात शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रथम प्रकल्पना मीडिया परीक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है प्रमाणित नहीं होती दूसरी प्रकल्पना सत्य सिद्ध हुई जिसमें मीडिया द्वारा परीक्षण न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत अपराध है,मीडिया परीक्षण वर्तमान में एक गंभीर परिणाम की ओर जा रहा है मीडिया भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत इसका मौलिक अधिकार है, लेकिन साथ ही इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने की अनुमति

नहीं दी जा सकती है। अभिव्यक्ति की सीमा को निर्धारित करने एवं मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से रोकने हेतु मीडिया की निरंकुश शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विधि निर्माण का समय आ गया है। मीडिया परीक्षण के माध्यम से बिना किसी अधिकार के न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडित किया जाना चाहिए, तथा मीडिया को समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को प्रकट करने में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए ना कि अनावश्यक सनसनी पैदा करने में।

सुझाव– उपरोक्त अध्ययन एवं निष्कर्ष के आधार पर शोधार्थी द्वारा निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

1. वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति मीडिया के रूप में एक व्यक्ति के लिए मौलिक है। हालाँकि, मीडिया को उक्त अधिकार का सम्मान करना चाहिए और इसका दुरुपयोग उपयोग नहीं करना चाहिए।
2. सभी परिस्थितियों में मीडिया के प्रत्येक रूप को समाज और दुनिया की एक स्पष्ट और निष्पक्ष तस्वीर देनी चाहिए क्योंकि लंबे समय में इसके कर्तव्य राष्ट्र और समाज को आकार दे रहे हैं।
3. न्यायालय में लंबित प्रकरणों पर मीडिया परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।
4. यदि किसी मूवी हाउस द्वारा न्यायालय में लंबित मामले का परीक्षण किया जा रहा है तो उसे न्यायालय ओमान अधिानियम 1971 के तहत दंडित किया जाना चाहिए।
5. यदि किसी मामले का मीडिया परीक्षण की सूचना न्यायालय को प्राप्त होती है तो न्यायालय को प्रकाशन के स्थगन का आदेश करना चाहिए।
6. मीडिया परीक्षण के माध्यम से अभियुक्त के पहचान प्रकटीकरण को रोकना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए आई आर 1950 एस.सी. 124
2. ए आई आर 1962 एस.सी 305
3. ए आई आर 1951 मद्रास 79
4. ए आई आर 1995 एस सी सी 161
5. शुक्ला बीएन–भारत का संविधान 13जी एडिशन स्टंट बुक
6. त्रिपाठी–डॉ. जेपी संवैधानिक विधि नई चुनौतियां सीएलपी 2015
7. पांडे–डॉक्टर जय नारायण–भारत का संविधान 50संस्करण सीएलपी 2017
8. बसु–डॉक्टर डी डी–इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 2019
9. मीडिया एथिक्स: फिलोसॉफिकल अप्रोच में प्रकाशित मैथ्यू किरण द्वारा संपादित
10. आनंद–विजय कुमार, इंट्रोडक्शन ऑफ मास मीडिया फर्स्ट एडिशन 2007 आईएसबीएन 978-81 19239-4-28
11. गुलाब कोठारी न्यूज़पेपर मैनेजमेंट इन इंडिया 1995
12. प्रियंका बाधावा–इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फर्स्ट एडिशन 2007 आईएस बीएन 978-81-92239-39-8

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन के दायित्व

रवींद्र तिवारी *

* शोधार्थी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – राज्य की भूमिका में वृद्धि होने के कारण भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशासन के दायित्व में भी परिवर्तन हुआ है। 20वीं सदी के पहले तक राज्य केवल कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा का कार्य करते थे जिस कारण उन्हे पुलिस राज्य की संज्ञा दी जाती थी किन्तु अब राज्य की भूमिका लोक कल्याणकारी हो गई है, राज्य कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के दायरे से आगें बढ़कर कार्य करने लगे है। पहले राज्य के कार्य के निर्वहन में प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी द्वार किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने पर संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू होने के कारण उत्तरदायी नही ठहराया जाता था किन्तु अब न्यायालय के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत का संकुचन हुआ है। प्रशासनिक प्राधिकारियों के मनमानेपूर्ण, उपेक्षापूर्ण एवं अवैधानिक कार्यो पर विधायी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण एवं साम्यिक नियंत्रण के माध्यम से अंकुश लगाया जा सकता है।

प्रस्तावना – प्रशासनिक विधि का विकास 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण विधि विकास है। पूर्व में राज्य एक पुलिस राज्य की भूमिका में रहता था। जहॉ पर राज्य का प्रधान उद्देश्य समाज में केवल विधि व्यवस्था स्थापित करने का होता था, जिसके अंतर्गत अपराधों पर अंकुश लगाना तथा व्यक्तियों के विवादों का निपटारा करना था। शनै:–शनै: राज्यों की भूमिका में अमूलचूल परिवर्तन होने लगा और 20वीं सदी में राज्य की भूमिका एक पुलिस राज्य से बढ़कर एक लोक–कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो गई। अब राज्य न केवल विधि व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करते है अपितु समाज के कल्याण के भी अनेक कार्य करते है। राज्यों की भूमिका में होने वाली इस उत्तरोत्तर वृद्धि से प्रशासन के दायित्व में भी वृद्धि हुई है।

शोध का उद्देश्य– भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन के दायित्व में वृद्धि होने के कारण विवादों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं अत: विवादों की संख्या में वृद्धि के कारणों का पता लगाने तथा विवादों की संख्या में कमी लाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ही इस शोध–पत्र का प्रधान उद्देश्य है।

शोध–पत्र का दूसरा उद्देश्य–विधि विषय के छात्रों को विषय वस्तु पर तर्क संगत साहित्य उपलब्ध कराना है।

शोध प्रविधि– यह शोध–पत्र डाक्ट्रीनल शोध पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति को पारम्परिक शोध प्रविधि एवं अननुभवाश्रित शोध प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। इस शोध प्रविधि के अंतर्गत तर्क एवं युक्ति का प्रयोग करते हुए विधि एवं न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण किया जाता है। यह प्रविधि शोध की पुस्तकालय पद्धति से कितनी मिलती–जुलती पद्धति है क्योकि इसके अंतर्गत विधियों एवं न्यायिक निर्णयों को पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन कर विश्लेषण किया जाता है।

भारत में प्रशासनिक व्यवस्था– भारत में परिसंघीय व्यवस्था लागू होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था दो स्तरों में लागू है–

1. केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था
2. राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था

1. केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था– केन्द्रीय प्रशासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए एक मंत्रि परिषद की नियुक्ति करता है जिसके प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रि परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यो के विभाजन के लिए पृथक–पृथक विभाग बनाए गए है। प्रत्येक पृथक विभाग का प्रमुख उस विभाग का मंत्री होता है। प्रशासनिक कार्यो में संचालन एवं मंत्री की सहायता के लिए सचिव को नियुक्त किया जाता है। सचिव के कार्यालय को सचिवालय कहते है। प्रत्येक पृथक विभाग के कार्यो का संचालन सचिवालय से होता है।

भारत में सचिवालय के कार्यालय को ब्रिटिश काल में गवर्नर जर्नल के कार्यालय के तौर पर स्थापित किया गया था। केन्द्रीय प्रशासन में वृद्धि होने के कारण सचिवालय के विभागों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

सचिवालय प्रमुख रूप से दो कार्य करता है–

(क) नीतियों को निर्मित करना तथा मंत्रियों का सहयोग करना।
(ख) क्षेत्रीय योजना एवं कार्यक्रम तैयार करना।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते है–

(अ) विभागीय गतिविधियों के लिए बजट तैयार करना और उसके ० पर नियंत्रण रखना।
(ब) कार्यकारी विभाग के द्वारा नीतियों एवं दायित्वों के निष्पादन पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखना।
(स) विभागीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता को विकसित करना।
(द) समन्वय स्थापित करने में सहायता करना।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

2. **राज्य प्रशासनिक व्यवस्था–** राज्य स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था भी केन्द्र की भांति संचालित होती है। राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है जो अपने सहयोग के लिए मुख्यमंत्री की एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते है। राज्य की समस्त प्रशासनिक कार्यवाहियाँ राज्यपाल मंत्रियों को विभाग सौपकर विभागवार संचालित करता है। मंत्रियों को सहयोग देने के लिए राज्य में सचिवालय की स्थापना होती है, सचिवालय में विभाग के सचिव अपने-अपने विभागों के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते है, जिसके अंतर्गत नीति निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन शामिल है।

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है केन्द्र एवं राज्य दोनों के लिए सामान्य सेवाओं का निर्माण जिन्हे हम 'अखिल भारतीय सेवाएँ' कहते है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी सामान्य रूप से केन्द्र एवं राज्यों में विभाजित किए जाते है तथा यह दोनो स्तर पर कार्य करते है।

प्रशासन के दायित्व-राज्य के लोककल्याणकारी स्वरूप धारण करने के कारण उसके दायित्व में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यहॉ पर प्रशासन के दायित्वों को दो प्रमुख भागों में विभाजित कर उसका निम्नलिखित विश्लेषण किया जा रहा है-

1. प्रशासन के अपकृत्यात्मक दायित्व
2. प्रशासन के संविदात्मक दायित्व

1 **प्रशासन के अपकृत्यात्मक दायित्व–** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के द्वारा उपबंध करके भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक अमले के माध्यम से कार्य करती है। अत: यदि प्रशासनिक अमले का कोई व्यक्ति कोई अपकार कर दें तो उसके अपकार के लिए केन्द्र या राज्य सरकार (जिसका भी अपकारी कर्मचारी प्रतिनिधि है) के विरूद्ध पीड़ित व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि अपकृत्य के मामलों में पीडित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का उपचार प्राप्त करने का वैधानिक प्रावधान है, अत: पीड़ित व्यक्ति द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय प्रशासन को दायित्वाधीन घोषित कर पीड़ित की क्षतिपूर्ति करने के लिए विवश कर सकता है।

2. **प्रशासन के संविदात्मक दायित्व–**प्रशासन पर भी संविदा भंग के मामले में उसी प्रकार दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है जिस प्रकार संविदा विधि के अधीन किसी प्राइवेट व्यक्ति पर।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को अपनी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में किसी प्रयोजन के लिए संविदा करने हेतु अधिकृत करता है।

केन्द्र सरकार के द्वारा की जाने वाली सभी संविदाएं उसके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति के नाम से प्रथा राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली सभी संविदाएँ उसके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्यपाल के नाम से की जाती है। संविदा के मामलों में न तो संविदा करने वाला प्रशासनिक अधिकारी और न ही राष्ट्रपति या राज्यपाल उस संविदा के निर्वहन या भंग के लिए व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन होगें। हालांकि यदि संविदा करने वाले प्रशासनिक अधिकारी ने अनुच्छेद 299 के उपबंधों का पालन नही किया है तो ऐसे संविदा के दायित्वों के निर्वहन एवं भंग के लिए वह व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन होगा।

प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण– प्रशासनिक प्राधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कई बार लापरवाही पूर्वक कृत्य करतें है या मनमाने पूर्ण तरीके से कार्यो का निष्पादन करते हुए जनता को क्षति कारित करते है। ऐसे में उन पर अंकुश लगाना आवश्यक हो जाता है। प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्यो को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय उपलब्ध है-

(क) विधायी नियंत्रण
(ख) न्यायिक नियंत्रण
(ग) साम्यिक नियंत्रण

(क) विधायी नियंत्रण–भारत में परिसंधात्मक व्यवस्था होने के कारण विधायिका भी दो स्तरो में कार्य करती है। केन्द्रीय स्तर पर संसद एवं राज्य स्तर पर विधान मंडल द्वारा प्रशासनिक कार्यो में विभिन्न प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों के विधायी नियंत्रण के कुछ प्रचलित तरीके निम्नलिखित है-

(1) सदन में प्रश्न पूछकर–संसद या विधान मंडल के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते है इसीलिए उनका आम जनता की समस्याओं से तथा जबाबदेह प्रशासन से सीधा संपर्क रहता है। प्रशासन के मनमाने पूर्ण एवं अवैध कार्यो से जनता को होने वाली समस्या से संबंधित प्रश्न पूॅछ सकते है। सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे- तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न आदि पूछे जाते है। सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न का जबाब देना सरकार का दायित्व है।

(2) विधि बनाकर–विधायिका प्रशासन के मनमाने पूर्ण कार्यो को विधि बनाकर नियंत्रित कर सकती है। प्रशसन की नीतियों की जड़े विधायिका द्वारा बनाएं गए कानून पर ही आधारित होती है।

(3) लेखा परीक्षण के माध्यम से– कोई भी शासकीय कार्यालय जो भी व्यय करता है उसका आडिट करवाना आवश्यक होता है। शासकीय कार्यालयों के द्वारा किए गए कार्यो की आडिट रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सदन के सम्मुख समस्त लेखा जोखा प्रस्तुत करता है।

(4) समितियों के माध्यम से– विधायिका अपने कार्य संचालन के लिए कुछ समितियों का निर्माण करती है जिसमें से कुछ समितियो का कार्य प्रशासनिक कार्यो की समीक्षा एवं उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित होती है।

(5) प्रतिवेदनों पर चर्चा के माध्यम से– संसद या विधान मंडल द्वारा निर्मित अधिनियमों के प्रावधान अनुसार नियुक्त प्राधिकारियों को अपने कार्यो का वार्षिक लेखा-जोखा प्रतिवेदन के माध्यम से सदन के पटल पर प्रस्तुत करना होता है।

(6) निंदा प्रस्ताव के माध्यम से– प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता है जिस विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनमानापूर्ण या अवैध कार्य किए जाते है उस विभाग के मंत्री के नियंत्रण क्षमता पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता है ऐसे में सदन के सदस्य सदन में उस विभाग के मंत्री के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है।

(ख) न्यायिक नियंत्रण– प्रशासनिक कार्यो पर न्यायिक नियंत्रण विभिन्न प्रकार की याचिकाओं एवं न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार या बंदी बना लिया जाता है तो वह न्यायालय से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवाकर स्वयं को मुक्त करा सकता है। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अनाधिकृत रूप से

किसी लोकपद पर आसीन हो जाता है तो उसके विरूद्ध अधिकार पृच्छा रिट जारी कर उसे न्यायालय द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। जब कोई प्रशासनिक प्राधिकारी कोई अधिकारातीत कार्य करता है या अपने दायित्व के निर्वहन से इंकार कर देता है तब न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी कर उसे अधिकारातीत कार्य करने से रोंक दिया जाता है या अपने ऊपर अधिरोपित दायित्व के निर्वहन के लिए विवश किया जाता है।

प्रशासन द्वारा कुछ अर्द्ध विधायी कार्य संपादित किए जाते है जिन्हे हम प्रत्यारोपित विधायन की संज्ञा देते है। जब प्रशासन द्वारा प्रत्यारोपित विधायन के निर्माण में मूल विधि की भावना के विपरीत प्रावधानों को समाविष्ट किया जाता है तब न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए उस उल्लंघनपूर्ण प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया जाता है।

इस प्रकार न्यायपालिका रिट तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से प्रशासनिक कार्यो को नियंत्रित करने का कार्य करती है।

(ग) साम्यिक नियंत्रण – साम्यिक नियंत्रण के उपाय को सामान्य सिविल उपचार भी कहते है। प्रशासनिक प्राधिकारी के कृत्यों से व्यथित कोई भी व्यक्ति व्यवहार न्यायालयों के माध्यम से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित तीन प्रकार के उपचार साम्यिक उपचार माने जाते है–

(1) व्यादेश
(2) घोषणा
(3) क्षतिपूर्ति

(1) व्यादेश – व्यादेश के माध्यम से न्यायालय प्रशासनिक प्राधिकारी को कोई अवैद्यानिक कार्य को करने या जारी रखने से रोक सकता है। जब भी किसी नागरिक के वैद्यानिक या साम्यिक अधिकारों का उल्लंघन किसी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाता है तोव्यथित व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाकर स्थायी, अस्थायी अथवा आज्ञापक व्यादेश का उपचार प्राप्त कर सकता है।

(2) घोषणा– पीड़ित पक्षकार अपने अधिकारों की घोषणा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके करवा सकता है। घोषणा के माध्यम से व्यथित पक्षकार के अधिकारों का अंतिम अवधारणा हो जाता है।

(3) क्षतिपूर्ति– यदि प्रशासनिक प्राधिकारी या कोई भी सरकार का सेवक सेवा में नियोजन के अनुक्रम में किसी के वैध अधिकार का उल्लंखन करता है तो व्यथित पक्षकार उस सेवक के अपकार से कारित क्षति के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति अर्जित कर सकता है।

न्यायिक अभिमत– भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन के दायित्व पर न्यायालयों ने समय–समय पर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए है। कुछ महत्वपूर्ण मामले एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या इस प्रकार है–

1. भीकराज जयपुरिया विरूद्ध भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय प्रदान किया कि वह संविदा जो कि निर्धारित प्रारूप में नही है, प्रवर्तनीय नही होगी।
2. भारत संघ विरूद्ध रलिया राम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि संविदा के तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संविदा राष्ट्रपति की ओर से की गई थी तो प्रशासनिक अधिकारी (संविदाकर्त्ता) को यह अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नही है।
3. पं. बंगाल विरूद्ध बी.के.मण्डल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारण कियाकि शासन की ओर से की गई संविदा के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों की अवहेलना करने मात्र से वह शून्य नही हो जाती यदि उसका अनुसमर्थन कर दिया जाता है तो वह संविदा वैध होगी।
4. एरूजिअन इक्वीपमेंट एण्ड केमिकल्स विरूद्ध पश्चिम बंगाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि लोक संविदा के माध्यम से संविदा किया जाना हैतो किसी भी संविदाकार को ब्लैक लिस्ट करने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांन्त का पालन करना आवश्यक है।
5. राजस्थान राज्य विरूद्ध विद्यावती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि सरकार के किसी सेवक ने सेवा के नियोजन के अनुक्रम में किसी व्यक्ति को क्षति कारित कर दिया है तो सरकार अपने सेवक के द्वारा किए गए अपकार के लिए दायित्वाधीन है।
6. कस्तूरीलाल विरूद्ध उ.प्र.राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्धारित किया कि सरकार के सेवक (प्रशासनिक अधिकारी/ कर्मचारी) द्वारा यदि संप्रभु शक्ति के प्रयोग करने में किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित हो जाती है तो ऐसी क्षति के लिए सरकार या उसके सेवक दायित्वाधीन नही होंगे।
7. एन.नागेन्द्र राव एण्ड कं. विरूद्ध आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कस्तूरीलाल के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया तथा यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार अपने सेवक के उपेक्षापूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी है। अत: न्यायालय ने संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत के अपास्त कर दिया।
8. महमूद नैयर आजम विरूद्ध छत्तीसगढ़ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दायित्वाधीन अभिनिर्धारित किया।
9. अंकिता ठाकुर विरूद्ध जम्मू कश्मीर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रशासनिकअधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नही होता है।

निष्कर्ष –प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन मे यह पाया गया कि राज्य की भूमिका में बदलाव (पुलिस राज्य से लोककल्याणकारी राज्य) होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यो एवं दायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हुई है किन्तु प्रशासनिक विधि के पूर्ण विकसित न होने के कारण भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन मे प्रशासनिक अधिकारी/ कर्मचारी अपेक्षाकृत कम जवाबदेही के साथ कार्य करते है। प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णित न्यायिक निर्णयों के अध्ययन से भी यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक के दायित्वों को निर्धारित करने एवं उनके निर्वहन के लिए जवाबदेही तय करने हेतु अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासनिक विधि का संहिताकरण किया जाय।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपाध्याय, डॉ. जय जय राम प्रशासनिक विधि
2. केसरी,डॉ. यू0पी0डी0- प्रशासनिक विधि
3. टकवानी, सी.के. – प्रशासनिक विधि
4. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण – भारत का संविधान
5. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण – अपकृत्य विधि
6. राम, डॉ. कैलाश – संविदा विधि –I
7. एस.सी.सी.आनलाइन

भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता एवं विधायी विशेषाधिकार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भोला प्रसाद साहू *

* (सहा. प्राध्यापक) शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – 'संविधान सरकार द्वारा लोगों को रोकने का साधान नहीं है यह तो वह साधान है जिसके द्वारा लोग सरकार को रोक सकते हैं।'

पैट्रिक हेनरी (1736-1799)

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक कार्यों के आधार स्तंभ के रूप में विद्यमान रही है, भारतीय संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार का दर्जा देकर गारंटीकृत किया गया, जिसने सामान्य व्यक्ति की जन भावनाओं को विस्तार देने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए प्रेस,इलेक्ट्रॉनिक,प्रिंट एवं सोशल मीडिया का रूप ले लिया तथा जनता को राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कार्यपालिका के नकारात्मक एवं असंवैधानिक कार्यों को मुखरता से विरोध करने का स्वर प्रदान किया। इस मौलिक अधिकार में शासन के कार्यों को जानने एवं उस आधार पर सरकार के संबंध में राय निर्मित करने का अधिकार होता है वही यह विधायी विशेषाधिकार पर अध्यरोही प्रभाव नहीं रखते तथा बिना किसी पूर्व सूचना के संसदीय विशेषाधिकारो एवं कार्यवाहिओं के प्रकाशन को दंडनीय अपराध घोषित करते हैं, जो मौलिक अधिकार के इस क्षेत्र में प्रवेश पर निर्बंधान प्रतीत होता है। प्रेस यदि पूर्ण जवाबदेही के साथ किसी समाचार को प्रकाशित करती है तो यह जन जागरूकता का आदर्श स्थापित कर सकती है लोकतांत्रिक देश में जनता के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में उन तक इसके पहुंच के लिहाज से यह आवश्यक है तथा इसमें किसी प्रकार की गोपनीयता जनता के विरुद्ध षड्यंत्र की आशंका को उत्पन्न करता है।

शब्द कुंजी – प्रेस, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, लोकतंत्र, संविधान,विधायी विशेषाधिकार, मीडिया।

प्रस्तावना – शोध कार्य की पृष्ठभूमि– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आजादी की पहली शर्त मानी जाती है, यह आजादी के पदानुक्रम में सर्वप्रथम स्थान पर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में यह सच ही कहा गया है कि यह सभी अन्य स्वतंत्रताओं की जननी है। अभिव्यक्त की आजादी का अधिकार समाज का सार है और इसे हर समय सुरक्षित रखा जाना चाहिए। एक मुक्त समाज का पहला सिद्धांत खुले मंच से शब्दों के अनियंत्रित प्रभाव होना चाहिए,बिना किसी बाधा के राय एवं विचार व्यक्त करने की आजादी और विशेष रूप से दंड के भय के बिना उस समाज विशेष के विकास में तथा राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य के दमन या विनियमन के विरुद्ध गारंटी की सबसे महत्वपूर्ण मौलिक स्वतंत्रता में से एक है। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है क्योंकि इस पर सेंसरशिप की शक्ति सरकार द्वारा व्यक्तियों पर एवं उनके विरुद्ध प्रयोग की जाती है ना कि व्यक्तियों द्वारा सरकार पर या उनके विरुद्ध' लोकतांत्रिक नीति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनिवार्य शर्त है, किसी व्यक्तिगत विचार का भाग्य तब तक प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि वह लोगों से व्यवहार में एवं उनके मनोभावों में प्रसारित ना किया गया। समाचार पत्र एक खोजी कुत्तो की तरह समाज की बुराइयों को सरकार एवं जनता में प्रकाशित एवं प्रसारित कर उसे दूर करने का प्रयास करते है इस अभिव्यक्ति पर समय-समय पर प्रतिबंध भी लगाए गए तथा इसे नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया जिसके लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1861, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम 1951 आदि

शोध का उद्देश्य– इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता एवं विधायिका के विशेषाधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों का अध्ययन करना है। इसके साथ ही विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं विधिक सिद्धांतों के माधयम से उसके तथ्यों की जांच की जाएगी तथा मौलिक अधिकारों के इस क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए जा सकेंगे।

शोध समस्या– लेखक द्वारा प्रस्तुत इस शोध पत्र में भारतीय संविधान में स्थित मौलिक अधिकार वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार विधायिका तक है या नहीं एवं यदि नहीं तो ऐसा क्यों? क्या संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है।

शोध परिकल्पना– शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थी द्वारा निम्न परिकल्पना का निर्माण किया जाकर शोध कार्य संपन्न किया जा रहा है–

यह कि क्या संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आध्यारोही प्रभाव रखती है।

प्रेस की स्वतंत्रता –स्वतंत्रता से तात्पर्य नियंत्रण हस्तक्षेप या प्रतिबंधों का ना होना माना जाता है इसीलिए अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ राज्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना मुद्रण और प्रकाशित करने के अधिकार से लगाया जाता है। व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

स्थान मूल अधिकारों में सर्वोच्च माना जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 (1)(I) में स्थान दिया गया है जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से सबके समक्ष रखने तथा किसी अन्य की बात को भी विचारों के रूप में प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है,परंतु यह आत्यंतिक नहीं है इस पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधें के हित में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय के अवमान की दशा में,मानहानिकारक कथन होने पर ,अपराध को बढ़ावा देने वाले मामलों के संबंध में अथवा भारत की प्रभुता एवं अखंडता को नष्ट करने वाली बातों के संबंध में निर्बंधान लगाए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता अपितु कई महत्वपूर्ण निर्णयो में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल माना है, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य [1] एवं सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [2] के मामले में कहा गया कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता सम्मिलित है और वह स्वतंत्रता विचारों के प्रसारण की स्वतंत्र द्वारा सुनिश्चित है उस स्वतंत्रता के लिए परिचालन की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि प्रकाशन की स्वतंत्रता, परिचालन के बिना प्रकाशन का कोई महत्व नहीं होगा। श्रीनिवास बनाम मद्रास राज्य [3] के मामले में कहा गया कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है इसमें दूसरे की विचारों के प्रसार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है लोकहित के महत्व की बातों का प्रकाशन करने का समाचार पत्रों को पूर्ण अधिकार है।

विधायी विशेषाधिकार– 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद को एवं 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को भी विशिष्ट अधिकार प्राप्त है जिनके अभाव में वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते और यह साधारण नागरिकों या निकायों को प्राप्त अधिकारों में से कहीं अधिक है'[4] इसमें अभिव्यक्त रूप से केवल दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है जिसमें पहला भाषण की स्वतंत्रता और दूसरा कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार शामिल है इसे संविधान के उपबंधो के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों और स्थाई आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा, अनुच्छेद 105 का खंड(2) तो यह उपबंधित करता है कि संसद में या उसकी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी मत के संबंध या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवही नहीं की जाएगी और कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट पत्र मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार दायित्वाधीन नहीं होगा, यह विशेषाधिकार संवैधानिक उपबंधो एवं संसद द्वारा बनाए गए विनियम के अधीन ही प्राप्त है। विधायकों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए एवं बिना किसी डर या पक्षपात के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा और बहस करने के लिए संविधान द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं को यह विशेषाधिकार प्रदान किया गया है।

विशेषाधिकार के अतिरिक्त संसद द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई शक्तियां एवं उन्मुक्तियां भी संसद सदस्यों को प्राप्त होंगी इसमें गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, गुप्त सत्र चलाने का अधिकार, कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार, कार्यवाहियों का विनियमन,सदन के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित अन्य शक्तियां भी प्राप्त होंगी।

प्रेस की स्वतंत्रता एवं विधायिका के विशेषाधिकार का तुलनात्मक अध्ययन– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9(1)(I)के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 105 एवं 194 के तहत विधायी विशेषाधिकार में प्रकाशन पर रोक से विधायिका का संघर्ष प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस एस एम शर्मा **बनाम श्री कृष्ण सिंह**[5] – के मामले में यह निर्णय किया कि'भारतीय संविधान की विधायी इच्छा के तहत विधायिका को बहस की रिपोर्ट एवं कार्यवाहियों के प्रकाशन से पूरी तरह प्रतिबंधित करने का विशेषाधिकार है तथा ऐसे विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर वह दंड देने में भी सक्षम है, अनुच्छेद 19(1)(I) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 105(3) एवं 194(3) के अधीन है तथा इस पर अधयरोही प्रभाव रखती है' समाचार पत्रों में संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन 'प्रकाशन का संरक्षण अधिनियम 1977' द्वारा संरक्षित है तथा इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है' इनाडु समाचार पत्र के संपादक का मामला। [6]

मामले में इनाडु समाचार पत्र के संपादक को एक लेख प्रकाशित करने के कारण आंध्र प्रदेश विधान परिषद की अवमानना के लिए दोषी पाया गया तथा सदन के समक्ष उपस्थित होकर क्षमा मांगने का आदेश दिया गया, इस आदेश के विरुद्ध अपील करने पर उच्चतम न्यायालय ने उसे गिरफ्तार न करने का आदेश दिया जिस पर संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई एवं विशेषाधिकारों के संहिताबद्ध किये जाने की मांग की जाने लगी।

निष्कर्ष–उपरोक्त तथ्यों एवं वादों तथा संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने के पश्चात शोध की परिकल्पना सिद्ध हुई है की विधायी विशेषाधिकार कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों पर अधयरोही प्रभाव रखते हैं। संविधान के 44 में संशोधन द्वारा सदन की कार्यवाही के प्रकाशन के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है,इसके तहत अनुच्छेद 361(I) जोड़कर यह उपबंधित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो संसद के किसी सदन की कार्यवाही का सारतः सही रिपोर्ट प्रकाशित करता है किसी प्रकार की चाहे वह सिविल हो या दांडिक कार्यवाही हेतु दायित्वाधीन नहीं होगा जब तक यह साबित ना हो जाए कि यह कार्य दुर्भावनापूर्वक किया गया था। यह स्वतंत्रता रेडियो,टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि माध्यमों के प्रकाशन को भी प्राप्त होगी किंतु सदन के गुप्त सत्र के प्रकाशन पर यह बात लागू नहीं होगी।

सुझाव–उपरोक्त अध्ययन एवं निष्कर्ष के आधार पर शोधार्थी द्वारा निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

1. विधायी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है,जिससे मौलिक अधिकारों एवं विधायी अधिकारों में संघर्ष उत्पन्न ना हो।
2. न्याय का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता के साथ विकास होना चाहिए, लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए सभी के हितों को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
3. प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार द्वारा कुछ कसौटियों के माधयम से प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।
4. राज्य को विधियों के प्रकाशन, एवं उस पर चर्चा तथा कार्यवाही के संबंध में उनके प्रकाशन से बचाव नहीं करना चाहिए।

5. प्रेस को लोकतंत्र का प्रहरी बनकर जनता के लिए आवश्यक मुद्दों को संविधान के द्धारा निर्धारित सीमा में रहकर प्रकाशन करना चाहिए ना कि उन सीमाओं को तोड़कर।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. ए आई आर 1950 एस.सी. 124
2. ए आई आर 1962 एस.सी 305
3. ए आई आर 1962 एस.सी 305
4. पीएफ में पार्लिमेंट प्रैक्टिस 15 संस्करण अध्याय 5 पॉइंट 42
5. ए आई आर 1959 एस सी 395
6. हिंदुस्तान टाइम्स ,मार्च 30 1984
7. दुर्गा दास बसु, भारत के संविधान पर टिप्पणी, खंड 2, 8वां संस्करण, 2007, वाधवा एंड कंपनी, नागपुर।
8. डॉ. जेएन पांडे, भारत का संवैधानिक कानून,44वां संस्करण, 2007, केंद्रीय कानून एजेंसी, इलाहाबाद।
9. M, Madabhusi Sriddhar, अभिव्यक्ति के कानून,1 संस्करण, 2007, एशिया कानून हाउस, हैदराबाद।
10. राय, –प्रो. कैलाश भारत का संवैधानिक कानून, 8वां संस्करण, 2009, केंद्रीय कानून प्रकाशन, इलाहाबाद।
11. प्रो. एमपी जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, 5वां संस्करण, 2009, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर।
12. वीएन शुक्ला, भारत का संविधान, 10वां संस्करण, 2001, ईस्टर्न बुक कंपनी, नई दिल्ली।
13. www-freedomhouse-org
14. www-enwordpress-com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

कोविड - 19 के काराण भारत में उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियाँ

श्रीमती कृष्णा शर्मा *

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शास. श्या.सु.ना.मु. महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। कोरोना के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी।

वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5% रह जाएगी, तो वहीं 2020-21 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी जो घटकर मात्र 2.8% रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय इकोनॉमी सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इसपर और दबाव बढ़ा है।

दरअसल कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है। सभी फैक्ट्री, ऑफिस, मॉल्स, व्यवसाय आदि सब बंद रहे। घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है। वहीं जोखिम बढ़ने से घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होने की संभावना दिख रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में पहुंच सकती है। रिपोर्ट में सरकार को वित्तीय और मौद्रिक नीति के समर्थन की जरूरत पर जोर देने की सलाह दी गई है। चुनौती से निपटने के लिए भारत को इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए जल्द से जल्द ज्यादा प्रभावी कदम उठाना होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना होगा। विश्व बैंक ने आगाह किया है कि इस महामारी की वजह से भारत ही नहीं बल्कि समूचा दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन से मिलें फायदे को गँवा सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन ने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ा लेबर मार्केट और आर्थिक संकट भी बन गया है जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।

लाखो लोग अपना रोजगार खो चुके है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि 90 देश उससे मदद मांग रहे है। आईएलओ के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में ढाई करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। COVID-19 के कारण चीन से होने वाले आयात के प्रभावित होने से स्थानीय और बाहरी आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ी हैं।सरकार द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन और सोशल डिसटेंसिंग (Social Distancing) जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती हुई है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसे पुन: शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। उदाहरण के लिये उत्पादन स्थगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है, ऐसे में कंपनियों के लिये पुन: कुशल मजदूरों की नियुक्ति कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगी। जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों में गिरावट का प्रभाव सेवा क्षेत्र कंपनियों पर भी पड़ा है। जो सेक्टर इस बुरे दौर से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वहीं पर नौकरियों को भी सबसे ज्यादा खतरा होगा। एविएशन सेक्टर में 50 प्रतिशत वेतन कम करने की खबर तो पहले ही आ चुकी है। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लोग घूमने नहीं निकल रहे, नया सामान नहीं खरीद रहे लेकिन, कंपनियों को किराया, वेतन और अन्य खर्चों का भुगतान तो करना ही है। ये नुकसान झेल रहीं कंपनियां ज्यादा समय तक भार सहन नहीं कर पाएंगी और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने कंपनियों से नौकरी से ना निकालने की अपील है लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा कि भारत का परिदृश्य अच्छा नहीं है। टिमर ने कहा कि यदि भारत में लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो यहां आर्थिक परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से अधिक बुरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को सबसे पहले इस महामारी को और फैलने से रोकना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भोजन मिल सके। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत जीडीपी अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है। ये क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर सकता है। वो कच्चा माल नहीं खरीद सकते, बनाया हुआ माल बाजार में नहीं बेच सकते तो उनकी कमाई बंद ही हो जाएगी।

भारत को भी चाहिए कि आर्थिकी को संभालने के लिए भारत मे भी प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों की एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें प्रोफेशनल हों और वे भारतीय चुनौतियों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से नीतिगत समाधान सरकार के सामने रखें।

'हमारे देश में छोटे-छोटे कारखाने और लघु उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या है। उन्हें नगदी की समस्या हो जाएगी क्योंकि उनकी कमाई नहींहोगी। ये लोग बैंक के पास भी नहीं जा पाते हैं इसलिए ऊंचे ब्याज पर कर्ज ले लेते

हैं और फिर कर्जजाल में फंस जाते हैं।'

अनौपचारिक क्षेत्रों में फेरी वाले, विक्रेता, कलाकार, लघु उद्योग और सीमापार व्यापार शामिल हैं। इस वर्ग से सरकार के पास टैक्स नहीं आता, लॉकडाउन और कोरोना वायरस के इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा असर एविएशन, पर्यटन, होटल सेक्टर पर पड़ने वाला है। यह स्थिति सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है अचानक ही उसके सामने एक विशाल समस्या आ खड़ी हुई है। 2008 के दौर में कुछ कंपनियों को आर्थिक मदद देकर संभाला गया। लेकिन,आज अगर सरकार ऋण दे तो उसे सभी को देना पड़ेगा। हर सेक्टर में उत्पादन और खरीदारी प्रभावित हुई है,कोरोना वायरस का असर पूरे दुनिया पर पड़ा है। चीन और अमरीका जैसे बड़े देश और मजबूत अर्थव्यवस्थाएं इसके सामने लाचार हो गए हैं। इससे भारत में विदेशी निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिशों को भी धक्का पहुंचेगा। विदेशी कंपनियों के पास भी पैसा नहीं होगा तो वो निवेश में रूचि नहीं दिखाएंगी, हालांकि, जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था पर इन स्थितियों का कितना गहरा असर पड़ेगा ये दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो ये कि आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की समस्या भारत में कितनी गंभीर होती है और दूसरा कि कब तक इस पर काबू पाया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव – आयात में, चीन पर भारत की निर्भरता बहुत बड़ी है। शीर्ष 20 उत्पादों में से जो भारत दुनिया से आयात करता है, चीन उनमें से अधिकांश में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।

इसलिए, हम कह सकते हैं कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, चीन पर आयात निर्भरता का भारतीय उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु अब चीन में हालात सुधर रहे हैं तो हो सकता है की आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिले।

COVID-19 से लड़ने के लिए वेंटीलेटर महत्वपूर्ण क्यों हैं?

निर्यात के मामले में, चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है और लगभग 5% हिस्सेदारी रखता है। इसका असर निम्नलिखित क्षेत्रों में भी हो सकता है जैसे कि जैविक रसायन, प्लास्टिक, मछली उत्पाद, कपास, अयस्कों, इत्यादि।

1. कोस डाउन शटर के रूप में आर्थिक गतिविधि का नुकसान।
2. लोगों को नौकरी खोने के कारण आय का नुकसान।
3. वैश्विक बंद के कारण निर्यात में गिरावट।
4. कई क्षेत्रों में उत्पादन में व्यवधान।

भारत की आर्थिक वृद्धि पर सिंह ने कहा, भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए, भारत की जीडीपी वृद्धि हमारे FY20 के लिए 5 प्रतिशत के पहले के अनुमान से आगे मध्यम रहने की उम्मीद है और FY21 के लिए विकास अत्यधिक अनिश्चित रहेगा।

सिंह ने आगे कहा कि आर्थिक वृद्धि का सटीक मात्रात्मक आकलन अलग-अलग होगा और संशोधित होने की उच्च संभावना है क्योंकि प्रकोप की गंभीरता और प्रसार अनिश्चित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो हमें जान और जहान दोनों बचाना है। लेकिन, साथ अपने लोगों की जीविका को भी बचाने के लिए आर्थिक मोर्चे पर कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। जारी कोरोना हेल्थ इमर्जेंसी के बाद एक बड़ी इकनॉमिक इमर्जेंसी आने वाली है जो इस संकट से ज्यादा भयावह और कहीं अधिक आर्थिक जानें ले सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट
2. अरूण सिंह – मुख्य अर्थशास्त्री
3. मुखीसा – UNCTAD महासचिव
4. हैंस टिमर – अर्थशास्त्र

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Urdu Adab Main Jadeediyat (or Jadeed Gazal) Modernity in Urdu Literature (and Modern Lyrics)

Dr. Shaheen Afroz*

***MDS University, Ajmer (Raj.) INDIA**

Introduction - "Poetry in particular is an important art in literature, but like Harfan, poetry is associated with different realities of life at the same time. For example, with the passage of time, certain human problems, ideologies and tendencies also change. Every generation sees and uses life and the universe in its own way. Of course, that literature is evolving in which there is scope to absorb the changing forms of civilization and history. Urdu also has a very welcome tradition of changing ideology and practice over time. The influence of Indian civilization and places can be clearly seen in the early Deccan poetry. When it started, speculation became an important trend.

After the revelation, we have before us the glorious journey of classical Urdu ghazal from Mir to Ghalib. There is a clear awareness of collectivism as well as political and social needs after 1952. Muhammad Hussain Azad introduced Western ideas through Anjuman-e-Panjam and Hali not only supported them but also "Muqaddai Sha'ru Shaari". He also emphasized on the social application of literature in writing. These efforts of Hali and Azad can be seen in Iqbal's poetry at a very high artistic level, not only Iqbal, but also the ideological foundations of the progressive movement can be seen in the efforts of Hali and Azad

After the partition of India in 1947, some new issues came to the fore. The most important of these was that the pre-partition confidence in collectivism began to erode rapidly after the partition of India. Along with this fundamental problem, problems of industrial development also arose rapidly. The rural population began to flee to the cities for employment. This migration also caused a lot of emotional problems, for example, man became physically and mentally lonely and the lack of emotional support began to prove fatal for him. These problems led to the development of an important literary trend in Urdu around the 5th century, which we know as modernity. The term modernity is derived from the word modern. The meaning of modern is new or fresh. The term modern here is derived from the English word "modernism".

Explaining the difference between "Modernism" and "Modernity"

Majnoon Gorakhpuri wrote: "Modernity is the right pace of life, that is, moving in the right direction. Modernity is not only a matter of likes and dislikes but also an inevitable part of life."

Majnoon Gorakhpuri was basically an important member of the progressive movement, so he has analyzed modernity based on his ideological affiliation. But he has been very sympathetic to modern artists. Presenting modernity in the right perspective for the first time, Al-Ahmad Sarwar has looked at it from the perspective of historical philosophy and literature. According to Al-Ahmad Sarwar, modernity is an additional thing, that is, it is not absolute. He says that in the past there have been many people who still look modern, but in contrast to him, there are still many people who still reflect the old mind in this day and age. Al-Ahmad Sarwar wrote in his article ***"The Meaning of Modernity in Literature"*** that:

"Overall, modernity dates back to the nineteenth century, but in our country, this modernity came from the influence of the West, and the history of modernity in the West is more than three hundred years old."

It is as if Professor Sarwar has kept all the literary changes that took place after the year under modernity. Commenting on the situation after 9 AD, Professor Sarwar wrote:

The Indian mind as a whole has not yet been modernized. This is because the national mood is the result of centuries of influence. We are still not free from medieval ideas. But in the twentieth century, the pace of events has been so fast that in twenty or thirty years, the effects of every form and color of modernity have begun to be felt here as well.

- **Analyzing this statement -** it is clear that even the hundred years from 6 to 7 have been recognized as part of modernity. But the process of modernization has been described as very slow. In the twenty-five years since then, the work of modernity has been described as not only rapid but also comprehensive.

Al-Ahmad Sarwar has also expressed his opinion that the work that religion or philosophy used to do to a large

extent is no longer theirs, so our literature is trying to fill this gap. The loosening of the grip of religion or philosophical systems is a separate issue, whether it is possible to fill this gap through literature. But such an effort can certainly be seen in the literature. When the poet does not have a given belief in religion or philosophy that can give meaning and purpose to his whole being, or when he is not interested in any message, he begins to try to free himself from the grip of religion and morality. And leave the reference to religion as if the study of one's own caste is the central reference instead of the metaphysical study of the universe. It became clear that in these circumstances the poet no longer needed the old linguistic and artistic structure that sought to understand the world from the inside out.

Symbolic expression became more important than b in the methods used for new problems. This trend of symbolism includes old stories, traditions, anecdotes, divas and myths.

It is believed that no man of taste can oppose allusion and allusion in poetry, but the ambiguity that has arisen in Urdu under the influence of the symbolic movement of Western poetry can be called the worst kind of ambiguity. If we look carefully, we find special examples of ambiguity in the literature of every age. Explaining the difference between ancient and modern ambiguity, Nazeer Siddiqui wrote:

"Ancient ambiguity was individual, accidental, unintentional and non-ideological ambiguity, while modern ambiguity is intentional, ideological and school ambiguity." In fact, modernity has adopted ambiguity as an aesthetic principle, as if their creativity uses ambiguity as a creative tactic.

The identification of modernity involves not only new problems and artistic styles, but also psychology, physics, etc., as well as sociology and economics. In fact, the age of modernity is the age of materialism. At the psychological level, mental loneliness, lack of emotional support, moral values and the act of turning a blind eye to reality determine the mood of a new person. In this regard, migration from our soil, our civilization and our environment has also emerged as a tragedy.

Zaka-ur-Rehman, while analyzing the new literature, writes: "Modernity emphasizes awareness of new experiences and events, modernity creates a scene of hope through art which creates a hopeful atmosphere in the society. He emphasized on prioritizing the present over the past and understanding the internal life instead of the external. He spoke of discovering a style in modernity (Returns) that could capture the inner vibrations of existence and relate tradition to modernity.

Conclusion - After studying these views of critics of modernity, it is concluded that modernity is the name of a new art, but it is not part of any planning, but the changes that have taken place in mankind, conditions and society. And what is affected by new feelings is an indispensable means of conveying them to the literary destination. This novelty seeks new ways to present new issues. He tries to peek inside himself to reach the universe and its mysteries. And he considers the creative process as the only source of salvation. The changes that have taken place since the Industrial Revolution have taken him by surprise. And this wonder forces him to re-examine his culture and environment.

As far as ghazal is concerned. Modernity re-established the centrality of ghazal in Urdu. Prior to the 5th century, progressive critics had called ghazal a disservice to their political ideology. Gave life

Nasir Kazmi, Ibn Insha 'and Khalil-ur-Rehman Azmi, Shakib Jalali, Shehzad Ahmad and Zafar Iqbal are some of the important poets who gave a new color and harmony to ghazal after the year.

Other poets include Shadh Tamkant, Waheed Akhtar, Anwar Moazzam and Shehab Jafari. Commenting on the ghazal singing of these gentlemen, Shams-ur-Rehman Farooqi wrote:

"The path of the poet who creates new ghazals is the path of emotional responses."

Wazir Agha has termed the appearance of another being in modern ghazal as a sign of strength and freshness.

Shamim Hanafi has lamented the decline of new ghazal values. Analyzing the same ghazal that emerged after 9 AD, it can be said to be a prelude to a new freshness in terms of content, style, and impression. Dr. Suleiman Athar Javed has described ghazal as a representative of civilization. Of new ghazal

The most important thing is that it is more than a new civilization. The ghazal associated with modernity has successfully tried to absorb the cultural changes that have taken place in the last fifty years of the twentieth century.

Example (Jadeed (Modern) Gazal)

For example, these poems can be seen:

These people are sleeping in broken boats
Murray's house overlooks the river
(Ahmad Mushtaq)

Is this my passage day and night?
Why do heavy steps crush my time?
(Saeedi Makhmour)

Every evil makes this sound
I used to live in a house
(Khalil Rahman Azami)

A chain of smoke wrapped around each candle
In this era, every patch is passing
(Khalil-ur-Rehman Azami)

Where is the veil of loneliness, my friend?
I look at my face in the mirror
(Mahmoud Ayaz)

A torch moves forward
Hi, what was the name of this person?
(Shad Tamkinat)

References :-

1. Basic concepts of modernity. By Waheed Akhtar Containing Modernity and Literature Martab Al Ahmad Sarwar. Page 85-95
2. Basic concepts of modernity. From Waheed Akhtar Page 85-95
3. Article entitled "Modernity" by Majnoon, Gorakhpuri, including "Urdu Literature and Modernity" by Shams Afroz Zaidi. page no 16

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Effect of Shrimad Bhagavad Gita on Attention and Concentration In Primary School Students (6 To 10 Years)

Chitra Subramanian* Dr. Samar Jeet Singh**

*Research Scholar (Yoga) Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA
** Yoga Department, RabindranathTagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - This paper studied the effects of reading and chanting of Shrimad Bhagavad Gita on the mind and thought of school children and attention. The main aim of this paper is to study the effect of BG on attention, attention in level of work, attention in listening and concentration. The data was collected from middle school in Bhopal. One Experimental group has been taken from CBSE School. 10 primary schools students were randomly selected for the study Between the Age group of years. 6 TO 10The check list wasdeveloped by the researcher herself. It is revealed that there exists significant effect of sanskrit chantingon Attention (level of work & listing), and Concentration in middle school students of (6 TO 10 years) Experimental group. It is also found that Gita shlokas Improve Performance, Health, Achievement and Progress of individual students.

Introduction - Shrimad Bhagavad Gita is the holy grail of life skills to be inculcated at the early ages of every child and education because it is the essence of all doctrines and philosophies. It provides the purest knowledge of self realization.

Bhagavad Gita can address the mind's inner conflicts. The Bhagavad-Gita is the eternal message of spiritual wisdom from ancient India which can answer questions about our lives and existence. Bhagavad Gita is much more than a religious text, as it offers insight into every aspect of life and is universally relevant.

YOGA IN BHAGVAD GITA: Capability to unite with the Absolute or the supreme reality is referred to as Yoga in Gita. According to Zachner (1969) in the commentary "yoking" or "preparation" is what ;yoga actually means. Basically meaning of Yoga proposed by him is "spiritual exercise", by which various nuances are conveyed in the best possible way.

Sivananda's commentary the 18 chapters as a progressive order which lead : Arjuna to go up to the ladder of from one level to another of yoga". Eighteen chaptersof Gita are divided into three levels of 6 chapters

Capters 1 – 6 = Karma Yoga, the means to the final goal
Chaters 7 – 12 = Bhakti yoga or devotion
Chapters 13 –18= Gyana yoga or knowledge, the goal itself

Sage Patanjali in his Patanjali Yoga sutra refers to '**Yogas Chitta Vritti Nirodha' and 'Abhyasa vairagyabhyam tannirodhah'** meaning YOGA IS THE REMOVING OF THE FLUCTIATIONS OF THE MIND AND BALANCING PRACTICE AND DETACHMENT.

The same has been explained by Lord Krishna to Arjua in **Bhagavad Gita in Chapte 6** verses

चञ्चलंहिमनरू कृष्णप्रमाथिबलवद्दढम् ।
तस्याहंनिग्रहंमन्येवायोरिवसुदुष्करम् ।।34।।

The mind is very restless, turbulent, strong and obstinate, O Krishna. It appears to me that it is more difficult to control than the wind.

श्रीभगवानुवाच ।
असंशयंमहाबाहोमनोदुर्निग्रहंचलम् ।
अभ्यासेनतुकौन्तेयवैराग्येणचगृह्यते ।।35।।

Lord Krishna said: O mighty-armed son of Kunti, what you say is correct; the mind is indeed very difficult to restrain. But by practice and detachment, it can be controlled.

However yoga practice has gained popularity in the world over for the promotion of positive health, and for the prevention and management of disease. Practicing yoga is especially useful for those conditions where the association between the mental state and the disease is well established. Several techniques are included under the term yoga, such as chanting, yoga postures, cleansing practices, regulated breathing and meditation. While practicing these techniques, it is ideal for the practitioner to keep in mind and achieve a mental state based on certain principles ofyoga philosophy.

Attention and Concentration play a vital role in Education, and Education has a big role to play in the development of a holistic student. The following study reveals that the components of Yoga namely Chanting, Asana, Pranayama and Meditation, when applied on the

Primary School children (6 to 10 years), have tremendous effect on their Attention. The hyper active children who were unable to focus on anything, were found enthusiastically having improved their attention, withthe effect of Yoga, now are able to concentrate for a long time.

1. Objectives: The major objectives for the study are said to be different fold and are classified are as under.

1) To study the effect of different aspect of chanting BG shlokas on behavioral problems.
2) To study the effect of chanting practice on concentration.
3) To study the effect of chanting practice on attention in level of work
4) To study the effect of chanting in Attention in listening

2. Delimitation of the study:

1. All subjects were students of primary school students
2. It does not cover all aspects of yoga.
3. There was no consistency of students attending the classes conducted for explaining the meaning of the verses and the chanting of verses.

Review of literature:

- Krishshanand (1980) . The Philosophy of the Bhagvad Gita p10
- Zaehnerr (1969) The Bhagvad Gita p.148
- Sivananda (1995). Bhagwad Gita p17
- Gambhirananda (197) Bhagvadgita p16.
- Mukundananda, Swami, Bhagavad Gita : The Song of God Retreived from https://www.holy-bhagavad-gita.org/
- Patanjali Yoga sutra verses 1.2 and 1.12

Research Methodology: To fulfill the aim of the study a methodology has been designed and for assessing the behavior checklists have been filled by students before starting practice of BG shloka classes and after completing practice(although the classes are still continuing). And this is also done by collecting primary data for experimental work. This is collected by investigator, with the help of school teachers. For present investigation experimentalmethod has been used because it involves data collection at pre and post basis of yoga practice.

First of all researcher introduced, students about the test then administered the test on groups of students. Researcher instructed students that there is no fixed time limit. The test was conducted before and after practice of chanting and learning of BG classes.

For assessing the attention and concentration, checklist filled by students before starting chanting and after completing chanting and this is also done by collecting primary data through surveying methods. The students did practice of chanting in a week for five days 30 minutes, each day. The experimental group practiced chanting of 108 shlokas, known as UTTAMA shlokas, referred to by Srila Prabhupada, the founder Acharya of International Society of Krishna Consciousness.

Variable for Study:

The variables for this study -

Independent variable: Chanting of BG verses Dependent variable: Attention & Concentration

Demographic variable: The variables of the study are primary school students Between the Age group of 6 to 10 years

Sample for Study: Sample had been collected from school of Bhopal

1. One Experimental group has been taken from CBSE School.
2. The sample size consists of 10 students
3. Between the Age group of 6 to 10 years

Statistics Techniques used: Following statistical techniques are used to analyze the data and to accomplish objectives of the study. Mean and standard deviation is computed to know the Nature of distribution. In order to find out the significant difference„t test is computed.

Hypothesis - 1.0

There exists no significant effect of chanting of BG verses on Attention & Concentration in primary schoolstudents of (6 to 10 years) Experimental group

Hypothesis - 2.0

There exists no significant effect of chanting of BG verses on concentration in primary school students (6 to 10years) of Experimental group.

Hypothesis - 3.0

There exists no significant effect of chanting BG verses on Attention in level of work in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group.

Hypothesis - 4.0

There exists no significant effect of chanting of BG verses on Attention in listening in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group

H01 :There exists no significant effect of chanting of BG verses on Attention & Concentration in primary schoolstudents of (6 to 10 years) Experimental group

Table No. 1.01 (See in last page)

Figure 1.01 (See in last page)

The mean score and standard deviation indicate Attention & Concentration in experimental group is shown in table.Table 1.01 reveals that the mean scores of Attention & Concentration of primary school students (6 to 10 years) of experimental group are (pre- test =14.3)& (post-test =24.2). It is evident from the results that experimental group students scored higher in post test as compared to pre test scores.

To examine the effect of teaching BG verses on Attention & Concentration in experimental group 'z' test was applied and 'z' value was obtained significant at α =0.05 level (2.83 >2.58).The results indicate that there is significant effect of chanting mantras on Attention & Concentration in experimental group. Thus the hypothesis "There exists no significant effect of chanting mantras on Attention & Concentration in primary school students (6 to 10 years)of Experimental group" is rejected.

H02: There exists no significant effect of chanting mantras on concentration in primary school students(6 to 10 years) of Experimental group.

Table No. 1.02 (See in last page)

Figure 1.02 (See in last page)

The mean score and standard deviation indicate **Concentration** in experimental group is shown in table.Table 1.02 reveals that the mean scores of **Concentration** of primary school students (6 to 10 years) of experimental group are (pre-test =15.2)& (post-test =23.9). It is evident from the results that experimental group students scored higher in post test as compared to pre test scores.

To examine the effect of teaching chanting mantras on Concentration in experimental group 'z' test was applied and 'z' value was obtained significant at α =0.05 level (2.85 >2.58).The results indicate that there is significant effect of chanting BG verses on concentration in experimental group. Thus the hypothesis "There exists no significant effect of chanting BG verses on Concentration in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group" is rejected

H03: There exists no significant effect of chanting mantras on Attention in level of workin primary school students (6 to 10 years) of Experimental group.

Table No. 1.03 (See in last page)

Figure1.03 (See in last page)

The mean score and standard deviation indicate Attention in level of work in experimental group is shown in table.Table1.03 reveals that the mean scores of Attention in level of work of primary school students (6 to 10 years) of experimental group are (pre-test =14.8)& (post- test =24.1). It is evident from the results that experimental group students scored higher in post test as compared to pre test scores.

To examine the effect of teaching chanting mantras on Attention in level of work in experimental group 'z' test was applied and 'z' value was obtained significant at α =0.05 level (2.87 >2.58).The results indicate that there is significant effect of chanting mantras on attention in level of work in experimental group. Thus the hypothesis "There exists no significant effect of chanting mantras on attention in level of work in primary school students (6 to 10 years)of Experimental group" is rejected.

H04:There exists no significant effect of chanting mantra on Attention in listening in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group

Table No. 1.04 (See in last page)

Figure 1.04 (See in last page)

The mean score and standard deviation indicate Attention in listening in experimental group is shown in table.Table1.04 reveals that the mean scores of Attention in listening of primary school students (6 to 10 years) of experimental group are (pre-test =14.54)& (post-test =24.0). It is evident from the results that experimental group students scored higher in post test as compared to pre test scores.

To examine the effect of teaching chanting mantras on Attention in listening in experimental group 'z' test was applied and 'z' value was obtained significant at α =0.05 level (3.00 >2.58).The results indicate that there is significant effect of chanting on attention in listening in experimental group. Thus the hypothesis "There exists no significant effect of chanting mantras on Attention in listening in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group " is rejected

Findings (See in last page)

- As per the finding of the research it can be said that effect of chanting mantra practice on attentionand concentration does not depend upon the age and class.
- It is clear that students of primary school are significantly affected by the chanting mantra practice,shows that whatever the age or class the students learn Sanskrit shlokas especially BG verses by him/herself during thepractice
- The finding of this investigation emphasizes on significant reduction of behavioral problem and improved attention and concentration level and attention in study activity.
- This investigation was supported by the studies of Rabindra David (2006),Rangan R,Bhatt G.R..(2009), Sw.Managalteerham Sarswati(2009), Haffner j, Goldstein (2012,gour and shah (2005)
- In these days chanting and yogic exercises are becoming very popular because of the improvement in individual s physical, mental and spiritual capacities.. Statistics suggested that majority of students facing behavioral problem in their school time. Currently chanting Sanskrit shlokas and yoga methods aremerely taught as narrow tool for behavioral problem and are often viewed as a physical and mental exercise.
- It is also observed that they learn faster, understand easily the material which they want to study, all those who regularly practice chanting and yoga. It is observed through data analysis that there is significant difference in pre test and post test of Attention & concentration in Primary students. It means that regular practice of chanting mantras and yoga increases memory of students. They do properly their assignments, projects and homework. They can keep things and facts in mind for long time. It is also found that students remember rules and instructionof schools. As per the finding of the research it can be said that there is a need to improve regular chanting and yoga practice in schools.
- practice increases responding and listening power and decreases the feeling of distracting at the time of learning.

Suggestions: There can be more classes of chanting Sanskrit mantra and yoga in the normal curriculum of the day,in schools in order tofully reap out the benefits of both.

This practice of chanting shlokas and yoga can be extended to the higher age group between 10- 19 years, also in schools.This is adolescent age, which may be taken as a period of growth from puberty to maturity. This period is associated with repaid physical, psychological, and social changes. This is a transitional stage of human development. Adolescence is the period in which a child matures into an adult.

Teens bodies and minds develop and change tremendously during adolescence, which causes their whole personality to change too. Definitely yoga and chanting of Sanskrit shlokas can play a very vital role in making this transition meaningful. Most of the teenagers may be in a position to handle these changes to theiradvantages to develop as a holistic human being.

Studies have revealed that the effects of sankrit shlokas and yoga on psychosomatic and psycho physiological disorders have been, worth mentioning. These disorders, when not treated on time properly, maylead to unimaginable conditions of the victims, which have significant effect on their attention and concentration.

Schools can give full-fledged training in shlokas and yoga to their eligible physical education trainers, in order to include happiness as a curriculum into their normal teaching hours. These in house trainers can utilize the time to the optimum level for happiness training, for example, during assembly, during their physical education periods, substitutions etc. Also these trainers can provide inhouse training to the other subject teachers, so that happiness becomes an integra part and parcel of daily activity.

In fact, it should not be stopped here. This kind of training should be extended to the parents also whenever there is an opportunity and availability. Dhyana Yoga is the way, only way, to develop the right kind of human living. This will reduced drastically many kinds of problems, which every school is facing on day to day basis, and waste most of their energy and time in solving the unnecessary problems.

Sanskrit literature contains everything to make a human being spiritually, emotionally, mentally and physically sound. Knowledge of Sanskrit can potentially add a new dimension to human growth and perspective. Studying of Sanskrit language automatically enables one to develop attention for detail. According to Rutger Korten Horst, when there is precision, the experience is uplifting. All you have to do is fine-tune your attention, and like music, you are drawn in and uplifted!

It is proved and tested fact by reciting and learing Bhagavad Gita, concentration is improved.

References:-

1. Dr. R Nagratn & H.R. Nagendra, (2005). New Prospective in stress management, Publisher International J Yoga. 2009 Jul-Dec; 2(2) : 55-61
2. PatanjaliYoga sutra, Geeta Press Gorakpur, (2005)
3. Rambabu Gupta (1998) Educational psychology, Publisher New Publishing House Kanpur. Hatha pradhipika by svatmaraman
4. Indian N. Physical Pharmacol2004; 48(3) : 535-356
5. S.S.Mathur (2003) Educational psychology, Publisher Vinod Pustak Mandir Agra. P www.Internetfor classromm.com
6. Swami Vivekanand Yoga Prakashan Banglore.
7. The study was registered in the Clinical Trials Registry of India (CTRI/2012/11/003112). www.education inindia.net
8. www.yogapoint.com

Table No. 1.01 : Scores of Attention & Concentration of experimental group

Variable	Group	No. of cases	Mean	SD	Table Z-value	Calculated z-value (.05 level)
Attention & Concentration	Pre test of experimental group	10	14.30	.674	2.58	2.83*
	Post test of experimental group		24.20	.421		

*Significant * * Not significant

Figure 1.01

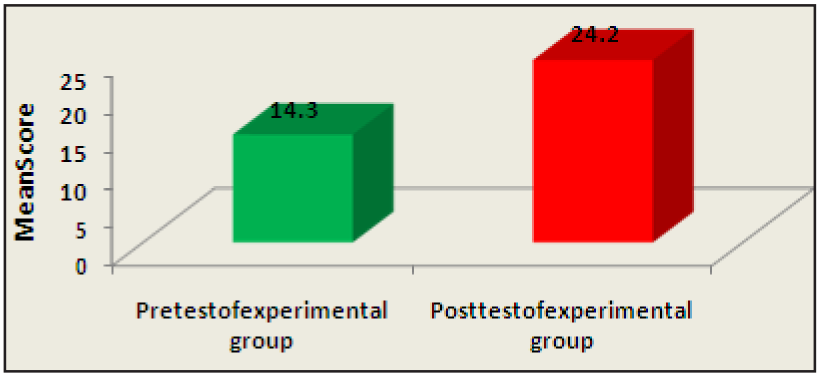

Table No. 1.02 : Scores of concentration experimental group

Variable	Group	No. of cases	Mean	SD	Table Z-value	Calculated z-value (.05 level)
Concentration	Pre test of experimentalgroup	10	15.20	.632	2.58	2.85*
	Post test of experimental group		23.90	.316		

*Significant * * Not significant

Figure 1.02

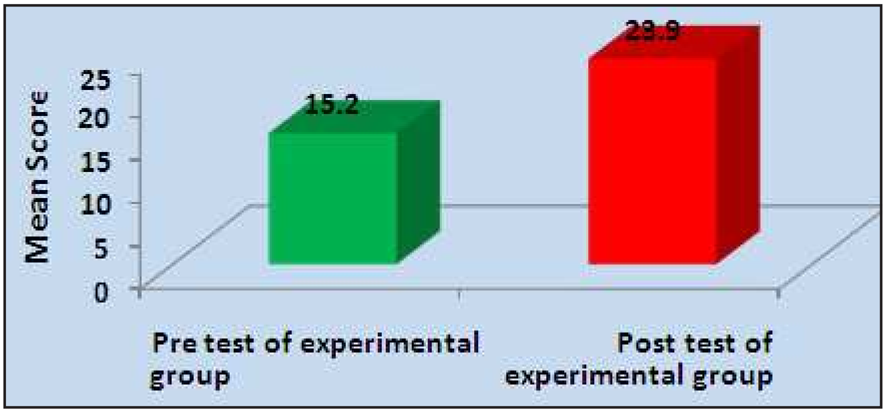

Table No. 1.03 : Scores of Attention in level of work experimental group

Variable	Group	No. of cases	Mean	SD	Table Z-value	Calculated z-value (.05 level)
Attention in level of work	Pre test experimental group	10	14.80	.632	2.58	2.87
	Post test experimental group			24.10	.316	

*Significant * * Not significant

Figure1.03

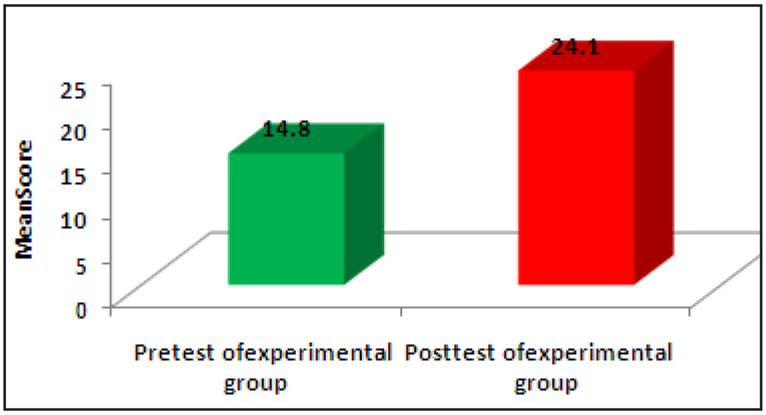

Table No. 1.04 : Scores of Attention in listening in Experimental group

Variable	Group	No. of cases	Mean	SD	Table Z-value	Calculated z-value (.05 level)
Attention in listening	Pre test of group	10	14.54	.687	2.58	3.00
	Post test group		24.00	.024		

*Significant * * Not significant

Figure 1.04

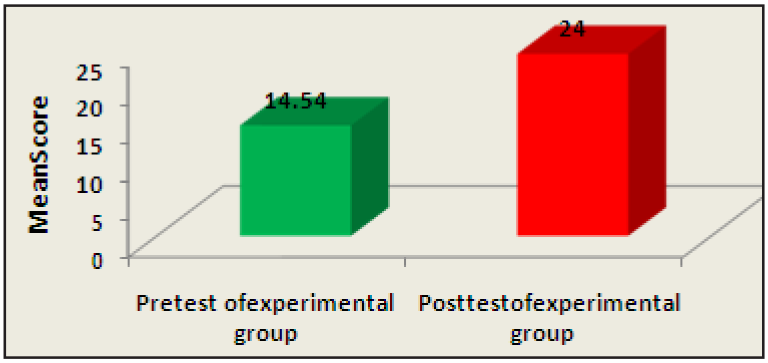

Findings:

S.	Hypothesis	Zvalue	Significance	Findings
1.	here exists no significant effect of chanting mantrason Attention & Concentration in primaryschool students of (6 to 10 years) Experimental group	2.83	Significant	There exists significant effect of chanting mantras on Attention & Concentration in primary school students of (6 to 10 years) Experimental group
2.	There exists no significant effect of chanting mantras on concentr ation in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group.	2.85	Significant	There exists significant effect of chanting mantras on concentration in primary school students (6 to10 years) of Experimental group
3.	There exists no significant effect of chanting mantras on Attention in level of work in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group.	2.87	Significant	There exists significant effect of chanting mantras on Attention in level of work in primary school students (6 to10 years) of Experimental group.
4.	There exists no significant effect of chanting mantras on Attention in listening in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group	3.00	Significant	There exists significant effect of chanting mantras on Attention in listening in primary school students (6 to 10 years) of Experimental group

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

जीवन की सुरक्षा, दैहिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा की अवधारणाओं में अंतर और उनकी सांवैधानिक स्थिति

नितेश भार्गव *

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय संविधान अलग अलग ढंग और प्रक्रिया से राज्य के दायित्वों के निर्वहन के उपबंध करता है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, सातवीं अनुसूची के माध्यम से बहुत से उपबंध किए गए हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं जिन्हें राज्य को सुचारू करने के प्रबंध करना होते हैं, नीति निदेशक तत्व वह आदर्श हैं जो राज्य को प्राप्त करने हैं और जो राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं, सातवीं अनुसूची के विषय राज्य और संघ के विधि निर्माण के विषयों को दर्शाते हैं। संविधान में अपने अपने स्थान के अनुरूप ही इनकी गरिमा और महत्ता है। अनुच्छेद 21 में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लेख है। इसके संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों के साथ साथ विभिन्न विधियाँ और अधिनियम उपबंधित हैं। किंतु कहीं भी 'व्यक्ति की सुरक्षा' के अधिकार की चर्चा नहीं है जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान में इस अधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की गई है पर कहीं भी उसमें 'व्यक्ति की सुरक्षा' अर्थांकन नहीं किया गया। यह दैहिक स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा से भिन्न अवधारणा है। प्रस्तुत शोध आलेख में उक्त अवधारणाओं के बीच के अंतर और 'व्यक्ति की सुरक्षा' को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किए जाने के पर्याप्त आधार बताए गए हैं।

शब्द कुंजी – व्यक्ति की सुरक्षा (Security of person), जीवन की सुरक्षा (Protection of life), मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), मानव अधिकार (Human Rights), राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy), सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule), कानून व्यवस्था (Law and Order).

प्रस्तावना – यद्यपि 1948 में ही मानवधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने 'व्यक्ति की सुरक्षा' (Security of Person) की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इसे एक मौलिक अधिकार माना तथापि भारतीय संविधान के उदार प्रस्तोताओं ने इसे विभिन्न आपराधिक विधियों से संरक्षित किए जाने तक सीमित कर दिया, उसके मौलिक अधिकारों की तरह प्रतिभूति दिए जाने के आयाम और महत्व को रेखांकित नहीं किया। इसे केवल कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ दिया गया। यह वर्तमान में चिंतन का विषय होना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान और सबसे बड़े लोकतंत्र वाले राष्ट्र में यह अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अभिव्यक्त रूप से क्यों नहीं है? जबकि इसे अभिव्यक्त रूप से रखा जाना चाहिए। संम्पूण शासन व्यवस्था, स्वयं संविधान की स्वीकृति और संचालन जिस इकाई के लिए किया जा रहा है उसकी सुरक्षा का लिखित और स्पष्ट उल्लेख किया जाना अपरिहार्य है और लोककल्याणकारी राज्य को माँग भी।

वर्तमान में 127 वा संविधान संशोधन विचाराधीन है, इतने महत्वपूर्ण विषय को संविधान में नहीं जोड़े जाने को लेकर भी संशोधन नहीं किया जाना राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की दिशा में चिंतन और चिंता के अभाव को दर्शाता है जो मूलत: लोकतंत्र के आगामी विकास को सीमित करने का ही एक परोक्ष उपक्रम है। विभिन्न संशोधनों में कई अधिकार जोड़े गए या नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित किए गए। कोई अधिकार 19 का तो कोई 21 का विस्तार है इसी प्रकार स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी बार बार ध्यान केंद्रित करता है। किंतु 'व्यक्ति की सुरक्षा' का संविधान में स्पष्ट लिखित रूप में न होना एक कमी है। यह संविधान के संचालन का आधार है साथ लोकतंत्र व सुदृढ़ कानून व्यवस्था का लक्ष्य भी है।

व्यक्ति की सुरक्षा: अर्थ – 'व्यक्ति की स्वतंत्रता' शब्द का अर्थ गैरकानूनी या मनमानी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप शरीर की कैद से मुक्ति है। इस अर्थ में, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को आपराधिक समूहों जैसे तीसरे पक्ष द्वारा अपहरण या अपहरण से बचाने के लिए राज्यों पर दायित्व डालता है। दूसरी ओर, 'व्यक्ति की सुरक्षा' , राज्य की एजेंसियों द्वारा या निजी व्यक्तियों द्वारा शारीरिक या मानसिक आघात से सुरक्षा को संदर्भित करती है, भले ही पीड़ित को हिरासत में लिया गया हो या नहीं।(1) मानवाधिकार समिति (आई.सी.सी.पी.आर. के साथ राज्य द्वारा अनुपालन की निगरानी की प्रभारी) के अनुसार 'व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार' सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तियों को मृत्यु की धमकियों के जवाब में राज्य की एजेंसियों को उचित उपाय करने के लिए बाध्य करता है, और आम तौर पर किसी भी सरकारी या निजी पक्ष से होने वाले जीवन या शारीरिक अखंडता के लिए संभावित खतरों से व्यक्तियों की रक्षा करता है।'

इसी प्रकार मानवाधिकारों और पर्यावरण पर विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur on human rights and the environment) ने इस बात पर जोर दिया है कि 'राज्यों का दायित्व है कि वे न केवल अभिव्यक्ति और सम्मिलन के अधिकारों का सीधे उल्लंघन करने से बचें, बल्कि उन अधिकारों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता

और सुरक्षा की रक्षा करें।(2)

व्यक्ति की सुरक्षा: वैश्विक परिदृश्य – 'व्यक्ति की सुरक्षा' राज्य का मूलभूत और प्राथमिक दायित्व है। किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो यह राज्य के संचालन का अनिवार्य पहलू है। 1948 में मानवधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UHDR- The Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद 3 में इसे इन शब्दों में कहा गया है– 'प्रत्येक को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है।' इसी का व्यापक रूप में उल्लेख 16 (3) में है, परिवार समाज की एक प्राकृतिक और आधारभूत समूह इकाई है और यह समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा के लिए अधिकृत है।(3)

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) के अनुच्छेद 09 में व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार उल्लेखित है। सुरक्षा के अधिकार के लिए देश को किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता है।(4)

फिलीपींस के संविधान के आर्टिकल 3 बिल ऑफ राइट्स का सेक्शन 02– लोगों को अपनी निजता, घरों, दस्तावेजों और अनुचित तलाशियों और किसी भी प्रकृति की जब्ती के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार है।(5)

कनाडा के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के चार्टर का सेक्शन 07– प्रत्येक को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है और इनसे न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में 'व्यक्ति की सुरक्षा' का उल्लेख 1998 के मानवाधिकार अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 05 में किया गया है।

अमेरिकन डिक्लेरेशन का अनुच्छेद 1– प्रत्येक मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। इसी प्रकार अमेरिकन कन्वेंशन का अनुच्छेद 5 (1)– प्रत्येक व्यक्ति को उसके भौतिक, मानसिक और नैतिक अखंडता के सम्मान का अधिकार है। इसी प्रकार अनुच्छेद 7 (1)– प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है।(6)

यूरोपियन यूनियन के मौलिक अधिकारों के चार्टर का अनुच्छेद 6– 'प्रत्येक को स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है।' मानवाधिकारों पर यूरोपियन कन्वेंशन का अनुच्छेद 5 (1)– प्रत्येक को स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। और विधि में उपबंधित प्रक्रिया के सिवाय इससे वंचित नहीं किया जा सकता।(7) इसी प्रकार क़्वीन्सलैंड के मानवाधिकार अधिनियम 2019 के सेक्शन 29 की प्रथम कंडिका इस प्रकार है– प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है।(8)

संविधान और भारतीय विधियाँ – वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 21 में जो अधिकार हैं वे तभी प्रभावी होंगे जब 'व्यक्ति की सुरक्षा' के अधिकार की प्रतिभूति दी जाए। यह अवधारणा अभिव्यक्त रूप से मौलिक अधिकारों में उपबंधित नहीं है। संविधान की 7 वी अनुसूची में जो विषय हैं वह राज्य के अधिकार या विवेकाधीन विषय हैं जिनकी प्रतिभूति नहीं है। यह भी कि मौलिक अधिकार संविधान के आरंभ में ही है जबकि यह सूची अंत में जो दोनों के महत्व और प्राथमिकता के अंतर को बताता है। एम. नागराज बनाम भारत संघ के मामले में 2006 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने तो यहाँ तक कहा है कि, व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रताएँ और आजादी की राज्य को केवल सुरक्षा नहीं करनी बल्कि यह उसके द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं।

मौलिक अधिकारों से भिन्न मामलों में कार्यपालिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में अभियोजन समाप्त कर सकती है। इसमें संशोधन कर विभिन्न मामलों में अभियोजन वापिस लेने के मामलों की श्रेणियों और संख्या को सीमित किया जाए। विशेषकर कानून व्यवस्था उल्लंघन के मामलों को वापिस लिए जाने की परंपरा पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह बहुत बार व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा विषय होता है। इस तरह के मामलों के लिए एक स्वतंत्र आयोग हो जो यह निष्कर्ष दे कि क्यों इस मामले को वापिस लिया जाना जरूरी है। यह वापिस लिया जाना भी वस्तुनिष्ठ रूप से राज्य और जनता के व्यापक हित में ही होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर इस तरह के मामलों को वापिस लेने की परंपरा को तत्काल प्रतिबंधित कर एक वस्तुनिष्ठ नियमावली जारी कर सकता है। जिससे कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान पैदा हो और आगे से कोई इसका उल्लंघन करने से डरे।

अभियोजन को वापिस लिया जाना एक तरह से कानून व्यवस्था के प्रति नरमी और लापरवाही का दृष्टिकोण ही दर्शाता है, कानून के शासन के रास्ते में यह एक बड़ी बाधा है। इसका एक परिणाम 'व्यक्ति की सुरक्षा' और इस हेतु बनी विधियों के क्रमश: अप्रभावी हो जाने के रूप में नजर आता है जो कालांतर में विधि के शासन को भी कमजोर बनाती है। बहुधा कानून व्यवस्था भंग के मामलों को भी वापिस ले लिया जाता है।

लोक व्यवस्था के संचालन या उपचार हेतु जो विधियाँ बनाने का अधिकार राज्य को है यह उसका विवेक है। यदि 'व्यक्ति की सुरक्षा' पर कोई उपचार चाहिए तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए 32 या 226 रास्ते खुले नहीं हैं। इन अनुच्छेदों में संविधान संशोधन कर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, कानून व्यवस्था या लोक व्यवस्था के विषयों पर उपचार का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। यह आधुनिक समय और प्रगतिशील लोकतंत्र की अपेक्षा है। भारतीय गणराज्य का लोककल्याणकारी तत्व इन संशोधनों से और सशक्त होगा। मानव अधिकारों की दिशा में यह एक अभिनव और उल्लेखनीय पहल होगी।

सुरक्षा के अधिकार के लिए आवश्यक है कि देश किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए, चाहे वह व्यक्ति हिरासत में हो या नहीं, सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए उपलब्ध उपायों के दायरे में, तार्किक और उचित उपाय प्रदान करे। यह दायित्व तब उत्पन्न होता है जब लोक प्राधिकारियों को किसी अन्य पक्ष के आपराधिक कृत्यों से किसी पहचाने गए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की शारीरिक सुरक्षा के लिए वास्तविक और आसन्न जोखिम के बारे में पता हो या पता होने की संभाव्यता हो।

व्यक्ति की सुरक्षा, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व व सातवीं अनुसूची में अन्तर्सम्बन्ध – भारतीय संविधान में 'जीवन की सुरक्षा' का अधिकार तो है किंतु 'व्यक्ति की सुरक्षा' का अधिकार नहीं है। जीवन के बिना खतरे में पड़े हुए भी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हैबियस कार्पस भी एक तरह से व्यक्तिगत सुरक्षा का ही विस्तार है। पर यह संविधान में उपचार के रूप में उपबंधित है। मौलिक अधिकारों के विस्तार से राज्य के लोकतांत्रिक होने के संकल्प का पता चलता है, यह स्पष्ट होता है कि राज्य लोक कल्याण की ओर कितना प्रवृत्त है वस्तुत: मौलिक अधिकार राज्य के अनिवार्य दायित्व हैं जिनकी प्रतिभूति के लिए व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और इनका परिवर्तन, निरसन या श्रेणी परिवर्तन सहज नहीं होता। ये देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। इनका उद्देश्य विधि के शासन की स्थापना है न

कि व्यक्तियों के शासन की। इन्हें लागू करने के लिए पृथक से किसी विधि की आवश्यकता नहीं होती जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए पृथक से विधि की आवश्यकता होती हैं, ये उन्नत लोकतांत्रिक आदर्श हैं जो किसी भी राज्य को पूरे करने चाहिए, यह राज्य के भविष्यगामी संकल्प हैं तथापि यइनकी अवहेलना पर निर्वाचन के समय उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा।'(9) यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं हैं इनकी प्रतिभूति के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इसके अतिरिक्त सातवीं अनुसूची के विषयों की श्रेणी कुछ भिन्न प्रकृति की है इसमें वह विषय शामिल हैं जिन पर राज्य को कार्य करने का या विधि निर्माण का अधिकार होता है। यह राज्य के दायित्व भी नहीं हैं और न ही उसके आदर्श। यह सूची कार्यपालिका की शक्तियों का विवरण भर है जो राज्य आवश्यकता अनुसार या सद्भावनावश प्रयुक्त करता है। इन विषयों पर विधि निर्माण उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। इस प्रकार यदि नागरिक हित या जनता के नजरिए से सोचें तो अधिकारों की श्रेणी सबसे मूल्यवान है जिसे कार्यपालिका आसानी से बदल नहीं सकती।

संविधान में 'व्यक्ति की सुरक्षा' (Security of person) अवधारणा शामिल करने से इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलू अधिक प्रभावी और व्यापक दायरे वाले हो जाएंगे। इससे संबंधित विधियों में कार्यपालिका मनमाने परिवर्तन नहीं कर पाएगी, बहुत सी विधियाँ कार्यपालिका के अधीन नहीं रहेंगी। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है राज्य द्वारा अभियोजन वापिस लेना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत अभियोजन वापिस ले लिए जाने से पीड़ित पक्ष ठगा महसूस करता है उसके पास अपील के रूप में सैद्धान्तिक उपचार तो उपलब्ध रहता है किंतु व्यावहारिक रूप से यह सहज नहीं रह जाता। जबकि संविधान का अनुच्छेद में 39(a) निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है ऐसी स्थिति में 39(a) के आलोक में दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 321 की समीक्षा की जानी चाहिए। राज्य के विरुद्ध मामले वापिस लेने से कानून व्यवस्था एजेंसियों का मनोबल नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और विधि के शासन की अवधारणा कमजोर पड़ती है और आमजन का विधि के शासन में विश्वास भी कमजोर होता है। राज्य का अभियोजन को छोड़कर अभियुक्त के पक्ष में खड़ा होना कतई तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति की सुरक्षा की अवधारणा यदि मौलिक अधिकारों में शामिल की जाती है तो इस प्रकार से अभियोजन के मामले वापिस लिया जाना संभव नहीं रहेगा और आमजन के मन में विधि के शासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

यद्यपि हाल ही में 10 अगस्त 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक आदि जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध आपराधिक मामले वापिस लेने के पूर्व तत्सम्बन्धी राज्य के उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति को अनिवार्य किए जाने के निर्देश जारी किए।(10) तथापि 'व्यक्ति की सुरक्षा' जिसमें उसके अभियोजन की प्रतिभूति भी अंतर्निहित है, को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखे जाने से इसकी गंभीरता और शक्ति में वृद्धि होगी और राजनीतिक लाभ की मंशा से लिए निर्णयों से बचना संभव होगा।

संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा' (Protection of life and personal liberty) किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, वंचित नहीं किया जाएगा।(11) यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन दोनों में आधारभूत अंतर है। 'जीवन की सुरक्षा' जहाँ उसके जीवन को गुणवत्तापूर्ण परिस्थितियां उपलब्ध कराने को लेकर है वहीं 'व्यक्ति की सुरक्षा' उसकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर है। यह सीधे सीधे उत्तम कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था से संबंधित है। प्रगतिशील लोकतंत्र में जिसकी प्रतिभूति संविधान द्वारा दी जाना अपेक्षित है न कि पृथक से निर्मित विधियों द्वारा। यद्यपि सुरक्षा के अधिकार के लिए राज्य को किसी व्यक्ति की सुरक्षा (शारीरिक और मानसिक दोनों) की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता होती है। सरकार पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है।

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय – 'व्यक्ति की सुरक्षा' और 'जीवन की सुरक्षा' दोनों अवधारणाओं का अंतर न्यायालयीन निर्णयों द्वारा भी स्पष्ट होता है। मेनका गाँधी बनाम भारत संघ के मामले में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने अनुच्छेद 21 की परिधि की बहुत विस्तृत व्याख्या की। इसमें और बाद के बहुत से निर्णयों में न्यायालय ने इस अनुच्छेद में बहुत से सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को इसमें अंतर्निहित मानते हुए कल्याणकारी राज्य के अनुरूप इसकी व्याख्या की। स्वच्छ वायु का अधिकार(12), स्वच्छ पानी का अधिकार(13), ध्वनि प्रदूषण से स्वतंत्रता का अधिकार(14), शीघ्र विचारण का अधिकार(15), विधिक सहायता का अधिकार(16), जीविका का अधिकार(17), भोजन का अधिकार(18), चिकित्सकीय देखभाल का अधिकार(19), स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार(20) इत्यादि में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नए अर्थांकन सामने आए हैं।

इन निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 'जीवन की सुरक्षा' में 'व्यक्ति की सुरक्षा' को शामिल नहीं किया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे विभिन्न यूरोपीयन, अमेरिकन, कनाडा, साउथ अफ्रीका, अरब और अन्य देशों ने सांविधानिक अधिकार के रूप में उपबंधित किया है।

निष्कर्ष – उक्त स्थिति में 'व्यक्ति की सुरक्षा' को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा ही जाना चाहिए। यह आधुनिक लोकतंत्र, विधि के शासन और लोककल्याणकारी राज्य की माँग भी है। इसे अनुच्छेद 21 के बाद जोड़ा जा सकता है। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 'जीवन की सुरक्षा' और 'व्यक्ति की सुरक्षा' दोनों भिन्न शब्दावलियाँ हैं इन्हें समानार्थी न समझा जाए और न ही इनका परस्पर वैकल्पिक प्रयोग किया जाए। व्यक्ति की सुरक्षा की कुछ वस्तुनिष्ठ श्रेणियाँ बनाकर उनमें से आधारभूत को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखकर प्रत्याभूत कराया जाए शेष को नीति निदेशक तत्वों में रख राज्य के कल्याणकारी और प्रगतिशील स्वरूप के विकास का संकेतक मानते हुए उनके शीघ्र प्राप्ति के लक्ष्य तय किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान होकर भी इतने आधारभूत विषय 'व्यक्ति की सुरक्षा' को को महज आंतरिक समझ और अर्थांकन पर छोड़ देना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://environment-rights.org/rights/right-to-liberty-and-security-of-person/
2. Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, John H. Knox, United Nations A/HRC/28/61 General Assembly, 3 February 2015
3. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-

of-human-rights
4. https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/right-security-person-and-freedom-arbitrary-detention
5. https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-article-iii/
6. http://www.cidh.org/countryrep/seguridad.eng/CitizenSecurity.V.htm
7. Macovei Monica, Human rights handbooks, No. 5, Directorate General of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex, 2004, pp-5
8. https://www.qhrc.qld.gov.au/your-rights/human-rights-law/right-to-liberty-and-security-of-person
9. कांस्टिट्यूट असेम्बली डिबेट्स, खंड 7, पृष्ठ 476
10. https://www.hindustantimes.com/india-news/states-cannot-withdraw-cases-against-mps-mlas-without-hcnodsc-101628582060399.html
11. भारत का संविधान (9 दिसंबर, 2020 को यथाविद्यमान) पृष्ठ 11
12. M.C. Mehta (Taj Trapezium Matter) vs Union of India, (1997) 2 S.C.C. 353
13. M.C. Mehta vs Union of India &Ors., 1988 A.I.R. 1115, 1988 S.C.R. (2) 530
14. In Re: Noise Pollution (2005)5 S.C.C. 733
15. Hussainara Khatoon&Ors. vs Home Secretary, State of Bihar 1979 A.I.R. 1369, 1979 S.C.R. (3) 532
16. Khatri And Others vs State of Bihar &Ors. 1981 S.C.R. (2) 408, 1981 S.C.C. (1) 627
17. Olga Tellis & Ors. vs Bombay Municipal Corporation 1986 A.I.R. 180, 1985 S.C.R.Supl. (2) 51
18. Kishen Patnayak vs State of Odisha A.I.R. 1989 S.C. 677.
19. Pt. Parmanand Katara vs Union of India &Ors. 1989 A.I.R. 2039.
20. Rural Litigation And Entitlement Kendra vs State Of U.P. & Ors. 1985 A.I.R. 652.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

A Marketing Research with A Focus on the Home Delivery System in A Supermarket

Mrs. Varsha Jain*

*Research Scholar, Ahmedabad Highway, Sector -11,Hiranmagri Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - A super market is a relatively big, low-cost, low-margin, high-volume self-service business that is 'intended to provide a consumer's entire demand for food, laundry, and home maintenance goods. Modern supermarkets provide a wide variety of products and services, or "A-to-Z" things. Marketing has risen to prominence as the most important function in today's global corporate environment; even the tiniest companies are increasingly using cutting-edge marketing methods to compete on a worldwide scale. TOPS Home Delivery is a distribution chain innovation. It envisions a system in which customers are provided with a one-of-a-kind chance to fulfil their desires right at their doorstep. Almost all clients use the self-shopping option for TOPS Home Delivery (86 percent). Daily demand varied due to fluctuating consumer demand. Weekday demand for the phone-fax idea is greater than weekend demand, as 60% of consumers utilise it. While the online grocery business is still in its infancy, it is quickly growing as new opportunities emerge. Due to a lack of time, special offers and discounts, a broader selection of goods and a better overall quality, as well as free delivery to their homes, people are making more online purchases. Consumers are increasingly concerned with the quality of service, the convenience of stores, the quality of goods, the pricing, the location, and the availability of new products.
Keywords- Supermarket, home delivery, retail, marketing, Online Shopping.

Introduction - As an art and a science, marketing is undergoing dramatic and exciting changes, and the field promises to be just as dynamic in the years ahead. Marketing has emerged as the most critical function in today's international business climate; even the smallest firms are now using innovative marketing techniques to compete globally.

When we examine the historical perspective of marketing it is apparent that the traditional mode of trading has blossomed into the modern techniques of marketing. Whenever a person made more than what he needed or wanted, the foundation was laid for trade and trade is the heart of marketing. Although the essence of marketing is as old as trade itself, marketing emerged as a serious subject of study and has been accepted as a major management discipline only since the middle of the present century. The starting point of complexity of modern marketing can be attributed to the mass production of goods and services due to factory form of organizationbegetter by industrial revolution. From this production orientation stage emphasis had shifted to sales and later to consumer satisfaction and now the scope of marketing has widened to imbibe a pulsating progressive social outlook.

The modem philosophy of marketing has turned the traditional views of business itself. As Peter F. l3ruclter has observed' "Companies are not in business to make things, but to make customers." Instead of selling products or services, companies are in business to establish and maintain relationship with customers. Sales are simp15 the result of such successful relationships.

Marketing is not merely an economic activity. Non-profit making and service rendering organizations depend on marketing for furthering their objectives. Hospitals, Transport business houses, Amusement parks, Tourist resorts and even places of worship assume marketing strategies for achieving their respective goals. Similar tactics are adopted by lawyers, accountants, doctors, artists and even politicians.2 "The basic concepts and practices of modern marketing are used in a wide variety of settings: product and service firms, consumer and business. markets profit and nonprofit organizations, domestic and global companies, and small and large business."

Marketing is an elusive, all-embracing and often a confusing term. During the evolution it was understood as a concept, a process and as a managerial function. "Creating customer value and satisfaction are the heart of modern marketing thinking and practice. Marketing is the delivery of customer satisfaction at a profit. The two-fold goal of marketing is to attract new customers by promising superior value and to keep current customers by delivering

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

satisfaction". It implies that customer satisfaction still remains as an integral part of modern marketing. However, this relationship marketing is now being elevated to a higher plane of social marketing.

Supermarket - A super market is a relatively large, Low cost, low-margin, high-volume, self-service operation 'designed to serve the consumers total needs for food laundry and household maintenance products'. Modem supermarkets provide all kinds of goods and services, that is it deals in A-to-Z items. Supermarket is a departmentalized retail store usually handling a variety of merchandise and in which the sale of goods much of which is on a self-service basis, plays a major role.

Supermarkets first appeared in the U.S. during the inter-war period and were created on account of the scarcity of human labour. The American merchant Michael Cullen is credited with originating the first supermarket, which he called King Kullen, in Jamaica Lang Island in 1930. In 1950's they spread throughout much of Europe and now feature in many countries around the world.

Figure 1: Thai Retail Business structure
Source: Thai Retailers Association (2002)

Margin Free Market, specialty Super market controlled by consumer protection and guidance society came into being in Kerala in 1994. Important features of a supermarket are self-service, display of merchandise, low price, wide selection, and centrally located with parking facilities. There are more than 220 Margin Free Markets functioning in Kerala (as on 1511 1/2001).

Home Delivery's Evolution - House to house selling is one of the oldest non-store personal retailing methods, built around direct contact between the seller and customer at the home of that customers. Home Delivery system is an innovation in the field of chain of distribution. It envisages an arrangement in which the consumers are presented with a unique opportunity to satisfy their wants at their doorstep. With the ever-increasing penetration of home computers, it is likely that doorstep deliveries of goods will thrive on a large-scale. The established companies are Electrolex, Fuller Brush, Amway, Mary Kay and Tuppervare, among others.

Country	Market Share of Online Grocery in 2017	Market Share of Online Grocery in 2022	Online Grocery Sales Growth 2017-2022 (CAGR)	Increase in Online Grocery Sales 2017-2022 (US$)
China	3.8%	11.1%	31%	136.8bn
Japan	7.0%	9.8%	7.9%	14.4bn
South Korea	8.1%	13.6%	15.7%	9.9bn
India	0.05%	0.6%	87.0%	5.0bn
Indonesia	0.1%	1.5%	85.0%	4.5bn
Taiwan	4.5%	7.3%	14.9%	1.7bn
Singapore	2.5%	7.8%	29.0%	0.4bn

Table 1: Top Online Grocery Markets in Asia by 2022
Source: IGD Asia Research

Home retailing is often performed by organization without several Tupper Ware-style party merchants. Evidence suggests that home delivery of such items as food may have lost its appeal to both consumers and retailers. From 1 total-cost perspective it may be possible to provide consumers with better service at a lower total cost. Such an radical innovation would require significant institutional changes and greatly modified consumer-shopping habits.

Traces of home delivery system are evident in a number of activities. A doctor going to the house of a patient, technician visiting a site, building materials appearing at the door step of the consumer are all forms of the system. Home delivery is more cost effective compared with store marketing which is passed on to the consumer resulting in better relationship and enhances satisfaction.

Key Factors Influencing The Growth Of Online Supermarket Industry In India

1. Shifts in Consumer Purchasing Behavior - The shifting buying habits of customers is one of the most significant reasons that has fueled the growth of the 'Online Grocery Market.'

With the growth of e-commerce, customers are more tempted to make purchases online from the palm of their hand. The average amount of an online transaction made by a retail consumer at least once a month is between Rs.900 and Rs.1200.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Nowadays, it is a typical occurrence for a person with spare time to spend it mostly browsing through his or her social network accounts or other online app-based services.

2. Added convenience - Taking time away from a hectic work schedule at the workplace and exhausting days necessitates much more suited and easy methods of life. Online shopping is one such method that alleviates work and enables hassle-free buying from any location and at any time.

3. The Invasion of the App-Based Online Space by Offline Players - On the one hand, while some see internet shopping as a new way of life, others regard it as a source of fierce competition and a danger to their business models. Giant offline retailers like as D-Mart and Reliance are expanding their operations beyond brick-and-mortar supermarkets to include online-based selling platforms. This demonstrates how competitive and lucrative the internet shopping business is.

4. Business Plan - To thrive, a company concept must have a strategically established and tested business model that serves as a solid foundation for the venture. Selling groceries online is a viable business strategy that is backed by two distinct business models:

5. Penetration of the Internet - The typical user's rate of Internet usage is growing exponentially. Due to JIO's price disruption, the cost of accessing the Internet decreased significantly, resulting in an increase in Internet use during the past several years. Telecom providers are offering more affordable plans to their customers, which has increased their reliance on the Internet and associated activities.

Indirectly, this resulted in a huge number of e-commerce companies benefiting. Due to the cheap cost of Internet, its accessibility expanded among lower income groups, resulting in a bigger client base for online-based companies.

6. Significant Discounts and Special Offers - To attract a large number of consumers, many online food and beverage retailers offer substantial discounts and cash back programmes. Selling at a deep discount necessitates the capability of absorbing losses as well. These players are financially sound and well-funded, since they are backed by major private equity investors such as Softbank's Big-Basket. As a result, there is an additional benefit.

7. Low Establishment Costs - The largest price for an offline shop is the establishment cost, which includes the cost of a suitable site, leasing costs, building costs (for self-owned locations), employee salaries, maintenance, and other expenditures. On the other hand, an internet shop eliminates all of these expenses.

8. The Absence of Geographical Barriers - While a brick and mortar business has a physical location and is limited to serve that region, an internet store has no such restrictions. Although it requires a robust supply network to reach interiors, internet providers have surmounted this obstacle.

9. Additional Benefits - There are no time constraints on purchases since apps operate 24 hours a day. There are many products available. Certain players, such as Big-Basket, provide specified delivery times to ensure the customer's availability at the time of delivery and to improve the consumer experience. Customer feedback is available on websites, which provides a more accurate picture of the goods prior to purchase.

Objectives:

1. To review the existing studies in working of home delivery system.
2. To examine the performance of home delivery system.
3. To explore the various factors related to online purchase with respect to Big Basket and TOPS delivery system.
4. To measure the impact of various factors with reference to online purchase on the overall purchase of consumers.

State Of Development:-

TOPS delivery System: The historical data on Chidlom Store comes from monthly reports of the TOPS Home Delivery Service, for the period September 2005 - August 2006. Figure 2 presents the ratio of foreign customers to Thai people as 41 :59. Nationality affects customer characteristic such as language, culture and behavior.

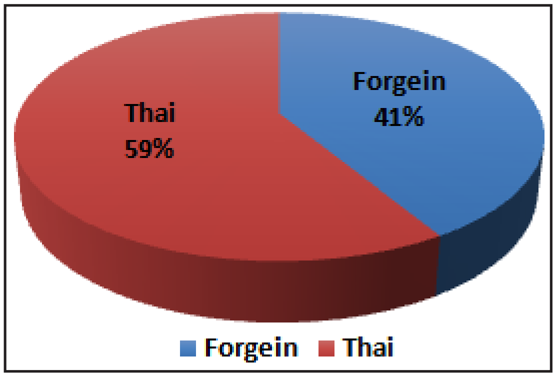

Figure 2: Proportion of customer

The historical data on Chidlom Store comes from monthly reports of the TOPS Home Delivery Service, for the period September 2005 - August 2006. Figure 2 presents the ratio of foreign customers to Thai people as 41 :59. Nationality affects customer characteristic such as language, culture and behavior.

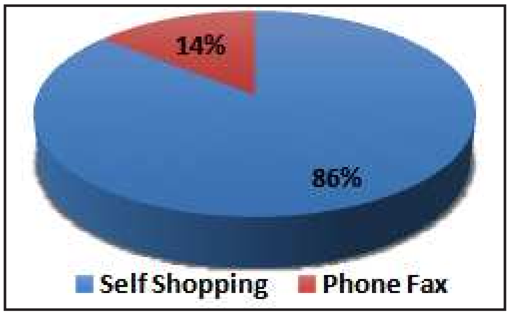

Figure 3: Proportion of TOPS Home Delivery Service concepts

Figure 3 shows the proportions within the TOPS Home Delivery Service concept. It consists of two choices of service: self-shopping and shopping by phone-fax. The first choice is self-shopping which has a higher number of orders than the other choice {shopping by phone-fax). The ratio of self-shopping to shop by phone-fax is 86:14.

All information in the previous section can be summarized below:

- Almost all customers use the TOPS Home Delivery self-shopping option (86%).
- The daily demand fluctuated because of customer demand. For the weekday, demands for the phone-fax concept are higher than the weekend because 60% of customers use the phone-fax option.

Big basket: Today, BigBasket is India's biggest online supermarket, processing more than 100,000 orders daily. Online grocery buying is gaining popularity among Indians at a rapid pace. India's online food retail industry is expected to reach $10.5 billion by 2023, according to a Redseer study. BigBasket is a business that dominates this rapidly expanding industry. V.S. Sudhakar, Hari Menon, V.S. Ramesh, Vipul Parekh, and AbhinayChoudhari founded the company in 2011.

Tata Group now owns BigBasket after purchasing a controlling interest of 64 percent in the business in a recent transaction. By May 2021, BigBasket's value will have risen to about $1.85 billion.

Figure 4: Big basket spent Rs 3376 Cr to earn operating revenues of Rs 2754 Cr in FY19

Strategies to adopt Big basket can adopt the following strategies to compete in the market:

1. Subscription service - Under this, the company can start a subscription service (like Amazon Prime), that will help in creating a large and permanent customer base. Once users subscribe to the service, it is highly likely that they buy from Big basket itself as these customers would get special services for subscribing. It can be free and quick delivery, early access to promotional deals etc. Subscription service has been very successful with e-commerce companies and there is high chance that it will work for Big basket as well.

2. Happy Days - Happy days, is a marketing technique used currently by Grofers. Under this, the company declares a few days of month, say Oct 25 to Oct 29 as Happy days. In these days, customers would get special discounts and offers on products. This is like Amazon's 'Great Indian festival' and Flipkart 'Big billion days'. There is high probability that this technique would for Big basket, the same way it worked with e-commerce companies. This also helps in repurchase of customers.

3. Expanding the Product catalogue - Big basket can focus on expanding the range of products offered. Grocery is a good business for Big basket, but to stand in this hypercompetitive market, it should bring in new products to be offered in its catalogue. New product offerings mean catering to broader range of customer needs.

4. Expand to New cities - Big basket, no doubt is trying hard to serve the best in most metros and Tier 2 cities. It can also work on expanding to newer cities. With Amazon Pantry, backed by its cash rich parent Amazon, now entering the market of Grocery, it is now important for Big basket to fine tune its logistics and improve efficiency.

5. Continuously improving from buyers' feedback - Big basket should be active enough it taking buyers feedback, it can be from Big basket App or website and should seriously work on improving where its lagging. This is a great source of information where Big basket can understand where its good at and where it must improve. Ex: If majority of customers are complaining on delivery, then Big basket got a queue that it has work on logistics.

6. Working on its IT, CRM strategies - At present, majority of businesses have a strategic IT team to take care of Information Management. IT has become a key enabler in todays business. Big basket should work on integrating all of IT, be it lifecycle management, change management etc. An integrated platform provides a much better holistic view of business. It can also focus on enhancing customer relations through much effective usage of Customer Relationship Management (CRM) tools.

Conclusion - The result from customer data, shows that the phone-fax option has the lowest satisfaction for right quantity.found the major problems of TOPS Home Delivery Service process that affect customer satisfaction are over load work, traffic jam at loading area and unclear order list. Consumers are more concern about service quality, store convenience, product quality, price, location and availability of new products.

Any industry's success is directly tied to the behaviour of its customers. Online business models are on the increase, since traditional business models are being replaced by newer ones based on changing customer preferences each year. This is owing to the fact that our everyday routines are evolving. However, there are still certain issues that current players are working to address, and this represents a chance for the existing players to earn significant profits. The online grocery industry is still in its infancy, but it is expanding rapidly as new possibilities arise.

From the results of the study, it's clear that people are making more online purchases due to lack of time, special offers and discounts, a wider range of products and higher

quality overall, as well as free shipping to their homes.

References: -

1. Andrews, R. L., &Currim, I. S. (2004). Behavioural differences between consumers attracted to shopping online versus traditional supermarkets: implications for enterprise design and marketing strategy. *International Journal of Internet Marketing and Advertising*, *1*(1), 38–61. https://doi.org/10.1504/IJIMA.2004.003689
2. *January 2019 Direct Research Internship*. (2019). *January*.
3. Kozinets, R. V. (2002). *Field behind the screen - netnography (kozinetsJMktRes 2002)(1)*. *39*, 61–72.
4. Sinlaparatsamee, S., Report, F., Scm, S. C., &Fulfillment, P. (n.d.). *IMPROVED HOME DELIVERY SERVICE AT TOPS SVPERMARKET*.
5. Lowe, B., Zikmund, W., Ward, S., Hume, W., &Babin, B. (2014). *Marketing Research: 3rd Asia Pacific Edition*.
6. Hassan, A. (2012). The Value Proposition Concept in Marketing: How Customers Perceive the Value Delivered by Firms– A Study of Customer Perspectives on Supermarkets in Southampton in the United Kingdom. *International Journal of Marketing Studies*, *4*(3), 68–87. https://doi.org/10.5539/ijms.v4n3p68
7. Wilkie, W. L., Desrochers, D. M., &Gundlach, G. T. (2002). Marketing research and public policy: The case of slotting fees. *Journal of Public Policy and Marketing*, *21*(2), 275–288. https://doi.org/10.1509/jppm.21.2.275.17591
8. Kourouthanassis, P., & Roussos, G. (2003). Developing consumer-friendly pervasive retail systems. *IEEE Pervasive Computing*, *2*(2), 32–39. https://doi.org/10.1109/MPRV.2003.1203751
9. Henderson, R., Rickwood, D., & Roberts, P. (1998). The beta test of an electronic supermarket. *Interacting with Computers*, *10*(4), 385–399. https://doi.org/10.1016/S0953-5438(98)00037-X
10. Dixon, J. (2007). 'Advisor for healthy life': Supermarkets as new food authorities. *Supermarkets and Agri-Food Supply Chains: Transformations in the Production and Consumption of Foods*, *Harris 2005*, 29–50.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

New Education Policy 2020: Composition and Implementation

Dr. B. K. Yadav*

***Assistant Professor, RNB Global University, Bikaner (Raj.) INDIA**

Introduction - The NEP 2020 is the first new education policy to be introduced in India in the 21st century, the last having been implemented in 1986, 34 years ago. The NEP, thus, replaces the National Policy on Education, 1986, which was modified once in 1992. Before that, the first education policy was passed in 1968.

Constitutional Provisions: Part IV of Indian Constitution, Article 45 and Article 39 (f) of Directive Principles of State Policy (DPSP), has a provision for state-funded as well as equitable and accessible education. The 42nd Amendment to the Constitution in 1976 moved education from the State to the Concurrent List The education policies by the Central government provides a broad direction and state governments are expected to follow it. But it is not mandatory**,** for instance Tamil Nadu does not follow the three-language formula prescribed by the first education policy in 1968. The 86th Amendment in 2002 made education an enforceable right under Article 21-A.

Related Laws: Right to Education Act (RTE)2009aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years and enforces education as a Fundamental Right.It also mandates 25% reservation for disadvantaged sections of the society where disadvantaged groups

The Union **Cabinet approved a new National Education Policy 2020** on July 29, after a 34-year gap. The **National Education Policy 2020** is meant to provide an overarching vision and comprehensive framework for both school and higher education across the country. The new NEP, approved by the Cabinet, has not been presented in Parliament. It is the first to be formulated by a Bharatiya Janata Party government and the first in the 21st century. It is only a policy, not a law; implementation of its proposals depends on further regulations by both States and the Centre as education is a concurrent subject.

The NEP proposes to change the school curricular structure from the current 10+2 (Class 1-10 of general education followed by two years of higher secondary school with specialised subjects) with a 5+3+3+4 structure, bringing children from ages 3 to 5 years within the formal education system for the first time, and ensuring curricular continuity in the last four years. A mission for foundational literacy and numeracy, free breakfasts being added to free lunches in government schools, vocational education along with internships from Class 6, and proposed redesign of the board examinations are some other major initiatives for school education.

For higher education, a new umbrella regulator has been proposed with separate verticals for regulation, standard setting, and accreditation and funding. It will absorb arts and science, technical and teacher education into its fold, replacing several existing regulatory bodies, and also ensure a level playing field for public and private players. Top foreign universities will be allowed to set up campuses in India. For students, the biggest change may be the introduction of four-year undergraduate degrees, with options for entry and exit at various stages, a credit transfer system, and the abolition of the M Phil programme.

The recently announced new National Education Policy 2020 (NEP)1 sets out a vision for 2040 with a plan for transforming school and higher education across India. This was not presented in or approved by Parliament. And its implementation will depend largely on state governments, since education is a concurrent subject under the Constitution. The experience of earlier national education policies (1968 and 1986) suggests that in a federal system, implementation and coordination form a complex process, which can take as long as two decades.

The other limitation is just as important. The NEP is clear on the destination but silent about the journey. It does not address the question of how we would get there. The expected transformation cannot materialize unless we can create more equal socio-economic opportunities in terms of access to education, change the culture of institutions in education, regulators and governments, and end the political intrusions that are so common in every sphere of education. This is a distant dream.

In higher education, opportunities for school-leavers who make the grades are simply not enough and what exists is not good enough. The pockets of excellence in Indian

Institutes of Technology or Indian Institutes of Management are outcomes of the enormous reservoir of talent and Darwinian selection processes. But these are no consolation because it is universities providing educational opportunities for people at large that are the lifeblood of higher education.

Most public universities have witnessed a steady decline in standards over the past three decades. Private universities are few and those that are good are even fewer.nHigher education is caught in a pincer movement. For one, there is a belief that markets can solve the problem through private players, which is leading to education as business, shutting the doors on those who cannot finance themselves, without regulation that would ensure quality. For another, governments—Centre and states—that believe in the magic of markets are virtual control freaks with respect to public universities, for patronage, ideology, or vested interests.

The flexibility in length and structure of undergraduate degrees proposed by the NEP2 is problematic. If Bachelor's and Master's programmes can be either 3+2 or 4+1, the incompatibility will stop the mobility of students between universities. If there is an exit option at the end of every year, in every institution, it will be almost impossible to design curricula that are suitable both for students who exit and who stay for completion. The end of MPhil programmes could stifle research capabilities and motivation in universities where research is already at a discount. The emphasis on the multidisciplinary approach is worrisome because, for undergraduates, learning is embedded in disciplines. The flexibility must lie in their choice of courses.

The NEP proposes a "light but tight" regulatory framework embedded in a single institution, the Higher Education Commission of India, with four separate verticals for regulation, accreditation, funding and standards. These four functions are not performed by one institution in any country where higher education has attained excellence. Given the bureaucratic culture of intervention and control in government, such centralization is bound to make regulation "tight" rather than "light".

The NEP hopes to make higher education institutions autonomous through an empowered Board of Governors by 2035, but there could be many a slip in the interim. Thus, autonomy for public universities in India might remain an elusive quest even 88 years after Independence.

India has about 688,000 primary schools, 110,000 secondary schools and 342 universities (211 State, 18 Central, 95 deemed universities) 13 institutes of national importance, 17,000 colleges and 887 polytechnics. Education leads a country towards national progress and economic development. The National Education Policy was framed in 1986 and modified in 1992.

Among the major reforms of NEP 2020 the 10+2 structure in the schooling system has been replaced by a 5+3+3+4 structure. NEP is a comprehensive framework to guide the development of education in the country. The need for a policy was first felt in 1964 when Congress MP Siddheshwar Prasad criticized the then government for lacking a vision and philosophy for education. NEP 2020 has replaced10+2 system by 5+3+3+4 system.

Foundational Stage (in two parts, that is, 3 years of Anganwadi/pre-school + 2 years in primary school in Grades 1-2; both together covering ages 3-8), Preparatory Stage (Grades 3-5, covering ages 8-11) Middle Stage (Grades 6-8, covering ages 11-14).

A. Key Points of NEP 2020

1. New Policy aims for Universalization of Education from pre-school to secondary level with 100 % GER in school education by 2030.
2. NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into the main stream.
3. New 5+3+3+4 school curriculum with 12 years of schooling and 3 years of Anganwadi/ Pre-schooling.
4. Emphasis on Foundational Literacy and Numeracy, no rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in schools ; Vocational Education to start from Class 6 with Internships.
5. Teaching upto at least Grade 5 to be in mother tongue/ regional language.
6. Assessment reforms with 360 degree Holistic Progress Card, tracking Student Progress for achieving Learning Outcomes.
7. GER in higher education to be raised to 50 % by 2035 ; 3.5 crore seats to be added in higher education.
8. Higher Education curriculum to have Flexibility of Subjects.
9. Multiple Entry / Exit to be allowed with appropriate certification.
10. Academic Bank of Credits to be established to facilitate Transfer of Credits.
11. National Research Foundation to be established to foster a strong research culture.
12. Light but Tight Regulation of Higher Education, single regulator with four separate verticals for different functions.
13. Affiliation System to be phased out in 15 years with graded autonomy to colleges
14. NEP 2020 advocates increased use of technology with equity; National Educational Technology Forum to be created
15. NEP 2020 emphasizes setting up of Gender Inclusion Fund, Special Education Zones for disadvantaged regions and groups
16. New Policy promotes Multilingualism in both schools and HEs; National Institute for Pali, Persian and Prakrit, Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up.

B. Key Points of School Education

1. New Policy aims for universalization of education from

pre-school to secondary level with 100 % Gross Enrolment Ratio (GER) in school education by 2030.

2. NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into the main stream through open schooling system.
3. The current 10+2 system to be replaced by a new 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 years respectively. This will bring the hitherto uncovered age group of 3-6 years under school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for development of mental faculties of a child. The new system will have 12 years of schooling with three years of Anganwadi/ pre schooling.
4. Emphasis on Foundational Literacy and Numeracy, no rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in schools ; Vocational Education to start from Class 6 with Internships
5. Teaching up to at least Grade 5 to be in mother tongue/ regional language. No language will be imposed on any student.
6. Assessment reforms with 360 degree Holistic Progress Card, tracking Student Progress for achieving Learning Outcomes
7. A new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021, will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT3. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed. degree .
8. Gross Enrolment Ratio in higher education to be raised to 50 % by 2035 ; 3.5 crore seats to be added in higher education.
9. The policy envisages broad based, multi-disciplinary, holistic Under Graduate education with flexible curricula, creative combinations of subjects, integration of vocational education and multiple entry and exit points with appropriate certification. UG education can be of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period.
10. Academic Bank of Credits to be established to facilitate Transfer of Credits
11. Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs), at par with IITs, IIMs, to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country.
12. The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education.
13. Higher Education Commission of India(HECI)4 will be set up as a single overarching umbrella body the for entire higher education, excluding medical and legal education. HECI to have four independent verticals – National Higher Education Regulatory Council (NHERC) for regulation, General Education Council (GEC)5 for standard setting, Higher Education Grants Council (HEGC) for funding, and National Accreditation Council(NAC) for accreditation. Public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standards.
14. Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism is to be established for granting graded autonomy to colleges. Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an Autonomous degree-granting College, or a constituent college of a university.
15. An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NETF)6, will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration.
16. NEP 2020 emphasizes setting up of Gender Inclusion Fund, Special Education Zones for disadvantaged regions and groups
17. New Policy promotes Multilingualism in both schools and higher education. National Institute for Pali, Persian and Prakrit , Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up
18. The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest.

Higher Education

Increase GER to 50 % by 2035

NEP 2020 aims to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035. 3.5 Crore new seats will be added to Higher education institutions.

Holistic Multidisciplinary Education: The policy envisages broad based, multi-disciplinary, holistic Under Graduate education with **flexible curricula**, **creative combinations of subjects**, **integration of vocational education** and **multiple entry and exit points with appropriate certification**.

UG education can be of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. For example, Certificate after 1 year, Advanced Diploma after 2 years, Bachelor's Degree after 3 years and Bachelor's with Research after 4 years.

An **Academic Bank of Credit** is to be established for digitally storing academic credits earned from different HEIs so that these can be transferred and counted towards final degree earned.

Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs), at par with IITs, IIMs, to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country.

The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education.

Regulation: Higher Education Commission of India (HECI)7 will be set up as a single overarching umbrella body the for entire higher education, excluding medical and legal education. HECI to have four independent verticals – National Higher Education Regulatory Council (NHERC)8 for regulation, General Education Council (GEC) for standard setting, Higher Education Grants Council (HEGC) for funding, and National Accreditation Council(NAC) for accreditation. HECI will function through faceless intervention through technology, & will have powers to penalize. HEIs not conforming to norms and standards. Public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standards.

Rationalised Institution: Higher education institutions will be transformed into large, well resourced, vibrant multidisciplinary institutions providing high quality teaching, research, and community engagement. The definition of university will allow a spectrum of institutions that range from **Research-intensive Universities** to **Teaching-intensive Universities** and **Autonomous degree-granting Colleges.**

Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism is to be established for granting **graded autonomy** to colleges. Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an Autonomous degree-granting College, or a constituent college of a university.

Capable Faculty: NEP makes recommendations for motivating, energizing, and building capacity of faculty through **clearly** defined, independent, transparent recruitment, freedom to design curricula/pedagogy, incentivizing excellence, movement into institutional leadership. Faculty not delivering on basic norms will be held accountable.

Implementation Of Nep 2020: The policy is meant to transform the education system by 2040. Some proposals will be implemented immediately, starting with the change in the name of the Ministry of Human Resource Development into the Ministry of Education. “There are over 100 action points from the Policy. Implementation will be done in phases, based on time, region and types of institutions with Institutes of Eminence (IoEs) and Central Universities taking the lead,” said Higher Education Secretary Amit Khare. For instance, four-year undergraduate degrees with multiple entry-exit options will be introduced in the 20 IoEs from the 2020-21 academic year, while others continue with the existing three-year degree courses. Existing M.Phil students can continue until they complete their degree, although new admissions for the programme will not be accepted.

The National Testing Agency will introduce a pilot version of the common entrance test by December 2020, which will be used for admission to all IoEs and central universities in 2021. Some Indian Institutes of Technology are working on developing the technical structure of the Academic Credit Bank, which will also be established by December, and become applicable to all new students joining central universities next year.

The National Foundational Literacy and Numeracy Mission which is to be implemented by 2025 will be launched by the end of this year, said Mr. Khare. The National Council of Educational Research and Training (NCERT)9 will introduce the curricular framework for the new school structure, including early childhood care, by the next academic year. Some of the proposals require legal changes. The draft Higher Education Commission of India Bill has been languishing in the Ministry for over a year, but is likely to be published for feedback by September. The proposal for a Board of Governors for universities may also require amendments of the Central and State Universities Acts.

A Cabinet note has already been moved to set up the National Research Foundation as a trust under the government, but in order to make it a fully autonomous body, an Act may be required.

Others require funding. Free breakfasts can only be considered in the next academic year if a budget allocation is made to cover it. The process of converting affiliated colleges into degree granting autonomous institutions and then further into fully fledged universities is estimated to take at least 15 years, as the Centre will have to provide financial assistance for this purpose.

The Ministry feels that an increase in government funding of education to 6% of GDP will be sufficient to cover the financial implications of the NEP. However, such an increase in funding has been proposed but not achieved for the last half-century, point out experts

Online learning is also helping in mitigating the concerns of flexibility in education. Edtech companies are expanding their footprints across India, to ensure that students can learn from anywhere, at any time. This helps students extensively, especially at a foundational level, when the students will benefit from the qualitative and scientific approach those online learning offers, which is provided by many edtech companies.

This can be blended with classroom sessions, which promote collaborative learning, improve student’s social skills, keeps the student stimulated, helps them develop personality skills and also helps teachers modify their approach according to the gaps seen in learning.

Thus, a combined approach to learning is imperative and online learning can be an enabler to the existing educational system.

Additionally, with the introduction of New Education Policy (NEP)10, the changing trends will combine practical and theoretical sessions, wherein learning will not just be dependent on a rote learning format in India. Furthermore, the government is working extensively towards improving the education system in rural areas.

There are various educational programs and schemes, which have been introduced by the government to support schools in rural and semi-urban areas including schemes such as Sarva Shiksha Abhiyaan (SSA)11and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan(RMSA)12. The government is also undertaking Development Impact Bond, commonly known as DIB projects to collaborate with companies to enhance quality of education and improve students' learning outcomes in rural areas and social development sectors in India. Technology plays a vital role in education and helps in achieving improvements in both the teaching and learning process. Today, the classrooms combined with digital learning tools through innovative methods have helped in increasing the student's engagement with personalised learning approach.

NEP 2020 has as its main tenets: flexibility, so that learners can choose their learning trajectories; equal promotion of arts, sciences, physical education and other extra-curricular activities so that learners can pick whatever piques their interests; multi-disciplinary approach(across the sciences, social sciences, arts, humanities and sports); emphasis on conceptual learning rather than rote learning; creativity and critical thinking; cultivating life skills like cooperation, teamwork, empathy, resilience; and regular formative assessment for learning rather than the existing summative assessment.

It encourages peer-tutoring as a voluntary and joyful activity for fellow students under the supervision of trained teachers. NEP seeks to facilitate multiple pathways to learning that will involve formal and non-formal education modes. Formal classroom learning is limited to books and instruction.

From the foundational stages, young students will be exposed to multiple languages as multilingualism has great cognitive benefits and in the early years of life children tend to pick up languages very quickly.

Keeping in view the importance of rich, classical languages and literature of India, Sanskrit will be offered at all levels of school and higher education as an essential, enriching option for students. While languages like Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia will be possibly offered as online modules for those who are interested in studying them.

The policy seeks to introduce revolutionary structural reforms at the higher educational level. It promotes a flexible three- or four-years degree programme structure at the undergraduate level, allowing multiple exits to learners. If a student makes an exit after one year of education, he will receive a certification for the same.

Exit post two years would lead to a diploma while exit after three years would lead to obtainment of a Bachelor's degree. The departure from the current three-year model is meant to encourage and inculcate a research component at the undergraduate level, which in turn, will lead to a degree with research by the time of its completion.

The policy transforms the higher education system from being information-centric to new knowledge and innovation-centric.

There will also be a concerted effort to promote contemporary subjects such as Artificial Intelligence, Design Thinking, Data Analytics, Machine Learning, and Holistic Health which are touted as the career choices of tomorrow. As opposed to the current teacher-centric model, in which teachers decide the subjects, curriculum, and evaluation, a student-centric model will be developed that will give students the right to decide the subjects they want to study.

Implementing such bold objectives will require training teachers, educators and official staff appropriately along with preparing a pool of excellent, motivating guides. Learning has to be an enjoyable and engaging task rather than an arduous exercise which ultimately churns out unemployable youth.The policy will have to design a learning ecosystem which takes into account the geographical and cultural diversity of our country as well as the varied learning pace of each student.

By 2030, over 250 million students are expected to enrol in schools in India. With a teacher-student ratio of 1:35, India needs an estimated 7 million+ teachers to address this huge student population. Those teachers need to have graduated in an esteemed Bed13 programme for a 12th pass, graduates and post-graduates for one, two and four-year respectively.

References:-

1. Ayyar, R.V. Vaidyanatha. 2017. History of Education Policymaking in India 1947-2016. Delhi: Oxford University Press.
2. Government of India. 1962. Report of the University Education Commission, 1948-49
3. Kishore, Roshan and Abhishek Jha. 2020. Mapping Education inequalities Hindustan Times. 1 August. Accessed on 22 August 2020.
4. Naik, J.P. 1982. The Education Commission and After. New Delhi: Allied Publishers Pvt. Ltd.
5. National Statistical Office. Household Social Consumption on Education in India. NSS 75th Round (July 2017-June 2018). Government of India.
6. National Council of Educational Research and Training
7. Higher Education Commission of India
8. General Education Council
9. National Educational Technology Forum
10. Higher Education Commission of India
11. National Higher Education Regulatory Council
12. New Education Policy
13. Sarva Shiksha Abhiyaan
14. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
15. Bachelar of Education

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

कृषि में जैविक प्रौद्यौगिकी का उपयोग स्तर तथा असमानताओ का विश्लेषणात्मक अध्ययन (बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में)

पूनम सोनी *

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कृषि में जैविक प्रौद्यौगिकी का उपयोग कृषक जलवायु तथा फसल की अनुकूलता और फसल के प्रकार के अनुरूप कर उत्पाद व उत्पादकता को बढ़ाते है। रबी, खरीफ, जायद किसी भी प्रकार की फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए यह अति आवश्यक है कि कृषक इस प्रकार की जैविक प्रौद्यौगिकी का चुनाव करे जो कृषक के पास उपलब्ध साधनो के एवं फसल के अनुकूल हो, कृषक प्रत्येक फसल के उत्पादन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की जैविक प्रौद्यौगिकी का उपयोग कर विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर रहे है। कृषक जैविक कीटनाशक खाद, उर्वरको को स्वयं तैयार कर लागतो में कमी ला रहे है।

शब्द कुंजी – जैविक प्रौद्यौगिकी, जैविक कृषक, फसल उत्पादन, उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में सघन खेती के कारण भूमि के निरंतर उपयोग से भूमि में पोषक तत्वो का संतुलन बिगड़ गया है। सघन खेती में जहाँ एक ओर मृदा में पोषक तत्वो में कमी हो रही है, वही दुसरी ओर असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व मृदा में शामिल किए जा रहे है। जिससे मृदा में उपस्थित पोषक तत्वो का संतुलन बिगड गया है। वही दूसरी ओर रासायनिक उर्वरक प्रतिदिन महंगे होते जा रहे है। इनके प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समय के मांग के अनुरूप मृदा स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य को दृष्टिगत करते हुए यह अति आवश्यक हो गया है कि कृषक पौधो के उत्तम पोषण करने के लिए और भूमि के उत्तम स्वास्थ्य हेतू यह आवश्यक है कि फसल के अनुरूप व मृदा की आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद व कम्पोस्ट खाद, वर्मी कम्पोस्ट, बायोगैसस्लरी, जैविक बीजो उपचार औषधी, जैव उर्वरको और नीली हरी काई का प्रयोग कर उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करे। इस प्रकार जैविक प्रौद्यौगिकी के प्रयोग से एक ओर कृषक का खर्च कम होगा साथ- साथ कृषि लागत में कमी आने लगेगी। विभिन्न पाठशाला, कार्यशाला, प्रशिक्षण शिविरोंव भ्रमण कार्यक्रमो में भाग लेकर जैविक कृषक इन जैविक प्रौद्यौगिकी से अवगत होकर इनको अपने कृषि क्षेत्र में अपनाकर अपनी आर्थिक दशा में निरन्तर सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। कृषक इसे स्वयं अपने खेत में बनाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। कृषक विभिन्न प्राकृतिक तत्वो से कीटनाशको का निर्माण कर पर्यावरण व मृदा दोनो के स्वास्थ्य में वृद्धि ला रहे है। जिले के कृषक कीटनाशको को बनाने के लिए नीम, निबौली, गाजर घास, धतूरा, लहसून, करंज की खली और अन्य पर्यावरण से प्राप्त पत्तियों व बीजो का प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए कर रहे है। बीजोउपचार औषधी के माध्यम से भी फसल के शुरूवात में ही फसल को कीटनाशको से सुरक्षित कर लिया जाता है। इस प्रकार जैविक कृषक इन जैविक प्रौद्यौगिकी का प्रयोग कर फसलों की उत्पादन लागत कम करने के साथ-साथ उत्पादकता को भी बढ़ा रहे है। ये जैविक प्रौद्यौगिकी कृषको, मृदा, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य के अनुकूल है।

बैतूल जिले में 2010-2011 से वर्ष 2019-2020 तक जैविक कृषि पद्धति के अन्तर्गत कृषि करने वाले कृषको की संख्या, रकबा, जैविक प्रौद्यौगिकी का उपयोग स्तर, जैव उर्वरको का विवरण वर्ष 2007-2008 से वर्ष 2016-2017 स्थिति को विभिन्न तालिकाओ में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक - 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि जैविक कृषि करने वाले कृषको की संख्या और जैविक कृषि का रकबा दोनो में ही वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 तक कमी आई। वर्ष 2015-2016 में संख्या घटकर -65.12 और रकबा -82.74 सर्वाधिक कमी को परिलक्षित करता हैं। इसके बाद वर्ष 2016-2017 जैविक कृषको की संख्या और रकबा दोनो में वृद्धि हुई जो निरंतर बढ़ रही है। संख्या में वृद्धि वर्ष 2011-2012 में सर्वाधिक 10.67 रही। वही जैविक खेती का रकबा वर्ष 2016-2017 और वर्ष 2017-2018 में 11.11 की वृद्धि हुई इससे स्पष्ट होता है जिले के कृषको का रूझान जैविक कृषि प्रौद्यौगिकी की ओर बढ़ रहा हैं जो जैविक कृषको की संख्या जैविक खेती के बढ़ते रकबे से स्पष्ट होता है, जो चित्र 1 से अधिक स्पष्ट हो रहा हैं।

तालिका क्रमांक - 2 : जैविक कृषि के अंतर्गत कुल जैव उर्वरक की वितरण संख्या

क्रं.	वर्ष	कुल जैव उर्वरक की वितरण (इकाई संख्या में)	वृद्धि दर
1	2007-2008	140304	
2	2008-2009	145000	3.24
3	2009-2010	114428	-26.72
4	2010-2011	188175	39.19
5	2011-2012	94645	-98.82
6	2012-2013	96570	1.99
7	2013-2014	69967	-38.02

8	2014-2015	40230	-73.92
9	2015-2016	109909	63.40
10	2016-2017	49560	-121.77

स्रोत:- जिला सांख्यिकी पुस्तिका,बैतूल

उपरोक्त तालिका से अधिक स्पष्ट है कि जैविक कृषि के अंतर्गत कुल जैव उर्वरक की वितरण संख्या में वर्ष 2015-2016 में 63.40 सबसे अधिक वृद्धि हुई और सबसे अधिक कमी वर्ष 2016-2017 में-121.77 रही इससे स्पष्ट है कि जैव उर्वरक का वितरण कृषको में असमान रहा और वितरण संख्या निरंतर घट रही है चित्र 2 से अधिक स्पष्ट हैं।

तालिका क्रमांक - 3 : बैतूल जिले में जैविक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जैविक बीजो उपचार औषिधी का उपयोग (इकाई हेक्टेयर में)

क्र.	वर्ष	जैविक बीजो उपचार औषिधी का उपयोग (इकाई हेक्टेयर में)	वृद्धि दर
1	2010-2011	3545	
2	2011-2012	3615	1.97
3	2012-2013	3941	9.02
4	2013-2014	4014	1.85
5	2014-2015	4150	3.39
6	2015-2016	1595	-61.57
7	2016-2017	1600	0.31
8	2017-2018	1800	12.50
9	2018-2019	2000	11.11
10	2019-2020	2200	10.00

स्रोत- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बैतूल

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैविक बीजो उपचार औषिधी के उपयोग का क्षेत्रफल वर्ष 2015-2016 में 61.57 सबसे ज्यादा कमी रही इसके बाद इसमें वृद्धि हुई जो वर्ष 2017-2018 में 12.50 सर्वाधिक वृद्धि के रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं इससे स्पष्ट हो रहा है कि जैविक बीजो उपचार औषिधी के प्रयोग में वृद्धि और कमी में असमानताए विद्यमान है चित्र 3 से अधिक स्पष्ट हैं।

तालिका क्रमांक - 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 4 से स्पष्ट है कि जैविक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वर्मीकम्पोस्ट युनिट संख्या में निरंतर कमी हुई और वर्ष 2016-2017 में-15.66 सबसे कम रही किन्तु वर्ष 2018-2019 में 5.56 की सर्वाधिक वृद्धि हुई इसी प्रकार वर्मीकम्पोस्ट खाद का उपयोग का रकबा वर्ष 2010-2011 में सबसे ज्यादा कमी -20.85 में रही इसके पश्चात् यह रकबे में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हो रही है, सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 2015-2016 में 109.96 रही। वर्ष 2016-2017 से पुन: वृद्धि में कमी परिलक्षित होती हैं इससे स्पष्ट है कि जिले में वर्मीकम्पोस्ट युनिट निर्माण बढ़ रहा है। वर्मीकम्पोस्ट खाद के उपयोग रकबे में निरंतर वृद्धि एवं कमी हो रही हैं चित्र 4 से अधिक स्पष्ट हैं।

तालिका क्रमांक - 5 : बैतूल जिले में जैविक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नापेड खाद का उपयोग इकाई हेक्टेयर में

क्र.	वर्ष	नापेड खाद का उपयोग (इकाई हेक्टेयर में)	वृद्धि दर
1	2010-2011	5665	-
2	2011-2012	6650	17.39
3	2012-2013	6940	4.36
4	2013-2014	7114	2.51
5	2014-2015	8110	14.00
6	2015-2016	3050	-62.39
7	2016-2017	3100	1.64
8	2017-2018	3300	6.45
9	2018-2019	3500	6.06
10	2019-2020	3600	2.86

स्रोत- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बैतूल

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैविक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नापेड खाद के उपयोग के रकबे में वर्ष 2011-2012 में सर्वाधिक वृद्धि 17.39 रही इसके बाद के वर्षो में निरंतर रकबे में कमी आयी जो वर्ष 2015-2016 में सबसे ज्यादा कमी -62.39 रही। इससे पुन: इसमें वर्ष 2016-2017 से पुन: वृद्धि हुई। यह वर्ष 2019-2020 में पुन: कमी को परिलक्षित करता हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि नापेड खाद का प्रयोग निरंतर कम होता जा रहा हैं जो चित्र 5 से अधिक स्पष्ट है।

तालिका क्रमांक - 6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 6 से स्पष्ट है कि बायोगैस सयंत्र निर्माण संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 2017-2018 में 5.88 रही और सबसे अधिक कमी वर्ष 2016 - 2017 में-2.86 रही वही बायोगैस स्लरी का उपयोग रकबा वर्ष 2011-2012 से निरंतर कम होता रहा, वर्ष 2013-2014 तक इसके पष्चात इसमें वृद्धि हुई। वर्ष 2015 - 2016 में सर्वाधिक वृद्धि 105.22 रही। इसके बाद पुन: निरंतर कमी परिलक्षित हो रही जो वर्ष 2019-2020 में 6.25 हो गई। सबसे ज्यादा कमी वर्ष 2013-2014 में-1.38 रही। तालिका से स्पष्ट है, कि जिले में बायोगैस स्लरी का प्रयोग बढ़ रहा हैं, और बायोगैस सयंत्र की निर्माण संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जो चित्र 6 से अधिक स्पष्ट है।

तालिका क्रमांक -7 : बैतूल जिले में जैविक प्रौद्यौगिकी के अंतर्गत जैविक कीटनाशक उपयोग (इकाई हेक्टेयर में)

क्र.	वर्ष	जैविक कीटनाशक का उपयोग (इकाई हेक्टेयर में)	वृद्धि दर
1	2010-2011	1168	-
2	2011-2012	1264	8.22
3	2012-2013	1332	5.38
4	2013-2014	1495	12.24
5	2014-2015	1510	1.00
6	2015-2016	1500	-0.66
7	2016-2017	1600	6.67
8	2017-2018	1700	6.25
9	2018-2019	1800	5.88
10	2019-2020	1900	5.56

स्रोत- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बैतूल

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैविक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जैविक कीटनाशको के रकबे में वर्ष 2011-2012 में 8.22 सर्वाधिक वृद्धि हुई इसके बाद निरंतर आने वाले वर्षो में कमी आई जसे वर्ष 2015-2016 में-0.66 सबसे कम रही इसके पष्चात फिर वृद्धि हुई इससे स्पष्ट होता है कि

जैविक कीटनाशको का प्रयोग पहले अधिक हो रहा था फिर कम हो गया। वर्ष 2016-2017 से यह पुन: बढ रहा हैं जो चित्र 7 से अधिक स्पष्ट है।

निष्कर्ष – जिले में जैविक कृषको की संख्या और रकबा दोनो में वृद्धि हो रही हैं जिससे स्पष्ट होता हैं कि जिले के कृषको का रूझान जैविक कृषि की ओर बढ रहा है। जैव उर्वरक वितरण संख्या में कमी हुई है। वर्ष 2015-2016 के बाद जैविक बीजो उपचार औषधी के प्रयोग के रकबे वर्मी कंपोस्ट युनिट निर्माण संख्या और वर्मी कम्पोस्ट खाद के उपयोग में वृद्धि हुई, नापेड कम्पोस्ट के उपयोग मेंकमी हुई। जिले में जैविक प्रोद्यौगिकी के अन्तर्गत बायोगैस संयंत्र निर्माण संख्या एवं बायोगैस स्लरी का प्रयोग बढ़ा। जैविक बीजो उपचार औषधी, जैविक कीटनाशको के अन्तर्गत रकबे में वृद्धि हुई जिससे स्पष्ट है कि जैविक कीटनाशको का प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है। जिले के कृषक विभिन्न फसलो के अनुरूप रोग एवं कीट प्रबंधन के लिए जैविक कीटनाशको को वानस्पतिक उत्पादो द्वारा तैयार कर रहे है। जिसमें नीम से तैयार कीटनाशक, निम्बोली, गाजर घास, धतूरा, करंज की खली, राख, लहसुन मिर्ची, गौमुत्र, मिश्रित पत्तो से तैयार कीटनाशक शामिल हैं। इन जैविक प्रौद्यौगिकी में पशुओ के अपशिष्टो व कृषि अपशिष्टो व खरपतवारों, पेड़ पौधो की टहनियो का प्रयोग किया जा रहा है। जैविक प्रौद्यौगिकी में प्रकृति प्रदत्त पदार्थ जैसे मिट्टी का प्रयोग कर रहे है। इन जैविक प्रौद्यौगिकीयो को कृषक थोड़े से प्रशिक्षण के माध्यम से आसानी से अपना रहे है और इन जैविक प्रौद्यौगिकीयों के माध्यम से उत्तम किस्म का जैव उर्वरक व खादो को तैयार कर रहे है। इन जैविक प्रौद्यौगिकी का प्रयोग प्रत्येक स्तर का किसान आसानीपूर्वक कर रहा है। इस प्रकार जिले के जैविक कृषक जैविक प्रौद्यौगिकी का उपयोग फसलों के अनुरूप कर प्रत्येक स्तर पर लाभ कमा रहे है। इन जैविक प्रौद्यौगिकी के उपयोग से एक ओर जहाँ कृषको की उत्पादन लागतो में कमी आ रही है। मृदा की उर्वरकता में वृद्धि हो रही है। जिससे जैविक कृषको को आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है साथ ही ग्राम भी स्वच्छ हो रहे है। जैविक प्रौद्यौगिकी का प्रयोग कर कृषक अपनी आय को बढ़ाने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहे है। जिले में जैविक प्रौद्यौगिकी में उपलब्ध साधनो व फसलो के प्रारूप के अनुरूप उपयोग स्तर में असमानताऐ विद्यमान है।

सुझाव – भोजन से जहर एवं मृदा से कुपोषण के अलग करना है तो हमें कृषि के लिए पुराना तरीका अपनाने की तरफ आगे बढ़ना होगा इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कृषक जैविक प्रौद्यौगिकी का प्रयोग प्रत्येक स्तर व प्रत्येक फसल के लिए बढ़ाया जाए, आज के समय की मांग है कि जैविक प्रौद्यौगिकी को अपनाने से सम्पूर्ण मानव समाज को शुद्ध और स्वस्थ पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चत हो सकेगी आज मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण की दृष्टि से भी जैविक प्रौद्यौगिकी से संबंधित विभिन्न तरीको को अपनाने न केवल कृषक को फायदा होगा वरन यह सम्पूर्ण मानव जाति व पर्यावरण के लिए वरदान होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए. के यादव, 'जैविक खेती' (धारणा, परिदृष्य सिद्धांत एवं प्रबंधन) प्रकाशन राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद (पृष्ठ क्रमांक- 20,21,22, 23,24,25,26,27)
2. कृषि विभाग उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बैतूल।
3. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, बैतूल (वर्ष - 2007 से 2017)
4. डॉ. आर. के. एस. तोमर, बी.एस. कंसाना, ए. के. सिंह, पुनीत कुमार (2015-2016) प्रकाशक मध्य भारत कृषक भारती राष्ट्रीय कृषि पत्रिका।
5. एस.के. मिश्र एवं व्ही.के. पुरी (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस।

तालिका क्रमांक – 1 : बैतूल जिले में जैविक प्रौद्यौगिकी के अंतर्गत कृषि करने वाले कृषको की संख्या एवं रकबा

क्र.	वर्ष	जैविक खेती करने वाले कृषको की संख्या	जैविक खेती का रकबा (इकाई हेक्टेयर में)	जैविक खेती करने वाले कृषको की संख्या की वृद्धि दर	जैविक खेती के रकबे की वृद्धि दर
1	2010-2011	3750	3750	-	-
2	2011-2012	4150	4150	10.67	10.67
3	2012-2013	4435	4435	6.87	6.87
4	2013-2014	4627	4627	4.33	4.33
5	2014-2015	4693	4693	1.43	1.43
6	2015-2016	1637	810	-65.12	-82.74
7	2016-2017	1700	900	3.85	11.11
8	2017-2018	1800	1000	5.88	11.11
9	2018-2019	1900	1100	5.56	10.00
10	2019-2020	2000	1200	5.26	9.09

स्त्रोत- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बैतूल

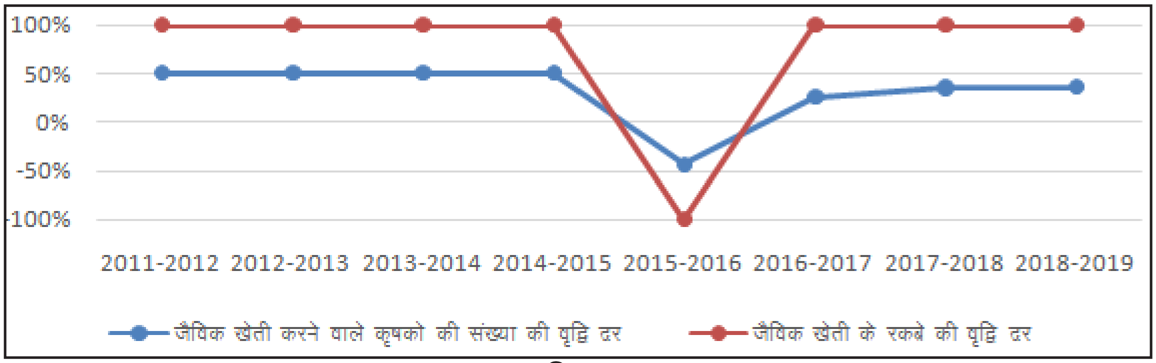

चित्र 1

चित्र 2

चित्र 3

तालिका क्रमांक – 4 : बैतूल जिले में जैविक प्रौद्यौगिकी के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट

क्र.	वर्ष	वर्मी कम्पोस्ट युनिट निर्माण संख्या	वर्मी कम्पोस्ट खाद् का उपयोग (इकाई हेक्टेयर में)	वर्मी कम्पोस्ट युनिट निर्माण संख्या की वृद्धि दर	वर्मी कम्पोस्ट खाद् के उपयोग की वृद्धि दर
1	2010-2011	649	1410		
2	2011-2012	470	1116	-27.58	-20.85
3	2012-2013	372	1164	-20.85	4.30
4	2013-2014	388	1236	4.30	6.19
5	2014-2015	412	1245	6.19	0.73
6	2015-2016	415	2614	0.73	109.96
7	2016-2017	350	2700	-15.66	3.29
8	2017-2018	360	2750	2.86	1.85
9	2018-2019	380	2800	5.56	1.82
10	2019-2020	390	2800	2.63	0.00

स्रोत– उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बैतूल

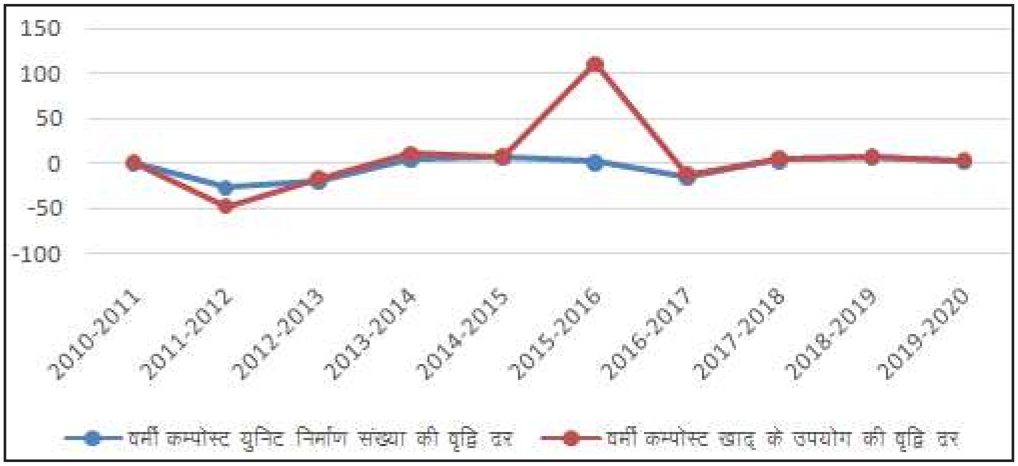

चित्र 4

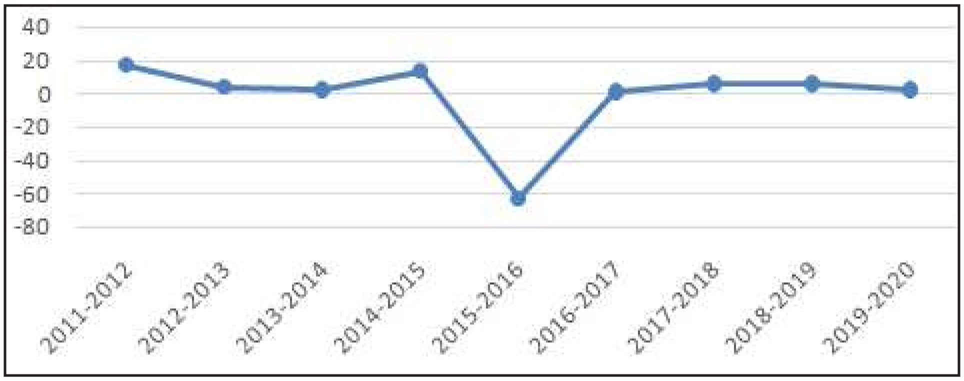

चित्र 5

तालिका क्रमांक – 6 : बैतूल जिले में जैविक प्रौद्यौगिकी के अंतर्गत बायोगैस सयंत्र एवं स्लरी

क्र.	वर्ष	बायोगैस सयंत्र निर्माण सख्या	बायोगैस स्लरी का उपयोग (इकाई हेक्टेयर में)	बायोगैस सयंत्र निर्माण सख्या की वृद्धि दर	बायोगैस स्लरी के उपयोग की वृद्धि दर
1	2010-2011	471	517		
2	2011-2012	488	505	3.61	-2.32
3	2012-2013	409	493	-16.19	-2.38
4	2013-2014	382	484	-6.60	-1.83
5	2014-2015	327	575	-14.40	18.80
6	2015-2016	350	1180	7.03	105.22
7	2016-2017	340	1400	-2.86	18.64
8	2017-2018	360	1500	5.88	7.14
9	2018-2019	380	1600	5.56	6.67
10	2019-2020	400	1700	5.26	6.25

स्त्रोत- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बैतूल

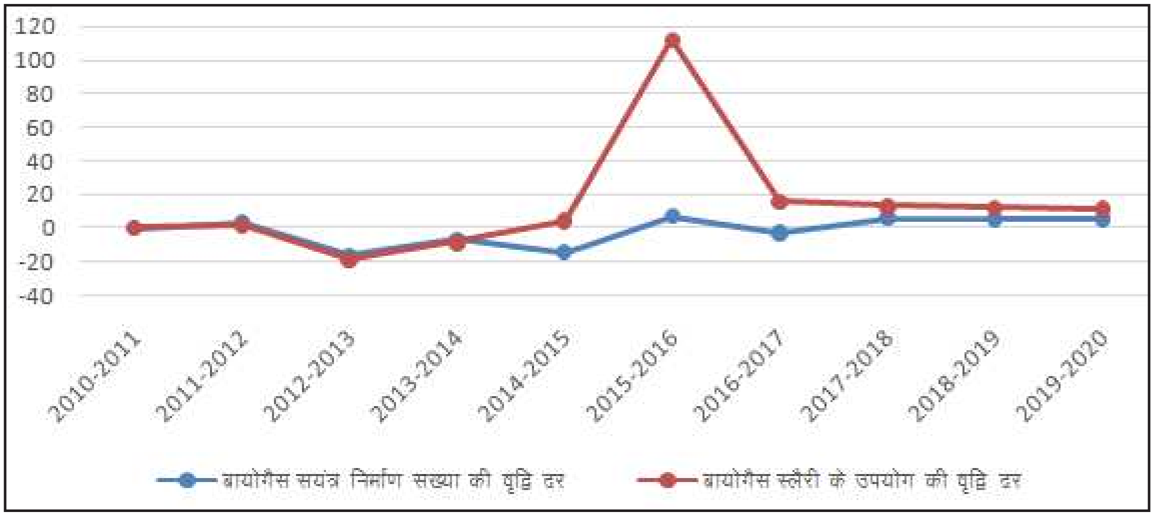
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
बायोगैस सयंत्र निर्माण सख्या की वृद्वि दर
बायोगैस स्लैरी के उपयोग की वृद्वि दर

चित्र 6

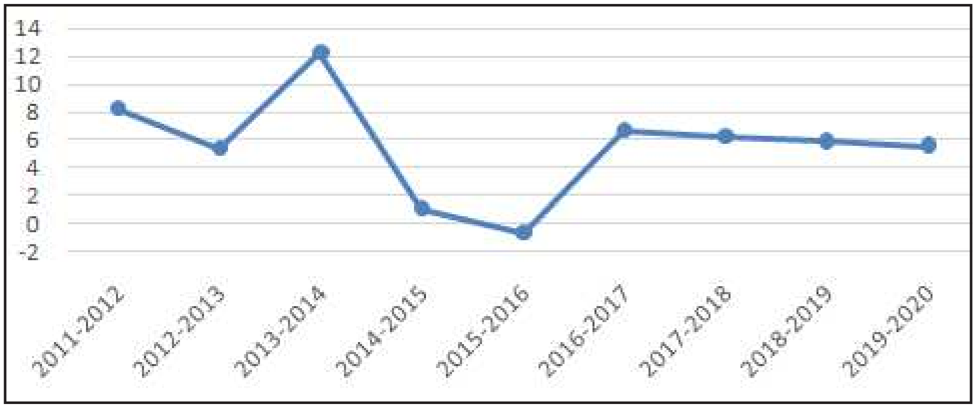
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

चित्र 7

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Education for Children of Migrant Labour in India in COVID-19 Pandemic

Dr. B. K. Yadav *

*Assistant Professor, RNB Global University, Bikaner (Raj.) INDIA

Introduction - The first major serious attempt made by India to bring the vast numbers of out of school children under the purview of the formal education system was the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009. The path in this direction began with the 86th Amendment Act, 2002 which made three specific provisions in the Constitution to facilitate the realization of free and compulsory education to children between the ages of six and fourteen years as a fundamental right.

These were (i) adding Article 21A in Part III (fundamental rights), (ii) modifying Article 45, and (iii) adding a new clause (k) under Article 51A (fundamental duties), making the parent or guardian responsible for providing opportunities for education to their children between six and fourteen years. After much indecisiveness reflected through long drawn out discussions and debates for almost seven years subsequent to the 86th Amendment to the Constitution, the RTE Act 2009 received presidential assent on 26 August 2009, taking forward the agenda for free and compulsory education.

The RTE Act, 2009 reads: Every child in the age group 6 to 14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till completion of elementary education. However, there remain major ambiguities and lacunae in the Act which fails to fulfil the requirement of achieving universal education for all. Owing to the lack of specific consideration, certain categories of children remain outside the purview of the Act.

One such segment is children of migrant construction workers who move along construction sites with their families. Interestingly, even though some of these children may be enrolled in their native village school, they have no access to education and remain absent for long periods of time and eventually drop out.

Hence, the children of these 'footloose laborers' remain deprived of their basic right to education. Though the RTE5 Act, 2009 includes the provision that - "if the child is required to move from one school to another such child shall have a right to seek transfer to any other school," this is not feasible as an option, especially taking this category into consideration, owing to the following constraints:

In developing countries, seasonal labour migration from rural to urban or from backward to developed region is a household livelihood strategy to cope with poverty. In this process, the children of those migrants are the worst affected whether they accompany their parents or are left behind in the villages. The present paper explores the impact of temporary labour migration of parent(s) on school attendance of the children between 6–14 years and their dropping out from the school through an analysis of the cases from both the ends of migration stream in India. Data was collected from thirteen construction sites of Varanasi Uttar Pradesh and nine villages of Bihar by applying both qualitative and quantitative techniques.

It is evident from the study that the migrants through remittances improve school accessibility for the left behind children and bridge gender gap in primary school education. However, among the accompanying migrant children of construction workers, many remain out of school and many are forced to drop out and some of them become vulnerable to work as child labour due to seasonal mobility of their parents. Thus, mainstreaming these children in development process is a big challenge in attaining the goal of universal primary education and inclusive growth in the country like India. 'If you cannot go to school, the school comes to you.' Project Anakuran (the Hindi word for germination) is an innovative design which seeks to provide formal education through Information and Communication Technology (ICT) to the children of migrant construction laborers based at medium and large construction sites in urban locales.

The study addresses the right to free and compulsory education for Indian children between the ages of 6 and 14 years in purview of the implementation of the Right to Education Act 2009. It is also an initiative to promote public-private partnership to fulfill the second Millennium Development Goal aiming to achieve universal primary education by the year 2015.

Literacy is a bridge from misery to hope. It is a tool for

daily life in modern society. It is a bulwark against poverty, and a building block of development, Literacy is a platform for democratization, and a vehicle for the promotion of cultural and national identity, an agent of family health and nutrition. For everyone, everywhere, literacy is, along with education in general, a basic human right. Literacy is, finally, the road to human progress and the means through which every man, woman and child can realize his or her full potential.

The circumstances of children at migrant work sites, experiencing the same difficult living conditions that their parents endure, and those of children left behind in villages when their parents migrate for work, have both raised concern among policy makers and those who study short term labour migration.

Despite this concern, quantitative analysis about the children of migrants is rare. Many studies of short term migration in India are qualitative, and quantitative work tends to focus on the migration of adults. This paper uses a new data set collected in 70 villages in rural northwestern India to explore children's experiences in a population of short term migrants.

The data were collected along the borders of Rajasthan, Madhya Pradesh, U P,W.B ,and Gujarat, in a very poor, tribal region that has high rates of short term migration. The survey included questions about children in the households, which permitted the construction of a data set of children aged 0 to 13 years old. The literature has established that short term labour migrants and their children are a vulnerable group in need of public policy attention. However, there has been little quantitative analysis to shed light on the particular ways in which the children of migrant workers are vulnerable.

The migration workers generally stay at the site of the work along with their family for limited periods of time varying from three to six months and then move to another construction site. In this field the general pattern of migration is that "women and children have always featured as 'associated' migrants with the main decision to migrate having been taken by the male of the household" (Pandit et al. 2011, p.16).

1. Migration has no connection with academic calendars of school education and can happen any time depending on the needs of the profession.
2. Frequency of migration varies on a large scale based on the skill sets of parents and their requirement at the sites of construction.
3. Geographic scope of migration for the construction workers vary widely and can be intra or inter-state in nature.
4. With increased mechanizations the work at the sites is restricted mostly to the male members. The women folk usually either stay at home or sometimes even work within the local community outside the construction site.

All these constraints contribute to manifold challenges; some of the major ones are as follows:

1. Mid-term admission of any child in any school becomes extremely difficult.
2. Since India is a multi-lingual country, the medium of instruction in most government schools is in the local language of the state. For example, in West Bengal, the medium of instruction is Bengali while in Maharashtra, it is Marathi. Therefore, language for imparting education is a barrier, especially in the case of children of the inter-state migrants.
3. Owing to the absence of extended family as a social unit escorting the children to school and ensuring regular attendance is problematic.

All these challenges ultimately result in failure of the RTE Act, 2009 in most cases for this segment of society. Though, there are some Non-Governmental Organizations trying to address this issue through various programmes like the School on Wheel programs (education imparted by reaching various locations in vehicles and imparting education at such sites), opening centres at the construction sites and community awareness programmes, they remain highly localized and in most cases the contact with the children is lost once the child moves out of the project site. Besides, education imparted through these programmes is informal in nature and can be used as a type of bridging course and not as a substitute for formal education imparted in school.

The unintended consequence of the current pandemic is that due to the lockdown, the public eye finally shifted its gaze to those who have been living on the margins. Over 40 million internal migrants have been impacted. A survey across 18 states reveals 46.2% of migrant children have discontinued their education. Exacerbated by the digital divide and loss in regular incomes, Covid-19 could cause a massive spike in child labour, undoing decades of progress.

Delving into policy documents dating back to early Five-Year Plans provides an array of possible solutions for migrant children, ranging from flexible schooling days/ instructional hours, open schools, seasonal schools in destination areas, residential schools in source areas, to even providing teaching volunteers who move with migrating families! Policies envisioned the creation of Integrated Child Development Service (ICDS)2 centers at arrival points (bus or train stations) to facilitate health check-ups and educational tracking. The recent Samagra Shiksha guidelines highlight the major role of local governance and community engagement in universalising education.

The pandemic is proof of India's capacity for speedy implementation as over 27 states expeditiously launched migrant portals. These portals can be leveraged to identify and map high in- and out-migration districts, and provide an accurate estimate of the number of migrant children. This is pertinent to drive evidence-based contextualized

policy. The curriculum should be child-friendly and multilingual. Further, rich, regular and credible data can help evaluate causality and policy effectiveness. Second, like the One India One Ration Card or the inter-operable Transport Card, there is tremendous potential to launch a One India One Student Card—a single transferable identity that serves as a storehouse of critical information throughout a child's life cycle in education, from preschool till work. The Economic Survey 2016-17 recognised the major hindrance to effective migrant policy as the 'lack of portability of benefits, legal and other entitlements upon relocation'.

A digital repository of a child's schooling/learning information may be consistently captured and maintained. This will prove especially useful for the ICDS centres at arrival points as well as schools and local governments in destination areas, serving as a gateway for requisite inter-state and inter-departmental (education, health, welfare, police, labour, etc.) collaboration. Further, it can facilitate effective profiling to understand the nature of migration (permanent vs. seasonal migration, etc.) and tailor suitable solutions. In fact, this measure will help augment efforts such as Karnataka's "Migrated children and Children of migrated daily wagers Right for Free and Compulsory Education Policy 2019(RTE) 3", which focuses on movement registers and a student-achievement tracking system.

Third, dedicated action must be taken to converge multiple stakeholders. Students must be oriented to the destination education system and provided requisite support including counselling; parents must be informed of the returns to education through large-scale awareness programs and targeted home visits; teachers should be trained for diverse classes; schools must be designed for inclusivity; School Management Committees should enable the integration of migrant families; Panchayati Raj Institutions and local governments must drive the overall planning processes; and at higher levels of governance, systems of regular monitoring, review, coordination and accountability should be in place.

Conclusion and solution: Children: The primary stakeholder: The children will be at the nucleus of the program and the roles and responsibilities of the different actors in the program will be determined and formulated keeping in perspective their well-being and best interest. As shall be seen later, the program has been developed in such a manner that the children have also been given a voice to participate in various forums and put forward their ideas and grievances.

Government of India:

1. Presently the Factories Act, 1948(FA)6 provides a crèche facility in every factory wherein more than 30 women workers are ordinarily employed. It further requires the provision and maintenance of "a suitable room or rooms for the use of children under the age of six years of such women." Similarly, it is recommended to incorporate an amendment within the Act which states that, wherever more than 30 construction workers are employed in a project and there is a minimum of ten children between the ages of six and fourteen years who are not attending any school, a provision must be made for a room which can be used as a classroom, having the required infrastructure and regular maintenance.
2. Infrastructure would include electricity, and the specified number of computers in working condition which is at least equivalent to one fourth of the total population of children of workers who are not receiving any formal education in school.

To form an Academic Committee and establishing their powers and responsibilities:

1. To compose an Academic Committee at national and state levels encompassing a minimum of five members including academicians, Information and Communication Technology (ICT) experts, nominated or elected members of builders and construction industry and other members as per Government of India rules and norms.
2. To create an awareness programme through various forms of mass media before launching the programme to ensure its effectiveness and encouraging members of civil society and different non-governmental organizations to inform the Committee about the number of children currently present at the site for further intervention on the part of the state to start Anakuran.
3. To make available the Government of India approved primary and middle school curriculum, in the form of virtual media with the aid of computer, compact discs (CDs)7 and digital versatile discs (DVDs)8.
4. To ensure translation of the curriculum into twenty-two scheduled languages as recognised by the Constitution of India. The languages are Hindi, English, Sanskrit, Gujarati, Punjabi, Bengali, Assamese, Kashmiri, Urdu, Oriya, Marathi, Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, Sindhi, Konkani and Manipuri.
5. To appoint primary school teachers conversant with computer knowledge, one per Anakuran centre, who will act as the supervisor.
6. To conduct a training program to make the supervisors conversant with the curriculum and the study material. Follow-up refresher courses will be undertaken every year.
7. To ensure that the requisite compact discs (CDs) and digital versatile discs (DVDs) are available to the supervisor of Anakuran.

Operational Module of Anakuran Centres:

1. The scheduled centre timings will be from 9.00 am to 5.00 pm with a recess from 1.00 pm to 2.00 pm for six days in a week.
2. The centre shall remain closed on Sundays and other

Public Holidays as decided by the Academic Committee based on the local holiday calendar of Government Schools.

3. The supervisor appointed at the centre shall be required to be present on all working days as per centre timings.
4. The children shall be allowed to use the computers only under the supervision of the Supervisor.
5. The children shall have the freedom to use any of the twenty-two scheduled languages as their medium of education.
6. In case the number of computers is less than the number of students, resources will be shared in equal slots as allotted by the Supervisor of the centre after discussion at the monthly meeting.
7. An attendance register will be maintained by the Supervisor to ensure regularity of the children and if the child is absent for more than two days without any information contact must be made with the parents.
8. Entry, Exit and Annual Examinations at the Anakuran centre will be undertaken under the supervision of the Supervisor.
9. After completion of the project the resources used in one Anakuran centre like computers can be utilized in any other Anakuran centre subject to their being in a workable condition.

Policy for the migrant children of Indian - The seasonal migrant labor population of India is estimated by some migration scholars to be as high as 100 million. Labor migrants face barriers in accessing social services and settling permanently in urban areas and often prefer to keep their link with the village, especially during the agricultural season. As a result, they "circulate" between their village and various "destination areas" for labor work, spending significant portions of the year away from home.

While migration can open new economic possibilities for families, it also comes with high risks. These risks are disproportionately felt by the children of migrants who are often compelled to travel to worksites with their parents. Some have estimated that around six million school-aged children in India participate in family-based labor migration every year. Millions more are impacted indirectly, forced to take on most of the household responsibilities in their parent's absence.

Consider the case of the migratory hostel program run by *Sarva Shiksha Abhiyan* 9(SSA, "Education for All"), India's flagship program for universalizing elementary education. The idea is simple but effective: at the request of the local school, students who would otherwise be forced to migrate with their parents are allowed to stay in the primary school building for the six-month migration period. SSA provides for two wardens hired from the community, meals, and some basic supplies. The program is cost-effective because it uses facilities that are already available at the local school. Participants in the program benefit from the positive environment where they can focus on their studies and stay within the safety of their own village it was the main point of the study.

Unfortunately, due to a "change in priorities," the central government has decided to deny funding to Rajasthan's eighty migratory hostels for the upcoming year. Closing this program– a small component of SSA's10 budget will have deep repercussions for many vulnerable families in Rajasthan.

Evidence from my fieldwork in Southern Rajasthan, as well as a review of social protection strategies for migrants, shows that "source-based" intervention in the areas where migrants originate, like migratory hostels, are needed to prevent child migration and child labor.

The urban areas of central Gujarat have long been a popular destination for poor migrants from Scheduled Tribe (ST)11 communities living to the north and east in the states of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Gujarat. Much of the seasonal labor for the brick kiln, construction, cotton ginning, and agricultural industries in Gujarat is sourced from this area.

In Southern Rajasthan, many ST families (mostly of the *Bhil* and *Garasia* tribe) depend on migration to make ends meet as they were very poor and needy peoples.
Due to high poverty levels, female participation in migrant labor is high. A 1997 study on migration in the area led by David Mosse found that 42 percent of the migrant workforce from the *Bhil* area was female. My survey in villages in Banswara district of Southern Rajasthan found that 75 percent of women and 82 percent of men had migrated to Gujarat for work at least once in their lifetime.

While almost all ST families in this area own some land, their landholdings are small and often unproductive, with few having access to irrigation. Massive deforestation in the region has also limited opportunities for these communities which, at one time, were able to sustain their livelihood off of the forest resource for the tribes and villagers of the forest area and near by.

While some have been able to harness their earnings from migrant labor to move ahead economically, most remain burdened with economic insecurity and indebtedness to local moneylenders. Because most of their income comes from migrant labor, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 12 (MNREGA) program has had little effect on the migration patterns of families in Southern Rajasthan.

While 79 percent of adults surveyed reported that they had participated in the program, only a few families said it had impacted their migration behavior; 75 percent of adults who reported they had migrated within the past year had also participated in the MNREGA program at least once.

Reliance on migrant labor as a livelihood strategy has major costs to the family. For the most marginalized communities engaged in migration, the whole family must migrate to the worksite because they have no place to leave

their children in the home village. The Prayas Centre for Labour Research and Action estimates that there are 840,000 out-of-school children at brick kilns alone. In Banswara, I found that 34 percent of the migrant households had taken at least one child with them to worksites that year. Children can begin helping their parents at the construction worksite from age twelve, but work begins as early as age five in the brick kiln industry,hotels, daba, and others shop where the piece meal wage system encourages child laborto increase the income of the parents to meet the needs.

Children brought to worksites face the risk of injury, illness, and exploitation, while missing out on educational opportunities that might have helped them escape the cycle of poverty. Various NGOs, many with funding by the American India Foundation (AIF)13, have piloted educational outreach for children at worksites. Worksites cannot be easily made into education-friendly environments, however, making any benefits from such interventions marginal. Accordingly, AIF, which supports migratory hostel programs for high-migration areas in three states, has shifted its Learning and Migration Program (LAMP)14 from a dual focus on source and destination areas to one entirely source village-centric.

Many of Rajasthan out-of-school children have exited the school system due to migration pressures. Re-integrating those children into the school system is done through SSA's "Special Training Programs" (STPs),15 bridge courses to prepare them academically for entry into the "age appropriate" standard in school. This is a daunting task both for the hired contract teacher and for the students, who may have already been in the workforce for a few years. It is not surprising, therefore, that many STPs fail. During the year I conducted fieldwork in Banswara, over a third of the STPs in the district had to be shut down by SSA. The most successful STPs were the ones with residential facilities like the migratory hostels.

References:-

1. Singh, S.N., & Yadava, K.N.S. (1981). On Some Characteristics of Rural Out-migration in Eastern Uttar Pradesh. Society and Culture, 12(1), 33–44.
2. Education policy at NITI Aayog
3. Anand, V. (1998). "Advocating Rights of Construction Workers", Indian Journal of Social Work, 59(3): 847 – 863.
4. Breman, Jan (1996). Footloose Labour: Working in India's Informal Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Jha, Praveen, Parvati, Pooja (2010). "Right to education Act 2009, Critical Gaps and Challenges", Economic and Political Weekly, March 27, 2010, XLV (13): Commentary.
6. Kamath, P. (2005). A Study on Children of Migrant Labourers. M.A. Dissertation (Unpublished), Mumbai: Tata Institute of Social Sciences.
7. Lawrence, Roderick & Werna Edmundo (ed.) (2009). Labour Conditions for Construction Workers: building cities, decent work and the role of local authorities. West Sussex: Blackwell Publishers
8. Right for Free and Compulsory Education Policy 2019
9. National Rural Employment Guarantee Scheme
10. Integrated Child Development Service
11. The Factories Act.
12. Compact Discs.
13. Digital Versatile Discs
14. *Sarva Shiksha Abhiyan*
15. ScheduledTribe
16. American India Foundation
17. Learning and Migration Program
18. Special Training Programs

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

उज्जैन के आर्थिक विकास में धार्मिक पर्यटन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

नेहा सांकला भाटी *   डॉ. आर. के. बाकलीवाल **

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** वाणिज्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, मंदसौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पर्यटक धार्मिक उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भ्रमण कर आंतरिक शांति अनुभव करते है एवं पर्यटकों के आगमन से स्थानीय लोग जैसे – दुकानदारों, यात्रा संचालको, होटल, व्यवसायियों, भोजनालयो, गाइड एवं कई अन्य लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से आय प्राप्त होती है एवं उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। अध्ययन क्षेत्र में कई धार्मिक पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है साथ ही कई धार्मिक गतिविधियाँ भी होती रहती है, जेसे – कुम्भ महापर्व, पंचकोशी यात्रा, नौनारायण, सप्त सागर आदि। वर्ष 2016 में सिंहस्थ महापर्व पर 5 करोड़ अनुमानित पर्यटक संख्या थी परन्तु 75966765 देशी एवं 5179 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ था। सिंहस्थ 2016 में मध्यप्रदेश से आने वाले 50 प्रतिशत पर्यटको का उज्जैन आगमन हुआ था। आगामी सिंहस्थ 2028 में आयोजित होगा जिसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मास्टर प्लान बनाया जा रहा है एवं कई विकास कार्य हो रहे है अनुमान है कि इससे पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि होगी।

शब्द कुंजी – धार्मिक पर्यटन, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटक आगमन ।

प्रस्तावना – पर्यटन सामान्यत: एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने को कहा जाता है। इसके उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते है जैसे – जब व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक या आंतरिक शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करता है तो उसे धार्मिक पर्यटन कहा जाता है। प्रत्येक धर्म के भिन्न-भिन्न धार्मिक स्थल होते है एवं हर धर्म का अनुयायी धार्मिक आस्था पूर्वक मंदिर, मस्जिद, गुरूद्धारे या चर्च का भ्रमण करता है जिससे स्थानिय लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है जैसे – दुकानदारों, होटल व्यवसायियों, यात्रा संचालकों, भोजनालयों, गाइड एवं अन्य कई लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से रोजगार की प्राप्ति होती है एवं आय में भी वृद्धि होती है। जिसके परिणाम स्वरुप उनके जीवन स्तर में सुधार आता है।

उज्जैन का सामान्य परिचय – उज्जैन शहर भारत के हृदय स्थल मध्यप्रदेश का एक जिला है। यह विश्व का केन्द्र बिंदु भी है जिसे मध्यप्रदेश की धार्मिक राजधानी की उपाधि प्राप्त है। यह शहर शिप्रा नदी के दाहिने तट पर स्थित है जहाँ प्रत्येक 12 वर्षो में सिंहस्थ महाकुम्भ का आयोजन किया जाता है जिसमें देश-विदेश से करोडों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। प्रतिवर्ष वैशाख मास में पंचक्रोशी यात्रा भी होती है जो कि 118 कि.मी. की होती है एवं 5 दिनों में पूर्ण की जाती है। इनमें भी लाखों श्रद्धालु शामिल होते है। कहा जाता है कि उज्जयिनी का प्रत्येक कंकर शंकर का ही स्वरूप है यहाँ कई धार्मिक पर्यटन स्थल है जिनके कारण शहर में पर्यटक दर्शन हेतु आते रहते है।

उज्जैन के धार्मिक पर्यटन स्थल –

1. महाकाल मंदिर
2. सांदिपनि आश्रम
3. हरसिद्धि मंदिर
4. चिंतामण गणेश मंदिर
5. गढ़कालिका माता मंदिर
6. मंगलनाथ मंदिर
7. भृतहरि गुफा
8. काल भैरव मंदिर
9. रामघाट
10. सिद्धवट
11. गुरूनानक घाट साहब रामघाट (गुरूद्धारा)
12. बिना निंव की मस्जिद

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत शोधपत्र के निम्न उद्देश्य है जो इस प्रकार है –

1. उज्जैन शहर के आर्थिक विकास में धार्मिक पर्यटन की भूमिका का अध्ययन करना।
2. देशी-विदेशी पर्यटक आगमन का अध्ययन करना।
3. पर्यटन से उत्पन्न रोजगार की स्थिति का अवलोकन करना।
4. पर्यटन के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन कर उनके सुझाव प्रस्तुत करना एवं संभावनाओं का पता लगाना।

शोध प्रविधि – अध्ययन हेतु प्रार्थानक एवं द्वितीय संमकों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक संमकों हेतु प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीय संमकों हेतु मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग वार्षिक प्रतिवेदन का उपयोग किया गया है।

साहित्य समीक्षा :

1. मीणा बाबूलाल एवं मीणा श्रवण कुमार (2015) ने वर्ष 2006 से 2015 तक राजस्थान में पर्यटन उद्योग एवं आर्थिक विकास का अवलोकन कर पाया कि 2007-08 में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि 2009-2010 में कमी एवं 2011 से 2015 तक फिर वृद्धि हुई इस प्रकार पर्यटकों की संख्या में उतार-चढ़ाव रहा।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

2. हंसराज काजल (2015) द्वारा किये गये शोध में वर्ष 2011 से 2015 तक राजस्थान आने वाले देशी पर्यटकों में सीकर जिले करा भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या क्रमश: 0.68, 0.83, 10.16, 0.48 रही। इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों की संख्या 2012 एवं 2015 में क्रमश: 142 एवं 16 थी। शेष तीन वर्षो में शून्य रही।

3. साढू ममता, चतुर्वेदी रजनी, अग्रवाल बसंती (2018) ने शोध में पाया कि बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसके कारण यहां तीव्रगामी विकास हो रहा है एवं रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है।

4. गुप्ता शिल्पी (2018) द्वारा शोध में पाया कि निमाड़ क्षेत्र में पर्यटकों से प्राप्त आय की वार्षिक वृद्धि दर 2013 से 2017 तक क्रमश: 3.2 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत एवं 4.04 प्रतिशत रही।

5. बघेल अर्जुन सिंह (2018) ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका का अध्ययन पाया कि घरेलू पर्यटक में सर्वाधिक हिस्सेदारी तमिलनाडु (23 प्रतिशत) एवं विदेशी पर्यटकों में युएसए (15.12 प्रतिशत) की है। एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में 1999 की तुलना में 2015 तक चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

परिकल्पना –

H_0 – उज्जैन के धार्मिक पर्यटन स्थल देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर रहे है।

H_1 – उज्जैन के धार्मिक पर्यटन स्थल देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे है।

आँकडों का विश्लेषण – वर्ष 2016 से 2020 तक देश-विदेश से लाखों/करोड़ो पर्यटकों का आगमन हुआ जो इस प्रकार है –

सारणी क्र.-1 : विदेशी/घरेलू पर्यटक आगमन (जनवरी से दिसम्बर तक)

क्र.	वर्ष	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक	कुल पर्यटक
1	2016	75966765	5179	75971944
2	2017	3628380	714	3629094
3	2018	3099379	902	3100281
4	2019	3172881	503	3173384
5	2020	709042	54	709096

स्त्रोत – मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग वार्षिक रिर्पोट अनुसार

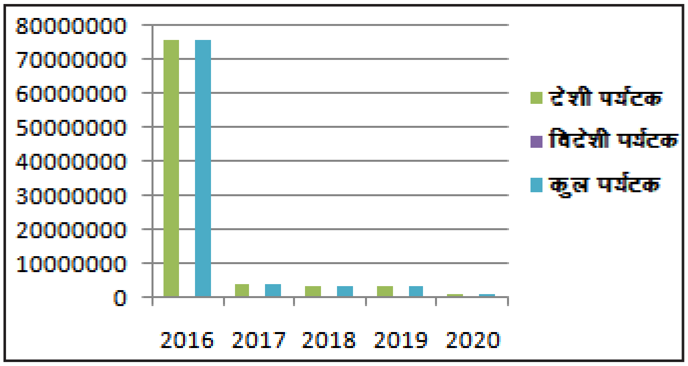

उपरोक्त आंकड़ो से स्पष्ट है कि सिंहस्थ वर्ष 2016 में देशी-विदेशी पर्यटक की कुल संख्या 7,59,71,944 रही। वर्ष 2017 से 2020 तक पर्यटक की संख्या में उतार-चढाव रहा।

सारणी क्र.-2 मध्यप्रदेश एवं उज्जैन में पर्यटक आगमन का तुलनात्मक अध्ययन (देशी पर्यटक)

क्र.	वर्ष	मध्यप्रदेश	उज्जैन	प्रतिशत
1	2016	150490339	75966765	50
2	2017	78038522	3628380	4.64
3	2018	84246236	3099379	3.67
4	2019	88707139	3172881	3.57
5	2020	20060560	709042	3.53

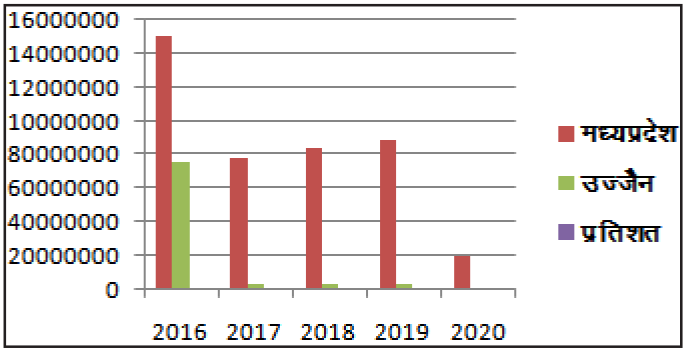

उपरोक्त आँकडों से स्पष्ट है कि सिंहस्थ वर्ष 2016 में मध्यप्रदेश में आने वाले देशी 50 प्रतिशत पर्यटक उज्जैन पहूंचे। बाकि वर्षो में भी उनका प्रतिशत ठीक रहा।

सारणी क्र.-3 मध्यप्रदेश एवं उज्जैन पर्यटक का तुलनात्मक अध्ययन (विदेशी पर्यटक)

क्र.	वर्ष	मध्यप्रदेश	उज्जैन	प्रतिशत
1	2016	363195	5179	1.42
2	2017	359119	714	0.19
3	2018	374226	902	0.24
4	2019	327958	503	0.15
5	2020	95505	54	0.056
	कुल	1520003	7352	0.48

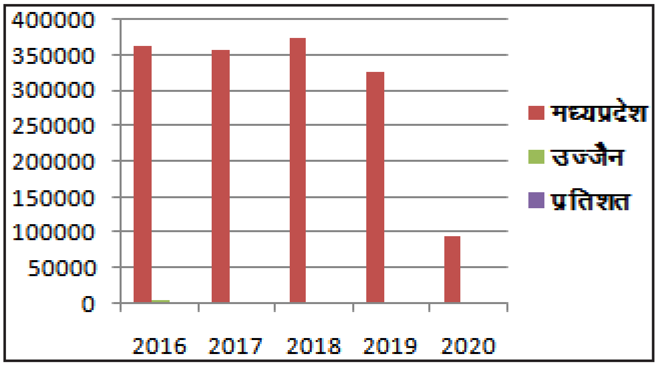

उपरोक्त आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि मध्यप्रदेश में आने वाले विदेशी पर्यटक का उज्जैन आगमन प्रतिशत नगण्य है।

सारणी क्र.-4 राज्य के आधार पर देशी पर्यटक

क्र.	राज्य	पर्यटक आगमन	प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश	63	21
2	महाराष्ट्र	54	18
3	गुजरात	50	16.67
4	उत्तरप्रदेश	45	15
5	राजस्थान	30	10
6	बिहार	12	4
7	दिल्ली	15	5
8	हरियाणा	6	2
9	छत्तीसगढ़	8	2.67
10	कर्नाटक	4	1.33
11	पंजाब	5	1.67
12	झारखंड	5	1.67
13	पश्चिम बंगाल	2	0.67
14	नेपाल	1	0.33
	कूल	300	100

स्त्रोत - प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पर आधारित

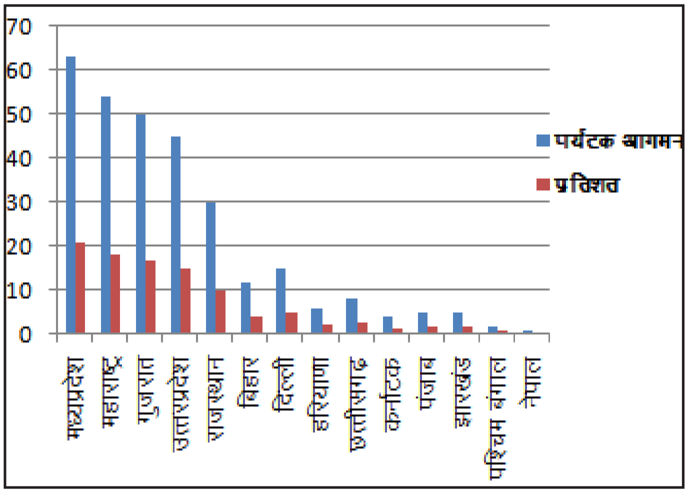

उपरोक्त आँकडों से स्पष्ट है कि उज्जैन में सर्वाधिक (21 प्रतिशत) धार्मिक पर्यटक मध्यप्रदेश से आते है। इसके पश्चात् महाराष्ट्र (18 प्रतिशत), गुजरात (16.67 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (15 प्रतिशत) के पर्यटकों की संख्या अधिक है।

निष्कर्ष एवं संभावनाएँ - आंकड़ो के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि धार्मिक नगरी उज्जैन स्थानिय एवं राजकीय पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। उनकी आय एव जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत विदेशी पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन भी नहीं हो रहा इसका मुख्य कारण पर्याप्त प्रचार प्रसार की कमी हो सकता है, अत: यदि अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रुप से प्रचार-प्रसार किया जाए तो संभवत: विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। अध्ययन क्षेत्र में कई विकास कार्य किये जा रहे है।

सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। महाकाल वन विकास प्रेजेक्ट के तहत महाकाल कॉरिडोर, कमल ताल, शिवस्थल, रुद्र सागर, लेक फ्रंट, थीम पार्क, शॉपिंग एरिया, वेटिंग रुम एवं रेस्टोरंट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त कई ब्रिज एवं सड़कों का निर्माण चौड़ीकरण भी मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित है जिसमें फोरलेन का विकास लंबाई की बजाय सर्कल में होगा। इससे कई दशनार्थी सुगमता पूर्वक उज्जैन पहुँच सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मीणा बाबूलाल एवं मीणा श्रवण कुमार (2015) 'राजस्थान में पर्यटन उद्योग एवं आर्थिक विकास' (AIJRA Vol.II Issue IV) ISSN – 2455-5967 पृष्ठ क्रं. - 17
2. काजल, हंसराज (2015) 'सीकर जिले में पर्यटन विकास एवं संभावनाएँ' (AIJRA Vol.III Issue I) पृष्ठ क्रं. - 62
3. बघेल, अजर्न सिंह (2018) 'भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन' Oural of Advance and Scholarly Research In Allied Education (Vol.XIV, Issue II) ISSN – 2230-7540
4. गुप्ता शिल्पी (2018) 'निमाड़ क्षेत्र में पर्यटन उद्योग का विकास एवं सम्भावनायें' नवीन शोध संसार Vol. III, ISSN – 2320-8767
5. साहु ममता, चतुर्वेदी रजनी, अग्रवाल बसंती (2016) 'बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं पर्यटन विकास' नवीन शोध संसार (भाग-1, अंक-46)
6. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम वार्षिक प्रतिवेदन (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

ग्रामीण महिलाओं में होने वाले कुपोषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

डॉ. मधुबाला वर्मा * पद्मारानी शाक्य**

* सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृह विज्ञान) शासकीय एम.एल.बी.कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत देश में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याये आज लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिसके कारण भारत में हर जगह चाहे वो शहर हो या ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याये बढ़ती जा रही हैं। भारत में ग्रामीण में विभिन्न योजनाये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं के बावजूद भी भारत में लगभग 55 प्रतिशत जनता कुपोषित है। वही देखा जाऐ तो एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएँ 56 प्रतिशत कुपोषण की शिकार हैं।

पोषण आहार संपूर्ण विटामिन, खनिज लवण युक्त भोजन हम सभी करते हैं लेकिन अभाव में कई बीमारियाँ हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। इसका असल हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन ज्यादातर शिकार बच्चे और महिलाऐं होती हैं। भारत में हर साल कुपोषण के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। भारत में कुपोषण के मामले में गंभीर है। राजस्थान, मध्यप्रदेश में किये गए सर्वे के अनुसार पाया गया कि सबसे गरीब इलाको में बच्चे भुखमरी के कारण मृत्यु हो रही है। वही अगर इसपर ध्यान दिया जाये तो भुखमरी के कारण हो रही मौतों को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की स्थिति को चिंताजनक बताया है।

कुपोषण के कारण कई प्रकार से प्रकट किऐ जा सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं में कॉलिक एसिड की कमी, विटामिन बी–12 की कमी, लोह तत्व की कम मात्रा कुछ बीमारियों की वजह से खून की कमी, कम आहार से कुपोषण का खतरा बना रहता है इसके कारण यथावर सीने में दर्द, शरीर फूलना, चमड़ी पीली पड़ने जैसे लक्षण महिलाओं में दिखाई देते है। वही बच्चों में मशस्मस रोग, में वृद्धि रूक जाती हैं। प्रोटीन की कमी से त्वचा खराब हो जाती है बच्चों में निमोनिया, खसरा से मौत का खतरा बढ़ जाता है। वही पोषण सब कमी भी देखी जाती है विटामिन, खनिज लवण, कैल्शियम और विटामिन डी की अधिक कमी महिला एवं बच्चों में पायी जाती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में फाइट हंगर फाउंडेशन ए.सी.एफ. इंडिया ने मिलकर 'जनरेशनव न्यूट्रिशन प्रोग्राम' की शुरूआत की है। ए.सी.एफ. के उपाध्यक्ष राजीव टंडन ने इस प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कहा है कि कुपोषण का चिकित्सीय आपात स्थिति के रूप में देखने की जरूरत है। और बेहतर नीतियों के बनाऐ जाने के लिए बजट दिए जाने की सिफारिश की कुपोषाण को मिटाने के लिए मिशन की तरह कार्य करने की अपील की। भारत में अनुसूचित जन 28–1, अनुसूचित जाति 21–1, पिछड़ी जाति 20–1, और ग्रामीण समुदाय 21 प्रतिशत कुपोषण का शिकार है। भारत में शिशु मृत्युदर 67 प्रति हजार है। मातृ मृत्यु दर 2015 से 17 में प्रति एक लाख पर 122 हैं।

भारत में कुपोषण की स्थिति – कुपोषण निम्न इम्युनिटी बीमारियों को बुलावा देने खराब शारीरिक व मानसिक विकास और उत्पादकता का कारण हैं। 1990 के दशक में शुरूआत में गिरावट के बाद भारत में कुपोषण के ऑकड़े विश्व में सबसे ज्यादा है। अल्पपोषण उम्र के हिसाब से बजट कम होना आबादी के प्रतिशत के रूप में कुपोषण का अनुपात चाइल्ड वेस्टिंग, कद के हिसाब से वनज कम होना पांच साल से कम उम्र के बच्चों का अनुपात खत्म होने से तीव्र कुपोषित का संकेत दर्शाता है। स्टटिंग उम्र के हिसाब से कद कम होने से पीड़ित पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात पूर्व कुपोषित होने का संकेत देता हैं। बाल मृत्यु दर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को अंकित करती है।

ग्लोबल हंगर इडेक्स 2018. के अनुसार भारत पिछले पांच वर्षो के खराब प्रदर्शन के कारण 103 बी रैंक पर आ गया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर प्रकाशित हुई थी जब NFHS – 4 ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। 21 प्रतिशत भारतीय बच्चों कमजोरी से पीड़ित गम्भीर पांच साल से कम उम्र के वही महिलाऐं ज्यादा ग्रसित हैं। भारत के विभिन्न राज्य में पायी जाने वाली असमानता के कारण प्रत्येक राज्यों में कुपोषण की स्थिति अलग–अलग हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि जिन बच्चों की माताऐं ग्रामीण में रहती है पड़ी लिखी नहीं है वह बच्चे कम वनज से पीड़ित है भारत में भोजन और अच्छे पोषण तक पहुंच में सुधार के लिए 14.5 फीसदी जनसंख्या कुपोषण के चंगुल में फंसी है। जिनका बॉडी मास इडेक्स 18.5 से नीचे होता है।

कुपोषण के साथ–साथ अगर स्वास्थ्य की बात करे तो इसका मतलब किसी व्यक्ति के बीमारियों और चोट जैसी समस्याओं में मुक्त हो बीमारियों से संबंधित नहीं है। स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण भरपेट भोजन न मिलने जैसे कारण की वजह से लोग बीमार हो जाते है। भूखे, कमजोर, डरे सहमें रहना स्वास्थ्स्य के लक्षण है। कुबनि अली (पूर्व एडिटर राज्य सभा टी.वी.) डॉ. नरेश चन्द्र सक्सेना (पूर्व सचिव योजना आयोग) प्रोफेसर इन्द्रजीत मुखर्जी स्वास्थ्य कार्यकर्ता राज्य स्वास्थ्स्य सूचकांक 2019 नीति आयोग ने ये इडेक्स बैंक और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर जारी किये हैं। इस रिपोर्ट को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साल भर के प्रदर्शन को मापा जाता है। 23 संकेतों पर आधारित है। बडे राज्यों में केरल, आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश खराब स्थिति में है वही बिहार, उडीसा,

मध्यप्रदेश (38.39) प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाये बहुत ही खराब है।

वही भारत में तीसरी स्वास्थ्य नीति लागू 2017 में की गई जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था आर्थिक सहयोग रोगों से रोकथाम तकनीकी को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य था सभी उम्र के लिए स्वास्थ्य सेवा हासिल करना। गरीबी पर बिना किसी आर्थिक दवाब के उत्तम इलाज उपलब्ध करना स्वास्थ्य खर्च को 2025 तक जी.डी.पी. का 2.5 तक करना।

5 वर्ष से कम आयु का बच्चों की मृत्यु दर को कम करना मातृ मृत्यु दर को पूरी तरह समाप्त करना। कुष्ठ रोग, को पूर्ण खत्म करना, टी.बी. रोग को खत्म करने का लक्ष्य था लेकिन भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता इसका कारण है कि जी.डी.पी. का 1 से 1.5 प्रतिशत हिस्सा ही स्वास्थ्य पर खर्च होता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 5 प्रतिशत है। अन्य देश स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर जी.डी.पी. का अधिक खर्च करते हैं। इस कारण भारत की स्थिति दयनीय होती जा रही है।

स्वास्थ्य संकट की वजह – बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी खाद्य समस्या कुपोषण प्रति व्यक्ति विश्व आय निर्धारित कीमतों में वृद्धि कृषि विकास में बांधा पूंजी निर्माण में कमी सेवाओं पर अधिक खर्च W.H.O की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत 14 भारत के ही है। 66 करोड़ लोग सबसे प्रदूषित जगहों पर रहने को मजबूर हैं।

गरीबी – ग्रामीण इलाको में 32 रूपये प्रतिदिन और कस्बों में 47 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा निर्धारित की है। तेदुलकर फॅाम्यूले में 22 फीसदी आबादी को गरीब बताया है। रंगराजन फॅाम्यूले ने 29.5 फीसदी गरीबी से नीचे है। 2011 की जनगणना के अनुसार 22.1 लोग गरीबी रेखा में है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण में 26 प्रतिशत आबादी गरीब है।

खाद्य सुरक्षा – ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक भारत करीब 4 करोड़ 66 लाख बच्चों का कुपोषण के चलते लम्बाई और वनज नहीं बड़ा खाद्य सुरक्षा में हिडेन हैंगर भी शामिल है। लोगो के पास गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं हैं।

खर्चीला इलाज – स्वास्थ्य पर कम खर्च भारत केन्द्र राज्य सरकारों का आपसी तालमेल न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाऐ वांछित रह जाती है। निजी अस्पताल करीब 72 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को प्राईवेट हेल्थकेयर सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है सरकारी सेवाये नहीं मिल पा रही है। इसके चलते अधिक आबादी को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलता और ना ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले पाते अनेकों स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजनाऐं कार्य कर रही है। भिर भी कोई सुधार नहीं हुआ 55 मिलियन लोग स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। जिनके कारण गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है और कुपोषण जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ना भर पेट खाना मिलता है। और ना ही स्वास्थ्य रहने के लिए सही इलाज होना समस्या के कारण शरीर गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव – कुपोषण की रोकथाम के प्रयास और खाद्य सुरक्षा का अर्थ है देश के हर नागरिक तक भोजन की उपलब्धता कराना सरकारी विभाग और मंत्रालय ऐसी कई योजना और कार्यक्रम को लागू कर कुपोषण और स्वास्थ्य की योजना उपलब्ध कराये महिया बाल विकास की योजना द्वारा सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत हैं। क्योंकि 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण में निवास करती है। गरीब व ग्रामीण परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाऐं ताकि भारत का नारा है सही पोषण देश रोशन का नारा सकारात्मक सोच नई दिशा निर्माण कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. बाई.एस. भार्गव (पोषण आहार एवं स्वास्थ्य)
2. श्रीमती सुषमा भार्गव गृह विज्ञान हिन्दी (अंकुर प्रकाशन बीकानेर)
3. अभय जोगलेकर आहार एवं पोषण प्रथम संस्करण 1993.
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की रिपोर्ट के अनुसार
5. वैश्विक भूख सूचकांक Global Hanger index 2018.
6. ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

The motif and the gravity of human order in William Golding's *Lord of The Flies* and *The Inheritors*

Pradeep Sharma* Dr. Purwa Kanoongo**

***Research Scholar, SAGE University, Indore (M.P.) INDIA**
****AssociateProfessor, SAGE University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - This research paper focuses at striking to gauge out the central motifs and the usual state of affaires in the William Golding novels. *Lord of the Flies*. Golding's initial novel, narrates a group of boys trapped on an empty island regressing to savagery. The following one, *The Inheritors* flaunts "new people" commonly pinpointed with the Homo sapiens, prevailing over a shy race, commonly recognized with Neanderthals, by cunning and cruelty. His next novel *Pincher Martin* registers the reveries of a sinking sailor. *Free Fall* (1959) inspects the subject of free choice on a prisoner kept in solitary confinement in a German camps in the course of world war 2nd reflects over his life. *The Spire* (1964)goes after the construction of a gigantic spire out upon a medieval cathedral; *the spire* representing the inner desire as well as the materialistic futility. His later novels cover Darkness Visible (1979), which is around a terrorist group, a deviant teacher and a bizarre angel like figure that gets through a fire in The Blitz, *The Paper* Men (1984), which relates the clash between a writer and his Biographer, and a sea trilogy *To the Ends of the Earth*, which comprises the *Rites of Passage* (1980), Close Quarters (1987), and *Fire Down Below* (1989).

Introduction - Sir William Gerald Golding is an English novelist, a dramatist, and a poet. He is famous for his novel *Lord of the Flies*, that won him the Nobel Prize for Literature, and he was also awarded the Booker Prize for literature in 1980 for his novel *Rites of Passage*, the first of his sea trilogy, *To the Ends of the Earth*. Queen Elisabeth II knighted William Golding in 1988. He also won a fellow of the Royal Society of literature. The Times in **2008** rated Golding third on their list of "The 50 greatest British writers since 1945".

William Golding was born on September 19, 1911, in the house of his grandmother, 47 Mount Wise, Newquay, Cornwall, and did use up many of his holidays of the early age there. He came of age in Marlborough, Wiltshire, where his father, Alec Golding was a science teacher at Marlborough Grammar School until he retired. Young WilliamGolding and his elder brother studied at the school where Alec Golding was a teacher. The mother, Mildred Conroe, kept house at 29, The Green, Marlborough, and she was a crusader for female voting rights. In the year 1930, Golding joined the Brasenose College, Oxford, and there he studied Natural Science for two years prior to his switching to English Literature. Golding acquired his bachelor's degree with Second Class Honours in 1934, and afterwards in the same year a book of his poems came into publications by Macmillan and Co., with the assistance of his Oxford friend Adam Bittleston, the anthroposophist. Golding took on the career of a school teacher of Philosophy and English in 1930, then only English from 1945 to 1961 at Bishop Wordsworth's School, Salisbury, and Wiltshire. Golding was married to Ann Brookfield, an Analytical chemist, on September 30, 1939. They were parents to two children, Judith and David.

In the course of World War 2, Golding joined the Royal Navy in the year 1940. He actively participated in the war and was shortly involved in the chase and sinking of the German warship *Bismarck*. He also took part in the invasion of Normandy on D-Day, controlling a landing ship that launched salvoes of rockets onto the beaches, and was in warfare at Walcherenin which out of 24, 23 assault crafts were sunk. In 1985, Golding and his wife shifted to Tullimaar House at Perranarworthal, close by Truro, Cornwall. Eight years later he expired due to heart failure, on June 19, 1993. He was busied at Bowerchalke, in the village churchyard, South Wiltshire (near the Hampshire and Doreset county boudaries). The manuscript of novel The Double Tongue was left behind, placed in the ancient Delphi, which came into print only posthumously. His son David kept the living at Jallimaar House. In the September of 1953, after several refusals from other publishers, Golding posted a manuscript to Faber and Faber and was at first declined by their reader. His book although was defended and promoted by Charles Monteith, a fresh editor at the firm. Charles called for some changes to text and the novel was approved for publication in September 1954 as *Lord of the Flies*. After migrating from Salisbury to close by Bowerchalke in 1958, he came across his past friend James Lovelock. The both talked

over Lovelock's hypothesis that the existing stuff of the planet Earth operates as a mono organism and Golding recommended calling this hypothesis after Gaia i.e. the goddess of Earth in Greek mythology. After a thriving success in print, Golding resigned from the school teacher's post at Bishop Wordswoth's school in 1961, and he occupied that academic year in the United States as a writer-in-residence at Hollins College, near Roanoke, Virginia.

Golding was awarded the James Tait Black Memorial Prize in 1979 and also the prestigious Booker Prize in 1980 (or in the following year). He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1983, and was as maintained by the *Oxford Dictionary of National Biography* "an unexpected and even contentious choice." In the year 1988 Golding was assigned a Knight Bachelor. In September 1993, soon after his unexpected demise, the First International William Golding Conference was organized in France, where Golding's appearance was cordially expected.

'The nature of the brute' is the major motif in Golding's initial three novels; and to observe the brute dispossessed of the ornaments of civilisation, Golding devises archetypal situation. Whenever he leaves his hero in utmost risk, or "boundary situation", it in to drive them perform from the solitude of soul and lacking the aids of the social structure. What comes to the fore, then, is the central human state of affairs – man under the aspect of heaven, "man's ancient inescapable recognition" (*Lord of the Flies,* P.152*).*

He realized that the evil in the world is stretched out not in the certitudes of race, economics or social ancestry but in the human awareness, and thus was perennial and universal. He asserted: "I believed that the condition of man was to be a morally diseased creation and the best job I could do at the time, was to trace the connection between his diseased nature and the international mess he gets himself into." He assumed that the belligerence in the human world was not a result of the good facing a difficult time with the bad, but an effect of the two unfairs battling for primacy.

The motif of Lord of the Flies as that of the most of the other novels of Golding, spins around the theory of the inception of evil and its clash with what is good. This motif has been submitted nicely through a powerful plot, the competence of the myth, the rational depiction of characters, fitting and distinct symbolism, sectoral images, visuals and creative original illustrations and the last but not the least, his exclusive narrative style that builds the story enthralling and full of suspense. As the narrative advances the central concern of the novel is heightened and consolidated by myriad motifs occurring in the novel including, the erosion of civilisation, the element of power, the destiny of thinkers, the unpredictability of life, the directives and decrees, mislaying of innocence, primitiveness, symbolic images, and the sound of pessimism existing to the extreme end of the novel.

In of *Lord the Flies*, Golding seeks to uncover the flows of society back to human nature and in *The Inheritors* he moves one pace further and censures the claims of the logical man. The Victorians assumed that logic and reason were fair enough to make the society progress and that the Biblical serenity was a scientific truth. Golding's novel*The Inheritors*is a produce of prehistoric fiction and the book is a creative reformation of the life of a group of Neanderthals. It is composed in such manner that the reader might suppose the group to be contemporary Homo sapiens since they act and speak among themselves, and bury their dead with sincere, ceremonial rituals. They also posses strong sense perception and feelings, and also sometimes seem to share views in a telegraphic manner. As the novel advances, it gets increasingly evident that they live straight forwardly, applying their sizeable mental capability to coordinate with one another without considerable vocabulary or the verities of free recollection which develop culture.

They own a vast awareness of food sources, mainly roots and vegetables. They pursue hyenas from a bigger beasts kill and consume flesh, though they do not slaughter mammals themselves. They follow a sacred approach focusing on a female ideal of begetting, although they live their lives so immensely in the present that it makes the reader see that they are quite different from us, existing somewhere as in a perpetual present, or nothing but a present that is shattered and fashioned by seasons.

Whole William Golding persists with his inquiry of the cheapness in the human state of affaires in his writings of the middle phase, namely *Free Fall*, *The Spire*, *The Pyramid*, and *The Scorpion God*, he launches a new criterion. The component of guilt, its recognition and the methods through which man can employ it for the purpose of a spiritual revival happens to be his governing concerns now.

William Golding's occupancy with human suffering and his dedication to humanity have bestowed his novels of the human situation-the energy, the intricacy and uniqueness not many of the contemporary writers have accomplished in their works. Golding uses the novel as a tool to scoop out the lifeless layer of habits, to scratch the labels of things and to blow man out of a cold indifference towards his situation. The task of a writer, he holds, is to "get people to understand their own humanity". Golding says and shows that all is not lost, that there is a lot more to man than utter hatred, brutality and craftiness. His religious perceptiveness, his confidence in man and devotion to God is too hefty to be blacken by the darkness of Belsen and Hiroshima. Golding watches this base and fruitless quantity from close quarters and under the heaven's feature, he delves down into the crusts of time and dreams up the future times as well. All this is worked by him to view and to understand man "The marvel of creation" from all the aspects of time. He also views this earth as "set like a jewel in space".

"But the sight battles him as it did Jung. He is unable

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

to understand why man mutual ways use his knowledge and skill to "diminish" the world of God and man in a universe ablaze with all the glories that contradict that "Diminition". But the truth that transcends the darkness of evil and sin, the sentiments and thirsts erects a world that offers man if at all he would exit the band of sinners and select his path to meet god and his own soul. Some, like Simon, have invariably been doing so. Nathaniel, Joceline and Matty are the proactives in this direction. Talbot also makes the right choice off the contrasting powers of hell and heaven.

The probing novels of Golding put up queries that hardly any have responded to. Nevertheless, he provides the response himself. Golding, in the essay "Belief and Creativity" relates St. Augustine asserting as "Woe unto me if I speak of the things of God, but woe unto me if I do not speak of the things of God." Golding also has talked God and the things of God. And it would be sad if someone does not listen to him.

References:-

1. Lord of the Flies. London: Faber and Faber, 1954.
2. The Inheritors. London: Faber and Faber, 1955.
3. Quoted in Owen Webster, "Living with Chaos," Books and Art, March 1958,
4. William Golding's words from his Nobel Prize acceptance speech published in A Moving Target (London: Faber and Faber, 1982),
5. Quoted in Cedric Watts, A Preface to Conrad Preface Books London: Longmun, 1982)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Dimensions of Legal Aid in Present Scenario of India

Sangeeta Choudhary (Mehta)*

***Research Scholar (Law) School of Law, Devi Ahilya University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - Constitution of India aims at providing justice to all, as one of its significant objectives. Indian society is a combination of people with HAVE and HAVE NOT. So, its not possible for every individual in the country to have an easy access to equality and justice.

Legal Aid in India not only includes Fair Representation and Fair Trial but it also includes Legal Advice, Legal Awareness, Legal Mobilisation, Public Interest Litigations and a variety of Strategic and Preventive Services. Thus, on one side Legal Aid in India safeguards the rights of an individual and on the other side Legal Aid is a Constitutional Obligation of the Government.

The Researcher conducted a Doctrinal Research on the Dimensions of Legal Aid in present scenario of the country on basis of Secondary Data. The study is having utility to know about the new and dynamic role of Legal Aid in Today's India. The study will also give further scope for research in future about how Legal Aid can be developed in other ways in the interest of public at large.

Meaning of Legal Aid- A threat to justice is INJUSTICE. Constitution of India, among its significant objectives also aims at providing justice to all. Indian society is a combination of people with HAVE and HAVE NOT. So, it is not possible for every individual in the country to have an easy access to equality and justice. To resolve this issue to certain extent, Legal Aid is a Constitutional Obligation of the Government.

Legal Aid in India safeguards the rights of an individual by providing Fair Legal Representation and Fair Trial, which also includes Legal Advice, Legal Awareness, Legal Mobilisation, Public Interest Litigations and a variety of Strategic and Preventive Services. Legal Aid is to render Legal Services either at Free of Cost or at Reduced Rate.

The concept of Legal Aid in India is given a Constitutional and Statutory Status both. Legal Aid in India operate a Legal System in the country which does not vary on basis of income level, wealth or resources of an individual.

Definition Of Legal Aid- As per Article 39A of the Constitution of India, the State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.[1]

As per Section 2(c) of The Legal Service Authorities Act, 1987, 'Legal Service' includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other Authority or Tribunal and the giving of advice on any legal matter.[2]

Legal Aid In India- In 1976, **Article 39 (A)** of the Constitution of India was enacted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 wherein the State was under the obligation to provide Legal Aid to the weaker sections of the society. It was to ensure equal justice which has been promised to all citizens by the Preamble. It provides opportunity to have equal justice and free legal aid. No citizen by reason of economic scarcity or other disability be denied of justice in India now. Article-14 and 22(1) also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on a basis of equal opportunity to all. Legal aid thus provides equal justice to the poor, downtrodden and weaker sections of the society.

The state is under a constitutional mandate to provide free legal aid to an accused who is unable to secure legal services because of indigence and state has to do whatever is necessary for this purpose.[3]**Article-21** has been reinforced by Article 39-A, therefore the State must give to the accused the facility to be defended by a counse1.[4]**Article-22** states that no person shall be denied the right to consult, and to be defended by a legal practitioner of his choice. On being arrested, a person has a right to consult a legal adviser of his own choice and to have effective interview with the lawyer out of the earshot of the police.[5] The right extends to any person who is

arrested, whether under the general law or under a special statute.[6] Article 39A is added by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 to ensure equal justice which has been promised to all citizens by the Preamble and to further guarantee equality before law **(Article 14)**, which would have no meaning to the poor so long as they are unable to pay for their legal admission.[7]

A legal service programme generally has two broad goals:-

1. Providing unmet legal needs of the poor / needy.
2. Achieving law reforms which benefit the poor / needy

Jackson v. Bishop[8], was a case decided in 1968 on the Eighth Circuit Court of Appeals of the United States by then-judge Harry Blackmun, which abolished corporal punishment in the Arkansas prison system. In this case Justice Blackmun, stated that the concept of seeking justice cannot be equated with the value of dollars. Justice Blackmun in this case has also stated that money plays no role in seeking justice. Therefore, the denial of justice to needy or poor squashes by providing Legal Aid.

Legal Aid in pre-independence India was Court-oriented and poverty-centric.[9] **In post -independent India, in 1949,** Bombay Government setup a **Bombay Committee on Legal Aid and Advice**, under the Chairmanship of Justice N.H. Bhagwati. This committee took cognizance of the issues of poor and gave measures to provide legal aid to the citizens. The committee stated that Legal Aid is a service and not a charity. It is an obligation on the state which is equally important and should be given to both the parties in the proceedings. It recommended administrative machinery of Legal Aid to be constituted at four level., namely First – State Level, Second – High Court level, Third – District level and Fourth – Taluk level. The Committee also suggested MEANS TEST and PRIMA FACIE TEST to determine eligibility for Legal Aid.

DIMENSIONS OF LEGAL AID IN PRESENT INDIA THROUGH SCHEMES , PROGRAMMES AND SERVICES OF LEGAL AID AT MADHYAPRADESH LEGAL SERVICE AUTHORITY (MPLSA) AND INDORE DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY (DLSA)-

1. Lok Adalat Scheme, 1997- As per the powers conferred by Clause (g) of Section 2 r/w Clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 7 of the Legal Service Authorities Act, 1987, the State Authorities makes different Schemes to perform functions such as- Defining words and expressions, Procedure for organizing Lok Adalat, Notices or information to parties, Composition of Lok Adalat at High Court / District / Taluk Level, Summoning Records of pending cases referred to Lok Adalat, Functioning to bring to conciliatory settlement and Holding of Lok Adalat on appropriate time and place, Procedure for effecting compromise or settlement at Lok Adalat by Award being signed by Panel constituting Lok Adalat, Award or order to be categorical and lucid written in language of Local courts, Compiling Results in a Proforma to submit to the State Authority, Remuneration to officers and staff of Lok Adalat fixed by Patron-in-Chief, Procedure to maintain records in register, Budget proposals to be submitted by the High Court Legal Services Committee and District Authority to the State Authority on Financial year basis depending on Lok Adalat Schemes, Maintenance of Accounts by Chairman of concerned Committee to exercise full control over the expenditures, and Funding by State Legal Service Authorities if considers necessary.[10]

2. Permanent and Continuous Lok Adalat- As per the powers conferred by Clause (g) of Section 2 r/w Clause (a) and (b) of sub-section (2) of Section 7 of the Legal Service Authorities Act, 1987, the State Authorities organizes Permanent and Continuous Lok Adalats for High Courts in Part-I and For District Authorities in Part-II under its Scheme. The Scheme also mentions the procedure for Permanent and Continuous Lok Adalats such as its day, time, etc.

3. Legal Literacy Camp, Scheme 1999- As per the powers conferred by Clause (g) of Section 2 r/w Clauses (c) and (d) of sub-section 2 of Section 7 of the Legal Service Authorities Act, 1987, the State Authorities makes Legal Literacy Camp, Scheme, in which "Saksharata Dal" is constituted for High Court / District / Tehsil Legal Services and VidhikSakshartaShivir is also organized.

The objectives of this Scheme are to formulate guidelines for contents of legal literacy materials, its use, preparation of such materials and review of existing materials on legal literacy and to organize Legal Literacy Camps. Under this scheme, Legal Literacy Camps are organized to provide information about all schemes of governments and statutory laws etc. to weaker sections of society such as – Schedule Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Agriculturists and Labourers. For this purpose, "Saksharta Dal" for each area are also constituted with approval of Executive Chairman of High Court Legal Services Committee / District Legal Services Authority / Tehsil Legal Services Committee.

Publication of Pamphlets for Legal Awareness about - Importance of Mediation, Rights of Prisoners, *Beti Bachao*, Child Marriage restraint, awareness about provisions ofcertain laws as Protection of women from Domestic Violence Act and POCSO Act, etc. is also done for bringing legal literacy in society.

4. Litigation Free Village Scheme- For Litigation free village, on one side Social, Economic and Political Justice is must and on other side it is must for people to understand and realize the rights and duties of oneself and others too, at the same time. For declaring a Litigation Free Village, 131 villages were selected out of which upto year 2021, 47 villages have become litigation free and 28 are waiting for their Declaration and 56 are in process. In the year 1997, Village-Jhalone, of Tehsil-Lakhandon, District-Seoni was the first to be declared as Litigation free village.

A new concept of "Litigation Free Industrial Establishments" is also emerging on the same basis.

5. Women and Child Protection Unit- Under the

Women and Child ProtectionUnit constituted at District Level, Legal Literacy Mission was implemented for handling the grievances and providing speedy justice relating to Rights of women and children, Rights of mentally challenged and Rights of workers.

6. Crime against Labour Cell- "Crime against Labour Cell" is constituted in every District to ensure implementation of Labour Laws, secure participation of labourers in democratic systems, ensure protection of workers living with HIV / AIDS, implementation of Equal Remuneration Act, Safety of women workers against discrimination, sexual harassment and child trafficking and for speedy justice to them.

Covid Activities 2021- Conclusively, along with all above Schemes, Services and Programs, MPSLSA is acting in different dimensions to achieve the objectives of Legal Aid in the country. MPLSA has also filed a PIL for seeking directions for implementing the provisions of Mental Health Care Act, 2017 to constitute State Mental Health Authority and training all duty holders under the Act. In Covid Pandemic, it has arranged for Blood Donation camps, has made short films on sanitisation and social distancing etc. to make people follow covid protocols. In Pandemic period, the DLSA coordinated with the District Administration to render services including rations, soap, sanitary napkins, etc, to vulnerable Tribal groups.The task of organizing post Covid activities specially outreach and assistance both of legal and non-legal issues has been peculiar due to the size of Madhya Pradesh, particularly in the light of its difficult terrain, were appreciable steps.

References :-

1. Ins. by s. 8, the Constitution (Forty-second Amend ment) Act, 1976 (w.e.f. 3-1-1977).
2. https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987
3. Khatri and Ors v. State of Bihar AIR 1981 SC 928
4. Shivarao.V, *The Framing of India's Constitution* (N.M.TripathiPvt.Ltd., Bombay, 1968) 236
5. Motilal v. State AIR 1954 Raj 241
6. State of M.P v. Shobharan AIR 1966 SC 1910
7. Basu,D.D, *Constitution of India (* Prentice of India Pvt.Ltd.,New Delhi, 1981) 231
8. 404 F 2d 571 (8th Cir 1968)
9. https://www.legallyindia.com/images/stories/docs/The%20Evolution%20of%20Legal%20Aid%20in%20India-Nishant%20Gokhale.doc
10. http://mpslsa.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

राजा राममोहन राय की आधुनिक पुनर्जागरण में भूमिका : एक विवेचना

डॉ .अलीमा शहनाज सिद्दीकी* डॉ. ऋतु सेन**

* अतिथि विद्वान (इतिहास) रानी दुर्गावती शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, जिला मण्डला (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (राजनीति शास्त्र) शासकीय आर्दश महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - आधुनिक भारत के स्वतंत्र विचारक, समाज सुधारक, राजनीतिक चिंतक व अनेक विषयों के ज्ञाता के रूप में जाने-पहचाने जाने वाले राजा राममोहन राय यद्यपि हिन्दू वैष्णव ब्राम्हण परिवार में जन्में, किन्तु वर्तमान परिस्थितियां व सामाजिक वातावरण, अन्धविश्वास, कुरीतियां, पाखण्ड, अस्पृश्यता जैसे खतरनाक परम्पराओं को वे आत्मसात न कर सकें। फलस्वरूप पिता रमाकान्त राय व माता तारिणी देवी से वे अलग हो गये।

मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होने संस्कृत बँगला, अरबी व फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का गहनता से अध्ययन किया और एकेश्वरवाद के सशक्त समर्थक बने साथ ही रूढ़िवादी हिन्दू अनुष्ठानो और मूर्ति-पूजा को बचपन से ही त्याग दिया।

तत्कालीन भारतीय समाज के उद्धारक राजा राममोहन राय ने भारत को आधुनिक राष्ट्र में तब्दील किये जाने के लिये धार्मिक, 'शैक्षिक' राजनैतिक एवं सामाजिक सुधार आवश्यक माना। उन्होने समृद्ध एवं समुन्नत भारत का सपना संजोया था। उनका मानना था कि 'किसी भी धर्म का ग्रन्थ पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का प्रश्न ही नही उठता। मैनें बहुत बार बाइबिल और कुरआन पढ़ा। मैं न ईसाई बना और न ही मुसलमान बना। बहुत से यूरोपीय गीता तथा रामायण पढ़ते है, वो तो हिन्दू नहीं हुए।'

राजा राममोहन राय ने ऐसी नवीन रूपरेखा भारतीयों के लिये प्रस्तुत किया जहाँ सभ्य, सुशिक्षित समाज स्थापित हो, जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, महिलॉए भी पुरूषों के समान सुशिक्षित, समान अधिकार को धारण की हुई हों, समाज में ऊंच-नीच, अस्पृश्यता, बाल विवाह, सतीप्रथा जैसे कुप्रथॉए न हों बल्कि भारतीय समाज आधुनिक बने तथा व्यक्तियों मे आधुनिक दृष्टिकोण विकसित हों । इसके लिये यह आवश्यक था कि भारत के लोग पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण धारण करें।

आधुनिक युग में उन्होने भारत के आधुनिकीकरण की दिशा में सबसे पहले वृहद स्तर पर कार्य किया। आयरलैंड की श्रीमती एनीबेसेंट ने लिखा- 'राजा राममोहन राय में एक अद्‌भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होने साहसपूर्वक हिन्दू ....और स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को नवीन चेतना से अनुप्राणित किया।'

उन्होने वेद व उपनिषद को गहराई से समझा और परखा और इस नतीजे पर पहुॅचे कि 'सती' घोर पाप है। मात्र स्त्रियों को स्वर्ग का लोभ दिखाकर विधवाओं को पति के साथ सहमरण हेतु विवशता मात्र एक भयानक कुत्सित परंपरा के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसी कुप्रथा का प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों मे कोई उल्लेख नहीं।

उन्होने यह सिद्ध किया कि सती प्रथा को कोई धार्मिक मान्यता अथवा शास्त्रीय अनुमोदन प्राप्त नही है।

अतः इस सामाजिक बुराई का पुरजोर विरोध करते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक की सहायता से 4 दिसम्बर 1829 ई0 को कानून बनाकर इसे फौजदारी अपराध घोषित करवाने में अपनी जी जान लगा दी।

भारत से लेकर इग्लैंड तक उन्होने विरोधियों का सामना किया, किन्तु हार नही माने।

इसके अलावा बहुविवाह, बाल विवाह, स्त्री-शिक्षा, महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार, विधवा-पुनर्विवाह जैसे सामाजिक विषयों पर आपने गहराई से अध्ययन कर तत्कालीन दलदल में फॅसे इस देश में उन्होनें वो जान फूॅकी, जिससे भारतीय चिंतन और जीवन की धारा ही बदल गई। उन्होने समाजशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा यह प्रतिपादित किया कि याज्ञवलक्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति आदि ऋषियों ने तो कन्या और पत्नी का सम्पत्ति में अधिकार स्वीकारा है, परन्तु बाद के टीकाकारों ने नारियों को इस अधिकार से वंचित कर दिया परिणामतः पति की मृत्योपराँत आर्थिक विपन्नता जैसे कारणों ने स्त्रियों को सती-प्रथा की ओर आकृष्ट किया।

वे पहले भारतीय पुनरूद्धारक हैं, जिन्होने खुलकर कहा कि पिता की सम्पत्ति में बेटी का भी कानूनी हक होना चाहिए।

भारतीय संस्कृति के अलावा अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर होने के साथ ही अंग्रेजी, विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा प्रोद्योगिकी आदि के समर्थक रहे। उन्होने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। इस सभा के माध्यम से समाज में सामाजिक व धार्मिक सुधार शुरू करने का प्रयास किया।

इग्लैण्ड के जेरेमी बेन्थम (1748-1832 ई0) व जर्मनी के हीगेल (1770-1831) के समकालीन रहे राजा राममोहन राय प्राचीन धर्म ग्रन्थ, हिब्रू, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे।

20 अगस्त 1828 ई0 को जिस ब्राम्हण समाज की नींव उन्होने डाली थी, 1895 ई0 तक इसकी शाखाओं की संख्या तकरीबन 226 तक हो गई थी जो उत्तर-पश्चिम में पेशावर से दक्षिण में चेन्नई तक तथा पश्चिम में मुंबई से पूर्व मे असम तक थी।

ब्रहा समाज की स्थापना का उद्देश्य हिन्दू समाज की बुराईयॉं/रूढ़ियॉं दूर करना, मूर्तिपूजा का बहिष्कार, ईश्वर के एकत्व जीवात्मा की अमरता व अवतारवाद का विरोध करता था। ब्रहा समाज को 'अद्धेतवादी विद्धानों की संस्था' कहा जा सकता है।

फारसी भाषा का प्रथम ग्रन्थ तुहफ्त-उल-मुवाहिदीन (एकेश्वरवादियों को उपहार) 1803 ई0 में प्रकाशित किया। इसके अलावा सन् 1820 ई0 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस (ईसा के नीतिवचन) को प्रकाशित किया और 1823 ई0 मे 'प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस' को जॉन डिग्वी के प्रयत्नों से लंदन में प्रकाशित किया।

इसके अलावा 1821 ई0 में भारतीयों द्धारा प्रकाशित, सम्पादित तथा संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र 'संवाद - कौमुदी' (प्रजा का चॉंद) का प्रकाशन किया। फारसी भाषा में सप्ताहिक समाचार-पत्र मिरात-उल-अखबार का भी प्रकाशन किया। वैदिक विज्ञान के अध्ययन हेतु 'वेद मंदिर' नामक पत्र का संचालन किया। 1822 ई0 में 'हिन्दू उत्तराधिकार नियम' प्रकाशित किया।

डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना की व 1825 ई0 में वेदान्त कॉलेज की स्थापना की। इसके साथ ही कलकत्ता में एक ऐसे अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जिसका खर्च पूरी तरह भारतीयों द्धारा उठाया जाता था।

वे ऐसे भारतीय थे, जो अंग्रेजी शिक्षा को अच्छा मानते थे। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के सिद्धांतो के आधार पर नव भारत का स्वप्न उन्होनें संजोया और जमीनी स्तर से जुड़कर सामान्य जन की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को सत्ता तक पहुँचाने का कार्य आपके द्धारा किया गया।

प्रेस की स्वतंत्रता हेतु वे प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। जब गर्वनर जनरल एडम्स (कार्यवाहक) द्धारा प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करने हेतु कदम उठाया गया तो वे इस आर्डिनेन्स के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन प्रस्तुत किए और जब वहां इस पिटीशन को स्वीकार किया गया तो वे उसकी अपील किंग-इन-कॉउंसिल के समक्ष कर दी।

यह अपील किसी भी भारतीय द्धारा स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्ष में उठाया गया पहला साहसिक कदम था।

एक अंग्रेजी पत्र ने लिखा था कि -'राजा राममोहन राय को गर्वनर जनरल बना देना चाहिए, क्यों कि वे न हिन्दू हैं न मुसलमान और न ईसाई। ऐसी स्थिति में वे निष्पक्षता से गर्वनर जनरल का कार्यभार संभाल सकते हैं।'

वे संभवत: प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैण्ड पहुचें। नवम्बर 1830 में वे मुगल बादशाह अकबर द्धितीय के पेंशन बढ़ोत्तरी की पैरवी हेतु इंग्लैण्ड पहुंचे। कई शिक्षा शास्त्रियों, विद्धतजनों से मुलाकाते की व अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। वहीं इंग्लैण्ड के ब्रिस्टल के स्टापलेटन में 27 सितम्बर 1833 ई0 को दिमागी बुखार (मैनिन्जाइटिस) बीमारी के कारण उनका निधन हुआ।

लेकिन तत्कालीन दलदल में फॅसे इस देश में उन्होने वो जान फूंकी, जिससे भारतीय चिन्तन और जीवन की धारा ही बदल गई। भारत में धर्म सुधार तथा पुनर्जागरण दोनों को एक साथ लाने का भरसक प्रयास उन्होने किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

प्याज में सिंचाई जल प्रबंधन

पूजा चौहान* डॉ. एस. के प्यासी इ. वाय. एन. श्रीवास्तव *****

*छात्र. बी. टेक (कृषि अभियांत्रिकी) चतुर्थ वर्ष, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ज.ने.कृ.वी.वी, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** संकायसदस्य मृदा एवं जल अभियांत्रिकी, विभाग कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ज. ने.कृ. वी.वी, जबलपुर (म.प्र.) भारत
*** संकायसदस्य मृदा एवं जल अभियांत्रिकी, विभाग कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ज. ने.कृ. वी.वी, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्याज के उत्पादन में बल्ब की पैदावार और आकार को अनुकूलित करने में मदद के लिए जल प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के पानी की कमी के तहत, उपलब्ध पानी का आर्थिक और कुशलता से उपयोग करने की आवश्यकता निर्विवाद है। बढ़ते मौसम के दौरान इष्टतम स्तर से नीचे मिट्टी की नमी को बनाए रखते हुए, कम सिंचाई जल उपयोग दक्षता में सुधार करती है। सीमित जल आपूर्ति के प्रबंधन और फसल की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उचित सिंचाई पद्धति का चयन फायदेमंद होगा। इस अध्ययन का समग्र उद्देश्य विभिन्न सिंचाई प्रणाली के तहत प्याज की फसल पर विकास, क्षेत्र अर्थशास्त्र और जल प्रबंधन का मूल्यांकन करना था। यह अध्ययन मध्य प्रदेश के तीन अलग-अलग जिलों में किया गया। इस अध्ययन में तीन सिंचाई विधियों (ड्रिप, स्प्रिंकलर और सतही सिंचाई विधि) का उपयोग किया गया। ड्रिप सिंचाई से प्याज की अधिक उपज प्राप्त हुई और सतही सिंचाई प्रणाली में सबसे कम उपज प्राप्त हुई। अन्य दो विधियों की तुलना में ड्रिप सिंचाई विधि के लिए बड़े प्याज का आकार अधिक था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगभग आधे पानी का उपयोग करते हुए ड्रिप सिंचाई प्रणाली अधिक उपज देती है और प्याज के आकार में वृद्धि करती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति के कारण उच्च सिंचाई दक्षता के साथ साथ अधिक उपज प्राप्त हुई।

प्रस्तावना – खेती की गई प्याज (एलियम सेपा एल.) वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 84.76 मिलियन मीट्रिक टन के विश्व उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण फसल है। प्याज में बल्ब उपज के लिए पानी मुख्य कारक है। बढ़ते मौसम के दौरान फसल को 350-500 मिमी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए, प्याज के उत्पादन में सिंचाई के माध्यम से पर्याप्त नमी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, प्याज के बल्बों की उच्चतम उपज तब होती है जब मिट्टी को लगातार नम रखा जाता है लेकिन सिंचाई फसल से दो सप्ताह पहले तक की जाती है, जो भंडारण के दौरान सड़न और अंकुरण को भी रोकता है (16-18) हालांकि, वानस्पतिक अवधि के दौरान अत्यधिक सिंचाई से बल्बों का विलंबित और क्षीण विकास हो सकता है। जहां तक बल्ब की गुणवत्ता का सवाल है, मिट्टी की नमी में वृद्धि के साथ घुलनशील ठोस पदार्थों में काफी वृद्धि होती है, जो फसल की पानी की मांग की पूर्ति और मिट्टी की नमी की इष्टतम उपलब्धता के तहत पोषक तत्वों के उपयोग दोनों के कारण हो सकता है। प्रोटीन सामग्री विपरीत प्रवृत्ति को दर्शाती है।

सब्जियों को पोषक तत्व और विटामिन का सस्ता स्रोत प्रदान करने में भोजन और आर्थिक मूल्य दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फसल माना जाता है। भारत दुनिया में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत है। सब्जियों की खेती का देश के कृषि विकास और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। सब्जियों को तेजी से खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाने लगा है।

प्याज खाना पकाने की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। यह सब्जियों और जड़ी-बूटियों के एलियम परिवार का हिस्सा है, जिसमें चिव्स, लहसुन, स्कैलियन भी शामिल हैं। एलियम सब्जियों की खेती सदियों से उनकी विशेषताओं, तीखे स्वादों और उनके औषधीय गुणों के लिए की जाती रही है। प्याज आकार, रंग और स्वाद में भिन्न हो सकते हैं। सब्जियों में 80 से 95% पानी होता है। क्योंकि उनमें इतना पानी होता है, उनकी उपज और गुणवत्ता सूखे से बहुत जल्दी प्रभावित होती है। जब सब्जियां बेची जाती हैं, तो थोड़ी मात्रा में स्वाद और कुछ विटामिन के साथ 'पानी की बोरी' बेची जा रही है।

अत: अच्छी पैदावार और उच्च गुणवत्ता के लिए अधिकांश सब्जियों के उत्पादन के लिए सिंचाई आवश्यक है। यदि फसल के विकास में पानी की कमी जल्दी हो जाती है, तो परिपक्वता में देरी हो सकती है और पैदावार अक्सर कम हो जाती है। यदि बढ़ते मौसम में बाद में नमी की कमी हो जाती है, तो गुणवत्ता अक्सर कम हो जाती है, भले ही कुल पैदावार प्रभावित न हो। सब्जियों के उत्पादन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण आदान सिंचाई है क्योंकि सब्जियों को बढ़ने और फलने-फूलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई पानी के उपयोग से फसलों, चारागाहों और पौधों को पानी देने की प्रक्रिया है, जिसे पाइप, स्प्रिंकलर, नहरों, स्प्रे के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। परंपरागत रूप से, सिंचाई के लिए पानी बांधों, झीलों, नदियों, कुओं, तालाबों, जलाशयों, नहरों या नलकूपों सहित कई अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, समय, आवश्यक पानी की मात्रा, पानी की दर और आवृत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है। उनमें से कुछ में फसल का प्रकार, मिट्टी के प्रकार और जलवायु शामिल हैं। सफल सब्जी उत्पादन के लिए सिंचाई के पानी का कुशल संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग महत्वपूर्ण है। अक्सर, अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थितियां क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों में उत्पादन को कम कर सकती हैं, जिससे सब्जियों की आपूर्ति सीमित हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इन स्थितियों के होने पर एक सुव्यवस्थित जल प्रबंधन

योजना के साथ उत्पादक के लिए लाभ के अवसर मौजूद होते हैं। सब्जियों के लिए फसल के पानी के उपयोग और प्रभावी वर्षा मूल्यों के आधार पर सटीक सिंचाई आवश्यकताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। पानी की कमी फसल की वृद्धि को कई तरह से प्रभावित करती है। इसका प्रभाव वृद्धि की अवस्था के संबंध में तनाव की गंभीरता, अवधि और समय पर निर्भर करता है।

लगभग सभी सब्जी फसलें दो अवधियों के दौरान सूखे के प्रति संवेदनशील होती हैंरू कटाई के दौरान और कटाई से दो से तीन सप्ताह पहले। 30 से अधिक विभिन्न सब्जियों की फसलें व्यावसायिक रूप से उगाई जाती हैं। यद्यपि सभी सब्जियों को सिंचाई से लाभ होता है, प्रत्येक वर्ग अलग-अलग प्रतिक्रिया करता है। प्याज की फसल की पैदावार पत्ती से जड़ या बल्ब तक कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन और स्थानान्तरण पर निर्भर करती है। विकास का सबसे संवेदनशील चरण आम तौर पर तब होता है जब ये भंडारण अंग बड़े हो जाते हैं। असमान सिंचाई से प्याज में जल्दी बुवाई हो सकती है। प्याज के उत्पादन में बल्ब की पैदावार और आकार को अनुकूलित करने में मदद के लिए जल प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। प्रभावी जल प्रबंधन से मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहेगी और पानी के बहाव और लीचिंग में कम से कम नुकसान होगा। जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए संदर्भ वाष्पीकरण माप और उपयुक्त फसल गुणांक का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक प्याज उत्पादन के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सिंचाई के तरीकों में ड्रिप, स्प्रिंकलर (ओवरहेड), और फ़रो सिंचाई शामिल हैं। एक उत्पादक की विधि का चयन उपलब्ध उपकरणों के प्रकार, क्षेत्र के आकार और आकार, पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता और प्रचुरता, श्रम की उपलब्धता और उपकरण, पानी और श्रम सहित प्रत्येक प्रणाली की समग्र लागत पर निर्भर करता है। लागत। प्याज में अपेक्षाकृत अधिक पानी की मांग होती है और मिट्टी के ऊपरी 30 सेमी में मिट्टी की नमी के स्तर पर एक मजबूत उपज और ग्रेड प्रतिक्रिया दिखाती है।

इष्टतम पैदावार पैदा करने के लिए नमी के स्तर को पर्याप्त उच्च रखने के लिए आमतौर पर बार-बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। जड़ क्षेत्र में मिट्टी की नमी (30 सेमी की गहराई तक) को खेत की क्षमता और मिट्टी के स्थायी गलने के बिंदु के बीच 50% के स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में, पौधों के लिए उपलब्ध पानी 75% से नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उस स्तर से ऊपर की दर में गिरावट आती है। पर्याप्त मिट्टी की नमी जड़ वृद्धि पर बल्ब के विकास को बढ़ावा देती है जिससे उच्च विपणन योग्य पैदावार होती है। प्याज में कम सिंचाई से पानी की कमी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कम पत्ती वृद्धि, कम बल्ब अनुपात, कम बल्ब ताजा वजन, छोटे बल्ब आकार और विपणन योग्य उपज में कमी आती है। फसल में पर्याप्त मात्रा में पानी डालना चाहिए। व्यक्तिगत जल अनुप्रयोगों को मिट्टी की जल धारण क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई से लीचिंग और अपवाह के माध्यम से पानी की हानि होगी। कम सिंचाई करने से यह प्याज की वृद्धि को प्रभावित करेगा क्योंकि इससे पौधो में सूखापन और उचित विकास और पोषक तत्वों की हानि होगी। प्याज की वृद्धि और गुणवत्ता पर सिंचाई का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा से काफी प्रभावित होता है। पानी की कमी के कारण बल्बों के जल्दी पकने के कारण बिक्री योग्य बल्बों की उपज कम हो जाती है। विकास और पकने के चरणों के दौरान उचित जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि राज्य में प्याज बड़े क्षेत्र में सभी प्रकार के किसानों द्वारा उगाया जाता है। अत:विभिन्न स्थानों पर विभिन्न किसानों द्वारा अपनाए जा रहे जल प्रबंधन से परिचित होने के लिए, यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया है: 1) किसान के खेत में प्याज के जल प्रबंधन का अध्ययन करना। 2) किसान के खेत में सिंचाई विधियों की प्रभावशीलता का निरीक्षण करना।

सामग्री और विधि - यह अध्याय अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन के लिए अनुकूलित कार्यप्रणाली के विवरण से संबंधित है। वर्तमान अध्ययन मध्य प्रदेश के तीन अलग-अलग जिलों में प्याज की फसलों पर जल प्रबंधन के प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए किया गया है।

मध्य प्रदेश में उपयुक्त परिस्थितियों के कारण प्याज एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। अधिकांश मिट्टी मध्यम काली है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और प्याज बेहतर रिटर्न देता है और किसान प्रगतिशील हैं। इन कारकों के परिणामस्वरूप राज्य में प्याज का भारी उत्पादन होता है। प्याज की फसल पर सिंचाई प्रणाली और जल प्रबंधन प्रतिक्रिया के प्रभाव की जांच के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया था। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में प्याज की फसल में जल प्रबंधन का अध्ययन किया गया। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी जलोढ़, गहरी काली, मध्यम काली, उथली काली, मिश्रित लाल और काली, मिश्रित लाल और पीली और कंकालीय मिट्टी हैं। मध्य प्रदेश में गर्म शुष्क गर्मी (अप्रैल-जून) के साथ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, इसके बाद मानसूनी बारिश (जुलाई-सितंबर) और ठंडी और अपेक्षाकृत शुष्क सर्दी होती है। औसत वर्षा लगभग 1,194 मिमी (47.0 इंच) है।

अध्ययन क्षेत्र - तीन प्रमुख कृषि जिलों मुख्य रूप से जबलपुर, नरसिंहपुर और सीहोर की पहचान की गई और नीचे दिए गए अनुसार अनुसंधान फार्म सहित कुछ गांवों को यादृच्छिक रूप से चुना गया।

1) **जबलपुर संभाग** - यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के जबलपुर में रबी मौसम के दौरान किया गया था। सर्वे का स्थान गोहलपुर है। जबलपुर जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1279.50 मिमी है। अध्ययन स्थल 23.1867 डिग्री उत्तर अक्षांश और 79.9379 डिग्री ई के देशांतर पर स्थित है। सर्वेक्षण क्षेत्र की मिट्टी मध्यम काली मिट्टी थी। क्षेत्र की स्थलाकृति समतल है। किसान नासिक किस्म की प्याज की फसल पैदा कर रहे हैं। किसान द्वारा उपयोग की जाने वाली सिंचाई विधि सतही सिंचाई है। प्याज की फसल में जल प्रबंधन का सर्वेक्षण जिला पनागर प्रखंड जबलपुर में किया गया, जिसमें रहपुरा, करिबा, क्योलारी गांव में सर्वेक्षण किया गया। क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ और गहरी काली मिट्टी है। क्षेत्र की स्थलाकृति समतल है। किसान नासिक किस्म की प्याज की फसल पैदा कर रहे हैं।

2) **नरसिंहपुर जिला** - मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में प्याज की फसल में जल प्रबंधन का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे का स्थान करेली, मोहद बड़ी, मोहद, बटेसर हैं। अध्ययन स्थल 22.9473 डिग्री उत्तर अक्षांश और 79.1923 डिग्री ई देशांतर पर स्थित है। क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ और गहरी काली मिट्टी है। क्षेत्र की स्थलाकृति समतल है।

किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली सिंचाई विधि सतही सिंचाई है, सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। कुछ किसान बड़े होते हैं और कुछ किसान छोटे होते हैं इसलिए कुछ किसान बड़े क्षेत्र में प्याज उगा रहे हैं और छोटे किसान सीमित या छोटे क्षेत्र में उगते हैं। ज्यादातर किसान नासिक और

पूसा किस्म के प्याज का इस्तेमाल करते हैं। प्याज में पाए जाने वाले सामान्य रोग थ्रिप्स हैं जिनका इलाज फरो प्लश सेफोरा द्धारा किया जाता है

3) सीहोर जिला – मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्याज की फसल में जल प्रबंधन का अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण का स्थान ग्वाली है। अध्ययन स्थल 23.2032 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77.0844 डिग्री ई देशांतर पर स्थित है। सीहोर जिले की सामान्य वर्षा 1217.7 मिमी है। सीहोर जिले का औसत वार्षिक सामान्य तापमान 31.40 डिग्री सेल्सियस है। क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ और काली मिट्टी है। क्षेत्र की स्थलाकृति समतल है। नासिक (लाल) किस्म की प्याज की फसल पैदा करने वाला किसान। सिंचाई का स्रोत कुआँ या ट्यूबवेल है।

क्षेत्र सर्वेक्षण– किसान के खेत का सर्वेक्षण करके उनके खेत का दौरा किया गया। कोरोना की स्थिति को देखते हुए छात्रों ने अपने पड़ोसी किसानों से मुलाकात की। तालिका में दिए गए प्रश्नावली का उपयोग करके किसानों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्धारा जानकारी एकत्र की गई थी

परिणाम और विवेचना – सिंचाई व्यवस्था (कब और कितनी) के लिए प्याज की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने और इष्टतम सिंचाई व्यवस्था के तहत जल उत्पादकता की पहचान करने के लिए एक क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया था। परिणामों से पता चला कि सिंचाई के पानी के आवेदन के स्तर में भिन्नता का प्याज की उपज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

किसानों का क्षेत्रफल 0.08 एकड़ से लेकर 2.79 एकड़ तक है। कुछ किसान नए (प्रथम वर्ष) हैं और कुछ पिछले 20 वर्षों से प्याज की खेती कर रहे हैं। इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के प्याज उत्पादकों का सर्वेक्षण किया गया।

अधिकांश किसान विभिन्न किस्मों जैसे पूसा लाल, नासिक लाल, भीम लाल और नासिक महालक्ष्मी उगाते हैं। प्याज के पौधों को बुवाई के 30–40 से 60 दिन बाद नर्सरी से खेत में रोपा जाता है। सामान्य तौर पर, प्याज को बड़े चेक बेसिन में प्रत्यारोपित किया जाता है। आकार में भिन्नता है, कुछ किसान 6 x 3 मीटर चेक बेसिन तैयार करते हैं, जबकि अन्य किसान 4 x 2 मीटर से 2.5 x 2 मीटर चेक बेसिन ले रहे हैं। 10 में से 8 किसान बाढ़ सिंचाई करते हैं, बटेसरा के श्री मोतीलाल रघुवंशी और रेहपुरा के श्री राजेश पटेल, क्योलारी की श्रीमती लक्ष्मीबाई बर्मन और सीहोर के श्री रामरसद पाटीदार ही छिड़काव सिंचाई का उपयोग करते हैं। 90% सिंचाई भूजल के माध्यम से होती है, केवल 10% सिंचाई नहर के माध्यम से होती है। 70% किसानों के पास अपना ट्यूबवेल है, 20% पड़ोसी किसानों से खरीदते हैं। किसान 6–7 से 9–10 सिंचाई देते हैं और उनमें से 60% 7–8 सिंचाई करते हैं।

अभी भी 90% मामलों में, प्याज की खुदाई हाथ कुदाली से की जाती है, केवल 10% किसान ही प्याज की कुदाल का उपयोग करते हैं। कटे हुए प्याज को कुछ दिनों तक धूप में रखा जाता है। सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 40% किसान इसे तुरंत बेचते हैं, 30% किसान इसे 1–2 महीने के लिए रखते हैं, बाकी 30% इसे स्टोर करते हैं और इसे 4 –6 महीने तक रखने के बाद बेचते हैं।

जो लोग इसे तुरंत बेचते हैं यानी 40% को लाभ में कम रिटर्न मिलता है, अन्य 30% को 20,000 से 30,000 रुपये का लाभ मिलता है और बाकी 30% जो इसे 4–6 महीने तक स्टोर करते हैं और फिर इसे बेचते हैं, वे अधिक आय प्राप्त करते हैं। 1,00,000 से 2,00,000 तक।

उचित जल प्रबंधन के प्रभाव को देखने के लिए विश्व विद्यालय अनुसंधान फार्म में 1 और मामले पर भी विचार किया जाता है। केन्या दक्षिण अफ्रीका के एक पीएचडी विद्धान श्री डेविड रोप के लिए प्याज पर एक शोध परीक्षण किया जा रहा है। श्री रोप का भी इसी प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार किया गया और खेतों का दौरा किया गया। ऐसे में प्याज की रोपाई 40–50 दिनों के बीच पंक्तियों में की जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधो से पौधो की दूरी को इस प्रकार रखा जाता है–

किस्म भीम लाल है और सिंचाई की विधि ड्रिप है। साथ ही मल्च के सिंचाई विधि प्रभाव का भी अध्ययन किया जा रहा है। दो अलग–अलग प्रकार की मल्च यानी धान की पुआल और पॉलिथीन शीट का उपयोग किया जा रहा है और भूखंड के तीसरे हिस्से को बिना मल्च के कंट्रोल प्लॉट रखा जाता है। प्याज के लिए वाष्पीकरण की गणना की गई है और तदनुसार 3 दिनों के बाद सिंचाई की जाती है। इस प्रकार, कुल 30 सिंचाई प्रदान की जाती हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह में समय–समय पर सब्जियों की वृद्धि देखी गई और पौधो की औसत ऊंचाई 70 सेमी दर्ज की गई।

जैसा कि श्री डेविड ने अपने पिछले वर्ष के प्रयोग के आधार पर बताया था कि उपज 30–40 टन प्रति हेक्टेयर के बीच भिन्न थी जो कि किसानों की उपज से काफी अधिक है। किसान के खेत पर उपज 4 टन प्रति हेक्टेयर 7.8 से 27.8 तक भिन्न बताई गई थी। टन प्रति हेक्टेयर। 20% किसानों को प्रति हेक्टेयर 10 टन तक उपज मिल रही है। 60% किसानों को प्रति हेक्टेयर 11–20 टन तक उपज मिल रही है और केवल 20% किसान ही 20 टन प्रति हेक्टेयर यानी 22.6 और 27.8 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक फसल लेते हैं।

उपज में यह भिन्नता रोपाई के समय और उचित जल प्रबंधन के कारण हो सकती है क्योंकि श्री डेविड को उचित जल प्रबंधन के साथ बहुत अधिक उपज मिल रही है श्रीमती योगिता प्रजापति, श्री राम प्रसाद पाटीदार और श्री राम लाल कुशवाहा को अच्छी उपज मिल रही है। सतही सिंचाई और रोपाई का उचित समय यानी 30 से 45 दिन।

तालिका 1

मामले	रूपाई का समय	मात्रा (किव./ हेक्ट.)
लक्ष्मण सिंह चौहान	30	129
मोतीलाल रघुवंशी	40	123
राजू पटैल	35	115
रामलाल कुशवाहा	30	226
राजेश पटैल	60	80
लक्ष्मी बाई बर्मन	55	129
मून्ना	60	78
पुरषोत्तम राजपूत	35	128
रामप्रसाद पाटीदार	35	200
योगिता प्रजापती	40	278
डेविड रोप	40	370

तालिका 2

मामले	सिंचाई विधी	मात्रा (किव./ हेक्टे.)
लक्ष्मण सिंह चौहान	सतही सिंचाई	129
मोतीलाल रघुवंशी	स्प्रिंक्लर सिंचाई	123
राजू पटैल	सतही सिंचाई	115

रामलाल कुशवाह	स्प्रिंक्लर सिंचाई	226
राजेश पटैल	सतही सिंचाई	80
लक्ष्मी बाई बर्मन	स्प्रिंक्लर सिंचाई	129
मून्ना	सतही सिंचाई	78
पुरषोत्तम राजपूत	सतही सिंचाई	128
रामप्रसाद पाटीदार	स्प्रिंक्लर सिंचाई	200
योगिता प्रजापती	सतही (चेक बेसिन) सिंचाई	278
डेविड रोप	टपक सिंचाई (मल्च के साथ)	370

निष्कर्ष – हमारा उद्देश्य सिंचाई विधियों और अन्य कारकों द्वारा प्याज में जल प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन करना था। और निष्कर्ष यह है कि यदि किसान ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई करता है, तो आंकड़ों के अनुसार उसकी उत्पादकता बढ़ रही है और अन्य कारक भी फसल उत्पादकता को प्रभावित करते हैं जैसे रोपाई का समय, फसल की किस्म, कटाई की विधि।

प्याज की वृद्धि और गुणवत्ता पर सिंचाई का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा से काफी प्रभावित होता है। पानी की कमी के कारण बल्बों के जल्दी पकने के कारण बिक्री योग्य बल्बों की उपज कम हो जाती है। विकास और पकने के चरणों के दौरान उचित पानी की आपूर्ति से बल्ब की उपज बढ़ जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

साहित्य अकादमी पुरस्कृत काव्य संग्रह 'दो पंक्तियों के बीच' (राजेश जोशी) की कविताओं में सामाजिक संवेदना

कांचन शेंदुर्णीकर *

* शोधार्थी, माता जीजाबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक समाज का जिस प्रकार एक समाजशास्त्र होता है, उसी प्रकार साहित्य का भी अपना एक समाजशास्त्र होता है। इसे साहित्यकार रचता है अपने नजरिए से अपने बिंबो द्वारा इस समाजशास्त्र की यात्रा साहित्यकार के वैयाक्तिक अनुभवों के केंद्र से आरंभ होते हुए संपूर्ण मानव समाज के अनुभवों में विलीन होती जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। समाज अपने में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं से लेकर बड़ी से बड़ी घटनाओं के द्वारा साहित्यकार के भावुक हृदय को प्रभावित करता है। समाज से हटकर साहित्य आत्मा विहीन हो जाएगा और समाज से जुड़कर सर्व कालिक। प्रस्तुत शोध में कवि राजेश जोशी के साहित्य अकादमी पुरस्कृत काव्य संग्रह 'दो पंक्तियों के बीच' के काव्य में निहित सामाजिक संवेदनाओं पर प्रकाश डाला गया है।
शब्द कुंजी – इक्कीसवी सदी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम दशक, सामाजिक संवेदना, परिवार, समाज, देश, विश्व, राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच।

प्रस्तावना – प्रत्येक समाज का जिस प्रकार एक समाजशास्त्र होता है, उसी प्रकार साहित्य का भी अपना एक समाजशास्त्र होता है। इसे साहित्यकार रचता है अपने नजरिए से, अपने बिंबों द्वारा। इस समाजशास्त्र की यात्रा साहित्यकार के वैयाक्तिक अनुभवों के केंद्र से आरंभ होते हुए संपूर्ण मानव समाज के अनुभवों में विलीन होती जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। समाज अपने में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं से लेकर बड़ी से बड़ी घटनाओं के द्वारा साहित्यकार के भावुक हृदय को प्रभावित करता है और दिलचस्प तो यह बात हो जाती है जब हम एक ही प्रकार की संवेदनाओं पर अलग-अलग साहित्यकारों कवियों के अलग-अलग वर्णन देखते हैं और उनकी पृथक-पृथक सोच जानते हैं। उन योग्य विषयों को साहित्यकार अपनी लेखनी से कागज पर उतारता है। समाज से हटकर साहित्य आत्मा विहीन हो जाएगा और समाज से जुड़कर सर्व कालिक। सभी साहित्यकारों का प्रयास यही होता है कि उनका काव्य सर्वकालिक हो।

कवि राजेश जोशी की 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' (2002) से पुरस्कृत पुस्तक 'दो पंक्तियों की बीच की भूमिका में नरेश सक्सेना ने लिखा है – ''समय स्थान और गतियों के अछूते संदर्भों से भरी है राजेश की कविता। यहाँ काल का बोध गहरा और आत्मीय है अपने मनुष्य होने के अहसास और उसे बचाए रखने की जद्दोजहद है राजेश की कविताएँ।''(1)

यही मनुष्य होने की जद्दोजहद पुस्तक की कविताओं को संवेदनशील बनाती हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदर्भों के साथ पुस्तक की कविताएँ समाज की संवेदनाओं का दर्पण बनने का प्रयत्न करती हैं।

कविता **''अधूरी कविताएँ''** में कविता के संदर्भ से व्यक्ति एवं समाज के सर्वोत्तम न होकर उस कुछ छूटे हुए अधूरेपन सहित उसे अपनाने की बात कही गई है –

''हम आधे अधूरे ही ठीक हैं
कौन सी कविता है ऐसी जो पूरी की पूरी आई हो धरती पर
जैसे-तैसे कुछ जोड़ घटा कर पूरी या पूरी सी कर ली जाती है अक्सर
कविताएं।'(2)

'इत्यादि' शीर्षक की कविता तो मानव समाज को आईना ही दिखाती है समाज का वह वर्ग जो ओहदों पर बैठे लोगों के लिए मतदाता अथवा आमजन मात्र हैं, इस कविता में उन्हें 'इत्यादि' कहा गया।

''कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे बाकी
सब इत्यादि थे''। (3)

कविता बताती है कि इन तादात में ज्यादा 'इत्यादियों का सामाजिक स्तर क्या है? पदधारियों के आगे इस इत्यादि श्रेणी की क्या हैसियत है? साथ ही कविता जागरण का स्वर देते हुए समाज के इस इत्यादि तबके को यह भी याद दिलाता है कि उनकी शक्ति क्या है?

''इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे
लेकिन कभी-कभी जब वो डरना छोड़ देते थे
तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे''(4)

आज हमारी सामाजिक संवेदनाएँ इतनी ही रह गई है कि समाज में पदधारी होना मनुष्य होने से भी अधिक आवश्यक हो गया है।

''इत्यादि हर जगह शामिल थे पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो
पाते थे।''(5)

'हमारी भाषा' इस कविता की अंतिम कुछ पंक्तियों में आज के मानव समाज के यथार्थ का रहस्योद्घाटन करते हुए कवि कहना चाहते है कि मनुष्य अपने आस-पास की प्रत्येक वस्तु के साथ, अपने अनुमान एवं मतों के अनुसार ही व्यवहार करता है। अपनी क्रियाओं से प्रभावित अपने परिवेश की प्रतिक्रियाओं में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। स्वयं को सर्वे सर्वा मान वह निरंकुश स्वच्छंद आचरण का ही आदि हो चला है। शायद यही उसकी उच्चाकांक्षाओं की भाषा है।

''पता नहीं पेड़ों पत्थरों पक्षियों चरणों हवाओं और जानवरों के पास

अपनी कोई भाषा थी या नहीं
हम लेकिन लगातार एक भाषा उनमें पढ़ने की कोशिश करते हैं
इस तरह हमारे अनुमान उनकी भाषा गढ़ते थे
कि हम सोचते थे कि हमारा अनुमान ही सृष्टि की भाषा है
हम सोचते थे कि इस भाषा से हम पूरे ब्रह्मांड को पढ़ लेंगे।''(6)

- बीसवीं सदी तक आते-आते सामाजिक संवेदनाएँ क्षीण हो चली हैं। अपने समाज, अपनी संस्कृति के प्रति और राष्ट्र के प्रति हम हीनताबोध से ग्रसित हो गए हैं। साहित्य में आधुनिकता एवं उत्तर आधुनिकता के मध्य कहीं संवेदनशीलता फिर भी जीवित है, एक खंडहर में उग आए विनम्र पौधे की तरह शायद। **'बीसवी सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य'** इस कविता में कवि मनुष्य एवं समाज के जटिल अंतर्संबंध में निहित इस जीजीविषा की ओर ही इशारा कर रहे हैं। तभी बीसवीं सदी के अंतिम दिनों में भी एक बूढ़ा आदमी प्रेम भरे आश्चर्य से भर उठा जब उसने देखा कि पुराने रिश्ते आज भी उसके लिए अपना हृदय खोलकर उसका स्वागत कर रहे हैं। वह भी महानगर में।

''बीसवीं सदी के अंतिम दिनों में हो रहा था यह सब
और वह भी एक महानगर में
बूढ़ा अंदर ही अंदर भीगता जाता था
बुदबुदाता था..... अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है
वो अकेले बैठकर कहीं रोना चाहता था
उसे याद आ रहा आ रहे थे बचपन के दिन और बचपन का गांव।''(7)

एक सामाजिक व्यंग्य है **रुको बच्चों** कविता। समाज की अलग-अलग शाखाओं पर अलग-अलग ओहदों पर बैठे अलग-अलग व्यक्तियों पर जिनकी सोच अंततः एक सी है -

''इन्हें जल्दी जाना है
क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुँचना है''(8)

इस कहीं नहीं पहुँचने के लिए वे मार्ग में आते किसी भी अवरोध (मनुष्य भी) की हानि लाभ के प्रति ना तो फ़िक्रमंद हैं और ना ही अपनी कोई जवाबदेही मानते हैं।

- **जहर के बारे में कुछ बेतरतीब पंक्तियाँ :-** ये बेतरतीब पंक्तियाँ समाज को सलीके से दिए जा रहे धोखे का सिलसिलेवार रहस्योद्घाटन करती हैं।

''फिलहाल उस ज़हर के बारे में बात करने को भी टाला जा सकता है
जो जैसा कि सभी जानते हैं मिलाया जा रहा है
हमारी हवा पानी और रोटी में
यहाँ उस शहर के बारे में भी वक्तव्य नहीं दूँगा
जो धीरे-धीरे मार रहा है हमारी आज़ादी को''(9)

यहाँ कवि ने वाकई एक झकझोर देने वाली पंक्ति से कविता का अंत किया है -

''इन बेतरतीब वाक्यों में एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूँ अंत में
ज़हर को ज़हर की तरह बिल्कुल नहीं दिया जाता
जब दिया जाता है उसे
किसी समाज को
बड़े पैमाने पर!!'' (10)

संग्रह की **उनका भरोसा** यह कविता हमें भीख माँगने वाले बच्चों के जीवन के विषय में बताती है कि किस प्रकार हम इस आर्थिक अंतर के आदी हो गए हैं। समाज में घट रही यह एक भयंकर दुर्घटना है, जहाँ बच्चों को कलम थामने की उम्र में भीख माँगना पड़ती है।

कविता में उनकी इस अवस्था पर ज़ोर देने के स्थान पर समाज की स्थिति पर ज़ोर डाला गया है, जहाँ उनका भीख माँगना गिड़गिड़ाना हमें दयार्द्र कर डालने का हथकंडा है। वहीं हमारा उन्हें पैसे देने में आनाकानी करना उनके लिए स्वाँग का विषय बन गया है।

''कैसी भयावह उदासीनता में फेंक दिया है हमने उन्हें
कितना तिक्त है उनका एहसास हमारे समाज के लिए
जिनमें उनका भी एक कोना है इसी की
परिधि के आसपास''(11)

आशा और निराशा के बीच झूलती सी संवेदनाएँ हैं समाज में। **धरती के इस हिस्से में** कविता में धरती के इस हिस्से की ख़ुशहाली बयान कर एक तरफ़ आशा की किरण जगाई गई है, तो अंत में इस बात का अफ़सोस करना भी नहीं भूले हैं कि ये जो ख़ुशहाली है, यह केवल धरती के एक हिस्से में ही है।

''धरती के इस हिस्से में इस समय
सबसे तेज आवाजें चिड़ियों के चहचहाने की हैं
धरती का यह हिस्सा लेकिन हिस्सा भर ही है
हमारी धरती का
अफ़सोस!''(12)

आजकल की रफ़्तार भरी ज़िंदगी विशेषतः महानगरों की जहाँ दौड़ में बने रहने के लिए भागना पड़ता है, सपनों को तिलांजलि देकर जागना पड़ता है। इस उम्र और ख़्वाब के बीच की जद्दोजहद को **छोटी नींद और सपने** कविता में अत्यंत प्रभावी पंक्तियों के साथ दर्शाया गया है :-

''उम्र की इस घटना में यह भी हो सकता है
एक स्वप्न मर गया हो शायद''(13)

बौना :- ''बहुत तेज तर्रार नहीं था वह
मेरे जैसा ही था
हू ब हू मैं
बस मौका मिल गया था उसे
और बिना चुके उसे भुना भी लिया था उसने
शायद पहले से ही साथ में रख रहा हो वह
हो सकता है सूझा हो उसे अनायास
लेकिन वो लाँघ गया''(14)

ज़िंदगी हमें अवसर देती है। ये हम पर होता है कि उस अवसर का लाभ लें या संशय ग्रस्त हो उसे हाथ से जाने दें। प्रत्यक्ष देखने में कोई कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिर्फ़ हमारी जीजीविशा ही है जो हमें भीड़ से अलग बनाती है।

दो अलग-अलग उम्र के पड़ावों पर स्वभावों में भी अंतर आ जाता है जवानी में उत्साह होता है उमंग होती है, ललक होती है परंतु धैर्य कम होता है वही जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है उत्साह एवं उमंग कम होती जाते है धैय मात्र बढ़ता जाता है तभी यह कविता **बड़ी उम्र में कार चलाना सीखने के बारे में** कहती है-

''बहुत'' कठिन काम है बड़ी उम्र में सीखना कार चलाना
भयानक दिवास्वप्न पीछा करते हैं लगातार
हम बार-बार ग़लतियाँ करते हैं गेयर डालने में डरते हैं
प्रशिक्षक चिल्लाता है बार-बार कहता है -

आप इतने बड़े हैं कि आप पर चिल्लाना भी अच्छा नहीं लगता'
वो बार-बार हम पर खीजता है और तरस खाता है
वो बार-बार हमें हमारी उम्र का अहसास कराता है''[15]

कभी-कभी कवि की वैयक्तिक इच्छाएँ अथवा विचार सामाजिक स्तर पर भी उतने ही लागू होते हैं जितने उनके व्यक्तिगत जीवन में। कवि अपने समय में डॉक्टर बनना चाहते थे, जो कुछ कारणों के चलते एक **अधूरी इच्छा** ही रह गई।

''कहना मुश्किल है कि अंदर ही अंदर क्या कुछ जोड़ती या तोड़ती है
अधूरी रह गई इच्छा
कभी-कभी हमारे सपनों में पूरा होते देखती है वह अपने को
कभी-कभी एक टीस बन कर चुभती है
और बेवजह बेमौका जोर से हँसकर छिपाते हैं हम
कहीं अंदर से उठती रूलाई''[16]

आज की सामाजिक व्यवस्था में **संयुक्त परिवार** टूटते जा रहे हैं। कविता में बताया गया है कि किस प्रकार इस संयुक्त परिवार की संस्था में टूटन आने से और भी कई स्थितियाँ बदल गई हैं :-

''टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ बहुत कुछ
अब इस घर में रहते हैं ईन मीन तीन जन
निकालना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ
घर सुना छोड़कर''[17]

कविता एक और वस्तुस्थिति की ओर इशारा करती है जो संयुक्त परिवारों की टूटन का परिणाम है -

''बाबा को जानता था सारा शहर
पिता को भी चार मोहल्ले के लोग जानते थे
मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से
अब सिर्फ अलबम में रहते हैं
परिवार के सारे लोग एक साथ
टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है
कोई नहीं सोचता''[18]

हमारे समय का सबसे बड़ा दु:ख है निर्वासन[19] आज लड़का हो या लड़की सभी को उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए अपने घर से दूर होना ही पड़ता है। कितनी आधुनिकता अपना लें, कितने भी व्यवहारिक हो जाएँ 'घर', 'घर' ही होता है। हम अपना दु:ख किसी से बाँटते भी नहीं या कह लें बाँट पाते भी नहीं। हम इंसान होकर लौट नहीं पाते अपने घर और वहीं कैसा लगता है पंछियों को अपने घरौंदो में लौटता हुआ देखकर

''ढाबे की टूटी बेंच पर बैठकर
चाय में डुबा-डुबा कर बन खाते हुए मुश्किल से दबाता हूँ
मन में हुक सी उठती घर की याद
दूर आसमान में चीखती हैं कोई टिटहरी
लौटते हुए
अपने घोंसले की ओर।''[20]

एक समय था जब कवि नौकरी के लिए अपने हाथ-पैर चला रहे थे और तब उन्हें देपालपुर में नौकरी लगी। परंतु तब देपालपुर एक **'खोड़ला' गाँव** माना जाता था। 'खोड़ला' अर्थात सामाजिक मान्यता के अनुसार ऐसा गाँव जिसका नाम लेने भर से अपशगुन हो जाए। कविता में कवि ने इन्हीं मान्यताओं का सांकेतिक एवं अप्रत्यक्ष रूप से निषेध किया है।

''जिसने सबसे कठिन दिनो में मेरा साथ दिया
मुझे नौकरी दी
मेरी रोटी पानी का इंतजाम किया
उस गाँव का नाम मत पूछो
उसका नाम नहीं लिया जाता''[21]

सामाजिक रुढ़ियों के बाद एक समस्या और है जिसका ध्यान रखा जाना ज़रुरी है। समाज-देश विश्व में हो रहे संत्रास, शोषण एवं नैराश्य के बीच मनुष्य का सबसे अहम लक्ष्य हो गया है उम्मीद को बचाए रखना। अच्छी खबर ये है कि ऐसा किया भी जा रहा है।

''बची है यह दुनिया
कि कोई न कोई कही न कहीं बचा रहा है हर पल
कुछ न कुछ जो ज़रूरी है।''[22]

- **तीन शोक गीत :-** ये तीन शोकगीत कवि ने यद्यपि निर्भिक वर्मा की स्मृति में लिखे हैं, परंतु उनकी इस वैयाक्तिकता में भी सामाजिक संदर्भ आसानी से देखे जा सकते हैं। घर की याद कविता में जिस निर्वासन की वे बात करते हैं, उसकी परिणति **शोकगीत : एक** में दिखाई देती है।

''मरे तुम पराये शहर में जाकर
और तुम्हारे अपने शहर में एक छोटी सी खबर की तरह पहुँची है
तुम्हारी मृत्यु''[23]

आज सामाजिक प्राणी होते हुए भी मनुष्य समाज के और स्वयं के सामने अकेलापन झेल रहा है -

''हमें कितना अकेला किया है हमारे समय ने समाज ने
स्वजन भी इसके अपवाद नहीं
इस बात पर सोचने को लेकिन रखा जाएगा मुल्तवी
कौन चाहेगा अपने दुख को पहाड़ बनाना
कौन झाँकना चाहता है अपने अंदर''[24]

शोकगीत : दो में निर्वासन के ही दंश को कुछ इन शब्दों में दर्शाया गया है -

''हम जहाँ से निकाले गए
निकाल नहीं पाए उसे कभी अपने से बाहर
हम जहाँ भेजे गए वहाँ के हो नहीं पाए''[25]

शोकगीत : तीन में कवि कहते हैं कि अपना दुख अपनी घुटन किसी के सामने ज़ाहिर न करने के आदी हैं। सब अपने हैं, पंरतु कोई इतना अपना नहीं कि उनके सामने मन हल्का कर सकें।

''हमारी घुटन और निर्वासन का न कोई साक्षी था
न हमारे दुख का कोई हिस्सेदार
हम खुद भी नहीं थे
एक दूसरे के दुख मे बहुत ज़्यादा शामिल''[26]

परछाई कविता में समाज में घट रही क्रूर घटनाओं को परछाइयों के संदर्भ में दर्शाया गया। सबकी परछाई है। दीवार की, सीढ़ी की, आदमी की, चाकू की, घड़ी की और तो और समय और खून की भी। बस जो मारा गया उसकी चीख तो निकली और सब खत्म भी हुआ परंतु उस आखरी चीख की परछाई कही नहीं है।

''हत्या के इस दृश्य की परछाई में
खून की परछाई गिर रही है
चीख की कोई परछाई नही है।''[27]

किसी दूसरे मुल्क और किसी और वक्त के बारे में इस कविता में कवि ऐसे मुल्क और वक्त की बात कर रहे हैं जो कई समयांतरों में पीछे छूट गया। आज के वक्त में तर्क-वितर्क की आजादी, खुल के जीने की आजादी अब नहीं रही। कभी हुआ करती थी। पर कवि का इस पर कहना है-

''मैं एक बार फिर बता दूँ कि यह किस्सा जो मैं बयान कर रहा हूँ।
वह ऐसे मुल्क और एक ऐसे वक्त के बारे में है
जो मेरा नहीं था
लेकिन यह अजीब इत्तिफ़ाक था कि मैं उसी मुल्क का था
और उसी वक्त में रहना पड़ा मुझे।''[28]

क्यों रोई वो इतने बरस बाद :- इस कविता में एक कहानी है बेंडी किसनी की। पति किले पर काम करता था। इस कविता के द्वारा समाज व संस्कृति में गहरी पैठ जमा चुके एवं सेंध लगाकर बैठे रूढ़ि, आडंबर बेमतलब न्यायाधीश बन बैठने की कलाओं पर व्यंग्य करते हुए कवि ने कहा-

''इतने किस्से थे और इतनी तरह से सुनाए जाते थे
कि सच झूठ एक दूसरे के पीछे लुक छिप जाते थे
पता ही नही चलता था कि सच में कितना झूठ और झूठ में कितना सच है
किले की बातें थीं तो इतनी गोपनीय रखी जाती थीं
कि फैलते-फैलते बातें अपनी काया से ज्यादा फैल जाती थीं
गोपनीय बातों का यही मजा था
कि वो सच से ज़्यादा सच और झूठ से ज़्यादा झूठ लगती थीं''[29]

समाज में अपार विविधता है, बहुत सारे अज्ञात, अनपढ़ और अगोचर क्षेत्र हैं और इसीलिए साहित्य में भी सृजन की, उनके विषयों की, संवेदनाओं की अपार संभावनाएँ हैं, जो किसी एक कवि की लेखनी में अनछुआ हैं, वह अन्य की लेखनी में उतरता है और ये सिलसिला ऐसा ही चलता जाता है। इस प्रकार हमारे समय की कविता वही कहलाई जा सकती है जिसमें हमारा समय दिखाई दे। हमारे समय का सच उजागर हो। जो हमारे समय के समाज की पीड़ा हास परिहास, बुनावट-बिगाड़ सभी को यथावत दिखा सके।

'दो पंक्तियों' के बीच' की कविताएँ समाज के ताने-बाने में दिखने वाले झरोखों में पैबंद लगाने का कार्य करती हैं। राजेश जोशी ने संग्रह 'दो पंक्तियों के बीच' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान 18 फरवरी 2003 में एक सारगर्भित भाषण में कहते हैं - '' उद्दंडता और आतंक के सामने निरुपाय और असहाय से लग रहे माहौल में क्या हम अपनी कविता से कोई उम्मीद कर सकते हैं? क्या हमारी कविता सचमुच कोई छोटा या बड़ा हस्तक्षेप कर सकती है? मुझे कई बार लगता है कि कविता से बाहर आकर दृश्य में हस्तक्षेप करना, कविता से बाहर आना नहीं, कविता का ही जैविक हथियार है।''[30] कहीं न कहीं उनकी कही बात उनका यह साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत संग्रह 'दो पंक्तियों के बीच' सिद्ध भी करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, आवरण पृष्ठ
2. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 12
3. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 13
4. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 13
5. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 14
6. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 18
7. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 22
8. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 24
9. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 25
10. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 27
11. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 28
12. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 33
13. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 35
14. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 36-37
15. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 51
16. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 52
17. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 54
18. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 55
19. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 62
20. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 62-63
21. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 64
22. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 66
23. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 75
24. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 75
25. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 77
26. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 78
27. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 94
28. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 103
29. दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 108
30. कविता की समकालीन संसकृति, भरत प्रसाद, प्रथम संस्करण - 2017, पृष्ठ 103

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Mental Health Among Male and Female Journalists

Dr. Ravi Kumar Sharma*

***Senior Special Correspondent, 1st India News, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Mental health refers to our cognitive, and/or emotional wellbeing – it is all about how we think, feel and behave. There is no health without mental health. according to WHO (world health organization), mental health is "a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to his or her community" .The present study is to find out difference in the mental health of male and female journalists 50 respondents of each. For this purpose of investigation "mental health analysis questionnaire" by Dr. Ashwin Jansari, Dr.Harkant Badami and Dr.Charulata H Badami was used. The data obtained were analyzed through 't' test to know the mean difference between the two groups. The result shows that there is significant difference in mental health of male and female journalists.
Keywords- Mental Health, Journalists.

Introduction - Mental health is a concept that refers to a human individual emotional and psychological well being mental health is about how we think feel and behave. Merriam Webster defined mental health as " a state of emotional and psychological well being in which an individual is able to use his or her cognitive and emotional capability, function in society and meet the ordinary demands of everyday life."

Mental health problems can affect anyone, regardless of age, race, gender or social background without care and treatment mental health problems can have serious affect, on the individual and those around him or her, every year more than 25,000 people are admitted to psychiatric hospitals and over 4,000 people commit suicide. Particular mental health problems are also more common in certain people.

Mental health problems can also develop from difficult life event, such as moving house, losing your job or the death of someone special drinking to much alcohol over a long period of time and using illegal drugs can contribute to mental health problems, particularly in people who are already vulnerable.

According to the world health organization (WHO) there is no one "official" definition of mental health culture differences, subjective assessment and competing professional theories all affect how "Mental Health" is defined most expert agree that "Mental Health" and "mental illness" are not opposites.

Objectives: The purpose of the present investigation was to compare the level of Mental Health of male and female journalists.

Hypothesis: There is no significant difference in the Mental Health of male and female journalists.

Methodology

Sample: The sample of the present study consisted of 80 journalist including 40 male and 40 female journalists.

Tool: The Mental Health analysis inventory developed by Dr. Ashwin Jansari, Dr.Harkant Badami and Dr.Charulata H Badami was used for the study the scale consisted of 100 items each has two response alternative i.e. 'yes' & 'no' test retest reliability coefficient of the inventory 0.92 and split-half is 0.90.the validity coefficient was found to be 0.71 and 0.69.

Procedure: The Male and Female Journalists were randomly selected and Mental Health analysis inventory were given & data was collected. The obtain data was analyzed with help of Mean, SD and 't' value.

Result & Discussion: The statistical methods used to analyze obtained data are Mean, SD and't' test.

Result Table 1

Mean, standard deviation and 't' test according to Mental Health for male and female journalists

Journalists	N	Mean	SD	t	significant
Male	40	64.67	7.76	4.40	Sig(0.01)
Female	40	72.47	8.18		

Table 1 shows that the mean of Mental Health between male and female journalists. For the male journalist the mean is 64.67 and for the female journalist it is 72.47 S.D. for male 7.76 and female 8.18 for both group 't' level value is 4.40 and its level of significance is 0.01.

Conclusion: There is significant difference among of Male and Female Journalists regarding to Mental Health. It

means the level of Mental Health is more in male journalists than in female journalists.

References:-

1. Gardiner, M. and Triggerman, M. (Australia), (1999). Gender Different in leadership style, job stress and mental health in male and female dominated industries. Journal of Occupational and Organization Psychology. Vol. 72 (3) pp. 301-315.
2. Kumar, Sanjeev (shimla) (2005). A study of Mental Health of Pupil-teachers of Hamirpur District in relation to their gender, stream and social category. A M.Phil. Unpublished Dissertation in education, Himachal Pradesh University Shimla.
3. Meghna Sharma (shimla) (2013) "Adjustment of new border in girls hostels of himchal prades university in relation to there mental health" A M.Phil. Unpublished Dissertation in education, Himachal Pradesh University Shimla pp.18 -21.
4. Helan Z. Kreigh and joanne e Pakero book psychatricand mental health page no. 32- 33
5. Meghna Sharma (shimla) (2013) "Adjustment of new border in girls hostels of himchal prades university in relation to there mental health" A M. Phil. Unpublished Dissertation in education, Himachal Pradesh University Shimla pp.18 -21.
6. Rupal r dave (2012) a study of mental health between couple who have child and who do not have child. pp 25-29

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Women's Struggling For Survival In Anita Nair's Novels

Waseem Akram*

*Lerow Kulgam, Tehsil and District Kulgam, J&K, INDIA

Abstract - Women writers in the contemporary world are energized as a result of the opportunity to feature their ability as well as to satisfy the undertaking without mask. They have raised their assessment against ladies badgering as well as upheld the feelings and reasonable troubles looked by the ladies on the planet. In addition, their works additionally featured the battling of ladies to get by in the male centric culture. Anita Nair is one of the Indian writers who empower women's identity through her works. This paper deals with Anita Nair's Ladies Coupe, which communicates the dynamic perspective of five unique ladies who should go in a similar compartment of the train, which goes to Kanyakumari. Akhila is the fundamental character in the novel, who is worried of her lost identity, happens to listen to the other women's bitter experiences in their lives. In her another novel, Mistress she communicated the battling of Radha who loses her husband by a terrorist attack and how she lives her life pitiably later is examined.
Keywords- Identity, Self-Transformation, Rural Environment, Culture and Custom, Tradition.

Introduction - In 'A Literature of Their Own', Elaine Showalter notes that "the middle-class ideology of the proper sphere of womanhood, which developed in post-industrial England and America, prescribed a woman who would be a Perfect Lady, an Angel in the House, contentedly submissive to men, but strong in her inner purity and religiosity, queen in her own realm of the Home." (Elaine Showalter, 1977)

Women writers in the contemporary world are energized on account of the opportunity to feature their ability just as to satisfy the errand without mask. They have resolved to encounter the new climate in order to accomplish the new goal. Then again they need to familiarize the different obstructions created by both the sexual orientations in the general public. The reactions are from multiple points of view thus the Indian Women writers communicated these issues through their works. They have raised their assessment against ladies badgering as well as upheld the feelings and functional troubles looked by the ladies on the planet. Additionally, their works likewise featured the battling of ladies to make due in the male centric culture. Ladies need to deal with different issues, for example, their uniqueness of country, familial, instructive and wealth of status and so on Ladies' uniqueness is totally unique in relation to the contrary sexual orientations. "Women and fiction remain, so far as I am concerned, unsolved problems." (Virginia Woolf, 1929)

Anita Nair is one of the Indian ladies authors who support women's character through her works. Her perspectives are not anecdotal rather extremely sensible. She makes her own characters who can't choose in the complex conditions yet later these characters will change to the next outrageous. She centered these numerous issues to the acknowledgment of people in general. This is alluded the prosperous ladies as well as to the fortunate women.

Akhila, the Protagonist of the Novel: This paper deals with Anita Nair's Ladies Coupe', which communicates the powerful perspective on five unique ladies who should go in a similar compartment of the train, which goes to Kanyakumari. Akhila is the fundamental character in the novel, who is stressed of her lost character, ends happens to listen to the other women's bitter experiences in their lives. Numerous journalists have referenced in their compositions about the sufferings of disconnected Indian ladies. In the viewpoint of Nair, relationships are effective sometimes because of the surrender demeanor, changing and tolerating nature of a couple of ladies. The overall assessment on ladies in the general public is that they ought to stringently submit to the way of life and custom, custom of the society where the men have no limitations. The public area neither considers ladies as profoundly regarded nor given much significance. Because of such demeanor towards ladies brings about the disarray just as nervousness in their lives.

A general thought of public, when ladies venture out, they need to battle a ton to brush out the negative picture of ladies. In this novel, Margaret, a chemistry teacher who is smothered by her husband Ebenezer Paulraj, a man of dominancy. The greater part of the male characters never

like their wives to show their abilities and distinction. He cherishes her and stresses particularly over her actual appearance are distinguished when he requests that she go for an early abortion. She needs to turn out just for him and no other reason. She needs to do explore however he constrains her to do B.Ed. She becomes disappointed a great deal since he bothers her constantly. She thinks about individuals to synthetics like arsenic, bromine, lithium, cobalt, tetra sulfur, tetranide, nitrous oxide and lastly hydrogen sulfur. Janaki, a house spouse, overwhelms everybody in the family however at the same time is spoiled by her significant other. Everyone can without much of a stretch recognize that she is exceptionally reliant in the family. In such manner, later her child contrasts her and his mother by marriage which made a confusion. She is absolutely spoilt by her husband and son.

All the characters in this novel are significantly affected by their mother. They educate their daughters how to be a spouse, a sister, a girl, etc, but never teach them how to be like a woman; how to misuse their independence or to recognize their distinction. All of the six ladies yearns for their self-satisfaction through self-articulation. These characters do not have any desire to be customary ladies by following the ceremonies and customs like the regard towards the Tulsi plant, and so on.

Margaret tracks down her own specific manner of change in her life. Prior, she is overwhelmed by Ebenezer, later she controls him by giving what he adores most. He adores her solely simply because of her appeal and the tasty cooking. She fulfills his affection for sex just as with more food. Eventually he goes under the control of Margaret. Being a lady, May be regretting for the destiny or taking the other choice, she utilizes her erudition to make him as a captive to her. At that point he can't live without her. The treatment of this issue by Anita Nair is all around weaved with imagination.

At the point when the novel moves to the following character Janaki, she needs to be predominant in her job. She weds a man who much focuses just on her. She makes the most of her wedded life till forty years. As days pass on, she comes to know her significant other controls the entire family even their adult child. After such countless years, she gets aggravated and unsettled towards her spouse's disposition. There are a ton of good and bad times in their tranquil life. She discovers her pleasure and finds herself new interestingly. Be that as it may, she was unable to uncover her from the web which she has made for such a long time. Her reaction to the inquiry of Akhila is that the ladies are not permitted to lead their lives freely rather they generally depend on some other individual. She further says that ladies are by and large minded at first by her dad, later by her mate and finally by her child. She was saying further that a women's life consistently finishes with delicacy.

The next interesting character as well as the narrator of the novel is Sheela. A young lady of fourteen years of age is very acquainted with her relatives like grandma, mother and father. Her grandma shows her the down to earth life. She turns out to be highly appended with her grandmother and this has created development in her life. She is by all accounts a developed lady among others. The peruser could track down the three age in her those are herself, her mom's and her grandma's as well. Her grandma likewise shows the disposition of men. Her dad condescends to or a kid when she attempts to show her development, also, totally controls her.

Next character is Prabha Devi. On her introduction to the world, her dad remarks her as a bloodstained inconvenience. Her dad is despondent though her mom feels the other limit. She ends up being customary spouse. She adores swimming. Through that she gets herself exceptionally content with opportunity and character. The main character separated from Akhila is Marikolunthu who is mishandled by the general public as she is an Indian lady from rustic foundation. It closes by saying that most men are utilizing lady's lack of education, seclusion, inconvenience and so forth.

Survival of Women in the Novel Mistress: Anita Nair highlights the women in the present day world. She manages the current issues looked by ladies however she demands that there is consistently an answer a long ways behind. She discovers the change in every single lady which is depicted by her in different altitude. The feeling of freedom is all around communicated through the words by the creator in the novel. Anita Nair, in the novel Mistress, Radha engages in extramarital relations yet no sooner her dad discovered it. Thus, he compels her to acknowledge for the orchestrated marriage. Notwithstanding of all, he isn't making more alter to the familial status. Like other Indian ladies, Radha likewise don't discover a chance to communicate her perspectives in her marriage. Like any remaining Indian ladies, Radha also endures a great deal in view of her burning and shields by her life partner. With no uncertainty, Radha's marriage life like other Indian ladies is clearly familiar with a more interesting and that is material to all religions. Prior to the marriage, Radha, engaged in extramarital relations with a wedded man, who eventually ruined her father's acceptable standing in the general public however she isn't truly chastised. No sooner, she didn't deny her dad and wedded according to her dad's longing also. The depiction of her marriage life, reveals with no shock, double strands of both the sexes. The lady favors by saying about her debased virginity, he feels the repercussion. And yet, in turn when he admits the comparative issue, it isn't viewed as a significant matter. At the point when a man submits a similar mistake it doesn't carry a shame to the family yet on the off chance that a lady submits something very similar, it carries disrespect to the family. The lone decision for all ladies in the course of their life is choosing their husband to be nevertheless it isn't given so. The choice of not wedding anybody isn't the

ideal choice and it isn't supported by anybody in the general public. The existence of an old maid has no alternate route instead of remaining with her own relatives, and to be a piece of every single familial obligation and duties with no gauge. On account of Radha, marriage is the solitary choice to clear out her prior picture as none of them are in proclivity with her family due to the transgression submitted by her. As per Indian practice and culture, ladies when all is said in done are the material of their dad's subsequently given over to spouse's after marriage. In any case, wedding wants are minded by any of the men of the hour; thus they are affirmed to follow the duties of her new dominate. The obligation doesn't end up by caring for their mate yet additionally bringing forth youngsters as right on time as could really be expected. In the perspective on men, since more established days, ladies arrive at a total structure just when she turns into a mother in a perfect world bringing forth a child thus their age does not reach a conclusion. In some degree, bringing forth a female infant prompts a confounded issue. There is consistently a warm welcome of recovering male infants however not liberal. When she achieves her obligation of conceiving an offspring the expectation of a spouse gets over. The association in the child's introduction to the world, when it gets satisfied, an alternate issue emerges in the more established society. Conversely, ladies' assumption for conceiving an offspring either to a female or a male child is very surprising. This separate arrangement turns out to be so mechanical in the current day world. 'Isn't it time you had a kid? The basic inquiry asked by Oppol to Radha and Shyam when they were crossing the second year of their marriage'. (Nair, Mistress: 114).

It is in the possession of the married couple in choosing when to have or not. Like the lieu of marriage in the life of a solitary lady, having a kid or a couple of kids is viewed as the lone planned, with the exception of she is fruitless. In the event that of fruitless ladies, they need to encounter some urgent choices of their subsequent home. Radha is likewise a lot discouraged to confront the comparative experience as she is in her one year from now of marriage. In the general visibility's, they name 'macchi' for the individuals who try not to have any youngsters. They think about such ladies as an evil to the decent family and furthermore not invited by anybody in every one of the capacities. It is intentionally acknowledged a proof for smooth running of their family really at that time on the off chance that she brings forth a youngster as a gave or trained life partner. As indicated by men, a male child has an extraordinary concern and a lawful resource for the spouse. Ladies in doing as such, i.e.,conceiving an offspring is set up the commitment towards her significant other. This element isn't as it were appropriate for the orchestrated marriage yet additionally for affection marriage. Aside from all these, she likewise has different other obligations to satisfy her significant other of being a decent spouse. In light of having the appearance in idea, it isn't huge in satisfying her significant other yet in addition to be appreciated by his companions as well. Spouse's assumption is consistently that wives should release their obligations genuinely and devoted. Her better half smothers Radha of not permitting in doing anything all alone for the duration of her life. At the point when she wants to start a business, quickly her significant other shouts at her expressing that not to alter his economic wellbeing in the general public and furthermore orders her to proceed as an obedient spouse. She reacts thus that none of them is prevalent or mediocre in the general public. After this, she gets aggravated and bolts herself inside a room. As a revolt, she carries on impolitely with her companion however there is helpless reaction from him. He wants her to be under his watch consistently and all things considered responds to her that they were comparable to one another. He lean towards her investing a lot of energy in the salon and shopping or in the tailor's shop. In any case the second when she begins building up her ability, he puts a full stop for her craving out of nowhere. She engraves him of saying that she will meet her significant other's uncle as it doesn't carry any shame to his familial status. She asks her spouse that whether whatever else she shouldn't do on the planet that he has recorded in his standards. She further requests that him consent become an instructor in an elementary school, he answers that would be a difficulty for a little sum. Once more at the point when she wishes to fire up an educational cost community, he answers something similar. No later she jumps at the chance to start a crèche; clearly his reaction is that the house ought not be spread with an excessive number of children. Notwithstanding all these, Radha attempts to accomplish something else without the aim of bringing in cash, at that point that is likewise wrong in her companion's view. She asks her mate that she has no rights to execute any assessment by expressing that she is his better half; then again he regards her not as a spouse but rather a typical lady under his influence. 'A crucial mistress in satisfying his sexual desires with no freedom' (Nair Mistress: 73). His extreme point of marriage is to have her as a lovely spouse, spoiling her alluring minds and furthermore a consul subject to him. Several doesn't coordinate even in a solitary idea and their belief systems are totally unique. Due to this, Radha smothers a great deal. She connects with a lovely butterfly as it takes its life in an organic lab simply a task relegated to the school understudies; she feels the anguish of flying some place away from her life partner.

Shyam represents as an ordinary Indian spouse overruling his better half in every single attribute. Radha disassociates with her significant other, Shyam. As per Radha's view, marriage wins just in the title of the name i.e., Ladies' Battling for Endurance in from Miss. Radha to Ms. Radha. Marriage is a finished disappointment in Radha's life as she was unable to fabricate a bond with

him. She represents her marriage as a crack to Chris, her unlawful accomplice throughout everyday life. It is only a start of savoring her life, as a first move wickedly in voicing her work. A ploy would add taste to her life in ruling her accomplice all the while, a feeling of accomplishing opportunity. Therefore, disappointment and disturbance brought about by her better half's disposition towards her is the motivation to build up an unlawful undertaking with Chris. This may be a chance for a weak lady to carry on in such a way at the point when they are embarrassed by their life partner while mitigated by any obscure man would prompt engage in extramarital relations. In spite of her better half's demeanor towards her she discovered delight in being with Chris eventually. Later she numbs to realize that her spouse keeps a record of her periods in the schedule. The conduct of Radha towards Chris is by all accounts an extramarital relationship. By and large, men like Shyam notice the mentality of his better half yet he flops in the entirety of his endeavors. Finally at the point when he finds that he was unable to administer her brain thusly he makes his psyche to oversee her truly. Spouse's richness would be addressed eventually when his companion relied upon some X man for looking for delight in her life. Shyam, having such circumstances in his brain, begins possessing his connection towards his better half. He further has a considered overseeing her body was a total right of a spouse regardless of her longing. Shyam in the novel began carrying on ruthlessly like a creature. Shyam makes her a scar once while he fulfills himself with no blame. Radha while getting back to her home meets Chris in a bungalow. Frequently, when ladies are left uncared by their life partner in some hazardous circumstances, they never feel hesitant of keeping an unlawful issue with who are truly focusing on them. Nair's lady is encountering the two limits of life. The one is directed by her better half covertly though the other is driving her existence with the third individual without knowing to her significant other. Her quest for recognizable proof is fulfilled by supporting a relationship with a third man and declining her life partner thusly. As Indicated by Anita Nair, the mentality of Radha is entirely directly as her egotistical husband. There is no animosity among Radha and Shyam with connection to his disposition towards her. Truly, she feels appreciative to her life partner since it is he, who makes her to respond in a path in discovering her personality and furthermore individualistic lady. He thinks about this as the accomplishment in her life. She further expresses that he helps her for not just in tracking down her a reasonable individual yet in addition to discover her opportunity though of being quiet or held or an individual of tolerating what is conceded in her life. Subsequently Anita Nair's ladies characters are venturing into another life through experience. Essentially, Radha feels the generally self, as she distinguishes a lot of energy in her in view of the impedance just as shortage of satisfaction in her life. She discovers liberation by destroying all the bound of wedding, the 'decent servitude' which she feels with her companion for goodbye. Shyam appears as a man of shame and lack of regard however driving his existence with the properties of Radha, pesters her in the title of marriage.

Conclusions: Anita Nair, a current day Indo-English author, expounds on the challenges gone through by Indian ladies. Her ladies have a contention between the customary and current lives. She communicates the mediocre status of Indian ladies in the ordinary culture situated Indian climate. These conditions and peripheral winning in the climate are the privileges of Indian ladies. She additionally manages the affinity of a couple, the suppressed pressing factor of ladies lastly the lewd behavior of Indian ladies when marriage. As per the Indian ladies wedding is fixed as last objective or boss point in their lives. Ladies need to adjust and change themselves as per the circumstance of their life partner. Because of this flexibility their distinction is annihilated.

References :-

1. Nair, Anita. *Mistress*, New Delhi: Penguin Books, 2005. Print.
2. Nair, Anita. *Ladies Coupe*, New Delhi: Penguin Books, 2001. Print.
3. Bhat, Yashoda (ed.) the Image of Woman in Indian Literature. New Delhi, B.R Publishing Corporation, 1993.
4. Dass, Veena Noble. *Feminism and Literature*, New Delhi: Prestige Books, 1995.
5. Woolf, Virginia. *A Room of One's Own:* Penguin Books, London, 1945.
6. Showalter, Elaine. *A Literature of Their Own: British Women Writers from Bronte to Lessing*, Princeton, 1977.P.14.
7. Nityanandam, Indira. *Three Great Indian Women Novelists*, New Delhi: Creative Books, 2000.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Effect of Various Parameters on Photocatalytic Degradation of Azure B Dye

Dr. David Swami *

*Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Azure B is a phenothiazine class of dye in which an atom of sulphur replacing oxygen in heterocyclic ring. They have color range from green to blue and have been used for coloring paper, tannin mordant cotton, silk and leather. Photocatalytic degradation of Azure B dye, a widely used industrial dye has been studied utilizing TiO_2 as photocatalyst and visible light. This manuscript discusses the effect of various parameters on photocatalytic degradation of Azure B dye such as Effect of temperature, Light Intensity, N_2 and O_2 purging, and Effect of other photocatalysts.
Keywords: Dye, Azure B, Mordant, Photocatalyst, Degradation.

Introduction - It has been documented that between 1-20 % of total world production of dyes is lost during the dyeing processes and providing major wastewater pollution in wastewaters.(1) TiO_2 is one of the suitable semiconductors for photocatalysis and has been applied into various photocatalytic reactions. Advanced oxidation processes oxidize and mineralize the pollutants into their simpler forms.(2) The Effect of various parameters on the photocatalytic activity of TiO_2 was studied.

Experimental: Azure B was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution ($3.8x10^{-5}$ mol dm^{-3}) using 300mg of TiO_2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of $30\pm0.3^{\cdot c}$. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO_2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO_2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

Results and Discussion:

1. Effect of temperature: Numerous studies have been stated that the decrease in temperature of photocatalytic reactions favors adsorption, which is a spontaneous exothermic phenomenon(3). The photocatalytic systems have been studied due to their ability to photosensitize the complete mineralization of a wide range of dyes at ambient temperature and pressures. Photocatalytic systems do not play a significant role in photochemical processes due to photonic activation. So it does not require heat and it operate at room temperature (4,5). The influence of temperature has been studied in the range from 30^0C to 55^0C. The results are shown in Table 1 and Fig. 1. Increase in temperature led to decrease the rate of degradation. This gradual decrease in the reaction rate values could be attributed to the following reasons: the adsorption rate decreased with increasing temperature because the adsorption is a heat releasing process, increase in reaction temperature tend to increase electron-hole recombination and with increase in temperature the solubility of oxygen in water decreased.

Table 1: Effect of temperature: [AB] = 3.0×10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 9.0 TiO_2 = 200 mg /100 mL, pH = 9.0, Light intensity = 25×10^3 lux.

Temperature (^0C)	$k \times 10^{-4}$ s^{-1}	$t_{1/2} \times 10^3$ s
30	2.96	2.34
35	2.91	*2.38*
40	2.87	2.41
45	2.81	2.46

50	2.73	2.53
55	2.45	2.82

Fig.1: Effect of temperature

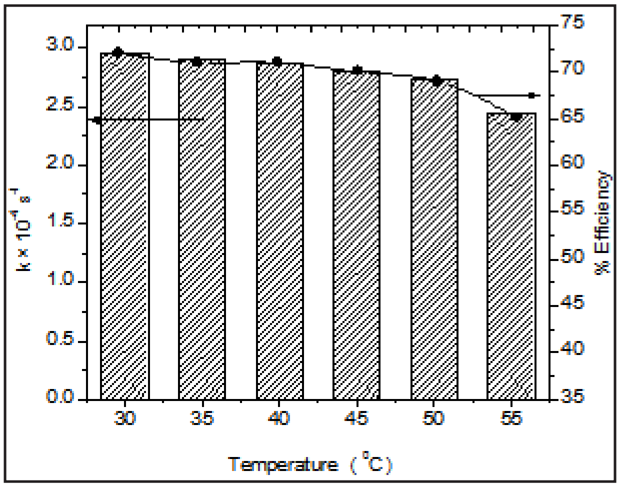

2. Effect of light intensity and irradiation time: The photonic nature of the photocatalysis reaction illustrated the dependency of the overall photocatalytic rate on the light source used. Light intensity is one of a few parameters that affect the degree of photocatalytic reaction on organic compounds. The influence of light intensity on the degradation efficiency has been examined at constants dye concentration (3.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}) and catalyst loading (200 mg/100 mL). It is evident that the degradation increased with increasing light intensity and irradiation time. Since the catalyst powder is suspended in a stirred solution, the light intensity will affect the degree of absorption of light by catalyst surface. The photocatalytic degradation of the dyes occur on the surface of catalyst where $^{\bullet}OH$ and $O_2^{>\bullet}$ radicals are available for photocatalytic degradation. The formation of $^{\bullet}OH$ and $O_2^{>\bullet}$ increases with increased in irradiation time and hence the dye was completely degraded in the course of time [6].

Table 2: Effect of light intensity: [AB] = 3.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 = 200 mg/ 100 mL, pH = 9.0, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

Light intensity × 10^3 lux	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
10 × 10^3	2.68	2.58
15 × 10^3	3.00	*2.31*
20 × 10^3	4.10	1.69
25 × 10^3	4.87	1.42
30 × 10^3	5.75	1.20
35 × 10^3	6.48	1.06

Fig.2: Effect of light intensity

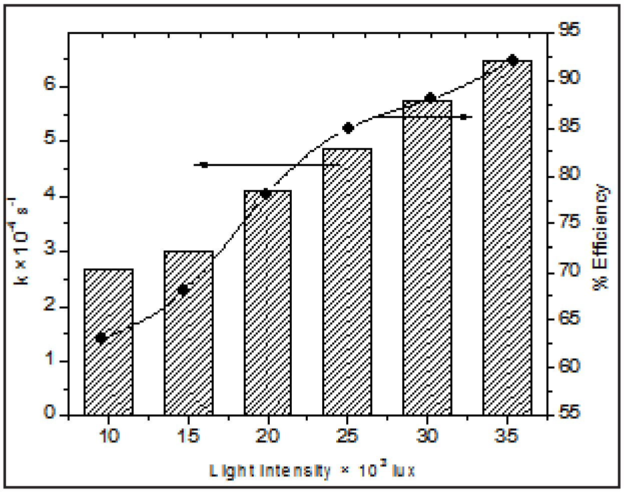

3. Effect of N_2 and O_2 purging: The effects of bubbling of oxygen and nitrogen through the aqueous suspension of the dye on the degradation rate have been observed. Studies have shown that presence of oxygen in the system enhanced the degradation of organic pollutants but it is severely retarded by bubbling of nitrogen. The degradation of Azure B has been increased from 4.1 × 10^{-4} s^{-1} to 6.83 × 10^{-4} s^{-1} on bubbling of oxygen through the dye solution but decreased from 4.1 × 10^{-4} s^{-1} to 2.64 × 10^{-4} s^{-1} by bubbling of pure N_2 through the dye solution. Oxygen got adsorbed on the surface of the TiO_2 and at the surface redox reactions initiated by photogenerated electrons and producing superoxide anion radical and these superoxide anion radical starts the photocatalytic degradation of dye pollutant. However in the presence of nitrogen the conduction band (CB) electrons were blocked and the formation of superoxide anion radical was prevented . Hence the reaction rate was suppressed [7].

$$O_2 + e^- \longrightarrow O_2^{>\bullet} \quad (1)$$
$$H_2O_2 + TiO_2(e^-) \longrightarrow HO^{\bullet} + HO \quad (2)$$
$$O_2^{\bullet} + H_2O_2 \longrightarrow HO^{\bullet} + HO + O_2 \quad (3)$$
$$O_2^{\bullet} + H^+ \longrightarrow HO^{\bullet}_2 \quad (4)$$
$$HO^{\bullet}_2 + TiO_2(e^-) \longrightarrow HO_2^- \quad (5)$$
$$HO_2^- + H^+ \longrightarrow H_2O_2 \quad (6)$$
$$2HO^{\bullet}_2 \longrightarrow O_2 + H_2O_2 \quad (7)$$

Fig.3: Decolorization of Azure B under various systems:

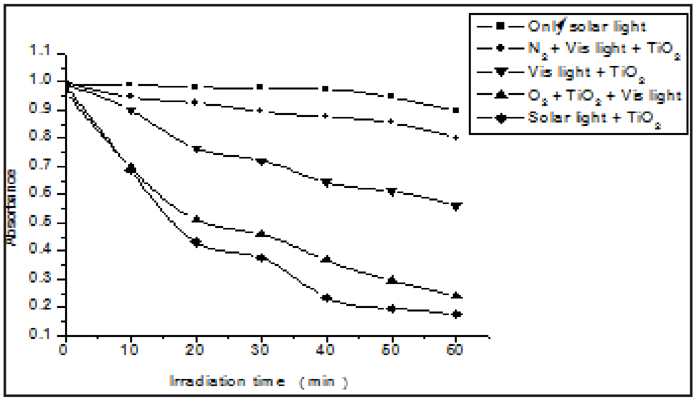

4. Effect of other photocatalysts - When a semiconductor is irradiated with light having energy equal to or more than band gap energy, a heterogeneous photocatalyst reaction occurs on surface of semiconducting materials. The band gap of titanium dioxide is (3.2eV). The usual excited semiconductor has separated the hole and electron pairs that induced the photo catalytic reaction and hence the band gap energy has important role to play. The band gaps of different photocatalysts are summarized in Table 4 [(8)]. The influence of various photocatalysts such as ZnO, BiOCl, $BaCrO_4$ and CdS has been used to study the effect on photocatalytic degradation. The order of photoactivity has been found to be ZnO > BiOCl > TiO_2> $BaCrO_4$ > CdS. Generally, semiconductors having large band gaps are good photocatalysts. It has already been reported that semiconductor such as ZnO, TiO_2, BiOCl have band gaps larger than 3eV show strong photocatalytic activity.[(9)]

Table 4: Effect of other photocatalysts: [AB] = 3.0×10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 9.0 TiO_2 = 200 mg/100 mL, Light intensity = 25×10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

Photocatalyst	Bandgap (eV)	$k \times 10^{-4}\ s^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3$ s
ZnO	3.2	5.00	1.38
BiOCl	3.4	*4.98*	*1.39*
TiO_2	3.2	4.10	1.69
$BaCrO_4$	2.6	2.99	2.31
Cds	2.4	2.76	2.51

Conclusion: Photocatalytic mineralization of Azure B can be effectively carried out utilizing TiO_2 with visible light. The result indicated that increase in temperature led to decrease the rate of degradation. The degradation increased with increasing light intensity. Studied have shown that presence of oxygen in the system enhanced the degradation of organic pollutants but it severely retarded by bubbling of nitrogen. ZnO, TiO_2 and BiOCl have band gaps larger than 3eV show strong photocatalytic activity.

Acknowledgment: Author acknowledgement the support and laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) My sincere thanks to the technical staff of UGC-DAE, CSR, Indore for their kind co-operation and help offered during the work period.

References:-

1. Saien J. and Soleymani A.R. *J. of Hazardous Materials* **(2006)** 1-2
2. Fujishima A., Rao T.N., Tryk D.A.*J, Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev.1* **(2000)**1-2
3. Turchi C. S., Mehos M. S. and Link H. F. *NREL Technical Paper*, **(1992)** 432
4. Kansal S. K., Singh M., and Sud D., *Indian Inst. Chem. Eng.,* 49 **(2007)** 11.
5. Murugesan V. and Sakthivel S., *Indian J. Chem. Tech.*, 6 **(1999)** 161.
6. Shivaraju H. P., Int. *J. Environ. Sci.,* 1 **(2011)** 5.
7. Domenech J. and Prieto A. J., *J. Phys.Chem.,* 90 **(1986)** 1123.
8. Joshi K. M., Patil B. N., and Shrivastava V. S., *Archives of Appl.Sci.*
9. Ozkan A., Ozkan M. H., Gurkan R., Akay M. and Sokmen M., *J. Res.*, 3 **(2011)** 596.

****

उन्नत समाज के निर्माण में हिंदी साहित्य की भूमिका

डॉ. श्याम पाल मौर्य *

* प्रभारी एवं एसोसिएट प्रोफ़ेसर (हिंदी) बरेली कॉलेज, बरेली (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – निखिल जगत के प्राणिमात्र का सर्वांगीण मंगल, मानव की समस्त साधनाओं और पुरुषार्थ का परम लक्ष्य है। मनुष्य ने अपने तप और साधना से जो ज्ञान राशि अर्जित की है, उसका जो रसमय कोश है साहित्य। साहित्य समाज से ही अपना स्वरूप प्राप्त करता है और समाज का निर्माण करता है। मानव जाति के आदिकाल से अधावधि पर्यन्त मानव समाज ने अनेक प्रेरक शक्तियों के कारण अनेक युगों के अभिधान प्राप्त किये। असंख्य साहित्य सर्जक विभूतियों का असामान्य आत्मतेज युगांतर का निमित्त बना। उन असाधरण प्रतिभाओं का अद्‌भुत और अनुपम सत्त्व उनके साहित्य के रूप में ढलकर मानव जाति का अमूल्य भागधेय बना। इन अद्‌भुतकर्मा लोक साधकों में हमारे हिंदी साहित्य के अप्रतिम साहित्यकार विश्व पटल पर अपनी अनोखी पहचान रखते हैं। हिंदी साहित्य में उनकी नवनिर्माणकारी ऊर्जा का अक्षय कोश है। उनकी विलक्षण सामर्थ्य ने समय की नाड़ी को पहचान कर मानव समाज में अनेक परिवर्तन किये। मनुष्य ने उनसे अपने समुचित अस्तित्व के अभिरक्षण के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किये। उन्नत और आदर्श समाज के नव निर्माण में हिंदी साहित्य का क्या योगदान और अवदान है? इन प्रश्नों के उत्तरों का सन्धान ही हमारे इस शोध उद्यम का सद्दोदेश्य है।

विश्व संस्कृतियों के समुदाय में भारतीय संस्कृति का अपना अद्वितीय स्थान है। वेदों की ऋतम्भरा गीर्वाणी का अमृत महोदधि ही परवर्ती साहित्य का उपजीव्य रहा है। संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि साहियों का कान्त कलेवर इसी दिव्य आभा से मूर्तिमन्त संस्कृति का अक्षय उदगम है। सर्व समावेशिता, उदारता, सहनशीलता, प्रेम, सत्य, विश्वबंधुत्व, लोकमंगल आध्यात्मिकता, तप और त्याग इसके शाश्वत मूल हैं। इन्हीं तत्तवों से उर्जस्वित हिंदी साहित्य उन्नत समाज को गढ़ने सजाने का अविराम प्रयास करता रहा है। हिंदी साहित्य की कोई भी विधा अपना दूसरा उपमान नहीं रखती। प्रारंभिक काल में सिद्धों, नाथ, योगियों और तपस्वी, मुनियों की पावन वाणियों ने विभिन्न साधनाओं के दिव्य माध्यमों से मार्गदर्शन किया। गुरु गोरक्ष नाथ, विद्यापति और अमीर खुसरों जैसे सिद्ध विभूतियों द्वारा तत्कालीन समाज को जीवन और जगत की श्रेष्ठ दिशा दिखाकर उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिवृद्धि की।

सम्पूर्ण भारतीय समाज आज जिस सभ्यता और संस्कृति के उत्तुंग शिखर पर विराजमान है, अभ्युदय और नि:श्रेयस के जो कीर्ति किरीट इसके शीश पर शोभायमान है उसका सर्वाधिक श्रेय भारतीय वाङ्‌मय की अनुपम विभूतियों को जाता है। सम्पूर्ण भारतीय साहित्य की आत्मा एक है। हिंदी साहित्य भी अपनी इसी आत्मप्रभा से दीप्तिमान है। साहित्य की काव्य विधा हो या कोई और, अपने अपने आत्म –प्रसाद से भारतीय समाज ही नहीं अपितु विश्व पटल को आलोकित कर रही है। जगन्मंगल के साधक सभी कारक हिंदी साहित्य के शाश्वत गुण हैं। किसी समाज को उन्नत और विकसित करने के लिए जिन शाश्वत गुणों और आदर्शो की आधारभूत आवश्यकता होती है उसके प्रथम तत्त्व वे हैं जो समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं 'संघ शक्ति कलौ युगे।' समाजिक एकता एक और एक को ग्यारह बनाती है। विघटन मनुष्य को अनाथ और दुर्बल बनाता है। इसीलिए मनुष्य समाज को स्थायी, बलवान और महान बनाने के लिए एकता परम आवश्यक है। सूत्र रूप में मानव–मानव को समीप लाने के लिए, एक लक्ष्य पर सम्मिलित सहकार से समृद्ध बनाने के लिए जो आदर्श जीवन मूल्य आवश्यक कहे जा सकते हैं वे असंदिग्ध रूप से हमारे हिंदी साहित्य के प्राणभूत तत्त्व हैं। सत्य, प्रेम, न्याय, सदाचार, करुणा, समता, निश्छलता, विनम्रता, निरभिमानता, बन्धुत्व, आस्तिकता, ज्ञान, त्याग,तप, श्रम, स्वावलम्बन और मैत्री एकाकी मानव को दूसरे से जोड़ते हैं। मनुष्य को उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने वाले गुण हैं– तप, संयम, उद्यम, पराक्रम, बुद्धि, शक्ति, उत्साह, स्फूर्ति, तन्मयता, ज्ञान, श्रम, भक्ति, प्रेम, एकाग्रता, अनासक्ति, अनन्यता, निष्कामता, संकल्प और समर्पण। वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों में इन आदर्शों की सूक्तियों और सुभाषितों के रूप में प्रतिष्ठा है।

उद्यम: साहसं धैर्यं, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम: ।
षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव: सहायकृत ।। 1

अपि च

उत्साहसम्पन्नं अदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वासक्तम।
शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च लक्ष्मी: स्वयं याति निवासहेतो:।। 2

परम बुद्धिमान, हमारे साहित्यकारों की दृष्टि से मानव की दुर्बलता स्वरूप अपकर्षदायी नकारात्मक भाव भी नहीं बच सके हैं। यथेष्ठ उन्नति पथ पर पतन के निमित्त बनने वाले भावों से सावधान करना भी उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

षड्दोषा: पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता।
निद्रा–तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता।।3

उन्नति की कामना करने वाले समाज और उसके पुरोधाओं को ये तीनों महत्त्वपूर्ण बातें ध्यान रखना अपरिहार्य है। जो समाज अपने आचरण से इनका प्रमाणन करने की शक्ति रखता है वहीं उन्नत और सभ्य समाज कहलाने का अधिकारी है। कल्याणकारी राज्य और उन्नत समाज की आदर्श कसौटी की

परिकल्पना करने वालों ने इस उद्देश्य को साकार नाम प्रदान कर 'रामराज्य' की संज्ञा से विभूषित किया है। हिंदी साहित्य के गौरव और विश्व वरेण्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' में रामराज्य का विशद निरूपण कर आदर्श का एक भव्य चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का व्यक्तित्व शाश्वत जीवन मूल्यों की ऐसी अन्यतम परिभाषा निर्मित करता है, जिसकी बराबरी करना तो दूर, अन्य सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ उस की परिधि का भी स्पर्श नहीं कर सकती। यही कारण है कि भगवान राम का पावन आदर्श और उनका लोक मंगलकारी जीवन देश और काल की सीमाओं को पार कर त्रैलोक्य व्यापी हो गया है। वे सबके हैं और सब उनके हैं। गोस्वामी जी ने मानस में उनके इसी अच्युत, अन्यतम और अद्वितीय स्वरूप को 'रामप्रताप' की संज्ञा से अभिहित किया है । रामराज्य के गुणानुवाद करते हुए वे इसका तीन रूपों में चित्रण करते हैं। प्रथम तो इनका गुणप्रभाव निरूपित करते हैं, द्वितीय उन गुणों के जीवन आदर्श राम-जानकी एवं पुरवासियों का गौरव बताते हैं। तीसरे सूर्योदय के सांगरूपक के माध्यम से राम के स्वरूप प्रभाव का अद्वैत फल निरूपित करते हैं -

राम राज बैठें त्रैलोका।
हरषित भए गए सब सोका।।
बयरु न कर काहू सन कोई।
राम प्रताप बिषमता खोई।।
बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग।
चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग।।
दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।
सब नर करहिं परस्पर प्रीती।
चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।
चारिउ चरन धर्म जग माहीं।
पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं।।
राम भगति रत नर अरु नारी।
सकल परम गति के अधिकारी।।
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा।
सब सुंदर सब बिरुज सरीरा।।
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना।
नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।
सब निर्दंभ धर्मरत पुनी।
नर अरु नारि चतुर सब गुनी।।
सब गुनज्ञ पंडित सब ग्यानी।
सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी।।
राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं।।
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं।।4

आगे भी और निरूपण किया गया है :

सब उदार सब पर उपकारी। बिप्र चरन सेवक नर नारी।।
एकनारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी।।
दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज।
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज।।5

परमात्मा सत्य हैं, ज्ञान हैं और अनन्त हैं। भारतीय अध्यात्म के स्वरूप से तादात्म्य पाकर साहित्य इस तेज से युक्त हो गया है। भारतीयों के कर्तव्य (धर्म) से अद्वैत भाव पाकर जीवन का आदर्श बना है। हिंदी साहित्य भी इसी दिव्यालोक से उद्भासित रहा है। महाकवि विद्यापति की कोकिल वाणी में भारतीय तरुणी को जिस भाव और जिस कौशल से यौवन सुरक्षा के लिए सावधान किया गया, वह अद्वितीय है-

कंचन गढ़ल हृदय हथियार।
ते घिर थंभ पयोधर भार।।
लाज-सिकर धर दृढ़ कए गोए।
आनक वचन फोलह जनु कोय।।
दूर कर आगे सखि चिंता आन।
जउबन-हाथि करिअ अवधन।
मनसिज-मदजल जओं उमताए।
धरिहिसि, पियतम आँकुस लाए।
जावे सुमत नहिं तावे अगोर।
मुसइते निवारिसि मानस चोर।
भन विद्यापति सुनु मतिमान ।
हाथि महते नब के नहिं जान ।।

स्खलन धर्मा यौवन की सुरक्षा के लिए विद्यापति की ये सूक्ति स्वरूप पंक्तियाँ नितान्त समाजोपयोगी हैं। इस अवस्था में बहकाने वाले बहुत से परामर्श मिलते हैं। अपनी स्वाभाविक गति से यौवन के आवेग आते हैं, आयेंगे, तव वेदविहित अपने साथी प्रिय (पति) का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार पतन भी नहीं होता और उपचार भी हो जाता है। समाज को निम्नगानी होने से बचाने के लिए इस सत्य को सुन्दरता से प्रतिपादित किया गया है कि महावत के बिना हाथी नियन्त्रण में नहीं आता।

'कबीर' काव्य में मानवोत्थान के अनेक मौलिक सूत्र दिये गये हैं जो दीर्घकाल से मानवजाति का लक्ष्यवेधी मार्ग दर्शन करते रहे हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद का मन्त्र 'यथादेवे तथा गुरो' की भाँति कबीर गुरु के महत्व को अनोखे ढंग से व्यक्त करते हैं-

'वस्तु कहीं ढूंढे कही, केहि विधि आवै हाथ।
'कबीर' वस्तु तब पाईये, जब भेदी लीजै साथ।।
भेदी लीन्हा साथ में, दीन्ही वस्तु लखाए।
कोटि जनम का पंथ था, पल में पहुंचा जाये।।'

'गुरु गोबिन्द दोउ खड़े काके लागू पाय।
बलिहारी गुरु अपड़ै, गोविन्द दियो बताय।।'

प्रेम को मानवोत्थान का सर्वोत्तम आधार माना गया है। इसके बिना पाँडित्य भी छूँछा है। सदियों से यह दोहा साहित्य के माध्यम से मनुष्य को उन्नत बनाने का गुरुतर कार्य किये जा रहा है-

'पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।'

एक दोहे में तो वे कहते है-

जिहिं घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान।
जैसे खाल लुहार की सॉस लेत बिनु प्रान ।।

एक अन्य पद में प्रेम को महत्त्व देते हुए कवि ने कहा है-

'कहै कबीर प्रेम नहि उपज्यो बाध्यों जमपुर जासी।'

दया का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते है-

दुर्बल को न सताइये जाकी मोटी हाय।
मरी खाल की फूँक सौ सार भस्म हो जाय।।

महात्मा कबीर समाज के प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति को अपनी वाणी के दिव्य, अनुभवसिद्ध ज्ञानोपदेश से उसके साधारण प्राकृतिक आसन से उठाकर परब्रह्म स्वरूप के निर्भय और अच्युत आसन पर बिठाने की सफल चेष्टा करते हैं। अपने सम्पूर्ण साहित्य द्वारा उन्होने मनुष्य को सर्वोच्च आसन पर आरूढ़ किया -

जब मैं था तव हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहिं।
सब अँधियारा मिट गया, जब दीपक देख्या माँहिं ।।
तू तू करता तू भया, मुझमें रही ना हूँ ।
वारी फेरी बलि गई, जित देखूं तित तू ।।

महाकवि सूर का काव्य प्रेमाभक्ति का अगाध महोदधि है। उनके अनुसार परमसत्ता का सगुण साकार स्वरूप ही मानव के जीवन पुरुषार्थ का सर्वोच्च ध्येय है।

रूप, रेख, गुन जाति जुगति बिनु निरालम्ब कित धावै ।
सब विधि अगम विचारहिं तातै सूर सगुन पद गावै ।।

सूरदास जी के दिव्य प्रेमामृत-वारिधि हृदय से जो साहित्य नि:सृत हुआ है, वह विश्व साहित्य में दुर्लभ है। इन्होंने अपनी बन्द आँखों से जो देखा वह 'सूरसागर' प्रभृति उनकी कृतियों के माध्यम से विश्व की आँखे खोलने में समर्थ हैं। भगवान के बाल स्वरूप का जो अनुपम प्रदेय इन्होंने प्रदान किया, वह मानव मात्र के भवरोग का अमोघ आपेय है। बालकृष्ण की अनूठी झाँकियों, लीलामृत की सुधा सरिताओं में अवगाहन कर संसारी जीव भी अपनी जन्म-जन्मान्तर की आनन्द पिपासा को तृप्त कर सकता है इसीलिए सूर ने मैया यशोदा के इस लीलामृत पान के लिए यथेष्ट कहा है-

'सूर धन्य एकौ पल यह सुख कहा भयो सत कल्प जिये'।6

राधा कृष्ण के अनन्त प्रेम की महाभाव दशाओं- मोहन व मादन का जो अनन्त प्राण-पाथेय सूर ने दिया, वह काम-विजय और विश्व-विजय का ब्रह्मास्त्र है। जीव पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। कदाचित चित्त की शुचिता के सामर्थ से युक्त कोई प्रेम साधक ही सूर के इस सौभाग्य शिखर की ऊँचाई नाप सकता है। काव्य-क्षमता का ऐसा अकथ साक्षात विश्व-कवि समुदाय में कदाचित ही कोई करा पाया है। अनन्त सर्वेश्वर-रसेश्वर की साक्षात झाँकी लाख आँखों वाला भी कोई विरला ही करा पायेगा -

'स्यांम सौं काहेकी पहिचानि।
निमिष निमिष वह रूप न वह छवि रति कीजै जेहि जानि।।
एकटक रहत निरंतर निशि दिन मन मति सों चित सानि।
एकौ पल सोभा की सींवा सकत न उर महँ आनि।।
समुझि न परै प्रगटही निरखत आनंदकी निधिा खानि।
सखि यह विरह संयोग कि समरस दुख सुख लाभ कि हानि'।।7

'गोपी प्रेम की ध्वजा' कहलाती हैं। रागानुगा भक्ति कर कोई भी प्रेमसाधक सूर वर्णित यह प्रेम साधना कर जीवन के चरम सौभाग्य का भाजन बन सकता है।

हिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य अपना उपमान नहीं रखता। उनके विषय में सूक्ति सचमुच सार्थक है-

भारी भव सागर उतारतो कवन पार।
जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो।।8

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और अन्य सीतादि आदर्श पात्रों का जो उत्तुंग व्यक्तित्व का विलक्षण प्रभाव दायी गायन उन्होंने रामचरित मानस, कवितावली, दोहावली, विनय-पत्रिकादि में किया है, वह किसी भी समाज को इतना उन्नत बना सकता है कि जिसके आगे आदर्श की इति हो जाती है। भरत के चरित्र के विषय में तुलसी की यह अनुपम उद्भावना सूत्र रूप में तुलसी साहित्य की गरिमा का अकथनीय अनुभव कराने में सक्षम है-

होत न भूतल भाव भरत को।
सचर अचर चर अचर करत को।।
भरत सरिस को राम सनेही।
जगु जपु राम रामु जपु जेही।।9

गोस्वामी जी के काव्य में पदे पदे जीवन के परम कल्याण के अद्भुत सोपान सदृश अपार सूक्तियाँ हैं। मानव व्यवहार के उत्थान के लिए जो संबल अपने साहित्य द्वारा तुलसी ने दिया है उसका सार है-

उमा जे राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध।
निज प्रभु मय देखहिं जगत किहिं सन करहि बिरोध।।10

मानस के उत्तरकाण्ड में अपने मन्तव्य का निचोड़ वे इस प्रकार व्यक्त करते हैं -

'चौदह भुवन एक पति होई ।
भूत द्रोह तिष्ठइ नहि सोई।।'

'पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं।
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित।।'

कविवर बिहारी तथा रहीम ने मानव-व्यवहार के उत्कर्ष के लिए अपने साहित्य मे बेजोड़ सूक्तियाँ दी हैं। रहीम कहते हैं -

टूटे सुजन मनाइये, जो टूटै सौ बार।
रहिमन फिर फिर पोइए टूटै मुक्ताहार।।

रहिमन देख बड़ेन को लघु न दीजै डारि।
जहाँ काम आवे सुई कहा करें तलवार।।11

बिहारी ने कहा है-

जगत जनायौ जिहिं सकल, सो हरि जान्यौ नांहि।
ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखि न देखी जाहि।।12

कविवर मैथिलीशरण गुप्त पंचवटी में जीवन प्रबन्धन का उत्साह प्रदान करते हुए कहते हैं-

जितने कष्ट कंटको में है जिसका जीवन सुमन खिला।
गौरव गन्ध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला ।। 13

प्रसाद जीवन संग्राम को ही प्रमाण मानते हैं कर्म का रंगस्थल, यह जीवन और जगत में, कर्म सौंदर्य संगठित करने के लिए है -

तप नही केवल जीवन सत्य,
करुण यह क्षणिक दीन अवसाद।
तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा,
आशा का आह्लाद।। 14

भारतेन्दु, निराला, महादेवी, प्रेमचंद और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य मानव समाज को उन्नत बनाने के लिए प्रभूत काल से अपना सार्थक योगदान दे रहा है। महाकवि दिनकर इस परमाणु बम के विध्वंसकारी युग की वैश्विक जनता को मानव जाति के अस्तित्व को अक्षुण्य रखने के लिए

कहते हैं -

सावधान, मनुष्य! यदि विज्ञान है तलवार,
तो इसे दें फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार।
हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान;
फूल काँटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान।15

इस प्रकार यह सप्रमाण सिद्ध है कि हिन्दी साहित्य मानव उत्थान और उन्नत समाज के निर्माण में अपनी महती और सार्थक भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। इसका गद्य हो या पद्य, सभी के आत्मधर्म में सकारात्मक और रचनात्मक तत्तव विद्यमान है जो समाज को उसके सच्चे उत्कर्ष का सच्चा मार्ग दिखाने में पूर्ण सक्षम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संस्कृत शुभाषित
2. संस्कृत शुभाषित
3. महाभारत - उद्योगपर्व -33.73
4. तुलसी - रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड - 21
5. तुलसी - रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड - 22
6. सूरसागर - मुख दधि लेप किए
7. सूरसागर- 1.
8. बेनी कवि - जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो।।
9. तुलसी - रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड-218
10. तुलसी - रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड-112(ख)
11. कबीर सतसई
12. बिहारी सतसई
13. मैथिलीशरण गुप्त-पंचवटी- पृष्ठ 3
14. कामायनी- श्रद्धा सर्ग
15. रामधारी सिंह दिनकर - कुरुक्षेत्र - विज्ञान और मनुष्य

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

ICT in Education- Issues and Challenges

Dr. Shobha Gupta *

*Associate Professor (Chemistry) D.A.K. College, Moradabad (U.P.) INDIA

Abstract - The advancements achieved in the field of Information and Communication Technology (ICT) has its implications in almost all the fields known and Education is one of them. Education is itself referred to as a communication process, so the progress in ICT has proven to be playing an essential supportive role for the same. ICT helps in increase in the speed of learning, consistent instruction, higher and strengthened understanding, effective evaluation and similar other benefits. But dealing related issues, on the other hand, is equally important. Quality of content, attitudes of teachers and students, infrastructure, electricity supply, lack of technical support and cost are the major issues of ICT in educational implementation. Level of ICT awareness and continuous development of the ICT tools for educational implementation is must for the ICT enabled learning to grow in education. Educators are required to be aware of the effective use of ICT. This research article mainly focuse upon all these issues and challenges and propose effective solutions.
Keywords- ICT, Education, Challenges and Solutions.

Introduction - ICT in education deals with the use of information and communication technologies within the education sector. The education sector is crucial for developing the human capital of the country to innovate and find solution for sustainable and equitable growth. ICT can be used to improve the quality of education by enhancing educational content development, supporting administrative process in school, college and other educational institutions and increasing access to education for both teachers and students. It offers opportunities for students and young people particularly those living in rural areas to broaden their horizons and improve their employment prospects. Now-a-days ICT is also being emerging fields for researches. During the last two decades, many countries have invested heavily in ICT. Indeed, the use of ICT in education and training has a key priority in India in the last Decade.

Although use of ICTs in educations opens various prospects in education sector yet there are many significant challenges[1] which have to face by the policymakers, planners and educators while integrating ICTs in education.

Challenges related with Educational Policy and Planning: To enhance and reform education through ICTs require clear and specific objectives, guidelines and time bound targets, the mobilization of required resources and the political commitment at all levels. Some essential elements of planning for ICT are listed below.

A rigorous analysis of the present state of the educational system: ICT based interventions must take into account current institutional practices and arrangements. Specifically, drivers and barriers to ICT use need to be identified, including those related to curriculum, infrastructure, capacity building, language and content and finances.

The specification of educational goals at different educational and training levels, before use of ICTs that can best be employed in pursuit of these goals. An understanding of the potentials of different ICTs is essential when applied in different context for different purposes in educational need.

The identification of stakeholders and harmonizing the efforts across different interest groups.

The piloting of the chosen ICT- based model, even the best designed models or those that have already been proven to work in other contexts, need to be tested on a small scale.

Generating financial support to use ICTs over the long time: The specification of existing sources of finances and the development of strategies for generating financial resources to support ICT use over the long term.

Challenges related with Infrastructure: A country's educational technology infrastructure sits on top of the national telecommunications and information infrastructure. Before any ICT- based program is launched, policymakers and planners must carefully consider the following:

Appropriate rooms or buildings, proper electrical wiring, safety and security: In the first place, appropriate rooms or buildings available to house the technology is

essential[2]. In many states where there are many old school buildings, extensive retrofitting to ensure proper electrical wiring, heating/cooling and ventilation, and safety and security would be needed.

Availability of electricity and telephone: Another basic requirement is the availability of electricity and the telephone. In our country, large areas are still without a reliable supply of electricity

Affordable internet services: another basic requirement for computer based or online learning is access to computers in schools, communities, and households, as well as affordable internet services.

Challenges related with capacity building: Various competencies must be developed throughout the educational system for ICT integration to be successful.

Skilled teacher: Teacher professional development should have four foci: 1) skills with particular applications; 2) integration into existing curricular; 3) curricular changes related to the use of ICT (including changes in instructional design); 4) changes in teacher role. Ideally, these should be addressed in pre service teacher training.

Teacher anxiety is over being replaced by technology or losing their authority in the classroom as the learning process becomes more learner-centered—an acknowledged barrier to ICT adoption—can be alleviated only if teachers have a keen understanding and appreciation of their changing role [3].

Technical support specialists. Technical support specialists are essential to the continued viability of ICT use in an institution[4]. The technical support requirements of an institution depend ultimately on what and how technology is deployed and used, generally is required in the installation, operation, and maintenance of technical equipment (including software), network administration, and network security. Without on-site technical support, much time and money may be lost due to technical breakdowns.

Content developers: Content development is a critical area that is too often overlooked. The bulk of existing ICT- based educational material is likely to be in English or of little relevance to education in developing countries (especially at the primary and secondary levels[5]. There is a need to develop original educational content (e.g. radio programs, interactive multimedia learning materials on CD-ROM or DVD, Web- based courses, etc.),or adaptting existing content and convert print based content to digital media.

Language and content (16}: English is the dominant language of the internet. An estimated 80% of online content is in English. A large proportion of the educational software produced in the world market is in English. For developing countries in the Asia Pacific where English language proficiency is not high, especially outside metropolitan areas, this represents a serious barrier to maximizing the educational benefits of the World Wide Web.

Challenges related with Cost of ICTs: One of the greatest challenges in ICT use in education is balancing educational goals with economic realities. ICTs in education programs require large capital investments and in the present scenario it is not affordable by low socio economic class[6]. Ultimately it is an issue whether the ICT-based learning the most effective strategy for achieving the desired educational goals, and if so what is the modality and scale of implementation:n that can be supported given existing financial, human and other resources?

Conclusion: Education is a very important subject to any country as it develops the working force serving the nation. Presently, education systems are growing rapidly. To ensure the quality along with quantity it is important to involve innovative approaches and technological advancements in the educational system. ICT is being implemented in all the fields including education. But the implementation of ICT in education is comparatively slow due to the issues mentioned in the article. The increasing use of information and communication technologies (ICTs) has brought changes to teaching and learning at all levels of education systems leading to quality enhancements. There are endless possibilities with the integration of ICT in the higher education system. The use of ICT in education not only improves classroom teaching-learning process but also provides the facility of e-learning. Successful implementation of ICT to lead change is more about influencing and empowering teachers and supporting them in their engagement with students in learning. Innovative technologies promote quality of education but their implementation is not always easy. We need to take the note of issues, conceptualize challenges and think of possible solutions. This has been tried in this research article. Basically, the solutions lie in the positive attitude towards the new.

References:-

1. A. Kundu & D.K. Nath, "Barriers to Utilizing ICT in Education in India with a Special Focus on Rural Areas", International Journal of Scientific Research and Reviews (IJSRR), 2015, Vol. 7 Issue 2, pp. 341 -359.
2. S.H. Budhedeo, "Issues and Challenges in Bringing ICT Enabled Education to Rural India", International Journal of Science Research and Education (IJSRE) Vol. 4 Iss. 1 January 2016, pp-237-249
3. SR Girish, C. Suresh Kumar, "ICT in Teaching-Learning Process for Higher Education: Challenges and Opportunities." IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE) 19.4 (2016): pp. 24-28.
4. M.L Jaidka, Babita, "Challenges and Perspectives in E- Learning", E-Learning: A Boom or Curse, Twenty First Century Publications, Patiala, 2015:pp.137-151
5. A. Puri, "Challenges and Perspective in E-Learning", E-Learning: A Boom or Curse, Twenty First Century Publications, Patiala, 2015:pp. 62-38
6. M.K. Arora, "E-learning: Issues and Future Perspectives", E-Learning: A Boom or Curse, Twenty First Century Publications, Patiala, 2015:pp.96-103

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

The Role and Importance of Higher Education in Different Aspects of Life

Dr. Pramod Pandit *

*HOD (Chemistry) S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - It is always discussed and enforced that basic education i.e. school education or schooling is compulsorily provided to the citizens of any nation, it be a fundamental right of a person.

But it is never questioned or discussed about the need or importance of college or higher education for a young citizen of any nation / society.

Thus, this paper deals with the role and importance of college higher education in different aspects of life.

Key Words – College Education, New Skills, Civic Involvement, Sense of discipline, Global Ranking**.**

Introduction - Question arises, why higher education or college is important or needed? Before this question we have to define what is Higher Education?

In simple terms, it is a stage of learning that occurs after secondary education at the Universities, Colleges and Institutes etc. The aim of higher education is to prepare a person to play his part well, as an enlightened member of society. Education in its general sense is a form of learning in which the knowledge, skills and habits of a group of people are transferred from one generation to next through teaching, training, or research. Education frequently takes place under the guidance of others, but may also be autodidactic. Higher education is very important to national economies both as a significant industry in its own right and as a source of trained and educated personnel for the rest of the economy. The task Force on Higher Education in developing countries believes that social returns to investment in higher education are substantial and exceed private returns by a wider margin than previously believed. No Doubt to understand the importance of higher education, we have to take many aspects, in consideration, including a prosperous career and financial security.

In the present centaury, higher education plays an even more significant role in different aspects of life, by attaining higher education one can increase opportunities and improve overall quality of life. Among the most vital benefits of higher education in the 21st century is the fact that it helps communities and societies operate smoothly and enhances personal lives. Educated individuals are involved more actively in social activities like political interest, voting, interpersonal trust and volunteering. Because when you have more knowledge you are more inclined to participate in these events and activities.

A - Benefits and Role of Higher Education - In general, the practical benefits of higher education may be considered and summarized as follows:

1. Economic/Financial – As a bureau of labor statistics reveals that people those who are higher educated earn more money and have lower probability of unemployment. Salary data were collected & compared reveals that average median annual earnings of graduates is higher than high school or diploma holders. A higher education offers progress to a more efficient economy improvement in people's lives and contributions to a more stable society.

2. Health – Gainful employment and a positive good job with high salary take away the stress factors associated with financial insecurity. With high and prosperous gain one likelier to live a happier and healthier life.

3. **Better Communication and Network** – Most jobs require & involve some form of written or verbal communication. Higher education improves both areas during ones college and professional career. College can help you to expand your network, an strong network can help you start and advance in your career.

4. Realization of passions – Most people think that more you learn, the likelier you are to find your true passion in life. Through the education process can explore the various facts of prospective fields and find your strengths.

5. Greater sense of discipline – The regiments of education can instill one with the discipline required in the professional world. By learning to follow complex instructions and meet strict deadlines one will be better prepared for the rigor of the market places.

6. Civic involvement and personal development – People with gainful employment and financial resources often give back to the community. When you earn well and

your network expands you are more likely to give to charity and become involved in volunteer work.

B – Importance of Higher Education -

1. **More Opportunities with Higher Education -** A higher education not only trains us in chosen field, but it also teaches to understand complex subjects, think analytically and communicate your ideas effectively. One also learns important skills such as organization, self- discipline and how to see a task from start to finish. A higher education helps you become more professional and gives you many work- related skills.

Since one learns a broad range of skills, than he could end up in a field he didn't necessarily study for. This can open up new and unexpected opportunities that might not have become available to ones who had not received higher education.

In our economy today, career options are declining for those who haven't furthered their education after high school. Many high school aspirants who don't go on to college end up working in the service field with jobs that pay low and don't offer advancement opportunities.

2. **Become and Stay Competitive With Higher Education -** Higher education also provides a competitive edge in the career market. We all know that in the economic times we are living in today, finding jobs is not guaranteed. The number of people unemployed is still relatively high and the number of new career opportunities isn't nearly enough to put people in jobs they are seeking. As job seekers, one competing with a high number of experienced workers who've been out of the workforce for a while and are also seeking work.

However, when you have a higher education, it equips one for better job security. Generally speaking, employers tend to value those who have completed college than those who have only completed high school.

Graduates of college who have multiple skills may be less susceptible to layoffs during an economic recession than less skilled workers, And although it isn't a guarantee, chance are you're less likely to struggle with unemployment long- term, if you have a higher education.

3. **Gaining and Learn New Skills With higher Education -** Higher education and college can help in enhance your career by building you skill set and industry knowledge. Higher education can prepare ones to transition to a new field. A creative degree program can help to prepare with the knowledge, skills and credentials, what ones need. Actually employers need skills and not just knowledge or titles. Many specific jobs require a different skill set than job seekers offer but higher education provide an opportunity to students to add potential according to the need of job workplace.

During college experience, one learns new skills. He able to listen to lectures and read books that are from top experts in your particular field. This encourages him to think, analyze, explore new ideas, ask questions and be creative. These allow him to grow and develop even further which provides him with that competitive edge in the job market.

One can also be expending his skills and knowledge, grasping abstract theories and concepts, expressing thoughts clearly in writing and speech and also increasing understanding of community and the world.

4. **Invest in Your Future with Higher Education -** Investing in higher education is a huge commitment of money and time. However, one can think of it as a down payment on your future. Investing in education will help you achieve career goals and succeed in life, in general. There's a lot of hard work involved, but one is preparing himself for a rewarding and challenging career that leads to financial security and a fruitful life.

It is also clear that a large number of people often end up in careers that are not even aligned with their education the future potential of the workforce will depend on its ability to cultivate learn ability, rather than displaying lots of college credentials.

5. **Upgrade Talent with Higher Education -** The number one reason students have for investing so much time and money into a college education is to get a good job, with two third of them seeing "financial stability" as the primary goal. Irrespective of their global ranking, all universities market themselves as an engine of growth, employ ability and success and thus a college education is still a promise to upgrade someone's talent. Understandably, this produces high expectation, but it is just not feasible to fulfill them at scale. Not everyone can be leader, a CEO, a manager, or a highly sought-after knowledge worker.

6. **Laid down Foundation of Good Citizenship with Higher Education -** The purpose of education is not only to produce technicians and job hunters, but to by the way of education we can build the future of the nation. "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world". Education is an integral part of the society and both are interconnected with each other. Education reflects on face of the society. Significance of the education is not only producing mechanical job hunters but it will be helpful for overall development of the nation and it is a tool by which we can bring equality in real sense. "It is the very foundation of good citizenship. Today, it is principal instrument in awakening the child to cultural value, in preparing him for later professional training and in helping him to adjust normally to his environment." That means real significance of the education is in the future of the nation it will create a nation and ultimately there will be an overall development of human fraternity.

All these aspects of the education are very much essential for balanced development of individual and ultimately of society.

Conclusion - Definitely no clear alternative to colleges and universities has yet emerged although numbers of students are investing so much time and money into college education is to get a good job for getting financial stability

but it is recorded low and under employment because what jobs are available and actually requires qualification & skill is not fulfilled by the graduates.

People with careers tend to lead more structured lives and have a stronger sense of responsibility and thus also serve as strength- builders in other areas of life.

In short, there is much that we need to rethink about the current model of higher education. Tomorrow belongs to the companies and individuals who are approaching education in parallel with work, with continuous loops of learning.

In Conclusion higher education means integrated development of personality which should be imparted through head, hand and heart. Rabindranath Tagore rightly said "The Higher education is that which does not merely give us information, but makes life in harmony with all existence".

References:-

1. Knight, J. Internationalization of higher Education: In Quality and Internationalization in Higher Education. IMHE Publication.1999
2. The Framework for Higher Education Qualification in England, Wales and Northern Ireland. QAA, January 2001.
3. http://www.indiabix.com/group-discussion/the -education-system-needs-serious-reforms.
4. http://www.ugc.ac.in
5. http://mhrd.gov.in
6. Expending Domains in Indian Higher education written by K B Powar Association of Indian Universities New Delhi.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन : एक अध्ययन

रामवीर सिंह[*] डॉ. एस. एल. वरे[**]

[*] शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
[**] प्राचार्य एवं प्राध्यापक, श्री कृष्णजीराव पंवार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - उत्तर प्रदेश- 1 नवम्बर 1858 ई. को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आयी इसी वर्ष दिल्ली डिवीजन उत्तर-पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गई सन् 1877 में उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक ही कर दिया गया, उसी समय से उक्त वृतहर क्षेत्र को उत्तर-पश्चिमी प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा, सन् 1902 में इसे आगरा और संयुक्त प्रान्त कहा जाने लगा 1921 में एक गवर्नर की नियुक्ति हुई और उसकी राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी, सन् 1937 में इसका नाम संक्षिप्त कर संयुक्त प्रान्त कर दिया गया इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 से प्रारम्भ हुआ, स्वतन्त्र भारत का संविधान लागू **(26 जनवरी 1950)** होने पर उत्तर प्रदेश भारतीय गणतन्त्र का एक पूर्ण राज्य बन गया, यह निर्विवाद सत्य है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में उत्तर प्रदेश किसी भी प्रदेश से पीछे नहीं रहा, सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण है।

राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त प्रान्त का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश रखा गया, **1 नवम्बर 1956 को यह वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया, 9 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य भी उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है।**[1]

भौगोलिक स्थिति एवं सीमा-उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार- $23^0$52' उत्तरी अक्षांश से $30^0$24' उत्तरी अक्षांश तक तथा $77^0$05' पूर्वी देशांतर से 84038' पूर्वी देशांतर तक है पूर्व से पश्चिम तक है। पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई 650 कि.मी तथा उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई 240 कि.मी है।[2]

जनसंख्या- उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा (जनसंख्या के आधार पर) राज्य है जिसकी जनसंख्या 2001 में 166,198,000 थी जबकि 2011 में 199,581,477 बढकर है।

क्षेत्रफल- उत्तर प्रदेश 2,38,566 वर्ग किलो मी0 के क्षेत्रफल में फैला हुआ है।[3]

प्रशासनिक ढांचा:- इस प्रशासनिक ढांचे में राज्य के सभी विभाग के अधिकारी जैसे गृह विभाग से लेकर राजस्व व पुलिस, विभाग तक आते हैं जब शासन अपने आला अधिकारी या प्रशासनिक को आदेश नही देगा जब तक देश कोई काम काज नही होगा राज्य में सबसे पहले एक मुख्य सचिव होता है और अपने विभागों के अलग- अलग सचिव होते हैं,

अनुसूचित जाति अनु. जनजाति - भारत को 1950 को गणराज्य घोषित किया गया और तब से भारत के संविधान को अपनाया गया परन्तु जो संविधान के प्रावधानो के अनुसार केन्द्र राज्य सरकार अनुसूचितजातियों को सुरक्षा प्रदान करेगी समय-समय पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षणों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है। कि दलित वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग पर होने वाले अत्याचारों की जनसंख्या में निरन्तर बढोतरी देखने को मिली है। अनुसूचित (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1980 लागू किया गया है सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है।[4]

1) रैदास एक ही नूर ते जिमि उपज्यों संसार।
ऊंच नीच किस विध मये, ब्राह्मण अरू चमार।।

अर्थ :रविदास जी कहते है कि इंसान एक ही नूर (वीर्य का बूंद) से सारे संसार में पैदा होता है। फिर किस विध ब्राह्मण ऊंचा और चमार नीच हुआ।[5]

2) रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जउ होवे गुनहीन।
पूजहुं चरन चण्डाल के जउ होउ गुन प्रवीन।।

अर्थ :रविदास जी कहते है यदि ब्राह्मण गुणों से हीन तो उसे सम्मान मत दो पदि चाण्डाल गुणे और ज्ञान से प्रवीन है तो उसका सम्मान करो। रविदास जी की वाणी दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। उनका मानना है कि ब्राह्मण कैसे पूज्यनीय हो सकता है जब प्रत्येक मनुष्य एक ही तरह से जन्मता है और एक ही तरह से उसका निर्माण होता है।[6]

दलित आंदोलन के दौरान बबाल और आगजली व तोड़-फोड़ करने वालों पर राज्य सरकार ने प्रदेश में 125 से अधिक केस दर्ज किये हैं और वहीं पर 650 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब उन पर मुकदमा विडियो व सीसीटीवी और फोटो के जरिए उपद्रवियों को तलास रही है। डीआईजी ने बताया कि सोमवार को हुए प्रदर्शनों में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर सहित सभी पश्चिमी जिलों को अधिक प्रभावित हुए हैं। इन सभी जिलों को स्थानीय पुलिस व इंटेलीजेंस व पी.आर.वी. को अधिक सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। अगर कहीं पर कुछ आपत्तिजनक और भड़काऊ संदेश मिले तो उस पर तत्कालीन कार्यवाही की जावे।[7]

दलितों की 104 बीघा जमीन को कब्जे में लेने के बाद प्रशासन ने सपा सांसद आजम खाँ को झटका दिया गया है प्रशासन ने जौहर युनिवर्सिटी में शामिल 26 दलित किसानों की जमीन वापिस दिलाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस कार्यवाही में पहले दिन बीस किसानों को तकरीबन 18 बीघा जमीन वापिस दिलाने का काम किया है। और प्रशासन व पुलिस

अफसरों के साथ मिलकर दलित किसानों को कब्जा दिलवाती रही। राजस्व परिषद ने दलितों की जमीन को वापिस देने के आदेश के बाद जौहर युनिवर्सिटी पहूँचकर जहाँ 104 जमीन को कब्जे में लेने के कवायद की थी। आलियागंज के उन किसानों की जमीन को वापिस दिलाया गया जिन्होंने सपा सांसद आजम खाँ ने अपनी युनिवर्सिटी के लिये अपने कब्जे में ले लिया। एस.डी.एम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी और साहबाद के एस.डी.एम. प्रवीण कुमार समेत अन्य अफसर जौहर युनिवर्सीटी पहुँचे और वहाँ पर आलियागंज के दलित किसानों को बुलाया गया और आलियागंज के किसानों को आदेश दिया गया कि अपने कागजों के मुताबिक अपने खेतों को अपने कब्जे में ले लिया जाय इसी उपरान्त युनिवर्सिटी के वाईस चांसलर सुल्तान मुहम्मद खाँ भी अपने कागजातों के साथ यहाँ पहुँच गये और उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भी दिखाई।[8]

संशोधन कानून के बहाने दलित राजधानी आगरा में एक साथ कई निशाने साधने से भी नहीं चुके और उन्होंने सी.ए.ए. के बहाने अपने दलित कार्ड खोले और भविष्य की रणनीति बनाते हुए राजनीति की ओर ईशारा किया। दलितों की राजधानी कही जाने वाली आगरा में भाजपा अध्यक्ष ने सी.ए.ए. को स्पष्ट करते हुए कहा कि विरोधी दलों जो खासकर बसपा की ओर ईशारा करते हुए कहा कि इस बात को दलित नेता भी समझ नहीं पा रहे हैं। भारत में आने वाले सबसे ज्यादा दलित ही हैं। 2022 का हवाला देते हुए विधान सभा चुनावों को अभी से ही दलितों से सेंधमारी करने के लिए उन्होंने कहा कि दलितों को अब समझ लेना चाहिए और उनका बूरा-भला चाहने वाला और कौन है। भाजपा अध्यक्ष ने साफ ईशारा था कि उन्हें गुमराह कर रहे हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो दलितों का भला करना चाहती है।[9]

दलित अंग्रेजी शब्द डिप्रेस्ड का हिन्दी अनुवाद है। डिप्रेस्ट क्लास की जनगणना 1911 में की गई थी। जिन्हें वर्तमान में अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाता है। दलित का अर्थ है पिड़ीत, शोषित, कमजोर, दबा हुआ, खण्डित, कुचला हुआ आदि अनुसूचित जाति को दलित कहा जाता है। शब्द पूर्ण रूप से जाती विशेष के लिये इस्तेमाल किया जाता है। उन सभी शोषित जातियों के सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता है हिन्दु धर्मशास्त्रों द्वारा हिन्दु समाज व्यवस्था में सबसे नीचले पायदान पर स्थित है। और बौद्ध ग्रंथ में पाँचवे पायदान पर है। संवैधानिक भाषा में इन्हें ही अनुसूचित जाति कहा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत जनसंख्या में लगभग 16.6 प्रतिशत या 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है। अधिकांश हिन्दु दलित बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए हैं और बौद्ध बनने से उनका विकास हुआ है।[10]

सामाजिक न्याय की आवश्यकता –भारतीय संविधान में सभी नागरिको को समानता और स्वतंत्रता के साथ जीने के अधिकार दिए है। चाहें वह व्यक्ति किसी भी धर्म अथवा जाति से सम्बन्धित क्यों नहीं। भारतीय संविधान के लिए भारत के सभी धर्म समान है यह एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है तथा हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बोद्ध, जैन और पारसी आदि सभी धर्मो का समान रूप में आदर करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के लिए ब्राहमण, क्षेत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि सभी जाति के लोग एक समान होते है।

समाज में ऊँच-नीच और जाति पाँति का भेदभाव बडता जाता है। शूद्रो को ब्राहमणों क्षेत्रीयों और वैश्यों के समकक्ष कभी नहीं समझा जाता है समाज में दलितो के प्रति समता का भाव रखना, उन्हें मानवोचित सम्मान देना ही सच्चा सामाजिक न्याय है। पुत्र को पुत्री से महत्व देना, घर में सास द्वारा बहू की उपेक्षा सामाजिक असमानता ही भेद भाव को जन्म देती है ऐसी ही भेदभाव दलित लोग आज सह रहे है। भारत में दलितो को सामाजिक न्याय मिलेगा तभी उनके जीवन का उद्धार और रूप से विकास हो सकेगा। हम दलितो और ब्राहमणों को, मुसलमानो को और सिक्ख, पारसी, ईसाई, आदि।[11]

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1 सुरेंद्र सोलंकी (2002) उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पब्लिसिंग 2/11ए, स्वदशी बीमा नगर पृष्ठ सं0 11,13,17
2 http://www.//govtexamsuccess.com24 april 2018
3 http://www.bharat.gov.in/knowindiast-uttarpradesh.php
4 पी.डी मैथ्यू (2000) अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति पर अत्याचार के विरूद्ध रोकथाम व दंड, भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली पृ.स 1-2
5 दयाराम - (2014) क्रान्ति युगपुरूष रविदास जीवन और मिशन प्रकाशन D.K. खापेर्ड ममोरियल ट्रस्ट 15-डी/203, कल्पनक इस्टेट, अँन्टॉप हिल मुम्बई - पृष्ठ संख्या48
6 पेज नं. 49 वही
7. हिन्दुस्तान संवाददाता-04 अप्रेल 2018 लखनऊ
8. प्रेम प्रकाश तिवारी एस डी एम सदर, रामपुर 24 जनवरी 2020
9. मुख्य संवाददाता आगरा 24 जनवरी 2020, हिन्दुस्तान
10. ज्ञान कोष विकिपीडिया से Jump to Navigation jump to search
11 दलित संघर्ष डॉ.पवित्र कुमार शर्मा (2011)प्रकाशन ऐवरेस्ट पब्लिशिग कंपनी आत्माराम विल्डिगं,1362 कश्मीरी गेट दिल्ली 110006 पृष्ठ संख्या 76-77

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

प्रभा खेतान के उपन्यासों में स्त्री का प्रतिरोधी स्वर

डॉ. बबीता यादव *

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) नवसंवत् विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – स्त्री सशक्तिकरण का पहला आयाम है आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान। प्रभा खेतान ने भारतीय स्त्री के नजरिए में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया है। आज स्त्री समाज द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं को नकार रही है अकेली स्त्री दूसरी स्त्री के जरिए यह साबित करती है कि भूमिकाओं से परे स्त्री का अस्तित्व हो सकता है प्रभा खेतान के उपन्यासों में स्त्री का प्रतिरोधी स्वर मुखरित हो उठा है। प्रभा खेतान ने अपनी रचनाओं में जहां एक और स्त्री जीवन की विभिन्न समस्याओं को उठाया है वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने उपन्यासों में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था की बीच स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार के लिए संघर्षरत विविध चरित्रों को गढ़ा है। यह स्त्री पात्र जहां एक ओर पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था की सड़ी गली मान्यताओं को मानने से इंकार कर रही है वहीं दूसरी ओर अपने लिए एक अलग राह बनाने की ओर अग्रसर है। स्त्री चरित्रों की दृष्टि से छिन्नमस्ता एक सशक्त उपन्यास है। प्रभा जी का स्त्री विमर्श संबंधी दृष्टिकोण और विचारधारा इस उपन्यास में खुलकर सामने आया है। **''छिन्नमस्ता प्रिया''** इसकी नायिका प्रिया मध्यमवर्गीय स्त्री जीवन का प्रतिनिधि है प्रिया एक ऐसी नारी का आख्यान है जो निरंतर शोषित है समाज की जर्जर मान्यताओं से भी और पुरुष की आदिम भूख से भी, टूट जाने की हद तक। लेकिन वह टूटती नहीं है बल्कि शोषक शक्तियों के लिए चुनौती बनकर एक नई राह पर चल पड़ती है और यहां से आरंभ होती है उसकी बाहरी और आंतरिक यात्राओं के संघर्ष का अटूट सिलसिला। लेकिन उसके सामने एक लक्ष्य है समाज की जिन बर्बर शक्तियों के सामने एक दिन मेमने की तरह मिमियाती रही। वे देखें कि नारी सदा ही निरीह नहीं रहेगी। विवाह के बाद प्रिया का पति एक मर्द बनकर उसके पास आता है उसकी वहशीभूख के कारण प्रिया को अपने औरतपन से चिढ़ हो जाती है। अत: उसने अपने औरतपन की चुनौती को स्वीकार किया और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र पहचान बनाने में लग गई जो उसके औरतपन को उससे अलग कर सके।उसने एक व्यक्ति के रूप में,एक इंसान के रूप में अपना वजूद बनाया। वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा प्रदत और परिवार द्वारा अनुकूल भूमिका की सीमाओं को तोड़कर, नकारकर परिवार और समाज तथा व्यवस्था से बाहर अपनी पहचान बनाती है अपना अस्तित्व, अपने होने को प्रतिस्थापित करती है। बिना किसी मर्द के सहयोग के। **नीना** छिन्नमस्ता की दूसरी स्त्री चरित्र है नीना। जो स्त्री विमर्श के आधुनिक कड़ी को रेखांकित करता है। यह एक अलग चरित्र है इसकी समाज में स्थिति द्वदंपूर्ण है क्योंकि वह बिन ब्याही मां की बेटी है। जिसे समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जा सकता है पितृसत्तात्मक सोच को वह अपनी व्यवस्था या मजबूरी नहीं बनी देती है वह अपनी अलग स्वतंत्र पहचान कायम करती है वह पितृसत्तात्मक सोच के जाल को छिन्न–भिन्न करती है।

जूड़ी फिलिप की पत्नी है जूड़ी एक सुलझे हुए विचारों वाली संतुलित स्त्री है जिसका जीवन और संबंधों का आधार एकदम स्पष्ट है। स्त्रीयों पर पूर्व एवं पश्चिमी सभ्यता के परिवेश और भिन्न विचारधाराओं का जो आरोप लगाया जाता है, भारतीय स्त्री विमर्श में ढीवार और यौन स्वच्छंदता के लक्षण को पश्चिम का असर प्रभाव बताया जाता है जुड़ी ऐसी चरित्र है जो यह बताता है कि औरत हर जगह औरत है और उसे औरत होने के नाते लगभग एक से दुखों को भोगना पड़ता है।

पीली आंधी –पीली आंधी उपन्यास में कई तरह की स्त्री चरित्र है। यह स्त्री चरित्र मारवाड़ी समाज की सामंती सोच के बीच अपने चरित्रों का विकास करते हैं। प्रभा जी का लक्ष्य स्त्री के प्रत्येक पक्ष को सामने लाना है, अत: राधा से लेकर पद्मावती, सोमा जैसे चरित्रों का सृजन किया है। जहां एक और आत्मपीड़ा से ग्रसित स्त्री है तो, दूसरी और अपनी जमीन की तलाश में मुक्त स्त्री है। **सोमा** के रूप में स्त्री समाज के बंधनों को नकार चुकी है। वह अपने लिए कदम बढ़ाना सीख गई है, इस तरह के परिवेश में स्त्री की अस्मिता की तलाश और उसकी व्यक्तिगत पहचान को स्थापित करने का प्रयास ही प्रभा जी के नारी विमर्श का लक्ष्य है।

सोमा समाज में स्त्री निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती उसकी इस व्यवस्था को सोमा बदलना चाहती है उसके अनुसार कितनी सहजता से स्त्री खासकर विधवा स्त्री अपनी स्थिति को स्वीकार लेती है उसके अंदर की व्यथा इस बात को लेकर है कि ''स्त्री अपनी इस जकड़न से बाहर कब निकलेगी'' ? सोमा का अंतर्द्वंद देखिए ''व्यावहारिक बुद्धि व्यवहार के साथ सिद्धांतों का समागम असंभव। जिंदगी इससे बेतुकी नहीं हो सकती। ससुराल वालों की सोच को देखकर वह सोचती है कि इन सब की भी तो अपनी अपनी आत्मा है, मन है, बुद्धि है, अहंकार की अलग–अलग प्रतिक्रिया है, तो खुद मेरा अहम अपना अहम नहीं है क्या ? इसी अहम के संघर्ष के कारण तो हम जीवित हैं। जीवन में अहम का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मानव से व्यक्ति बनने की प्रक्रिया इसी अहम के जाग्रत होने की प्रक्रिया है।''

आओ पेपे घर चलें – आईलिन– आओ पेपे घर चलें प्रभाजी का यह उपन्यास एक अमेरिकी स्त्री के जीवन के दुर्दांत सच को अभिव्यक्त करता है। आईलिन 70 वर्ष की दूसरे देश से आई यहूदी स्त्री है।जो डॉक्टर डी.के.के क्लीनिक पर काम करती है।वह अमेरिका में रहती जरूर है पर अमेरिका को रहने लायक जगह नहीं मानती क्योंकि वहां मनुष्य के बीच के रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं

और उनमें कृत्रिमता आती जा रही है। आईलिन पूर्ण स्वाभिमान के साथ जीने वाली स्त्री है वह प्यार को बहते हुए पानी के समान स्वच्छ एवं पवित्र मानती है। वह इंसान की तरह जानवरों के प्रति भी स्नेह का भाव रखती है वह संवेदनशील है और दूसरों की पीड़ा समझती है

एलिजा –एलिजा एक सुंदर और संवेदनशील स्त्री एवं डॉक्टर है और अपने पति जो कि स्वंय एक डॉक्टर हैं,को अत्यधिक प्यार करती है एलिजा पतिव्रत को निभाने वाली स्त्री व प्रेम को आत्मिक अनुभूति मानती है और शरीर को गौण मानती है। वह पति का प्यार पाना चाहती है। पुरुष प्रधान समाज चाहे जितना भी विकसित हो जाए स्त्री की स्थिति को हमेशा दोयम दर्जे की ही मानता है। उपन्यास के अंत तक वह यह समझ जाती है और अपनी पति की इच्छा अनुसार उस को तलाक दे देती है क्योंकि वह समझ जाती है कि अनावश्यक रूप से किसी को बांधकर रखा नहीं जा सकता।

अमेरिकी समाज में आधुनिक स्त्री के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई। इस उपन्यास में सभी स्त्री चरित्र टूटते बिखरते परिवारों के बीच अपने अस्तित्व को बचाए रखने का पुरजोर प्रयास करते हैं। यह वर्ग एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है जहां से जरा सी चूक मैं जीवन जला कर राख कर सकता है। **अपने अपने चेहरे** इस उपन्यास में प्रभाजी ने भारतीय समाज में अनमेल विवाह के माध्यम से विवाह संस्था के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है राजेंद्र गोयनका का विवाह सरला से होना उनके लिए बेमेल था इस विचित्र स्थिति में रमा उनके बच्चों की अध्यापिका बन कर आई थी गोयनका उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके उनके बीच इंसानियत का रिश्ता बनने लगा इस तरह बेमेल विवाह के बिखरने और नए संबंध बनने की कथा है अपने अपने चेहरे।

निष्कर्ष – प्रभा जी ने भारतीय साहित्य का जितना अध्ययन किया उतना ही विदेशी साहित्य को भी पढा है। उन्होंने वहां के समाज को करीब से देखा कि व्यक्ति सिर्फ वस्तु बनता जा रहा है। अर्थ और अस्तित्व के बीच खड़ी स्त्री के संबंध में उनका अनुभव संसार निरंतर विस्तारित होता गया। यह अनुभव संसार ही उनके स्त्री विमर्श संबंधी विस्तृत लेखन के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ समाज मैं अपना अस्तित्व स्थापित करने की ललक और मारवाड़ी समाज को कुछ कर दिखाने का संकल्प भी कि, औरत भी कुछ कर सकती है– व्यापार कर सकती है, पैसे कमा सकती है । बस यही वजह रही। समाज की दोगली नीति जो नारी को जकड़े हुए थे प्रभा ने उस नीति को नकार दिया और पुरुष के बराबर अपना अस्तित्व स्वीकार करवाया। प्रभा जब विदेशों में गई तो देखा कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी नारी की स्थिति जटिल है। नारी का स्थान विदेशों में भी कमजोर नजर आया पितृसत्ता व्यवस्था में कोई स्त्री संबल होकर ऊपर उठे य आसान नहीं। समाज चारों तरफ से दीवारें चुनकर उसके रास्ते रोकना चाहता है मगर पानी जब बहने की ठान लेता है तो ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच वो अपना रास्ता बना ही लेता है। प्रभा ने हर चुनौती को स्वीकारा और निर्मल जल की तरह आगे बढ़ती चली गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. प्रभा खेतान, आओ पेपे घर चलें, 87
2. प्रभा खेतान, छिन्नमस्ता, 55–70
3. प्रभा खेतान, पीली आंधी, 45–60
4. प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, 80–102
5. अरविंद जैन,औरत अस्तित्व एवं अस्मिता, 56

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Ethnomedicinal Plant's Used for the Treatment of various disorders in Ganj Basoda tehsil of Vidisha District of Madhya Pradesh

Dr. Sarita Ghanghat *

*Asstistant Professor & HOD (Botany) Govt. Sanjay Gandhi Smriti P.G. College, Ganj Basoda, Distt. Vidisha (M.P.) INDIA

Abstract - In India, the main traditional systems of medicine include Ayurveda, Unani and Siddha. The traditional healers provide considerable information about the use of many plants or plant parts as medicine. The present study deals with an ethano-botanical research work to collect the information on the uses of the medicinal plants for the treatments of variours disorders like cough, cold and fever by the rurals of ganjbasoda tehsil, Vidisha district in the Madhya Pradesh. The rurals of this area have the authentic information about the medicinal values of plants. They have been using different plant parts like roots, stem, bark, leaves, bulbs, and rhizomes, fruits seeds in the form of juice, paste, powder, infusion, and decoction and in crude form. The indigenous knowledge of local traditional healers about the native plants used for medicinal purposes was collected by personal interviews during the field visits. In the present investigation, 25 plant species, belonging to different 21 families used by the rural area people, tribal and rural, Hakims, Local Vaidya,etc in the treatments of various disorders are documented.
Keywords- Ethno-medicinal,Tribals,Vidishadistrict,tehsil,Traditional,Treatment.

Introduction - Medicinal plants are main ingredients of local medicine and are of vital importance in traditional healthcare. Villagers have a good knowledge about these plants since ancient times. Atharvaveda is oldest word literature on the plants used against several diseases. Moreover, there are considerable economic benefits in the development of medicine and in the use of medicinal plants for treatment of various diseases. For centuries plants have been an important source of drugs. In India medicinal plants have long been used to treat different kinds of disease. Today there is an increasing desire to unravel the role of ethno-medicinal studies in trapping the centuries old traditional flok knowledge as well as in searching new plant resources of food, drug etc.(jain,1987,1991).People living in the developing countries rely quite effectively on traditional medicine for primary health care (Sullivan and shealy 1997;singh,2002). Indian tradition medicine is based on different system such as Ayurveda , Siddha and Unani used by various communities (Gadgil,1996).Vidisha district is one of the most important and centrally located district of M.P. The total area of the district is about 7,433sq K.M. which lies between 23º21'and 24º22'N latitude and 77º15.30'and 78º18'E longitude forming eastern part of Malwa region. The forest cover is about two fifth of the total area in the district.(fig.1) Vidisha district is inhabited by tribals like Shariya, Bhil, Meena .The area is very rich in indigenous ethno-medicines.

MATERIAL AND METHODS -The study was conducted in the rural area of Vidisha district in Madhya Pradesh. The survey was conducted to collect the information local people specially tribes in Vidisha district. The information about plants was gathered during filed visit by contacting and interviewing traditional healers and other rural people, Vaidyas, Hakims for treatment. The ethno-botanical study was conducted in 2006-2007 extensive field trips were organized for collecting the plant species and data using an integrated approach of botanical collection, group discussion, interviews and questionnaires .Help of local medical practitioners was also taken . plants were identified by referring to Flora of Bhopal by Oommachan (1977) and Flora of M.P. from wikipedia .

Fig.1 (see in nextpage)

Enumeration- In the following enumeration, plant names have been arranged alphabetically in diseasewise. (Table-1)

Result and Discussion- The plant parts used for medical preparation were bark, flowers, rhizomes, root, leaves, seeds, and whole plants ,The paper present a brief account of the uses of various ethno-medicinal plants parts against the diseases, like skin diseases , jaundice,cough, cold

,toothache,scurvy, piles, bronchitis, diabetes, asthma, blood purifier,etc diseases by the people of vidisha district

Table -1 (see in next page)

ACKNOWLEGMENT- The author express thanks to knowledgeable Persons who co- operated in sharing their knowledge at the time of study.

References:-

1. Gudgil ,M ; 1996 Documentriy diversity : An experiment curr.ci ; 70 (1) : 36
2. Ghanghat,Sarita and Sahu, Brajesh (2006) Medicinal climbers of Vidisha District. I.J.Applied Life Science.,Vol 1,no 1,pp 24-25.
3. Ghanghat,Sarita (2021) Ethnomedicinal plants as immunobooster. Pahale pahal Prakashn Publishers , Bhopal, India. ISBN 978-93-92212-95-6
4. Jain. s. k. 1987. A manual of Ethnobotany. Scientific Publishers, JodhpurIndia.ISBN 8185046603.
5. Jain, s. k., 1991 Dictionary of Indian Flok medicine and Ethnobotany.Deep publication, New Delhi. ISBN : 8185622000.
6. Jain,S.K.(1995): Ethnobotanical studies around vidisha district . Ph-D Thesis. Barkatullah University, Bhopal.
7. Panda.T,2010.preliminary study of ethnomedicinal plant used of cure different diseases in coastal district of Orissa India 1(2) :67 -71
8. Rout ,S.D. Panda,T.,Mishra,N .,(2009) Ethno medicinal plants used to cure different diseases by Tribals of Mayurbhanj district of North Orissa .
9. Sahu, S.C., Dhal,N.K and Mohanty, R.C.,(2010) "Potential Medicinal Plants used by the Tribal of Deogarh District,Orissa ,India. Ethno med,4(1):53-61.
10. Sullivan,K.and C.N.Shealy ,1997 Complete Natural Home Remedies.Element Book Limited, Shaftsbury, U.K.
11. Oommachan, M. (1977): The flora of Bhopal J.K. jain Brothers, Bhopal.

Fig.1 Map (vidisha district)

Table -1 List of Plant species used by the tribals and rural in ganjbasoda tehsil of vidisha district.

S.	Botanical Name	Family	Local Name	Parts Used	Use to Cure
1	Achyranthus aspera L.	Amaranthaceae	Chircita	Whole Plant	Used in Piles.
2	Adohatoda vasica,Nees.	Acanthaceeae	Adusa	Root,Leaves.	Fever, Juandice.
3	Aegle marmelos,Hook.f.	Rutaceae	Bel	Fruits	Diabetes, Intestinal disorder.
4	Allium cepa	Liliaceae	Piyaj	Bulb	Cough and Cold.
5	Amaranthus spinous	Amaranthaceae	Chaulai	Whole Plant	Cough .
6	Azadirachtaindica A.juss.	Meliaceae	Neem	Bark	Skindiseases.
7	Asparagus racemosus Willd.	Liliaceae	Satabar	Root	Root powder as a tonic.
8	Butea monosperma Lam.	Fabaceae	Palas	Seed	SeedCure Asthma powder is Used.
9	Cassia fistula, Linn.	Cacelpiniaceae	Amaltas	Fruit, Leaf.	BloodPurifier, Cough.
10	Cinnamomum zeylanium	Lauraceae	Dalchini	Stem, Bark.	Cough, Cold
11	Coriander sativum	Apiaceae	Dhaniya	Leaves	Fever.
12	Cuscuta reflex,Roxb.	Convolvulaceace	Amarbel	Stem	Hair Problem,Juindice.
13	Euphorbiahirta, Linn.	Euphorbiaceae	Dudhi	Leaves	Leaves juice in fever.
14	Helicters isora, Lan.	Sterculiaceae	Marorphali	Bark ,Pod,Root.	Stomach ache,cuts, dysentery.
15	Madhuca longifolia	Sapotaceae	Mahua	Leaf, Flower	Toothache, Cough,
16	Moringa olefera ,Lamk.	Fabaceae	Sehajana	Roots, Leaves.	Scurvy
17	Oscimum sanctum	Lamiaceae	Tulsi	Root,Stem, Leaves.	Cough,Cold .
18	Oxalis corriculata	Oxalidaceae	Khatibuti	Leaves	Stomach ache.
19	Piper nigrum	Piperaceae	Kalimirchi	Seed	Cough, Cold
20	Rauvolfia serpentine, L.kurz.	Apocynaceae	Sarpagandha	Leaves	stomach pain.
21	Ricinus communis	Euphorbiaceae	Arandi	Leaves,Seed oil.	Skin disease .
22	Solanum nigrum	Solanaceae	Makoy	Whole Plant	Cough
23	Syzygium cumini, L.	Myrtaceae	Jamun	Seed	dibities problems.
24	Tinospora cordifolia, Miers.	Menispermaceae	Giloy	Stem, Leaves	Cough, cold, Fever.
25	Terminalia chebula, Retz.	Combretaceae	Harra	Seed	Seed paste is applied on plies to stop bleeding.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या- एक अध्ययन

डॉ. राम सिंह पटेल*

* सहायक प्रध्यापक, पंडित मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, सागर रोड़, छत्तरपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – दहेज प्रथा जिस विकृत रूप में आज है, उस रूप में वह हिन्दू समाज के इतिहास में कभी नहीं रही हैं। वैदिककाल, स्मृतिकाल में भी दहेज का रूप था, लेंकिन इतना भयानक नहीं। रामायण, महाभारत काल में भी दहेज का उल्लेख एक स्वस्थ परम्परा के रूप में मिलता है पहले दहेज में इच्छा थी बाध्यता नहीं, लेंकिन आज दहेज में बाध्यता आ गयी है। मुस्लिम शासन काल में दहेज का रूप विकृत हुआ, जिसके कारण समाज में अनेक विसंगतियों का जन्म हो गया है।

फेयर चाइल्ड के अनुसार:- ''दहेज वह धन या सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता-पिता या अन्य निकट सम्बन्धियों द्वारा दिया जाता है।''

मेक्स रेडिन के अनुसार:- ''साधारण दहेज वह सम्पत्ति है जो एक पुरूष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है''।

चार्ल्स के अनुसार:- ''वे बहुमूल्य वस्तुयें जो कन्या-पक्ष के माता-पिता या संबंधी कन्या के विवाह के लिये प्रदान करें।''

दहेज समस्या, इस तरह देश में निरन्तर बनी हुई है। यह एक नृशंस और बर्बर अपराध है। सामान्यत: यह अपराध घर के भीतर ही किया जाता है, जो यह छाप डालता है कि वह आत्मघाती मृत्यु थी। ''स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, यौवनावस्था में पति के और पति के मरने पर वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए अलग से न कोई यज्ञ है, न व्रत और न उपवास। वे अपने पति की पूजा करने मात्र से स्वर्ग में पूजी जाएंगी। परलोक की इच्छा रखने वाली स्त्री को अपने पति के अलावा परपुरूष का नाम तक नहीं लेना चाहिए। स्त्री का मन स्वभाव से ही चंचल होता है, इसलिए पुरूषों को यत्नपूर्वक स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। दहेज मृत्यु की दिन प्रतिदिन बढ़ती घटनाओं ने शासन की नींद उड़ा दी। जिससे संसद समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु तथा उन पर अत्याचार करने वालों को दण्डित करने के लिए विधान अधिनियमित करती रही है। वर्ष 1961 में दहेज लेने अथवा देने को प्रतिशिद्ध करने हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961(1961 का अधि. सं.28) पारित किया गया। भारतीय दंड संहिता में दाण्डिक विधि द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1983(1983 का 46) भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के रूप में एक नया अपराध सृजित करते हुए दाण्डिक प्रावधन की रचना की गई। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174, में भी विवाह के सात वर्ष की अवधि में घटित स्त्री की आत्महत्या या मृत्यु के मामले में शव परीक्षा को आज्ञापक बनाने हेतु संशोधन किया गया। महिलाओं के प्रति निर्दयता एवं दहेज-मृत्यु आज एक आम बात हो गई है। विवाह के पश्चात् महिलाओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार एवं दुष्प्रेरण की घटनायें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

दहेज निषेध अधिनियम बनने के बाद भी जब ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आई है तो विधायिका को और अधिक कठोर कानून बनाने के लिए विवश होना पड़ा। दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 1986 द्वारा दहेज संबंधी अपराधों में परिवर्तन किए गए। भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या के नए अपराध को सृजित करने वाली नवीन धारा 304ख तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा को समर्थ बनाने वाली एक नई धारा 113क को जोड़ा गया। जिससे दहेज न देने पर बहुओं को जलने से बचाया जा सके तथा इस सामाजिक बुराई को समूल नष्ट किया जा सके जो कि गति पकड़ती जा रही है।

प्राचीनकाल से ही स्त्रीयाँ अपनी ममता, करूणा, निष्ठा, एवं सेवाभावना से अपने परिवारजनों के प्रति समर्पित रहती आई हैं। उसके सौन्दर्य, त्याग, समर्पण एवं उसकी स्थिति को अपना विषय बनाकर अनेक विद्वानो एवं इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ लिखें हैं, परन्तु दहेज समस्या और दहेज-मृत्यु जिसे जड़ से उखाड़ने के लिये प्रत्येक समाज सुधारक, चिंतक, विधिवेत्ता, विधि अन्वेषक प्रयत्नशील है उस पर अभी तक बहुत कम लिखा गया है प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण किया गया। इस शोध प्रबंध को पूरा करने के लिए शोधार्थी उन सभी विद्वानो एवं इतिहासकारों की कृतियों से कुछ न कुछ लाभ उठाया है, जिन्होने दहेज-मृत्यु के संबंध में उससे पहले कुछ न कुछ लिखा है, परन्तु यह शोध प्रबन्ध उन ग्रंथो में प्राप्त तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है। अपने शोध में निर्देशक महोदया की सहायता से मूलग्रंथों का अध्ययन करके शोधार्थी ने अपनें विनम्र प्रयास से अनेक नये तथ्यों एवं सन्दर्भो को एकत्र किया है और उनका विश्लेषण एवं समायोजन करते हुए पहली बार इस विषय पर विस्तार से कुछ लिखने का प्रयास किया है, अत: यह शोध-प्रबंध अपने विषय पर लिखा गया एक प्रमाणिक एवं मौलिक ग्रन्थ है। खेद का विषय है कि विवाह इतनी महत्वपूर्ण संस्था को केवल एक मनोंरंजनात्मक विषय के रूप में देखा जाता है अथवा इसका संबंध पूर्णतया: यौन से मानकर इसके बारे में कोई विचार विमर्श करना भी कभी-कभी अनैतिक मान लिया जाता है। यह प्रवृत्ति प्रगतिशील विचारों के सामने एक बड़ी बाधा है। सामाजिक अध्ययनों में अनेक संस्थाओं और समितियों का अध्ययन करते समय हमें कभी-कभी यह ध्यान नहीं रहता कि विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो न केवल परिवार निर्माण

करती है बल्कि जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में एक विशेष सामाजिक स्थिति भी प्राप्त होती है।

विवाह-संस्था एक सर्वव्यापी और सार्वभौमिक संस्था है, जो सभी समाजों में विद्यमान है। सभ्य और असभ्य तथा आदिम और अद्यतन जैसे समाज में विवाह संस्था प्रत्येक काल और प्रत्येक समाज में रही है, चाहे उसके स्वरूप जो भी रहें हो मनुष्य की यौन और सन्तानोत्पत्ति की मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि विवाह के माध्यम से ही संभव रही है। वंश, कुल और परिवार की निरन्तरता विवाह संस्था से ही बनी रही है तथा जीवन के विविध पक्ष उससे अनुप्रमाणित होते रहें है सही अर्थो में विवाह परिवार का प्रधान आधार रहा है,जिससे संतान की उत्पत्ति के साथ-साथ उसका विकासक्रम भी अभिव्यक्त होता है। केवल यौन-संतुष्टि ही विवाह संस्था का आधार नहीं थी बल्कि इसका सामाजिक आधार भी रहा है। पाश्चात्य लेखकों ने हिन्दू विवाह-संस्था को केवल यौन संतुष्टि और सन्तानोत्पत्ति का आधार माना है, जो एक एकांगी विचार है तथा हिन्दू विवाह-संस्था को न समझ सकने का लक्षण है। अगर देखा जाए तो हिन्दू विवाह-संस्था में धार्मिक विश्वास, स्थायित्व और सामाजिकता इसकी प्रधान विशेषताएँ हैं।

हिन्दू समाज में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप विवाह संस्था को उपयोगी और प्रधान संस्था के रूप में निर्मित किया गया। यह एक विधि का बंधन नहीं है बल्कि धार्मिक बंधन है, जिसे तोड़ना हिन्दू सामाजिक मूल्यो के विरूद्ध कार्य करना है। इसे संविदा न मानकर संस्कार माना गया जिसका उद्देश्य उन विभिन्न पुरूषार्थो को पूरा करना है, जिनकी प्राप्ति में पति और पत्नी दोनो का सहयोग होता है गृहस्थ जीवन का प्रारम्भ ही विवाह से माना गया है। विवाहोपरान्त ही मनुष्य जीवन के विस्तृत क्षेत्र में पदार्पण करता है। परिवार और वंश का उन्नयन इसी के माध्यम से होता है। इसके अन्तर्गत स्त्री-पुरूष का मात्र यौन संबंध ही नहीं आता बल्कि उनकी धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएँ भी आती है, जिनके माध्यम से मनुष्य का विकास होता हैं सही रूप में परिवार का विकास और समाज का संयोजन इसी पर आधारित है। प्रत्येक समय समाज ने विवाह की आवश्यकता स्वीकार की है तथा इसे सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत स्वरूप प्रदान करने का सतत् प्रयत्न किया है। पति-पत्नी कालान्तर में माता-पिता के रूप में अग्रसरित हुए और एक सभ्य समाज के निर्माण में उन्होंने अपना सक्रिय योग दिया। वस्तुत: संतान की उत्पत्ति, उनकी देख रेख और लालन पालन, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सदाचार का अनुगमन एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना विवाह के आधार पर होती है। हिन्दू धर्मशास्त्रों में विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया है, जिसमें धर्म का स्थान प्रधान है, सामाजिकता और वैधानिकता का कम।

हिन्दू समाज में विवाह मात्र शारीरिक संबंध का प्रयोजन न बनकर संतानोत्पत्ति का धर्मगत आधार बना। यज्ञ, होम, मन्त्र, पाठ, देवताओं का आव्हान तथा वेदमन्त्रो के साथ वैवाहिक क्रिया सम्पन्न करना हिन्दू विवाह संस्कार के प्रधान अंग है। इस धार्मिक आधार ने विवाह को अत्यंत पवित्र और उदार स्वरूप प्रदान किया। देवताओं का आव्हान करके वर और वधु का वैवाहिक बंधन अत्याधिक पवित्र, अटल,अविच्छेय और गम्भीर माना गया है। हिन्दू समाज में कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के सम्पन्न नहीं होता। इसलिए वह ''धर्मपत्नी'' अथवा ''सहधर्मिणी'' भी कही जाती है। मनु के अनुसार केवल पुरुष (पूर्ण) होता है, ऐसा ब्रांह्मण कहते हैं। जो पति है, वही स्त्री है। गृह की शोभा और सम्पन्नता स्त्री से मानी जाती है। स्त्री, से परिवार बनता है, बढ़ता है, अत: विवाह गृहस्थ जीवन का मूल है और सभी आश्रम गृहस्थ जीवन पर निर्भर करते है। पुरुष और स्त्री के व्यक्तिगत विकास, वंश का उत्थान तथा कुटुम्ब का संयोजन विवाह से संभाव्य है। विवाह ही स्त्री और पुरुष की पूर्णता तथा उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक अभिव्यंजना का आधार है।

कुछ समाजों में विवाह का स्वरूप धार्मिक होता है जबकि कुछ संस्कृतियों में विवाह को एक संविदा के रूप में देखा जाता है। कुछ पश्चिमी समाजों में विवाह मित्रता का एक सुविधा पूर्ण समझौता है, जबकि अनेक आदिम समूहों में विवाह को एक आर्थिक संस्था तक मान लिया जाता है, क्योंकि उनके यहां स्त्री को ही सम्पत्ति के रूप में देखा जाता है। इसके पश्चात् भी यह ध्यान रखना चाहिये कि विस्तृत रूप में विवाह एक ऐसी संस्था है जो सभी समाजो में स्त्री और पुरूष को यौनिक संबंधो की नियमबद्ध पूर्ति करने की अनुमति प्रदान करती है और समाज की निरन्तरता को बनाएँ रखने का प्रयास करती है। अनेक विद्वानों ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि विवाह प्रत्येक स्थिति में मित्रता का सुविधापूर्ण साधन है और कुछ बहुत पिछड़े समाजों में विवाह को इस प्रकार का बंधन माना जाता है, लेकिन यह विचार न तो बौद्धिक आधार पर उचित है और न ही विभिन्न समाजों के अध्ययन से इसे अधिक उपयोगी प्रमाणित किया जा सका है। जब हम यह मानते है कि प्रत्येक संस्था तुलनात्मक रूप से स्थाई होती है, तब विवाह जैसी संस्था को एक अस्थाई संबंध कहा जा सकता है। जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, हमारे यहाँ विवाह जीवन भर का सांस्कृतिक बंधन है जिससे हिन्दू सामाजिक मूल्यों के अनुसार किसी स्थिति में जोड़ना उचित समझा जाता है। हमारे समाज में विवाह का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है, जबकि यौन संतुष्टि को इसमें बहुत गौण स्थान दिया गया है।

भारतीय संस्कृति में दहेज की अवधारणा बहुत प्राचीन है। वैदिक युग में जब कन्या का विवाह किया जाता था तो उसे नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों के साथ विदा किया जाता था। ब्राह्मण विवाह इसी के अंतर्गत आता है जिसमें वधू को अनेक तरह के अलंकारों के साथ पति के घर भेजा जाता था। तद्युगीन राजपरिवार की बहुएँ अपने साथ दहेज में सौ गायें लेकर वर के घर जाती थीं। सूर्या को उसके पिता ने जो दहेज प्रदान किया था वह उसके ससुराल पहुँचने के पहले ही वहाँ पहुँच गया था। ऐसा लगता है कि वधू के साथ वस्तुएँ भी ससुराल वालों को प्रदान की जाती थीं। कुन्ती, द्रोपती और सुभद्रा आदि को विवाह में अनेक प्रकार की वस्तुएँ दहेज में दी गई थीं। अनेक प्रकार के इत्र, आभूषण, घोड़े, हाथीं आदि दहेज में दिये जाते थे यह प्रथा निरंतर बढ़ती गई और समाज में इस प्रकार घर कर गई कि इसका रूक पाना असंभव हो गया। बौद्ध साहित्य में भी दहेज के अनेकानेक उदाहरण हैं। विशाखा के पिता ने दहेज में अपार धन प्रदान किया। राजा अज को अपनी पत्नी इंदुमति के यहाँ से बहुत धन प्राप्त हुआ था।

प्राय: कन्या ''मंगलकर्ता'' होकर दान की जाती थी। साहित्यक कृतियों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण है जब कन्या पक्ष की ओर वर को धन सम्पत्ति प्रदान की जाती थी। आधुनिक युग में आकर दहेज प्रथा एक प्रकार की रूढ़ि हो गई जो समाज में इतनी प्रभावशाली बन गई कि इसके बिना कन्या का विवाह हो पाना कठिन हो गया।

प्राचीन काल की दहेज प्रथा और आधुनिक काल की दहेज प्रथा में मुख्य अंतर यह है कि उस समय कन्या को स्वेच्छापूर्वक प्रेम से दहेज दिया

जाता था जिसमें वर पक्ष द्वारा कोई अनुचित दबाव नहीं दिया जाता था जबकि वर्तमान दहेज प्रणाली में वर पक्ष से दहेज के लिये अनुचित दबाव दिया जाता है। दहेज की इसी अवधारणा को वर्तमान समय में सामाजिक आर्थिक अपराध माना गया है जिस पर प्रतिबंध लगाना राज्य का कर्तव्य है। इस उद्देश्य से सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 पारित किया है जिसके अंतर्गत दहेज लेना और देना अपराध माना गया है।

मानव जाति में विवाह के धार्मिक और पवित्र अवधारणा के साथ दहेज की संकल्पना संपूर्ण विश्व में दिखाई देती है। विवाह का मुख्य उद्देश्य स्त्री–पुरूष का आपस में ऐसा समागम है जो आपस में मिलकर भावीवंश परंपरा को कायम रखने हेतु योग्य संतान की उत्पत्ति के लिए माध्यम हो। परंतु इसके विकास में अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं, जिनमें दहेज तथा दहेज मृत्यु मुख्य है। दहेज के जीवाणु सम्पूर्ण विश्व में प्रमुख रूप से भारतीय समाज में फैलकर सामाजिक वातावरण को दूषित कर रहे हैं।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 – भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची के क्रमांक 5 पर ''विवाह और विवाह विच्छेद'' को रखा गया है। अनुच्छेद 254 के अंतर्गत इस विषय पर विधि बनाने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य सरकार को है। परन्तु केन्द्र तथा राज्य द्वारा निर्मित विधि में विरोधाभास होने पर केन्द्रीय विधि राज्य पर अभिभावी होती है। दहेज समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम 1953 में भारतीय संसद में प्रस्ताव लाया गया था। उस समय इस विषय पर अधिनियम बनाये जाने की आवश्यकता न होने के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित किया गया था। परन्तु इस ओर पुन: भारतीय संसद का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके फलस्वरूप 9 मई 1961 को संसद के दोनो सदनो ने इस अधिनियम को पारित कर दिया, जिसे 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में सन् 1984 में संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा संशोधन किया गया है।

''दहेज''[1] शब्द को परिभाषित किया गया है:''दहेज का तात्पर्य कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में (अ) विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया है अथवा दिये जाने के लिये सहमति प्रदान की गई है।'' (ब) विवाह के किसी पक्षकार के माता–पिता द्वारा या दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा जो विवाह के समय विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात प्रतिफल के रूप में दिया जाता है परन्तु इसमें मुस्लिम वैयक्तिक विधि के अन्तर्गत दिये जाने वाला ''मेहर'' धन सम्मिलित नहीं है। अधिनियम की धारा 3 (1) कहती है कि दहेज का लेना अथवा देना अपराध है। धारा 2 और 3 का सामूहिक प्रभाव यह है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अगर अभियोजन पक्ष सम्पत्ति के देने और लेने की सहमति को प्रभावित करता है तो चाहे भले ही दहेज का लेन–देन न हुआ हो, तब भी अपराधी को दंडित किया जवेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज से पीड़ित पक्षकार न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत कर सकता है।

इस प्रकार अधिनियम एक ओर अभियोजन की कार्यवाही को रोककर अधिनियम के उद्देश्य को कम करता है। अगर अभियोजन पक्ष केवल दहेज की माँग को प्रभावित करता है परन्तु दहेज लेने की स्वीकृति प्रभावित नहीं होती है तो विधि की दृष्टि में यह दहेज लेने का अपराध नहीं माना जायेगा। उपर्युक्त उपकल्पना के संबंध में पटना उच्च न्यायालय के दो प्रमुख निर्णयों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है **इन्दरसेन बनाम बिहार राज्य** तथा **काशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य** में पटना उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि दहेज की माँग करना मात्र इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का सृजन नहीं करता है। जब तक कि यह सिद्ध न हो जाये कि दहेज लेने वाली पार्टी ने दहेज देने की सहमति दे दी है।

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 बनाया। इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों को अपराध घोषित किया गया है। 1984 और 1986 के संशोधन उपरांत दहेज हेतु 5 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रूपये जुर्माना का तथा विवाह के समय वर–वधू सूची रखनें का नियम बनाया गया। दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 1983, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन धारा 304(ख), दहेज मृत्यु, धारा 498(क) में पति या उसके नातेदार विवाह के 7 वर्ष के अंदर सामान्य से अन्यथा दहेज मागें, क्रूरता पूर्ण व्यवहार से मृत्यु, सात वर्ष या आजीवन कारावास का दण्ड तथा जानबूझकर स्त्री को आत्महत्या और स्त्री नातेदार को सम्पत्ति मूल्यवान प्रतिभूति के लिये तंग करने पर तीन वर्ष के दण्ड का प्रावधान किया। इसके उपरांत भी दहेज रूपी दानव समाप्त नहीं हुआ। सामाजिक संगठनों ने भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाये मगर वे कामयाब नहीं हो सके।

समाज में ज्यादा वर्ण व्यवस्था, बाल–विवाह के प्रचलन तथा विधवा विवाह पर रोक ने सती प्रथा के अपराध को जन्म दिया। समाज सुधारकों तथा विद्वानों ने इसे समाप्त किये जाने के लिये आंदोलन प्रारंभ किये, फलत: अंग्रेजी शासन काल में अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप 1929 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया, जिसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से किसी विधवा को सती होने में सहायता करने को अपराध बनाया। इसके पश्चात् भी क्षेत्रीय एवं जातिगत आधारों पर कभी स्वेच्छिक एवं कभी मजबूरीव। ये अपराध समाज में व्याप्त रहे। 1987 में सती निवारण अधिनियम द्वारा सती होने, उसकी मृत्यु में सहायता तथा महिमा मंडित करने को अपराध बताया गया। फिर भी स्वर्ग प्राप्ति के प्रलोभन, पारिवारिक सम्मान, पति की सम्पत्ति में हिस्सा समाप्त किये जाने वाले आमानुष कृत्य पर रोक लगानी चाहिये, जिससे दिवराला जैसे काण्ड न दुहराये जायें।

भारतीय दण्ड विधि के अन्तर्गत चोरी, लूट, धोखाधड़ी, बल प्रयोग, घोर उपहति, हत्या आदि अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान है। पूर्व में दहेज जैसे अपराध को रोकने के लिए कोई प्रावधान भारतीय दण्ड विधि में नहीं था। वर्ष 1960 में विधायका ने भारतीय दण्ड संहिता 1960 में दहेज संबंधी अपराधों के रोकथाम एवं निवारण हेतु धारा 304'बी' जोडा है। देश में दहेज प्रथा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 1961 में भारतीय संसद ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 पारित किया है। जिसके अन्तर्गत दहेज लेना,देना अथवा मांगना या दहेज का दुष्प्रेरण करना आदि अपराध माना गया है, तथा ऐसे अपराध के लिये कारावास या जुर्माना या दोनो दिये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम द्वारा विवाहित स्त्रियों पर होने बाले क्रूरतापूर्ण कृत्य को रोका गया है। श्री रेड्डी ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि दहेज से संबंधित अपराध आंशिक रूप से प्रसंज्ञेय अपराध होते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के अन्तर्गत ऐसे अपराधों के प्रसंज्ञान पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा स्वंय की जानी चाहिये, परन्तु उक्त्ता धारा के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि अगर पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी का यह समाधान होता है कि अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है अथवा अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिर्पोट किसी नामजद व्यक्ति के संबंध में की गई है तो ऐसीं स्थिति में भारसाधक अधिकारी स्वयं स्थल पर जाने के लिए बाध्य नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनयम, 1961 के

अन्तर्गत किसी भी प्रकार के संसोधन अथवा परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार सक्षम है। इस सामाजिक बुराई पर नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने दो वर्ष में दो बार इस अधिनियम में संशोधन किया है। पहला संशोधन वर्ष 1984 में और दूसरा संसोधन 1986 में किया गया। दहेज जैसी बुराई से शादीशुदा स्त्रियों की रक्षा के लिए अनेक कानूनी तथा व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया गया।

उच्चतम न्यायालय ने **दौलत मानसिंह बनाम सी.आर. बंशी**[2] और **एल.बी. जाधव बनाम शंकर राव**[3] के प्रकरण में विवाह में ''प्रतिफल'' शब्द का निर्वचन उदारतापूर्वक किया है तथा यह निर्णय दिया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज की माँग से ही अपराध गठित हो जाता है चाहे उसकी स्वीकृति न हो। दहेज की माँग और स्वीकृति के इस विवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने संसोधन अधिनियम, सन् 1984 द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को संशोधित कर दिया। वर्तमान में दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन के पश्चात् (संशोधन अधिनियम, 1961, संशोधन अधिनियम, 20, सन् 1983, संशोधन अधिनियम, 63, सन् 1984, संशोधन अधिनियम, 43, सन् 1986) धारा 2 में दी गई दहेज की परिभाषा में आंशिक परिवर्तन किया गया। अब धारा में विवाह को प्रतिफल के रूप मे (As Consideration of Marriage) के स्थान पर विवाह के कथित पक्षकार के संबंध में (In connection wih the marriage of the said paties) रखा गया है। भारत वर्ष में अनेकता में एकता का सिद्धांत दिखाई देता है। भारत में पूर्व से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक अनेक रीति-रिवाज तथा प्रथायें प्रचलित हैं। किसी एक सामाजिक बुराई से देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। जैसे- किसी रोग के अनेक कारण होते हैं, परन्तु रोग की चिकित्सा किसी एक कारण के लिए की जाती है। इसी प्रकार दहेज की सामाजिक बुराई देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रथा के रूप में विकसित हुई है। केन्द्रीय विधायन (दहेज प्रतिषेध अधिनियम) रोग प्रतिरोधक के रूप में कुछ लोगों को राहत प्रदान कर सकता है परन्तु यह पूर्णरूप से रोग से उन्मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार स्थानीय समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन की अनुमति दी थी। संविधान के अनुच्छेद 259 (2) के साथ पारित अनुच्छेद 246 (ए) द्वारा बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने हेतु अधिनियम पारित किये। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, (बिहार राज्य संशोधन) 1975 के संबंध में एक कठोर अधिनियम है इसके अंतर्गत दहेज को गंभीर अपराध माना गया। इस अधिनियम ने न केवल दण्ड की मात्रा को बढ़ाया है, बल्कि अपराध को प्रसंज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किया है। वर्तमान दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत ''विवाह के संबंध में'' शब्द के अन्तर्गत विवाह में मानसिक और शारीरिक क्रूरता के अलावा अधिकार की समाप्ति और विशेषाधिकार को सम्मिलित किया गया है।

दहेज की बार-बार मॉगों के संबंध में यह मान लेना उचित होगा कि वे विवाह संबंधी विधान के अर्थान्तर्गत क्रूरता की कोटि में आती हैं।

पुलिस द्वारा लिये जाने वाले मृत्यु पूर्व बयान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही लिये जाएं और घटना-स्थल का मुआयना भी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाये।

अक्सर यह सुनने में आता है कि दोषी पक्षकार से हितबद्ध होने से पुलिस द्वारा बयान बदल दिये जाते है। इस बुराई को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि पुलिस द्वारा साक्ष्य अधिनियम धारा 174-175 में बयान लिये गये हो या धारा 161 में दोनो के अंतर्गत लिये गये बयानों की एक कॉपी संबंधित पक्षकारों को हाथो-हाथ जाए ताकि बयान बदलने की संभावना खत्म हो जाए।

यदि किसी भी प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि महिला मृत्यु जैसे संवेदनषील मामले में भी पुलिस द्वारा रिष्वत लेकर जाँच या विवेचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, तो उस पुलिस अधिकारी के विरूद्ध अत्यन्त ही कठोर कार्यवाही आवश्यक है, ताकि आगे कई ऐसे गंभीर मामले में इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने की हिम्मत न कर सके।

ससुराल में किसी लड़की की मृत्यु होने पर यह अनिवार्य कर दिया जाय कि उसके माता-पिता या पीहर पक्ष की उपस्थिति में ही उसका शव परीक्षण एवं दाह-कर्म किया जाये, अन्यथा ससुराल के लोग डॉक्टर को रिष्वत देकर मनचाही शव-परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर सकते है।

भारत में विधवा पुर्नविवाह की व्यवस्था की जाये एवं तलाकषुदा विधवा स्त्रियों के आवास तथा नौकारी की व्यवस्था की जाये। भारत में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए।

पति-पत्नी द्वारा विवाह की पवित्र अग्नि के समक्ष सप्तपदी के साथ ही पत्नी को पति की संपत्ति में चाहे वह पैतृक हो या स्व-अर्जित पति के समान ही बराबर का अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होनी चाहिए।

लड़की के माता-पिता के लिए यह सुझाव भी है कि अपनी पुत्री के विवाह के लिये ऐसा घर ही देखे जो उनकी हैसियत के बराबर का ही हो। पहले तो माता-पिता अपनी पुत्री के लिये बड़े से बड़ा घर व डॉक्टर इंजीनियर लड़का देखने का सपना पाल लेते है, फिर उन लोगों की माँग पूरी न कर पाने के कारण स्वयं अपमानित होते रहते है और लड़की को भी जीवन भर के लिये नर्क में ढकेल देते है। जहाँ तक कानून का सवाल है, तो कानून तो बहुत बने और आज भी बनते जा रहे है, पर अत्याचार, अन्याय, शोषण व उत्पीड़न रोकने का एक मात्र हथियार है, यह सोचना नामसझी है। जब कि सामाजिक चेतना व जागरूकता उत्पन्न न की जायेगी, ये समस्याएँ इसी प्रकार चलती रहेगी। मूल आपराधिक विधि पर विचार करें तो स्थिति यह है कि यदि ऐसी विधि में कोई कमी पाई जाती है तो उमकी पूर्ति केवल एक नए अपराध के स्रजन से की जा सकती है। ऐसा करने से पूर्व, बुद्धिमान विधि निर्माता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनेक पहलुओं पर जिनके अंतर्गत आचारणास्व के अर्थभेद, निरन्तर बदलता रहने वाला जनमत, विधि को लागू करने की आवश्यकताएं तथा व्यवहारिक वास्तविकताएं भी हैं, विचार करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, गोपालकृष्ण - समाजशास्त्र नवम् संस्करण, 1977 आगरा बुक स्टोर, पुचकुइया, आगरा
2. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ - भारतीय समाज व संस्कृति, नवम् संस्करण, 1992, विवेक प्रकाशन, 7, यू.ए.जवाहरनगर, दिल्ली
3. तिवारी, डी.के.- दहेज विधि, प्रथम संस्करण 2001, एलिया ला एजेन्सी, महात्मा गाँधी मार्ग इलाहाबाद, 211001
4. अवस्थी, शैलेन्द्र कुमार- भारतीय दण्ड संहिता, भाग-2, प्रथम संस्ककरण 1995, अशोका ला हाउत्स इलाहाबाद

5. पांडेय, राजेन्द्र – भारत की संस्कृति व इतिहास प्रथम संस्करण, 1967
6. डॉ. केसरी यू.पी.डी. – हिन्दू विधि, 17 वॉं संस्करण 1994, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 30–डी/1, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद–2
7. उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका
8. करेन्ट क्रिमिनल जजमेन्ट्स
9. जजमेन्ट एण्ड लॉ टुडे
10. मध्य प्रदेश वीकली नोटस्
11. अपराध निर्णय जर्नल (उच्चतम न्यायालय) (द्विभाशी)

Footnote:-

1. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2
2. 1980 Cri.L.J.1171
3. 1983 AIR 1219,1983 SCR [3]762

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

बैगा जनजाति में विवाह परम्परा: एक अवलोकन (मंडला जिले के संदर्भ में)

डॉ. ज्योति सिंह *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर, जिला-मण्डला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय समाज के विशेष समूहों को जनजातीय रूप में वर्गीकृत करने की परम्परा 19वीं सदी में अंग्रेज शासकों द्वारा प्रारंभ की गयी। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे समूहों के लिये पूर्व में एक से अधिक लोकप्रिय सम्बोधन शब्द प्रचलित रहे हैं:- जैसे- आदिवासी, वन्यजाति, पर्वतवासी, वनवासी, और आदिम जाति। भारत में दुर्गम स्थानों में अनेक ऐसे मानव समुदाय पाये जाते हैं जो सामाजिक सभ्यता से अलग अपनी विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान स्थापित किये हुए है। इसी विशिष्ट सामाजिक पहचान के लिए विख्यात जनजाति समाज को आदिवासी वनवासी प्राचीन जनजातियाँ आदि नामों से पुकारा जाता है। अधिकतर जनजातियां ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं, जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुंचा है। आज भी अनेक जनजातियाँ आदिम स्तर पर ही अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विशाल आकार वाला देश है भौगोलिक विशेषता के कारण यहां अनेक ऐसी जनजातियाँ निवास करती हैं जो आज भी सभ्यता से दूर हैं। अनेक जनजातियां सुदूर, जंगलों, पहाड़ों तथा पठारी क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करती है इसीलिये सभ्य समाजों से दूर हैं।

'वैरियर ऐल्विन ने अपनी पुस्तक एबोरिजिनल्स 1943 में जनजातियों के बारें में कहा कि आदिवासी भारतवर्ष के वास्तविक स्वदेशी उपज हैं, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी हैं। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक आधार और दावे हजारों वर्ष पुराने है।'

मध्यप्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें, गौंड, भील, सेहरिया, बैगा, हलावा, भरिया, कोल, बिंझवार, सउर, कोरक, अगरिया, पनिका, सौर, परधान खैरवार आदि जनजातियां प्रमुख है:- मध्यप्रदेश मे बैगा, भारिया, और सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इन जनजातियों का रहवासी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिसके विकास की विशिष्ट योजनाएँ है।

उद्देश्य- बैगा जनजाति की विवाह परम्परा को जानना।

स्रोत- द्वितीयक स्रोत, अवलोकन, अनौपारिक वार्तालाप।

बैगा जनजाति का परिचय- संसार के अन्य भागों के समान ही भारतीय जनजातियां भी अनेक प्रकार के विवाह अपनी सुविधानुसार अपने सामाजिक पर्यनुकूलन एवं सांस्कृतिक परिस्थितिकी के अनुसार करती आई है।

मानव समाज में विवाह संस्था बहुआयामी तथा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में प्रचलित रही है। इस संस्था की आवश्यकता यौन संबंधों की तृप्ति, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन-पोषण तथा वंश परम्परा को चलाने के लिये रही है। समय-समय पर भिन्न-भिन्न समाज विवाह के एक अथवा दूसरे पक्ष को अधिक महत्व देते रहे है, जनजातियों में विवाह प्रथा उतनी ही महत्वपूर्ण रही है जितनी अन्य सभ्य जातियों में। किन्तु विवाह की उपयोगिता और महत्व पृथक्-पृथक जनजातियों में पृथक होता है तथा कुछ जनजातियों में विवाह इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संपूर्ण जीवन के अन्य क्रियाकलाप विवाह पर ही आश्रित हो जाते है किसी जनजाति में विवाह की उत्कृष्ठ विधि एक विवाही प्रथा प्रचलित है तो अन्य में अपहरण विवाह अथवा राक्षस विवाह के उदाहरण भी दृष्टिगोचर होते है। कई जनजातियों में जीवन साथी चुनने के लिए युवक व युवतियों को पर्याप्त स्वतंत्रता होती है तो किसी जनजाति में घर से बाहर काम कर रही युवतियों को उठा ले जाने की परम्परा भी पाई जाती है। किन्तु बैगा समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है।

बैगा जनजाति का परिचय- मध्य भारत की आदिम जाति परिधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मण्डला, बालाघाट और जबलपुर जिलों में कई एक आदिवासी जनजातियां है इनमें एक जनजाति है 'बैगा'।

बैगा की आबादी इन जिलों के जंगलों से ढके हुये पहाड़ी इलाकों के अंदर विशेषतया ऐसे स्थानों में सिमटी हुई है जो प्राकृतिक बनावट के विचार से दुर्गम और अलग-अलग है। इनकी सर्वाधिक आबादी जिला मण्डला के दक्षिण में मेकाल के पहाड़ी सिलसिलों के अंदर है। इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के उत्तरी पूर्वी सिरे पर बैगा चक्र है, जिसको बैगा के देश में लगभग केन्द्रीय स्थान प्राप्त है।

बैगा जनजाति को मध्यप्रदेश में 'विशेष पिछड़ी जनजाति' घोषित किया गया है। सन् 1976 में देश की 76 विशेष आदिम जनजाति समुदायों में बैगाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

बैगा छोटा नागपुर की आदिम जनजाति भुईयां की मध्यप्रदेशीय शाखा है जिसे भूमिया बैगा कहा जाने लगा। सर्वप्रथम बैगाओं ने ही छोटा नागपुर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया लेकिन बाद में यह जनजाति मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, अश्पपुर, उमरियां राजनांदगांव एवं बालाघाट के दुर्गम वनों में निवास करने लगी।

बैगाओं की सात शाखायें है।

(1) भूमिया (2) बिंझवार (3) भरौतिया (4) नाहर या नरौटिया (5) भैना (6) कोड़वान (7) भुड़िया या मुरिया।

भूमिया का अर्थ होता है भूमि का स्वामी इनका यह विश्वास है कि

ईश्वर ने सबसे पहले भूमिया बैगा को ही उत्पन्न किया था तथा उनकी भूमि का स्वामी बनाया था। इस कारण वे अपने को भूमिया कहते है।

भरोतियां आज भी अपनी मौलिक अवस्था में यह उपजाति भूमिया बैगाओं से मिलती जुलती है। भरोतिया बैगा भी भूमिया जैसे ही अपनी आदिम जनजाति अवस्था में परंपरागत जीवन निर्वहन करते है।

नरोटया या नाहर अर्थात् ये बाघ को नाहर शब्द से संबोधित करते हैं जिसका मतलब है कि उनका नाम बाघ से नाहर हो गया है इसीलिये नाहर बैगा देवताओं में सबसे अधिक बाघदेव को पूजते है। अर्थात् नाहर की अत्याधिक पूजा करने के कारण इनका नाम नरोटिया या नाहर हो गया।

मुड़िया बैगा अपनी उपजातियों में अलग ही दिखाई पड़ते हैं। ये अपने आधे माथे बालों को मूडवा लेते है उसे मूड़िया बैगा कहते है। इस जनजाति के अधिकांश लोग गोंड जनजाति के लोगों के बीच निवास करती है अत: इस उपजाति का पहनना, ओढ़ना, खान-पान, रीति रिवाज आदि सब गोड़ों के समान है।

भैना उपजाति की तीन शाखायें हैं- दूध भैना, काढ भैना, एवं राय भैना। जीवन निर्वाह हेतु भैना जंगलों से बांस एवं लकड़ी लाकर बेचते है। घर में रहने वाली महिलायें व बच्चें बांस की चटाई, खुमरी, मोरया, टुकना, डलिया व जंगली घास के विभिन्न प्रकार के साज-सामान का निर्माण करते है जिससे वे अपना जीवन यापन करते है।

गोंड बेना यह भी बैगा की उपजाति है ये उपजाति बंदर एवं गौ मांस का सेवन भी करते है।

बिंझवार बैगा यह उपजाति बैगाओं की सबसे सभ्य उपजाति है बिंझवार बैगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निवास करते है।

बैगा शब्द जाति विशेष का सूचक है। बैगा अनेकार्थी शब्द है। अधिकतर ओझा और गुनिया बैगा जनजाति के होते हैं किन्तु यह भी जरूरी नहीं कि गुनिया एवं ओझा बैगा मात्र हो। बैगा जनजाति प्रारंभिक नव प्रस्तर युग की याद दिलाती है, जबकि कृषि का प्रारंभ प्रस्तर युग के अभ्युदय से जुड़ा है।

बैगा बलवान, हष्ट-पुष्ट और गठीले होते है। व गोंड की तुलना में बैगा का सिर लम्बा होता है। किन्तु कुछ बैगा चौकोर सिर वाले भी होते है। इनके बाल धने और लम्बे होते है। जिन्हें ये गांठ बांधकर एक तरफ को लटका कर रखते है।

सभ्यता के विकास औद्योगीकरण, नगरीकरण, संचार के साधनों ने बैगा जनजाति को प्रभावित किया है आज लम्बे बालों वाले बैगाओं की संख्या कम है। पहाड़ों और जंगलों के भीतरी इलाकों में रहने वाले बैगा एक तंग लंगोटी से अधिक और कुद नहीं पहनते, किन्तु शहरी आकर्षण, हिन्दुओं के करीब रहने वाले बैगा धोती कमीज, बन्डी, एवं युवा वर्ग पेंट, शर्ट, जींस पहनने लगे है। लड़कियां साड़ी एवं सलवार कमीज पहनने लगी है।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

बैगा जनजाति में विवाह संस्कार- बैगा समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। एक ही जात में विवाह वर्जित है। विवाह में गोत्र तो एक हो सकता है, लेकिन एक जात के लड़का-लड़की भाई-बहिन होते है, परंतु मामा, बुआ के लड़के-लड़की में विवाह हो जाता है। पहला रिश्ता यहीं से शुरू होता है। बैगा जनजाति में कन्या या स्त्री को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। कन्या की इच्छा का सभी आदर करते हैं। बैगा सोलह-सत्रह साल की लड़की को वयस्क मानते है। लड़की वर का चुनाव स्वयं करती है। विवाह के पूर्व कन्या की इच्छा से यौन संबंध जायज है। बैगा इस मामले में सहिष्णु और उदार है। यौन संबंध कायम होने का मतलब है कि वे एक दूसरे के जीवन साथी हो गये। बैगा युवती सामूहिक नृत्य में अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेती है। हाट-बाजारों में एक दूसरे को अच्छी तरह परख लेते है। मुखिया या दोनों के माता पिता के बीच विवाह की बातचीत शुरू होती है। बैगा जनजाति में विवाह की छह: विवाह की पद्धति प्रचलित है।

(1) मंगनी विवाह या चढ़ विवाह- इस विवाह प्रथा में लड़के के पिता गांव के कुछ सयाने व्यक्तियों को लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंचता है दो बोतल मंद (शराब) लेकर लड़का भी साथ में रहता है। आंगन में गांव के कुछ लोग भी आकर उनके साथ बैठ जाते है। अगर लड़के का पिता कहता है कि हमें प्यास लगी है तो लड़की वाले समझ जाते है कि मंगनी करने आये है, लड़के वाले दो बोतल मंद रख देते है अगर लड़की कहती है कि मंद पियो तो शादी पक्की मानी जाती है पर वह मंद पीने मना कर दे तो शादी में लड़की की अस्वीकृति मानी जाती है।

(2) चोर विवाह- बैगाओं में प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है इसे 'ले भगा' 'ले-भगी' या 'चोर विवाह' भी कहते हैं। इसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भाग जाते हैं उसके बाद किसी मित्र के हाथ से खबर भेज देते है कि इस जगह मिलेंगे तब लड़का लड़की के माता पिता उस स्थान पर पहुंच जाते है और उन्हें मनाकर अपने घर ले आते है और मुकद्दम के यहां पहुंचते है। इनके वैवाहिक कार्य में समरथ, मुकद्म, कोटवार एवं दीवान की मुख्य भूमिका होती है।

(3) उठवा विवाह- बैगा समाज में उठवा विवाह का भी प्रचलन है इसमें शादी का खर्चा लड़के पक्ष के हिस्से में आता है। इसमें लड़की के पिता, रिश्तेदार, मित्र सभी लड़के वालों के यहां पहुंचते है दोनों पक्षों की ओर से सगाई की तिथि निश्चित कर दी जाती है इसके बाद विवाह की तिथि निश्चित की जाती है तथा विवाह के रस्म चढ़ विवाह के समान संपन्न की जाती है।

(4) पैदुल विवाह- इस विवाह में लड़की अपनी इच्छा से स्वयं लड़के के घर में रात्रि के समय चुपचाप घुस जाती है वह घर के पिछवाड़े से घूसती है और लड़के के ऊपर हल्दी चावल छिड़कती है। हल्दी चावल छिड़कने का मतलब हो जाता है कि लड़की ने लड़के को विवाह के लिए चुन लिया है।

(5) लमसेना विवाह- यदि लड़के का विवाह करने में लड़के का पिता असमर्थ है तो पिता की मर्जी से लड़का लड़की के पिता घर सेवा करने के लिए रहता है। ऐसे लड़के को लमसेना या घर दामाद कहते है। लमसेना को सेवा में अपने ससुर का कृषि कार्य, जंगल से लकड़ी काटना एवं मजदूरी करनी पड़ती है। लमसेना रहने की अवधि तीन से सात वर्ष तक रहती है। लड़का पूरी निष्ठा से सेवा करता है तो लड़की का पिता एक ही वर्ष में शादी कर देता है। तीन या सात साल पूरे होने पर लड़की दामाद अपना स्वतंत्र मकान में रहने लगते है।

(6) उधरिया विवाह- इस विवाह पद्धति में लड़का-लड़की अपनी मर्जी से किसी दूर के रिश्तेदार की मदद से विवाह कर लेते है। विवाह में दोनों पक्षों के माता-पिता की स्वीकृति नहीं होती। विवाहित लड़की अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के यहां घुस जाती है। गांव के पंच इकट्ठे होते है घर में घुसी लड़की की जांच पड़ताल कर उसका देवर लड़की के ऊपर एक लोटा गरम पानी डाल देता है इसका मतलब लड़की पवित्र हो गई। दूसरे दिन पंचों को मंद पिलाई जाती है। पहला पति दूसरे पति से हर्जाना वसूल करता है जिसे दावा कहते है। इस तरह बैगा समाज में विवाह की छ: पद्धतियां प्रचलन में है।

बैगा समाज में बहु पत्नि रखने का रिवाज है। लड़की अपनी मर्जी से

दूसरा विवाह कर सकती है विधवा विवाह में घर के देवर का पहले अधिकार होता है किन्तु विधवा स्त्री किसी दूसरे के नाम का भी चूड़ी पहन सकती है। और वह दूसरा विवाह नहीं भी कर सकती है।

विवाह के रस्मों की अदायगी में ढोसियों और सवासिनों का महत्वपूर्ण स्थान है। 'ढोसी' वर व कन्या के व्यस्क पिता व चाचा होते है और सवासिनें कन्या की कुंवारी चचेरी बहने होती है। प्रारंभ से अंत तक रस्मों के लम्बे क्रम में एक दिन व एक रात का समय लग जाता है और खान पान तथा नृत्य-संगीत की महफिल से सारे गांव के अंदर एक त्यौहार जैसा वातावरण बना रहता है। सारी रात रस्मों के पश्चात विदाई का समय आ जाता है। विदा होने के पूर्व वर का पिता अपने समधी व समधिन 'वधु की दादी' ढोसी, तथा सवासिन आदि को उपहार देता है।

विवाह संस्कार- अनौपचारिक प्रत्यक्ष वार्तालाप से ज्ञात हुआ कि बैगा समुदाय में लड़की और लड़का को देखने के बाद एक परैय्या (परात) में पानी रखा जाता है और दोनों तरफ से एक-एक चावल डाला जाता है दोनों चावल मिल गये तो बात पक्की हो जाती है। दोनों पक्ष के माता-पिता घनिष्ट संबंधी मिलकर सुपाड़ी फोड़ते हैं, ये एक प्रथा है, जिससे ये हो गया कि शादी पक्की हो गई। तिथि तय कर ली जाती है कि किस दिन बारात भांवर होगा। बारात भांवर के दो दिन पहले सुबह-सुबह 5 बजे कुएं से (आखर पानी) पानी लाते हैं, वहीं पानी कलश में रखते है और उसी पानी से हल्दी भी घोलते हैं, और उसी हल्दी को वर और वधु को लगाते हैं।

कलश का एक स्थान घर के अंदर होता है वहां कलश जलाकर रख दिया जाता है उसी दिन पानी लाकर करसा गोदनी (मटका सजाना) दाने से मटका सजाते हैं। कलश सजाने के लिये धान, बीजा, गोंगचीं लाल काला दाना सजाते हैं।

मांगर माटी लाने पास के खेत में जाते है सभी करमा गाकर जाती है जिस जगह से मिट्टी लायी है वहां पूजा-पाठ करते है और वहां की मिट्टी लाते है और उस मिट्टी को जहां मंडप लगाना है वहां पर छापने है चौकोर आकार में।

मंडप के लिये घर के पुरूष सदस्य जंगल जाकर मंडप के खम्बे के लिये लकड़ी लाते है लकड़ी साल के पेड़ की लाते है फिर उसे घर के आंगन में जहां भांवर होती है वहां लगाकर गड़ाते है कुछ जामुन की लकड़ियों को पत्तों के साथ लाते है और पूरा मंडप बनाते है मंडप के नीचे जहां साल का खम्बा लगाया है वहां मांगरमाटी की मिट्टी से चारों तरफ छपाई की जाती है फिर वहां पूजा-पाठ करते है।

वर वधू को सात बार हल्दी लगाई जाती है। कोई-कोई बैगा चिकसा भी लगाते है। चिकसा में राई के दाल, राई तेल, हल्दी और चंदन रहता है।

मंडप जिस दिन होता है उस रात रिश्तेदार और बैगा समाज के लोग सारी रात नाचते हैं, करमा नाचते है नंगाड़ा टिमकी बजाते है दारू पीते हैं, फिर सब मिलकर खाना खाते है।

बारात लड़की के घर आने के पहले लड़के के रिश्तेदार में से एक लड़का लड़की के घर आता है जिसे बिशठिया कहते है-यह लड़के के पक्ष का संदेश वाहक होता है बारात आने के दो दिन पहले या बारात के एक दिन पहले आता है। लड़की के घर में जहां बारात का इंतजाम करता है वहां लिपाई सफाई का काम, खाना, पानपी की व्यवस्था करता है। बिशठिया अपने साथ चावल, दाल, दारू साथ में लाता है। पहले पांच घर लिपवाते थे अब एक घर ही लिपवाते हैं।

बारात लड़के वाले लड़की के घर में ले जाते है लड़की वाले परधोनी (स्वागत) करते है, कलश की पूजा पाठ करते है। बैगा समाज में भांवर 3 लड़की के यहां फिर वापस आकर 4 लड़के के घर में करते है। पर कुछ बैगा एक ही जगह लड़की के घर में ही सात भांवर करते है। बारात आने पर दुल्हे को घर के अंदर ले जाते है और उसका पैर धोते है। भांवर होने के बाद दूसरे दिन लड़की की विदाई कर दी जाती है। फिर लड़के के घर में पूरे सात भांवर नहीं हुये है तो बाकी के भांवर लड़के के घर में होते हैं, रिश्तेदारों का खाना दारू होती है। अगले दिन लड़की वाले चौथिया बरात लेकर लड़के के घर में आते है फिर सबकों खाना दारू खिलाते पिलाते है। और फिर दुल्हा दुल्हन को लड़की पक्ष अपने साथ लेकर आते है ताकि लड़का मंडप की एक डगाल अलग कर सकें, उसे मंडवा उजारना कहते है। एक दो दिन दुल्हा-दुल्हन रहते है, उसके बाद वो लड़के पक्ष के यहां चले जाते है या लड़के पक्ष से कोई आता है उसके बाद लड़के के घर दिवाला पूजन होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. चौरसिया, विजय (2009) प्रकृति पुत्र बैगा, द्वितीय संस्करण।
2. हसनैन, नदीम (1997) 'जनजातीय भारत' चतुर्थ संस्करण।
3. निरगुणे, बसंत (1986) 'बैगा मोनोग्राफ'।
4. निरगुणे, बसंत (2011) 'प्रकृति पुत्र बैगा'।
5. शर्मा लोचन 'जनजातीय जीवन और संस्कृति'।
6. उप्रेती, हरिश्चन्द्र (1997) 'भारतीय जनजातीयां पांचवा संशोधित'।
7. उप्रेती हरिश्चन्द्र (2002) 'भारतीय जनजातियां संरचना एवं विकास' द्वितीय संस्करण।
8. विश्वास, नरेश (2007) 'बेवर स्वराज' प्रथम संस्करण।
9. दुबे उमेश कुमार (2013) 'बैगा जनजाति विकास के नवीन आयाम' द्वितीय संस्करण।
10. बैगा विकास अभिकरण परियोजना 2011-12 मंडला।
11. जिला सांख्यिकी पुस्तिका मंडला।
12. श्रीवास्तव ए.आर.एन. (2012) 'जनजातीय संस्कृति' द्वितीय संस्करण।

तालिका 1 : मंडला जिले में बैगा जनजाति जनसंख्या

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्रामों की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	बैगा परिवार की संख्या	पुरूष जनसंख्या	महिला जनसंख्या	कुल बैगा जनसंख्या
1.	मंडला	34	29	950	2115	2238	4353
2.	नैनपुर	06	04	105	216	217	433
3.	घुघरी	49	37	1072	2351	2362	4713
4.	बिछिया	45	30	1383	2812	2813	5625
5.	मवई	24	17	590	1406	1396	2802
6.	मोहगांव	37	26	1209	2417	2405	4822
7.	निवास	7	7	395	855	889	1744
8.	नारायणगंज	31	24	779	1558	1680	3238
9.	बीजाडांडी	15	14	523	1109	1121	2230
	योग	248	188	7006	14839	15121	29960

स्रोत – बैगा विकास प्राधिकरण मण्डला

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

लखनऊ शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन

मीता श्रीवास्तव* डॉ. मंजु दुबे **

*शोधार्थी (गृह विज्ञान) शा.क.रा.क. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शा.क.रा.क. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जॉन डयूबी के अनुसार – 'विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों को कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो।'[1] फ्रोबेल ने 'विद्यालय को बच्चों का उद्यान कहा है। जिस तरह से बाग में माली पेड़ पौधों की खुदाई, निराई तथा सिंचाई करके उनको उत्तम फल-फूल देने के लिए तैयार करता है उसी भांति शिक्षक को बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक आदि के विकास के लिए उनका पालन पोषण करना चाहिए।'[2] विद्यालय विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण प्रदान करता है। यहीं विद्यार्थियों में नेतृत्व शीलता, निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना सीखते हैं। वे व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आजीवन आजीविका की समस्या हल करना सीखते हैं। वे विद्यालय में सामाजिक, राजनैतिक, रचनात्मक, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। समाज सेवा देश भक्ति सहयोग एवं सहकारिता के गुणों का विकास बच्चों में विद्यालयीन प्रशिक्षण से ही होता है फिर वे चाहे विद्यालय शासकीय हों या अशासकीय। विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण, ज्ञान व कौशल किस स्तर का हो पाता है? यह उनमें उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्यापन हेतु कक्ष, फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण, मैदान, पुस्तकालय का भंडार, वहां की संवातन व्यवस्था, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, कैंटीन, वहां के शिक्षकों, लिपिकों, भृत्यों आदि की पर्याप्त आपूर्ति उस विद्यालय विशेष के संसाधनों की उपलब्धता के अंतर्गत आते हैं।

'विद्यालय सरस्वती का पान मंदिर है जिसमें विद्यार्थी एवं शिक्षक 8 से 10 घंटे का समय प्रतिदिन व्यतीत करते हैं। आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के अनुसार कक्ष, फर्नीचर एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, कार्यालय, ग्रंथालय, खेलकूद कक्ष एवं मैदान, संगीत कक्ष एवं शिक्षण सामग्री, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउटिंग आदि के लिए भी पृथक-पृथक कक्ष होते हैं। विद्यालय में गर्ल्स कॉमन रूम, स्टाफ रूम, कैंटीन, ऑडीटोरियम तथा पार्किंग आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। उसके साथ-साथ स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था, शुद्ध वातावरण, पर्याप्त संवातन एवं प्रकाश व्यवस्था विद्यालय में होने के साथ-साथ बालक बालिकाओं, कार्यालय कार्यकर्ताओं, अध्यापक, अध्यापिकाओं एवं प्राचार्य के लिए पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था होना भी अत्यावश्यक है। विद्यालय में प्राचार्य के अलावा दो से चार तक कार्यालयीन सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों की उपलब्धता विद्यालय की कक्षाओं एवं कार्यभार के अनुसार पर्याप्त होना चाहिए। विद्यालय में पर्याप्त शिक्षण सामग्री होने के साथ-साथ पूरे कैंपस व क्लास रूम में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगे होने चाहिए।'

विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग वहां के प्राचार्य, शिक्षक, कार्यालयीन कर्मचारियों के साथ-साथ विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों पर भी निर्भर करता है। प्राचार्य अपनी कुशल प्रबंधकीय क्षमताओं से सीमित संसाधनों में भी बेहतर व्यवस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। विद्यालय में शिक्षक अपने विषय के ज्ञान को पूर्ण आत्मविश्वास से निष्पक्षतापूर्वक, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में, वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, पूर्ण लगन व धैर्य के साथ, आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, प्रभावशाली व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए, अपने व्यवहार से नवीन शिक्षण पद्धतियों द्वारा जब विद्यार्थियों का शिक्षण करते हैं, उनके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं तब वे सीमित संसाधनों में भी असीमित ज्ञान के भंडार का हस्तांतरण विद्यार्थियों में कर लेते हैं। लखनऊ शहर के विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मैंने अपने **शोध का विषय** – 'लखनऊ शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन' चुना है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु कक्ष व्यवस्थापन का अध्ययन करना।
2. कक्षा में प्रकाश एवं संवातन व्यवस्था का अध्ययन करना।
3. कैंटीन एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था का अध्ययन करना।
4. शौचालय की व्यवस्था का अध्ययन करना।
5. साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं स्काउट आदि अन्य गतिविधियों संबंधी संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – शोध अध्यन हेतु लखनऊ शहर के 14 शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों का दैव निदर्शन विधि से चयन किया गया। विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता ज्ञात करने के लिए निरीक्षण एवं साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया तत्पश्चात प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं

विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण - एकत्रित समंकों को तालिका क्रमांक एक में वर्गीकृत किया गया है-

तालिका क्रमांक 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक 1 में लखनऊ शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता के समंक प्रदर्शित किये गये हैं। तालिका दर्शाती है कि 14.28% शासकीय विद्यालयों में प्राचार्य कक्ष की उपलब्धता संतोषजनक तथा 21.42% में असंतोषजनक है। अशासकीय विद्यालयों में संतोषजनक प्राचार्य कक्ष 35.75% तथा असंतोषजनक 28.57% है। 21.42% शासकीय विद्यालयों में स्टाफ रूम की उपलब्धता संतोषजनक तथा 14.28% में आशांकि रूप से संतोषजनक है जबकि 50% अशासकीय विद्यालयों में स्टाफ रूम संतोषजनक तथा 14.28% में आंशिक रूप से संतोषजनक पाया गया है। 28.57% शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कक्ष पर्याप्त हैं। केवल 7.14% विद्यालयों में आंशिक रूप से पर्याप्त हैं जबकि 64.28% शासकीय विद्यालयों में कक्ष पर्याप्त हैं। 7.14% शासकीय विद्यालयों में प्रयोगशालायें पर्याप्त 21.42% में आंशिक रूप से पर्याप्त तथा 7.14% में अपर्याप्त हैं। 35.71% अशासकीय विद्यालयों में प्रयोगशालायें पर्याप्त, 21.42% में आंशिक रूप से पर्याप्त तथा 7.14% में अपर्याप्त है। 7.14% शासकीय विद्यालयों में पुस्तकालय के लिये स्थान पर्याप्त, 21.42% में आंशिक पर्याप्त है। जबकि 35.71% अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकालय के लिये स्थान पर्याप्त व 28.57% में आंशिक रूप से पर्याप्त है। 7.14% विद्यालयों में प्रांगण की उपलब्धता पर्याप्त, 21.42% में आंशिक पर्याप्त तथा 7.14% में अपर्याप्त है जबकि 21.42% अशासकीय विद्यालयों में प्रांगण की उपलब्धता पर्याप्त, 35.71% में आंशिक पर्याप्त तथा 7.14% में अपर्याप्त है। 28.57% शासकीय विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता आंशिक संतोषजनक तथा 7.14% में असंतोषजनक पाई गई है जबकि 21.42% अशासकीय विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता संतोषजनक, 28.57% में आंशिक संतोषनक तथा 14.28% में अंतोषजनक पाई गई है। 14.28% शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा 21.42% में आंशिक रूप से उपलब्ध है जबकि अशासकीय विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता 57.14% पर्याप्त तथा 7.14% में आंशिक रूप से उपलब्ध है। 7.14% शासकीय विद्यालयों में पंखे पर्याप्त, 21.42% में आंशिक पर्याप्त तथा 7.14% में अपर्याप्त है जबकि 64.28% अशासकीय विद्यालयों में पंखे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। 7.14% शासकीय विद्यालयों में शिक्षण सामग्री पर्याप्त, 21.42% में आंशिक रूप से पर्याप्त तथा 7.14% में अपर्याप्त पाई गई है जबकि 64.28% विद्यालयों में शिक्षण सामग्री पर्याप्त पाई गई है। 7.14% शासकीय विद्यालयों में उपकरण पर्याप्त तथा 28.57% में अपर्याप्त हैं जबकि 35.71% अशासकीय विद्यालयों में उपकरण पर्याप्त तथा 28.57% में आंशिक रूप से उपलब्ध हैं। 7.14% शासकीय विद्यालयों में पुस्तकें पर्याप्त, 21.42% में आंशिक पर्याप्त तथा 7.14% में अपर्याप्त हैं जबकि 35.71% अशासकीय विद्यालय में पुस्तकें पर्याप्त, 28.57% में आंशिक रूप से उपलब्ध हैं। 7.14% शासकीय विलायों में खेलकूद सामग्री की उपलब्धता पर्याप्त, 21.42% में आंशिक पर्याप्त तथा 7.14% में अपर्याप्त है जबकि 21.42% में अशासकीय विद्यालयों में खेलकूद सामग्री पर्याप्त, 28.57% में आंशिक पर्याप्त तथा 14.28% में अपर्याप्त है। 28.57% शासकीय विद्यालयों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था आंशिक रूप से संतोषजनक तथा 7.14% में असंतोषजनक है जबकि 28.57% अशासकीय विद्यालयों में संतोषजनक तथा 35.71% में आंशिक संतोषजनक है। 28.57% शासकीय विद्यालयों में पर्याप्त प्रकाश आता है। 7.14% में प्रकाश की आंशिक पूर्ति हो पाती है जबकि 42.85% अशासकीय विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आता है तथा 21.42% में आंशिक तौर पर प्रकाश आता है। 28.57% में शासकीय विद्यालयों में संवातन व्यवस्था पर्याप्त, 7.14% में आंशिक पर्याप्त है जबकि 50.0% अशासकीय विद्यालयों में पर्याप्त है तथा 14.28% में आंशिक रूप से संवातन होता है। 35.71% शासकीय विद्यालयों में स्टाफ उपलब्ध है जबकि 50% अशासकीय विद्यालयों में स्टाफ पर्याप्त तथा 14.28% में आंशिक रूप से उपलब्ध है।

निष्कर्ष - लखनऊ शहर के विद्यालयों में प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, अध्यापन कक्ष एवं प्रांगण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। विद्यालयों में फर्नीचर, पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री व खेलकूद सामग्री पर्याप्त अथवा आंशिक रूप से पर्याप्त है।

किंतु कुछ विद्यालयों की प्रयोगशालाओं में उपकरण अपर्याप्त हैं तथा शौचालय व शुद्ध पेयजल व्यवस्था एवं स्वच्छता संतोषजनक नहीं है।

सुझाव:

1. विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।
2. विद्यालयों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता है।
3. विद्यालयों में साफ सफाई रखने पर बल दिया जाना चाहिये।
4. प्रयोगशालाओं में उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पारुल एस. एवं दुबे एम. 'अभिभावकों के शैक्षिक स्तर का बालकों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन (कानपुर नगर के विशेष संदर्भ में' अप्रकाशित शोध प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर पृष्ठ क्र-18.
2. त्यागी जी. एवं नन्द वी, 'उदीयमान भारत में शिक्षा' विनोद पुस्तक मंदिर आगरा - 2, 2011, पृष्ठ क्र. 74.
3. पारुल एस. एवं दुबे एम. ———वही पृष्ठ क्र-19.

तालिका क्रमांक 1: शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता

उपलब्धता	शासकीय विद्यालय		अशासकीय विद्यालय		योग	
	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.
1. प्राचार्य कक्ष						
संतोषजनक	2	14.28	5	35.71	7	50.00
आंशिक संतोषजनक	3	21.42	4	28.57	7	50.00
असंतोषजनक	-	-	-	-	-	-
योग	5	35.71	9	64.28	114	100.0

2. स्टाफ रूम						
संतोषजनक	3	21.42	7	50.00	10	71.42
आंशिक संतोषजनक	2	14.28	2	14.28	04	28.57
असंतोषजनक	–	–	–	–	–	–
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
3. अध्यापन कक्ष						
पर्याप्त	4	28.57	9	64.28	13	92.85
आंशिक पर्याप्त	1	7.14	–	–	01	07.14
अपर्याप्त	–	–	–	–	–	–
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
4. प्रयोगशालायें						
पर्याप्त	1	7.14	5	35.71	6	42.85
आंशिक पर्याप्त	3	21.42	3	21.42	6	42.85
अपर्याप्त	1	7.14	1	7.14	2	14.28
योग	5	25.71	9	64.28	14	100.00
5. पुस्तकालय						
पर्याप्त	1	7.14	5	35.71	6	42.85
आंशिक पर्याप्त	3	21.42	4	28.57	7	50.00
अपर्याप्त	–	–	1	7.14	01	7.14
योग	4	28.57	9	64.28	14	100.00
6. प्रांगण						
पर्याप्त	1	7.14	3	21.42	4	23.57
आंशिक पर्याप्त	3	21.42	5	35.71	8	57.14
अपर्याप्त	1	7.14	1	7.14	2	14.28
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
7. शौचालय						
संतोषजनक	–	–	3	21.42	3	21.42
आंशिक संतोषजनक	4	28.57	4	28.57	8	57.14
असंतोषजनक	1	7.14	2	14.28	3	21.42
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
8. फर्नीचर						
पर्याप्त	2	14.28	8	57.14	10	71.42
आंशिक पर्याप्त	3	21.42	1	7.14	4	28.57
अपर्याप्त	–	–	–	–	–	–
योग	5	353.71	9	643.28	14	100.00
9. पंखों की उपलब्धता						
पर्याप्त	1	7.14	9	64.28	10	71.42
आंशिक पर्याप्त	3	21.42	–	–	3	21.42
अपर्याप्त	1	7.14	–	–	1	7.14
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
10. शिक्षण सामग्री						
पर्याप्त	1	7.14	9	64.28	10	71.42
आंशिक पर्याप्त	3	21.42	–	–	3	21.42
अपर्याप्त	1	7.14	–	–	1	7.14
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.0

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

11. उपकरण						
पर्याप्त	1	7.14	5	35.71	6	42.85
आंशिक पर्याप्त	–	–	4	28.57	4	28.57
अपर्याप्त	4	28.57	–	–	4	28.57
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
12. पुस्तकें						
पर्याप्त	1	7.14	5	35.71	6	42.85
आंशिक पर्याप्त	3	21.42	4	28.57	7	50.00
अपर्याप्त	1	7.14	–	–	1	7.14
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
13. खेलकूद सामग्री						
पर्याप्त	1	7.14	3	21.42	4	28.57
आंशिक पर्याप्त	3	21.42	4	28.57	7	50.00
अपर्याप्त	1	7.14	2	14.28	3	21.42
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
14. शुद्ध पेयजल						
संतोषजनक	–	–	4	28.57	4	28.57
आंशिक संतोषजनक	4	28.57	5	35.71	9	64.28
असंतोषजनक	1	7.14	–	–	1	7.14
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
15. प्रकाश						
पर्याप्त	4	28.57	6	42.85	10	71.42
आंशिक पर्याप्त	1	7.14	3	21.42	4	28.57
अपर्याप्त	–	–	–	–	–	–
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
16. संवातन						
पर्याप्त	4	28.57	7	50.00	11	78.57
आंशिक पर्याप्त	1	7.14	2	14.28	3	21.42
अपर्याप्त	–		–	–	–	–
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
17. विद्यालय में स्वच्छता						
संतोषजनक	1	7.14	4	28.57	5	35.71
आंशिक संतोषजनक	3	21.42	5	55.71	8	57.14
असंतोषजनक	1	7.14	–	–	1	7.14
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00
18. स्टाफ						
पर्याप्त	5	35.71	7	50.00	12	85.71
आंशिक पर्याप्त	–	–	2	14.28	02	14.28
अपर्याप्त	–	–	–	–	–	–
योग	5	35.71	9	64.28	14	100.00

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारतीय संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन

कपिल जाटव *

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में लोकसभा एवं विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में होने वाले निर्वाचन में राजनीतिक दलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा सकती है। यह वृद्धि नागरिक विकास या लोकतंत्र के संवर्धन के लिए ना होते हुए स्वयं की राजनीति की ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है क्योंकि नवीन गठित दलों में क्षेत्रीयता का गुण दिखाई देता है। सबसे अधिक दल क्षेत्रिय स्तर पर ही गठित होते है और इन दलों के निर्माण का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक होता है लेकिन यह दल जनाधार को प्रभावित करते हैं और किसी भी दल को स्पष्ट सरकार बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जिससे जनादेश खंडित होता है और गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। यह गठबंधन सरकार वैचारिक मतभेदों एवं एकात्मक निर्णय न लेने के कारण नागरिकों के विकास में अपनी पूर्ण भागीदारी नहीं निभा पाती है।

शब्द कुंजी – राजनीतिक दल, चुनाव, क्षेत्रीयता, संविधान, उम्मीद्वार।

प्रस्तावना – राजनीतिक दल पंजीकृत लोगों का संगठित समूह होता है जिसके अन्तर्गत लोग एक ही विचारधारा या विचार में विश्वास रखते हैं, साथ ही वह समूह, एक ही दृष्टिकोण को अपनाते हैं और उसे ही आत्मसात करते हैं। यह दल चुनावों में अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तत्पश्चात् दलों द्वारा घोषणा–पत्र में की गई घोषणाओं को पूर्ण करवाने का प्रयास करते हैं। 'अनिवार्य रूप से, दल ऐसे लोगों के समूह का सूचक है जिनके कुछ समान राजनीतिक विश्वास होते हैं, जो दल के प्रत्याशियों की सहायता करने को तैयार होते हैं, चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए साथ–साथ काम करते हैं तथा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते हैं और उसे बनाये रखते है।'[1] विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की स्थिति भिन्न–भिन्न होती है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था, स्वरूप, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति भी दलों की बनावट एवं सिद्धांतों तथा लक्ष्यों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक दलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक दल प्रत्येक देश की सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण तथा सत्ता का उपभोग करनेवाले आकांक्षियों का प्रतिनिधित्व एवं मार्गदर्शन करते हैं। यह दल मूलत: विरोधियों के प्रति रणनीतिक कार्य करने, उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से परास्त करने एवं स्वयं के संगठन को मजबूत करने, जनमानस में अपनी उपस्थिति एवं स्वच्छ छवि का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दल केवल राजनीतिक उद्देश्यों के कार्य न करते हुए सामाजिक संरचना एवं गतिशीलता में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 'राजनीतिक दल समाज कल्याण के कार्यो को भी सम्पन्न करते हैं, अकाल, सूखा, महामारी, दंगो आदि के दिनों में शिविर चलाना, सहायता पहुँचाना इत्यादि।'[2] यह समाज व्यवस्था के लक्ष्यों, परिवर्तनों, गति अवरोधकों, सामाजिक आन्दोलनों से भी संबंधित होते हैं। 'सत्तारूढ़ व्यक्तियों की शक्ति पर नियंत्रण रखते हुए समाज की सुव्यवस्था हेतु योग्य एवं उत्तरदायी शासकों का निर्माण तथा चयन करना भी राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य है। अत: ये जनमत के द्वारा शासन और राजनीति को प्रभावित करते हैं।'[3] लेकिन वर्तमान में राजनीतिक दल अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। अब राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य देश या नागरिकों का विकास न होते हुए स्वयं का विकास रह गया है। विभिन्न चुनावों में दलों की अप्रत्याशित भीड़ बढ़ती जा रही है जिससे जनादेश खंडित हो रहा है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन भी नहीं हो पा रहा है इसलिए राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में विश्लेषण की चर्चा करना आवश्यक है।

संबंधित साहित्य की समीक्षा

1. **पॉल आर. ब्रॉस** (1990)[4] ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया हैं। उनकी प्रमुख कृति 'द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया: सिंस इंडिपेंडेंस' में बताया है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत ही विकट परिस्थिति में थी। साथ ही उसे अनेक आंतरिक विभिन्नता युक्त समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। ब्रॉस ने भारतीय संविधान के समक्ष आने वाली अनेक समस्याओं को भी दृष्टिगोचर किया हैं, जिनसे यहां आभास होता है कि भारत की एकता और अखण्डता कहीं ना कहीं खंडित हो रही हैं।
2. **डी.डी. बसु** (1990)[5] संविधान के बहुत अच्छे विश्लेषक माने जाते हैं। उन्होंने संविधान को लेकर अनेक रचनाएं की हैं। उनकी महत्वपूर्ण कृति 'भारत का संविधान' में उन्होंने बताया हैं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली वह होती हैं जिसमें लोक कल्याण की भावना की अभिवृद्धि के साथ–साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रवृत्ति भी होती हैं। निश्चित रूप से संविधान की भावना है कि देश और उसके नागरिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए तत्पर रहेंगे साथ ही नागरिकों में समानता एवं

भाईचारे की भावना प्रज्वलित होगी।

3. वीरेंद्र ग्रोवर (1990)[6] ने अपनी पुस्तक 'पॉलीटिकल सिस्टम इन इंडिया' में स्पष्ट किया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप स्वतंत्रताकाल के पश्चात् परिवर्तनशील रहा है। केवल 1965 तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एकदलीय स्वरूप के रूप में रही। उसके पश्चात् इसका स्वरूप द्वी-दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ा। समय के साथ भारत में अन्य दलों ने भी उत्तरोत्तर उन्नति की, जिनमें जनसंघ, हिंदू महासभा, कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया आदि प्रमुख थे। भारत में इन दलों का प्रदर्शन कांग्रेस के समक्ष नगण्य था, लेकिन समय के साथ ही दलों के प्रदर्शन में सुधार भी हुआ।

4. शिवचंद्र झा (1990)[7] ने भारतीय दल व्यवस्था को स्वार्थ की राजनीति के रूप में ज्यादा वर्णित किया है। उनका मानना है कि विचारधाराओं का विपरीत ध्रुवीकरण हो रहा है। प्रत्येक पार्टी चुनाव जीतने की दृष्टि से विचार करने वाली पार्टी हो गई है। वे अपनी नीतियों तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्थिति का निर्धारण चुनावी लाभ की दृष्टि से करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर तो वे इसके लिए आदर्शों का परित्याग भी कर देते हैं। दल-बदल की रणनीति इन दलों के लिए बहुत ही छोटी बात हो गई है। सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य दलों के लिए प्रथम लक्ष्य बन चुका है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें अगर एक दल छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता भी लेना पड़े तो वे पीछे नहीं हटते हैं। दलों के द्वारा सत्ता प्राप्त करने के खेल में अनेक दलों का निर्माण तथा अनेक दलों का विघटन होता रहता है।

5. एस.एन. सदाशिवन (1977)[8] ने अपनी पुस्तक 'पार्टी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया' में बताया कि भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप एक निश्चित समय के पश्चात् बदलता रहा है। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं, जिनसे इसका स्वरूप परिवर्तनकारी रहा। भारतीय कारकों के आधार पर ही इसकी दिशा का निर्धारण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की छवि भारतीय नागरिकों के स्मृति पटल पर गहराई से छपी है। इसका लाभ कांग्रेस एवं उसमें कार्य करनेवालों ने सदैव उठाया। अन्य दलों की स्थिति गौण रहने का कारण कांग्रेस का विशाल स्वरूप है। भारतीय नागरिकों के साथ कांग्रेस की नज़दीकियां ज्यादा है इसलिए सत्ता प्राप्त करने में कांग्रेस को ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ा। ऐसे अनेक गंभीर चिंतन उक्त पुस्तक का सार है।

शोध के उद्देश्य :

1. दलों की बढ़ती जनसंख्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. क्षणिक लाभ के लिए गठित दलों की पहचान एवं उनकी भूमिका का परिक्षण।
3. वर्तमान में संसदीय व्यवस्था की भूमिका व महत्व का आकलन।
4. संसदीय प्रणाली में दलीय व्यवस्था का परीक्षणात्मक अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करना।
5. नोटा के विकल्प की प्रासंगिकता का परीक्षण।

शोध समस्या - लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं लेकिन जब दलों की स्थापना का मुख्य कारण राजनीतिक लालसा एवं परस्पर हित हो जाए तो यहां संख्या दोषपूर्ण है। क्योंकि दलों की अधिक संख्या से नागरिकों के मत विभाजित होते हैं एवं दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दलों की बढ़ती संख्या एक समस्या के रूप में परिलक्षित हो रही है। असंतुलित, अनियंत्रित दलीय व्यवस्था देश व जनहित को प्रभावित करती है। स्पष्ट बहुमत के लिए दलों की संख्या का नियंत्रित होना आवश्यक होता है।

शोध परिकल्पना - संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन अति बहुलता लोकतंत्र के महत्व को खंडित भी कर सकती है। प्रस्तुत शोध के संबंध में निम्न परिकल्पना परिलक्षित होती हैं।

1. आधारभूत सिद्धांतों के अभाववाले राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
2. भारतीय दलीय व्यवस्था में अवसरवादीता बढ़ रही है जिससे राजनीतिक दलों के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं और वे पृथक दल का निर्माण कर रहे हैं।
3. नवीन गठित दलों का मुख्य लक्ष्य स्वयं का विकास एवं लोभ की राजनीति करना हो गया है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोधकार्य में अध्ययन के विश्लेषण हेतु द्वितीयक स्त्रोतों का अध्ययन किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तकें, लेख, निबंध, पत्र-पत्रिकाएं, अखबार एवं इंटरनेट माध्यमों का उपयोग किया गया है। साथ ही विषय से संबंधित विद्वानों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन भी प्राप्त किया गया है।

भारतीय दलीय व्यवस्था एवं दलों की बढ़ती संख्या - एक विश्लेषण – भारतीय शासन प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और दलीय व्यवस्था में भी विश्व की समस्त दलीय पद्धतिवाले देशों में भारत का स्थान प्रथम है। 'राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया है।'[9] भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही लेकिन यह उतना ही पेचिदा या कहें उतना ही उलझनयुक्त है। इसका कारण यह है कि भारत में लोक एवं तंत्र के मध्य समन्वय स्थापित करनेवाले कई नियम एवं नीतियां ऐसी हैं जो दूसरे देशों की शासन प्रणाली से सर्वथा भिन्न है, साथ ही भारत में यह नियम एवं नीतियां अत्यंत उदार एवं लचीली प्रवृत्ति की है, जो कभी-कभी शासन प्रणाली के लिए ही समस्या बन जाती हैं।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली स्वयं की उपज नहीं है अपितु यह ब्रिटिश शासनकाल की देन है, जब भारत उसका उपनिवेशक देश था। भारत में इसकी विधिवत शुरूआत मार्लेमिण्टों सुधारों (1909) के द्वारा संसदीय प्रजातंत्र की संस्थानों की आधारशिला रख, की गई थी। तत्पश्चात् 1919 तथा 1935 के अधिनियमों के अन्तर्गत कुछ विकसित होकर पूर्णत: 1950 में संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकृत करने के साथ ही संसदीय व्यवस्था को भारत की शासन प्रणाली का अभिन्न अंग बना लिया गया। 'वस्तुत: भारत एकमात्र ऐसा उत्तर-उपनिवेशवादी राष्ट्र है जिसने अपनी आजादी के बाद से लगातार संसदीय प्रणाली को अक्षुण्ण बनाए रखा।'[10] भारत के संविधान पर ब्रिटिश शासन प्रणाली का प्रभाव अत्यंत गहरा दिखाई देता है। कुल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 अनुच्छेद ब्रिटिश अधिनियमों 1919, 1935 से अक्षरश: ग्रहण कर लिए गये। सरदार पटेल ने दिनांक 15 जुलाई, 1947 को संविधानसभा में कहा था, 'संविधान सभा की संघीय संवैधानिक समिति तथा प्रान्तीय संवैधानिक समिति दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि हमारे देश की परिस्थितियों में ब्रिटेन की संसदीय पद्धति ही सबसे अधिक उपयुक्त और अनुकूल है जिससे हम भलीभाँति परिचित हैं।'[11]

यह बात सत्य है कि नवीन संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं को पुराने अधिनियमों का सहारा लेना पड़ता था क्योंकि भारत में इतनी विविधताएं एवं जटिलताएं विद्यमान थी कि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा

एवं सम्प्रदायों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक सर्वोत्कृष्ट एवं विचारणीय रचना की महती आवश्यकता थी। भारत के समक्ष अनेक ऐसे असंगत तथ्य विद्यमान है जिनकों भारतीय नागरिकों को समझाना परम आवश्यक था इसलिए एक लिखित एवं संप्रभु संविधान का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। 'भारत के संविधान में ऐसे नियम शामिल किये गये, जिसके अनुरूप देश के सामान्य नियम तैयार किये जाने थे। इसनें जनतांत्रिक और संसदीय सरकार की रूपरेखा पेस की।'[12] भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक था।

'भारत बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, अत: यहाँ कि विशाल जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत से दल उभरे और भारत में एक बहुदलीय प्रणाली का विकास हुआ यद्यपि अनेक ऐतिहासिक मोड़ आए जैसे, 1967, 1977, 1989, 1996, 1998, 1999 और ऐसा लगा कि भारतीय दल व्यवस्था नई दिशा की ओर अग्रसर हो रही है लेकिन इन सभी अवसरों पर ऐसी आशाएं समाप्त हो गई और भारतीय व्यवस्था कमोवेश अपने मूल स्वरूप की ओर ही लौट आई।'[13] भारत में दलीय व्यवस्था का इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है जब क्षणिक लाभ के लिए या असामान्य विचारधारा के फलस्वरूप ही अनेक दलों एवं सदस्यों ने या तो नए दलों का निर्माण कर लिया या फिर दलों की सदस्यता त्याग दी।

सामान्यत: समस्त राजनीतिक दलों की अपनी विचारधाराएं एवं सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। यह दल इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन भारतीय राजनीतिक दलीय पद्धति के संदर्भ में अधिकांशत: यह देखा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल जब सरकार का अंग होता है तो उक्त सरकार की विभिन्न नीतियों का समर्थन करता है लेकिन जैसे ही वह दल सत्ता से अलग होता है या विपक्ष में होता है, तो वह उन्हीं नीतियों का विरोध करना प्रारम्भ कर देता है। विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों ने अपने अध्ययनों के माध्यम से राजनीतिक दलों की विचारधाराओं एवं प्रतिस्पर्धाओं में बदलाव के कारणों का विश्लेषण किया है। किसी विशिष्ट एवं आदर्श उद्देश्य की प्राप्ति, आपसी सैद्धांतिक मदभेद तथा दल में आकस्मिक या विपरीत विचार या परिस्थिति होने पर दलों के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने कार्यों एवं प्रतिबद्धता में परिवर्तन करना ही श्रेष्ठतम उपाय होता है लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जब यही दल या इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रहित पर ध्यान न देने, देश में अस्थिरता स्थापित करने या व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आर्थिक लाभ, विपक्षी दलों के साथ सांठगांठ आदि अनैतिक कार्यों के लिए विचारधारा परिवर्तन का आश्रय लेते हैं तो वह पूर्णत: गलत एवं दुष्कृत्य है।

दलों के द्वारा स्वार्थ की राजनीति को महत्व देना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यंत परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। '1967 के बाद भारतीय राजनीति के चरित्र तथा स्वरूप में भारी परिर्वतन आया।'[14] विगत वर्षों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कई बार राजनीतिक दलों का विघटन एवं निर्माण हुआ है, जिसके फलस्वरूप भारत में राजनीतिक दलों की संख्या में अप्रत्याशित बाढ़ आ गई। जहाँ 1952 में 74 दल विद्यमान थे, वहीं 1989 तक राजनीतिक दलों की संख्या 177 तक पहुँच गई। वर्तमान में क्षेत्रीय दलों की संख्या एवं लोकप्रियता भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। केन्द्र एवं राज्यों की सरकारों में लगातार बढ़ रही अस्थिरता का मुख्य कारण इन दलों की बढ़ती संख्या एवं सत्ता लोलुपता ग्रसित दलों के द्वारा प्राप्त कुछ सीटें है क्योंकि यह दल स्वार्थपूर्ण तरीके से किसी बड़े एवं कुछ कम सीट प्राप्त दल के साथ सत्ता प्राप्त करने में मदद करते हैं। स्वार्थ पूर्ति होने के पश्चात् पुन: अपना समर्थन वापस ले लेते हैं जिससे बनी सरकार बहुमत के अभाव में पुन: पंगू हो जाती है तथा राजनीति में अस्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दलों की संख्या सतत् बढ़ रही है जिससे लोकतांत्रिक महत्व में भी कमी आ रही है। निर्वाचन आयोग को इस समस्या पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। अगर 15 वर्ष पूर्व के चुनावों में सम्मिलित दलों की संख्या का विश्लेषण 2019 के लोकसभा एवं 2019 के पश्चात् की विधानसभा के निर्वाचनों से करें तो हमारे समक्ष बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है और दलों की संख्या में अभूतपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है। दलों की बढ़ती संख्या में राष्ट्रीय दलों की संख्या लगभग पहले जैसी ही बनी हुई है लेकिन क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय दलों की संख्या में सतत् वृद्धि हो रही है। क्षेत्रीय दलों के गठन में कुछ कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे, स्थापित दल के द्वारा संबंधित नेताओं को टिकट न देना, बड़े नेताओं द्वारा छोटे नेताओं या सदस्यों की अवहेलना करना, राजनीतिक भागीदारी में कमी, राजनीतिक लालसा में वृद्धि आदि ऐसे महत्वपूर्ण कारक है। छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर दल के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो जाते है जिससे यह सदस्य पृथक दल का निर्माण कर लेते हैं। इस कारण दलों के मध्य मतों का विभाजन हो जाता है और किसी भी दल को आवश्यक बहुमत भी प्राप्त नहीं हो पाता है। जिसके परिणाम स्वरूप अलग-अलग विचारधारा के दल राजनीतिक सत्ता की लालसा में गठबंधन कर लेते हैं और राजनीतिक लालसा की नींव पर गठबंधन सरकार का निर्माण किया जाता है। यह गठबंधन सरकार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाती है क्योंकि जब अलग-अलग विचारधाराएं एक होती हैं तो उनमें मतभेद अवश्य होते हैं। परिणाम स्वरूप वह गठबंधन की सरकार कुछ समय बाद विघटित हो जाती है। अंतत: मतदाता के मतों की कोई औचित्यता भी सिद्ध नहीं हो पाती है।

निष्कर्ष - इस प्रकार यह प्रश्न विचारणीय है कि राजनीतिक दलों की बढ़ती जनसंख्या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि जितने कम दल होंगे जनादेश भी उतना ही स्पष्ट होगा और जितने ज्यादा दल होंगे मतभेद उतना ही विखंडित होगा। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का मुख्य आधार अधिक से अधिक नागरिकों की विचारों में एकरूपता है जिससे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थायित्व की प्राप्ति की जा सके। नागरिकों को अधिक से अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सके। वहीं जिस दल के उम्मीद्वार सत्ता प्राप्त करें, वह उम्मीद्वार भी अपने कर्तव्यों का पालन नागरिकों के हित में ज्यादा से ज्यादा करें। सत्ता प्राप्त दल को व्यक्तिगत स्वार्थ के भाव से ऊपर उठकर जनता के विकास के लिए तत्पर रहना होगा। तभी संसदीय व्यवस्था के मापदंडों की पूर्ति की जा सकेगी। अन्यथा संसदीय व्यवस्था का खंडित स्वरूप हमारे समक्ष ज्यादा से ज्यादा दलों के रूप में परिलक्षित होगा और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने के कारण स्वार्थ की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा।

स्वार्थ की राजनीति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को पंगू बनाती है लेकिन फिर भी इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणालीवाले देशों में बिना राजनीतिक दलों के एक व्यवस्थित शासन का संचालन नहीं किया जा सकता। निष्पक्ष निर्वाचन एवं व्यवस्थित शासन संचालन के सहयोग के लिए उस देश की जनता को

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक एवं गम्भीर होना चाहिए क्योंकि जब जनता अपने लिए एक ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनती है तो उस जनता को विभिन्न उम्मीद्धारों में से एक बुद्धिमान एवं ईमानदार उम्मीद्धार का चयन करना आवश्यक हो जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस देश के समस्त उम्मीद्वार केवल एक व्यक्ति के विषय में अपने मत का उपयोग कभी नहीं कर सकते क्योंकि उनके सोचने एवं विचार करने की क्षमता अलग-अलग होती है और अगर केवल एक व्यक्ति को देश के समस्त मत प्राप्त हो जाये तो फिर वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, अपितु वह राजतंत्र या निरंकुश तंत्र होगा। 'अत: एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए स्वस्थ्य निर्वाचन आवश्यक है और निर्वाचन के अभाव में लोकतंत्र अकल्पनीय है।'[15] गुणवत्ता युक्त राजनीतिक दलों की स्थापना एवं अनावश्यक दलों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग एवं सत्तारूढ़ दल को मिलकर प्रयास करने होंगे। तभी एक स्वस्थ्य लोकतंत्र का स्वप्न पूर्ण हो सकेगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को नोटा के रूप में एक ऐसा विकल्प उपलब्ध करवाया है जिसके माध्यम से कोई भी मतदाता अगर किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीद्वार को पसंद नहीं करता है तो वह नोटा विकल्प को चुनकर अपनी नाराज़गी दर्ज कर सकता है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उस विकल्प की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पा रही है क्योंकि यदि नोटा को प्राप्त मत किसी उम्मीद्वार से ज्यादा भी रहते हैं तो भी संबंधित उम्मीद्वार की हार और जीत में कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे किसी उम्मीद्वार को नोटा से कम मत आए हो तो भी सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला उम्मीद्वार जीत दर्ज कर लेता है और सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाता है लेकिन नोटा केवल एक दर्शकमात्र के रूप में रह जाता है। चाहे उसने अधिक मत अर्जित किए हो। निर्वाचन आयोग को नोटा की उपयोगिता के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है वह कुछ ऐसे उपाय कर सकता है जिससे नोटा भी एक महत्व भूमिका अदा कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. माइकल, कर्टिस (1971), कम्परेटिव गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिन्सटन, पृ. 37.
2. होर्स्ट, हर्टमैन (1971), पॉलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, पृ. 29.
3. सारटोरी, जी. (1965), डेमोक्रेटिक थियोरी, ऑक्सफोर्ड एण्ड आई.बी.एच. पब्लिशिंग कम्पनी, कलकत्ता, पृ. 20.
4. ब्रास पॉल आर. (1990), द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया: सिंस इंडिपेंडेंस, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
5. बसु डी.डी., भारत का संविधान: एक परिचय, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
6. ग्रोवर वीरेंद्र (1989), पॉलीटिकल सिस्टम इन इंडिया, दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 36
7. झा शिवचंद्र (1989), इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स: स्ट्रक्चर, लीडरशिप, प्रोग्राम्स, दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली,
8. श्रीनिवासन, एस.एन. (1977), पार्टी एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया, टाटा मेग्राहिल, नई दिल्ली, पृ. 116.
9. श्रीनिवासन, एस.एन. (1977), पार्टी एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया, टाटा मेग्राहिल, नई दिल्ली, पृ. 116.
10. चन्द्र विपिन, मुखर्जी मृदुला, मुखर्जी आदित्य (2017), आजादी के बाद का भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, पृ. 251.
11. टेलर, मीनाक्षी (1991), भारत में संसदीय शासन के औचित्य का परीक्षण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 57.
12. उपरोक्त, पृ. 251
13. कोठारी, रजनी (1967), पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टेडिज, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 26
14. जैन, धर्मचन्द्र (1992), भारतीय लोकतंत्र (भाग-3), प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 01.
15. भल्ला, आर.पी. (1973), इलेक्शन इन इण्डिया, एस. चांद एण्ड कं.प्रा.लि., नई दिल्ली, पृ. 07

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

महिला सशक्तीकरण में समाज की भूमिका (रीवा जिले के संदर्भ में)

निगार फातिमा *

* अतिथि विद्वान (विधि विभाग) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा शहर की महिलाओं के आधार पर स्थिति की विवेचना करने का प्रयास किया गया है। इसमें प्राथमिक समंकों को और आंकड़ों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। महिला सशक्तीकरण ने समाज में नव विमर्श का पथ प्रशस्त किया। महिलाओं के उत्थान को लेकर प्रारम्भ हुई इस विश्वव्यापी पहल ने देश के सर्वोच्च मंच संसद तक को प्रभावित किया, फलत: संसद के पटल पर महिला आरक्षण विधेयक जा पहुँचा। महिलाओं की दशा और दिशा को लेकर भारतीय मनीषी, गहन चिंतन करते हुए उत्थान के लिए बराबर प्रयास करते रहे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के प्रयास से महिला जागरण का नव प्रभात हुआ जिसकी प्रतिध्वनि धीरे-धीरे तीव्र होती गई। बीसवीं सदी के अंतिम दशकों तक महिलाओं की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन आया।

प्रस्तावना – भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय से इस वर्ष विशेष में देश की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने हेतु उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रति बढ़ रहे दुर्व्यवहार तथा हिंसा की घटनाओं में कमी लाने, महिला अधिकारों और नारी शक्ति के संबंध में उनमें जागरूकता और चेतना विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश में पहली बार एक राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनायी गयी, ताकि देश में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास के लिए आधारभूत व्यवस्थायें निर्धारित किया जाना संभव हो सके।

महिलाओं के उत्थान के लिए प्रचुर संख्या में योजनाएँ देश में चलायी जा रही हैं जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों की भागीदारी रहती है। इन योजनाओं में कुछ इस प्रकार हैं – स्वाबलम्बन योजना (1982), महिला समाख्या कार्यक्रम (1989), आशा योजना (2005), बालिका प्रोत्साहन योजना (2006), उज्जवला योजना (2007) इन सभी योजनाओं के अलावा प्रदेश सरकार भी कुछ विशिष्ट योजनाएं राज्य में महिला सशक्तीकरण हेतु संचालित कर रही है। जिनमें प्रमुख रूप से लाड़ली लक्ष्मी योजना, गाँव की बेटी, ऊषा किरण, तेजस्विनी, स्वधारा आदि योजनाएँ महिलाओं की स्थिति को सशक्तीकृत करने के लिए कार्य कर रही हैं।

शोध प्रविधि – प्रस्तावित शोध कार्य में समाज विज्ञान की मान्य विभिन्न शोध पद्धतियों का प्रयोग किया जायेगा। महिला सशक्तीकरण में समाज की भूमिका पर केन्द्रित इस अध्ययन में विभिन्न सामाजिक चिंतकों द्वारा प्रकट किये गये विचारों को गंवेषणात्मक पद्धति से विश्लेषित कर विषयवस्तु की सामयिकता की पुष्टि की जायेगी। अध्ययन की समकालीनता और विभिन्न योजनाओं के प्रभान्वित कार्यान्वयन का आंकलन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति, उपलब्धियों की विवेचना, प्राथमिक एवं द्वितीय माध्यमों से प्राप्त अभिलेखों, आंकड़ों के माध्यम से किया जायेगा।

1. महिला सशक्तीकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका के प्रभावों का आंकलन करना।
2. अध्ययन के प्रभावीकरण हेतु विभिन्न उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से अभिमत प्राप्त करते हुए अध्ययन को साक्षात् स्वरूप दिया जायेगा।

उद्देश्य:

1. महिलाओं की समाज के सभी तरह के कार्य (सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक) के निष्पादन में पूर्ण क्षमता की प्राप्ति एवं महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वच्छ वातावरण सृजन करना।
2. सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं निर्णय स्तर पर समानता लाना।
3. पुरूषों तथा महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक रवैया और प्रयासों में परिवर्तन के लिए वातावरण बनाना।
4. महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, दुर्व्यवहार एवं भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों से सुदृढ़िकरण करना तथा महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित बनने वाले नये नियम-कानूनों की जानकारी देना एवं जागरूक बनाना।

उपकल्पना – शोध कार्य के लिए शोधार्थी अपनी अध्ययन समस्या के लिए प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो उसके शोध कार्य का प्रमुख आधार बनाता है, जिसे शोध परिकल्पना कहते हैं लेकिन यह परिकल्पना केवल आकस्मिक निष्कर्ष मात्र होती है अध्ययन के पश्चात् इनके सत्य या असत्य होने का पूर्ण या आंशिक संभावनाएँ सामान्य रूप से बनी रहती हैं। द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया जाता है। परिकल्पनाएँ एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष मात्र होती हैं जिन्हें परीक्षण की पूर्णता से पहले न तो सही माना जा सकता है और न ही गलत। क्योंकि वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही उनका पुष्टिकरण किया जाता है अर्थात् यह पता लगाया जाता है कि परिकल्पनाएँ सत्य हैं या असत्य।

विषय-विवरण– स्वतंत्रता के समय की भारतीय महिला और आज की

भारतीय महिला में काफी बदलाव आया है। आज की महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वाबलम्बी है। वह पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, सरकारी नौकरी और सामाजिक सरोकारों में सभी क्षेत्रों में आज महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। निश्चित ही इसका एक मात्र कारण महिला, सशक्तीकरण की दिशा में किये गये विभिन्न सरकारी प्रयास हैं, किन्तु हमें यह भी ध्यान में रखपना है कि अभी लक्ष्य बहुत दूर है। महिला सशक्तीकरण की बयार से अभी भी देश के सुदूरवर्ती, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र अनछुए हैं। स्वतंत्र भारत में उपर्युक्त प्रयासों से निसंदेह महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, परन्तु तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी नारी–समाज की स्थिति में अपेक्षित व संतोषप्रद सुधार नहीं आया है। शायद इसलिए महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिले में नवीन पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही महिला सशक्तीकरण का प्रभाव दिखा। जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पहली बार श्रीमती मंजुलता तिवारी आसीत् हुई इसी क्रम में रीवा नगर निगम महापौर के सीधे हुए निर्वाचन में श्रीमती आशा सिह निर्वाचित हुई। श्रीमती विद्यावती पटेल, श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति, विधानसभा सदस्य तथा रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर श्रीमती बबिता साकेत ने अपना कार्यकाल संवैधानिक गरिमा के अनुकूल पूरा किया।

सुझाव– प्रस्तुत अध्ययन जो महिलाओं के वर्तमान दशा दिशा पर केन्द्रित है, जिसके कई सुझाव हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं :-

1. महिलाओं की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति एवं पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वस्थ्य वातावरण का सृजन करना।
2. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धांतिक तथा वस्तुत: उपयोग करना।
3. महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण होगा।

निष्कर्ष– इस शोध अध्ययन का निष्कर्ष के रूप में निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है जो अग्रलिखित है –

1. पुरूषों तथा महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक रवैये और प्रथाओं में परिवर्तन के लिए वातावरण बनाना।
2. सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के लिए नवीन अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराना।
3. महिला सशक्तीकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका के प्रभावों का आंकलन करना।
4. सिविल समाज, विशेष कर महिला संगठनों के साथ भागीदार बनाना तथा उसकी सुदृढ़ीकरण आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा प्रज्ञा – महिला विकास और सशक्तीकरण, अविष्कार प्रकाशन, जयपुर 1989
2. दत्ता कनिका – नारी विमर्श, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2003
3. अनामिका – कहतीं हैं औरतें, इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007
4. डॉ. आहूजा राम – सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2006

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारत में बाल अपराध : एक संक्षिप्त विश्लेषण

रुची गौतम*

* अतिथि विद्वान (विधि विभाग) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानूनी विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। भारत में 'बाल न्याय अधिनियम' 1986 (संशोधित 2000) के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है। बच्चे भविष्य की धरोहर हैं, लेकिन सामाजिक कमजोरियाँ और सरकार के ढलमल रवैये के चलते हमारी धरोहर लगातार पतन के रास्त आगे बढ़ती जा रही है। बाल अपराधों की बढ़ती संख्या हमारे समाज के मार्थ पर एक ऐसा कलंक है जिससे तत्काल निजात पाने की जरूरत है।

प्रस्तावना – बच्चे ही किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में होती है। लेकिन बाल अपराध के उक्त आंकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? हम दो हमारे दो के इस दौर में माता-पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, उनका सारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगा रहता है। पैसे की इस धमाचौकड़ी के चलते उपजा अकेलापन बच्चों को निराशा की ओर ले जाता है। हालांकि समय की इस कमी की भरपायी के लिए माता-पिता बच्चों की हर छोटी-बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बचपन का अबोध मन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है। सही गलत के ज्ञान के अभाव में बच्चे ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जो उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाता है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इससे संबंधित तथ्यों का संकलन द्वितीयक स्त्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों, समाचार पत्रों, वार्षिक रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं व लेखों का प्रयोग किया गया है। साथ ही शोध पत्र में मुख्यत: ऐतिहासिक, वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

उद्देश्य – भारत में बाल अपराधों की निरन्तर बढ़ती संख्या के आधार पर इसके उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं, जिनमें से कुछ अग्रलिखित हैं :-

1. भारत में बाल अपराध के स्वरूपों का विश्लेषण करना।
2. भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।
3. बाल अपराध के सामाजिक, पारिवारिक तथ्यों का अध्ययन करना।

उपकल्पना – शोध कार्य के लिए शोधार्थी अपनी अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो इसके शोध कार्य का प्रमुख आधार बनता है जिसे शोध उपकल्पना कहते हैं। लेकिन यह उपकल्पना केवल आकस्मिक निष्कर्ष मात्र होती है। इनके सत्य या असत्य होने की पूर्ण या आंशिक संभावनाएँ सामान्य रूप से बनी रहती हैं।

1. बाल अपराध की समस्या आज पूरे भारत की नहीं अपितु विश्व की समस्या है।
2. इसके निराकरण के लिए समाज, प्रशासन को सख्त नियमों को बनाने की आवश्यकता है।

विषय-विवरण – बाल अपराध वर्तमान समय में समाज के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। बाल अपराध की बढ़ती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार अगर कोई बच्चा कानून के खिलाफ चला जाता है तो आम आरोपियों की तरह न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने अथवा अपराधियों की तरह जेल या फांसी नहीं बल्कि बाल गृहों में सुधार के लिए भेजा जायेगा। हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियाँ उत्तारदायी होती हैं, इसी वजह से किशोर अपराधियों को दंड नहीं बल्कि उनकी केस हिस्ट्री को जानने के बाद उन्हें सुधार-गृह में रखा जाता है।

भारत में बाल अपराध – भारत में नाबालिकों में अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 35 फीसदी की दर से बाल अपराध में वृद्धि हुई है। नाबालिग दुष्कर्म, यौन शोषण, हत्या, छेड़छाड़, डकैती और चोरी में बालिग अपराधियों से पीछे नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के मुताबिक ये दिल्ली, मुंबई सहित देश के 19 प्रमुख महानगरों में बाल अपराध के कुल 6,645 मामले सामने आए इनमें केवल दिल्ली में 2,368 दर्ज हुए।

बाल अपराध के प्रकार – बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक संदर्भ होता है। कारण होते हैं तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं। बाल अपराध के निम्न प्रकार हैं :-

1. वैयक्तिक बाल अपराध
2. समूह समर्थित बाल अपराध
3. संगठित बाल अपराध

4. स्थितिजन्य बाल अपराध

बाल अपराध का वर्गीकरण :-

1. देर रात तक बाहर रहना।
2. स्कूल से भागना।
3. चोरी करना।
4. हिंसा।
5. जुआ खेलना, शराब पीना।

भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारण :-

1. सामाजिक कारण।
2. आर्थिक कारण।
3. मनोवैज्ञानिक कारण।

बाल अपराध की रोकथाम एवं सुधारवादी संस्थाएँ – बाल अपराधियों को रोकने के लिए सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना की गयी है। जो निम्नलिखित हैं :-

1. रिमाण्ड होम।
2. प्रमाणित या सुधारात्मक विद्यालय।
3. नोस्टल संस्था एवं विशेष गृह।
4. परिवीक्षा होस्टल।

सुझाव – हमें बच्चों को उचित संस्कार देने व उनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए सजग और सक्रिय होना होगा। इसके लिए हमें निम्न उपाय करने होंगे :-

1. परिवार में बच्चों का उचित ढंग से पालन–पोषण , एक समान प्रेम एवं व्यवहार।
2. उचित शिक्षा की व्यवस्था।
3. स्वस्थ्य मनोरंजन के साधनों में वृद्धि।
4. सुधारात्मक गृहों की समुचित व्यवस्था।

निष्कर्ष – बाल अपराधियों को सुधारने में आज भारत भी प्रगतिशील देशों से पीछे नहीं है। पर भारतीय समाज में कुछ अन्य समस्याएँ जैसे अति जनसंख्या, बेरोजगारी, भुखमरी आदि इनती अधिक गम्भीर है कि उससे ही निपटना सरकार के लिए अत्यन्त कठिन हो रहा है। यद्यपि ये सच है कि 16 से 18 साल की आयु समूह वाले बच्चों की संख्या जघन्य अपराधों में बढ़ रही है इसलिए संसद संशोधन की बहस क समय इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए कि हम समाज के रूप में एक न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं या प्रतिकार और सजा या एक ऐसी व्यवस्था जो किशोर अपराधियों के सुधार और समावेश के योग्य हों।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किशोर न्याय अधिनियम, 2000
2. मुकर्जी नाथ रवीन्द्र; अग्रवाल भगत; सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2003
3. एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट, 2016
4. चक्रवर्ती तरूण, अपने बच्चे को श्रेष्ठ कैसे बनाएँ, डायमण्ड पोकेट बुक्स प्रा.लि., 2016.
5. आहुजा राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, दिल्ली 2012

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

रसविवेचन और आधुनिक नाट्य परिदृष्य

डॉ. ओमवती देवी *

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – नाटक में रस का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय एवं पाश्चात्य मनीषा ने शब्द भेद से इसकी सिद्धि को मान्यता दी है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में 'इमोशन' को रस के पर्याय रूप में ग्रहण किया और आद्याचार्य अरस्तु ने भावों के उद्बोधन तथा रेचन सिद्धान्त के आधार पर उपशमन में ही त्रासदी की सिद्धि घोषित की। 'भरत और परवर्ती' आचार्यो ने रस की परिणति आनन्दमयी मानी और यही कारण है कि ''हमारे यहाँ दु:खान्त नाटक लिखने की परम्परा अत्यन्त क्षीण रही है। संस्कृत में तो त्रासदियों का अभाव ही है जबकि यूनान, रोम आदि देशों में त्रासदी का ही बोलबाला रहा है।... भारत के कुशल नाटककार दु:खात्मक अनुभूतियों को भी फूलों की तरह गूंथते चले हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि हम जीवन के प्रति आस्थापूर्ण, विश्वासशील और आशावादी रहे हैं। हमारी मान्यता है कि एक व्यक्ति भले ही हार जाए किन्तु पूरी मानवता कभी पराजित हो नहीं सकती। इसलिए पराजय में, सर्वनाश में किसी नाटक का पर्यवसान हमारे यहॉ वांछनीय नहीं माना गया है। यह एक प्रकार से साहित्य में आदर्शवाद की स्वीकृति है।'[1]

रसशास्त्र के प्रथम अधिष्ठाता आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में प्रथम बार रस की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा– 'तत्र रसोनेव तावदादाव भिव्याख्यास्याम:। न हि रसाद् कृते कश्चिदर्थ: प्रवर्तते।।'[2] अर्थात् उनमें रस की पहले विशेष व्याख्या करेगे क्योंकि रस के बिना (नाट्यांग रूप) अर्थ प्रवृत्त नहीं हो सकता। रस के द्वारा ही नाट्य–प्रयोजन की सिद्धि सम्भव है। अत: रस निष्पत्ति ही नाटककार का प्रमुख लक्ष्य हुआ। भरत ने रस का विवेचन निष्पत्ति से ही प्रारम्भ किया। इस सन्दर्भ में डॉ0 नगेन्द्र का भी कथन है कि 'वास्तव में रस का विवेचन यहॉं रस की निष्पत्ति से प्रारम्भ होता है क्योंकि भरत ने मूलत: रस के स्वरूप का नहीं रस की निष्पत्ति का ही व्याख्यानकिया है।'[3] भरत का कथन है, 'विभावानुभावव्यभि– चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति :'।[4] विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी (भावों) के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात् भरत ने प्रथम बार नाटक के सन्दर्भ में रस की मान्यता का प्रतिपादन अपने नाट्यशास्त्र में किया। अभिनवगुप्त की टिप्पणी के अनुसार भरत का मत है, 'तेन रस ऋव नाट्यम्।'[5]

आचार्य भरत के पश्चात् अनेक प्रश्न उनकी मान्यता को लेकर उठे और रस–सिद्धान्त के प्रथम व्याख्याता के रूप में आचार्य भट्ट–लोल्लट का नाम प्रकाश में आया। यद्यपि लोल्लट का कोई स्वतंत्र ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है परन्तु उनकी मान्यता सम्बन्धी उद्धरण 'अभिनव भारती' – तथा 'ध्वन्यालोक लोचन'[7] में उपलब्ध हैं। मम्मट कृत 'काव्य प्रकाश' में लोल्लट का मतंव्य उद्धत हुआ है परन्तु वह 'अभिनव भारती' से कुछ भिन्न है। इनका मत है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी का संयोग कारण रूप है जिसमें रस की उत्पत्ति होती है। तदनुसार सूत्रनिष्ठ संयोग और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति और उत्पादक– उत्पाद्य सम्बन्ध। इसे ही तनिक परिमार्जित ढंग से प्रस्तुत करें तो संयोग का अर्थ है उपचिति तथा निष्पत्ति से तात्पर्य हुआ उपचेय–उपचायक सम्बन्ध। भट्ट लोल्लट के मतानुसार रसानुभूति अनुकार्य में निहित है। जिसका अभिनेता अभिनय करता है, उन ऐतिहासिक कवि निबद्ध चरित्रों में रस की स्थिति थी, परन्तु अभिनेता को तद्रूप वेशभूषा के कारण एवं उसके कुशल रंगसंचालन, अभिनय, वार्तालाप इत्यादि के द्वारा नाट्य के दर्शक अथवा सामाजिक, अभिनेता में वास्तविक चरित्र का आरोप कर लेते है।'[8] इस आरोपण पद्धति के कारण उनका मत आरोपवाद की संज्ञा से अभिहित हुआ।

भट्ट लोल्लट के अनुसार प्रेक्षकों (सामाजिकों) की रसानुभूति अपने में नहीं होती है वरन् उन अनुकर्ता नटों में अवस्थित होती है जिन पर ऐतिहासिक पात्रों का आरोप किया जाता है। इस आरोपण क्रिया के फलस्वरूप सामाजिक स्वयं में चमत्कृत होकर आनन्द का अनुभव करता है। 'नटे तुल्यरूप नानुसंधान वशादारोप्यमाणा: समाजिकानां चमत्कारहेतु:।'[9]

भट्ट लोल्लट सिद्धान्त की सबसे बड़ी विशेषता अभिनेता द्वारा रसानुभूति की घोषणा है जिसको नाट्यकला के विकास में एक नया मोड़ कहा जा सकता है क्योंकि आधुनिक नाट्य–विचारकों ने नाटक के जो तीन पक्ष– नाट्यकृति, अभिनय, दर्शक– को मान्यता दी, उसमें दूसरे पक्ष को सुदृढ़ मान्यता लोल्लट से ही मिली। भरत के समान ही लोल्लट का भी दृष्टिकोण वस्तुपरक रहा है – वे भी सहृदय की दृष्टि से रस का आस्वाद न मानकर आस्वाद्य ही मानते हैं, सहृदय के नाट्य–स्वाद का नाम रस नहीं है, रस की स्थिति नाटक के मूल पात्र एवं नट में ही है जिसका सहृदय भोग करता है।

भट्ट लोल्लट के उपरान्त दूसरे व्याख्याता शंकुक हैं जिनकी धारणाओं का भी उल्लेखे लोल्लट के समान ही 'अभिनव भारती', 'ध्वन्यालोक लोचन' और एक उद्धरण 'काव्य प्रकाश' में भी उपलब्ध है। शंकुक के मतानुसार स्थायी भाव तो वास्तव में नायक आदि अनुकार्यो में रहता है, पर वहीं अनुकूल रूप होने पर रस की संज्ञा प्राप्त करता है – अर्थात् स्थायी भाव वस्तुत: अनुकार्य रामादि में ही अवस्थित रहता है। नट अपने कौशल द्वारा अनुकरण करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी स्थायी भाव का अनुकरण कर रहा है। स्थायी–भाव की यह नाट्यानुकृति रस है।

भरत सूत्र की तीसरे व्याख्याकार– भट्टनायक थे। उन्होने रसानुभूति की प्रक्रिया में शब्द के तीन व्यापार माने अमिघा, भावना (भावकत्व) तथा भोग (भोजकत्व)। अमिघा व्यापार के माध्यम से प्रेक्षक या सहृदय शब्दों का अर्थ ग्रहण करता है और समस्त प्रसंगों की विशिष्ट स्थिति का ज्ञान

प्राप्त कर लेता है। तद्पश्चात् भावकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है और भावों का पात्र वैशिष्ट्य समाप्त हो जाता है और सामाजिक या प्रेक्षक की मनोवृत्ति विभावादि के विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किए जाने से निर्वैयक्तिक हो जाती है। आलम्बन तथा उद्दीपन सर्वसाधारण की अनुभूति का स्पर्श करने लगते हैं और रसास्वाद के व्यक्तिगत विरोध से सम्बन्ध-शून्य हो जाते हैं। इसी के साथ तीसरा व्यापार भोजकत्व प्रारम्भ हो जाता है जहाँ विभावादि साधारणीकृत हो सहृदय में तमस् एवं रजस् के स्थान पर सत्वोद्रेक होता है और वह अखण्ड स्वप्रकाशानन्द का अनुभव करता है और वही भोजकत्व की अवस्था है। भट्टनायक का मत भोगवाद के नाम से जाना जाता है।

भट्टनायक ने उपर्युक्त सिद्धान्त में शब्द के स्वीकृत 'अभिधा' व्यापार के साथ भावकत्व (भावना) तथा भोजकत्व (भोग) व्यापार की जो कल्पना की, वह उनकी मौलिक प्रतिभा की परिचायक है। शब्द के इन व्यापारो के समान ही साधारणीकरण सिद्धान्त भी उनकी मौलिक देन है क्योंकि सहृदय को दृष्टिगत कर रसास्वाद का यह प्रथम मौलिक विवेचन कहा जा सकता है। 'भावकत्व और भोजकत्व शब्दार्थ के व्यापार हैं, भावकत्व से एक ओर विभावादि का साधरणीकरण होता है, दूसरी ओर सहृदय का चित्त व्यक्ति-संसर्गो से मुक्त विशद हो जाता है और इन दोनों के फलस्वरूप स्थायी भाव भावित होकर रस में परिणत हो जाता है। इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि शब्दार्थ भोग का विषय नहीं है, शब्दार्थ के भावकत्व और भोजकत्व व्यापार रस का भावन और भोग कराने वाले है, अत: शब्दार्थ तो हेतु हो सकता है। दूसरा यह कि भोग का विषय रस है और रस का अर्थ है भावित स्थायी भाव क्योंकि भट्टनायक के अनुसार स्थायी भाव ही तो भावित होकर रस बन जाता है।'[10] स्थायी भाव के सम्बन्ध में भी भट्टनायक की धारणा सहृदय के स्थायी भाव से है जैसा कि डॉ0 नगेन्द्र का अभिमत है कि '...भट्टनायक का अभिप्राय सहृदय के स्थायी भाव से है- सहृदय भावकत्व व्यापार के द्वारा अपने स्थायी भाव का साधारणीकृत रूप में- रस रूप में - अनुभव करता है और फिर इस प्रकार सिद्ध रस का भोजकत्व व्यापार द्वारा भोग करता है- यहाँ भट्टनायक का स्पष्ट अभिप्राय है। अतएव उनके मन में रस का स्थान शब्दार्थ न होकर सहृदय का चित्त ही है। काव्य के भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की क्रिया-भूमि वही है।

भट्टनायक के प्रस्तुत सिद्धान्त पर अभिनवगुप्त ने अनेक आक्षेप लगाए जिनमें 'रस और रसभोग का अन्तर, प्रतीति और मुक्ति का भेद मिथ्या है, मुक्ति भी प्रतीति ही है क्योंकि प्रतीति के बिना किसी प्रकार का व्यवहार संभव नहीं है। रस की अभिव्यक्ति और उत्पत्ति दोनों न मानने पर उसे या तो नित्य माना जाएगा अथवा असत्'[11] क्योंकि जो नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती तथा जो असत् है उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। भावकत्व एवं भोजकत्व की कल्पना के लिए शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं तथा इन दोनों का कार्य प्रमाण-सिद्ध व्यंजना से ही चल जाता है।

भारतीय काव्यशास्त्र में अन्तत: अभिनव का मत ही मान्य हुआ। अभिनव ने ही सर्वप्रथम रस के एकान्त सहृदय निष्ठ रूप की प्रतिष्ठा की। रस आनन्दमय ही होता है - इस तथ्य की स्थापना का श्रेय तो भट्टनायक को ही है, किन्तु अभिनव ने उसे शैव आनन्दवाद का दृढ़ आधार प्रदान कर सर्वथा प्रामाणिक सिद्ध कर दिया।

हम पाते हैं कि प्लेटो की धारणा एक सुधारक एवं राजनैतिक की थी, जहाँ उसके आदर्श राज्य में कवि या सृजक के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार कवि मानव मन में अवस्थित भावों का उद्बोधन कर समाज में अराजक स्थिति उत्पन्न करते हैं।

प्लेटो की इन धारणाओं का खण्डन करते हुए आद्याचार्य अरस्तु ने अपनी पुस्तक काव्यशास्त्र (Poetics) में त्रासदी को महाकाव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट सिद्ध किया। अरस्तु के मतानुसार सामान्य जीवन में अमुक्त या दमित संवेगों- त्रास और करूणा के निर्दोष परिपोश और भोग का आनन्द है। व्यवहार की भाषा में कहें तो त्रासदी में व्यक्त त्रास और करूणा मानो उस औषध की मात्रा हैं जो दर्शक के रूग्ण मन के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। होम्योपैथिक उपचार विज्ञान में रोगी का इलाज जिस विधि से किया जाता है, उसी प्रकार त्रासदी से रोगी दर्शक-वृन्द को भावात्मक स्वास्थ्य लाभ होता है।'[11] अत: त्रासदी का आनन्द वस्तुत: उन भावों के आस्वाद का आनन्द है जिसका अनुभव सामान्य जीवन में कटु एवं क्लेशकर होता है।

अरस्तु के विरेचन सिद्धान्त की अनुप्रेरणा से त्रासदी से व्युत्पन्न आनन्द के कारणों को विभिन्न युगों में अनेक साहित्यिकों, दार्शनिकों ने अपनी अपनी शक्ति एवं मेधा के अनुरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पाश्चात्य विचारकों में अरस्तु के उपरान्त डेविड, ह्यूम, रूसो, हीगल, नीत्शे, रिचर्डस, और शपेन्हर एफ0एल0 लूक्स आदि प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने अपनी अपनी पूर्ववर्ती मान्यताओं का खण्डन एवं परिष्करण अपने अध्ययन एवं अनुभूत सत्य के बल पर किया तथा नवीन प्रमाणों के आलोक में नवीन मतों का निर्धारण एवं प्रस्थापन किया।

डेविड ह्यूम ने त्रासदी के आनन्द पर विचार करते हुए अपने से पूर्व दो फ्रांसीसी विद्वानों का मत प्रस्तुत किया। ये दो विद्वान थे एबी ह्यूव्स और फान्तिले। ह्यूव्स की मान्यता थी कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अनुबद्ध कार्यक्रमों के प्रति निरन्तर एकरसता के कारण शुष्कता एवं नीरसता का अनुभव करने लगता है। फलत: उस समय जीवन में किसी भी प्रकार का वैविध्य उसे सुखद एवं प्रिय प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार का मनोभाव चाहे वह कितना ही असह्य क्यों न हो, मानसिक उद्वेग एवं क्लान्ति का परिशमन करता है और इस प्रकार जीवन के वैविध्य के निर्माण से आनन्द की प्राप्ति होती है।

ह्यूव्स की मान्यता के पश्चात् फान्तिले के विचारो का ह्यूम ने परीक्षण किया। फान्तिले की धारणा थी कि मानव मन की कुछ ऐसी विशेषता है कि वह स्वाभाविक अथवा नैसर्गिक ही सभी भावों के प्रति आकृष्ट एवं प्रभावित होता है। त्रासद परिस्थितियों में शांति और अनुकूलता लाने वाला तत्व प्रेक्षक के मन में स्थित कल्पना का भाव होता है। त्रासद परिस्थितियों के अनुरूप जब हम आंसू बहाते हैं, साथ ही उसे कल्पना प्रसूत समझते हुएआनन्द का भी अनुभव करते हैं।[12]

प्रस्तुत मत का आशय यह हुआ कि मानव मन पर जो प्रभाव अंकित होता है वह त्रासदी के कलात्मक रमणीय प्रस्तुतीकरण से होता है। त्रासदी के प्रेक्षण से प्रेक्षक के मन में जो तीव्र भावोदय होता है तथा कला का सम्मोहन प्रभाव पडता है, उसी से उसकी आत्मा में एक हलचल सी होती है जो अद्भुत एवं आनन्ददायी होती है।

19वीं शताब्दी में हीगेल ने दुखान्त नाटकों की द्वन्द्वात्मक व्याख्या प्रस्तुत की जो नाट्यलोचना के सन्दर्भ में बहुत ही चमत्कारपूर्ण एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। हीगल के परवर्ती कई महान् दार्शनिकों ने नाट्य तत्व के स्वभाव निरूपण में उसी द्वन्द्वात्मक तर्क पद्धति का अवलम्ब एवं आश्रय लिया।

दु:खान्त और सुखान्त नाटक क्रमश: द्वन्द्व और समन्वय (Conflict & Reconcliation) के प्रतिरूप हैं और नाटक में द्वन्द्व की मौलिक अनिवार्यता पर बल दिया गया है। फलत: आधुनिक काल में द्वन्द्व को ही नाटक का प्राण सिद्ध करने का प्रयास हुआ जिसका श्रेय निश्चित रूप से हीगेल को ही है।

इस सन्दर्भ में 19वीं सदी के जर्मन विचारक नीत्शे का काम भी उल्लेखनीय है। नीत्शे ने अपने मत के प्रतिपादनार्थ शापेन्हार की यह मान्यता नकार दी कि 'त्रासदी बहुत ही शान्त विचारधारा से सुसम्बद्ध है।'[13] नीत्शे के अनुसार 'त्रासदी वह उत्कृष्ट कला है जो जीवन के प्रति आस्था का प्रतिस्थापन करती है और व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह युद्धगत विभीशिकाओं एवं कठिनाइयों के प्रति उनके दु:खद परिणामों को भोगे बिना भी सजग रहें।'[14]

अत: इस प्रकार नीत्शे के मतानुसार त्रासदी का अन्तिम प्रभाव सामाजिक के करूणा और त्रास के भावों के निर्गमन-रूप में होता है। वस्तुगत अनुभव एवं कलागत अनुभव में अन्तर होने के कारण जब मनुष्य जीवन की विभीशिकाओं एवं दु:खद परिस्थितियों से ऊबता है तो उसकी जीवनेच्छा कुंठित-लुंठित हो जाती है तब त्रासदी की चेतना उसे पुन: स्फूर्ति एवं शक्ति प्रदान करती है। इसमें मनुष्य के संपोषण एवं संरक्षण की शक्ति निहित है। त्रासदी का आनन्द जीवन के प्रति इस नवीन आस्था और अभिरूचि की चेतन प्रतिष्ठा से ही निष्पन्न होता है। कलात्मक सौन्दर्य के कारण त्रासदी करूणा और त्रासदी के भावों का बर्हिगमन कर जीवन को और अधिक वेग से प्रवाहित करने का आह्वान करती है।

आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक समीक्षक रिचर्ड्स ने त्रासदी को अन्तर्वृत्तियों का समंजन एवं तत्पश्चात् समन्वय के द्वारा आनन्द को स्वीकारा है। उन्होने साहित्य का उद्देश्य विभिनन मानवीय भावनाओं के मध्य सामरस्य-स्थापन माना है। और इस प्रकार करूणा और भय के भावों के अतिरिक्त अन्य भावों का भी सम्मिलन हो जाता है। अत: अनेकता में एकता तथा विषमता में समता स्थापित कर त्रासदी अद्भुत आनन्द का सृजन करती है।

अत: रिचर्ड्स के अनुसार त्रासदी का उद्देश्य द्वन्द्व और संघर्ष के मध्य विश्रांति, संतुलन एवं सामरस्य का स्थापन कहा जा सकता है और त्रासदी का आनन्द विरोधी भावों के सामरस्य एवं संतुलन में ही निहित है जो सुन्दर है, अन्तत: आनन्दमय भी।

भारतीय और पाश्चात्य रस विषयक धारणाओं के आलोक में प्रश्न उठता है कि क्या बदलती हुई मान्यताओं अर्थात परम्परागत मूल्यों के प्रति इस प्रयोग के युग में आज भी नाटक का चरमसाध्य रस ही है? प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है क्योंकि आज के परिवर्तित युग में हृदयगत अभिव्यक्ति एवं बुद्धिगत चिन्तन में पर्याप्त अन्तर आ गया है और नैतिक मूल्यों का भी क्षिप्रस्खलन दृष्टिगत होता है विशेषकर पाश्चात्य संसर्ग में आने से पूर्व और आज की स्थिति इसका प्रमाण है। आज जीवन के प्राचीन तौल और मूल्य धूमिल से हो गये हैं। नवीन ज्ञान, विज्ञान और मनोविज्ञान के आलोक में आज के मानव को अधिक गहराई से पैठने और जीवन को भोगने का अवसर मिला है। नाटक भी आज किसी एक वर्ग का न होकर व्यक्ति के अपने जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है जिसका कटु-मृदु अनुभव वह निरन्तर कर रहा है।

सम्भवत: एक व्यक्ति की सत्ता और उसकी अभिरूचि ही इसका मूल कारण रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि रस-शास्त्र के सिद्धान्त आज के नाटक पर चरितार्थ नहीं हो सकते। बल्कि रस की सत्ता आज व्यक्ति और उसके भोगे हुए जीवन में कहीं निहित है - व्यभिचारियों, संचारी अथवा स्थायी के संयोग में नहीं।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि आधुनिक नाटकों में भारतीय एवं पश्चिमी नाट्य व्यंजनाओं का योग देखने को मिलता है। साहित्य की जो वस्तु है उसमें जीवन की भाव व्यंजना भी है और तार्किकता भी है, कौतूहल की सृष्टि करने वाला व्यक्ति वैचित्र्य भी कुछ पात्रों में प्रबल है, किन्तु जीवन की विकट स्थितियों के चित्रण में ऐसे अनेक बिन्दु उभरते है, जो न केवल सामाजिक को झकझोरते हैं, बल्कि उसे उन स्थितियो से दो-चार होने के लिए विवश कर देते है, वहाँ सामाजिक स्वचेतना को विस्मृत कर पात्र विशेष के साथ तादात्म्य स्थापित कर रस विभोर हो उठता है। अत: पश्चिमी व्यक्तिवैचिन्य, कौतूहल व भारतीय तादात्मयीकरण का मिला जुला रूप आधुनिक नाट्य साहित्य की पहचान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. नाट्य-कला-मीमांश - डॉ0 (सेठ) गोविन्ददास, पृ0 30
2. नाट्य-शास्त्र - रघुवंश भाग 1, अध्याय 6, कारिका 31, पृ0 274 का परवर्ती भाग
3. रस-सिद्धान्त - डॉ0 नगेन्द्र, पृ0 137
4. नाट्य-शास्त्र, पृ0 93
5. हिन्दी अभिनव भारती- स0 डॉ0 नगेन्द्र, पृ0 428
6. हिन्दी अभिनव भारती- सं0 डॉ0 नगेन्द्र, पृ0 442-443
7. ध्वन्यालोक लोचन - आचार्य जगन्नाथ पाठक, पृ0 184
8. काव्य-प्रकाश - मम्मट (सं0 डॉ0 नगेन्द्र), विभावै... इति भट्ट लोल्लट प्रभूतय:... का0 27-28 सू143, पृ0 101
9. काव्य प्रदीप- गोविन्द ठाकुर, पृ0 88
10. रस सिद्धान्त - डॉ0 नगेन्द्र, पृ0 167
11. रस सिद्धान्त और सौन्दर्यशात्र - डॉ0 निर्मला जैन, पृ0 140
12. हिन्दी त्रासदी सिद्धान्त और परम्परा - कैलाशपति ओझा, पृ0 46 (फान्तिले का उद्दद्ध मत)
13. Nietgsche rejected shopenhaurs notion that tragedy was to be associated with serene contemplation.
- Literary Criticism Short History – Wimsett Brooks p. 562
14. Tragedy is the highest art in the yea-saying to life, enabling man to have a consciousness of the hardest but most necessary wars without suffering therefrom.
- The Birth of Tragedy – Nielzsche – p.194
हिन्दी त्रासदी, सिद्धान्त और परम्परा, पृ0 49 से उद्धृत

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

भारत की आवश्यकता - समान नागरीक संहिता

श्रीमती गंगा मिश्रा* डॉ. नीलेश शर्मा **

* शोधार्थी (विधि) रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** डीन (विधि) रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय गणतंत्र अपने 70वे वर्ष में हैं और विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपने आपको स्थापित करने में सफल रहा है। 130 करोड़ लोगों का यह देश विविधताओं से भरा हुआ है, जिसमे हजारों बोली और सैंकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। अलग-अलग संस्कृतियों का समागम, विभिन्न त्योहारों का समावेश और अलग-अलग धर्म-समुदाय-संप्रदाय एक सूत्र में बँधकर इस पुण्य भूमि को एक राष्ट्र बनाते है। इतनी विभिन्नताओं के बाद भी ऐसी एकता भारत भूमि की विशेषता है। इस एकता को संरक्षित करने हेतु संविधान में तरह-तरह के प्रावधान किये गए है। भारतीय संविधान धर्म, संप्रदाय, जाती, रंग और संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। हालाँकि, सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए संविधान में प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान एक विधेयक पारित कर किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति और भाषा बचाने के लिए भी आजादी दी गयी है और यह हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों (अनुछेद 29 एवं 30) में शामिल किया गया है।

समय-समय पर यही विविधताएँ भारत की एकता और अंखडता के लिए चुनौती भी बन जाती है। ऐसा तब देखने को मिलता है जब एक समुदाय या संप्रदाय अपनी रीती रिवाज, खान-पान, बोली-भाषा, इत्यादि की रक्षा के नाम पर अन्य समुदायों की अनदेखी करने लगते है या संविधान द्वारा प्रदत अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकराने लगते है। पिछले 70 वर्षों के इतिहास में इसके अनेक उदहारण मिल जायेंगे जिसमे किसी एक वर्ग या समुदाय ने किसी खास भाषा का, गोहत्या पर प्रतिबन्ध का, अथवा महिलाओं के सामान अधिकार का रिवाज और समाज के नाम पर पुरजोर विरोधा किया है। संविधान निर्माताओं को इस अंतर्द्वंद का आभास अच्छी तरह से था, जिसमे भारतीय राष्ट्र की विविधता जहाँ एकता का सूत्र भी पिरो रही है, वही विघटन का भी बीज छुपाये बैठी है। इसलिए डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने संविधान के मूल में सामान नागरिक संहिता शामिल करने की भरपूर कोशिश की थी, परन्तु सफलता नहीं मिलने पर इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) में शामिल किया था और ये अपेक्षा की थी की 10 वर्षो के भीतर इसे पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार विधेयक पारित करवाएगी।

डॉक्टर साहब का यह सपना 70 वर्षो से अधूरा है। हालाँकि 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधान ||| की सरकार के पुनर्गठन के बाद देश में बाबा साहेब के इस अधूरे सपने को पूर्ण करने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। चुकी यह विषय भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का भी हिस्सा है, लोगो की अपेक्षाएँ बढ़ गयी है। खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संकल्प पत्र में लम्बे समय से पड़े धारा 370 और 35। जैसे विवादस्पद विषय के ऊपर काम करते हुए जम्मू और कश्मीर के भारतीय राष्ट्र में पूर्ण एकीकरण कर दिया है। चुकी अब नागरिकों से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग देश के विभिन्न हिस्सों से उठने लगी है, इसके विरोधी भी इस विषय पर प्रखर होने लगे हैं। ऐसे में आम जनमानस तक इस विचार को पहुंचाने और इसके लाभ-हानि बताने का दायित्व देश के बुद्धिजीवियों पर आ पड़ा है।

समान नागरिक संहिता आखिर है क्या? समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक क़ानून लागू हो जो उनके निजी विषयो, जैसे शादी-विवाह, तलाक, गोद लेना, पैतृक सम्पति के उत्तराधिकार और संचालन, इत्यादि को नियंत्रित कर सके. हालांकि संवैधानिक दृष्टि से इसकी कोई परिभाषा तय नहीं है और इसलिए, यह विषय और भी विवादस्पद है कि किन-किन नागरिक मामलों को इसके परिधि में रखा जाये।

1947 के पहले की स्तिथि - ब्रिटिश साम्राज्य के पहले भारत में मूलत: राजतांत्रिक व्यवस्था थी और इसलिए राजा के अनुसार ही नागरिक संहिता लागू होती आयी थी। एक ही राज्य में दो तरह की क़ानून व्यवस्था होती थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के द्वारा हिन्दुओ पर लगाया गया कर इसका सटीक उदाहरण है। ब्रिटिश साम्राज्य में 1770 से विधि और नागरिक संहिता के लिए प्रयास चालू हो गए थे। दाण्डिक प्रक्रिया उस समय भी समान और धर्मनिरपेक्ष थी। परन्तु, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय समाज को देख कर यह लगा की यहाँ के नागरिकों की व्यक्तिगत क़ानून का मूल स्रोत इनकी अपनी धार्मिक रीती रिवाज और परम्पराएँ है। इसलिए गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हास्टिंग्स ने 1780 में यह घोषणा कर दी की शादी, तलाक और उत्तराधिकार के विषय धार्मिक आधार पर बने पहले से चले आ रहे व्यक्तिगत क़ानून के अंतर्गत ही होगा। अक्टूबर 1840 में लेक्स लोसि रिपोर्ट में भी आपराधिक मामलो के लिए एक धर्मनिरपेक्ष क़ानून, परन्तु व्यक्तिगत मामलों के लिए अलग-अलग क़ानून की अनुसंशा की गयी। 1858 में भारत की शासन व्यवस्था सीधा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गयी। ब्रिटिश भारतीय सरकार 1860 में भारतीय दंड प्रक्रिया बनायीं और लागू कर दी। परन्तु, 1867 के विद्रोह की धाह, जिसका जड़ धार्मिक भावनाओं का आहात होना भी था, की वजह से व्यक्तिगत क़ानून को छूने की हिम्मत नहीं दिखा पायी।

मुसलमानो को अपने साथ मिलाने का उद्देश्य भी इस फैसले का एक प्रमुख कारण था।

चुकी भारत में विभिन्न क्षेत्रो में एक ही धर्म के अंदर अनेक तरह की परम्पराये पायी जाती है, इसलिए एक ही प्रकार के वाद में अनेक तरह के फैसलों का आना कानूनी प्रक्रिया को जटिल करता चला गया। अलग धर्म और उसके अंदर की विभिन्ताएँ नागरिकों के लिए और समस्याए पैदा कर देती है। इस जटिलता को हिन्दू सुधारवादकों ने समझा और हिन्दू समाज के सुधार के लिए अंग्रेजो के साथ मिलकर क़ानून बनाये। इसके फलस्वरूप, 1865 में भारतीय उत्तराधिकार क़ानून बनाया। हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और हिन्दू सम्पत्ति अधिनियम 1928 इसी कड़ी के हिस्से थे। हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम 1937 के लागू होने के बाद हिन्दुओं के व्यक्तिगत क़ानून लगभग-लगभग व्यवस्थित कर लिए गए थे।

मुसलामानों में व्यक्तिगत क़ानून बनाना अत्यंत कठिन था। एक तो विभिन्न प्रकार के शरीयत क़ानून चलन में थे जिसमे हन्बलि, मलिकी, शाफी, हनाफी, इत्यादि प्रमुख है। इसलिए कई प्रयासों के वावजूद भी मुसलामानों का कोई एक व्यकितगत क़ानून नहीं बन पाया। आखिरकार आंशिक सफलता 1937 में शरीयत क़ानून के लागू होने के बाद मिली। पारसियों के लिए शादी और तलाक अधिनियम 1934 के लागू होने के बाद पूरे देश में उनके लिए एक नियम बन पाया। 1944 में बी येन राव समिति गठित की गयी थी जिसने 1947 में अपने रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता क़ानून बनाने की सिफारिश की थी।

संविधान में उपस्थिति – डॉ. बी.आर. अंबेडकर समान नागरिक संहिता के पुरजोर समर्थक थे और संविधान में इसे उचित स्थान देना चाहते थे। परन्तु, संविधान सभा के अन्य सदस्यों, जिसमे कांग्रेस के मुसलमान सदस्य प्रमुख थे, के घोर विरोध के बाद इसे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में ही शामिल करवा पाए। ज्ञात हो की राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का वह भाग है जिसे सर्वोच्च न्यायलय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, जब तक की संसद इस विषय पर कोई क़ानून न बना दे। गोहत्या और शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध भी संविधान के इसी भाग के हिस्से हैं। इसलिए कई राज्य सरकारों ने गोहत्या और शराब बंदी कानून ला कर अपने-अपने राज्यों में इन विषयों को लागू करने का काम किया है। इसी प्रकार सिर्फ़ गोवा ही भारतीय गणतंत्र का एकमात्र राज्य है, जहाँ समान आचार संहिता लागू है। हालांकि हिन्दू समाज के सुधार का कार्य अनवरत जारी रखते हुए संसद में 4 महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत क़ानून सम्बंधित अधिनियम (हिन्दू मैरिज एक्ट, हिन्दू सक्सेशन एक्ट, हिन्दू एडॉप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट और हिन्दू माइनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट) पारित किये गए जो हिन्दू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म के ऊपर पूरे देश में एक समान लागू हो गए। इसके परिणामस्वरूप, इन समाज की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक बराबरी का अधिकार मिला और इसीलिए, आज के परिवेश में इस समाज की महिलायें अधिकारों में विश्व के किसी भी उन्नत देश की बराबरी करती नजर आ जाती है। परन्तु, इन 70 वर्षों में मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के लिए कोई विधेयक नहीं लाये गए और इसीलिए, ये आज भी 1937 के शरीयत कानून से ही नियंत्रित किये जाते है।

सर्वोच्च न्यायालय और समान आचार संहिता – समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न मामलो की सुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता के समर्थन में अपनी टिप्पणी की है जो सर्व-विदीत है। सबसे बड़ा और चर्चित मामला 1985 के शाह बानो मामले में सुनवाई है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से समान आचार संहिता के लिए कानून बनाने के लिए टिप्पणी की। दूसरा बड़ा मामला 1995 में सरला मुद्गल मामले की सुनवाई के दौरान की है, जब सर्वोच्च न्यायलय ने एक बार फिर संसद को इस विषय पर कानून बनाने को बोला। 12 अक्टूबर 2015 को भी ईसाई महिला के तलाक की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इस पर त्वरित कारवाई करते हुए क़ानून बनाने की टिप्पणी की। अभी-अभी 13 सितम्बर 2019 को गोवा के एक पैतृक संपत्ति बटवारे और उत्तराधिकार के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार सरकार को पुन: फटकार लगायी है और न्यायालय दुखी है कि आजादी के बाद आज तक किसी भी सरकार ने संविधान के इस प्रावधान को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। न्यायालय की इन टिप्णीओं से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायलय समान आचार संहिता लागू करने का पक्षधर है और भारतीय राष्ट्र के लिए इसका अनुपालन आवश्यक मानता है।

कुछ चर्चित मामले – समान आचार संहिता का सबसे बड़ा और चर्चित मामला मोहमद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम रहा है। 1978 में इंदौर, मध्य प्रदेश की एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला, जो 5 बच्चों की माँ भी थी, को उसके शौहर ने तलाक दे दिया था। शाह बानो बेगम गुजारा भत्ता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंची और सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मामले में टिप्पणी करते हुए आचार संहिता लागू करने की ज़रूरत पर बल दिया था। संविधान में अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत मौलिक अधिकारों को धयान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। परन्तु, मुस्लिम तुस्टीकरण की नीति पर चलने वाले कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजिव गाँधी के हस्तक्षेप से संसद में एक अधिनियम ला कर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया गया। राजनीतिक रूप से पहली बार समान आचार संहिता पूरे देश में बहस का मुद्दा बना और सरकार की खूब फजीहत हुई. परन्तु, मौलवियों के दबाव के कारण कांग्रेसी सरकार समान आचार संहिता से दूर रही।

दूसरा सबसे चर्चित मामला सरला मुद्गल बनाम भारत सरकार रहा है। सरला मुद्गल 'कल्याणी' नामक गैर-सरकारी संस्थान की सर्वेसर्वा थी, जो ज़रूरतमंद और उत्पीड़ित महिलाओं के लिए काम करती थी। इस संस्थान के संज्ञान में कई मामले थे जिसमे हिन्दू महिलाओं के पति दूसरी शादी करने के उद्देश्य से इस्लाम स्वीकार कर लेते थे। चुकी इस्लाम में एक से ज़्यादा पत्नी रखना जायज है और अन्य धर्म में नाजायज है, इसलिए इस मामले को सरला मुद्गल ने सर्वोच्च न्यायलय में उठाया था। अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायलय ने यह स्पस्ट किये की हिन्दू विवाह जब तक हिन्दू तलाक अधिनियम के अंतर्गत टूट नहीं जाता, धर्म परिवर्तन कर की गयी दूसरी शादी मान्य नहीं होगी। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर समान आचार संहिता लागू करने पर बल दिया था।

1997 में अहमदाबाद महिला अनुयोजन समूह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर यह अनुरोध किया था कि हिन्दू, मुसलमान और ईसाई के लिए बने व्यक्तिगत क़ानून से महिला विरोधी अधिनियमों को निरस्त किया जाये। हालाँकि, न्यायलय ने इसे विधायिका का विषय बता कर अपना पल्ला झाड़ लिया। सितम्बर 2001 में एक गरीब मुस्लिम महिला जुलेखाबाई ने सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम तलाक और बहुविवाह प्रथा के

खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की, परन्तु न्यायालय ने संसद से संपर्क की सलाह दे कर एक बार पुन: अपना पल्ला झाड़ लिया।

2016 में 15 वर्ष से विवाहित रिजवान अहमद ने शायरा बानो को तीन तलाक दे दिया। शायरा बानो ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनती दी जिसमे तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) , बहुविवाह और निकाह-हलाला की इस्लामी प्रथा को चुनौती दी। 22 अगस्त 2017 के अपने ऐतिहासिक फैसले में पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने तीन तलाक को तो निरस्त कर दिया, पर बहु-विवाह और निकाह-हलाला पर कोई फैसला नहीं दिया। इस फैसले के बाद पुन: एक बात आचार संहिता की मांग पूरे देश में उठी है, जिसे हर धर्म-संप्रदाय-समुदाय से समर्थन मिल रहा है।

धार्मिक समुदायों की आपत्तियाँ – तीन तलाक पर फैसले के बाद मोदी सरकार इस पर अध्यादेश ले आयी जिसे पिछले सत्र में संसद से पारित करवा क़ानून का स्वरुप दे दिया गया। परन्तु, इसी के साथ ही समान आचार संहिता पर राजनीती का दौर शुरू हो गया है। जहाँ भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समान आचार संहिता के पक्ष में एक जनहित याचिका दाखिल कर दी है, वही विरोधी दल सरकार को राजनितिक रूप से घेरने में लगे हुए है। अधिकतर मौलवी इस विषय पर कोई भी कानून बनाने के विरोध में है। मौलवियों को आशंका है कि यह कानून मुसलमानो की पारम्परिक शरीयत कानून को हटाने और उसपर हिन्दू समाज का कानून थोपने की साजिश है। परन्तु, इस आशंका में वह भूल जाते है कि इस विषय पर कानून बनाने की मांग उनके ही समुदाय की महिलाये कर रही है जो शरीयत कानून के अंतर्गत होने वाले महिलाओं से अन्याय के त्रस्त हैं। इसके अलावा मुसलामानों के अंदर भी अनेक पंथ है जो इस विषय पर भिन्न विचार रखते है। अहमदिया, रोहिंग्या, शिया, सुन्नी, बहाबी, इत्यादि पंथ के लोगों का विचार शरीयत और आचार संहिता को लेकर अलग-अलग है।

हिन्दू समुदाय अपने साथ होने वाले पक्षपात से त्रस्त है। इन्हे ऐसा लगता है कि तुस्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत यह क़ानून को आज तक किसी भी सरकार ने छूने की हिम्मत नहीं दिखाई और वही हिन्दुओं से सम्बंधित क़ानून बिना सोचे समझे थोप दिए जाते हैं। उदहारण के लिए अगर देंखे तो आज कल लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। लव जिहाद में मुसलमान लड़के हिन्दू लड़कियों को धोखा दे कर शादी कर लेते है, धर्म परिवर्तन भी करवाते है और उसके बाद तलाक दे कर लड़कियों की ज़िन्दगी बर्बाद कर देते है। एक तरह का कानून नहीं होने के कारण गुजारा भत्ता मिलने में परेशानी हो जाती है और ऐसी वेदना की शिकार लड़कियों के लिए कोई सहारा नहीं बचता। शौहर की सम्पति में अधिकार से वंचित ये लड़किया दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जाती हैं। अपने समुदाय की यह दुर्दशा देख कर भी हिन्दू समाज या यूँ कहे तो गैर मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता में उस बचाव को ढूंढता है जिससे कम से कम महिलाओं के अधिकारों की समान रूप से रक्षा हो सके और इसमें धर्म या संप्रदाय का कोई प्रभाव न पड़े।

इसाई समुदाय के पादरी इसलिए इसका विरोध करते है क्योंकि ये क़ानून आने के बाद उनके धर्मपरिवर्तन के गोरखधंधो को लगाम लग जायेगा। उन्हें हिन्दू जीवन शैली में त्रुटि निकलने का अवसर कम मिलेगा और इसलिए, वैसे ईसाई समूह इस कानून के घोर विरोध में खड़े है। वही हिन्दू समुदाय इसी बात से दुखी है कि इन कपटी धर्मपरिवर्तन ईसाई समूह पर समय पर लगाम नहीं लग पाया और भारत का उत्तर-पूर्वी भाग लगभग ईसाई धर्म में तब्दील हो गया है। अभी समय रहते इस कानून पर अमल नहीं किया गया तो आगे और भी कई राज्य का यही हाल होने वाला है।

चुनौतियाँ – समान नागरिक संहिता के धार्मिक रूप से समर्थन और विरोध के अलावा भी कुछ चुनौतियाँ है जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्तवूर्ण है और इसलिए इस विषय पर बहस अनिवार्य है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश में विभिन्न तरीके का रीती रिवाज और परम्पराये आज भी जीवित है। यह परम्पराये अनुसूचित जनजातियों के मध्य और भी जटिल हैं। उत्तर-पूर्व के सभी राज्य अलग-अलग कबीलाई से आते हैं और संविधान में उनकी परम्पराओं को जीवित रखने का अलग प्रावधान है। ईसाई मिसनरी का गोरखधंधा यहाँ इसीलिए फल फूल रहा है, क्योंकि वह इन विविधताओं में विरोधाभास का फायदा उठा ले जाते है। इसलिए सरकार के समय पहली चुनौती यही है कि एक ऐसा क़ानून कैसे तैयार करे जो हर धर्म, संप्रदाय, समुदाय, जाति और जनजाति के संस्कृति और सामाजिक संरचना पर अनावश्यक बोझ न डाले। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती धार्मिक उन्मादियों को यह समझाना है कि समान नागरिक संहिता धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, न की किसी एक धर्म को दूसरे पर थोपने की। निकाह-हलाला और बहुविवाह की प्रथा उसी समाज के महिलाओं को सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित करती है, जिस समाज में यह प्रचलित है। इसलिए समान नागरिक संहिता लाने से सबसे ज़्यादा लाभान्वित भी वही समुदाय होने वाला है, जहाँ सबसे ज़्यादा कुरीतिया है। परन्तु, विडंबना भी यही है कि जहाँ सबसे ज़्यादा कुरीतिया है, वही पुरजोर विरोधी है।

समाधान – नागरिक आचार संहिता के चुनातियों का समाधान भी भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत में ही छुपी हुई है और वह है लोकतंत्र। चुकी यह विषय भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था और इस वर्ष हुए आम चुनाव में इसे स्पष्ट बहुमत मिला है, उससे यह साफ़ है कि देश ने अपना फैसला सुना दिया है कि समान आचार संहिता को इस देश में लागू करने का समय आ गया है। हर धर्म, संप्रदाय, समुदाय, जनजाति, जाती और वर्ग का मत इस जनादेश का हिस्सा है। इसलिए, इस सरकार को इस विषय में पहल करते हुए अनेक कदम उठाने चाहिए। पहला, संसद के अंदर सर्वदलीय समिति बने, जो इस कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हो। हर धर्म से कम से कम एक प्रतिनिधि इस समिति का हिस्सा हो जो आदर्श क़ानून बनाने में सहयोग करे। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीश इसके प्रमुख हो ताकि यह प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। तीसरा, देश भर में इस विषय पर दोतरफा संवाद प्रक्रिया चलायी जाये, जिससे हर कोने से इस क़ानून के प्रावधानों के लिए जानकारी मिल सके। चौथा, महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष – सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि समान नागरिक संहिता आज के सन्दर्भ में भारत की आवश्यकता है। अगर देश में एक अपराध के लिए एक क़ानून हो सकता है, तो एक ही नागरिक अधिकार क्यों नहीं हो सकते। धर्म और संप्रदाय के अनुसार मानवीय मूल्य नहीं बदल सकते है और इसीलिए मानव मूल्यों की रक्षा के लिए यह क़ानून बनाने का समय आ गया है। लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तम्भ-विधायिका और न्यायपालिका-भी इसकी ज़रूरत पर सहमत है। इसलिए ज़रूरत अब इसकी चुनौतियों को नजर में रखते हुए समाधान पर काम करने की है। भारतीय गणतंत्र को इस सरकार से बहुत उम्मीद है कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जायेगा।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

References :-

1. Dicey, A.V.(1952) Introduction to the study of the Law of the Constitution, Macmillan: London.
2. Constituent Assembly Debate, Vol.VII.
3. Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press: London, 1966.
4. Kumud Desai, Indian Law of Marriage and Divorce, N.M.Tripathi Pvt. Ltd, Bombay 1981,4th Edition.
5. Mahendra Pal Singh, V.N. Shukla's Constitution of India, Eastern Book Company, Lucknow, 2016.
6. M.P Jain, Indian Constitutional Law, Lexis Nexis, 7th Edition 2015.
7. S.P. Sathe, (2015).Social Justice and Legal Transformation, Vol.3, Oxford University Press, New Delhi.
8. Upendra Baxi, Towards A Sociology of Indian Law, Satwahan Publication, NewDelhi,1986.
9. Vasudha Dhagamwar, Law, Power and Justice, Sage Publication, New Delhi,1994.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Journey of Indian GAAP from Accounting Standards to Ind-AS

CA. Manish Borad* Dr. Purushottam Gautam**

*Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) INDIA
** Principal (Commerce) Govt. Girls College, Badwani (M.P.) INDIA

Abstract - Accounting is art and science of analyzing and comparing pertinent financial and non-financial data in such a way that it offers a true and precise picture of an Entity performance over a period of time. Such financial information is used by various stakeholders in decision making. In India the Institute of Chartered Accountant's of India is credited in developing the accounting principles which were codified as Accounting Standards recognized statutorily in Companies Accounting Standard Rules by Ministry of Corporate Affairs. Every auditor has to report on deviation from these mandatory accounting standards. These standards have evolved from time to time and have been widely discussed and considered by Courts even under taxation laws. The taxing statute have devised their own Income computation standards from the AS under a long harmonization process. On international front the International Financial Reporting Standards have been recognized as common accounting language in more than 120 countries of the world and it was felt that such IFRS be adopted in India to open the international financial markets for Indian Companies. After a long debate, it was decided by Government to converge Accounting Standards to IFRS instead of adoption and this pave the way for Indian Accounting Standards (Ind-AS). Now the Ind-AS are statutorily implemented on various class of entities in a phased manner and it is aimed that the Ind-AS shall gradually become the accounting language of India.
Keywords- IndAS, Accounting Standards, ICDS.

Introduction and Background of Accountancy in India - Accounting is an important tool to measure the performance of a business for the purposes of comparison and help in the process of decision making by the management and other stakeholders. Accounting could be defined as the art and science of analyzing and comparing pertinent financial and non-financial data in such a way that it offers a true and precise picture of an Entity performance over a period of time. The result of accounting is summarized in the financial statements commonly known as Balance Sheet and Profit and Loss account. Balance Sheet shows the financial solvency picture of the entity on a particular date and Profit and loss account explains the performance of such entity over the reporting period.

FIG 1. Accounting Cycle/Accounting Process

In past it was observed that difference accounting principles were being followed by different entities sometimes to suit their purposes resulting in misleading figures which caused great loss to the stakeholders relying on such financial information. Therefore, it was felt that the accounting process should be regulated to ensure true picture of the financial information and the task was taken up by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) which is the premier accounting body of the country and formed under an Act of Parliament.

Accounting Standards - ICAI took the task of standardizing the accounting policies, principles and procedures and started developing the Accounting Standards one by one. ICAI for this purpose established the Accounting Standards Board (ASB) on April 21, 1977, to conceive of and suggest areas in which Accounting Standards need to be developed and to formulate Accounting Standards with a view to assisting the Council of the ICAI in evolving and establishing Accounting Standards in India. Another purpose for standards was to examine how far the relevant International Accounting Standard/International Financial Reporting Standard can be adapted while formulating the Accounting Standard and to adapt the same. These standards were to be reviewed at regular intervals from the point of view of

acceptance or changed conditions, and, if necessary, revise the same. ICAI has also contributed from time to time, interpretations and guidance on Accounting Standards.

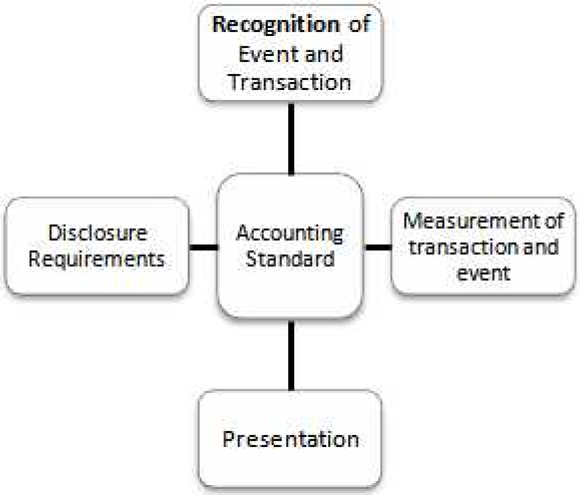

Fig 2. Essentials of an Accounting Standards

These accounting standards became the Indian Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and are now being followed by millions of corporate and non-corporate entities in India. Presently there are 31 Accounting Standards issued by ICAI.

It is the responsibility of an eligible entity's management to ensure that these standards are followed while compiling and issuing financial statements. Additionally, auditors of such financial statements are required to report on whether the entity has guaranteed total compliance with these requirements.

By inserting Section 210A in the Companies (Amendment) Act, 1999, the Government of India established the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS), an advisory body on accounting standards, for the formulation and laying down of accounting policies and standards for adoption by companies or classes of companies under the Act. By virtue of Section 132 of the Companies Act, 2013, the National Financial Reporting Authority (NFRA)has taken its place. Companies must adopt NFRA (formerly NACAS) accounting rules after the organization's formation.

Indian GAAP - Generally Accepted Accounting principles (GAAP) varies from country to country. Each and Every country has its own accounting principles as per their requirements. If we talk about india, Indian GAAP means the set of accounting standards which are mandatory to be followed, while financial reporting before convergence with international Financial Reporting Standards.

Harmonization of Accounting Standards with Global Standards - Harmonization can be defined as the act of reconciling or bridging differences in viewpoints and practices. As a result, International Accounting Harmonization entails the unification of multiple countries' accounting standards in order to provide global standardization and comparability of financial accounts.

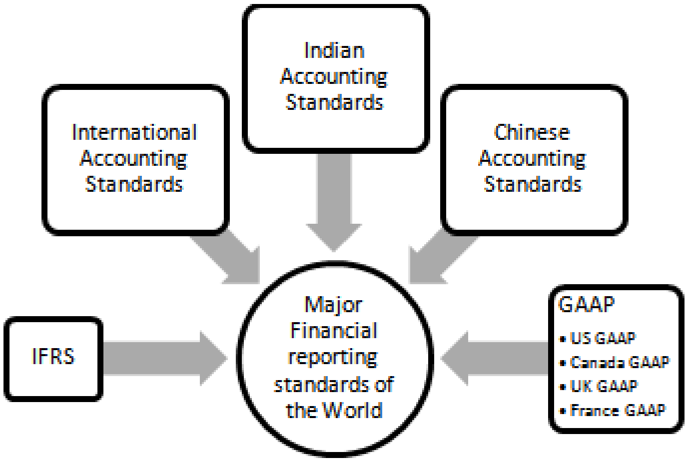

Figure 3. Major Financial reporting Standards across the world

The foundation stone for any company enterprise's success is a trustworthy, reliable, transparent, and comparable accounting system. The financial statement is the only document available to outside interested parties that allows them to determine the true value of the company. As a result, the information must be trustworthy, accurate, and transparent in order to give people confidence that the information presented is correct and that they may make critical decisions based on it. In terms of comparability, various interested parties such as banks and shareholders compare financial data such as numbers, ratios, and other metrics with peers in the industry, both national and international, in order to determine whether the business is operating well. As a result, the element of trust in those assertions is critical for every corporate entity in today's world.

IFRS and Ind AS - In 1973, International Accounting Standards Committee (IASC) was formed upon which the responsibility was set to issue the International Accounting Standards. In 2001, IASC was replaced by the International Accounting Standards Board (IASB) which is an independent body consists of members from nine different countries around the globe having variety off functional backgrounds. Since then IASB is responsible to issue International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Accounting Standards (IAS). International Financial Reporting Standards(IFRS) is a set of accounting standards developed to provide a common global language for business affairs so that company's financial statements are comparable and comprehensible across the international boundaries.

In 1991, the Indian government launched the Liberalization, Privatization, and Globalization Policy commonly known as LPG Policy, which linked the Indian economy to the global economy. As a result, there is a greater demand for financial information that is transparent,

relevant, and comparable. Financial information should have all of the above features in order to boost much-needed foreign investment in the country, and this can only be done with internationally acknowledged accounting standards.

In recent years, the International Accounting Standards Board(IASB) International's Financial Reporting Standards (IFRS) have become the global accounting language. The fact that 120countries including European Union, demand IFRS for all or most of their domestic publicly responsible businesses (listed firms and financial institutions) in their capital market, including India, demonstrates the language's global popularity. There are some additional countries, including China, that have publicly committed to using the International Financial Reporting Rules (IFRS) as the single set of global accounting standards. As a result, countries accounting for more than half of global GDP have already adopted the International Financial Reporting Standards (IFRS) as their accounting language.

Indian Accounting Standards (Ind AS) in India - Indian GAAP is rule based accounting rules for companies operating in India whereas IFRS is principle based high quality standards applicable across glob/. Though IFRS is not mandatory but more than 120 countries have already adopted their local STD with IFRS. Conversion or adoption of IFRS would bring down the cost of capital and improve the accounting quality in India.

Government of India commitment to IFRS-converged Ind AS - As per the original roadmap for implementation of IFRS-converged Ind AS issued by the Government of India, initially Ind AS were expected to be implemented from the year 2011. However, keeping in view the fact that certain issues including tax issues were still to be addressed, the Ministry of Corporate Affairs decided to postpone the date of implementation of Ind AS. The Hon'ble Finance Minister of India, Shri Arun Jaitely Ji, in his Budget Speech in July 2014 stated that –

"There is an urgent need to converge the current Indian accounting standards with the International Financial Reporting Standards (IFRS). I propose for adoption of the new Indian Accounting Standards (Ind AS) by the Indian companies from the financial year 2015-16 voluntarily and from the financial year 2016 -17 on a mandatory basis. Based on the international consensus the regulators will separately notify the date of implementation of Ind AS for the Banks, Insurance companies etc. Standards for the computation of tax would be notified separately".

Pursuant to the above announcement, the Government of India and the Institute of Chartered Accountants of India shows their willingness to converge the existing Indian Accounting Standards (A.S.) with the International Financial Reporting Standards (IFRS), and the Ministry of Corporate Affairs (MCA) notified the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 prescribing the new IAS.

Thus at present there were two types of standards are present in India. The first set consists of Accounting Standards as defined by the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, i.e. existing Indian Accounting Standards that apply to organizations not covered by Ind AS. The second set includes the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA).Thus, after a long and complicated process of talks and deliberation, Ind AS has been implemented in India, and we are on our way to merging Indian financial reporting standards with international norms.

Adoption entails adopting the International Financial Reporting Standards (IFRS) as established by the International Accounting Standards Board (IASB) in their whole and without modification. Convergence, on the other hand, would imply that IFRS and Indian Accounting Standards would collaborate on a continuing basis to establish completely compliant standards, with IFRS being implemented but with modifications to suit Indian conditions.In this perspective, it is important to recognize that India has chosen convergence over adoption. As a result, there may be some variances between IFRS and Ind AS which are termed as Curve Out from IFRS.

The volume and breadth of differences between Indian GAAP and Ind AS is enormous. Further, its impact will vary by industry and for each company. Ind AS will cover every area comprising reported revenues, expenses, assets, liabilities and equity. In our view, companies will have to devote substantial amount of their time especially in the following areas while preparing for Ind AS adoption.

The Ind AS are named and numbered in the same way as the corresponding International Financial Reporting Standards (IFRS). National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS) recommends these standards to the Ministry of Corporate Affairs (MCA). MCA has to spell out the Indian Accounting Standards applicable for companies in India. As on date MCA has notified 39 Ind AS.

Applicability of Ind AS on Entities in India - In March 2014, ICAI proposed the roadmap for adoption of IFRS converged standards i.e., Indian Accounting Standards or IND AS. On 16th February, 2015 MCA notified the final roadmap for adoption and implementation of Indian Accounting Standards (IND AS) in India. At that time, ICAI issued 39Indian Accounting Standards which have been notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND-AS Rules), of Companies Act, 2013.

As per this roadmap, the first set of accounting standards i.e. converged accounting standards (Ind AS) shall be applied to the following specified class of companies for preparing their first Indian Accounting Standards (Ind AS) consolidated financial statements for the accounting period beginning on or after April 1, 2016, with comparatives for the year ending 31st March 2016 or

thereafter.

The applicability is brought out in a phased manner and the summarized position of applicability is that all companies listed on stock exchanges other than Small and Medium Exchanges, Unlisted companies with net worth over Rs.250 Crores, etc are under Ind-AS regime apart from specific entities like Banks, Insurance companies, and non corporate which are presently excluded from following Ind-AS.

The implementation of Ind-AS is considered as beneficial for the positive results it has demonstrated in case of large corporate. It has by far helped Ind-AS compliant companies to raise more foreign capital at a lower cost because the Ind AS has standardized financial statements in accordance with international norms, increasing financial statement credibility. Also it being based on fair value premise is considered to reveal better transparency, integrity and comparability of financial information across the world.

The Way ahead - There is a need to identify the disclosures which are relevant and to eliminate the unnecessary ones to reduce the burden on the management for extensive disclosures. ICAI needs to organized Seminars, workshops and conferences are required to be conducted to explain the complex accounting structures in Ind AS. There is need to synchronize the taxation structure with the Ind AS framework to maintain same level of accounting for both. ICAI should ensure that Ind AS do not become to complex to understand that it deflects from its main objective of transparency in financial statements. There should be ease of understanding of accounts by investors andother stakeholders. Its around 5 years in Ind AS implementation in India, still it covered only large entities which are listed or having net worth above Rs. 250 crores. Government inconsultation with ICAI should expand the circle to include other entities as well to implement Ind AS in India on a larger scale. The author believes that with the virtues of fair value and principle based accounting the new Ind-AS will replace the accounting standards and become common accounting language of the Country.

References:-

Books:

1. Accounting Theory by Professor Jawahar Lal, 2011
2. Financial Accounting-I by Dr. Chandra Shekhar, 2005
3. Evolution and Adoption of Accounting Standards: The Indian Case by James Mathew, Dec 1993
4. An Analytical Study of Accounting Standards in India by S.C. Bhandari

Articles, Reports and Journals:-

1. International Conference on Economics, Business and Economic Education (Volume 2020)
2. Aditya Birla Sun Life Insurance Limited annual report, 2020-21

Websites:-

1. economictimes.indiatimes.com/articleshow/59374701.cms?utm_source=content of interest & utm_medium=text&utm_campaign=cppst
2. www.pwc.in/publications/2016/ind-as-pocket-guide-2016
3. www.researchgate.net/publication/The Influence of Culture on Judgments of Accountants in Fiji
4. https://papers.ssrn.com/sol3/papers
5. https://scholar.google.com
6. www.icai.org/post/impact-study-and-research-papers
7. www.icai.bos.org
8. www.rajratan.co.in
9. www.ujaas .com
10. www.texmopipe.com
11. www.kritinutrients.com
12. www.kritiindustries.com
13. www.dilipbuildcon.com
14. www.yellowdiamond.in
15. www.grasim.com
16. www.infobeans.com
17. www.flexituff.com
18. www.shaktipumps.com
19. www.bseindia.com
20. www.nseindia.com
21. www.moneycontrol.com
22. www.screener.com
23. www.zaubacorp.com
24. http://www.icai.org/
25. www.rbi.org.in
26. www.irdai.gov.in
27. www.mca.gov.in
28. www.farlex.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

A Comparative Study of Performance of Private and Public Sector General Insurance Business in India from 2007-08 to 2020-21

Dr. P. K. Sanse* Ekta Pandey**

*Professor (Commerce) Bherulal Patidar Govt. PG. College, Mhow (M.P.) INDIA
** Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - Everyone knows about the series of reforms has been taken from time to time in the insurance industry. In the recent decade many private and foreign players had entered into general insurance business. Some insurance companies are performing in profit and some in losses. The study mainly concentrated on measuring financial performance of the private and public general insurance companies. This research study also aims to find and present that from private and public sector, which sector performance is better. For this purpose four companies has been selected from private sector and four companies from public sector from the year 2007-08 to 2020-21. For this research study the performance of private and public sector companies are find out with the help of trend analysis, ratio analysis and with the annual average growth rate. This will present the individual performance with the total of four public and total of four private sector companies.
Keywords- Performance, general insurance, insurance business, private sector, public sector, comparative.

Introduction - General insurance also known as non-life insurance. According to its name it works for other than life insurance. It secures the assets of the insured person. Hence in simple word, non-life insurance is concerned with insuring oneself against loss of vehicles, property, cargo or losses caused due to damage on seas, due to fire, burglary and losses during travel etc. This study is with private and public sector companies. More than a decade has passed since the independence of private insurance business in India. It has seen that profitability of the both the sectors are not beneficial while private sector are in much better conditions then the public sector. That is why the finance minister provide financial help to public sector companies. The main aim of this research study is that to see the aspects of performance of companies from both the sectors.

General insurance business in India - Early methods of transferring or distributing risk were practiced by Chinese and Babylonian traders around 4000 years ago. The oldest documented insurance company of the world, dates back to 1710. Originally known as the Sun Fire Office, it started not all that long after the original fire office, and probably while the first was still in business. The Sun fire office, through many mergers and acquisitions, is today known as Royal and Sun Alliance, Britain's largest insurance company.

In the year **1993**, the government of India set up a committee under the chairmanship of R. N. Malhotra. He was the former governor of RBI. The main purpose for setting up of this committee was to purpose recommendations for reforms in the insurance sector. In the year **1994**, the committee submitted its report where, the committee recommended that the private sector should be permitted to enter into the insurance industry. They stated also that foreign companies are also be allowed to enter into the Indian insurance industry. In the year **1999**, just after the recommendation of Malhotra Committee. The Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) was constituted as an autonomous body to regulate and develop all parts and every aspects in the insurance industry.

Literature Review

There are various review of literature has been done for this study. Some of them are discussed below:-

AMIT HOLE AND DR. ASHUTOSH MISAL (2013) in the research journal title "**ANALYSIS OF PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN PUBLIC SECTOR IN COMPARISON WITH PRIVATE SECTOR GENERAL INSURANCE COMPANIES"** according to the research journal the employees who work related with sale of insurancepolicies in private sector general insurance companies is performing good than employees who work related with sale of insurance policies in public sector general insurance companies. Human Resource policies of public sector required to be more performance based. High employee performance is major key for survival and growth of company in upcoming

era of competition.

VIJAY DWIBHASHI (2014) the research journal "CHALLENGES OF GENERAL INSURERS IN THE EVENT OF A MAJOR CATASTROPHE IN INDIA" the study concluded that India which is highly vulnerable to climate change and/ or manmade disaster, suffers with one or the other majorcatastrophe affecting our GDP every year. The insurance faces the lethal combination of high accumulation and low penetration. Though we have catastrophe in the past but owing to the low penetration ratio, the actual testing has not been performed yet, but a small event can prove a disasters. With our megacities getting bigger the vulnerability is only increasing. According this study we need to develop a robust model to increase our penetration and reduce accumulation. This can either be done by mandating covers or increasing awareness. The study requires to special mention about the need to develop catastrophe pools and investment in bonds reducing the dependency on government for ex-gracias. The business interruption policies are understood to present a great amount of risk associated with it if written without consideration. In this effort, the attempt was made to discuss end-to-end issues related to challenges faced by general insurers in the event of a catastrophe in our country.

SHWETA RANA (2014) the research journal "MICRO INSURANCE: A CASE FOR STANDALONE COMPANIES" here, this research is related to the micro-insurance regulation act 2005, from this year of regulation the country adopt micro-insurance regulation. The regulation set boundaries for the cost and coverage of product and provides clarity about distribution mechanisms. Every insurance company is expected to share the data relating to products in its "public disclosures". Data from companies should also be made available for the benefit of existing and prospective consumers and for research and policy. According to this research micro insurance in India can be compared as a glass of water either half full or half empty.

RAMESH BHAT AND ELAN BENJAMIN REUBEN (2002) in this research article title **MANAGEMENT OF CLAIMS AND REIMBURSEMENTS: THE CASE OF MEDICLAIM INSURANCE POLICY,** here in this article the study concluded as the mediclaim scheme had experienced an impressive growth in the number of persons applying for the scheme. This had happened particularly after the revised policy was introduced in 1996. It was estimated that about 2.5 million persons were insured under the scheme.

KUMAR, ROHIT (2010) in his thesis on "**PERFORMANCE EVALUATION OF GENERAL INSURANCE COMPANIES: A STUDY OF POST-REFORM PERIOD"** It has been found that privatization has contributed towards improving the overall working of both the public and private sector general insurance companies. The private sector general insurance companies have comparatively shown more improvement than the public sector companies in terms of overall working, time taken to settle claim, procedure and formalities to settle claim, etc. However, the public sector companies have recorded greater improvement than the private sector companies in relation to innovation of new policies and products. There is no significant gap in the impact of privatization on the public and private sector companies regarding procedure and formalities of taking policy, price of policies after detarrification, behaviour and efficiency of employee and agents.

MS. MANISHA S. MODI (2011) in her thesis on **"A COMPEARATIVE PERFORMANCE STUDY OF GENERAL INSURANCE PUBLIC SECTOR COMPANIES OF INDIA"** this research shows the profitability of General Insurance industry has improved in the year 2005-06 and 2006-07. Suggestions are also given that companies should control on management expenses and companies should increase infrastructure facility for common people.

TANVEER AHMAD DARZI (2011) in her thesis on **"FINANCIAL PERFORMANCE OF INSURANCE INDUSTRY IN POST LIBERALIZATION ERA IN INDIA"** This research finds that private insurers are not clearly shows the funds available in the companies in the shape of technical reserves and shareholders' funds. It also finds that the decrease in overall profitability is a result of underwriting losses of private insurers. Various suggestions are also given in the research study.

Objective of the study- The objective of this research paper are as below:

1. To study the theoretical description of General Insurance and its business in India.
2. To analyze the performance of General Insurance business in India through trend analysis.
3. To analyze the performance of General Insurance business in India through ratio analysis.
4. To understand the problems faced by General Insurance business in India.

Hypotheses of the study- Performance of public sector general insurance companies are increasing than private sector general insurance companies.

Research methodology - The required data of selected four companies from private sector and four companies from public sector are presented through simple classification and with help of percentage, annual average growth rate through trend analysis and ratio analysis. Annual average growth rate and grand average of total of private and public sector companies are also in the analysis. The hypothesis are tested withheld of standard ratios relating to these units. This research study is based on sampling method investigation. Secondary data has been used here in the form of annual report of the companies and from IRDA reports.

Following tables are presented with the data summarizing, analysis and interpretations which applied on both for trend analysis and ratio analysis for the performance of general insurance companies:-

Table 1 (See in last page)

Explanation – As per the above table Bajaj co., Icici co., Royal sundaram and Star health has shown increasing trend in every year. Annual Average Growth Rate of Star health is 35.08 which is highest among all companies. Annual Average Growth Rate of total of private co. is 22.10

Trend analysis (See in last page)

Explanation – As per the above tableall companies has shown ups and downs in trend. Annual Average Growth Rate of AIC is 22.30 which is highest among all companies. Annual Average Growth Rate of total of public co. is 7.72

Table 2 (See in last page)

Explanation – As per the above table Bajaj co., Icici co., Royal sundaram and Star health has shown increasing trend. Annual Average Growth Rate of Star health is 33.06 which is highest among all companies. Annual Average Growth Rate of total of private co. is 20.68

Trend analysis (See in last page)

Explanation –As per the above table all companies has shown ups and downs in trend. Annual Average Growth Rate of AIC is 18.19, which is highest among all companies. Annual Average Growth Rate of total of public co. is 3.11

The following are the performance ratios

Table 1 (See in last page)

Total assets to operating income Ratio = Operating income/ Total assets

Total assets to operating income Ratio is one of the important performance ratio of the general insurance company. The annual average growth rate of **Total assets to operating income** ratios has shown negative in Bajaj, icici and Royal sundaram co. from private and negative in AIC only from public sector. The grand average of the total private is 0.4013 and total of public is 0.5855. This shows higher **total assets to operating income** ratio in public sector.

Table 3 (See in last page)

Net Capital employed to operating income ratio = Operating income/ Capital employed

Net Capital employed to operating income ratio is also one of the important ratio of the general insurance company. The annual average growth rate of the ratio shown negative in all except star health co. of private and all companies have positive annual average growth rate in public sector. The average of the total private is 1.6776 and total of public is 1.4128. This table shows that private sector companies has been used some better employedcapital into the business to get operating income in comparison of public sector companies.

Table 4 (See in last page)

Shareholder's fund to operating income ratio = Operating income/ Shareholder's fund

Shareholder's fund to operating income ratio is one of the important ratio of the general insurance company. The annual average growth rate of the ratio shown negative in all except star health co. of private and all companies have positive annual average growth rate in public sector. The grand average of the total private is 1.7487 and total of public is 1.5949. This table shows that private sector companies has been used some better Shareholder's fund in the business to get operating income in comparison of public sector companies.

Conclusion and test of hypothesis- After the study of trend and various important ratios that included in the research study, it can be concluded that private sector general insurance companies performing better business than the public sector general insurance companies. The necessary steps should be taken to help to improve the public sector general insurance companies. Thus on the basis of above analysis and interpretations it can be said that the above hypothesis is false.

References:-

1. Kasturi, R. (2006), "Performance Management in Insurance Corporation" *Journal of Business Administration Online, S*pring, Vol. 5, No.1, pp. 1- 30, Available at: http://JBAO.ATU.Edu,Accessed on 10-6-2007.
2. Leverty, J. T.; and Grace, M.F. (2008), "Issues in Measuring the Efficiency of Property - Liability Insurers", July, pp. 1-37.
3. Verma, S. (2000), "Performance Appraisal of the General Insurance Corporation of India", M.Phil. Thesis, Submitted to Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi.
4. Hoyt, R.E.; and Powell, L.S. (2006), "Assessing Financial Performance in Medical Professional Liability Insurance", *Journal of Insurance Regulation*

Table 1- Trend analysis of total assets of private sector general insurance companies(Rs. in 000)

Private sector companies	DESCRIPTION	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Annual Average growth rate (%)
BAJAJ ALLIANZ GIC	AMOUNT	15.85	21.22	25.94	31.46	38.67	47.31	56.88	62.53	79.1	97.67	132.84	152.4	176.15	217.51	22.32
ICICI LOMBARD GIC	AMOUNT	27.94	43.27	54.2	67.86	89.19	97.74	112.23	111.68	125.6	198.02	252.71	277.67	311.70	327.00	20.83
ROYAL SUNDARAM	AMOUNT	4.83	6.29	8.34	10.86	14.28	16.39	18.48	20.52	22.00	26.99	36.54	46.39	55.55	62.96	21.84
STAR HEALTH	AMOUNT	1.21	1.58	4.4	4.84	5.8	6.84	7.03	8.47	9.57	13.08	18.18	26.57	33.73	60.30	35.08
TOTAL OF PRIVATE CO.	AMOUNT	49.83	72.36	92.88	115.02	147.94	168.28	194.62	203.2	236.27	335.76	440.27	503.03	577.13	667.77	22.10

Trend analysis of total assets of public sector general insurance companies(Rs. in 000)

PUBLIC SECTOR COMPANIES	DESCRIPTION	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Annual Average growth rate (%)
NEW INDIA ASSURANCE	AMOUNT	286.94	237.16	325.53	351.22	366.47	387.92	453.26	528.98	540.12	595.97	638.86	679.93	633.38	771.58	7.91
UNITED INDIA INSURANCE	AMOUNT	132.67	106.08	143.22	156.95	170.08	191.99	207.1	231.2	219.21	264.29	289.87	300.83	282.99	355.77	7.88
ORIENTAL	AMOUNT	142.94	113.31	152.79	166.15	167.13	185.46	196.45	217.23	216.2	243.34	238.95	272.81	208.03	195.14	2.42
AGRICULTURE INSURANCE CORPORATIONS	AMOUNT	14.2	17.36	22.17	30.34	30.29	42.48	43.21	54.08	63.99	108.08	124.51	113.83	168.59	194.50	22.30
TOTAL OF PUBLIC CO.		576.75	473.91	643.71	704.66	733.97	807.85	900.02	1031.49	1039.52	1211.68	1292.19	1367.4	1292.99	1516.99	7.72

Table 2- Trend analysis of net capital employed of private sector general insurance companies(Rs. in 000)

Private sector companies	DESCRIPTION	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Annual Average growth rate (%)
BAJAJ ALLIANZ GIC	AMOUNT	**5.75**	**6.72**	**7.93**	**8.36**	**9.59**	**12.55**	**16.64**	**22.25**	**27.9**	**35.35**	44.66	51.64	56.42	75.24	21.87
ICICI LOMBARD GIC	AMOUNT	**10.58**	15.28	17.92	19.44	**19.07**	20.28	24.95	31.79	34.85	48.89	57.6	61.44	61.91	86.01	17.49
ROYAL SUNDARAM	AMOUNT	**1.76**	**2.2**	**2.53**	**2.98**	**3.61**	**4.56**	**5.25**	**5.5**	**5.71**	**7.57**	11.24	12.34	11.62	15.04	17.94
STAR HEALTH	AMOUNT	1.09	1.13	3.13	3.8	4.42	5.49	5.45	6.37	7.19	10.3	12.8	17.43	21.57	44.67	33.06
TOTAL OF PRIVATE CO.		19.18	25.33	31.51	34.58	36.69	42.88	52.29	65.91	75.65	102.11	126.3	142.85	151.52	220.96	20.68

Trend analysis of net capital employed of public sector general insurance companies(Rs. in 000)

PUBLIC SECTOR COMPANIES	DESCRIPTION	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Annual Average growth rate (%)
NEW INDIA ASSURANCE	AMOUNT	**209.32**	**147.39**	**230.72**	**238.44**	**231.76**	**242.85**	**274.72**	**334.54**	**304.47**	**358.63**	385.77	382.06	277.02	376.81	4.63
UNITED INDIA INSURANCE	AMOUNT	82.78	54.74	89.61	89.64	84.34	87	96.53	114.76	98.67	94.76	99.19	72.98	17.93	77.66	-0.49
ORIENTAL	AMOUNT	**96.41**	**59.49**	**100.47**	**103.12**	**98.93**	**104.33**	**114.92**	**129.11**	**121.09**	**123.25**	118.14	111.99	44.00	85.53	-0.92
AGRICULTURE INSURANCE CORPORATIONS	AMOUNT	5.27	7.32	7.72	11.27	15.92	19.41	21.86	23.36	26.28	29.77	35.81	39.79	40.85	46.26	18.19
TOTAL OF PUBLIC CO.		393.78	268.94	428.52	442.47	430.95	453.59	508.03	601.77	550.51	606.41	638.91	606.82	379.8	586.26	3.11

Table 1- Total assets to operating income ratio

COMPANIES	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Annual average growth rate (%)	Average of ratios
PRIVATE SECTOR COMPANIES																
BAJAJ ALLIANZ GIC	0.8929	0.8913	1.0145	0.9436	0.8934	0.9210	0.7588	0.8194	0.7019	0.7498	0.4561	0.4599	0.4659	0.3419	-7.12	0.2127
ICICI LOMBARD GIC	0.6063	0.4858	0.4271	0.4438	0.4168	0.4334	0.4155	0.4033	0.4065	0.3272	0.2735	0.3016	0.3017	0.3062	-5.12	0.0286
ROYAL SUNDARAM	0.9239	0.9515	0.8569	0.8071	0.7739	0.7567	0.7121	0.6358	0.6320	0.6377	0.5311	0.4713	0.4105	0.3360	-7.49	0.1298
STAR HEALTH	0.7309	1.9133	1.3881	1.7169	1.3930	0.7478	0.9612	1.2021	1.5821	1.4610	1.5072	1.3785	1.3886	0.7672	0.37	1.2339
Grand Average																**0.4013**
PUBLIC SECTOR COMPANIES																
NEW INDIA ASSURANCE	0.1677	0.2213	0.1754	0.1843	0.2149	0.2436	0.2470	0.2517	0.2899	0.2989	0.3087	0.3160	0.3715	0.3399	5.58	0.6141
UNITED INDIA INSURANCE	0.2037	0.3016	0.2680	0.2961	0.3579	0.3777	0.3671	0.3813	0.4572	0.4553	0.4437	0.4356	0.4857	0.3909	5.14	0.6908
ORIENTAL	0.2012	0.2707	0.2350	0.2597	0.2928	0.2952	0.3031	0.2958	0.3249	0.3445	0.4029	0.3886	0.5251	0.5656	8.28	0.8657
AGRICULTURE INSURANCE CORPORATIONS	0.4479	0.4278	0.4613	0.4205	0.4358	0.3475	0.3814	0.2955	0.2910	0.1853	0.1429	0.1451	0.1095	0.3505	-1.87	0.1715
Grand Average																**0.5855**

Total assets to operating income Ratio = Operating income/ Total assets

Table 3- Net Capital employed to operating income ratio

COMPANIES	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Annual average growth rate (%)	Average of ratios
PRIVATE SECTOR COMPANIES																
BAJAJ ALLIANZ GIC	2.4626	2.8124	3.3188	3.5525	3.6036	3.4710	2.5934	2.3023	1.9901	2.0719	1.3565	1.3574	1.4545	0.9883	-6.78	1.7704
ICICI LOMBARD GIC	1.6011	1.3753	1.2917	1.5491	1.9499	2.0886	1.8690	1.4167	1.4653	1.3253	1.1999	1.3632	1.5190	1.1643	-2.42	1.2506
ROYAL SUNDARAM	2.5303	2.7190	2.8238	2.9364	3.0593	2.7213	2.5044	2.3710	2.4346	2.2744	1.7267	1.7716	1.9609	1.4064	-4.42	1.9213
STAR HEALTH	0.8124	2.6712	1.9516	2.1875	1.8299	0.9312	1.2398	1.5978	2.1063	1.8555	2.1401	2.1009	2.1717	1.0358	1.89	1.7681
Grand Average																**1.6776**
PUBLIC SECTOR COMPANIES																
NEW INDIA ASSURANCE	0.2299	0.3561	0.2475	0.2715	0.3398	0.3892	0.4076	0.3980	0.5143	0.4967	0.5113	0.5624	0.8494	0.6962	8.90	1.0113
UNITED INDIA INSURANCE	0.3264	0.5844	0.4283	0.5185	0.7217	0.8335	0.7877	0.7682	1.0158	1.2698	1.2967	1.7955	7.6662	1.7908	13.99	2.2529
ORIENTAL	0.2983	0.5155	0.3574	0.4184	0.4946	0.5163	0.5181	0.4977	0.5801	0.6802	0.8150	0.9467	2.4829	1.2905	11.93	1.4894
AGRICULTURE INSURANCE CORPORATIONS	1.2082	1.0137	1.3246	1.1325	0.8292	0.7604	0.7537	0.6844	0.7087	0.6728	0.4969	0.4151	0.4520	1.4734	1.54	0.8977
Grand Average																**1.4128**

Net Capital employed to operating income ratio = Operating income/ Capital employed

Table 4- Shareholder's fund to operating income ratio

COMPANIES	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Annual average growth rate (%)	Average of ratios
PRIVATE SECTOR COMPANIES																
BAJAJ ALLIANZ GIC	2.4626	2.8124	3.3188	3.5525	3.6036	3.4710	2.5934	2.3023	1.9901	2.0719	1.3565	1.3574	1.4545	0.9883	-6.78	1.7704
ICICI LOMBARD GIC	1.6011	1.3753	1.2917	1.5491	1.9499	2.0886	1.8690	1.4167	1.4653	1.4713	1.3103	1.4800	1.6481	1.2339	-1.98	1.3180
ROYAL SUNDARAM	2.5303	2.7190	2.8238	2.9364	3.0593	2.7213	2.5044	2.3710	2.4346	2.6207	1.8954	1.9278	2.1454	1.5066	-3.91	2.0191
STAR HEALTH	0.8124	2.7272	1.9723	2.2280	1.8299	0.9312	1.2398	1.5978	2.1063	1.8555	2.6595	2.4530	2.4564	1.0972	2.34	1.8871
Grand Average																**1.7487**
PUBLIC SECTOR COMPANIES																
NEW INDIA ASSURANCE	0.2299	0.3561	0.2475	0.2715	0.3398	0.3892	0.4076	0.3980	0.5143	0.4967	0.5113	0.5624	0.8494	0.6962	8.90	1.0113
UNITED INDIA INSURANCE	0.3264	0.5844	0.4283	0.5185	0.7217	0.8335	0.7877	0.7682	1.0158	1.2649	1.4261	2.0481	15.3937	2.0256	15.08	2.8815
ORIENTAL	0.2983	0.5155	0.3574	0.4184	0.4946	0.5163	0.5181	0.4977	0.5801	0.6802	0.8150	1.0146	2.9931	1.4145	12.72	1.5889
AGRICULTURE INSURANCE CORPORATIONS	1.2082	1.0137	1.3246	1.1325	0.8292	0.7622	0.7548	0.6854	0.7092	0.6728	0.4969	0.4151	0.4520	1.4734	1.54	0.898
Grand Average																**1.5949**

Shareholder's fund to operating income ratio = Operating income/ Shareholder's fund

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Social Reality in Indo-English Fiction

Dr. Rajkumari Sudhir*

***Asst. Professor (English) Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - A novel is really neither a sociological tract nor a pure work of art. Those people who are obsessed with the literary purity and propaganda-free content of art are clearly the victims of a particular ideology.

Introduction - The major themes of Indo-English fiction are all rooted in social reality is obvious and this is clear when we go through the excellent summary provided by S.C. Harrex in his significant book; *The Fire and the Offering: The English Language Novel of India, 1935-1970 Vol. I:*

(1) Protest, Reform and Proletarian Progressivism:

(a) The exposure and censure of social evils like poverty, the economic and moral iniquities of the caste system and untouchability, dehumanizting, superstition and the corruption and parasitism of such exploiter-groups as imperialists, capitalists, money-lenders, landlords, black-marketers and bogus gurus;

(b) The vision of a human society, socialist utopianism and a call to the intellectuals and repressed classes to unite, revolt and liberate the underprivileged.

(2) India's Modern Destiny:

(a) Te revolutionary nationalist struggle for Independence, Gandhian non-violence and moral force, Nehru's scientific humanism, random terrorism, the growth of a modern historical sense;

(b) The catastrophe of Hindu Muslim discord and the tragedy of Partition;

(c) The emergence of the New India, urban and political life in the most post – Independence era, India's relations with her territorial neighbours.

(3) Social Change and Cultural Transformation:

(a) Peripheral and dynamic effects of progress on the village;

(b) The breakdown of the feudal structure and the large joint family, nostalgic reminiscence, the passing of the Princes, conflict between ancestral orthodoxy and rebellious individualism, the tenacity of family codes of loyalty and duty, ideals of self-denial opposed to youthful self-expression, the generation gap in the context of the arranged marriage, romantic love and feminine emancipation;

(c) The search for *synthesis*, [fusion of modern and traditional values], social experiments in liberal humanism, the industrial revolution;

(d) Contemporary alienation and existentialism —the intellectual divided between tradition and modernity, the moral or spiritual incompatibility of personal integrity and social values, introspective despair and existential torment.

(4) Regional and Communal Identities:

(a) The village and the peasantry - the struggle against natural calamity, the agrarian culture, traditional *mores* and folklore, the tyranny and charm of custom;

(b) Racial and regional life patterns, the ethnic divisions in Indian society, comedy of manners, the complexity of inter-regional communication, the sense of place and local deity, and the moral disruption caused by loss of identification.

(5) The East-West Encounter: Culture shocks and contrasts, Hindu metaphysics and Western pragmatism, racial tension and colonial conflict, European and Indian expatriatism, the ambiguity of identity, the Anglo Indian dilemma, readjustment problems of the 'England-returned', the quest for inter-cultural understanding, different concepts of freedom and happiness, and the effect of Western Values on Indian Social Relations and Codes.

(6) Questioning Affirmation of Tradition: The living vitality of religious myth and social symbols, the aesthetic and ascetic approaches to life, the operations of *dharma, karma* and *moksha,* involvement and renunciation, illusion and reality, the Brahmanic consciousness, the psychology of faith, the progress from *asrama*to *asrama*the ideal of the guru, and the pilgrimage to Ganga and God (Calcutta: Writers Workshop, 1997. 15-17).

The inextricable link between art and the environment wherein it is created can never be over emphasized. Art is, and always has been a social activity in reality. It is one aspect of the cultural superstructure which has its

foundations in the economic, political, social, philosophic and religious patterns of the time. It throws into bold relief those multidimensional conscious and unconscious urges of a society which are seeking gratification and realization - the world of actual reality.

The soil which nurtures artistic talent is the culture of the people, the tastes spiritual demands and life of the artist's contemporaries. In other words, the artist is only the co-author of a magnificent creation known as the culture of the people (Shamota 106-7).

Bhattacharaya, Malgonkar and Sahgal succeed in shaping what F.R. Leavis would have termed complete, comprehensive and enlightening histories of contemporary time (Leavis 7). For the portrayal of human reality in their novels is imbued with an acute consciousness of history as it conditions their dramatist personae (Goyal 34).

Novelists like Mulk Raj Anand, Raja. Rao and R.K. Narayan have acquired an international prominence.All great fiction is an artistic and imaginative reconstruction of social and human reality. But there is no one-to-one relationship between a novel and a society of which it is a product. The relationship between the two is rather complex and dialectical. A novel is really neither a sociological tract nor a pure work of art. Those people who are obsessed with the literary purity and propaganda-free content of art are clearly the victims of a particular ideology.

Conclusion: George Orwell has rightly stated that the artist always has a "desire to push the world in a certain direction, to alter other people's idea of the type of society that they should strive after ... no book is genuinely free of political bias. The opinion that art should have nothing to do with politics is itself a political attitude." (Orwell316).

References:-

1. Bhattacharya, Bhabani. "Indo-Anglian," *The Novel in Modern India.* Ed. Iqbal Bakhtiyar. Bombay: P.E.N. All India Centre, 1964. 47. Print.
2. Goyal, S. Bhagwat. "Indo-English"*.Contemporary Indian Literature andsociety*. Ed. Jotwani, Motilal Wadhumal. New Delhi: Heritage Publishers, 1979.34. Print.
3. Leavis, F. R.*Lectures in America*. New York: Doubleday, 1969. Print.
4. Singh, Rahul, ed. *Khushwant Singh's View of India.* Bombay: IBH Publishing Co., 1982. Print.
5. Shamota, N. *On Artistic Freedom.* Moscow: Progress Publishers, 1966. Print.
6. Orwell,George. *A Collection of Essays*.n.p.:n.p., n.d.316. Print.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

सामाजिक यथार्थवाद और प्रेमचन्द का कथासाहित्य

डॉ. गोरखनाथ *

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – साहित्य मानव जीवन की एक अत्यन्त गौरवपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जाता है। इसीलिए दुनिया में जहाँ भी मानव-संस्कृति का विकास हुआ है, वहाँ साहित्य रचना भी अनिवार्य रूप से की गयी है। भारतीय साहित्य के उन्नायकों में जिन महान और क्रान्तदर्शी रचनाकारों की गिनती की जाती है उनमें मुंशी प्रेमचन्द का विशेष स्थान है। हिन्दी के रचनाकार के रूप में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उन्हें एक महान रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनका मुख्य योगदान कथासाहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। आलोचनों ने कहानीकार के रूप में उनकी गणना राष्ट्रीय स्तर के रचनाकार के रूप में किया है, लेकिन उपन्यासकार के रूप में उनका महत्व टालस्टाय, मैक्सिम गोर्की तथा बाल्जाक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उपन्यासकारों के समकक्ष स्वीकार किया है। प्रेमचन्द के कथासाहित्य की आधारभूत विशेषता सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा का न केवल हिन्दी में आरम्भ करना है, बल्कि उसे एक ऐसी श्रेष्ठ रचनात्मक निष्पत्ति देना भी है जो बाद के हिन्दी कथासाहित्य के लिए एक प्रतिमान का काम करती है।

प्रेमचन्द के कथासाहित्य पर विचार करते हुए उसका गहरा सम्बन्ध सामाजिक यथार्थवाद से बताया जाता है। यह सामाजिक यथार्थवाद आधुनिक साहित्य में प्रचलित होने वाले यथार्थवाद का एक अंग है। पश्चिम की भाँति हिन्दी साहित्य में भी सामाजिक यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक यथार्थवाद आदि का भी विकास दिखाई देता है। प्रेमचन्द का सम्बन्ध याथार्थवाद के विभिन्न रूपों में से मूलत: सामाजिक यथार्थवाद से है। यह यथार्थवाद निश्चय ही आधुनिक चिंतन का एक अत्यन्त अनिवार्य और महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। यथार्थवाद के स्वरूप पर विचार करते हुए कथासाहित्य से उसका अत्यन्त गहरा रिश्ता बताया जाता है। वास्तव में कथासाहित्य का जन्म ही यथार्थवाद की कोख से होता है। यथार्थवाद के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि पुरानी दुनिया आदर्शवादी थी, जबकि आधुनिक दुनिया यथार्थवादी है। यथार्थवादी होने की पहली पहचान है जीवन के सारे मूल्यों का लौकिक होना। उसमें जीवन की व्याख्या मुख्यत: भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर की जाती है। मनुष्य की आन्तरिक विशेषता इन दोनों आधारों से निर्मित होती है। ये दोनों बातें गतिशील, परिवर्तनशील और विकासमान है। यथार्थवाद मनुष्य की व्याख्या में आत्मा की सनातन सत्ता को नहीं मानता। इस प्रकार आधुनिक युग में मनुष्य की धारणा ही बदल जाती है। उपन्यास और कहानी का कला-रूप मनुष्य की इस बदलती हुई धारणा से पैदा हुआ है। यही कारण है कि उपन्यास और कहानी में उन परिस्थितियों का व्यौरा बहुत अधिक और निर्णायक होता है, जिनके भीतर आदमी रहता है। वस्तुत: आदमी दैनिक जीवन की जिन परिस्थितियों में रहता है, वे उनके सबसे निकट होती हैं। इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए लड़ते-उलझते और उन्हें बदलते हुए मनुष्य अपने जीवन चरित्र और स्वभाव को संगठित करता है। यही मनुष्य का वास्तविक जीवन है। यह वास्तविक जीवन, भाव और आदर्श की जगह परिस्थितियों को बदलने वाले संघर्ष पर निर्भर है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास की मूलभूत विशेषता यथार्थ की अभिव्यक्ति मानते है। उनका कथन है- 'जन्म से ही उपन्यास यथार्थ जीवन की ओर उन्मुख रहा है। पुरानी कथा-आख्यायिका से वह इस बात से भिन्न है। वे (पुरानी कथा अख्यायिकाएँ) जीवन के खटकने वाले यथार्थ के संघर्षो से बचकर स्वप्नलोक की मादक कल्पनाओं से मानव को उलझाने, बहलाने और फुसलाने का प्रयत्न करती थीं, जबकि उपन्यास जीवन की यर्थाथताओं से रस खींचकर चित्त-विनोदन के साथ ही मनुष्य की समस्याओं के सम्मुखीन होने का आह्वान लेकर साहित्य क्षेत्र में आया था। उसके पैर ठोस धरती पर जमें हैं और यथार्थ जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से छनकर आने वाला 'अव्याज मनोहर' मानवीय रस ही उसका प्रधान आकर्षण है।'

इस तरह उपन्यास का मूल आधार यथार्थ जीवन है। यह बात कहानी पर भी समान रूप में लागू होती है। यह जीवन यथार्थ, अनेक परिस्थितियों का संघात होने के कारण जटिल होता है। आदमी इन जटिल और कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने चरित्र को संगठित करता है। इस संघर्ष के दौरान वह आदमी के भीतर समानता और भिन्नता को नए ढंग से अनुभव करता है। इस समानता और भिन्नता की विशेषता यह है कि उसका स्वरूप सनातन और निश्चित नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य के चरित्र की विशेषताओं का रूप भी स्थिर नहीं है। कथाकार जीवन की गतिशील परिस्थितियों के भीतर से बार-बार मनुष्य के चरित्र को खोजता और संगठित करता है। प्रेमचन्द ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार किया है- 'मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्रमात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। सब आदमियों के चरित्रों में भी बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ भिन्नताएँ होती हैं। यही चरित्र सम्बन्धी समानता और विभिन्नता-अभिन्नत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व-दिखाना उपन्यास का मूल कर्तव्य है।' प्रेमचन्द ने अपने सम्पूर्ण जीवन और रचनात्मक लेखन में 'मानव चरित्र पर प्रकाश डालने और उसके रहस्यों को खोलने' का कार्य

किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने यथार्थवाद के एक महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक यथार्थ को अत्यन्त प्रामाणिकता, ईमानदारी और रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है।

सामाजिक यथार्थवाद के परिपेक्ष्य में जब हम प्रेमचन्द के सम्पूर्ण जीवन और उनके रचनात्मक लेखन को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि उनका जीवन और रचनात्मक साहित्य दोनों ही हिन्दी में सामाजिक यथार्थवाद हेतु संघर्ष का अनुपम उदाहरण है। इसे कथनी और करनी के अद्वैत के रूप में माना जाना चाहिए, जो एक समर्थ रचनाकार की लोकप्रियता, संवेदनशीलता तथा कालजयी व्यक्तित्व का मूल आधार होता है। प्रेमचन्द का जीवन भी उनके साहित्य के साथ मिलकर सिक्के के दो पहलू का निर्माण करता है। इस रूप में प्रेमचन्द के समय की भारतीय सामाजिक- राष्ट्रीय परिस्थितियाँ और उनके निजी जीवन की परिस्थितियाँ और संघर्ष मिलकर एक वृहत्तर सन्दर्भ की रचना करते हैं, जिसमें एक महान रचनाकार के चिंतन और अनुभव जगत का निर्माण और विकास होता है। यहाँ यह कहना अधिक उचित प्रतीत होता है कि यद्यपि प्रेमचन्द को औपचारिक शिक्षा मिली थी और कुछ समय तक सरकारी सेवक के रूप में भी उन्होंने किया था, लेकिन उनकी वास्तविक रूचि भारतीय जनजीवन में थी। इसलिए उनकी शिक्षा का असली स्थल शिक्षण संस्थान न होकर उत्तार भारतीय जनजीवन की वह पाठशाला थी, जहाँ उन्होंने मनुष्यता, जीवन तथा रचनात्मकता का पाठ पढ़ा था। निश्चय ही प्रेमचन्द के वास्तविक अध्यापक लमही के किसान और बनारस के महाजन थे पुस्तकों के नोट्स लिखवाने वाले पुस्तक विक्रेता थे। उनकी पुस्तकें भी वास्तव में वे सैकड़ों उपन्यास थे, जो उन्होंने पुस्तकालयों, पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों, तम्बाकू वाले दोस्तों के घर पढ़े थे। इस रूप में कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द भले ही 'गणित' पढ़ने के योग्य न थे (जैसा कि उनके ट्रेनिंग कालेज की सनद में लिख दिया गया था), लेकिन भारतीय समाज के बीजगणित को वे अच्छी तरह समझ चुके थे और अपने कथासाहित्य में बहुत सीमा तक हल करने की तैयारी भी कर चुके थे। प्रेमचन्द का जीवन और रचनाकार इसी भूमिका पर अग्रसर होता है और वे भारतीय जनता के महान कथाकार के रूप में पहचान बनाते है।

प्रेमचन्द के रचनात्मक साहित्य का विस्तार यद्यपि वैविध्यपूर्ण है, लेकिन मूलत: कथाकार के रूप में ही साहित्य जगत में उनकी प्रतिष्ठा बनती है। वे हिन्दी में आने से पहले उर्दू में नवाबराय के नाम से लिखते थे। सबसे पहले 1901 में 'जमाना' में उनकी कहानियाँ छपी थीं। 1907 में निकलने वाले उनके 'सोजे वतन' उर्दू कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने भयभीत होकर जब्त कर लिया था। प्रेमचन्द के आरम्भिक उपन्यास पहले उर्दू में लिखे गए थे, और बाद में उनका हिन्दी अनुवाद किया गया। उनका पहला महत्वपूर्ण उपन्यास 'सेवासदन' 1916 में पहले उर्दू में ही लिख गया था। इसके बाद 1922 में 'प्रेमाश्रम' भी उर्दू में ही लिखा गया। वास्तव में मूलत: हिन्दी में लिखा गया प्रेमचन्द का पहला उपन्यास 'कायाकल्प' है, जो 1928 में आता है। इसके बाद 1931 में 'गबन', 1932 में 'कर्मभूमि', 1933 में 'निर्मला', 1935 में 'रंगभूमि' तथा 1936 में 'गोदान' जैसे महान और कालजयी उपन्यास आते है। 'मंगलसूत्र' प्रेमचन्द का अन्तिम और अधूरा, किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण उपन्यास है। कहानी के अन्तर्गत यद्यपि कई नामों से कहानी संग्रह आते है, लेकिन आज उनकी कहानियाँ 'मानसरोवर' के विभिन्न भागों में संकलित हैं।

प्रेमचन्द के इस कथासाहित्य में जहाँ एक ओर कई ऐसे पक्ष मौजूद हैं जो उन्हें महान यथार्थवादी कथाकार बनाते हैं वहीं दूसरी ओर कई भ्रांतियाँ भी प्रचलित मिलती हैं। आरंभ में ही प्रेमचन्द के विरोधियों ने उन पर अनेक अभद्र आरोप लगाते हुए भारतीय साहित्य में उनके मौलिक और युगांतरकारी महत्व को नकार देने का प्रयत्न किया था। उन पर अन्य कथाकारों से विषयवस्तु चुराने का आरोप लगाया गया। समाज की प्रतिक्रियावादी जड़ ताकतों ने 'घृणा का प्रचारक' कहकर उन्हें बदनाम करने की भरपूर कोशिश किया; लेकिन डॉ0 रामविलस शर्मा जैसे महान समीक्षकों ने प्रेमचन्द के रचनात्मक व्यक्तित्व की विशिष्टता तथा क्रान्तिकारी विचारधारा का यथार्थवादी मूल्यांकन करके उनके महत्व को स्थापित दिया। इसी परंपरा में आने वाले समीक्षकों, विचारकों तथा भारतीय जनमानस ने प्रेमचन्द के अपूरणीय योगदान को स्वीकार किया है। निश्चय ही प्रेमचन्द की विचारधारा यथार्थवादी थी, जो अपने समय से आगे बढ़ते हुए भारतीय समाज और जीवन को यथार्थवादी ढंग से व्यक्त करने में समर्थ हुई है। प्रेमचन्द के कई आलोचकों ने उनके रचनात्मक विकास को कई कृत्रिम ढाँचों में बाँटकर भी अध्ययन का प्रयास किया है। आरंभ में उन्हें आदर्शवादी, पुन: आदर्शोन्मुख यथार्थवादी और अन्त में यथार्थवादी कहा गया है। लेकिन प्रेमचन्द की विचारधारा और रचनात्मक योगदान का यह कृत्रिम मूल्यांकन व्यावहारिक एवं उचित नहीं लगता। आरंभ में हम देखते है कि प्रेमचन्द के साहित्य लेखन और विचारधारा में कई कमजोरियाँ हैं। क्रमश: भारतीय जनजीवन के पाठ को पढ़ते हुए उनका चिंतन एवं लेखन इन कमजोरियों से मुक्त होता जाता है। अंत में 1936 में यथार्थवाद की अंतिम मंजिल तक पहुँचता है। 'गोदान' अपने यथार्थवादी अन्त के कारण विश्वसाहित्य में अत्यन्त प्रतिष्ठित जगह बनाता है। अधूरे उपन्यास 'मंगलसूत्र' में यथार्थवाद की समझ और भी बढ़ती है। वास्तव में प्रेमचन्द के रचनात्मक लेखन को एक विकासात्मक क्रम में तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखने से उसे सही सन्दर्भो में समझा जा सकता है। इस दृष्टि से हम पाते हैं कि प्रेमचन्द आरंभ में तिलस्मी-ऐय्यारी तथा जासूसी कोटि के उपन्यासों का जमकर अध्ययन करते हैं। यही नहीं वे पहले से मौजूद श्रीनिवासदास, श्रद्धाराम फिल्लौरी, राधाकृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र तथा लज्जाराम शर्मा के सामाजिक उपन्यासों का भी अध्ययन करते हैं और यह समझने लगते हैं कि परिमाण में कम होते हुए भी हिन्दी कथासाहित्य का विकास इसी सामाजिक परंपरा के आधार पर संभव है। निश्चय ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा सामाजिक जीवन की विकास प्रक्रिया में प्रेमचन्द की विचारधारा एवं भावजगत धीरे-धीरे बदलते और परिपक्व होते है, उनकी समझ बढ़ती है। इसीलिए उनके चिन्तन एवं लेखन में निरंतर आदर्शवाद का तत्व कम होता जाता है तथा जीवन की ताजगी एवं यथार्थवाद का तत्व बढ़ता जाता है।

प्रेमचन्द के कथासाहित्य को जब हम विकासात्मक क्रम में देखते है तो पाते है कि उसमें तत्कालीन जीवनस्थितियाँ, संघर्षों एवं बदलाव की सच्ची तस्वीर मिलती है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचन्द के कथासहित्य में तत्कालीन उत्तारभारतीय जनता के सुख-दु:ख हास-रूदन, उत्थान-पतन तथा रीति-रिवाज की सच्ची तस्वीर पाते हैं। इस दृष्टि से 'सेवासदन' प्रेमचन्द का पहला उल्लेखनीय उपन्यास माना गया है। इसकी मुख्य समस्या नारी जीवन से संबंधित है, जिसमें प्रेमचन्द ने हिंदू एवं मुसलमान, दोनों ही समाजों को बेनकाब किया है। सुमन के रूप में इस उपन्यास में भारतीय नारी हिन्दी कथा-साहित्य में पहली बार आत्मसम्मान की रक्षा हेतु संघर्ष की राह पर चलती है। यहाँ पर प्रेमचन्द पुरानी प्रतिगामी

टूटती शक्तियों को स्पष्ट देख लेते हैं, किन्तु इनका स्थान लेने वाली नयी शक्तियाँ अभी भारतीय समाज में नहीं दिखाई देतीं, जिससे उसका समाधान काल्पनिक हो जाता है। प्रेमचन्द का 'प्रेमाश्रम' उपन्यास भारतीय कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में स्थान पाता है। यहां प्रेमचन्द के चरित्र लड़ते हुए कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं, लेकिन यहां पर प्रेमचन्द गाँधीवाद से मोहभंग की मन:स्थिति का स्पष्ट संकेत देते हैं। 'सत्याग्रह में अन्याय का दमन करने की शक्ति है– यह सिद्धान्त प्रांतिपूर्ण हो गया है।' इतना होते हुए भी प्रेमचन्द उसका काल्पनिक समाधान देते हैं।

'निर्मला' तथा 'गबन' उपन्यासों का सम्बन्ध उभरते मध्यवर्गीय जीवन से है। 'निर्मला' प्रेमचन्द का यथार्थवादी ट्रेजिक उपन्यास है, जिसमें अनमेल विवाह को केन्द्रीय समस्या के रूप में दिखाया गया है। 'गबन' मध्यवर्गीय युवकों की पलायनवादी मनोवृत्ति तथा भारतीय नारी की उभरती शक्ति का साक्ष्य है। इस रूप में कतिपय कमजोरियों के होते हुए भी जालपा भारतीय नारीत्व का उगता हुआ चरित्र है। प्रेमचन्द के 'कायाकल्प' तथा 'रंगभूमि' उपन्यास भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कायाकल्प में काल्पनिक समाधान होते हुए भी प्रभावशाली अंश किसान–मजदूर संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। 'रंगभूमि' वास्तव में 1920–30 के स्वतंत्रता आंदोलन की रंगभूमि है। यहाँ पर सूरदास अंग्रेजी साम्राज्यवाद तथा भारतीय सामंतवाद के निर्मम एवं क्रूर चरित्र की सच्चाई को पहचानने वाला और मरते दम तक इनके विरूद्ध संघर्ष करने वाला चरित्र हैं। गाँव में फैक्ट्री का खोला जाना तो वह रोक नहीं पाता, लेकिन उसका यह कथन भारतीय जनता की अजेय आत्मा का स्वर बन जाता है– 'हम हारे तो क्या मैदान से भागे तो नहीं, रोया तो नहीं, धांधली तो नहीं की। फिर लड़ेगें। जरा दम ले लेने दो। हार हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, अवश्य होगी।'

प्रेमचन्द के औपन्यासिक लेखन के अन्तर्गत 'कर्मभूमि', 'गोदान' और 'मंगलसूत्र' का विशेष महत्व है। 'कर्मभूमि' में प्रेमचन्द स्वाधीनता आंदोलन के कथाकार के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें मूल समस्या किसानों की जमीन की समस्या है। यहाँ तक आते–आते प्रेमचन्द इस निर्णय पर पहुंचते दिखाई देते हैं कि भारतीय जनमानस और अधिक अत्याचार तथा दमन सहने को तैयार नहीं है। शांतिकुमार का यह कथन इसका परिचायक है– 'दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और यह दोनों हल्क पड़े। अब तो न्याय की परीक्षा का युग है।' 'गोदान' भारतीय कृषक जीवन के महाकाव्य की वृहत्रयी को पूरा करता है। यह उपन्यास सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि, भारतीय जनजीवन की गहरी समझ तथा टूटती सामंतवादी व्यवस्था और बनती पूँजीवादी व्यवस्था के दो कठिन पाटों के बीच पिसते भारतीय जीवन, विशेषकर किसान जीवन की करूणगाथा के कारण महान् तथा कालजयी सिद्ध हुआ है। इसकी मूल समस्या ऋण की समस्या है जिसके भँवर में फँसा भारतीय किसान होरी के जीवन की तरह निरंतर भीतर ही भीतर घुलता, टूटता तथा मरता जाता है। यहाँ पर नदी की तरह उपर से शांत दिखने वाली भँवरें हैं जो भीरत ही भीतर मनुष्य को दबाकर तलहटी से लगाती हैं और लोगों को वह तब दिखाई देता है जब उसकी लाश उतराती हुई होरी की मृत्यु के रूप में बहने लगती है। यहाँ निश्चय ही डॉ0 रामविलास शर्मा का यह निष्कर्ष उचित लगता है कि 'प्रेमचन्द यथार्थ के बहाव को पकड़ लेते हैं।'

'मंगलसूत्र' प्रेमचन्द का अंतिम और अधूरा किन्तु अत्यन्त विशिष्ट उपन्यास है। इसके उपलब्ध अंश इस बात का संकेत देते हैं कि यह 'गोदान' से आगे का उपन्यास बन सकता था। यहाँ प्रेमचन्द पूरी तरह सामाजिक यथार्थवाद की जमीन पर खड़े होते हैं, क्योंकि इसके नायक में 'गोदान' के होरी और मेहता दोनों की चरित्रगत विशेषताएँ एक साथ अपने यथार्थवादी रूप में आकार लेती हुई दिखती हैं।

प्रेमचन्द की कहानियों में भी मूलत: किसान जीवन ही केन्द्र में है। उनकी कहानियों की संख्या लगभग 300 है, लेकिन इनमें प्रेमचन्द के कहानीकार व्यक्तित्व को बनाने मे लगभग 50 कहानियों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दृष्टि से 'पूस की रात', 'शतरंज के खिलाड़ी', 'अलग्योझा', 'पंचपरमेश्वर', 'ईदगाह', 'बड़े भाई साहब', 'ठाकुर का कुँआ', 'कफन', 'बड़े घर की बेटी', 'सवासेर गेहूँ', 'सद्गति' आदि उल्लेखनीय हैं। इन कहानियों में प्रेमचन्द ने अपनी सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि एवं गहन जन संवेदनशीलता के बल पर भारतीय ग्रामीण, विशेषकर किसान जीवन के अमानवीय एवं त्रासद रूपों तथा उसके लिए उत्तरदायी कारकों को उद्घारित किया है। उनकी 'ठाकुर का कुँआ', 'कफन', 'सद्गति' जैसी कहानियाँ अपने समय–समाज के यथार्थ के साथ ही आने वाले समय की भयावह संभावनाओं को भी व्यक्त करती हैं। साथ ही ये कहानियाँ आज के दलित विमर्श में पर्याप्त विवादस्पद और चुनौतीपूर्ण भी बन गयी हैं।

प्रेमचन्द के इस कथासाहित्य में अनेक ऐसी विशेषताएँ मौजूद हैं जो उसे महान और कालजयी बनाती हैं। उनके कथासाहित्य में भारतीय जनता, विशेषत: निम्नवर्गीयं जनता का वह संघर्ष मूर्त होता है जो उस समय हिन्दी प्रदेश में चल रहा था। वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन, अंग्रेजी पराधीनता, पूँजीवाद की बढ़ती शक्ति तथा सामंतवाद की टूटन से भारतीय समाज, विशेषकर उत्तर भारतीय समाज का बदलता परिदृश्य प्रेमचन्द के कथासाहित्य में प्रमुख रूप से आकार लेता है। इसीलिए उसमें एक ओर भारतीय ग्रामीण जनता के जीवन को अमानवीय और त्रासद बनाने वाले जमींदारी–पूंजीवादी शोषण, निर्धनता, अशिक्षा एवं अन्धविश्वास आदि कारकों एवं विविध समस्याओं का चित्रण मिलता है, वहीं दूसरी ओर जमींदार वर्ग के प्रति प्रेमचन्द की सहानुभूति उन्हें उच्चकोटि का कलाकार ही नहीं, बल्कि सन्तुलित दृष्टि–सम्पन्न सामाजिक आलोचक भी सिद्ध करती है। वास्तव में तत्कालीन जमींदार वर्ग एक ओर किसानों का शोषण करता था तो दूसरी ओर वह बैंकरों, दलालों और अंग्रेज सरकार के शोषण का शिकार भी था। प्रेमचन्द अन्य लेखकों से अलग साफ देख रहे थे कि तत्कालीन सामन्ती ढाँचा भव्य और डरावना दिखाई पड़ने पर भी भीतर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। इस तरह प्रेमचन्द के कथासाहित्य में अपने समय के मनुष्य की विभिन्न समस्याओं, चुनौतियाँ एवं यथार्थ के विविध रूपों से जो गहरी संलग्नता दिखाई देती है, उससे यह प्रमाणित होता है कि कालजयी रचना अपने समय के संघर्षो एवं चुनौतियों से बचकर महान हो ही नहीं सकती। निश्चय ही प्रेमचन्द ने हिन्दी कथासाहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर चारों ओर फैले हुए जीवन के साथ सार्थक रूप में जोड़ने का कार्य किया है।

प्रेमचन्द के कथासाहित्य के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वे हिन्दी में सामाजिक यथार्थवादी परंपरा का वास्तविक आरंभ ही नहीं करते हैं, बल्कि उसे सर्वोच्च निष्पत्ति भी प्रदान करते हैं। यही नहीं वे इससे भी आगे बढ़कर तत्कालीन उत्तर भारतीय हिन्दी जनता की रूचि परिवर्तित करने का भी कार्य करते हैं। जिस समय प्रेमचन्द ने रचनात्मक लेखन शुरू किया था, उस समय सामाजिक कोटि के उपन्यास भले ही लिखे जा रहे थे, लेकिन एक तो

उनकी संख्या पर्याप्त कम थी और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के 'घराऊ घटना' एवं 'बलवन्त भूमिहार' उपन्यासों में ही सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि का कुछ आभास मिलता है, अन्यथा तिलस्मी–ऐय्यारी एवं जासूसी कोटि के उपन्यास ही अधिक लिखे जा रहे थे और हिन्दी जनता ही रूचि भी ऐसे ही उपन्यासों के प्रति थी। प्रेमचन्द ने अपनी विशिष्ट रचनात्मक क्षमता और दृष्टि के द्वारा हिन्दी जनता की रूचि को परिवर्तित करते हुए उसे सामाजिक यथार्थवाद की ओर मोड़ा अर्थात् उन्होंने हजारों–लाखों पाठकों को 'सेवासदन', 'निर्मला', 'गबन', 'पंचपरमेश्वर', 'ईदगाह' का पाठक बनाया। यह प्रेमचन्द के कथासाहित्य की बहुत बड़ी ताकत है, जिसके बल पर वे कथा सम्राट कहे जाते है।

प्रेमचन्द के कथासाहित्य की एक उल्लेखनीय विशेषता चरित्र निर्माण की दृष्टि से भी है। किसी भी रचनाकार द्वारा कालजयी चरित्र की रचना बहुमूल्य योगदान माना जाता है। इस रूप में होरी, धनिया, हलकू, घीसू, माधव जैसे चरित्र भारतीय जनता तथा किसान मजदूर के प्रतिनिधि चरित्र बनकर भारतीय आत्मा के स्वभाव को व्यक्त करते हैं। चरित्र–विधान के स्तर पर प्रेमचन्द के चरित्रों की एक विशेषता यह है कि वे पाठक को अत्यन्त विश्वसनीय लगते हैं। उसे लगता है कि इस चरित्र को कही देखा हैं या जाना है। ऐसा इसलिए कि प्रेमचन्द के चरित्र मूलतः मनुष्य हैं। यहां पर प्रेमचन्द अपने चरित्रों को स्वाभाविक माननीय दुर्बलता से युक्त दिखाते हैं। अर्थात न तो आरंभ में उन्हें राक्षस और अंत में देवता बताते हैं या इसके विपरीत दिखाते हैं, बल्कि आरंभ से ही सहज माननीय दुर्बलता प्रेमचन्द के चरित्रों को विश्वसनीयता प्रदान करती है। चरित्रों की ये छोटी–छोटी दुर्बलताएँ प्रेमचन्द की यथार्थ की गहरी समझ की परिचायक हैं। उदाहरण के लिए 'गबन' की जालपा के चरित्र में आरंभ में आभूषण के प्रति गहरी आसक्ति है, लेकिन अन्त में वह नारी की देदीप्यमान मूर्ति बन जाती है। 'गोदान' के होरी के चरित्र में भी छोटी–छोटी चालाकियाँ मिलती हैं, लेकिन साथ ही करूणा, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा, संघर्ष, वात्सल्य, परोपकार जैसे गुण भी पिरोए हैं। प्रेमचन्द. के कथासाहित्य में संरचना और भाषिक विन्यास के स्तर पर भी कई विशेषताएँ हमारा ध्यान खींचती हैं। चित्रणीय विषयवस्तु के अनुरूप शिल्प की खोज का प्रयोग हिन्दी कथासाहित्य में पहली बार प्रेमचन्द करते हैं। उन्होंने उस समय तक उपलब्ध दृश्यात्मक एवं परिदृश्यात्मक शिल्प–प्रविधि का प्रयोग कर कहानी एवं उपन्यास को सुगठित आधार दिया है। इसीलिए उनके द्वारा प्रस्तुत दृश्य अत्यन्त सजीव, गतिमान और नाटकीय हैं। किस्सागोई का तत्व भी प्रेमचन्द की कलात्मकता और लोकप्रियता का विशिष्ट आधार है। इसके कारण कथा में एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है कि पाठक उनकी कहानी एवं उपन्यास को आरंभ करने पर समाप्त करके ही रूकता है। भाषा शब्दों के चुनाव एवं वाक्य–योजना की दृष्टि से सरल, सहज एवं बोलचाल की है, लेकिन यह उसकी कमजोरी न होकर उसकी ताकत और लोकप्रियता का आधार हैं। इस भाषा का जितने स्तरों पर प्रेमचन्द ने प्रयोग किया है, वैसा किसी अन्य ने नहीं किया। भाषा के सटीक, सार्थक एव व्यंजनापूर्ण प्रयोग में प्रेमचन्द समकालीनों में सबसे आगे दिखाई देते हैं। इस तरह उन्होंने सहजता के शिल्प को साधा है। इसके कारण उनके कथासाहित्य की भाषा जहाँ एक ओर सामान्य पाठकों से लेकर बड़े से बड़े अध्येताओं तक को आकर्षित रहती है, वहीं दूसरी ओर चुनौती भी उपस्थित करती है।

सामाजिक यथार्थवाद के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचन्द के कथासाहित्य के इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि निश्चय ही वे हिन्दी में सामाजिक यथार्थवाद के पुरस्कर्ता तो हैं ही, उन्हें इसे सर्वोच्च रचनात्मक निष्पत्ति प्रदान करने का भी श्रेय है। उन्होंने इसे अपने रचनात्मक लेखन की केन्द्रीय विशेषता के रूप में स्थान दिया है। इसीलिए हिन्दी में सामाजिक यथार्थवाद और प्रेमचन्द एक दूसरे के पर्याय से लगते हैं। निश्चय ही वे भारतेन्दु युग से आरम्भ होने वाली हिन्दी कथासाहित्य की सामाजिक प्रवृत्ति के महत्व को समझते हैं और उसका आधार लेकर अपने युगीन सन्दर्भो एवं परिवर्तनों के अनुरूप सामाजिक यथार्थवाद के रूप में विकसित करते हैं। इसीलिए प्रेमचन्द का महान और कालजयी रचनात्मक व्यक्तित्व एक युगविभाजक का कार्य करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

आधुनिक भारत में बाल शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन

सत्या सिंह*

* शोध छात्रा (शिक्षाशास्त्र) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश – भारत में शिक्षा व्यवस्था की संरचना का क्रमिक विकास हुआ है। आधुनिक भारत में बाल शिक्षा के विकास हेतु संविधान के 45वें अनुच्छेद में स्पष्ट निर्देश है कि राज्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। हालांकि सरकारी प्रयासों का उतना लाभ नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की आधारशिल ब्रिटिश शासन के दौरान रखी गई थी। परन्तु शिक्षा व्यवस्था भारतीय संस्कृति के बिल्कुल प्रतिकूल था। इस संदर्भ में शिक्षाविदों तथा बाल मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि सीखने की दृष्टि से बालक के जीवन के प्रथम 5-6 वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास की आधारशिल इसी समय रखी जाती है। अत: आधुनिक काल में शिक्षा जगत को मनोविज्ञान विषय के रूप में एक ऐसा साधन उपलब्ध हुआ है जो शिक्षा में निश्चितता लाता है तथा भारत सरकार ने 1951 में संकल्प लिया था कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। जिसे लागू करने में काफी समय लग गया तथा अन्तत: बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु कानून बना जो 2009 एक्ट में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया और अप्रैल 2010 में लागू किया। इसी परिप्रेक्ष्य में द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर आधुनिक भारत में बाल शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन कर आलेख प्रस्तुत करने की प्रयास की गई है।

शब्द कुंजी –बाल शिक्षा, संविधान के अनुच्छेद, शिक्षा व्यवस्था, बालकों का क्रमिक विकास, नि:शुल्क शिक्षा।

प्रस्तावना – शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन यह तभी संभव है जब इसकी पहुँच समाज के सबसे निचले स्तर तक सुनिश्चित हो। जब बालक की उम्र 6 वर्ष हो जाती है तथा उसकी प्राथमिक शिक्षा शुरू हो जाती है। जबकि हमारे देश में इस स्तर की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परन्तु यह शिक्षा के पक्ष में है। इसलिए कोठारी आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए प्रत्येक राज्य में एक विकास केन्द्र खोलने तथा जिला स्तर पर पूर्व प्राथमिक केन्द्र खोलने का सुझाव दिया था।

हमारे देश में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थानों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है जैसे नर्सरी स्कूल, बालकड़ी, मान्टेसरी स्कूल, सरस्वती शिशु मन्दिर, बाल निकेतन, नूतन बाल शिक्षण संस्थान इत्यादि। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, अध्ययन से विदित होता है प्राथमिक शिक्षा की गाड़ी घिसी-पिटी लीक पर रेंगती जा रही है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षकों के बारे में आये दिन कहा जाता है कि पढ़ाने-लिखाने के बजाए अपने काम धंधे में अधिक दिलचस्पी लेते हैं, जिसके वजह से बाल शिक्षा खतरे में पड़ गया है।

शोध का उद्देश्य – प्रत्येक शोध अध्ययन का एक उद्देश्य होता है। इसके बिना शोध कार्य करना संभव नहीं है। अत: अध्ययन की दिशा एवं दशा तय करने हेतु स्पष्ट उद्देश्यों की आवष्यकता होती है।

अत: प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. आधुनिक काल में बाल शिक्षा का क्रमिक विकास का अध्ययन करना।
2. बाल शिक्षा से संबंधित पुस्तकें का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया।
3. आधुनिक काल में बाल शिक्षा आलोचनात्मक अध्ययन कर प्रस्तुत करना है।

अत: इस प्रकार से शोध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर प्रस्तुत करने की प्रयास की गई है।

विधितंत्र– हालांकि किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए विधितंत्र की आवश्यकता होती है। विधितंत्र के द्वारा शोध कार्य संयमित, क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा सकता है। इस शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया।

अत: शोध कार्य के लिए निम्नलिखित विधितंत्रों का उपयोग किया गया है जो निम्न है। :-

1. प्रस्तुत शोध विषय से संबंधित द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया।
2. शोध विषय से संबंधित पुस्तकें एवं तथ्यों का संकलन किया गया।
3. शोध विषय से संबंधित पुस्तकों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया जिससे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

आधुनिक काल में बाल शिक्षा का क्रमिक विकास– बाल शिक्षा का क्रमिक विकास के अन्तर्गत अवस्थाएँ यानि उम्र के अनुसार प्रस्तुत करने की प्रयास की गयी है। जिसकी आलोचना भी किये गये तथ्यों को शामिल करेन की प्रयास की गई है-

प्रथम अवस्था– इसके अन्तर्गत बालकों का उम्र 2 वर्ष तक के बारे में चर्चा की गई है जहाँ प्रारंभ हो जाती है। इस उम्र में सीखने की शुरूआत संवेदनाओं द्वारा ही होती है जिसे हम संवेदना द्वारा सीखना अधिगम कहा जाता है। बालकों का अधिगम स्तर भी बढ़ा है। बच्चे परिवार में रहकर एक क्रिया के बाद इसकी क्रिया को बालक देखकर अनुकरण करता है। बालकों द्वारा

पारिवारिक वातावरण में विभिन्न कौशलों का भी निर्माण करते हैं। हालांकि तकनीकि ज्ञान बालक शैशव अवस्था में हीं प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए बालक माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण की प्रवृति इतनी तीव्र होती है जिसे वे तुरंत सीख लेते हैं।

द्वितीय अवस्था- इस अवस्था में बालकों का उम्र सामान्यतः 2 वर्ष से 7 वर्ष तक माना जाता है तथा इस उम्र में परिवार के अलावे अन्य लोगों के सम्पर्क में आने से सीखता है जहाँ परिवार अन्य सदस्य तथा विद्यालय का भी प्रभाव इस अवस्था में विशेष रूप से पड़ता है तथा उसका अनुकरण कर लेते हैं। इस समय बच्चों में खेलने की प्रवृति आ जाती है। जिससे खेल के द्वारा अनेक गुणों को विकसित कर लेते हैं। बालकों को सभी प्रकार की सुविधाएँ आज के समय मिलने के बावजूद आज अधिगम का अभाव है। इस उम्र में बालक चित्र के माध्यम से भी सीखने की प्रवृति तेज होती है तथा तथा उसका अनुकरण तुरंत कर लेती है। इस उम्र में बालक बोलना शुरू कर देता है तथा परिवार की जो मातृभाषा होती है बच्चे इसका अनुकरण तुरन्त कर लेते हैं तथा भाषा बोलने शुरू कर देता है जो उनकी मातृभाषा होती है।

तृतीय अवस्था - इस अवस्था के अन्तर्गत बालकों का उम्र 7 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था के अन्तर्गत बालक सफाई, धर्म.........ज्ञान तथा बालकों की सौंदर्यता की अभिरूची का विकास होता है तथा समानता निश्चित कर सीखने की प्रवृति आ जाती है तथा निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाता है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि का उपयोग करने आ जाता है। बालकों को पाठ्यक्रम में भी रूचि लेने लगता है तथा शिक्षण विषयों के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों का भी अधिगम करने की प्रवृति बढ़ जाती है तथा सीखने भी लगता है। इस उम्र में मानवीय सम्बन्धों का भी ज्ञान आ जाता है। तर्क देने की क्षमता भी बढ़ जाती है क्या सही है या क्या गलत इसकी पहचान ....आ जाती है तथा वातावरण के अनुसार बालक स्वयं नियंत्रण करने की प्रवृति आ जाती है।

चतुर्थ अवस्था- इस अवस्था के अनर्तगत बालक का उम्र 12 से 15 वर्ष तक माना जाता है तथा इस अवस्था में चिंतन तथा तार्किक की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके सामने जो भी समस्या आती है उसे स्वतः हल करने की क्षमता आ जाती है। वास्तविक तथा आवस्तविक में अंतर करने की क्षमता आ जाती है और वास्तविक रूप से अनुभवों का विकास हो जाता है। तथा अच्छे -बुरे की पहचान भी होने लगती है और क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए इस ज्ञान का विकास बखूबी हो जाता है।

आधुनिक काल में शिक्षा का आलोचानात्मक अध्ययन- आज के समय में अध्ययन से विदित होता है कि बाल शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया है। विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है तथा शिक्षकों का अभाव भी देखने को मिलता है। प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था भी ढीली सी हो गई है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। आज तकनीकी का युग है तथा बालकों में टी.वी और मोबाईल देखने की प्रवृति में काफी वृद्धि हो गई है जिससे बाल शिक्षा पर काफी बुरा असर पड़ा रहा है।

आज अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक-छात्र के अनुपात जो सरकार के द्वारा मानक निर्धारित की गई है उनके अनुरूप शिक्षक भी नहीं है। छात्रों की संख्या अधिक रहने के कारण शिक्षक सभी बच्चों को ध्यान दिये जाने में कठिनाई हो जाती है। साथ ही साथ शिक्षकों के हाथ भी लापरवाही बरती जाती है वे शिक्षा बालकों को देने के बजाए सरकार के अन्य कार्यों में ज्यादा समय बिताते हैं तथा मध्याह्न भोजन होने के कारण बच्चों की संख्या में वृद्धि तो हो जाती है परन्तु बालक शिक्षा प्राप्त करने में पीछे रह जाता है। अतः आज के समय में बाल शिक्षा की बात करें तो अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बालक का शिक्षा स्तर काफी नीचे पहुँच चुका है। इसके लिए समान रूप से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक, अभिभावक, परिवार का वातावरण, सरकारी प्राथमिक तंत्र, स्वयं बालक समान रूप से दोषी है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है जिस पर विशेष रूप से दिया जाना चाहिए अन्यथा शिक्षा की बुनियादी नींव धाराशाही हो जायेगी।

शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में सर्व शिक्षा योजना काफी महत्वपूर्ण रहा है। प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन में काफी अधिक वृद्धि हुई तथा विद्यालय में बच्चों के ठहराव में भी संख्या में भी वृद्धि अवश्य ही देखने को मिलता है, लेकिन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर 16 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर देश में ऐसे बच्चों को चिहिन्त किया जाता रहा है और इसमें सफलता भी मिली है, क्योंकि पूर्व के समय ऐसे बच्चों की लगभग 40 प्रतिशत से भी अधिक था, लेकिन केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे कई कार्यक्रम के तहत प्रयास से बीच में छोड़ने देने वाले विद्यालय जो चले जाते हैं उसमें कमी देखने को मिलता है, तथा इनके प्रयास से सफलता भी मिली है।

हालाँकि पांचवीं कक्षा के बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे के उपलब्धि के बारे में चर्चा की जाय, तो चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है क्योंकि एक ओर जहाँ सरकार हमेशा गुणवतापूर्ण शिक्षा पर जोर देने की बात कह रही है तथा इसपर काफी जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर आँकड़ों में बात करें तो थोड़ा चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि देश में सर्वेक्षण के आँकड़ों में बात करें तो थोड़ा चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि देश में सर्वेक्षण के आँकड़ों का आधार कहा जा सकता हैं कि अभी भी प्राथमिक स्तर के जहाँ तक उपलब्धि की बात है तो आँकडें सह बताते है कि पांचवीं कक्षा के बच्चे की उपलब्धि हिन्दी में 35 प्रतिशत पढ़ने में समक्ष है, वहीं गणित में 37 प्रतिशत तथा पर्याप्त अध्ययन में 46 प्रतिशत ही सही कर पाये हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव- आज के समय में बाल शिक्षा का सतर काफी नीचे गिर रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है तथा अभिभावकों की पकड़ बालकों से दूर होते जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का अभाव है। तथा विद्यालय का वातावरण में भी काफी ह्रास हुआ है। अतः अब वक्त आ गया है इस तकनीकी युग में विगत 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के ऑन-लाईन क्लास होने की वजह से बालकों को मोबाईल अभिभावक के हाथ दिये जाने पर बालकों में पढ़ाई के साथ -साथ मोबाईल में कई प्रकार की चीजें देखने में वृद्धि हो जाने से शिक्षा से दूरी बन गयी है। जो चिन्ता का विषय है।

अतः आज शिक्षा व्यवस्था को और दुरूस्त करने की आवश्यकता है तथा अभिभावकों को भी ध्यान देने का वक्त आ गया है। विद्यालय के वातावरण में शिक्षा का माहौल में जो कमी है उसे तत्पर सुधार करने की जरूरत है तथा गुणवत्ता शिक्षकों की ओर सरकार को विशेष रूप दी जानी चाहिए ताकि शिक्षा की बुनियादी नींव धाराशाही होने से बचाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय मौलिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 1991, थर्ड एवं फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन ऐजुकेशन, नई दिल्ली।
2. खान, 2021, ए स्टडी ऑफ ऐटीट्यूडस ऑफ टीचर्स एण्ड पैरेंटस टुवर्डस

इन्क्लूसिव एजुकेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ इन्क्लूजन ऑन एचिवमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एम.जे.पी. रूहेलखंड युनिर्वसिटी, बरेली।

3. अनुवादक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, 2014, डी.ई.जी.एस.एन, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।
4. आर.टी.ई एक्ट, 2009.
5. सुकुमार, सेमुअल, 2009, वेल्यू एजुकेशन इन करिक्यूलम थॉमसकुटिर, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि., नई दिल्ली।
6. राय, पासराम, 2016, अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
7. शर्मा. के. आर. 2004, 'रिसर्च मैथोडोलॉजी', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, रायपुर एवं नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ वर्तमान समय में

अरबिन्द कुमार *

* शोधार्थी (शिक्षा) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश – समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक-बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है।

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की वर्तमान समय में आवश्यकता एवं प्रमुख चुनौतियों की स्थिति का विश्लेषण करने की चेष्टा करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकलांग बच्चे विकास की मुख्यधारा से अलग-थलग दिखाई पड़ते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पायी है। विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। प्रस्तुत शोध पत्र में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं उसकी चुनौतियों का तथ्यात्मक एवं संख्यात्मक वर्णन किया गया है। इसमें अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विकृतियों एवं असमानता से बचने की बात करते हुए समावेशी शिक्षा की बात कही गयी है। जिससे विकलांग बालक अपने आपको समाज का एक कटा हुआ भाग न समझ कर समाज का हिस्सा ही समझे, इसके साथ ही विद्यालय एवं समाज के लोग भी उनके साथ सामान्य व्यवहार करें। विभिन्न शोध अध्ययनों, सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिये पर पड़े हुए विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाए जिससे उन्हें समावेशी शिक्षा में शामिल करते हुए उनको देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके।

शब्द कुंजी –समावेशी शिक्षा, साक्षरता दर, विकलांगता, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना – समावेशी शिक्षा (अंग्रेज़ी: Inclusive Education) से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है।

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।[1]

समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ीं हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

ऐसे बच्चों को अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है जिनके साथ उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं होता है अथवा जिनके परिवारों ने गरीबी अन्य किसी कारण से उन्हें त्याग दिया हो। किशोर न्याय (बच्चों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम) 2000 उनकी देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास का प्रावधान करता है जिसमें दत्तक ग्रहण, पोषण देख-रेख, प्रायोजन भी शामिल है।

कुछ बच्चे विभिन्न कारणों से अपने माता – पिता को खो देते हैं जैसे – गरीबी, विकलांगता, बीमारी, माता-पिता की मृत्यु अथवा कारावास, प्रवास अथवा सशस्त्र विवाद के कारण उनसे अलगाव। ऐसे बच्चों की संख्या भी बहुत अधिक है जिनके माता-पिता में से एक अथवा दोनों जीवित नहीं हैं। अभिभावकीय देखरेख के अभाव वाले ऐसे बच्चे उत्पीड़न,शोषण और उपेक्षा के उच्च जोखिम में जीते हैं। कभी-कभी जीवन में आई कठिनाइयों और जीवित रहने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला संघर्ष उन्हें अपराध करने पर विवश कर देता है जिसके उन्हें कानूनी परिणाम झेलने पड़ते हैं। कभी – कभी एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चे अथवा ऐसे बच्चे जिन्होंने स्वयं कानून का उल्लंघन किया है या जिनके माता – पिता ने अपराध किया है, गाँव में कलंक माने जाते हैं और सामाजिक बहिष्कार के शिकार बन जाते हैं। इससे

उनका जीवन अत्यंत कष्टकर हो जाता है। शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों को भी प्राय: परिवार और समुदाय द्वारा बोझ समझा जाता है। लोग इन बच्चों को कोसते हैं तथा ऐसे बच्चे भी उत्पीड़न, उपेक्षा और हिंसा के शिकार बनते हैं।

कर्नाटक के बागलकोट जिले के दिगम्बेश्वर मंदिर में मनाए जाने वाले महोत्सव के दौरान, छोटे बच्चों को 30 फूट ऊँचे मंदिर की छत से नीचे फेंका जाता है। छत से फेंके जाने वाले बच्चे दो वर्ष से कम की आयु के होते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है की यह अनुष्ठान बच्चे के लिए स्वश्त्य और भाग्य लेकर आता है।

भारत में चली आ कुछ परंपरागत और अंधाविश्वासी प्रथाएँ बच्चों की संवृद्धि, विकास और कुशलता के लिए बहुत हानिकारक हैं।

- पुत्रियों को परिवार में एक बोझ तथा परिवार का अवांछनीय सदस्य समझा जाता है अनेक परिवारों में उन्हें जन्म लेने से पूर्व ही माता के गर्भ में अथवा जन्म के तत्काल पश्चात् मार दिया जाता है। ऐसे प्रथाओं के फलस्वरूप भारत में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में काफी कम हो गई है।
- देवदासी (अर्थात मंदिर की सेविका) के नाम पर बालिकाओं को वेश्यावृति के लिए विवश करना दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक प्राचीन प्रथा है जिसके फलस्वरूप छोटी बालिकाओं को 10 वर्ष के आयु से भी पूर्व वेश्यावृति में झोंक दिया जाता है।
- अनके समुदायों में, यह अंधविश्वास व्याप्त है कि प्रसव के तुरंत पश्चात माता का दूधा शिशु के स्वास्थय के लिए अच्छा नहीं होता है। अत: दाई/प्रसव परिचारिका/परिवार के सदस्य उस दूध को प्रसव के तत्काल पश्चात शरीर से निकाल कर फेंक देते हैं, जो वास्तव में बच्चे की प्रतिरक्षण प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
- जब बच्चे पीलिया जैसे रोगों से पीड़ित होते हैं, तो उन्हें परिवार द्वारा इलाज के लिए नीम हकीमों के पास ले जाया जाता है। गलत धारणाओं के कारण शिशु के टीकाकरण को या तो आरंभ नहीं किया जाता या टीकाकरण पूरा नहीं किया जाता।
- बच्चों के साथ यौन-क्रिया को यौन-संचारित रोगों के लिए उपचार माना जाता है, जिसके फलस्वरूप बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि होती है।

गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना तथा पूरे विद्यालयी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने, स्कूलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए आवश्यक उपायों को प्रदान करना है। समस्त शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों को आवंटित सामान्य वित्तपोषण को समावेशी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, इसमें शिक्षार्थियों की विफलता की स्थिति में विद्यालयों के लिए अतिरिक्त धन की सहायता भी शामिल है। इसके अलावा इसमें अधिक गहन समर्थन की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर अधिक धान की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए अंतिम दृष्टि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी उम्र के सभी शिक्षार्थियों को उनके स्थानीय समुदाय में अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के साथ सार्थक उच्च गुणवत्ता वाले अवसर प्रदान किए जाएँ।

संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कई अंतर्राष्ट्रीय निकाय और एर्जेसिया विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने एवं उसमें सुधार करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर रहे हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ इत्यादि शामिल हैं। इन सभी निकायों का काम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक उपकरणों, कार्यक्रमों एवं क्रिया योजनाओं के साथ चल रहा है। शिक्षा के संबंध में इन सभी निकायों का कार्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके अलावा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा को सुनिश्चित करना है (यू. एन. 2015)। ये समस्त निकाय समावेश का एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हैं अर्थात विकलांग पुरुष एवं महिलाओं, अल्पसंख्यक, स्वदेशी और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के लिए असमानताओं को कम करने पर बल देते हैं (मिजर, 2001)। इस बात की पुष्टि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किये गये विभिन्न शोध कार्यों से भी होती है। यूरोपियन एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन (2001) ने 'इंक्लूसिव एजुकेशन एँड इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस' नामक शोधकार्य प्रकाशित किया, इसमें विभिन्न देशों के समावेशी शिक्षा से संबंधित शोधों को शामिल किया गया। मार्टसन एण्ड मैगनूसन (1991) ने 'को-आपरेटिव टीचिंग प्रोजेक्ट' (सी.टी.पी.) पर कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि विद्यालयी रूप से असफल छात्रों को समान कक्षा के साथ ही सप्ताह में कुछ समय विशेष अनुदेशन देने से उनकी उपलब्धि पर सामान्य बच्चों की तरह ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काम्प्स, बारबेट, लियोनार्ड एवं डेलक्काद्री (1994) ने 'क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग' (सी.डब्ल्यू.पी.टी.) विषय पर 'आत्मकेन्द्रित एवं गैर-आत्मकेन्द्रित' छात्रों को लेकर अध्ययन कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया किया कि-आत्मकेन्द्रित वाले वे छात्र जो पहले कम सामाजिक थे, सी.डब्ल्यू.पी.टी. के उपयोग बाद अत्यधिक सामाजिक हो गए। फुस, माथेस एवं साइमन्स (1997) ने 'पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटजी' (पी.ए.एल.एस.) की प्रभावशीलता को अधिगम अक्षमता (लर्निंग डिसेबिलिटी), गैर-अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि (नॉन- लर्निंग डिसेबिलिटी बट लो परफॉरमेंस), और सामान्य उपलब्धि (एवरेज एचीवर) पर देखा, जिसमें इन समस्त छात्रों को हर रोज सामान्य बच्चों के साथ जोड़ी बनाकर ऊँची आवाज में अध्ययन करना पड़ता था, निष्कर्ष से पता चला कि अधिगम अक्षमता, गैर-अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि और सामान्य उपलब्धि वाले छात्रों की उपलब्धि 'पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटजी' की वजह से सार्थक रूप से बढ़ गया।

स्टीवेन एण्ड स्लेवीन (1994) ने 'को-आपरेटिव लर्निंग एप्रोच' का उपयोग विकलांग एवं गैर-विकलांग विद्यार्थियों पर किया जिसमें उनको दूसरे सहपाठियों के साथ कहानी को मौन रूप से और फिर बोलकर पढ़ने को दिया गया, साथ ही उनमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी करायी गयी। निष्कर्ष में यह पाया गया कि सह-अधिगम उपागम विकलांग एवं गैर-विकलांग दोनों विद्यार्थियों को पढ़ने, समझने में बेहतर सहायता करता है। इवांस एवं स्लेविन (1997) ने न्यूयार्क में विकलांग एवं गैर-विकलांग विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार पर 'कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग' (सी.पी.एस.) का प्रभाव देखा और बताया कि सी.पी.एस. शारीरिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिससे उनका व्यवहार अत्यधिक सामाजिक हो जाता है। एरेना मोजर एवं उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 10 वर्ष के शोध के बाद यह पाया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखकर सहयोगी अधिगम (को-

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

आपरेटिव लर्निंग) कराने से समावेशी शिक्षा के लिए बेहतर सहयोग का कार्य करती है। ढोनोंह्यू, एवं बोमन (2014) ने 'द चौलेंजेज ऑफ़ रीयलाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन साउथ अफ्रीका' में अपने शोध अध्ययन के बाद वहाँ की शिक्षा समावेशी शिक्षा स्थिति का वर्णन करते हुए बताया कि सभी के लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर ऑल) के काफी समय बीत जाने के बाद भी विकलांग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण की संभावना कम है। साउथ अफ्रीका में विकलांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में कई बाधाएँ हैं। अत: विकलांग छात्रों को जितनी जल्दी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाएगा उतनी जल्दी वे समाज के लिए उत्पादक बन सकते हैं। मिल्स, एवं निधि (2008) ने यद एजुकेशन फॉर ऑल ऍंड इंक्लूसिव एजुकेशन डिबेट: 'कानफ्लिक्ट कॉण्ट्राडीक्सन ऑफ आपर्च्यूनिटी' नामक शोध विषय की सहायता से यह बताया कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों, समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करना है, जिससे समस्त बालक शिक्षा में भाग ले सके। समावेशी शिक्षा समाज के लिए अपने सामाजिक संस्थानों और संरचनाओं को गंभीर रुप से जानने का एक अवसर प्रदान करती है।

समावेशी शिक्षा से संबंधित विभिन्न शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट:

सार्जेंट रिपोर्ट (1944)- जहाँ तक संभव हो नि:शक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं किया जाना चाहिए, अंतत: नि:शक्त बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग (भारत का प्रथम शिक्षा आयोग) के मुताबिक 'एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण में समंजन के लिए उसे तैयार करें। इसलिए आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का ही एक अविछिन्न अंग हो, अंतर केवल बच्चे को पढ़ाने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों में होगा।' इस क्षेत्र में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम शिक्षा में उन्नत देशों से सीख सकते हैं (कोठारी आयोग 1964-66रू 123)।

1974 में भारत सरकार ने 'निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा' योजना का प्रारंभ किया। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत विकलांग बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में, उनके गैर-विकलांग मित्रों के साथ शिक्षा दी जाने लगी। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम(1995) के अधयाय 5 की धारा 26 के अंतर्गत नि:शक्त बालकों के लिए नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाने की बात कही गयी है। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं- सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक नि:शक्त बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा नि:शक्त विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण, संवर्धन एवं विशेष विद्यालयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित करने का प्रयास किया जायेगा। मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020 तक देश के सभी स्कूल विकलांग-मित्रवत बना दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। (संजीव, 2008)।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जनसंख्या एवं शैक्षिक आँकड़े:

तालिका संख्या-1: समस्त जनसंख्या एवं विकलांग जनसंख्या की तुलना:

(करोड़ में)

समस्त जनसंख्या, भारत - 2011			**विकलांग जनसंख्या, भारत - 2011**		
व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
121.08	62.32	58.76	2.68	1.5	1.18

स्रोत: सेंसस ऑफ इंडिया, 2011. (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऍंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट. इंडिया)

तलिका संख्या-1 के 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में से विकलांगों की जनसंख्या 2.68 करोड (2.21 प्रतिशत) है। जिसमें पुरुष विकलांगों की संख्या 1.5 करोड़ तथा महिला विकलांगों की संख्या 1.18 करोड़ है। अत: इससे यह पता चलता है कि भारत में विकलांगों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास कर रही है।

तलिका संख्या-2: शिक्षित एवं अशिक्षित विकलांगों की संख्या

	कुल विकलांग जनसंख्या	**शिक्षित**	**अशिक्षित**	**विकलांग जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत**	**समस्त जन संख्या की साक्षरता प्रतिशत**
भारत	26814994	14618353	12196641	54.52	74.04

स्रोत: सेंसस ऑफ इंडिया, 2011. (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऍंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट. इंडिया)

तालिका संख्या- 2 के आकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में जहाँ कुल शिक्षित विकलांग विद्यार्थियों की संख्या 14618353 है वही अशिक्षित विकलांगों की संख्या 12196641 है, अर्थात केवल 54.52 प्रतिशत ही विकलांग विद्यार्थी शिक्षित हैं, जबकि आज भी अशिक्षित विकलांगों की संख्या 45 प्रतिशत से अधिक हैं। अत: अशिक्षित विकलांगों को समावेशी शिक्षा में सम्मिलित करके विशेष ध्यान देने की आश्यकता है।

तलिका संख्या- 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

वर्ष 2015-16 के नवीनतम आंकड़ों से यह पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों में सबसे अधिक मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थी पाए जाते हैं, जिनका प्रतिशत 22.01 है और सबसे कम आत्म-केन्द्रित प्रकार के विकलांग छात्र पाए जाते हैं जिनका प्रतिशत 1 से भी कम है। इससे यह पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों में अत्यधिक अंतर है, और उन पर उनकी विकलांगता प्रकार के अनुसार ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

तलिका संख्या- 4:विकलांगों की साक्षरता स्थिति: लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर(आकड़े, 2011)

	शिक्षित		अशिक्षित	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
व्यक्ति	49	67	52	33
पुरुष	58	74	42	22
महिला	37	61	63	39

स्रोत: सेंसस ऑफ इंडिया, 2011. (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऍंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट. इंडिया)

तालिका संख्या-4 के 2011 के जनसंख्या आंकड़ों से यह पता चलता है जहाँ शहरी विकलांग पुरुष 72 प्रतिशत शिक्षित हैं वही ग्रामीण विकलांगों की साक्षरता केवल 58 प्रतिशत है। यदि विकलांग लड़कियों की साक्षरता की बात की जाए तो जहां शहरी विकलांग महिलायें 61 प्रतिशत शिक्षित हैं वहीं ग्रामीण विकलांग महिलायें 37 प्रतिशत ही शिक्षित हैं। यदि अशिक्षित विकलांग पुरुषों की तुलना की जाए तो 42 प्रतिशत ग्रामीण विकलांग पुरुष अशिक्षित हैं जबकि 28 प्रतिशत शहरी पुरुष अशिक्षित हैं। यदि विकलांग अशिक्षित महिलाओं की तुलना की जाये तो 39 प्रतिशत शहरी एवं 63 प्रतिशत ग्रामीण विकलांग महिलायें अशिक्षित है। अत: उपरोक्त आकड़ों से यह पता चलता है कि ग्रामीण अशिक्षित विकलांग पुरुषों एवं महिलाओं की समावेशी शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

तलिका संख्या- 5: विकलांग व्यक्तियों का शैक्षिक स्तर

		कुल विकलांग जनसंख्या		
	शैक्षिक स्तर	कुल	पुरुष	महिला
भारत	कुल	26814995	14985593	11826301
	अशिक्षित	12196641	5640240	6556401
	शिक्षित	14618353	9348353	5270000
	साक्षर लेकिन प्राथमिक से कम	2840245	1705441	1133904
	प्राथमिक लेकिन माध्यमिक से कम	3564858	2195933	1358925
	माध्यमिक लेकिन मैट्रिक से कम	2548070	1616139	831531
	मैट्रिक लेकिन स्नातक से कम	344865	2330080	1118570
	स्नातक एवं उससे अधिक	1256857	839702	408155

स्रोत: सेंसस ऑफ इंडिया, 2011. (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऍड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट. इंडिया)

तालिका संख्या-5 के आंकड़ो से यह पता चलता है कि कुल 26814994 विकलांग विद्यार्थियों में से 146118353 शिक्षित हैं जबकि 12196641 अशिक्षित हैं। यदि विकलांग लड़कों की बात की जाये तो 9348353 शिक्षित हैं जबकि 5640240 अशिक्षित है। विकलांग लड़कियों की साक्षरता की बात की जाये तो 5270000 शिक्षित हैं तथा 6556401 अशिक्षित हैं । इसके अलावा विभिन्न स्तर पर भी विकलांग लड़के एवं लड़कियों की साक्षरता स्तर को दर्शाया गया है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता: विकलांग बालक अपने आपको दूसरे बालकों की अपेक्षा कमजोर तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विकलांगो को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रुप से प्रगति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे प्रत्येक बालक यह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से कमजोर नही है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। विकलांग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक गुणों, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, आदि गुणों का विकास होता है। नि:संदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी एवं खर्चीली है, इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं जबकि दूसरी तरफ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने के लिए अन्य बड़े स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है जैसे- प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि। विकलांग बालक की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं। विकलांग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। शैक्षिक योग्यता सामान्यतया समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। भारत में सामान्य शिक्षा के व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की प्राप्ति की जानी चाहिए जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। उपरोक्त तथ्यों से यह बात उभरकर सामने आता है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समस्त बालको के लिए अत्यंत आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ: किसी बालक को शिक्षा प्रदान करने से पहले उसके व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है, समावेशी शिक्षा में बालकों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि विशिष्ट बालक की विशेषताएँ, साधरण बालकों की तुलना में अधिक तीव्र व विचित्र होती है। कुछ देशों में कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र-शिक्षक अनुपात का कम होना सभी छात्रों एवं शिक्षकों के लिए समस्या है, और एक कक्षा में अत्यधिक विविधता भी शिक्षकों के उत्साह को कम कर देता है। यह उस स्थिति में अत्यधिक सत्य प्रतीत होता है जब कक्षा में 100 या उससे अधिक छात्र हो जाते हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के शिक्षक जब हताशा में अप्रासंगिक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं तो यह समावेशी शिक्षा के लिए एक चुनौती बन जाती है। कुछ मामलों में छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए प्रोत्साहित न करना उन्हें 'मंद अधिगम' की ओर ले जाता है। सबसे बुरी स्थिति तब हो जाती है जब शिक्षकों द्वारा छात्रों को दण्डित किया जाता है। इस तरह के व्यवहार से विकलांग बच्चे हाशिये पर जा सकते हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्रालय भी जिम्मेदार है जो शिक्षकों की भर्ती, वित्तपोषण एवं संरचना में सुधार के अभियान में महती भूमिका निभाता है।

कई बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, पर्याप्त परिवहन की कमी, मुश्किल इलाके, खराब सड़कें और परिवारों के लिए संबद्ध लागत विकलांग लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं।

लड़कियों के लिए स्कूल की यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा के डर के कारण यदि उनके माता-पिता उन्हें घर पर बैठा देते हैं तो वे शिक्षा से बहिष्कृत हो जाती हैं। माता-पिता एवं छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए भी कुछ छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल में शौचालय तक विकलांग बच्चों के पहुँच का अभाव भी एक प्रमुख बाधा है। यदि कोई बालक स्कूल में सभी दिन शौचालय का उपयोग नहीं कर सकता है तो उसके उपस्थित होने की संभावना कम ही है। यहां तक कि अगर शौचालयों को उनके लिए शुलभ बनाने के लिए अनुकूलित किया गया हो तो उसे बनाए रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे मामलों में जहां स्कूलों में शौचालय को विकलांगों के लिए अनुकूलित नहीं किया जाता है वे स्कूल विकलांग लड़के व लडकियों को न रखने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी सहायक स्टॉफ नहीं है जो बच्चों को वाशरूम तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में पानी व स्वच्छता संबंधी समस्याओं को भी शामिल किया जा सकता है।

सुझाव:

1. इन बालकों के माता-पिता व शिक्षक उनकी समस्याओं को इस रूप में समझे कि वे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, सम्मान, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता है।
2. समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ, शिक्षकों के लिए समावेशी बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना देगी।
3. समावेशी बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पढ़ने, लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए।
4. आधुनिक शैक्षिक तकनीकों ने ऐसी विधियों, तकनीकों एवं उपकरणों का आविष्कार किया है जिनकी सहायता से विकलांग बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है। अत: विकलांग बालकों के लिए उचित शैक्षिक तकनीकों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. समावेशी बालकों के शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए।
6. स्कूल में अति समावेशी वातावरण की नहीं बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अत: इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए।
7. समावेशी बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है किंतु यह समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विकलांग बालकों को रोजगारपरक काम-धंधों में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।
8. समावेशी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिये वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था हो जिससे घर से स्कूलों तक आसानी से पहुँचा जा सके।
9. कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र-शिक्षक अनुपात का कम होना एक बड़ी समस्या है, अत: हमें विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
10. विद्यालय में शौचालयों तक पहुंच समस्त विद्यार्थियों के लिये आसानी से शुलभ होना चाहिए।

निष्कर्ष: वर्तमान समय में विश्व के समस्त देश अपनी भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकानेक प्रयत्न कर रहे हैं। समाज के विभिन्न तबके के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक आर्थिक योजनाओं के साथ बहुलतायुक्त समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व भी है कि हाशिए पर पड़े हुए उन बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हैं। इसमें विकलांग बालकों की संख्या अत्यधिक है। अत: वर्तमान समय में उनके लिए समावेशी शिक्षा की बात विश्व समुदाय कर रहा है, जो विकलांग एवं सामान्य दोनों ही बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जरुरत है तो बस उनकी शिक्षा के संबंध में तथ्यपरक जानकारी एकत्रित की जाए, उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यावहारिक आकलन करते हुए उचित नीतियाँ बनायी जाए, जिससे कि उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और शिक्षा से दूर उन समस्त बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए उन्हें नई दिशा दी जाए। जब हम कहते हैं कि सभी बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएँ और उन्हें देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करे। आज भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक उपलब्धि संबंधी स्थिति चिंताजनक है। आँकड़े बताते हैं कि आज भी विकलांग लोगों की आधी आबादी शिक्षा से दूर है। समाज के सभी हितधारकों के लिए आवश्यक है कि समाज के इस वर्ग के अस्तित्व की महत्ता को उचित स्थान दें। उनके शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए और उनके इस कार्य में समावेशी शिक्षा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. एजुकेशन फॉर ऑल: टूवड्र्स क्वालिटी विथ इक्विटी (2016). एम.एच.आर.डी. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एँड एडमिनिस्ट्रेशन. (http://www.nuepa.org)
2. एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स (2016). एम.एच.आर.डी. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एँड लाइटरेसी. न्यू दिल्ली.
3. एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया (2015-16). ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन बेस्ड ऑन यू-डाइस डाटा. न्यू दिल्ली: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजु-केशनल प्लानिंग एँड एडमिनिस्ट्रेशन.(http://www.nuepa. org)
4. आहूजा, आर (2015). सामाजिक समस्याएँ. (द्वितीय संस्करण). जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
5. अल्फ्रेडो, जे. आर्टिल्स (2006). लर्निंग इन इंक्लूसिव एजूकेशन रिसर्च: री-मीडिएटिंग थ्योरी एँड मेथड्स विथ ए ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा. वॉल्यूम (30). अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन.
6. आइन्स्कोव, मेल., टोनी बुथ एवं डायसन, एलन (2003). अंडरस्टैंडिंग एँड डेवलपिंग इन्क्लुसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल. मैनचेस्टर: टीचिंग एँड लर्निंग रिसर्च प्रोग्राम.
7. कृष्णकांत, एस. (2001). इक्कीसवीं सदी की ओर.(प्रथम संस्करण). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
8. गौतम, कृपा (2010). भारतीय स्त्री: लिंग अनुपात एवं सशक्तीकरण. दिल्ली: मिश्रा पब्लिशर एँड डिस्ट्रीब्युटर.
9. जोशी, प्रमोद (मार्च 2017). कुरुक्षेत्र: समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास.

10. ठाकुर, यतींद्र (2016-17). समावेशी शिक्षा. मेरठः अग्रवाल पब्लिकेशन.
11. डिसेबल पर्सन इन इंडियाः ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल (2016). मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एँड प्रोग्राम इंम्प्लीमेंटेशन. जी.ओ.वी. (http://www.mospi.gov.in).
12. दोनोंह्यू, डोना एँड बोमन जुआन (2014). दी चौलेंजेज ऑफ रीयलाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ एजुकेशन. 34(2). (http://www.sajournalofeducation.co.za).
13. नारंग, एम. के. एवं अग्रवाल, जे. सी (2016-17). समावेशी शिक्षा. मेरठः अग्रवाल पब्लिकेशन.
14. निरुपमा (2010). नारीः शिक्षा साधान और स्वास्थ्य. नई दिल्लीः अनुपम प्रकाशन.
15. पावड़े, सतीश एवं कुमार, विरेन्द्र (2017) स्त्रीः छवि और यथार्थः वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति समस्याएँ और सुझाव. अमरावतीः पायगुण प्रकाशन.
16. भार्गव, राजश्री (2016). समावेशी शिक्षा. आगराः राजश्री प्रकाशन.
17. मेइजर, सी. जे. डब्ल्यू (2001). इंक्लूसिव एजुकेशन एँड इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस. यूरोपियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन. (http://www.european-agency.org).
18. मिल्स, सूसी एँड सिंगल निधि (2008). द एजुकेशन फॉर ऑल एँड इंक्लूसिव एजुकेशन डिबेटः कानफ्लिक्ट कण्ट्राडीक्सन ऑफ आपर्च्यूनिटी? मैनचेस्टरः इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन.
19. लाल, रमन बिहारी (2016.17). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत. मेरठः रस्तोगी पब्लिकेशन.
20. लाल, रमन बिहारी (2014). भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ. मेरठः रस्तोगी पब्लिकेशन.
21. लियोनार्ड चेसायर डिसेबिलिटी (ऑर्गनाइजेशन यू.के. 2013). इंक्लुसिव एजूकेशनः एन इंट्रोडक्शन.
22. वार्षिक रिपोर्ट (2015-16). स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. उच्चतर शिक्षा विभाग. मानव संसाधान विकास मंत्रालय. भारत सरकार. (http://mhrd.gov.in/hi/iedss-hindi)
23. शर्मा, सुषमा (2004). शिक्षक-प्रशिक्षण लेखमालाः एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा के प्रसार के उपाय. दिल्लीः ऑल इंडिया कन्फेडरेशन आफ दी ब्लाइंड.
24. सक्सेना, एन.आर. स्वरुप (2013). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत. मेरठः आर लाल बुक डिपो.
25. सिंह, निशांत (2009). भारतीय महिलाएँ एक सामाजिक अध्ययन.(प्रथम संस्करण). दिल्लीः ओमेगा पब्लिकेशन्स.
26. सिंह, एम. एन. (2009). महिला सशक्तीकरण का सच. नई दिल्लीः ओमेगा पब्लिकेशन्स.
27. संजीव, कुमार (2008). विशिष्ट शिक्षा(प्रथम संस्करण). नई दिल्लीः जानकी प्रकाशन.
28. सोरियानो, वी., वाटर्किंग, ए., इबरसोल्ड, एस. (2017). इंक्लूसिव एजूकेशन लर्नर विथ डिसेबिलिटीज. यूरोपियन एजेंसी फॉर स्पेशल नीड्स एँड स्पेशल एजुकेशन. (http://www.europarl.europa.ed/supporti-analyses). त्रिपाठी, एम. (2010). भारत में मानवाधिकार.(प्रथम संस्करण). नई दिल्लीः ओमेगा पब्लिकेशन्स.
29. *York-Barr, J (2003). "Special educators as teacher leaders in inclusive schools". IMPACT: Feature Issue on Revisiting Inclusive K-12 Education, 16(1): Minneapolis, MN: Institute on Community Integration.*
30. *Schwartz, I., Allen, K. E (2000)The Exceptional Child (4 ed.). Delmar Cengage Learning. ISBN 0-7668-0249-3. Inclusion in Early Childhood Education* गायब अथवा खाली *Title* (मदद)
31. *PhDinSpecialEducation.com "How to Support Special Needs Students"* , जाँचें *Title* मान (मदद).
32. *Zelkowitz, Alyssa. "Strategies for Special Education & Inclusion Classrooms"* मूल से 23 अगस्त 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 सितंबर 2015.

तलिका संख्या- 3: विकलांगता की प्रकृति के आधार पर विकलांग जनसंख्या प्रतिशत (2015-16)

विकलांगता की प्रकृति	अंधे	कम दृष्टि	श्रवण बाधित	वाक बाधित	चलन बाधित	मानसिक बाधित	अधिगम अक्षमता	मस्तिष्क पक्षाघात	आत्मकेंद्रित	बहुविकलांगता
प्रतिशत	3.78	17.84	12.54	9.97	17.10	22.01	11.44	2.55	0.93	5.86

स्रोतः यू-डाइस 2015-16: ग्राफिक प्रेजेंटेशन.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के कार्य संतुष्टि के लिए प्रधानाचार्य की भूमिका झारखण्ड राज्य के लोहरदगा जिला के संदर्भ में

अवध किशोर सिंह*

* शोधार्थी (शिक्षा) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

प्रस्तावना – कार्य संतोष से आशय होता की व्यक्ति ने अपने कार्य एवं कार्य से संबंधित परिस्थितियों संबंधित विभिन्न-विभिन्न अभिवृतियों के परिणाम से लिया करता है। वास्तव में कार्य संतुष्टि शब्द का प्रयोग व्यवहारिक विज्ञान व्यक्ति की कार्य संबंधित मानसिक कृति एवं कार्य करने के संबंध को स्थापित करने के लिए करते है। व्यक्ति अपने दैनिक कार्य एवं परिस्थितियों के संबंध में कैसा अनुभव करता है। यही कार्य संतुष्टि होता है। प्राचीन समय से ही हमारे भारतीय समाज में शिक्षक को भविष्य निर्माता कहा जाता था क्योंकि शिक्षक वर्तमान में जो बच्चो को शिक्षा ग्रहण करवाते थे वे बच्चे हमारे लिए कल के भविष्य बन जाते है। और शिक्षक की हर सम्भव कोशिश होती है कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है उन्हें एक अच्छे नागरीक बनाने में मदद करें। जिससे वह अपने राष्ट्र का भविष्य उज्जवल कर सके। अत: शिक्षण कार्य को अच्छी तरह सम्पन्न करने हेतू अध्यापकों की व्यवसायिक संतुष्टि व समायोजन का अध्ययन करना आवश्यक है। अध्यापक का पद ईश्वर के समकक्ष बताते हुए कहा जाता है।

'गुरू ब्रह्म गुरू विष्णु गुरू: देवो महेश्वरा।
गुरू साक्षात परब्रह्म: तस्मैं श्रीगुरूवे: नम:।।'

कार्यसंतुष्टि :-

ग्यूजन 1958 के मतानुसार – 'जीवन संतोष का आशय उस सीमा से है जहां तक किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और इस सीमा तक व्यक्ति संतोष प्राप्त करता है जो उसकी कार्य परिस्थितियों के रूप में प्रतिबंधित है।'

संतुष्टि को मूख्यत: दो भागों में बाँट सकते है।

1. मनोवैज्ञानिक संतुष्टि
2. सामाजिक संतुष्टि

फ्रोबेल के नियमानुसार – विद्यालय बाग है छात्र कोमल पौधा है और शिक्षक की कुशल भाली है। वह अपनी कुशलता से पौधे का सर्वोत्तम और संतुलित रूप से विकास करता है। शिक्षा की गुणवता इस बात पर निर्भर करती है।

अध्यापक समाज के कर्णधार है। अत: ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो अच्छे कर्णधारों का निमार्ण कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि भावि अध्यापको को उचित प्रशिक्षण दिया जाये उनको सैद्धातिक कार्य के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। समय के बदलते प्रवाह के साथ-साथ शिक्षक प्रशिक्षण पाठयक्रम शिक्षण विधियां भौतिक संरचना आदि में वांछित परिवर्तन नहीं किये गये है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा निति 1986 के बनाने वालो ने समाज में वांछित परिवर्तन लाने हेतू शिक्षक समुदाय पर पूर्ण भरोसा करते हुए नई शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों नीति एवं उसकी गुणवता में सुधार की व्यवस्था की है।

प्रचार – प्रचार के अवसरों नौकरी से संतुष्टि को प्रभावित करते है। यह जिम्मेवारी स्वतंत्रता स्थिति और इस तरह का भुगतान नौकरी सामग्री में बदलाव शामिल है के रूप में बढ़ावा देने के लिए इच्छा कर्मचारियों के बीच आम तौर पर मजबूत है। एक ठंठ सरकारी संगठन में एक औसत कर्मचारी पदोन्नति के अवसरो को निजी क्षेत्र में बेहतर कर रहे है। हलांकि उनके पूरे सेवा में दो या तीन प्रोन्नति पाने की उम्मीद कर सकते है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कर्मचारी अपने कैरियर में परम उपलब्धि के रूप में प्रदोन्नति लेता है। और यह एहसास हो रहा है। वह बेहद संतुष्टि महसुस करता है।

संतुष्टि और अनुपस्थिति – अनुपस्थिति को संतुष्टि के सह संबंध भी निर्णायक साबित हो गया है। जो श्रमिकों असंतुष्ट है वे बीमार या निजी व्यवसाय की वजह से 'मानसिक स्वास्थ्य' होने में कुछ दिन लग जाने की सम्भावना है।

जिससे अध्यापक के लिए डिग्री उनकी अनुपस्थित पर एक मध्यस्थता का प्रभाव है। जिस कारण उनकी आत्म संतुष्टि कायम रहता है।

संतुष्टि एवं सुरक्षा – कम वेतन मान वाले कर्मचारी सुरक्षा प्रथा कम संतुष्टि के स्तर के एक नकारात्मक परिणाम है। जब कर्मचारी या समाज के विभिन्न प्रकार के प्राणि अपनी कार्य संघटन या पर्यवेक्षकों से निराश हो जाते है। जब वे अपी मर्यादा खोकर दुर्घटनाओं का अनुमान या अनुभव के लिए अधिक उत्तारदायी होने लगने है। ऐसी दुर्घटनाओं के लिए एक अंतर्निहित कारण निराशा है। अगर मनुष्य अपना सुझबुझ से काम न ले तो उनकी जीवनकाल और उनके परिवार वालो का जीवन अंधकार सम्मान होगा। अध्यापक नौकरी से संतुष्टि के कारण को स्पष्ट इस प्रकार कर रहे है।

1) संगठनात्मक – प्रमुख संगठनात्मक एक कर्मचारी के रवैये के लिए जो योगदान कारक है वे पदोन्नति के लिए भुगतान करते है अवसर काम की प्रकृति संगठन और काम की परिस्थितियों की नीतियाँ।

2) कार्य करने की स्थिति – एक कर्मचारी वह जीस विभाग का हो काम की परिस्थितियों में शारिरीक आराम के साथ संगत हैं और कहा कि एक अच्छा काम नौकरी से संतुष्टि के लिए योगदान करते है। तापमान, आर्द्रता प्रकाश व्यवस्था और शोर कार्यस्थल और प्रर्याप्त उपकरण उपकरण का

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

काम सफाई के घंटो काम संतुष्टि को प्रभावित करता है।

3) मजदूरी- मजदूरी नौकरी से संतुष्टि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका वजह दो कारणों से है। पहले पैसे एक की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और दो कर्मचारियों को अक्सर उनके लिए प्रबंधन की चिन्ता का एक प्रतिबिंब के रूप में भुगतान देखते है। कर्मचारी एक भुगतान प्रणाली चाहते है जो सरल निष्पक्ष और उनकी उम्मीदों के साथ है वेतन नौकरी की मांग व्यक्तिगत कौशल स्तर और समुदाय वेतन मानको की मांग व्यक्तिगत कौशल के आधार पर उचित रूप में देखा जाता है। जब कि संतुष्टि परिणाम की संभावना है।

अध्यापकों की संतुष्टि के भिन्न क्षेत्र:

1. वेतन और पदोनति।
2. नौकरी की शर्त व सुरक्षा।
3. अपने व्यवसाय व संस्था के प्रति अभिरूचि।
4. सहगामी पाठ्यसहगामी और अन्य क्रियाएं।
5. प्रधानाध्यापक प्रबंध समिति व अध्यापकों से संबंध।
6. संस्था की योजना व नीतियों से संबंधित।
7. अधिकारियों की कार्यप्रणाली एवं योग्यता संबंधित।

अध्यापक अपने कार्य अनुभव (Experience) से संतुष्टि में बड़ा ही विचित्र संबंध रहता है। प्राय: देखा जाता है कि नया कर्मचारी अनुभव के अभाव में अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। किन्तु यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रहती धीरे-धीरे ऐसा कर्मचारी अपनी वर्तमान अवस्था से असंतुष्ट होने लगता है और अनुभव बढ़ने के साथ-साथ उसे यह लगने लगता है कि उसका वेतन एवं कार्य अवस्थायें उसके अनुभव के अनुरूप नहीं है। परिणाम यह होता की संतुष्टि कार्य के लिए दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। आज भी महिला कर्मचारी और पुरूष कर्मचारी पर भेदभाव किया जाता है। परन्तु महिला कर्मचारी पुरूष के अपेक्षा ज्यादाता मेहनती और निष्ठा पूर्ण अपना दैनिक कार्य को करते है।

कार्य संतुष्टि का निष्पादन - कार्य संतुष्टि एवं कार्य निष्पादन के सह संबंध का व्यापक अध्यपन किया गया इन अध्ययनों के प्रकाश में यह तथ्य सामने आया कि इस दोनों के बीच बहुत स्पष्ट सकारात्मक संबंध नहीं है। अध्यापक या किसी कि कार्य में कार्यरत कर्मचारी अपने कार्य के संबंध में कैसा अनुभव करता इसका प्रभाव उसके द्वारा कार्य के लिए किये प्रयत्नों पर पड़ना आवश्यक नहीं। कार्य निष्पादन का कारण अध्यापक पर पड़ने वाले अनेक दबाव भी हो सकते है। उदाहरण के लिए जब एक कार्य को करना किसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया गया है तो वह उसको पूरा करने के लिए बाध्य होता है। और संतुष्टि उसको पूरा करने के लिए बाध्य होता है। और संतुष्टि और असंतुष्टि का इससे संबंध जोड़ना निरर्थक है। यह स्थिति विद्यार्थी की स्थिति के समान है। क्योंकि समान विद्यार्थी को सिर्फ पास करने की चिन्ता होती और शतप्रतिशत मार्क्स लाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कपिल एच0के0 (2007) अनुसंधान विधियाँ अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा
2. यतीन्द्र ठाकुर (2017) समावेशी शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा
3. अरूण कुमार (2006) शिक्षा मनोविज्ञान मोतीलाल वनारसी दास पब्लिकेशन
4. भटनागर सुरेश (2010) शिक्षा मनोविज्ञान मेरठ आर-लाल बुक डिपो

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

An Analysis of Crude Oil Price's Fluctuation and Financial Performance of Top Five Petroleum Companies of India

Dr. Narendra Marwada* Dr. Divya Solanki**

*Assistant Professor, PG. Head, Department of ABST, Hadarani Govt. PG College, Salumber (Raj.) INDIA
** Assistant Professor, Head, Department of EAFM, SMB Govt.PG College, Nathdwara (Raj.) INDIA

Abstract - The aim of the research paper is to study the relationship between changes occurred in crude oil price and its impact on financial performance of Petroleum companies during the period of 2012 to 2021. For this purpose, we collect secondary data from the annual report of the companies and this data is analyzed on the basis of Ratio Analysis and Regression analysis techniques. The results show that the crude oil prices have a significant impact on financial performance of petroleum companies of India.
Key words- Financial Performance, Crude oil Prices, Financial Ratios

Introduction - Indian economy is the world's sixth largest economy by nominal GDP and third largest by Purchase Power Parity. Petroleum products and chemicals are a major contributor to India's industrial GDP and they both contribute 34% of its export earnings. The journey of Indian petroleum industry started from place Digboi, which is situated in the state of Assam. As passes of time, the role of Petroleum and it's by products becomes wider. At present, there are so many industries (lubricants, pharmaceuticals, agriculture, and chemicals) that use petroleum and it's by products for operating their industrial operations. Apart from this, petroleum is a backbone of transportations industries and there are several domestic uses of it. Because of major contribution in Indian economy, the study of two elements of petroleum industries has become important which are "Cost" and "Profit"? When crude oil prices increases because of any reasons at international level it automatically affects the price of petroleum products which leads directly to increase the "cost price" of cost of production of producing petroleum products of petroleum companies. In this situation, any changes occurred in one element (cost), simultaneously it affects another elements (profit). For studying this cause and effect relationship between increasing prices of crude oil prices and its effects on the financial performance of petroleum companies. For fulfilling this objective, we are conducting a research study which focuses on Impacts of increasing prices of petroleum on profitability scale of petroleum industries.

Literature Review

The trends of crude oil prices decide the direction of Indian economy because it's directly controls the price of goods and services in market. As the price of crude oil increase, the price of goods and services increase automatically and finally it contributes to the rise in inflation rate of country. For studying, this relationship many researchers had done their research in this area. In this context, Wolf Christian (2009) examined the existence of ownership effects in the global oil and gas industry and the results of study shows that a political preference for state oil companies usually comes at an economic cost. Dayanandan Ajit, Donker Han (2011) investigated the relationship between commodity prices of crude oil, capital strcutrue, firm size and accounting measure of firm performance and they founds that crude oil price positively and significantly impact the performance of oil and gas companies. Wattanatorn Woraphon, Kanchanapoom Termkiate (2012) the aim of researcher is to investigate the impact of crude oil prices on the profitability performance of using data on companies listed in the stock exchange of Thailand and the outcomes of study shows that the oil prices have significant impact on profit of energy and food sector. Le Bettina, Nebler Christian, Retzmann (2012) analyzed whether the impact of oil prices is different on the overall market and automotive companies and they conclude that generally the car companies stock do not react more adversely as the overall market to crude oil price increases. Kang Wensheng, Pereg de Basher and Sadorsky (2016) discover the hedging property of crude oil prices and VIX for emerging market stock prices. Gracia Fernando, Ratti Ronald (2017) investigated the effects of oil price shocks and economic policy uncertainty on the

stock returns of oil and gas companies and results of the study is that demand-side shock has positive effects on the return of oil and gas companies on average, whereas shocks to policy uncertainty have a negative effect on the return. Diaz Elena Maria, Pereg de Gracia Fernando (2017) examined the impact of oil prices shocks on stock returns of four oil and gas corporations listed on NYSE over the period 1974 to 2015. The outcomes of study are that the relationship has become statistically significant during the post -1986 periods. Vatavu Sorana, Lobont Oana-Ramona, Pelin Anderi (2018) the research is based on "How crude oil prices and volume traded affected the profitability of oil and gas companies in United Kingdom". The final results of study showed that profitable oil and gas companies managed to face the drop in oil price and recover, characterized by significant cash flows and stock turnover, efficient use of assets and high solvency rates. Kumar D. Das, Tiwari AK, Shahbaz, Hasim M. (2018) examine the relationship stock prices, financial stress and commodity prices. Claudiu Tiberiu Albulescu (2020) investigates the impact of COVID-19 number on crude oil prices its impact on financial volatility and the United States economic policy uncertainty. Gkillas Konstantinos, Guptad Rangan, Pierdzioch Christian (2020) studies the role of different financial stress indexes on crude oil price anticipation in US and they discover that financial stress help to improve the oil price forecasts. Pavlata Josef, Strejcek Petr, Albrecht Peter, Sirucek Martin (2021) studies the relationship between changes in oil prices and stock market returns of oil companies (state owned and private companies) by taking three different time periods as base and the results of study shows that state owned companies are beneficial for investor to optimize their portfolio. Mondal sudipta, Das Gourab(2021) examines the impact of crude oil price movement on the automobile industry in India and researcher founds that the present trend of increasing crude oil prices have negative impact on the automobile demand and production. The contribution of all studies which have been done in this area is very useful for petroleum industry and in this sequence we add a new aspect in our research in terms of "Financial performance". We are focusing on this research paper to investigate the impact of increasing crude oil price on profitability scale of petroleum sector.

Objective of the Study- The objective of the study is to check the impact of crude oil price changes on profitability and also examines the financial performance of selected petroleum companies of India in last one decade.

Research Methodology- Under this research, we use financial statements of top five Petroleum companies of India i.e. Indian Oil Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Bharat Petroleum, Gas Authority of India Limited, Reliance Limited as a secondary data. For the analysis of financial performance of above mentioned companies, we calculates Per share Ratio, Profitability Ratio, Liquidity Ratio and Valuation Ratio's by using Ratio Analysis technique and Regression analysis.

Data Analysis and Interpretation- In the analysis section- Basically, we collected four major ratios of for evaluating their financial performance. For this purpose, we took two parameters for evaluation- "Financial ratio" and "Average Crude oil price of each year" and then we have done a detail study of relationship between financial ratios and crude oil prices. For studying this relationship, we collect financial ratio of all five companies from year 2012 to 2021 and after that we convert this 10 year data to the "average data" of 10 years. Similarly,

We also collect average crude oil price of last 1 decade on the basis of last 10 years crude oil prices from 2012- to 2021. This relationship between above mentioned parameters is measured on the basis of Ratio analysis technique and regression test. The tables mentioned below shows that an average financial ratios of all selected companies from the year 2012 to 2021.

Table 1 (See in next page)

Table2 : Table of Average crude oil price (As per Petroleum Planning And Assessment Cell)

Year	Average Crude oil price
2011-12	111.89
2012-2013	107.97
2013-2014	105.52
2014-2015	84.16
2015-2016	46.17
2016-2017	47.56
2017-2018	56.43
2018-2019	69.88
2019-2020	60.47
2020-2021	44.82
Average price	**73.49**

Results of Regression - Indian Oil Corporation

Regression Statistics	
Multiple R	0.029688114
R Square	0.000881384
Adjusted R Square	-0.029394938
Standard Error	30084.9029
Observations	35

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	26348 709.11	26348 709.11	0.0291 11335	0.8655 64051
Residual	33	29868 345620	90510 1382.4		
Total	34	298946 94329			

Table see in last page

Results of Regression - ONGC

Regression Statistics	
Multiple R	0.029479433
R Square	0.000869037

Adjusted R Square	-0.029407659
Standard Error	36143.11571
Observations	35

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	37495654.93	37495654.93	0.028703164	0.866500528
Residual	33	43108718837	1306324813		
Total	34	43146214492			

Table See in last page

Results of Regression - Bahart Petroleum

Regression Statistics	
Multiple R	0.029736168
R Square	0.00088424
Adjusted R Square	-0.029391995
Standard Error	9893.835434
Observations	35

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	2858890.357	2858890.357	0.029205735	0.86534843
Residual	33	3230303327	97887979.6		
Total	34	3233162217			

Table See in last page

Results of Regression - GAIL

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.029736168
R Square	0.00088424
Adjusted R Square	-0.029391995
Standard Error	9893.835434
Observations	35

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	2858890.357	2858890.357	0.029205735	0.86534843
Residual	33	3230303327	97887979.6		
Total	34	3233162217			

Table See in last page

Results of Regression - Reliance LTD

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.029453653
R Square	0.000867518
Adjusted R Square	-0.029409224
Standard Error	107443.861
Observations	35

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	330774798.6	330774798.6	0.028652941	0.866616228
Residual	33	3.80958E+11	11544183259		
Total	34	3.81289E+11			

Table See in last page

Conclusion- The results of research study shows that the crude oil prices and financial performance have direct relationship with each other. In this, research we saw financial performance (variable 1) dependents on crude oil prices fluctuations (variable 2). The result of regression analysis also shows a significant difference between the (variables 1) and (variable 2). So we conclude that there is a significant difference between the financial performance and fluctuating crude oil price in all companies.

References:-

1. Wolf Christian. Does ownership matter? The performance and efficiency of state oil vs. private oil 1986-2006 Energy Policy. 2009; 37: 2642-2652
2. Dayanandan Ajit, Donker Han. Oil prices and accounting profits of oil and gas companies. International Review of Financial Analysis. 2011; 20: 252-257
3. Wattanatorn Woraphon, Kanchanapoom Termkiat. Oil prices and profitability performance: sector analysis. Journal of Social & Behavioral science.2012; 40: 763-767
4. Diaz Elena Maria, Pereg de Gracia Fernando. Oil price shocks and stock returns of oil and gas corporations. Finance Research letter. 2017; 20: 75-80
5. Kang Wensheng, Pereg de Gracia Fernando, Ratti Ronald. Oil price shocks, policy uncertainty and stock returns of oil and gas corporations. Journal of International Money and Finance. 2017; 70: 344-359
6. Vatavu Sorana, Lobont Oana-Ramona, Pelin Anderi. Addressing oil price changes through business profitability in oil and gas industry in the United Kingdom. Plos One journal. 2018; 13: Issn 1932-6203
7. Kumar D. Das, Tiwari AK, Shahbaz, Hasim M. On the relationship of gold, crude oil, stocks with financial stress: A Causality-in-quantiles approach.2018; Finance research letter, 27, 169-174.
8. Claudiu Tiberiu Albulescu.Corona virus & oil price crash 2020 SSRN Electronic Journal, Issn1556-5068,page no.13
9. Gkillas Konstantinos, Guptad Rangan, Pierdzioch Christian. Forecasting realized oil- price volatility: the role of financial stress & asymmetric loss. Journal of International Money & Finance.2020;104.ISSN 0261-5606
10. Pavlata Josef, Strejcek Petr, Albrecht Peter, Sirucek Martin. The empirical linkage between oil prices & the stock returns of oil companies. European Journal of business Science & Technology. 2021; 7. ISSN 2694-7161.

Table 1: financial ratios of top five companies of India Companies (Figures showing last ten years average data 2012-2021)

Financial Ratio's	Indian Oil . Corp	ONGC	Bharat Petroleum	GAIL	Reliance Ltd
	Per Share Ratios				
Basic EPS (Rs.)	19.703	18.294	52.984	22.534	65.253
Diluted EPS (Rs.)	19.703	18.294	52.952	22.534	65.185
Cash EPS (Rs.)	39.462	35.249	79.75	30.173	88.721
Book Value [Excl. Revaluation Reserve] /Share (Rs.)	208.101	157.379	261.404	184.795	644.766
Book Value [Incl. Revaluation Reserve] /Share (Rs.)	208.101	157.379	261.404	184.795	646.048
Dividend / Share(Rs.)	10.6	7.65	26.05	7.903	8.45
Revenue from Operations/Share (Rs.)	1142.117	81.643	2550.356	314.596	776.925
PBDIT/Share (Rs.)	62.888	40.949	112.555	42.344	117.786
PBIT/Share (Rs.)	47.567	29.072	87.29	35.239	94.334
PBT/Share (Rs.)	32.842	27.808	75.638	33.425	82.559
Net Profit/Share (Rs.)	24.141	18.96	54.482	23.068	65.266
	Profitability Ratios				
PBDIT Margin (%)	6.634	50.207	5.138	13.863	16.544
PBIT Margin (%)	5.106	35.057	4.062	11.479	13.416
PBT Margin (%)	3.774	33.384	3.796	10.932	11.485
Net Profit Margin (%)	2.758	22.793	2.817	7.659	9.236
Return on Net worth / Equity (%)	12.139	12.271	20.836	12.742	10.195
Return on Capital Employed (%)	11.989	11.761	15.226	11.718	8.895
Return on Assets (%)	4.165	8.419	6.711	7.715	5.358
Total Debt/Equity (X)	0.878	0.043	0.855	0.176	0.399
Asset Turnover Ratio (%)	166.034	35.863	273.439	100.871	66.656
	Liquidity Ratios				
Current Ratio (X)	0.861	1.214	0.884	1.022	1.071
Quick Ratio (X)	0.389	0.961	0.448	0.818	0.766
Inventory Turnover Ratio (X)	7.255	13	12.957	27.667	8.212
Dividend Payout Ratio (NP) (%)	71.475	38.649	51.229	34.968	10.657
Dividend Payout Ratio (CP) (%)	27.207	20.622	30.732	26.461	7.784
Earnings Retention Ratio (%)	28.525	61.351	48.771	65.032	79.343
Cash Earnings Retention Ratio (%)	72.793	79.378	69.268	73.539	82.216
	Valuation Ratios				
Enterprise Value (Cr.)	175488.175	210781.22	81499.519	57730.49	626590.521
EV/Net Operating Revenue (X)	0.416	2.539	0.343	1.058	2.129
EV/EBITDA (X)	6.831	5.076	6.971	7.724	12.043
Market Cap/Net Operating Revenue(X)	0.247	2.535	0.26	0.988	1.784
Retention Ratios (%)	28.516	61.341	48.762	65.022	79.334
Price/BV (X)	1.192	1.36	2.103	1.616	1.698
Price/Net Operating Revenue	0.247	2.535	0.26	0.988	1.784
Earnings Yield	0.103	0.098	0.099	0.085	0.063

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	-94227775.76	552295227.7	-0.170611244	0.865571224	-1217880860	1029425308	-1217880860	1029425308
X Variable 1	1282256.137	7515255.134	0.17062044	0.865564051	-14007645.32	16572157.59	-14007645.32	16572157.6

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-112406069	663511209.8	-0.169410957	0.866507647	-1462329769	1237517631	-1462329769	1237517631
X Variable 1	1529627.161	9028606.035	0.169420081	0.866500528	-16839209.84	19898464.16	-16839209.84	19898464.2

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-31038290.51	181629906.3	-0.170887555	0.865355684	-400567111.4	338490530.4	-400567111.4	338490530
X Variable 1	422370.7791	2471495.347	0.170896854	0.86534843	-4605924.287	5450665.845	-4605924.287	5450665.85

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-31038290.51	181629906.3	-0.170887555	0.865355684	-400567111.4	338490530.4	-400567111.4	338490530
X Variable 1	422370.7791	2471495.347	0.170896854	0.86534843	-4605924.287	5450665.845	-4605924.287	5450665.85

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-333860839.5	1972442187	-0.169262674	0.866623345	-4346824621	3679102942	-4346824621	3679102942
X Variable 1	4543194.414	26839642.14	0.169271795	0.866616228	-50062467.83	59148856.66	-50062467.83	59148856.7

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Justice Administration and Judicial Philosophy in the Vedic Period - A Critical Study

Dr. Lok Narayan Mishra*

***Assistant Professor, Govt. Law College, Rewa (M.P.) INDIA**

Introduction - Ancient Indian jurisprudence is closely related to religion and philosophy. The ancient Indian social structure was based on religion and philosophy. It is very important in determining the nature of law, that is why ancient jurists Explained in the context of society, religion and philosophy. The law was not created by any super-state, nor by any legislature. It was created by Indian sages. He wanted to fulfill the purpose of public welfare by regulating the conduct of individuals in a disciplined society. It was the duty of the king to enforce the law and punish those who acted against the law. Law not only disciplines the conduct of the subjects, but also prescribes rules for the king. Law is considered to be a part of religion and religion does not arise from adhishtra. The king himself is disciplined by dharma. His duties are clearly mentioned in the Smritis. He was bound in the same way to perform the duties prescribed in the scriptures. Just as his subjects were bound to follow the laws and rules prescribed in Dharmashastra. The word Dharma is derived from the root Ghri, which means to hold, that is, Dharma means something capable of being held. The quality or thing or thing which is capable of causing cause is kept in the category of religion. The definition of religion is as follows: The rules accepted by those scholars and virtuous persons well versed in the Vedas are those who are free from the vices of hatred, love etc.

According to Manu, Vedas, Smriti, virtue and those who satisfy themselves are the real sources of Dharma. Religion includes all the religious, moral, social and legal duties of man. Medhatithi, who was the first commentator of Manusmriti, explains the meaning of religion with duties. The entire theology was built on the foundation of duties.

Thus, an unbroken relationship between religion and law is the specialty of Indian jurisprudence. Many rules and principles of law are based on the instructions of religion. There can be no law against religion. Hindu religious history attests to this. That the state government cannot be a separate and independent source of law making.

The second is that one who behaved contrary to the rules of religion was liable to sin. Thus the recommendations of the ancient law were different from the disciplines of the modern law. In modern jurisprudence, the sanctions are imposed only by the state, whereas in ancient jurisprudence, apart from the sanctions imposed by the state, religious and social sanctions have also been provided. Not only did the person fear the punishment of the state for disobeying the law, but at the same time he had to be guilty of sin and he was excommunicated from the society.

Justice administration in Vedic period – Mandatory law has been identified with punishment in Hindu law. Manu has written in this regard that punishment rules over all subjects and protects all. Punishment remains awake even when a person is asleep, so scholars have called punishment as religion. It was considered the supreme duty of the king to punish the participators of punishment, that is, those who disobey the law, and to protect those who are not liable to punishment. If he did not do so, he was considered to be a part of hell. In this way, it was considered an offense against the state to conduct unlawful conduct, which was considered the responsibility of the state to stop. From the point of view of ancient jurisprudence, a characteristic of Smritis is development. According to the opinion of the Smritis, the method keeps on changing from time to time. Amendments and additions to it become necessary. If changes are not brought in it according to the time, then the usefulness of the method ends.

Important material related to the judicial system is found in Smritis. Memories are the nurturers of the monarchy. This principle is contrary to the principle of separation of state powers. Therefore, along with other rights, judicial powers are also vested in the king. Therefore the king was the source of justice. He did not have the right to make laws. The king used the power of punishment only according to the laws according to the scriptures. For the judicial work of the king, there was a system of assembly and civilisations. Apart from the assembly and civil servants, some administrative officials also assisted him in the administration of justice. There was no system of different types of courts in the Smritis like in the present time, the arrangement or its series received in them had a different

importance of its own. Manu has given the right of judicial work to the administrative officials only.

The officer of the lowest unit among the administrative officials is the Gramik, by looking at the rights of the Gramik, it becomes clear that he also had judicial authority. Its jurisdiction was only one village. If he felt incapable of deciding the behaviour, he would send him to the overlord of this village. From the study of village-administration reflected in the memories, the chain of village officials from bottom to top was as follows – Shati (the ruler of twenty villages), Shati Sustradhipati Gramik, Dashi, Vinshati, Shati Sahastradhipati etc. If the officer below was unable to determine the behavior, he would send his higher officer. It is not clear from the description of Manusmriti what kind of subjects these administrative officials kept under their jurisdiction. It appears from the Manusmriti that these administrative officials had the right to take up all kinds of subjects to maintain peace and order etc., which pollute the benign atmosphere of the village.

Yajnavalkya and Narada mention with some detail the types of courts appointed by the king (sabha), puga, class and kula. Naradasmriti mentions 'Gana' instead of 'Pooga'. In both these Smritis, a series of courts of another type has been presented than Manu, but it is not clearly found how the above courts will be organized or how much their jurisdiction will be.

These courts had their own importance. Yajnavalkya and Narada have not clearly mentioned whether the officers of these courts would be appointed by the king or not. The creation of these types of institutions for the purpose of justice can be said to be a sign of democratic sentiments. Their decisions were given state recognition because otherwise, the question of mentioning them would not have arisen. While discussing, it appears that the group, category and clan must have been subject to each other and the final decision will be deemed to be of the assembly. Manu, Yajnavalkya and Narada give a detailed discussion of the status of the assembly, its organization and functions. The Provincial Chief Justice lived in the Nyay Sabha.

Smritis have paid sufficient attention to the magnitude and extent of the crime. Right punishment is the only religion. This concept reappears in the memories. The nature of crimes and their classification in the Dharmasutra period are clearly reflected in the then era. The order of classification of crimes developed further during the Smriti period. Smritikars like Manu, Narad and Brihaspati etc. have mentioned 180 Vaharapadas which take the form of offenses such as taking loan, keeping heritage, non-selling, sambhuyasuthana, non-payment of salary, non-observance of previous contract, dispute related to purchase and sale, Swamipal dispute, Border dispute, Dandyarushya, Vakuparushya, Steya, Courage, Femininity, Duties of man and woman, Division of ancestral property and gaming. According to Manusmriti, in the penal system called steya, for the crime, the brahmin has been prescribed more punishment than the shudra. This has happened because the crime committed by a cognizant and comprehensible person is more widespread and vicious. Therefore, more punishment is required for this. For brahmins, the quantum of punishment is greater because he is the regulator of justice and if he is responsible for doing justice, he should get the harshest punishment. The Smritis mention commercial offenses related to Shudra Varna. In the Dharmasutras and Smritis, the distinction of crime from the distinction of caste and the distinction of punishment have been established accordingly.

In Smritis, detailed description of proof, written, evidence, examination, Bhukti etc. has been given. Mention of the qualities of a witness is also found in the Smritis. When the witnesses were present inside the assembly hall, they tried to explain their legal provision in front of the respondent and the respondent. He was reminded of the glory of truth.

According to Deret, religious traditions are intertwined with all ancient customs and customs. The general principles of morality, which apply to all sections of the society, regulate their mutual behavior and are a special part of the Hindu tradition. Law, which is related to peace, order and good governance, is associated with the principles of morality. From the very beginning, legal policy is considered a part of the education of devotion.

The ancient jurists have not considered any special difference between the rules of law and the rules of policy and religion. In his books there is a unique mixture of morality, religion and law. They are so closely related and interdependent that it is difficult to separate them. In the background of all legal rules, priority was given to the religiously disciplined. But in spite of the mutual relations of religious and legal rules, legal rules had an independent existence. A clear distinction has been prescribed in the Shastras between the Agyapaka and the instructional methods. A clear description of the nature of the law and a clear declaration of its implementation is a feature of the Smritis. In fact, according to ancient jurisprudence, law is a part of religion. Law does not only include the conduct and social relations of man, but also explains the rules related to his transcendental life. The recommendations of the law were given double recognition. First, the person who behaved contrary to him was liable to the scepter.

Instructing the opinion of KP Jaiswal, Varadacharya ji writes that the witnesses were cross-examined, in fact it was so harsh, it can be called harassment. The accused used to be cross-examined, even though it may be called harsh, but to say that harassment is clearly an exaggeration, to say it in a big way. Before accusing the Hindu system, it should be remembered that according to him the court did not have the report of the preliminary investigation of the police like today.

In Vedic literature, law was understood from the perspective of social system. The rishis have established

the identity of the law with the Rita. Rita is related to such a universal system which governs and controls the life of this earth also. Human life is no different on this earth. He is related to the whole universe. Therefore, it is necessary that in order to keep the entire universe orderly and balanced, the life of the people living on this earth should also be kept orderly and restrained. In this way, the legal thought of these sages was filled with a comprehensive and series life. For this reason the whole concept of law is covered by moral, religious and social rules.

According to today's custom, on which side is the burden of giving evidence, it is determined, but both the parties have the arrangement to present their witnesses. But the theological practice was not like this. According to this, the party on whom the burden rested had to prove his side through his witnesses. If his side was completely surrendered by his witnesses, he would have won, otherwise he would have been defeated and the other side would have won. There is also such a provision that the examination of the witnesses should be decided in practice. Witnesses who made false speeches or refused to give evidence were severely punished not only in the future but by the king at that time.

Written and Bhukti are considered more defined than Sakshi. According to Manu, the authenticity of self-written writing remains in the absence of force or deceit. Divine oath is the last means in the pursuit of power. Divya is called that in which the investigation is done by the divine powers like fire etc. For example, on entering a fire, if the fire does not burn, then the statement of the person entering the fire is considered true. In Divya, the three parties, the plaintiff and the defendant, are involved. Manu mentions Yajnavalkya and Narada as the final proof of the divine.

There are four stages of behavior. In these four feet, the language itself is considered the life of behavior because the whole behavior is based on it. Only the functional form of language or waiting remains, the second and third legs. Due to being highly active, it is called Kriya Pada. After the verb, the fourth step of behavior comes the decision foot, in which the language is accomplished. Jai, because of the decision of defeat, it is called decision foot. The types of evidence to be based in the making of the decision. Accordingly justice is done.

The termination of behavior is done by decision but this decision cannot be called final decision in some situations. Smritis also have the law of re-justice.

According to the Smritis, the crime of eloquence is one of the secrets of courage. This crime was fully developed during the memory period. Dandaparushya is mentioned as a crime of courage. Different smritikars have given different meanings of Dandaparushya, according to most of the religious scholars, the expression of Dandparushya is by beating and causing pain to others. Manu Yagyavalya etc. Smritikars have discussed all the aspects of this crime in detail. According to Manu and Yajnavalya, whoever hurts someone by beating him, he should also pay the cost of his medicine and diet. It is noteworthy that in all the Smritis, the definition of Yajnavalkya Dyut Samharya has not been given. Nevertheless, the characteristics of gaming have been discussed. In the memory of crimes related to purchase and sale, the count of important and serious crimes has been done. The description of the crime called Aswamivikraya has been found in all the Smritis. The crime related to salary has also been mentioned by the Smritis. When the payee is not properly reimbursed for his service, it is called non-performing.

Conclusion - In the Smritis, a detailed description of the crimes and responsibilities related to the devotee has been given. According to the memories, an employee who does not work again after recovery has been considered a serious offender. A detailed description of Swami's crimes is found in Katyayan Smriti and Narada Smriti. An interesting description of the Swamipal dispute is found in the Smritis. In the judicial system of Smritis, there is a law for the king to give punishment many times more than that for the subjects. Many virtues and defects related to the marriage of the bride and groom have been analyzed and determined in the Smritis. Hiding the faults of a flawed girl, it is a crime to donate her daughter. There are mentions of many types of social crimes in the Smritis. Religious offenses have also been discussed in the Smritis. The non-compliance of the prescribed religion by the varna was considered a crime and he is liable to punishment. Apart from this, economic crimes, alcohol related crimes are also noteworthy. Thus, from the above survey, there has been an in-depth study of the legal system in Smritis.

References:-

1. Manusmriti
2. DD Basu The Indian constitution
3. History of vedic literature – sakshi tiwari
4. The knowledge in the Vedas- sridhhar chitta
5. Arth sastra – kautilya

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Swami Vivekananda Vision to Develop Human Resource in Respect of Education and Values

Dr. Sapna Mishra*

***Principal, Maya Devi Institute Of Advanced Education, Dewas (M.P.) INDIA**

Abstract - The word 'Education' comes from the word 'Educatum', 'Educare' etc. Educare means to nourish, to bring up and Bengali meaning is Shiksha. The word 'Shiksha' is derived from the word 'Shah' which meaning is to control or to discipline. now a days technological innovation had a great contribution to globalisation all aspect which change human life style. But this change left behind the values. Such as – As the erosion of family values very much seen in the urban families due to nuclear family. A child is a Resource in the society. If a child cannot adopt the values, there is no meaning of education. So, it is said that human resource is westage.On the other approach our culture is actively involved in spiritual and ethical value, unless these values not achieved the education is not fulfilled his aims. In this regard this paper deals with the thoughts and view of Swami Vivekananda to develop human resource in respect of education and value. The view of his education is not gather of information which will insert into mind of a child by force. It is the manifestation of the perfection already in man.
Keywords - Education, Value ,Human Resource Development.

Introduction - "Arise ! Awake! And stop not till the goal is reached."Swami Vivekananda was a great philosopher and reformer In Indian Education .He was a true follower of Ramkrishna Paramhansha and his Idealness .He was also one of the contemporary Indian Philosophers who revolted against the imposition of British system of education in India . He criticised such education on the ground that it is not related to Indian's culture and pointed out that it brings about an external change without any profound inner force . So he emphasis new ides such as – physical education , religious education , vocational education and woman education based on the Indian culture and the needs of the society. his mission was to strike a balance between the spirituality of the East and the materialism of the West .This great soul is known as a world teacher and a great educationist of the twenties century. Swami Vivekananda's view is that 'Education is the manifestation of perfection already in man'. The meaning of this line is that a child teaches itself. Anyone cannot help to go forward in its own way. But it is true that this manifestation is not completed without desires, which comes from only a teacher. The teacher can take away all types of obstacles, but knowledge comes out of its own nature. Even Vedanta says that within man is all knowledge, it requires only an awakening and that much is the work of the teacher. So it is said that the teacher and student are complementary to each other. Modern educationalist Adam said also that both teachers and students have a very important role which is a bipolar process has been considered. This type of process is called metaphysical progress for learning. The main aim of education is a complete manifestation of a human being. According to Vivekananda teachers are responsible for a students' physical and mental development. Actually one touch, one glance can change a whole life. That's why in our country a teacher is a most highly venerated person, he is regarded as God. Now we desire to learn which type of person is called the teacher? A teacher is a person who helps others to acquire knowledge, competences or values. The principle objectives of my discussion are that to explain the characteristics of teachers in the view of Swamiji as trainees can get the opportunity to explain why should they become interested in education through the teaching process of teachers and they become a perfect human being. He believed in spiritual development for a perfect human being.

Review of Related Literature :

Gupta ,R.P.(1985.) : From his study the researcher concluded Swami Vivekananda laid stress on physical and mental development of student ; education should lead to the development of character , development a feeling of nationalism and international understanding, motivation for attainment of Nirvan. Etc. Misra, Shiva Saran(1986.) : The study conclude that Swami Vivekananda selected the following method of teaching i.e. contact ,concentration, self-experience, question –answer ,self-discipline etc. Barman & Bhattacharyya (2012) : reveled that Swami

Vivekananda laid stress on real education which is helpful in the character building .He also believed in man-making education by which the student adopt values such honesty, respecting others, co-operation, Love, affection ,forgiveness and as a result the student develop himself morally ,socially, physically and spiritually.

Objectives :

1. To analyse the view point of swami Vivekananda on Education .
2. To know his teaching method to development human resource.
3. To find the values of swami Vivekananda to human resource development.

Methodology : The research in this field can be classified as quantitative and qualitative research. According to the nature of the topic the investigator has used qualitative method. In this work Secondary Sources are used. And sources were taken from several books and journal about swami Vivekananda.

Vivekananda's Views on Education

Aims of Education : Swami Vivekananda says , "The end of all education , all training should be man – making."Education aims at bringing about an all-round development in an individual. It is the product of man's thought and action. According to Vivekananda the following should be main aims of education :

Creating Self-confidence and Self-realization : Education must provide self-knowledge, which brings material prosperity and freedom from the bondage of worldly existence. A man can attain perfection and achieve the glory of life through self analysis and self insight .He says ,"Faith in our self and faith in God ….this is the secret of greatness."Education must aim at this kind of knowledge of the self and at the creation of self –confidence and self –realization.

Preparation of Bold Citizen : Swamiji realize that fear is the main cause for all social and individual problem .It is education which should remove this fear and make the citizens bold and brave to face the challenges of life.

Service to Mankind : Swamiji says ,"If you want to find God , serve man ."He belives that it is not the God in symbol and images that we find and worship in temples.Education should teach the pupils that service of mankind is service to God.

Manifestation of Perfection : According to Swami Vivekananda the major aim of education is the manifestation of perfection already present in a child . Every child is endowed with certain hidden powers which can be unveiled with the help of education .

Promotion of Universal Brotherhood : He said that through education , we should gradually receive the idea of universal brotherhood .so he always pleaded for the harmony and good relationship among all nations.

Unity in Diversity : The true aim of education is to look for unity in diversity . He said that spiritual and material world is one but their distinction is an illusion. So education should enable man to find out unity in diversity.

Swamiji also mentioned some aims of education i.e. character building, physical development, serving humanity, spirit of renunciation, religious development, vocational efficiency, intellectual development etc.

Man-Making education : Man-Making education brings out the significance of the famous word said by Vivekananda at the Parliament of Religions held in 1893 at Chicago. These are Help, Assimilation, Harmony and Peace .So education should develops these qualities of man . Man is combination of three letters .i.e. M=Morality, A=Ability and N=Nobility. Swamiji said, "Man-Making is my mission of life. I am not a politician , nor I am a social reformer . It is my job to fashion man...I care only for the spirit: When that is right ,everything will be righted by itself.'' Man-making is meant for Swami Vivekananda arising man to the consciousness of his important divine nature, making him rely always on his innate spiritual strength. Vivekananda's guru Sri Ramkrishna used to say that "Manush" needs to become "Man-Hush" that is a man needs to become a true man. He said, "Whose spiritual consciousness has been awakened." Following his guru Vivekananda emphasised that the ideal of all education , all training should be this man making.

Mass Education : Swami Vivekananda emphasis to improve the conditions of the masses and he advocated mass education . The individual developments not a full development of our full nation, so he need to give education to the society or common people. He takes his mass education as an instrument to improve the individual as well as society. He observed , "If we are to rise again ,we shall have to do it in the same way ,that is by spreading education among masses." so he gave the prime importance to the education of the masses. The importance of mass education is also described by his speech. "I considered that the great national sin is the neglect of the masses ,and that is one of the cause of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses of India are once more well-educated, well-fed, and well-cared for.'' He also gave importance on woman education as well as mass education.

Methods of Teaching : The methods of teaching proposed by swami Vivekananda is totally based on Indian tradition but it has a great value. According to Swamiji "Knowledge is inherent in every man's self ; what man knows is only what he discovers by taking the cover off his own soul.'' The methods of teaching described by Vivekananda are : 1. Practice of Yoga. 2. Develop the mind by Concentration and deep meditation. 3. Lecture, discussion, Self-experience and creative activities. 4. Self-learning or auto-learning. 5. Travel. 6. Constructive Approach.

Swami vivekanand embraced education. According to him, education is incomplete without the teaching of aesthetics or fine arts. The knowledge of values and not of facts was his aim of education. He saw that education now

only focused on scoring high marks so that students can become doctors, engineers, lawyers, or something else with the main goal being to earn as much money as possible. He wanted to re-introduce value-based education and imbibe human values in people. He said that education should cover all parts of life like physical, intellectual, material, emotional, moral, and spiritual. His teachings were based on Ramakrishna's spiritual teachings of the Divine manifestations.

According to Swami Vivekananda, the ultimate aims of education are:

1. Achieve perfection – knowledge is already present in man, one has to discover it.

2. Fulfilment of Swadharma – to grow like yourself and not copy others.

3. Creating self-confidence and self-realization – one has many qualities within them but they are not conscious of it. Swami Vivekananda said that – "Faith in us and faith in God – this is the secret of greatness."

4. Wake up, rise, and do not stop till your aim of life is achieved."

5. Unity in Diversity – individuals should develop this sense through education.

6. Formation of Character – "We want that education, by which character is formed, the strength of mind is increased, intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet."

7. Personality Development – According to him, "Personality is two-third and his intellect and words are only one-third in making the real man."

8. Physical and Mental Growth – education should aim at the physical and mental development of a child.

9 . Moral, Spiritual and Religious Development – a nation's and an individual's greatness are possible only through these.

10 . Universal Brotherhood – "Through education, we should gradually reach the idea of universal brotherhood by lining down the walls of separation and inequality. In every man, in every animal, however weak or miserable, great or small, resides the same omnipresent and omniscient soul. The difference is not in the soul, but a manifestation."

Impact of Value to develop human resource-Value reflects on the attitudes and behavior of a man. So value is very important to develop human resource. Value helps:

1. Develop a healthy and balanced personality.
2. Promote social efficiency of a child.
3. Increase vocational and professional efficiency.
4. Foster the character and morality of children.
5. Develop the social qualities. Such as –empathy, equality, respect for all, critical thinking, tolerance.
6. Moral awareness.
7. Development of international brotherhood.

Findings : The following findings have come out through the study:

1. Swamiji's concept of education is useful for present background of education for all-round development of student.
2. Man-making is a harmonious development of the man in respect with morality ,honesty and peace etc. So it is told that to develop a human man making education must be given.
3. Swamiji's method of teaching follow the present psychological dimension to develop human. Ï%Mass education gives importance on the universal concept on education .So every resources have to chance to develop inner potentiality by their own condition.
4. Development of value is more essential so that they carry on their life with respectively.
5. Development of value is very important for true knowledge.
6. Values makes a man perfect as well as develop nations.

Conclusion : We conclude that views and values of Swami Vivekananda has a great role to develop human resource. His aims of education, methods of teaching, mass education, woman education , man-making education, value education gives direction of the processing of perfect human. It is seen from his writings ,dialogues and action that a relevant and meaningful system of education based on the need of modern India which help to develop human in 21st century . In the word of Jawaharlal Nehru , "Rooted in the past and full pride in India's prestige, Swami Vivekananda was yet modern in his approach to life's problem and was a kind of bridge between the past of India and her present. His mission was the service of mankind through social service, mass education, religious revival and social awakening through education ."

References :-

1. Aggarwal,J.C,(2016), "Theory and Principles of Education",Uttarpradesh,Vikash Publishing House Pvt.
2. Aneja.N.,(2014), "The Importance of Value Education in the Present Education System & Role of Teacher."International Journal of Social Science and Humanities Research.2(3),pp-230-233.
3. Arya.K.(2018), "Concept of Value education According Vivekananda and Gandhi." Multidisciplinary Higher Education,Research,Dynamics &Concept. Swaranjali Publication,pp-296-299.
4. Asit Kumar Bandopadhyaya, Sankariprosad Basu, Viswavibek, 335no. pg.
5. Avinashilingam,T.S.(1957),"Education Complied from the Speech and Writings of Swami Vivekananda ,"Sri Ramakrishna Math,Mylapore,Chennai.
6. Banerjee.A.K and Meeta.M.,(2015) "Educational Philosophy of Swami Vivekananda .",International Journal of Educational Research & Development. 4(3),pp-30-35. Barman.
7. P and Bhattacharyya.D.,(2012) "Vivekananda's

thoughts on man-making through moral values and character development and its present relevancy in school education.",International Journal of Multidisciplinary Educational Research.2(1),pp-30-37.

8. Gupta,R.P.,(1985) " A Study of Educational thoughts of Swami Vivekananda" Ph.D in Education ,Rohilkhand University.
9. Gupta,S. (2009),Education in Emerging India, New Delhi ,Shipra Publication. Misra and Shiva
10. Saran.,(1986) " Critical Study of Educational Philosophy and Teaching Method of Swami Vivekananda", Ph.D in Education, Avadh University.
11. Pahuja,N.P.(2007)., "Theory and Principle of Education."New Delhi, Anmol Publication pvt.
12. Ravi ,S.S. (2011),A Comprehensive Study of Education, New Delhi, PHI Learning Pvt.
13. Sudharma,J (2009),Educational Thought of Swami Vivekananda,Crescent Publishing Corporation ,New Delhi.
14. www.educationhp.org/education-board-2013/chapter9.pdf
15. www.en.wikipedia.org/wiki/teaching_and_ philosophy_of_Swami_Vivekananda www.ramakrishnavivekanandA.info/vivekananda/complete_works.html.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

गाँधीजी का आर्थिक चिन्तन एवं स्वतंत्रता

डॉ. प्रवीण ओझा*

* प्राध्यापक, बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारतीय गुलामी के जिस अपमान को भोग रहे थे उसके निवारण हेतु जो स्वतंत्रता आंदोलन भारत में चलाया गया उसमें गाँधीजी एवं उनके आर्थिक विचारों की विशेष सकारात्मक भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में संचालित यह आन्दोलन नहीं था वरन यह भारतीय सभ्यता की पुर्नस्थापना का आन्दोलन था, इसका उद्देश्य उन व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकना था जो भारतीयों पर पराधीनता के दौर में लाद दी गयीं थीं तथा जिनसे गांधीजी के प्रतिकार का उद्देश्य इस वर्ग को जागृत एवं सबल बनाकर एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर स्वतंत्र भारत का निर्माण करना था। उनका आर्थिक चिन्तन इस दिशा में कारगर साबित हुआ। उन्होनें अहिंसात्मक सत्याग्रह के माध्यम से इन वर्गो में साहस, उत्साह एवं चेतना का संचार किया। उनके स्वदेशी, स्वावलम्बन, समान अधिकार, सर्वोदय स्वराज्य, ग्राम विकास इत्यादि विषयक विचारों ने पीड़ित कृषकों, श्रमिकों एवं अन्य आम भारतीय जन के मन में आशा का संचार किया जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन में जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यह गाँधीजी के ठोस आर्थिक चिन्तन एवं करिश्माई व्यक्तित्व का सुपरिणाम था। उनके आर्थिक चिन्तन में भारतीयों को आर्थिक कष्टों के निवारण की उम्मीद दिखाई देने लगी। उनकी चम्पारण, खेड़ा की प्रारंभिक सफलताओं ने श्रमिक एवं कृषक वर्ग को राष्ट्रीय आन्दोलन का अभिन्न अंग बना दिया। कालान्तर में स्वदेशी, स्वराज्य की अवधारणा में अंग्रेजों के प्रति असंतोष को और अधिक बढ़ा दिया तथा भारतीयों का प्रतिरोध सशक्त होता गया, जिसकी अग्रिम परिणिति स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती है। गाँधीजी के आर्थिक चिन्तन के वे तत्व, जो अंग्रेजों के विरूद्ध भारतीयों को एकजुट बनाने में सहायक बने उन पर चिन्तन करना प्रासंगिक है।

गाँधीजी के आर्थिक चिन्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष **ग्रामीण विकास** की अवधारणा को पुष्ट बनाना था। उनकी मान्यता था कि कृषि प्रधान भारत की आत्मा ग्रामों में वास करती है। इससे संबंधित उनके विचार एवं कार्यक्रम उनके 18 सूत्रीय साबरमती कार्यक्रम 1920 में तथा सेवाग्राम कार्यक्रम 1934 में स्पष्टत: दृष्टिगोचर होते हैं। वे स्वदेशी की भावना जागृत कर ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। उनके विचारानुसार गरीब–अमीर के मध्य की खाई को पाटकर आर्थिक विषमता के निवारण, निर्धन उत्थान द्वारा ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित सशक्त भारत का निर्माण संभव है। इसके लिये दमनकारी ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर उन्होने कुटीर व ग्रामोद्योग के विकास पर बल दिया। ग्राम पंचायत को सशक्त बनाकर ग्रामीणों की समस्या निवारण कर उन्हें सशक्त बनाने का विचार भी अनूठा था, जिसके पंचायती राज की अवधारणा विकसित हुयी। ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण हेतु उन्होनें जो कार्यक्रम तैयार किये, उनमें से प्रमुख थे – खादी का प्रयोग, ग्रामोद्योग में धान कूटकर चावल तैयार करना, गुड़ बनाना, नीम का तेल निकालना, हाथ से कपड़ा एवं कागज तैयार करना, मृत पशुओं का उपयोग, ऊनी कम्बल बनाना, प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, नारी कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चेतना का विकास, स्वच्छता, नशाबन्दी, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक शांति इत्यादि। यह प्रथम अवसर था जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रामों के विकास हेतु संकल्प दिया गया था। इससे ग्रामीण कृषकों, मजदूरों के भीतर से पराधीनता जनित भय का निवारण हुआ तथा वे राष्ट्रीय आन्दोलन के पथगामी बने। उनका यह राष्ट्रीय चेतना विकास का कार्यक्रम ग्रामीण आर्थिक विकास पर आधारित होने से उनकी लोकप्रियता में भारी विकास हुआ जिसका नाम राष्ट्रीय आन्दोलन को मिल सका।

गाँधीजी के आर्थिक चिन्तन का अन्य पक्ष **स्वराज्य** था। उनकी मान्यता था कि स्वस्थ समाज एंव स्वराज्य के बिना राजनैतिक चिन्तन एवं आर्थिक स्वावलम्बन की कल्पना करना भी असंभव है। उनके मत में स्वराज्य का अर्थ है ईश्वर का राज्य जो सत्य पर आधारित होता है जिसमें अपनेपन का भाव सम्मिलित होता है। आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न रहित समाज जैसे–साध्य की प्राप्ति हेतु साधन भी अहिंसात्मक एवं पवित्र होने चाहिए। स्वराज्य में साम्प्रदायिक एकता की उपस्थिति आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त है। स्वराज्य का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उत्पीड़न रहित **आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था** है। वे कहते थे कि गाँवों का शोषण अपने आप में एक संगठित हिंसा है। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण तभी संभव है जबकि गांव की आवश्यकता हेतु पूर्ण उत्पादन ग्राम में ही हो, लोगों को रोजगार हेतु ग्राम के बाहर न जाना पड़े, ग्राम स्वराज्य की स्थापना हो। इस उद्देश्य की पूर्ति विकेन्द्रीकरण एवं स्वदेशी से ही संभव है। इन्हीं विचारों के कारण ग्रामीणों को गाँधीजी में एक आर्थिक उद्धारक की छबि दिखाई दी। कृषकों एवं श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु **सत्याग्रह** का प्रयोग एक अमोघ अस्त्र हुआ। चम्पारण एवं खेड़ा की सफलता इसका प्रमाण है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिये अड़े रहना। गांधीजी के अनुसार यह हिंसा, दमन, शोषण के विरूद्ध अहिंसक संघर्ष है। उन्होनें 'हिन्द स्वराज्य' नामक पुस्तक में आत्म बलिदान को दूसरों के बलिदान से श्रेष्ठ माना है। यह सोचने एवं जीने का ऐसा मार्ग है जो असत्य, अन्याय, बुराई पर बार करता है। यह विवादों का सर्वमान्य समाधान खोजने का महत्वपूर्ण विकल्प है। चम्पारण में नील रैय्यतों को

निलहे साहबों के शोषण एवं तीन कठिया जैसी दमनात्मक प्रथा से मुक्त कराने में गाँधीजी द्वारा 1917 में सत्याग्रह का प्रयोग किया जिसकी अभूतपूर्व सफलता ने व्यापक पहचान दी एवं आगामी आंदोलनों की रूपरेखा भी तय कर दी।

आम भारतीयों के आर्थिक हितों के संरक्षण हेतु गांधी की **विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था** के पक्षधर थे। वे विकास हेतु इसे अत्यावश्यक मानते थे। वे मानते थे कि केन्द्रीयकरण से युद्ध और हिंसा का विकास होता है, यह चोरी, भ्रष्टाचार, अराजकता एवं अनैतिकता को भी विस्तार देती है, जिससे देश का आर्थिक विकास अवरूद्ध होता है। अर्थ सत्ता एवं साधनों के केन्द्रीयकरण से आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है जो हिंसा की जनक होती है। तत्कालीन भारतीयों को अंग्रेजी शासन में सर्वत्र केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देने से उनमें आंदोलनकारी भावना का विकास हुआ। **आर्थिक समानता** संबंधी विचार भी गांधीजी को श्रेष्ठ आर्थिक चिन्तक की श्रेणी में स्थापित करते हैं वे सबको समान पारिश्रमिक देने के पक्षधर थे। यदि सबको समान पारिश्रमिक देने की स्थिति का निर्माण किया जाये तो प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण उत्तरदायित्व, लगन एवं कौशल से पूर्ण करेगा जिससे समाज का उत्थान एवं राष्ट्र का कल्याण होगा। आर्थिक समानता से गांधीजी का तात्पर्य सबको एक समान वेतन देने से नहीं था वरन् उनका तात्पर्य यह था कि सभी को उतना वेतन अवश्य प्राप्त हो जितने से उसका भरण पोषण हो सके। कार्य को छोटा–बड़ा मानकर वेतन का निर्धारण न किया जाये। गांधी जी के इस विचार ने जन को आन्दोलित कर दिया। ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का खुलकर विरोध प्रारंभ हो गया एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में तेजी आयी। उन्होनें भारतीयों के समक्ष एवं आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की जिसमें जब अंग्रेजी शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र भारत का निर्माण होगा उसमें पारिश्रमिक की ऐसी व्यवस्था होगी जो समाजवाद का प्रतीक हो, जिसमें सामान धनी के घर व्यर्थ नष्ट न होकर आम व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकेगा। आर्थिक समानता के विचार ने असंख्य भारतीयों को गाँधी युगीन संघर्ष में सम्मिलित किया।

स्वदेशी एवं बहिष्कार की नीति ने भी स्वतंत्रता संघर्ष को जन–जन तक से जोड़ने का कार्य किया। यद्यपि यह विचार गांधी जी से पूर्व बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य नेता जनता तक पहुँचा चुके थे तथापि उस समय उनका क्षेत्र सीमित था। गाँधीजी ने समाज के सभी वर्गो कृषकों, श्रमिकों, ग्रामीणों, शहरी, शिक्षित, निरक्षरों, महिलाओं, पुरूषों में इस विचार को लोकप्रिय बनाकर जनचेतना का संचार किया। वे स्वदेशी एवं विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। यह तभी संभव था जब स्वदेशी को अपनाया जाये एवं अंग्रेजी शासन का उन्मूलन किया जाये। देश आत्मनिर्भर बन सके इसके लिये स्वदेशी उनका प्रथम एवं अंतिम संदेश था। स्वदेशी के आधार पर ही स्वावलम्बन लाया जा सकता था। वे कुटीर उद्योगों पर आधारित एक ऐसी विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का स्थापना चाहते थे, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गाँव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करे। वे स्वराज्य रूपी साध्य के लिये स्वदेशी को एक वैधानिक साधन मानते थे जिसमें खादी और चरखे की अहम् भूमिका थी। गाँधीजी का **ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त** भी पराधीन भारतवासियों के लिये आशा की एक किरण था। इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुये समाज के विभिन्न वर्ग सामाजिक रूप से उत्तरदायी प्रबंधक के रूप में कार्य करेंगे अर्थात् पूंजीपति, श्रमिक, कृषक, जमींदार तथा सरकार सभी इस प्रकार कार्य करें जिससे अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े एवं अधिक से अधिक श्रमिकों एवं कृषकों तथा समाज का कल्याण संभव हो सके। यह सिद्धान्त उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व का समर्थन तो करता है लेकिन इसके समाज के कल्याणकारी पक्ष पर अधिक जोर देता है। इस दिशा में उनके **श्रम एवं पूंजी संबंधी विचार** भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होने श्रम एवं पूँजी के महत्व को स्वीकार करते हुये भारतीयों को यह समझाने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रोटी कमाये तथा पूंजीपति वर्ग स्वयं को मालिक न मानकर उस धन का केवल रक्षक या ट्रस्टी माने एवं उसका उपयोग लोकसेवा हेतु करे। वे बाइबिल का उदाहरण देते हुये कहते थे कि 'तू अपनी भौंह के पसीने से अपना भोजन प्राप्त करेगा।' उन्होने पूंजीपतियों को परामर्श दिया कि वे धन को जनता की धरोहर समझें एवं श्रमिकों को सलाह दी कि वे अपना कार्य उचित प्रकार से सम्पादित करते हुये समाज व देश के नव निर्माण में सहयोगी बने। गांधीजी के **औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण संबंधी विचारों** ने भी भारतीयों की भ्रम की स्थिति का निवारण किया। वे कुटीर उद्योगों के समर्थक थे किन्तु जहाँ श्रमिकों की कमी हो वहाँ औद्योगीकरण के समर्थक थे। वे औद्योगीकरण को अनेक बुराइयों, यान्त्रिक दासता एवं शोषण का केन्द्र मानते थे तथापि उन्होने कहा था कि – 'मैं ऐसी मशीन का स्वागत करूँगा जो झोंपड़ों में रहने वाले करोड़ों मनुष्यों के बोझ को हल्का कर सके।' वे मशीनों के विरोधी नहीं बल्कि इनके सीमित प्रयोग के हिमायती थे। अंग्रेज पूंजीपति कारखाने लगाकर भारतीयों का जो शोषण कर रहे थे, गांधी जी ने भारतीयों को इस ओर जागृत कियां उन्होने कहा कि 'मशीन अपना महत्व रखती है, यह तो संसार में ठहरेगी ही, परन्तु इसका प्रयोग इसलिये नहीं करना चाहिये कि वह मानव क्षेत्र का हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले। मेरा विचार मनुष्य की भलाई में है।'

गाँधी जी ने **महिला सशक्तिकरण** के महत्व को स्पष्ट करते हुये कहा कि पुरूषों को सबसे भयंकर एवं पाशविक भूल थी नारी के साथ अन्याय। वे स्त्रियों के भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न कर पुरूषों पर उनकी निर्भरता को समाप्त करना चाहते थे। उन्होने नारी शिक्षा पर बल देकर उन्होने राष्ट्र कल्याण से जोड़ा। उन्होने कहा कि 'भाषाएँ (ग्रंथ) घोषित करती है कि महिला पुरूष की अर्धांगिनी है। इसी तर्क के अनुसार पुरूष भी महिला का अर्धांग है।' अपनी मृत्यु से मात्र 19 दिन पूर्व उन्होने लिखा कि पुरूष स्त्री को उचित स्थान दे। इसी प्रकार वे **बाल मजदूरी के खिलाफ थे तथा बाल कल्याण के समर्थक** थे। उन्होने यंग इण्डिया में लिखा था– कारखानों में श्रमिकों के रूप में लेने वाले बालकों की उम्र बढ़ा दी जाये। उन्हें कम से कम सोलह वर्ष तक स्कूल जाने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये। बाल मजदूरी राष्ट्र के नैतिक पतन की निशानी है। उकने इन विचारों ने भी आम जन में उन्हें एवं स्वतंत्रता आंदोलन को लोकप्रिय बनाया।

गाँधीजी ने उनके लेखन के माध्यम से आर्थिक असंतोष प्रकट किया है। उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों से जैसे – अंग्रेजों के कुटीर उद्योगों को नष्ट करने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भंग करने की नीति, कच्चे माल की लूट, कृषि का व्यावसायीकरण, कृषक एवं श्रमिक हितों की उपेक्षा आदि भारतीयों के आर्थिक हितों पर चोट करने वाली नीतियों के विरूद्ध जो जन जागृति फैली, उसकी आजादी की लड़ाई में भूमिका अनमोल रही है। अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष का मूल कारण ही आर्थिक उत्पीड़न एवं आर्थिक असंतोष ही था जिसे उजागर कर असंतुष्ट भारतीयों में निर्भीकता पैदा कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का कार्य गांधीजी ने किया। गांधी की पहुँच गांव के गरीब की झोपड़ी तथा दिल तक थी। उन्होनें भारतीयों के आर्थिक हितों

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

का मुद्दा उठाया तथा एक ऐसे भारत की कल्पना की जहाँ आर्थिक असंतोष के लिऐ कोई स्थान नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके आर्थिक विचारों का यही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एम.के.गांधी – एन ऑटोबायोग्राफी ओर दि स्टोरी ऑफ दि एक्सपेरेमेन्ट विथ ट्रूथ।
2. एम.के. गांधी – विलेज इण्डस्ट्रीज।
3. एस. स्वानंद – गांधीयन थॉट्स।
4. रवीन्द्र कुमार– गांधीयन थॉट्स।
5 . एम.के. गांधी – विलेज स्वराज्य।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

गठबन्धन सरकार के समक्ष चुनौतियाँ एवं विपक्ष की भूमिका : 15वीं लोकसभा के सन्दर्भ में विशेष आंकलन

डॉ. रूबीना बानो*

* व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेरोदा, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजनीतिक दलों का गठन स्पष्ट नीतियों, कायक्रमों और विचारधारा के आधार पर होता है। राष्ट्रहित से सम्बधित नीतियाँ और कार्यक्रम से किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं हो सकता। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से नीतियों में मत भिन्नता हो सकती है। संचार व्यवस्था में क्रान्तिकारी कदम, मनरेगा, खाध सुरक्षा बिल, बी.पी.एल.कार्ड, शिक्षा का अधिकार, लोकपाल बिल, गांव का शहरों से जोडना, 'विसिल फलोवर' विधेयक पास करते हुये अपनी स्पष्ट नीतियों को शासन के समक्ष रखा किन्तु शासन प्रक्रिया को सचांलित करते समय यू.पी.ए. सरकार को अनेक चुनौतियो और समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब महँगाई और वैश्विक आर्थिक मंदी निपटाने में सरकार की विफलता, बडे पैमाने पर की गई किसानों की आत्महत्या, आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा, पडोसी देशों के साथ भारत के साथ एंव आतंकवाद देश के लिए गंभीर समस्या आदि मुद्दों पर विपक्ष दलों का विरोध सहना पडा। विरोध के चलते अनेक अवसर आये जब यू.पी.ए. सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पडा। कांग्रेसनीत यू.पी.ए.सरकार में विपक्ष संख्यात्मंक दृष्टि से कमजोर लेकिन गुणात्मक एंव चारित्रिक रूप से प्रभावी रहा।

विपक्ष द्वारा 15वीं लोकसभा में उठाए गये प्रमुख मुद्दे – भाजपा को देश ने 2009 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष में बैठाकर प्रहरी भूमिका निभाने का दायित्य सौपा कांग्रेसनीत यू.पी.ए. सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में जनप्रहरी भूमिका का निर्वाह करते हुए केवल सत्तापक्ष पर आरोप लगाये बल्कि राजनीतिक चेतना का जागृत हुये अनेक घटनाओ की ओर ध्यान आकर्षित किया।

तालिका संख्या 1: यू.पी.ए. सरकार के मुख्य घोटाले

क्र.	प्रमुख घोटोल	रूपये
1.	2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला	1,76,000 करोड
2.	कोयला आवटंन घोटाला या कोलगेट	1,86,000 करोड
3.	सी डब्ल्यु जी घोटाला	70,000 करोड
4.	आदर्श हाउसिग सोसायटी घोटाला	50,000 करोड
5.	एयर इण्डिया घोटाला	25,000 करोड
6.	रोटेन फुड घोटाला	58,000 करोड
7.	हसन अली मनी लाउन्ड्री घोटाला	54,000 करोड
8.	ईसरो एवं देवेस घोटाला	2,00,000 करोड
9.	डिफेन्स लेन्ड घोटाला	10,000 करोड
10.	एल.आई.सी.हाउसिंग घोटाला	10,000 करोड

स्त्रोत : डिफरेन्टस मीडिया रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट

- **2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला–** 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला जो स्वतन्त्र भारत का सबसे बडा वित्तीय घोटाला है, भारत के नियत्रंक एंव महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व के 1,76000 करोड रूपये का नुकसान हुआ1 इस घोटाले के मुद्दे को लेकर विपक्ष का यू.पी.ए. सरकार पर भारी दबाव पडा। कोयला आंवटन घोटाले के मुद्दे का सदन मे उठाते हुये विपक्ष नेता सुषभा स्वराज ने मनमोहन सिह के इस्तीफे की मांग की। 2011 मे एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि 2 जी लाईसेंस के वितरण की वजह से सरकार को शून्य घाटा (जीरो लाख) हुआ था।

2 फरवरी 2012 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पी.आई.एफ.) पर फैसला सुनाया था जो कि सीधे 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले से सम्बन्धित थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम के आवंटन को 'असंवैधानिक और मनमाना' बताया तथा ए राजा व 2 जी घोटाले मामले के अन्य आरोपियो के कार्यकाल के दौरान 2008 में जारी किये गए सभी लाईसेंस को रद्द कर दिया। यू.पी.ए. सरकार में संचार मन्त्री ए राजा को न केवल अपने पद से इस्तिफा देना पडा अपितु जेल भी जाना पडा।

- **कोयला आवंटन घोटाला–** यह घोटाला जिस अवधि (2005-2009) में हुआ उसमें डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ ही साथ कोयला मन्त्री भी थे। कोयला घोटाला प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, द्वारा देश के कोयले के भंडार को सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं व निजी कंपनियों को आवंटन के विषय में किया गया एक राजनीतिक घोटाला है।[2] 27 अगस्त 2012 को संसद में पेश कैग की अन्तिम रिपोर्ट में इस घोटाला का आंकडा तकरीबन 185,591 करोड आंका गया था,तभी सी ए जी की रिपोर्ट का सार यह है कि काम्पेटिटिव बीडिंग की प्रक्रिया को अपनाने में जानबूझ कर देरी की गई और बडी संख्या में कोयला खदाने अयोग्य कम्पनीयों को सारे मानको को दरकिनार करके दी गई।

सी.बी.आई ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक दर्जन से अधिक भारतीय कंपनियों के नाम शामिल किये । इस रिपोर्ट में उन पर अपनी परिसम्पत्तियों से अधिक घोषित करने,पूर्व में किए गए कोयला आवंटन का खुलासा न करने तथा आंवटित की गई कोयला खदानों को विकसित करने के बजाए उन्हें छुपाने दबाने के आरोप लगाये गए।

- **स्विस काला धन घोटाला–** विभिन्न विश्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार भारत के 27.5 लाख करोड स्विस बैक में जमा है। यह दुनिया के 180 देशों

में से किसी भी देश की उसकी सीमा से बाहर पडी उच्चतम राशि मानी गई। भारत काले धन के मामले मे सबसे आगे है। काग्रेंस की यू.पी.ए. सरकार ने इस तरह की कार्यवाही को यथासंभव टाला व इसमें देरी की। विपक्ष ने प्रधानमन्त्री की इस पूरे मामले में एक आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया। भारतीय अर्थव्यवस्था को 103 अरब डॉलर (करीब 6642 अरब रू) का नुकसान उठाना पड़ा।[3]

- **आदर्श हाउसिंग सोसायटी–** आदर्श हाउसिंग सोसायटी मुम्बई में एक सहकारी समिति है। 2011 में सी ए जी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आदर्श कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के प्रकरण से पता चला है कि कैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे चुनिदा अधिकारियों के एक समूह प्रमुख सरकारी जमीन जोकि एक सार्वजनिक सम्पति है को हडपने के क्रम में नियमों और कानूनो को पूरी तरह पलट सकते है। 2013 मे महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने इस घोटाले में अशोक चव्हाण, विलासराज देशमुख, सुशील कुमार शिंदे व शिवाजी राव नीलांगेकर पाटिल समेत 4 पूर्व मुख्यमंत्रियो राजेश टोपे और सुनील ततकरे समेत 2 पूर्व शहरी विकास मंत्रियों तथा 12 शीर्ष नौकरशाहों को व्यक्तिगत लाभ के लिए विभिन्न अवैध कार्य करने का दोषी ठहराया। इस घोटोले में महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण को अपने पद से इस्तीफा देना पडा।
- **इसरो एस–बैंड स्पेक्ट्रम–** यह कथित घोटाला इसरों की व्यवसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्प और देवास मल्टी मीडिया के बीच हुये एक सौदे से सम्बधित है।। इसरो पर दुर्लभ एस–वैड स्पेक्ट्रम मे से 70 मेगा–हर्टज,देवास को 20 साल की अवधि के लिए आवंटन का आरोप है। सी ए जी द्वारा 2 लाख करोड के घाटे का अनुमान लगाया गया । इस सौदे में जी सैट–6 और जीसैट–6 ए नाम के दो संचार उपग्रह भी शामिल है और 10 ट्रास्पोटर का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा अन्तरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमन्त्री के अधीन आता है। देश में भारी विरोध अनयिमित्ता और भ्रष्टाचार के कारण सरकार को इस पूरे कारनामे को रद्द करना पडा।
- **अगस्ता वेस्टलैंड हेली काप्टर रिश्वत काण्ड–** कई भारतीय राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों पर ऑगस्टा वेस्टलैण्ड नायक कम्पनी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। ताकि उसे 12 अगस्टा वेस्टलैण्ड AW101 हेलीकॉप्टरो की आपूर्ति के लिए भारतीय अनुबन्ध प्राप्त हो सके। इटली में जांच के दौरान कांग्रेस के कई शीष नेताओं की संलिप्तता पायी गई जिसमें 3600 करोड़ रू. की रिश्वत खोरी की बात सामने आई।[5]

25 मार्च 2013 को भारत के रक्षा ए.के. एंटनी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि करते हुये कहा कि हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है रिश्वत ली गई। विपक्ष के आरोपों को देखते हुये सी.बी.आई. द्वारा सख्ती से मामले जांच की गई।

- **रेल्वे रिश्वत घोटाला–** 3 मई 2013 चण्डीगढ में भारतीय रेलमन्त्री पवन कुमार बंसल के भतीजे विजय सिगंला को भारत की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर भारतीय रेल्वे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार की ओर से नारायण राव मंजूनाथ और संदीप गोयल द्वारा विदेशी मुद्रा में दी जा रही 90 लाख रूपये की रिश्वत इस उद्देश्य से स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया कि महेश कुमार को रेल्वे बोर्ड पर एक उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सके। कथित तौर पर घोटाले में शामिल मन्त्री ने 10 मई 2013 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
- **एल आई सी हाउसिंग लोन घोटाला–** विपक्ष के भारी विरोधों के चलते सी.बी.आई. ने आरोप लगाया कि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको और वित्तीय संस्थानो के अधिकारी व्यापार ऋण के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हुये निजी वित्तीय सेवा कम्पनी से रिश्वत प्राप्त कर रहे हैं। इस घोटाले के आरोप में एल.आई.सी हाउसिंग फाईनेस के सी.ई.ओ. रातचन्द्रन नायर के अलावा विभिन्न बैंको और वित्तीय संस्थाओं के कई अधिकारी गिरफ्तार किये गये।
- **एयर इण्डिया घोटाला–** विपक्ष ने यू.पी.ए. सरकार को घेरते हुये यू.पी.ए. सरकार के आपराधिक कुप्रबन्धन के द्वारा राष्ट्रीय विमान सेवा पर 50,000 करोड रूपये के नए विमानों की खरीद का आरोप लगाया। वित वर्ष 2012–13 में एयर इण्डिया 3159 करोड रूपये के घाटे में रहा। यू.पी.ए. सरकार ने इतनी बडी संख्या में विमान खरीद प्रक्रिया को अजाम दिया, सरकार का यह कदम सरकारी खजाने के लिए वित्तीय तनाव का कारण बना।
- **खाधान्न के सडने का घोटाले–** भण्डारगृह की कमी के कारण प्रति वर्ष देश के तकरीबन 58,000 करोड रूपये खाधान्न सडने के कारण बर्बाद होते हैं। सडे अनाज को शराब माफियाओं को 62 पैसे प्रति किलो की दर से बेचा गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसे समय ये भयंकर कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचार है जब एक और मंहगाई के बोझ से लाखो गरीब आदमी भूखमरी में जीने को मजबूर है वही अनाज गोदामों मे सडता है।
- **के जी बेसिन तेल घोटाला–** भारत क महालेखाकार ने के जी बेसिन और अन्य निजी तेल कुओं से सम्बन्धित रिपोर्ट मे गैसों के मूल्यों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गम्भीर अनियमित्ताए पायी है। कांग्रेस सरकार के कई पेट्रोलियम मंत्रियो के भूमिका के सम्बन्ध में भी कई गम्भीर सवाल उठे। ससंद की वित्त स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष भाजपा के यशवन्त सिन्हा रहें। ने अपनी रिपोर्ट में पूरे गैस कीमत के मामले पर उपभोक्ताओं के हित में पूर्नविचार करने की गम्भीर अनुशंसा की।
- **चावल निर्यात घोटाला–** विपक्ष के आरोपों के चलते यू.पी.ए. सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात में गम्भीर खामियों को स्वीकार किया। माना कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों प्रक्रिया का पालन नही किया है। सी वी सी/सी ए जी जांच के बाद उन फर्मो को काली सूची में डाला गया जिन्हे दोषी पाया गया थ यह घोटाला यू पी ए सरकार के संरक्षण में हुआ।
- **रॉबर्ट वाड्रा भूमि घोटाले–** राबर्ट वाड्रा जमीन घोटाला सरकारी संरक्षण मे किये गए भयकंर घोटाले का एक ज्वलन्त नमूना है। राबर्ट वाड्रा और उनके पॉकेट कम्पनियों ने सदिग्ध परिस्थितियों में किसानों की जमीन बडी मात्रा में खरीदी,सरकारी सहयोग से इसका लैण्ड–यूज तेजी से बदला गया और बाद में ऊँचे दर पर उन जमीनों को बिल्डर और उनके नुमाइनदों को बेच दिया जिसके कारण राबर्ट वाड्रा की कम्पनियों को करोडों का फायदा हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में हरियाणा और राजस्थान की कांग्रेस सरकारो ने उन्हें पूरा सहयोग दिया।
- **रक्षा भूमि घोटाला–** देश के विभिन्न भॉगो में विशाल पैमाने पर रक्षा भूमि को बडे पैमाने पर अनियमित्ताओं एवं गैर पारदर्शी तरीके से बिल्डरो को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये सौंप दिया गया। यह मुद्दा सार्वजनकि है,ससंद में भी इस विषय को लेकर प्रश्न उठाये गये। विपक्षी दलों के दबाव में सरकार ने कुछ मामलों में जांच के आदेश दे दिए। लेकिन यह घोटाला बेहद गम्भीर रहा यह भूमि घोटाला लगभग 10,000 करोड रूपये का रहा।
- **ऋण माफी योजना–** गरीब किसानो के हित के लिए बहुप्रचालित

ऋण माफी योजना में भी सी ए जी ने भारी अनियमित्ताएँ दर्ज की। सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार नियमों को ताक पर रखकर कुपात्रो को इस योजना के माध्यम से पैसा बांटा गया ,जिससे सरकारी खजाने का नुकसान पहुँचा।

- **मंहगाई घोटाला-** विपक्ष के आरोपो के अनुसार मूल्यवृद्धि और मुद्रास्फीति का मुख्य कारण यू.पी.ए. सरकार की गलत नीतियॉ,निर्णयों तथा भ्रष्ट प्रशासन रहा। भाजपा ने यू.पी.ए. सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि 'जहाँ एक ओर गरीब आदमी को अपना भोजन नहीं मिल पा रहा है वही किसानो को आत्महत्या करनी पड रही है एक ओर रिकार्ड फसल उत्पादन की बात कही जाती है और दूसरी ओर इतनी महगांई। मंइगाई के सम्बन्ध में कई स्तरो पर अनियमित्त है।' राजग के शासन काल में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.86 था जबकि यूपीए के शासनकाल में औसत 7.93 तक बढ़ा।[7]

तालिका संख्या 2: उपभोक्ता मूल्य सुचकांक

वर्ष	एन डी ए	यू पी ए
1999-2000	3.4	
2000-2001	3.7	
2001-2002	4.3	
2002-2003	4.1	
2003-2004	3.8	
	3.86	
वर्ष	**एन डी ए**	**यू पी ए**
2004-2005		3.9
2005-2006		4.2
2007-2008		6.8
2008-2009		9.1
2009-2010		13.0
2010-2012		9.5
2012-2013		9.0

स्त्रोत : प्लानिंग कमीशन डाटा, बुक फॉर डिप्टी चेयरमेन, प्लानिंग कमीशन, 18 दिसम्बर, 2013

- **रोजगार सृजन में असफलता-** विपक्ष ने रोजगार सृजन मे असफलता के लिए भी यूपीए सरकार पर आरोप प्रत्यारोप किये विपक्ष ने रोजगार सृजन के आंकडों को प्रस्तुत करते हुये कहा कि एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000 एंव 2004-05 के दौरान 6 करोड 70 लाख रोजगार सृजित हुये जबकि 2011-12 तक केवल 1 करोड 54 लाख रोजगार ही सृजित हुये। निम्नतालिका राजग और संप्रसंग शासनों के बीच प्रदर्शन में बुनियादी अंतर को दर्शाती है।

तालिका संख्या 3: रोजगार सृजन

	1999-2000 से 2004-05	2004-05 से 2011-12
रोजगार की संख्या (मिलियन में)	60.7(6.07) करोड	15.44(1.54) करोड
औसत वार्षिक रोजगार सृजन	12.1(1.21)करोड	2.2 (22 लाख)

स्त्रोत : NSSO 61ST, 66TH AND 68TH ROUND SURVEY

एनडीए के शासन में वार्षिक रोजगार सृजन 1.21 करोड से अधिक था जबकि यूपीए के दौरान यह घटकर महज 22 लाख प्रति वर्ष रह गया। कांग्रेस के नेत्त्व वाली यूपीए सरकार के व्यापक कुप्रबन्धन के कारण रोजगार के अवसरो की हानि हुई। विनिर्माण मनुफेक्चिरिंग (-72.3) 2004-05 से 2009-10 और सेवाक्षेत्र (-04.8) 2009-10 मे रोजगार के अवसर का खत्म होना वास्तव में चौकाने वाला रहा।

अच्छी आधारभूत ढांचा किसी भी अर्थ व्यवस्था की रीड होता है। सडके, बिजली, लोहा एंव स्टील उधोग जिसमें कोयला सबसे महत्वपूर्ण घटक है एवं बन्दरगाह जहा से विदेशों के लिए व्यापार संचालित किया जाता है। यह सब किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत ढांचे मुख्य स्तम्भ है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अस्पष्ट नीतियों एवं विलम्ब से स्वीकृति के कारण बुनियादी ढाचॉ नष्ट हुआ।

तालिका संख्या 4: सड़क सम्बन्धित आंकडे

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग लम्बाई (किलो मीटर में)	अतिरिक्त (किलो मीटर)	अवधि/ वर्ष	अतिरिक्त	वार्षिक
1951	22193				
1997	34298	1.2105	46 वर्ष	263	
2004	65569	31271	7 वर्ष	4,467	
2012	76818	11249	8 वर्ष	1406	

स्त्रोत : northnic.in

विपक्ष द्वारा प्रस्तुत आकडो के अनुसार 46 वर्ष के शासन काल में कांग्रेस ने 12105 किलो मीटर राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण किया जबकि 1997 से 2004 के अपने शासन काल के दौरान राजग ने 31271 किलोमीटर राजमार्गो का निर्माण किया।राजग सरकार ने प्रतिवर्ष 4467 किलो मीटर की दर से राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण किया वही यूपीए के 2004- 2012 शासन में प्रतिवर्ष 1406 किलो मीटर राजमार्गो का निर्माण ही हो सका।8

- **बिजली-** कोयला घोटाले मे कारण सरकारी खजाने को एक लाख करोड से अधिक नुकसान के अतिरिक्त बिजली संयत्रों को खराब कोयले एंव अनियमित आपूर्ति से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडा। नवम्बर 2013 के केपीएमजी रिर्पोट के अनुसार वर्ष 2011-12 के अतं में कोयला और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की कमी के कारण बिजली संयत्रों की 33000 मेगावाट के आसपास की क्षमता प्रभावित हुई जिसके कारण इन बिजली संयत्रों में निवेश किये गये 1,00,000 करोड अलाभकारी साबित हो गए।

तालिका संख्या 5: बिजली संयंत्रों से प्रभावित क्षमता

प्लांट लोड	1998-99	2004-05	2012-13
फैक्टर	64.6 प्रतिशत	74.8 प्रतिशत	69.9 प्रतिशत

स्त्रोत : सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी अरली रिपोर्ट

वर्ष 2011-12 के अतं तक 78 बिजली परियोजनाओं जिनसे 10300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था, पर्यावरण से जुडी मंजुरी न मिलने के कारण लम्बित रही।

- **बन्दरगाह-** भारत के कुल निर्यात का 90 प्रतिशत बन्दरगाहों के माध्यम से होता है पोर्ट उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर जहाजों के लिए औसत वापसी समय है जिससे यह देखा जाता है कि मूल रूप से एक जहाज को लोड या अनलोड होने मे कितना समय मिल जाता है और वह जल में परिचालन के लिए कितने समय में स्वतन्त्र हो जाता है यह एक महत्वपूर्ण

पैरा मीटर क्योकि इससे आयात और निर्यात की लागत कम होती है और प्रतिस्पर्धा बढती है। भारतीय बन्दरगाहों पर औसत वापसी समय दिनो में –

तालिका संख्या 6: जहाजों का वापसी समय

वर्ष	औसत वापसी समय
1996-97	7.8
2004-05	3.41
2011-12	5.05

स्त्रोत : इकॉनॉमी सर्वे : वित 1997-98, 2005-06

विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया गया कि यू पी ए सरकार एनडीए द्वारा हासिल दक्षता की बढत बनाए नहीं रख सका। 1991-92 में दर्ज 6-7 दिनों की तुलना में 1996-97 के बीच 7.8 दिन तक गिर चुका था एनडीए के शासन काल में यही औसत प्रभावशाली तरीके से 3.41 तक लाया गया किन्तु यूपीए द्वितीय के शासन में 5.05 तक बढा।

- **कमजोर विदेश नीति –** विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने अमेरिका,ब्रिटेन औ जर्मनी जैसे देशो के साथ अपने रिश्तों की मजबूती के सभी दावे किये किन्तु विदेश नीति में गिरावत और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकने में सरकार की असफलता साफ दिखायी दी। पाकिस्तान के साथ वार्ताओं के दौर में आंतकवाद के मुद्दे को साइडलाई दी,अफगानिस्तान में सैन्य उपकरणों और हथियारों के लिए अफगान सरकार की मांगों के प्रति भारत का रवैया उदासीन रहा। नेपाल,भूटान मामले के भी चीन के रवैया को लेकर उदासीनता रही म्यांमार के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों केा बढाने और म्यांमार को चीन की छाया से मुक्त करने के लिए गंभीर प्रयास नही किया।बग्लादेश मामले में भारत सरकार ने बडे पैमाने पर घुसपैट के बारे में चितांओं के समाधान के बिना तीस्ता जल और भूमि सीमा मुद्दों का एक तरफा समाधान करने का प्रयास किया। श्रीलंका में सशस्त्र बलों के बीच फसें निर्दोष तमिल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने मे सरकार की विफलता रही। मालदीव में उदारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के निष्कासन और कट्टरपंथी मोहम्मद वाहिद हसन के नेतृव द्वारा सत्तंा पर कब्जा भारत की अपने पडोस मे गिरती राजनीतिक ताकत का एक उदाहरण रहा। संप्रग सरकार की उदासीनता कुव्यवस्था और अक्षमता के कारण अधिकांश पडोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों में गिरावत आई।
- **आंतरिक सुरक्षा –** देश की आतरिक समस्याओं को हल करने में यू पी ए सरकार विफल रही। देश भर में साम्प्रदायिक हिंसा मे स्पष्ट वृद्धि हुई 2012 में 640 घटनाओं में 93 लोगो की जान गई 2067 घायल हुये। 2013 मे अगस्त माह तक 479 घटनाओं में 107 लोग मारे गये एंव 1647 घायल हुये।

सरकार सगठित होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र (एन सी टी सी) के रूप में एक केन्द्रीकृत संस्थान की स्थापना के लिए देश में राजनीतिक आम सहमति कायम करे में समर्थ रही। पाकिस्तान और आतंक के प्रति सरकार का नरम रूख से देश के नागरिको मे असुरक्षा को बढावा मिला।

- **लाभ का पद –** कांग्रेस की आरे से संबंधित नेता ने उतर प्रदेश से राज्य सभा की सांसद श्रीमती जया बच्चन के खिलाफ कानून का उल्लघंन करने का मामला उठाया क्योंकि श्रीमती बच्चन ने उत्तर प्रदेश बाल फिल्म सोसाइटी के चेयरमेन का पद संभाला था निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर भारत के राष्ट्रपति ने राज्य सभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। आरोपो में सोनिया गांधी उस समय ज्यादा घिरी जब वे भी सांसद होते हुए ऊचें पद आर्थत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की चेयरमेन बनी हुई थी, उन्हें केबीनेट का दर्जा प्राप्त था वे अतिरिक्त लाभ व विशेषाधिकार प्राप्त कर रही थी। आरोपों के चलते काग्रेसनीत यूपीए ने दोनो सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थागित कर दिया तथा सोनिया गांधी को बचाने के लिए अध्यादेश लाने की कार्यवाही की गई। भाजपानीत एन डी ए और यूपीए के समर्थक वामपंथी पार्टिया ने इस कदम का जोरदार विरोध किया। श्रीमती गांधी ने इस स्थिति से बचने के लिए संसद और एन ए सी केपद से इस्तीफा दे दिया।
- **केन्द्र-राज्य सम्बन्ध –** विपक्ष का आरोप थ कि सरकार ने गैर-कांग्रेसी, गैर-यूपीए राज्य सरकारों और विशेष रूप से एनडीए द्वारा संचालित सरकारों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया। इसके चलते केन्द्र राज्य सम्बन्ध सुदृढ नहीं हो पाये। राज्यों द्वारा संघीय ढांचे के बात को सामने रख कर केन्द्र सरकार के एनसीटीसी बिल पास नहीं हो पाया उसे अटका कर रखा गया दुसरी ओर राज्यों के विरोध के कारण केन्द्र सरकार आर पी एफ बिल नही जा सकी। एनसीटीसी मामले पर मोदी, नीतिश, ममता, जयललिता, नवान पटनायक मुख्यमन्त्री केन्द्र सरकार के विरोध में एकत्रित हो गये थे। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति व एफडीआई को लेकर भी कई टकराव सामने आये।

उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यूपीए गठबंधन का कार्यकाल घोटालों और समस्याओं से भरपूर रहा वहीं एनडीए ने सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक मुद्दे को उजागर किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. 2जी स्पेक्ट्रम (2012). *द टाइम्स ऑफ इण्डिया.* 12 फरवरी
2. कोयला घोटाला (2013). *नवभारत टाइम्स डॉट कॉम.* 18 अक्टू.
3. क्यों काली और जाली है भारतीय अर्थव्यवस्था? (2012). *बी.बी.सी., हिन्दी न्यूज,* 19 दिसम्
4. अमिताथ सिन्हा (2015). इसरों में 4400 करोड़ रूपये क उपद्रव क कहानी. *द इण्डियन एक्प्रेस.* 8 अक्टूबर
5. अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर घोटाला (2016). *लाइव हिन्दुस्तान* - 2 अप्रैल
6. रक्षा मंत्रालय के भूमि अधिग्रहण मामला (2014). *नई दुनिया.* 29 मार्च
7. प्लानिंग कमीशन डाटा (2013). बुक फॉर डिप्टी चेयरमेन, *प्लानिंग कमीशन.* 18 दिसम्बर.
8. बेसिक रॉड स्टेटिक्स फर्म मिनिस्टरी ऑफ टॉड ट्रासपोर्ट एण्ड हाईवे, वेबसाइट - northnic.in
9. सेन्ट्रल इलेक्ट्रसिटी अथॉरिटी अरली रिपोर्टस (2009-2014), वेबसाइट - www.cia.nic.in
10. यूपीए-2 (2014) चार साल का रिपोर्ट कार्ड, *नवभारत टाइम्स*, नई दिल्ली, 19 मई

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Influence of Types of Hospital, Length of Service and their Interaction on Personality Factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses

Dr. Anjali Pandey*

***Assistant Professor (Psychology) Govt. E.V.P.G. College, Korba (C.G.) INDIA**

Abstract - The aim of the present study was to find out the impact of types of hospital on Personality Factor C (Affected By Feeling Vs Emotionally Stable) of nurses. For this a sample of 300 Nurses with of 0-5 Years, 5 -10Years and more than 10 Years of Length of Service of Government and Private Hospital was randomly selected. Sixteen Personality Factor questionnaire by R.B Cattlle (Hindi Adoptation) by S.D Kapoor was used. It was found that there was impact of types of hospital on Personality Factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable). Those working in Government hospital were found to be significantly more emotionally stable as compared to than those working in Private hospital.
Keywords- Nurses, Types of Hospital, Length Of Service , Personality Factor.

Introduction - The purpose of the present investigation is to determine if there is relationship between personality Factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable**)** and Length of service in Government and Private hospital nurses. A second purpose is to see what types of relationships (if any) is there, and to find out any differences between government and private hospital nurses. As found in previous researches, there are relationships between personality Factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable**)** and Length of service in Government and Private nurses. This research will add to the existing literature.

In the medical profession for taking proper care of the patients the Emotionally Stable of nursing staff has a big role to play. An Emotionally Stable nurse would be able to take care of any difficult situation in a much better way compare to the one who is Affected by Feeling. This makes Emotionally Stability A very significant factor in the personality of nurses. This study was conducted to find out correlation of type of hospital (Government and Private) and Length of service and there interaction on personality factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable**)** of nurses.

Objective- To study the influence of Types of Hospital, Length of Service and their interaction on Personality Factor **C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable)

Hypothesis- There is no significant influence of Types of Hospital, Length of Service and their interaction on Personality Factor **C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable).

Sample- A sample of 150 Nurses each was selected randomly from Government and Private Hospitals. They were stratified on the basis of 0-5year, 5-10 year, and above 10 year of Length of Service

TEST- Sixteen Personality Factor questionnaire by R.B Cattlle (Hindi Adaptation) by S.D Kapoor

Method- Through random sampling four hospitals were selected (two government and two private hospitals). The nurses of the selected hospitals were administered upon a structured Sixteen Personality Factor questionnaire by S.D Kapoor by the researcher. The scoring was done and the score were analysed.

Analysis And Discussion Of Results - The objective was to study the influence of Types of Hospital, Length of Service and their interaction on **Personality Factor C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses. There were two Types of Hospital, namely, Government and Private. 0-5year, 5-10 year, and above 10 year working in nursing were the three levels of Length of Service of Nurses. Thus the data were analyzed with the help of 2X3 Factorial Design ANOVA

Table 1: Types of Hospital wise N, Mean, SD of **Personality Factor C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses

Types of Hospital	N	Mean	SD
Government Hospital	150	4.71	1.85
Private Hospital	150	4.32	1.60

Table 2: Length of Service wise N, Mean, SD of **Personality Factor C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses

Length of Service Wise	N	Mean	SD
0-5 Years	107	4.52	1.59
5-10 Years	97	4.62	1.97
Above 10 Years	96	4.40	1.88

Table 3: Summary of 2 x 3Factorial Design ANOVA of **Personality Factor C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses

Source of Variance	Df	SS	MSS	F-value
Types of Hospital (A)	1	13.97	13.97	4.66*
Length of Service (B)	2	4.97	2.48	0.83
A X B	2	8.85	4.42	1.48
Error	294	881.70	2.99	
Total	299			

** Significant at 0.05 level

1a Influence of Types of Hospital on Personality Factor C
(Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value is 4.66 which is significant at 0.05 level with df=1/296. It shows that the mean scores of **Personality Factor C** of Nurses working in Government and Private Hospital differ significantly. So there was significant influence of Types of Hospital on **Personality Factor C** of Nurses. Thus, the null Hypothesis that there is no significant influence of Types of Hospital on **Personality Factor C** (Affected by Feelings Vs Emotionally Stable) of Nurses is rejected. Further the mean score of **Personality Factor C** of Nurses working in Government hospital is 4.71 which is significantly higher than those working in Private hospitals whose mean score of **Personality Factor C** is 4.32. It may, therefore, be said that Nurses working in Government Hospital were found to be more Emotionally Stable than those of working in Private Hospitals.

1b Influence of Length of Service on Personality Factor C
(Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value for Length of Service is 0.83 which is not significant. It shows that the mean scores of **Personality Factor C** of Nurses with service period of 0-5 year, 5-10 year and Above 10 year did not differ significantly. So there was no significant influence of Length of Service on **Personality Factor C** of Nurses. Thus, the null Hypothesis, that there is no significant influence of Length of Service on **Personality Factor C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses, is not rejected. It may, therefore, be said that **Personality Factor C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses was found to be independent of Length of Service.

1c Influence of Interaction between Types of Hospital and Length of Service on Personality Factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value for the interaction between Types of Hospital and Length of Service is 1.48 which is not significant. It shows that the mean scores of **Personality Factor C** of Nurses working in Government and Private Hospitals having 0-5 year, 5-10 year and Above 10 years Length of Service did not differ significantly. So there was no significant influence of interaction between Types of Hospital and Length of Service on **Personality Factor C** of Nurses. Thus, the null Hypothesis that there is no significant influence of interaction between Types of Hospital and Length of Service on **Personality Factor C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses is not rejected. It may, therefore, be said that **Personality Factor C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable) of Nurses was found to be independent of interaction between Types of Hospital and Length of Service of Nurses.

The result of **personality factor C** shows that there was no significant influence of length of service on personality factor C As length of service increases the nurses become more mature in their work and get used to the working environment in which they have worked for year. It becomes a routine work for them and as such does not affect emotional part of their life. **Saksvik-Lehouillier, Ingvild; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, GroMjeldheim; Moen, Bente E.; Magerøy, Nils; & Harvey, Allison (2012)** found that Personality factors, especially Hardiness (Neuroticism related factors C), can predict changes related to shift work tolerance over a period of one year. **Yu, Hairong; Jiang, Anli; & Shen, Jie (2016)** Neuroticism was a negative predictor, accounting for 24.2% and 19.8% of the variance in Compassion Fatigue and Burnout, respectively. **Personality Factor C** of Nurses was found to be independent length of service and interaction between Types of Hospital and Length of Service of Nurses. Thus from the above discussion in becomes clears that types of hospital affect personality factor c (Affected by Feelings Vs Emotionally Stable) whereas there is no impact of either of length of service or interaction between the two.

Conclusions:

1. There is significant influence of Types of Hospital on Personality Factor **C** (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable). Nurses working in government Hospitals were found to be more Emotionally Stable than those working in private Hospitals.
2. There is no significant influence of Length of service on Personality Factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable).
3. There is no significant influence of interaction of Types of Hospital, Length of service on Personality Factor C (Affected by Feeling Vs Emotionally Stable).

References:-

1. Saksvik-Lehouillier, Ingvild; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Moen, Bente E.; Magerøy, Nils; Harvey, Allison; Costa, Giovanni; Pallesen, Ståle. (2012) Personality factors predicting

changes in shift work tolerance: A longitudinal study among nurses working rotating shifts. Work & Stress. Vol. 26 Issue 2, p143-160.

2. Yu, Hairong; Jiang, Anli; Shen, Jie. (2016) Prevalence and predictors of compassion fatigue, burnout and compassion satisfaction among oncology nurses: A cross-sectional survey. *International Journal of Nursing Studies. Vol. 57, p28-38.*

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

संत सिंगाजी का इतिहास

डॉ. मधुसूदन चौबे *

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – निमाड़ के कबीर कहे जाने वाले संत सिंगाजी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के इतिहास के एक महान व्यक्तित्व हैं। एक गृहस्थ और राजकीय सेवक से संत के स्वरूप में उनका रूपांतरण अनुसंधान का विषय है। उनके उपदेशों की शाश्वतता का प्रमाण यह है कि पाँच सौ वर्षों के उपरांत भी उनके असंख्य अनुयायी उनके प्रति असीम श्रद्धा का भाव रखते हैं। वे देवतुल्य माने जाते हैं और उनके नाम का स्मरण आत्मबल प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में उनके इतिहास की विवेचना की जा रही है।

शोध विधि – इस शोध पत्र के लेखन के लिए क्षेत्र-भ्रमण, सिंगाजी के अनुयार्यी एवं भजन मंडलियों से साक्षात्कार, सिंगाजी के भजनों का अध्ययन और विश्लेषण, संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन आदि का सहारा लेकर समंक संग्रहित किये गये हैं।

शोध के उद्देश्य – इसका मुख्य उद्देश्य संत सिंगाजी के प्रामाणिक इतिहास का लेखन कर, उनसे जुड़े हुए तथ्यों का प्रकटीकरण करना है।

प्रथम सोपान – दीक्षा से पूर्व का जीवन – सिंगाजी का जन्म वर्तमान मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की राजपुर तहसील में स्थित खजूरी ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भीमाजी और माता का नाम गवरा बाई (गौर बाई) था। सिंगाजी के जन्म के समय खजूरी तत्कालीन बड़वानी रियासत में शामिल था। उनके जन्म और देहावसान के वर्षों में मतैक्य का अभाव है। वे 1517 या 1519 ई. में जन्मे थे। यहां केवल दो वर्षों का अंतर है, लेकिन उनकी मृत्यु की प्रस्तावित तिथियों में अत्यधिक अंतर है।

एक मत के अनुसार उन्होंने विक्रम सम्वत् 1664 (ईसवी सन् 1607) में समाधि ली थी, जबकि दूसरे मत के अनुसार उनकी समाधि का समय विक्रम सम्वत् 1616 (ईसवी सन् 1559) था। दोनों प्रस्तावित तिथियों में 48 वर्षों का अंतर है। 'लोक मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि ने सिंगाजी के रूप में जन्म लिया था।' 'श्रृंगी ऋषि अवतार हैं भाई, सिंगाजी नाम घर भक्ति दृढ़ाई।' सिंगाजी के परिवार में 'बड़े भाई लिम्बाजी, बहन किसनाबाई (कृष्णा बाई), पत्नी यषोदा बाई (जसोदा बाई) तथा चार पुत्र कालू, भोलू, सन्दू और दिपा तथा पौत्र (कालूजी के पुत्र) दलूदास थे।' उनके परिवार की स्थिति अग्रांकित वंशतालिका से स्पष्ट हो जाती है-

सन्त सिंगाजी की वंशावली (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

युवावस्था में सिंगाजी का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक हो गया था। वे गौर वर्ण के थे तथा उनका शरीर विशाल था। धोती-कुर्ता उनकी पसंदीदा वेशभूषा थी। वे घुटनों तक धोती पहनते थे। वे कानों में मुद्रिकाएँ, गले में सैली, कमर में कटारी और कंधों पर तीर-तरकस एवं कमान धारण करते थे। शारीरिक सौन्दर्य के साथ ही उनमें बुद्धिमत्ता और साहस जैसे उदात्त गुण भी कूट-कूटकर भरे हुये थे। 'हरसूद में रहते हुये भीमाजी ने अपने पुत्र सिंगाजी का विवाह जसोदा नामक युवती से किया।'

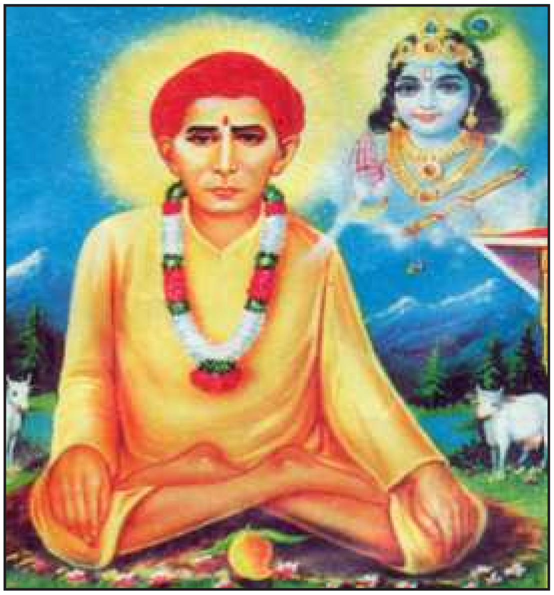

(संत सिंगाजी का चित्र)

सिंगाजी ने 24 वर्ष की उम्र में भामगढ़ रियासत के भिलाला राजा राव लखमेसिंह के यहाँ विक्रम सम्वत् 1598 (ईसवी सन् 1541) में एक रुपया प्रतिमाह के वेतन पर नौकरी करना प्रारम्भ किया। 'सिंगाजी राजा के राजकीय और पारिवारिक कार्यों में सदैव सहयोग प्रदान करते थे और अत्यन्त विश्वासपात्र थे।' उन्होंने पन्द्रह वर्षों तक नौकरी की। आगे चलकर उनका वेतन तीन रुपये प्रतिमाह हो गया था।

द्वितीय सोपान – दीक्षा के उपरांत का जीवन– एक घटना से प्रेरित होकर सिंगाजी ने 40 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। 'वे अपने जाति बंधु के निमंत्रण पर उसके यहाँ आयोजित होने वाले मंगल कार्य में जा रहे थे।' 'उन्हें भोंसावा ग्राम में एक भजन की कुछ पंक्तियां सुनाई दी। भजन के बोल तथा भजन गायक सन्त मनरंगीर (सन्त मनरंग स्वामी) ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया।' उन्होंने संत मनरंगीर से दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं एक भजन में लिखा है कि-

मार्‌या बाण कसी, सतगुरु मार्‌या बाण कसी।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे, तन पर विपत कसी।।
तन का घाव नजर नहीं आवे, कहाँ लगाऊ दवा घसी।
छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, सबद की फल घसी।।

इसका अर्थ यह हुआ कि सतगुरु ने कसकर बाण मारा। सतगुरु ने गुरुमन्त्र (ज्ञान) का बाण जबसे कसकर मारा है, तबसे अन्न अच्छा नहीं लग रहा है। नींद नहीं आ रही है। शरीर पर विपत्ति कसती जा रही है। शरीर पर घाव दिखाई नहीं दे रहा है, अत: दवा घिसकर कहाँ लगाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु ने छुरी नहीं मारी, कटारी भी नहीं मारी, परन्तु गुरु शब्द की फाल भीतर तक धंस यी है। गुरु के आदेशानुसार उन्होंने गृहस्थ रहते हुए साधना की। वे अपने परिवारजनों के साथ हरसूद में रहने लगे और ईश्वर भक्ति में लीन हो गये। कुछ समय बाद उन्होंने हरसूद को त्यागकर पिपल्या गाँव को अपना निवास स्थल बना लिया। यह पिपल्या गाँव वर्तमान में सिंगाजी ग्राम के नाम से जाना जाता है।

सिंगाजी ने भजनों के रूप में काव्य रचना की है। उनके द्वारा रचित भजनों की संख्या 800 से 1100 के मध्य बताई जाती है। काव्य रचना की दृष्टि से सिंगाजी निमाड़ी लोक साहित्य के प्रमुख कवि हैं। 'निमाड़ी लोक साहित्य के निर्माण में सन्त सिंगाजी का अपूर्व स्थान रहा है। निमाड़ में यदि सिंगाजी नहीं होते, तो निमाड़ी भाषा इतनी परिष्कृत नहीं होती। सिंगाजी की रचनाओं को देखकर लगता है कि मानो हम कबीर से मिल रहे हैं। वही फक्कड़पन, वही अनहद की नाद, वही शब्द की झंकार, वही त्रिकुटी महल, वही शून्य में नयन और वही अखण्ड ज्योति भरपूर।

सिंगाजी के उपलब्ध साहित्य में निम्नांकित सम्मिलित हैं–

1. साखी	**7. शरद**
2. भजन	**8. देश की वाणी**
3. दृढ़ उपदेश	**9. बाणावली**
4. आत्मध्यान	**10. सातवार**
5. दोषबोध	**11. पन्द्रह तिथि**
6. नरद	**12. बारहमासी**

सिंगाजी के प्राप्त भजनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर सिंगाजी के विभिन्न दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचार ज्ञात होते हैं।

सिंगाजी निर्गुण निराकार में आस्था रखते थे।

सिंगाजी ने देव पूजा, तीर्थयात्रा एवं गंगा स्नान आदि को आडंबर माना है और इनका विरोध किया है।सिंगाजी एकेश्वरवादी थे। उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया है। सिंगाजी की मान्यता थी कि एक ही बूँद की सारी रचना है। एक ही शक्ति से सम्पूर्ण संसार का सृजन हुआ है।सिंगाजी का जाति-पाँति, ऊँच-नीच आदि के भेदभाव में विष्वास नहीं था। उनका दृष्टिकोण था कि ऊँचे कुल या जाति में जन्म लेने मात्र से कोई ऊँचा नहीं हो जाता, बल्कि मनुष्य कर्म के आधार पर ऊँचा-नीचा माना जाता है।

भक्ति परम्परा के अनुसार ही सिंगाजी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है और उनके प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है। उनकी मान्यता थी कि ब्रह्म से साक्षात्कार के लिये ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना सम्भव नहीं है।

गुरु बिना मारग कौन बताये।
नदिया गहरी जल डूबोये, नीर बहता जाये।
गुरु कृपा से पकड़ बुलावे, वोही पार लगाये।

सिंगाजी ने अपने उपदेशों में कहा कि आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है। आत्मा ब्रह्म का अंश है, जो प्रकृति या माया जनित नाम रूप के माध्यम से व्यक्त होता है।सिंगाजी के अनुसार माया ही वह कारण है, जो आत्मा यानी जीव और परमात्मा यानी ब्रह्म के मध्य आवरण का काम करती है। माया के प्रभाव से जीव अहंकार से ग्रस्त होता है और उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय आदि का उदय होता है।

सिंगाजी के अनुसार जगत नश्वर या क्षण भंगुर है। वे मानते थे कि ईश्वर के स्मरण के बिना यह मिथ्या जगत, जिसकी स्थिति क्षणिक है और भी अधिक दु:खदायी हो जाता है।सिंगाजी ने आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हुये, इस अंश को ब्रह्म से जोड़ने के लिये हठयोग को माध्यम बताया।

सिंगाजी के जीवनकाल में असंख्य लोग उनके अनुयायी बन गये थे। जिनमें से कुछ उनके साथ पीपल्या ग्राम में वास करते थे और अधिकांश गृहस्थ रहते हुये उनके आदेशों के अनुसार भक्ति-उपासना में संलग्न थे। सिंगाजी द्वारा समाधि ग्रहण करने के बाद उन्हें मानने और पूजने वालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। वर्तमान में निमाड़ का यादव समाज ही नहीं बल्कि हर समाज का व्यक्ति सिंगाजी को देवरूप में देखता है।

तृतीय सोपान – निर्वाण की प्राप्ति– सिंगाजी को निर्वाण की प्राप्ति विक्रम सम्वत् 1616 (ईसवी सन् 1559) में श्रावण सुदी नवमीं के दिन हुई थी। उन्होंने स्वेच्छा से देह त्यागकर समाधि ली थी। उनकी समाधि सिंगाजी ग्राम में है।

सिंगाजी द्वारा समाधि लिये जाने के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। प्रथम मत का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, अपितु यह लोक विश्वास में प्रचलित है। इसके अनुसार 'विक्रम सम्वत् 1615 (ईसवी सन् 1558) में श्रीकृष्ण जन्माअष्टमी के दिन सिंगाजी अपने गुरु के सान्निध्य में थे। गुरु को नींद आ रही थी। उन्होंने सिंगाजी को यह निर्देश दिया कि उन्हें श्रीकृष्ण जन्म के समय अर्द्धरात्रि में चन्द्रमा के उदित होते समय जगा देना ताकि वे पूजा-अर्चना कर सकें। निर्धारित समय पर सिंगाजी ने यह देखते हुये कि गुरु गहन निद्रा में हैं, उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और स्वयं आरती आदि का कार्य निष्पादित कर दिया। प्रात: गुरु की नींद खुली, तो वे बहुत नाराज हुये और उन्होंने क्रोधित होकर सिंगाजी से कहा– 'जाओ ! अगली जन्म अष्टमी तक मुझे अपना मरा मुँह दिखाना।' सिंगाजी गुरु आज्ञा के बाद अपने गाँव पिपल्या आ गये। इसके ठीक ग्यारह माह बाद अर्थात् अगली जन्म अष्टमी के एक माह पूर्व विक्रम सम्वत् 1616 (ईसवी सन् 1559) में सावन माह के शुक्ल पक्ष की नवमीं को जीवित समाधि ले ली।

द्वितीय मत लिखित साक्ष्य पर आधारित है। खेमदास कृत परचरी में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार सिंगाजी ने स्वयं ही समाधि लेने का निर्णय लिया। गुरु मनरंग स्वामी ने भी सन्देश दिया था कि अब सिंगाजी को देह त्यागकर सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को देह त्यागकर समाधि ले लेना चाहिये। सिंगाजी ने गुरु आज्ञा को मानते हुये गुरु द्वारा तय किये गये समय के पूर्व ही अपने समस्त परिजनों की उपस्थिति में नवमीं को समाधि ले ली।

उपसंहार– इस तरह सिंगाजी का जीवन ऐसे परिवर्तनों का एक उदाहरण है, जिन्होंने एक गृहस्थ को लोकमान्य संत में परिणत कर दिया। आज भी निमाड़ के किसी निवासी पर किसी भी तरह की आपत्ति आने पर उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिये वह सिगाजी की मनौती करता है। मनौती पूर्ण हो जाने पर अर्थात् विपत्ति का निवारण हो जाने पर वह घी का कलश लेकर पैदल चलते हुये समाधि स्थल पर जाता है तथा वहाँ प्रज्जवलित अखण्ड ज्योति के लिये घी अर्पित करता है। उल्लेखनीय है कि यह ज्योति सिंगाजी के निर्वाण

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

दिवस से आज तक अर्थात् चार सौ पचास वर्षों से अनवरत् प्रज्जवलित हो रही है। सिंगाजी का व्यक्तित्व और कृतित्व उन्हें भक्तिकालीन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य और पूज्य बनाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **नर्मदाचल के सन्त कवि**, लेखक– बाबूलाल सेन, प्रकाशक– इतिहास संकलन समिति, महेश्वर, संस्करण– प्रथम, 1995ई., पृष्ठ–06.
2. **निमाड़ के सन्त कवि सिंगाजी**, लेखक– रमेशचन्द्र गंगराड़े, प्रकाशक– हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ, संस्करण– 1967, पृष्ठ–34.
3. **सिंगाजी की परचुरी**, लेखक– सन्त खेमदास, प्रकाशक– व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण– विक्रम संवत, 1751
4. **मासिक पत्रिका वीणा**, अंक – दिसम्बर, 1955. में प्रकाशित प्रो. नैमीचन्द जैन का आलेख 'मध्यभारत में सन्त परम्परा', पृष्ठ– 35.
5. **उत्तरी भारत की सन्त परम्परा**, लेखक– डॉ. परशुराम चतुर्वेदी, प्रकाशक– भारती भंडार, इलाहाबाद, संस्करण– संवत–2021., पृष्ठ–379.
6. **सन्त सिंगाजी**, लेखक– सुकुमार पगारे, प्रकाशक– सिंगाजी साहित्य शोधक मण्डल, खण्डवा, संस्करण– 1936, पृष्ठ– 28.
7. **सिंगाजी की परचरी**, लेखक– सन्त खेमदास, प्रकाशक– व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण– विक्रम संवत, 1751, पृष्ठ– 08
8. **निमाड़ के सन्त कवि सिंगाजी**, लेखक– रमेशचन्द्र गंगराड़े, प्रकाशक– हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ, संस्करण– 1967, पृष्ठ–37.
9. **भजन**, रचयिता– सन्त सिंगाजी, संकलन एवं अनुवाद–डॉ. श्रीराम परिहार, प्रकाशक– आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, 1996., पृष्ठ– 11
10. **निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास**, लेखक– रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक– विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, संस्करण– 1980,
11. **कहे जन सिंगा**, लेखक– डॉ श्रीराम परिहार, प्रकाशक– मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1996, पृष्ठ– प्रस्तावना–08–10.
12. **कहे जन सिंगा**, लेखक– डॉ श्रीराम परिहार, प्रकाशक– मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1996, प्रस्तावना, पृष्ठ– 07.

सन्तसिंगाजी की वंशावली[*]

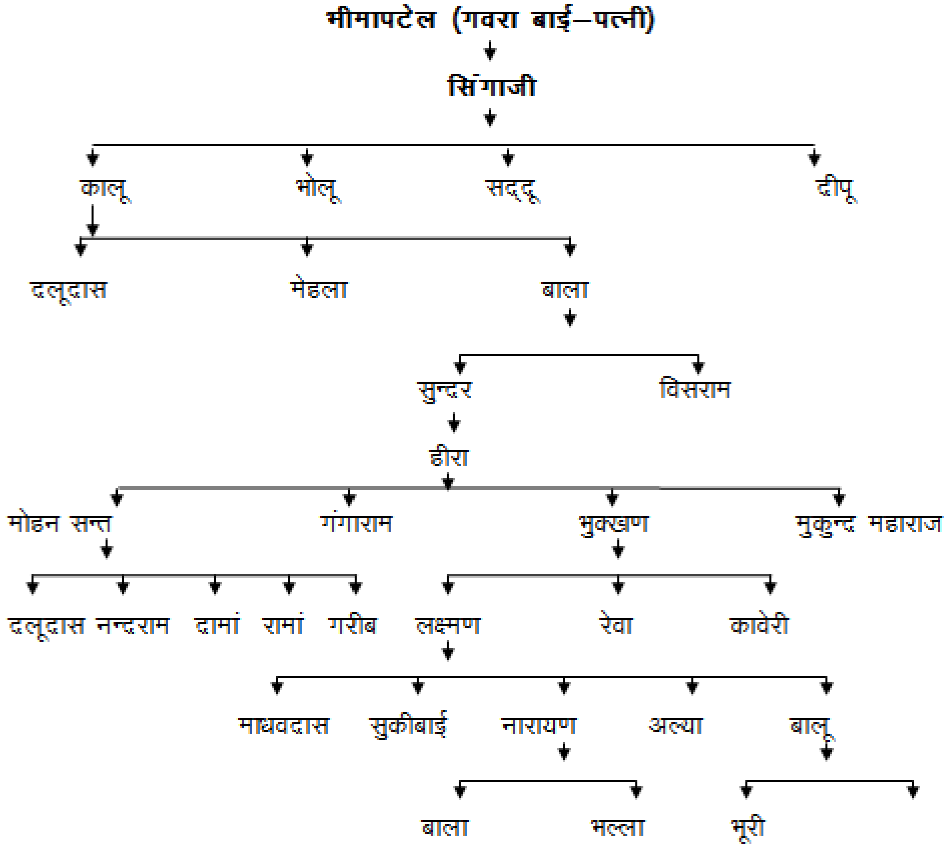

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

म.प्र की अनुसूचित जाति/जनजाति शाला त्यागी बालिकाओं के लिए बनायी सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन (धार जिले के सर्वेक्षित बालिकाओं के आधार पर)

श्रीमति सीमा चौबे* डॉ. रमेशचंद्र पेन्टेल **

* शोधार्थी, पी.एच.डी, समाजशास्त्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** रिसर्च सुपरवाइजर, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मनावर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - डॉ. अंबेडकर के अनुसार -'शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। बालकों के साथ-साथ बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि शिक्षा की स्थिति पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। शिक्षा का उद्देश्य व कार्य ऐसे होने चाहिए जिनसे पता चले कि वह दी जाने वाली शिक्षा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है, कि यह अपने चरित्र मे वैज्ञानिक, निष्काम और पक्षपात रहित हो। इसका उद्देश्य विद्यार्थी के मस्तिष्क में केवल तथ्य और सिंद्धातों को भरना नहीं चाहिए, अपितु व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को सदृढ करने वाला होना चाहिए है। यह विद्यार्थी को प्रधान सत्ताधारी के समीक्षात्मक अध्ययन का आदी बनाती है तथा उनके मस्तिष्क में एक संपूर्णता का स्तर बनाती है और उसे कठिनाइयों की दिशा से जूझते हुए सत्य तक पहुचने का अर्थ देती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होती है कि इनका जीवन यापन कृषि पर निर्भर होने के कारण अनेक कठिनाइयों और परेशानियों में ये अपना जीवन-यापन करते है। इस कारण उनका शिक्षा को लेकर विशेष लगाव नहीं होता है। इन वर्गो का बच्चों को जन्म देना ही इस बात का साक्षी होता है कि जितने जयादा बच्चें उतनी ज्यादा आमदनी, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इससे स्पष्ट है कि वे बालकों की शिक्षा तो एक बार विचार कर सकते है लेकिन बालिकाओं का शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ रहते है, फिर चाहे बालिकाओं के लिए कितनी भी सरकारी योजनाएं आ जायें, उन्हें कोई फर्क नहीं पडता।

निदर्शन विधि- धार जिले की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो की 200 बालिकाओं का सर्वे किया गया जिसमें उनके शिक्षा से वंचित होने के कारणों का पता लगाकर उनके लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं से लाभांवित बालिकाओं का ब्यौरा बताकर उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत करना इस शोध का उद्देश्य है।

शाला त्याग में अनुसूचित जाति की बालिकाओं का अपेक्षा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का प्रतिशत अधिक है। 2010-2011 के सर्वे के अनुसार इस प्रकार से है-

तालिका -1 : देश में शाला त्याग ने वाली बालिकाओं की दर वर्ष 2010-11 के अनुसार

कक्षा	जनजातीय बालिकाएं	अन्य बालिकाएं
1-5 वीं	33.9	25.1
1-8 वीं	55.4	41.0
1-10 वीं	71.3	47.9

देश में शाला-त्यागी बालिकाओं की दर वर्ष 2010-11 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं का 33.9 प्रतिशत है, एवं 1-8वीं तक की जनजातियों की बालिकाओं का 55.4 प्रतिशत है। उसी प्रकार 1-10 वीं तक की अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं 71.3 प्रतिशत है, जो अन्य सामान्य वर्ग की तुलना में बहुत अधिक है। चूंकि धार जिला एक अनुसूचित जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां पर अनुसूचित जाति एवं अन्य सामान्य जाति की बालिकाओं की अपेक्षा शाला त्याग की सबसे अधिक है।

तालिका -2: उत्तरदाता बालिकाओं को स्कूल से शासकीय योजनाओं के अंतर्गत स्कूल से साइकिल, ड्रेस, स्कालरशिप आदि मिलने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
हां	177	88.5 प्रतिशत
नहीं	23	11.5 प्रतिशत
कुल	200	100.0

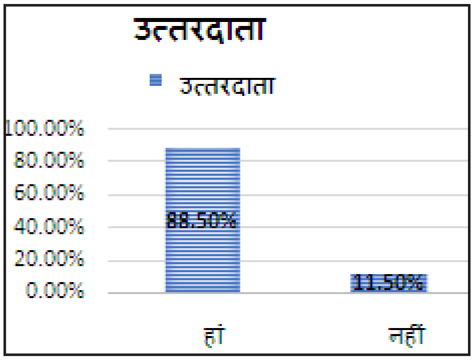

उपयुक्त सारिणी में उत्तरदाता को स्कूल से शासकीय योजनाओं के अंतर्गत साइकिल, ड्रेस, स्कालरशिप आदि मिलने का विश्लेषण करने पर

ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक सर्वेक्षित उत्तरदाता बालिकाओं ने सकारात्मक अर्थात हां में उत्तर दिया जिसकी संख्या कुल 200 में से 177 बालिकाएं है, जिनका 88.5 प्रतिशत है। उसी प्रकार नकारात्मक अर्थात नहीं में उत्तर दिया, जिसकी संख्या 23 एवं जिनका 11.5 प्रतिशत है।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता बालिकाओं को स्कूल से शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं।

मध्यप्रदेश में शाला त्यागी व अप्रवेशी बच्चों को शाला पहुंचाने के लिए चलो दोस्त स्कूल अभियान चलाया गया है।

मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास हेतु शंखनाद योजना लागू की गई है।

नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना 2005-06 में आरंभ की गई थी। जिसके अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी बालिकाओं को आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया गया है। उसी प्रकार प्रतिभा किरण योजना चलाई गई जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गरीबी-रेखा से नीचे के परिवारों की मेघावी बालिकाओं को शिक्षा का स्तर बढाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

बेटी बचाओ, बेटी पढाओं योजना- भारत सरकार द्वारा 2014-15 में यह योजना औपचारिक रूप से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को महत्व को बढाने एवं बालिकाओं को शिक्षित करना था। इसके तहत वर्तमान समय में सूझबूझ प्रदान कर लोगों को बालिका शिखा के प्रति जागरूक करना था।

उसी प्रकार गिरते लिंगानुपात के वर्तमान आंकडों में सुधार लाना था। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी स्तर के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण के लिए एक मांडल तैयार किया गया। बुनियादी स्तर के कार्यकर्त्ता जैसे- आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, ए,एन.एम. और आशा कार्यकर्त्ता इस योजना के माध्यम से बनाये गये।

म.प्र. में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन सन 1994 में लागू किया गया था। उसी प्रकार स्कूल चले हम अभियान चलाया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह सकें। यह अभियान भी सर्व शिक्षा अभियान का ही एक भाग था। इस अभियान को चलाने का भी उद्देश्य यह था कि पहली से आठवी कक्षाओं तक के विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर आगे की कक्षाओं में प्रवेश ले सकें। इस अभियान के माध्यम से शिक्षक ऐसे बच्चों के घर जाकर उनके माता-पिता को आगे की कक्षा में प्रवेश लेने व अपनी पढाई जारी रखने के लिए प्रेरित करते है।

प्रतिभा पर्व एक व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पढने वाले बच्चों का शैक्षिक उपलब्धियों, शिक्षण-व्यवस्थाओं, शाला का संचालन, शाला में सुविधाओं, ग्राम-सभाओं व शिक्षक आदि के संबंध में मूल्यांकन किया जाता है।

सुपर 50 नामक कार्यक्रम मध्यप्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 2011 के षैक्षणिक सत्र से चलाया गया जिसमें प्रत्येक जिले के 3 प्रतिभावान छात्रों को भोपाल के सुभाष उत्कृष्ठ स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है। जहां उनकी पढाई, कोचिंग, निवास, भोजन आदि की नि:शुल्क व्यवस्था की जाती है।

मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार चार 'प' है, अर्थात परिवार, परिवेश, परम्परा व पराक्रम है।

मध्यप्रदेश की 1951 में साक्षरता दर में 10 प्रतिशत था, जो 2011 में बढकर 70.6 प्रतिशत हो गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार सभी 640 जिले इसके अंतर्गत शामिल हुए। इसमें लोगों की मनोवृत्ति बदलने और जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

बालिकाओं के लिए शिक्षण हेतु कई सरकारी योजनाऐ बनाई गई है, जैसे कि- सुकन्या समृधि योजना, छात्रवृत्ति योजना, बालिका समृधि योजना, मृख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, माजी कन्या भाग्यश्री योजना आदि। इन योजनाओं के अतिरिक्त शाला त्यागी बालिकाओं के लिए भी अनेक योजनाओं का प्रावधान है जिससे वे अपनी पढाई पूरी कर सकती है। इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछडी हुई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं का प्रारंभ किया गया, ताकि वे इन योजनाओं से लाभांवित होकर अधिक से अधिक संख्या में शालाओं में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखे एवं उच्च षिक्षित बनें। लेकिन इन वर्ग की बालिकाओं की समाज में मध्यम स्थिति होने के कारण ये सामाजिक रीति-रिवाजों और परंपराओं को मानने वाले होने के कारण शिक्षा में पिछड जाते है। इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण ये कृषि, मजदूरी या अन्य व्यवसाय पर निर्भर करती है। ये लोग अशिक्षित होने के कारण सरकारी नौकरी के क्षेत्रों में कम है। इन बालिकाओं के परिवार के कम से कम दो लोग कृषि, मजदूरी या अन्य कार्य करने के कारण ये अपनी बालिकाओं को शाला भेजने में असमर्थ होते है। इसके अतिरिक्त इन वर्ग समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को लेकर नकारात्मक सोच होने के कारण भी ये अपनी बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र से दूर रखते है। जो परिवार शिक्षित होता है, वे अपनी बालिकाओं को शाला में प्रवेश तो कराते है लेकिन शाला भेजते ही नहीं या फिर गृहकार्यो में बालिकाओं को व्यस्त कर उनकी शिक्षा बीच में ही छोड देते है, जिसके कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाती है।

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से बालिकाओं के लिए आवासीय व्यवस्था कर उन्हें गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।

स्कूल चलें हम अभियान के माध्यम से पालकों के पलायन करने पर उनके बच्चें अन्य जगहों पर जाने से उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं इसलिए इस अभियान के माध्यम से बच्चे कहीं भी शाला में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं।

निष्कर्ष- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शाला त्यागी बालिकाओं के लिए केंद्र एवं राज्य द्वारा योजनाएं तो कई बनाई गई है लेकिन उनका सही तरीके से क्रियांवयन होना अभी बाकी है। जब योजनाएं बनाई जाती है तब तो उसका प्रचार-प्रसार बहुत किया जाता, लेकिन कुछ समय

बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उन योजनाओं का लाभ केवल अल्पतम ही मिल पाता है। केंद्र एवं राज्य शासन को इसको गंभीरता से लेना अनिवार्य है। इन योजनाओं का लिंगानुपात में समानता लाने हेतु अधिक से अधिक बालिका शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। समय-समय पर इन योजनाओं में आयी कमियों को दूर कर संशोधन करना अनिवार्य है, जिससे दूर-दराज गांवों तक इन योजनाओं का लाभ मिल सकें और अधिक से अधिक शाला त्यागी बालिकाएं लाभांवित हो सकें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद भी आज 72 वर्षो के बाद भी ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं की साक्षरता दर बहुत कम है। इसका कारण दूरस्थ स्थानों पर स्कूल का अभाव, महिला शिक्षिका की कमी, शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी आदि है। सरकार द्वारा बालिकाओं के शिक्षा के स्तर को बढाने के लिए गांव की बेटी, छात्रावास योजना, साइकिल योजना एवं छात्रवृत्ति जैसी कई योजनाएं एवं कार्यक्रमों को लागू करने के बावजूद भी अनुसूहचत जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का शाला त्यागने की दर अधिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. सरकारी योजनाएं रिर्पोटर्स एवं सूचकांक, प्रथम संस्करण, दृष्टि पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2021, पृ.33
2. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, पुणेकर पब्लिकेशन्स इंदौर, पृ. 37
3. वही पृ 38
4. वही पृ.51
5. गुगल ट्रांसलेट
6. संपादक-लोकेश कुमार, शैलेन्द्र पहाडे, कमजोर वर्गो का सशक्तिकरण: कल्पना एवं यथार्थ, अक्षर विन्यास, उज्जैन, 2018, पृ.163

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

हिंदू समाज में अनुसूचित जातियों के प्रति आये जातिगत मानवीय संबंधों पर प्रभाव (धार जिले के अनुसूचित जाति के सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर)

आशीष वर्मा* डॉ. डी.के. वर्मा**

*शोधार्थी पी.एच.डी (समाजशास्त्र) डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय, महू, इंदौर (म.प्र.) भारत
** रिसर्च सुपरवाइजर (विभागाध्यक्ष) डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय, महू, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मानवीय संबंध अर्थात मनुष्यों और उनके बीच के संबंधों को महत्व देना ही मानवीय संबंध है। हिंदू समाज में जातिगत व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति पर सामाजिक व्यवस्था के नाम पर थोपी गई अनेक मर्यादाएं, बंधन एवं अनेक प्रकार से दबाव डाला गया। उनका जीवन नरक बना दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में हिंदू समाज द्वारा उनकी मानसिकता में आये परिवर्तनों से अनुसूचित जातियों के मानवीय संबंधों में काफी बदलाव आया है। परिणामस्वरूप धार जिले के अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पडा, यहां पर बताया गया है।

धार जिले में अनुसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या अधिक है। उसके बावजूद भी इन जातियों का जीवन स्तर बहुत ही सामान्य है। प्रतिदिन इन्हें कई समस्याओं का सामना विभिन्न प्रकार से करना पडता है। ये लोगों सामाजिक रूप से अधिक पिछडे एवं आर्थिक रूप से सर्वाधिक गरीब एवं शोषित है। भारतीय सामाजिक-आर्थिक संरचना में अनुसूचित जाति के लोग आज भी विभिन्न रूपों से प्रताडित एवं शोषित के अतिरिक्त अपमानित होते आ रहे है। इससे निजात पाने हेतु डॉ.अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति हेतु स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता प्रदान करने हेतु उन्हें शिक्षा, रोजगार के समान अवसर प्रदान करने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जिससे अनुसूचित जाति के लोगों में काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी वे पिछडे हुए है इसलिए इनके विकास हेतु काफी कुछ करनी की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य- धार जिले के हिंदू समाज द्वारा अनुसूचित जातियों के प्रति आये मानवीय संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन करना है।

अध्ययन का क्षेत्र- अध्ययन क्षेत्र में मध्यप्रदेश के धार जिले का चयन किया गया है। धार जिले की अनुसूचित जाति के 320 परिवारों का सर्वे किया गया है।

निर्दशन प्रक्रिया- प्रस्तुत अध्ययन में धार जिले के 320 परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों का प्रश्नावली के माध्यम से सर्वे किया है। इसके अंतर्गत प्राप्त आंकडों का विश्लेषण किया गया है। अनुसूचित जाति के बारे में जानने हेतु उनपर लिखी पुस्तकों का भी अध्ययन कर उनके सहयोग से हिंदू समाज में जातिव्यवस्था के मानवीय संबंधों में वर्तमान में हुए प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से हिंदू समाज में जातिगत व्यवस्था एवं संबंधों से अनुसूचित जातियों में आये परिवर्तनों का अध्ययन अनेक स्तरों पर किया गया है।

हिंदू समाज में अनुसूचित जातियों को प्रारंभ से लेकर अभी तक अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए सतत संघर्षरत है, फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। हिंदू समाज में व्याप्त परम्परागत जाति-व्यवस्था की रूढिवादी विचारधारा के कारण अनुसूचित जातियों को अनेक समस्याओं को सामना करना पडा।

डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थानार्थ देश के संविधान में निम्न प्रावधान दिये, जो सार्थक सिद्ध हुए। जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों का हिंदू समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्वता का प्रभाव दिखाई देता है।

अनुच्छेद 15 के अनुसार- राज्य के किसी भी नागरिक के विरूद्ध केवध धर्म मूलवंश जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णत: या भागत: राज्यनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाबों, स्नानघाटों, सडकों और सार्वजनिक सभागण के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी नियोग्यता दायित्व निर्बन्धन या शर्त के अधीन न ही होगा।

अनुच्छेद 17 में अस्पृष्यता का अंत किया गया और उसका किसी भी रूप में आचरण करने पर दण्डित किया जाना तय है। अस्पृष्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्ड का पात्र होगा।

जातिव्यवस्था अर्थात एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार 'जाति एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह है जो कि प्राय: स्थानीय होते है, इसका एक विशिष्ट व्यवसाय से परम्परागत संबंध होता है एवं जाति के स्थानीय पदक्रम में इसकी विशिष्ट प्रस्थिति होती है। जातियों के मध्य संबंध अन्य बातों के अलावा छुआछूत की अवधारणाओं और प्राय: खान-पान संबंधी निषेधों से

नियंत्रित होते है अर्थात जाति के अंदर ही साथ बैठकर भोजन किया जाता है।'

जातिप्रथा या जातिव्यवस्था में परिवर्तन होने से एक ही उद्योग में विभिन्न जातियों के लोग साथ-साथ कार्य करने लगे तो विभिन्न जातियों में मेल-मिलाप बढा और छुआछूत की भावना कम हुई। विभिन्न जातियों के साथ सहभोज में भाग लेने से आपसी भाईचारा बढा है। जातिगत पेशे से परिवर्तन हुआ, अंर्तजातीय विवाह हुये और जीतीय बंधन शिथिल हुए। रेल, मोटर, वायुयान, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि के द्वारा विभिन्न जातियों के लोग और नजदीक आए और उनमें उनमें व्याप्त जातिगत भावना में कमी आई।

हिंदू समाज के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों के प्रति एवं उनके मानवीय संबंधों में काफी हद तक सुधार हुआ है। मानवीय संबंध अर्थात मनुष्यों और उनके बीच के संबंधों को महत्व देना ही मानवीय संबंध है।

विवाह संबंधी प्रतिबंध- जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते है।

समाज का खण्डात्मक विभाजन- समाज का खण्डात्मक विभाजन किया गया है। जैसे कि जी. एस. घुरिये के अनुसार-'सामाजिक संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यतायें तथा विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव एवं विवाह संबंधी प्रतिबंध आदि जाति व्यवस्था की विशेषतायें है। लेकिन आज आधुनिकता के चलते नागरीकरण, औद्यौगीकरण आदि के कारण इन सब निर्योग्यताओं को समाप्त किया गया है।'

उत्तरदाताओं से उन्हें हर जगह मान-सम्मान प्राप्त होने के आधार पर वर्गीकरण

मान-सम्मान	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	271	84.7 प्रतिशत
नहीं	49	15.3 प्रतिशत
कुल	320	100.0

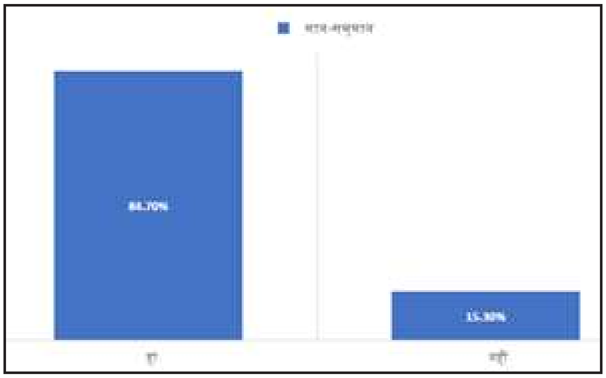

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि हिंदू समाज में अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति एवं उनके बीच के संबंधों में काफी बदलाव आया है। संकलित प्राथमिक संमकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 271 लोगों ने उन्हें हर जगह मान-समान मिलने को हां कहा, जिसका 84.7 प्रतिशत है एवं 49 लोगों ने नहीं कहा, जिसका 15.3 प्रतिशत हैं।

मानवीय संबंधों में जातिव्यवस्था पर वर्तमान में परिवर्तनों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि अनुसूचित जातियों के लोगों के रहन-सहन में परिवर्तन के साथ-साथ अन्य जातियों के साथ रोटी-बेटी का संबंध भी जोड सकते है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक, राजनैतिक एवं वैचारिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। वे आज अपने इच्छानुसार आर्थिक विकास हेतु कोई भी व्यवसाय कर सकते है। उनके लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते है।

जिन 49 उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें हर जगह मान-सम्मान क्यों नहीं प्राप्त होता है? इसका कारण जानने हेतु किया गया वर्गीकरण

मान-सम्मान नहीं होने के कारण	उत्तरदाता	प्रतिशत
अनुसूचित जाति के कारण	19	5.9 प्रतिशत
अपने-आप को हीन समझने के कारण	8	2.5 प्रतिशत
ऊंची जाति के दुर्व्यवहार के कारण	13	4.1 प्रतिशत
अन्य कारण से	9	2.8 प्रतिशत
कुल	49	15.3 प्रतिशत

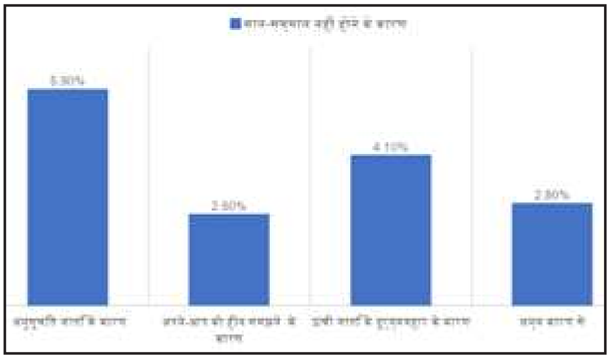

जब 49 उत्तरदाताओं को मान-सम्मान प्राप्त नहीं होने का कारण जानने के लिए प्रश्न पूछा गया कि यदि नहीं तो क्यों? इसके जवाब में 19 लोगों ने अनुसूचित जाति के होने के कारण बताया, जिसका 5.9 प्रतिशत है एवं 8 लोगों ने अपने आप को हीन समझना बताया, जिसका 2.5 प्रतिशत है। उसी प्रकार 13 लोगों ने उनके साथ ऊंची जाति के लोगों द्वारा दुव्यवहार किया जाना बताया, जिसका 4.1 प्रतिशत है एवं 9 लोगों ने अन्य कारण होना बताया, जिसका 2.8 प्रतिशत है।

आज अनुसूचित जाति के लोग अन्य जातियों के साथ बेटी-रोटी का संबंध जोड सकते है या नहीं, के आधार पर वर्गीकरण

रोटी-बेटी संबंध	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	191	59.7 प्रतिशत
नहीं	129	40.3 प्रतिशत
कुल	320	100.0

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आज अनुसूचित जाति के लोग अन्य जातियों के लोगों के साथ रोटी-बेटी का संबंध जोड सकते है। संकलित प्राथमिक संमकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षित उत्तरदाताओं का कहना है कि हां वे अन्य समाज के साथ रोटी-बेटी का संबंध जोड सकते है, जिसका 59.7 प्रतिशत है एवं सबसे कम लोगों ने नहीं कहा है, जिसका 40.3 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय संबंधों में परिवर्तन आया है।

निष्कर्ष – संवैधानिक संरक्षण और सुविधाएं मिलने के कारण अनुसूचित जातियों के साथ किये जाने वाले अत्याचार, भेदभाव, शोषण और छुआछूत आदि व्यवहारों में निश्चित ही कमी आयी है, जिसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में देखने को मिला है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में वे आज भी अनेकों समस्यायें समाज

में व्याप्त है। किंतु धार जिले की अनुसूचित जातियों के लोगों का सर्वे करने पर ज्ञात हुआ कि हिंदू समाज में जातिव्यवस्था एवं उनके मानवीय संबंधों का अनुसूचित जातियों के प्रति मानसिकता में परिवर्तन आया है। लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिर प्रवेश, छुआछुत व्याप्त है। अभी भी जातियों के अनुसार ही बस्तियां बसाई गई है, जिसको पूर्णतया प्रतिबंधित करना अनिवार्य है।

सामाजिक समानता के बिना मनुष्य की स्वतंत्रता भी असंभव है। इस संबंध में लास्की ने अपनी पुस्तक –'लिबर्टी इन दि मार्डन स्टेट' में कहा कि 'नागरिकों के सामाजिक अधिकारों में जितनी अधिक समानता होगी, अपनी स्वतंत्रता का वे उतना ही अधिक उपयोग कर सकेंगे। अगर स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है कि समानता हो।'

हिंदू धर्म का दर्शन सामाजिक उपयोगिता कर कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, इसने भारत में जातिप्रथा के रूप में एक ऐसे विकृत सामाजिक सिद्धांत को जन्म दिया है जिससे छुआछूत की भावना, ऊंच–नीच, शुद्धता और पवित्रता की भावना आदि ही मनुष्यता की आधार बन गई है। इसलिए जातिव्यवस्था सिद्धांत नहीं बल्कि इस सिद्धांत को व्यवहार में ढाल कर एक वास्तविकता बन गई है। इसी कारण हिंदुओं के लिए वर्णव्यवस्था एवं जातिव्यवस्था एक आदर्श समाज व्यवस्था बन गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. तेजसिंह, दलित समाज और संस्कृति, आधार प्रकाशन पंचकुआ, हरियाणा, 2007, पृ.171
2. तेजसिंह, दलित समाज और संस्कृति, आधार प्रकाशन पंचकुआ, हरियाणा, 2007, पृ.172
3. डॉ. जे.बी. सिन्हा, बाबासाहब अम्बेडकर, सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनाएं, पृ.34, शांति प्रकाशन इलाहबाद, 2002
4. संपादक–अभय कुमार दुबे, आधुनिकता के आइने में दलित, पृ.187, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण–2002, द्वितीय संस्करण 2005,
5. गूगल ट्रांसलेटर, 19.4.2022
6. एम.एल.गुप्ता, डी.डी.शर्मा, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा, 2009,पृ.455

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Panchayati Raj Instititionand Emerging Patterns of Women Leadership

Dr. Santosh Kumari*

***Associate Professor & Head (Sociology) J.K.P. P.G. College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA**

Introduction - The role of women in India observe from the ancient period to till today. Has been vital for the society. The status of women shows the status of society, if women are backward in any society, that society will be backward and women have batter status then society will be farward.

Present emphasize on the process of women empowerment throught Panchayti Raj Institution. So focus of this study is on Emerging patterns of women leadership in Panchayti Raj to empower is giving women to capacity building and the decision making process by the constitutional system. Keep in mind people participation and equal opportunity for all, 73rd Amendment Act implacemented by Govt and reservation policy accepted also.

Reserving seat of women in the Panchayti Raj system will provide them an opportunity to fertilize their caliber for decision making and other related social and economic field in a formal manner. This is necessary in order to ensure better position for women in all field of life.

Today one of the issue concern with level of women participation in decision making. This is because achievement of equality in all areas seen as inseparable from active participation .

Hence women participation in decision making including right to vote, right to contest, right to , women as campaigners , women as member , women 's involvement in the decision making process developmental activities including the participation of women at the gras root level throught Panchayati Raj Institution.

Objective Of The Study- In the present study find out the process of emerging patterns of women leaders in reserved and unreserved village Panchayat.

Numbers of studies has been completed on women leadership by social scientist, but no study find out on reserved and unreserved women perspectives.

For the fulfillment of research gap following question have been formulated.

1. 1st question is to study the socio –economic back ground of emerging women leaders in reserved and unresearved Gram Panchayat.
2. 2nd question is to study the roles of women leaders in reserved and unreserved Gram Panchayat.
3. 3rd is to study the relationship of women leaders and officials at different level of Panchayati raj System.

Area Of Study- For the solution of above mention question we selected four village of Shamli block of district Muzaffarnagar. Karodi and khanpur Taulwa Majra reserved for scheduled caste women. Sikka and Butrada also reserved for woman's selected respectively.

Method Of Data Collection- In the present study interview schedule and personal observation method have been used respondent.

Respondents - We have selected 130 respondent from above mention, village level , Block level and district level. These are four reserved and unreserved women Pardhans.22 women village Panchayats members, 8.B.D.C. women members , 8 block and district level officers, 52 effective personality of selected village and 36 male, village panchayat and B.D.C members has been selected respectively.

Conclusions - For the fulfillment of objective requirement find out that in the select four village panchayat maximum women find out 40-50 age group and they have low level of education , among them reserved women leaders have low level of education,among them reserved women leaders have low level education because women are down trodden from the ancient period and , education opportunities were less before 40 years in the rural areas . Most of women depends on family due to joint family system and main occupation find out related to agriculture : a few numbers of women are who have not land, but those have not land they also reserved to agriculture production or other occupation.

The women leaders in selected village panchayat reserved women have low income comparatively unreserved women leaders , but both type of leaders have family involvement in politics. Reserved women leaders inspired for leadership by the her husband and unreserved women inspired by her father in low, but now a days reserved women leaders are not satisfy from the rural

politics because they do not work properly due to pressure of dominant castes and personality while unreserved women will contest again in election because she can do what she want for people participation. In the rural politics no role find out the National Political Parties, but in the selected village , caste group, kinship as well as action set are find out significant for the election. For the reserved women leaders action set of different caste group was effective but for the unreserved women leaders . kinship and personal relation were more effective.

In the process of development as well as political empowerment the people participation in Panchayati Raj Institution, Women are going towards betterment, present study also reflects some syndroms of empowerment, although maximum women leaders communicate with public and takes decision through their husband of relatives, and some of them takes decision herself. It mean – women takes decision with the help of husband, women also have intrest involvement in the decision making process, but it can not neglect the pressure of dominant personality group of caste who influenced the decision making process of lower castes women leaders as well as unreserved women also. Thus women facing the problem gender inequality , exposer problem, caste inequality also despite. It women are effort on the perioty implementation of rural development programs like, drinking water facility, social welfare construction, loan facility awareness programmes for people participation.

Thus among them unreserved women leaders have more better opportunities for decision making, implementation of programmes and their role in people participation and use of right of the Panchayati Raj Institution comparatively reserved women leaders. But they are also going in the process of empowerment women leadership.

Attempt has been made by researchers about the perception of villagers, effective personalities. Towards women participation in Panchayati Raj Institution . Maximum villagers find out who have not complete knowledge , about the role , right and basic feelings of people participation in the panchayats Raj Institution for the rural development. The villagers are co-operating to women leaders on different base – like honesty , and process of civilization , etc.but they are not completely satisfy with the role of women leadership in the PRI because they tells that women leaders have not more knowledge, not skilled , not trained and have not more confidence etc. Despites it they accepted that women leaders are working for betterment but it is less, than aspected because womenhave numbers of problem like, lack of knowledge, lack of awareness, being traditional society, etc, and again they says that problems can be reduce through, awareness, education and trainings. In the present study relationship among women , villager and officials find out satisfactory.

References :-

1. **Vijay Agnew**,1986 : Elite Women in Indian Politics, New Delhi , Vikas Publishing House Pvt. Ltd. page – 133
2. **S.S.Sharma,** 1979 : Rural Elite in India,New Delhi . sterling publishers Pvt Ltd
3. **Manikiyamba,** 1981: Participation of Women in Panchayati Raj: A project submitted to Cicerone Delhi
4. **Govind and Dhadavee,**1999 : “Socio Economic Profile of Women leaders of PRI : A study in Karnataka”,in Gender and Society in India,vol-ll,Manak Publication Pvt Ltd.
5. **Kaushik,Sushila,**1993 : Women and Panchayati Raj, New Delhi, Har Anand Publication.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

विधिक शिक्षा मे भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के गुण एवं दोष

डॉ. अनुराधा तिवारी*

* प्राचार्य, डॉ. कैलासनाथ काटजू विधि महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढकर अपने मन मे भावों या विचारो का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों मे कहे तो भाषा भावों का लिखित या कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके उसे भाषा कहते है।

भाषा – भाषा संप्रेषण का माध्यम है यह सर्वथा सत्य है कि क्षेत्रीय मातृभाषा मे अध्ययन किये जाने पर विषय की सरलता से जानकारी प्राप्त हो जाती है विषय को समझना और समझाना सुविधाजनक बन जाता है।

भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से प्राप्त हुआ है। जिसका अर्थ है बोलना या सुनना। वैसे तो सभी जीवधारी बोलते है परंतु जो मनुष्य बोलता है वह अन्य जीवों से अलग है। इसे भाव अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। भाषा की सीमाए अत्यंत व्यापक है।

परिभाषाओं के निष्कर्ष के रूप मे भाषा वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते है।

भाषा की प्रकृति निम्न प्रकार की है–

1. भाषा पैतृक संपत्ति है।
2. भाषा अर्जित संपत्ति है।
3. समाजिक विकास का साधन है।
4. पारंपरिक व्यवस्था है।
5. भाषा अनुकरणीय सिद्धांत की परिचायक है।
6. भाषा चिरपरिवर्तनशील है।
7. भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नही है – दो भाषाओं का स्वरूप एक सा नही होता उसमे ध्वनि, रूप, वाक्यों, शब्दों या अर्थो का निश्चित रूप से अंतर होता है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक/भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। आशा की धारा संभवत: कठिनता से सफलता की ओर जाती है। मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है, कि कम से कम प्रयासों मे अधिक से अधिक लाभ अर्जित करे। प्रत्येक भाषा का स्पष्ट और अस्पष्ट एक मानक होता है।

जब हम **मातृभाषा मे शब्दों का अर्थान्वयन** करते है तो हमारे लिए वह प्राथमिक होती है, क्योंकि इसके लिए हमारे मस्तिष्क को अनुवाद की प्रक्रिया से नही गुजरना पडता है। इसके विपरित जब हम मातृभाषा के अतिरिक्त अपनी द्वितीयक या तृतीयक भाषा मे विचारों को ग्रहण करते है, तो पहले उसे अपनी मातृभाषा मे बदलते है, फिर उसको ग्रहण करते है, यही कारण है, कि मातृभाषा मे मस्तिष्क की ग्राहयता सर्वाधिक होती है।

क्षेत्रीय भाषा का विधिक शिक्षा मे उपयोग के गुण – विधिक शिक्षा मे यदि क्षेत्रीय भाषाओं मे शिक्षा प्रदाय किये जाने पर उसके निम्नानुसार गुण /अच्छाईयॉं होगें :

1. विधिक वाद कारणों का शीघ्र पता लगाया जा सकेगा।
2. सामान्य व्यक्ति के ज्ञान मे भी विधिक बिंदू आसानी से समझ मे आएगें।
3. सामान्य व्यक्ति भी विधिक मामले के न्याय निर्णयन को आसानी से समझ सकेगा।
4. बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष आसानी से पैरवी कर सकेगें।
5. मामलो का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा एवं शीघ्र न्याय के सिद्धांत सारभूत साबित होंगे।
6. न्याय सरल एवं सुलभता से प्राप्त होगा।
7. न्याय अपराधिक न्याय प्रशासन एवं व्यवस्था कम खचिली होगी।

क्षेत्रीय भाषा का विधिक शिक्षा मे उपयोग के दोष :

1. **विधिक शब्दावली बहुअर्थीय हो जाएगी –** वर्तमान मे केवल दो भाषाओं मे शब्दों का बहु अर्थान्वयन हो रहा है यदि विशेषता का नियम लागू हुआ तो विशिष्ठ भाषाओं के अर्थ मान्य होंगे जिससे मूलभूत विधि की प्रकृति, विस्तार एवं उदेश्यों पर प्रभाव पड सकेगा।

2. **कुछ विधिक शब्दों एवं वाक्यों का अनुवाद सटिक प्राप्त होना संभव नही हो सकेगा–**जैसे जहॉं अधिकार वही उपचार इससे तात्पर्य सामान्यत: यह है कि अधिकार ही उपचार है। परंतु यदि क्षेत्रय भाषा दोनों शब्दों को अलग अलग करके अर्थ लगाएगी तो अधिकार अलग और उपचार अलग करने पर अर्थ विपरित भी हो सकेगा।

3. **भाषायी क्षेत्रीयतावाद हावी होने की संभावना है –** वर्तमान मे हमारे भारतीय उच्च न्यायालयों उच्च शैक्षणिक संस्थानों, उच्चाधिकारियों द्वारा यह वकतव्य दिया जा रहा है कि जैसे कोई दस्तावेज यदि आपने हिन्दी मे प्रस्तुत किया तो उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने की मॉग दुभाग्यपूर्ण है जहॉं राष्ट्रीय भाषा का यह हाल है तो यदि क्षेत्रीय भाषा मे शिक्षा प्राप्त हो जाए तो भाषायी क्षेत्रीयतावाद हावी होने लगेगा।

4. **विभेदकारी विचारधाराओं का निमार्ण होगा –** भारत राज्य क्षेत्र मे भारत की भूमि के किसी भी भाग पर भारतीय नागरिक निवास एवं रोजगार प्राप्त करने का अधिकार रखता है। परंतु भाषायी क्षेत्रीयतावाद ऐसे अप्रवासी नागरिक पर प्रभाव कारित करेगा उसके साथ भेदभाव पूर्ण आचरण होने की पूर्ण संभावना है वर्तमान मे दक्षिण भारत एवं महाराष्ट्र भाषायी विभेंदों के संर्घष को नकारा नही जा सकता है।

5. **राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, एवं भाईचारा खण्डित होने की संभावना**

है – समस्त नागरिक वर्तमान मे एक सूत्र मे बंधकर कार्य कर रहे है भाषायी शिक्षा से देश की अखण्डता खण्डित होने की संभावना है गुटबाजी बढेगी भाईचारा प्रभावित होगा।

6. अंर्तराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंर्तराष्ट्रीय शोधों, संगोष्टियों, परिर्चचाओं एवं अभिसमयों मे नागरिकों के प्रतिनिधित्व पर नकारात्मक प्रभाव पडेगा – भारत राष्ट्र एक वैश्विक महाशक्ति है, ऐसा सर्पूण विश्व कह रहा है। भारतीय नागरिक देश ही नही अपितु संपूर्ण विश्वभर मे अपने श्रेष्ठ विचारों के आदान प्रदान, शैक्षणिक योग्यता, दक्षता एवं श्रेष्ठ वकालत कौशल एवं न्याय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, यदि एक विद्यार्थी क्षेत्रीय एकल भाषा मे शिक्षा प्राप्त करेगा तो अपने कौशल से अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर अंर्तराष्ट्रीय संगोष्टियॉ, अंर्तराष्ट्रीय वकतृत्वकला, अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलनों मे भारत का प्रतिनिधत्व करने मे असमर्थ साबित होगा और यदि करेगा तो भी भाषाई जानकारी के अभाव मे अपनी प्रतिनिधित्व करने मे असमर्थ महसूस करेगा, जैसा कि वर्तमान मे हम अंर्तराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को लेकर महसूस करते है। मानव के सार्वभौमिक एवं सर्वागीण विकास होने मे कठिनाईयॉ आएगी।

विभिन्न विधियों पर इसका भविष्यलक्षी प्रभाव– सर्वप्रथम हमे सभी विधियों का बहुभाषाई अनुवाद करवाना होगा। विधियॉ कई प्रकार की है, विधियों का बहुभाषाई अनुवाद करना एक लंबी अवधि का कार्य है जिस हेतु अपनी सकारात्मक कोशिशों से सफलता पाना कोई अंसभव बात नही है। भारतीय भाषाओं मे विधियों के होना आवश्यक है। अनुवाद की प्रतियॉ समस्त भारतीय न्यायालयों विधि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों कार्यालयों मे भेजना भी अनिवार्य है सामान्यत: देखने मे आया है कि जो विधायिका द्वारा जो संशोधन किये जा रहे है, या कानूनों को निरस्त किया जा रहा है, उसकी सूची सहित संशोधित प्रतियॉ मंत्रालयों के द्वारा संबंधित संस्थाओं को नही भेजी जा रही है जैसे की पूर्व मे भेजी जाती थी।

1. विधियों की बहुअर्थीय प्रतियॉ क्षेत्रीय विधिवेताओ, सक्षम व्यक्तियों, प्राधिकारियों, न्यायाधीशों के कार्यशैली मे सुधार ला सकेगी।
2. विधिक शिक्षा को बहुभाषाई बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अपने अपने क्षेत्रों मे प्रयोग होनेवाली भाषाओं मे बहुर्थीय विधियों का अनुवाद उपलब्ध होगा जिससे विषय वस्तु के अर्थ को समझना केवल क्षेत्रीय ही नही अपितु संर्पूण भारतीय नागरिकों के लिए आसान हो जाएगा।

निर्ष्कष एवं सुझाव – अंत मे अपने विषय को निर्कषित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसका समावेश **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** 2020 के अंर्तगत यदि विधिक शिक्षा को भी सम्मिलित किये जाने का प्रयास किया जाए तो इसमे कुछ महत्वपूर्ण बिंदूओ का समावेश होना आवश्यक समझती हुॅ इसी आशय से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हुॅ –

1. सार्वभौमिक प्रवेश परिक्षा प्रणाली की संपूर्ण भारतीय विधिक शिक्षा संस्थानों हेतु अनिवार्यता हो उदा. –जेइइई, सीए सी.पी.टी. कैट, मैट,नीट इत्यिादी प्रवेश हेतु अनिवार्य किया गया है। ठीक इसी तरह विधि मे भी क्लैट प्रवेश परिक्षा की व्यवस्था को सार्वभौमिक रूप से समस्त शैक्षणिक संस्थानों मे प्रवेश हेतु अनिवार्य किया जाए। **(Universal Entrance Exam make Compulsory for all CLE)**
2. समस्त विधिक शैक्षणिक संस्थानों हेतु विषयों का एक समान सार्वभौमिक पाठयक्रम हो। **(Universal curriculum)**
3. व्यवहारिक प्रशिक्षण कम से कम 1 वर्ष जो डिग्री का भाग हो **(Compulsory 1 Yr Internship shall include in degree programm)**
4. केवल योग्यता के बजाए दक्षता आधारित विधिक शिक्षा प्रणाली हो। **(Skill development program/ development of employability not only eligibility)**

विधि मे विशेषज्ञता से संबंधित पाठयक्रमों को विभाजित करना होगा, उदा. यदि हम चिकित्सकीय शिक्षा मे देखते है कि नाक, कान आंख हाथ पैर एवं अन्य भाग एवं शरीर के प्रत्येक अंग के विशेषज्ञ के रूप के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है। ठीक उसी तरह विधि मे भी सभी विषयों मे पारंगत विद्यार्थी अध्ययनरत है, तो उन्हे उनके विषयों से संबधित विधियों मे ही विशेषज्ञ शिक्षा प्रदाय किये जाने हेतु पाठयक्रमों निमार्ण एवं संरचना तैयार कर दक्ष विद्याथीयों को विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है, तथा भारत से देश विदेश मे विधि विषय विशेषज्ञों को विधिक राय हेतु या विशेष विभाग, विशेष कार्य, जॉच या विचारण हेतु आमंत्रित या चयनीत किया जा सकता है। जैसे – वाणिज्यक विधि विशेषज्ञ, अपराधिक विधि विशेषज्ञ, व्यवहारिक विधि विशेषज्ञ, चिकित्सकीय शास्त्र विधि विशेषज्ञ, न्याय शास्त्रीय विधि विशेषज्ञ, इत्यिादि **(Specialization in legal education)**

अंत मे इन दो पंक्तियों से अपने विचारों का समापन करती हुॅ। हम भारत के लोग अपने देश को विश्वव्यापी बनाना चाहते है। इसी संर्दभ मे दो पंक्तियॉ सर्मपित है।

'विधिक क्षेत्र मे एक विश्वव्यापी व्यक्तित्व के निमार्ण की, कल्पना हमारे मन मे है, देखना है जोर कितना देश के यौवन मे है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाट्य साहित्य में युगबोध

डॉ. जयराम त्रिपाठी *

* सहा. प्रोफेसर, हेमवती नंदन बहु. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - साहित्य-सर्जन की दीर्घकालीन परंपरा में नाट्य विधा का विशेष महत्त्व रहा है। नाटककार, स्वप्नदृष्टा के साथ-साथ युगदृष्टा एवं युग सृष्टा भी होता है। उसका व्यक्तित्व समीप से असीम, व्यष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख होता है। भरतमुनि के 'नाट्यशास्त्र' से लेकर वर्तमान युग की नव्य संवेदना को अभिव्यक्त करने तक नाटक को सबसे सक्षम और सशक्त माध्यम माना जा सकता है। हिन्दी साहित्य में इस विधा का स्पष्ट रूप भारतेन्दु-युग में उभरा है। उस युग से लेकर आज तक नाटक युग बोध का संवाहक बनकर जीवंत है। स्वतंत्रता के पूर्व तक के हिन्दी-नाट्य-साहित्य में बौद्धिक चेतना की अपेक्षा भावुकता की प्रधानता रही है। हृदय पक्ष प्रमुख होने के कारण इस युग के नाटकों में युग बोध अधिक सशक्त एवं यथार्थ रूप में नहीं निखर पाया है।

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटकों में युग बोध अपने सशक्त एवं सफल रूप में अभिव्यक्ति पा सका है। संक्रांतिकालीन नयी चेतना के संघात से इस युग का नाट्य साहित्य बौद्धिक, भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक विचारधारा से अनुप्राणित दृष्टिगोचर होता है। यह समय युग-बोध की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, जीवन-चेतना का प्रत्येक क्षेत्र बौद्धिक उथल-पुथल से आक्रांत दृष्टिगत होता है। इसीलिए नाट्य साहित्य की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति, दोनों ही रूपों में एक नव्य चेतना के दर्शन होते हैं। अत: युग बोध के अध्ययन की दृष्टि से स्वातंत्र्योत्तरकाल अत्यन्त महत्वपूर्ण और उपयोगी है। सामूहिकता की कला होने के कारण नाटक का युग-जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, इसीलिए अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटकों में युग बोध का परिशीलन विशेष उपादेय है।

स्वातंत्र्योत्तर युग हिन्दी नाटकों का समृद्ध काल है। विषय-विविधता, उद्देश्य एवं स्वरूप की विभिन्नता तथा शिल्प की न्यूवता आदि की दृष्टि से यह चरमोत्कर्ष युग माना जा सकता है। लगभग पिछले तीन-चार दशकों में हिन्दी नाटक में विषय की अन्तर्धारा, शिल्प एवं स्वरूप की दृष्टि से जिन प्रवृत्तियों का उदय और विकास हुआ है उनके तुलनात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसंधान की आज आवश्यकता है। आलोच्यकाल में साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण की जो नई लहर उठी, उसके फलस्वरूप हिन्दी नाटकों की विभिन्न प्रवृत्तियों, परंपराओं और स्वरूपों के अध्ययन की दिशा में सुधी विद्वानों की चिन्तन दृष्टि उन्मुख हुई है। हिन्दी-नाट्य साहित्य के उद्‌भव और विकास, शास्त्रीय प्रवृत्ति और परंपरागत अध्ययन को दृष्टि में रखकर बहुत से ग्रंथ प्रकाश में आये हैं। इन्हें विवेचन की सुविधा के लिए निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

(अ) ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटकों का समीक्षात्मक अध्ययन।
(आ) विशिष्ट नाटककारों का समीक्षात्मक अध्ययन।
(इ) नाटकों का प्रवृत्ति मूलक समीक्षात्मक अध्ययन।
(ई) युग विशेष संबंधी अध्ययन।
(उ) उद्‌भव विकास संबंधी अध्ययन।
(ऊ) तुलनात्मक एवं प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन।
(ए) रंगमंच संबंधी अध्ययन।
(ओ) अन्य स्फुट अध्ययन।

इस वर्गीकरण से यह स्पष्ट है, कि स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाट्य साहित्य में युग बोध के सर्वांगीण, गहन एवं वैज्ञानिक अध्ययन का अभाव रहा है। यद्यपि प्रसादोत्तर हिन्दी-नाट्य साहित्य के विश्लेषण में वर्तमान चेतना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं, तथापि इस दिशा में स्वतंत्र, गहन अध्ययन और विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

हिन्दी नाट्य साहित्य में युग बोध के समग्र अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है, कि स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाट्य-साहित्य का अभ्युदय और विकास एक नयी चेतना के परिवेश में हुआ है। पाश्चात्य चेतना ने जन जीवन के प्रत्येक पहलू को आलोड़ित किया है। वर्तमान नाट्य साहित्य भी इस प्रभाव से अछूता नहीं है। इस प्रभाव का इतना परिणाम अवश्य हुआ है, कि संवेदनशील भारतीय नाटककार युग बोध के बदले हुए परिवेश को सर्वथा नयी दृष्टि से देखने की ओर आकृष्ट हुए। फलत: नाट्य सृष्टा की सर्जनात्मक प्रतिभा ने जीवन चेतना के परिवर्तित मूल्यों का मूल्यांकन सूक्ष्म, गहन एवं व्यापक दृष्टि से किया है। नाटक को रंगमंच से जोड़ने और उसे सार्थक सर्जनात्मक स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। शनै: शनै: नाटककारों ने नाटक को नित्य प्रति के सामान्य क्रिया कलापों से ऊपर उठाकर सार्थक अनुभूति और उसके भीतर किसी गहरे अर्थ के अन्वेषण के स्तर पर ले जाने का प्रयत्न किया है।

आलोच्यकालीन नाट्य साहित्य में युग बोध अत्यंत शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत हुआ है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का जितना यथार्थ, सजीव और सफल चित्रण इस युग के नाटकों में दृष्टिगोचर होता है, उतना संभवत: पहले कभी नहीं हुआ। युग बोध के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से किया गया, हिन्दी नाट्य साहित्य का विश्लेषण इस तथ्य का प्रमाण है, कि आज का नाटककार अपने युग की परिवर्तित परिस्थितियों के प्रति विशेष रूप से सजग एवं सचेष्ट है। आधुनिक युग की परिवर्तनशील परिस्थितियों, आर्थिक

विषमताओं, सामाजिक विभेदों, पारिवारिक जटिलताओं, व्यक्तिनिष्ठ मानसिक कुंठाओं, काम की अदम्य प्रवृत्तियों और त्रास की दु:खदायक स्थितियों का चित्रण इनमें किया गया है। इसका परिणाम यह है, कि नाटकों में वर्तमान जीवन की अस्थिरता, अवसाद, कुंठा, संत्रास, ऊब, व्यर्थता आदि का ही स्वर अधिक उभरा है तथा यथार्थ चित्रण में परिवर्तन और आदर्शवादिता के मूर्ति भंजन की प्रवृत्ति उभर कर आई है। वास्तविकता यह है कि, कि वर्तमान नाटककार अत्यंत ईमानदारी के साथ परंपरा और आधुनिकता का समन्वय करते हुए समसामयिक जीवन को रूपायित कर रहा है। युग बोध का यथार्थपरक चित्रण उनके जाग्रत युग बोध का प्रमाण है। यह आरोप उचित नहीं है, कि वर्तमान नाटकों में निराशा का स्वर प्रमुख होने के कारण जीवन का अंधकार और अधिक घटना हो जाने की संभावना बढ़ती है। विघटन या अनास्था की यह सच्ची चेतना नाटककार की कलात्मक सर्जना की प्रेरक स्त्रोत है, जिसमें रचनात्मक आशावादी स्वर निहित है। वर्तमान जीवन की ज्वलंत समस्याओं एवं वैविध्यपूर्ण चित्रों से रस ग्रहण करके नाटककारों ने समाधानों की चर्चा की है।

इतना अवश्य कहा जा सकता है, कि इस युग की अधिकांश रचनायें उद्देश्यपरकता, सतही सामाजिकता एवं प्रचारात्मकता के इर्द-गिर्द ही चक्कर काटती हुई दिखलाई पड़ती हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जीवन को जिस सुख-दु:ख, मिठास और तिक्तता के साथ प्रकृत रूप में भोग रहे हैं, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रयास अभी भी बहुत विरल है। हास्य, व्यंग्य और विनोद के सृजन से हिन्दी नाटकों में जिस उत्फुल्लता का विकास हो सकता है, वैसी स्थितियों के सृजन का अभी भी अभाव है। सुखांत नाटकों की सार्थकता और मानवीय संवेदना की गहरी विवृति दोनों एक साथ ताने-बाने के समान परस्पर जुड़ी हुई हैं। आज नाटकों में उस महत्तर प्राणशक्ति का आविर्भाव होना शेष है, जो युग बोध को स्पंदित और परिचालित कर सके।

यह भी विचारणीय है, कि समकालीन हिन्दी नाटक, राजा राममोहन राय, लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद, गाँधी, अरविंद, भगत सिंह, सुभाषचन्द्र बोस जैसे प्रबल ईहा वाले व्यक्तियों की आग से अपनी रचनाओं में प्राण रस क्यों न भर सका? इन महापुरूषों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रेरणा लेकर किसी भी नाट्यकार ने कोई समर्थ एवं सशक्त नाट्य रचना प्रस्तुत नहीं की है। प्रसाद ने जिस प्रबल आस्था के साथ युग के सामाजिक बोध को अपने ऐतिहासिक नाटकों के भग्नावशेष पर खड़े होकर वर्तमान को पुकारा और ललकारा था, आज का हिन्दी नाटककार वर्तमान की सौध पर खड़ा होकर भी वर्तमान के सामाजिक जीवन को चुनौती नहीं दे पा रहा है। यह आस्थाहीनता, अविश्वास और निजत्व में खोता जा रहा है। नाटक को पढ़ने मात्र से जन सामान्य की रूचि कभी भी विकसित नहीं हो सकती, जब तक कि नाटक का मंचन उसे प्रभावित न करे। नाटककारों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि रचना की दृष्टि से स्वतंत्रता के पश्चात् प्रकाशित होने वाले नाटकों की संख्या बहुत होते हुए भी कुछ नाटक ही ऐसे हैं, जिन्हें नाट्य कला की दृष्टि से श्रेष्ठ और सार्थक रचना कहा जा सकता है।सशक्त रंगमंच के अभाव के अतिरिक्त गहरी और सूक्ष्म मानवीय अनुभूति तथा उस अनुभूति की उतनी ही सफल अभिव्यक्ति के माध्यम का अभाव भी हिन्दी नाटकों के लिए विडम्बनापूर्ण रहा है। यही कारण है, कि नाट्य रचना के निर्जीव सिद्धांत और मान्यतायें हिन्दी नाटक के विकास पथ को अवरूद्ध किये रहीं। हिन्दी नाट्यालोचन के क्षेत्र में भी संस्कृत एवं पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों की ही पुनरावृत्ति हुई। मौलिक चिंतन के अभाव में हिन्दी नाटक को किसी सजीव परम्परा से सम्बद्ध होने का अवसर ही नहीं मिला।

समकालीन युग बोध के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से आलोच्य युग के नाटकों का विशेष महत्व है। विगत कई वर्षों से हिन्दी नाट्य साहित्य के क्षेत्र में त्वरित प्रगति के लक्षण स्पष्ट होने लगे हैं। नाट्य साहित्य तथा उसके रंगमंच को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय संस्थाओं, नाटककारों, नाटक प्रेमियों और प्रबुद्ध रंगकर्मियों के द्वारा सम्पन्न हुआ है। देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में स्थापित नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं के द्वारा उच्च स्तरीय नाटकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन, नाटकों को लोकप्रिय एवं संप्रेषणीय बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सेमिनार, साहित्यकारों की गोष्ठियाँ, स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले चिन्तनपूर्ण लेख आदि, स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाट्य साहित्य को जैविक और प्राणवान रूप देने में सक्षम सिद्ध हुए हैं।

नाट्य क्षेत्र में जन मानस से लेकर बौद्धिक वर्ग तक की इस सजगता का परिणाम यह है, कि अनेक समर्थ नाटककारों की नाट्य कृतियाँ, निरर्थकता, कलात्मक हीनता, सतही सामाजिकता, उद्देश्यपरकता के सीमित दायरे से निकल कर गहरी मूलभूत मानवीय अनुभूतियों एवं स्थितियों का अन्वेषण करने की दिशा में उल्लेखनीय हैं। अधिकांश सफल और सार्थक नाटक वर्ण्य विषय, प्रसंगों, पात्रों एवं परिस्थितियों की दृष्टि से किसी न किसी दूरवर्ती युग से संबंधित है। प्रत्यक्षत: अपने युग से सम्बद्ध न होने के कारण जन सामान्य के लिए वे अधिक संप्रेषणीय नहीं हो पाते। आवश्यकता इस बात की है, कि सम्प्रति हिन्दी नाट्य रचना में जीवन चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति को गहराई से प्रस्तुत करने के लिए समसामयिक जीवन चेतना को गहरी मानवीय अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया जाए।

स्वतंत्रता के पूर्व पारसी रंगमंच का प्रभाव होने के कारण नाटकों की भाषा का रूप अत्यंत शिथिल दृष्टिगोचर होता है, किन्तु सतत् प्रयास एवं नव्य चेतना के प्रभाव स्वरूप मानव जीवन की सूक्ष्म और जटिल अनुभूतियों को सटीक अभिव्यक्ति देने वाली नाटकीय भाषा का विकास हुआ। अनेक प्रतीकों, अलंकारों, बिम्बों, व्यापक रंग संकेतों आदि के नये-नये प्रयोग, हिन्दी नाट्य साहित्य को साहित्यिकता प्रदान करने के साथ-साथ, उसके स्तर में नये आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। मिथकों के पुनर्परीक्षण और आधुनिक संदर्भ में उनके प्रस्तुतीकरण की प्रवृति भी कतिपय प्रमुख हिन्दी नाटकों में परिलक्षित होती है। विविध नाट्य शैलियों के नवीन प्रयोग वर्तमान हिन्दी नाट्य साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। इधर अन्यान्य देशी एवं विदेशी भाषाओं के सफल नाटकों का अनुवाद तथा उनको रंगमंच पर अभिनीत करने के प्रति विशेष रूचि दिखलाई पड़ती है, किन्तु हिन्दी में मौलिक और उच्च स्तरीय नाटकों का सृजन तथा रंगमंच पर उनका प्रस्तुतीकरण अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज भी हिन्दी नाट्य साहित्य में उच्चस्तरीय मौलिक नाटक गिने चुने ही हैं, अधिकतर सतही सामाजिकता तथा उद्देश्यपरकता के आस-पास चक्कर काटते हुए नाटकों की रचना होती है। गत कुछ वर्षों में हिन्दी नाटक के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। इतना अवश्यक है, कि उनसे हिन्दी नाटक में नव जागरण की संभावनाओं का संकेत प्राप्त होता है। रंगमंच का नवोन्मेष तथा नव्य नाट्य चेतना का उदय, इस विधा को एक नई दिशा प्रदान करता है।

समग्रत: स्वतंत्रता के पश्चात् की युग चेतना हिन्दी नाट्य साहित्य में नवोन्मेष की उद्भाविका है। आरंभिक वर्षों में साहित्य की अन्य विधाओं

की तुलना में नाट्य साहित्य की प्रगति बहुत धीमी थी, किन्तु इधर कुछ वर्षों से नाट्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आज का नाटककार अपने युग की मात्र उथली समस्याओं का ही चित्रण नहीं करता, बल्कि युग बोध के विभिन्न पहलुओं में किन्हीं गहरे और सूक्ष्म आयामों की तलाश में व्यस्त है। नाटककारों का यह प्रयत्न इस तथ्य का सूचक है, कि आने वाले वर्षों में सृजित होने वाले हिन्दी नाटकों में युग चेतना की अत्यंत सशक्त, सफल और जीवंत अभिव्यक्ति होगी। समाज के साथ-साथ व्यक्ति चेतना की गहनताओं पर नया और तीव्र प्रकाश डाला जायेगा। विस्फोट का स्वर कम हो जायेगा और रचनात्मक स्वर की प्रमुखता होगी। पाश्चात्य प्रभाव को कम करके नाटककार भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय परंपरा से ही रस ग्रहण करेंगे, जिससे ऐसी नाट्य परंपरा का विकास होगा, जो नितांत भारतीय होगी और इस आरोप से मुक्त होगी कि हिन्दी की प्रत्येक मौलिक प्रतीत होने वाली नाट्य रचना किसी न किसी रूप में पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित है। नि:संदेह युग बोध की दृष्टि से हिन्दी नाट्य साहित्य, नवीन परिस्थितियों से उत्पन्न जटिल और संश्लिष्ट संवेदनाओं को कलात्मक और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि आधुनिक हिन्दी नाटक अंधकार के बीच भी मनुष्य के जीने की प्रबल संकल्प ज्योति की खोज में है और मानवीय संवेदना की गहरी पर्तों को उभारने में नाट्यकला को एक सार्थक संज्ञा प्रदान करने की विराट् चेष्टा में रत है।

गद्य साहित्य में नाटक दृश्य विधा होने के कारण मुझे हमेशा प्रभावित करता रहा है। युग की अजस्त्र धारा जीवन और जगत को निरंतर बदलती हुई प्रभावित होती है। प्रत्येक नाटककार मानव परिस्थितियों के बीच मूल्यों का सृजन करता है। इसी मूल संस्कृति की ओर उन्मुख दृष्टि को केन्द्र में रखकर नाटकों के सभी पक्षों पर नयी दृष्टि से विचार किया जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक साहित्य : नंददुलारे वाजपेयी, भारती भण्डार, इलाहाबाद, 1950ई0
2. आधुनिक हिन्दी नाटक : डॉ0 नगेन्द्र, साहित्य रत्न भंडार आगरा 1942 ई0
3. आधुनिक हिन्दी नाटक : गिरीश रस्तोगी, भारतीय ग्रन्थ निकेतन 133, लाजपतराय मार्केट दिल्ली-6
4. आधुनिक हिन्दी नाटकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन : डॉ0 गणेशदत्ता गौड़, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, 1965ई0

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Festivals in India : In the Perspective of Biodiversity Conservation

Dr. Jolly Garg* Anant Kumar Garg** Dr. Shobha Gupta ***

* Associate Professor and Head (Botany) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA
**Environmentalist, Samajik Vaikariki Sansthaan, Moradabad (U.P.) INDIA
*** Associate Professor and Head (Chemistry) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

Abstract - Multinational data suggest that the causes of biodiversity decline are largely socio-economic, and solutions will require interdisciplinary approaches involving the rile of each and every human beings. The crisis related to Environment and biodiversity are related in reality with the crisis of environmental values and ethics. It is very clear that we lack more in ethics then in knowledge. This paper also describes how Environmental Ethics can contribute to minimize the threats to biodiversity conservation.

The vast geographical expanse of the country has resulted in enormous ecological diversity, which is comparable to continental level diversity scales across the world. The protection and conservation of plants and animals along with their environment is necessary and a matter of moral principle. It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to twenty- first century to 'biodiversity conservation'. There is a need of holistic understanding of the relationship between the environment including biodiversity and the development processes taking place in the world.

Key words- faith, tradition, Ethics Festivals, biodiversity conservation. Holistic development.

Introduction- India's commitment to nature and its conservation is eternal as it is rooted in antiquity. In fact, India's commitment to nature and its conservation can be a reflection of India's ancient culture and thus can rise above and beyond international conventions or any political resolve. In fact, the veneration of nature is an age-old practice in India. Such age-old practices of veneration of nature in India are based on the understanding that nature is the source of our lives and our well-being. Thus in India, nature is not only to be conserved but is in fact to be worshipped. However, biodiversity conservation is another dimension to this age-old practice of worshipping nature. In the ecosystem a-biotic and biotic components, (plants, animals and other constituents) are considered to be interlinked, interdependent and interrelated showing co-existence. Protection and preservation of the natural resources viz. air, soil, water, Biodiversity (including plants and animals) and other important constituents of ecosystem has become essential for the existence of mankind.

Thus, it can be stated that many indigenous Indian festivals are directly concerned with the conservation of nature. Reverence and regards for nature and its resources the water, soil, plants and animals, mountain, forest, rivers and oceans is the unifying ethical principle in almost all human beings. The term ethics is derived from Greek word ethos which means character. It refers to one's ability to distinguish the right from the wrong, the values, beliefs and actions, which shape the character of a person and the society .The discipline concerned is also referred to as moral philosophy. The notion of 'right' and 'wrong' has varied from time to time, so have the 'believes'' and 'values' of people. However, there are certain ethical principles, which have been universally acceptance and have remained unchanged throughout the entire course of human history. Some of the widely accepted environmental ethical principles are honesty, integrity, righteousness, being caring and compassionate with nature, having respect for trees and a fair and open mind, which is willing to admit mistakes etc. Biodiversity is the vast array of all the species of plants, animals, insects and the micro-organism inhibiting the earth either in the aquatic, aerial and the terrestrial habitats. The human civilization depends directly or indirectly upon this biodiversity for their very basic needs of survival food, fodder, fuel, fiber, fertilizer, timber, liquor, rubber, leather, medicines and several other row materials. This biodiversity is the condition for the long term sustainability of the environment, continuity of life on earth and the maintenance of its integrity. 'Biological diversity' means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within species, between species and of

ecosystems. (Convention on Biological Diversity 1992). Biodiversity is a compound word derived from 'biological diversity' and therefore is considered to have the same meaning. The variety of life at every hierarchical level and spatial scale of biological organizations: genes within populations, populations within species, species within communities, communities within landscapes, landscapes within biomes, and biomes within the biosphere. (Wilson, 1988). This paper also describes how Environmental Ethics can contribute to biodiversity conservation and halt in the decline of biodiversity i. e., biodiversity research and management.

Review of Literature: India is the eleventh mega-biodiversity center in the world and the third in Asia with its share of ~11% of the total plant resources. The floral wealth of India comprises more than 47,000 species including 43% vascular plants. Nearly 147 genera are endemic to India. The vast geographical expanse of the country has resulted in enormous ecological diversity, which is comparable to continental level diversity scales across the world. It has representation of twelve biogeography provinces, five biomes and three bioregions. India, one of the twelve "Vavilovian Centers of Origin" and diversification of cultivated plants, is known as the 'Hindustan Centre of Origin of Crop Plants'.

Humanity faces exceptional challenge of eroding natural resources and declining ecosystems services due to a multitude of threats created by unprecedented growth and over-consumerism. Also imperiled is the biodiversity and sustainability of the essential ecological processes and life support systems (Chapin *et al.*, 2000) in human dominated ecosystems across scales (Vitousek *et al.*, 1997). Indeed, human-domination of earth is evident in global change (Ayensu *et al.*, 1999; Lawton *et al.*, 2001; Phillips *et al.*, 1998; Forest *et al.*, 2002), biodiversity extinctions (Bawa and Dayanandan 1997; Sala *et al.*, 2000; Singh, 2002) and disruption of ecosystem functions (Loreau *et al.*, 2001). Ecological problems coupled with unequal access to resources results in human ill-being and threats to the livelihood security of the world's poorest (Balvanera *et al.*, 2001).

Conservation Principles in Ancient Texts: Ancient texts make explicit references as to how forests and other natural resources are to be treated. Sustainability in different forms has been an issue of development of thought since ancient times. For example, environmental principles were designed in order to comprehend whether or not the intricate web of nature is sustaining itself. These principles roughly correspond with modern understanding of conservation, utilization, and regeneration of environmental elements. 'The tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for it sustenance, and extends generously the product of its life activity. It affords protection to all human beings, offering shade even to the axmen who destroy it.' (Gautam Buddha, 487 b.c.). 'Thousands and hundreds of years if you want to enjoy the fruits and happiness of life, then take up systematic planting more trees' (Rigveda, 2000 B.C.). 'The God who exist in the Universe, lives in air, water, in fire, and also in tress and herbs, men should have reverence for them' (Upanishads, 1500-600 B.C.); 'So long as this earth is full of nature (wild animals and plants, human race is going to flourish' (Charak Samhita 4th -5$^{th\ Cent.}$ A.D.) ; 'There is not an animal that moves about on the earth, nor a bird flies on its wings, but are communities like you, so have reverence for them'(Quran, 6:39 QZ); 'even as the green herb have I given you all things' (Holy Bible, genesis 9:3); 'The universe along with its creature belong to the Lord. No creature is superior to any other. Human beings should not to above the nature. Let no species encroach over the rights and privileges of other species' (Iso-Upanishads,1500-600 B.C.); 'Man does not has the right to destroy what he cannot created. The humans race is not an alien species to exploit it'. Environmental ethics of Bishnoi community suggest compassion to wildlife, and forbid felling of *Prosopis cineraria* trees found in the region. Bishnoi teachings proclaim: 'If one has to lose head (life) for saving a tree, know that the bargain is inexpensive'.

India's commitment to nature and its conservation is eternal as it is rooted in antiquity and the greatest bioethics. Faith of ancient Indian peoples are mostly influenced by the environmental philosophy of the Vedas and Upnishad and they took several such steps which were environmentally friendly. The reverence and respect for nature and its creations such as plants, animal, rivers and mountains forest and oceans is the unifying ethical principle in almost all human religion. Be it Hinduism Jainism, Buddhism, Islam or Christianity they have all kept nature above man. Their sense of gratitude went to the extent of investing Godhood in all forms of nature and as a part of this process, the ancient people began identifying several species of green plants, animals and elements of nature with particular personalities of The Hindu pantheon and started worshipping them. The belief systems of the traditional people of India extended and their relationships from social to the natural environment treating river as mother goddess, forest as god's, totemic animals as brethren, many elements of nature were offered protection from harm at human hands.

Festivals are celebrated because they are the important part of the cultural heritage of India, and the practice has developed in many forms over the centuries and integrated itself into the local tradition. In India there are many festivals related to farming, e.g. Lohri, Holi, Baisakhi, Makar Sankranti, Thai Pongal, Uttarayana, and Magh Bihu or Bhogali Bihu, Holi, VaisakhiOnam are a few important crop harvest festivals. Festivals such as Godavari Pushkaram, Bihu, Raja Parba, Mesha Sankranti, Makar Sankranti or Pongal are fundamentally linked to nature and carry the eternal message of protecting and respecting

nature. Christmas is a festival in which tree is connected. Dipawali, Ganesh Chaturthi, *Chhath Puja, Van Mahotsav,* Vat Puja , Nav Ratri, Ganesh Chaturthi etc. are important festivals that help to safeguard several native species. One example is the festival of Vat Vriksha Puja in which devotees has a direct link to the need to conserve the highly valuable Banyan trees. The Banyan tree is considered a sacred tree and is given a special mention in the ancient Hindu scriptures. Indians also worship the Tulsi plant which is a symbol of health and prosperity. Similarly Van Mahotsav or Forest Festival is an annual tree-planting festival celebrated in the month of July in which thousands of trees are planted all over the country. Festival connected with plants and animals in Maharashtra are; Gudi parwaha which Bamboo sticks are used as the symbol of victory with garlands. Pola is yet another festival related to worship of bullocks and also mark the harvest year. These festivals are nevertheless a unique way to ensure the conservation of the important trees. Several trees, herbs, bushes, grasses and creeping plants enjoy importance as an object of divinity and sacredness. They symbolizes The God and goddess in rural folklore. several tree species which constituent a major part of the Indian terrestrial ecosystem have important historical antecedents and many of the trees occupy a significant position in Hindu mythology, relating to the right and wrong acts of human beings. Their leaves, fruits and flowers of the below mentioned are required at several religious, cultural functions and festivals. Ingredients that make part of a festival or celebration are naturally protected because they serve a purpose and have ritual significance. However, such festivals in general also infuse in people a sense of connection with nature. Trees, herbs , shrubs, grasses are considered scared in Indian mythology and their destruction is sacrilegious. Some examples are the trees such as ficus, banyan, peepal, sandalwood, wood apple, coconut, ashoka, arjuna, kadamba, black berry, emblica, margosa or neem, tamarind, kela, Shami, vishnukanta were held scared; Hurbs and shurbs such as shoeFlower, while kaner, yellow kaner, champa, chameli, genda, sadabahar etc.; grasses such as decob and bamboo are also considered sacred. The ficus tree and cows became symbolic of Lord Krishna and the scared Basil Tulsi of lord Rama.

Many wild animals have been designated in Hindu mythology as vahanas (vehicles) of Gods and Goddesses. mythology depicts the Tiger as the vehicle of Goddess Durga and identifies the lion with the Goddess Kali, Peacock with Karthikeya; the swan with Saraswati mata; owl and the elephant with the Goddess Lakshmi; the wild goat with Agni (fire) Rat with Ganesha similarly crocodiles are depicted as vehicles of the Goddess Ganga; Varun the Rain God and Khodiyar the Goddess of Shakti; an ox (nandi) the vehicle and snakes as integral part were identified with Lord Shiva and worshipped. Naag Panchmi is also most important festival linked to animals and on this festival cobra is worshipped elephant is decorated and worshiped in Kerala, during the festival seasons. Tiger: The Royal Bengal Tiger 'National Symbols of India' is one of the sacred animal in India. During Gai Tihar people worship cows, which are considered to be the incarnation of Lakshmi, the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity. Indian mythological with similar favorite plants and animals the list is almost endless being associated with other Gods and Goddess so forming part of the religious and spiritual milieu and this identification underlines not only a sense of respect for these vegetation and animals but also a reason for protecting them. In such manner worship began an appreciation of nature. The harmonious links between man and nature i.e., plants and animals and holds significance in biodiversity conservation and ecosystem preservation.

Dissussion: The secrets of existence of life on earth and importance of every organism for mutual survival along with creating belong to the universe. today as the human civilization armed by the technological weapon, arrogant of his scientific knowledge and compelled by the above increasing greed for material achievements is systematically encroaching into the living rights of other life forms on earth by using, missing, exploiting and over- exploiting the finite and scares natural resources of Earth the common heritage upon which every living organism born on earth has a birth right. It is important to understand that nature is worshipped in India to acknowledge nature's powers and the bounties it provides. Festivals in which nature is worshipped indicate in a very obvious but subtle manner the need to conserve nature. An obvious analogy is that we don't destroy that which we worship. Therefore, festivals in which nature is worshipped were to act as reminders to people of the need to conserve nature and protect natural resources from mindless exploitation and destruction. Thus, it can be stated that many indigenous Indian festivals are directly concerned with the conservation of nature.

It is not very tough to make the people aware of the environmental knowledge that we have gathered so far; but real challenge is to develop ethics relevant to the present. It is very clear that we lack more in ethics then in knowledge. Ethics are necessary in order to ensure desired practice in all human being of all ranks.

Multinational data suggest that the causes of biodiversity decline are largely socio-economic, and solutions will require interdisciplinary approaches However with social compulsions unethical acts can be minimized. We can start measuring the status of a society by the percentage the people of ethical values and courage in order to mount social compulsion for checking unethical acts.

The cell is the unit of the body of all living beings and is constituted by five elementes of nature. These five elements have been identified as Prithvi or soil, water, air, agni and Akash. these elements have been identified with God and Goddess viz, the element of Prithvi (Earth) was

identified with Lord Ganesha; the element of water was identified with the Goddess Bhavani; the element air was identified with Lord Vishnu; the element Agni (cosmos) was identified with God Sun. God who exists in this universe lives in air, water and fire and human beings should have reverence for them.

Our role is changing, we can no longer see the continued loss of plant -biodiversity as an issue separate from the core concerns of society i.e. to improve the health, prosperity and security of present and future generations Each of those objectives is undermined by current trends in the state of our ecosystems, and each will be greatly strengthened if we finally give biodiversity the priority it deserves. Reflections or actions of the human being are based on the inspiration from his /her cultural and religious heritage as well as the legal bindings. The essential need is an epistemological shift towards more expansive and intentional standpoints that see economic obligations in the service of societal responsibilities. We simply can't spend more time resolving differing interpretations. Our inaction today is inviting disaster tomorrow. Our role in changing
It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to twenty- first century to biodiversity and forest conservation and to strictly follow the 'Global-environmental ecosystem approach' implementation' (Garg, 2017, 2018 a, 2018 b, 2020 a, 2020 b). It is widely accepted that biodiversity loss viz. in forests and trees at macro level and soil flora at micro level is happening globally and its nature and causes need far better public understanding and learning in order for it to be stopped and inspire people to live in harmony with nature.

References:-

1. Ayensu, E. *et al.*, (1999). International ecosystem assessment. *Science* 286: 685-686.
2. Bawa, K. S., and Dayanandan, S. (1997). Socioeconomic factors and tropical deforestation. *Nature*386: 562-563.
3. Balvanera , P. et al., (2001). Conserving biodiversity and ecosystem services. Science 291: 2047.
4. Chapin F.S. III, Zavaleta, E.S., Eviner, V.T., Naylor, R.L., Vitousek, P.M., Reynolds, H.L., Hooper, D.U., Lavorel, S., Sala, O.E., Hobbie, S.E., Mack, M.C. and Diaz, S. (2000). Consequences of changing biodiversity. *Nature* 405: 234-42.
5. Forest, C.E., Stone, P. H., Sokolov, A. P., Allen, M. R., and Webster, M.D. (2002). Quantifying uncertainties in climate system properties with the use of recent climate observations. *Science* 295: 113-117.
6. Garg, J. 2017. Environmental Ethics : in perspective of Biodiversity Conservation and human welfare. The J. Meerut Univ. History Alumni.Vol.29.15 .2017. pp. 126- 131.
7. Garg, J. 2018 a. Some Traditional and innovative approaches for Biodiversity Conservation. International Journal of Agriculuture Sciences.Vol. 10 (12) 2018 pp. 6501-3. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331368680_Traditional_and_I nnovative_Approaches_In_Perspective_of_Biodiversity_Conservation.
8. Garg, J. 2018 b. Traditional and innovative approaches : in perspective of Biodiversity Conservation. Journal of National Development Volume 31, No.1 (Summer), 2018 pp. 1-10.
9. Garg, J. 2020 a Role of Environmental Ethics in the conservation of forests. Int. Jour. of Pharma and Biosciences 2020, pp. 29- 34.
10. Garg, J. 2020 b. Biodiversity Conservation and 42 nd amendment in the Constitution of India: In the Perspective of 21st Century. Journal of National Development Vol. 33. Number 1(Summer). 2020, pp. 26 – 35.
11. Lawton, R. O., U.S. Nair, R.A. Pielke, and R.M. Welch. (2001). Climatic impact of tropical lowland deforestation on nearby montane cloud forests. *Science* 294: 584 - 587.
12. Loreau, M. et al., (2001). Biodiversity and ecosystem functioning:Current knowledge and future challenges. *Science* 294: 804-808.
13. Phillips, O. L. et al., (1998). Changes in the carbon balance of tropical forests: evidence from long-term plots. *Science* 282: 439-442.
14. Sala, O. E. et al., 2000. Global biodiversity scenarios for the year 2100 . *Science* 287: 1770-1774.
15. Singh, J.S., 2002. The biodiversity crisis: A multifaceted review. Current Science , Vol.82, No. 6, PP. 638 -647.
16. Vitousek, P.M., Reynolds, H.L., Hooper, D.U., Lavorel, S., Sala, O.E., Hobbie, S.E., Mack, M.C. and Diaz, S. (2000). Consequences of changing biodiversity. *Nature* 405: 234-42.
17. Wilson, E.O. (ed.) (1988) Biodiversity, National Academy Press, Washington D.C. USA. (1993)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पॉलिटेक्निक शिक्षकों के ऑनलाइन अध्यापन अनुभव का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. आलोक कुमार यादव *

* प्र. प्राचार्य, इं.गां. शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान शिक्षा क्षेत्र के समक्ष आभासी शिक्षण यानि वर्चुअल टीचिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लॉकडाउन से पहले, सामाजिक एवं शैक्षणिक जगत के हितधारक वर्चुअल टीचिंग के प्रति एक नकारात्मक सोच रखते थे, लेकिन अब 8-9 महीने के बाद शिक्षकों और छात्रों ने वर्चुअल टीचिंग को अपनाया है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग और असेसमेंट के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस शोधपत्र का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षण के दौरान पॉलिटेक्निक के शिक्षकों के अनुभव को समझना है। मध्यप्रदेश में स्थित 67 शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से कुछ संस्थाओं के शिक्षकों से आंकड़े एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण का उपयोग किया गया था। अध्ययन के निष्कर्षो से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी को अपनाना, छात्रों की भागीदारी और उनका मूल्यांकन मुख्य चुनौतियां हैं। हालांकि ऑनलाइन शिक्षण ने लॉकडाउन के दौरान कुछ सीमा तक तकनीकी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा किया है, लेकिन यह भौतिक कक्षाओं की जगह नहीं ले सका।

शब्द कुंजी - कोविड-19, ऑनलाइन शिक्षा, लॉकडाउन, ऑनलाइन, वर्चुअल, एम एजुकेशन।

प्रस्तावना - भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने 22 मार्च, 2020 को 'जनता कर्फ्यू' का पालन करने हेतु भारतीय जनमानस से आग्रह किया, जिसके बाद कोविड-19 के विरुद्ध बचाव के रूप में एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन या तालाबंदी की गई। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों, स्कूलों, और सभी शिक्षण संस्थानों को तत्काल बंद कर दिया गया। पारंपरिक कक्षाओं की जगह वर्चुअल कक्षाओं को लेनी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीखने में बाधा न आए। कोविड-19 संकट से पहले, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए कई विरोध हुए थे। शिक्षक और माता-पिता शिक्षा में प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कई शैक्षणिक संस्थान और शिक्षक जो पहले अपने पारंपरिक शैक्षणिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए अनिच्छुक थे, अब उनके पास ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। कोविड-19 ने अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया को बदल दिया। इसने शैक्षणिक संस्थानों के विकास और प्रौद्योगिकियों के साथ उन प्लेटफॉर्म का चयन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, जिनका पहले उपयोग नहीं किया गया था। चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल तकनीक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचार लाए गए। शिक्षकों को घर से ही ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, जो पूर्व से इसके लिए तैयार नहीं थे; उन्हें डिजिटल प्लेट फॉर्म को व्यवस्थित करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस शोधपत्र द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक पॉलिटेक्निक शिक्षक के अनुभवों को समझने में सहायता मिल सकती है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पॉलिटेक्निक शिक्षकों के ऑनलाइन अध्यापन अनुभव की शोध समीक्षा निम्नलिखित प्रश्नों पर आधारित है :-

1. ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन के अनुभव क्या रहें?
2. ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन के लिए पॉलिटेक्निक द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की गईं?
3. ऑनलाइन शिक्षण और आकलन के बारे में शिक्षकों की क्या राय है?
4. छात्रों को शिक्षण सामग्री प्रेषित करने के लिए किन टूल्स का उपयोग किया गया था?
5. ऑनलाइन शिक्षण और उसके आकलन के दौरान छात्रों का सहयोग कैसा था ?

अध्ययन की रूपरेखा : यह अध्ययन उद्देश्यपूर्ण नमूने का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के 52 शिक्षकों से एकत्रित गुणात्मक आकड़ों पर आधारित है। सर्वप्रथम सर्वेक्षण में भाग लेने इच्छुक उत्तरदाताओं को गूगल फॉर्म के द्वारा प्रश्नावली प्रेषित की गई। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षण और आकलन के उनके अनुभवों के बारे में पूछताछ की गई। अध्ययन को शोध प्रश्नों के आधार पर पांच खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर अध्ययन को केन्द्रित किया गया। सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग कर प्रयुक्त आंकड़ों की व्याख्या प्रतिशत में की गई है। प्रत्येक कथन के प्रतिशत को ग्राफ/पाई चार्ट का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया है। विश्लेषण में सभी शिक्षक मध्यप्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से थे, इनमें से 47% अतिथि विद्वान और 53% नियमित शिक्षक थे। इनमें 67.2% महिला शिक्षक थीं। 9.2% शिक्षकों के पास 0-2 वर्ष का अनुभव था, 43.6% शिक्षकों के पास 2-5 वर्ष का अनुभव था, 19.3% शिक्षकों के पास 5-10 वर्ष का अनुभव था, 18.7% शिक्षकों को 10-15 वर्षों का अनुभव था और शेष के पास या 15 या उससे अधिक वर्षों का अध्यापन अनुभव था।

1. औपचारिक क्लास रूम के स्थान पर घर के वातावरण में

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

ऑनलाइन शिक्षण का आकलन : चूंकि वर्चुअल कक्षाएं बिना किसी पूर्व योजना के शुरू हुई थी इसलिए शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण के लिए बुनियादी भौतिक सुविधाओं जैसे पाठ्यपुस्तकों, मार्कर, व्हाइटबोर्ड, इंटरनेट कनेक्शन आदि से वंचित थे, परिणामस्वरूप शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस खंड में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हाँ या न में देने थे। शिक्षकों से प्राप्त प्रतिक्रिया इस प्रकार थी :-

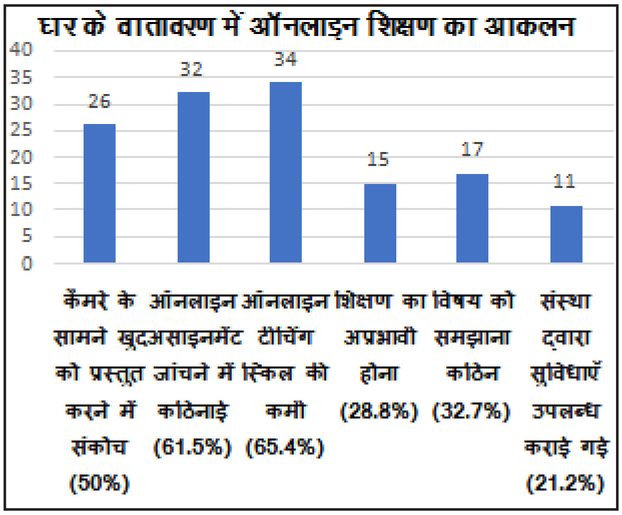

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

अध्ययन से पता चलता है कि बहुत कम पॉलिटेक्निक संस्थाओं ने ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा प्रदान की है (21.2 %)। सर्वेक्षित शिक्षकों में से 32.7 % शिक्षकों की राय थी कि तकनीकी विषयों को सीमित सुविधाएं के द्वारा समझाना मुश्किल कार्य है। कई शिक्षकों को विषय (32.7 %) की व्याख्या करना मुश्किल लगा, अधिकांश शिक्षक खुद को व्यक्त करने में असमर्थ थे और उनका शिक्षण अप्रभावी हो गया, हालांकि उनकी संस्था ने सभी सुविधाएं प्रदान कीं। कई शिक्षकों को सत्रीय कार्यों का मूल्यांकन करने में कठिनाई हुई (61.5 %) और अंत में सबसे बढ़कर लगभग 50 % शिक्षकों ने माना कि ऑनलाइन कक्षाओं में कैमरा फेस करने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई।

बाह्य कारकों जैसे परिवारजन, पडोसी, आगन्तुक, वाहन, पालतू जानवरों आदि कारणों से भी ऑनलाइन शिक्षण प्रभावित होता है। सर्वेक्षण के दौरान उन विभिन्न कारकों को चिह्नित किया गया जिससे ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावित हुई।

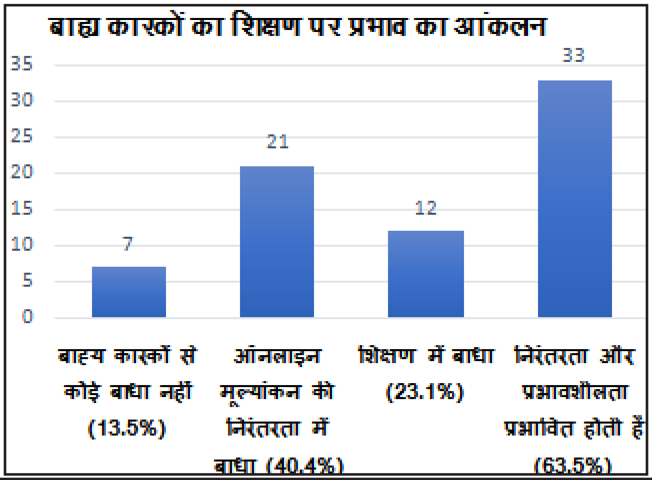

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भी ऑनलाइन टीचिंग-लर्निंग मॉडल की ओर अग्रसर हुए। शिक्षकों को अपने घर से पढ़ाना पड़ा। 63.5 % शिक्षकों ने माना कि घरेलु वातावरण में बाह्य व्यवधानों के कारण व्याख्यान की तैयारी और उनके प्रस्तुतीकरण के दौरान निरंतरता और प्रभावशीलता प्रभावित होती है। 23.1 % शिक्षकों ने बताया कि उनके शिक्षण में बाधा आती है, 40.4 % शिक्षकों ने बताया कि उनके ऑनलाइन मूल्यांकन की निरंतरता में बाह्य व्यवधान बाधक है। दूसरी ओर केवल 13.5 % शिक्षकों ने बताया कि उनका शिक्षण बाह्य व्यवधानों के कारण प्रभावित नहीं हुआ।

2:. ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन के लिए संस्थागत सहयोग – सभी शिक्षण संस्थान तत्काल बंद हो गए थे, अत: नाममात्र के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा के लिए सुसज्जित थे। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है :-

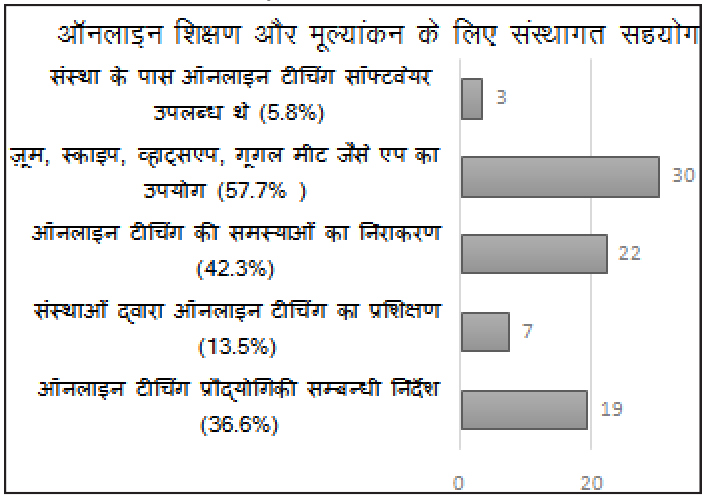

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि केवल 5.8 % पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पास ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंस सॉफ्टवेयर उपलब्ध थे। 57.7 % शिक्षकों को ज़ूम, स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल मीट जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ा जिसमें प्रभावशीलता का अभाव था। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 42.3 % शिक्षक प्रौद्योगिकी के लिए नौसिखिए थे और वे नहीं जानते थे कि तकनीकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। कुछ ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (13.5 %) ने ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। जिन शिक्षकों को पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया था, उनके लिए सी स्काइप / ज़ूम / गूगल मीट आदि पर एक साथ वेबकैमरा, माइक्रोफोन और शिक्षण का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया। 36.6 % पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों ने ऑनलाइन कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्पष्ट संरचना और रणनीति प्रदान की है।

3. शिक्षकों का ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन के सम्बन्ध में मत – शोधकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 39 शिक्षकों ने इस पर अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट की।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि 69.2 % शिक्षकों की राय थी कि ऑनलाइन कक्षाओं की तुलना में भौतिक रूप से कक्षा में आमने-सामने बातचीत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

अधिाक सरल और संतोषजनक है। सर्वेक्षण में सम्मिलित लगभग सभी शिक्षक आश्वस्त थे कि संसाधनों और सुविधाओं की कमी इत्यादि उनके ऑनलाइन शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते थे और वे सभी ऑनलाइन मूल्यांकन के बारे में जानते थे कि सॉफ्टवेयर पर असाइनमेंट डिजाइन नहीं करना है क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। लगभग सभी शिक्षकों को ऑनलाइन मूल्यांकन की जानकारी थी। केवल 10.3 % शिक्षकों ने ऑनलाइन मूल्यांकन को असुविधाजनक और अप्रासंगिक पाया और 23.1 % शिक्षकों ने ऑनलाइन मूल्यांकन को समय लेने वाला पाया। 41 % शिक्षकों की राय थी कि छात्र अपना असाइनमेंट जमा नहीं करते हैं और परीक्षणों में भाग नहीं लेते हैं। शिक्षकों की राय थी कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान 38.5 % छात्र गड़बड़ी पैदा करते हैं जो उनके शिक्षण को प्रभावित करते हैं। वायरस अटैक, सुरक्षा इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना किसी भी शिक्षक द्वारा नहीं करना पाया गया। लेकिन 48.7 % शिक्षकों द्वारा सर्वेक्षण में बताया गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी एक प्रमुख समस्या के रूप में प्रस्तुत हुई है क्योंकि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी दूर–दराज के क्षेत्रों से आते है। 35.9 % शिक्षकों ने माना की ऑनलाइन शिक्षण के उनके प्रयासो से संस्था प्रशासन अनभिज्ञ है। 33.3 % शिक्षकों की राय थी कि हर विषय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। उनके लिए विभिन्न तकनीकी विषयों के अनेक भागों को ऑनलाइन प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना मुश्किल लगा, जो ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावित करता है। 43.6 % शिक्षकों ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षण के कारण वे दिन भर मोबाइल पर लगे रहते थे क्योंकि उन्हें प्रतिक्रिया और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। 25.6 % शिक्षकों ने समग्र कक्षा के परिणाम में वृद्धि देखी, 23 % शिक्षकों की राय थी कि कक्षा उपस्थिति में वृद्धि हुई है।

4. ऑनलाइन शिक्षण की विशेषताएं – सर्वेक्षण के इस भाग में यह जानने का प्रयास किया गया कि लाइव कक्षाओं के दौरान उपयोग में प्रयुक्त ऑनलाइन ज़ूम/मीट/वेबबेक्स आदि प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल बोर्ड, पारंपरिक ब्लैक बोर्ड आदि का कैसा उपयोग किया गया। सर्वेक्षण के इस भाग में शामिल 42 शिक्षकों ने लाइव ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की और ऑनलाइन शिक्षण के दौरान 23.8 % शिक्षकों ने वर्चुअल बोर्ड का उपयोग किया हैं, जबकि 61.4 % शिक्षक पेन और पेपर या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करते हैं और 14.8 % शिक्षक पारंपरिक ब्लैकबोर्ड का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करते समय शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ सामग्री / नोट्स साझा करना आवश्यक था। अध्ययन से पता चलता है कि लगभग सभी शिक्षक (97.6 %) अपने छात्रों को सामग्री / नोट्स साझा करने के उद्देश्य से वे एक से अधिाक साधानों जैसे व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, टेलीग्राम आदि का उपयोग कर रहे थे।

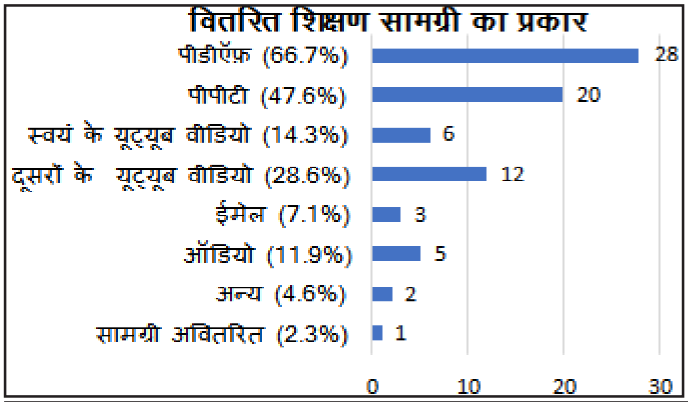

एक से अधिक टूल्स का सम्मिलित उपयोग किया। 66.7 % शिक्षकों ने शिक्षण सामग्री के रूप में पीडीएफ फ़ाइल फ़ॉरमेट का उपयोग किया, वही 47.6 % शिक्षकों ने पीपीटी शेयर की। मात्र 14.3 % शिक्षकों ने स्वयं का युट्यूब वीडियो बनाकर शेयर किया वही 28.6 % शिक्षकों ने दूसरों के युट्यूब वीडियो शेयर किये। गूगल क्लास रूम का उपयोग करने वाले 7.1 % शिक्षकों ने ईमेल के द्वारा शिक्षण सामग्री प्रेषित की वही 4.6 % शिक्षकों ने अन्य साधनों का उपयोग किया। मात्र 2.3 % शिक्षकों ने कोई भी शिक्षण सामग्री वितरित नहीं की।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों को शंकाओं का समाधान करना होता है। पारंपरिक कक्षाओं में शिक्षक कक्षा में ही शंकाओं का समाधान करते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाते समय शिक्षक सीमित समय में शंकाओं का समाधान नहीं कर पाता है। इसलिए शिक्षक को व्हाट्सएप मैसेज, मेल, वॉयस कॉल, वीडियो कॉल आदि जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। अधिकांश शिक्षक व्हाट्सएप मैसेज का उपयोग शंकाओं के समाधान के लिए कर रहे थे (66.7 %)। वहीं 78.6 % शिक्षक द्वारा लाइव क्लासेज के दौरान शंकाओं का समाधान किया गया। बहुत कम 2.4 % शिक्षक शंकाओं का समाधान नहीं करते हैं। लगभग सभी अर्थात 97.6 % शिक्षकों ने होमवर्क सौंपा जबकि 95.2 % शिक्षकों ने ऑनलाइन परीक्षा ली।

5. ऑनलाइन शिक्षण और आकलन के दौरान छात्रों का सहयोग – सर्वेक्षण के इस अंतिम चरण में ऑनलाइन शिक्षण और छात्रों के शैक्षणिक प्रगति के आकलन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गए। इस सेक्शन में 49 शिक्षकों से प्रतिकिया प्राप्त हुई जो इस प्रकार है :

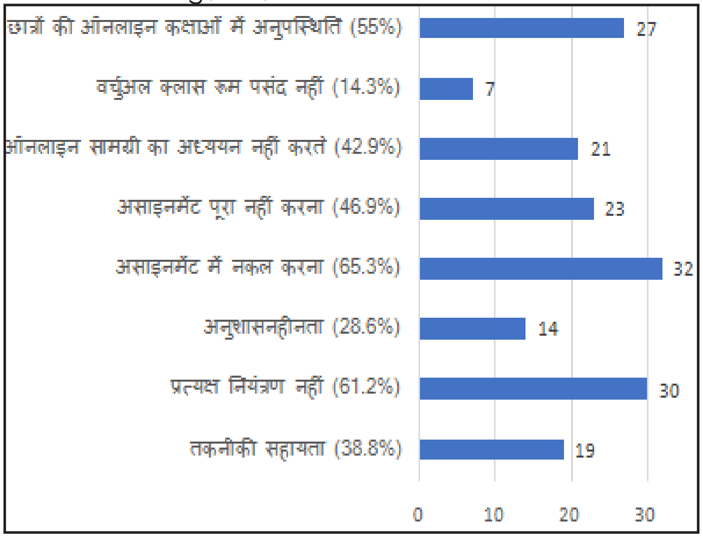

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

55% शिक्षकों ने बताया कि छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में नहीं आते हैं, इसके लिए प्राय: वे नेटवर्क का बहाना बनाते थे। 14.3 % छात्रों को वर्चुअल क्लास रूम पसंद नहीं हैं। 42.9 % शिक्षकों ने अनुभव किया कि छात्र ऑनलाइन सामग्री नहीं पढ़ते / सीखते हैं। यद्यपि लगभग सभी शिक्षक गृह कार्य सौंपते हैं लेकिन शिक्षकों ने बताया कि 46.9 % छात्र अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करते हैं और वे ईमानदार नहीं हैं और इसलिए वे अपने असाइनमेंट जमा करने के लिए कई स्रोतों से नकल करते हैं। अनुशासनहीनता ऑनलाइन शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है क्योंकि वास्तविक कक्षाओं की तरह शिक्षकों

का छात्र वर्ग पर नियंत्रण नहीं होता है। छात्रों में अपने मोबाइल का कैमरा और माइक बंद कर अन्य गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृति पाई गई। 61.2 % शिक्षकों ने अनुभव किया कि ऑनलाइन कक्षा में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होने से छात्र अनुशासन का पालन नहीं करते है। जैसा कि हम जानते हैं कि नई पीढ़ी अधिक स्मार्ट है और वे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान तकनीकी समस्याओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, 38.8 % शिक्षकों ने सहमति व्यक्त की कि उनके छात्रों ने तकनीकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद की।

सर्वेक्षण की व्याख्या : कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने एवं उससे बचाव के लिए शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। अध्ययन और शिक्षण में छात्र पिछड़ न जाये इससे बचाव के तौर पर अचानक ही पारंपरिक कक्षाओं से ऑनलाइन शिक्षा की ओर जाना पड़ा। परिणामस्वरूप शिक्षकों और छात्रों को प्रौद्योगिकी के अनुकूल होने की आवश्यकता थी। कुछ शिक्षकों ने आभासी शिक्षण को शिक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में देखा, लेकिन अन्य ने इसे अप्रासंगिक पाया। सर्वेक्षण के निष्कर्ष कक्षा परिणामों में समग्र सुधार दर्शाते हैं। शायद यह ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के कार्यान्वयन के कारण हो सकता है। यद्यपि कई शिक्षकों द्वारा वर्चुअल बोर्ड का उपयोग किया गया था, कुछ शिक्षक पारंपरिक ब्लैकबोर्ड, पेन और पेपर का उपयोग कर रहे थे। इसके पीछे का कारण गणित, ड्राइंग, प्रोग्रामिंग, स्टेनो आदि विषयों को हल करने की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे विषयों में वर्चुअल बोर्ड पर लिखना काफी कठिन होता है। ऐसे विषयों के लिए लेखन पैड, लेखनी, ऑडियो रिकार्डर जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो किफायती नहीं हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि शिक्षक शंकाओं का समाधान करने के लिए और छात्रों को नोट्स भेजने के लिए पीपीटी, पीडीएफ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेज, वॉयस कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल आदि का उपयोग कर रहे थे। अधिकांश शिक्षक होमवर्क दे रहे थे और ऑनलाइन टेस्ट करा रहे थे। बाह्य कारकों को शिक्षण और मूल्यांकन में बाधक पाया गया। हार्ड कॉपी नहीं होने से ऑनलाइन सबमिशन की जांच करना मुश्किल कार्य था। आभासी कक्षाओं में छात्रों का अनुशासन और मूल्यांकन भी प्रमुख समस्या रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा और सीखने की संरचना में शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके विभिन्न कारणों से प्रभावित होते है। अनुशासन बनाए रखने और छात्रों को कक्षा में बाधा डालने से रोकने के प्रयास प्रभावी नहीं रहे। इन सभी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि भौतिक रूप से कक्षा में प्रत्यक्ष सम्प्रेषण अधिक संतोषजनक होता है।

अनुशंसाएं : ऑनलाइन शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षण संस्था को अपने शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं और मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मूल्यांकन को इस तरह से डिजाइन और संचालित किया जाना चाहिए कि नकल और अनुशासनहीनता को नियंत्रित किया जा सके। शिक्षण संस्था को ऑनलाइन शिक्षण के लिए स्पष्ट संरचना और रणनीति प्रदान करनी चाहिए। शिक्षकों को अपने ऑनलाइन शिक्षण को आकर्षक बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आभासी कक्षा में अनुशासन और जुड़ाव को बेहतर बनाया जा सके। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षण का एक भाग होना चाहिए और इसके अलावा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग भी इंटर्नशिप कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए। ऑनलाइन सीखने और मूल्यांकन के माध्यम से नए और बेहतर पेशेवर कौशल / ज्ञान विकसित करते हुए अधिक कुशल और अपनी उपयोगिता में वृद्धि करने का अवसर है।

अध्ययन की सीमाएँ : अध्ययन एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र पर किया गया है, जिसमें केवल 52 शिक्षकों का नमूना लिया गया है, जिसके लिए काफी प्रयास भी करने पड़े। इसलिए इस अध्ययन के निष्कर्षों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष: कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान शिक्षा क्षेत्र में एक प्रकार से वर्चुअल या आभासी कक्षाओं का नव प्रवर्तन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ऑनलाइन टीचिंग एक आवश्यकता बन गई है, इसके अपने लाभ और हानियाँ हैं। छात्र ऑनलाइन कक्षाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। छात्रों की व्यस्तता, मूल्यांकन, परिणाम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बाहरी व्यवधान, शिक्षकों को प्रशिक्षण की कमी, अप्रभावी शिक्षण ऑनलाइन कक्षाओं की महत्वपूर्ण कमियां पाई गई। वर्चुअल क्लासरूम पारंपरिक शिक्षण का एक अच्छा विकल्प प्रदान करते हैं लेकिन यह पारंपरिक कक्षाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Dhawan , S. (Jun 2020) . Online Learning : A Panacea in the Time of COVID - 19 Crisis, Journal of educational Technology Systems 10.1177 / 0047239520934018
2. Jena , P. (2020) . Impact of Pandemic Covid - 19 on Education in India . International Journal of Current Research, 12, (07), 12582-12586, http://journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/ 39209.pdf
3. Arora , A.K. and Srinivasan , R. (2020) . Impact of COVID - 19 on the teaching learning process ; A study of higher education teachers . Prabandhan : Indian Journal of Management,13(4).http:/indianjournalofmanagement.com/index.php/pijom/article/view/151825
4. Joshi, A. et.al. (2020) . Impact of coronavirus pandemic on the Indian education sector perspec tives of teachers on online teaching and assessments , Interactive Technology and Smart Educa tion . https://doi.org/10.1108/TTSE-06-2020-0087
5. Kumar , G , et al . (2020) . Outcome of Online Teaching - Learning over Traditional Education during Covid - 19 Pandemic. Vol. 9 (5), International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/113952020
6. MHRD (2020) . Students to continue their learning by making full use of the available digital e Learning platforms-Shri Ramesh Pokhriyal `Nishank',pib.gov.in., https://pib.gov.in/ Press ReleasePage.aspx ? PRID = 1607521
7. Kaur N. & Sahdev , S. , L. (August 2020) . Fighting COVID - 19 with technology and innovation, evolving and advancing with technological possibilities 10.34218 / 1JARET . 11.7.2020.039
8. Ramamoorthy, S. (2020). Teaching in the time of COVID-19. https://www.thehindu.com/educa tion /

teaching -in-the-time-of-covid19 / article31766432. ece.
9. Sharma, A.K (2020), COVID - 19 : creating a paradigm shift in India's education system , Eco nomic Times Blog , available . https://economictimes.indiatimes.com /blogs/et-commentary/covid -creating - a - paradigm - shift - in - indias - education - system
10. Saha, S. (2020) . IMPACT OF COVID - 19 ON EDUCATION SECTOR IN INDIA https:/ ijert.org/papers /IJCRT2007259.pdf
11. Press Trust of India (2020) , From technological queries to distress calls , teachers struggle with challenges posed by lockdown,NDTV.com.www.ndtv.com/ education/from-technological-queries-to-distress-calls-teachers-struggle-with-challenges-posed-by-lockdown-2208957
12. https://www.indiatoday.in/magazine/news-makers/ story/20210111-school-of-hard-knocks 1755078-2021-01-03

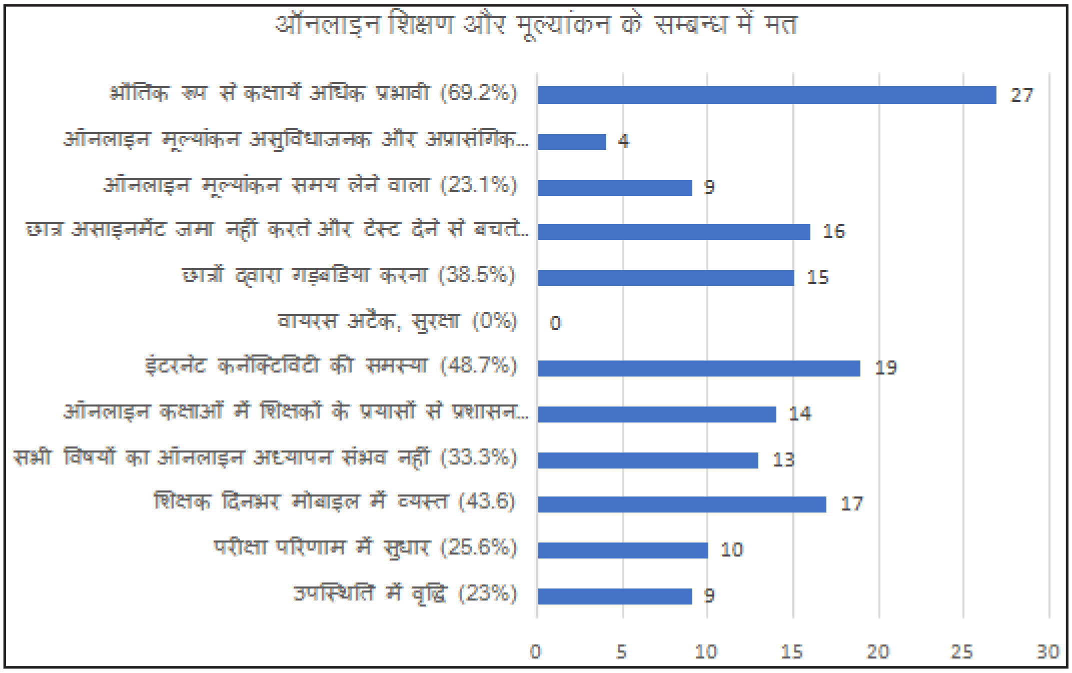

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति वर्ग की वास्तविकता: एक विश्लेषण

डॉ. कनिया मेड़ा* डॉ. सुशील कुमार **

* सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एस.वी.वी.वी., इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अनुसूचित जातियाँ देश में वे जातियाँ हैं जो बुनियादी सुविधाओं की कमी और भौगोलिक अलगाव के कारण अस्पृश्यता और कुछ अन्य की सदियों पुरानी प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं, और जिन्हें अपने हितों की रक्षा और उनके त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। अनुसूचित जातियां हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे के भीतर एक उप–समुदाय हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अपनी कथित 'निम्न स्थिति' के कारण भारत में वंचित, उत्पीड़न और अत्यधिक सामाजिक अलगाव का सामना किया है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार, भारत में केवल हाशिएं पर मौजूद 'हिंदू समुदायों' को अनुसूचित जाति माना जा सकता है।

जो चार प्रमुख वर्णों में से एक से संबंधित थे, उन्हें सवर्ण कहा जाता है। हिंदू चार–स्तरीय जाति व्यवस्था, या वर्ण व्यवस्था ने इन समुदायों को काम करने के लिए मजबूर किया, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता, पशु शवों का निपटान, मल की सफाई, और अन्य कार्य शामिल थे जिनमें 'अशुद्ध' सामग्री के संपर्क शामिल थे। समुदायों ने दलित, या हरिजन नाम को अपनाया, जिसका अर्थ था 'भगवान के बच्चे।' अवर्ण समुदायों को 'छूत' भी कहा जाता था। उन्हें साझा जल स्रोतों से पानी पीने, 'उच्च जातियों' द्वारा अक्सर रहने वाले क्षेत्रों में रहने या उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया था और सामाजिक और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ा था, अक्सर उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित किया जाता था जो सवर्ण जातियों में पैदा हुए कई लोग 'मौलिक अधिकारों' पर विचार करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 166,635,700 यानि की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी 2017 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2016 में एससी/एसटी के खिलाफ 40,801 अपराध हुए। इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की संख्या को कम करना। हर 15 मिनट में एक दलित के खिलाफ एक अपराध होता है और हर दिन लगभग 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। दलितों द्वारा झेले जा रहे सभी उत्पीड़न का मूल कारण जाति व्यवस्था को कायम रखना है। दलितों की हत्या की जाती है, पीटा जाता है और समाज से निकाल दिया जाता है लेकिन मीडिया द्वारा बहुत कम कवरेज दिया जाता है।

अनुसूचित जाति के सामने आने वाली समस्याएं:

दलितों के खिलाफ अपराध:

1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि दलितों के खिलाफ अपराध पिछले एक दशक में 50 से कम (प्रत्येक मिलियन लोगों के लिए) से बढ़कर 2015 में 223 हो गए।
2. राज्यों में, राजस्थान का रिकॉर्ड सबसे खराब है, हालांकि बिहार दलितों के खिलाफ अपराधों के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में नियमित है।
3. कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस विश्वास पर सवाल उठाया है कि दलितों की आर्थिक उन्नति उनके खिलाफ अपराधों को कम कर सकती है।
4. दलितों के खिलाफ किए गए अधिकांश अपराध प्रतिशोध के डर, पुलिस की सूचना, पुलिस द्वारा मांगी गई रिश्वत का भुगतान करने में असमर्थता आदि के कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं।
5. 2020 में जारी नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस (एनडीएमजे)–नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स द्वारा 'क्वेस्ट फॉर जस्टिस' शीर्षक वाली रिपोर्ट ने अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ–साथ एससी और एसटी लोगों के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों का आकलन किया। जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2009 से 2018 तक दर्ज किया गया है।
6. 2009 से 2018 तक 3.91 लाख से अधिक अत्याचारों के साथ दलितों के खिलाफ अपराधों में 6% की वृद्धि हुई, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और इसके तहत बनाए गए 1995 के नियमों के कार्यान्वयन में अंतराल बना रहा।
7. रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध दर में लगभग 1.6% की कमी दर्ज की गई, जिसमें 2009–2018 में कुल 72,367 अपराध दर्ज किए गए।
8. रिपोर्ट ने दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि को भी हरी झंडी दिखाई।
9. 2009 से 2018 के दौरान पीओए अधिनियम के तहत औसतन 88.5 प्रतिशत मामले लंबित हैं।
10. केवल आर्थिक सशक्तिकरण ही पर्याप्त नहीं: प्रताप भानु मेहता के अनुसार, केवल आर्थिक उन्नति से जाति के मानसिक आघात कम नहीं होंगे। यह वास्तव में अधिक संघर्ष पैदा कर सकता है। न्याय का

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

उत्सव बनने के बजाय इन समूहों का सशक्तिकरण अपराध और सत्ता के नुकसान के घातक मनगढ़ंत कहानी का प्रतीक बन जाता है।

11. औसत संपत्ति का स्वामित्व अभी भी दलितों में सबसे कम है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व: दलितों का उनके द्वारा निर्धारित कोटे से ऊपर का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। अशोक विश्वविद्यालय के त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि 2004 के बाद से हुए 63 विधानसभा चुनावों में, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को एक अनारक्षित सीट से निर्वाचित होना बेहद मुश्किल लगा। जबकि प्राथमिक शिक्षा दरों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए सामाजिक कार्यक्रमों और सरकारी नीतियों के कुछ लाभों पर ध्यान दिया जा सकता है, दलित साक्षर आबादी अभी भी शेष भारत की तुलना में बहुत कम है।

1. भारतीय समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में अभी भी शत्रुता, उत्पीड़न और खामियां बनी हुई हैं जो शिक्षा के विकास में वृद्धि को रोकती हैं।
2. जातिगत भेदभाव को कम करने और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, भारत के दलितों को शेष भारत की तुलना में कम नामांकन दर और प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच की कमी का अनुभव करना जारी है। यहां तक कि शीर्ष अधिकारी जो दलित हैं, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। उन्हें अक्सर किसी भी पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोका जाता है जो जनता और एक ही धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला होता है, उन्हें जात्राओं सहित सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूसों का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं होती है।
3. मध्याह्न भोजन और स्वच्छ शौचालय तक पहुंच के मामले में दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है।
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की रोकथाम के लिए यूजीसी की गाइडलाइन सामने आई।
5. यहां तक कि दलितों की रक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारी भी कभी-कभी जातिगत पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं और अपने अधिकारों के खिलाफ काम करते हैं।

अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए संविधान: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान निर्माताओं की गहरी चिंता उनके उत्थान के लिए स्थापित विस्तृत संवैधानिक तंत्र में परिलक्षित होती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 46 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा दे और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करे।

1. अनुच्छेद 15(4) उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है।
2. अनुच्छेद 16(4ए) राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्ग के पदों पर पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति ध अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण की बात करता है, जो राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
3. अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करता है, जिस अनुपात में गांव में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी होती है।
4. अनुच्छेद 243 डी नगर पालिकाओं में सीटों के समान अनुपात में आरक्षण का वादा करता है।
5. संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में क्रमशः लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतों से संबंधित भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग प्ग के तहत, स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई है और प्रदान किया गया है।
6. अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि संघ के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ लगातार ध्यान में रखा जाएगा। एक राज्य का।
7. अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है। आयोग का कर्तव्य संविधान या किसी अन्य कानून में अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना है। इसके कर्तव्यों में शिकायतों की जांच करना और अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना शामिल है, जबकि प्रक्रिया के दौरान एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं।
8. अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की जांच करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है। यह वह लेख था जिसके तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था।

भारत के संविधान ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित, सुरक्षा और सुरक्षा उपाय किए हैंय या तो विशेष रूप से या नागरिकों के रूप में अपने सामान्य अधिकारों पर जोर देने का तरीकाय उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अक्षमताओं को दूर करने के उद्देश्य से। इन सामाजिक समूहों को सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से संस्थागत प्रतिबद्धताएं भी प्रदान की गई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की देखरेख के लिए नोडल मंत्रालय है।

सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन: यह शर्म की बात है कि आजादी के 73 साल बाद भी अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक संकेतक दयनीय हैं। सरकार समय-समय पर अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विकासात्मक कार्यक्रम लेकर आई है, फिर भी मुद्दे संबंधित हैं। इसके कारण हैं: कई संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, पिछले सात दशकों के दौरान सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, मंदिरों, होटलों आदि में अस्पृश्यता का प्रचलन है, हालांकि ऐसा करना एक अपराध है। फिर भी कई बार संबंधित पुलिस अधिकारी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यह व्यापक रूप से आरोप लगाया

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं जब वे अपने खिलाफ किए गए अत्याचारों के बारे में शिकायत दर्ज कराते हैं। यह पीओए अधिनियम के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार और उच्च जातियों द्वारा एससी और एसटी पर लगाए गए सामाजिक और आर्थिक ब्लैकमेल जैसी प्रथाओं को पीओए अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत अत्याचार के अपराधों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, विशेष विशेष न्यायालयों की अनुपस्थिति जिनके पास एक विशेष विशेष लोक अभियोजन तंत्र है और अत्याचार करने वालों के खिलाफ हर जिले में एक विशेष जांच एजेंसी। भूमि सुधार कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं किया है। वास्तव में, अन्य की तुलना में एससी और एसटी के बीच भूमिहीनता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अधिक से अधिक छोटे और सीमांत किसान भूमिहीन मजदूर बन रहे हैं। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक योजना के तहत आवंटित धन का अनुपात प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात के बराबर होना चाहिए। वास्तव में इस आनुपातिकता को शायद ही बनाए रखा जाता है। कई मामलों में खर्च न किया गया पैसा सरकार के पास वापस चला जाता है क्योंकि जिन विभागों पर धन खर्च करने की जिम्मेदारी होती है, वे कल्याण योजनाओं को तुरंत अंतिम रूप देने में असमर्थ होते हैं। गरीबों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कुपोषण की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मातृ रक्ताल्पता, जन्म के समय कम वजन से संबंधित कमियों वाले बच्चे अन्य समस्याएं हैं जो एससीध्एसटी समुदायों को प्रभावित करती हैं। सामाजिक उपेक्षा और अवसरों से इनकार के संयुक्त परिणाम के रूप में, ये समुदाय अपनी क्षमता का एहसास नहीं कर पाए हैं। समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों की प्रतिभा अवसर की कमी के कारण बेकार या मुरझा जाती है। मैला ढोने वालों (सफाई कर्मचारियों) के रोजगार को पूरी तरह खत्म करने में सरकारें नाकाम है। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंध के बावजूद, 2017 में कम से कम 300 हाथ से मैला ढोने से मौतें हुईं। इसके अलावा, द हिंदू में 2015 के एक लेख में कहा गया है कि, 3 जुलाई 2015 तक, भारत में सिर्फ 1.8 लाख परिवार थे। अधिनियम के प्रतिबंधित होने के बावजूद भारत अभी भी हाथ से मैला ढोने में लगा हुआ था। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2014-15 के बाद से हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए बजट में 95 प्रतिशत की और कमी की है। अंत में, सामान्य रूप से सार्वजनिक सेवाओं के सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों में काम करने के लिए अनिच्छुक हैं। कुछ लोगों द्वारा यह भी महसूस किया जाता है कि कई लोक सेवक संविधान के उद्देश्यों और आकांक्षाओं के बजाय अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों से निर्देशित होते हैं। इसका परिणाम एससी और एसटी के अधिकारों से वंचित करना है।

लोगों के अधिकारों की रक्षा में भारतीय न्यायपालिका की विफलता:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (अधिनियम) सितंबर 1989 में भारत की संसद द्वारा दलितों के खिलाफ अपराधों को रोकने, अन्य पिछड़ी जातियों के अधिकारों की रक्षा करने और राहत देने के लिए पारित किया गया था। इस तरह की अपमानजनक जाति-आधारित हिंसा के शिकार। हालाँकि, भारतीय न्यायपालिका ने हाल के एक फैसले में, खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ने उपर्युक्त अधिनियम की वर्तमान स्थिति को कमजोर कर दिया है। अधिनियम की धारा 3(2)(अ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत किए गए अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा तभी दी जाएगी जब पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या करने के अपने जनादेश से आगे बढ़कर कहा है कि सबूत का एक नया सबूत अभियोजन पक्ष पर अदालत के सामने साबित करने के लिए है कि अपराध केवल इसलिए किया गया था क्योंकि पीड़ित अनुसूचित जाति से था। इसके अलावा, शीर्ष अदालत मौजूदा जाति-आधारित भेदभाव और निचली जाति के उत्पीड़न को स्वीकार करने में विफल रही। अदालत ने आरोपी को इस तरह के अपराधों के कमीशन में इस आधार पर एक बचाव का रास्ता प्रदान किया कि जाति पूर्वाग्रह योगदान करने वाले कारकों में से एक थाय यह एकमात्र कारक नहीं था जो इस तरह के अपराधों का कारण बना। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और उन्हें वह सजा नहीं दी जाएगी जिसके वे हकदार हैं।

एक अन्य मामले में, सुभाष महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक जांच करने और पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की अदालत द्वारा लगाई गई आवश्यकताओं को प्रदान करके अधिनियम के तहत अपराधों के कमीशन पर तत्काल गिरफ्तारी से संबंधित उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर कर दिया था। गिरफ्तारी से पहले। इस फैसले का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ जिसने भारतीय न्यायिक प्रणाली की खामियों को भी उजागर किया। फिर भी, दोनों निर्णयों ने उच्च जाति के सदस्यों को अपने विशेषाधिकार का आनंद लेने के तरीके को मजबूत किया है। यह निचली जातियों के बुनियादी कानूनी और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा।

अनुसूचित जाति के लिए आवश्यक उपाय:

1. स्थानीय पंचायत स्तर के अधिकारियों के उपयोग के माध्यम से उच्च जातियों के बीच व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिन्हें अधिकारों, कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और सामुदायिक स्थानों को सभी के लिए खुला रखने की आवश्यकता है।
2. दलितों के अधिकारों के हनन के मामले में पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है और आंखें मूंदने के बजाय कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।
3. दलित इस तरह के अपराधों की रिपोर्ट करने से डरते हैं, जिस समुदाय में वे रहते हैं, वहां प्रतिक्रिया का डर है। इस तरह की बाधाओं को पहले से मौजूद संस्था के माध्यम से मजबूत बनाने और उन तक पहुंचने की जरूरत है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्र आयोग आदि।
4. स्कूलों, कॉलेज प्रशासन, कर्मचारियों और छात्रों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है क्योंकि शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावी ढंग से लाया जा सकता है।
5. व्यवस्था में फंसे दलितों को बाहर निकलने के विकल्प देने के लिए संवेदनशील श्रम कानूनों में सुधार।
6. एक आर्थिक विकल्प के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन

को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है।

7. दलितों को शिक्षित करने और शिक्षित करने में भारी निवेश की आवश्यकता होगी और सरकार को औपचारिक क्षेत्र के भीतर नई नौकरियों की प्रचुरता पैदा करने और रोजगार सृजन के लिए बाधाओं को कम करने की जरूरत है।
8. महिलाओं के लिए स्थिर वेतन वाली नौकरियों की उपलब्धता में वृद्धि उनके सामाजिक-आर्थिक शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
9. निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाले पूर्वाग्रहों को पाटनाः यह केवल लैंगिक समानता के विचार को बढ़ावा देने और पुरुष बाल वरीयता की सामाजिक विचारधारा को उखाड़ फेंकने से ही संभव है।
10. उन्हें निर्णय लेने की शक्तियाँ और शासन में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, भारत की राजनीति में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए।
11. कार्यान्वयन अंतराल को पाटना: समाज के कल्याण के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए सरकार या समुदाय-आधारित निकायों की स्थापना की जानी चाहिए।
12. दलित महिलाओं को कई वंचितों के मुद्दे को हल करने के लिए समूह और लिंग विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
13. दलित महिलाओं को स्वास्थ्य, विशेषकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर व्यापक नीतियों की आवश्यकता है।
14. स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए महिलाओं को पूल करके क्रेडिट उपलब्ध कराएं। केरल के कुदुम्बश्री मॉडल के उदाहरण का अनुकरण किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति के लिए आगे का रास्ता:

1. अनुसूचित जातियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए शिक्षा और जागरूकता प्रदान करना।
2. हाथ से मैला ढोंने से छुड़ाएं गए श्रमिकों का पुनर्वास।
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पोषण स्थिति की निगरानी के लिए एक तंत्र। प्रस्ताव में जिला प्रशासन को स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों की मदद से निगरानी करने की आवश्यकता है।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों और लड़कियों के बीच प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें विशेष प्रतिभा स्कूलों में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इससे वे शेष समाज के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।
5. सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने के लिए लोक सेवकों को संवेदनशील बनाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.instightonindia.com
2. www.loksabha.nic.in
3. www.scdevelopmentmp.nic.in
4. www.ncsc.nic.in
5. www.worldwidejournals.com
6. www.researchgate.net
7. www.censusindia.gov.in
8. www.pib.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

On the Structure Equation $F^{4K} + F^{2k} = 0$

Lakhan Singh*

*Department of Mathematics, D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

Abstract - In this paper we have studied various properties of the F – Structure equation $F^{4k} + F^{2k} = 0$, k being positive integer. Nijenhuis tensor, metric F-Structure, kernel, tangent and normal vectors have also been discussed.
Keywords- Differentiable manifold, projection operators, Nijenhuis tensor, metric, kernel, tangent and normal vectors.

1. Introduction : Let V_n be a differentiable manifold of class C^∞ and F be a C^∞ (1, 1) tensor defined on V_n such that

(1.1) $F^{4k} + F^{2k} = 0$, where k is positive integer

we define the operators l and m on V_n by

(1.2) $l = - F^{2k}$, $m = \mathbf{I} + F^{2k}$

where **I** denotes the identity operator.

from (1.1) and (1.2) we have

(1.3) $l+m=\mathbf{I}$, $l^2 = l$, $m^2 = m$, $lm = ml = 0$

$F^{2k} l = lF^{2k} = F^{2k}$, $F^{2k}m = mF^{2k} = 0$

Theorem (1.1) If rank ((F)) = n , then

(1.4) $l = \mathbf{I}$, $m = 0$ and $\{ F^k \}$ is an almost complex structure.

Proof : From the fact

(1.5) rank ((F)) + nulity ((F)) = dim V_n = n

Thus

(1.6) Nulity ((F)) = 0 => ker F = {0}

Thus

FX = 0 => X = 0

Then FX1 = FX2

=> F(X1 - X2) = 0

=> X1 = X2 or F is 1-1 . Moreover Vn being finite dimensional, F is onto also and hence F is invertible operator and so $\{F^{2k}\}$ is invertible. Operating $(F^{2k})^{-1} = (F^{-1})^{2k}$ on $F^{2k} l = lF^{2k} = F^{2k}$, and $F^{2k}m = mF^{2k} = 0$, we get $l = \mathbf{I}$ and $m = 0$

Also $l = \mathbf{I} \Rightarrow - F^{2k} = \mathbf{I}$

$\Rightarrow F^{2k} + \mathbf{I} = 0$

$\Rightarrow \{ F^k \}$ isan almost complex structure.

Theorem (1.2) Let (1,1) tensors p, q, α, β, γ, δ be defined by

(1.7) $p = m + F^k$, $q = m - F^k$

$\alpha = l + F^k$, $= l - F^k$

$\gamma = m + F^k$, $\delta = l + F^k$,

thenwe get

(1.8) $pq = \mathbf{I}$ or $p^{-1} = q$, $q^{-1} = p$, $P^2 + q^2 = 2(m - l)$

$\alpha\beta = 2l$, $\alpha^2 + \beta^2 = 0$

$\gamma^2 + \delta^2 = m - l + 2 F^k$

Proof : using (1.1) , (1.2) , and (1.3) in (1.7) , we get (1.8)

2. Nijenhuis tensor - Let N_F, N_l, N_m denote the Nijenhuis tensors corresponding to the operators, F, l and m respectively then.

(2.1) $N_F(X, Y) = [FX, FY] + F^2 [X,Y] – F [FX, Y] – F [X, FY]$

(2.2) $N_l(X, Y) = [lX, lY] + l^2 [X,Y] – l [lX, Y] – l[X, lY]$

(2.3) $N_m(X, Y)=[mX, mY] +m^2 [X,Y] – m [mX, Y] – m [X, mY]$

Theorem (2.1) For the structure F satisfying (1.1), we have

(2.4) $N_F(mX, mY) = l [mX, mY]$

(2.5) $N_m(lX, lY) = m [lX, lY]$

(2.6) $N_l(mX, lY) = N_m[lX, mY] = 0$

Proof : Using (1.1), (1.2), and (1.3), in (2.2) and (2.3) we get results.

3. Metric F – Structure - Let the Riemannian metric g satisfies.

(3.1)' F (X, Y) = g (FX, Y) and let ' F is skew symmetric, then

(3.2) g (FX, Y) = - g (X, FY) and

{ F, g} is called metric F – structure.

Theorem (3.1) with the structure F Satisfying (1.1), we have

(3.3) $g (F^k X, F^kY) = (-1)^{k+1}[g (X, Y) -'m (X, Y)]$ where

(3.4) 'm (X, Y) = g (mX, Y) = g (X, mY)

Proof : Using (1.1), (1.3), (3.2) and (3.4) we get the results.

Theorem (3.2) : { F, g } is not unique

Proof : Let $\mu F' = F\mu$, ' g (X, Y) = g (μX, μY)

(3.5) $\mu F'^{4k} = F^{4k}\mu$

$= -F^{2k}\mu$

$= -\mu F'^{2k}$

$\Rightarrow F'^{4k} + F'^{2k} = 0$

Proceeding similarly, we get

$'g(F'^kX, F'^kY) = (-1)^k ['g (X,Y) - 'm (X, Y)]$

4. Kernel, Tangent and Normal Vectors - we define

(4.1) Ker F = { X : FX = 0}

(4.2) Tan F = { X : FX = λX or FX || X}

(4.3) Nor F = { X : g (X, FY) = 0, $\forall$ Y}

Theorem (4.1) With the structure F satisfying (1.1)

(4.4) Ker F^{2k} = Ker F^{4K}

(4.6) Tan F^{2k} = Tan F^{4K}

(4.6) $NorF^{2k} = Nor\ F^{4K}$

Proof : Using (1.1), (4.1) (4.2) and (4.3) we get the results.

References:-

1. A Bejancu : on semi invariant submanifolds of an almost contact metric manifold . An Stiint University, "A.I.I. Cuza" Lasi Sec. Ia Mat (Supplement) 1981, 17-21.
2. B. Prasad: Semi - invariant submanifolds of a Lorentzian Para-sasakian manifold, Bull Malaysian Math. Soc (second series) 21 (1988) 21-26
3. F. Careres : Linear invariant of Riemannian product manifold, Math Proc. Cambridge Phil. Soc 91(1982),99-106
4. Endo Hiroshi: On invariant submanifolds of connect metric manifolds, Indian J. Pure Appl. Math 22(6)(June 1991), 449-453.
5. H.B.Pandey & A. Kumar : Anti - invariant some manifold of almost para contact manifold. Prog of Maths Volume 21(1): 1987.
6. K. Yano : On a structure defined by a tensor field f of the type (1,1) satisfying f3+f = 0. Tensor N.S., 14(1963),99-109
7. R. Nivas & S.Yadav : On CR- structure and F □(2v +3,2) - HSU - structure satisfying F2v+ 3 +□r F2 = 0, Acta Ciencias Indica, Volume XXXVII M, No. 4,645(2012).
8. Abhishek Singh, Ramesh Kumar Pandey & Sachin Khare: On horizontal and complete lifts of (1,1) tensor fields F satisfying the structure question F (2k+S,S) = 0. International Journal of Mathematics and soft computing. Vol. 6, No. 1(2016) 143-152,ISSN 2249-3328.
9. Lakhan Singh: on the cyclic group related to the F-structure equation $\sum_{k=1}^{p} F^k = 0$ Naveen shodh sansar oct to Dec 2020. E-journal vol.I, Issue XXXII, ISSN2320-8767

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Study of Weed Management in Indian Vegetable

Jaibir Tomar*

*Department Of Agronomy, Janta Vedic College, Baraut (Baghpat) (U.P.) INDIA

Abstract - At present study, we have discussed different weed flora in Indian vegetables.The problem of weeds has been there since then cultivation has started. Weeds pull the moisture of the plant from the soil; in addition, weeds may also compete with the vegetables for space, plant nutrients and sunlight.Under situations when weeds are not taken care completely by pre-emergence application of herbicides, post-emergence herbicides may have an added economic advantage over super imposition of hand weeding. Therefore, it is imperative to find out an alternative weed management strategy for achieving season long weed control in Indian mustard.

Key words- weed management, vegetables, weed flora.

Introduction - There is competition between the weeds and the vegetables for all these, in which the vegetables becomes weak. Due to which there is less branch in branched vegetables, less tillering invegetables and less roots of roots vegetables after which the yield of the vegetable is also low and its quality deteriorates. Due to this, the farmers get less fair price for the vegetables. As a result, the farmer gets less profit and farming becomes a loss-making deal for him. Most of the weeds are harmful and it damages the vegetables. Weeds are helpful in increasing many vegetable diseases, nematodes, mites and insects, especially aphids and thrips that transmit viruses, which humans are allergic to weed pollen and if animals eat them, they are prone to death. Weeds, when combined with diseases and pests, can reduce yield in vegetable crops by 10 to 70%. Nevertheless, it is not that weeds only cause harm, weeds also have many benefits. There are many weeds that can also do more vegetation and they can be used as green manure. Various types of pulses weeds fix nitrogen in soil. Even if weeds are in the soil more than a limit, then it will definitely harm the vegetables.To prevent weeds, it is necessary to have knowledge of weeds, their life-character, tolerance, and dormant stage, germination in the early stage and the expansion and distribution of various organs.In India, the loss caused by weeds accounts for 37 per cent, insects 29 per cent, diseases 22 per cent and others 12 per centYaduraju, 2006. Gharde et al. 2018 reported an yield loss of about USD 11 billion due to weeds alone in India.There are many methods of weed management in vegetables which are as follows-pre-emergence herbicide application, post-emergence herbicideapplication, fallow herbicide application, shielded inter-row herbicide application, spot-spray herbicide application,fumigation, bio-herbicides,mechanical chipping and hand weeding,tillage during fallow and before sowing or planting, inter-row tillage,mulches-plastic mulch, biodegradable mulch, organic mulch, cultural -crop rotation, increased plant density,irrigation, grazing and slashing, innovative-Solarisation,thermal weed control, green manure crops,bio-fumigation,permanent beds and controlled traffic farming,precision agriculture, weed sensor technology ,stale and false seedbeds and vertebrate pest control. The most common herbicidal weed control measure recommended in Indian mustard is the pre-emergence application of pendimethalin. Farmers and extension functionaries require information on post-emergence herbicidal weed control due to one or other reason, if pre-emergence application of herbicide was not made.

To reduce the competition and losses due to weeds, it is necessary that crop is kept weed free throughout the growing season, but it should be economical and feasible in use. Hand weeding still widely practiced for controlling weeds is costly for local farmers. However, it is observed that weed flushes emerge in later growth stages of vegetables is not totally control by manual weeding, because of shortage of labour and increased cost of manual weeding during peak period of crop, therefore manual weeding is not possible. The high cost and non-availability of labour at right time force the farmers for opting alternative, cheaper and easier method of weed control. To control these weed flushes, the sequential application of pre and post-emergence herbicides is only the effective ways.

Several herbicides viz., pendimethalin, oxyfluorfen and imazethapyr are presently being used for controlling both grassy and broad-leaved weeds, but their effects under different climatic conditions are not well defined.

The herbicide application is feasible and attracts attention for weed management in this condition.The flushes at an early and later stage of crop can only be control by combination of pre and post-emergence herbicide. The sequential application of pendimethalin (1 kg/ha) and imazethapyr as pre-emergence reduced weed density and dry weight of weeds and increased crop yield.

An Approach to Integrated Weed Management System: The research approach to the development of an IWM system must take all the aspects of the cropping system into consideration. Invariably, each cultural practice influences the competitive ability of both the crop and the weed community leading to a multiple of complex interactions, However, efforts must be made to work within the existing production practice to ensure a greater likelihood of acceptance by the farming community. Thus, it is important to change the existing system in a progressive manner. This progressive manner must be reflected in the research strategy. This would allow for the transfer of specific components through education and extension.

Critical period of weed control: During the critical period, it is important to keep the crops free from weeds to prevent yield loss. Vegetables crops are easily affected by weeds, we need to keep them weed-free, from planting, emergence or until the end of their critical weed free period .If we have taken proper care of weeds during the critical period there would be no damage to the vegetables. Weeds emerging after the critical weed-free period will not affect yield, but control efforts after this time may make harvest more efficient, or reduce weed seed banks and reduce weed problems in subsequent years.. For example, if transplanted pepper has to be weeded from the second week until the third month after transplant to prevent a 10% yield loss, directseeded pepper must be weeded during the first four months after emergence to prevent the same loss Some traditional techniques, viz. transplant, earthing-up as done in potato are thought to increase crop competitiveness. Obviously, weather conditions and weed density have a great influence on the length of critical periods.

Weed Flora in Indian Vegetables: Have you seen that , weeds in vegetables are periodical in nature as they finishes the life cycle in a short time. Syriac and Geetha 2007 conceded that the common grassy weeds found in brinjal raised were *Eleusine indica, Digitariasanguinalis, Paspalum spp.* and *Eragrostis spp.,* broad leaved weeds were *Ageratum conyzoides, Leucas aspera, Ludwigia perennis, Commelinabenghalensis, Cleome viscosa, Phyllanthus niruri* and *Vernonia cinerea,* and sedges were *Cyperus rotundus, Cyperus iria* and *Kyllingamonocephala*.Sinchana 2020 seen that *Setariabarbata* and *Digitariasanguinalis* were the major grassy weeds and *Spermacoce latifolia, Alternanthera sessilis, Phyllanthus niruri* and *Synedrellanodiflora* were the major broad leaved weeds and *Cyperus rotundus* was the only sedge found in association with bush type vegetable cowpea.Ramachandra prasad 2011observed that Orobanche was found in tomato, potato and brinjal. Akhter and Khan 2020 also reported three species of Orobanche viz., *Orobancheaegyptiaca, Orobanch Orobanchecernua*and *Orobanche ramose* in association with brinjal.

Damage caused by weeds in different Indian vegetables: In the view of weeds, the ability of the vegetables to compete with the weeds determines the loss in a particular vegetable. There are various reasons for the reduction of yield and in major vegetables, one of the main reasons being the nature of vegetables. Along with this, the number of seeds of weeds in the soil was also dependent on the weeds growing in the area. How we see in the table below how weeds damage various vegetables. Weeds cause more damage in vegetables on which the leaves are narrow, and in vegetables, whose leaves grow wide and fast, weeds cause less damage in that time. In addition, it depends on the season how much damage the weeds in the vegetables. Weeds cause more damage in *kharif* season than in *rabi* season because, weeds get favorable climatic condition in the *kharif* season compared to *rabi* season. Weeds cause more damage to vegetables than other crops because they require more water and nutrients. The farmer mixes farmyard manure in it in the early stages itself, in which weeds found abundantly. Along with this, the number of irrigation also increases in this, and then weeds are favorable for growth.

Table 1 : Yield losses in Indian vegetables

S.	Name of the vegetables	Losses in %
1.	Tomato	40
2.	Okra	60
3.	Garlic	60
4.	Onion	70
5.	Cauliflower	30
6.	Potato	20
7.	Cabbage	30
8.	Pea	25
9.	Brinjal	60
10.	Cowpea	20
11.	Cluster been	20
12.	Gourd	30
13.	Bitter gourd	30
14.	Radish	40
15.	Turnip	40

***Sourses-**KharpatwarNiyantran by-Dr.V.M.Bhan

Integrated weed management: Since the beginning of cultivation, weeds continue to damage the crop.Vegetables are no exception to this. The farmer has been using the cultural practices of weed control since a long time, after that, as the development of civilization and all the things went on developing, along with it the mechanical weeding started, then gradually it changed and then went to chemical control used after that. Now at present, until recently, chemical methods were used extensively for weed control. But now after understanding the present conditions,

because in addition to the chemical method of weed control to keep the soil healthy, in addition to the environment, when we use cultural and mechanical methods together, then we call it integrated weed management. A major research objective of weed scientist has been to determine which of these two alternative approaches would give the highest crop yield in specific crops. A range of herbicides was generally compared to traditional weeding practice. Hence, weed control trails have mostly dealt with comparing single weed control practices without considering the possibility of combining the control methods. The need for developing an integrated approach of weed control was already clearly recognized almost 20 years ago. In the meantime, however, the situation for the control of weeds has seriously deteriorated due to dramatic and widespread emergence of weeds and the resistance to all currently used herbicides. Until data, about 50 undesired plant species have been found to be resistant to all triazine compounds.

Table 2 (see in next page)

Conclusion: Above study show the persistent application of some of the chemical herbicides and routinely repeated cultivation practices led to modification in weed communities. Social and environmental concern as well as a desire to improve weed control efficiency has led to increase emphasis on integrating several control methods, although herbicides screening trails are still in focus in conventional weed research in India. Many weed scientists now advocate the development of integrated methods of weed control, using limited quantities of low cost chemicals in combination with direct and indirect weed control techniques. Such an approach is the most attractive alternative from agronomic, economic and ecological points of view. Integrated weed management practice that can be used economically by the producers as a part of sound farm management systems. This approach entirely takes into accounts the need to human health and potential damage to flora and fauna that we not want to affect adversely besides improving the safety and quality of environment. Integrated weed management system is not mean for replacing selective, safe and efficient herbicides but it is the integration of effective, environmentally safe and sociologically acceptable control tactics that reduce weed interference below the economic injury level.

References:-

1. **Akhter G, Khan AT. 2020.**Survey of Parasitic weeds (Orobanche spp.) associated with Brinjal (Solanum melongena) in Banda district of Uttar Pradesh, India. *Pakistan Journal of Weed Sciences* **26**(1):93-101.
2. **Gharde Y, Singh PK, Dubey RP, Gupta PK. 2018.** Assessment of yield and economic losses in agriculture due to weeds in India. *Crop Protection***107**:12-18
3. **Sinchana JK. .2020.**tegrated weed management in bush type vegetable cowpea (Vigna unguiculata subsp. unguiculata (l.) Verdcourt). M. Sc. (Ag) thesis, Kerala Agricultural University, Thrissur. 226.
4. **Ramachandraprasad TV. 2007**. In: Proceedings of the annual group meeting of All India Coordinated Research Project brinjal (Solanum melongena L.). *Indian Journal of Weed Science*.**39(1, 2):109-111.**
5. **Yaduraju NT.2006.** Herbicide resistance crop in weed management. In: The extended Summaries, Golden Jubilee National Symposium on Conservation Agriculture and Environment, October 26-28, Banaras Hindu University, Banaras, 297-298

Table 2 : Integrated Weed Management in Different Indian Vegetables

S.	Name of the vegetables	Critical stages	Integrated weed management Approach
1.	Tomato	transplanted 6 weeks after transplanting Tomato seeded 9 weeks after seeding	Hand weeding 15 DAS &30DAS +Trifluralin Crisalin 0.75 -0.9 Pre plant incorporation Transplanted tomato, or Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergenceor,MetribuzinLexone, sencor 0.2-0.35 Pre or early post emergence and Quizalofop – p- ethyl Targa super 0.04-0.05 Post emergence
2.	Okra	15-30 DAS	Hand weeding30DAS +Trifluralin Crisalin 0.75 -0.9 Pre plant incorporation Transplanted or Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
3.	Garlic	Onion The whole season	Hand weeding15DAS &30DAS +Pendimethalin Stomp 0.75-1.5 Pre emergence orOxadiazon Ronstar 0.75 -4 Post emergence
4.	Onion	Onion The whole season	Hand weeding15DAS 730DAS +Pendimethalin Stomp 0.75-1.5 Pre emergence, or Oxyfluorfen Goal 0.24- 0.36 Early post emergence orOxadiazon Ronstar 0.75 -4 Post emergence
5.	Cauliflower	30-45 DAS	Hand weeding30DAS +Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
6.	Potato	15-45 days after planting	Hand weeding 30DAS+Trifluralin Crisalin 0.75 -0.9 Pre plant incorporation,or Alachlor Lasso 2-3 Pre emergence,or Metribuzin Lexone, sencor 0.2-0.35 Pre or early post

			emergence or Oxyfluorfen Goal 0.24- 0.36 Early post emergence
7.	Cabbage	early 3 weeks after planting	Hand weeding30DAS +Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
8.	Pea	15-45DAS	Hand weeding30DAS +Trifluralin Crisalin 0.75 -0.9 Pre plant incorporation Transplanted
9.	Brinjal	15-45DAS	Hand weeding30DAS +Trifluralin Crisalin 0.75 -0.9 Pre plant incorporation orQuizalofop – p- ethyl Targa super 0.04-0.05 Post emergence
10.	Cowpea	15-30DAS	Hand weeding +Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
11.	Cluster been	15-30DAS	Hand weeding30DAS +Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
12.	Gourd	15-45DAS	Hand weeding 30DAS+Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergenceorButachlor Machete 2.0 Pre emergence
13.	Bitter gourd	15-45DAS	Hand weeding30DAS+Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre
14.	Spinach	15-30DAS	emergence or Butachlor Machete 2.0 Pre emergence Hand weeding 30DAS+Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
15.	Beet	2-4 weeks after emergence	Hand weeding30DAS +Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
16.	Carrot	3-6 weeks after emergence	Hand weeding30DAS +Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergenceorFenoxaprop- p- ethyl Puma super 0.05-0.075 Post emergence
17.	Cucumber	pickling 4 weeks after seeding	Hand weeding 30DAS+Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence or Butachlor Machete 2.0 Pre emergence
18.	Lettuce	3 weeks after planting	Hand weeding30DAS +Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
19.	Chilli	30-45 days after transplanting Pea 30-60 days after planting	Hand weeding30DAS+Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence orQuizalofop – p- ethyl Targa super 0.04-0.05 Post emergence
20.	Turmeric	60-150 days after planting	Hand weeding30DAS +Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence
21.	Radish	25-30DAS	Hand weeding 30DAS+Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergence or Fenoxaprop- p- ethyl Puma super 0.05-0.075 Post emergence
22.	Turnip	15-20DAS	Hand weeding30DAS+Pendimethalin Stomp 0.75- 1.5 Pre emergenceorFenoxaprop- p- ethyl Puma super 0.05-0.075 Post emergence

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Influence of Sowing Method and Weed Management Practices In Late Sown Wheat (*Triticum aestivum*L.)

Vikas Tomar* **Jaibir Tomar****

***Department of Agronomy, C S Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (U.P.) INDIA**
**** Associate Professor & Head Agronomy, J.V.College, Baraut (U.P.) INDIA**

Abstract - A field experiment was conducted during *rabi*seasons of 2015-16 and 2016-17 at Instructional Farm (SIF), Department of Agronomy, C S Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur in alluvial tract of gangatic plains in Central part of Uttar Pradesh.The treatments consisted three sowing methods and five weed management practices. The experiment was laid out in split plot design with three replications. The results showed that plant height was increasing with increasing days after sowing in the relevant crop of wheat, respectively. The tallest plants were obtained in S_3 **:** Cross sowing followed by S_2 : Line sowing. The application of weed management practices on W_4 **:** Two hand weeding (25 and45DAS)W_2 **:** Clodinofop (60gha^{-1}) fb 2,4-D (500 g ha^{-1}), significantly improved the growth and yields of Two hand weeding (25 and45DAS)followed by Clodinofop(60gha^{-1}) fb 2,4-D(500gha^{-1}), amongst different cropping systems during the two years of experimentation.

Key words- Sowing methods,weed management practices, Plant height, yield, Harvest index, B:C ratio.

Introduction - Wheat is the second most important cereal crop next to rice and accounts for 36.2% of total food grain basket of the country. It is grown under diverse agro climatic conditions. The total area of wheat in the world is 221.12 million hectares with annual production of 697.8 million tonnes and productivity of 31.55 q ha^{-1}. The largest producer of wheat in the world is the European Union followed by China, India and United States of America. The consumption of wheat in the world is 667 million tons but is kept satisfied with an equally high production figure. Consumption has been constantly increasing during the last 15 years with the increase in population and is prepared to shoot up further to 780 million tons in 2020. It has been estimated that India will need at least 109 million tons of wheat by 2020 as against present production of 93.5 million tons. The wheat production has increased manifold from 6.60 million tons at the time of independence to 97.44 million tons **(Anonymous, 2017)**.

The productivity has witnessed an increase by 473 per cent *i.e.,*from 670 kg ha^{-1} to 3172 kg ha^{-1} during the above period. Despite delayed sowing, the country recorded 30.71 million hectares.Theclearly indicates the strength of systematic and planned wheat research in the country. It may be recalled that the total wheat production of the country during 1947-48 was just 5.6 million tons with average productivity of less than one t ha^{-1}. India has witnessed a record yield breaking increase in total wheat production *i.e.,*93.50 million tons from an area of 30.60 m ha^{-1} with the productivity of 30.93 q ha^{-1} during 2015-16. Out of total area of wheat in India, Uttar Pradesh alone contributes area 9.65 million hectare and production near about 26.87 million tons with productivity of 27.72 q ha^{-1}. Wheat consumption in India estimated to surpass 110 million tons of wheat will be needed by 2020.

Wheat is the backbone of food security of India. It is utilized for bread, cakes, cookies, noodles, petri-products and chapatti etc. Wheat grains contains starch 60-68%, protein 8-15%, fat 1.5-2.0%, cellulose 2.0-2.5%, and minerals 1.5-2.0% (Rathore, 2001). Wheat crop contributes substantially to the national food security by providing more than 50 %of the calories to the people who mainly depend on it.The effects of weeds on wheat crop, the impact of weed competition on quantity and quality of wheat yield, allelopathic effects of certain weeds on crop growth and development and the poison effect of other weed species to humans and animals. Weeds usually found in wheat fields and associate with crop plants were identified and grouped based on their morphology. Studies on the determination of the critical weed-free period in wheat were reviewed and the importance of this period in weed management was discussed. Chemical and none-chemical weed control methods were reviewed. Certain agricultural and management practices aimed at promoting early canopy crop development and reduce weed growth are mentioned. Importance of plant factors, timing of farm operations, and selection of proper herbicide are discussed. Most recent research findings on weed management in wheat fields are incorporated. Herbicides recommended and practiced in

wheat, their type, method of action, method and time of application, physiological effects on crop plants and weeds, and recent research findings on this aspect were included. Some suggestions and recommendations that sustain weed management and aimed at increasing crop productivity and minimizing weed effects are discussed Sharma & Saroa, 2017.

Materials And Methods: A field experiment was conducted during *rabi*seasons of 2014-15 and 2015-16 at Instructional Farm (SIF), Department of Agronomy, C S Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur in alluvial tract of gangatic plains in Central part of Uttar Pradesh. The soil of the experimental field was sandy loam in texture and slightly calcareous having organic carbon 0.28%, total nitrogen 0.032%, available P_2O_5 13.0 kg ha^{-1}, available K_2O 180 kg ha^{-1}, pH 7.5, electrical conductivity 0.20 dS m^{-1}, wilting point 6.0%, field capacity 19.2%, water holding capacity 28.3%, Bulk density 1.43 Mg m^{-1}, Particle density 2.60 Mg m^{-1} and porosity 45.6%. The field experiment was conducted in Split plot design with three replications. keeping cropping systems in main plot and sub plot in subplots.***A: Sowing methods (Main-plot)*S$_1$:** Broad cast sowing,**S$_2$** : Line sowing and **S$_3$:** Cross sowing ***B: Weed- management practices (Sub-plot)*W$_1$:**Pendimethaline(1kgha^{-1}) fb Sulfosulfuron(25gha^{-1})**W$_2$:** Clodinofop(60gha^{-1}) fb 2,4-D(500gha^{-1}), **W$_3$:** Pinoxaden(50gha^{-1}) fb Carfentrazone (30gha^{-1}), **W$_4$:** Two hand weeding (25 and45DAS) and**W$_5$:** Weedycheck.Clean seed of wheat variety Halna-K7903 was sown at 20 cm rows distance at the sowing method of Line sowing, Cross sowing and Broad cast sowing seed rate with the help of seed drill. Crop was sown on December 15 and 17, during 2015 and 2016 growing seasons, respectively.Weeds were removed manually in two hand weeding at 25 and 45 days after sowing as per treatments during both years.Available moisture at sowing time up to 100 cm soil profile was measured which was 163.2 and 144.0 mm. The amount and distribution of rainfall received during cropping season was 212.0 and 243.4 mm in 2014-15 and 2015-16, respectively against the average annual rainfall of about 800 mm. Recommended package of practices and fertilizers doses were applied in different treatments.

The cost of cultivation was calculated by taking in to account the prevailing prices of the input and application cost of the relevant treatments. Economics of different treatments was worked out to assess the most viable and remunerative water harvesting technique.

Results And Discussion: The maximum tillers/plant & production tillers/plant were observed in S_3 : Cross sowing followed by the treatment of S_2 : Line sowing. The lowest tillers/plant & production tillers/plant was recorded under S_1 : Broad cast sowing during the two different years of study. It was found in increasing order at 30, 60, 90 and tillers/plant & production tillers/plant during the two years of experimentation.The weed management practices maximum tillers/plant & production tillers/plantwere found when W_4 : Two hand weeding (25 and45DAS) was followed by W_2 : Clodinafop (60g ha^{-1}) fb 2,4-D (500g ha^{-1}), W_3 : Pinoxaden (50 g ha^{-1}) fb Carfentrazone (30 g ha^{-1}) and W_1 : Pendimethaline (1kg ha^{-1}) fb Sulfosulfuron (25 g ha^{-1})was applied and minimum tillers/plant & production tillers/ plantwas obtained from W_5 : Weedycheck. It was found in increasing order at 30, 60, 90 and tillers/plant & production tillers/plantduring the two years of experimentation Sharma and Saroa, (2017) & Rathore, (2001).

The weed management practices significantly increased the number of spike/m^2 and number of grain/ spike of wheat. The maximum number of spike/m^2 and number of grain/spike were observed in S_3 : Cross sowingfollowed by the treatment of S_2 : Line sowing. The lowest number of spike/m^2 and number of grain/spike was recorded under S_1 : Broad cast sowing during the two different years of study. The weed management practices maximum number of spike/m^2 and number of grain/spike were found when W_4 : Two hand weeding (25 and45DAS) was followed by W_2 : Clodinafop (60g ha^{-1}) fb 2,4-D (500g ha^{-1}), W_3 : Pinoxaden (50 g ha^{-1}) fb Carfentrazone (30 g ha^{-1}) and W_1 : Pendimethaline (1kg ha^{-1}) fb Sulfosulfuron (25 g ha^{-1}) was applied and minimum number of spike/m^2 and number of grain/spike was obtained from W_5 : Weedycheck during the two years of experimentation Kumar *et al.,* (2012) & Nizamani *et al*., (2014).

The maximum weight of spike (g) and spike length (cm) were observed in S_3 : Cross sowing followed by the treatment of S_2 : Line sowing. The lowest weight of spike (g) and spike length (cm) was recorded under S_1 : Broad cast sowing during the two different years of study. The application of different practices of weed management significantly increased weight of spike (g) and spike length (cm) of wheat during the two years of experimentation. Among the weed management practices maximum weight of spike (g) and spike length (cm) were found when W_4 : Two hand weeding (25 and45DAS) was followed by W_2 : Clodinafop (60g ha^{-1}) fb 2,4-D (500g ha^{-1}), W_3 : Pinoxaden (50 g ha^{-1}) fb Carfentrazone (30 g ha^{-1}) and W_1 : Pendimethaline (1kg ha^{-1}) fb Sulfosulfuron (25 g ha^{-1}) was applied and minimum weight of spike (g) and spike length (cm) was obtained from W_5 : Weedycheck during the two years of experimentation, respectively Bharat *et al*., (2012), Singh *et al*., (2016), Paighan *et al*., (2013) & Pal *et al*., (2012).

The grain weight per spike (g) and 1000 – seed weight (g) was significantly affected by different sowing methods. Further, the weed management practices maximum grain weight per spike (g) and 1000 – seed weight (g) were found when S_3 : Cross sowing followed by the treatment of S_2 : Line sowing. The lowest spike length (cm) and weight of spike was recorded under S_1 : Broad cast sowing during the two different years of study. The weed management practices maximum grain weight per spike (g) and 1000 –

seed weight (g) were found when W_4 : Two hand weeding (25 and45DAS) was followed by W_2 : Clodinafop (60g ha^{-1}) fb 2,4-D (500g ha^{-1}), W_3 : Pinoxaden (50 g ha^{-1}) fb Carfentrazone (30 g ha^{-1}) and W_1 : Pendimethaline (1kg ha^{-1}) fb Sulfosulfuron (25 g ha^{-1}) was applied and minimum grain weight per spike (g) and 1000 – seed weight (g) was obtained from W_5 : Weedycheck during the two years of experimentation, respectively Bharat and Kachroo (2007).

Conclusion: Based on two years of experiment it may be inferred that **S_3 :** Cross sowingsupplemented with **W_4 :** Two hand weeding (25 and45DAS)in soil showed good potential for sustainable production and proved to be quite remunerative in irrigated alluvial tract of Uttar Pradesh.

References:-

1. **Anonymous (2017).** Agriculture statics at a glance in India.
2. **Bharat, R. And Kachroo, D. 2007.** Effect of different herbicides on mixed weed flora,yield and economics of wheat (Triticum aestivum) under irrigated condition of Jammu*. Indian journal of Agricultural Science***77**:6.
3. **Bharat, R., Kachroo, D., Sharma, R. Gupta, M. and Sharma, A.K. 2012.** Effect ofdifferent herbicides on weed growth and yield performance of wheat. *Indian Journalof weed science* **44**(2): 106-109.
4. **Singh Ranveer; Nath, Y. N.; Singh, S.K.; Mohan, T.K.; Shahi, J.P. (2016)** Effect of agronomic management practices on growth, yield and quality of wheat under excessive moisture condition. *Crop Research,***23** (6) 402 - 408.
5. **Sharma, S. and Saroa, G.S. (2017).** Effect of organic and integrated nutrient management practices on soil phosphorus fractions and total phosphorus in basmati-wheat sequence. *Journal of soil and water conservation,***16** (11) : 79–85.
6. **Rathore, A.L. 2001.** Studies on nitrogen and irrigation requirement of late sown wheat.*Indian Journal of Agronomy,* **46**(4): 659-664.
7. **Kumar, S., Singh, R., Shyam, R. and Singh, V.K. 2012.** Weed dynamics, nutrient removaland yield of wheat as influenced by weed management practices under vally conditions of Uttarakhand. *Indian Journal of weed science,***44** (2): 110-114.
8. **Nizamani, G.S., Tunio, S., Buriro, U.A. and Keerio, M.I. 2014.** Influence of different seedrates on yield contributing traits in wheat varieties. *Journal of Plant Science,***2** (5): 232-236.
9. **Paighan, V.B., Gore, A.K. and Chavan, A.S. 2013.** Effect of new herbicides on growth andyield of wheat*. Indian Journal of weed science,***45** (4): 291-293.
10. **Pal, s., Sharma, R.., Sharma, H. B. and Pankaj 2012.** Bioefficacy and selectivity ofdifferent herbicides for weed control in wheat. *International Agronomy Congress*,**2**: 48-49.

Table -1 : Effect of Sowing method and Weed Management Practices on Tillers/plant & production tillers/plant under different treatments.

Treatment	Tillers/ plant 30 DAS			Tillers/ plant 60 DAS			Tillers/ plant 90 DAS			Productive Tillers/plant		
	2015-16	2016-17	Pooled	2015-16	2016-17	Pooled	2015-16	2016-17	Pooled	2015-16	2016-17	Pooled
	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
A. Sowing method:												
Broadcast sowing-S1	2.52	2.60	2.56	4.02	4.21	4.11	4.29	4.39	4.34	3.98	4.08	4.03
Line sowing- S2	2.57	2.65	2.61	4.13	4.34	4.23	4.39	4.5	4.45	4.08	4.19	4.14
Cross sowing - S3	2.61	2.68	2.65	4.37	4.56	4.47	4.66	4.79	4.72	4.33	4.45	4.39
SE(m)	0.11	0.1	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.05	0.05	0.07	0.04
C.D.(P=0.05)	N.S.	N.S.	N.S.	0.25	0.25	0.15	0.24	0.26	0.16	0.21	0.27	0.14
B. Weed management Practices:												
Pendimethaline(1kg/ha) fb Sulfosulfuron(25g/ha)-T1	2.51	2.60	2.56	4.07	4.26	4.16	4.34	4.45	4.39	4.04	4.14	4.09
Clodinofop(60g/ha)fb 2,4-D(500g/ha)-T2	2.62	2.70	2.66	4.26	4.45	4.35	4.56	4.68	4.62	4.24	4.36	4.3
Pinoxaden(50g/ha)fb Carfentrazone(30g/ha)-T3	2.58	2.66	2.62	4.16	4.35	4.26	4.45	4.55	4.50	4.14	4.23	4.19
Two hand weeding(25&45 DAS)-T4	2.75	2.85	2.8	4.61	4.84	4.73	4.91	5.05	4.99	4.57	4.7	4.64
Weedy Check-T5	2.37	2.42	2.39	3.77	3.94	3.86	3.99	4.08	4.04	3.66	3.76	3.71
SE(m)	0.11	0.13	0.09	0.07	0.08	0.05	0.09	0.11	0.07	0.06	0.08	0.05
C.D.(P=0.05)	N.S.	N.S.	0.26	0.20	0.23	0.16	0.27	0.32	0.21	0.18	0.22	0.15

Table -2: Effect of Sowing Methods and Weed Management practices on Number of Spike/m^2 and No. of Grain/ spike under different treatment.

Treatment	Number of spike/m2			Number of grain/spike		
	2015-16 Mean	2016-17 Mean	Pooled Mean	2015-16 Mean	2016-17 Mean	Pooled Mean
A. Sowing method:						
Broadcast sowing -S1	319.9	321.39	320.64	42.3	42.66	42.48
Line sowing - S2	326.24	327.7	326.97	43.27	43.51	43.4
Cross sowing - S3	335.38	337.7	336.54	44.47	44.83	44.65
SE(m)	2.31	2.43	1.68	0.41	0.4	0.29
C.D.(P=0.05)	9.01	9.5	5.45	1.6	1.56	0.93
B. Weed management Practices:						
Pendimethaline(1kg/ha) fb Sulfosulfuron (25g/ha)-T1	320.2	321.31	320.76	42.47	42.74	42.6
Clodinofop(60g/ha)fb 2,4-D(500g/ha)-T2	336.43	337.87	337.15	44.63	44.92	44.78
Pinoxaden(50g/ha) fb Carfentrazone (30g/ha)-T3	328.4	330	329.2	43.55	43.78	43.67
Two hand weeding(25&45 DAS)-T4	347.8	350.27	349.03	46.14	46.42	46.28
Weedy Check-T5	303.03	305.2	304.12	39.96	40.48	40.22
SE(m)	2.87	3.06	2.1	0.54	0.51	0.37
C.D.(P=0.05)	8.37	8.92	6.25	1.56	1.5	1.11

Table -3 : Effect of Sowing Methods and Weed Management practices on weight of spike (g) and spike length (cm) under different treatment.

Treatment	Weight of Spike (g)			Spike Length(Cm)		
	2015-16 Mean	2016-17 Mean	POOLED Mean	2015-16 Mean	2016-17 Mean	Pooled Mean
A. Sowing method:						
Broadcast sowing -S1	1.79	1.83	1.81	8.06	8.11	8.09
Line sowing - S2	1.84	1.89	1.86	8.22	8.27	8.25
Cross sowing - S3	1.94	2	1.97	8.46	8.5	8.48
SE(m)	0.02	0.26	0.01	0.06	0.06	0.04
C.D.(P=0.05)	0.09	0.1	0.06	0.22	0.22	0.13
B. Weed management Practices:						
Pendimethaline(1kg/ha) fb Sulfosulfuron (25g/ha)-T1	1.81	1.87	1.84	8.08	8.11	8.1
Clodinofop(60g/ha)fb 2,4-D(500g/ha)-T2	1.9	1.96	1.93	8.49	8.52	8.51
Pinoxaden(50g/ha) fb Carfentrazone (30g/ha)-T3	1.86	1.91	1.88	8.29	8.32	8.31
Two hand weeding(25&45 DAS)-T4	2.05	2.11	2.09	8.8	8.82	8.81
Weedy Check-T5	1.65	1.69	1.67	7.58	7.7	7.64
SE(m)	0.04	0.29	0.03	0.07	0.07	0.05
C.D.(P=0.05)	0.11	0.08	0.07	0.2	0.21	0.15

Table -4 : Effect of Sowing method Weed Management practices and Grain weight/spike (g) and 1000-seed weight (g) under different treatment.

Treatment	1000-Seed weight (g)			Grain Weight/Spike(gm)		
	2015-16 Mean	2016-17 Mean	POOLED Mean	2015-16 Mean	2016-17 Mean	POOLED Mean
A. Sowing method:						
Broadcast sowing -S1	36.13	36.68	36.41	1.15	1.19	1.16
Line sowing - S2	36.84	37.00	36.92	1.78	1.21	1.19
Cross sowing - S3	37.87	38.03	37.95	1.25	1.28	1.26
SE(m)	0.23	0.24	0.16	0.01	0.2	0.00
C.D.(P=0.05)	0.88	0.92	0.53	0.05	0.06	0.03
B. Weed management Practices:						
Pendimethaline(1kg/ha) fb Sulfosulfuron (25g/ha)-T1	36.14	36.29	36.22	1.16	1.2	1.18
Clodinofop(60g/ha)fb 2,4-D(500g/ha)-T2	38	38.16	38.08	1.22	1.26	1.24
Pinoxaden(50g/ha) fb Carfentrazone (30g/ha)-T3	37.07	37.22	37.15	1.19	1.22	1.21
Two hand weeding(25&45 DAS)-T4	39.28	39.44	39.36	1.32	1.36	1.34
Weedy Check-T5	34.23	35.08	34.66	1.06	1.08	1.07
SE(m)	0.33	0.35	0.24	0.01	0.02	0.01
C.D.(P=0.05)	0.97	0.61	0.72	0.04	0.04	0.03

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Contigent Contracts Under Indian Contract Act

Dr. Saptmuni Dwivedi *

***Faculty (Law) A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA**

Abstract - The provisions of Contingent Contracts are contained under section 31 of the Indian Contract Act, 1872 which defines it as a contract to do or not do something upon happening of an uncertain event. [Actually a contractual promise may either be absolute or conditional. A conditional promise is one where the liability to perform the promise depends upon something or event which may or may not happen, or on one of the parties doing or abstain from doing an act. A contract of insurance is an example of Contingent Contract, where the liability of the insurer depends upon the occurrence of the event, viz. damage or destruction arising out of fire.

Introduction - A 'Contingent condition' may produce a number of effects. First it may prevent formation of contract, in which case it is a condition precedent to the formation of contract e.g., an agreement 'subject to contract' or 'subject to confirmation or approval'.No contract comes into existence until the contingency occurs. Secondly, one party may assume an immediate unilateral obligation subject to a condition. [Thirdly, the Parties may enter into an immediately binding contract; and either the operation of the contract is made to depend upon happening of the specified event, viz. a contract for transfer of agricultural land 'subject to permission of an authority', or the liability under the contract is to arise after the occurrence of the event.

If the obligations under the main contract (which contains the condition) have not arise, other obligations are imposed upon the parties. Both the parties must not to do anything to prevent the occurrence of the event. This duty is implied into the contract. [Although there is no undertaking by either party that the event shall occur, a term may also be implied that one of the parties will use all reasonable efforts to secure the fulfillment of the condition or bring about the event, without any absolute undertaking that the efforts would succeed.

In case of **'Shardaprasad v. Sikandar'**the seller undertook to apply for the sanction under tenancy to the contracted sale of four anna share in a village. He applied for sanction, but the sanction was refused. In a suit for specific performance by the purchaser, the court made this distinction and held that the seller-defendant had made two undertakings. The first one to apply for sanction for sale, which he had performed. The other to sell the share if the sanction were granted. Since the parties had made no provision for the event of sanction being applied for and refusal, the latter undertaking was a contingent contract, and having become impossible by refusal, the contract fell through.

- **Essentials of Contingent Contract -** A contingent contract should posses the following characteristics to be effective:

1. The objectives for each party involved must be aligned (Thompson 2008, p. 124).
2. The promise is based on an uncertain event: the action required of one party is only dependent upon the occurrence of some event in the future (Sharma 2004, p. 87).
3. The event must be minor to the contract: the performance of a promise is not the event; rather it is part of the contract (Sharma 2004, p. 87).
4. The event is independent of the promising party: the occurrence of an event is not controlled by the promising party's will or desire (Sharma 2004, p. 87).
5. The agreements should be formalized in writing with appropriate legal counsel (Thompson 2008, p. 124).
6. The parties must mutually decide how the terms of agreement will be measured (Thompson 2008, p. 124).10
7. A contingency contract can also be viewed as protection against a future change of plans.

Contingent Contract:

i. The contract must be valid;
ii. Conditional performance of contract;
iii. The said event must be collateral to such contract.
iv. The event should not be at the discretion of the Promisor.

- **Types of Contingent Contracts**

i. Depending Upon Happening of an Uncertain Event: Sometimes Contingent Contract depends upon

happening of uncertain event. Then if such uncertain event takes place, the Contingent Contract becomes valid and if that uncertain event does not take place, the Contingent Contract is Void.

ii. Depending upon non-happening of an uncertain event: At times the Contingent Contract may depend upon non-happening of uncertain event. Then if that event does not happen, the Contract is Valid and if that event takes place, the contract is void.

iii. Depending upon happening of an Uncertain event in a fixed period: At times Contingent Contract may depend upon happening of uncertain event in a fixed period. If such event happens within fixed period, the contract is Valid. If such event does not take place with in fixed period, the contract is void.

iv. Depending upon non-happening of an uncertain event in a fixed period: At times the Contingent Contract may depend upon non-happening of uncertain event in a fixed period then if such event place within that fixed period, the contract is void and if that event does not takes place within agreed period, then it is valid.

v. Depending upon an Impossible Event: Sometimes the Contingent Contract may depend upon impossible event. Such a type of Contingent Contract is abinitio void.

References:-

Books Reffered:-

1. Pollock & Mulla, The Indian Contract Act, 1872, updated 14th Edition **By-** Nilima Bhadbhade, Lexis Nexis,
2. Administrative Law By- J.J.R. Upadhyaya, Central Law Agecncy, Seventh Edition, 2009
3. Indian Administrative Law By- Kagzi M.C. Jain, Universal Law Publishing co. Pvt. Ltd, 53rd year of Publication, Seventh Edition, 2014
4. The Constitution of India Bare Act, Professional's, Year 2006
5. The Constitutional Law of India By- Dr. J.N. Pandey, 49th Edition, 2011
6. The Constitution of India By- Dr. L.M. Singhvi, 2nd Edition, Volume 2, Modern Law Publication, Year 2008
7. Principles of Administrative Law, Set of 2 Volumes, By- M.P. Jain & S.N. Jain, Revised By Justice D.M. Dharmadhikari, (Former Judge of the Supreme Court), Lexis Nexis, 8th Edition, 2016

Internet:-

1. www.google.com
2. www. indiacurrentaffairs.org.
3. http://www.lawsofbusiness.com/2013/08/contingent-contract.html
4. https://www.lawctopus.com/academike/contingent-contracts/-
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Contingent_contracts

Law Journals:-

1. AIR 1930 PC 287
2. AIR 1915 Nag. 15
3. AIR 1943 PC 164
4. AIR 1955 SC 233
5. (1955) 1 SCR 1104
6. (1958) SCR 1240

News Papers:-

1. Dainik Bhaskar
2. Dainik Jagran
3. The Times of India
4. The Hindustan Times
5. The Hitvada
6. Patrika

Dictionaries:-

1. Black's Law Dictionary (First South Asian Edition, 2015)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

On CR- structure and F- structure satisfying $F^{p^2+2} + F = 0$

Lakhan Singh*

*Department of Mathematics, D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

Abstract - In this paper we have studied a relationship between CR- structure and F- structure satisfying $F^{p2+2} + F = 0$. Where p is odd prime. Nijenhuis tensor and integrability conditions have also been discussed.

Keywords- Projection operators, Distributions, Nijenhuis tensor, Integrability condition and CR-structure.

1. Introduction : Let Mbe a differentiable manifold of class C^∞. Let F be a non-zero tensor of type (1,1) and class C^∞ defined on M such that

(1.1) $F^{p2+2} + F = 0$. Where p is odd prime

Let rank((F))=r, which is constant everywhere. We defined the operators on M as

(1.2) $l = -F^{p2+1}$, $m = F^{p2+1} + I$

Where I is the identity operator.

Theorem(1.1) Let M be an F-structure satisfying (1.1) then

(1.3) (a) $l + m = I$

(b) $l^2 = l$

(c) $m^2 = m$

(d) $lm = ml = 0$

Proof From(1.1) and (1.2) we get the results.

Let D_l and D_m be the complementary distributions corresponding to the operators l and m respectively . then $\dim((D_l)) = r$, $\dim((D_m)) = n-r$

Theorem (1.2) Let M be an F-structure satisfying (1.1) then

(1.4) (a) $lF = Fl = F$, $mF = mF = 0$

(b) $F^{p2+1}\, l = -l$, $F^{p2+1} m = 0$

Proof : Using (1.1), (1.2) , (1.3) (a)(b) we get the results.

From (1.4)(b), it is clear that $F^{(p2+1)/2}$ acts on D_l as an almost complex structure and on D_m as a null operator.

2. Nijenhuis tensor.

Let X and Y be any two vector fields on M , then their Lie bracket [X,Y] is defined by

(2.1) $[X,Y] = XY - YX$

And Nijenhuis tensor $N[X,Y]$ of F is defined as

(2.2) $N(X, Y) = [FX, FY] - F[FX, Y] - F[X, FY] + F^2[X,Y]$

Theorem (2.1) : A necessary and sufficient condition for the F- structure to be integrable is $N(X,Y) = 0$, for any two vector fields X and Y on M.

Theorem(2.2): Let F-structure satisfying (1.1) be integrable , then

(2.3) $(-F^{p2})([FX, FY] + F^2[X,Y]) = l([FX, Y] + [X,FY])$

Proof : using theorem (2.1) in (2.2), we get

(2.4) $[FX, FY) + F^2[X,Y] = F([FX,Y] + [X,FY])$

Operating by $(-F^{p2})$ on both the sides of (2.4) and using (1.2), we get the results.

Theorem (2.3) : on the F-structure satisfying (1.1)

(2.5) (a) $m\,N(X,Y) = m\,[FX,FY]$

(b) $m\,N(F^{p2}X,Y) = m[F^{p2+1}X,FY]$

Proof : operating m on both sides of (2.2) and using (1.4) (a) we get (2.5)(a). Replacing X by $F^{p2}X$ in (2.5)(b).

Theorem (2.4) : on the F-structure satisfying (1.1), the following conditions are all equivalent

(2.6) (a) $mN(X,Y) = 0$

(b) $m[FX,FY] = 0$

(c) $mN(F^{p2}X,Y) = 0$

(d) $m[F^{p2+1}X,FY] = 0$

(e) $m[F^{p2+1}lX, FY] = 0$

Proof : using (1.4) (a), (b) in (2.5)(a), (b) we get the results.

3.CR – Structure

Let $T_c(M)$ denotes the complexified tangent bundle of the differentiable manifold M . A CR- structure on M is a complex sub -bundle H of Tc (M) such that

(3.1) (a) $H_p \cap \bar{H}_p = \{0\}$

(b) H is involutive that is $X,Y \in H \Rightarrow [X,Y] \in H$ for complex vector fields X and Y.

For the integrable F- structure satisfying (1.1) rank ((F)) = r = 2m on M.

We define

(3.2) $H_p = \{X - \sqrt{-1}FX : X \in \chi(D_l)\}$

Where $\chi(D_l)$ is the $F(D_m)$ module of all differentiable sections of D_l.

Theorem (3.1) if P and Q are two elements of H, then

(3.3) $[P,Q] = [X,Y] - [FX,FY] - \sqrt{-1}(-1)([FX,Y] + [X,FY])$.

Proof : defining $P = X - \sqrt{-1}(-1)FX$, $Q = Y - \sqrt{-1}(-1)FY$ and simplifying , we get (3.3)

Theorem (3.2) : for $X,Y \in \chi(D_l)$

(3.4) $l([FX,Y] + [X,FY]) = [FX,Y] + [X,FY]$

Proof : using (1.4) (a) and (2.1), we get the results as

(3.5) $l([FX,Y] + [X,FY]) = l(FXY - YFX + XFY - FYX)$

$= FXY - YFX + XFY - FYX$

$= [FX,Y] + [X,FY]$

Theorem (3.3) : the integrable F- structure satisfying (1.1) on M defines a CR – structure H on it such that

(3.6) $R_e(H) = D_l$

Proof : since $[X,FY], [FX,Y] \in X(D_l)$ then from (3.3), (3.4), we get

(3.7) $l[P,Q] = [P,Q]$

$\Rightarrow [P,Q] \in X(D_l)$

Thus F structure satisfying (1.1) , defines a CR- structure on M.

Definition (3.2) Let KÞ be the complementary distribution of $R_e(H)$ to TM. We define a morphism $F : TM \to TM$, given by

$F(X) = 0, \forall X \in X(K)$ such that

(3.8) $F(X) = 1/2 \sqrt{-1}(-1)(P - P)$

Where $P = X + \sqrt{-1}(-1) Y \in X(H_p)$ and P is complex conjugate of P.

Corollary (3.1) : from (3.8) we get

(3.9) $F_2X = -X$

Theorem (3.4) : if M has CR- structure then $F^{p2+2} + F = 0$ and consequently F- structure satisfying (1.1) is defined on M such that D_l and D_m concide with $R_e(H)$ and K respectively.

Proof : since p^2+2 is of the form 4K+3 , where K is a positive integer , thus by repeated application of (3.9) gives ,

$F^{p2+2} = F^3(X)$

$= F(F^2X)$

$= F(-X)$

Thus ,$F^{p2+2} + F = 0$

References:-

1. Bejancu , A, CR-submanifolds of aKaehler Manifold l, proc. Amer. Math. Soc ., 69,135-143(1978).
2. Demetropoulou-Psomopoulou, D. and Andreou, F. Gouli, On Necessary and sufficient conditions for an N- Dimensional Manifold to admit a Tensor Field f(0) of type (1,1) satisfying) $f^{2v+3} + f \neq 0$ Tensor (N.S.), 42,252-257(1985)
3. Blair, D.E. and Chen , B.Y., On CR- submanifolds of Hermitian Manifolds . Israel Journal of Mathematics ,34(4),353-363(1979).
4. Goldberg, S.I. and Yano,K., On normal globally framed f- manifolds . Tohoku Math., I. 22,362-370(1970).
5. Goldberg, S.I., On the Existance of Manifold with an F-structure . Tensor (N.S.),26,323-329(1972).
6. Upadhyay, M.D. and Gupta, V.C. Integrability conditions of a structure $f_ë$ satisfying $f^3 + ë^2 f = 0$, publications mathematics , 24(3-4),249-255(1977).
7. Yano, K., On structure defined by a tensor Reid f of type (1,1) satisfying $f^3 + f = 0$, Tensor (N.S.) 14,99-109(1963)
8. Yano, K. and Kon, M., Differential geometry of CR-submanifolds ,Geometriate Dedicala.10, 369-391(1981).
9. Das , L.S., Nivas, R. and Singh , A. On CR-structures and F-structures satisfying $F^{4n} + F^{4n-1} \ldots\ldots + F^2 + F = 0$, Tesor N.S.70.255-260(2008).
10. Das , L.S., On CR-structure and F(2K+1.1)- structure satisfying $F^{2k+1} + F = 0$, JTSI, India. 22,1-7(2004).
11. Lakhan Singh : on the cyclic group related to the F - structure equation $\sum_{k=1}^{p} F^k = 0$Naveen shodh sansar oct to Dec 2020. E - journal vol I , Issue XXXII , ISSN 2320 – 8767.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

Organizational learning in Banking Sectors through Knowledge Acquisition, Knowledge Sharing, Knowledge Retention and Experimentation and Innovation

Shrey Chhangani*

***PG Student (Management Studies) Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - The present paper discusses organizational learning in banking Sectors through knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge retention and experimentation and innovation. Organizational learning in the banking sector refers to the process by which banks acquire, create, and transfer knowledge to improve their performance and adapt to changing market conditions. It involves the continuous acquisition, interpretation, and integration of new information and experiences into the bank's knowledge base, leading to improved decision-making, innovation, and competitive advantage. The present paper elaborates the concept and importance of organizational learning in banking Sectors through knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge retention and experimentation and innovation.

Introduction - Organizational learning in the banking sector is a dynamic process that involves knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge retention, and experimentation and innovation. These elements work together to foster continuous learning and improvement within banking institutions. Organizational learning plays a vital role in the banking industry as it enables institutions to adapt, innovate, and improve their performance in a dynamic and competitive environment. Banking institutions need to continually learn and develop new capabilities to meet evolving customer needs, regulatory requirements, and technological advancements. Some key aspects of organizational learning in the banking sector are knowledge acquisition, knowledge sharing and experimentation and innovation.

Knowledge acquisition: Banks gather knowledge from various sources, including market research, customer feedback, industry reports, and internal data. This knowledge is acquired through mechanisms such as market intelligence, customer surveys, competitor analysis, and data analytics. Banks also invest in research and development activities to explore new technologies, products, and services.Knowledge acquisition is a crucial process in the banking sector as it enables institutions to stay informed about the industry, understand customer needs, and make well-informed decisions. Here are some key aspects of knowledge acquisition in the banking sector:

1. **Market research**: Banking institutions conduct market research to gather information about the industry landscape, market trends, and customer preferences. This research helps banks understand the competitive landscape, identify emerging opportunities, and develop strategies to meet customer needs effectively.
2. **Customer feedback**: Banks actively collect and analyze customer feedback through various channels, such as surveys, focus groups, and complaint management systems. This feedback provides valuable insights into customer satisfaction, preferences, and pain points. It helps banks improve their products, services, and overall customer experience.
3. **Industry reports and publications**: Banks regularly monitor industry reports, publications, and research studies to stay updated on the latest developments, regulatory changes, and market dynamics. These reports provide valuable insights into industry trends, benchmarking data, and best practices that can inform strategic decision-making.
4. **Data analytics**: Banking institutions leverage data analytics to extract meaningful insights from large volumes of structured and unstructured data. By analyzing customer transaction data, market data, and other relevant data sources, banks can identify patterns, detect anomalies, and derive actionable insights. These insights can drive product innovation, risk management, and customer segmentation.
5. **Technology scouting**: Banks actively engage in technology scouting to identify and assess new technologies that can enhance their operations, improve customer experience, and drive innovation. This can involve monitoring technology trends, attending industry conferences, collaborating with fintech companies, and participating in innovation ecosystems.
6. **Regulatory updates**: The banking sector is heavily

regulated, and staying informed about regulatory changes is essential. Banks closely monitor updates from regulatory bodies and engage in compliance training to ensure adherence to the latest regulations. This knowledge acquisition helps banks avoid compliance risks and maintain a strong regulatory posture.

7. **Internal knowledge sharing**: Knowledge acquisition also occurs through internal knowledge sharing mechanisms within banking institutions. This can include formal training programs, workshops, knowledge repositories, and internal communication channels. Banks encourage employees to share their expertise, experiences, and best practices, fostering a culture of continuous learning.

8. **External partnerships and collaborations**: Banking institutions establish partnerships and collaborations with external entities, such as academic institutions, research organizations, and industry associations. These partnerships facilitate knowledge exchange, access to research findings, and exposure to new perspectives. Collaborations with fintech companies also provide opportunities to learn about innovative technologies and business models.

9. **Professional development**: Banks invest in the professional development of their employees through training programs, certifications, and educational opportunities. These initiatives enhance employees' knowledge and skills, keeping them up-to-date with industry trends, regulations, and emerging practices.

By actively engaging in knowledge acquisition, banking institutions can gather insights from various sources and leverage that knowledge to drive innovation, improve customer experience, and maintain a competitive edge in the industry.

Knowledge Sharing: Banks promote knowledge sharing among employees through formal and informal channels. This can include training programs, workshops, seminars, internal newsletters, online collaboration platforms, and communities of practice. Encouraging knowledge sharing helps in disseminating best practices, lessons learned, and expertise across the organization.Knowledge sharing is a critical process in the banking sector as it enables institutions to leverage the collective expertise of their employees, enhance decision-making, and foster a culture of continuous learning. Here are some key aspects of knowledge sharing in the banking sector:

1. **Formal training programs**: Banks organize formal training programs to disseminate knowledge and skills across the organization. These programs cover a wide range of topics, including banking products, industry regulations, risk management, customer service, and leadership development. Training sessions may be conducted in-person, virtually, or through e-learning platforms.

2. **Communities of practice**: Banks encourage the formation of communities of practice, where employees with similar roles or interests can share knowledge, exchange ideas, and collaborate. These communities provide a platform for subject matter experts to share their experiences, best practices, and lessons learned. They can be facilitated through regular meetings, online forums, or knowledge-sharing platforms.

3. **Internal knowledge repositories**: Banking institutions create and maintain internal knowledge repositories or databases where employees can access information, documents, and resources. These repositories may include research reports, policy documents, procedural guidelines, case studies, and templates. Employees can contribute to these repositories by sharing their insights and documented experiences.

4. **Mentorship and coaching**: Banks foster mentorship and coaching programs to facilitate knowledge transfer from experienced employees to newcomers or less experienced colleagues. Seasoned professionals can provide guidance, share their expertise, and offer support to mentees. These relationships promote knowledge sharing, skill development, and career growth.

5. **Cross-functional collaboration**: Banks encourage cross-functional collaboration to facilitate knowledge sharing across different departments and teams. Employees from different areas of expertise collaborate on projects, share their knowledge, and learn from each other's perspectives. This interdisciplinary collaboration enhances problem-solving and innovation within the organization.

6. **Internal communication channels**: Banking institutions establish internal communication channels, such as intranets, newsletters, and collaboration platforms, to facilitate knowledge sharing. These channels enable employees to share updates, insights, success stories, and industry news. They also promote dialogue, discussions, and feedback among employees at all levels of the organization.

7. **Lessons learned and post-project reviews**: Banks conduct post-project reviews or lessons learned sessions to capture insights and experiences from completed initiatives. These sessions help identify successes, challenges, and areas for improvement. By sharing these lessons with the broader organization, banks can avoid repeating mistakes and replicate successful practices in future projects.

8. **Recognition and rewards**: Banks recognize and reward employees who actively participate in knowledge sharing initiatives. This recognition can be in the form of monetary incentives, performance bonuses, promotions, or public acknowledgement. By highlighting and valuing knowledge sharing, banks create a culture that encourages employees to contribute their expertise and experiences.

9. **External knowledge sharing**: Banking institutions also engage in external knowledge sharing by participating in industry conferences, seminars, and forums. They may present their own research findings, share insights on industry trends, and learn from other organizations' experi-

ences. These external interactions provide opportunities to benchmark against industry peers and gather insights from thought leaders.

By promoting and facilitating knowledge sharing, banking institutions can harness the collective intelligence of their employees, foster innovation, and enhance their overall organizational performance.

Knowledge Retention: Banks invest in systems and processes to capture, store, and retrieve organizational knowledge. This includes creating knowledge repositories, maintaining databases, and implementing knowledge management systems. By preserving institutional memory, banks ensure that valuable insights and lessons learned are retained, even as employees move within or leave the organization. Organizational knowledge retention is essential in the banking sector to preserve institutional knowledge, enable continuous improvement, and support decision-making. As banks deal with complex financial products, regulatory requirements, and customer expectations, maintaining a strong organizational memory is critical. Here are some key aspects of organizational memory and knowledge retention in the banking sector:

1. **Documentation and knowledge repositories**: Banks maintain documentation and knowledge repositories to capture and store critical information. These repositories include policies, procedures, manuals, reports, research, and best practices. By centralizing and organizing information, banks ensure easy access to relevant knowledge and prevent the loss of valuable insights and experiences.
2. **Lessons learned and post-project reviews**: Banks conduct post-project reviews and capture lessons learned to extract valuable knowledge from completed initiatives. These reviews identify successes, challenges, and areas for improvement, documenting the experiences and insights gained throughout the project lifecycle. The lessons learned are then shared across the organization to enhance future decision-making and avoid repeating past mistakes.
3. **Knowledge transfer and mentoring**: Banks promote knowledge transfer through mentoring programs and informal networks. Experienced employees with deep institutional knowledge mentor junior staff, sharing their expertise, insights, and lessons learned. This mentoring process facilitates the transfer of tacit knowledge, industry-specific skills, and best practices that are not easily documented.
4. **Succession planning**: Succession planning is crucial for knowledge retention in the banking sector. Banks identify key roles and individuals with critical knowledge and ensure a smooth transition when employees retire, resign, or move to other positions. Succession planning involves documenting key responsibilities, capturing knowledge, and facilitating knowledge transfer from outgoing employees to their successors.
5. **Continuous learning and professional development**: Banks prioritize continuous learning and professional development to ensure employees stay updated with industry trends, regulations, and best practices. Training programs, workshops, certifications, and industry conferences are utilized to enhance knowledge and skills. By investing in employee development, banks foster a learning culture that promotes knowledge retention and continuous improvement.
6. **Communities of practice**: Banks facilitate communities of practice, where employees with shared interests and expertise come together to exchange knowledge and collaborate. These communities provide a platform for employees to share experiences, discuss challenges, and seek solutions. By encouraging cross-functional collaboration and knowledge sharing, banks strengthen their organizational memory and foster innovation.
7. **Technology-enabled knowledge management systems**: Banks leverage technology to support knowledge management systems. These systems enable employees to capture, store, and retrieve information easily. Features like search functions, content tagging, and document management systems facilitate knowledge discovery and access. Technology also supports collaboration, knowledge sharing, and remote access to information, enhancing knowledge retention and accessibility.
8. **Retaining departing employees' knowledge**: When employees leave the organization, banks implement knowledge retention strategies to preserve their expertise. These strategies can involve conducting exit interviews, capturing critical information, and creating knowledge transfer plans. Knowledge transfer may include documenting workflows, processes, and customer insights, ensuring that valuable knowledge is not lost with the departure of employees.
9. **Continuous improvement feedback loops**: Banks establish feedback loops and mechanisms to capture insights, suggestions, and feedback from employees at all levels. These feedback loops provide opportunities for employees to share their knowledge, identify areas for improvement, and propose innovative ideas. Banks leverage this feedback to drive continuous improvement initiatives, refine processes, and enhance organizational memory.
10. **External partnerships and collaborations**: Banks collaborate with external entities such as industry associations, consultants, and research institutions to access external knowledge and expertise. Collaborating with external partners helps banks stay updated with industry trends, regulatory changes, and emerging practices. By tapping into external networks, banks enrich their organizational memory and gain valuable insights.

In summary, organizational memory and knowledge retention are crucial in the banking sector to preserve institutional knowledge, enable continuous improvement, and support decision-making.

Experimentation and Innovation: Banking institutions foster a culture of experimentation and innovation to encourage learning. They provide employees with the

freedom to explore new ideas, test innovative approaches, and learn from failures. This can involve setting up dedicated innovation labs, providing resources for prototyping, and implementing agile methodologies to enable quick iterations and learning cycles.Experimentation and innovation are crucial in the banking sector as they enable institutions to adapt to changing customer needs, technological advancements, and market dynamics. By embracing experimentation and fostering a culture of innovation, banks can drive new product and service offerings, enhance operational efficiency, and improve customer experience. Here are some key aspects of experimentation and innovation in the banking sector:

1. **Innovation labs and centers**: Many banks establish dedicated innovation labs or centers to focus on exploring new ideas, technologies, and business models. These innovation hubs provide a space for employees to experiment, collaborate, and develop innovative solutions. They often employ agile methodologies and design thinking approaches to drive rapid prototyping and iteration.
2. **Fintech collaborations**: Banks actively engage in collaborations with fintech companies to leverage their innovative solutions, technologies, and expertise. These partnerships can involve joint ventures, strategic investments, or incubator programs. Collaborating with fintech startups allows banks to tap into emerging trends, disruptive technologies, and customer-centric approaches.
3. **Digital transformation**: Banks are investing in digital transformation initiatives to enhance their agility and competitiveness. This involves leveraging technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), blockchain, and data analytics. By digitizing processes, automating tasks, and leveraging data insights, banks can streamline operations, improve efficiency, and deliver personalized customer experiences.
4. **Customer-centric innovation**: Banks are focusing on understanding and addressing customer needs through innovative solutions. They employ human-centered design methodologies to gain deep insights into customer pain points and develop customer-centric products and services. This approach involves close collaboration with customers, gathering feedback, and conducting usability testing to iterate and refine solutions.
5. **Open innovation and collaboration**: Banks are embracing open innovation by collaborating with external stakeholders, such as startups, academic institutions, and industry partners. Hackathons, innovation challenges, and collaborative platforms are used to solicit ideas and solutions from a wider ecosystem. This external collaboration brings fresh perspectives, fosters creativity, and helps banks tap into diverse expertise.
6. **Regulatory sandbox participation:** Regulatory sandboxes provide banks with a controlled environment to test innovative products, services, and business models in collaboration with regulators. These sandboxes allow banks to experiment with new technologies and approaches while ensuring compliance with regulatory requirements. It enables faster innovation and helps regulators understand emerging risks and opportunities.
7. **Continuous learning and improvement**: Banks encourage a culture of continuous learning and improvement, where employees are empowered to experiment, learn from failures, and iterate on ideas. This can involve setting up internal innovation challenges, idea generation platforms, and providing resources for professional development. Regular feedback and performance evaluations help identify areas for improvement and foster a growth mindset.
8. **Risk management and compliance**: While embracing experimentation and innovation, banks prioritize effective risk management and compliance. They have robust processes in place to assess and mitigate potential risks associated with new products, technologies, and business models. Compliance teams work closely with innovation teams to ensure adherence to regulatory requirements and security standards.
9. **Strategic partnerships**: Banks form strategic partnerships with technology providers, industry experts, and other financial institutions to accelerate innovation. These partnerships can involve joint ventures, data sharing collaborations, or consortiums. By pooling resources, expertise, and market insights, banks can tackle complex challenges and drive industry-wide innovation.

By embracing experimentation and fostering a culture of innovation, banking institutions can stay ahead in a rapidly evolving industry. Experimentation and innovation enable banks to deliver new and improved products and services, enhance customer experience, and drive operational efficiency.

Conclusion: By integrating knowledge acquisition, sharing, retention, and experimentation and innovation, banks create a dynamic learning environment. This enables them to stay abreast of industry developments, leverage internal and external expertise, apply lessons learned, and drive continuous improvement. Organizational learning in the banking sector not only enhances the performance and efficiency of banks but also enables them to better serve their customers, navigate regulatory challenges, and embrace new opportunities in a rapidly evolving financial landscape.

In summary, organizational learning in banking institutions involves knowledge acquisition, sharing, experimentation, innovation, performance evaluation, learning from failures, collaboration, external partnerships, and knowledge retention. These practices enable banks to adapt, grow, and enhance their competitiveness in a rapidly changing industry.

References:-

1. Argote, L., & Miron-Spektor, E. (2011). Organizational learning: From experience to knowledge. Organization Science, 22(5), 1123-1137.

2. Borini, F. M., Fleury, M. T. L., & Fleury, A. C. C. (2016). Organizational learning in the Brazilian banking industry: A study of successful experiences. RAE-Revista de Administracao de Empresas, 56(4), 384-397.
3. Chiva, R., & Alegre, J. (2009). Investment in innovation, reputation and organizational learning in hospitals. Technovation, 29(11), 735-744.
4. Kim, D. H., & Senge, P. M. (1994). The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for building a learning organization. Currency Doubleday.
5. Liao, S. H., Fei, W. C., & Liu, C. T. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation. Technovation, 28(4), 183-195.
6. Pervan, M., & Malovic, M. (2014). The impact of organizational learning on performance in the banking sector: Evidence from Croatia. Organizacija, 47(4), 257-266.
7. Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday/Currency.
8. Sun, H., & Du, F. (2019). Organizational learning, service innovation, and competitive advantage in the banking sector. Journal of Business Research, 103, 430-439.
9. Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185-203.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

An Empirical Study of Strategic Human Resource Management for Academic Quality of Higher Educational Institutions in Madhya Pradesh

Subodh Shukla* Dr. Parag Dubey**

*Research Scholar, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA
** Professor, NITTTR, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - According to the government's National Education Policy 2020 (MHRD, National Education Policy, 2020), higher education should be completely redesigned. Industry 4.0 is becoming more prevalent in Indian industries. In a variety of fields where HEIs could make a substantial contribution, the Indian government launched national missions. The current higher education system is traditional and unprepared to meet the problems that are put before it. The HEIs are institutions with a focus on academic services. They should be able to provide academic services in an effective, efficient, productive, and creative manner.

Only when the institute has well-designed and implemented SHRMPs are this achievable. The main players who require training and development to embrace and overcome obstacles, challenges, and problems in order to realize the NEP 2020 and industry 4.0 vision are educational leaders and faculty members. More than 2 million faculty members and educational administrators work in the country as a whole. In this essay, concerns, issues, and challenges facing higher education institutions are discussed, along with solutions to these issues. A brief description of the strategic approach to SHRMPs is given. A few important suggestions are provided in the end.

Keywords: Industry 4.0, National Education Policy 2020, Strategic Human Resource Management Practices, Higher Educational Institutions.

Rationale: The NEP 2020 envisioned top-notch colleges and institutions for the country's economic growth and sustainable way of life. The goal of higher education is to produce decent, intellectual, well-rounded, and creative people. Higher education must be of a caliber that promotes individual success and enlightenment, positive civic involvement, and beneficial societal contribution. According to the Ministry of Human Resources and Development's 2020 National Education Policy, it must equip students with the skills necessary for fulfilling careers and more fulfilling personal lives. Therefore, the goal of quality higher education goes beyond the development of more employment prospects for the individual. It stands for the secret to a more alive, socially active and cooperative society as well as a happier, more unified, cultured, creative, inventive, forward-thinking, and prosperous country. With the assistance of internal and external stakeholders, educational leaders and faculty members will realize higher education's vision, purpose, and goals.

Current HEI Problems, issues and challenges

NEP 2020

Industry 4.0

Reengineering of Hels and Radical change

SHRMPs:

1. Developing educational leaders.
2. Developing competency framework for leaders and faculy members.
3. Developing national level selection mechanism.
4. Inductiong the educational leaders and faculy members.
5. Training and retraining.
6. Mentoring, coaching, guiding and counselling
7. Establishing performance appraisal and development system
8. Undertaking potential appraisal
9. Deploying and redepolying the educational leaders and faculy members.

Figure 1. SHRMPs their Role and Outcomes in the Context of NEP 2020

Objectives:

1. To discuss the issues and challenges of higher education.
2. To find out the strategies to overcome issues and challenges of Higher Education through SHRMPS.
3. To discuss overcoming different regulatory systems and a different pace of change.

Research Methodology: This research paper is based on

the secondary data, which has been collected from various journals, books and different websites.

Issues and Challenges of Higher Education: Development of academic leaders and faculty to plan and carry out the radical change anticipated in NEP 2020 and meet industry requirements 4.0: There are 10725 stand-alone institutions, 993 universities, and 39931 colleges in India, according to the All India Survey on Higher Education (AISHE) 2018–19 (MHRD, All India Survey on Higher Education 2018–19, 2019). HEIs employ more than 2.0 million traditionally raised and educated faculty staff. They might have the skills necessary to effectively plan, carry out, and assess educational programs that are multidisciplinary and interdisciplinary enough to take into account several policy provisions in the framework of NEP 2020These professors and educational leaders, who are expected to restructure the nation's higher education system, must be trusted by the educational system. The first major concern is who will train and equip leaders and academic staff to plan and carry out the significant changes anticipated by NEP 2020. How will faculty members and leaders be trained in the lowest amount of time?

Mechanism for fulfilling the competency gap on ongoing bases: There is a disparity between the skills needed to bring about significant change in the educational system and HEIs and the skills that current educational leaders and faculty members currently possess. Many skills that are very novel for conventional leaders and faculty members (such as vocation education, professional values, using blended learning, working in multidisciplinary teams, digitization of educations, innovative approach in functioning, developing and using e-content, sustainability, safety, tech-savvy, block chains, smart boards, handheld computing devices, adaptive computer testing, use of educational software and hardware, and use of augmented reality) in the field of education The demand for educational programs in new domains of several disciplines, such as artificial intelligence, 3-D printing, big data analysis, machine learning, biotechnology, and nanotechnology, is expected to increase in the future. Traditional leaders and academics lack the skills necessary to implement NEP 2020 and industry 4.0 rules. Due to their age, technology, habits, and attitudes, leaders and faculty members lack some competences that can be learned. Second, who will cover the skill gap and how will it be filled consistently for such a large number of leaders and faculty members?

Transformation of the education system:
In the near future, the entire educational system—both its regulatory and operational components—will change to better meet the evolving demands of society, companies, and students. Due to its complexity, people's laziness and lack of awareness, technology's adaption, and frequent, incremental, and integrated changes, the education sector's transformation process is extremely slow. The third major concern is how, and who will transform, the system will become adaptable, adoptable, productive, innovative, and evolving through time.

Strategies for reskilling and upskilling the massive workforce: In order to develop a broad range of skills (core skills, life skills, learning to learn skills, thinking to think skills, creative skills, interpersonal skills, use of software and program for various processes and purposes, and similar), the workforce needs to be equipped with industry 4.0 skills. This requires awareness, education, and training on a continuous basis. The workforce also has to be motivated, engaged, and encouraged. How will HEIs meet the challenge of educating and preparing the nation's workforce through ongoing education, training, and development programs is the major concern number seven?

Overcoming different regulatory systems and a different pace of change: There isn't a single university in the county that can guide other schools there to reach the level envisioned in NEP 2020 (Multidisciplinary Education and Research University). Despite higher education appearing on several concurrent lists, each state has its own system for regulating and governing it. State governments go through a slow process of change, and various states experience change at varying rates for a variety of reasons. How can we get past the varied regulatory frameworks and varying rates of change, which is the eighth major problem?

Strategies to Overcome Issues and Challenges of Higher Education through SHRMPS: At the regulatory level and the institute level, significant solutions to the problems must be developed. The plans must be created and put into action in a way that addresses the problems and produces results quickly.

Creating educational leaders capable of resolving issues, addressing problems, embracing challenges, and creating a vision: To assist the HEIs in realizing their mission, regulatory leaders at the national and state levels must be developed. In the framework of NEP 2020 (Autonomous college, multidisciplinary university) and industry 4.0, it is necessary to cultivate leaders for the administration and management of the institute as well as to create or improve the institute's vision, mission, and goals. On the subject of the institute's horizontal and vertical expansion and growth, educational leaders must think creatively and flexibly rather than in a conventional way. People in their middle years who have both academic and practical expertise with Industry 4.0 can think creatively. Visionary, transformative, change-agent, motivators, and image-builders are necessary traits for educational leaders. When designing and successfully implementing the creative change, they should be able to accept a high level of risk. The institute should adopt industry 4.0 technologies, according to the leaders. Except for the recently launched Leadership for Academicians Program (LEAP), which aims to prepare second tier academic heads who may eventually

assume leadership roles, there are currently no such standard and benchmarked programs available at the national level to train and develop education leaders. Such initiatives must be created in a novel setting, and future educational leaders must be mentored. At the national level, there will be thousands of these leaders.

Building the leadership, academic, and other employees' competency frameworks: It is necessary to create a competency framework for educational administrators, faculty, and staff taking into account the current and future needs of human resources at the national level. The NEP 2020 and industry 4.0 contexts, as well as present and future skill requirements, must be taken into account when developing the competency framework. It is possible to undertake a thorough research study that includes role and competency analysis for the future. Employer surveys, judgmental groups, projective approaches, large data analysis, and creative tools like brainstorming and Delphi groups must all be used. Strategic human resource management procedures in HEIs should be documented and based on the competency framework.

Creating a recruitment and selection process at the national level: The national testing agency (NTA) may be used to build national-level recruiting and selection methods. The recruiting and selection process, which is based on the present-day and foreseeable future competency requirements, needs to adapt. To guarantee a minimal standard of quality in human resources, at least at the level of leaders and academic positions, the HEIs should be allowed to choose from the competent individuals through this method. Experience should be a requirement for selection in this process and should be based on the display of competences and qualifications.

Introducing the academic authorities and faculty: In order to maintain the culture of innovation, interdisciplinary, cross-disciplinary, and multi-disciplinary education, research, and quality services, it is necessary to effectively indoctrinate educational leaders and faculty members into the current context. Artificial intelligence, big data analytics, block chain technology, information communication technology, online education platforms, tools, and approaches are skills that leaders and faculty members must possess. The institute should undergo fundamental changes, and the induction of leaders and academic members should reflect such changes. The professors and leaders should collaborate with the industry 4.0 environment in an integrated way. They should be encouraged to upgrade their skills as part of the induction program so they can take on higher-level responsibility as program designers for blended and online learning. The Guru-Dakshta Faculty Induction Program (FIP) of the UGC from 2019 needs to be evaluated in light of NEP 2020. Similar to this, NEP 2020 must be assessed in light of the recently announced AICTE faculty induction program and mentorship program (AICTE, A Comprehensive Training Policy for Technical Teachers, 2018) (NITTTRs, 2020).

Creating a PADS at the HEI Level for performance evaluation and development: A performance evaluation and development system that incorporates NEP 2020's requirements for creativity, innovation, multidisciplinary, research, innovative teaching, blended learning, and digitization is required. The PADS should be plan-based, objective, dynamic, and time-adaptive because it will change along with the revolutionary shift. It must be straightforward, specific, honest, and both numerically and qualitatively quantifiable. 360 degrees is required. With benchmarks in each criterion and parameter, just one planning format needs to be created in order for it to serve as everyone's planning, monitoring, motivating, and assessing tool. To fully utilize the performance appraisal and development system, it is necessary to analyze performance at the institute level and make corrective and preventive actions at the level of institute systems (Thanikachalam, 2005). (Gupta, 2011).

At the institute level, there is currently a performance evaluation system based on an academic performance indicator (API) that serves as guidelines with a specific objective. There isn't a clear process in place for using the appraisal data to make SHRM decisions. The current PADS is static; in light of NEP 2020 and industry 4.0, it must be dynamic.

Findings:

1. Except for the recently launched Leadership for Academicians Program (LEAP), there is no such standard and benchmarked program available at the national level to train and develop the leaders in education.
2. At the institute level, there is a performance evaluation system based on an academic performance indicator (API) that serves as guidelines with a specific objective.
3. The NEP 2020 contains a lot of goals that can't be attained by academic members and school administrators who are regularly chosen.

Suggestions:

1. An SHRM cell should be constituted in each HEI to effectively manage SHRMPs in the changing context.
2. SHRM cell should take a lead to design innovations, interventions, educational research studies.
3. SHRM cell should guide the institute to prepare an institute development plan incorporating the provisions of NEP 2020 and industry 4.0
4. SHRM cell should guide individual leaders, faculty members, and teams to prepare performance and self-development plans based on an institute development plan in the context of NEP 2020 and industry 4.0

Conclusion: In HEIs, roles like curriculum developer, admission coordinator, coordinator of SHRMPs, coordinator of digitization, coordinator of mentoring, coordinator of examinations, change agent, coordinator of industrial relationships, coordinator of entrepreneurship development,

coordinator of incubation cell, coordinator of use of education technology, and similar roles need to be performed using a standard set of competencies.

In light of the vision for NEP 2020 and industry 4.0, the regulations governing recruiting, selection, retention, promotion, and retrenchment need to be modified. The NEP 2020 contains a lot of goals that can't be attained by academic members and school administrators who are regularly chosen.

The pay for academic administrators and faculty members ought to be distinct from the standard pay for other positions. In order to attract and keep competent faculty members and educational leaders in the system, remuneration should be revised at the federal level (Alwiya Allui, 2016).

References:-

1. AICTE. (2010). Recruitment Rules. All India Council for Technical Education, New Delhi.
2. AICTE. (2018). A Comprehensive Training Policy for Technical Teachers. All India Council for Technical Education, New Delhi.
3. Alharthey, B. K. (2011). Key Role of Strategic Human Resource Management (SHRM) in Advancing the Degree of Team Learning. African Journal of Business Management, 5(26), 10446-10451.
4. Alwiya Allui, J. S. (2016). Strategic Human Resource Management in Higher Education Institutions Empirical Evidence from Saudi,. Paper Presented in 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, (pp. 28-30). Turkey.
5. Bataille, G. M. (2006). Faculty Career Paths: Multiple Routes to Academic Success and Satisfaction. Rowman & Littlefield Publishers.
6. Çaliskan, E. N. (2010). The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance. Journal of Naval Science and Engineering, 6(2), 100-116.
7. Cam Caldwell, V. A. (2018). Strategic Human Resource Management. Nova, Science Publishers, New York.
8. Gupta, B. L. (2011). Excellence through Performance Appraisal (First ed.). India: Concept Publishing Company, New Delhi.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

राजनीति और प्रशासन में युवाओं की सहभागिता

डॉ. शिल्पा राजपूत *

* (राजनीति विज्ञान) 9, नेता जी मार्ग, केवल पार्क, आजादपुर, दिल्ली, भारत

प्रस्तावना – 21वीं सदी लोकतंत्र, मानवाधिकारों, मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की सदी है। इसमें जनहित व जनकल्याण, जनस्वतंत्रता और सहभागिता महत्वपूर्ण मुद्दे है। जो लोकतंत्र को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते है। लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीतिक जागरूकता, ज्ञान, अभिरूचि, राजनीतिक मानको और मूल्यों के प्रति सकारात्मक विश्वास व सक्रिय राजनीतिक सहभागिता नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है। वस्तुत: युवाओं की सहभागिता राजनीतिक सामाजीकरण एवं संस्कृति के स्थायित्व निरंतरता, राजनीतिक व्यवस्था के संचालन एंव गतिशीलता तथा उसके प्रति समर्थन व विष्वास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अत: युवाओं की राजनीति व प्रशासन में सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

राजनीतिक व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है जो किसी देश के शासन से संव्यवहार करती है और लोगों से इसका संबंध प्रकट करती है। राजनीतिक कुछ मूल सिद्धांतों का समुच्चय है जिसके चारों तरफ राजनीति व प्रशासन विकसित होता है। या देश को संचालित करने हेतु संगठित होता है। राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे तरीके भी शामिल होते हैं जिसमें शासक चुने या निर्वाचित किये जाते हैं, प्रशासन का निर्माण होता है। समाज में राजनीतिक पारस्परिक विमर्श तथा निर्णय निर्माण की संरचना एवं प्रक्रिया सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था में समाहित होते है। व्यक्ति की बहुविविध जरूरतों की पूर्ति राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है।

हम सब जानते है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। आज भारत में दूसरे देशों से सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। युवा वर्ग वह वर्ग होता है, जिसमें 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। आज भारत देश में इस आयु के लोग सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। यह एक ऐसा वर्ग है। जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो देश और अपने परिवार के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करते है। आज भारत देश में 75 प्रतिशत युवा पढ़ना लिखना जानते है। आज हमारे देश ने अन्य देशों की तुलना में अच्छी प्रगति की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। आज भारत का हर नागरिक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं परंतु खेद इस बात का है कि आज का युवा भले ही कितना ही शिक्षित हो गया हो परंतु अपने संस्कार व देश और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दिन प्रतिदिन भूलता ही जा रहा है। हमारे देश का युवा वर्ग ऊंचाइयों को छूने वाली जड़े वह स्वयं खुद काट रहा है।

एक नयी क्रांति के लिए हमारे देश का युवा वर्ग तत्पर है। लेकिन अफसोस की बात है कि युवा भारत में अपना योगदान देने की बजाय विदेशों में जाकर बस जाता हे। 16वीं लोकसभा के आकड़े भी बताते है कि इस लोकसभा में 543 में से केवल 70 सासंद ही 40 वर्ष से कम आयु के थे। मतलब के 12.89 प्रतिशत और बाकी 87 प्रतिशत 40 वर्ष से अधिक के थे। जबकि भारत की 17 प्रतिशत आबादी 40 से कम की है। 67 प्रतिशत युवा जनसंख्या का ससंद में 12.89 प्रतिशत लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहीं 33 प्रतिशत जनसंख्या का संसद में 87 प्रतिशत प्रतिनिधित्व था।

भारत में युवा ही राजनीति में है। बाकि वृद्ध लोगों का ही बोलबाला है। राजनीति में देश प्रेम की भावना की जगह परिवारवाद, जातिवाद और सम्प्रदाय ने ले ली है। यही वजह है कि भारत के युवा अब इस देश को अपना न समझ कर दूसरे देशों में अपना आशियाना खोज रहें हैं वे यहां की भ्रष्ट राजनीति से दूर रहना चाहते है। इसलिए वे कोइ भी ठोस कदम उठाने से पहले कई-कई बार सोचते है। यहां तक की भारत में वोट डालने वाले युवा को अपने चुन हुए उम्मीदवार पर तक भरोसा नहीं होता है। इसके विपरीत युवा मतदाता को बिना किसी बहकावे में आए और जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि से ऊपर उठकर ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो जन-सेवा व लोक निर्माण के रास्ते पर चलने वाले हो। युवाओं को अपने बुजुर्ग कभी युवा थे।

1. नवयुवकों का राजनीति में आना आवश्यक है तभी राष्ट्र का विकास सम्भव होगा, युवा वर्ग ही राष्ट्र आगे ले जा सकता है।
2. समय की जरूरत है कि आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा वर्ग राजनीति में आए और शिक्षाविद् दिशा निर्देश दे ताकि वह राष्ट्र का विकास कर सके।
3. राष्ट्र विकास के लिए नेताओं का ऊंचा व्यक्तित्व होना जरूरी है।
4. राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए युवाओं की भागीदारी अहम है।
5. पंरपरागत राजनीतिक दलों के भावनात्मक आह्वान की तार्किक विवेचना युवाओं को करनी चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा का दुरूपयोग न हो सके।
6. नवयुवकों को चाहिए कि वे सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निर्धारित करे।
7. राजनीतिक विचारधाराओं का आलोचनात्मक अध्ययन युवाओं को करना चाहिए तथा उसकी समाज व देश में भूमिका या उपयोगिता का मूल्यांकन करना चाहिए। युवा भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे।

8. सूचना के अधिकार के प्रति जागरूक होकर सामाजिक व आर्थिक विकास पर नजर रखनी चाहिए। अपने विचारों व सुझावों से जन प्रतिनिधियों को अवगत कराएँ।
9. सरकार को युवाशक्ति का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए।
10. तेजी से बढ़ती बेरोजगारी की तरफ ध्यान देना चाहिए।
11. नवयुवकों को पाश्चात्यीकरण से बचना चाहिए।
12. युवकों को देश का भविष्य ध्यान में रखते हुए ही राजनीतिक पार्टियों से जुड़ना चाहिए।
13. देश और समाज के भविष्य को ध्यान में रखकर ही मतदान करना चाहिए।

समाज आज राजनीति को अछूत जैसी नजर से देखता है। आज राजनीति को अछूत जैसी नजर से देखता है। आज अपने घर में लोग बच्चों को पढ़ाते है और उन्हें कई तरह के व्यावसायिक कार्य जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रषासनिक अधिकारी बनाना चाहते है। कोई भी माता-पिता या परिवार अपने बच्चों के यह नहीं कहता की मेहनत करे पढ़े। तुम्हें राजनीति में जाना है, समाज को अपनी ये सोच बदलनी होगी। भारत आज युवा शक्ति के मामले में दुनिया में सबसे अधिक समृद्ध है। विकास की दृष्टि से देखे तो भारत युवा शक्ति से परिपूर्ण है तथा अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। एक नयी दिशा प्रदान करता है। यह स्वप्न तभी पूरा किया जा सकता है जब राजनीतिक दल युवाओं को प्राथमिकता देगें। युवाओं को मौका देंगे और युवा विकास एजेटा तय करने के लिए अपने आपको देश और राजनीति को समर्पित करेगा।

आज भारत का हर नागरिक भलीभांति अपना अच्छा बुरा समझता है। युवाओं को सम्प्रदायवाद तथा राजनीति से परे अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। युवाओं को इस मामले में एकदम सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और ऐसी किसी भी भावना में न बहकर सोच समझकर है जो सच में इस मामले में एक है और ज्यादातर युवावर्ग राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान रहा है यह एक अच्छी और सकारात्मक बात है जो भारत जैसे देश के लिए बड़ी बात है। और भी चीजें है जैसे बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में जगह पाने के लिए रिश्वत जैसी बात भी कारण है युवा को देश से दूर करने के लिए। इसीलिए हमें समय-समय पर अपने युवाओं का मार्गदर्शन करना होगा। जिससे कि वे सही गलत में पहचान कर सके तथा अपने देश को आगे तथा तरक्की के मार्ग पर ले जाने में सहयोग प्रदान कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

A Comprehensive Study of the Practical Aspect of Geography: A Context of Field Survey

Dr. Mamta Verma*

*Professor (Geography) Government College, Mania, Dholpur (Raj.) INDIA

Abstract - Geography is a study that attempts to bring science, climatology, horticulture, biology, economics, demography and sociology into some sort of equilibrium. Geographical theory often matches some locations but is pure rubbish e situations. EgChristallier's Central Place Theory makes perfect sense in Rhineland agricultural village societies but becomes pure rubbish in Desert mining environments. Field work allows Geography students to apply theories they have learnt to the existing world and in doing so they may well change the theory.Surveying is the art of determing the distinct features on the surface of earth relative with the hight and elevation. Surveying is the process to determining the relative positions of different objects on the surface of the field or earth by measuring the horizontal distances between them, and by plotting or preparing a map to any suitable scale.

A geographer studies the physical nature of the earth, its atmosphere, and the effect of the human activity on it.Today, geography is an extremely broad discipline with multiple approaches and modalities. There have been multiple attempts to organize the discipline, including the four traditions of geography, and into branches. Techniques employed can generally be broken down into quantitativeand qualitativeapproaches, with many studies taking mixed-methods approaches. Common techniques include cartography, remote sensing, interviews, and surveys. The findings reveal that geography is the study of the diverse environments, places, and spaces of Earth's surface and their interactions. It seeks to answer the questions of why things are as they are, where they are. The modern academic discipline of geography is rooted in ancient practice, concerned with the characteristics of places, in particular their natural environments and peoples, as well as the relations between the two. The study discusses in detail the practical aspect of Geography without which the understanding of Geography is impossible.

Keywords: Practical, Surveying, Fieldwork, Tool, Theories.

Introduction - Geography is a science which meets its completion through both theory and practice. For a geographer, it is essential to be familiar with the theoretical framework of geography, and to excel in making practice of what the various theories say. Without practical work, the understanding of geography is impossible. The practical aspect of geography covers several things within it. Some of them are being discussed in the headings on the various pages than follow.

Survey: The most important tools depend entirely upon the purpose of the survey.If you are doing a geodetic survey, you will want good quality GNSS instruments and have good adjustment and error analysis tools to hand.A survey of property boundaries may be better undertaken with a total station as the central instrument. An engineering survey may use similar instruments, or may not, depending on the requirements.A topographic survey may be best achieved using an aerial imaging system or airborne LiDAR as the core tool.A deformation survey could use a wide range of possible tools and instruments, depending upon the exact form of the survey.Even for a specific type of survey, the conditions may vary enough to allow alternatives. So a boundary survey can be done using RTK GNSS. As surveying is primarily about determining location, instruments that assist with this tend to be central to what you're doing.

Surveying and Its Importance: Surveying is an important field of geoinformatics because it provides the foundational data needed for many other geospatial activities. Surveying involves the measurement and mapping of the Earth's surface and features, such as land boundaries, elevations, and structures. This data is used in a wide range of applications, such as land-use planning, engineering and construction, environmental management, and emergency response.It is also important to note that surveying has been around for centuries and has been used to measure and map the earth's surface for a variety of reasons. In the past, surveying was primarily used for land ownership and boundary disputes, but today it is used in many other applications, such as mapping and monitoring natural

resources, planning and designing infrastructure projects, and managing natural disasters.In summary, surveying is an important field of geoinformatics because it provides the foundational data for many other geospatial activities, and it has been used for centuries to measure and map the Earth's surface for a wide range of applications.

A survey is an approach to a problem-solving agenda with a research methodology. Basically, when talking about surveying, we could have multifarious questions, depending upon the nature of the survey.

Learning about the demography: Demography of an opinion and development can be measured and somewhat quantified with the help of a survey.

Measuring the behaviors and preferences: Through a survey, you can identify the behaviors and attitudes of a population, towards a notion or an ideology.

Space for improvement: By taking up an official survey or feedback survey, you could get first-hand responses for your services, and further you can work on improving them as per the ratings and reviews

Different Types of Surveying Based on the instruments

1. Theodolite Surveying
2. Tacheometric Surveying
3. Plane table Surveying
4. Chain Surveying

Simply, chainage is nothing except the measurement using the chain. Here, by the word chain is meant to series i.e. it may be chain of measuring tape or a series of measuring chain itself.Chainage is the horizontal distance as measured along a combination of curves and straight lines (curvilinear) between two points. This term is usually used in conjunction with route surveying along the survey control line of right of way maps. It is often referred to as Stationing.The Point of Beginning of the line is usually denoted as 00+00 (The Starting Point) with stationing at least every 100 feet along the line denoted as 1+00 (for 100 feet)…2+00 (for 200 feet)…3+00 (for 300 feet), etc. where the first number represents the number of 100 foot stations and the digits after the (+) sign represent any remaining portion less than 100 feet.In surveying,chainage is the measurement of horizontal or curvi-linear path between two points on the surface of earth. It is written as 0+ 000 m where the first 0 is in kilometer and later one is in meter itself. It clearly denote the distance between two points.

1. Compass Surveying
2. Aerial Photographic Surveying
3. Remote Sensing

Surveying is the practice of measuring and mapping the Earth's surface and its features. It plays a crucial role in various fields such as construction, engineering, land development, and mapping. Basics of surveying was to determine metes and bounds of a certain parcel of land. Here are the basics of surveying:

Purpose and Objective: Clearly define the purpose and objective of the survey. Determine what information or data you need to collect and why.

Research and Planning: Conduct research on the survey area to gather existing data, maps, and records. Plan the survey by identifying the boundaries, points of interest, and required accuracy.

Survey Equipment: Choose the appropriate survey equipment based on the survey requirements. Common surveying instruments include total stations, GPS receivers, levels, theodolites, and surveying software.

Control Points: Establish control points that serve as reference markers for the survey. These points have known coordinates or elevations and are used to align and position other survey measurements.

Field Work: Conduct fieldwork by physically measuring and collecting data on the ground. This involves using surveying equipment to measure distances, angles, elevations, and other relevant information. Techniques may include traversing, leveling, GPS positioning, or other specialized methods.Field surveys enhance our understanding about patterns and spatial distributions, their associations and relationships at the local level.

Data Analysis: Process and analyze the collected survey data. This may involve adjusting measurements, calculating coordinates, and performing computations to derive accurate results.

Mapping and Visualization: Create maps, plans, and visual representations of the survey data using computer-aided drafting (CAD) software or specialized surveying software. This step helps in interpreting and presenting the survey results.

Reporting: Prepare a survey report summarizing the methodology, findings, and conclusions. Include any limitations or sources of error in the survey process.

Quality Control: Ensure the accuracy and reliability of the survey by conducting quality control checks and verifying the results against established standards or benchmarks.

Legal Considerations: Be aware of legal requirements and regulations related to surveying, such as land boundaries, property rights, and local ordinances. Consult with legal professionals if necessary.

It's important to note that surveying can be a complex field, and specialized knowledge and skills may be required for specific surveying applications.

Field Survey in Geography: Field survey is an important method of geographical enquiry because it allows researchers to collect data in the natural environment, where the phenomena they are studying occur. This is important because it ensures that the data collected is accurate and relevant to the research question being studied. Field survey also allows researchers to observe and interact with the people and places being studied, which can provide insights that are not possible through other methods of data collection. Additionally, field survey allows researchers to collect data in real-time, which is important for studying

dynamic processes and phenomena. Overall, field survey is a valuable method of geographical enquiry because it provides researchers with the ability to collect accurate, relevant, and timely data in the natural environment.

Field surveying allows the geographers to determine the spatial location of objects and phenomena in the landscape. Geographical enquiry is concerned with relationships in the landscape, which includes spatial relationships, relationships between physical location and attributes, and topological relationships. GIS is a great tool which is being used for the field surveys across the world.

If you consider GIS as a tool to support geographical enquiry, regardless of the particular field within geography, then GIS needs data to operate. Some of these data are available from other sources, but they all have a connection back to field surveying. You may even have to collect data in the field yourself, in order to get necessary data for the analysis. All maps had field survey as part of their control and ground-truthing. All census data data has a spatial location, whether it is the CD, postal code, or region level of aggregation. Travel necessarily happens in space and time. Crops grow in certain locations. Minerals are extracted at specific locations, processed at other locations, and moved to other areas that need the processed products at different locations again. Land parcel boundaries are a common way to designate land and phenomena, and are critical in land management. All these things were surveyed in the field at some point.

Objectives of the Study:

1. To throw light on the practical aspect of geography
2. To discuss in detail surveying and field survey

Hypothesis:

1. Geography is based on practice work
2. Field survey is the core of geographical studies and works
3. Without the practice, geography cannot be understood

Related Literature Review

'First, field trips should be integrated into the geography curriculumto enable students acquire first-hand experience. Field trips on relevant topics should be made compulsory with fundingfrom the government. Second, schools should be supplied with the needed teaching aids or resources which would makegeography lessons more practical than theoretical. Teachers should be supplied with technological tools such as laptops,projectors and videos of relevant topics to stimulate the interest of students during geography lessons. Teachers are alsoencouraged to resort to more innovative ways of teaching geography to make certain topics easy to understand. Third,topics learnt in geography lessons should be reviewed to address the issue of the voluminous nature of geographycontent. As reckoned by Al-Nofli (2010), there is the need to review the geography curriculum in order to identify topicsthat receive a considerable emphasis at the expense of other important topics and also avoid trivial topics that hinderenjoyment of learning geography. Fourth, while admitting that the scope of geography is broad, splitting it into threedifferent elective subjects or adopting aspect specialisation as suggested by the students will make it harder for them tounderstand and appreciate the human-environment connections or the role geographic techniques play in the study ofhuman and environmental systems. It is therefore recommended that students who read geography should not be loadedwith too many other elective subjects so as to allow them have adequate time and greater mastery of geographyconcepts. Thus, students who read geography should be given at most two other elective subjects in addition to the fourcompulsory or core subjects. Finally, while this study focused on the general perceptions of geography, the studyrecommends that further research be made into how students perceive employability prospects in geography and howthose perceptions influence their attitudes towards geography.'[1]

'Geographical information systems (GIS) are used extensively by environmental planners, government departments, public utilities and commercial companies. GIS have the ability to store, retrieve, manipulate and analyse a wide range of spatially related data. GIS are the ultimate mapping tool, and a major element in geographical fieldwork. The Multimap website has good potential for use in fieldwork. It can show, for instance how a vertical aerial photo relates to a map. Quickmaps allows the user to draw pictures and label features on a Google map using simple clicks and drags which can be linked to any location in the world. Global positioning systems (GPS) technology can be useful in fieldwork. Data can be recorded at points along a trail, transect or other sampling system and the position of each point can be recorded at the same time.'[2]

'Traditionally, applied aspects of human geography are mainly associated with economic geography, regional development and spatial planning. In the debate on the application potential of the discipline, a number of important problems of social, political and cultural geography, relevant to various contemporary processes on a global and regional scale, are marginalized. For this reason, the author undertakes a critical rethinking of the current debate on the applied aspects of research in human geography. A brief review of the conceptual and institutional development of applied geography in the world and in selected national schools is made. The author also distinguishes two research orientations: 1) strategic orientation – connected to studies carried out at the international, national and macro-regional spatial levels; 2) operational orientation – concerning applied studies undertook on a scale of separate municipalities, cities, neighbourhoods or even separate streets and buildings. Taking an attempt to overcome the narrow understandings of the frameworks of applied human geography, the author presents a new definition and tries to identify the main challenges for geographers that work in the field of Human Geography. Applied aspects of basic directions of human geography from the point of view of

their broader interdisciplinary ties are also indicated.'[3]
'Approaches to fieldwork vary greatly among departments in terms of structural, organizational, and financial aspects. Although some components of fieldwork are integrated into the curriculum, fieldwork is mostly done unsystematically and in traditional ways, such as field trips and field teaching, often without specifying learning outcomes or involving data collection. Fieldwork needs to be more scientific, done more systematically and better integrated into the undergraduate curriculum.'[4]

'The fieldwork was perceived tobe more interesting, improved concentration and made the topics more memorable thanclass-based activity. Understanding of the subject was enhanced by seeing real-lifeexamples, which reinforced the theory covered in the lecture programme: "the fieldtripenhanced my understanding of what I know", "made stuff real". Landscape interpretation,through means of the geomorphological sketch, was considered to be the key geographicalskill developed. No specific transferable skills were identified as having been developedby this fieldtrip. Students welcomed the opportunity the trip provided to get to know oneanother as well as their lecturer.'[5]

Methodology: The present study, though emphasizes the significance of practical aspect of geography, was carried out theoretically. All the steps from selection of the problem down to generalization and conclusion were rigidly observed. For the study, some of the previously made studies in the field of geography were considered for review making which led the author to develop the subject of study through the prescribed steps and to arrive at a conclusion about the importance of the practical aspect of geography which chiefly involves field survey.

Conclusion: Geography is a study of earth and the human interaction with it. And a geographer is the one who find out each and every aspect of the interaction between the nature and the human.

Surveying is an important tool in data collection, as it can help to identify trends, identify issues, and make informed decisions. There are a number of important tools and instruments that can be used in surveying, and each has its own advantages and disadvantages.The basics of surveying are essential for every fieldwork in Geography. Surveying involves measuring and mapping the land or any other physical features of a specific area. It provides accurate data that is crucial for planning and designing various construction projects.

Fieldwork: Surveyors often start by conducting fieldwork, which involves physically visiting the site and using specialized equipment to measure distances, angles, and elevations.

Instruments: Surveyors utilize a range of tools and instruments to gather precise measurements. These can include total stations, GPS receivers, theodolites, and levels. Understanding how to use and calibrate these instruments is crucial for obtaining accurate results.

Data Processing: After collecting field data, surveyors need to process it using computer software. This involves converting raw measurements into usable formats, creating detailed maps, and analyzing the data to extract relevant information.By mastering the basics of surveying, the geographers can ensure accurate measurements, precise planning, and successful project execution.

Chainage technique is no longer used, the name has remained, in particular in relation to railways, where it may be used to define the location of bridges and stations. A datum will be set as 0 at one point along the railway, and cumulative longitudinal distances measured using a device such as an odometer and then quoted along the length of the railway from that datum. This is generally sufficient to uniquely identify features such as bridges and stations.

Ultimately, without field survey, geographical enquiry becomes an armchair pursuit, a casual series of guesstimates and suppositions, unsupported by any real evidence.A field survey is usually conducted when you are required to substanciate certain position,eg. geographically, the composition of soil, or strata to establish whether the ground is suitable for building; the position of an ancient civilisation.

References:-

1. Foster OPOKU- Perceptions of Geography Among Ghanaian Senior Higher Secondary School Students: A Phenomenological Study, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 2019
2. D. Holmes-Practical geography: Using GIS in geographical fieldwork, ResearchGate, March 2007
3. ValentinMihaylov-Applied Aspects of Human Geography. A Critical Approach to Traditionalist Views, November 2020, Journal of Geography Politics and Society 10(2):1-9
4. Yýlmaz Arý-Fieldwork in geography undergraduate degree programmes of Turkish Universities: status, challenges and prospects, Journal of Geography in Higher Education,Volume 44, 2020 - Issue 2: JGHE Symposium: Teaching geographies of sexualities: 20 years on
5. IAN Fuller, Sally Edmondson, Derek France etc.- International Perspectives on the Effectiveness of Geography Fieldwork for Learning, Journal of Geography in Higher Education,Vol. 30, No. 1, 89–101, March 2006

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXV

India - Nepal Relation: With Special Reference to Tourism Of Nepal

Dr. Virendra Chawre*

***Assistant Professor, School of Studies in Political Science, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA**

Introduction - Tourism intensifies the travellers to explore the world and the wonders of the world. Tourismhelps bring people of different countries, with different culture, with different traditions, with different language close with each other. As the tourists when visit to any country not only know about that country but there is a exchange of cultures and traditions. Tourism is an integral part of the countries not only benefitted the country but also lead to the development of the community. The countries are mark out enormous tourism prospects. Where it connects the people as well as the countries together. Countries like India – Nepal enjoys connectivity tier with the tourism sector.

India -Nepal share an excellent bilateral relation with each other. Both the countries share open border with each other. From the former times to the current times both the countries share their history, culture, tradition, religion with one another. Ashoka, the Great warrior visited Lumbini in 249 BC, plumbed Ashoka pillar to mark the birthplace of Lord Sakyamuni Buddha.Also, the Ramayana epic Sita was marked to be born in Janakpur, Nepal ties knot with lord Rama the crown prince of Ayodhya. Monasteries, altar, sherpas,temples of Nepal- India have similar feature with each other like the Pashupatinath temple with similar culture featureconnect both the countries together.

Objective Of The Study : The main objective of the study are as follows: -

1. To study India - Nepal bilateral ties.
2. To counter India-Nepal cooperation in terms of tourism.

Methodology Of The Study: The study has been based on secondary data as main source. The data were collected from the past researches,reports, journals, official reports of government, newspapers etc.

Historical Background Of Nepal -Indiarelation: Nepal and India ties knot of cooperation and friendship from the former times. The open bordered shared by both the countries mark the deep-rooted relationship. The Treaty of Peace and Friendship in 1950 marks remarkable fraternity between both the countries. The historical perspective of the relationship of Nepal - India is marked because of the same culture and traditions and the religion belief that is imprinted in the hearts of the people.

The agreements and treaties tie the knot of connectivity between the people as well as between the countries. with this agreements and treaties India-Nepal are connected with each in present times also. In the various bilateral tiestourism play vital role to establish the better relation of both the countries. Like the conservation of the monuments in Pashupatinath Temple in Kathmandu strengthen the relation of both in terms of tourism circuits.

Probability Of Tourism For India- Nepal: India-Nepalboth possess the exalt of natural beauty where both the countries are richin culture, traditions,religious diversity, possessing the adventurous destination, mountains where they are prodigiously attractive and adventurous seekers. With the countries possessing mesmerizing climate.

The ethnic, cultural and spiritual diversity of India-Nepal where both the countries own different languages and follow different religionshows secularity and unity in diversity with different cultural beliefs and customs. Both the countries own world heritage sites became the property of whole world. The festivals played crucial role in context of both countries where they celebrate different functions joined the people with the sweetness of their culture. Festivals plays crucial role in promoting the tourism of countries. Theremunerative areas like the religious sitesfoster the tourism in which various ancient sites that are highly considered as the seat of spirituality since the former times. The prospect of tourism also owns with village tourism where both the countries possess the villages which are best way to explore the beauty of nature. The people who visit the place can see the way of life the people live even in the times of modernization. The life of simplicity, the taste of food and beauty of nature definitely diminish the quest of the adventurous destination.The countries also own the wealth of mountains trekking and seeking the nature beauty. The national parks and the wildlife sanctuary and the attractive forests play important role in the preservation of endangered and rare species. The natural beauty and the adventurous destinations rise up the sector of tourism and probability of both the countries.

Crucial Role Of Tourism For India -Nepal: Tourism plays crucial for economy, as it boosts the economy of the countries, play vital role in creating the jobs, also it helps in the development of the country because the government works for the development of the community and also for the development of the society and infrastructure.

Tourism also plays vital role in cultural exchange between the different countries as the people visit the destination exchange their culture between the citizens. The fairs, exhibitions, museums organise by the people and government leadthe people to get the chance to manifest their talent by presenting the culture and the handicrafts. The people got the job opportunities, the entrepreneurs got the chances to establish new products. In this way the people experience the advantages that come in the form of opportunities.

Tourism makes the governments to rely on tourism for boosting the economy and increasing the GDP. Not only the tourism is responsible for the economy but also for the development of the community, as the tourists visit the country, the government is responsible to provide secure and advance facilities which are mandatory and demanded.

India - Nepal Tourism Connectivity Tier: Asia plays vital role in the growth of tourism over the years. Where in both the countries there are the destinations for adventure attract tourists from the corners of the world. The Buddhist monasteries, Hindu altar and sherpas are important adventurousplaces in both the countries. Both the countries have various places of adventure accompanied with the exalt beauty. Both the countries enjoy the connectivity tier and worked closely in developing the tourists circuits. Religion, culture, traditions play vital role in the connectivity of both the countries. The cultural similarities make both the countries to connect with each other.

As we know that the Buddhist pilgrimage is famous in over the world, Ashoka the great warrior is also famous for the devotion in the buddha teaching visited Lumbini in 249 BC plumbed sandstone pillar to celebrate the occasion of the birth of buddha.Also, the Sita the wife of lord Rama the crown prince of Ayodhya, is considered to born in Janakpur of Nepal considered as the daughter of the Nepal.

In 2014 Memorandum of Understanding was signed between India-Nepal in order to make the India-Nepal cooperation strong in the field of tourism.

Another connectivity tier was launched in 2018 between India-Nepal which is known as the Ramayana circuit by connecting the Ayodhya and Janakpur. The circuit was inaugurated by the primeminister of Nepal. The circuit was launched with the motto of connecting the people with birthplace of Rama and Sita by organising the yearly fair in Ayodhya and Janakpur. The prime minister of India announced the assistance of 100 crore for the development of Janakpur.

The India-Nepal shares the connectivity tier with the Buddhist circuit, the teaching of buddha is still famous in the present times. TheNepal - India formed transnational Buddhist tourism circuit. Which connects the places of Nepal - India include Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagar, Rajgir, Shravasti, Vaishali, Nalanda, Kaushambi, Sankisa, and Kapilavastu. This are the sites where Buddha sermon, departure, where he meditates, where he taught suttas and delivered his last sermon. The connectivity tier will be inaugurated in October 2021, this connectivity will be mainly through airways, roadways and railways.In this way India-Nepal share connectivity tier with each other strengthen their relationship.

Conclusion: Tourism plays crucial role for both the countries. The tourism industries arise various benefits and opportunities for Nepal- India, as they benefited both the countries by creating jobs, boosting the economy, increasing the GDP and GNP, advancement in infrastructure and society. Tourism brought tremendous economic value for the countries. Both the countries knowns the probability of development that how they can make developments in the field of tourism sector. The circuits of Ramayana and the Buddhist pilgrimage circuits play vital role for the development of the tourism sector, as the developments of this areas can lead to the uplifting of the tourism industries. Not only this circuits but the two countries culture, traditions, heritage are precious gift which bound both the countries together.

After COVID 19 both the countries need to bring development specially in field of tourism sector, they need to modify their policies and strengthen their cooperation by establishing connectivity tier with each other. This will possible through strengthening the friendship and by promoting not only religious tourism but also the cultural and traditional tourism. Both countries need to take several major steps and need to make agreements in order to take the tourism industries to the next level, this will result in interdependency of both the countries and reinforce the relation between the two.

References:-

1. https://in.nepalembassy.gov.np/socio-cultural/
2. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Nepal_July_2014_.pdf
3. Akshaya Saroha, (April- June)2021, Changing Dynamics In India – Nepal Relations, World Affairs: The Journal of International Issues, Volume 2(No.2), page 126- 137 (12 pages)
4. https://www.orfonline.org/expert-speak/reset-india-nepal-relations/
5. https://www.usiofindia.org/images/uploads/2021/02/The-Dynamics-of-the-India-Nepal-Relationship-Final.pdf
6. https://diplomacybeyond.com/india-nepal-bilateral-relations/2021.
7. Outcomes during the visit of Prime Minister to Nepal (November 25-27, 2014). (n.d.) from https://pib.gov.in/

newsite/PrintRelease.aspx?relid=112053

8. Kushinagar-Nepal flight to boost Buddhist circuit. (2021, September 3). Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/kushinagar-nepal-flight-to-boost-buddhist-circuit/articleshow/85883343.cms
9. Thakur, J. (2019, September 20). Religious tourism as soft power: Strengthening India's outreach to Southeast Asia. https://www.orfonline.org/research/religious-tourism-as-soft-power-strengthening-indias-outreach-to-southeast-asia-55674/
10. https://kathmandupost.com/miscellaneous/2018/05/01/government-plans-lumbini-monorail-feasibility-studies
11. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/oct/doc2021102701.pdf
12. https://www.india.gov.in/spotlight/swadesh-darshan
13. https://www.india.com/travel/articles/this-village-along-indo-nepal-border-to-be-developed-as-tourism-spot-check-details-4837014/

****